हिन्दी
39

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर

सम्पूर्ण वाङ्मय

खंड–39

बाबासाहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

जन्म : 14 अप्रैल, 1891 परिनिर्वाण 6 दिसंबर, 1956

बाबासाहेब

डॉ. अम्बेडकर

सम्पूर्ण वाङ्मय

लेख और भाषण

खंड 39

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के भाषण

भाग–2

1937 से 1945

डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय

खंड : 39

डॉ. भीमराव अम्बेडकर : लेख तथा वक्तव्य भाग–2 (वर्ष 1937–1945)

पहला संस्करण : 2019 (जून)
दूसरा संस्करण : 2020 (अगस्त)

ISBN : 978-93-5109-147-9

आवरण परिकल्पना : डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी, पी.एच.डी.

पुस्तक के आवरण पर उपयोग किया गया मोनोग्राम बाबासाहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के लेटरहेड से साभार

ISBN (सेट) : **978-93-5109-129-5**

रियायत के अनुसार सामान्य (पेपरबैक) 1 सेट (खंड 1–40) का मूल्य : रू 1073/-
रियायत नीति (Discount Policy) संलग्न है,

प्रकाशकः
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार
15 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001
फोन : 011–23320571
जनसंपर्क अधिकारी फोन : 011–23320588
वेबसाइट :http://drambedkarwritings.gov.in
Email-Id :cwbadaf17@gmail.com

मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा.लि., W-30 ओखला, फेज–2, नई दिल्ली–110020

परामर्श सहयोग

डॉ. थावरचन्द गेहलोत

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार

एवं

अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

श्री रामदास अठावले

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री कृष्णपाल गुर्जर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री रतनलाल कटारिया

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री आर. सुबह्मण्यम

सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार

सुश्री उपमा श्रीवास्तव

अतिरिक्त सचिव एवं सदस्य सचिव, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी, पी.एच.डी.

निदेशक

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

डॉ. बृजेश कुमार

संयोजक, सी.डब्ल्यू.बी.ए.

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

सकंलन (अंग्रेजी)

श्री वसंत मून

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA
तथा
अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
CHAIRPERSON, DR. AMBEDKAR FOUNDATION

संदेश

स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माता डॉ. अम्बेडकर, बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। डॉ. अम्बेडकर एक उत्कृष्ट बुद्धिजीवी, प्रकाण्ड विद्वान, सफल राजनीतिज्ञ, कानूनविद्, अर्थशास्त्री और जनप्रिय नायक थे। वे शोषितों, महिलाओं और गरीबों के मुक्तिदाता थे। डॉ. अम्बेडकर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष के प्रतीक है। डॉ. अम्बेडकर ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में लोकतंत्र की वकालत की। एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में डॉ. अम्बेडकर का योगदान अतुलनीय है।

डॉ. अम्बेडकर के लेख एवं भाषण क्रांतिकारी वैचारिकता एवं नैतिकता के दर्शन–सूत्र है। भारतीय समाज के साथ–साथ संपूर्ण विश्व में जहां कहीं भी विषमतावादी भेदभाव या छुआछूत मौजूद है, ऐसे समस्त समाज को दमन, शोषण तथा अन्याय से मुक्त करने के लिए डॉ. अम्बेडकर का दृष्टिकोण और जीवन–संघर्ष एक उज्ज्वल पथ प्रशस्त करता है। समतामूलक, स्वतंत्रता की गरिमा से पूर्ण, बंधुता वाले एक समाज के निर्माण के लिए डॉ. अम्बेडकर ने देश की जनता का आह्वान किया था।

डॉ. अम्बेडकर ने शोषितों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं को जो महत्त्वपूर्ण संदेश दिए, वे एक प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण के लिए अनिवार्य दस्तावेज है। तत्कालीन विभिन्न विषयों पर डॉ. अम्बेडकर का चिंतन–मनन और निष्कर्ष जितना उस समय महत्त्वपूर्ण था, उससे कहीं अधिक आज प्रासंगिक हो गया है। बाबासाहेब की महत्तर मेधा के आलोक में हम अपने जीवन, समाज राष्ट्र और विश्व को प्रगति की राह पर आगे बढ़ा सकते हैं। समता, बंधुता और न्याय पर आधारित डॉ. अम्बेडकर के स्वप्न का समाज–"सबका साथ सबका विकास" की अवधारणा को स्वीकार करके ही प्राप्त किया जा सकता है।

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्न्ता हो रही है, कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का स्वायत्तशासी संस्थान, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, "बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर : संपूर्ण वांग्मय" के अन्य अप्रकाशित खण्ड 22 से 40 तक की पुस्तकों को, बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के अनुयायियों और देश के आम जन–मानस की मांग को देखते हुए मुद्रत किया जा रहा है।

विद्वान, पाठकगण इन खंडों के बारे में हमें अपने अमूल्य सुझाव से अवगत कराएंगे तो हिंदी में अनुदित इन खंडों के आगामी संस्करणों को और बेहतर बनाने में सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

(डॉ. थावरचंद गेहलोत)

बाबासाहेब अम्बेडकर के सम्पूर्ण वाङ्मय (Complete CWBA Vols.) का विमोचन

हिंदी और अंग्रेजी में CWBA / सम्पूर्ण वाङ्मय, (Complete Volumes) बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के संग्रहित कार्यों के संपूर्ण खण्ड, डॉ. थावरचंद गेहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, और अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया है। साथ ही डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी, निदेशक, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान और श्री सुरेन्द्र सिंह, सदस्य सचिव भी इस अवसर पर उपस्थित थे। हिंदी के खंड 22 से खंड 40 तक 2019 में पहली बार प्रकाशित हुए है।

उपमा श्रीवास्तव, आई.ए.एस.
अपर सचिव
UPMA SRIVASTAVA, IAS
Additional Secretary

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
Shastri Bhawan, New Delhi-110001
Tel. : 011-23383077 Fax : 011-23383956
E-mail : as-sje@nic.in

प्राक्कथन

भारतरत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर भारतीय सामाजिक–राजनीतिक आंदोलन के ऐसे पुरोधा रहे हैं, जिन्होंने जीवनपर्यंत समाज के आख़िरी पायदान पर संघर्षरत् व्यक्तियों की बेहतरी के लिए कार्य किया। डॉ. अम्बेडकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे इसलिए उनके लेखों में विषय की दार्शनिक मीमांसा प्रस्फुटित होती है। बाबासाहेब का चिंतन एवं कार्य समाज को बौद्धिक, आर्थिक एवं राजनैतिक समृद्धि की ओर ले जाने वाला तो है ही, साथ ही मनुष्य को जागरूक मानवीय गरिमा की आध्यात्मिकता से सुसंस्कृत भी करता है।

बाबासाहेब का संपूर्ण जीवन दमन, शोषण और अन्याय के विरुद्ध अनवरत क्रांति की शौर्य–गाथा है। वे एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें वर्ण और जाति का आधार नहीं बल्कि समता व मानवीय गरिमा सर्वोपरि हो और समाज में जन्म, वंश और लिंग के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव की कोई गुंजाइश न हो। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के प्रति कृतसंकल्प बाबासाहेब का लेखन प्रबुद्ध मेधा का प्रामाणिक दस्तावेज़ है।

भारतीय समाज में व्याप्त विषमतावादी वर्णव्यवस्था से डॉ. अम्बेडकर कई बार टकराए। इस टकराहट से डॉ. अम्बेडकर में ऐसा जज़्बा पैदा हुआ, जिसके कारण उन्होंने समतावादी समाज की संरचना को अपने जीवन का मिशन बना लिया।

समतावादी समाज के निर्माण की प्रतिबद्धता के कारण डॉ. अम्बेडकर ने विभिन्न धर्मों की सामाजिक, धार्मिक व्यवस्था का अध्ययन व तुलनात्मक चिंतन–मनन किया।

मैं प्रतिष्ठान की ओर से माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ जिनके सद्परामर्श एवं प्रेरणा से प्रतिष्ठान के कार्यों में अपूर्व प्रगति आई है।

उपमा श्रीवास्तव

(उपमा श्रीवास्तव)
अतिरिक्त सचिव
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार, एवं
सदस्य सचिव

प्रस्तावना

बाबासाहेब डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर एक प्रखर व्यक्तित्व, ज्ञान के प्रतीक और भारत के सुपुत्र थे। वह एक सार्वजनिक बौद्धिक, सामाजिक क्रांतिकारी और एक विशाल क्षमता संपन्न विचारक थे। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों के व्यावहारिक विश्लेषण के साथ–साथ अंतःविषयक दृष्टिकोणों को अपने लेखन और भाषणों के माध्य से प्रभावित किया जो बौद्धिक विषयों और भावनाओं को अभिव्यक्त एवं आंदोलित किया। उनके लेखन में वंचित वर्ग के लोगों के लिए प्रकट न्याय और मुक्ति की गहरी भावना है। उन्होंने न केवल समाज के वंचित वर्गों की स्थितियों को सुधारने के लिए अपना जीवन समर्पित किया, बल्कि समन्वय और 'सामाजिक समरसता' पर उनके विचार राष्ट्रीय प्रयास को प्रेरित करते रहे। उम्मीद है कि ये खंड उनके विचारों को समकालीन प्रासंगिकता प्रदान कर सकते हैं और वर्तमान समय के संदर्भ में डॉ. अम्बेडकर के पुनःपाठ की संभावनाओं को उपस्थित कर सकते हैं।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, भारत के साथ–साथ विदेशों में भी जनता के बीच बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर की विचारधारा और संदेश के प्रचार–प्रसार हेतु स्थापित किया गया है। यह बहुत ख़ुशी की बात है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के नेतृत्व में प्रतिष्ठान के शासी निकाय के एक निर्णय के परिणामस्वरूप, तथा पाठकों की लोकप्रिय माँग पर डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, बाबासाहेब अम्बेडकर के हिंदी में संपूर्ण वांग्मय (Complete CWBA Volumes) का दूसरा संस्करण पुनर्मुद्रित कर रहा है।

मैं संयोजक, अनुवादकों, पुनरीक्षकों, आदि सभी सहयोगियों, एवं डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान में अपनी सहायक, कुमारी रेनू और लेखापाल, श्री नन्दू शॉ के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिनकी निष्ठा एवं सतत् प्रयत्न से यह कार्य संपन्न किया जा सका है।

विद्वान एवं पाठकगण इन खंडों के बारे में सुझाव से डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान को उसकी वैधानिक ई–मेल आई.डी. **cwbadaf17@gmail.com** पर अवगत कराएं ताकि, अनुदित इन खंडों के आगामी संस्करणों को और बेहतर बनाने में सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान हमेशा पाठकों को रियायती कीमत पर खंड उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करता रहा है, तदनुसार आगामी संस्करण का भी रियायत नीति (Discount Policy) के साथ बिक्री जारी रखने का निर्णय लिया गया है। अतः प्रत्येक खंड के साथ प्रतिष्ठान की छूट नीति को संलग्न कर दिया गया है। आशा है कि ये खंड पाठकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे।

(डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी)
निदेशक, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार,

15, जनपथ,
नई दिल्ली

हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में गलतफहमियां प्रचलित हैं। कई विद्वान इतिहासकारों ने कहा है कि हिन्दुस्तान में राजनीति के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। प्राचीन भारतीयों ने केवल दर्शन, धर्म और आध्यात्म के बारे में लिखने पर ही अपना ध्यान केन्द्रित किया था। इतिहास और राजनीति से वे पूरी तरह अलिप्त थे। कहा यह भी जाता है कि हिंदी जीवन और समाज, तय फौलादी घेरे में ही घूमता है और उस घेरे के वर्णन के साथ–साथ इतिहासकार का काम पूरा हो जाता है! प्राचीन हिंदुस्तान के इतिहास के अध्ययन के बाद मेरी राय इन विद्वानों की राय से अलग बनी है। इस अध्ययन में मैंने पाया कि दुनिया के किसी भी देश में हिंदुस्तान जैसी गतिमान राजनीति नहीं थी और शायद हिंदुस्तान ही एक मात्रा ऐसा देश है जहां ऐसी क्रांति हुई जैसी दुनिया भर में अन्यत्रा कहीं नहीं हुई।

इतिहासकार शायद जिसे भूल चूके हैं ऐसी एक बुनियादी बात हिंदी इतिहास पढ़ने वाले छात्रों को ध्यान में रखनी होगी और वह है प्राचीन हिंदुस्तान में बौद्ध और ब्राह्मणों के बीच हुई लड़ाई। कुछ प्रोफेसरों ने कहा है कि, यह कोई दो पंथों के बीच हुई मामूली लड़ाई नहीं थी। यह सत्य के मायने ढूंढ़ने के लिए लड़ी गई लड़ाई थी।..... (पृ. क्र.)

–डॉ. भीमराव अम्बेडकर

विषय सूची

रियायत नीति (Discount Policy)

*ये पद सम्मान के नहीं, कुछ कर दिखाने के हैं

अस्पृश्यों के इकलौते नेता डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का विलायत से आगमन होते ही उन्होंने स्वतंत्र लेबर पक्ष के दौरे पर निकलने का कार्यक्रम रखा। पहली खेप में उन्होंने नासिक जिले का दौरा करना तय किया। सभा आदि का आयोजन करने के लिए समय कम था। इसके बावजूद नासिक के धीर और जुझारू नेता भाऊराव गायकवाड ने डॉ. बाबासाहेब के दौरे का कार्यक्रम इतनी कुशलतापूर्वक बनाया कि जगह-जगह, सड़कों पर, पंचायत के दफ्तर में, गांव की सरहर पर हजारां महिलाएं और पुरुष डॉ. बाबासाहेब के इंतजार में उनके दर्शनों के लिए उत्सुक खड़े मिले।

शनिवार दिनांक 16 जनवरी, 1937 को नागपुर मेल से डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर रात 8 बजे इगतपुरी पहुंचे। इगतपुरी के लोगों की तथा स्वावलंबन मंडल की ओर से वहां उन्हें फूलमालाएं अर्पण की गईं। रात 9 बजे डाकखाने के पास वाले मैदान में सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में दो हजार से अधिक जनसमुदाय हाजिर था। दूसरे दिन यानी रविवार दिनांक 17.1.1937 को पैसेंजर ट्रेन से सुबह सवा सात बजे कैंप देवताली आते समय इगतपुरी स्टेशनन पर उनके स्वागत के लिए इक्ट्ठे हुए जनसमुदाय की ओर से डॉ. बाहासाहेब अम्बेडकर के फूलमालाएं अर्पण की गईं। 'डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की जय' नारे की गूंज के साथ ट्रेन इगतपुरी स्टेशन से निकली। उस वक्त डॉ. बाबासाहेब के साथ नासिक के उम्मीदवार श्री भाऊराव कृष्णराव गायकवाड, पूर्व खानदेश के उम्मीदवार श्री दौलतराव जाधव, नगर के उम्मीदवार श्री प्रभाकर जनार्दन रोहम, नासिक जिला युवक संघ के जलसा मंडल में से देवराव डांगले, भीमराव कडक, बालाजी आदि लोग थे। नासिक रोड़ पर और इगतपुरी में स्काऊट मंडल ने शंति और व्यवस्था कायम रखने का काम बेहतरीन ढंग से किया। आगे घाटी, आसवली, लहवीत स्टेशनों पर लोगों ने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को फूलमालाएं पहनाई। देवलाती कैंप स्टेशन पर लोगों की बड़ी भीड़ जुटी थी। यहां भी कई संस्थाओं की ओर से डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को फूलमालाएं पहनाई गईं। तेलखोरा और नासिक रोड के स्काऊट की ओर से स्टेशन के बाहर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फिर स्टेशन से कैंप देवलाती के ज्ञान मंदिर तक प्रमुख सड़कों से जलूस निकाला गया। आगे मातंगों का बैंड बज रहा था। 'डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की जय', 'अम्बेडकर की जयजयकार', "अम्बेडकर कौन है" दलितों का राजा है।" "तरुण

---

*जनता : 23 और 30 जनवरी 1937

पार्टी जिंदाबाद। थोड़े दिनों में भीम राज'' और पृथक मजूर पक्ष की जयकार के नारे लगाते हुए जुलूस ज्ञान मंदिर तक पहुंचा। थोड़े ही समय में करीब हजार लोगों का समूह वहां जुटा। श्री भाऊराव गायकवाड को ही अपना मत देकर चुनाव जिताना कितना आवश्यक है इस बारे में संक्षेप में बताए जाने के बाद ज्ञान मंदिर की ओर से उन्हें फूलमाला अर्पण की गई। नासिक की राह में विदगाव, देवलाली, नासिक रोड पर स्थित दीनबंधु अम्बेडकर पुस्तकालय की ओर से डॉ. बाबासाहेब को फूलमालाएं अर्पण की गई। नासिक में श्री भाऊराव गायकवाड की ओर से डॉ. साहेब को शानदार 'टी पार्टी' दी गई। धुले के वामनराव पवार और भगिनी मंडल की ओर से श्रीमती गीताबाई गायकवाड ने पुष्पहार अर्पण किया। वहां से सभा स्थल के लिए महार बस्ती में जाते हुए रास्ते में श्रीमती अवकाबाई तेजाले ने फूलमाला अर्पण की। डॉ. बाबासाहेब जब सभा स्थान पर पहुंचे तब 'डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की जय'', ''अम्बेडकर कौन- दलितों का राजा है।'' ''तरुण पार्टी जिन्दाबाद। थोड़े दिन में भीमराज'' आदि नारों से वातावरण गूंज उठा। वहां इक्ट्ठा डेढ़-दो हजार लोगों के सामने डॉ. बाबासाहेब ने डॉ. भाऊराव गायकवाड की उम्मीदवारी के समर्थन में भाषण दिया। वहां दाणी की ओर से उन्हें फूलमाला अर्पण की गई। पवलाशी नेटावटे ने फूलमाला अर्पण की। तथा सभी महार बंधुओं की ओर से श्री सखाराम काले ने पुष्पहार अर्पण किया। नासिक में श्री शिवराम पालाजी मोरे की दुकान पर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की मेघवात परिवार द्वारा तस्वीर खींची गई। वहां से वरखेडा आते समय रास्ते में मसरूत, ढकांबे, तलेगांव गांवों में उन्हें फूलमालाएं पहनाई गईं। दिंडोरी में गांव में जुलूस निकाला गया। जुलूस में आगे सुस्वर बाद्य बज रहे थे। डॉ. बाबासाहेब की जयकार से दिंडोरी गांव गूंज उठा। महार बस्ती में एक सुन्दर मंडप में बनाए गए मंच पर डॉ. बाबासाहेब आए तब वहां की सैंकड़ों महिलाओं ने उनकी आरती उतारी और भक्ति भाव और भगिनी प्रेम से कहा, ''सारे संकट हट जाएं। भीमराज जल्दी आए।'' इस अवसर पर भाषण देते हुए डॉ. बाबासाहेब ने कहा, ''भाऊसाहब गायकवाड अपनी तहसील से हैं केवल इसलिए उन्हें अपना मत देने के बजाय वे सचमुच लायक और काबिल उम्मीदवार हैं इसलिए आप उन्हें अपने चारों मत दें। यह बहुत जरूरी है।'' इसके बाद डॉ. बाबासाहेब को फूलमाला पहनाई गई। आगे चले तब आवनखेड में भी फूलमालाएं अर्पण की गईं। आंबेवर्णी में श्री किसनराव शिवराम गांगुर्डे ने चायपार्टी दी। इस अवसर पर आंबेवण के महार मंडल और भगिनी मंडल की ओर से फूलमालाएं अर्पण की गईं। वहां से बाजे-गाजे के और नारों की गूंज के साथ जुलूस वरखेडा में आया। श्री शिवराम दादाजी गांगुर्डे के घर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर और उनके साथ आए लोगों को मेजवानी दी गई। इस सभा में डॉ. अम्बेडकर करीब पौने घंटे तक बोले। यहां सभा में आए सभी लोगों को वरखेड के लोगों ने सुस्वादु भोजन खिलाया। आगे चले तो जऊलके गांव में फूलमालाएं अर्पण की गई। आगे पिंपलगांव बसवंत में कोतवाली के सामने मैदान में डॉ. बाबासाहेब ने श्री भाऊराव गायकवाड की

उम्मीदवारी के समर्थन में छोटा–सा भाषण दिया। वहां के लोगों ने डॉ. बाबासाहेब को फूलमाला अर्पण की ओर फलाहार भी दिया। तांबट के औझर में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का जुलूस गांव की प्रमुख सड़कों पर चला। जुलूस में सुस्वर वाद्य बज रहे थे और नारे भी लगाएं जा रहे थे। वहां महार बस्ती में अपने भाषण में डॉ. अम्बेडकर ने श्री गायकवाड की उम्मीदवारी के लिए अपना समर्थन दिया। वहां से आगे खेरवाडी, चांदोरी, सायखेडा, चाटोरी, नायगांव आदि जगहों पर डॉ. अम्बेडकर को फूलमालाएं अर्पण की गई। रात 8:30 बजे सिन्नर की प्रमुख सड़कों पर मोटर में डॉ. अम्बेडकर का जुलूस निकला। रात 9.30 बजे सभा शुरू हुई। पहले श्री दौलतराव जाधव, पुंजाजी नवसाजी जाधव और रघुनाथराव रिपोटे के श्री भाऊराव गायकवाड की उम्मीदवारी के समर्थन में भाषण हुए। आखिर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर बोलने के लिए उठ खड़े हुए। पहले उन्होंने बताया कि आगामी चुनाव कितने महत्वपूर्ण हैं और सबको कितने एहतियात से बरतना होगा। फिर उन्होंने बताया कि अपने जिले से श्री भाऊराव गायकवाड को ही जिताना कैसे आवश्यक है। फिर सिन्नर तालुका संघ के अध्यक्ष श्री बापुटाव भालेराव के यहां डॉ. बाबासाहेब और स्काऊट मंडल को मेजबानी दी गई। वहां से नासिक स्टेशन की ओर लौटते हुए शिंदे के मराठा और महार लोगों की ओर से डॉ. बाबासाहेब को फूलमालाएं अर्पण की गई। साथ ही पलसे के लोगों ने भी उन्हें फूलमालाएं अर्पण कीं।

इसप्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यों माने गए समाज के इकलौते नेता डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा विधि मंडल चुनावों के बारे में नासिक जिले का दौरा करते हुए इगतपुरी, कैंप देवलाती, नासिक, दिंडोली, वरखेडा, पिंपलगांव, बसवंत, ओझर, तांबट, सिन्नर आदि कई जगहों पर जो भाषण दिए उन्हें यहां संक्षेप में दिया जा रहा है–

प्रिय भाई–बहनों,

आज आप सभी को यहां बुलाए जाने की वजह आपको हैण्डबिल के जरिए बता ही दी गई है। मुंबई विधानसभा के अगले चुनावों में आप किसे अपना मत देकर चुनाव जिताएं इस बारे में हमें सोचना है। इस देश में कई राजा हुए। अंग्रेजों को भी यहां आए 150 वर्ष बीत चुके हैं। अंग्रेजों के 150 सालों में से पिछले 60 सालों से ये कौंसिलें काम कर रही हैं। इन कौंसिलों के द्वारा जनता के प्रतिनिधि अपने लोगों की शिकायतें सरकार के सामने रखते आए हैं। लेकिन अस्पृश्यों माने गए आठ करोड़ लोगों की ओर से उनकी शिकायतें कौंसिल में ले जाने वाला कोई प्रतिनिधि अब तक नहीं हुआ है। यही बात आज अपनी कोशिशों से होने जा रही है। आगामी अप्रैल, 1937 से शुरू होने वाले विधि मंडल के लिए नासिक जिले के लोगों को अधिकार मिला है कि वे अपना एक प्रतिनिधि भेजें। इस बार जब कौंसिल चलेगी तब अपना सुख–दुख वहां तक ले जाने का मौका हमें मिला

है। अब तक हमें अपनी शिकायतें सरकारी अधिकारियों के जरिए रखनी पड़ती थीं लेकिन अब से हमें अपनी शिकायतें सीधे विधि मंडल में रखनी हैं। हमारे सभी सुख-दुःखों के बारे में जहां सोचा जाना है उस विधि मंडल में आपकी ओर से जाने वाला आदमी बेहद मजबूत होना चाहिए। ये पद सम्मान के नहीं, कुछ कर दिखाने के हैं। विधि मंडल में व्यक्ति अपने लिए नहीं जाता वह अपने समाज के लिए जाता है। समाज के कारण उत्पन्न मसलों के बारे में सही-गलत सोच कर विधि मंडल में हमारी ओर से लड़ने वाला इंसान हमें चुन कर भेजना होगा। विधि मंडल हमारे बचाव का साधन है।

हमारे जिले के पश्चिम हिस्से की ओर से एक प्रतिनिधि चुनकर भेजने का अधिकार आपको मिला है। इस एक जगह के लिए श्री भाऊराव गायकवाड और रामचंद्र रोकडे ये दो उम्मीदवार खड़े हैं। आप इन दोनों को अच्छी तरह पहचानते हैं। इसलिए इस बारे में मुझे किसी की सिफारिश करने की जरूरत नहीं है।

इस विधि मंडल द्वारा महार लोगों के वतन के बारे में सोचने की जरूरत है। आपके पास जमीनें न होने के कारण बंजर जमीनें आप चाहते हैं। हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा होने के कारण हमारे बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होना जरूरी है। गरीबी है तो, सरकारी वजीफे मिलने जरूरी है। अस्पृश्य माने जाने के कारण आपको होने वाली परेशानी दूर करने के लिए अस्पृश्यता निवारण के बारे में कानून बनाना जरूरी है। सरकारी नौकरी में हमारे लोगों की भर्ती होना जरूरी हैं। इसलिए इस बारे में प्रबंध होना जरूरी है। ऐसी सैकड़ों बातें विधि मंडल के जरिए झगड़ कर हमें पानी हैं। इन दोनों में से यह काम कौन कर सकते हैं ऐसा आपको लगता है' (लोग चिल्लाकर बताते हैं- गायकवाड करेंगे)।

रोजमर्र के कामों के दौरान हम देखते हैं कि किसी आदमी को अगर घर बनाना हो और अगर बढ़ई की जरूरत आना पड़े तो हम अधिकतर बढ़ई का काम जानने वाले व्यक्ति को ही काम पर रखते हैं। मिस्त्री के काम के लिए मिस्त्री को ही काम पर रखते हैं। इसी प्रकार विधि मंडल के काम कौन अच्छी तरह कर सकता है यह सोच कर आपको ही तय करना है। यह बेहद महत्वपूर्ण है। यहां अपना-पराया सोचकर काम नहीं चलेगा। नाते-रिश्तों की सोचने से यहां काम नहीं चलेगा। इसी प्रकार आपसी द्वेष भावना से प्रेरित होकर बदले की भावना से बौखलाकर चलेगा नहीं। हमारी शिकायतें विधि मंडल में रख कर उसका निवारण जो कर पाएगा ऐसा आपको लगता है उसी को वोट देकर चुनाव जिताना जरूरी है। जो व्यक्ति विधि मंडल में जाने योग्य है उसी को चुन कर विधि मंडल में भेजें।

हमारे सामने एक ही जगह के लिए खड़े दो उम्मीदवारों में से कौन अधिक लायक है यह देखना जरूरी है। श्री भाऊराव गायकवाड द्वारा पिछले कई सालों से की गई समाज

सेवा मशहूर है। उन्होंने लोकल बोर्ड और नासिक म्युनिसिपलिटी जैसी स्थानीय स्वराज संस्थाओं में पिछले कई सालों से जिम्मेदारी के काम किए हैं। पिछले छह: सालों से अपने जिले के लोगों की शिकायतें सरकार के दरबार में पेशा कर उनके निवारण का कार्य वे करते आए हैं। अस्पृश्य माने गए समाज के आन्दोलन का नासिक जिला केद्र बना है। पिछले पांच-छह सालों से इस जिले में कितने आन्दोलन हुए इसकी जानकारी आपको है। इन सभी आन्दोलनों में उन्होंने महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी के काम किए हैं यह आप देखते आए हैं। इन आंदोलनों के कारण कई बार उन्हें मारपीट सहनी पड़ी है, कई बार दंड देना पड़ा है तो कई बार कारागार जाना पड़ा है और सश्रम कारावास भी झेलना पड़ा है। श्री भाऊराव गायकवाड के किए कामों के मद्देनजर ही मैंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की ओर से उनका नाम सुझाया है। श्री गायकवाड के खिलाफ श्री रामचंद्र रोकडे खड़े हैं। मंदिर-प्रवेश सत्यग्रह के दौरान वे कहां छिपे बैठे थे- जिसे सार्वजनिक सेवा कहा जाए ऐसा कुछ क्या उन्होंने कभी किया है- (लोग 'नहीं-नहीं' चिल्लाते हैं।) 1935 के इंडिया एक्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि अबके बाद मुंबई विधि मंडल का कामकाज अंग्रेजी में ही चलेगा। अपनी कुछ शिकायतों अगर विधि मंडल के सामने रखनी हों तो अब अंग्रेजी में ही रखनी पडेंगी ऐसा नियम बनाया गया है। ऐसे में, अपनी शिकायतें अंग्रेजी में रखने जितनी अंग्रेजी क्या श्री रोकडे जानते हैं- (लोग चिल्लाते हैं - नहीं-नहीं'।) रोकडे द्वारा जो विनती पत्रक जारी किया गया है उसमें वह साफ तौर पर कहते हैं कि मैं किसी भी पक्ष या संस्था की ओर से खड़ा नहीं हूं। अगर रोकडे किसी भी पक्ष या संस्था की ओर से खड़े नहीं है तो उन्हें उनके काम में मदद कौन करेगा- क्या ऐसे इंसान की हालत ना पशु-ना पंछी कहलाने वाले चमगादड़ जैसी नहीं होगी- इससे तो बेहतर था कि रोकडे सीधे कांग्रेस या तत्समय किसी और पक्ष की ओर से चुनाव में उतरते। 'न यह ठीक-न वह ठीक' की हालत अच्छी नहीं होती।

इन सभी बातों के बारे में सोचने के बाद सभी उम्मीदवारों में से विधि मंडल में जाने के लिए लायक कौन हैं और नालायक कौन है यह ढूंढ पाना बहुत आसान हो गया है। क्योंकि श्री भाऊ साहब गायकवाड और श्री रामचंद्र रोकडे की सार्वजनिक कार्य, बुद्धिमानी, कर्त्तव्यतत्परता अनुभव, शिक्षा आदि सभी तरहों से सोचा जाए :-

कहां राजा कहां गंगू तेली

कहां हिमालय पर्वत कहां कंकड

कहां सोना और कहां निक्कल

कहां घोड़ा और कहां खच्चर

इतना फर्क दोनों के बीच है यह बात सूरज की रोशनी जितनी साफ है। इसके बावजूद आप क्यों दुविधा में पड़ते हैं– इसीलिए आप सभी अपने चारों मत श्री भाऊराव गायकवाड को ही दें यह मेरी आपसे विनती है।

मुझे पता चला है कि कुछ विरोधकों के प्रचारक कहते फिर रहे . . . . .हैं कि आप अपने दो मत श्री गायकवाड को दें और दो मत श्री रोकडे को दें। क्योंकि दोनों उम्मीदवार अपनी ही जाति के हैं। इस बारे में मैं आपसे साफतौर पर कहना चाहता हूं कि इस जिले से हमें केवल एक ही उम्मीदवार को चुन कर भेजना है। इसलिए अपने मतों को इस प्रकार बांट कर काम नहीं चलेगा। आपको एक ही जगह के लिए उम्मीदवार चुनने के लिए दिए गए मतों को इस प्रकार बेमतलब बांटेंगे तो उसमें आपका नुकसान है नहीं, यह तो आत्मघात होगा। यह बात ना भूलें। इसी तरह आपके मतों के लिए लोग आपको रुपयों का लालच देंगे। अपना काम निकालने के लिए वे आपसे मीठी-मीठी बातें करेंगे। आपको झूठे वादे करेंगे। लेकिन आपको इनमें से किसी की बातों में नहीं आना है। मत का अधिकार आपकी मुक्ति का साधन है। मुक्ति का साधन आप अगर पैसे के लिए बेचेंगे तो आपके जैसे आत्मघाती, समाजद्रोही और मूर्ख केवल आप ही होंगे। इसीलिए कहता हूं, भाइयों और बहनों, किसी हालत में आपको मिला यह अधिकार पैसे के लिए ना बेचें, यह मेरी आपसे विनम्र बिनती है।

कल मैं जब यहां आया था तब कुछ लोगों को यह कहते सुना कि श्री रोकडे बहुत अमीर हैं इसलिए उन्हें ही अपने मत दें। इस बारे में मैं आपसे सफतौर पर कहना चाहता हूं कि, विधि मंछल अपनी अमीरी का प्रदर्शन करने की जगह नहीं है। वहां गरीब और अमीर, का भेद नहीं है। 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' का न्याय वहां चलता है। इसीलिए अपने पक्ष की ओर से झगड़ने वाला सड़क का भिखारी वहां अमीरी और ऐसो-आराम में लोटने वाले नादान, आलसी और मूक अमीर से कई गुना श्रेष्ठ होगा। विधि मंडल के लिए जिस उम्मीदवार को चुनना है उसकी काबिलियत अमीरी में नहीं उसकी कर्त्तव्यतत्परता, समाज-सेवा और कड़ी तपस्या में आंकी जानी चाहिए। केवल अमीरी से प्रभावित होने के कोई मायने नहीं हैं। क्योंकि अमीर संभाजी रोकडे की मृत्यु के पश्चात् उनकी संपत्ति की विरासत उनके बेटे को मिली है। अमीर धोंडिबा रणखांबे की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति भी विरासत में उनके बेटों को मिली है। मेरी मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति भी विरासत में मेरे बच्चों को मिलेगी। अगर ऐसी ही बात है तो ऐसी अमीरी से हमें आपको क्या लेना-देना- कई लोग कहते हैं कि विधि मंडल में बुद्धिमान और कर्त्तव्यतत्पर लोगों की ही जरूरत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। मराठा समाज के उम्मीदवार और पहले कौंसलर रहे व्यक्ति की ओर देख कर आप यह बात समझ जाएंगे। मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि मराठों का कोई भी गोल पगड़ी पहनने वाला

और अज्ञानी आदमी अगर विधि मंडल में जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है लेकिन आपका प्रतिनिधि उस तरह का होना नहीं चाहिए। आपका प्रतिनिधि उससे कम से कम 15 प्रतिष्ठात अक्लमंद और कर्त्तव्यतत्पर होना चाहिए।

सुना है कि अपने नासिक जिले में गायकवाड और रणखांबे इन दो कार्यकर्त्ताओं के होते हुए मैंने भाऊराव गायकवाड को ही क्यों चुना इस बात को लेकर काफी संदेह फैला है। हमारे नासिक जिले के दो लोग गायकवाड और रणखांबे विधि मंडल में जाने के लिए योग्य हैं यह बात सही है। इसीलिए चार महीनों से पूर्व दोनों को बुलाकर मैंने साफ-साफ बताया था कि आपके जिले की तरफ से विधि मंडल चुनावों में कौन उतरे इस बारे में आप दोनों आपस में तय कर मुझे बताएं। और मैंने यह भी साफतौर पर बताया था कि अगर इस बात का निर्णय आप दोनों के बीच आपसी बातचीत से नहीं होता और अगर मुझे इस बारे में फैसला देना पड़े तो मेरा फैसला गायकवाड के पक्ष में होगा। यह बात मैंने रणखांबे से भी कहीं थी। क्योंकि, मैंने कहा था कि आप दोनों में से अधिक योग्य कौन है यह हम आपसे अच्छी तरह जानते हैं कि रणखांबे को आगे करने वाले कौन हैं इसकी कहानी मैं पूरी तरह जानता हूं। इसीलिए अमृतराव रणखांबे से अधिक मुझे भाऊराव गायकवाड योग्य लगे।

दूसरी बात यह है कि श्री रणखांबे ने राजीखुशी, अपने होशोहवास में अपने हस्ताक्षर के साथ खत भेजकर मुझे साफ तौर पर बताया है कि विधि मंडल में नासिक जिले की आरक्षित जगह के लिए श्री भाऊसाहब गायकवाड को ही चुनें। ऐसे में श्री रणखांबे को आज श्री गायकवाड की उम्मीदवारी में उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मदद करने या कम से कम नातरफदार रहने के बजाय रणखांबे खुले आम भाऊराव गायकवाड की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं, इसे क्या कहें- वैसे देखा जाए तो रणखांबे और रोकडे घरानों के बीच मेरी जानकारी के अनुसार किसी वजह से विवाद चल रहा था। दोनों के बीच प्रेम भावना या मित्रता भाव बिल्कुल नहीं था। इसलिए रणखांबे का नाम मैंने विधि मंडल के लिए नहीं सुझाया इसलिए पिछले कई सालों से भाइयों की तरह रहे गायकवाड के खिलाफ जाकर रणखांबे विरोधी गुट के लोगों के गले मिले और आज तक जो मित्र था उसका विरोध करे यह न्यायपूर्ण नहीं है। रणखांबे का यह बर्ताव अयोग्य है। नासिक जिले के संगठन में मनमुटाव और बखेडा खड़ा करने के लिए श्री रणखांबे ही जिम्मेदार हैं। भाषण पूरा करने से पहले मैं सबसे आग्रहपूर्वक एक विनिती करना चाहता हूं कि 17 फरवरी, 1937 को मतदाता भाई-बहन अपना खर्चा खुद उठाते हुए या पैदल चलकर पुलिस स्टेशन जाकर अपने चारों मत पृथक मजदूर पक्ष की ओर से खड़े उम्मीदवार भाऊराव गायकवाड को ही दें। उनकी निशानी है घोड़ा। घोड़े के चित्र को दाहिनी ओर चार बार कांटे का निशान बनाएं।

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का नासिक जिले का दौरा कल्पनातीत रूप से सफल रहा। उनके दो दिन के नासिक दौरे ने खूब हलचल मचाई। नासिक में डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर को श्री भाऊसाहब गायकवाड ने कुछ अन्य स्पृश्टया स्पृश्य नेताओं के साथ मिलकर चाय-पार्टी दी। श्री भाऊराव गायकवाड अपने विरोधियों को हराकर नासिक जिले से चुनाव जीतेंगे यह बात पक्की! आखिर अपने संदेह के जरिए डॉ. अम्बेडकर ने सभी नासिकवासियों को बताया कि, ''आज तक नासिकवासी बंधुओं द्वारा व्यक्त स्वाभिमान, क्रूरता और अपने लक्ष्य के प्रतिनिष्ठा को आज से आगे आनेवाली आजमाइश में पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए अपनी पार्टी को जिताएं। नासिक जिले की ओर से श्री भाऊराव गायकवाड को प्रचंड बहुमत से चुनाव जिताना नासिकवासियों का पहला और पवित्र कर्त्तव्य कर्म है इसका मैं आपको अहसास दिला रहा हूं। आज मैं जो जिम्मेदारी आपको सौंप कर जा रहा हूं उसे आप निर्भयतापूर्वक निभाएंगे इसका मुझे पूरा अहसास है।''

आखिर तड़के मेल गाड़ी से डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मुंबई लौटे।

98

*पक्ष, लक्ष्य और सिद्धांत न होने वाले त्रिशंकु उम्मीदवारों को ना चुनें

अखिल भारतीय अस्पृश्यों के इकलौते वंदनीय नेता डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के विलायत से लौटते ही स्वतंत्र लेबर पार्टी के दौरे का कार्यक्रम तय किया गया। तब 24 जनवरी, 1937 का दिन सोलापुर जिले के लिए मिला। खबर मिलते ही सोलापुर के वरिष्ठ सरपंच श्री विश्वनाथबुवा बंदसोडे, महारों की छोटी बस्ती के नेता संभाजीराव बलभंडारे, केशवराव सोवे, शंकराव सातपुते, श्रीपतराव पक्षाले, विठ्ठलराव साबले, मारतीराव बंदसोडे, माठतीराव गायकवाड, जनता के एजेंट रा. बल्लात, रामकृज़्ण पुजारी आदि नेताओं ने बाबासाहेब के आने की खबर पूरे जिले में तुरंत पहुंचाई। खबर मिलते ही तुरंत करसाले, बार्शी, कुर्डुवाडी, टेंभुर्णी, मंदूप, घतसंग आदि हिस्से के नेताओं ने बाबासाहेब के दौरे के कार्यक्रम सभा में आने वाले लोगों के खाने-पीने की तैयारी की। अस्पृश्यों का उद्धारक, अखिल भारतीय दलितों का राजा बाबासाहेब अम्बेडकर के दर्शन के लिए अबालवृद्ध जनता जिले में सर्वत्र उनकी मार्गप्रतीक्षा करती रही। 23 जनवरी की रात सोलापुर में इकट्ठा अस्पृश्य समाज ने बाबासाहेब के स्वागत की तैयारी करने में जाग कर बिताई। कैप्टन यादवराव लोंढे और शहर के विभिन्न अखाड़े के भीमसेना के स्वयंसेवक तड़के 3 बजे से ही सोलापुर स्टेशन पहुंचे। 4 बजे से लोगों का स्टेशन की ओर तांता लगा। 6 बजते-बजते 5-6 हजार लोगों से स्टेशन का परिसर और बाहर की जगह भर गई। 7 बजे के बाद डॉ. बाबासाहेब की गाडी ने स्टेशन में प्रवेश किया। 'डॉ अम्बेडकर की जय', 'अम्बेडकर जिंदाबाद' आदि नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। उसी गूंज में मातंग समाज के केर रामचंद्र जाघव, आपाराव दणाणे, सत्यप्रसारक भीमसेना के कैप्टन यादवराव लोंढे, थोरता महारवाडा पंचों के अखाड़े से नारायण बाबरे, धाकटा महारवाड़ा अम्बेडकर अखाड़े की ओर से संभाजी तलभंडारे, फौरेस्ट दीनबंधु अम्बेडकर अखाड़े की ओर से हरिबा खलीफा, श्री तात्याबा पांडुंग सावंत, चेयरमन, मातारीरस ग्रामपंचायत, निवृत्ति राव माने ओर अकुबा तोंढे और शहर के सभी मोहल्लों की ओर से बाबासाहेब को हार पहनाए गए। फूलों की वर्ज़ा करते हुए आनंद और उत्साह के साथ जयकार करने वालों जनसमुदाय के बीच से स्वयंसेवक बड़ी कोशिशों के साथ मोटर तक ले आए। आगे बाबासाहेब मेसर्स जी आर देशपांडे वकील के बंगले पर रुके और लोग 'अम्बेडकर जिंदाबाद' के नारे लगाते हुए बड़े महारवाडे में लगाए गए शामियाने में चले गए। चायपान के बाद ठीक 4 बजे बाबासाहेब सभामंडप पहुंचे। उनके

*जनता : 6 और 13 फरवरी, 1937

आते ही जिंदाबाद का गर्जन होने लगा, तालियों की गड़गड़ाहट हुई और उनके मंच पर स्थानापन्न होते ही शांति फैली। मातंग समाज की ओर से केरू रामचंद्र जाधव ने उन्हें फूलमाला पहनाई। अपने भाषण में श्री जाधव बोले, ''अखिल भारतीय अस्पृश्य समाज को शिक्षा, समानता, सम्मान और रोटी मिले इसलिए अपने प्राणों की भी परवाह किए बगैर निर्भयता, समता और व्यापकता के साथ बाबासाहेब द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है वह निश्चित तौर पर हमारा उद्धार करेगा। बाबासाहेब ही हमारे नेता हैं, वही हमारे धम. र्धिकारी हैं और वही हमारे परमपूज्य भगवान हैं। मातंग समाज उनका एकनिष्ठ अनुयायी हैं और मुम्बई में हुई इलाका मातंग परिषद ने यह बात साबित की है।'' उनके भाषण के बाद बाबासाहेब बोलने के लिए उठे। उनके उठते ही जिंदाबाद के नारे लगे, तालियों की गड़गड़ाहाट हुई और फिर एकदम शांति छाई। डॉ. बाबासाहेब ने अपने भाषण में कहा,

भाइयों और बहनों,

आज हम यहां यह तय करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि मुंबई लेजिस्लेटिव एजेंसी के आगामी चुनाव में हम किसे अपना मत देकर चुनाव जिताएं। इस देश में कई राजा हुए। अंग्रेजों को यहां आए करीब 150 साल हुए। अंग्रेजों के 150 सालों के शासन में पिछले 60 सालों से ये कौंसिलें कार्यरत हैं और उनके जरिए जनता के प्रतिनिधि हमारे लोगों की शिकायतें सरकार के सामने रख रहे हैं। लेकिन जिन्हें अस्पृश्य माना गया है उन आठ करोड़ प्रजा की ओर से उनका पक्ष रखने वाला कोई प्रतिनिधि काउंसिल में हो यह बात आज तक कभी नहीं हुई थी। वही बात आज आपकी कोशिशों से हुई है। आगामी अप्रैल, 1937 से शुरू हो रहे विधि मंडल के लिए सोलापुर जिले के अपने लोगों को एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिला है। इस बार की कौंसिल हमारे बचाव का साधन होगी। वहीं हमारे सुख–दुखों का न्याय होगा। वहीं महारों के वतन के बारे में, बंजर जमीनें मिलने के बारे में, शिक्षा पाने के लिए वजीफे हासिल करने के लिए, अस्पृश्यता के कारण आई दीनता से। छुटकारा पाने के लिए, सरकारी नौकरी में योग्य अनुपात में प्रवेश पाने के लिए और भी सैंकडों बातों के लिए विधि मंडल के द्वारा हम संघर्ष कर सकते हैं। जाहिर है कि वहां आपका प्रतिनिधि केवल सम्मान पाने के लिए नहीं जाएगा। वह हमारे समाज के हित के लिए जाएगा यह बात ध्यान में रखें। रोजमर्रा के व्यवहार में हम घर बनाते वक्त ईपट–पत्थर आदि के कामों के लिए कडिए को ओर लकड़ी के काम के लिए बढ़ई को काम देते हैं। कहीं रेलवे का पुल बनाना हो तो इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर वह काम नहीं कर सकते। लेकिन आपके यहां से उद्धव शिवशरण मास्टर ने मुझे खत लिखा कि इस पद पर उन्हें नियुक्त किया जाएं। अंग्रेजी न जानने वाले इस मास्टर के बारे में मुझे अजीब लगा। दो महीनों तक मैं सोचता रहा। फिर श्री जिवाप्पा ऐदाले के नाम की घोषणा की। इतना सब होने तक मुझ तक श्री मागाढे का नाम नहीं पहुंचा था। बाद में पहुंचा। लेकिन इसके पीछे कांग्रेस का हाथ होने का सबूत मेरे पास है। भाइयों, कांग्रेस को स्वराज चाहिए। हमें भी स्वराज चाहिए। लेकिन उसे पाने के

लिए कांग्रेस ने जो कानून तोड़ने का रास्ता अपनाया है वह हमें मंजूर नहीं। कानून तोड़ने से हालांकि स्वराज की नींव पड़ चुकी है। कांग्रेस वाले आपको बताएंगे कि हम सब की एकजुट होकर अंग्रेजों को इस देश से भगा देंगे और आजादी पाएंगे। लेकिन, सोचने की बात यह भी है कि जिनमें खटमल मारने की ताकत नहीं है वे सभी तरह से शक्तिमान अंग्रेज सरकार को कैसे भगाएंगे– या मान लीजिए, कल अंग्रेज सरकार इंग्लैंड चली गई तो हमें धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक अवनति के गड्ढे में धकेल कर सड़ाने वाले जमींदार, मालगुजार कहीं विदेश तो नहीं जाएंगे? और, कांग्रेस तो सेठ, साहूकार, जमींदार, पूंजीपती लोगों की संस्था है। इसलिए आप ऐसे लोगों की बड़ी–बड़ी बातों में ना आइए।

भाइयो, अपने वोटों की कीमत नोट बराबर न समझें। अपनी जान या उससे ज्यादा अपने वोट की कीमत है यह बात ना भूलें। किसी अजीब उम्मीदवार को वोट देंगे तो किसी निर्दयी के हाथ में छुरा थमाने जैसा होगा। श्री जिवाप्पा ऐदाले मेरे पक्ष के उम्मी. दवार हैं। उनका अपना लक्ष्य है, अपने सिद्धांत हैं। उनकी और आपके भावी हित की मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए श्री जिवाप्प ऐदाले को ही अपने तीनों मत देकर चुनाव में जिता दीजिए। बाकी उम्मीदवार मेरे दुशमन नहीं हैं। लेकिन जिनका कोई पक्ष नहीं, लक्ष्य नहीं, सिद्धांत नहीं ऐसे त्रिशंकु उम्मीदवारों की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। आज तक हो सकता है कभी किसी ने आपसे अपने जिले का, तहसील का नाते–रिश्तों के बारे में गर्व महसूस करने की सलाह दी होगी। ना दी हो तो आगे कोई दे भी सकते हैं। लेकिन इस प्रकार गर्व महसूस करने लगे तो आखिर आपको अपने गांव का घर के बारे में भी गर्व महसूस करना होगा। और इस प्रकार अगर हर घर में उम्मीदवार खड़े रहेंगे तो आपके भविष्य के कल्याण का सत्यानाश होगा इसके बारे में सोचिए।

आखिर आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि इस शहर के मजदूरों की ओर से आपको एक मत देने का अधिकार है। उस जगह के लिए मजदूरों की ओर से श्री रघुनाथराव बखले, उम्मीदवार बने हैं। आज तक उनके द्वारा कौंसिल में की गई गरीबों, मजदूरों किसानों, अस्पृश्यों की सेवा मुझे मंजूर है। सोलापुर के मजदूर उन्हीं को अपना मत दें। सेठ, साहूकार, मिल–मालिकों के पिस्तुओं को अपना वोट देकर आपका कल्याण नहीं होगा। इसीलिए श्री बखले को ही अपना वोट दें।

इतना कह कर बाबासाहेब ने अपना भाषण पूरा किया। तुल्जापुर के कदम ब्रदर्स द्वारा तथा अन्य कईयों द्वारा फूलमालाएं पहनाई जाने के बाद जयकार की ध्वनि के साथ सभा बरर्खास्त हुई। उसके बाद बाबासाहेब मंदूप रवाना हुए।

मंदूप की सभा

सोलापुर का कार्यक्रम पूरा करर बाबासाहेब आएंगे यह सोच कर मंदूप परगना और मंगतवेढा संस्थान से इक्ट्ठा दो हजार से अधिक जनसमुदाय बाजे–गाजे की पूरी तैयारी

के साथ आतुरता से गांव से बाहर खड़ा था। 10 बजे के आसपास बाबासाहेब की गाड़ी आई और 'अम्बेडकर जिंदाबाद' का हुलड़ मचा। जुलूस के साथ जब बाबासाहेब मंडप के पास आए तब सुहागिनों ने उनके पैरों के पास घड़ों से पानी उंडेला। कपूर जलाकर कर नारियल तोड़े और पंचारतियों आरती उतारते हुए कहा, 'भगवान बुरी नजर से बचाए, बाबासाहेब सफल हों।' उसके बाद सभा का कामकाज शुरू हुआ। पहले मंदूप परगणा के देरामेहेत्रे गंगापा रणखांबे ने स्वागत का भाषण दिया। बाबासाहेब ने थोड़े बहुत फर्क के साथ सोलापुर की सभा में दिए भाषण जैसा ही भाषण दिया। श्री ऐदाले को ही वोट देने के लिए कहा। उसके बाद भीमप्पा रणखांबे ने श्रीमंत देशमुख, श्री पांढरे और समाजनों को धन्यवाद दिया। श्री बाबासाहेब के जयकार के साथ सभा समाप्त हुई। उसके बाद सोलापुर की ओर लौटे। वहां धाकौटा महारवाडा अम्बेडकर तालीम की ओर से उन्हें पान-सुपारी दी गई। उसे स्वीकार कर डॉ. अम्बेडकर आगे वलसंग की ओर रवाना हुए।

वलसंग की सभा

वलसंग की राह में कुंभारीकर योगीबुवा और अन्य लोगों की ओर से पंचायत की इमारत के सामने खास कर बनाए गए मंडप में डॉ. बाबासाहेब को पान-सुपारी दी और फूलमलाएं अर्पण कीं। 11.25 बजे के करीब बाबासाहेब वलसंग पहुंचे। वहां भी वलसंग कुम्हारी, सलगर, मंगतूर आदि हिस्सों से तथा अक्कलकोट रियासत से तीन हजार से अधिक जनसमुदाय वहां इकट्ठा हुआ था। बाद में वहां के प्रबंधक श्री ओंकारप्पा वतसंगकर के स्वागत के भाषण के बाद बाबासाहेब ने थोड़े फर्क के साथ सोलापुर का भाषण ही यहां भी दोहराया और ऐदाले को ही अपने वोट देने के लिए कहा। उसके बाद लोगों ने उनसे विनति की कि वे सोलापुर जिले के लोकल बोर्ड द्वारा बना कर दिए गए कुएं से पानी निकालें। चांदी के लोटे में बंधी रस्सी खींच कर डॉ. अम्बेडकर ने कुएं से पानी निकाला। लोगों ने प्रसाद के तौर पर पानी मांगा तो बाबासाहेब ने 'दक्षिणा निकालो' कहा तब सब ओर हंसी और ठहाके फैले। आखिर बाबासाहेब को लोगों को पानी का प्रसाद बांटना पड़ा। लोगों ने उस कुएं का नाम अम्बेडकर बावड़ी रख। फिर बाबासाहेब सोत्लापुर के लिए रवाना हुए।

सोत्लापुर में श्री देशपांडे वकील के बंगले पर रवाना हुआ और बाबासाहेब बार्शी के लिए निकले। रास्ते में वैराग, पानगांव आदि जगहों पर फूलमालाएं स्वीकारीं। तीन बजे के आसपास बाबासाहेब बार्शी के श्री भगवंत मिल के पास पहुंचे।

बार्शी में हुई सभा

सरमेलकर, रा नामदेवराव वासकर, माणकेश्वर, कासारवाडीकर के बैंड के साथ यहां 8-9 हजार लोग यहां इकट्ठा हुए थे। वहां से जुलूस निकाल कर बाबासाहेब प. ोस्ट ऑफिस पुलिस चौकी, काजी मस्जीद, जैन मंदिर, सब्जी मंडी के रास्ते म्युनिसिपल

दवाखाने के पास खड़े किए भव्य सभास्थल जाकर पहुंचे।

सबसे पहले बार्शी के युवा, पढ़े-लिखे महार नेता श्री मनोहर दादा बोकेफोडे ने सबके स्वागत का भाषण दिया। उसके बाद बाबासाहेब से कुछ थोड़े बदलावों के साथ सोलापुर के भाषण जैसा ही भाषण यहां भी दिया। लोगों से कहा कि वे श्री ऐदाले को ही अपना वोट दें। उसके बाद विभिन्न संस्थाओं की ओर से फूलमालाएं पहनाए जाने के बाद सभा विसर्जित हुई। फिर बाबासाहेब कुर्डुवाडी की ओर रवाना हुए।

कुर्डुवाडी की सभा

यहां जिला बोर्ड के सदस्य श्री शंकरराव रिकिबे, कोंडीराम कांबले, निंगापा कुमार ऐदाले, सांगोतकर, बंदसोडे, खंडेराव मिस्त्री, भाऊसाहेब कांबले, केसकर आदि लोगों ने 'श्री हीरालाल थिएटर' को सजाकर सभी तरह की तैयारियां कर रखी थीं। श्री बालकृष्ण ऐदाले का भाषण पूरा होने के बाद बाबासाहेब ने सोलापुर की ही तरह आधे घंटे तक भाषण दिया। श्री ऐदाले को ही अपना मत देने की बात जब लोगों ने कबूली तब लोगों द्वारा अर्पण किए फूलमालाएं और गुलदस्ते स्वीकार कर बाबासाहेब टेंभुर्णी की ओर रवाना हुए।

टेंभुर्णी की सभा

यहां के महार और मातंग समाज के लोगों ने अपनी पंचायत की इमारत के सामने सुन्दर मंडप बनाए थे और पान-सुपारी की व्यवस्था की थी। यहां हर जगह 10 मिनट रुक कर बाबासाहेब ने इलेक्शन से संबंधित पहली तरह का भाषण संक्षेप में किया और पान-सुपारी और फूलमाला गुलदस्तों का स्वीकार कर वह करमाला के लिए आगे चले।

करमाला की सभा

करमाले के नेता श्री खंडेराव कांबले और उनके सहयोगी बंधुओं द्वारा बनाए गए भव्य और सुन्दर मंडप में पांच हजार लोगों का समुदाय बड़ी आतुरता से बाबासाहेब की मार्गप्रतीक्षा कर रहा था। बाबासाहेब के आते ही 'अम्बेडकर जिंदाबाद, अम्बेडकर की जय' आदि नारों से आकाश गूंज उठा। पहले वहां के सुशिक्षित महार नेता श्री जनार्दनराव कांबले का बाबासाहेब का गुणगान करनेवाला बढ़िया भाषण हुआ। उन्होंने कहा कि बाबासाहेब के कहे अनुसार श्री ऐदाले को अपना वोट देने के लिए यहां के जनसमुदाय के राजी होने की बात बताई। उसके बाद सोलापुर की तरह ही बाबासाहेब ने करीब आधे घंटे तक भाषण किया। उसके बाद नगर के उम्मीदवार श्री प्रभाकरराव रोहम ने उनका समर्थन करते हुए भाषण दिया। उनके बाद वहां के ईसाई मिशन के उपदेशक का श्री ऐदाले के समर्थन में भाषण हुआ। स्थानीय नेता श्री खंडेराव कांबले ने बाबासाहेब और सभा में उपस्थित लोगों के प्रति आभार व्यक्त कर बताया कि श्री ऐदाले को चुनाव में जिताने के लिए यहां के लोग पहले से ही तैयार हैं। अंत में फूलमालाएं और गुलदस्ते अर्पण करने बाबासाहेब की जयकार ध्वनि की गूंज में सभा विसर्जित हुई। श्री रोहम और नगर

के अन्य नेताओं के साथ बाबासाहेब कर्जत की ओर रवाना हुए।

सोलापुर जिले में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का दौरा सफल बनाने में सोलापुर के अस्पृस्यों के हितचिंतक रा. ब. डॉ. मुल्ले की मदद मिली है। साथ ही कुर्डुवाडी के उनके मित्र श्री हिरालाल सेठ परदेशी और बार्सी के स्पृश्य लोगों का भी योगदान रहा। जिले के सभी महार बंधुओं ने खूब मेहनत की। साथ ही सोलापुर के युवा मातंग नेता केरू रामचंद्र जाधव, अंबाजी पिलाजी जाधव, परशुराम केशव लोंढे, शंकर मन्याप्पा जाधव, वमाजी धोंडी चव्हाण, भागणा परशुराम हेगडे, अप्पाजी सुभाना बाघमारे, टेंभुर्णी के जगताप ब्रदर्स और बार्शी के मनोहर गोमाजी कांबले ओर प्रेमाजी आप्पा कांबले इन मातंग बंधुओं ने भी काफी मेहनत की। बार्शी के प्रचार, और जुलूस और मंडप की सभी प्रकार की व्यवस्था बार्शीवासी कांबले ब्रदर्स के कारण बेहतरीन हो पाई और यह बात खुद उनके लिए भी गौरवपूर्ण है।

99

*जाली दस्तावेज बनाने वाले क्या गरीब, खेतीहरों, मजदूरों का कल्याण करेंगे?

अहमदनगर में 25 जनवरी, 1937 को पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कैंप सदर स्थित शनि मंदिर के पीछे लगाए गए भव्य शामियाने में अहमदनगर की अस्पृस्य जिला परिषद की ओर से अखिल भारतीय अस्पृस्य समाज के इकलौते नेता परमपूज्य डॉ. ब. ाबासाहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में सभा की गई। इस सभा में करीब 5-6 हजार लोग उपस्थित थे। लोगों में अपार उत्साह और आनंद नजर आ रहा था। लोग आतुरता से डॉ. बाबासाहेब के आने का इंजतार कर रहे थे। स्पृस्य और अधिकारी वर्ग से भी कुछ लोग वहां उपस्थित थे। मंडप में पुणे के श्री अर्जुनराव नतावडे, पारगांवकर भानुदास, नेवासकर कबराम और पंदीरीनाथ बुवा बड़े उत्साह के साथ (वीरश्रीयुक्त) लोक गीत प्रस्तुत कर लोगों से वाहवाही लूट रहे थे। कृपाजी मिजाजी चाबुकस्वार, चखणगावकर कवि आदि ने बाबासाहेब का गुणवर्णन करनेवाले वीरश्रीयुक्त पोवाडे गाए। बाबासाहेब 8 बजे आने वाले थे लेकिन दोपहर के बारह बजे तक भी वह जब नहीं आए तब वहां उपस्थित स्पृस्य वर्ग के लोगों में थोड़ी निराशा फैलने लगी। लेकिन अस्पृस्य वर्ग के लोगों में उत्साह और आनंद का वातावरण ही था। लोगों के झुंड के झुंड बाबासाहेब के दर्शन पाने के लिए इंजतार में बैठे थे। बाबासाहेब के आने की राह में उनका स्वागत करने के लिए फर्स्ट लॉयन स्काऊट बैंड और स्काऊट, राधीचमला के 'बलभीम स्काऊट', मातंग प्रभृति मंडल स्काऊट, मालीवाड़ा, दरेवाड़ी का स्काऊट, पेवशव लाइन कैंप का मातंग स्काऊट, बाकोडी का स्काऊट आदि मिलाकर करीब 300 स्काऊट लाठी और बैंड के साथ उपस्थित थे। साथ ही शहरीकर महार मंडली के बैंड, तुरही, रणसिंगा आदि बाजों से वातावरण गूंज रहा था। हर तरफ वीरश्री छायी थी और बाबासाहेब के नाम की जयकार गूंज रही थी। ठीक 2 बजे दोपहर बाबासाहेब की गाड़ी आई। एक बार फिर बाद्य और जयकार की घनघोर आवाज वातावरण पर छा गई। बाबासाहेब की मोटर में श्री प्रभाकर रोहमसाहब, कर्जत के श्री बी.एस. कदम, नगर के एस.आर. सालवे और विठ्ठलराव गायकवाड आदि लोग थे। बाबासाहेब को सभी स्काऊट ने बैंड के साथ सलामी दी। उस समय वहां वीरता का वातावरण बना था। बाबासाहेब की गाड़ी को चारों ओर से घेरे लाठी लिए स्काऊट कतार में गाड़ी के साथ-साथ आगे बढ़ रहे थे। बाजे बज रहे थे। असीम जनसमुदाय भी इस जुलूस में शामिल था। जगह-जगह समूहों में खड़ी

*जनता : 13 फरवरी, 1937

महिलाएं बाबासाहेब पर फूल बरसा रही थीं, फूलमालाएं अर्पण कर रही थीं। जुलूस के बाद बाबासाहेब मंच पर विराजमान हुए। कायदे से सभा की शुरूआत हुई। परिषद के सचिव रंगनाथ मास्तीराव सूर्यवंशी ने उपस्थित लोगों का अभिनंदन किया। डॉ. बाबासाहेब नगर जिले में आए इसलिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्होंने उनके प्रति आभार प्रकट किया। इसी प्रकार स्वागताध्यक्ष सखाराम बालाजी भिंगार दिवे ने बाबासाहेब का स्वागत करते हुए भाज़ण दिया। वहां उपस्थित लोगों को बाबासाहेब का परिचय दिया। मे. रामद्रिं मकाजी नलाबडे (ढोर), श्री सोनवणे (ढोर), नगर के मातंग समाज के नेता शंकरराव साठे (मालीवाड़ा), महार समाज के श्री भाऊराव यशवंत कदम, मारुतीराव गायकवाड़ देहरेकर, यहावंत श्रावण पाटोले आदि लोगों ने नगर जिले की ओर से श्री प्रभाकर जनार्दन रोहम को ही चुनाव में जिताना कितना जरूरी है यह बताया। उन्होंने बाबासाहेब को आश्वासन दिया कि हम उन्हें बहुमत दिलाकर जिताएंगे। उसके बाद स्काऊट मास्टर शंकरनाथ कुशाबा कांबले ने बाबासाहेब का कर्तृत्व, चमार समाज का समाजद्रोही और घातक बर्ताव कांग्रेस की कृतघ्न नीति आदि के बारे में प्रभावी भाषण दिया और लोगों से अपील की कि वे अपने नगर जिले की ओर से चुनाव जिताएं। उसके बाद डॉ. बाबासाहेब भाज़ण के लिए उठकर खड़े हुए तब सब ओर बाबासाहेब के जयकार की घोषणाएं होने लगीं और तालियां बजती रहीं।

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा,

भाइयों और बहनों,

आज की सभा में लोगों की यह अपार भीड़ और नगर जिले के लोगों का अपरिमित उत्वाह देखकर मुझे आनंद हो रहा है। आप जानते हैं कि आज की यह सभा रा. रोहम के चुनाव के संदर्भ में है। अपनी पार्टी से जिन उम्मीदवारों को मैंने खड़ा किया है उनकी चुनाव प्रचार में मदद करना मेरा कर्त्तव्य है। इस जिले के महारमांग लोगों रा. रोहम के लिए विरोध नहीं यह बड़ी खुशी की बात है। केवल चमार समाज उनके विरोध में हैं। लेकिन आप उनकी फिक्र ना करें। आप उनके उम्मीदवारों को अपना मत ना दें। यह बात मैं आपसे खुले आम कह रहा हूं। अस्पृस्य वर्ग के लिए जो हक हमने पाए हैं उनका कुल अस्पृस्य वर्ग में बंटवारा हो यह सही बात है। लेकिन चमार समुदाय ने शुरू से कभी किसी काम में मेरा साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, राऊंड टेबल परिषद में मैं जब स्पृस्य हिन्दुओं से और सरकार से झगड़ रहा था तब इन लोगों ने पार्लियामेंट में तार भेजे कि अम्बेडकर हमारे नेता नहीं हैं इसलिए उनकी बातें मानी ना जाएं। नासिक सत्याग्रह के दौरान हमारे लोगों पर स्पृस्यों से जो ईंपट-पत्थरों की वर्षा की गई थी उसमें चमार भी शामिल थे। यह भी मैं जानता हूं। (सभास्थली धिक्कार-धिक्कार, शेम-शेम की ध्वनि से गूंज उठी)। इसलिए कहता हूं, सोचिए। जो लोग मेरे काम में बखेड़े खड़े

करते हैं, कांग्रेस के बाल–बच्चे बनकर हमारी राह में कांटे बोते हैं उन्हें हम अपना कैसे मानें। और वे भी क्यों हमसे याचना करें? आजकल चमार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव में उतर कर हर जगह हमारे उम्मीदवारों का खुलेआम विरोध करते हैं। आपके जिले में रा. रोहम के विरोध में सोनवणे नाम से कोई चुनाव में उतरे हैं। कुछ स्पृस्य लोगों का कहना है कि सोनवणे बीए एलएलबी तक पढ़ा है और रा. रोहम केवल मैट्रिक पास हैं। लेकिन ऐसे लाखों बीए लोगों से बढ़कर मैं रा. रोहम के साथ खड़ा हूं, (तालियों की गड़गड़ाहट और डॉ. बाबासाहेब के नाम की जयकार ध्वनि) श्री सोनवणे किसी पार्टी की ओर से चुनाव में नहीं उतरे हैं, सो अगर वे आपके लिए कुछ भी ना करें तो आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? रा. रोहम मेरे स्वतंत्र लेबर पार्टी की ओर से खड़े हैं। उनके काम के लिए मैं जिम्मेदार हूं। (तालियां) इसीलिए मेरा आपसे यही कहना है कि आप अपने वोट के तीनों निशान श्री रोहम के घोड़े के आगे लगाइए। (लोग चिल्लाते हैं – हां बाबासाहेब) श्री सोनवणे को एक भी वोट ना दें (लोग कहते हैं – नहीं नहीं बिल्कुल नहीं)।

इस देश में पढ़े–लिखे और अमीर लोगों के जिस प्रकार कई पक्ष हैं उसी प्रकार मेरा भी एक छोटा स्वतंत्र लेबर पार्टी है। इस जैसे जो अन्य पक्ष हैं उनमें और मुझमें जमीन–आसमान का फर्क है। कुछ ऐसे भी पक्ष हैं जिनमें और मुझमें बहुत कम भेद है। कांग्रेस में और मेरे पक्ष में फर्क यह है कि कांग्रेस ने अमीर उम्मीदवारों को उतारा है। मैंने अपने पक्ष के जरिए गरीब उम्मीदवारों को उतारा है। सिद्धांत के साथ समझौता ना करना पड़े इसलिए अपने पक्ष से मैंने अपने समाज के अमीर उम्मीदवारों को नहीं उतारा। इसलिए वे लोग मुझसे खफा हैं। लेकिन सिद्धांतों से समझौता करने के बजाय मुझे उनकी नाराजगी झेलना ठीक लगता है। कांग्रेस अपने आपको गरीबों का तारनहार कहलाती है और चुनाव में फिरोदिया जैसे अमीर को उतारती है। लेकिन आप ही जरा सोचिए, जो मारवाड़ी जाली दस्तावेज बना कर और उनके अंगूठे के निशान लगाकर आपकी जमीनें, घर–द्वार पर कुर्की ले आता है क्या आपको लगता है कि वे मारवाड़ी गरीब, किसान मजदूरों आदि का कल्याण करेगी ऐसा अगर आपको लगता है? (लोगों की आवाज नहीं, नहीं)। कांग्रेस अपना पूंजीपतित्व टिकाए रखना चाहती है। आपका इसमें नुकसान है। इसलिए आप उनके किसी बहकावे में ना आएं। अपने खिलाफ जो पार्टियां खड़ी हैं उनके बारे में सोचिए और मैं आपसे विनीती करता हूं कि आप स्वतंत्र लेबर पार्टी के उम्मीदवार श्री रोहम को ही अपने सभी मत दें। चलते–चलते अहमदनगर के स्काऊट मंडल का अभिनंदन करने से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। शूरता का अपने अंदर संचार हो इसलिए स्काऊट एक साधन है। इसलिए हर गांव के लोगों को अपने 11 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए स्काऊट की बर्दी बनवानी चाहिए। अब धोती छोड़ दें। इन धोतियों ने हमारा बहुत नुकसान किया है। आज यहां सैंकड़ों

स्काऊटों को देख कर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। एक बार फिर स्काऊट मंडल का अभिनंदन कर उन्होंने अपना वक्तव्य पूरा किया। उसके तुरंत साथ-साथ तालियों की गड़गड़ाहट, उनके नाम की जय ध्वनि, बैंड, रणसिंघा आदि बाजों से सभास्थली गूंज उठी। उन्होंने अहमदनगर कैंप फर्स्ट लाइन स्काऊट ट्रूप, रायी का फार्म, बलभीम स्काऊट, प्रगति मातंग मंडल, मोलीवाड़ा स्काऊट, दरवाडी स्काऊट, बाकोडी स्काऊट, सदर कैंप स्काऊट आदि स्काऊटों को उनकी सफलता की कामना करते हुए लिख कर अपनी राय दी। उसके बाद प्रभाकर जनार्दन रोहम ने नगर जिले में आने के लिए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को धन्यवाद दिया। तब डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा कि उपस्थित सभी लोगों ने और मतदाताओं ने मेरे प्रति जो आदर, निष्ठा और प्रेम व्यक्त किया है उसके लिए मैं समूचे समाज के प्रति ऋणी हूं। आपके नगर जिले द्वारा इलेक्शन के मामले में जो उत्साह दिखाया वह प्रशंसा के योग्य है। उसके बाद डॉ. बाबासाहेब के हाथों फर्स्ट लायन स्काऊट के (पूर्व) कैप्टन ल. वा. वनसोडे, बलभीम स्काऊट के कैप्टन श्रीपतराव गायकवाड, दरेवाडी स्काऊट के कैप्टन कुंडलिक भिंगारदिवे, बाकोडी स्काऊट के कैप्टन किसनराव, मातंग प्रगति मंडल स्काऊट के कैप्टन किसनराव पारधे को तथा व्यायाम मंडल के उस्ताद यहावंत श्रावण पाटोले, राहुरी के बैंड मास्टर नामदेव सालवे को रौप्या पदक अर्पण किया गया। आखिर में सभी संस्थाओं की ओर से बाबासाहेब के फूलमालाएं अर्पण की गईं। बाबासाहेब की जयकार के साथ यह सभा बर्खास्त हुई।

100

*सावधानी बरतें, बहकावे में ना आएं

अखिल भारतीय अस्पृश्य समाज के एकमात्र नेता और स्वतंत्र लेबर पार्टी के संस्थापक डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, एमए पीएडी, बार एट लॉ दिनांक 25 जनवरी, 1937 की रात साढ़े तीन बजे जलगांव स्टेशन पहुंचे। सोलापुर और नगर जिले के दौरे पूरे कर वे आए थे। उनके साथ थे खानदेश पूर्व के स्वतंत्र लेबर पार्टी के उम्मीदवार श्री दौलतराव गुलाजी जाधव, बी.ए.। जामनेर पहुंचने के बाद उनका बड़ा जुलूस निकाला गया। जुलूस आखिर सभा में परिवर्तित हुआ तब उस सभा को संबोधित करते हुए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा– 'आप जानते हैं कि मैं आज दौरे पर क्यों निकला हूं। सुधारित कानून के अनुसार मुम्बई विधिमंडल में 15 उम्मीदवारों को चुनने का आपको अधिकार मिला है। राज्य संविधान के अनुसार स्थापन होने वाली लेजिस्लेटिव एसेंबली में कुल 175 सदस्य होते हैं। उनकी तुलना में हमारे उम्मीदवारों की संख्या कम होती है और वे अगर एकजुट होकर नहीं रहे तो अपना हित नहीं होगा। सभी लोग अगर एकजुट होकर रहने चाहिए तो उन्हें किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ना होगा। आपके जिले में हमारे पक्ष से मैंने श्री जाधव को चुना है। उनके विरोध में खड़े श्री मेढे और श्री बिन्हाडे कितने लायक हैं, यह आप सब लोग जानते हैं। आगे जाधव अगर आपकी मर्जी के अनुसार नहीं बरतेगा तो मैं उसके लिए जिम्मेदार रहूंगा लेकिन श्री मेढे के म. ामले में आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? दूसरी बात यह कि विधि मंडल में सभी काम अंग्रेजी में चाहते हैं इसलिए आपकी शिकायतें वहां सबके सामने रखने के लिए अंग्रेजी जानने वाला इंसान चाहिए। इसीलिए श्री जाधव ही केवल लायक हैं। श्री जाधव मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। अन्य उम्मीदवार भी मेरे दुशमन नहीं हैं। लेकिन जिस काम के लिए जो लायक व्यक्ति होता है उसको नियुक्त करना मेरा कर्त्तव्य है। आपको यह अधिकार ना मिले इसलिए गांधी जैसे लोगों ने आमरण अनशन शुरू किया था। लेकिन उन्हें दरकिनार कर हमने यह अधिकार हासिल किया है। इस हक को सही इस्तेमाल करना अब आपके हाथ में है। आपको शिकार बनाने के लिए, आपको लुभाकर वश में करने के लिए कुछ लोग बोर्डिंग खोलते हैं, कुछ चाय पिलाते हैं, लेकिन ये सभी उपाय कुछ देर तक टिकने वाले ही हैं। इतने भर से हमारा उद्धार नहीं होने वाला। हमें अभी बहुत–कुछ हासिल करना है। और वह सब हासिल करना हो तो आपको बड़ी सावधानी से बरतना होगा। कुछ मास्टरजी श्री मेढे की मदद करते हैं यह मैंने सुन रखा है। पता

*जनता : 1 फरवरी, 1937

नहीं, वे उनकी मदद क्यों कर रहे हैं। हां, एक कारण हो सकता है कि मेढे स्कूल बोर्ड का सदस्य है। अन्य अध्यापक सोचते होंगे कि ये पार्टी छोड़कर वह उनका तबादला करेगा। ऐसे मास्टरों से मैं यह कहना चाहता हूं कि मेढे हमेशा के लिए इस गद्दी पर बैठनेवाला नहीं है। वह इस साल है, हो सकता है अगले साल न हो। मान लीजिए, अगली बार श्री जाधव स्कूल बोर्ड का चुनाव जीत जाएं तब मास्टर लोग किसका मुंह ताकेंगे? मैं आपसे बस यह कहना चाहता हूं कि मैंने अपना कर्त्तव्य पूरी तरह निभाया है। अब आपकी, अपना कर्त्तव्य निभाने की बारी है। बिना किसी की बातों में आए आपको पूरी सावधानी से बरतना होगा।

श्री जाधव के पास न तो मोटर–गाडियां हैं और न ही पैसा है। आपको घर से अपनी रोटी बांध कर ही स्टेशन जाना होगा। इस देश में वोट देना यानी उम्मीदवार पर उपकार करना माना जाने लगा है, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। उम्मीदवार अगर जा रहा है तो हमें सोचना होगा कि वह किसके लिए जा रहा है? उम्मीदवार आपकी शिकायतों बताने और उनके निवारणार्थ कानून बनाने के लिए जाता है। अपने को जो भी कुछ पाना है वह कानूनन मिलना है इस बात को ध्यान में रखते हुए आप श्री जाधव को ही अपना वोट देकर चुनाव में जिता दें। इस भाषण के बाद सब लोगों ने भी जाधव को ही अपना वोट देने की सार्वजनिक घोषणा की।

101

चुनाव जीतने भर से आन्दोलन का काम पूरा होता है ऐसा ना समझें

''डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा शुरू किए गए पृथक मजदूर पक्ष की ओर से मुम्बई प्रांतिक लेजिस्लेटिव एसेंबली के विभिन्न जिलों के विभागों में जो स्पृश्यास्पृश्य उम्मीदवार चुनावों में खड़े थे उनमें से तीन-चार उम्मीदवारों की हार के अलावा अन्य सभी उम्मीदवारों की जीत हुई है। मुम्बई शहर और उपनगर के चुनावों में बड़ी स्पर्धा थी। इन विभागों में पृथक मजदूर पार्टी के केवल दो ही उम्मीदवार चुनावों में उतरे थे। उनमें से इस नई पार्टी के उम्मीदवार और नेता डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर कांग्रेस के साथ कड़ी टक्कर देकर चुनाव जीत चुके हैं। उनके अलावा जिवापुर, नासिक, पुणे, सातारा, बेलगांव, अहमदनगर, पूर्व खानदेश, ठाणे, रत्नागिरी, सोलापुर आदि जगहों के उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं। रत्नागिरी जिले से हमारे तीन उम्मीदवार चुनाव में उतरे थे और वे तीनों चुनाव जीत चुके हैं। भाई चित्रे, श्री शामराव परलेकर और भाऊसाहब गडकरी की जीत से स्वतंत्र लेबर पार्टी की ताकत बढ़ी है।

वार्ड/सफल उम्मीदवारों के नाम	वोटों की संख्या
मुम्बई ई और एफ वार्ड- डॉ. बी. आर. अम्बेडकर	13,245
पुणे पश्चिम विभाग - श्री आर. आर. भोले	12,111
सातारा उत्तर विभाग- श्री खण्डेराव सखाराम सावंत	6,736
पुणे, पूर्व विभाग- श्री विनायकटाव आ. गडकरी	8,267
ठाणे दक्षिण विभाग-श्री रामकृष्ण गंगाराम भातनकर	4,233
रत्नागिरी, उत्तर विभाग- श्री अनंतराव चित्रे	9,268
-वही- श्री गंगाराम रा. घाटगे	5,523
रत्नागिरी दक्षिण विभाग- श्री श्यामराव विष्णु पहलेकर	7,589
अहमदाबाद दक्षिण विभाग- श्री प्रभाकर जनार्दन रोहम	8,985
सोलापुर उत्तर विभाग- श्री जिवाप्पा सुभान ऐदाले	7,662
पूर्व खानदेश पूर्व विभाग- श्री दौलतराव गुलाजी जाधव	9,519
नासिक पश्चिम विभाग- श्री भाऊराव कृषणराव गायकवाड	16,605
बेलगांव उत्तर प्रदेश-श्री बलवंत हनुमंत वराले	21,322
ठाणे जिला उत्तर विभाग- श्री दत्तात्रय वामन राऊत	10,125

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, उनके द्वारा खड़े किए गए अस्पृश्य उम्मीदवार और अन्य गैर-कांग्रेसी स्पृश्य उम्मीदवार चुनाव में जीते नहीं इसलिए कांग्रेस आदि पक्षों द्वारा पैसों के बल पर जितना विरोधी वातावरण निर्माण क्या जा सकता था, किया गया है। डॉ. बाबासाहेब के बारे में गलत-सलत खबरें छाप कर उनके उज्ज्वल चरित्र पर कलंक लगाने की भरपूर कोशिश की गई। लेकिन ऐसे सभी विपरीत हालात का सामना कर डॉ. साहब चुनाव जीत गए यह बात सचमुच अपवूर्ण है।''[1]

''स्वतंत्र लेबर पार्टी की ओर से विधान मंडल चुनावों में सफल हुए प्रतिनिधियों का अभिनंदन करने के लिए पार्टी की ओर से रविवार दिनांक 30 मई, 1937 की शाम को परेता के कामगार मैदान में डॉ. पी. जी. सोलंकी, जे.पी. की अध्यक्षता में सभा हुई थी।

विधान मंडल के प्रतिनिधि और आमंत्रित सम्माननीय मेहमानों के लिए मंच पर गद्देदार कुर्सियां और मखमल के काउच रखे गए थे। मैदान में लाउडस्पीकर लगाए गए थे। जगह-जगह किटसन् लाईट लगाए गए थे। सभा में करीब 15 हजार लोग इकट्ठा हुए थे और उनमें करीब 1000-1200 महिलाएं थीं।

सभा में व्यवस्था कायम रखने के लिए समता सैनिक दल के कई जथे बुलाए गए थे। उन्होंने सभा में बेहतरीन अनुशासन कायम किया था। उच्चासनों पर पार्टी के सफल प्रतिनिधियों में से श्री अ. वि. चित्रे, एस. वी. परलेकर, आर. जी. भाटनकर, भाऊराव गायकवाड, डी. जी. जाधव, जी. आर. घांगुर्डे, पी. जे. रोहम, बी. एच. वराते और जेएस ऐदाले उपस्थित थे। साथ ही खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल काशमीरसिंह, प्रो. रॉय, श्री समर्थ बार एट लॉ, श्री खांबे, श्री डी. वी. प्रधान, कमलाकांत चित्रे, कद्रेकर, प्रिंसिपल दोंदे, श्री कोणी जे.पी., बापूसाहब सहस्त्रबुद्धे, मुसाढकर बुवा, मधाले, आर. आर. पवार, धो. ना. पगारे, कालोखे, सूबेदार देवरुखकर आदि लोग थे। ठीक सात बजे मनोनीत अध्यक्ष डॉ. सोलंकी, डॉ. अम्बेडकर तथा अन्य प्रतिनिधि सभामंडप में आए। समता सैनिक दल के स्वयंसेवकों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका सम्मान किया। सभी लोगों के अपनी जगह बैठने के बाद सभा का कामकाज शुरू हुआ। श्री चां. ना. मोहिते ने अध्यक्ष को सूचना दी। उसके बाद डॉ. सोलांकी अध्यक्ष स्थान पर विराजन हुए। उसके बाद अध्यक्ष की अनुमति से सवादकर ने सभा के आगे निम्नांकित प्रस्ताव रखे- स्वतंत्र लेबर : पार्टी की ओर से मुम्बई लेजिस्लेटिव एसेंबली के चुनाव जीतने वाले प्रतिनिधियों के अभिनंदन का प्रस्ताव रखते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। स्वतंत्र लेबर पार्टी की ओर से आयोजित यह सार्वजनिक सभा चुनाव जीतने वाले सभी उम्मीदवारों का अंत:करण से अभिनंदन करती है। इस प्रस्ताव पर बोलते हुए सुभेया सवारकर ने कहा, ''स्वतंत्र लेबर पार्टी की ओर से चुन कर आए प्रतिनिधियों को बधाई देने का प्रस्ताव रखते हुए

1. जनता : 27 फरवरी, 1937

मुझे बड़ी खुशी है। अस्पृश्य वर्ग की लड़ाई को पूरे भारत में सफलतापूर्वक लड़ते हुए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने किसान-मजदूर लोगों के लिए हित के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। चुनाव के समय हमारे पक्ष को हटाने के लिए सभी तरह की कोशिशों कीं। लेकिन आखिर कांग्रेस की हार हुई। हमारी पार्टी की जीत हुई। इस चुनाव में जीतने वाले हमारे सभी प्रतिनिधि वीर हैं। अपनी जिम्मेदारी को वे बेहतर ढंग से पूरा करेंगे इसमें कोई शक नहीं।''

प्रस्ताव का समर्थन किया श्री शां. अ. उपशाम ने। उनके भाषण के बाद अध्यक्ष ने प्रस्ताव मत पाने के लिए प्रस्तुत किया। तालियों की गड़गडाहट के बीच वह पारित हुआ। उसके बाद सफल सदस्यों को श्री रेवजीबुवा डोलस और श्री संभाजी गायकवाड ने फूलमालाएं और गुलदस्ते अर्पण किए। उसके बाद हर जीते हुए सदस्य द्वारा अपना अभिनंदन किए जाने के लिए उपस्थित लोगों के प्रति धन्यवाद अर्पण किया। फिर अध्यक्ष ने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर से भाषण देने की विनीती की।

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर बोलने के लिए उठकर खड़े हुए तब तालियों की गड़गड़ाहट हो रही थी। उन्होंने इस अवसर पर कहा,

प्रिय भाइयों और बहनों,

यहां मेरे साथ-साथ इस चुनाव में जीते पृथक मजदूर पार्टी के सभी सदस्यों का अभिनंदन किया गया लेकिन बोलने की जिम्मेदारी केवल मेरे कंधों पर क्यों डाली गई, मैं नहीं जानता। इसके बावजूद आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए मैं दो शब्द कहूंगा। अपने सार्वजनिक जीवन की शुरूआत से लेकर पिछले साल तक मैं अस्पृश्य वर्ग के आंदोलन में ही काम करता आया हूं। लेकिन बदले हुए हालत के अनुरूप मैंने अपने काम की दिशा भी बदल ली। आगे धर्म और जाति के बारे में सोचे बगैर सभी किसानों-मजदूरों के हित के लिए काम करने की शुरूआत की। मैंने जिस स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की है वही मेरे इस बदले हुए कार्यक्रम का प्रतीक हैं पिछले चुनावों में स्वतंत्र लेबर पार्टी को अभिनंदनीय सफलता मिली। इसके बावजूद मेरी तरह शायद आपको भी बुरा लग रहा होगा कि हमारे दो समर्पित कार्यकर्त्ता डॉ. सोलंकी और सूबेदार सवादकर चुनावों में असफल रहा होगा इसमें कोई शक नहीं, चुनाव में हारने के बावजूद आज के अभिनंदन समारोह में वह पूरे उत्वाह के साथ शामिल हुए हैं। इससे उनके मन के बड़प्पन का पता चलता है। एसेंबली के इन चुनावों में डॉ. सोलंकी भले हार गए हों, इसके बावजूद मुझे उम्मीद है कि लेजिस्लेटिव एसेंबली में सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य के तौर पर बैठने की अनुमति उनहें मिलेगी।

लेजिस्लेटिन एसेंबली के चुनावों में सफलता प्राप्त करने के लिए जिनका अभिनंदन

किया जाना चाहिए ऐसा केवल एक ही पक्ष है– और वह है स्वतंत्र पार्टी। क्योंकि जिन पक्षों से स्वतंत्र लेबर पार्टी को टक्कर लेनी पड़ी ने सभी पक्ष उनकी तुलना में बहुत बड़े थे। वे सघन और संगठित हैं और उनके लिए सभी स्थितियां अनुकूल रही हैं। मुम्बई इलाके में कांग्रेस, गैर–ब्राह्मण, मुसलमान, ईसाई, आदि कई पक्षों के उम्मीदवार चुनाव लड़ा रहे थे। इनमें से केवल मुसलमानों ने अपने इर्द–गिर्द अपने–पराए की अभेद्य चारदीवारी बना ली थी। हमारा और कांग्रेस का मैदान एक ही था। हमारे साथ–साथ गैर–ब्राह्मण पक्ष भी इसी मैदान में उतरा था। लेकिन खुद को शूरवीर कहलाने वाले गैर–ब्राह्मणों की कांग्रेस ने कैसे पछाड़ा यह आप सब जानते ही हैं। इसी प्रकार अन्य पक्षों की भी हार हुई। लेकिन कांग्रेस के साथ हुई टक्कर में एक पक्ष अडिग खड़ा रहा और सफल हुआ और वह पक्ष है पृथक मजदूर पक्ष। हमारे पक्ष के पास पैसा नहीं था, संगठन भी नहीं था। केवल अपनी लगन के साथ किए गए प्रचार कार्य के सहारे ही हमारे 14 लोग चुनाव जीत पाए हैं। आज इसी जीत के कारण हमें कांग्रेस जैसे बलशाली पक्ष के साथ मुकाबला कर, सफलता प्राप्त कर पूरे अधिकार के साथ सफलता समोराह मनाने का हक हमारे पक्ष को प्राप्त हुआ है। चुनावों में अन्य पार्टियों का जो बुरा हाल हुआ है उसके साथ बराबरी करते हुए सोचें तो पृथक मजदूर पार्टी की यह जीत अपूर्ण है। दुशमन भी इस बात को मानेंगे।

हमारे इलाके की ही तरह अन्य प्रांतों की एसेंबली में भी अस्पृश्य वर्ग के लिए जगहें आरक्षित कर रखी गई हैं। लेकिन मुम्बई के अलावा अन्य प्रांतों में कांग्रेस ने अस्पृश्य वर्ग के उम्मीदवारों के चुनावों में अक्षम्य दखलंदाजी की है। मुम्बई प्रांत में लेकिन हमने बड़ी वीरता से मुकाबला किया। कुश्ती के लिए अखाड़े में उतरने के बाद हर पैंतरा अपनाकर प्रतिद्वंद्वी को धूल चटाने की कोशिश करने में गलत कुछ भी नहीं है। हालांकि, महाभारत में बताया गया है कि धर्मयुद्ध के सहारे नीतिपूर्ण तरीके अपनाकर पाई जाने वाली विजय का बड़प्पन और आंनद श्रेष्ठ दर्जे का होता है। दुर्भाग्य की बात है कि पिछले चुनावों के दौरान कांग्रेस ने धर्म या नीति की परवाह नहीं की थी। मोटे तौर पर कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। मैं यहां केवल एक ही उदाहरण का जिक्र करने जा रहा हूं। इलाहाबाद में कांग्रेस के अधिपत्य वाले क्षेत्र में कांग्रेस के सर्वाधिकारी कहलाने वाले व्यक्ति का पिछले चुनावों में जो बर्ताव रहा उसे हीन मानसिकता ना कहें तो और क्या कहा जा सकता है? इलाहाबाद शहर में अस्पृश्य व्यक्ति के लिए एक जगह आरक्षित है। इस जगह के लिए दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। उनमें से एक लायक वरिष्ठ उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने अस्पृश्य समाज के लिए केई सालों तक तन–मन–धन के साथ काम किया था। उनके खिलाफ कांग्रेस के पंचप्राण कहलाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने हरी नाम के एक आज्ञाकारी नौकर को खड़ा था। अस्पृश्य नेता द्वारा की गई समाज सेवा की तुलना में इस हरी की योग्यता की आप कल्पना कर सकते हैं। कांग्रेस के नेताओं को

अस्पृश्यों के नेताओं की तुलना में हरी की काबिलियत अधिक लगी। लेकिन आपको इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं। एक बार युद्ध शुरू करो तो रोने–धोने का कोई काम ही नहीं होता। सूरत में डॉ. सोलंकी की उम्मीदवारी के समय भी उन्होंने यही बात दोहराई। कांग्रेस ने डॉ. सोलंकी के खिलाफ एक चपरासी को चुनाव में उतारा था। इन सभी बातों पर अगर गौर करें तो लगता है कि पिछले चुनावों में हमारी जो जीत हुई वह आला दर्जे की थी। घड़ियाल के मुंह से निकाल कर लाई हुई यह एक दिव्य मणि है। जाहिर है कि हमने जो विजय पाई वह हमारी आखरी विजय नहीं है। केवल चुनाव में जीत हासिल करने से ही आंदोलन का कार्य पूरा नहीं होता। नए विधि मंडल का कार्यकाल पांच वर्ष का होता जरूर है लेकिन इस अवधि के दौरान भी उसे भंग करने का अधिकार गवर्नर को होता है। ऐसा मौका कब आए यह कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मध्यवधि चुनावों के लिए हमारे पक्ष को हमेशा पूरी तरह तैयार रहना चाहिए और सूचना मिलते ही पांच मिनटों में हमें चुनाव संग्राम के लिए सिद्ध रहना होगा। स्वतंत्र लेबर पार्टी ने आज बहुजन समाज के मन में जिस आत्मविश्वास का निर्माण किया है उसे बनाए रखने का एहतियात हम सभी को बरतना होगा। वह बेहद जरूरी है। पक्ष संगठन को ध्यान में रखते हुए जगह–जगह पक्ष की शाखाएं स्थापन की जानी चाहिएं। फिर से अगर कांग्रेस के साथ भिड़ने की जरूरत पड़ी तो हमारे पक्ष की ताकत और उत्साह पहले से अधिक हुआ है यह बात हमें दुनिया को बतानी होगी।

चलते–चलते आज के हालात के बारे में दो शब्द कहना जरूरी है ऐसा मुझे लगता है। आप जानते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में आज हर तरफ ठंडा वातावरण है। राजनीति के सभी खेल बंद हुए हैं। सब ओर विक्षोभ पैदा करने वाले हालात हैं हालांकि हम किसी तरह उनके लिए जिम्मेदार नहीं। राजनीति में अल्पसंख्यक पक्ष आगे बढ़ कर कुछ कर नहीं सकता। विधि मंडल में जाकर लोगों के हित में कुछ करने की अपनी जिम्मेदारी अगर हम पूरी नहीं कर पाते तो जिन्होंने यह विपरीत स्थिति पैदा की वे ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे। आज भले राजनीति के खेल बंद हुए हों, जिस दिन वे शुरू होंगे उस दिन के लिए हमारी तैयारी मजबूत ढंग से पूरी है। हम जो कानून लाना चाहते हैं वे पिस्तौल में लदी गोलियों की तरह हमारे पास तैयार हैं। निशाना साधते ही हम अपनी बंदूक चलाने वाले हैं। आज भले चारों ओर निशाना का वातावरण हो जल्द आशापूर्ण स्थितियां तैयार होने वाली हैं। आप बिल्कुल निराश ना हो। में आपको आश्वासन देता हूं कि प्रांतीय विधि मंडल में आपकी ओर से जो लोग चुन कर गए हैं वे आपके हित के लिए हमेशा जागरूक रहेंगे।

अन्य पक्षों से चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों को अपना पक्ष छोड़ कर कांग्रेस में शामिल होने का मन हो रहा है। लेकिन हम कभी भी दुर्बलों की तरह कांग्रेस में जाकर

शामिल नहीं होंगे। श्रमजीवि बहुजन समाज के सर्वांगीण हित के लिए स्थापन की गई स्वतंत्र लेबर पार्टी हमें जिंदा रखनी है। हमारी 14 केवल लोगों की संख्या भले कम है लेकिन लाभ और लोभी के वशीभूत होकर हमें किसी अन्य संस्था में शामिल नहीं होना हैं। कांग्रेस सभी तरह के लोगों की खिचड़ी संस्था है। पूंजीपति मजदूर, जमींदार–किसान, मालगुजार–साहूकार और भूमिहीन किसान जैसे परस्पर विरोधी वर्गों का पक्ष है कांग्रेस। ऐसी कांग्रेस से कभी गरीबों का कल्याण नहीं हो सकता। हमारे पृथक मजदूर पक्ष की स्थापना कामगार और किसानों पर अमीरों द्वारा जो अन्याय किए जाते हैं जो जुल्म ढाए जाते हैं उन्हें नष्ट करने के लिए हुई है। आज कांग्रेस की जो हालत है उसे देख कर यकीनन लगता है कि आगे चलकर उसमें फूट पड़ने ही वाली है। उस समय हम जैसी सोच रखने वाले काँगेस से निकले लोग हमसे आकर मिलेंगे इसका मुझे पूरा यकीन है।

क्षणिक लाभ के लिए काँग्रेस से हाथ मिलाकर अपने पक्ष के साथ हम बेइमानी नहीं कर सकते। हमें राष्ट्र कार्य करना है। सार्वजनिक हित के सवाल पर जब हमारी राय एक–दूसरे से मिलेगी तब तात्कालिक रूप से हम इस भेद को भुला कर काँग्रेस को सहयोग देंगे लेकिन सभी भेदभावों को हमेशा के लिए भुला कर कांग्रेस के साथ एकरूप होना हमारे लिए संभव नहीं।

कई लोग मुझसे पूछते हैं कि वर्तमान तात्कालिक मंत्रीमंडल में मैं क्यों शामिल नहीं हुआ? इसका बस यही जवाब है कि जिस मंत्रीमंडल को बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं वह ज्यादा समय चलेगा नहीं। इस प्रकार की अल्पकालिक सरकार में शामिल होने से कोई लाभ नहीं मिलेगा।

राजनीति की चलती गाड़ी की मुड़कें कांग्रेस ने मंत्रीमंडल बनाने से इंकार कर कस रखी हैं लेकिन इससे कांग्रेस को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। गवर्नर से कांग्रेस ने जो आश्वासन मांगा है वह बिल्कुल ही अनावश्यक है। काँग्रेस के नेताओं द्वारा अधिकार के पदों का स्वीकार करना और राज चलाना ही काँग्रेस के लिए भी हितकारी है। संविधान भंग करने की नीति स्वतंत्र लेबर पार्टी को मंजूर नहीं। संविधान को अगर रद्द कर दिया जाए तो शोषित किसान–मजदूर वर्ग के दुख और शिकायतें जो संविधान के सहारे कुछ हद तक कम करने का मार्ग आज उपलब्ध है, वह भी बंद हो जाएगा। काँग्रेस का साम्राज्यवाद विरोधी लड़ाई खत्म होने तक अपने दुखों को सीने से लगाए रख कर मुसीबतों सहते रहने के लिए हम तैयार नहीं हैं। विधिमंडल के सामने रखे जाने वाले कानून के मसौदे हमारे पास तैयार हैं। हम बस खेल के शुरू होने का ही इंतजार कर रहे हैं।[2]

---

2. जनता : 12 जून, 1937

102

*अनुशासन और संगठन अपने पक्ष के लक्ष्य हैं

20 जुलाई, 1937 को पुणे के अहिल्याश्रम में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में पृथक मजदूर पक्ष के मुंबई प्रांतिक एसेंब्ली के सदस्यों की पहली सभा हुई।

काऊंसिल के कामकाज संबंधी कुछ नियम पारित करने के बाद स्वतंत्र लेबर पक्ष के नेता के रूप में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने अपनी पार्टी के कड़े अनुशासन और संगठन का अहसास कराया। उन्होंने बताया कि नैतिक बल के सहारे काम करने वाले हर पक्ष को अनुशासन और संगठन इन दो बातों की ओर ध्यान देना होगा। जो काम हम लेते हैं उसमें शुरू-ष्ठुरू में भले असफलता मिले, हमें अपने लक्ष्य से कभी मुंह नहीं फेरना चाहिए। इंसान के पास जितना अधिक नैतिक बल होगा उतना उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और आखिर हार से भी वह ससम्मान सफलता पा सकता है। इंग्लैंड के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के इतिहास पर अगर हम नजर डालते हैं तो पता चलता है कि अनुशासन और संगठन का वहां भी मेल किया गया है। इंग्लैंड में किसी जमाने में बेहद छोटा रहा मजदूर पक्ष भी अनुशासन और संगठन के बल पर आखिर सत्ता में आया यह हमने देखा। और हमने यह भी देखा कि पुराना अनुशासन और संगठन में थोड़ी ढील आते ही वह पक्ष कैसे सत्ता से दूर हुआ।

दुनिया के राजनीतिक घटनाक्रम में सफलता हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए मानों तपश्चर्या ही करनी पड़ती है। पक्ष को बलवान बनाने के लिए पहले पक्ष की कमजोरियां क्या हैं इस पर गौर करना पड़ता है। राजनीतिक पार्टियों में केवल अमीरों या अपने प्रिय व्यक्तियों को शामिल करने से काम नहीं चलता। विभिन्न विषयों का अध्ययन कर चुके और विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को ही अपनी पार्टी में जिम्मेदारी की जगहों पर नियुक्त कर पार्टी की दिशा तय करनी होती है। भावपूर्ण और प्रभावी भाषा का इस्तेमाल करते हुए जनता को गुमराह कर सत्ता में आने वाले बड़े पक्ष की तुलना में अनुशासन, संगठन तथा उज्जवल उद्देश्य का अहसास होने वाले अल्पसंख्यक लोगों की छोटी पार्टी ही आखिर राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव डालते हुए सफल होता है। हमारी स्वतंत्र लेबर पार्टी आज देखने में छोटी है लेकिन हमने जिस उद्देश्यपूर्ण कार्य। की उज्जवल रूपरेखा बनाई है उसमें आगे चल कर हमें अभूतपूर्व सफलता ही मिलने वाली है।

---

*जनता : 31 जुलाई, 1937

मुंबई एसेंब्ली के स्वतंत्र लेबर पार्टी के विधायक इस बात को अपने आचरण में शामिल करने की कोशिश करें। अनुशासन और संगठन की बातें अपनी पार्टी में शामिल होने वाले हर सदस्य के मन पर उकेरने की उन्हें कोशिश करनी होगी। बहुजन समाज के साथ घुलमिल जाने की हमारी पार्टी की योजना है। गरीब, मजदूर और किसान वर्ग के हितों की रक्षा करना हमारे पक्ष का पहला कार्यक्रम है। इस कार्य को करने के लिए हमारे स्वतंत्र लेबर पक्ष के संगठन को हम अनुशासन के साथ विस्तार देते हुए अपने उद्देश्य की राह पर आगे बढ़ने का आज ही संकल्प लेते हैं। निःस्वार्थ बुद्धि से किए गए कार्य में निश्चित रुप से सफलता मिलेगी इसमें कोई शक नहीं।

103

*साम्राज्य से हजारों गुना बुरा है ब्राह्मण्य

31 जुलाई, 1937 को डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को धुले में कोर्ट के किसी काम के सिलसिले में जाना था। शुक्रवार की रात की गाड़ी से वह वहां से निकले। 31 की सुबह 5 बजे उनकी गाड़ी चालीसगांव पहुंची। डॉ. बाबासाहेब की गाड़ी, चालीसगांव होते हुए आगे धुले जाएगी इस बात की खबर लगते ही बड़ी संख्या में लोग तड़के ही से चालीसगांव स्टेशन पर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। अचानक स्टेशन परिसर लोगों से खिल उठा था। लोग डॉ. अम्बेडकर की जय के नारे लगा रहे थे।

ठीक 5 बजे गाड़ी ने स्टेशन में प्रवेश किया। सुहास्यवदन डॉ. साहब गाडी से उतरे। तुरंत तीन बार ''अम्बेडकर जिंदाबाद'' का नारा गूंजा। पहले मे. एस. एस. कर्णिक, चीफ ऑफिसर और अस्पृश्योद्धारक बोडिंग बिल्डिंग फंड कमेटी के सचिव और मे. चव्हाण (चौहान) ने उनका साक्षात्कार किया। उसके बाद श्री दीवाण चव्हाण के बोर्डिंग की ओर से लाया गया हार श्री डी. जी. जाधव, बीए, एमएलए ने डॉ. साहब के गले में हार पहनाया। उसके बाद रांजणगाव की बहन श्री सखुबाई कबडद्यकर, सोनाबाई कन्नड़कर, सावित्रीबाई अहिरे आदि बहनों ने उनकी आरती उतारी। उन्हें वंदन किया। छात्रों की ओर से वेडाबाई सरदार शांताबाई चव्हाण, शांताबाई जाधव ने उन्हें फूलमालाएं अर्पण कीं। कई लोगों को लगा था कि बाबासाहेब अस्पृश्योद्धारक बोर्डिंग देखने आएंगे इसलिए वे बोर्डिंग के परिसर में बड़ी संख्या में इक्ट्ठा होकर डॉ. बाबासाहेब का इंजतार कर रहे थे। इसलिए श्री शामराव कामाजी जाधव और श्रावण धर्मा जाधव ने उसे विनति की कि वे बोर्डिंग देखने चलें। लेकिन समयाभाव के कारण पहले इंकार करने के बाद अग्रह के कारण रात 8.30 बजे वहां जाने की बात मान ली। सो, बोर्डिंग परिसर में इक्ट्ठा लोग गगनभेदी आवाज में जयकार करते हुए स्टेशन तक चले आए। डॉ. बाबासाहेब पर अस्पृश्यता लोगों का प्रेम और उनके काम के बारे में लोगों का उत्वाह देखकर चालीसगांव के स्पृश्य लोग आश्चर्यचकित थे। उनके दर्शन पाने के लिए अस्पृश्य लोगों का यह उत्साह प्रशंसा योग्य नहीं ऐसा कौन वह कह सकेगा? इससे पहले किसी भी काम के सिलसिले में बाबासाहेब इस ओर नहीं आए थे। कोर्ट के काम के लिए वे जब जा रहे हो तब भी उनकी एक झलक पाने की लोगों

---

*जनता : 7 और 14 अगस्त, 1937

में ऐसी आस के जगने से उनकी अलौकिकता का ही परिचय मिलता है।

खासकर आज का दिन बाजार का दिन होने के बावजूद, अपनी खरीददारी–बिक्री जल्दी–जल्दी निपटा कर लोग बीबी–बच्चों समेत चालीसगांव स्टेशन पहुंच रहे थे। डॉक्टर साहब के आने के बारे में कोई हैंडबिल आदि भी नहीं निकाले थे। केवल सुनी–सुनाई खबर के भरोसे भारी संख्या में उनके दर्शनों के लिए वहां जनसमुदाय इक्ट्ठा हुआ था।

उसके बाद सबसे प्रेमपूर्वक विदा लेकर डॉ. बाबासाहेब 6. 45 की गाड़ी से धुले गए। उनके साथ में उत्साही युवा कार्यकर्त्ता डी. जी. जाधव और दत्तात्रय मागाडे भी थे। रात डॉ. बाबासाहेब के बोर्डिंग आने की बात पता चलते ही वहां दियों से सजावट की तैयारी की जाने लगी। डॉ. बाबासाहेब के इंतजार में बोर्डिंग से स्टेशन तक के दो फर्लांग के रास्ते में सड़क के दोनों तरफ लोग जत्थे बनाकर खड़े थे। लोगों में अनुशासन बनाए रखने के लिए पहलवान धावजी ने अपने अखाड़े के साथ मिल कर व्यवस्था कायम की थी। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को स्टेशन से ले आने के लिए वकील श्री हरिभाऊ पाटसकर की पत्नी सौ. वारुबाई पाटसकर ने अपनी गाड़ी दी थी। श्री पाटसकर कहीं बाहर गए थे, इसलिए उनकी डॉक्टर साहब से मुलाकात नहीं हो पाई।

शनिवार, 31 जुलाई, 1937 को डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर सुबह की गाड़ी से कोर्ट के काम के लिए धुले में पक्का आने वाले हैं इस बात की जानकारी मि. पाटील वकील से पता चलते ही समतावादी दलित मंडल के कार्यकर्त्ताओं ने पहले से पूरी तैयारी की थी। खबर के अनुसार 31 जुलाई, 1937 के दिन 70–80 स्काउट्स के साथ हजारों अस्पृश्य भाई–बहन डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का स्वागत करने के लिए तड़के ही बड़ी उत्सुकता के साथ धुले स्टेशन पर हाजिर थे। धुले स्टेशन पुरुष, महिलाएं और बच्चों की भीड़ से खिला था। लोग बार–बार अम्बेडकर का जयघोषणा कर रहे थे। सामाजिक पद भी गा रहे थे। स्वागत के लिए श्री ए. आर. सावंत, पुनाजीराव तलिंगकर, तुकारामजी पहलवान, श्री ढेंग, जी. एस. आहिरे, आर. बी. अहिरे, सुकदेव पहलवान, धोंडिराम पहलवान, सखाराम पहलवान, देवरामपंत आहिरे आदि लोग उपस्थित थे।

गाडी ठीक 8.20 बजे स्टेशन में आई। हास्यवदन डॉक्टर साहब श्री डी. जी. जाधव, एमएलए के साथ गाड़ी से उतरे। उनके गाड़ी से उतरते ही, 'अम्बेडकर कौन है। दलितों का राजा है।' ''अम्बेडकर जिंदाबाद'' नाम के नारों से वातावरण गूंज उठा। पहले श्री सावंत, ढेंगे, बैसाणे, पुनाजीराव ललिंगकर आदि लोगों ने उनका साक्षात्कार किया। समतावादी दलित मंडल के सचिव श्री तुकराम पहलवान ने संघ की ओर से और सौभाग्यवती पार्वताबाई अहिरे ने चोखामेला बोर्डिंग की ओर से लाए गए हार डॉ. बाबासाहेब को पहनाए उसके बाद स्टेशन से ट्रेवलर्स बंगलो तक मि. पाटील की मोटर से डॉ. बाबासाहेब का जुलूस

निकाला गया। जुलूस के दौरान अम्बेडकर चौक, ललिंग, अवधान, वर्व्हाल, पुरानी धुले मिल आदि जगहों के स्काउट के लोगों ने अनुशासन बेहतर तरीकों से बनाए रखा। जुलूस जब बंगले तक पहुंचा तो पाया कि वहां भी महिलाएं, पुरुष और बच्चों की अपार भीड़ इक्ट्ठा थी। उस भीड़ में ललिंग से आई सिर पर ढोकर लकड़ियां बेचने वाली महिलाएं भी थीं। बाबासाहेब के दर्शन के बगैर लोग बंगले से हटने के लिए तैयार नहीं थे। तब डॉ. बाबासाहेब मुस्कराते हुए बंगले से बाहर आए। उन्होंने लोगों से कहा कि अभी तो मुझे कोर्ट का काम है। वह पूरा हो जाए, उसके बाद आप जहां कहें मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। यह बताने के बाद उन्होंने लोगों से विनती की कि वे वहां से हट जाएं।

दोपहर तक डॉ. अम्बेडकर का कोर्ट का काम पूरा हुआ। चार बजे वह हरिजन सेवक संघ के सचिव श्री बर्वे वकील के घर पहुंचे। वहां श्री जाधव एमएलए, श्री सावंत, श्री पुनाजीराव ललिंगकर, श्री तुकाराम पहलवान और श्री ढेंगे आदि लोगों के साथ टी पार्टी हुई। वहां कॉँग्रेस के कुछ लोग भी उपस्थित थे। वहां काफी विचार-विमर्श हुआ। बाद में डॉ. बाबासाहेब राजेद्र हरिजन छात्रालय और चोखामेला बोर्डिंग भी गए। वहां चोखामेला बोर्डिंग, स्वोद्धारक छात्रालय, हरिजन छात्रालय की ओर से उन्हें फूलमालाएं और गुलदस्ते अर्पण किए गए।

पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार इसके बाद धुले विजयानंद थिएटर में डॉ. बाबासाहेब का जोरदार भाषण हुआ। थिएटर में स्पृश्यस्पृश्य लोगों की बड़ी भीड़ इक्ट्ठा थी। जगह की कमी के कारण कई लोगों को बाहर बैठना पड़ा।

डॉ. अम्बेडकर ने कहा-

काग्रेस ने फरमान निकाला है कि कल 1 अगस्त का दिन साल के पहले दिन की तरह मनाया जाए। कांग्रेस पार्टी ने राजनीति की बागडोर सम्हाली इसलिए वह स्वराज हुआ और हम जैसे किसी के हाथ आए तो स्वराजय नहीं कहना क्या ठीक है? भावना और सिद्धांतों- फलसफों को अगर किनारे सरका कर देखें तो पता चलेगा कि मजदूरों को परेशान करने वाले मिल-मानिक, गला दबोचने वाले साहूकार तथा हमें कई तरीकों से सताने वाले अन्य लोग तो जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। इसलिए अब हमें पहले से अधिक सावधान रहना होगा। इतने दिनों से एक बात हमारे पक्ष में थी कि अंग्रेज जाति नहीं मानते थे और स्पृश्यास्पृश्य के बारे में सोचा नहीं करते थे। अबके बाद सत्ता आपको सताने वालों के हाथ गई है। अब हम लोगों की फरियादें कौन सुनेगा? हमारे लिए यह स्वराज नहीं, औरों का हम पर चलने वाला राज है। इसलिए संगठन बनाना आपका कर्त्तव्य है। संगठन ना बनाने से आपका सौ गुना अधिक बुरा हाल होगा। आज अगर महारों के साथ अन्याय हो तो पाटील, हवलदार, मामलेदार कोई उनकी मदद नहीं करता। इतना

ही नहीं महार भी दूसरे महार की मदद नहीं करता। इसीलिए जातिय संगठन जरूर करें। अन्याय जब हो रहा हो कम से कम तब उसकी मदद जरूर करें। पैसों के बगैर कोई काम नहीं होता। वकील, गवाह, कोर्ट का कामकाज, गाड़ी का किराया आदि सभी बातों के लिए पैसा जरूरी होता है। इसलिए, न्याय पाने के लिए जाति का फंड बनाए।

कोशिश कर एक गांव में अगर आप न्याय पाएंगे तो उसकी दहशत अन्य गांवों में भी फैलेगी। कोई और आकर आपके लिए काम करे ऐसी उम्मीद क्यों रखते हो? आपके लिए श्री बर्वे या श्री गांधी आकर छात्रावास खोलें ऐसा आप क्यों सोते हैं? महाराष्ट्र में 10 लाख अस्पृश्य महार लोग हैं। हर कोई एक रुपया देगा तो दस लाख का फंड इक्ट्ठा होगा।

अब अग्रेज कुछ कर नहीं पाएंगे। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। बादशाह की ओर से गवर्नर को भेजे अज्ञापत्र में कहा गया है कि मंत्रीमंडल में जितने लेना संभव हो उतने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को लें। आज का मंत्रीमंडल गांधी के कहने पर बना है। मुंबई के मंत्रीमंडल में महारों-मांगों का एक भी प्रतिनिधि नहीं है इसके बावजूद इस मामले में अंग्रेजों ने बिल्कुल दखल नहीं दिया। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कॉंग्रेस में क्यों नहीं शामिल हुआ? कारण में बताता हूं। वे इस प्रकार हैं-

1. कॉंग्रेस की राजनीति से अगर कुछ हुआ है तो वह ब्राह्मण्य का उदय ही हुआ है यह मैं देख रहा हूं। छह प्रांतों में मुख्यमंत्री कौन बने देखिए- ब्राह्मण ही मुख्यमंत्री बने हैं। और में कहता हू कि साम्राज्यवाद से ब्राह्मण हजारों गुना बुरा है।

2. मुझसे कहा जाता है कि, अस्पृश्यों के लिए मैं जो आंदोलन करता हू उसे बंद करो। लेकिन न मुझे तनख्वाह पाने की लालसा है और न ही मैं सम्मान पाना चाहता हूं। मेरी आकांक्षा बस यही है कि आप लोग स्वाभिमानी बनें। उसके लिए अलग से आंदोलन चलाना आवश्यक है। आप में और मुझमें बस यही फर्क है कि मुझे आपकी तुलना में अधिक ज्ञान है। इसीलिए मैं ज्यादा स्पृश्ता से देख सकता हू और जानता हू कि जोखिम या धोखा कहां है। कॉंग्रेस के लोग भले कुछ भी कहें, मुझे उसकी परवाह नहीं है। आप इंसान की तरह जीएंगे तो मैं समझूगां कि मेरे परिश्रम सफल हुए। यह स्वराज शुखदायी जोखमभरा है। सामाजिक सत्ता जिनके हाथ थी राजनीतिक सत्ता भी उनके ही हाथ गई है। इसीलिए अब हर गांव कम से कम दस रुपए फंड में दें। ताकि आप लोग न्याय पा सकें। अपने पृथक मजदूर पक्ष के पंद्रह लोग एसेंब्ली में है। ये लोग एक धागे में मजबूती से पिरोए हुए हैं। उनमें आपसी फूट या मनमुटाव बिल्कुल नहीं। इसीलिए कॉंग्रेस को अगर किसी पार्टी से डर लगता है तो वह हमारी पार्टी है। कॉंग्रेस को मुसलमानों से अथवा ''लोकशाही'' पार्टी से नहीं लगती। श्री वल्भ भाई पटेल ने पुणे में जो भाषण दिया उसमें उजागर हो चुकी है। हम

> भी चुनावों के दौरान एकता से पुणे आए, और संगठन के साथ बरते इसलिए यह फल मिला। चुनाव के दौरान हमने जो शपथ ली उसे कायम रखें। हमारी संस्था की शाखा हर जिले में स्थापन की जानी चाहिए। ऊपर से मदद करने वाला अपना जब कोई नहीं होता तब सत्ता जो कष्ट उठाता है उसकी होती है। एकजुट होकर कोशिश करो कि हर संस्था में हमारे अधिक से अधिक लोग शामिल हों। काँग्रेस के मन में हरिजनों के प्रति दया होती तो क्या वह बिना किसी शर्त के किसी हरिजन को मंत्रीमंडल में नहीं लेती? इसके लिए हम किसी से भीख नहीं मांगे। मैंने काँग्रेस के लोगों से कभी मशविरा नहीं किया। काँग्रेस से मैं हमेशा सवा मील दूर रहा।

खानदेश में हमारे पक्ष के श्री दौलत गुलाजी जाधव चुनाव जीत गए हैं। उनसे काम करवा लेना। इस देश में हमारे साथ इंसानियत भरा व्यवहार नहीं किया जाना यह बात आप भूल सकते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता। हमेशा जागरूक रहें तभी सफलता मिल सकती है। इस प्रकार डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का भाषण हुआ। भाषण के बाद श्रीमती नर्मदाबाई बाघ, तलिंगकर, दशरथ धाकू बाद्य, जुने धुले और अन्य तहसीलों के लोगों ने उन्हें फुलमालाएं पहनाई और सभा समाप्त हुई।

पश्चिम खानदेश जिले में बाबासाहेब इससे पूर्व सामाजिक कार्य के लिए कभी नहीं आए थे। अन्य जिलों के अस्पृश्य नेताओं ने कभी उन्हें वहां जाने के लिए कहा भी नहीं। लेकिन डॉ. बाबासाहेब की बुद्धिमता और उनका काम देखकर स्वाभिमान से परिपूर्ण अस्पृश्य जनता जाग गई थी इसमें कोई शक नहीं।

उसके बाद स्काऊट के साथ डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर चौक गए। शाम 6 बजे डॉ. बाबासाहेब की गाडी धुले स्टेशन की ओर चली। उस दिन धुले प्रताप मिल चल रही थी। पांच बजे वह बंद हो जाती। मिल का समय पूरा हुआ तब वहां से निकल कर सभी महिलाएं और पुरष डॉ. बाबासाहेब के दर्शन के लिए स्टेशन पर इक्ट्ठा हुए। वहां डॉ. बाबासाहेब को स्काऊट की 'लाठी' की सलामी दी गई। उसमें भीमराव सालुंके, वेसा पहलवान, शंकरराव घोडे, किसनराव आदि लोगों ने हिस्सा लिया। यहां भी कई महिलाओं और पुरषों ने बाबासाहेब को फूलमालाएं अर्पण कीं। बाद में 6.40 को सबसे विदा लेकर डॉ. अम्बेडकर की गाड़ी चालीसगांव के लिए रवाना हुई।

चालीसगांव में डॉ. बाबासाहेब आने वाले हैं यह खबर लोगों में फैली थी। लोग इक्ट्ठा होकर इंतजार कर रहे थे कि खबर आई कि जिस गाड़ी से डॉक्टर साहब आने वाले थे उस रेलवे का इंजन राह में 'सिक' हुआ। लोग निराश हुए, एकाध-दो घंटों में इंजन की मरम्मत होगी और डॉ. बाबासाहेब को आने में ज्यादा से ज्यादा दो घंटे की देरी होगी ऐसा लोगों को लगा था। डॉक्टर साहेब के स्वागत में श्री झिपरू तुकाराम जाधव,

नथ्यू दोनू जाधराव, जाबरसाहब, मांगो आनंदा जाधव स्टेशन गए थे। बोर्डिंग में इक्ट्ठा हुए लोगों का मनोरंजन करने के लिए मे. भास्कर मास्तर, जगन्नाथ सुन्दरनाथ के 'पोवाडे' प्रस्तुति का कार्यक्रम हुआ। साथ ही वेडाबाई चव्हाण, शांताबाई जाधव के बोधप्रद गीतों का गायन हुआ। बहनों के बैठने का बेहतर इंतजाम किया गया था। श्रीमती ध्रुपताबाई दिवाण, झेलाबाई पोममोरे, सखुबाई आनंदा जाधव, सावित्रीबाई तोताराम जाधव, नारददाबाई नानाजी जाधव, भागाबाई उरवा सरदार, दयाबाई रामाजी जाधव आदि मुख्य महिलाएं उपस्थित थीं। आखिर तड़के तीन-चार बजे गाड़ी स्टेशन पर आने की संभावना है यह खबर श्री रायला मास्टर ले आए। सुनते ही लोग बोर्डिंग से निकल कर रात के बारह बजे स्टेशन पहुंचे। उसके पहुंचने से पहले ही आस-पास के गांवों के लोगों की भीड़ स्टेशन पहुंच चुकी थी। उनमें ये लोग भी शामिल हुए और पूरा स्टेशन परिसर लोगों से भर गया। तड़के चार बजे तक लोग जागते रहे। आखिर डॉ. अम्बेडकर को ले आनेवाली गाड़ी स्टेशन में आई। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की जयकार से पूरा वातावरण गूंज उठा। डॉ. बाबासाहेब जैसे ही गाड़ी से उतरे वहां के समाज की ओर से श्री रायला मास्टर ने उन्हें फूलमाला अर्पण की। उसी वक्त आठ मील की पैदल यात्रा कर श्री डी. जी. जाधव के माता-पिता डॉक्टर साहब से मिलने आए। उन दोनों ने डॉ. बाबासाहेब का वंदन किया। इंजन में खराबी आने के कारण उन्हें देर हुई थी और तुरंत 5 बजे ही गाड़ी से उन्हें मुंबई जाना था। इसलिए वह बोर्डिंग नहीं जा पाए। वहां जुटे लोगों ने स्टेशन में ही उनका स्वागत किया। विभिन्न संस्थाओं की ओर से उन्हें कई बार पहनाए गए। डॉक्टर साहब ने प्रेम के साथ उनको स्वीकार किया। सबको उन्होंने अपने आंदोलन के हारे में संक्षेप में बता कर शामिल होने के लिए कहा। फिर सबसे प्रेमपूर्वक विदा ली। यह अपूर्व सम्मान समारोह चालीसगांव शहर में दिन भर चर्चा का विषय बना रहा।

104

*संगठन बना कर स्वतंत्र लेबर पार्टी को बलवान बनाओ

(डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का यह भाषण 14 अगस्त, 1937 के 'जनता' में अग्रलेख की जगह छपा है। इसमें भाषण कब और कहां हुआ इसका जिक्र नहीं है। –संपादक)

प्रिय भाइयों,

आपकी आज की सभा में उपस्थित रहने में मुझे बेहद खुशी है। स्वतंत्र लेबर पार्टी को व्यवस्थित रूप देने तथा अपने लोगों का संगठन करने के लिए आपने जो यह उपाय किया है वह बेहद महत्वपूर्ण और स्तुल्य है।

छः माह पूर्व हुए एसेंब्ली इलेक्शन का अगर हम सिंहावलोकन करें तो हमारे लोगों ने जो हासिल किया है उसमें मुझे धन्यता महसूस होती है। क्योंकि उस वक्त हमारा मुकाबला बेहद प्रभावशाली और अमीर काँग्रेस पार्टी के साथ था। काँग्रेस ने ठान ली थी कि स्वतंत्र लेबर पार्टी के एक भी उम्मीदवार को वह जीतने नहीं देगी। हमारे उम्मीदवारों को हराने की काँग्रेस ने जी–जान से कोशिश की थी। ऐसे मुश्किल हालात का मुझे सामना करना पड़ा। अन्य प्रांतों को देखें तो पता चलता है कि सबने काँग्रेस के सामने घुटने टेके हैं। पूरे हिन्दुस्तान में काँग्रेस के साथ भिड़ने के लिए अकेला मैं ही खड़ा हुआ और मैं उसमें सफल भी हुआ। लेकिन यह बात भी सच है कि आप लोगों का साथ नहीं होता तो ऐसी जीत हासिल करना संभव नहीं था। आप जानते ही हैं कि उस वक्त हममें से कुछ लोग काँग्रेस के शिकार हुए थे। लेकिन उसके बावजूद उस समय हमने बड़ी जीत हासिल की थी। काँग्रेस के लोग भी इस बात को मानते हैं। उस समय पूरे हिन्दुस्तान में काँग्रेस को केवल तीन ही जगहें महत्वपूर्ण लगती थीं। डॉ. वाड की मुंबई युनिवर्सिटी की जगह, लोकशाही स्वराज पार्टी के सर्वेसर्वा श्री लक्ष्मण बलवंत भोपटकर की पुणे की जगह और तीसरी स्वतंत्र लेबर पार्टी की मुंबई की मेरी जगह। इनमें से पहली दो जगहें काँग्रेस पा सकी लेकिन तीसरी मेरी जगह वे नहीं ले पाए। सो काँग्रेस को भी हमारे सामर्थ्य का अहसास हो चुका है। इलेक्शन से पहले स्वतंत्र लेबर पार्टी का नाम तक लेने जो बल्भ भाई पटेल तैयार नहीं थे उन्होंने इलेक्शन के बाद शनिवार वाडे के सामने मंत्रियों द्वारा पद स्वीकारने के लिए बुलाए गए आयोजन में साफ–साफ कहा कि डॉ. अम्बेडकर का स्वतंत्र लेबर पार्टी बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है और काँग्रेस को

---

*जनता : 14 अगस्त, 1937

इस पक्ष का कहना मानना पड़ेगा। सोचिए यह असर किस बात का है? यह और किसी बात का नहीं, हमारे संगठन का असर है।

काँग्रेस हिन्दुओं की संस्था है। आज तक हिन्दुस्तान पर अंग्रेज सरकार का राज था। इसी कारण इन लोगों के हाथ में राजनीति के सूत्र नहीं थे। लेकिन आज हिन्दुस्तान पर नाममात्र के लिए अंग्रेजों का राज है। आज राजनीति के सारे लगाम हिन्दुओं के ही हाथ आए हैं। इसीलिए अबके बाद हमें अपने बचाव की संगठित कोशिश करनी होगी। उसके बगैर अबके बाद कोई चारा नहीं। जिस काउंसिल के जरिए राजनीतिक सत्ता को सौंपा जाता है उस काऊंसिल में आपके प्रतिनिधियों का पहुंचना जरूरी है। हिन्दुस्तान में सब दूर काँग्रेस की जो जीत हुई है वह काँग्रेस की नहीं ब्राह्मण्य की जीत हुई है यह हमें भूलना नहीं चाहिए। 5-6 प्रांतों के मुख्यमंत्रियों के पद ब्राह्मणों को ही मिले हैं। मुंबई प्रांत की 11 जगहों में से 5 जगहों ब्राह्मणों को ही मिली हैं। 1919 से 1935 तक काऊंसिल में ब्राह्मण सदस्यों की संख्या बेहद कम यानी 10-12 तक ही सीमित थी। आगे वह और कम होती गई। लेकिन आज मुंबई में काँग्रेस को मुंबई में 27 सीटें मिली हैं। इसी से आपको पता चलेगा कि ब्राह्मण्य की कितनी बड़ी विजय हुई है। इस ब्राह्मण्य से अगर आपको अपना बचाव करना हो तो आपको संगठित होना पड़ेगा।

पिछले राऊंड टेबल कॉन्फरेंस के समय मुझसे एक भूल हुई थी। मुझे कानून में ही यह प्रावधान रखवा लेना चाहिए था कि गवर्नर को मंत्रीमंडल में अल्पसंख्यक पक्ष का एक प्रतिनिधि नियुक्त करना होगा। यह बात इन लोगों की मर्जी पर नहीं छोड़नी चाहिए थी। लेकिन तब मैंने सोचा कि 'लिहाज पकाने वाली के साथ खाने वाली को भी करना चाहिए' उक्ति के अनुसार इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया। लेकिन उनकी मर्जी पर बात को छोड़ा तो देखिए उसका क्या असर हुआ है। उन्होंने अस्पृश्यों के एक प्रतिनिधि तक को मंत्रीमंडल में जगह नहीं दी। कानून इस बारे में भले न हो, लेकिन शिष्टाचार के तौर पर ही सही उन्हें हमारे एक प्रतिनिधि को लेना चाहिए था। हमारी 15 जगहों में से चार जगहों पर काँग्रेस ने अपनी तरफ से हमारे लोगों को जिताया। फिर उन्हें काँग्रेस ने मंत्रीपद क्यों नहीं दिया? अगर वे चारों प्रतिनिधि आयोग्य हैं तो इन आयोग्य प्रतिनिधियों को चुनाव में जिता कर काँग्रेस ने बड़ी गलती नहीं की? मुसलमानों का प्रतिनिधि लेने में अगर उन्होंने इतनी कोशिशें कीं तो अस्पृश्यों के प्रतिनिधि को क्यों नहीं लिया? इसके लिए एक ही बात जिम्मेदार है और वह, यह कि, उनकी यही मानसिकता है कि, ''हम आपके लिए सब करेंगे, आपको अपने लिए कुछ नहीं करना है।''

कुछ दिनों पहले चमारों के एक नेता ने अखबार में अपना बयाना छपवा लिया था जिसमें उसने कहा था, ''अस्पृश्यों के प्रतिनिधि को मंत्रीमंडल में नहीं लिया इसका हमें बुरा नहीं लगता क्योंकि खेर साहब पर हमें पूरा भरोसा है।'' अगर ऐसा ही है तो इन

लोगों ने चुनाव लड़ाने की मशक्कत तो आखिर क्यों की? ध्यान में रखिए, इस प्रकार अगर आप इन लोगों के भरोसे रहे तो बीच भंवर में डूब जाएंगे।''

महात्मा गांधी की काँग्रेस में चार आने की भी भागीदारी नहीं है लेकिन काँग्रेस के लोग उनके सभी फतवे काँग्रेस के लोग मानते हैं। सो उन्हें इस बारे में कुछ करना चाहिए, वे क्यों नहीं करते? लगता तो यही है कि वे हमारे बारे में कुछ करना ही नहीं चाहते। इसीलिए हमारे संगठित होने की जरूरत है। एक और बात भी मैं आपसे कहना चाहता हूं और वह यह कि काऊसिता में शरीक होना आसान काम नहीं है। उसके लिए गृहस्थी छोड़नी पड़ती है। इलेक्शन का खर्चा जबरदस्त होता है। उसे उठाना हमारे उम्मीदवारों के लिए संभव नहीं होता। कहना होगा कि पिछले इलेक्शन में खड़े कई उम्मीदवारों की मुझे आर्थिक मदद करनी पड़ी तब जाकर वह चुनाव जीत पाए। लेकिन इस तरह मैं हर बार हरेक की मदद नहीं कर पाऊंगा। उम्मीदवारों के लिए भी अपना खर्चा खुद उठाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए आप अगर अपनी तरफ से अच्छे लोगों को काउंसिल में भेजना चाहें तो उनका खर्चा आपको उठाना होगा। पिछले इलेक्शन में काँग्रेस की ओर से जो उम्मीदवार खड़े थे उनका सभी खर्चा काँग्रेस ने ही दिया था। अकेले मुंबई शहर में काँग्रेस ने इलेक्शन को दिन हजारों रुपए खर्च किए थे यह ध्यान में रखने लायक बात है।

मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इस संस्था को आप हर तरह से समर्थन दें। इसे काँग्रेस की तरह ही बलवान पक्ष बनाएं। मुंबई में हमारी जनसंख्या एक लाख से अधिक है। सौ, कम से कम एक लाख लोगों को इसका सदस्य बनाएं।

इस संस्था का सालाना शुल्क केवल आठ आने रखा है जो कि बहुत कम है और हर कोई भर सकता है। काँग्रेस के साथ अमीर लोग हैं उस तरह आपके साथ कोई नहीं है। आपको खुद अपनी गृहस्थी सम्भालनी होगी। विलायत में भी पार्लियामेंट में मजदूर पक्ष है। लेकिन वे भी इसी प्रकार चंदा इक्ट्ठा कर चुनाव लड़ाते हैं। हर पार्टी को अपने अखबार की बेहद जरूरत होती है। अखबार के बिना हम काम नहीं कर सकते। इसीलिए हमारी पार्टी का 'जनता' अखबार बढ़िया ढंग से चलना जरुरी है। आप सभी को उसका चंदा देकर सदस्यत्व लेना चाहिए। आप जिन प्रतिनिधियों को चुनाव जिता कर काउंसिल में भेजते हैं वे वहां जाकर क्या करते हैं इसकी जानकारी आपको अखबारों से ही मिलेगी। इसीलिए आप सभी को 'जनता' के सदस्य जरूर बनना चाहिए। कुछ लोग अन्य अखबार खरीद कर पढ़ते हैं। क्योंकि उसमें सट्टे के नंबर और भविष्य दिया जाता है। सट्टा खेल कर किसी का भला नहीं होता और अखबारों में छापे भविष्य सच साबित नहीं होते। हमारे अखबार के अलावा अन्य किसी अखबार में आपको अपनी पार्टी के कायक्रमों और आन्दोलन की सही दिशा की जानकारी नहीं मिलेगी। इसके लिए और अपनी पार्टी

के प्रति गर्व महसूस करने के लिए सबको जनता पत्र का सदस्यत्व लेना होगा।

आखिर मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि आप अपने अंदर की सम्मान-अपमान की भावना हटा दीजिए। मेरा नाम व आए तो आगे चल रहे काम का मैं विरोध करूंगा यह भावना बुरी है। गलत है। आप काम करते रहिए, नाम अपने आप होगा। मैं और मेरे सहयोगी मित्र जानते हैं कि जब तक हमने कोई कार्य करके नहीं दिखाया था तब तक टाइम्स जैसे अखबार में अपने काम के बारे में थोड़ी जानकारी छपवाने के लिए भी हमें कितनी मनोबल करनी पड़ती थी। अब वही लोग हमसे पूछते हैं, "अगर आपका कुछ छापना हो तो हमें बताइए" सभी लोगों को राजनीतिक और सामाजिक झगड़े तुरंत भूल जाने होंगे। पीछे जब एक बार महार परिषद हुई थी तब मैंने देखा कि जिनके हाथ इस परिषद के अधिकार सूत्र आए थे उन्होंने अपने अधिकारों का अपने झगड़ों के लिए गलत इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं होना चाहिए।

इस संस्था का मुख्य काम इलेक्शन के दौरान एकता बरकार रखना ही होगा। इस संस्था द्वारा समर्थित उम्मीदवार को ही आपको वोट देने होंगे। इसी के लिए आपको संगठन बनाना होगा। और हमारा संगठन इतना मजबूत होना चाहिए कि उसमें से एक भी सदस्य निकल कर ना जाए। ऐसा किए बगैर हमारे सामने कोई और चारा नहीं है पिछले चुनाव में मेरे और पी. बालू के मतों में अधिक से अधिक दो हजार वोटों का ही फर्क था। उस वक्त आप में से अगर कुछ लोग आलस करते तो मैं शायद इलेक्शन जीत नहीं पाता। आपके विकास की राह राजनीति ही है। इसीलिए आप संगठन बना कर स्वतंत्र लेबर पार्टी को बलवान बनाएं। इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूं।

105

*प्रांत का मंत्रीमंडल की बुद्धि का अलौकिक भंडार हो

23 अगस्त, 1937 की विधिमंडल की बैठक में शुरूआती कामकाज के बाद मुख्यमंत्री सां. बालासाहब खेर ने मंत्रियों की तनख्वाह संबंधी पहला सरकारी बिल प्रस्तुत किया। बिल के अनुसार हर मंत्री की तनख्वाह 500 रु., 100 रु. किया और 150 रु. मोटर अलाउंस दिया गया था। इस बिल को एसेंबली के सामने पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के स्वार्थत्याग की महत्ता का गुणगान किया था। इस सरकारी बिल पर स्वतंत्र लेबर पार्टी के नेता डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का भाषण हुआ। बिल के खिलाफ बोलते हुए उन्होंने इस प्रकार अपना कहना प्रभावी एवं सिलसिलेवार बिंदुओं में पेश किया। उन्होंने कहा- अब मैं भाषण करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं भाषण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस मुद्दे पर सभागृह में विभिन्न मतों को दर्ज कराने की मेरी इच्छा नहीं है। इस बिल को लेकर मेरी पहली आपत्ति यह है कि सरकार की ओर से यह बिल पेश किए जाने के बजाय इसे सभी पक्षों की सहमति से पेश किया जाना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि जो तनख्वा तय की गई है वह ठीक नहीं है। अंग्रेजों के राज्य के विभिन्न उपनिवेशों पर नजर दौड़ाने से पता चलता है कि वहां के मंत्रियों की माहवार तनख्वाह लगभग रु. 2000 के आसपास है। पता चलता है कि अस्थाई मंत्रीमंडल हो तो- उड़ीसा के अपवाद से- हिन्दुस्तान के विभिन्न प्रांतों में तय की गई तनख्वाहें रु. 2000 से अधिक थीं। लेकिन अब एक नयी परिपाटीर चलाई जा रही है। सुझाव रखा गया है कि अब के बाद मंत्रियों को हर माह 500 रु. की तनख्वाह मिले। इन दो रकमों में केवल आंकड़ों का ही नहीं सिद्धान्तों का भी फर्क है। किसी भी पद के लिए तनख्वाह तय करते हुए चार मुद्दों पर सोचना जरूरी है। 1. मंत्री का सामाजिक स्थान, 2. कार्यक्षमता, 3. जनतंत्र, 4. राज्य के प्रशासन की पवित्रता और सत्यता। प्रांत के मंत्री उस प्रांत के प्रथम नागरिक होते हैं इस नाते उनका जीवन सुसंस्कृत होना जरूरी है। हालांकि इस मामले में उन पर जोर जबर्दस्ती नहीं की जा सकती। हालांकि मंत्री की तनख्वाह के बारे में सोचते हुए बाद की तीन बातों को हल्के में लेकर नहीं चलेगा। खुद मंत्री की इस बात को लेकर क्या राय है यह मैं नहीं जानता। हालांकि झंडावंदन करना था केसरिया वस्त्रधारिणी स्वयं सेविकाओं की सलामी लेना ही मंत्री का काम नहीं होता यह उन्हें पता है ऐसा मुझे लगता है। प्रशासन के तीन प्रमुख अंगों में कार्यकारी मंडल-बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है।

---

*जनता : 26 अगस्त, 1937

प्रांत का मंत्रीमंडल प्रांत की बुद्धि का अलौकिक भंडार होना चाहिए। इस बिल में जितनी तनख्वाह का जिक्र किया है उतनी तनख्वाह पर राजनीति में पैदा होने वाली कठिन मुश्किलों का सामना कर उन्हें हल करने की कोशिश करने वाले लायक लोग इस काम को करने के लिए आगे आएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि अन्य जगहों पर उन्हें इससे बड़े प्रलोभन दिखाई देंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे यहां पढ़े-लिखे लोगों की संख्या बहुत कम है। यहां की सामाजिक व्यवस्था के कारण शिक्षा का लाभ यहां हमेशा एक छोटे तबके को ही मिलता आया है। अंग्रेज सरकार भी इस समाज व्यवस्था को उखाड़ नहीं पाई। चातुर्वर्ण्य में भी शिक्षा का हक केवल एक वर्ग को ही दिया गया है। जनतंत्र पर उसका कैसे असर होता है देखिए- जिन लोगों के पास पैसा है वे अपने निजी या अन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राजनीतिक सत्ता हासिल कर सकते हैं। या फिर, जिन्हें और कहीं कुछ करना संभव नहीं हो वे लोग राजनीति में प्रवेश करेंगे। मेरा बस यह कहना है कि मंत्रियों की तनख्वाह उन्हें मोह से दूर रखने लायक जरूर होनी चाहिए। मंत्रियों की तनख्वाह जब 4000 रु. और 3000 रु. थी तब भी हमारे प्रांत का नाम कई बुरी बातों के लिए लिया जाता था। फिर अब जब मंत्रियों की पगार 500 रु. होगी तब ऐसे बुरे उदाहरणों की संख्या क्या नहीं बढ़ेगी? असल मुद्दा यह है कि तनख्वाह का अगर यह स्तर रहा तो क्या राज्य का कामकाज सुरक्षित रहेगा? कॉट्रक्ट भी हम हमेशा सबसे कम रकम वाले मंजूर नहीं करते। कोई अगर कम तनख्वाह लेने के लिए तैयार हो तब भी यह वजह कम तनख्वाह देने के लिए काफी नहीं है। बचत अगर करनी है तो वह भी सोच-विचार के साथ ही करनी चाहिए। कम तनख्वाह रखने के पीछे एक और दलीत दी जा रही है कि यह हमारे राष्ट्रीय जीवनस्तर से मिलता है। 'हरिजन' में विभिन्न देशों के आम लोगों की आय के जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें आम हिन्दी व्यक्ति की आय 4 पौंड बताई गई है। सो इस हिसाब से मंत्री की तनख्वाह 75 रु. हर माह होनी चाहिए। उस हिसाब से देखें तो 500 रु. की तनख्वाह बहुत बड़ी फिजूलखर्ची ही साबित होगी। फिर ईमानदारी से केवल 75 रु. की तनख्वाह ही क्यों नहीं लेते? मेरा कहना यह है कि इससे जनता के मन में आपके बारे में विश्वास पैदा नहीं होगा। वदन को उघाडे घूम कर सिगरेट की जगह बीड़ी फूंक कर, बैलगाड़ियों से यात्रा कर या रेल के तीसरे दर्जे से यात्रा कर लोगों की आंखों में धूल क्यों झोंकनी है? विलायत के मध्ययुगीन भिक्षु ब्रह्मचर्य, शुचिर्भोत्य और दरिद्रता में अपना जीवन बिताने की प्रतीज्ञा किया करते थे। हमारे मंत्रियों के साथ ब्रह्मचर्य कोई समस्या नहीं रही है, अब यह समस्या उनके बस से बाहर हो गई है। शुचिर्भोत्य की प्रतिज्ञा को अगर वे तोड़ते हैं तो उस बारे में इस सभाग्रह को शिकायत करने की कोई वजह नहीं माननी चाहिए। दरिद्रता के बारे में कहना हो तो वे भिक्षु अकेले होते थे इसलिए उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आजकल के युग में मंत्रियों का दरिद्रता में जीवन बिताना क्या ठीक होगा? मेरा

बस यही मानना है कि मंत्रियों की तनख्वाह 500 रु. तय करने के पीछे मंत्रीमंडल का उद्देश्य पवित्र नहीं हैं उसके पीछे उनकी कोई योजना है। और वह यह है कि, वे चाहते हैं कि मंत्रीपद हमेशा उनके ही पास रहे, उस पर कभी किसी और का कब्जा ना हो। मैं यह भी नहीं कर रहा कि मंत्रियों की तनख्वाह हर माह 400 रु. या 3000 रु. ही हो। इस बिल की मैंने जो आलोचना की है वह केवल इसलिए कि सार्वजनिक नीति के बारे में चर्चा हो। डॉ. जॉन्सन ने एक बार कहा था कि बदमाहा लोगों के लिए देशभक्ति का आसरा लेना आसान होता है। मुझे यकीन है कि बदमाशों को मंत्री पद पर आसीन होना आसान होता है यह कहने की नौबत हम पर कभी नहीं आएगी।

डॉ. अम्बेडकर के भाषण के बाद प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता मि. एॅबर ट्रॉम्बी ने डॉ. अम्बेडकर के ज्यादातर मुद्दों का अपने भाषण में समर्थन किया। बैरिस्टर जमनादास मेहता ने भी कांग्रेस के बिल की अव्यावहारिकता की शब्दों में समीक्षा की। खा. ब. अब्दुल लतीफ, शि. ल. करंदीकर और स. का. पाटील के भाषणों के बाद भाई अनंतराव चित्रे का भाषण हुआ।

106

*ऐसे भगवानों की पूजा क्यों करें?

बांद्रा, मुंबई के मुनिसिपल हॉल में 28 अगस्त, 1937 को डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में अस्पृश्य वर्ग की बड़ी सार्वजनिक सभा हुई जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए –

पहला प्रस्ताव – मुम्बई इलाका महार परिषद के प्रस्ताव के अनुसार हमारे भाई–बहन हिन्दू धर्म के त्यौहार व्रत आदि धार्मिक विधियों और उपवास आदि धार्मिक आचारों का पालन ना करें।

दूसरा प्रस्ताव – ब्रांदा म्युनिसिपालिटी में अस्पृश्य वर्ग के लिए एक जगह आरक्षित रखने के लिए में कलक्टर साहब के प्रति यह सभा धन्यवाद प्रकट करती है। हालांकि अस्पृश्यों की जनसंख्या के अनुपात में एक जगह नाकामी होने के कारण अधिक जगहें देने की विनती यह सभा कलक्टर साहब से करती है।

तीसरा प्रस्ताव – स्वतंत्र लेबर पार्टी के सदस्य बनने की विनती यह सभा जनता से करती है।

चौथा प्रस्ताव – श्री संभाजी तुकाराम गायकवाड के मानपत्र के लिए बांद्रा पंचायत से 25 रु. दिए जा रहे हैं। अन्य जगहों की पंचायतें भी इस काम में खुले हाथ से मदद दें।

इन प्रस्तावों पर श्री हु. तु. शिर्कि, स. भि. धोत्रे, अमरसिंह, शं त वडवलकर, ध. सो. जाधव, म. ग. जाधव, चां. ना. मोहिते, शां. अ. उपष्ठााम, ना. भि. असगोतकर, बांद्रे स्कूल बोर्ड मेंबर आदि के भाषण हुए।

उसके बाद डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर बोलने के लिए उठकर खड़े हुए। सूचना देते हुए वह बोले, आज की सभा नवास कर धर्मांतरण के बारे में मुंबई इलाका महार परिषद द्वारा किए गए प्रस्ताव की याद दिलाने के लिए है। इसलिए धर्मांतरण के बारे में अगर कोई कुछ पूछना चाहें तो अवश्य पूछें। जब कोई भी अपनी आशंकाएं पूछने के लिए उठा नहीं तब डॉ. बाबासाहेब ने अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा,

प्रिय बहनों और भाइयो,

---

*जनता : 4 सितम्बर, 1937

मैं इस सभा में आने वाला नहीं था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि यहां पुरानी पद्धति से चिपके रहने वाले कुछ लोग हैं। वे महार परिषद द्वारा पारित किए गए धर्मांतरण के प्रस्ताव को पूरी तरह से अमल में नहीं लाते। ऐसे लोगों के मन में उठने वाली आशंकाओं को दूर करने के लिए मैं यहां आया हूं। अपनी राय मैंने इससे पहले भी कई बार सुनाई है। उसे लेकर आपके मन में कोई शक नहीं होना चाहिए। 1935 में हुई मुंबई इलाका महार परिषद असल में महार जाति के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिख रखने जैसे हुई है। यह परिषद अपूर्व, प्रचंड और पूरी तरह से प्रतिनिधिक बनी है। सो ऐसी परिषद द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव असल में पूरी महार जाति को मानने चाहिए। महार जाति वे बहुसंख्य लोग उन्हें मानते भी हैं। हालांकि महार जाति के बहुत कम लोग हैं जो अभी भी पुरानी परंपरा से चिपके हुए हैं ऐसा मैंने सुना है। ऐसे लोगों से मैं यह कहना चाहता हूं कि अल्पमत के लोगों को हमेशा बहुमत के लोगों के अनुसार चलना पड़ता है। आज की काउंसिल का ही उदाहरण लीजिए। आज काउंसिल में काँग्रेस का बहुमत है सो जो कानून वे बनाते हैं उन्हें हमें मान्यता देनी ही पड़ती हैं। जाति के लिए मिट्टी खानी पड़ती है, ऐसी एक कहावत है। सो जाति अगर धर्मांतरण का निर्णय लेती है तो उसे मानना क्या हमारा कर्त्तव्य नहीं है?

कई कामों के लिए हमें जाति के पास ही जाना पड़ता है। सो जाति अगर कोई प्रस्ताव बनाती है तो उसे हम क्यों ना मानें? हिन्दु धर्म के अनुसार हम जिन धार्मिक तीन त्यौहारां को मानते थे उन्हें मनाना हमें बंद कर देना चाहिए। आज इन्हें छोड़ देने का कारण मैं बताने जा रहा हूं वह थोड़ा अलग है। हिन्दु धर्म के अनुसार जो विधि किए जाते हैं वे धर्म ही नहीं नीति के नजरिए से भी सही होते हैं। क्या इस पर भी हमें सोचना चाहिए। कुछ विधियां बिलकुल अजलूल होती हैं उदा लोग शंकर भगवान के नाम से सोमवार का व्रत रखते हैं और शंकर की पिंडी की कई तरीकों से पूजा करते हैं। लेकिन क्या कभी किसीने यह सोचा है कि असल में शंकर की पिंडी है क्या? वह और कुछ नहीं पुरुष-स्त्री की संभोग क्रिया की प्रतिमा है। ऐसी वीभत्स प्रतिमा की हम महिमा क्यों गाएं? सड़कों पर कुत्तों की तरह अगर नर-नारी वाहियात हरकतें करने लगें तो हम उनकी फूलों से पूजा करें या कि जूते से? तो फिर पार्वती-शंकर की इसी क्रिया की प्रतिमा यानी भगवान की वीभत्सता की क्या हमें पूजा करी चाहिए? गणपति के साथ भी यह बात है। गणपति की कथा यह है कि एक बार पार्वती नहा रही थी। तब शंकर कहीं और गया था। तब नहाते समय कोई व्यवधान ना आए इसलिए पार्वती ने अपने बदन का मैल उतार कर उससे रक्षणकर्त्ता गणपति को बनाया। सौ, मैल से उत्पन्न अमंगल को भगवान कैसे माना जाए? लेकिन हिन्दू धर्म के भगवान बड़े विचित्र हैं। इसीलिए ईमानदारी से मुझे लगता है कि उनकी पूजा नहीं की जानी चाहिए।

तीसरी बात है दतात्रेय की। अत्री ऋषि की पत्नी अनुसूया महान पतिव्रता है ऐसा नारद ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीन भगवानों की पत्नियों से कहा। अपने से अधिक पतिव्रता कोई हो यह उनसे देखा नहीं गया। तब इन तीनों महिलाओं ने अपने पतियों से कहा कि वे अनुसूया के पतिव्रत का हरण करें। और पत्नियों की बात मान कर ये तीन वीर इस काम को अंजाम देने निकल भी पड़े। वे तीनों अनुसूया के घर गए। उसके पति को कुछ काम बतलाकर बाहर भेजा। और खुद अनुसूया के साथ रहे। इस सहवास से अनुसूया के एक बच्चे को जन्म दिया। इस बालक का जनकत्व देने लिए उसके तीन सिरों की कल्पना की गई। वही ये दत्तात्रेय हैं। कई लोगों को लगता है कि धर्मांतरण की लहर अब थम चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है। धर्मांतरण होने वाला है। मैंने यह आंदोलन नहीं छोड़ा है यह ध्यान में रखें कई हिन्दु लोग मुझसे कहते हैं कि ''आपके धर्मान्तरण की कल्पना के कारण हमारी आंखें खुल चुकी हैं। हम अब चौकन्ने हो चुके हैं। आपके प्रांत हमारे कर्त्तव्यों में अब हम चूकेंगे नहीं। इसलिए धर्मांतरण का आन्दोलन आप अब रोक दीजिए। लेकिन अब तक मैंने जो कुछ कहा है उन्हें वजहों के लिए मैं यह आंदोलन रोकना नहीं चाहता। आप पूरी तरह सोचिए। दूसरा धर्म अगर स्वीकारना है तो पूरी तरह जांच-परख कर ही स्वीकारना होगा। उम्मीद करता हूं कि आगे से महार जाति के सभी लोग महार परिषद द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार ही पेश आएंगे।''

भाषण के बाद धन्यवाद समर्पण, फूलमाला, गुलदस्तों के अर्पण के बाद डॉ. अम्बेडकर की जयकार की ध्वनि के बीच सभा समाप्त हुई।

107

*कानून ऐसे बनवा लें कि बहुजन समाज के साथ अन्याय न हो

6 नवम्बर, 1937 को दिन मसूर जिला सातारा में सातारा जिला महार परिषद का 7वां अधिवेशन डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर डॉ. बाबासाहेब के स्वागत के लिए हजारों पुरुषों-महिलाओं का जनसमुदाय इक्ट्ठा हुआ था। परिषद शुरू होने से पहले मोटर से डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की दो मील तक ही शोभा यात्रा हुई। पाचगणी, दहिगांव और अन्य जगहों के समता सैनिक दलों ने जुलूस में बेहतरीन अनुशासन रखा था। डॉ. साहब के नाम की जयकार से पूरा वातावरण गूंज रहा था। स्पृश्य वर्ग के समाज बंधवों को यह अपूर्व और उत्साही वातावरण देखकर जरूर अचरज महसूस हुआ हो। जुलूस में अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के साथ-साथ स्वागताध्यक्ष मि. के. एस. सावंत, एमएलए गाड़ी में बैठे थे। उनके बाद वाली गाड़ी में विधायक श्री राजाराम भाउ भोले, एॅड. विनायकराव गडकरी, अण्णासाहब पोतनीस आदि नेता बैठे थे। शाम तीन बजे के आसपास यह जुलूस खास परिषद के लिए बनाए गए भव्य शामियाने में आए। डॉ. बाबासाहेब के दर्शन पाने के लिए लोगों के झुंड मंडप के प्रवेश द्वार की ओर आ रहे थे। इसलिए कुछ समय तक शामियाने के अन्दर व्यवस्था बनाए रखने में थोड़ी कठिनाई हुई। समता सैनिक दल की बेहतरीन व्यवस्था के कारण परिषद में पूरे समय बढ़िया व्यवस्था कायम रही।

स्वागत गीत के बाद परिपाटी के अनुसार डॉ. बाबासाहेब को अध्यक्ष स्थान के लिए चुना गया। उस वक्त तालियों और जयकार की प्रचंड ध्वनि हुई। उसके बाद स्वागताध्यक्ष मि. खंडेराव एस. सावंत का भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का परिचय देते हुए कहा, ''कई हुए, कई हैं, कई होंगे लेकिन इनके जैसा कोई नहीं'' डॉक्टर साहब के बारे में उनका वर्णन अत्युक्ति नहीं थी। इसके बाद डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का भाज़ण हुआ। उन्होंने कहा,

बहनों और भाइयों,

मसूर गांव का नाम सुनते ही मुझे बचपन की अस्पृश्यता से सबंधित झेलनी पड़ी सभी कड़वी बातें याद आती हैं और आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस गांव में आज मैं 35 वर्षों के बाद आया हूं। इस ओर गोरेगांव में जब तालाब बनाया था तब

*जनता : 13 और 20 नवम्बर, 1937

उस काम पर मेरे पिता कैशियर के पद पर काम कर रहे थे। मैं, मेरे दो भाई और मेरी बहन का बेटा हम चार लोग पढ़ाई के सिलसिले में सातारा में रह रहे थे। तब मेरी मां गुजर गई थी। हम सबका पिताजी के एक परिचित जो हमारे पड़ोस में रहते थे, ध्यान रखा करते थे। गर्मी की छुट्टियों में पिताजी ने हमें गोरेगांव बुलाया। हमारे आने की खबर देने वाला खत पहले हमने एक हमाल के हाथों भेजा था। रेल से वहां पहुंचने में हमें बड़ा मजा आया। क्योंकि उससे पहले इंजन के सहारे यह गाड़ी कैसे चलती है यह हमने नहीं देखा था। सो हमने बड़ी आतुरता से यात्रा की। यात्रा के लिए नए कपड़े, जर वाली टोपियां आदि खरीद कर हम सातारा से पाडली स्टेशन पर गाडी में बैठ गए। वहां से मसूर तक की यात्रा बड़े मजे में बीती। मसूर पहुंचे तो यह देखकर अजरज हुआ कि कोई हमें लेने नहीं आया था। दोपहर 4 बजे से रात 7 बजने तक हम मसूर स्टेशन पर बैठे रहे। हमें इस प्रकार बैठा देख कर स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछ-ताछ की। हमने अपनी जाति बताई तो वह जैसे बिदक गए। आखिर बड़ी मुश्किल से उनहोंने गोरेगांव पहुंचने के लिए हमारे लिए गाड़ी का प्रवेश करवा दिया। लेकिन गाड़ीवान को हमारी जात बताते हुए वह भी चमक गया। महारों के बच्चे हैं सोच कर वह हमें ले जाने के लिए अनाकानी करने लगा। आखिर हमारे भाई ने एक रास्ता निकाला। हम गाड़ी ख़ुद चलाएंगे और गाड़ीवान साथ चलेग। साथ ही गाड़ीवान को तय किराए से एक रुपया अतिरिक्त देंगे। इस प्रकार बातें तय होने के बाद गाड़ीवान ने गाड़ी में बैल जोड़े। और हम गाड़ी चलाने लगे। आगे मसूर गांव के नाले के पास गाड़ी रोकी। हमें बहुत प्यास लगी थी। कहां का पानी पिएं यह जब हमने गाड़ीवाले से पूछा तो उसने गोबर से भरे एक गड्ढे की ओर इशारा किया। वहां का दुर्गंधयुक्त पानी पीना असंभव था। हमें प्यास बहुत लगी थी, लेकिन गंदे पानी के कारण हमें प्यासा ही रहना पड़ा था। हम आगे बढ़े। रात हो चुकी थी। प्यास और भूख से हम परेशान थे। स्पृश्यों के नालों पर पानी पीना या पानी मांगना हमारे लिए मना था। मध्यरात्रि के आस-पास हम टोल नाके पर पहुंचे। वहां भी महार जाति के हैं इसलिए पानी नहीं मिला। आखिर ऐसी ही तड़पती हालत में हम गोरेगांव पहुंचे। पिताजी ने हमसे पूछा कि इस तरह बिना पूछे क्यों आए? उससे पता चलता कि हमारा भेजा खत उन तक पहुंचा नहीं था। हमारी हालत देखकर उनका दिल हलक में आया। इस यात्रा से हमें जीवन में पहली बार पता चला कि हम 'अस्पृश्य' हैं, हमें कम, निम्न माना जाता है, हमारे पनघट गलिच्छ जगहों पर होते हैं, स्पृश्य लोग हमसे छुआछूत मानते हैं। मेरे बाता मन पर इस घटना ने गहरा असर डाला। आज हजारों लोगों के सामने यह घटना बतानी पड़ेगी यह तो हमने सोचा भी नहीं था। खैर सो!

आज हम सब यहां स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना करने आएं है। हमारी पार्टी के कार्यक्रम की जानकारी आप सभी को है। हिन्दुस्तान पर लदे नए सुधारों में बहुत खामियां

हैं इसलिए एक जिम्मेदार स्वराज देने में वह असमर्थ है। प्रांतीय प्रशासन की कई घटनाएं खासकर सेकेंड चेंबर की घटना हमारी पार्टी को आपत्तिजनक लगती है। हालांकि इन नए सुधारों पर अमल करने में कोई हर्ज नहीं है। हालांकि जिम्मेदार स्वराज का स्वरूप निष्प्रभावी करने वाले जो विशेष और अनियंत्रित अधिकार गवर्नर को मिले हैं उनका इस्तेमाल इस दरमियान न किया जाए इस बारे में स्वतंत्र लेबर पार्टी जागरूक रहेगी। इसी प्रकार हमारे पक्ष का संकल्प है कि अस्पृश्य बंधु, मजदूर और किसानों के बीच रिश्ते कैसे ठीक किए जा सकते हैं इस बारे में सोचते हुए मेहनतकश लोगों के लिए विधायक कार्य किए जाएं। आप जातने हैं कि मिलों में काम करने वाले मजदूरों के बीच स्पृश्य और अस्पृश्य का स्पष्ट भेदभाव है। स्पृश मजदूर को कपड़ा विभाग में काम मिलता है और वह जॉबर का पद पाने तक उन्नति कर सकता है लेकिन भले लायक हो लेकिन अस्पृश्य मजदूर को कपड़ा विभाग में काम नहीं मिलता। वह तेल वाले काम तक ही सीमित रहता है। मजदूरों की हालत कष्टों से भरी और बुरे हाल है स्पृश्य मजदूरों की दरिद्रता मालिकों के कारण बनी है लेकिन अस्पृश्य मजदूरों की दरिद्रता के लिए मालिक के साथ-साथ उनकी अस्पृश्यता भी जिम्मेदार है। दुख की बात यह है कि कांग्रेस और गैर-काँग्रेसी नेता इस बात को जान-बूझकर नजरंदाज करते आए हैं। स्वतंत्र लेबर पार्टी के खिलाफ वातावरण बनाने की कोशिश के पीछे जो कई कारण हैं उनमें से ये भी एक कारण है। काँग्रेस या अन्य पार्टियों के मजदूर नेता आज इस बात की कोशिश नहीं कर पाते कि जाति या वर्ग भेद के कारण उनकी काबिलियत पर कोई आंच आए उनकी उन्नति का मार्ग अवरूद्ध न हो। क्योंकि काँग्रेस के नेता आज पूंजीपतियों के चंगुल में फंसे होने के कारण उनसे गरीब किसानों और मजदूरों का भला नहीं हो सकता। काँग्रेस घोषणा करती है कि वह पूंजीपतियों का कल्याण करेगी और गरिबों का भी कल्याण करेगी। एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकतीं। ऐसी हालत में मेहनत करने लोग काँग्रेस के भरोसे नहीं रह सकते। कांग्रेस के पंचप्राण महात्मा गांधी के मन में क्या है यह मैं जानता हूं। जितना उनके मंसूबों के बारे में मैं जानता हूं उतना आप नहीं जानते। मेरा और उनका जितना परिचय है उसके आधार पर कहता हूं कि महात्माजी आपका कल्याण नहीं कर सकते। इस बारे में उनकी और हमारी राहें बिल्कुल अलग हैं। जिसे रोटी चाहिए उसे मंदिर देकर क्या फायदा? पिछली गोलमेज परिषद में अस्पृश्यों को लेकर बड़ा मसला हुआ था। ब्यूरोक्रसी से सत्ता लेकर उसे बहुजन समाज को सौंपते हुए उसका कुछ अस्पृश्यों को दें ऐसा सभी का कहना था। लेकिन तब ये महात्मा अस्पृश्यों के हकों के खिलाफ गए। हालांकि मुसलमानों, ईसाई आदि अल्पसंख्यकों को वह सत्ता का कुछ हिस्सा देने के लिए तैयार थे। ऐसे कठिन हालात में हिन्दुओं के इस महान नेता के साथ अपने अलग हकों के लिए हमें लड़ना पड़ा। अस्पृश्यों के कल्याणकर्त्ता

कहलाने वाले हिन्दुस्तान के इस महात्मा को हमारे खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। वे अगर हमारे असली कल्याणकर्त्ता होते तो उनसे विवाद करने में मुझे अपनी शक्ति नहीं खर्चनी पड़ती।

स्वराज के लिए महात्माजी को तुरंत एक करोड़ रुपये देने वाले स्पृश्य लोग अस्पृश्यता निवारण के लिए पांच-छह लाख का चंदा क्यों नहीं दे सकते? इसी बात से पता चलता है कि स्पृश्य समाज को अस्पृश्यता नष्ट करने में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है। जब. रदस्ती का ओढा यह गांधी जी का आन्दोलन हमारी उन्नति कैसे हासिल करेगी? आपकी अस्पृश्यता, आप पर होने वाले जोर-जुल्म, आपके होने वाले सामाजिक कष्ट, आपकी मान, हानि, दरिद्रता ये लोग कैसे नष्ट करने वाले हैं? सच पूछो तो स्पृश्य हिन्दू दिखाऊ काम करने में बड़े माहिर हैं। वे बड़ी शिद्दत से अंदर ही अंदर आपके जीवन में कांटे बोने की कोशिशों में लगे रहते हैं। अमीर, साहूकार, जमींदार, पूंजीपति आपका आर्थिक जीवन कष्टमय बना रहे हैं। तो दूसरी तरफ बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेस सीना ठोक कर अपने को स्पृश्यों, गरीबों, दीन-हीन-पीड़ितों की कल्याणकारी बता रही है। इन सब बातों पर गौर करने के बाद लगता है कि अगर काँग्रेस हमारा कल्याण करने वाली संस्था होती तो मैं बड़ी खुशी के साथ उसमें शामिल होता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि काँग्रेस हमारे समाज का, मजदूरों का या किसानों और गरीबों का कल्याण करेगी इसीलिए मैंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की है।

अंग्रेज हो सकता है इस देश से चले जाएं लेकिन गरीब जनता को ठग कर उसका खून चूसने वाला धनवान पूंजीपतियों का जो वर्ग है वह कभी नहीं जाएगा। वह काँग्रेस में शामिल हो गया है। काँग्रेस में शामिल होने से उसकी खून चूसने वाली मानसिकता बदले वाली नहीं। अंट-शंट ब्याज लेने की उनकी पैशाचिक वासना नष्ट नहीं होने वाली। गरीबों के घरों पर हल चलाने वाली उनकी बुद्धि नष्ट नहीं होने वाली।

लगता था कि मुंबई इलाके के गैर-ब्राह्मण पक्ष गरीबों के लिए कुछ काम करेंगे। कुछ समय तक यह सोच कर गर्व भी महसूस होता रहा। लेकिन आखिर अनुशासन और संगठन के अभाव में तथा बहती गंगा में हाथ धो लेने, अपना उल्लू सीधा करने की मानसिकता के कारण इस पार्टी की सारी ताकत खत्म हो गई है। श्रेष्ठ कहलाने वाले ब्राह्मण समाज की मगरूर नीति को नेस्तानाबूत करने का उनका इरादा कहीं का कहीं मिट गया। एक ताकतवर पार्टी का आज का यह हाल गौर करने लायक है। इसलिए हम में से हर किसी को अपनी पार्टी के साथ पूरी ईमानदारी बरतनी चाहिए। अपने नेता की आज्ञा को सिर-आंखों पर रखना चाहिए। पार्टी के कार्यक्रम में विश्वास रखते हुए बिना दगलबाजी के उस पर अमल करने की पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। अपना स्वार्थ त्याग देना चाहिए। अपने पक्ष के लिए कुछ मुश्किलें उठानी पड़ें तो उठानी चाहिए। अनुशासन

के साथ पूरा काम करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसीलिए स्वतंत्र लेबर पार्टी में शामिल होने वालों को इन सभी बातों पर गौर करना चाहिए।

आज एसेंब्ली में हमारे प्रतिनिधियों की संख्या कम होने के बावजूद एसेंब्ली के अन्य पक्षों को हमारे पार्टी से डर लगता है। क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि जन–कल्याण के जिन कार्यक्रमों को हमने बनाया है उन्हें पूरा करने की हम पूरी–कोशिश करेंगे। बहुजन समाज को सुख मिले, उनके साथ अन्याय नहीं हो ऐसे कानून सत्ताधारी पार्टी से बनवाने चाहिए। अभी हमें जो भी राजनीतिक अधिकार मिले हैं उन पर संतोष करते हुए हमें ज्यादा हलों के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। कोतवाल, दारोगा, तहसीलदार, सर्कल इंस्पेक्टर, पटवारी आदि के हाथ में सत्ता नहीं है। जिस प्रकार महार सरकारी नौकर होते हैं इसी प्रकार वे भी सरकारी नौकर हैं। असली सत्ता लोगों के यानी काऊसिल के हाथों में है। इसीलिए आपको सरकारी नौकरों से नहीं डरना चाहिए। उनके कारण या किसी और के कारण अगर आपको तकलीफ हो, परेशानी हो तो आपकी शिकायतें, दुख दूर करने के लिए, आप पर ढाए जाने वाले जुल्मों को सार्वजनिक करने तथा उन्हें खत्म करने की स्वतंत्र लेबर पार्टी कोशिश करेगी इसका मैं आपको आश्वासन देता हूं। स्वतंत्र लेबर पार्टी की हर जिले में शाखा स्थापन होने वाली है। मेरा बचपन और प्राथमिक शिक्षा इस जिले में होने के कारण इस जिले में स्वतंत्र लेबर पार्टी की शाखा की स्थापना करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है।

108

*इंसान होकर भी क्या रोटी कमाने के लिए स्वाभिमान भुला दोगे?

7 नवम्बर, 1937 के दिन दौंड, जिला पुणे में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया था। पुणे जिले का यह हिस्सा बहुत पिछड़ा हुआ है। इसीलिए डॉ. अम्बेडकर ने वहां जाकर हालात का जायजा लिया। सो ठकुबाई रोकडे, लक्ष्मीबाई डिखले, भीमाबाई मचार, चिमाबाई सोनवणे, गोधाबाई, भागीरथी बाई रोकडे, जयाबाई भिंगारदिवे आदि महिलाओं ने डॉ. अम्बेडकर का पंचारती से आरती उतार कर स्वागत किया। उसके बाद सभा आरंभ हुई। पहले विधायक राजाराम भोले ने सबका स्वागत करते हुए डॉ. अम्बेडकर को अध्यक्ष पद स्वीकारने की विनति की। डॉ. भ. ाऊसाहब गडकरी ने उनके कथन का समर्थन किया।

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने अपने भाषण में कहा,

प्रिय बहनों और भाइयों,

मुझे लगा नहीं था कि यहां आकर मुझे अधिक बोलना नहीं पड़ेगा। आप लोगों से मुलाकात के बाद कार्यक्रम पूरा होगा ऐसा लगा था। लेकिन यहां के हालात देखकर मुझे दो शब्द बोलने पड़ रहे हैं। आज की सभा का मुख्य उद्देश्य है स्वतंत्र लेबर पार्टी की शाखा की स्थापना करना। हमारा यह पक्ष केवल अस्पृश्यों के लिए नहीं है। जो लोग मजदूरी कर पेट पालते हैं और जो किसान हैं उनके लिए खासकर इस पक्ष की स्थापना की गई है। अपने इस पक्ष की स्थापना होकर अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन पक्ष के कार्य का विस्तार बढ़ता जा रहा है। इसीसे इस पक्ष की आवश्यकता का अहसास होता है। कॉँग्रेस कभी मेहनतकश वर्ग का कल्याण नहीं करेगी। कॉँग्रेस केवल माया है। इस महामाया के जाल में फंस कर अपना अद्य:पतन होने नहीं देना। कोई भेड़िया जब भेड़ से कहे कि चलो, मैं तुम्हें स्वर्ग दिखाता हूं तो सयाने लोग जानते हैं कि वह भेड़ को स्वर्ग में ले जाने के बजाय राह में ही मौका पाकर खा जाएगा। इसलिए, आप समय रहते सावधान हो जाइए। सच क्या है और झूठ क्या है इसका अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर फैसला कीजिए। अपना हित साधने की अगर आपकी इच्छा है तो आज ही स्वतंत्र लेबर पार्टी के सदस्य बनें। हमारे अधिक से अधिक लोगों का विधिमंडल में जाना जरूरी है। वे ही हमारा उचित प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे हित के काम करेंगे।

*जनता : 20 नवम्बर,, 1937

इसी तरह कांग्रेस के लोग वतन की बात को लेकर आपको गलतफहमी में डालेंगे। गांवों में आपकी कम बस्तियां होती हैं। आपका उदरनिर्वाह वहां के स्पृश्यों की मर्जी पर निर्भर होता है। इसीलिए, आपको भगा देने के लिए पहले वे आपको असमंजस में डालेंगे। आप उनकी बातों में नहीं आना। दीवाली में महार महिला गांव के मुखिया की आरती उतारने जाएगी और कहेगी कि ''बली का राज्य आना चाहिए।'' असल में आज तक बलि के काफी राज्योपभोग किया है। इसलिए क्यों न पाटील की पत्नी आकर महार की आरती उतारे? दशहरे के दिन महार आपटा (वृक्ष, जिसके पत्ते देकर दशहरे में एक-दूसरे के लिए संपन्नता की प्रार्थना की जाती है) ले आए और पाटील उसे लुटाए। क्यों न पाटील आपटा ले आए? पंचायत आदि के कामों की सूचना देकर लोगों को बुलाने के लिए महारों को भेजा जाता है लेकिन महार को पंचायत में बैठने का अधिकार नहीं, क्यों? मृत्यु की सूचना पोस्ट या तार के जरिए न भेजकर महार को उसके लिए क्यों दौड़ाया जाता है? आज तक मैंने केवल दो बातों को लेकर हिदायतें दी हैं- (1) मृत प्राणियों का मांस न खाना, (2) जूठन नहीं खाना। रोटी मांग कर ले आने की प्रथा के मैं खिलाफ हूं। औरों की तरह ही हम भी इंसान हैं फिर रोटी के लिए हम स्वाभिमान शून्य कैसे बनें?

ऐसे हालत में मैं आपको यह सलाह कैसे दे सकता हूं कि आप लोगों से रोटी की भीख मांगो। यहां आई महिलाओं से मैं कहना चाहता हूं कि जन्म देने के बाद आप अपने बच्चों का ख्याल रखने, स्पृश्य समाज के बच्चों की तरह उन पर संस्कार कर पढ़ाई की ओर उनका ध्यान दिलाने के बजाय उनसे भीख क्यों मंगवाते फिरते हैं? आप इंसान हैं। स्पृश्य समाज के बच्चे पढ़-लिख कर नाम कमाते हैं, आप उनकी तरह अपने बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं दिलातीं? मेरे बताए अनुसार अगर यहां के लोग बरतने लगे तो मुझे खुशी होगी।

इस सभा में पुणे से आए मे. सूबेदार घाटगे बंधु, मधाले, अण्णा पोतनीस, डिखले बंधु, बोराले, पानसरे, गायकवाड, घोटके आदि कई लोग उपस्थित थे। सभा में- 1. महार वतन बिल को समर्थन; 2. लोकल बोर्ड के कुएं महारों की बस्ती के करीब बनवाना, 3. जमींदारी पद्धति खत्म करने वाले बिल को समर्थन; 4. मिलिट्री गोलाबारी के कारण महार लोगों को होने वाली तकलीफ दूर करें या उसके लिए उन्हें वेतन दिया जाए जैसे प्रस्ताव पारित किए गए। आखिर फूलमालाएं और गुलदस्ते देने के समारोह के बाद सभा बरखास्त हुई।

109

*मैंने जो कुछ कमाया है वह पूरे अस्पृश्य समाज के लिए है

रविवार दिनांक 7 नवम्बर, 1037 को रात 8 बजे भवानी पेठ, पुणे की भंगी बस्ती की अस्पृश्य समाज के इकलौते नेता डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने दौरा किया। मि. भोले, मे. खंडेराव सखाराम सावंत, मे. सूबेदार, आर. एस. घाटगे साहब, मे. रावजी दगडूजी डोलस, मे. के. गायकवाड मे. एस. थोरात, मे. शांताराम पोतनीस, मे. के. आर. मधाले, मे. एस. गायकवाड आदि प्रमुख लोग इस अवसर पर उपस्थित थे। महार, मांग, भंगी जनसमुदाय भी बड़ी संख्या में उपस्थित था। डॉ. बाबासाहेब की गाड़ी आते ही जय-जयकार के साथ उनका स्वागत किया गया। पहले, भंगी समाज के मशहूर गायक कासम युसूफ ज्ञानज्योत ने साथियों के साथ मधुर संगीत प्रस्तुत किया। उसके बाद भंगी समाज के युवा कार्यकर्त्ता में विट्ठलदास अलीभाई चव्हाण ने भंगी समाज की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी दी। फ्लशिंग शौचालयों के कारण पैदा हुई बेकारी के बारे में डॉ. अम्बेडकर को बताया। उसके बाद भंगी समाज की ओर से डॉ. अम्बेडकर के स्वागत में उन्हें पुष्पमलाएं अर्पण की गईं। उनके बाद हरिजन हितचिंतक मंडल द्वारा चलाए जा रहे मुफ्त पुस्तकालय की ओर से मंडल के संयुक्त सचिव मे. किसन तुकाराम भोसले ने मंडल और पुस्तकालय की जानकारी दी और पुस्तकालय की ओर से डॉ. अम्बेडकर को पुष्पहार अर्पण किया।

इसके बाद डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने अपनी अमृतमय वाणी से वहां इक्ट्ठा लोगों को तृप्त किया। उन्होंने कहा, ''मैंने जो भी कमाया है वह केवल महारों के लिए नहीं है, वह समूचे अस्पृश्य समाज के लिए है। जिस प्रकार हम ब्राह्मणों के साथ मिल-जुलकर बरतते हैं उसी प्रकार महार भंगी और मांगों के साथ मिल-जुलकर पेश आएं। वरना मैं महारों के लिए कुछ नहीं करूंगा। साथ ही, भंगी समाज जैसे कहेगा वही मैं करूंगा।''

*जनता : 20 नवम्बर, 1937

110

*अपने अस्तित्व को स्वतंत्र रखे बगैर दुख व्यक्त नहीं किया जा सकता

मद्रास के बहिष्कृत समाज आदि द्रविड़ समाज की बस्ती मुम्बई के सायन के धारावी हिस्से में हैं। उस हिस्से में चमड़ी पर प्रक्रिया करने या चमड़ी पकाने, कमाने के जो कारखाने हैं उसमें वे मजदूर के तौर पर काम करते हैं। इस समाज के कुछ युवक 'आदि-द्रविड़ युवक संघ' नाम की एक संस्था चलाई है। इस संस्था की ओर से रविवार की 14 नवम्बर, 1937 को माटुंगा के बपू हॉल में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में श्री कमलकांत चित्रे, श्री शांताराम उपशाम और डी. वी. प्रधान आदि लोग आमंत्रित मेहमान के तौर पर उपस्थित थे। सभा की शुरूआत में आदि-द्रविड़ समाज से डॉ. बाबासाहेब को मानपत्र अर्पण किया गया और बाद में संस्था के कुछ मामूली काम निपटाए गए।

मानपत्र स्वीकारते हुए डॉ. बाबासाहेब ने भाषण दिया। उन्होंने कहा,

प्रिय बहनों और भाइयों,

मानपत्र देकर आपने जो मेरा गौरव किया है उसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। आप सब लोग मद्रास प्रांत से मुम्बई में काम करने आए हैं। अपने गांव आप आते-जाते रहते हैं। अपने प्रांत के अन्य लोगों से जब भी आपकी मुलाकात होती है तब आप उन्हों एक बात समझाइए। अब जो नया संविधान आया है उसमें अस्पृश्य वर्ग को जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए हैं वे अभूतपूर्व हैं। अब से पहले अपने बारे में कभी ऐसी बात नहें हुई थी। जो अधिकार मिले हैं उनका उपयोग अगर अस्पृश्य भाई-बहनों के हित में नहीं हुआ तो उनका मिलना न मिलना एक समान। अन्य किसी प्रांत से मद्रास प्रांत के बहिष्कृत वर्ग को अधिक जगहें मिली हैं। साथ ही, यह भी कहना पड़ेगा कि अन्य किसी प्रांत से आपके प्रांत के अस्पृश्य वर्ग के दुख अधिक हैं। ऐसी स्थितियों में आपको मिले राजनीतिक अधिकारों का क्या आपने उचित इस्तेमाल किया है? इस प्रश्न के जवाब में बड़े कष्ट के साथ रहना पड़ेगा कि नहीं, आप अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने से चूक गए हैं। 30 में से केवल कुछेक अपवादों को छोड़ कर अन्य सभी प्रतिनिधि कॉंग्रेस में तदाकार हो गए हैं।

---

*जनता : 20 नवम्बर, 1937

परिणामस्वरूप उस प्रांत के अस्पृश्य वर्ग की शिकायतों को गौण स्थान प्राप्त हुआ है। आपको अस्पृश्य कहने वाले और आप पर जुल्म करने वाले हिन्दू हैं और काँग्रेस समूची हिन्दू लोगों से ही व्याप्त है। उन्हीं के साथ अस्पृश्य वर्ग अगर मिल जाए तो सोचो कि आपकी शिकायतें कैसे हल होंगी? काँग्रेस में शामिल हुए अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधि पदासीन कांग्रेस मंत्रीमंडल से किसी भी शिकायत के बारे में पक्ष के अनुशासन के तहत विधिमंडल में सवाल नहीं पूछ सकते। उन शिकायतों के बारे में हल्ला मचाकर उन शिकायतों का निवारण करने के लिए मंत्रीमंडल को मजबूर करना तो दूर की बात हुई। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप पर जुल्म करने वाले हिन्दू यानी काँग्रेस पर अगर आपका इतना भरोसा है तो आपको अपने अलग अस्तित्व की जरूरत ही क्या है? कल को कोई आपसे यह सवाल भी पूछ सकता है कि आपको विशेष राजनीतिक अधिकारों की आवश्यकता ही क्यों है? सो, अस्पृश्य वर्ग का अगर कहीं हित है तो वह अलग रह कर अस्पृश्यों के दावों को समय-समय पर वाचा देने में है, न कि काँग्रेस में एकाकार हो जाने में। इसके बगैर अस्पृश्य वर्ग को इन अत्याचारों से मुक्ति नहीं मिलेगी। उसकी उन्नति नहीं होगी। एक बार फिर आदि-द्रविड़ संघ को धन्यवाद देते हुए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने अपना भाज़ण पूरा किया। उसके बाद मद्रास के अस्पृश्यों के एक नेता श्री दिब श्रीनिवासन का भाषण हुआ।

मेघवाल
युरोपियन
रशियन
रामोशी
लिंगायत
लुहार
वाणी

वेठिया
वैश्य
सिक्ख
शूद्र
हरिजन
हिन्दू
क्षत्रिय

111

*नेताओं की मृत्यु के बाद भी समाजकार्य निरंतर चिरकाल तक चलता रहे

13 नवम्बर, 1937 को 'जनता' में दी गई सूचना के अनुसार शनिवार दिनांक 20 नवम्बर, 1937 के दिन रात 8 बजे वडाला, मुम्बई में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें श्री भाऊराव गायकवाड को मानपत्र देकर सम्मानित किया जाने वाला था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने की थी। इस अवसर पर श्री शंकरराव वडवलकर ने श्री भाऊसाहब गायकवाड के कार्य का संक्षिप्त सिंहावलोकन प्रस्तुत किया। उसके बाद श्री भाऊसाहब गायकवाड ने मानपत्र का जवाब देते हुए भाषण किया।

उनके भाषण के बाद मानपत्र अर्पण समारोह के अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का भाषण हुआ। उन्होंने भाषण में कहा,

''आज के इस अवसर पर उपस्थित रह पाया इसलिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। इसीलिए इस सामारोह का आयोजन करने के लिए यहां के चालक सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं। अक्सर आंदोलनों की लो चमकाने के लिए जिन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है वह उस तरह का कार्यक्रम नहीं है। एक सम्मानीय व्यक्ति का अभिनंदन करने के लिए इस सभा का आयोजन किया गया है और इसका महत्व भी उतना ही बड़ा है। श्री भाऊसाहब कितने बड़े हैं यह अलग से बताने की जरूरत नहीं है। आज के मानपत्र की भाषा उन्हें अत्युक्ति भरी लगती है लेकिन मेरी राय में वह अत्युक्ति भरी नहीं है। भाऊराव का योगदान अनमोल है। मुझे इस वक्त इस बात का बुरा लग रहा है कि मानपत्र अर्पण का यह समारोह वडाला के निवासियों की ओर से न होकर कुछ अन्य लोगों की ओर से आयोजित किया जा रहा है। दूसरी बात यह कि, यह समारोह पूरे मुम्बई इलाके की ओर से कम से कम मुम्बई शहर की ओर से आयोजित किया जाना चाहिए था। जो हो, यह कार्यक्रम होना जरूरी था और मैं अध्यक्ष पद स्वीकारने की विनीति को मना नहीं कर सका। पिछले दस वर्षो में हमारे समाज की जो उन्नति हुई है उसके बारे में मैं जब शांतिपूर्वक सोचता हू तब मेरे मन में बार-बार दो विचार गूंजते रहते हैं- गांधी जी जैसे पुरुष के साथ झगड़ने में सफलता पाकर हमें राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए और हमें राजनीति में समानता का दर्जा मिला। ब्राह्मणों, क्षत्रियों के

*जनता : 27 नवम्बर, 1937

साथ विधिमंडल में बैठने का, उनके साथ सोच-विचार करने का मौका हमें मिला। यह सब प्राप्त करने के लिए मैं केवल निमित्त मात्र था ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, श्री भाऊराव गायकवाड जैसों की सहायता ना मिलती तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। आज जनता मुझे अपने जिन कामों के लिए धन्यवाद दे रही है उनमें से 80 प्रतिशत हिस्सा श्री गायकवाड का है। यहां इस बात को दर्ज करने में मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। ऐसे सभी तरह से लायक नेता का आज यहां मानपत्र देकर जो सम्मान किया जा रहा है वह मेरी नजर में योग्य और अपूर्व है।

इस अवसर पर हमारे आंदोलन के बारे में दो शब्द बताने में कोई हर्ज नहीं ऐसा मुझे लगता है। हिन्दुस्तान में राष्ट्रीय काँग्रेस को बड़ी मजबूत संस्था माना जाता है। इसके बावजूद मैंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना क्यों की? इसकी एक ही वजह है और वह यह है कि काँग्रेस में पूंजीपतियों की संख्या काफी है। वे अपना हित करवाने की जगह गरीबों का, कामगार का और किसानों का हित कभी नहीं कराएंगे। इसी प्रकार कामगारों में एक और पक्ष निर्माण हुआ है। इन लाल झंडे वालों के आंदोलन से श्रमिकों का आज के हालात में हित होगा या नहीं इस बारे में मुझे शक हैं इसीलिए हमें नए स्वतंत्र लेबर पक्ष की स्थापना करनी पड़ी। पिछले मुम्बई प्रांत के एसेंब्ली चुनावों में हमारी पार्टी की ओर से नासिक जिले से श्री भाऊराव गायकवाड को हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवार चुना था और उन्होंने काँग्रेस को टक्कर दी थी। इस चुनाव में काँग्रेस का उम्मीदवार जीता लेकिन दोनों उम्मीदवारों की मत संख्या में केवल 250 का अंतर था। काँग्रेस के उम्मीदवार को 16900 मत मिले थे और भाऊराव को 16650 मत मिले थे। लेकिन मेरी राय में यह गलत हिसाब है। क्योंकि हममें से एक व्यक्ति ऐन समय पर फिर गया। इस अवसर पर उसका नाम लेना भी मुझे गंवारा नहीं। उसे 4000 मत मिले। इस प्रकार अगर हमारे मत विभाजित नहीं होते तो श्री भाऊराव गायकवाड कांग्रेस के उम्मीदवार को 3750 मतों से हराते। इसी से भाऊराव की काबिलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। बताने में मुझे खुशी है कि विधिमंडल के लिए चुने गए सभी लोग काबिल हैं और विधिमंडल में लोगों को मन में जिनके प्रति आदर भावना है उनमें से एक श्री भाऊराव भी हैं।

हमने जिस स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की है उसकी आप में से हरेक को सहायता लेनी चाहिए। मैं चुनौती देकर कह सकता हूं कि मैंने राजनीति के बारे में बेहतर अध्ययन किया है। इसी अध्ययन के आधर पर मैंने स्वतंत्र लेबर पार्टी का कार्यक्रम तय किया है। इस कार्यक्रम के बारे में जिनके मन में आशंका हो वे मेरे यहां आएं। मैं उनके सारे शक दूर करूंगा। लेकिन इसके बजाय लोगों को गलत-सही जानकारी देने वाला व्यक्ति लफंगा ही होगा। खैर, काँग्रेस विश्वमित्र की माया है। मुक्तेश्वर ने माया का

जो वर्णन किया है उसमें सांप–नेवले में मित्रता होती है, चूहा बिल्ली का दूध पी रहा है, सिंह और हाथी भाई–भाई की तरह रहते थे आदि वर्णन है। वास्तव में दुनिया में हकीकत में इन बातों पर कहां तक भरोसा किया जा सकता है? काँग्रेस के साथ यही बात है। समाज की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसके प्रमुख नेता अगर गुजर भी जाते हैं तो भी सामाजिक कार्य निरंतर चलते रहना चाहिए। इस तरह की कार्ययोजना हो तभी वह पक्ष या वह समाज दुनिया में वैभवशाली बनेगा।

डॉ. बाबासाहेब का भाषण पूरा होने के बाद उन्हें और श्री भाऊराव को कई संस्थाओं की ओर से फूलमालाएं अर्पण की गई। इस अवसर पर प्रि. दोंदे, राउ आर. डी. कवली, मैंचेस्टर मिल के मैनेजर हेमीसाहब, कास्टीलसाहब, द. वि. प्रधान, भा. र. कडेकर, देवराव नाईक, वडवलकर, कमलाकांत चित्रे, उपशाम मास्टर, श्री मडकेबुवा, निले, गायकवाड, रामजी बोरीकर, श्री कोतवाल, आरोलकर आदि प्रमुख लोग उपस्थित थे। धन्यवाद अर्पण के बाद मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम पेश किए गए। और उसके बाद सभा समाप्त हुई।

112

*जातिभेद के कारण ही अस्पृश्य समाज में एका नहीं है

गुरवार 30 दिसम्बर, 1937 के दिन रात 10 बजे मद्रास मेल से डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर बोरीबंदर स्टेशन से सोलापुर जिले के दौरे पर निकले। नासिक के विधायक भाऊराव गायकवाड और श्री कमलाकांत चित्रे भी उनके साथ थे। रास्ते में, दादर स्टेशन पर परिषद में उपस्थित रहने के लिए नासिक से आए रामा पाल आदि लोग (भंगी समाज के नेता) उनसे आकर मिले। दादर स्टेशन पर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को फूलमालाएं अर्पण की गईं। आगे पुणे स्टेशन पर सातारा के विधायक श्री खंडेराव सावंत गाड़ी में आकर बैठे। दौंड स्टेशन पर विधायक श्री प्रभाकर रोहम और नगर के अन्य लोग दौरे में शामिल हुए।

सोलापुर जिला परिषद पंढरपुर में होनी थी। परिषद में हिस्सा लेने के लिए डॉ. बाबासाहेब तथा उनके साथ आने वाले अन्य लोग शुक्रवार दिनांक 31 दिसम्बर, 1937 के तड़के साढ़े पांच बजे के करीब कुर्डुवाड़ी स्टेशन में दाखिल हुए थे। स्टेशन पर परिषद के स्वागतध्यक्ष विधायक श्री जीवाप्पा ऐदाले डॉ. बाबासाहेब के स्वागत के लिए उपस्थित थे। उन्होंने तथा वहां उपस्थित अन्य लोगों ने डॉ. बाबासाहेब का प्रेमपूर्वक स्वागत कर उन्हें फूलमालाएं अर्पण कीं।

कुर्डुवाड़ी स्टेशन का प्लेटफार्म लोगों से उमड़ पड़ा था। इस स्टेशन के रेल अधिकारियों का बर्ताव लेकिन, गुस्सा दिलाने वाला था। दुख के साथ कहना पड़ेगा कि गरीब जनता का उत्साह और डॉ. बाबासाहेब की लोकप्रियता में दिनोंदिन आती बढ़ोत्तरी उनसे बर्दास्त नहीं हो रही थी। डॉक्टर साहब के दर्शन करने आए उत्साह के मारे लोग बिना टिकट प्लेटफार्म पर आ गए थे। उन सभी से उन्होंने दौंड स्टेशन से बनने वाले टिकट का दुगुना पैसा मांगा था, लेकिन वहां इक्ट्ठा हुए निर्धन लोग इतना पैसा कहां से लाएं? आखिर स्टेशन मास्टर की मध्यस्थता से यह मसला जैसे-तैसे ठंडा हुआ। और वहां अटके पड़े लोगों की छुट्टी हुई।

यहां जानबूझ कर इस प्रसंग का जिक्र छेड़ने के पीछे जो कारण है उसे हमारे अन्य लोगों को भी ध्यान में रखना है। अस्पृश्यों का आन्दोलन साधारणतः बहुजन समाज की आंखों में चुभता रहता है। इसीलिए किसी से भी, किसी भी तरह की छोटी-सी सहायता तक मिलने की उम्मीद बिना रखे उन्हें बरतना होगा। वरना अपमानकारी घटनाएं होंगी।

कुर्डुवाड़ी में डॉक्टर साहब के लिए स्पेशल गाड़ी की व्यवस्था की गई थी। अन्य मेहमान और स्वयंसेवकों के लिए एक स्पेशल बस रखी गई थी। ये दोनों गाड़ियां पौ

---

*जनता : 8 जनवरी, 1938, 1937

फटने के आसपास पंढरपुर की राह पर चलीं। रास्ते में माढे तालुका के वातले गांव में गांववालों की ओर से डॉ. बाबासाहेब को और अन्य विधायकों को फूलमालाएं पहनाई गईं। आगे कर्कम गांव के पास गाडी आते ही गांव का अस्पृश्य समाज और स्वयंसेवक दल बाजे-गाजे के साथ डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के स्वागत के लिए उपस्थित हुए। सभी लोगों का वहां एक छोटा जुलूस ही बना। गांव में मातंग और महार समाज ने बाबासाहेब के स्वागत की तैयारी में मंडप बनाया था। कर्कम गांव से जुलूस निकल कर डॉ. साहब की मोटर और स्वयंसेवकों वाली बस बादलकोट फॉरेस्ट से बहती चंद्रभागा नदी के तीर वाली परती जमीनें देखने चले। गाड़ी में विधायक गायकवाड, ऐदाले, रोहम, सावंत और चित्रे आदि लोग थे। यह परती जमीन अस्पृश्य लोगों को रियायती दामों में मिले इसलिए विधायक ऐदाले सरकार में कोशिश कर रहे हैं। डॉ. बाबासाहेब प्रत्यक्ष रूप से जमीन देखें इसलिए श्री ऐदाले ने यह कार्यक्रम रखा था। परती जमीन तक पहुंचने के लिए 3 किमी. तक की पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। बाबासाहेब ने पैदल 3 किमी चल कर उस जगह को देखा। नदी के किनारे गांव वालों द्वारा लाया गया अल्पाहार ग्रहण किया और वह कर्कम गांव लौट आए। वहां महार समाज की ओर से खास तौर पर बनाए गए मंडप में उनका प्रेमपूर्वक स्वागत किया गया। उनसे दो शब्द कहने की विनति की गई। मातंग समाज द्वारा स्वागत के लिए जो मंडप बनाया है वहीं दो शब्द कहने की बात बता कर उन्होंने विधायक गायकवाड को दो शब्द बोलने की आज्ञा दी। तब भाऊसाहब गायकवाड ने संक्षेप में लेकिन समयोचित भाषण किया। उनके भाषण के बाद डॉ. बाबासाहेब ने वहां उपस्थित महिला एवं पुरुषों से स्वतंत्र लेबर पार्टी के सदस्य बनने के लिए कहा और उसके बाद वहां का कार्यक्रम समाप्त हुआ। उसके बाद सब लोग मातंग समाज द्वारा बनाए गए मंडप में चले गए। वहां महार एवं मातंग समाज द्वारा बनाए गए शामियाने में दाखिल हुए। वहां महार और मातंग समुदायों के लोग बड़ी संख्या में जुटे हुए थे।

वहां छोटा-सा भाषण देते हुए डॉ. बाबासाहेब ने कहा-

कल, यानी 1 जनवरी, 1938 को सोलापुर में मातंग समाज की एक परिषद होने वाली है। उस परिषद में मुझे आमंत्रित किया गया है। वहां मैं जिस विषय पर विस्तार से बोलने वाला हूं उसी विषय पर आज यहां मैं संक्षेप में बोलूंगा। यहां बोलने का उद्देश्य यह है कि आप में जैसे कुछ लोग उस परिषद में जाने वाले होंगे और कुछ लोग किन्हीं कारणवश वहां न जाने वाले भी होंगे। जो नहीं जाने वाले हैं उन्हें वहां किए जाने वाले भाषण का सार संक्षेप पता चले इसलिए आज मैं यहां अपनी बात बताने जा रहा हूं। पहली बात यह कि अस्पृश्यों में शामिल महार, चमार, भंगी आदि जो जातियां हैं उनमें एकता नहीं है यह हम सभी का दुर्भाग्य है। इस एक न होने का कारण हिन्दु समाज का जाति भेद ही है। जाति भेद के लिए महार, चमार, भंगी या मांग जिम्मेदार नहीं हैं। जातिभेद ऊपर से बह कर आई गटर गंगा है। हमारी तरफ बह कर आता नरक है। इसी कारण जाति भेद

के कड़वे फल और उनका बुरा असर हमें भुगतना पड़ रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हिन्दु लोग हमारा जाति भेद तो दूर करते ही नहीं हैं, उल्टे अस्पृश्यों के अज्ञान का फायदा लेते हुए उनके जाति भेदों का पक्का बनाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। मातंगों को महारों के खिलाफ भड़काते हैं। हममें अपनी भेदनीति फैलाना और हमारे बीच एका होने नहीं देना आदि वे करते हैं। जाति भेद फैलाने की जिम्मेदारी की जड़ भले हिन्दू धर्म में हो, हमें अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलनी चाहिए। हम अगर अपनी जिम्मेदारी भुलाते हैं तो वह हमारे लिए आत्मघातक सिद्ध होगा। हमारा कर्त्तव्य है कि हम आपसी जाति-भेदों को नष्ट करें और हमारे बीच भेद-नीति को फैलने ना दें। हम जब तक इस लक्ष्य को साध्य नहीं कर लेते तब तक हमारा भाग्योदय संभव नहीं हो सकता। महार और मांगों के बीच की रोटी बंदी, बेटी बंदी खत्म होनी चाहिए। हर जाति अगर अपने बारे में शेखी बघारने के लिए केवल अपनी जाति से ही चिपकी रहेगी तो महार, महार ही रहेगा और मातंग, मातंग ही रहेगा और हम पर होने वाले अत्याचार का हम विरोध नहीं कर पाएंगे। महार या मांग नाम में ऐसा क्या रखा है जिसके बारे में गर्व महसूस किया जाए। इन नामों से कौन-सी उज्ज्वल परंपरा आपके सामने साकार होती है जिसे बनाए रखने के लिए आप जी-जान लगा दें? पूरा समाज इन नामों को तुच्छ मानता है। कूड़ेदान के कचरे जितनी भी आपकी कीमत नहीं है। सो, इस नाम के बारे में मन में अभिमान ना रखते हुए, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि दोनों समाज एक ही सिल पर पिस रहे हैं। इसीलिए दोनों को मिल-जुल कर साथ में रहना चाहिए। इस बारे में अगर महार समाज के बारे में बताना हो तो वे कोई जाति-भेद मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मांग, चमार या भंगी लोगों के साथ रोटी या बेटी व्यवहार करने के लिए वे तैयार हैं। और अगर ये व्यवहार करने में महार हिचकिचा रहे हों तो उनसे ये बातें करवाने का जिम्मा मैं लेता हूं।

दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह यह है कि फिलहाल आपको काँग्रेस नामक, संस्था से दूर ही रहना होगा। इसके पीछे एक ही वजह है। वह यह कि काँग्रेस मायावी सृष्टि है। आप मुझे एक बात बताइए कि गांव का बनिया या साहूकार अपने सिर पर अगर चार आने की गांधी टोपी पहनेगा तो क्या उनकी सोच बदल जाएगी? अपने गरीब ग्राहकों से ब्याज उगाहे बगैर क्या वह रह पाएगा? आपकी गर्दन पर सवार होना वह छोड़ कैसे देगा? और आज काँग्रेस बता रही है कि वे बनियों का हित साधेगी। साहूकारों का भला करेगी। साथ में वह गरीबों की भी हितसाधना करेगी। बिल्ली और चूहे को वह एक जगह कैसे रखना चाहती है। बिल्ली के सामने चूहे को रख कर वे चूहे की जान कैसे बचाएंगे? यह सब आपको भी सोचना चाहिए। इसीलिए हमें अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। और ताकत बढ़ाना यानी आपही के हित के लिए बनी स्वतंत्र लेबर पार्टी का सदस्य बनना। आज मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं। इसके बाद डॉक्टरसाहब तथा अन्यों को फूलमालाएं और गुलदस्ते अर्पण किए गए चायपान के बाद सब पंढरपुर की तरफ आगे चले।

113

*जुल्म ढाने वालों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें

31 दिसम्बर, 1937 को कर्कम से पंढरपुर की ओर जाते हुए मोटरगाड़ी में विधायक विभिन्न विषयों पर अपने अलौकिक नेता के विचारों की अमृतधारा का पान कर रहे थे। थोड़ी ही देर में यानी दोपहर 12 बजे के आसपास चंद्रभागा नदी के इस पार गाड़ी पहुंची। यहां महिलाएं और पुरुषों का अपार समुदाय इस मृत समाज में संजीवनी निर्माण करने वाले लोकोत्तर पुरुष का दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। गाड़ी नजर आते ही जयकार की ध्वनि से वातावरण गूंजने लगा। दर्शनोत्सुक लोगों के झुंड दौड़ते हुए गाड़ी के आगे आने लगे। चंद्रभागा पर बने पुल के मुंहाने जब गाड़ी आई तब भीड़ इतनी उमड़ पड़ी थी कि गाड़ी को आगे निकलने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा था।

संपादक महाराज, आपका संवाददाता कोई पंढरपुर का वारकरी नहीं है। वह पहली बार पंढरपुर आया है। हालांकि 'पंढरपुर महिमा' उसने सुन रखी है। उसने सुना था कि बिठोबा के दर्शन के लिए अनगिनत लोग पंढरपुर में प्रवेश करते हैं। लेकिन उसने यह नहीं सुना था कि किसी विभूति के दर्शनों के लिए पंढरपुर की जनता विट्ठत को भुला कर चंद्रभागा को लांघ कर पंढरपुर से बाहर भी निकलती है। एक समाज बिट्ठल के दर्शनों के लिए पंढरपुर में प्रवेश करता है तो दूसरा समाज विटठ्ल की महति पर आघात करने वाली विभूति के दर्शनों के लिए पंढरपुर से बाहर निकलता है। इस दृश्य के ही कारण आपके संवाददाता के मन में ख्याल आया कि धार्मिक भावनाओं से अंधा हुआ बहुजन समाज अपनी आंखों पर लगी काली पट्टी खोल कर हिंदमाता का भविष्य उज्ज्वल करेगा। जो हो, इस दृश्य से इतना भर साफ-साफ नजर आ रहा था कि स्पृश्य समाज जिस मार्ग पर चला जा रहा है उसकी ठीक विपरीत दिशा में अस्पृश्य माने गए समाज का आज का मार्ग है।

गाड़ी का आगे का रास्ता वर्दीधारी समता सैनिक दल की स्थानीय टुकड़ियों ने बनाया और गाडी पुल से आगे बढ़ने लगी। गाड़ी के दोनों तरफ लोगों की भीड़ थी। आगे स्वयंसेवक थे, पीछे अपार भीड़ इस प्रकार जुलूस आगे बढ़ने लगा। गाड़ी बेहद धीमे चल रही थी। इसमें तय समय पर अगले कार्यक्रम कर पाना मुश्किल हुआ। गाड़ी तेजी से चलती तो लोग भी साथ में दौड़ने लगते। इसी प्रकार चलते हुए जुलूस एक मोड़ पर आया। जुलूस से निकले बगैर आगे बढ़ना संभव नहीं था इसलिए गाड़ी को

---

*जनता : 8 और 15 जनवरी, 1938

दूसरे रास्ते से निकाला गया। लोगों से सभास्थल पहुंचने के लिए कहा गया। बाबासाहेब डाकबंगले पर पहुंचे जहां उन्हें रुकना था। वहां भी कुछ लोग पहले से आकर बैठे हुए थे। बाबासाहेब के वहां पहुंचने के बाद और लोग आने लगे। कई लोग गांव वालों से दी जाने वाली परेशानियां बाबासाहेब को बता रहे थे। साहब के दर्शन कर, उनसे विदा लेते थे। खाना खाने के बाद दोपहर 3 बजे के आसपास सोलापुर जिला अस्पृश्य राजनीतिक परिषद में उपस्थित रहने के लिए डॉक्टर साहब अपने साथ के लोगों के साथ निकले। डॉक्टरसाहब से मिलने के लिए पंढरपुर म्युनिसिपल्लिटी के अध्यक्ष रा. ब. परिचारक आए थे। वह भी परिषद में उपस्थित रहने के लिए निकले। म्युनिसिपल सराय में परिषद होनी थी। वहां बाबासाहेब का आगमन हुआ तो वहां जुटे बड़े जनसमुदाय ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ और जयध्वनि के साथ उनका भरपुर स्वागत किया। तुरंत सभा के कामकाज की शुरूआत हुई।

पहले लड़कियों ने सुस्वर गायन किया।

उसके बाद स्वागतध्यक्ष में जीवाप्पा ऐदाले एमलए का भाषण हुआ। डॉ. बाबासाहेब से परिषद की अध्यक्षता स्वीकारने की विनती की गई। सूचना का समर्थन किए जाने के बाद बाबासाहेब ने अध्यक्ष स्थान स्वीकारा। इस अवसर पर उन्होंने जो भाषण दिया वह इस प्रकार था –

असल में परिषद का अध्यक्षीय भाषण लिख कर लाना चाहिए था ताकि पढ़ कर आपको सुनाया जा सके लेकिन समयाभाव के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया। इसके लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूं। सो, आज मैं बेकार में लंबा-चौड़ा भाषण नहीं देने वाला हूं। आज मैं मुख्यत: तीन विषयों पर बोलूंगा। (1) क्या हमें कभी हिन्दू समाज में समानता का दर्जा मिलेगा? (2) अपनी आर्थिक स्थितियों के बारे में यह सोचना है कि हमें संपत्ति का सही हिस्सा मिला है? (3), आत्मोन्नति के लिए आंदोलन करने पर हम पर जुल्म ढाए जाते हैं, उनका प्रतिकार करने के लिए हम कैसे समर्थ बनेंगे?

हमने पहले सवाल पर पूरी तरह सोचा है और इसी सवाल के साथ धर्मांतरण का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। मैं इस बारे में आज यहां विस्तार से नहीं बोलना चाहता। लेकिन आपको इस पंढरपुर में चोखोबा से खासतौर पर परिचित कराना है। मंगलवेढा में 'कूस' यानी गांव के लिए परकोटा बनाना था। इस काम के लिए पंढरपुर के महारों को बेगार पर रखा था। उनमें चोखोबा भी थे। काम चल ही रहा था। कि एक जगह दीवार गिर गई। उसके नीचे दब कर जो लोग मरे उनमें चोखोबा भी थे। बाद में चोखोबा की समाधि बनानी थी तो लोगों को चोखोबा की हड्डियां चाहिए थीं। वहां कई महार मरे थे इसलिए कई लोगों की हड्डियां वहां दबी थीं। उनमें से चोखोबा की हड्डियां कौन-सी हैं इसका

पता लगा पाना मुश्किल था। तब लोग जाकर नामदेव से मिले। इस मामले में कोई उपाय सुझाने के लिए कहा। नामदेव ने कहा कि कई हड्डियों में से चोखोबा की हड्डियां ढूंढना मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि चोखोबा की हड्डियां विट्ठल का नाम पुकार रही होंगी। इसीलिए जिन हड्डियों से 'विट्ठल-विट्ठल' की ध्वनि निकले वे चोखोबा की हड्डियां हैं ऐसा समझ कर उठा लें और उन पर समाधि बनाएं। अब हड्डियों से ध्वनि निकलने की बात को अगर हम छोड़ भी दें तो भी यह निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि उसकी बेजान हड्डियों से भी विट्ठल का नाम गूंजे इतनी उनकी महती थी। ज्ञानदेव, सोपानदेव, मुक्ताबाई आदि संतों की मालिका में चोखोबा को स्थान प्राप्त हुआ। लेकिन वह विट्ठल के मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाए। उनकी समाधि भी मंदिर से दूर बनाई गई है। जिस वर्ग में चोखोबा का जन्म हुआ था इस वर्ग के साथ उनके जमाने में जैसा व्यवहार किया था ठीक उसी हीन प्रकार का व्यवहार आज भी उस वर्ग के साथ होता है। उसी नजरिए से आज भी हमें आंका जाता है। इसीलिए, मैं कहता हूं, क्यों हम उस धर्म से आस लगाएं जिस धर्म से चोखोबा ने आस लगाई थी और उपेक्षा के अलावा कुछ नहीं पाया था। उस धर्म में हमेशा ही हमें हीन माना जाएगा। इसीलिए हमें ऐसे धर्म से दूर ही रहना होगा।

दूसरा मसला आर्थिक है यानी हमारे पेट पालने का मसला है। आज देश की सारी संपत्ति पर सफेदपोश वर्ग ने कब्जा कर रखा है। वह बड़े ठाठ से, ऐसोआराम में जी रहा है। और आपके पास भरपेट खाना नहीं है, शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं। अभी एक औरत अपने बच्चे के लिए कपड़े खरीदने के लिए मुझसे दो आने मांग रही थी। उस महिला का जो हाल है वही हम सबका हाल है। इसका कारण - उनके हिस्से संपत्ति आई है और हमारे हिस्से दरिद्रता। संपत्ति का न्यायपूर्ण बंटवारा नहीं हुआ। यह बंटवारा समान कैसे बनाया जाए यही आज का सवाल है। गांव के पास वाली परती जमीन हम लोगों को कसने के लिए चाहिए यह अपनी मांग हम सरकार के सामने रखते हैं तो उनकी यह दलील होती है कि वह जमीन उनके मवेशियों के चारे के लिए उन्हें चाहिए। इसलिए हमें ना दी जाए। उनकी ऐसी कोशिशों के कारण वे परती जमीनें भी हमें मिल नहीं पाती। मुख्यमंत्री सम्माननीय खेर से जब मेरी मुलाकात हुई थी तब मैंने उनसे पूछा कि गांववालों के मवेशियों से भी क्या हमारी जानें कम कीमत की हैं? सरकार क्या हम लोगों की ओर ध्यान देने के बजाय गांव के मवेशियों के खाने-पीने का प्रबंध करेगी? सरकार को पहले इंसानों की जान बचानी चाहिए। आपको बस इतना ही बताना चाहता हूं कि आपकी कीमत आज जानवरों से भी कम है। आज सब लोग सेठ-साहूकारों की मदद करते हैं। गरीबों का मसीहा कोई नहीं है। गरीब ही गरीब का मसीहा है। गरीबों

को अगर अपने हालात में सुधार लाना हो तो कानून बनाने की राजनीतिक सत्ता उन्हें हासिल करनी होगी। विधिमंडल में अगर वे निःस्वार्थी लोगों को नहीं भेजेंगे तो ठगे जाएंगे। इसीलिए विधिमंडल में हमें निःस्वार्थी लोगों को भेजना होगा। और इसके लिए हमें हमेशा संगठित रहना होगा। इसीलिए स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की गई है। आज काँग्रेस की सरकार कानून बनाती है। और काँग्रेस विश्वमित्र की मायावी दुनिया है। वहां जैसा कि मुक्तेश्वर ने वर्णन किया है चूहा बिल्ली का दूध पीता है, शेर और बकरी एक बिस्तर में सोते हैं, नेवला सांप को चूम रहा है आदि होता है। वहां सेठ-साहूकार कह रहे हैं कि वे रैयत का हित करेंगे। पूंजीपति कह रहे हैं। कि वे मजदूरों का कल्याण करेंगे। यह सब करना झूठ के ढोल पीटने जैसा है यह गरीबों को अलग से बताने की जरूरत नहीं है। सेठ, साहूकार हमारे हितशत्रु हैं। हमें इसका पैदाइशी ज्ञान है। काँग्रेस इसी तरह लोगों को झांसे देती रही है। इसीलिए मैं काँग्रेस में शामिल नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि आप भी काँग्रेस से दूर रहिए।

आपके हित के कानून ले आना और उन्हें लाने के लिए संघर्ष करना मेरा कर्त्तव्य है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं अपना कर्त्तव्य पूरा करूंगा। लेकिन आपको भी अपने कर्त्तव्य की पूर्ति करनी होगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। आप जब तक अपना आंदोलन तेज नहीं करेंगे हमें सफलता नहीं मिलेगी। न हमारा जीवन सुखमय होगा।

तीसरा मामला यह है कि, अपनी उन्नति की कोशिश करते हुए हम पर जो जुतम होते हैं उनका निवारण हम कैसे करें? आप जानते हैं कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ है। दुनिया का मुकाबला दो तरह से करना होगा। पहले हमें अपने मन से डर को हटाना होगा। जब-जब हम पर कोई जुल्म होगा तब जुल्म करने वाले का सामना करने के लिए बिना उठा भगाए तैयार होना पड़ेगा। वो होगा सो होगा, डरने की क्या बात है? आपके पास है क्या जिसे गंवाने का आपको डर होगा? आपको मौत से भी डरना नहीं चाहिए। आप इतने निडर बनेंगे तभी अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध कर पाएंगे। हममें से जो युवा लोग हैं उन्हें अपने पहनावे में भी बदलाव लाना होगा। धोती की जगह छोटी पैंट और बदन पर एक कुर्त्ता यानी स्काऊट जैसा पहनावा आपको करना होगा। 18 से 40 साल तक की उम्र के हर एक को इसी तरह की पोशाक पहननी चाहिए। इससे भी आपकी मानसिकता में बेहद बदलाव आएगा। इसके अलावा जुल्मों से रक्षा के लिए हमें एक फंड खड़ा करना होगा। जो राशि इक्ट्ठा होगी उससे कानूनी मदद और पीड़ितों का दुख निवारण किया जा सकता है।

मेरी बताई सभी बातें करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। और मुझे यकीन है

कि आप तैयार होंगे भी।

इसप्रकार बाबासाहेब का एक घंटे तक भाषण हुआ। उसके बाद सभा में तीन प्रस्ताव रखे गए जो इस प्रकार है– (1) महारकी जागीर बिल का समर्थन; (2) जमींदारी व्यवस्था खत्म करने के बिल का समर्थन; (3) चंदा देने और स्वतंत्र मजूर पार्टी के सदस्य होने की जनता से विनति। धन्यवाद अर्पण के बाद सभा का विसर्जन हुआ। बाबासाहेब और उनके साथ के सभी लोग पंढरपुर म्युनिसिपलिटी के हॉल में गए। वहां म्युनिसिपालिटी के सदस्य इक्ट्ठा थे। म्युनसिपलिटी के अध्यक्ष रा. ब. परिचारक ने समयोचित भाषण कर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का स्वागत किया। उन्हें फूलमाला अर्पण की। बाद में, अन्य सभासदों का परिचय डॉ. बाबासाहेब से कराया गया। डॉक्टरसाहब ने जवाबी भाषण किया, पंढरपुर म्युनिसिपलिटी के प्रति आभार प्रकट किया।

आखिर में सभी लोग आमंत्रण के अनुसार स्थानीय वकील श्री पटवर्धन के यहां चायपान के लिए गए। चायपान के बाद उस दिन का कार्यक्रम पूरा हुआ।

114

*राजनीति की गाडी खींचते हुए ध्यान रखें कि उसका पहिया आपको कुचल न दे

नए वर्ष के पहले दिन यानी 1 जनवरी, 1938 के दिन सोलापुर में ईसाई समाज के लिए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के एक भाषण का आयोजन किया गया था। अध्यक्ष थे, रे. गंगाधरराव जाधव। कार्यक्रम का आयोजन रा. ऐदाले, एमएलए की सहायता से रा. बलवंतराव गायकवाड, रा. समभाऊ पाटोले और र. बी. चिंदे ने किया था। शून्य से भी नहीं वरन घटाने के चिह्न से शुरू कर आज की स्थिति तक वह किस प्रकार आ पहुंचे यह उन्होंने बताया। इसके पीछे केवल यही उद्देश्य था कि अपने समाज की कमजोरी पर होते हुए समय गंवाने के बजाय नए वर्ष का नए निश्चय के साथ प्रगति पथ पर आगे बढ़ते हुए स्वागत करें, प्रगति साध्य करने के लिए कोशिश करें। डॉ. ब. ाबासाहेब ने आगे कहा,

हर तरफ अपने धर्मांतरण की छीछालेदर चल रही है। प्रि. अत्रे के 'वंदे मातरम' नाटक के एक प्रसंग के सहारे इसका उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बावजूद धर्मांतरण के लक्ष्य से सूत भर भी टालने को तैयार नहीं। वैसे, धर्मांतरण करने वाले का किसी ने गुणगान किया हो, ऐसा कम से कम हिन्दुस्तान में देखने में नहीं आता।

दुनिया के सभी धर्मों का अच्छी तरह से आध्यात्मिक नजरिए से मैंने अध्ययन किया है। इन सभी प्रमुख धर्मों में से केवल दो धर्म और उन दो धर्मों के केवल दो व्यक्ति धर्मांतरण के मेरे मन के आगे हैं। उनमें से पहला व्यक्ति है बुद्ध और दूसरा ईसामसीह। 'इंसान का इंसान के साथ क्या कर्त्तव्य है, इंसान का भगवान के साथ क्या कर्त्तव्य है, बेटा बाप के साथ कैसे पेश आए, किस धर्म में सभी मानवों के प्रति समता का भाव बताया गया है, सबको समान स्वतंत्रता दी गई – वही धर्म मुझे और मेरे अनुयायियों को चाहिए।' मिशनरियों को लगता है कि आदमी को ईसाई बनाओ तो काम पूरा हुआ है। उस व्यक्ति के राजनीतिक अधिकारों के बारे में उन्हें कुछ लेना-देना नहीं होता। ईसाई लोगों में मुझे यह एक बहुत बड़ा दोष दिखाई देता है। क्योंकि आज तक उन्होंने राजनीति में प्रवेश नहीं किया है। किसी भी संस्था का राजनीतिक आधार के बिना टिक पाना कठिन होता है। हम भले अस्पृश्य, अनपढ़ और अज्ञानी हैं। फिर भी हम आंदोलन कर रहे हैं। इसी कारण लेजिसलेटिव एसेंब्ली में हमारी पंद्रह जगहें हैं। अस्पृश्य बच्चों

*जनता : 5 फरवरी, 1938

को सरकारी वजीफे मिल रहे हैं। हमारे बच्चों की खातिर सरकार ने बोर्डिंग खोले हैं। लेकिन ईसाई लोगों के लिए यह सब उपलब्ध नहीं है। किसी अस्पृश्य बच्चे को वह जब तक अस्पृश्य है तब तक सरकारी स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन वह अगर ईसाई बनता है तो उसका वजीफा बंद हो जाता है। यानी, धर्मांतरण के साथ उसकी दरद्रिता खत्म नहीं होती। धर्मांतरण के कारण उसे इस आर्थिक हानि को झेलना पड़ता है। आपका राजनीति में दखल होता तो हालात विपरीत होते। आपका समाज पढ़ा-लिखा है। आपके समाज में सैंकड़ों लड़के-लड़कियां मैट्रिक पास कर चुके हैं। उन्होंने कभी सार्वजनिक अन्याय के खिलाफ अनपढ़ अस्पृश्यों की तरह आंदोलन नहीं किया है। कोई लड़की जब नर्स बनती है तब अपने ही व्यवसाय में बंधी रह जाती है अपने तक ही उसकी सोच सीमित होकर रह जाती है। कोई मास्टर बनता है तब अपनी मास्टरकी में डूबा रहता है। सार्वजनिक कामों का कोई रुख नहीं करता। कोई बाबू बने या कुछ और हर कोई अपने ही काम में डूबा रहता है। सामाजिक अन्याय की वह अनदेखी करते हैं। सही है कि आपका समाज पढ़ा-लिखा है लेकिन उनमें से कितने लोग डिस्ट्रीक्ट जज, मैजिस्ट्रेट भी हैं? मैं इसकी वजह बताता हूं, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी राजनीति की ओर अनदेखी हुई है। आपके हित के लिए बातचीत करने वाला, झगड़ने वाला कोई सरकार में नहीं है। राजनीति का छकड़ा खींचने के लिए आप में अगर कोई हो तब, भले अपनी इच्छानुसार वह चलता न हो, उसका पहिया अपने ऊपर से ना गुजरे इसका ध्यान तो रखा ही जा सकता है। आप अपने मुकाम पर पहुंच चुके हैं, अभी राह में हैं। चल रहे हैं। आपके मुकाम की अच्छाई-बुराई को देखने के बाद ही हम अपने मुकाम के रूप में आपका मुकाम अपनाएंगे।

115

*क्या कभी सांप-नेवला, चूहा-बिल्ली के बीच दोस्ती हो सकती है?

सोमवार दिनांक 10 जनवरी, 1938 को मुम्बई प्रांतीय एसेंब्ली की बैठक मुम्बई काउंसिल हॉल में शुरू हुई। कोकण, सातारा, नासिक आदि जिले के किसान भाइयों ने पहले से घोषणा कर रखी थी कि वे इस बैठक के दौरान एसेंब्ली हॉल पर जुलूस ले जाएंगे। जुलूस संगठित और योग्य तरीके से निकले और सफल हो इसलिए स्वतंत्र लेबर पार्टी और अन्य किसान संस्थाओं के सहयोग से एक मोर्चा कमेटी चुन कर उसके नेतृत्व में किसानों का यह अपूर्व जुलूस काउंसिल तक ले जाना तय हुआ था। उसी के अनुसार 10 तारीख को उपर्युक्त सभी जगहों से सभी किसान अपने जुलूस लेकर दोपहर डेढ बजे आजाद मैदान पर इक्ट्ठा हुए थे। कोकण से आए किसान बंधु बिक्टोरिया डॉक से सीधे बेरीबंदर के सामने वाले मैदान में इक्ट्ठा हुए थे। अन्य किसानों के समूह परेल के कामगार मैदान पर जुटे और बड़े जुलूस में आजाद मैदान पहुंचे। जुलूस में जगह-जगह 'जमींदार पद्धति खत्म करो', 'सावकारशाही को नष्ट करो', 'किसानों की जय हो' आदि पंक्तियों लिखी हुई पताकाएं लहरा रही थीं। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की भी जय बोली जा रही थी। इस प्रकार के तामझाम वाला जुलूस कालबादेवी मार्ग से आ रहा था जिसे देख कर वहां के व्यापारियों को दहशत-सी हुई। काँग्रेस जैसी अधिकारारूढ़ सत्ता के खिलाफ किसानों का यह संगठित विद्रोह देख कर उन्हें डर और आश्चार्य अगर महसूस हुआ हो तो उसमें असामान्य कुछ भी नहीं था। यह जुलूस जैसे ही आजाद मैदान पर आया तब तक चौपाटी की राह में मुम्बई के 'बालू' लोगों का तीसरा जुलूस किसानों के इस जलूस में आ शामिल हुआ। इसके अलावा ठाणे-कल्याण आदि जगहों के किसान विभिन्न मार्गो से आजाद मैदान पर आ रहे थे। ठाणे जिले के किसान बंधु डॉ. भोईर के नेतृत्व में सुबह ही दादर से कामगार मैदान पर उपस्थित हुए थे। इस प्रकार जमावड़ा बढ़ता रहा और धीरे-धीरे आजाद मैदान पर जुलूस के लिए इक्ट्ठा किसानों की संख्या बीस से पच्चीस हजार तक पहुंची। इस महाप्रचंड जुलूस में व्यवस्था कायम करने के लिए भाई चित्रे, यालिक, परलेकर, पोतबीस, प्रधान, मिरजकर, तालजी पेंडसे, सुरबा टिपणीस, मडकेबुवा जाधव, राजाराम भोले, डॉ. भाईर आदि लोग वहां हाजिर हुए थे। उन्होंने वहां इक्ट्ठा हुए किसानों को आज के किसानों के जुलूस के बारे में सविस्तार जानकारी दी। तभी वहां ए डिवीजन के पुलिस इंसपेक्टर जुलूस किस राह से और कैसे ले जाया जाए इस बारे में पुलिस कमिशनर का हुक्म लेकर आए। जुलूस को काउंसिल

*जनता : 15 जनवरी, 1938

हॉल के सामने से ले जाते हुए बीच में कहीं भी बिना रोके आजाद मैदान तक ले जाने की सूचना पुलिस ने जुलूस के कार्यकर्त्ताओं को दी थी। इस बारे में किसान–नेताओं में काफी सोच–विचार हुआ और उन्हें पुलिस के निर्देशों का पालन करने की बात माननी ही पड़ी। हालांकि उन्होंने मांग की कि इस जुलूस में से कम से कम बीस प्रतिनिधियों को सम्माननीय मुख्य प्रधान से मिल कर किसानों की बात उन्हें बताने की इजाजत दी जाए। पुलिस कमिशनर ने तुंत उन्हें इस बात की इजाजत दे दी। इस प्रकार मेयो रोड के पास से कूपरेज के पास से, काउंसिल हॉल को घेरा देकर, म्युजियम के पास से 20–25 हजार किसानों का यह जुलूस गगनभेदी घोषणाएं देते हुए एक बार फिर शाम पांच बजे के आसपास आजाद मैदान पहुंची। इस प्रचंड जुलूस का संगठन और व्यवस्था देखकर कोई भी अचंभित ही होता। हमें लगता है कि कानून और व्यवस्था विभाग के अधिकारियों ने मुम्बई की सारी पुलिस इस जुलूस के बंदोबस्त के लिए भेज दिए थे। 1931 में कांग्रेस द्वारा पुकारे गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में सरकार द्वारा बिल्कुल इसी प्रकार का बंदोबस्त रखा था। तब काँग्रेस की केसरिया रंग के कपड़े पहनीं देश सेविकाएं पुलिस का बंदोबस्त देखकर 'हे जुल्मी सरकार नई रखना' गीत गाया करती थीं। आज उस गीत के सूत्रधार गरीबों की शांति और न्यायपूर्ण मांगों के लिए निकाले गए जुलूस के लिए पुलिस का कड़ा बंदोबस्त करने पर मजबूर हैं यह देखक सोचने–विचारने वाले किसी भी व्यक्ति को अचरज जरूर लगता। किसानों का यह बड़ा जुलूस जब काउंसिता हॉल के आगे से गुजर रहा था तब भी गरीबों की सहायक कहलाने वाली काँग्रेस सरकार ने उनकी ओर सहानुभूति से देखने तक की तकलीफ नहीं की। काँग्रेस के लोगों का यह बर्ताव ही बताता है कि उन्हें किसानों के प्रति कितनी आस्था है।

आखिर यह जुलूस जब एक बार फिर आजाद मैदान पहुंचा तब स्वतंत्र लेबर पार्टी के नेता डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। इससे पूर्व सम्मानीय खेर ने किसानों के बीस प्रतिनिधियों से शाम सात बजे मिलने का आश्वासन दिया था। आजाद मैदान पर किसानों की सभा में भाई चित्रे का भाषण हुआ। भाई चित्रे की तरह कॉ. याज्ञिक, द. वि. प्रधान, लालजी पेंडसे, मिरजकर, टिपणीस आदि नेताओं के फड़कते भाषण हुए। उनके भाषणों के बाद डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का भाषण हुआ।

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर भाषण देने उठ खड़े हुए तो उनके नाम का जयघोष हुआ। अपने भाषण में उन्होंने बड़ी स्पष्टता से बताया–

मेहनत करने वालों का अगर संगठन बनाना हो तो उसमें जाति भेद, धर्म भेद को बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए। पहले ही यह मेहनतकश वर्ग जबरदस्त आर्थिक दबाव के नीचे दब गया है। ऐसे हालात में बनें, संगठन में जैसा कि मैंने कहा है, विषमता को

कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। आज भी जातियों के मेहनतकश वर्गों का यह संगठन देख कर मुझे आनंद हो रहा है। इसीलिए आज के दिन को मैं सोभाग्य का दिन मानता हूं। क्योंकि आज हमारा यह संगठन केवल स्वार्थ त्याग के बल पर ही खड़ा है। इसीलिए मेहनतकश वर्ग को अमीर वर्ग के पक्ष यानी काँग्रेस जैसे पक्ष के साथ सहयोग कर या उन पर विश्वास कर चलेगा। नहीं आप जानते ही हैं कि इस दुनिया में जिसका घर जलता है और जो उसके घर में आग लगाता है, उन दोनों में क्या कभी एक राय या मनोमिलन हो सकता है? प्राणियों को ही देखिए, क्या सांप और नेवला कभी एक हो सकते हैं? चूहे-बिल्ली में क्या कभी दोस्ती हो सकती है? इस प्रकार प्रकृति के खिलाफ सृष्टि बनाने वाले का आप क्या कभी भरोसा कर सकते हैं? अमीरों की शरणगाह काँग्रेस की ओर भी हमें इसी नजरिए से देखना चाहिए।

मुम्बई एसेंब्ली के कांग्रेस सदस्यों को देखिए। काँग्रेस की टिकट पर चुनाव जीत कर आए सभी सदस्य साहुकार, जमींदार, जागीरदार और अमीर लोग हैं। अपने हित के खिलाफ वे काँग्रेस को कुछ करने ही नहीं देंगे। उनमें से हर एक 50,000 रु. से अधिक आय वाला है। ब्याज के सहारे अपना धन बटोरने वाले ये लोग मेहनतकश लोगों के कल्याण की बात कैसे कर सकते हैं? इस बात की आप पक्की गांठ लें कि काँग्रेस की कृपा से चुनकर आए ये सदस्य आपके हित की कोई बात नहीं करेंगे। 1937 में आप लोगों ने जब इन्हें चुना तब ये किस प्रकार आपके पैर छू रहे थे उसे याद कीजिए। हम सबसे पहले आपके हित का ख्याल रखेंगे। आपके हित के लिए काँग्रेस ने फकीरी अपनाई है इसलिए काँग्रेस को ही मत दीजिए कहने वाले काँग्रेस के ये नेता आपकी तरफ अब देखेंगे तक नहीं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि इन मधुरभाषी लोगों को आगे से बिल्कुल घास न डालें न उनकी परवाह करें। ऐसे धोखेबाज लोगों की असली पूजा पैर की ठोकर लगाकर की जानी चाहिए। आगे से अपना सच्चा हितकारी कौन होगा यह तय करते समय पूरी सावधानी बरतें। आपके पास अपनी बुद्धि है सो अपनी बुद्धि के बल पर अच्छे-बुरे के बारे में सोचकर तय करें कि अपना असली हितैषी कौन है? कौन-सा पक्ष प्राणों की परवाह किए बिना आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है इसका फैसला खुद सोचकर करें।

सच पूछो तो दुनिया में केवल दो ही जातियां हैं- अमीर और गरीब, इनके अलावा तीसरा वर्ग है मध्यवर्गीयों का। दुनिया के किसी भी उज्ज्वल आंदोलन के विनाश के लिए यही वर्ग जिम्मेदार होता हैं। कल्पना कीजिए, मेहनत कर अपना पेट पालने वाले लोग हमारे देश में 80 प्रतिशत तक है। सोचिए कि इस आंकड़े की तुलना में अन्य वर्गो का अनुपात कितना कम है। लेकिन केवल अज्ञान के कारण और वरिष्ठ कहलाने वालों के हाथ में सत्ता होने के कारण आप हम जैसी बहुसंख्यक जनता को वे शह दे सकते

हैं। लेकिन अगर आप सभी लोग जागरूक रहेंगे संघ शक्ति ओर आत्मनिर्भरता के साथ किस बात में अपना हित है इसका अगर आपको पता चले तो आप पलक झपकते सभी अधिकार अपने हाथ में ले सकते हैं। राष्ट्रीय काँग्रेस के सविनय अवला आंदोलन का आप अगर सूक्षमता से निरीक्षण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेहनत करने वाले लोगों की मदद से ही काँग्रेस इतने प्रभावी ढंग से अपनी लड़ाई लड़ सकी। इन मेहनतकश लोगों को काँग्रेस के सत्ताधारियों ने उस समय बहुत सारे आशा भरे वचन दिए थे। उन्होंने कहा था कि काँग्रेस के हाथ में जब सत्ता आएगी तब काँग्रेस सबसे पहले गरीब, मेहनतकश लोगों के हितों की रक्षा के मसले पर काम करेगी। लेकिन आप आज क्या देख रहें? आज कांग्रेस के हाथ में सत्ता है लेकिन वह कोई काम अपनत्व के साथ या फौरन नहीं करती। आज मुम्बई एसेंब्ली में उनके उम्मीदवारों की संख्या अधिक है। बहुमत के बल पर आपके हित में कोई भी कानून बनाना उनके लिए असंभव नहीं है। हमारी स्वतंत्र लेबर पार्टी के केवल 145 सदस्य हैं। इतने कम सदस्यों के सहारे आपके हित में कानून बनाना हमारे लिए असंभव है। इसलिए आज के बाद ध्यान रखें कि काँग्रेस के पूंजीपतियों को अपने वोट देकर चुनाव ना जिताएं। आज जिस प्रकार आप संगठित होकर यहां आए हैं उसी प्रकार जाति भेद, धर्म भेद भुला कर अपने संगठन को मजबूत बनाइए।

कोंकण के बारे में सोचें तो वहां जमींदार–साहूकारों की संख्या केवल हजार–दो हजार तक होगी, और हाड–तोड़ मेहनत करने वाले आपके जैसे लोग 13 लाख से अधिक हैं। ऐसे जब हाल हैं तब भी हम इतने दुर्बल क्यों हैं? इस पर मुझे बड़ा आश्चर्य महसूस होता है। आज हजार–दो हजार लोग हम जैसे 13 लाख लोगों पर अपनी हुकूमत चला रहे हैं। इसका मूल कारण है हमारी गरीबी। मुट्ठी भर अमीरों से आप निचोड़े गए हैं, जा रहे हैं निचुड़ी हालत में आपके अंदर प्रतिकार करने की ताकत ही नहीं बची है। इसीलिए, जिन्होंने आपको आपकी इस असहनीय और असहाय हालत तक पहुंचाया उन खोत, साहूकार, जमींदार आदि की किसी तरह से कोई सहायता न करें। यह बात भी ध्यान में रखें कि काँग्रेस कभी भी इन धनवानों को दुख पहुंचाकर आपका हित कभी नहीं करेगी। इसी प्रकार आज यहां जुटे विभिन्न जातियों के लोग अपनी–अपनी जाति के संगठन बनाकर अलग–अलग अपना कार्य किया करते थे। इसलिए मेहनतकशों का संगठन नहीं बन पाया था। लेकिन अब ऐसा संगठन बनने का भाग्य दिखाई दे रहा है, यह बड़ी खुशी की बात है।

अमीर वर्ग की सहायता करने वाली काँग्रेस की किसी प्रकार सहायता कर अपना हित नहीं होगा। आज के हालात यही बता रहे हैं। पिछले एसेंब्ली चुनावों में जिस तरह हमने स्वतंत्र लेबर पार्टी की ओर से काँग्रेस के खिलाफ लड़ कर कुछेक सीटें हासिल कीं उसी प्रकार अगर कम्युनिस्ट आदि उग्रवादी पक्षों के नेता भी काँग्रेस के खिलाफ

चुनाव लड़ते तो उन्हें भी दो-चार सीटें मिलती और आखिर एसेंब्ली में हमारी कुल संख्या बढ़ने के कारण हमारी मदद ही होती। जो हो, कम से कम आगे उन्हें अपने कर्त्तव्य को निभाने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। साथ ही, इस मौके पर अपने कम्युनिस्ट मित्रों से दो शब्द उनके हित के लिए सुनाना गलत नहीं होगा। कम्युनिस्ट दर्शन की किताबें यहां उपस्थित सभी कम्युनिस्ट नेताओं की तुलना में मैंने काफी अधिक पढ़ी है। उन किताबों को पढ़ कर मुझे लगा कि इनमें जो दर्शन बताया गया है वह भले कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसका कहां तक इस्तेमाल किया जा सकता है यह हमें देखना होगा। और अगर सोच-समझ कर उस दर्शन को लागू किया जाए तो मुझे लगता है कि रूसी लोगों को उसे लागू करने में जितना समय लगा था उससे कम समय में हिन्दुस्तान में लागू किया जा सकता है क्योंकि हिन्दुस्तान में स्थितियां उसके अनुकूल हैं। इसीलिए मुझे साम्यवादी दर्शन हमेशा मेहनतकश वर्ग की आंदोलन स्वरूप लड़ाई से काफी मिलता हुआ और करीब लगता आया है। आज हमारा ऐसा हाल है कि हमारे पास धन नहीं है। हमारे आंदोलन का प्रचार-प्रसार करने के लिए कोई प्रभावी दैनिक अखबार नहीं है। सरकारी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इसीलिए आप अपना अलग संगठन बनाएं। सभी आपसी मतभेदों को भुलाकर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए धैर्य के साथ तैयार हो जाइए।

मुंबई सरकार से की गई मांगें

मूलभूत मांगें

1. किसान आजाद, सुखी और संतुष्ट रह पाए इसलिए खेती करने वाले को ही उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए।
2. खेती पर ही जिंदगी बसर करने वालों को साथ अगर न्याय करना हो तो तथा उनका आर्थिक हित साधना हो तो जमींदार और जागीदारों जैसे बिचौलिए ना हों।
3. जमीन पर या किसान पर किसी तरह का लगान या भूमि कर लागू करने से पहले उसके चरितार्थ का योग्य प्रबंध करना सरकार अपना कर्त्तव्य माने।
4. साथ ही, किसानों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने का कानूनन प्रबंध कर उनके हितों की रक्षा करना भी लोकमतवादी सरकार का कर्त्तव्य है।

अविलंब मांगें

1. जिस प्रकार अदा न किया गया लगान और बाकी देनदारियां माफ कर दी गई उसी प्रकार अब तक अदा न की गई जमीन की देनदारियों को भी तुरंत माफ कर दिया जाए।
2. जमीन का न्यूनतम उत्पादन तय कर उससे कम उत्पादन होने पर पूरा भूमि कर

माफ किया जाए। साथ ही न्यूनतम उत्पादन से बढ़ कर जहां उत्पादन हो उस जमीन पर बढ़त के अनुपात में भूमि कर लागू करने के हिसाब से जमीन के राजस्व कानून में सुधार किया जाना चाहिए। साथ ही, बाजार में कीमतें कम होने के कारण ये सुधार लागू होने तक सालाना जिन्हें 75 रु. से कम भूमि-कर देना पड़ता है उनका भूमि-कर तुरंत 50 प्रतिशत कम कर देना चाहिए।

3. जमींदार और जागीरदार व्यवस्था आर्थिक रूप से नुकसानदेह तथा सामाजिक रूप से जुल्मी होने के कारण ये व्यवस्थाएं प्रतिपूर्ति के साथ या बिना प्रतिपूर्ति के नष्ट करने के लिए कानून बनाने का त्वरित प्रबंध किया जाए।

4. (i) लगातार तीन सालों तक जो जमीन जोते, जमीन उसकी मानी जाए। यह कानून जमींदार की सभी रैयत पर लागू किया जाना चाहिए। इस कानून से कोई बचाव के उपाय ना कर पाएं इसके लिए एक जमीन आयोग (लैंड कमीशन) की नियुक्ति हो और इस कमीशन की इजाजत के बिना रैयत को दी गई जमीन उससे छीनी ना जाए। रैयत जब तक लाभ अदा कर रहा है तब तक तीन सालों तक किसी भी कारण से छीनी ना जाए।

   (ii) भूमि-कर के अनुपात में तीसरा हिस्सा अधिक इजारा लिया जाए। उससे अधिक इजारा रैयत से ना किया जाए।

5. छोटे किसानों द्वारा लिया जाने वाला पानी का लगान 50 प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। सिंचाई विभाग द्वारा अधिकतर छोटे किसानों और रैयत के लिए फायदेमंद साबित होने के नजरिए से सिंचाई कानून में सुधार लाना चाहिए।

6. सभी गांवों में मवेशियों को मुफ्त चराने के लिए वन क्षेत्र उपलब्ध हो।

7. कर्ज हटाने का सुयोग्य कानून सब जगह लागू होने तक कर्ज को स्थगित किया जाए।

8. जमीन किसानों के हाथ से निकल कर साहूकारों के हाथ ना चली जाए इसीलिए साहूकारी पर बंधन डाले जाएं, शर्तें तय की जाएं।

9. किसानों के निर्वाह के लिए जरूरी न्यूनतम जमीन और उनके गुजारे के लिए जरूरी चीजों पर साहूकार से कुर्की लाने पर पाबंदी लगाई जाए।

10. सभी व्यस्क महिलाओं और पुरुषों को मतदान का अधिकार मिले।

11. बेगार में काम करना और गैर-कानूनी ढंग से पैसों की उगाही को फौजदारी अपराध माना जाए।

12. भू-राजस्व विभाग के सभी मैजिस्ट्रेटी अधिकार निरस्त किए जाएं।

13. खेती योग्य सभी परती जमीन भूमिहीन किसान-मजदूरों को मुफ्त में दी जाए।

116

*राष्ट्रीय एकता की भावना का - विनाशक है हिन्दू-मुस्लिम विभाजन

मंगलवार दिनांक 18 जनवरी, 1938 से मुम्बई प्रांतिक एसेंब्ली की बैठक का प्रारंभ हुआ। ना. पाटील ने लोकल बोर्ड कानून सुधार बिल एसेंब्ली में रखा। इस बिल में नॉमिनेशन की पद्धति को रद्द किया गया है। उसकी जगह अस्पृश्य और महिला वर्ग को संयुक्त चुनाव क्षेत्र में जगहें आरक्षित रखी गई हैं।

इस प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए बताया गया कि आज तक सरकार की ओर से नियुक्त सदस्यों को चुने जाने के कारण लोकतांत्रिक पद्धति की अनदेखी हुई थी। सरकार ने पहल करते हुए राष्ट्रीयता की राह में रोड़ा बनी इस पद्धति को खत्म कर दिया गया है। इस अनिष्ट पद्धति को नए विधिमंडल से हटा दिया गया है। इस तरह स्थानीय स्वराज से भी उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। सर अली महंमद देहल्वी ने मुसलमान समाज के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी की क्यों आवश्यकता है इसका प्रतिपादन किया। उसके बाद स्वतंत्र लेबर पार्टी के नेता डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने जोरदार भाषण दिया। डॉ. साहब के भाषण के दौरान सभागृह में गंभीरता छाई थी। इसके बावजूद कॉँग्रेस के बेलगांव के प्रतिनिधि श्री गोखले ने बीच में थोड़ी गड़बड़ी की। उन्हें जबरदस्त जवाब देकर डॉ. बाबासाहेब ने अपने भाषण में कहा, इस सुधार बिल में बहुत कम उन्नति के अलावा और कुछ नहीं है। इस बिल की संयुक्त मतदान पद्धति के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि, पुणे करार के कारण मैं संयुक्त मतदान पद्धति के पक्ष में बंधा हूं। इसके बावजूद इस पद्धति के बारे में मैं अपना नजरिया आपके सामने रखने जा रहा हूं। संयुक्त मतदान पद्धति को मान्यता देने के बाद क्या बदलाव नजर आए यह अगर देखा जाए तो पता चलेगा कि, केवल चुनाव के दिनों में ही हिन्दू-मुसलमान जातियां मतदान के लिए इक्ट्ठा होंगी, अपने मत देंगी। लेकिन इससे इन दोनों समाजों की मानसिकता में क्या बदलाव होंगे? राष्ट्रीय एकता की जिस भावना के लिए संयुक्त मतदान पद्धति पर अमल किया जा रहा है क्या उससे कोई बदलाव होंगे? चुनाव के दिनों के बाद वे दोनों समाज विभक्त ही रहेंगे। व्यावहारिक नजरिए से देखें तो ये भिन्न धर्मों के समाज बंधु कभी भी एक साथ एक चॉल में नहीं रह सकेंगे। साथ-साथ खा नहीं पाएंगे, बेटी व्यवहार

*जनता : 12 जनवरी, 1938

तो असंभव श्रेणी की बात होगी। फिर, केवल संयुक्त चुनाव क्षेत्र से इन दो समाजों में एकता कैसे होगी? इनमें एकता लानी हो तो आज लागू सारे सामाजिक बंधनों को झट से तोड़ना होगा। और इसके लिए सबसे पहले हिन्दु समाज को आगे आना होगा। केवल ऐसे बिलों में राष्ट्रभावनाएं जागृत करने की योजनाएं बना कर यह योजना सफल नहीं हो सकती। इस सर्वसाधारण सुधार बिल के संदर्भ में कहना हो तो इससे मेरी निराशा हो चुकी है। इस बिल में संतोषजनक बातें ढूंढना 'दर्या में खसखस' ढूंढने जैसा ही है।

117

*चातुर्वर्ण्य के कारण हिन्दुस्तान की अवनति और पतन हुआ है

शनिवार 28 फरवरी, 1938 की सुबह 9 बजे डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर परिषद के लिए मनमाड से सटाणा के लिए निकले। रास्ते में चांदवड और कुछ अन्य जगहों पर उन्हें फुलमालाएं अर्पण कर उनका स्वागत किया गया। दोपहर 11 बजे डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, श्री देवराव नाईक, प्रधान, कवली, गणपतराव, निले, रोकडे, भोले, भाऊराव गायकवाड और नासिक जिलायुवक संघ के 20 स्वयंसेवियों की एक गाड़ी समेत सटाणा पहुंचे। सटाणा के श्री अभिमान पाटील, धर्मा तानाजी पाटील और अन्य महत्वपूर्ण लोग स्वागत के लिए दो मील आगे तक पहुंचे थे। सटाणा की प्रमुख सड़कों से डॉ. बाबासाहेब का जुलूस गुजारा। उनके स्वागत में पूरे गांव में पताकाएं लगाई गई थीं। गांव के ऊपरी हिस्से में यशवंतराव महाराज के मंदिर के पिछवाड़े नदी के पात्र में बनाए गए भव्य मंडप में परिषद की तैयारी की गई थी। परिषद के स्वागताध्यक्ष महंत नानकदास ने डॉ. बाबासाहेब का और वहां उपस्थित मेहमानों का स्वागत किया। फिर प्रस्ताव रखा गया कि परिषद का अध्यक्ष स्थान डॉ. बाबासाहेब स्वीकारें। प्रस्ताव का परिपाटी के अनुसार समर्थन किए जाने के बाद डॉ. बाबासाहेब ने अध्यक्ष स्थान स्वीकारा। परिषद में श्री भोले, देवराव, नाईक, भाऊराव गायकवाड आदि के भाषण हुए। उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच और जनता द्वारा किए जा रहे जय घोषण की गूंज में डॉ. बाबासाहेब बोलने के लिए उठकर खड़े हुए। डॉ. बाबासाहेब ने कहा,

भाइयो और बहनों,

रेल कामगारों की मानमाड में हो रही परिषद के लिए इस तरफ आया हूं और मुझे आपके इलाके में आने का मौका मिला इसकी मुझे खुशी है। इस यात्रा के पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य है अपने राजनीतिक दल-स्वतंत्र लेबर पार्टी का प्रचार करना। आज के इस अवसर पर भी स्वतंत्र लेबर पार्टी की महति के अलावा अन्य कुछ बताने का प्रयोजन मुझे दिखाई नहीं देता। आज की सभा में कई स्पृश्य माने गए बंधु भी उपस्थित हैं यह देखकर मुझे खुशी हो रही है। पहले जब हमारी सभाएं हुआ करती थीं उनमें भी स्पृश्य माने गए कुछ लोग उपस्थित रहा करते थे लेकिन वे लोग यह देखने के लिए जुटते थे कि हमारी सभा में क्या तमाशा हो रहा है। आज हालात वैसे नहीं रहे। इसलिए मैं भी इस सभा में छुटपुट भाषण करने के बजाय थोड़ा अलग भाषण करूंगा।

---

*जनता : 26 फरवरी, 1938

हिन्दुस्तान के इतिहास पर अगर एक नजर डाली जाए तो पता चलेगा कि अब तक कभी यहां प्रजातांत्रिक राज्य प्रणाली नहीं रही। कई ग्रंथों को पढ़ने के बाद मुझे जो जानकारी मिली है उससे साफ जाहिर होता है कि हिन्दु राष्ट्र का पतन और अवनति हिन्दुओं से मान्यताप्राप्त चातुर्वर्ण्य की वजह से ही हुआ है। चातुर्वर्ण्य की प्रथा को अस्तित्व में आए आज कई शतक बीत चुके हैं, इस कारण उसकी जड़ें हिन्दु संस्कृति में गहरे तक धंसी हैं और उसके बुरे परिणाम हिन्दुस्तान को भुगतने पड़े हैं। ब्राह्मण ही केवल विद्यार्जन और विद्यादान करेंगे, क्षत्रिय लड़ाई का काम करेंगे, वैश्य व्यापार-उद्यम करेंगे, शूद्र सेवा करेंगे ये चातुर्वर्ण्य पद्धति की सीख है। इस पद्धति के कारण हमारे राष्ट्र का कितना और कैसे नुकसान हुआ है यह अच्छे पढ़े-लिखे लोगों को भी अभी ठीक-ठीक समझ नहीं आता है। इस देश के बहुसंख्या वाले वर्ग को सीधे-सीधे हाशिये पर डाल दिया गया। राष्ट्र की आजादी के लिए पोषक बहुसंख्यकों का वर्ग बेकार साबित हुआ। हमारा देश हमेशा विदेशियों के शासन में रहा। कुछ दिन ही आजादी भोगी कि यूनान के एलेक्झांडर ने हिन्दुस्तान पर आक्रमण कर हिन्दुस्तान में अपना राज्य स्थापन किया। उसके बाद कुछ समय तक थोड़ी आजादी मिली और मराठों का राज स्थापन हुआ। पेशवाओं सभी कामकाज अपने हाथ में लिया ही था कि पूरे देश को अंग्रेजों ने गुलामी में ढकेल दिया। आज यहां उपस्थित सभी लोगों से मैं पूछता हूं कि इस देश को अच्छा भाग्य हमेशा के लिए क्यों नहीं मिला? अन्य देशों के इतिहास देखें तो वहां ऐसी स्थितियां दिखाई नहीं देती। इसकी वजह क्या है? इस बात के बारे में आप अगर बारीकी से सोचें तो पता चलेगा कि हिंदुओं के धर्मगुरुओं ने यानी ब्राह्मणों ने हिंदुस्तान पर जो चार्तुण्वर्ण पद्धति लादी थी उसके कारण यह अनर्थ हुआ है।

एक बात आप सब सहजता से मानेंगे कि अगर किसी गांव पर पठान हमला करे तो अगर गांव के सब लोग मुस्तैदी से उनका सामना कर उन्हें खदेड़ेंगे तो उन्हें भगाया जा सकता है। हाथ में तलवार हो तो लोग अपने ऊपर होने वाले हमले का सामना कर सकते हैं। लेकिन उसके बदले अगर गिने चुने चार लोग हाथ में तलवार लेकर खड़े होंगे, औरों को हंसिए तक को छूने नहीं देंगे तो, बिल्कुल मना करेंगे तो राष्ट्र की रक्षा कैसे की जा सकती है?

हिंदुस्तान पर अगर अलेक्जांडर या मुहम्मद बिन तुगलक हमला करे तब भी मुट्ठी भर क्षत्रियों के अलावा अन्य कोई भी लड़ने या राष्ट्र की रक्षा के लिए न जाए यह चातुर्वर्ण्य की सीख मुट्ठी भर ब्राह्मणों को अस्त्र देना नहीं, वैश्य शस्त्र धारण नहीं करेंगे, शूद्र शस्त्रों को हाथ नहीं लगाएंगे-ऐसी ही सीख के कारण हिंदुस्तान की अवनति और पतन हुआ है। जिसके पोहोचे में बल हो उसे शस्त्र धारण करने की इजाजत अगर होती तो इतना विपरीत असर नहीं होता। 'धर्मगुरु बने इतराने वाले भटों-बाह्मणों ने ये सारी

जुगतें पहले भले अपने फायदे के लिए लड़ाई हों, आखिर वे राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हुई हैं इसमें कोई शक नहीं। अस्पृश्य माने गए समाज को आज तक जो अपार जुल्म और बदसलुकियां सहनी पड़ी हैं उसकी जड़ें इसी में हैं। अस्पृश्य माने गए समाज के पुरखों के हाथों में अगर शस्त्र होता तो उसके बाप-दादों ने दो हजार साल अस्पृश्यता का और सभी अन्य तरह का जुल्म जो उनके हिस्से आया वह क्या चुपचाप सहा होता? चातुर्वर्ण की दुष्ट सीख के कारण बहुजन समाज को शस्त्र और विद्या की बूटियां नहीं दी गई। इस कारण इस देश का क्या हाल हुआ है? इस प्रांत में किसी समय क्षत्रियों का राज था। क्षत्रियों के पतन के बाद पेशवा का उदय हुआ। पेशवा के अस्त के बाद अंग्रेजों का राज शुरू हुआ। किसी समय राज करने वाले क्षत्रिय आज कहां हैं? जिन क्षत्रियों को राज चलाना चाहिए उन्हें आप सिर पर लाल पगड़ी बांधे और गले में पट्टी पहन कर चपरासियों के काम करते हुए दिखाई देंगे।

वेदाध्ययन कर ब्राह्मण पढ़ें और पढ़ाएं, क्षत्रिय लड़ाई करें, वैश्य व्यापार-व्यवसाय करें, शूद्र इन तीनों वर्गों की सेवा करें यह सब अब बदल रहा है। अब पहली ही बार हिन्दुस्तान में प्रजातंत्र प्रणाली शुरू हुई है। ऐसे अवसर पर राष्ट्रहित की साधना करते हुए हिन्दुस्तान को संपूर्ण स्वतंत्रता दिलाने का संघर्ष जारी है। यह संघर्ष जिस काँग्रेस ने छेड़ा है वह भले सीना ठोक कर अपने को बहुसंख्यक गरीब किसानों, मजदूरों की रखवाली और कल्याणकर्त्ता बताए उनकी इस घोषणा से बदलने के लिए यह प्रजा भोली नहीं है। पूजा के हित के लिए काँग्रेस ने जिन सात राज्यों में सत्ता ग्रहण की उन प्रांतों के निरीक्षण से आपको क्या पता चलेगा? मुम्बई विधिमंडल की 11 में से 6 जगहें ब्राह्मणों ने हासिल की हैं। मद्रास और बिहार प्रांत के मंत्री मंडलों में 50 प्रतिशत ब्राह्मण हैं। यही बात काँग्रेस चालित अन्य प्रांतों का भी है। सो, संक्षेप में अगर बताना हो तो बहुसंख्यक गरीब किसान और मजदूरों के नाम पर काँग्रेस ब्राह्मणों का भूत हमारी गर्दन पर लादना चाहती हो तो हम सबको समय रहते सावधान होना जरूरी है।

गैर-ब्राह्मण सुशिक्षितों में से किसी ने कुछ समय तक सत्यशोधक नामक एक पंथ की स्थापना की। इस पंथ का कुछ नाम हो इससे पहले ही उसके कार्यकर्त्ता हाथ धोकर काँग्रेस के पीछे पड़े हैं। लगता है वे अपने होश गंवा बैठे हैं। महात्मा गांधी की राजनीति से उनके जमाने में समूची राजनीतिक सत्ता अगर ब्राह्मणों के हाथ हाने वाली हो तो ऐसी राजनीति को आग लगानी चाहिए। राजनीति की गाड़ी का नियंत्रण महात्मा गांधी अगर सेठों-ब्राह्मणों के हाथ देने वाले हों और ब्राह्मणों के पिचाश को फिर से जीवित करने वाले हों तो उन ब्राह्मणों का खात्मा हम सभी को ही करना होगा। यह केवल मेरा काम नहीं है, यह बहुसंख्यक सभी किसानों, मजदूरों और मराठों का है। इन सभी को संगठित कर राजनीति चलाई जाए तो विधिमंडल की हमारी 11 में से 11 जगहों पर वे

काबीज हो सकते हैं। लेकिन उनकी हालत उन कुत्तों जैसी हुई है जो भरपूर भोजन के बाद कूड़ेदान में फेंके गए पत्तलों को चाटने में ही खुश रहते हैं। जो थोड़ा-बहुत कुछ उनके हिस्से आता है उसी में वे खुश लगते हैं। मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता। राजनीति में समानता पैदा होनी चाहिए। इतना ही नहीं, कोई लायक भील हो तो उसे भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। समाज में ऊंच-नीच का जो भेद व्याप्त है वह कम होना चाहिए। यह बात कॉंग्रेस से होना संभव नहीं। इसीलिए मैं कॉंग्रेस में शामिल नहीं होता।

कई बार यह बताया जाता है कि महात्मा गांधी से सामना होते ही विरोधक अपना विरोध भूल जाते हैं। उन्हें डर लगता है ऐसा कहा जाता है। लेकिन मेरा अनुभव इसके ठीक विपरीत है। मैं दस बार महात्मा गांधी से मिला हूं लेकिन जैसे कहा जाता है उस तरह की कोई पिचाश बाधा मुझे नहीं हुई है।

गरीब, किसान और मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए हमने स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाई है। इस पक्ष के बारे में बहुत विस्तार से बताने के बजाय संक्षेप में ही बताता हूं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए आज जब कॉंग्रेस है तो दूसरा पक्ष बनाने की क्या जरूरत है? मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कॉंग्रेस पूंजीपतियों की दासी है। क्योंकि कॉंग्रेस में शामिल पूंजीपति ही भरपूर रुपए लुटा कर आज कॉंग्रेस के सभी चोंचले पूरे कर रहे हैं। ऐसा करने के पीछे पूंजीपतियों का केवल एक ही उद्देश्य है कि कॉंग्रेस के जरिए अपना अधिक से अधिक हित साधा जाए। वैसे, कॉंग्रेस वाले ऊपरी तौर पर कहते हैं कि हम गरीब किसानों के लिए और मजदूरों के लिए ही स्वराज की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा कहना उनका दोमुंहाप ही है। क्योंकि अमीर पूंजीपति और गरीब किसान और मजदूरों के हितसंबंध परस्पर विरोधी हैं। सौ गरीबों के लिए अमीर पूंजीपति अपना पैसा खर्च कर अपना ही नुकसान कराएंगे यह संभवनीय नहीं लगता। बिल्ली-चूहा, सांप और नेवला भेड़ और भेड़िया में जैसे पैदाइशी बैर होता है उसीप्रकार पूंजीपति और गरीब, किसानों का भी है। जिस प्रकार नेवले को कभी प्यार से सांप को चाटता हुआ, चूहे को बिल्ली का दूध पीते हुए या भेड़ को भेड़िए की गोद में सिरे टिका कर सोया हुआ आमतौर पर देखने में नहीं आता उसी प्रकार अमीर पूंजीपतियों की मुहब्बत से गरीब, किसान और मजदूरों का हित होगा इस बात पर भी भरोसा कर कोई धोखा ना खाए। यह सब गांधी की माया है और इसीलिए किसान और मजदूरों को पूंजीपतियों की संस्था कॉंग्रेस से सावधान रहना चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। क्योंकि गरीब और किसानों को और मजदूरों को छूट कर जो मारवाड़ी अमीर बनता है वह सालाना चार आने का चंदा देकर कॉंग्रेस का सदस्य बनने के बाद अपना स्वभाव-धर्म सहसा बदल लेगा यह संभव दिखाई नहीं देता। यह हास्यास्पद है। आज हरिपुरा में कॉंग्रेस का 51वां अधिवेशन होने जा रहा है। कहते हैं कि

इस कार्यक्रम पर कुछेक लाख रुपए खर्च होंगे। खर्च होने वाला यह सारा पैसा कहां से आया? यह सारा पैसा अमीर सेठों ने दिया है। इस बारे में अपने अनुभव की एक बात बताता हूं। हमारे कोंकण में अमीर मुसलमान लोग गरीब लोगों की शदियां इस शर्त पर करवा देते हैं कि अगले 10 सालों तक वे उनके यहां ही काम करेंगे। लेकिन वे एक शादी नहीं एक ही समय में कई जरूरतमंदों की कई सारी शादियां एक ही महूरत पर कराते हैं। साथ ही दस सालों के करार के बाद का एक साल प्रेम से उनके यहां काम करते रहना पड़ता है। इन सभी लोगों को साहूकार के यहां काम करना पड़ता है। इसी प्रकार काँग्रेस अधिवशन की लाखों रुपयों की जरूरत और अमीरों से लिए जाने वाले कर्जे की खातिर पता नहीं और कितने सालों तक इस हिन्दुस्तान को अमीरों की गुलामी में बिताने पड़ेंगे? इसलिए यह लड़ाई गरीब, मजदूर और किसानों को संगठित होकर ही लड़नी पड़ेगी। आज भले मैं स्वतंत्र लेबर पार्टी का अध्यक्ष हूं, लेकिन मुझे इस पद की लालसा नहीं है। कोई और अध्यक्ष बन कर इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार होगा तो उसमें मुझे बड़ी खुशी होगी। राजनीति से वैसे मेरा क्या फायदा है? राजनीति से दूर रहता तो आज मेरा लाखों रुपयों का मुनाफा होता। हिंग की जैसे बू होती है उसी प्रकार हम पर अस्पृश्यता का कलंक लगा है। सो-गैर अस्पृश्य अगर बिदक कर स्वतंत्र लेबर पार्टी से दूर रहने लगे तो यह उनकी मर्जी है। लेकिन हममें से हर बालिग महिला और पुरुष को सालाना चार आने का चंदा देकर स्वतंत्र लेबर पार्टी का सदस्य बनना चाहिए और स्वतंत्र पार्टी को बलवान बनाना चाहिए। इसी विनती के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। फूलमालाएं अर्पण किए जाने के बाद 'डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की जय' की गूंज में सभा विसर्जित हुई।

ठीक दोपहर 2 बजे डॉ. अम्बेडकर सराणा के लिए निकले। रास्ते में काजीसांगवी, तहसील चांदवाड में डॉ. बाबासाहेब का सम्मान और अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर गांव के मराठा जाति के प्रमुख नेता श्री कारभारी बागाजी पाटील ने डॉ. अम्बेडकर के गुणों का गौरव करने वाला भाषण किया।

118

आजादी, समानता और बंधुभावना पर आधारित नई पद्धति श्रमिक संगठनों का लक्ष्य हो।

मानमाड़ में अखिल जी आईपी रेलवे अस्पृश्य कामगार परिषद आयोजित करने के पीछे जो सोच है उसे विस्तार से बताने वाला एक सूचना पत्र रेल-कामगारों को उद्देश्य करते हुए निकाला गया था। वह इस प्रकार था-

''मानमाड में इस माह के आखिर में अखिल जी. आई.पी. रेलवे अस्पृश्य कामगार परिषद आयोजित की गई है। परिषद के बारे में निर्णय लेने से पूर्व परिषद के आयोजकों में से कुछ प्रमुख लोग डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर से एक महीना पूर्व ही मिल आए थे। आज कठिन आर्थिक हालात के कारण सब जगह बुरा हाल है। गरीब कामगारों को इन हालात का तीव्र अहसास हो रहा है और अस्पृश्य कामगारों की कठिनाइयों की कोई सीमा नहीं रही है। स्पृश्य कामगारों से थोड़ी-बहुत परेशानी तो है ही साथ में अधिकारियों के कारण जो परेशानियां उठानी पड़ती हैं उनके बारे में शिकायतें सुनने के लिए कोई जिम्मेदार लोग उपलब्ध नहीं हैं या उनकी शिकायतों को सही तरीके से अधिकारियों के सामने रखने के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं। अपनत्व की भावना के बगैर कोई काम नहीं हो सकता यह सत्य उनके अब तक के कटु अनुभव से पूरी तरह समझ में आ गई है। रेल का राक्षसों-सी मेहनत वाला काम रात-दिन करना और उसके बदले में दिन में एक बार पेट-भर खाई जा सके इतनी रोटी लायक वेतन भी मुश्किल से मिलेगा। इस काम को करते हुए पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए कर्जों में डूबने-सी हालत होती है सो अलग। ऐसे मुश्किल हालात अस्पृश्यता के कलंक के साथ सहते रहना दिनोंदिन और भी कठिन होता जा रहा है। इन सभी बातों के बारे में पूरी तरह सोच-विचार कर, सभी अस्पृश्य कामगारों को इक्ट्ठा कर हमारे अगले कार्य की रूपरेखा बनने के लिए कामगारों में से कुछ लोगों ने यह तय किया है कि वे अखिल जी आई.पी. रेलवे अस्पृश्य कामगार परिषद का गठन करेंगे।

मानमाड़ में होने वाली इस परिषद की अध्यक्षता अस्पृश्यों के सम्माननीय नेता डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने स्वीकारना मंजूर किया है। अस्पृश्य वर्ग की सर्वांगीण उन्नति करते हुए उन्हें राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए डॉ. बाबासाहेब का आज तक स्वार्थ त्याग के बारे में जनता अच्छी तरह जानती है। हिन्दुस्तान की जी.आई.पी. रेल में अस्पृश्य वर्ग के कई कामगार हैं। उनका सही संगठन अगर बनाया जाए तो पूंजीपति और मिल मालिकों के खिलाफ छिड़ी उनकी लड़ाई के बारे में योग्य-चर्चा होकर इस परिषद के अधिवेशन के जरिए अखिल भारतीय रेल कर्मचारियों के हित की कई बातें होंगी, इसमें कोई शक

नहीं। केवल किताबें पढ़ कर इस बात का अंदाजा नहीं हो सकता कि कामगारों का जीवन कितना कष्टमय होता है। प्रत्यक्ष रूप से जब तक उनके जीवन में शामिल हुए बगैर उनके असहनीय हालात के बारे में सोच पाना मुश्किल है रेलवे जैसी बलाढ्य व्यापारिक संस्था के लिए अपने कर्मचारियों का खयाल रखना कितना जरूरी है यह किसी और के बताने से कोई फायदा नहीं। इन अमीरों को ही उसका अहसास होना जरूरी है। जिनकी मेहनत के बल पर हम अमीर बन कर ऐसोआराम में जी रहे हैं उन श्रमिकों को कम से कम दो वक्त भरपेट खाना मिल सके इतना वेतन देना हर मिल मालिक का, हर अमीर का और हर पूंजीपति का पहला कर्त्तव्य है। श्रमिकों की लड़ाई भूख की लड़ाई है। खुद को और अपने परिवार को दो वक्त की नोन-रोटी कैसे मिल पाएगी इसी चिंता में कामगार डूबा रहता है। ऐसे में थोड़ा आराम या ऐसोआराम के बारे में सोचने की उनकी मानसिक स्थिति नहीं होती। इन सभी हालात पर सोचने के बाद ही आज की परिषद लेने की बात तय हुई है।

इस परिषद को सफल बनाने के लिए मनमाड, भुसावल, कल्याण, इगतपुरी, नांदगांव, दौंड, सोलापुर, ठाणे और मुम्बई आदि जगहों के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं ने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के साथ पहले ही सोच-विचार किया है। परिषद लेने के बारे में जानकारी मिलते ही मुम्बई से लेकर दिल्ली और इलाहबाद, लखनौ, कानपुर, जबलपुर, रायपुर आदि ब्रैंच लाईन विभागों से परिषद को सफल बनाने के लिए प्रत्यक्ष सहानुभूतियुक्त समर्थन मिल रहा है। इस प्रकार हर प्रांत के प्रतिनिधियों की प्राथमिक स्वरूप की परिषद को सफल बनाने के लिए सभी अस्पृश्य रेलवे कामगार परिषद के चालकों की अपनेपन से, अपने ही कार्यक्रम के रूप में मान कर मदद करें। परिषद के महासचिव हैं श्री आर. आर. पवार। उनके कार्य के बारे में अस्पृश्य रेल कर्मचारी जानते हैं। साथ ही, हमारे परमपूज्य नेता और पृथक मजदूर पार्टी के अध्यक्ष डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में यह परिषद हो रही है। परिषद का अनुरोध पत्र तथा चंदे के लिए रसीद-पुस्तक सभी जगहों के कार्यकर्त्ताओं के पास भेजी गई हैं। हर अस्पृश्य रेलवे कामगार को परिषद का प्रतिनिधि बनना ही होगा। आत्मनिर्भरता के जरिए अपना संगठन खड़ा किए बगैर हमारे कार्य को सच्ची सफलता नहीं मिलेगी। डॉ. बाबासाहेब का यह संदेश हर अस्पृश्य रेल कामगार अपने मन में जागृत रखे। मनमाड की यह जी.आई.पी. रेल अस्पृश्य कामगार परिषद को सफल बनाना हमारे श्रमिक आंदोलन के लिए विशेष महत्त्वपूर्ण है इस बात को हर कोई ध्यान में रखे और परिषद को तन-मन-धन से सहयोग देकर सफल बनाने का निश्वार करें।"[1]

यह परिषद इसी वर्ष मनमाड में लेना तय हुआ था। लेकिन परिषद के अध्यक्ष डॉ. बा. बासाहेब अम्बेडकर के पास तय तरीखों पर उपस्थित हो पाना संभव नहीं हो पाया था। अब 19 और 30 जनवरी, 1938 को यह परिषद मनमाड में निश्चित रूप से होने जा रही है।

---

1. जनता : 8 मई, 1937

अम्बेडकर द्वारा परिषद के आयोजकों को उक्त तारीखों पर परिषद को आयोजित करने की सूचना भेजी और कार्यकर्त्ता उत्साह के साथ तैयारी में जुट गए हैं। रेलों में मिलों में या बड़े-बड़े कारखानों में अस्पृश्य कामगारों को कितनी तकलीफें उठानी पड़ती हैं, मेहनत-मजदूरी वाले इस काम में केवल अस्पृश्य होने के नाते उन्हें कितना अपमान सहना पड़ता है और आर्थिक मोर्चे पर भी बहुत नुकसान सहना पड़ता हैं। सुधार के इस युग में ये प्रत्यक्ष स्थितियां लोगों के सामने लाकर लोगों को यकीन दिलाया जा सकता है कि अस्पृश्य होने का खामियज श्रमिकों को किस तरह चुकाना पड़ता है। अस्पृश्य कामगारों के साथ होने वाले इस अन्याय को दूर करने के लिए इस प्रकार अलग से रेल श्रमिकों की परिषद की आयोजन करना पड़ रहा है। अस्पृश्य कामगार अन्य श्रमिकों से अलग नहीं होना चाहते। सभी कामगारों की जो अन्य मांगें हैं उन्हें पाने के लिए अस्पृश्य कामगार उनके साथ संघर्ष करेंगे। लेकिन आज अस्पृश्य कामगार को उसकी अस्पृश्यता के कारण जिन मुश्किल स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है उस पर सोच-विचार के लिए तथा अन्य कामगारों के हितों के बारे में नीति तय करने के लिए यह जी.आई.पी. रेल कामगार परिषद लेनी पड़ रही है।

इस प्रकार संक्षेप में परिषद बुलाने की जरूरत के बारे में बताया गया है। अस्पृश्य रेलवे कामगार अपना संगठन बनाएं और मनमाड की इस परिषद को सफल बनाने की कोशिश करें। परिषद के युवा और उत्साही महासचिव श्री आर.आर. पवार ने परिषद को अपूर्व और सफल बनाने का संकल्प लिया है। वे अपने सहयोगी और कार्यकारी मित्रों की मदद से यह कार्य करने लगे हैं। अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर रेल कामगारों के मार्गदर्शन की नीति वाला भाषण देंगे। यह परिषद अखिल भारतीय होगी। उसकी सफलता भारतीय रेल अस्पृश्य कामगारों की हितसाधना में है। इसीलिए सभी श्रमिक मिल कर अपनी प्रचंड शक्ति के सहारे परिषद को उत्साह के साथ संपन्न कराने के लिए परिषद के आयोजकों का साथ दें। अस्पृश्य कामगार समय पड़ने पर अपना आंदोलन आत्मनिर्भरता के रास्ते कैसे सफल बना सकते हैं यह भी दुनिया देखेगी। हमारे अब जागरूक हुए अस्पृश्य कामगार अपने कर्त्तव्यों के प्रति ईमानदार रहते हुए इस परिषद की अलौकिक शक्ति सबको दिखा देंगे इसका हमें यकीन है।''[2]

इस परिषद में उपस्थित रहने के बारे में सूचित करने के लिए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने महासचिव के नाम खत लिखा। उसके अनुसार महासचिव ने बाबासाहेब को खत भेजा और सार्वजनिक घोषणा भी की। ये दोनों दस्तावेज इस प्रकार हैं-

राजगृह हिन्दू कॉलोनी
दादर, मुम्बई दिनांक 14.1.1938

श्री रामचंद्रराव पवार, महासाचिव, रेलवे दलित कामगार मंडल तथा कामगारों,

---

2. जनता : 25 दिसम्बर, 1937

मनमाड में होने वाली रेलवे दलित कामगार परिषद सभी तरहों से महत्वपूर्ण परिषद है। मैंने 29 और 30 जनवरी, 1938 के दिनों इस परिषद में उपस्थित रहने की बात मानी थी। लेकिन अपरिहार्य कारणों से मैं इन तारीखों को उपस्थित नहीं रह पाऊंगा इसका मुझे खेद है। तारीख को अगर 15 दिनों तक आगे बढ़ाया जाए तो परिषद में उपस्थित रहने के लिए मुझे काफी समय मिलेगा। इसलिए, अगर परिषद 12 और 13 फरवरी, 1938 को शनिवार और रविवार को ली जाए तो ठीक रहेगा। साथ ही नासिक जिले के पूर्व हिस्से के सटाणा और काजीसांगवी गांव के लोगों की मैं उनके गांव में आऊं यह इच्छा भी पूरी की जा सकती है। इसलिए यह परिषद ऊपर बताई गई तारीखों को ही रखने की कृपा करें। मैं जानता हूं कि आपमें लोगों को 29 और 30 जनवरी को छुट्टी और पास हासिल करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। उसके लिए विनती है कि आप मुझे माफ कर दीजिए।

आपका कृपाभिलाषी

भीमराव डॉ. अम्बेडकर

परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के चरणों में सादर वंदना आपकी आज्ञानुसार रेलवे दलित कामगार परिषद शनिवार, 12 और रविवार 13 फरवरी, 1938 को स्वागत मंडल से सोच-विचार के बाद रखी है। चरणों में वंदना।

आपका विनम्र सेवक,
आर.आर. पवार

सार्वजनिक खुलासा

परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की आज्ञा के अनुसार रेलवे दलित कामगार परिषद शनिवार-रविवार दिनांक. 12 और 13 फरवरी, 1938 को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम का ब्यौरा जल्द ही प्रसारित किया जाएगा

आपका विनम्र सेवक,
आर. आर. पवार
महासचिव, मनमाड रेलवे दलित कामगार परिषद''[3]

मनमाड का त्रिवेणी संगम

''शनिवार 12 और रविवार 13 फरवरी, 1938 को मनमाड में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में होने वाली अखिल आई. जी.पी. रेलवे अस्पृश्य कामगार परिषद के लिए एक भव्य मंडप मनमाड स्टेशन के पास ही की मि. इब्राहिम जीजाभाई

3. जनता : 22 जनवरी, 1938

सेठ की जगह पर खड़ा किया गया है और उसका दण्डित कामगार नगर' नाम दिया गया है। इस परिषद में रेलवे में काम करने वाले अस्पृश्य कामगारों के साथ जो अन्याय हो रहा है, चारों ओर से उसका जो दमन हो रहा है, उसके बारे में सोच-विचार होगा। वैसे तो कहा जाता है कि श्रमिकों की कोई जाति नहीं होती, काई धर्म नहीं होता। इन बड़ी बातों को मानने के बावजूद अस्पृश्य कामगारों के साथ केवल उनकी अस्पृश्यता के कारण किस तरह अन्याय किए जाते हैं यह इस परिषद में अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर अपने भाषण में स्पष्टता के साथ बताने वाले हैं। साथ ही वे कामगारों की लड़ाई की दिशा कौन-सी हो इसका भी स्पष्टीकरण देने वाले हैं। सो, इस महत्वपूर्ण परिषद में हर अस्पृश्य माने गए कामगार को प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित रहना चाहिए।

परिषद का कार्यक्रम

शनिवार दिनांक 12 फरवरी, 1938 की सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कमेटी की बैठक होगी। दोपहर 3 बजे स्वागताध्यक्ष श्री पी.एन. बनकर का भाषण, अध्यक्ष द्वारा सूचना, स्वागत के पद और पोवाड़े, संदेहा पठन और रात के भोजन के बाद जलसे होंगे। रविवार दिनांक 13 फरवरी, 1938 की सुबह नौ बजे अध्यक्ष श्री बाबासाहेब अम्बेडकर का भाषण तथा अन्य कार्यक्रम डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मनमाड में शनिवार और रविवार दोनों दिन रुकेंगे। शनिवार के दिन रेलवे परिषद का कामकाज शुरू होने से पहले डॉ. बाबसाहेब अम्बेडकर तथा कुछ अन्य लोगों के लिए सटाणे और काजीसांगवी में कुछ छोटे सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे।

मुम्बई इलाका स्पृश्य युवक परिषद

शनिवार दिनांक 12 की रात 8 बजे मुम्बई इलाका अस्पृश्य युवक परिषद का अधिवेशन होगा जिसकी अध्यक्षता करेंगे डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर इस युवक परिषद में स्वतंत्र लेबर पार्टी के कार्यक्रम को पूरे इलाके में जोश के साथ कराने को लेकर सोच-विचार होगा और अगले कार्यक्रम की दिशा तय की जाएगी। अपने पक्ष का कार्यक्रम युवाओं की मदद से ही सफल होने वाला है इसलिए इस युवक परिषद का महत्व जानकर सभी युवा इसमें अवश्य उपस्थित रहें।

महराष्ट्रीय अस्पृश्य महिला परिषद

युवकों की परिषद की ही तरह अस्पृश्य महिलाओं की परिषद 'दलित कामगार नगर' में रविवार दिनांक 13 फरवरी को दोपहर तीन बजे पुणे की प्रमुख कार्यकर्त्ता श्रीमती मैनाबाई शामराव भोले की अध्यक्षता में होगी। इस परिषद की स्वागताध्यक्ष होंगी श्रीमती वेणुबाई रविकांत जाधव। इस महिला परिषद में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का भाषण होगा जिसमें वह महिलाओं को आंदोलन में उनकी भूमिका के बारे में संदेश देंगे। इसके अलावा अन्य भाषण, प्रस्ताव आदि कार्यक्रम होंगे।

इन दो दिनों में मनमाड में होने वाले इस बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने का पूरा जिम्मा रेल परिषद के कार्यकारी मंडल पर होगा।

मनोरंजन के कार्यक्रम

परिषद् के दिनों में आगंतुक मेहमान, प्रतिनिधि और दर्शकों के मनोरंजन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर नासिक जिला युवक संघ का जलसा, मनमाड की पुरानी रुढ़ि-विध्वंसक जलसा मंडल का जलसा, नासिक रोड का सत्यवादी सामाजिक जलसा, इसके अलावा चांदवड, जोपूल आदि के जलसे, शाहीर घेगडे के 'पोवाडे' गायन, कातरगावकर और वडाला के श्री एस.आर. सालवे के लड़के-लड़कियों का संगीत कार्यक्रम जैसे विभिन्न कार्यक्रम होंगे।

मनमाड में होने वाली परिषदों के कार्यक्रमों का ब्यौरा ऊपर दिया गया है इन तीन परिषदों के त्रिवेणी संगम का यह मौका है। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में चल रहे आत्मनिर्भरता और आजादी के आंदोलन के लिए निर्विवाद रूप से पोषक साबित होगा। यह उनके लिए भी बड़े गर्व की बात है कि इस कार्यक्रम से संबंधित जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए में आर.आर. पवार, बनकर, आहिरे, खरे, संसारे, पाटिल, सरोदे, मोरे, पगारे आर तेलुरे आदि लोग काफी मेहनत कर रहे हैं।

इन तीन मत्त्वपूर्ण परिषदों को सफल बनाने के लिए मुम्बई इलाके के अस्पृश्य भाई-बहनों का केवल सहायता करना ही काफी नहीं होगा, अन्य प्रांतों के लोग भी सहायता करें। इन तीन परिषदों में शामिल होने के लिए पुणे, मुम्बई, औरंगाबाद, धुलिया, जलगांव, नासिक रोड, इगतपुरी, धानोरी, नागपुर और वन्हाड प्रांत से प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

नागपुर के महमानों से विचार-विमर्ष

रविवार दिनांक 13 फरवरी, 1938 के दिन दोपहर एक से दो के दरमियान नागपुर-वन्हाड प्रांत से आए प्रतिनिधियों के साथ डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर यहां के आंदोलन के बारे में विचार-विमर्श करेंगे। परिषद के मनोरंजन कार्यक्रम में समय की जरूरत के अनुसार फेर-बदलाव किया जाएगा। इस परिषद के लिए चालीसगांव से बैंड आने वाला है। परिषद में सार्वजनिक कामकाज के लिए मंडप में लाऊड स्वीकर की योजना दोनों के लिए की गई है।

जनता अखबार तथा पृथक मजदूर पार्टी के लिए दो दफ्तर रखे गए हैं। 'जनता' अखबार के लिए चंदा देने वाले अपना सालभर का चंदा यहां दे सकते हैं। साथ ही पृथक मजदूर संघ के सदस्य बनने वाले लोग दफ्तर में अपना चंदा जमा करें। इसके अलावा, इन दोनों दफ्तरों में हमारे आंदोलन के बारे में जानकारी भी मिल सकती है।[4]

पिछले कई दिनों से जिसके बारे में धूम मची हुई थी वह अखिल जी.आई.पी. रेलवे

4. जनता : 5 फरवरी, 1938

अस्पृश्य कामगार परिषद का अधिवेशन फरवरी, 1938 के 12 और 13 तारीख के शनिवार और रविवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। परिषद के लिए बनाए गए 'दलित-कामगार नगर' की सजावट बेहतरीन थी। परिषद के आयोजकों ने कम से कम 20,000 लोग आराम से बैठ सकें ऐसा प्रबंध किया था। साथ ही परिषद के भाषण सभी सुन सकें इसलिए 'लाऊड स्पीकर का विशेष प्रबंध किया गया था। अध्यक्ष एवं कर्मचारियों के लिए छोटा-सा मंच बनाया गया था। उस पर कई प्रमुख कार्यकर्त्ताओं के फोटो तथा डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की भव्य तस्वीर फूलमालाओं से सजाकर लगाई गई थी। मंच के दाहिनी ओर महिलाओं के लिए विशेष प्रबंध किया गया था। साथ ही मंच के आस-पास स्वागत मंडल के प्रतिनिधि और आमंत्रित मेहमानों का प्रबंध किया गया था। शनिवार की शाम परिषद के मनोनीत अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का अपने परिचितों के साथ आगमन हुआ। 'दलित कामगार नगर में बैंड की मधुर ध्वनि और उनकी जयकार की ध्वनि के मिले-जुले स्वरों के साथ लोगों ने प्रेम और अपनत्व से उनका स्वागत किया। मंच पर उनके लिए निर्धारित जगह पर जाकर बैठने तक 'डॉ. अम्बेडकर की जय', 'डॉ. अम्बेडकर जिंदाबाद', 'श्रमिकों की जय हो।' जैसे जयकारों से वातावरण गूंजता रहा था। उसके बाद छोटे बच्चों ने मधुर ध्वनि में स्वागत पद और अभिनंदन गीत गाए। इसके लिए श्री शंकरराव सालवे ने काफी मेहनत की थी। परिषद के कामकाज की शुरूआत से पहले ही 'दलित कामगार नगर' महिलाओं और पुरुषों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। नगर की सजावट पताकाओं से की गई थी जो बहुत ही सुन्दर लग रही थी। कामगार नगर में फिर शांति उत्पन्न होते ही स्वागताध्यक्ष श्री पी. एन. बनकर ने अपना भाषण पढ़कर सुनाया। उनके भाषण के बाद परिषद के उत्साही महासचिव श्री रामचंद्रराव पवार ने परिषद के कामकाज की जानकारी दी। आमंत्रितों और प्रतिनिधियों का स्वागत किया। परिषद के लिए आए संदेश पढ़कर सुनाए। अस्पृश्य समाज के प्रमुख नेता मे. सुबेदार विश्राम गंगाराम संवादकर का संदेश अस्पृश्य कामगारों को उनके कर्त्तव्यों का अहसास कराने वाला होने के कारण महत्त्वपूर्ण था। इसके अलावा उत्तर रत्नागिरी के पृथक मजदूर पक्ष की शाखा के अध्यक्ष तथा श्रमिकों के नेता भाई अनंत चित्रे का महाड से संदेश आया था। अपने संदेश में उन्होंने रत्नागिरी के उत्तरी इलाके के किसानों की ओर से परिषद के लिए सफलता की कामना की थी। साथ ही इस परिषद का अध्यक्ष स्थान डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा स्वाकरे जाने के लिए अत्यानंद प्रकट किया है। उनके अतुलनीय पराक्रमी और सुयोग्य नेतृत्व में श्रमिकों के आंदोलन का निश्चित रूप से भाग्योदय होगा, इसके लिए हम सभी को जोशपूर्ण संगठन बना कर प्रत्यक्ष रूप से काम में लग जाना चाहिए आदि बातें भी उन्होंने अपने संदेश में कही थी। इनके अलावा अन्य शुभ संदेश पढ़ने के बाद डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को विधिवत अध्यक्ष के पद के लिए चुना गया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन्होंने अध्यक्ष स्थान स्वीकारा। उन्हें पुष्पहार अर्पण किया गया।

अध्यक्ष पद ग्रहण करने के बाद डॉ. बाबासाहेब ने छोटा-सा भाषण दिया जिसमें उन्होंने परिषद की पृष्ठभूमि के बारे में बताया। फिर लोगों से निवेदन किया कि परिषद के आयोजकों ने मुझे परिषद के कार्य की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसका सफलतापूर्वक निर्वहन करने के लिए आप सभी के सहयोग की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि, आज यहां हजारों कामगार अपना दु:ख प्रकट करने के लिए निडरता से उपस्थित हुए हैं, यह देखकर मुझे खुशी हो रही है। उन्होंने श्रमिकों को आश्वासन दिया कि, आपके सुख-दु:खों के बारे में सोच-विचार कर, आपकी उत्साह स्थिति से आपको बाहर निकालने के लिए कौन-से उपाय किए जा सकते हैं, इस बारे में दूसरे दिन अध्यक्ष के नाते अपने विचार प्रकट करूंगा। इस परिषद में उपस्थित अन्य महत्त्वपूर्ण आमंत्रितों में श्री देवराव नाईक, कमलकांत चित्रे, द. वि. प्रधान, आर. डी. कवली, भा. र. कडेकर, नागपुर के मि. हरदास, (एमएलए), डॉ. एस.सी. जोशी, भाऊराव कृष्णराव गायकवाड, भंगी समाज के नेता श्री रामा शिवा पाला, ठाणे के शिवराम गो. जाधव, विट्ठलराव रणखांबे, गणपतराव जिले, युवक परिषद के स्वागताध्यक्ष मुरलीधर पगारे, मनमाड के पूर्व कैंसिलर रामाभाऊ जमधाडे के साथ अन्य प्रांतों से आए महत्त्वपूर्ण लोग भी उपस्थित थे।

रविवार की सुबह विषयों का नियोजन करने वाली समिति का कामकाज पूरा होने के बाद परिषद के दूसरे दिन का कामकाज शुरू हुआ। आज परिषद में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का भाषण होना था। परिषद के कामकाज की शुरूआत थोड़ी देर से ही हुई। दलित कामगार नगर में धूप आने लगी थी इसके बावजूद लोगों का भाषण सुनने के लिए विशाल जन-समुदाय उपस्थित था। पहले कुछ मामूली कार्यक्रम और उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर बोलने के लिए उठकर खड़े हुए।[5]

उन्होंने अपने भाषण में कहा,

''मित्रो, जी. आई. पी. रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों की यह परिषद है। इससे पूर्व इस प्रदेश में तथा अन्य जगहों पर भी दलित वर्ग की कई परिषदें हुई हैं। उस तरह से देखा जाए तो यहां होने वाली यह पहली परिषद नहीं है। लेकिन अलग अर्थो में अगर देखा जाए तो यह इस प्रकार की पहली ही परिषद है। इससे पहले सामाजिक अन्याय के निवारण के लिए दलित वर्ग तत्वत: लड़ता आया है। अपनी आर्थिक शिकायतों के संदर्भ में दलित वर्ग इस परिषद के द्वारा पहली बार इक्ट्ठा हो रहा है। आज पहली बार आप श्रमिक के नाते एकजुट हो रहे हैं। आज तक हमने अपना ध्यान सामाजिक शिकायतें दूर करने पर केन्द्रित रखा, मैं यह नहीं कहता कि इसमें हमसे कोई भूल हुई है। अन्य लोग भले कुछ कहें लेकिन वास्तव में ये सामाजिक अन्याय हमारी इंसनियत को मसलने वाले पाटे हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि आज तक के हमारे संघर्ष के कोई फल

जनता : 5 फरवरी, 1938

नहीं निकले। हालांकि अस्पृश्यता खत्म करने में हमें अब तक कोई सफलता नहीं मिली। यह भी सही है कि हर इंसान को मिलने ही चाहिए ऐसे कुछ बुनियादी अधिकार भी हमें नहीं मिले हैं। लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि राजनीतिक अधिकार पाने में हमें सफलता मिली हैं। कोई हम सिद्धांत को नकार नहीं सकता कि जिसके पास सत्ता होती है आजादी उसी को मिलती है। आजादी पाने और सभी अड़चनों से निजात पाने का एक मात्र साधन सत्ता ही है। इस मामले में कहा जा सकता है कि धार्मिक और आर्थिक शक्ति से अधिक ताकत राजनीतिक सत्ता में होती है। दु:ख के साथ मुझे आज यह बताना पड़ रहा है कि नए संविधानानुसार दलितों को जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, उन्हें हमारे दुश्मनों ने अपने षड्यंत्रों द्वारा तथा हमारे बीच कुछ स्वार्थी, जरूरतमंद और दुराचारी लोगों की मदद से बेकार बना दिया है। जिस सत्य के साथ संगठन की ताकत नहीं होती, जिस सत्ता के साथ समझदारी नहीं जुड़ी होती उसे हम सत्ता कह ही नहीं सकते। मुझे उम्मीद है कि वह दिन ज्यादा दूर नहीं जब समूचा दलित वर्ग संगठित होगा तथा अपने को मिली राजनीतिक सत्ता की महत्ता जानेगा। और अपनी सामाजिक मुक्ति को प्राप्त करने के लिए असरदार ढंग से उसे उपयोग में लाएगा।

मैं यह नहीं कहता कि हमने गलत दिशा में कोशिश की। हालांकि यह बात सच है कि हमने लम्बे अर्से तक अपनी आर्थिक समस्याओं को नजरंदाज किया जो कि हमारी सामाजिक समस्याओं जितनी ही तीव्र थी। मुझे इस बात की खुशी है कि आज हम अस्पृश्य नहीं बल्कि श्रमिकों के तौर पर मिल रहे हैं। यह नया रास्ता है और इस बारे में विचार-विमर्श करने का यह मौका जिन्होंने उपलब्ध कराया है उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। कुछ लोग हालांकि ऐसे भी हैं जिन्होंने इस परिषद के बारे में अपने मन में अशुभ भावना पाते हुए हैं। इस परिषद में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने मुझे दोष दिया है। कामगारों के नेताओं द्वारा अगर यह आलोचना न की जाती तो मैं इस आलोचना की परवाह नहीं करता। उनकी शिकायत का सार-संक्षेप यही है कि मैं दलित कामगारों की अलग परिषद बनाकर कामगारों में फूट के बीज बो रहा हूं। मेरी राय में इस देश के श्रमिकों को दो दुश्मनों से लड़ना पड़ेगा और वे हैं- ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। जिसे लड़ना अपरिहार्य है इस ब्राह्ममणवाद को दुश्मन के तौर पर पहचान लेने में असफल रहने के कारण कुछ हद तक यह आलोचना हो रही है। दुश्मन मान कर ब्राह्मणवाद से टक्कर लेनी चाहिए यह मेरा कहना है कि और मैं चाहता हूं कि कोई इसका गलत अर्थ ना निकाले। ब्राह्मणवाद से मेरा मतलब ब्राह्मण जाति का सत्ता, अधिकार और उसके हितसंबंध नहीं हैं। उस अर्थ में मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं करता ब्राह्मणवाद के मेरी नजर में मायने हैं- आजादी, समता और बुधुभाव का अभाव। इन्हीं मायनों में उसने कहर बरपाया है और अब भले ब्राह्मण उसके जनक रहे हो यह अभाव केवल ब्राह्मणों तक सीमित नहीं रहा है। यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि आज ब्राह्मणवाद का प्रसार सब दूर हुआ है और वह सभी

वर्गों के आचार और विचारों को नियंत्रित करता है। इस बारे में भी दो राय नहीं हो सकती कि ब्राह्मणवाद कुछ विशिष्ट वर्गों को विशिष्ट अधिकार देता है। कुछ अन्य वर्गों को वह समान मौके देने से भी कतराती है। सहभोजन और दूसरी जाति में विवाह का हक हो जैसे सामाजिक हदों तक ही केवल इस ब्राह्मणवाद का बुरा असर सीमित नहीं है।

इतना ही अगर होता तो उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं है। सामाजिक हकों से अलग नागरी हकों तक उसकी व्याप्ति फैली है। सार्वजनिक स्कूलों, सार्वजनिक कुओं, सार्वजनिक वाहनों, सार्वजनिक विश्रामस्थलों का इस्तेमाल करना आदि नागरी हकों के दायरे में आने वाले मसले हैं। सामाजिक फंड से खड़ी की गई या सार्वजनिक फंड को इस्तेमाल कर चलाई जाने वाली हर बात सभी नागरिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए खुली होना जरूरी है। लेकिन ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें इन अधिकारों से वंचित रखा जाता है। इस देश में हजारों सालों से बेलगाम छूटे और बिजली के जिंदा प्रवाह की तरह कार्यरत ब्राह्मणवाद का यह प्रभाव है। क्या आपमें से किसी के मन में इस बारे में कोई शक है? ब्राह्मणवाद इतना सर्वव्यापी है कि आर्थिक मौके के क्षेत्रों पर भी उसका प्रभाव है। दलित वर्ग के श्रमिकों का उदाहरण लीजिए। अन्य वर्गों के कामगारों के साथ उनकी तुलना करके देखिए। सोचिए कि, रोजगार पाने के कौन से दरवाजे उसके लिए खुले हैं? नौकरी में सुरक्षितता और तरक्की के संदर्भ में उसका भविष्य क्या होगा? यह बात भी कुप्रसिद्ध है कि अस्पृश्य होने के कारण कई उद्यम उसके लिए वर्जित हैं। इस संदर्भ में कपड़ा मिलों की बातें कुप्रसिद्ध हैं। मुझे ठीक से पता नहीं है कि भारत के अन्य हिस्सों में क्या-क्या होता है लेकिन इतना निश्चित तौर पर जानता हूं कि मुम्बई इलाके के मुम्बई और अहमदाबाद के कपड़ा मिलों में बनाई विभागों के दरवाजे दलितों के लिए बंद हैं। केवल सूत कातने के विभाग में ही वे काम कर सकते हैं। इस विभाग में तनख्वाहें सबसे कम है। उन्हें बुनाई विभाग में इसलिए प्रवेश नहीं क्योंकि वे अस्पृश्य हैं। अन्य हिन्दू कामगार मुसलमान कामगारों के साथ काम करने के लिए भले तैयार हों, वे अस्पृश्य कामगारों के साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं।

रेलवे का उदाहरण लीजिए। रेलवे के दलित कामगारों की क्या हालत है? इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वे वहां केवल गैंगमन का काम ही कर सकते हैं। जिंदगी भर वह गैंगमेन का काम करता रहता है, उसकी तरक्की की उसे कोई उम्मीद नहीं होती। उसके लिए ऊंचे दर्जे का कोई पद खुला नहीं। अपवादस्वरूप ही किसी को पोर्टर बनाया जाता है। वह भी इसलिए क्योंकि पोर्टर के नाते उसे स्टेशन मास्टर के घर के काम भी अपनी नौकरी का एक हिस्सा मान कर करने होते हैं। स्टेशन मास्टर अक्सर उच्च वर्णीय हिन्दु होता है। ऐसे में, पोर्टर अगर अस्पृश्य हो तो उच्च वर्णीय स्टेशनमास्टर के घर में वह कैसे काम कर सकता है? लिहाजा, स्टेशनमास्टर दलित वर्ग के व्यक्ति को

पोर्टर नियुक्त करने से बचता है। रेलवे में क्लर्क के पद के लिए योग्यता साबित करने वाली कोई परीक्षा नहीं ली जाती। ज्यादातर मैट्रिक की परीक्षा में अनुर्त्तीण लोगों की ही इस पद पर नियुक्ति की जाती है। भारत के ईसाई, एंगलो इंडियन और उच्च वर्ग के हिन्दुओं में से सैंकड़ों नॉन मैट्रिक लोगों को रेलवे में क्लर्क नियुक्त किया गया है। लेकिन दलित वर्ग के सैंकड़ों बच्चों को इस पद के लिए बड़ी चालाकी से नियुक्त नहीं किया जाता। कभी-कभार ही किसी को यह मौका मिलता है। यही हाल रेलवे वर्कशॉप का भी है। वहां मैकेनिक के पद पर दलित व्यक्ति की नियुक्ति अपवाद स्वरूप ही होती है। मिस्त्री के पद की भी यही बात है, दलित वर्ग के व्यक्ति को यह पद मिला हो ऐसा मुश्किल से ही दिखाई देता है। वर्कशॉप में फोरमेन या चार्जमन का पद भी उसे मुश्किल से ही मिलता है। वह केवल हमाल ही है और हमाल ही रहता है। रेलवे में दलित वर्ग का यह हाल है। जिस किसी उद्योग में उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलने की उम्मीद होती हैं वहां उसे निम्नतम पदों पर ही नियुक्ति मिलती है और जीवनपर्यंत उसी पद तक उसे सीमित रखा जाता है। कोई पदोन्नति नहीं, उत्कर्ष, प्रगति की उम्मीद नहीं और शायद कोई बढ़ोत्तरी भी नहीं। कामगारों की मांग जब तक नहीं घटती तब तक उसके साथ यही सब होता है। लेकिन अगर कामगारों की मांग घटती है तो सबसे पहले गाज उसी पर गिरता है। उसी हड़काया जाता है कि नौकरी पाने में उसका आखरी क्रमांक है।

आपके और मेरे उद्देश्यों को कटघरे में खड़े करने वाले आलोचकों से मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं। हमारी ये शिकायतें सही हैं या गलत हैं? और दूसरा सवाल यह कि, अगर ये सब सही है तो इससे मुक्ति पाने के लिए क्या उन्हें संगठित नहीं होना चाहिए? इन दो सवालों के जवाब अगर 'हां' में हों, और कोई भी ईमानदार व्यक्ति इसका कोई दूसरा जवाब दे ही नहीं सकता, तो क्या हमारी ये कोशिशें न्यायपूर्ण नहीं हैं? हम पर इल्जाम लगाने वाले कामगार नेताओं को भ्रम हुआ है। कार्ल मार्क्स पढ़ने से वे यह जान चुके हैं कि समाज में कामगार और मालिक केवल यही दो वर्ग हैं। मार्क्स को पढ़ कर वे केवल इसी बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं कि भारत में केवल मालिक और नौकर यही दो वर्ग हैं और वे पूंजीवाद को नष्ट करने की मुहिम छेड़ देते हैं। इस नजरिए में मोटे तौर पर दो गलतियां हैं जो बात संभव है या आदर्श है उसे वास्तव में मानने की पहली गलती वे करते हैं। मार्क्स ने कहीं यह नहीं कहा कि समाज में नौकर और मालिक यही दो वर्ग होते हैं। समाज के सभी लोग पैसों को अहमियत देने वाले, बुद्धिवादी अथवा न्यायप्रिय होते हैं यह कहना जैसे गलत है उसी प्रकार यह समझना भी गलत है कि समाज में केवल दो ही वर्ग होते हैं। अर्थप्रवृत्ति इंसान का मूलभूत गुणगान कर निष्कर्ष निकालते समय अर्थविज्ञानी हमेशा एक समझदारी की सूचना देते हैं वह यह कि अगर अन्य सभी स्थितियां समान हों तो इंसान की अर्थप्रवृत्ति स्पष्ट रूप से अस्तित्व में रहती है। श्रमिक नेता यह बुनियादी बात ही भूल गए। मार्क्स ने जो बताया वह यूरोप के बारे में सच था यह मानना भी गलत है। ''क्या जर्मनी में गरीब

और पीड़ित व्यक्ति हैं? क्या वे समान वंशीय, एक ही देश के निवासी, समान भूत-वर्तमान वाले हैं और क्या उनका भविष्य भी समान ही रहने वाला है? तो उन्हें संगठित होना चाहिए। मार्क्स के जमाने से यह उपदेश भाषणों में दिया जाता रहा है। तो क्या जर्मनी के वंचित और फ्रांस के शोषित किसान एकजुट हुए? 100 साल बीत जाने के बाद भी वे एकजुट होना सीख नहीं पाए। पिछले महायुद्ध में वे खुले आम एक-दूसरे से निर्दयी दुश्मनों की तरह लड़े। भारत के बारे में यह ख्याल साफ गलत है। भारत में इस तरह सापेक्ष रूप से दो निश्चित वर्ग नहीं हैं। सभी कामगार एक हैं और उनका वर्ग एक है यह नारा आदर्श है और उसे प्रत्यक्ष जीवन में लाना है इसलिए उसी को वास्तविकता मान कर चलना बहुत बड़ी भूल है। कामगारों की सेना को अधिक बलशाली कैसे बनाया जाए? कामगारों के बीच एकता कैसे स्थापित की जा सकती है? एक गुट द्वारा दूसरे गुट के साथ अन्याय बरत कर हरगिज नहीं। जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके लिए अड़चनें पैदा करके भी नहीं। जिनके साथ अन्याय हुआ वे अगर आंदोलन करना चाहते हों तो रूकावटें पैदा करके भी नहीं। वंश और धर्म के कारण एक कामगार अगर दूसरे कामगार का दुश्मन बन रहा हो तो उनकी एकता में बाधा उत्पन्न करने वाले ये कारण नष्ट करना ही कामगारों की एकता का सही रास्ता है। एक कामगार दूसरे कामगार को जो अधिकार नहीं दे सकता उसकी मांग वह खुद के लिए भी नहीं कर पाएगा यह कामगारों को बताना ही उनकी एकता का उपाय है। ऊच-नीच का भेदभाव मानना और उसका पालन करना यह सिद्धांतत: गलत है और कामगार संगठन के लिए घातक है। यह बात कामगारों को बताना ही कामगार एकता का सही मार्ग है। दूसरे शब्दों में कहना हो तो हमें कामगारों के मन से ब्राह्मणवादी-असमानता के ख्यालों को मिटाना होगा। हालांकि कामगारों में इस प्रकार का उत्साह निर्माण करने वाले कामगार नेता कहां हैं? कामगार नेताओं को पूंजीवाद के खिलाफ जोर-जोर से भाषण देते हुए मैंने सुना है। लेकिन मैंने किसी कामगारों के नेता को कामगारों के बीच की ब्राह्मणवादी असमानता के बारे में बोलते हुए नहीं सुना है। उलटे इस मसले पर उनका मौन अधिक मुखर है। इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे-ब्राह्मणवाद में उनकी श्रद्धा होना, कामगारों की एकजुटता से उन्हें कुछ लेना-देना न होना, ब्राह्मणवाद का कामगारों के बीच की फूट से कुछ संबंध है ऐसा उन्हें न लगना आदि कारणों से उनके मौन का कुछ संबंध हो या ना हो, केवल नेता बने रहने में उनकी दिलचस्पी होने के कारण कामगारों की भावनाओं को ठेस न लगे इसलिए मौन उनके द्वारा धारण किया गया हो- इसकी छानबीन करने के लिए मैं अपना समय बिताना नहीं चाहता। हालांकि मुझे यह बताना ही पड़ेगा कि ब्राह्मणवाद अगर कामगारों की आपसी फूट की बुनियादी वजह हो तो कामगारों के मन से उसे हटाने के लिए जोरदार कोशिशें होनी चाहिए। ध्यान न देने भर से यह छूत का रोग मिटने वाला नहीं है। या उसके बारे में मौन रहने से भी वह खत्म नहीं होने वाला। उसके पीछे पड़ कर, उसकी जड़ें खोद कर ही उसे खत्म किया जा सकता है। तभी कामगारों की एकता की राह खुलेगी।

ब्राह्मणवाद जब तक अपनी जीवंतता के साथ प्रचलन में हैं और खेल जब तक अपने अधिकार के स्वार्थ के कारण उससे जुड़े हैं, औरों पर उसके कारण बंधन लादते हैं तब तक मुझे डर है कि इससे पीड़ितों को उसके खिलाफ संगठित होना ही पड़ेगा। वे इस प्रकार अगर संगठित होते भी हैं तो उसमें नुकसान क्या है? इस प्रकार एकजुट होने पर अगर मालिकों का नियंत्रण होता तो इस संगठन के खिलाफ हो-हल्ला मचाया जा रहा है उसमें कुछ दम है ऐसा मुझे लगता। अगर यह साबित किया जाता कि हम मालिकों के हाथ का खिलौना हैं, या हम उनकी मर्जी के हिसाब से चल रहे हैं या कामगारों में फूट डालने के लिए हम जान-बूझ कर यह संगठन खड़ा कर रहे हैं तो इस परिषद की बुराई न्यायपूर्ण मानी भी जा सकती थी। इस प्रकार का बर्ताव निश्चित रूप से विश्वासघात कहलाता। लेकिन हमारे इस आंदोलन पर मालिकों का नियंत्रण है, यह संगठन मालिकों की मदद के लिए बना है, कामगारों के हितों का नाश करने के लिए उसका निर्माण किया गया है- क्या कोई ऐसा कह सकता है? अगर कोई उसके जवाब में हां कहे तो मैं उसे चुनौती देता हूं कि वह इस बात को साबित करे।

इसलिए, इस परिषद के आयोजन के लिए शर्मिंदा होने की या किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हमारा उद्देश्य और उसके पीछे जो कारण हैं वे काफी न्यायपूर्ण हैं। दलित वर्ग के भी एक-दो लोग हैं जिन्हें यह संगठन पसंद नहीं है। लेकिन उसमें नया कुछ भी नहीं है। उनमें से कुछ लोग औरों के हाथ के खिलौने हैं। पैसे खिलाकर उन्हें हमारे खिलाफ खड़ा किया गया है। कुछ लोगों को पथभ्रष्ट किया गया है। दलित वर्ग दुर्बल है, 'कामगारों की एकता' यह शब्द प्रयोग ही इतना अधिक आकर्षक है और किसी प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व वाले नेता के मुंह से हमारे लोग जब इस शब्द प्रयोग को सुनते हैं तो वे प्रभावित भी होते हैं तो उसमें अनहोनी कुछ नहीं। लेकिन लोग एक बात भूल जाते हैं कि जिन गुटों में हर मामले में इतनी परस्पर विरोधी भावनाएं और मानसिकताएं हैं, और जहां एक गुट दूसरे गुट के हित का विरोध करने वाले अधिकारों और हकों का अपने लिए दावा कर रहे हैं वहां कामगारों में असली एकता हो ही नहीं सकती। ऐसी जगह एकता का जो दावा किया जाता है वह दुर्बल और शोषित लोगों को झांसा देने के लिए किया गया बस एकता का ढोंग होता है, केवल दिखावा होता है। ऐसे ही झूठे लोगों द्वारा इस परिषद को फूट डालने वाली बताया जा रहा है। ये फूट होगी भी तो ऐसी है कि जहां असली विरोध और मतभेद हैं। यह विरोध पैदा होने का कारण सादा-सा है कामगारों का एक गुट दूसरे गुट के दलित कामगारों के विरोध में यह दावा कर रहा है कि उसे विशेष अधिकार प्राप्त हैं। इनमें से किसी भी गुट का मतभेद पैदा करने में दिचचस्पी या खुशी नहीं होती। हम बस इतना भर कर रहे हैं कि शुरू से मौजूद फूट को उजागर करने की कोशिश करते हुए अन्याय पर रोक लगाते हुए इस फूट को नेस्तनाबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।

अपने पर होने वाले अन्याय रोकने हों तो आपको संगठन खड़ा ना करने की सलाह यहां कैसे मानी जा सकती है? अगला सवाल होगा कि आपके संगठन का उद्देश्य क्या होगा? जाहिर है कि अपने व्यवसाय के उद्देश्य से आपको संगठन खड़ा करना होगा। बिना बताए ही यह बात समझ आती है। लेकिन सवाल यह है कि नया संगठन बनाए या कि पहले से कार्यरत किसी संगठन में शामिल होना चाहिए? संगठन बनाने की कार्रवाई शुरू करने से पहले ही आपको इस बारे में सोचना होगा।

भारत में जो कामगार संगठन है वह फिलहाल बुरी हालत में है। कामगार संगठन का मुख्य उद्देश्य पूरी तरह से नजरंदाज हो चुका है। कामगार संगठनों का मुख्य उद्देश्य है कामगार के जीवन-स्तर को गिरने से बचाना। जन्म से और प्रशिक्षण से अहसास होने के कारण यूरोप का हर व्यक्ति अपने जीवन-स्तर को संतोषजनक हालत में रखने की हर वक्त कोशिश करता रहता है। उस स्तर में गिरावट लाने की कितनी भी पुरजोर कोशिश क्यों न हो, वह उसका प्रतिकार करता है। भारतीय कामगारों में ऐसा दृढ़ निश्चय कहीं दिखाई नहीं देता। सब लोग यह बात जानते हैं। वह केवल जिंदा रहने की कोशिशों में ही खटता रहता है। मिल के कथनानुसार, ''जहँ निकृष्टता की ओर से जाने वाली कोशिशों को डट कर प्रतिकार करने की तथा संतोषजनक जीवन-स्तर को बनाए रखने की मानसिकता का अभाव होता है वहाँ बड़े और उन्नत राष्ट्रों में भी गरीब लोगों की स्थिति केवल जिंदा रहने तक ही सीमित हो जाती है।'' मेरी राय में भारत ऐसा राष्ट्र है जहाँ कामगारों के संगठन की नितांत आवश्यकता है। लेकिन, जैसा कि मैंने कहा भी है, आज के भारतीय कामगार संगठन सड़ांध भरे रुके हुए पानी की हालत में हैं। इसकी वजह है डरपोक, स्वार्थी तथा पथ-भ्रष्ट, कामगार नेतृत्व। उनमें से कुछ नेता ऐसे भी हैं जे केवल आरामकुर्सी पर लेटे दार्शनिक हैं। कुछ ऐसे भी जो अखबारों में अपना वक्तव्य छपा कर ही धन्य हो जाते हैं। कामगारों को संगठित करना, उन्हें शिक्षित करना और संघर्ष में उनकी मदद करना उनके कर्त्तव्य का हिस्सा नहीं है। वे केवल कामगारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तथा उनकी ओर से बोलने के लिए चिंता से परिपूर्ण और आतुर हैं लेकिन कामगारों से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रखना चाहते। एक और तरह के कामगार नेता होते हैं जो केवल इसलिए कामगारों की संस्थान की स्थापना करना चाहते हैं कि उन्हें उसमें अध्यक्ष, सचिव या तत्सम कोई पद मिले। अपने पदों की रक्षा करने के लिए वे हमेशा अपनी संस्था को अलग एवं परस्पर विरोधी रखने की कोशिशों में लगे रहते हैं। कई बार तो ऐसे शर्मिंदा और अचंभित कर देने वाले वाक्ये देखने को मिलते हैं कि इन विभिन्न संस्थाओं की लड़ाई कामगार और माालिकों के बीच की लड़ाई से घोर होती है। और ऐसा केवल इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को कामगारों के नेता के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करने के तथा कामगारों पर अपनी हुकूमत चलाने के अपने शौक को पूरा करने के लिए। तीसरे प्रकार का नेतृत्व कम्युनिज्म के तत्वों में विश्वास करने वालों का है। हो सकता है उनका उद्देश्य भला हो लेकिन उनक मार्ग अटपटा है। यह कहने में

मुझे बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है कि इन लोगों ने कामगारों का जितना नुकसान किया है उतना किसी और ने नहीं किया है। आज अगर कामगार संगठनों की रीढ़ पूरी तरह टूटी है, आज अगर मालिकों की चलती है, आज अगर कामगार संगठन शापित वास्तु बनी है तो उसकी एकमात्र वजह यह है कि किसी समय कामगार संगठनों पर किसी समय कम्युनिस्टों ने कब्जा किया था और उन्होंने उसका पूरी तरह गलत इस्तेमाल किया यही है। कामगारों में किसी तरह का असंतोष नहीं है ऐसा मान कर उसे निर्माण करना ही शायद उनका एकमात्र उद्देश्य रहा हो। क्योंकि उन्हें विश्वास है कि असंतुष्ट कामगारों के संगठन के जरिए क्रांति लाई जा सकती है और कामगारों के राज्य की स्थापना की जा सकती है। इसीलिए उन्होंने कामगारों के बीच असंतोष फैला कर उनका संगठन बांधने की मुहिम ही उन्होंने छेड़ रखी है। क्रांति सफल होने के लिए केवल असंतोष काफी नहीं होता। उसके लिए जरूरत होती है–न्यायपूर्णता की जरूरत की तथा सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के बारे में गंभीरतापूर्ण और परिपूर्ण अहसास की। क्रांतिकारी मार्क्सिस्ट भी हड़ताल की जितनी पूजा नहीं करते उतनी सिंडिक्योलिस्ट यानी कार्यकारी मंडल जिनमें है उन कम्युनिस्टों ने पिछले समय में की है। क्रांतिवादी मार्किसस्टों ने हड़ताल को कभी भी क्रांति का पहला पाठ नहीं माना। अन्य सभी उपायों के हारने के बाद इस्तेमाल में लाया जाने वाला एक गंभीर एवं अंतिम साधान के रूप में वे मानते हैं। लेकिन कम्युनिस्टों ने इन सभी बातों को दरकिनार कर, उनकी घोर उपेक्षा करते हुए हड़ताल को हमेशा कामगारों में असंतोष पैदा करने वाले एक दैवी प्रभावपूर्ण साधान के तौर पर इस्तेमाल किया। वे कामगारों में असंतोष पैदा कर पए या नहीं यह अलग मुद्दा है लेकिन अपनी शक्ति और सत्ता के रूप में होने वाले कामगार संगठन का अलबत्ता उन्होंने सत्यानाश कर डाला। फिलहल वे पूंजीपूति संगठनों का सहारा ढूंढने में लगे हुए हैं। ऐसे बे–मतलब आंदोलनों से इससे अधिक क्या उम्मीद की जा सकती है? आग लगाने का शौक रखने वाला आदमी जिस प्रकार आग फैलाने की कोशिश में अपने घर को सुरक्षित रखना भी भूल जाता है आज कम्युनिस्टों की हालत भी बिल्कुल वैसी ही है।

परिणामस्वरूप कामगार जिसका भरोसा कर सकें ऐसा कोई संगठन आज बचा नहीं है। मुंबई के कपड़ा मिलों में जो असंतोष फैला हुआ है मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। उसके बारे में जितना कम बोलो उतना बेहतर है। जी.आई.पी. रेलवे कामगार संगठन की स्थापना लेकिन 1920 में की गई। 1922 से 1924 तक यह संगठन मृतप्राय ही था। 1925 में उसका पुनरुत्थान हुआ। 1927 में 'जी.आई.पी. रेलवे मेन्स यूनियन' नाम से एक और संगठन की स्थपना की गई। 1931 में इन दोनों संगठनों को जोड़ कर 'रेलवे वर्कर्स यूनियन' संस्था बनी। 1932 में इस संस्था का एक बार फिर विभाजन हुआ और 'रेलवे लेबर यूनियन' नामक एक और संस्था बनाई गई। 1935 में पुराने 'जी.आई.पी. स्टाफ यूनियन' को पुनरुज्जीवित किया गया और एक नई संस्था के रूप में उसे चालित किया गया। आज यही संस्था मान्यताप्राप्त संस्था है और रेलवे कामगारों के हितों की रक्षा करने वाले संगठनों के बीच जोरदार विरोध

और शत्रुता है। कम्युनिस्ट नेता और गैर–कम्युनिस्ट रेल कामगार नेताओं के बीच नेता का पद पाने के लिए मची होड़ केये परिणाम हैं। ऐसी शत्रुता के कारण ही केंद्रीय संगठन में भी दरार आई हे। 1919 में कामगारों के केंद्रीय संगठन 'ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काँग्रेस' की स्थापना हुई। कामगारों के सभी संगठन 1929 तक इस केंद्रीय संगठन के साथ जोड़ दिए गए थे। 1929 में नागपुर में दरार आई और कम्यूनिस्ट नेताओं का नेतृत्व मानने से इंकार करने वाले इस संगठन से अलग हुए। उन्होंने 'नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन' की स्थापना की। इन दो संस्थाओं के बीच घनघोर दुश्मनी पल रही है। 1931 और 1932 में इन दो संस्थाओं को जोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन वह असफल रही। इस बारे में कोशिशें अभी भी जारी हैं। पता नहीं इसके क्या परिणाम निकलेंगे। ऐसे हालत में आपको कुछ उपदेश देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। आपके पास अगर ऐसी संस्था चलाने के लिए लोग हों और आप अपना अलग संगठन बना लेते तब भी कुछ बुरा नहीं होता। जाहिर है कि यह एक बड़ी शर्त है। किसी भी संगठन के अगर अच्छे दिन आते हों तो उसे काम करना होगा और कोई संगठन अगर समर्थ व्यक्ति से मदद उपलब्ध कराने में अगर असफल रहता है तो वह चल नहीं सकता। क्या आप अपना संगठन चलाने के लिए ऐसे व्यक्ति को ला सकते हैं? अगर हाँ, तो आप अपना संगठन बनाएँ। बल्कि आप अगर ऐसा कर पाएँ तो वह अधिक अच्छा होगा। क्योंकि, हर संगठन का हश्र विभाजन या दुर्बलता में नहीं होता। अपने संगठन को आप समान उद्देश्यों वाले और समान कार्य करने वाले केंद्रीय संगठन के साथ जोड़ भी सकते हैं। अपना अलग संगठन अगर आप बना नहीं सकते तो आप वर्तमान किसी भी संगठन के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा करते समय एक बात का ख्याल जरूर रखें कि वह संगठन कहीं अपने काम के लिए आपका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? ऐसी संभावना होती है। मुंबई की कपड़ा मिलों में ऐसा हुआ था। वहाँ बुनकरों के हित के नाम पर बार–बार हड़ताल की जाती थी और उनकी हड़ताल में कताई वाले उनका साथ देते रहे। ऐसी बातें टालने के लिए आपको दो बातों क सहारा लेना होगा। पहली, संगठन के कार्यकारी मंडल में प्रतिनिधित्व पाने के प्रति आग्रही रहें। इससे आपसे संबंधित विषयों की तरफ संगठन का ध्यान दिलाना और समर्थन प्राप्त करना आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरी शर्त हो कि आपके चंदे में से कुछ हिस्सा केवल आपकी शिकायतों के निवारण के लिए आरक्षित रखे जाने की मांग आपको करनी चाहिए और उसके प्रति आग्रही होना चाहिए। अपना संगठन खड़ा करने का निर्णय अगर आप नहीं लेते हैं और किसी अन्य संगठन में शामिल होने का निर्णय अगर आप लेते हैं तो आपको ये दो शर्तें मंजूर करवा लेनी होंगी।

कामगारों के हित में आपको संगठन बनाना चाहिए इसमें कोई दो–राय नहीं। लेकिन केवल इतना ही काफी नहीं है। राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए भी आपको संगठित होना पड़ेगा। सिर्फ कामगार संगठन के बल पर कामगारों के मालिकों के साथ सफलता

नहीं मिल सकती यह अब तक साबित हो चुका है। कामगार संगठनों को राजनीति में शामिल होना चाहिए या नहीं इस बारे में अब दो राय नहीं है। कामगार संगठनों को राजनीति में शामिल होना ही चााहिए क्योंकि सत्ता के बगैर कामगारों के हितों की रक्षा करना असंभव है। इतना ही नहीं वरन् न्यूनतम मजदूरी की दर, काम का समय, अन्य नियम आदि आम बातों में सुधार केवल संगठन के बल पर नहीं लाए जा सकते। संगठन की शक्ति को कानून की शक्ति का साथ मिलना जरूरी है। अपना संगठन बनाने के साथ-साथ देश की राजनीति में प्रवेश के बगैर यह संभव नहीं है।

राजनीति में शामिल होने के पीछे केवल कामगारों के हितों की रक्षा का ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अपने उद्देश्यों को कामगारों के हितों तक सीमित रखने का मतलब होगा प्राप्त कर्त्तव्यों को ही उद्देश्य मान लेना। इसका मतलब यह मान लेना होगा कि गुलामी नसीब से जुड़ी होती है और कामगार वर्ग उससे मुक्त नहीं हो सकता। उल्टे, वर्तमान मजदूर पद्धति को खत्म कर उसकी जगहर नई समता, आजादी और बंधुभाव के सिद्धांतों पर आधारित नई पद्धति की स्थापना करना आपका उद्देश्य होना चाहिए। इसका मतलब समाज की पुनःरचना और इस तरह की पुनःरचना समाज में करवाना कामगार वर्ग का प्राथमिक कर्त्तव्य है। लेकिन कामगार अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे करे? राजनीतिक शक्ति का परिणामकारी उपयोग हो तो इस दिशा में वह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली साधन साबित होगा। फिर उन्हें राजनीतिक शक्ति प्राप्त करनी होगी। कामगार संगठनों का राजनीति से निर्लिप्त रहने का मतलब यह नहीं कि वे निजी स्तर पर राजनीति में शरीक न हों। बल्कि उनमें से कई लोग राजनीतिक सभाओं में उपस्थित रहेंगे। किसी उम्मीदवार के पक्ष में वोट देंगे तो कोई हमेशा किसी राजनीतिक पार्टी में सहभागी रहेगा। कामगार संगठनों को 'राजनीति नहीं चाहिए' का मतलब- उस दल के सदस्यों को राजनीति नहीं चाहिए ऐसा कतई नहीं होता। 'राजनीति मना है' की जोखिम भरी सूचना केवल पक्ष वाली राजनीति के लिए होगा। ऐसे में हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार, पसंद के अनुसार राजनीति में हिस्सा ले सकती है। अगर कामगार बंधुओं के सहयोग से उनका अपना संगठन बना हो तो उसी क्षण उसे राजनीति छोड़नी पड़ेगी। अपने वर्ग के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उसे अपनी निजी ताकत को नियंत्रित कर उसे राजनीति छोड़नी पड़ेगी। इस प्रकार कामगारों का वह संगठन निश्चित रूप से पूंजीपति राजनीतिक पक्ष के लिए वरदान साबित होगा। शायद आपको पता होगा कि कामगारों की तरफ से बोलने का अधिकार बताती ट्रेड यूनियन काँग्रेस और ट्रेड यूनियन फेडरेशन ये दोनों संगठन अब एक होने की राह पर हैं। ये दोनों संगठन अब एक ही संगठन में विलीन होंगे। ट्रेड यूनियन काँग्रेस द्वारा ट्रेड यूनियन फेडरेशन का संविधान स्वीकार लिया है। और ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने अपने नाम को त्याग देने का निर्णय लिया है। मुझे पता चला है कि इस एकता की एक शर्त विशुद्ध

रूप से कामगार संगठनों की तरह ही है। उसका राजनीति से कोई तालुक नहीं होगा। मैंने जब यह सुना तब मुझे लगा कि पता नहीं इस व्यक्ति को वे जो बोल रहे हैं उसका सही मतलब पता भी होगा? अपने हाथ में जो राजनीतिक शक्ति है उसका उपयोग अपने ऊपर होने वाले अन्याय को दूर करने के लिए इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा देने की बात सचमुच खेदकारी है। इकट्ठा हुआ कामगार संगठन अगर अपनी जुटी हुई राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगी तो मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि आखिर वे इक्ट्ठा हुए तो किस लिए? छुटपुट मतभेद हों और उन्हें अगर किसी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिटाया जाए तो सुलह के कोई मायने भी होंगे। लेकिन अगर किसी बड़े मसले को लेकर लोगों में मतभेद हों तो उन्हें त्यागकर छोटी–छोटी बातों को स्वीकारने के लिए एकता हो तो वह एकता निरर्थक ही मानी जाएगी। इस मामले में औरों का नजरिया भले कुछ भी क्यों न हो मैं तो यही कहूंगा कि कामगार अगर संगठित होकर राजनीति से दूरी बनाएं रखने का निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय उनके लिए अभिशाप ही साबित होगा।

इसके बाद हमें सामाजिक सुधारों की काशिशें एक ही दिशा में रखनी होगी। आज तक हम यह भूल गए थे या हमने बहुत कम कोशिशें कीं लेकिन अब हमें आर्थिक सुधारों के लिए भी कोशिश तेज करनी होगी। हमें जो अन्याय सहने पड़ते हैं उनकी जड़ एक ही है। और वह यह है कि जिनके हाथ में सामाजिक और आर्थिक शक्ति है उन्होंने कामगारों के राजनीतिक अधिकार भी छीन लिए हैं।

राजनीति में पदार्पण करने का मतलब होता है अपने पक्ष की स्थापना करना। जिस राजनीति को किसी दल का समर्थन प्राप्त न हो वह एक कल्पना की वस्तु है। रजनीति में ऐसे कई पुरुष हैं जो अपनी अलग से राजनीति चलाने या अपना चूल्हा अलग जलाने की काशिश में जुटे रहते हैं। जो रजनीतिज्ञ इस प्रकार आजाद रहने की कोशिश करता है मैं उससे बेहद चौकन्ना रहता हूँ। कोई राजनीतिज्ञ किसी से सहभागी न होने वाले स्वतंत्र व्यक्तित्व वाला हो तो किसी भी राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति के लिए वह अनुपयोगी होता है। वह कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। अपनी अकेली कोशिश से वह घास की फसल भी उगा नहीं सकता। लेकिन स्वतंत्रता की लालसा रखने वाले राजनीतिज्ञ अपनी बौद्धिक ईमानदारी के कारण स्वतंत्र नहीं रहना चाहते वरन् अधिक से अधिक मांगें मनवाने के लिए वे अलग रहते हैं। इसलिए दल के अनुशासन से वे अलग रहना चाहते हैं। जो हो, हालांकि राजनीति में पृथक रहने वाले कई राजनीतिज्ञों के बारे में मेरा यही अनुभव है। लेकिन बिना पक्ष के सच्ची और अभावपूर्ण राजनीति हो ही नहीं सकती।

फिर सवाल यह उठता है कि हम किस पक्ष में शामिल हों? कई पर्यायी पक्ष हैं। काँग्रेस में क्या आपको शामिल होना चाहिए? वह कामगारों को उनके लक्ष्यों की प्राप्ति में क्या मददगार साबित हो सकती है? आपको यह राय देने में मुझे बिल्कुल हिचक नहीं

महसूस होती कि कामगारों को काँग्रेस से पृथक अपना पक्ष बना लेना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मेरे इस कथन के लिए कामगार नेताओं का विरोध है। असल में सोशलिस्टों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक गुट है काँग्रेस और समाजवाद की पूर्तता के लिए वे कामगार संगठन अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। लेकिन वे चाहते हैं कि यह संगठन काँग्रेस में ही बना रहे। श्री राय के नेतृत्व में कार्यरत और अपने को कम्युनिस्ट कहलाने वाला एक गुट है। कामगारों के किसी भी अन्य संगठन के लिए उनका जोरदार विरोध है। फिर वह संगठन काँग्रेस का अंदरूनी हो या कोई बाहरी संगठन हो। मैं इन दोनों गुटों से पूरी तरह असहमत हूँ। मुझे श्री रॉय जिस प्रकार एक पहेली लगते हैं उसी प्रकार वे औरों को भी लगते होंगे। कोई कम्युनिस्ट जो कामगार संगठन का विरोधक है। ये शब्द अपने आप में विरोधी हैं। इस नजरिए को लेकर अपनी कबर में लेनिन भी छटपटा जाएगा। इस अजीब नजरिए का केवल एक ही स्पष्टीकरण हो सकता है और वह ये है कि श्री रॉय को शायद लगता है कि भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण लक्ष्य है, साम्राज्यवाद का अंत करना। श्री रॉय ने जो नजरिया स्वीकारा है उसका कोई दूसरा मतलब नहीं निकल सकता। साम्राज्यवाद के नष्ट होते ही मानों भारत के सभी पूंजीपतियों के हितसंबंध अगर खत्म होने वाले हों तभी यह राय सही साबित हो सकती है। लेकिन अंग्रेजों के चले जाने के बाद इस देश में जमींदार, मिल-मालिक और साहूकार हमेशा रहेंगे और वे लोगों का शोषण करते रहेंगे। साम्राज्यवाद के खत्म होने के बाद भी आज की तरह ही कामगारों को इन पूंजीपतियों के साथ संघर्ष करना ही पड़ेगा और यह समझने के लिए आदमी के पास बहुत अधिक चातुरी होना जरूरी नहीं है। अगर ऐसा ही है तो क्यों न कामगार अभी से इक्ट्ठा हों? संगठन को बढ़ाने से वे क्यों कतराएं? मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिलता। कांग्रेस साम्राज्यवादियों को पूरी तरह पता है कि कामगारों को साम्राज्यवाद की तरह ही पूंजीवाद से भी संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए कामगारों को संगठित होना पड़ेगा। वे यह जानते हैं। लेकिन उनकी यह शर्त है कि हर कामगार संगठन काँग्रेस के ही तहत होना चाहिए। काँग्रेस और कामगारों के इस जबरदस्ती के समझौते की आवश्यकता अथवा मूल्य मुझे जरूरी नहीं लगता। काँग्रेस सोशलिस्टों के कथनानुसार देश में समाजवाद लाना उनका लक्ष्य है। वे समाजवाद कैसे लाने वाले हैं? काँग्रेस का दाहिना हाथ बन कर। काँग्रेस से अलग न होने की यही वजह वे बताते हैं। इंसानी स्वभाव के बारे में उनका ज्ञान इतना दयनीय है कि उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। उनका उद्देश्य अगर समाजवाद लाना ही है तो इस बारे मं लागों को उपदेश देकर उन्हें वांछित कार्य के लिए संगठित करना जरूरी है। उच्च वर्णियों से बिनती कर समाजवाद नहीं आ सकता। काँग्रेस के महत्वपूर्ण लोगों को साम्राज्यवाद का 'स' भी सहा नहीं जाएगा। वास्तविकता यही होने के कारण वह दिनों-दिन ज्यादा से ज्यादा उजागर होती जा रही है। पिछले वर्ष पंडित नेहरू ने समाजवाद का तूफानी आंदोलन खड़ा किया था। लेकिन उस बेचारे को जल्द ही सीधा कर दिया गया किसी बदमाश बच्चे को

लड्डु-पेड़े खाने के लिए घर भेज दिया जाएं उस प्रकार इस बच्चे को अब के बाद सिर्फ अच्छा बर्ताव करने की शर्त पर घर में प्रवेश मिला अब यह पंडित पूरी तरह बदल चुका है। इतना सीधा हो गया है कि कभी फहराते हुए घुमाए गए और अब काँग्रेस के दाहिने हाथ के तौर पर माने जाने वाले लाल निशान का भी वह विरोध करते हैं। बिहार के इस दक्षिणपंथी ने अपने असली दांत दिखाए हैं। किसान नेता स्वामी सहजानंद काँग्रेस छोड़ चुके हैं और उनके सहयोगी जयप्रकाश नारायण भी उसका त्याग करने की राह पर बढ़ रहे हैं। मुझे पता चला है कि ऑल इंडिया काँग्रेस कमेटी की मुंबई की सभा में काँग्रेस के इन दक्षिणपंथियों ने सोशलिस्टों के अनुशासनहीन बर्ताव की निंदा की और काँग्रेस के मंच से समाजवाद के प्रचार का आरोप लगाते हुए इंडियन पिनल कोड के मुताबिक जिस प्रकार पहला गुनाह करने वाले को ताकीद दी जाती है इस प्रकार ताकीद दी गई। काँग्रेस के समाजवादियों का पोलापन ऐसा है।

साम्राज्यवाद की प्रतिक्रिया के कारण भारतीय राजनीति धुंधला गई है। कामगारों के अधिकार हड़पने वाले दुश्मनों से उनका ध्यान हटाया गया। रॉयवादी और काँग्रेसवादी- ये दोनों तरह के समाजवादी लोग असमंजस के कारण दलदल में फंसे हुए हैं। एक सामान्य दुश्मन मान कर इस साम्राज्यवाद के खिलाफ अगर संघर्ष करना हो तो उसका यह मतलब नहीं कि सभी वर्गों को अपने वर्ग के हितों को नजरंदाज करते हुए एक संगठन में विलीन होना चाहिए। विभिन्न संगठनों का एक मोर्चा खोल कर साम्राज्यवाद से लड़ा जा सकता था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूरे संगठन को बर्खास्त करने की जरूरत नहीं है। सभी संगठनों को समा लेने वाली संस्था की भी जरूरत नहीं है। सभी का मिला-जुला एक मोर्चा खोलना काफी है। आपका ध्यान इस ओर दिलाते हुए मुझे खेद महसूस होता है कि काँग्रेस के दो दक्षिणपंथी साम्राज्यवाद के नाम का सहारा लेकर कोई अलग संगठन खड़ा करने में अड़चन बन रहे हैं यह कई लोगों की समझ में अब तक नहीं आया है। आपको भी मैं सचेत कर रहा हूँ कि हो सकता है आपसे भी यही गलती हो। राजनीति की इमारत वर्ग हित के अहसास पर खड़ी होनी चाहिए। वर्ग हित के अहसास की बुनियाद पर जिस राजनीति की इमारत खड़ी नहीं, वह राजनीति नहीं, ढोंग है।

इसीलिए जो दल वर्ग हित, वर्ग अहसास की बुनियाद पर आधारित हो उस पक्ष में आप शामिल हों। इस कसौटी पर कस कर देखें तो आपका जो विरोधी नहीं है, जिसके बारे में मैं जानता हूँ वह पक्ष है स्वतंत्र लेबर पार्टी। कामगारों के हितों को सबसे अधिक वरीयता देने वाला और स्पष्ट कार्यक्रम वाला यही इकलौता दल है। उसकी सुनिश्चित नीति है। सामान्य स्थितियों में वह कभी भी गैर-कानूनी मार्ग को अपनाएगा नहीं लेकिन वैसे ही हालात पैदा हों तो ऐसा करने से पीछे भी नहीं हटेगा। वर्ग-युद्ध टालने की भले उसकी इच्छा हो वह वर्ग संगठन के सिद्धांत का त्याग करने के लिए तैयार नहीं यह बात सही है

कि आज स्वतंत्र लेबर पार्टी नहीं है और केवल मुंबई इलाके तक ही सीमित है, लेकिन यह बात उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जा सकती। हर दल का कोई न कोई शुरूआती समय होता ही है। कोई पक्ष कितना पुराना है यह महत्वपूर्ण बात नहीं है, वह किन सिद्धांतों को मानता है, क्या हासिल कर सकता है और उसकी सुप्त शक्ति क्या है ये बातें महत्वपूर्ण होती हैं। स्वतंत्र लेबर पार्टी का घोषणापत्र पढ़ने का कष्ट जो करेंगे उन्हें पता चलेगा कि यह पार्टी किन सिद्धांतों को मानती है अैर क्या हासिल कर सकती है। जाहिर है कि इस पार्टी में बहुत बड़ी सुप्त शक्ति है। यह पक्ष सीमित नहीं है। वह जाति या पंथ की सीमाओं से पटे सबके लिए खुला है। उसका कार्यक्रम भले दलित वर्ग की जरूरतों पर केंद्रित हो लेकिन समूचे कामगार वर्ग की जरूरतों की समा लेने की विस्तृत क्षमता उसमें है। इस स्वतंत्र लेबर पार्टी की तरक्की के आड़े राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक अड़चन आ रही है। इस पक्ष के केंद्र में आज दलित वर्ग के लोग हैं। यही वास्तविकता खासकर इस दल की तरक्की और विस्तार के आड़े आ रही है। दलित वर्ग जैसे हीन दर्जे के लोगों के साथ सहयोग न करने की आम भावना है। इसी भावना ने उच्च वर्ग के हिंदुओं को स्वतंत्र लेबर पाट्री में शामिल होने से रोका हुआ है। और जो लोग इस पक्ष की खामियाँ ढूंढ़ते रहते हैं, वे उनकी इस भावना का फायदा उठाते हुए अजामी और धर्मभीरू लोगों को इस पार्टी में शामिल होने से रोक रहे हैं। लेकिन स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्वच्छ और ईमानदार राजनीति समूचे कामगार वर्ग को अपने झंडे के नीचे खींच लाने में लौहचुंबक की तरह उपयोगी साबित होगी और मुझे यकीन है कि हिंदु समाज रचना के कारण निर्मित विरोधी ताकतों की शक्ति के लिए प्रतिकारक शक्ति साबित होगी। अब तक ठाणे, कुलबा और रत्नागिरी- इन तीन जिलों में पक्ष पास की स्थापना का काम पूरा हो चुका है। इन इलाकों के किसानों और कामगारों के बीच उसने अपनी छाप छोड़ रखी है। उन्हीं से इस पक्ष से नींव बनी है। इन प्रांतों के अन्य हिस्सों में भी जोर-शोर से उसका प्रचार-कार्य जारी है। मध्य प्रांत और वन्हाड में भी यह पक्ष कार्यरत है। मुझे उम्मीद है कि भारत के अन्य प्रांतों में भी वह अपनी जगह पा लेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कामगार वर्ग का न्यायपूर्ण समर्थन प्राप्त करने के लिए पृथक मजदूर पक्ष का ही विकल्प उपलब्ध है।

कामगार संगठनों में शामिल दलित वर्ग के लोग भारत के समूचे कामगार वर्ग को प्रेरित कर सकते हैं। इंग्लैड के चार्टिस्ट आंदोलन का अध्ययन करने वाले गैमेज ने कहा है, ''सामाजिक सवालों के सहारे के बगैर आज तक कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मानव जाति के जीवन का प्रमुख लक्ष्य है सामाजिक उपभोग की वस्तुएं हासिल करना। इन साधनों की मालिकियत अगर उन्हें मिले तो राजनीतिक उठापटक में शारिक होने की उनकी मानसिकता बेहद कम हो जाती है। आम आदमी को राजनीतिक अधिकारों का महत्व बताने का काम सामाजिक दोषों के जरिए ही होता है।'' आपके साथ जुड़े सामाजिक दोष बड़े भी हैं और वास्तव भी हैं। इस कारण आपकी राजनीति भी खालिस और वास्तव

बन सकती है। आप अगर यह समझें तो खालिस राजनीतिक दल के बारे में आप समूचे भारत के कामगार वर्ग को प्रकाश–स्तंभ की तरह मार्गदर्शक साबित होंगे। सभी कामगारों की एक और सेवा आप कर सकते हैं। विधानसभा में आपको प्रतिनिधित्व का निश्चित प्रतिशत मिला हुआ है। ये आरक्षित सीटें कामगार वर्ग के लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं इसका अहसास अभी कुछ कामगार नेताओं को नहीं है। चुनाव एक तरह का जुआ है। किसी पार्टी को किसी भी चुनाव पद्धति के जरिए विधानसभा में पक्के तौर पर मिलने वाली सीटों की संख्या बताई नहीं जा सकती। इतना ही नहीं, वरन्‌मतदाताओं के किसी गुट को किसी भी चुनाव पद्धति से उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें मिल ही जाएंगी ऐसा भी नहीं। चुनावों के परिणाम कुछ दलां के लिए कभी–कभी कितने अप्रत्याशित और विनाशकारी साबित हुए यह इंग्लैंड के इतिहास के सहारे समझा जा सकता है। कई बार अल्पसंख्यक मतदाताओं को ही बहुसंख्य सीटें प्राप्त होती हैं। अपने यहाँ सीटों की संख्या निर्धारित होने के कारण इस तरह की संभावना नहीं होती। दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के बारे में सोचें तो पता चलता है कि वे केवल दलित वर्ग के लिए ही उपयोगी नहीं हैं वरन्‌ वे समूचे कामगारों के लिए सहायकारी साबित होंगी। दलित वर्ग को निश्चित प्रतिनिधित्व मिलना पक्का होने के कारण अन्य कामगार वर्ग को अगर मदद की जरूरत पड़े तो उनका संगठन बनाने में भी वह बड़े पैमाने पर सहायक साबित हो सकता है। कामगार वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने में दलित वर्ग कितना सहायक सिद्ध हो सकता है यह पिछले चुनावों में हम देख चुकें हैं। पृथक मजदूर पार्टी के टिकट से चुनावों में उतरे तीन हिंदु उम्मीदवारों को दलित वर्ग ने मुंबई विधानसभा में चुनाव जिताकर भेजा और पृथक मजदूर संघ के टिकट के बिना चुनावों में केवल दलित वर्ग के समर्थन के साथ उतरे कई उम्मीदवारों को जिताने में उसने मदद की। जो हमारी कोशिशों से अपने हित को साधना चाहें वे उसे साध सकते हैं लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इस देश की राजनीति में दलित वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है यह वास्तविकता है। उनकी यह भूमिका उनके अपने लिए और कामगार वर्ग के लिए भी बेदह सहायक है। हालांकि, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने कम समय में तथा कितने अच्छे तरीके से संगठित होंगे। आपको संगठित क्यों होना चाहिए और संगठन के सहारे आप क्या कर सकते हैं यह मैंने पहले ही आपको बताया है। अब इतना आपको बता कर मैं अपना भाषण पूरा करता हूँ कि अपना संगठन खड़ा करने के काम में आपको बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। इस सभा के अध्यक्ष पद को स्वीकारने के लिए आमंत्रित कर आपने मेरा जो सम्मान किया है उसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूँ। मैं आपके लिए सुयश की कामना करता हूँ।''[6]

---

6. डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर रांची भाषणे: मा. फ. गांजरे खंड 2, पुनर्मुद्रण 10–4–1986, पृ. 132–148

119

*शील और सौजन्य के अभाव में शिक्षित व्यक्ति हिंस्त्र पशु से भी क्रूर और डरावना होता है

5 फरवरी, 1938 के 'जनता' अखबार में घोषित कार्यक्रम के अनुसार मनमाड में 12 और 13 फरवरी, 1938 को अखिल जी.आई.पी. रेलवे अस्पृश्य कामगार परिषद् के भव्य मंडप में डॉ. बाबासाहेब की अध्यक्षता में मुंबई इलाका अस्पृश्य युवक परिषद् हुई। 12 तारीख को रात 8 बजे यह परिषद् शुरू हुई जिसमें पहले श्री मुरलीधर पगारे का भाषण हुआ। उसके बाद विभिन्न प्रस्ताव रखे और मंजूर किए गए। उसके बाद डॉ. अम्बेडकर का भाषण हुआ।

अपने अध्यक्षीय भाषण में बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा,

''आज की इस युवा परिषद् का युवा न होते हुए भी मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। मेरे जीवन के 40 वर्ष बीत गए हैं और 40 वर्षों की उम्र तक व्यक्ति को आमतौर पर युवा माना जाता है, खैर! आज की परिषद् युवाओं के लिए होने के बावजूद यहाँ मैं विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को देख रहा हूँ। युवाओं की इस परिषद् में बूढ़े हैं और मेरी दाहिनी ओर को पूरा ब्लॉक बहनों से खचाखच भरा हुआ है। सो, हो सकता है, युवाओं को उद्देश्य कर आज की सभा में मैं जो भाषण दूँगा वह औरों को थोड़ा असंगत लगे। क्योंकि आज मैं केवल युवाओं को उद्देश्य कर ही बोलने वाला हूँ। आज की युवा परिषद् बहुत महत्वपूर्ण है। जनसंख्या में युवाओं का काफी बड़ा अनुपात है। बूढ़े लोगों की संख्या कम है और उनमें से भी कई लोगों की लकड़ियां 'ओंकार धाम' पहुँच चुकी हैं। बचपन से वे जिन हालात में बड़े हुए हैं उससे छुटकारा पाने के लिए उनमें से अधिकतर लोग आज तैयार नहीं है। जिन हालात में वे बड़े हुए उनसे चिपके रहने की ओर उनका झुकाव दिखाई देता है। उनसे किसी और काम की हम उम्मीद नहीं रखेंगे। वे हमारे आंदोलन के आड़े नहीं आए इतना भी हमारे उनका बहुत बड़ा योगदान साबित होगा।

असल में आज की युवा सभा, युवक संघ की ओर से आयोजित की जानी चाहिए थी। लेकिन आज वह स्वतंत्र लेबर पार्टी की ओर से आयोजित की जा रही है। अच्छा ही होता कि अगर यह सभा युवाओं की ओर से आयोजित होती। युवाओं में छुटपुट मतभेद हैं यह बात सच है। पहले यह घोषणा हो चुकी थी कि परिषद् का आयोजन नासिक

---

* 26 फरवरी, 1938, प्रस्तुत भाषण 12 तारीख का होने के बावजूद परिषद की खबरों में व्यवधान न हो, इसलिए 13 तारीख के बाद प्रकाशित किया जाएगा–संपादक

जिला युवक संघ के तत्वावधान में होगी। लेकिन फिर मतभेद हुए। सके बवजूद अपने मतों पर अड़े रहने के बजाय परिषद् होनी चाहिए, भले किसी की तरफ से ही आयोजित क्यों न हो सोचकर उदात्त भावना के साथ उन्होंने परिषद् का आयोजन किया यह बात अभिनंदनीय जरूर है। सार्वजनिक काम करने वालों में या करने की इच्छा पालने वालों में यह भावना अगर नहीं होगी तो उनके हाथों कोई काम नहीं होगा। इसलिए सार्वजनिक काम करने वालों को और करने की इच्छा पालने वालों को हमेशा अपने मन में ऐसा भाव जगाए रखना है, उसी में समाज का हित है। युवक संघ द्वारा उपस्थित किए गए इस प्रशंसा योग्य और अनुकरणीय काम के लिए मैं एक बार फिर उनका अभिनंदन करता हूँ।

युवाओं की परिषद् में मुझे जो बताना है उस मैं पुस्तक रूप में प्रकाशित करना चाहता था। इसके बावजूद, काम की बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण अभी तक वह संभव नहीं हो पाया है। फिर भी जल्द ही इसे मैं पुस्तक रूप में प्रकाशित करूँगा। आज के इस अवसर पर मैं यहाँ केवल एक-दो महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। उम्र के चालीस वर्ष मैंने पार किए हैं सो मैं पहले ही कबूल चुका हूँ कि मैं युवक नहीं हूँ। इंसान को अपने जीवन में खाने-पीने और जीने को ही जीवन के अंतिम उद्देश्य नहीं मानने चाहिए। जिंदा रहने के लिए खाना-पीना चाहिए और जीना सम्मानपूर्ण और समाज को किस पर नाज हो इस प्रकार समाज सेवा का होना चाहिए। भर-पेट खाना और इस धरती पर भार होकर जीना - इस प्रकार का जीवन रहे या न रहे एक ही बात है। इस संदर्भ में मशहूर नाटककार स्व. गडकरी एक जगह कहते हैं- ''समाज में जब तक हमारी इज्जत है तभी तक जीने में गर्व है।'' वरना समाज के लिए अप्रिय बन कर, बूढ़े बन कर, बिस्तर पर ही लेटे-लेटे, बहू-बेटों के तिरस्कार के लिए पात्र बन कर घिस-घिस कर जीने से बेहतर है हट्टे-कट्टे रहते हुए ही मौत आ जाए।

जब मैं युवा था तभी एक-दो महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपको बतना चाहता हूँ युवाओं को चाहिए कि वे हमेशा उदात्त लक्ष्य पालें। युवाओं को एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि काई भी अच्छी बात हासिल करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। 'तप के अंत में फल मिलता है' वाली कहावत इसी कारण रूढ़ हुई है। कार्य आत्मोन्नति का हो या राष्ट्रोन्नति का उसके लिए लगातार कोशिश करते रहना पड़ता है। उस कार्य के लिए व्यक्ति अपने आपको समर्पित करे। मैंने कई आधुनिक युवा देखे हैं जो लगातर 15 मिनट एक जगह बैठ नहीं सकते। पल-पल उन्हें बीड़ी सुलगानी पड़ती है। उन्हें चाय पीनी पड़ती है। उसके बगैर वे काम ही नहीं कर सकते। यह सही नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी जन्मजात बुद्धि के सहारे उन्नति नहीं कर सकता। पागल व्यक्ति दुनिया में बहुत कम ही पैदा होते हैं। बुद्धि को विकसित करना हरेक के बस की बात है। 24 में से 20

घंटों तक लगातार टेबल–कुर्सी पर बैठकर काम करना आना चाहिए। जिन्हें अपनी बुद्धि का प्रभाव पढ़ाना है उन्हें परिश्रम लेना चाहिए, तप करना चाहिए।

संकट में या दरिद्रता में फंसने पर इंसान निराश होता है। उसके मन में यह भाव होता है कि मुझे सफलता नहीं मिलेगी। इस भावना से ग्रस्त व्यक्ति जीवन जीने में असफल हो जाता है। हरेक युवा को कभी आशा नहीं त्यागनी चाहिए। जिस दिन वह आशा को त्याग देगा तभी से उसके जीने का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। फिर वह जिए या मरे केई फर्क नहीं पड़ेगा। हर युव में महत्वकांक्षा होनी चाहिए। महत्वकांक्षा के बगैर इंसान ना तो हाथ–पैर चलाएगा और न काई कोशिश करेगा। इसीलिए अस्पृश्य माने गए युवाओं में पहले महत्वकांक्षा के बीज अंकुरित होने चाहिए। मामलातदार, कलक्टर के दफ्तर जाओ या कोई कोर्ट जाओ हर जगह इन सफेद पोश भट–बामणें की ही संख्या बहुत अधिक होती है। इन हालात से बाकी लोगों का नाराज होना भले स्वाभाविक हो आज आपको निराश नहीं होना है। मन में ऊँची महत्वकांक्षा को पालते हुए उस दिशा में जी–तोड़ कोशिशें करनी चाहिए। मुझे मुंबई का गवर्नर भी बनाना जाए तो वह कम है ऐसा मानने वालों में से मैं एक हूँ। आप में से हरेक को ऊँची महत्वकांक्षा पालकर उसे फलीभूत करने की जी–तोड़ कोशिश करनी चाहिए, यही इतना सब बताने के पीछे मेरा उद्देश्य है।

युवाओं को अंदर कुछ और तथ बाहर कुछ और की आदत लगानी नहीं चाहिए। सत्य को ना छोड़ें। सत्य की तात्कालिक विजय भले ना होती हो लेकिन विजय आखिर सत्य की ही होती है। हममें दो मुँहापन नहीं होना चाहिए। दुनिया को जब एक बार पता चल जाए कि यह व्यक्ति दोमुँहा है तो फिर कोई हमारा भरोसा नहीं करेगा।

आज विद्या के दरवाजे, शिक्षा के दरवाजे हम सबके लिए खुल चुके हैं। आज शिक्षा की जो रियायतें उपलब्ध हैं वे हमारे जमाने में बिल्कुल नहीं थी। उस जमाने में हमें कहीं से कोई मदद उपलब्ध नहीं थी। यहाँ के विश्वविद्यालय में पढ़ते समय मेरे पिताजी, परिवार के अन्य लोग, एक बकरी, चूल्हा, चूल्हे के ईंधन की लकड़ियाँ, हफ्ते की मंडी से खरीदी जरूरत की चीजें आदि सभी सामान के साथ 8×8 के कमरे में रह कर कॉलेज की पढ़ाई करनी पड़ती थी। आज यह हाल बदल चुका है। साधनों के अभाव में शिक्षा नहीं पाई जा सकती यह शिकायत आज अगर हम करें तो वह निश्चय ही निराधार साबित होगी।

मेरी बड़ी इच्छा है कि हममें से हरेक को विद्यावान होना चाहिए। साथ ही, मुझे आज विद्या से, शिक्षा से बड़ा डर भी लगता है। पढ़े–लिखे लोगों से मुझे जैसा डर लगता है वैसा सबको लगना चाहिए। क्योंकि शिक्षा तलवार है, शिक्षा शस्त्र है। कोई आदमी अगर तलवार लेकर आता है तो आप सभी उससे डरेंगे। शिक्षा का अस्त्र हमेशा

उसे इस्तेमाल करने वाले पर निर्भर करता है। हथियार से इंसान अबलाओं की रक्षा कर सकता है। अच्छे व्यक्ति के हाथ में हथियार का होना अच्छा होता है लेकिन बुरे आदमी के हाथ में हथियार होना अच्छी बात नहीं। शिक्षित व्यक्ति में अगर शील और सौजन्य का अभाव हो तो उसे हिंस्त्र पशु से अधिक क्रूर और डरावना मानना चाहिए। अज्ञानी जनता दांव-पेंच लड़ाना नहीं जानती। पढ़े-लिखों के पास ही वे होते हैं। अगर किसी के पास सोच है तो कई लोग अपनी शिक्षा के सहारे उसे कैसे घेरें और मुश्किल में फंसाएँ इसी कोशिश में लगे रहते हैं। दीन-दुर्बल, गरीब किसानों के पास शिक्षा नहीं, इसीलिए उनके अज्ञान का फायदा पढ़े-लिखे, सेठ, ब्राह्मण, वकील आदि सब लोग दब रहे हैं। गरीब लोगों को लूटने, मुश्किल में डालने के लिए ही अगर शिक्षा का उपयोग होना हो तो ऐसी शिक्षा को धिक्कार है। इसकी तुलना में शील का बड़ा महत्व है। आजकल के युवाओं में धर्म के प्रति उदासीनता है। वे कहते है धर्म गांजा है। लेकिन मुझमें जो अच्छी बातें हैं और मेरी शिक्षा का जनता के लिए जा भी उपयोग हुआ हो वह सब मेरे अंदर बसी धार्मिक भावना के कारण ही हुआ है। मैं धर्म चाहता हूँ लेकिन धर्म का ढोंग नहीं चाहता। हिंदू धर्म नर्क है यह मेरा मानना अभी भी कायम है। सो, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि शिक्षा से अधिक शील का महत्व दें। साथ ही, अपनी शिक्षा को प्रयोग केवल अपनी दीन-दुर्बल जनता के उद्धार के लिए न करते हुए केवल 'अपनी नौकरी भली और अपना परिवार भला' की भावना के साथ बरतेंगे तो समाज को उनकी शिक्षा से लाभ ही क्या? युवकों पर आज जो जिम्मेदारी है उसे पहचान कर उन्हें इस काम में लग जाना चाहिए। जनता के हाड तक डर पैठ गया, दिखाई देता है। अपने कानूनी हक लेने के लिए भी वे साहस के साथ आगे नहीं आते। सार्वजनिक कुओं पर पानी भरना, सार्वजनिक सड़कों पर जुलूस निकालना आदि बातें डर के कारण वे नहीं करते। केवल युवा ही इन हालात को बदल सकते हैं। लेकिन पहले उन्हें इस काम के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए वे प्राणयज्ञ दल संस्थाओं की जगह-जगह स्थापना करें। प्रकृति प्रदत्त हक पाने के लिए उन्हें जारदार लड़ाइयाँ लड़नी होंगी। इस संदर्भ में एक मनोरंजक और बोधपूर्ण पौराणिक कहानी मुझे याद आई। उसे बता कर मैं अपना भाषण पूरा करता हूँ।

द्रोण बहुत गरीब था। वह अमीरों की बस्ती में रहता था। उसका अश्वत्थामा नामक एक बेटा था। बस्ती के अन्य बच्चों का सोने की कटोरी से दूध पीते हुए देख कर उसने भी।*

---

*· भाषण के इससे अगले हिस्से वाला अंक उपलब्ध नहीं हो पाया-संपादक

120

गरीबों के पेट पर लात मारने वाली सरकार का सत्ता से हटना ही बेहतर है*

25 फरवरी, 1938 को दोपहर 2 बजे इस वर्ष के बजट अधिवेशन की शुरूआत हुई। अधिवेशन के अध्यक्ष थे सम्माननीय मावलणकर। कई लोग इस अधिवेशन में उपस्थित थे। इस अधिवेशन में पैनल ऑफ चेयरमेन की पद पर (1) खान बहादुर अब्दुल्ला लतीफ, (2) स्वतंत्र लेबर पार्टी के श्री राजाराम आर. भोले, (3) मि. ब्राँबल और (4) सर एस. टी. कांबली की नियुक्ति किए जाने की घोषणा सम्माननीय ने स्वीकार की। पहले सवाल-जवााब हुए और उसके बाद एसेंब्ली के आगे सम्माननीय लट्ठे ने 1937-38 का बजट रखते हुए अपना भाषण किया। यह भाषण करीब दो घंटों तक चला था।

श्री लट्ठे के भाषण के बाद शुक्रवार की बैठक का कामकाज पूरा हुआ। शनिवार बजट पर चर्चा का दिन था। लेकिन उस दिन मुस्लिम लीग की सदस्या मिसेज सलिमा फैज तय्यबजी ने छोटा-सा भाषण देकर नए बजट में लड़कियों की शिक्षा का योग्य प्रबंध करने के लिए सम्मानीय फण्डणीस का अभिनंदन किया। इसके बाद श्री बाबूभाई पटेल ने बजट का अभिनंदन किया। उनके बाद उस दिन कोई और बोलने के लिए उठकर खड़ा नहीं हुआ। इसलिए मंगलवार तक एसेंब्ली की बैठक को स्थगित किया गया। मंगलवार के दिन पहले सवाल-जवाब का सत्र हुआ। उसके बाद बजट पर चर्चा की शुरूआत हुई। आज की बैठक में श्री जमनादास मेहता का पहला भाषण हुआ। बुधवार की बैठक की शुरूआत के बाद 2.30 बजे स्वतंत्र लेबर पार्टी के नेता डॉ. बबासाहेब अम्बेडकर का भाषण हुआ।

डॉ. अम्बेडकर ने अपने भाषण में कहा,

मुंबई सरकार के नए बजट .... पर कल और परसों जो भाषण हुए उनमें इस बजट का अभिनंदन किया गया है। लेकिन खेद के साथ मुझे यह कहना पड़ेगा कि मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। बजट पर नजर डालते ही, पहली नजर में ही, यह बजट निराशाजनक लगता है। बजट की योजना इस प्रकार की गई है कि अमीरों की जेब को सुरक्षित रख कर गरीबों को दुख-दर्द झेलने पर मजबूर किया गया है। इस बजट से भावी सुखदायी हालात का जरा भी अनुमान नहीं होता। न ही ऐसा लगता है कि यह हमारे

---

*· जनता, 5 मार्च, 1938

प्रांत के उज्जवल भविष्य की शुरूआत है। पोले आश्वासनों पर बजट की इमारत खड़ी है। हाँ, इस बजट में पुलिस फोर्स के बारे में की गई योजना कुछ हद तक अभिनंदनीय है। लेकिन इस योजना का श्रेय मैं ना. फड़णिस से अधिक गृहमंत्री को देना ही पसंद करूंगा। इसी पुलिस बल के बारे में वर्तमान सत्ताधारी काँग्रेस और पुरानी काँग्रेस का नाता कैसे असंगत था इसका अहसास सभी को है। काँग्रेस के असहकारिता आंदोलन के दौरान काँग्रेस को पुलिस के बारे में इतना अपनत्व महसूस नहीं होता था। अनगिनत खदर की टोपीधारी काँग्रेस वालों के मुँह से 'पीती पगड़ी हाय हाय' नारे निकाले हुए जिन लोगों ने सुना था उसी काँग्रेस को आज सत्ता में आने के बाद 36 हजार रुपयों की अतिरिक्त राशि आरक्षित करनी पड़ी यह जितने आश्चर्य और आनंद की बात है। वर्तमान काँग्रेस सरकार एसेंब्ली के अधिकारों पर अतिक्रमण कर रही है ऐसा लगता है। अब तक किसी भी सरकार द्वारा अपने ही अधिकार के तहत बजट में व्यय होने वाली बड़ी रकमों को तय नहीं मान लिया था। व्यय होने वाली रकम के बारे में सरकार को पहले से एसेंबली को सूचित करना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि सरकार को चाहिए था कि वह पहले एकाउंटेंट जनरल को इस बाात की सूचना देती कि उक्त रकम का उपयोग किस प्रकार किया जाने वाला है। लेकिन सत्ता के बल पर इन सभी बातों को नजंर दाज कर आज मुंबई सरकार अपनी कल्पना के सहारे बनाए हवाई किलों के निर्माण के लिए 36 लाख रु. इक्ट्ठा कर रही है। इस मामले में एसेंब्ली की राय तो नहीं ही ली गई है और अपने विधायक काम के बारे में थोड़ी-सी भी जानकारी नहीं दी है। लगता है गृहमंत्री की यह ईमानदारी राय है कि इस एसेंब्ली को कानूनों के तहत नियम बनाने का कोई हक नहीं पहुँचता। आज वे इस सदन में अनुपस्थित हैं इसलिए इस बारे में उनका पक्ष जानना संभव नहीं हैं फिर भी, गृहमंत्री द्वारा किए जा रहे सत्ता के गलत इस्तेमाल के बारे में मुझे यहाँ स्पष्ट रूप से कटाक्ष करना पड़ रहा है।

बताया जा रहा है कि नए, लोकोपयोगी काम करवाने के लिए सरकार ने एक करोड़ 16 लाख रुपयों की योजना बनाई है। लेकिन इन सभी आंकड़ों को खंगालने पर हाथ क्या आएगा? इस बड़ी रकम से हर वर्ष जो खर्चा होता है उसमें से 48 लाख 11 हजार रुपये तथा शराब पर पाबंदी लगाने के खाते में 31 लाख रुपए अलग रहे हैं। इस रकम को अगर मूल रकम से हटा दें तो जनता के उपयोग के अन्य लोगों के लिए केवल 37 लाख रुपए ही बचते हैं। इस प्रकार शिक्षा, पानी की आपूर्ति, स्वास्थ्य संबंधी मदद आदि पर व्यय होने वाली रकम वापिस मिलना असंभव होता है। या उस मद में खर्च की गई रकम से आय प्राप्त होना असंभव होता है। बेरोजगारी हटाना, स्वास्थ्य बीमा, बुढ़ापे के लिए बीमा, दुर्घटना बीमा, महिलाओं को जच्चगी के लिए आर्थिक सहायता जैसे कई जन-कल्याण के काम करने हैं। लेकिन इन मामलों के बारे में मुंबई सरकार चुप्पी साध

गई है। आज इन जन-कल्याण के कामें के लिए जो रकम रखी गई है वह अगले साल में भी रखना मुश्किल होगा ऐसा लगता है।

कामगारें के हित के बारे में नीति : पिछले अगस्त माह में इसी सत्ताधारी काँग्रेस द्वारा कामगारों की हितरक्षा के लिए जो नीति तय किए जाने की घोषण की थी उस योजना के अनुसार इस प्रांत पर कितना खर्च होगा इसका अंदाजा भी सम्माननीय गृहमंत्री देते तो अच्छा होता।

हमारे प्रांत के लोगों के लिए हितकारी योजनओं में से स. फडणीज की योजना को कुछ योजना को कुछ समय परे भी रख दें तब भी मेरी अल्पबुद्धि के अनुसार इस योजना पर न्यूनतम 24 करोड़ रुपयों का खर्च आएगा। इतना व्यय जो झेल पाए वही इस प्रांत सरकार बनने के लायक है यह मेरी राय है। लेकिन क्या हमारे प्रांत की सरकार इतनी बड़ी रकम जुटाने की कोशिश करेगी? पश्चिमी दशों की सरकारें प्रति व्यक्ति कितना खर्च करती हैं यह अगर देखा जाए तो इतना चलेगा कि कनाडा 9 पौंड, 8 शिलिंग, द. आस्ट्रेलिया 19 पौंड, आइरिश फ्री स्टेट 10 पौंड और मुंबई 7 पेन्स। यह अनुपात देख हमारी बुरी आर्थिक स्थिति का हाल कितना भयंकर है इसका पता चलेगा। हमारे प्रांत की आमदनी का विवरण देखें तो निराशा घेर लेती है। 1922 से 1935 के दौरान अन्य प्रांतों की आय में जो वृद्धि हुई है उसका प्रतिशत इस प्रकार है- मद्रास 26.5, पंजाब 28, संयुक्त प्रांत 16.5, असम 14.5, बंगाल 11.5 और मुंबई में केवल 3 (तीन) प्रतिशत। पिछले 13-14 सालों में अतिरिक्त कर से हुई आमदनी को अगर घटा दें तो मुंबई की आय 5.5 प्रतिशत घटी हुई दिखाई देगी। ऐसे हालात में हमारी सरकार अगर शराब पर पाबंदी लगाने का आंदोलन छेड़ती है तो यह डूबते पर बोझ लादने की मानसिकता को अपनाना है। इस योजना को अमल में लाते हुए अन्य किसी मद में होने वाली आय को बिना गिने भू-जस्व को कम करने की नीति भी अपनाई गई है। मेरा यह कहना है कि राजस्व में छूट नहीं दी जाए। मेरा कटाक्ष इस बात की ओर है कि शराब पर पाबंदी और भू-राजस्व में छूट इन दो योजनाओं पर अगर अमल किया गया तो सरकारी खजाना खाली हो जाएगा। उसे फिर भरने के लिए क्या किसी विधायक योजना का निर्माण किया गया है?

पिछले बजट के समय ना. फडणीस ने अपने भाषण में जो आशा से भरपूर वचन दिए थे उन्हें पढ़ने के बाद आज के बजट में क्या दिखाई देता है? उस वक्त दिए गए वचनों का आज के बजट में जिक्र तक नहीं है। उस बजट के समय बहुजन समाज के हितों के बारे में जो साहस आश्वासन दिया गया था वह इसमें कहीं दिखाई नहीं देता। इस बजट में कोई नया कर नहीं है इसलिए इसकी प्रशंसा की जा रहा है इसका मुझे

आश्चर्य है। नए कर न लगा कर असल में अमीरों पर से खर्चे का बोझ कम किया गया है। इस व्यवस्था से गरीबों को कष्ट झेलने पड़ेंगे, क्या इस बात का अहसास अपने को गरीबों की सहायक कहलाने वाली सत्ताधारी मंत्रीमंडल को भूल से भी कभी हुआ है? इसीलिए मेरा यह साफ कहना है कि यह नया बजट गरीबों का नहीं है, अमीरों का है और इसमें रत्तीभर भी शक नहीं है। सच पूछो तो गरीबों को हर सरकार से मदद ही मिलनी चाहिए। हमें गरीबों की खातिर मेहनत करने वाली सरकार चाहिए। निजी स्तर पर जो अमीर अपने बीबी-बच्चों को सारी सुख-सुविधाएँ दे सकते हैं उन्हीं की संकट के समय मदद करने के लिए यह सरकार खड़ी हो जाती है यह क्या हास्यास्पद नहीं है? इस प्रकार गरीबों के पेट पर लात मारने वाली सरकार सत्ता में आए इससे बेहतर है कि वह सत्यात्याग करे ऐसा मुझे लगता है।

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का भाषण बेहद प्रभावशाली रहा। कहते हैं कि उनके जैसा बेहतर, असरदार, परिणामकारी, सिलसिलेवार भाषण आज तक मुंबई विधिमंडल में नहीं हुआ था। इस बारे में हम भी यकीन करते हैं।

ना, लट्ठे के द्वारा जवाब में जो भाषण दिया गया वह संतोषजनक नहीं था। वह केवल आधे घंटे तक बोले। इसी से पता चलता है कि अपने विरोधियों को सीधा और सिलसिलेवार जवाब देना अधिक उनके लिए कितना मुश्किल हुआ था इसका यकीन होता है। उन्होंने अपने भाषण के अंत में बताया कि सभी वर्गों की जनता के हित ध्यान में देकर, ईमानदारी से काम कर रही है।

121

*अपराधी को सुनाई गई सजा को स्थगित करना यानी सजा को रद्द करना ही है

जाधवजी, गांधी और धीरजलाल इन दो अमीर लेकिन बदनाम सटोरियों को मुंबई हाईकेर्ट द्वारा जुए के आरोप में क़ैद की सजा सुनाई थी। मुंबई सरकार के गृहमंत्री ना. मुंशी ने उनकी इस सजा को अपने अधिकार के तहत स्थगित कर दिया था। इसके खिलाफ बैरिस्टर जमनादस मेहता द्वारा पिछले सोमवार को मुंबई लेजिस्लेटिव एसेंब्ली में कामकाज मुल्तवी की सूचना रखी थी क्योंकि लोकशक्ति सर्कुलर मामले में पहले से बदनाम ना. मुंशी ने ऐसा करके न्यायदान के कामकाज में अक्षम्य दखंलदाजी की थी।

इस सूचना के समर्थन में खुद बैरिस्टर जमनादास मेहता और मशहूर कानूनविद् और एसेंब्ली में स्वतंत्र लेबर पार्टी के नेता बैरिस्टर भी. रा. बनाम बाबासाहब अम्बेडकर ने विस्तृत भाषण दिए थे।

डॉ. अम्बेडकर ने इस सिलसिले में अपने 7 मार्च, 1938 के अपने भाषण में कहा था–

अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। चर्चा के आखिर में मैं बोल रहा हूँ और गृहमंत्री जी को जवाब देने के लिए समय की ज़रूरत होगी इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ जो कहना चाहता हूँ वह संक्षेप में कहूँगा।

मेरी अपनी राय व्यक्त करते हुए एक बात जो मैं कहना चाहूँगा वह यह है कि जिस कृत्य को लेकर यह निंदाजनक प्रस्ताव लाया गया है उसके घटित होने को लेकर मुझे विस्मय नहीं होता।

वर्तमान सरकार ने अधिकार ग्रहण के बाद जितने ऐसे काम किए हैं जिन्हें निःसंशय कानून का भंग करना कहा जा सकता है उनमें यह कृत्य परिसीमा तक पहुँचने वाला है इसमें दो राय नहीं।

हालाँकि, कुल कामों का ही यह भी एक हिस्सा है। जो नायक जारी है उसका यह एक अध्याय है। इस नाटक का अंत कब होगा कुछ कह नहीं सकते। इनमें से पहले काम के रूप में बोर्डोली के किसानों का उदाहरण दिया जा सकता है। वहाँ के किसानों की जब्त की गई जमीनें उन्हें वापस दिलाने का जोखिम सरकार ने यहाँ सिर आँखों पर

*· विविधवृत्त : 13 मार्च, 1938

लिया है। इसी बात का उदाहरण लिया जा सकता है। (एक सदस्य बीच में ही उठ कर खड़े होकर बोलने की कोशिश करते हैं)। मुझे कम समय मिला है इसीलिए विनति है कि जो मैं कहना चाहता हूँ उसे आप पहले सुन लें यह मेरी आपसे विनति है।

अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। सम्माननीय सदस्य नीचे बैठें। (डॉ. अम्बेडकर को उद्देश्य कर) मुझे डर है कि इस प्रकार अगर चर्चा जारी रखी जाए तो उसका क्षेत्र बढ़ता ही जाएगा। यहाँ मुद्दा यह नहीं है कि विगत कृत्यों के लिए सरकार जिम्मेदार है या नहीं है, मुद्दा यह है कि इस प्रस्ताव का विषय जो कृत्य है वह निषेधाई है या नहीं। सार्वजनिक रूप से जो व्यय महत्वपूर्ण बातें हैं उनसे यह बात जुड़ी है और प्रस्ताव को अनुमति मिलने के लिए इसका महत्वपूर्ण होना जिम्मेदार है। इसीलिए विवाद के दौरान भी गंभीरता बरतना लाजमी है। इसीलिए सम्माननीय सदस्यों से मैं यही विनती करता हूँ कि वे केवल पूर्वनिर्धारित बातों पर ही बोलें।

डॉ. अम्बेडकर : अध्यक्ष महोदय, आपके सामने यह मुद्दा प्रस्तुत करने की अनुमति मैं माँगता हूँ कि तुलना के लिए किसी बात को निर्धारित करना और इस बात की युक्तायुक्तता तय करने के लिए, उसके बारे में चर्चा करने के लिए उसका निर्देश करना इन दो बातों में फर्क है। बार्डोली की जब्त की गई जमीनें लौटाने की योग्यायोग्यता के बारे में अगर में चर्चा करता तो आपका निर्णय निश्चित रूप से मुझ पर लागू होता। इसलिए अगर मैं यह कहता हूँ कि इस कृत्य से सरकार के पुराने कृत्यों का सिलसिला चरम तक पहुंचा है या उनमें से किसी कृत्य का उसकी योग्यायोग्यता के विवाद में बिना पड़े अगर मैं निर्देश करता हूँ तो उसका यह मतलब नहीं निकलता कि मैं नियमों के खिलाफ जा रहा हूँ।

अध्यक्ष : तय बातों के मसले सभा के समाने हैं, अन्य बातों का अगर निर्देश किया जाए तो चर्चा के दौरान अन्य विषय भी सामने आ सकते हैं इसलिए, स्थूल रूप से भी अन्य विषयों की ओर निर्देश करने की अनुमति देना मुझे योग्य नहीं लगता।

डॉ. अम्बेडकर : अगर यह बात है तो मुझे सभा के सामने रखे गए विषयों पर ही बोलना होगा। सो, सभा के सामने जो विषय हैं उनके बारे में मैं बस यही बताना चाहूँगा कि, इस मुकदमे से संबंधित सभी बातों का हमें पता नहीं चल पाया है। जो भी पता चला है वह बस अखबारों के जरिए ही पता चला है। हमारे सामने कोई पक्का सबूत नहीं है। इस मुकदमे से संबंधित सच बातें सभा के सामने रखने की विनति सम्माननीय गृहमंत्री से की गई थी लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। इस कारण मुझे और सभा में उपस्थित अन्य लोगों को भी यह असुविधा सहनी पड़ रही है। सत्य बातें आखिर में जब सामने आ ही जाएंगी तब हो सकता है यह चर्चा अनावश्यक और अकालिक भी ऐसा साबित हो। अगर यह चर्चा अनावश्यक थी यह आगे चलकर साबित हुआ तो पूरा दोष

गृहमंत्री जी के ही मत्थे आएगा इसमें भी कोई शक नहीं। क्योंकि खुद उन्होंने सभा को शामिल कराते हुए इस मामले से संबंधित पूरी बातें उसके सामने रखने से उन्होंने ही इंकार किया है। अगर इस प्रस्ताव को ऊपर बताए तरीके से अगर रखा जाता तो शायद प्रस्ताव रखने वालों की ओर से शायद वापिस भी लिया जाता, या अन्य सदस्य इस चर्चा में हिस्सा लेने में अपनी कोई खुशी नहीं यही बताते। हालांकि गृहमंत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सो अगर यह चर्चा व्यर्थ होने की बात सामने आती है तो जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, तो उसके लिए गृहमंत्री ही जिम्मेदार होंगे।

अखबारों से हमें मिली जानकारी के आधार से इस मामले में अगर सोचा जाए तो यह मुद्दा उभरता है कि अपराधियों की सजा को स्थगित करने लायक क्या काई जानकारी सभा को प्राप्त हुई है? सम्माननीय गृहमंत्री जी उस पर शायद कहें कि हाईकोर्ट के पास सजा को स्थगित करने का अधिकार नहीं है इसलिए हाईकोर्ट द्वारा सजा को स्थगित करने से इंकार किया जाना सही कदम हुआ कि गलत यह सवाल ही यहाँ बेमानी है, मसला ये है ही नहीं। पते की और महत्वपूर्ण बात यह है कि सजायाफ्ता अपराधी की सजा कम करने अथवा रद्द करने का जो अधिकार कानून गृहमंत्री को सौंपा है उसका उन्होंने सही इस्तेमाल किया या नहीं? तारतम्य जाँचने की खास सहूलियत उन्हें अधिकार के रूप में सौंपी गई है, उसका उन्होंने सही तरीके से इस्तेमाल किया है या नहीं? सम्माननीय गृहमंत्री जी ने अपने अधिकार पर सही अमल किया है अथवा नहीं इस बारे में फैसले पर आने से पहले कुछ बातें स्पष्ट करना जरूरी हैं।

अखबारों की जानकारी के अनुसार इस बारे में जो पहली बात तुरंत ध्यान में आती है वह यह है कि इतने बड़े पैमाने पर जुआ खेलने वाले ये लोग दरिद्री नहीं थे। यह पक्की बात है। पेट के लिए रोटी कमाने का कोई अन्य उपाय उनके पास नहीं था इसलिए वे जुए जैसे निंदनीय उपाय की ओर मुड़े या उन्हें मुड़ना पड़ा ऐसी बात नहीं थी। हाथ में आई जानकारी से पता चलता है कि ये लोग अमीर बनिये हैं, उनके पास तगड़ी पूंजी है, कई कंपनियों के वे मालिक हैं। शहर के विभिन्न हिस्सों में उनके दफ्तर हैं, कुल मिलाकर बहुत बड़े पैमाने पर उनका व्यापार चल रहा है। इससे यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि दरिद्रता के कारण या विपरीत आर्थिक स्थितियों के कारण उन्हें दुर्भाग्य से जुआ खेलने की राह अपनानी पड़ी हो। जो स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं उनसे बिल्कुल उल्टे हालात साफ नजर आते हैं इसलिए ऊपर बताए कारण इन लोगों के बारे में सही हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाईकोर्ट में जो अर्जी दी गई थी उसमें भी इन लोगों की सजा स्थगित करने के लिए कोई अन्य कारण नहीं बताए नहीं गए थे। अपराधी बीमार थे या किसी रोग से पीड़ित थे ऐसा भी पता नहीं चलता है। इसका कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। या फिर, उन पर कोई बड़ी पारिवारिक आपदा आई थी जिसके कारण उन्हें मुक्त किए जाने के अलावा कोई चारा ही नहीं था ऐसा भी कुछ पता नहीं चला है। इस

बारे में जो तथ्य हमारे सामने आए हैं उनमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इसलिए ऐसा कोई अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। तीसरी वजह संभवत: यह बताई जा सकती है कि उपयुक्त न्यायालय में उन्हें अपील करना था। इस बारे में जो भी कहना हो वह सभी जानते हैं, गृहमंत्री मुझसे अच्छे तरीके से जानते होंगे। वह मुझसे भी बढ़े वकील हैं। वे जानते हैं कि प्रीवी कौंसिल द्वारा सैंकड़ों में नियम बना दिया है कि यह साबित किए बगैर कि न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है हिंदुस्तान के क्रिमिनल कोर्ट के बारे में की गई अपील को स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सामान्य धाराओं के भंग होने से संबंधित मामलों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। अपनी न्यायबुद्धि के अनुसार प्रीवी कौंसिल द्वारा क्रिमिनल अपील स्वीकारने से संबंधित अपना अधिकार क्षेत्र बेहद सीमित कर रखा है। प्रस्तुत मुकदमे के बारे में कहना हो तो जिस प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट अथवा जिनके सामने अपील प्रस्तुत की जाती है उस हाईकोर्ट- दोनों में से किसी एक के द्वारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की किसी धारा का अथवा सामान्य न्याय संबंधी सिद्धांतों का कहीं भंग हुआ हो ऐसा भी नहीं है। इस मामले में घास के तिनके जितना सबूत भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में, इन लोगों की दी गई सजा को स्थगित करने लायक कोई सबूत गृहमंत्री को मिला हो ऐसा मुझे नहीं लगता। वास्तविक स्थितियों पर गौर करने से मुझे कोई ऐसा सबूत दिखाई नहीं दे रहा है।

इसी प्रकार मेरी जानकारी के अनुसार आम अपराधियों को सुनाई गई सजा को इससे पूर्व किसी गृहमंत्री द्वारा मुल्तवी किए जाने का एक भी उदाहरण मुझे नहीं मिल रहा। प्रांत के सर्वश्रेष्ठ न्यायमंडल द्वारा न्यायबुद्धि के साथ दी गई सजा को स्थगित करने के लिए बीमारी या अन्य निजी मुश्किलें आदि को अब तक किसी कोर्ट द्वारा स्वीकार योग्य नहीं माना गया है। इसलिए, हाईकोर्ट की राय की प्रवाह किए बगैर उसके द्वारा सुनाई गई सजा को रोकने के मामले से संबंधित अगर कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए तो मुझे कहना पड़ेगा कि जो भी हुआ वह बेहद निषेधाई, नाम बदनाम करने वाला हुआ। हाईकोर्ट में आरोपी की ओर से जिन्होंने काम देखा उन वकील के द्वारा अर्जी दी गई थी कि इन कै़दियों को कारागार में विशेष रियायतें मिलें, उनके साथ दूसरी श्रेणी के कै़दियों-सा सलूक किया जाए। यह बात गृहमंत्री भी जानते हैं। कम से कम, हमें अखबारों के जरिए इस बात का पता चल ही चुका है। मुझे एक और बात का भी पता चला है कि आरोपियों के हाईकोर्ट के वकील द्वारा एक और बात की अर्जी हाईकोर्ट में दी थी कि आरोपियों की सजा को तात्कालिक रूप से मुल्तवी किया जाए। कोर्ट ने ये दोनों अर्जियाँ खारिज कर दी थीं। लेकिन यही दो अर्जियाँ या उनमें से एक अर्जी को गृहमंत्री ने स्वीकार किया है। ऐसा कर गृहमंत्री द्वारा जो अपराध किया गया है उससे अधिक कानून और व्यवस्था के प्रति उपेक्षा पैदा करने का कोई और काम इतने असरदार तरीके से शायद किसी ने ना किया हो। अपनी राय स्पष्टता के साथा व्यक्त करने में मुझे

किसी तरह की दिक्कत महसूस नहीं हो रही। सम्माननीय गृहमंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस करनी की समर्थनीयता की जनता को बताने लायक कोई वजह साफ तौर पर सामने नहीं आती हो ऐसे प्रस्तुत जैसा कोई काम क्या जनता के मन में राजनीति की और प्रशासन की सचाई के बारे में संदेह पैदा नहीं करेगा? एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ और यह सम्माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि सम्माननीय मुंशी जी ने जो आदेश दिया उसकी जानकारी क्या मुख्यमंत्री को थी? यह आदेश मंत्रीमंडल की अनुमति से लिया गया था क्या? या फिर गृहमंत्री ने अपने अधिकार में यह आदेश निकाला था? इस सवाल को उठाने के पीछे तगड़ी वजह है। नए संविधान के अनुसार काँग्रेस का मंत्रीमंडल सामुदायिक जिम्मेदारी के सिद्धांत के अनुसार राज्य का कामकाज भले हमारे पास इसका कोई पुख्ता सबूत ना हो तब भी चला रहा है। यह हम मान कर चल रहे हैं। इसी कारण यह मामला पूरे मंत्रीमंडल के सामने या कम से कम कानूनन प्रांत के कामकाज के लिए जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मुख्यमंत्री के सामने रखा गया होगा यह मानने में हमें कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही है। इस बात का जिक्र करना या अब सवाल पूछना मैं टाल नहीं सकता। क्योंकि मेरी राय में यह बेहद गंभीर मसला है। अपराधी को सुनाई गई सजा को उस पर अमल होने से पहले मुल्तवी करना कानून को उखाड़ना ही है। इसलिए मैं इस निष्कर्ष तक पहुँचा हूँ कि प्रांत की सरकार का कामकाज और जनता के कल्याण पर गंभीर असर डालने वाले ऐसे काम मुख्यमंत्री की जानकारी के बगैर हुआ है। मेरे लिए यह जानना जरूरी है कि मेरा यह निष्कर्ष सही है या गलत। सो, उम्मीद करता हूँ कि मंत्रीमंडल द्वारा मेरे इन सवालों के जवाब दिए जाएंगे।

122

*सत्याग्रह की सफलता का श्रेय सबका है, मुझ अकेले का नहीं

19 मार्च, 1938 के दिन सोमवंशीय हितकारी समाज तथा ताडवाडी के अखिल अस्पृश्य रहिवासियों के तत्वावधान में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर और डॉ. पी.जी. सोलंकी को मानपत्र और थैली अर्पण करने का समारोह आयोजित किया गया था।

उपर्युक्त समाज की ओर से महाड सत्याग्रह के ग्यारहवें स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में अस्पृश्य समाज के इकलौते नेता डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर और डॉ. पी.जी. सोलंकी को उनके सर्वश्रेष्ठ और बहुमूल्य योगदान के लिए मानपत्र एवं थैली देकर उनका अभिनंदन करने का बड़ा सार्वजनिक समारोह शनिवार 19 मार्च, 1938 के दिन 'विविधवृत्त हे साप्ताहिक पत्रिका के मशहूर, विद्वान संपादक के रा. का. तटणीस की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सभास्थान रंगबिरंगी पताकाओं से और फूलों से सजाया गया था। वह महाड स्मृति दिन होने के कारण वहाँ के कार्यकर्त्ताओं ने समारोह से पहले झंडे को वंदन किया। सोमवंशीय हितकारी समाज के अध्यक्ष श्री रामभाऊ बोटीकर की अध्यक्षता में स्मृतिदिवस मनाया। पहले श्री कंटदीकर ने महाड सत्याग्रह के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उसके बाद मिठगावकर और श्री डोलस आदि वक्ताओं के इसी विषय पर भाषण हुए और रात 9.30 बजे मुख्य कार्यक्रम की शुरूआत हुई।

मंच पर मुंबई लेजिस्लेटिव एसेंब्ली के भाई चित्रे, भाऊराव गायकवाड, डी.जी. जाधव, खंडेराव सावंत, भातनकर आदि विधायक; एडवोकेट तलपदे, स्वतंत्र लेबर पार्टी की सचिवद्वय श्री कमलाकांत चित्रे और एस. ए. उपशाम, नायागाव सेवा मंडल की मिस चाइल्ड, आर.सी.ए. मिशन की मिस डेसूर बाई और उनकी सहयोगी महिला, कई संस्थाओं के तथा अस्पृश्य वर्गीय कार्यकर्त्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। डॉ. बाबासाहेब के सभास्थान पहुँचते ही समता सैनिक दल के बैंड के ताल पर उन्हें सैनिकों सी सलामी दी। तालियों की कड़कड़ाहट से तथा जयध्वनि से आस-पास का वातावरण निनादित होता रहा।

पहले कुछ सामाजिक पद और पोवाडे गाए गए। उसके बाद श्री करंदीकर ने संक्षेप में अध्यक्ष का परिचय दिया। उनसे अध्यक्ष स्थान स्वीकारने की विनति की। श्री आर.आर. ढसात ने उसका समर्थन किया। उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट...................के साथ स्थानापन्न हुए। समारोह के लिएआए भास्कर राव जाधव आदि महान नेताओं के संदेश उन्होंने पढ़ कर सुनाए। साथ ही मानपत्र स्वीकारने में अस्वास्थ्य के कारण असमर्थता

*· जनता, 9 अप्रैल, 1938

जताने वाला डॉ. पी.जी. सोलंकी का पत्र भी पढ़ कर सुनाया गया। गायन मास्टर भीमाजी द्वारा प्रशिक्षित लड़के-लड़कियों द्वारा स्वागत पद गाया गया। श्री वि. का. उपशाम ने डॉ. पी. जी. सोलंकी के न आ पाने पर गहरा खेद प्रकट किया। उसके बाद उन्होंने डॉ. बाबासाहेब का मानपत्र पढ़ कर सुनाया। उसके बाद विधायक भाऊराव गायकवाड का भाषण हुआ। अपने भाषण में उन्होंने बताया कि डॉ. बाबासाहेब का काम सर्वश्रेष्ठ वर्णनातीत होने की बात योग्य शब्दों में बता कर स्वतंत्र लेबर पार्टी के संगठन पर जोर दिया। उसके बाद सड. तलपदे ने अपने भाषण में डॉक्टर साहब का गुणवर्णन किया। साथ ही काँग्रेस की पक्षपातपूर्ण कार्रवाइयों का वर्णन कर स्वतंत्र लेबर पार्टी को एसेंबली के कार्य के लिए धन्यवाद दिया। उनके बाद भाई चित्रे ने अपने भाषण में बताया कि किस प्रकार महाड के चवदार तालाब पर अस्पृश्यों के आत्मोद्धारक आंदोलन का बीज बोया गया और किस प्रकार आज वही आंदोलन अखिल किसान मजदूर वर्ग के लिए संघर्ष के सिद्धांत की बुनियाद पर स्वतंत्र लेबर पार्टी के रूप में कैसे संगठित हुई है और किस प्रकार जोरदार ढंग से चल रही है इसका सिलसिलेवार वर्णन कर बताया कि हमारे इस स्वतंत्रता संग्राम में कोई भी पाशवी ताकत हमारे विरोध में टिक नहीं सकेगी। अपने भाषण को पूरा करते हुए उन्होंने बताया कि अबके बाद हम अहिंसा की दिखाऊ लड़ाई लड़ते हुए मार नहीं खाएंगे, अब हम हमारे काम में अंडगे खड़े करने वाले हित शत्रुओं की जम कर पिटाई करेंगे। उसके बाद अध्यक्ष के हाथों श्री गजोबा दगडूजी दुधावडे ने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को चांदी के कास्केट में मानपत्र और 101 रु. की थैली अर्पण की। उन्हें फूलमालाएं पहनाने, गुलदस्ते दिए जाने पर श्रोताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट की और जयध्वनि से वातावरण भर दिया। श्रोताओं की और दर्शकों की ओर से डॉ. बाबासाहब का यह अलग तरह का गौरव था। उसके बाद अध्यक्ष की आज्ञा से डॉ. पी. जी. सोलंकी का मानपत्र भी विल डोलस ने पढ़ कर सुनाया। उसके बाद स्वयं अध्यक्ष ने अपने हाथों मेसर्स दुधावडे, बोरीकर, उपशाम, डोलस, करंदीकर और संस्था के सचिव श्री भवार आदि कार्यकर्त्ताओं के हाथ सौंप दी। उसके बाद डॉ. बाबासाहेब तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बोलने के लिए उठ कर खड़े हुए। उन्होंने कहा-

भाइयों और बहनों,

आप मेरा भाषण सुनने के लिए आतुर हैं लेकिन आज मैं अधिक बोल नहीं पाऊंगा। क्योंकि सेहत ठीक कराने के लिए आज मैंने व्रत रखा है। शनिवार है इसलिए आज मेरा व्रत नहीं है। भगवान या धर्म में मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं है। भगवान और धर्म की मूर्खताभरी कल्पनाओं के बारे में एक बार मैंने अपने हिंदु मित्रों को शंकर की पिंडी के बारे में जानकारी पूछी। वे बता नहीं पाए। क्या है शंकर की पिंडी। यहाँ मैं इसे ज़्यादा स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा। संक्षेप में बताना हो तो वह केवल संभोग दृश्य है। धर्म के प्रति श्रृद्धालु लोग उसकी षोडषोपचार से पूजा करें। हमें उससे कुछ लेना-देना नहीं। पते की

बात बस यह कि मेरा व्रत उस तरह का व्रत नहीं है। मेरा व्रत आज दोपहर शुरू होगा और आगे दो दिनों तक चलेगा–दो दिन और दो रातों तक व्रत रख कर मैं सोमवार की दोपहर में अन्न ग्रहण करूँगा। इन दो दिनों मं पानी तक नहीं पिऊंगा। इतना कड़क उपवास है यह। बाकी मनौतियां आदि मनाने के लिए उपवास रखते हैं। लेकिन डॉक्टर ने उपच के कारण मुझे हफ्ते में दो दिन खाली पेट रहने के लिए कहा है। शरीर स्वस्थ्य के लिए मुझे यह व्रत रखना पड़ रहा है। इसीलिए इस दौरान में अधिक बोल नहीं पाऊंगा। आज मुझे जो मानपत्र और थैली दी गई है उसके लिए मैं यहाँ के लोगों के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। दूसरी बात यह है कि, आज का मानपत्र रूखा–सूखा नहीं है, उसके साथ एक थैली भी है। मानपत्र का बड़ी खुशी के साथ स्वीकार कर यह थैली स्वतंत्र लेबर पार्टी को देने की घोषणा करता हूँ।

इस मानपत्र में अस्पृश्यों के आंदोलन का आज तक मैंने जो मार्गदर्शन किया उसका योग्य शब्दों में वर्णन किया है इसका मुझे संतोष है। मेरे काम का जो अलंकारिक वर्णन किया गया है वह असल में आप सभी के कठोर परिश्रम का फल है। महाड के 'चवदार तालाब सत्याग्रह' और नासिक 'मंदिर प्रवेश सत्याग्रह' के कारण हमारे आंदोलन के बारे में दुनिया को पता चला, हमारे आंदोलन को सफलता मिली। इन दोनों अवसरों पर मेरे भाई चित्रे और भाऊराव गायकवाड का साहस और कई संकटों का सामना करते हुए काम करने की लगन ही काम आई है, यह उसी का फल है।

123

*अमीरों के धन से अगर पार्टी का कामकाज चलेगा तो पार्टी की विशिष्टता खत्म हो जाएगी

27 मार्च, 1938 के दिन नायगांव, मुंबई में पृथक मजदूर पार्टी की सालाना सर्वसाधारण सभा हुई। इस अवसर पर अध्यक्षीय भाषण में डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर ने कहा,

स्वतंत्र लेबर पार्टी की आज की इस सालाना सर्वसाधारण सभा में उपस्थित रहने में मुझे खुशी लगती है। अपने पृथक मजदूर पक्ष का काम अनुशासनबद्ध तथा नियमबद्ध तरीके से जारी रखने की ओर ध्यान देना जरूरी है। आज की सभा महत्वपूर्ण है। आज ही सुबह मैंने स्वतंत्र लेबर पार्टी के मुंबई ऑफिस गया था। दो ढाई घंटे रुक कर वहाँ चल रहे कामकाज को मैंने देखा। वहाँ जो भी चल रहा है वह देख कर मुझे आनंद और आश्चर्य की अनुभूति हुई। अचरज महसूस होने की वजह यह है कि स्वतंत्र लेबर पार्टी का यहाँ का काम एकदम व्यवस्थित ढंग से और निर्विघ्न रूप से चल रहा है। अन्य कोई भी व्यक्ति अगर ऑफिस में जाकर देखे तो उसे भी वहाँ संतोषजनक ढंग से काम चल रहा है यही दिखाई देगा। जो लोग दफ्तर में जाकर वहाँ के कामकाज के सुचारू रूप से चलने की बात को देख नहीं पाएंगे उन्हें मैं अपने पूरे यकीन से बताता हूँ कि कुल काम ठीक ढंग से चल रहा है। दफ्तर में काम करने वाले स्वयंसेवक या कम मुआवजा लेकर काम करने वाले 9-10 वर्कर्स हैं उन्हें इस काम का श्रेय दिया जाना चाहिए। हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी होने के कारण हम उन्हें भरपूर मुआवजा नहीं दे सकते हैं इसके बावजूद वे व्यवस्थित ढंग से काम करते हैं। उनके लिए यह गर्व की बात है। अभी आपको जमा-खर्च की जो रिपोर्ट पढ़ कर सुनाई गई उससे आपको पता चल गया होगा कि अब तक हजार बार सौ रुपए खर्च हो चुके हैं। हजार बारह सौ रुपये अभी बाकी हैं। इस लेखे की तुलना काँग्रेस के जमा खर्च से की जाए तो पता चलेगा कि यह इतनी छोटी रकम है कि काँग्रेस को नोन-मिर्च के लिए भी नाकाफी होगी। अब तक कार्यकारी मंडल के 40-50 लोगों ने और बाहर के 25-30 प्रचारकों ने ही यह काम पूरा किया है। आप सब लोग अगर जी-जान से काम करें तो इससे बड़ा काम होगा। मुंबई शहर में अस्पृश्य वर्ग के लोगों की संख्या एक लाख से अधिक है। उनमें से चार हजार लोग ही अब तक स्वतंत्र लेबर पार्टी के सदस्य बन चुके हैं। यह शर्मनाक बात है। यहाँ बैठने की जो व्यवस्था की गई है उससे मैं देख पा रहा हूँ कि महिलाओं

---

*· जनता, 2 अप्रैल, 1938

के दो और पुरुषों के दो गुट हैं। पूछताछ करने पर पता चला कि महिलाओं का इधर वाले गुट ने स्वतंत्र लेबर पार्टी का सदस्यत्व लिया है और उधर वाले गुट ने नहीं लिया है। इन दो गुटों में सदस्यत्व न लेने वाली महिलाओं का गुट बड़ा दिखाई दे रहा है। इस बात का मुझे अचरज लगता है कि जिन महिलाओं और पुरुषों को यहाँ आकर सभा में क्या कार्य हो रहा है यह जानना होता है उन्हें आठ आने देकर सदस्यत्व लेने की बुद्धि क्यों नहीं आती? क्या आपने कभी सोचा है कि स्वतंत्र लेबर पार्टी का कुल कामकाज किसके लिए है? क्यों चल रहा है? यह काम आप पर और हम पर औरों से जो जुल्म ढाए जाते हैं उन्हें नष्ट करने के लिए है। सो, इस कामकाज के लिए मदद करना क्या आपका कर्त्तव्य नहीं है? यहाँ इक्ट्ठा महिलाओं में से कुछ महिलाओं को पान-सुपारी चबाने की आदत होगी। उसके लिए हर माह उनके रुपए दो-रुपए खर्च होते होंगे। ऐसे में स्वतंत्र लेबर पार्टी के काम के लिए सालाना आठ आने देने की बात उन्हें क्यों समझ में नहीं आती? मुझे महार महिलाओं से ही उम्मीद है। वे अगर स्वतंत्र लेबर पार्टी का सदस्यत्व लेती हैं तो पुरुषों को भी उनकी तरह सदस्यता लेनी पड़ेगी। अब तक आप लोग आठ आने देकर स्वतंत्र लेबर पार्टी के सदस्य नहीं बने इसका मुझे खेद है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही आप सभी स्वतंत्र लेबर पार्टी के सदस्य बनेंगे।

पुरुषों से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके हित के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी काम करती है और आप में से केवल चार हजार लोगों ने ही उसकी सदस्यता ली है यह सचमुच शर्मनाक बात है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों आप सब लोग इस पार्टी के सदस्य क्यों नहीं बन पा रहे हैं? काँग्रेस की केवल अमीरों की सहायता करने वाली संस्था के खिलाफ गरीबों के न्याय दिलाने का काम स्वतंत्र लेबर पार्टी कर रही है। आज एसेंब्ली में काँग्रेस से जवाब मांगने वाली और गरीबों की तरफदारी करने वाली एक ही पार्टी है और वह है स्वतंत्र लेबर पार्टी। काँग्रेस की तरह मुझे इस पार्टी के लिए अमीरों से पैसा नहीं मिल सकता, ऐसी बात नहीं है। कोशिश करूँ तो मैं अमीरों से भी इस पक्ष को बहुत सारे पैसे दिला सकता हूँ। लेकिन इस प्रकार अगर अमीरों के पैसों से अगर इस पार्टी का काम चले तो इस पार्टी की खासियत खत्म हो जाएगी। अमीर लोगों द्वारा यह पार्टी खरीद ली गई है, ऐसा होगा। फिर यह पार्टी गरीबों के हित में कैसे लड़ पाएगी? इसीलिए, गरीबों के हित के लिए अस्तित्व में आई स्वतंत्र लेबर पार्टी की मदद गरीबों को ही करनी होगी। इससे ही आपकी आजादी कायम रहेगी। गरीबों की गृहस्थी गरीबों को ही चलानी चाहिए यह बात अगर आप समझे हों तो मुझे उम्मीद है कि मुंबई शाखा के सदस्यों की संख्या चार हजार से चालीस हजार होने में देर नहीं लगेगी। याद रखें देश की आजादी काँग्रेस के सेठ-भट नहीं लाएंगे बल्कि स्वतंत्र लेबर पार्टी के श्रमजीवि वर्ग ही ले आएंगे।

124

*सामाजिक उन्नति का कारण है बदले हुए हालात

पहले ही की गई घोषणा के अनुसार शुक्रवार दिनांक 1 अप्रैल, 1938 की रात मुंबई की डेविड मिल चॉल के आगे वाले शैतान चौकी के मैदान पर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में सभा हुई थी। वहाँ 15 से 20 हजार तक के समुदाय की यह पहली ही सभा थी। सभा के आयोजकों ने इस सार्वजनिक सभा के लिए 'लाऊड स्पीकर' की सुविधा उपलब्ध कराई थी। धो. ना. गायकवाड, सभा के असली कार्यकर्त्ता श्री खैर मोउे के प्राथमिक भाषणों के बाद विधायक के एस सावंत ने सभी को सभा का महत्व समझाया। फिर सभा के आयोजकों द्वारा डॉ. अम्बेडकर से बोलने की प्रार्थना की गई।

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर बोलने के लिए उठ कर खड़े हुए तो वातावरण तालियों और जयकार की आवाज से गूंज उठा। उन्होंने अपने भाषण में कहा,

यहाँ इक्ट्ठा हजारों भाई-बहनों का मैं अभिनंदन करता हूँ। आनंद व्यक्त करता हूँ। यहाँ सभा में आने का यह दूसरा मौका है। हलांकि सात-आठ साल पूर्व मैं जब यहाँ आया था तब की और आज की सभा के हालात में जमीन-आसमान का फर्क है। आज की सभा में तब की सभा से कल्पनातीत फर्क हुआ है यह दिखाई दे रहा है। पहली बार मैं जब यहाँ सभा के लिए आया था तब सालुंके नाम के एक गुसाईं का यहाँ कीर्तन सप्ताह जारी था। मेरे भाषण से अधिक यहाँ के लोगों को उनके कीर्तन को सुनने की उत्सुकता थी। मैं केवल आठ-दस मिनटों तक बोल कर चला गया। आज इसी जगह मेरा ही भाषण सुनने के लिए हजारों लोगों को इक्ट्ठा देख कर मुझे आश्चर्य और कोतुक हो रहा है। पिछले आठ-दस सालों में लोगों के मन पर जो असर हुआ था वह कितना असरदार है इसका तुरंत अहसास हुआ। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि, पिछले दस सालों में स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की हमारी लड़ाई का अस्पृश्य बंधुओं पर कितना असर हुआ है वह अलग से बयान करने की जरूरत नहीं हैं। आज यहाँ इक्ट्ठा लोग मेरे अलावा किसी और का भाषण सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज जो ये बदले हुए हालात दिखाई दे रहे है। इसका कारण है- समाज की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक उन्नति की दिशा में किए गए प्रयास।

---

*· जनता, 9 अप्रैल, 1938

125

*हम पहले और आखिर में भी केवल भारतीय हैं इस सोच को अपनाएँ

सोमवार दिनांक 4 और मंगलवार दिनांक 5, अप्रैल, 1938 के दिन केवल गैर-सरकारी बिलों का काम होना था। आज कर्नाटक के विभाजन का प्रस्ताव एसेंब्ली के सामने आना था इसलिए स्पीकर की गैलरी में कर्नाटक के प्रसिद्ध नेता श्री गंगाधर राव देशपांडे आदि दिखाई दे रहे थे। दर्शक दीर्घा में भी कन्नड लोगों की ही भीड़ दिखाई दे रही थी। पहले कुछ सवाल-जवाबों के बाद श्री वी. एन. जोग ने अपना प्रस्ताव एसेंबली के सामने रखा।

श्री वी. एन. जोग द्वारा रखे गए प्रस्ताव के मूल प्रारूप में सैद्धांतिक तौर पर सुधार करने के बाद यह प्रस्ताव आगे दी जा रही उपसूचना के साथ एसेंबली में रखा गया जिन विभागों में मुख्य रूप से कन्नड भाषा बोली जाती है उन सबको साथ लाकर उनका एक स्वायत्त कर्नाटक प्रांत बनाने की जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए। एसेंब्ली की यह राय मुंबई सरकार ब्रिटिश सरकार तक पहुँचाए। श्री जोग ने कर्नाटक के विभाजन की सहमति बताई उसके बाद एसेंब्ली के कन्नड सदस्य श्री दोडुसेटी, नलवडी, जकाती आदि के भाषण हुए। उनके बाद करंदीकर, कॉ. झालूवाला, एस. पी. पाटील के भाषण हुए। उसके बाद स्वतंत्र लेबर पार्टी के नेता डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का विरोधी भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में कहा,

इस प्रस्ताव में उठाया गया सवाल मेरी नजर में बेहद गंभीर है। भाव विवश होकर किया जाए ऐसा यह काम नहीं है। कर्नाटक के विभाजन का मामला आसानी से हल होने वाला मामला नहीं है। विभिन्न प्रांतों के होने के बावजूद हम अस्पृश्य बंधु कभी ऐसा भेद-भाव बिल्कुल नहीं करते कि ये गुजराती है, ये महाराष्ट्रीय है या कन्नड है आदि। भवनाओं से रहित होकर मैं इस मसले को देख रहा हूँ। मुंबई इलाके के संयुक्त परिवार में इन तीनों प्रांतों के लोग पिछले 115 सालों से भाईचारे के साथ रह रहे हैं। करीब 90 सालों तक सिंध प्रांत भी हमारे साथ था। आज उसका विभाजन हो चुका है। हालांकि आर्थिक मामलों में विभाजित सिंध का हाल कितना है इसके बारे में आपको जानकारी होगी ही। कर्नाटक के विभाजन का मुख्य कारण यही है कि कन्नड बोलने वालों का एक अलग प्रांत है। हालांकि उनका एकीकरण कहाँ तक सफल हो पाएगा इस बारे में जबरदस्त आशंका है। क्योंकि इस कर्नाटक का बड़ा हिस्सा रियासतों में है। रियासतों का कन्नड हिस्सा अगर कर्नाटक में शामिल करवा लेना हो तो उसके बदले में रियासतों को दूसरा हिस्सा देना पड़ेगा। ऐसे

*· जनता, 9 अप्रैल, 1938

में खालसा प्रांत के लोग इतने मुआवजे पर रियासत में शामिल होने पर कभी राजी नहीं होंगे। क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? इसी तरह, आज के हालात में कर्नाटक के साथ अन्याय हो रहा है कहने में क्या मतलब है? इस बारे में सूक्ष्मता से सोचने पर पता चलेगा कि नए संविधान के अनुसार इस प्रांत को क्या कम प्रतिनिधित्व मिला है? भाषा पर आधारित जनसंख्या पर ध्यान दें तो मराठी भाषा बोलने वालों की संख्या 98 लाख से अधिक गुजराती बोलने वालों की संख्या 34 लाख और कर्नाटक के 32 लाख है। और इस जनसंख्या के अनुपात में गुजरातियों को 27, कर्नाटकियों को 21 जगह मिलनी चाहिए। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में विभाजन में गुजरात को 31 और कर्नाटक को 28 सीटें मिलने के कारण महाराष्ट्रीयनों के साथ अन्याय हुआ है। मैं प्रांतों में भेदभाव नहीं करना चाहता। लेकिन अब कर्नाटक प्रांत के विभाजन के कारण यह प्रत्यक्ष स्थिति उजागर करना जरूरी है। यही बात ऊंचे पदों के साथ भी है। इन पदों के विभाजन के दौरान का मराठी प्रतिनिधियों के साथ अन्याय हुआ है। मराठी प्रतिनिधियों का सैंकडा अनुपात 9.3 गुजरातियों का 3.6 और कर्नाटक का 3.1 है। लेकिन अधिकारियों के पदों का विभाजन मराठी-6, गुजरातियों का 6 और कर्नाटक का 4 इस प्रकार हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि कर्नाटक के साथ अन्याय नहीं हुआ है। इन प्रांतों की आर्थिक स्थितियों के बारे में देखें तो उनकी आमदनी 205 करोड़ से अधिक का प्रावधान नहीं है। हमारी मुंबई की सालाना आमदनी 4 करोड़ रुपये होने के बावजूद इस शहर की जरूरतें पूरी नहीं होती। और आधुनिक तरीकों से प्रांत के प्रबंधन के लिए ढाई करोड़ में कर्नाटक क्या कर पाएगा?

हमेशा अकाल से पीड़ित, वस्त्र और अनाज के अभाव में लोगों का बुरा हाल देखने के बाद इतनी कम आमदनी में इस आजाद होने की चाह रखने वाले इस प्रांत का खर्चा कैसे चलेगा? बहुत हुआ तो जिन थोड़े लोगों के हाथों में अधिकार के सूत्र आएंगे, जिन्हें उनकी लालसा है, बस उन्हीं लोगों को थोड़ा-बहुत संतोष मिलेगा। इसीलिए, इस प्रांत के विभाजन के लिए में कभी मान्यता नहीं देना चाहता। बिजापुर और बेल्लारी जैसे अकाल पीड़ित जिले जब अपनी समस्याओं के साथ मुँह बाकर खड़े हों तब प्रांत के खर्चों का आप आमदनी के साथ कैसे मिलान करने वाले हैं? हमारे समाज के लिए इस प्रांत में केवल दो ही स्थान हैं। यहाँ की एसेंबली में हमारे अन्य प्रतिनिधियों के कारण उन्हें समर्थन तो प्राप्त है लेकिन विभाजन के कारण ऊंचे वर्ग के लोग उन्हें परेशान किए बगैर नहीं रहेंगे। कोई प्रांतभेद, यहाँ तक कि मैं खुद को महाराष्ट्रीय कहलाना भी पसंद नहीं करता। साथ ही प्रांत भेद, संस्कृति आदि भेदभावों का मैं कभी पालन नहीं करना चाहता। पहले हिंदी, फिर हिंदू या मुसलमान यह भी मुझे सही नहीं लगता। सबको यही रूख अपनाना चाहिए कि पहले भारतीय, आखिर में भारतीय, और भारतीयता से परे कुछ नहीं चाहिए। भारतीय आजादी की लड़ाई के लिए यही मानसिकता सच्चे मायनों में पोषक है। इसी कारण मैं इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध करता हूँ।

126

*अपने पवित्र मत बेचें नहीं, उसे सत्कार्य में लगाएँ

बुधवार दिनांक 20 अप्रैल, 1938 को इस्लामपुर और ओंड में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में दो बड़ी सार्वजनिक सभाएँ हुईं। विधायक सावंत, ससाने मास्तर, मे. उबाले इस बारे के दौरे में उनके साथ थे। इस्लामपुर की सभा की शुरूआत श्री डी. एस. पवार के भाषण से हुई। उनके बाद विधायक सावंत का भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में काँग्रेस और स्वतंत्र लेबर पार्टी के काम की तुलना बड़ी कुशलता के साथ की। उसके बाद काँग्रेस ने किस प्रकार ब्राह्मणतर सत्याशोधक समाज नष्ट किया यह बता कर इस मामले में सातारा के मराठा समाज को उनके कर्त्तव्य का अहसास कराया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस बार जितना बोर्ड के चुनावों में अपनी पार्टी की ओर से इस्लामपुर तहसील के वालवा से श्री भाऊराव देवजी कांबले और तासगांव से श्री खंडनाक राजनाक इनामदार और खानापुर से श्री धोंडी मालू सालवे चुनावों में उतर रहे हैं। उन्हें ही अपना वोट दें। उनके भाषण के बाद डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर भाषण देने के लिए उठ कर खड़े हुए तब चारों तरफ से तालियों की आवाज गूंज उठी।

अपने भाषण में उन्होंने कहा,

अगले महीने, की 24 तारीख को इस जिले में जिला लोकल बोर्ड के चुनाव होने हैं। मैं यही बताने खड़ा हूँ कि इन चुनावों में पृथक मजदूर पार्टी की ओर से जो उम्मीदवार खड़े हैं उन्हीं को अपना मत देकर चुनाव जिताएं। आज की सभा में मराठा और अस्पृश्यों का मिला-जुला जमावड़ा है। इसलिए मराठों को अलग से जो मैं बताना चाहता हूँ वह बताना संभव नहीं हो पाएगा। खैर इस देश के हिंदु समाज की रचना ही ऐसी है कि ब्राह्मणों की अन्य सभी ब्राह्मणेतर वर्गों पर वर्चास्विता रहेगी। यहाँ कोई धार्मिक विधियाँ ब्राह्मणों के बगैर की नहीं जा सकती। अन्य व्यवहार में भी उनके अलावा संभव नहीं। हाइकोर्ट के ऊंचे पद से लेकर गांव के पटवारी तक ब्राह्मणों के अलावा कोई दिखाई नहीं देगा। 1919 से 1938 तक कौंसिल में केवल चार-पाँच ब्राह्मण ही दिखाई दिया करते थे। लेकिन अब इन ब्राह्मण काउंसिलर्स की गिनती 27 तक पहुँची है। मेरी जानकारी के अनुसार एसेंबली 11 में से 6 अधिकार वाली जगहें ब्राह्मणों ने काबीज कर ली हैं। उसमें पादील की हैसियत क्या है? 175 सदस्यों में से कोई भी उन्हें नहीं पूछता। सच पूछो तो इस देश की राजनीति बिना ब्राह्मणों के ही चलनी चाहिए। लेकिन आज राजनीति

---

*· जनता, 9 अप्रैल, 1938

में भट, सेठ, गुजर और साहूकार ही भरे हैं। उसमें गरीब किसान या श्रमजीवी वर्ग की कोई जगह नहीं। आज के हालात पर ध्यान दें लगता है कि गांधी जी के बाद यहाँ की राजनीति में गड़बड़ पैदा होगी। आज हम राजनीति में जो कुछ कर रहे हैं, सोचिए, क्या गांधीजी के बाद कोई इसे चलने देगा? महत्व देगा? इस बारे में अभी किसी ने सोचा ही नहीं। इसीलिए, अपने हित के लिए और देश के हित के लिए, आजादी पाने के लिए पृथक आंदोलन कीजिए। मैं यह नहीं कहता कि मेरी पार्टी में ही आइए। लेकिन अपने अधिकारों की रक्षा की जा सके इसलिए आंदोलन कीजिए। आप मराठा लोगों से एक बात कहनी है कि आपके हित के लिए हमारे विचारे मास्तर ने किसान पार्टी की स्थापना की है। मराठा लोग जरूर उनकी मदद करें। साथ ही जहाँ आरक्षित जगहें नहीं हैं वहाँ के अस्पृश्य लोग भी इस नई किसान पार्टी की ओर से खड़े उम्मीदवार की मदद करें। लोकल बोर्ड के इन चुनावों में कोई अगर झूठे वादे करे या लालच दे तो आप उसके झांसे में ना आए। अपने पवित्र मत बेचें नहीं उनका सही उपयोग करें।

डॉ. बाबासाहेब के भाषण के बाद श्री विचारे का भाषण हुआ। उसके बाद फूलमालाएँ अपर्ण विधि संपन्न हुआ। उसके बाद डी. एस. पवार ने मेहमानों को बढ़िया भोज खिलाया।

127

*औरों पर निर्भर रहना यानी एक बार फिर पेशवाई वाला मटका गले में लटकाने जैसा होगा

20 अप्रैल, 1938 के दिन दोपहर तीन बजे ओंड में सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में 6 हजार से अधिक केवल अस्पृश्य जनसमुदाय उपस्थित था। विधायक के. एस. सांवत ने ओंड़ गांव और वहाँ के प्रमुख लोगों का परिचय दिया। उसके बाद पृथक मजदूर पार्टी के हर किसी ने सदस्य बनने की विनती की। उसके बाद कराड के श्री शोखडे ने जनता अखबार और स्वतंत्र मजदूर पार्टी के बारे में जानकारी दी। फिर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने भाषण दिया।

डॉ. अम्बेडकर ने अस्पृश्यों की पहले और आज की स्थिति के बारे में तुलनात्मक जानकारी देने के बाद अपने भाषण में कहा,

"आज से अधिक बलशाली और मजबूत संगठन होना जरूरी है। स्वतंत्र लेबर पार्टी के सदस्य बन कर इस संगठन को मजबूत बनाया जाए तो हमारी सभी तरह की कठिनाइयों पर गौर किया जाएगा। यही पार्टी आपके हितों की रक्षा करेगी। आप कभी भी औरों पर निर्भर नहीं करना। औरों पर निर्भर रहने का मतलब है फिर पेशवे युग का मटका गले में बांध लेना।

उसके बाद हर गांव की ओर से डॉ. अम्बेडकर का फूलमालाएँ अपर्ण की गईं। इस कार्यक्रम के बाद लौटते हुए शिवडे, तहसील कन्हाड में पान-सुपारी समारोह संपन्न हुआ। गांव वालों के साथ ही साथ यहाँ मेघराजा ने भी डॉ. अम्बेडकर का कुछ देर तक स्वागत किया। समारोह में उवाले ने उपस्थित लोगों से विनति की कि यात्रा के दौरान डॉ. अम्बेडकर साहेब को काफी तकलीफ हुई है इसलिए जहाँ तक संभव हो उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाए। इसके बावजूद लोगों ने आग्रह किया तो डॉ. साहेब भाषण देने के लिए उठकर खड़े हुए। उन्होंने बताया, अगले माह की 24 तारीख को इस जिले के डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्ड के चुनाव होने हैं। इस तहसील में स्वतंत्र लेबर पार्टी की ओर से गणपत भीकाजी बाघमारे चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। आप सब अपना वोट उन्हीं को दें। उम्मीद है आप सब मेरे बताए अनुसार ही चलेंगे। इसके बाद डॉक्टर बाबासाहेब कार से सातारा के लिए रवाना हुए। वहाँ में काशिनाथ कांबले, भोसले, केखा मेढेकर और बनसोडे मास्टर ने उन्हें फूलमालाएँ पहनाईं। डॉ. अम्बेडकर वहाँ से आगे पुणे के लिए निकल गए।

---

*· जनता, 30 अप्रैल, 1938

128

*दंगों पर नियंत्रण के लिए कड़े उपाय करना जरूरी

पिछले चार–पाँच दिनों से जिस पर खूब चर्चा हो रही है उस ना. मुंशी बिल पर जिसमें उन्होंने दंगों के दौरान मुंबई के गुंडों को पकड़ कर तड़ीपार करने का अधिकार पुलिस कमिशनर को देने की सिफारिश की है वह 26 अप्रैल, 1938 को एसेंब्ली में चर्चा होनी थी। ना. मुंशी के मूल सुधार बिल में पृथक मजदूर पार्टी के नेता डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा सुलझाई गई उपसूचना खास महत्वपूर्ण थी। इस सूचना के कारण मत बिल का उद्देश्य निश्चित किया गया। डॉ. अम्बेडकर की सूचना का तथ्य इस प्रकार है–''मुंबई शहर या शहर के किसी भी हिस्से में विभिन्न जातियों में अनबन पैदा होने के कारण अगर आपात स्थितियाँ पैदा हों तो सरकार गैजट के जरिए त्वरित घोषणापत्र जारी कर इस बिल में उर्द्धत अधिकार कमीशनर को बहाल करें। ये अधिकार केवल एक महीने के लिए ही वैध रहेंगे। एक महीने से अधिक समय तक इस कानून की जरूरत पड़े तो एक बार फिर घोषणा की जाए। साथ ही इस पुलिस कमीशनर के हुकम पर प्रांत की सरकार से अपील करने का अधिकार का भी प्रावधान रखा गया है।'' इस सूचना के जरिए मुंबई शहर के नागरिकों के हकों की सुयोग्य तरीके से रक्षा की गई है।

27 अप्रैल, 1938 को एसेंबली में कुछ उपसूचनाओं के बाद डॉ. अम्बेडकर अपनी सूचना पर बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने अपने भाषण में कहा,

जिन गुण्डों के मवालीपन के बारे में ना. मुंशी ने इस बिल को प्रस्तुत करते हुए टिप्पणी की उनके बारे में पुलिस कमीशनर या ना. मुंशी से अधिक जानकरी मुझे है। 1911 से 1933 तक मैं मुंबई इंप्रुवमेंट चॉल में रहता था सो मैं जानता हूँ कि गुंडे या मवालियों से गरीबों को कितनी भयंकर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साथ ही, जिन दंगों के बारे में इस कानून को लागू किया जाने वाला है उसके बारे में थोड़ा इतिहास यहाँ बताने में कोई हर्ज नहीं। 1851 से 1938 तक मुंबई में कुल 9 भयंकर जातीय दंगे हुए। इनमें से पहला दंगा 1851 में मुसलमान और पारसियों के बीच हुआ। दूसरा दंगा भी 1874 में मुसलमान और पारसियों के बीच ही हुआ। उसके बाद सन् 1893, 1929, 1932, 1933, 1936 और 1938 में दंगे हुए। ये सभी दंगे हिंदू और मुसलमानों के बीच हुए हैं। इन सभी क्षेत्रों में जख्मी लोगों के आंकड़े बताने के बाद में बाबासाहेब ने आगे कहा कि इन दंगों के पीछे की मानसिकता को देखा जाए तो उन

*· 30 अप्रैल, 1938

पर अंकुश लगाने के लिए कोई कठोर उपाय लागू करना जरूरी है। सुधार की राह पर आगे बढ़ रहे मुंबई शहर को हर साल खून से नहाना पड़े यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। इसका सही बंदोबस्त हो इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। साथ ही, इस बिल से पुलिस कमीश्नर को जो अतिरिक्त अधिकार प्राप्त होने वाले हैं उनसे नागरिकों की आजादी को सही सुरक्षा प्राप्त हो इसलिए इस बिल के साथ यह उप-सूचना जोड़ी जा रही है। इसीलिए मैंने अपनी उप-सूचना में सुझाव रखा है कि आपात स्थिति में पहले घोषणा पत्र निकालने के बाद ही उस पर अमल किया जाए। पुलिस कमीश्नर को इस बिल के कारण मिलने वाले अधिकारों केवल दंगों तक ही सीमित रहे इसलिए इसे लागू करने की मियाद केवल एक महीने की रहे यह सूचना रखी गई है। ना. मुंशी ने भी साफतौर पर आश्वासन दिया है कि इस कानून का उपयोग जातीय दंगों के अलावा नहीं किया जाएगा। बहुमत से डॉ. अम्बेडकर की सूचना पारित होने के बाद इस बिल का पहला पठन पास हुआ।

129

*चुने गए लोग अपना काम करते हैं या नहीं इस पर ध्यान रखें

मंगलवार 10 मई, 1938 की सुबह डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मेल से नागपुर पहुँचे। किसी आपराधिक मुकदमे के सिलसिले में वह आए थे। वह नागपुर में है इस बात पर हर किसी को तब तक विश्वास नहीं हो रहा था जब तक कि वे खुद उन्हें देख नहीं लेते थे। कई लोगों ने मिलों से छुट्टी लेकर खुद अपनी आंखों से उन्हें देख कर यकीन किया। इस प्रकार हजारों की संख्या में जनसमुदाय जुटने लगा। आज कचहरी का कामकाज न होने के कारण सोचने-समझने के लिए थोड़ा समय मिला। उसी का फायदा उठाते हुए उनसे विनति की गई कि वे हमें आधे घंटे का समय दर्शनार्थ दें। बाबासाहेब के नेतृत्व में चलने वाले पृथक मजदूर संघ, नागपुर नगर तथा समता सैनिक दल आदि संस्थाओं ने तुरंत इंदोरा में उनके सार्वजनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह के समय जोरदार हवाएँ चल रही थीं, घनघोर बरसात हो रही थी और बिजलियाँ भी कड़क रही थीं। उसके बावजूद बाबासाहेब के दर्शन के लिए लोगों के झुंड के झुंड वहाँ जमा होने लगे। सत्यप्रसारक जलसा मंडल इंदोरा की ओर से भव्य मंच की व्यवस्था की गई। समता सैनिक दल के सैनिक अपनी वर्दी में हाजिर हुए। इस सभा के बीस हजार से अधिक पुरुष, महिलाएं उपस्थित थे। सब बाबासाहेब के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रात साढ़े नौ बजे बाबासाहेब की मोटर आते ही सैनिकों की ओर से पहले बैंड से बंदना दी गई। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बाबासाहेब के मंच पर विराजमान होते ही तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। उनके नाम की जयकार से वातावरण गूंज उठा। तब मंच पर आकर श्री आर. आर. पाटिल, सचिव, मध्य प्रांत और वन्हाड दलित फेडरेशन ने लोगों को उद्देश्य को कहा, ''भाइयों और बहनों, आप घंटे भर से जिस भगवान का इंतजार कर रहे हैं वह भगवान आप सबके सामने मंच पर उपस्थित हुआ है। आप उन्हें फूलमालाएं अर्पण करने के लिए उत्सुक हैं। मैं नाम लूंगा तब तक एक कर आकर आप बाबासाहेब को फूलों की माला अर्पण करें। स्वतंत्र लेबर पार्टी, नागपुर, नगर दलित फेडरेशन और समता सैनिक दल की ओर से फूलमालाएँ पहनाई जाने के बाद भारतीय सत्यप्रसारक जलसा मंडल, बेझनबाग, अम्बेडकर सोशल क्लब लाइब्रेरी, साहित्य चर्चामंडल, अस्पृश्य महिला बस्तीगृह, अम्बेडकर सहायक समाज, विजयी समाज, महार नवयुवक दल भानखेडा, बालवीर वाचनालय-सिरसपेठ, समता विजयी समाज, कुंभारपुरा

*· जनता, 14 और 21 मई, 1938

आदि कई गुटों की ओर से फूलमालाएं अर्पण की गईं। यहाँ सबके नाम स्थानाभाव के कारण देना संभव नहीं है। इसके बाद श्री बाबू मेश्राम, इंदोरा की ओर से एक छोटा-सा 'पोवाडा' गाया गया जिसमें डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के कामों का वर्णन था। फिर डॉ. बाबासाहेब से दो शब्द कहने की विनति की गई। पलभर में कहाँ सुई के गिरने की आवाज सुनाई दे ऐसी शांति हो गई। बाबासाहब बोलने के लिए उठकर खड़े हो रहे हैं यह देख कर तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट हुई। उनके नाम की जम बोली गई है। डॉ. बाबासाहेब ने कहा,

''भाइयों और बहनों,

इतने कम समय में, जोरदार हवाएँ-बारिश कड़कती बिजली भरे वातावरण में आप इतने लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं- मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। दूसरी बात यह कि मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ उस काम के लिए लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में, उनसे अधिक इंतजार करवाना मुझे शोभा नहीं देता। सो, आपका अधिक समय न लेते हुए एक-दो बातों का जिक्र कर में अपना भाषण खत्म करूंगा। आपके प्रांत में जो फूट पड़ी है उसके बारे में बोलने के लिए समय कम पड़ेगा इसलिए उस बारे में मैं फिर कभी बोलूंगा। आप जानते होंगे कि आपके प्रांत के लिए 20 सीटें मंजूर हुई हैं। उन्हें पाने में बहुत कष्ट उठाने पड़े। उन्हें बनाए रखना आपका कर्त्तव्य है। अस्पृश्य समाज गरीब और निर्धन है। राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में चिपकाए रखना उनके लिए कठिन है। कॉंग्रेस जैसी महत्ता के साथ भिड़ना कठिन काम है। सो ऐसे मुश्किल समय में आपको मिली राजनीतिक सत्ता को बनाए रखना बेहद मुश्किल है। चुनावों में आपने जिन्हें जिताया वे ठीक से, आपके हित का काम करते हैं या नहीं यह देखना भी आपका काम है। उनके काम पर नजर रखना, कौंसिल में आपका जो काम होता है उसमें आपके हित के सवाल, प्रस्ताव आदि रखते हैं या नहीं यह देखना आपका कर्त्तव्य है। हर सेशन सत्र के अंत में उनके द्वारा किए गए काम के बारे में आज की तरह सभा का आयोजन कर उनसे पूछ सकते हैं। जो आपके हित का काम नहीं करते हैं उनके खिलाफ वे जिस कौन्स्टीटयूएंसी से चुनाव जीते हैं वहाँ जाकर उनके खिलाफ प्रचार करना आपका कर्त्तव्य है। जिस प्रकार उन्हें चुनाव में जिताना आपका कर्त्तव्य है उसी प्रकार उनके काम पर नजर रखना भी आपका आद्य कर्त्तव्य है। इस प्रकार उन पर नजर रखी जाती है यह जानने के बाद डर कर ही सही वे काम करेंगे। इस प्रकार काम अगर होता रहा तो आपके हित का बहुत सारा काम होगा। आज समय भाव के कारण मुझे अपना भाषण यहीं रोकना पड़ेगा। इतना कह कर डॉक्टर साहब ने अपना भाषण पूरा किया। इसके बाद डॉक्टर साहब और इक्ट्ठा लोगों के प्रति धन्यवाद अपर्ण के बाद डॉक्टर साहब की जयकार ध्वनि के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।

130

*.....तो अपनी अलग यूनियन बनाएँ

11 मई, 1938 में नागपुर में सुबह 8 बजे डॉ. अम्बेडकर का छात्रों द्वारा स्वागत किया गया। उस वक्त डॉ. अम्बेडकर ने छात्रों से कहा कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वे समाज कार्य करें, समाज की सेवा करें। 10 बजे से 4.30 बजे तक वे दफ्तर गए। शाम 6 बजे वह कामठी चले गए। वहाँ श्री हरदास एल. एन के साथ उनका सार्वजनिक स्वागत किया गया। लोग बड़ी संख्या में इक्ट्ठा हुए थे लेकिन दुष्ट बारिश से यह देखा नहीं गया। लोगों के उत्साह को दबाने के लिए उसने अपना उग्र रूप धारण किया। इसलिए समारोह को थोड़े सयम में निपटाना पड़ा। फूलमालाएँ अपर्ण करने का समय नहीं बचा तो सैंकड़ों फूलमालाएँ उनकी गाड़ी पर ऊपर से डाली गईं।

इस प्रकार कामठी का कार्यक्रम निपटा कर आने के बाद उनके ठिकाने पर कई कार्यकर्त्ता इक्ट्ठा हुए। उनके बीच हुई बातचीत और चर्चा लोगों के हित में होने के कारण यहाँ देना अनुचित नहीं होगा।

पहले जी.आई.पी. रेल कामगारों ने सवाल पूछा कि हम रेलवे की यूनियन में शामिल हों या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए डॉक्टर साहब ने कहा, यूनियन अगर आपके हित का काम कर रहा हो तो आपको जरूर उसमें शामिल होना चाहिए। सभी को उसका सदस्य बनना चाहिए। आपके द्वारा दिए गए चंदे में से पाँचवाँ हिस्सा अगर आपके हित के लिए आरक्षित रखता हो, आपकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधि ले रहा हो और आपके हित में काम करता हो तो सब जरूर उसके सदस्य बनें। वरना अपना अलग यूनियन बनाएँ। मिलों में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी यह नियम लागू है। इसके बाद नागपुर के कार्यकर्त्ताओं की तरफ उन्होंने रूख किया। उनमें एम.एल. 8, उनके सचिव, सि. स्टे से कमेटी महापालिका सदस्य श्री आर. आर. पाटिल, सचिव, मध्य प्रांत और वन्हाड फेडरेशन और अन्य विरोधी पार्टी के सदस्य और कई नागरिक उपस्थित थे। रात साढ़े बारह बजे तक यह निजी वार्तालाप चल रहा था। इस वार्तालाप का प्रमुख हिस्सा संक्षेप में आगे दिया जा रहा है–

विरोधी पार्टी और डॉ. बाबासाहेब की पार्टी की कमियों के बारे में देर तक चर्चा होने के बाद डॉक्टर साहब ने इसका रामबाण इलाज इस प्रकार सुझाया :

*· जनता, 21 मई, 1938

(1) हजारां की संख्या स्वतंत्र लेबर पार्टी के सदस्य बनाइए और एकता की राह पर चल कर अपना बल बढ़ाए।

(2) दलित फेडरेशन का काम जातीय एकता तक सीमित रखें।

(3) समता सैनिक दल के जरिए सार्वजनिक कुएँ और स्थान कब्जे में लीजिए।

इसके बाद विभिन्न छोटे दलों के लोगों के डॉ. बाबासाहेब के कथ्य को समर्थन देने वाले भाषण हुए। डॉ. बाबासाहेब ने उन सबसे कहा कि स्वतंत्र लेबर पार्टी - को मजबूत बनाएँ। इसी पार्टी के झंडे के नीचे सभी एक हों। पृथक मजदूर संघ के काम को भी बढ़ाया जाए। डॉ. बाबासाहेब के भाषण से अन्य विरोधी पक्षों के सदस्य भी प्रभावित हुए। लोकनियुक्त सरकार चलेगी तो अपना क्या होगा यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर साहेब के नाम का इस्तेमाल कर अपने को अम्बेडकर पक्षीय कहलाने वालों को हमारी सूचना है कि कम से कम अब वे बाबासाहेब की आज्ञा को मानते हुए स्वतंत्र लेबर पार्टी के सदस्य बनें। श्री आर.आर. पाटील ने यह उम्मीद जताई कि अपने प्रतिनिधि चुनें और पूरे नागपुर शहर में डॉ. बाबासाहेब का एक ही स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाएँ रखें।

131

*अपने न्यायपूर्ण अधिकारों को पाने के लिए युवाओं को जान न्योछावर करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए

पिछले साल 10 जनवरी, 1938 के दिन कोंकण के किसानों ने मुंबई के एसेंब्ली हॉल तक 'मार्च' करते हुए अपने संगठन के बल का जो प्रदर्शन किया उसकी यादें, मुंबईकरों के दिल में अभी ताजा होंगी। स्वतंत्र लेबर पार्टी के नेतृत्व में किसान अनुशासन पूर्ण तरीके से तथा संघ शक्ति के साथ अपना मोर्चा एसेंब्ली तक ले गए। वहाँ डॉ. अम्बेडकर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल की ओर से विधायक खेर का इंटरव्यू लिया। इस साक्षात्कार में कोंकण के किसानों ने जमींदारों की ओर से ढाए जाने वाले जुल्म-जबरदस्ती के बारे में दिल को छूने वाली घटनायें किसानों के प्रतिनिधि विधायक खेर को बताईं। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया। इस प्रकार इस मुलाकात में आश्वासनों के अलावा और कुछ नहीं हुआ था। काँग्रेस सरकार की ओर से दिए गए आश्वासनों पर किसानों को रत्ती भर विश्वास नहीं था। इन हालात से अपनी राह कैसे ढूंढ निकाली जाए इस पर कोंकण के परेशान हाल किसान और उनके स्थानीय नेता सोच ही रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि पृथक मजदूर पार्टी के सम्माननीय नेता और श्रमिकों के लिए काम करने आए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर कोंकण दौरे पर आएंगे और किसानों का हाल प्रत्यक्ष देखेंगे इस खबर के मिलते ही स्थानीय नेताओं ने उनके दौरे का कार्यक्रम बनाया। और उस कार्यक्रम के अनुसार डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर अपने सहयोगी मित्र मे. भाई चित्रे, सुरेन्द्रनाथ टिपणीस, डी. वी. प्रधान आदि लोगों के साथ इस दौरे के लिए पिछले हफ्ते कोंकण में गए थे।

कोंकण की जनसंख्या करीब 13 लाख हैं। यहाँ कुणबी, महार, मराठे आदि 8 से 10 लाख किसान जमींदारों के जुल्मों से परेशान अपना जीवन बिता रहे हैं। इसके लिए जमींदारों के जुलमी कामकाज को उजागर करने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी द्वारा बनाए गए दौरे की प्रमुख और बड़ी सीमाएँ खोत के ही इलाके में ली गईं।

कणकवली की पहली बड़ी सभा

इस विभाग में लाउड स्पीकर आदि के सहारे प्रचंड जनमुदाय वाली सभाएँ पहले कभी होने की बात किसी ने सुनी नहीं थी। लेकिन कोंकण के महार आदि अस्पृश्यों की पहली प्रचंड सभा 14 मई, 1938 को कणकषली में हुई। यहाँ डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर

*· जनता, शनिवार 28 मई और 4 जून, 1938

ने जो उत्साह भरा भाषण दिया उससे अस्पृश्यों के मन में नई उमंग जाग गई।

पहले डॉ. बाबासाहेब ने उन्हें आने में एक दिन की देरी होने के बारे में बताते हुए खेद व्यक्त किया कि सबको एक दिन तक इंतजार करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने कहा,

यहाँ मुझे अलग भाषण देना होगा। जिस दिन से मुंबई में अंग्रेजों ने कदम रखा उसी दिन से हमारे महार समाज को अपना नसीब चमकाने का मौका मिला। अंग्रेजों की हुकूमत के कारण हमारे अपना नसीब चमकाने का रास्ता साफ हुआ। अंग्रेज विदेश से आए। उनके पास सेना-सिपाही नहीं थे। सेना खड़ी किए बगैर राज्य मिलने की संभावना नहीं थी। पेशवाओं के राज्य में उच्च वर्णों को ही बड़पन्न और सुख-संपत्ति मिल पा रही थी। इस कारण उच्च वर्ण के लोग सेना में नहीं जाते थे। पेशवा युग में अस्पृश्य आदि पद दलित वर्ग के साथ बेहद क्रूरता भरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें इंसान के तौर पर जीने की इजाजत ही नहीं थी। पराक्रमी और वीर होने के बावजूद दलित होने के कारण पेशवा युग में उनकी कोई पूछ नहीं थी। महार, मांग और चमारों के आगे अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के अलावा कोई और चारा नहीं था।

हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज महार, मांग, चमार आदि अस्पृश्य वर्ग के शूरवीर सैनिकों की मदद से बसा। कोरेगांव में बनी मीनार से इस बात का ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता हे। वरना अंग्रेजों को इस देश का राज कभी नहीं मिलता। इसके परिणाम अच्छे हुए या बुरे यह आप सब लोग जानते हैं। पेशवा युग के बारे में बताते हैं कि तब महारों को सड़कों पर खुले आम घूमने की छूट नहीं थी। कोई महार सड़क पर थूकता है और किसी ब्राह्मण का पैर उस पर पड़ता है तो ब्राह्मण छुआछूत का शिकार होता है। उसे एक बार फिर नहाना पड़ता है। इसलिए महारों के गले में मटकी बांधा करते थे। महार की पहचान के लिए उसे अपने हाथ में काला आगा बांधना पड़ता था। कुत्ते-बिल्लियों से भी महारों को गया-गुजरा, मानते थे। लेकिन अंग्रेजों की सैनिक भरती के कारण महारों की स्थितियाँ बदलीं। उनके साथ अपनत्व का व्यवहार किया। अपने साथ भी लोग इंसानियत से पेश आ सकते है इसका उन्हें अनुभव हुआ। इस प्रकार अंग्रेजों के पहले कार्यकाल में सौ-सवा सौ सूबेदार, उससे कई गुना अधिक जमादार-हवलदार हुए। पुराने जमाने में गाँव का मराठा आदमी जिसके साये से बचा करता था वही सेना में दाखिल होने के बाद उसे अपने ही गाँव के महार सूबेदार को सलाम करना पड़ता था। अपना बड़पन्न बताने के लिया या गप्प हांकते हुए मैं यह सब आपको नहीं बता रहा। 1896 में अंग्रेजों ने महार लोगों की सेना में भरती बंद कर दी। इस कारण पदोन्नति पर रोक लगी। खुद कुलमाहा पीकर जिन अंग्रेजों को चावल पका कर खिलाया, जिनके लिए अपना खून बहाया उन्होंने ही हमारी उन्नति पर रोक क्यों लगा दी वह सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन इसमें अंग्रेजों का कोई दोष नहीं, दोष है तो बस हमारा और तुम्हारा है। महार अत्यंत दलित

जाति है। इस जाति का कोई सम्मान नहीं। इस तरह का इंसान अगर अंग्रेज सरकार के अधिकार पद पर अगर नियुक्त हुआ तो मराठा, क्षत्रिय आदि ऊंचे वर्ग के लोगों को उन्हें सलाम करना पड़ेगा। इससे अराजक फैलेगा। इसलिए उनकी पलटन में सेना में भर्ती पर रोक लगा दी गई। तब से हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने की नौबत आ गई है।

आज यहाँ पर आए सभी युवा इस बात की प्रतीज्ञा करें कि अब के बाद हम मरे हुए जानवरों को छुएंगे नहीं और जूठन नहीं खाएंगे। औरतें और युवाओं को प्रण करना होगा कि भले जान चली जाए लेकिन इन बातों पर अमल करना नहीं छोड़ेंगे। (तालियाँ) । उच्च वर्ण से याचना करने की दीनता हमें बंद करनी होगी। आगे कानून से मिले अधिकारों पर अमल करना चाहिए भले उसके लिए हमें अपने प्राणों की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। आज महारों की बस्ती में बीस लाख लोग रहते हैं। अधिकार पाने के लिए उनमें से एक लाख लोग मरें भी तो क्या? बूढ़ों से ज्यादा में युवाओं से कहना चाहता हूँ कि अपने न्यायपूर्ण अधिकार पाने के लिए आपको मौत को अपनाने के लिए भी तैयार रहना होगा।

अब एक आखिरी बात बतानी है। इस देश में नई राजनीति शुरू हुई है। इस देश में अंग्रेजों का राज है भावना सही नहीं। 1935 तक अंग्रेजों का राज था। लेकिन 1935 के कानून से अब यह राज लोगों के हवाले किया गया है। इस सत्ता से किसका फायदा होगा यह जिस-तिस की राजनीतिपटुता पर निर्भर करता है। कुछ समय पूर्व आप किसी कारण से अगर कलक्टर या मामलतदार के पास अर्जी देते तो वे उस पर सोचते लेकिन आज अगर आप अर्जी देंगे तो वे बताएंगे कि आज सत्ता हमारे हाथ में नहीं है। विधिमंडल के पास है। और यह बात सच भी है। विधिमंडल के कामकाज पर बारीकी से ध्यान दें। कौन-सा प्रस्ताव पारित हुआ, कौन-सा अभी पारित नहीं हुआ आदि बातों पर ध्यान दीजिए, पूछताछ कीजिए। अस्पृश्य लोगों के लिए 15 जगहें आरक्षित हैं। ये लोग क्या करते हैं इस पर ध्यान दें। इस बात का ख्याल रखें कि बहुमत बनाने के लिए और अधिक लोग उन्हें किस प्रकार शामिल हो सकते हैं? अधिक लोगों को शामिल करा लेने के लिए मैंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की है। आज भले यह छोटा हो, उसके सदस्यों की संख्या कम हो आप उसे बड़ा बनाने की कोशिश करें। हमारे इलाके में एक बहुत बड़ी और बलवान संस्था है। वह है काँग्रेस ध्यान रखें कि काँग्रेस भले बहुत बड़ी हो लेकिन वह गरीबों का कल्याण नहीं कर सकती। इस बात पर जरूर गौर करें कि किस वर्ग से आपका हित होगा। अमीर और उच्च वर्ण के लोगों ने हमसे हमारा इंसान होने का हक छीना। आज हमारी आन के लिए मोहताजी इन्हीं की वजह से है। इसी वर्ग के कारण आज हम अपनी वर्तमान हालत तक पहुँचे हैं।

मैं सभी ब्राह्मणेतर कुणबी वर्ग से कहना चाहता हूँ कि आप काँग्रेस में शामिल मत

होइए। आप और हम दुखी और परेशान लोग एक ही हैं। आइए हम एक होते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि वे साम्राज्य शाही के खिलाफ नहीं है। अंग्रेज सरकार को भगा देने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं। लेकिन यह सोच सही नहीं। अमीर और ब्राह्मण घर के चोर हैं। उनकी चालाकी बंद कर देनी चाहिए। हम अगर अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो यह कोई कठिन काम नहीं है। अंग्रेज पानी के जहाज में बैठ कर चले जाएंगे तो फिर बताएं उन्हें भगाना आवश्यक है या जमींदार-साहूकारों को भगाना अनिवार्य है? इन घर के चोरों से हमें लड़ना ही पड़ेगा। आप अंग्रेजों की सरकार नहीं चाहते तो बता दूं कि मैं भी अंग्रेजों की सरकार नहीं चाहता।

आज जो ब्राह्मणेतर वर्ग काँग्रेस में शामिल हो रहा है उनका नेता मेरा कहना मानते नहीं। आज उन्हें भले यह बात समझ नहीं आ रही हो लेकिन अगले पाँच वर्षों में वे इस बात को समझ ही जाएंगे और हमारी पार्टी में शामिल होंगे यह बात ध्यान में रखिए। (तालियाँ) जमींदारी की पद्धति गुलामी की है। इस पद्धति में कितना अन्याय होता है, कितने दुख भोगने पड़ते हैं यह आप जानते हैं। जमींदारी को खत्म करने के लिए काँग्रेस ने कुछ नहीं किया। इसीसे आप जान जाएंगे कि काँग्रेस किसकी है। इससे आगे काँग्रेस का विकास संभव नहीं। आज स्वतंत्र लेबर पार्टी का पौधा छोटा है लेकिन वह दिन-दुना रात-चौगुना बढ़ेगा। आप उसके छाये में बैठेंगे और ब्राह्मणेतर जनता भी उसकी छाया में आने वाली है।

इस प्रकार डॉ. अम्बेडकर का भाषण पूरा हुआ। उसके बाद परिषद् के आगे सात प्रस्ताव रखे गए और उन्हें मंजूर किया गया। वे इस प्रकार हैं-(1) मरे हुए जानवरों को ढोए नहीं, (2) महारों के दो गुटों - प्राण ओर बैल नष्ट करने के बारे में, (3) जमींदारी खत्म करने और महारों से संबंधित बिलों का समर्थन देना।, (4) होटल अथवा उपाहार गृहों में अगर स्पृश्य हिंदुओं की तरह का व्यवहार आपके साथ न हो तो उसे बहिष्कृत करना, (5) महार सेवा संघ के और शाखाओं के निर्माण के बारे में, (6) महारों के जो काम बंद कराए गए हैं उन्हें कोई और न करें, (7) हर गाँव आठ आनों का चंदा देकर संघ का बल बढ़ाएँ।

132

*बहुसंख्यक किसान और मजदूर वर्ग को देश का असल सत्ताधारी वर्ग बनाना चाहिए

दिनांक 4 मई, 1938 को कणकवली में हुई परिषद् के बाद वहाँ से 100 मील की दूरी पर बसे देवरुख में किसानों की सभा आयोजित की गई थी। 15 मई, 1938 को डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर अपने प्रमुख नेताओं के साथ मोटर से पहुँचे। वहाँ करीब 4-5 किसान बंधु उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। विशेष बात थी कि इस सभा में स्पृश्य-अस्पृश्य किसानों के साथ मुसलमान किसान भाई भी उपस्थित थे।

इस सभा में भाई चित्रे, डी.वी. प्रधान, सुखा टिपणी भास्करराव कोवले, घाटगे आदि नेताओं के जोरदार भाषण हुए।

इस अवसर पर डॉ. बाबासाहेब ने अपने भाषण में बड़ी स्पष्टता के साथ बताया कि,

हमारा उद्देश्य है कि हम खेतीहर किसानों की स्थितियों में सुधार लाएं और जमींदारी बिल पारित करवाएं। किसान अपनी कानूनी लड़ाई लड़ते रहे और साथ ही अपना संगठन भी बनाते रहें। काँग्रेस अगर जमींदारी बिल पारित नहीं करे तो आगे सत्याग्रह की मुहिम छेड़ने के लिए किसान बंधु तैयार रहें। कुणबी वर्ग बड़ी संख्या में स्वतंत्र लेबर पार्टी में शामिल हों। क्योंकि यही पक्ष गरीब, मजदूर, किसानों की हित साधना के लिए समर्पित है। ठीक उल्टे, काँग्रेस साहूकार, जमींदार और सफेदपोशों की है। क्योंकि वह उन्हीं के पैसों पर पलती है। इसीलिए काँग्रेस के जरिए किसानों का भला होने की उम्मीद बिल्कुल ना पालें। सो, सभी जातियों, पंथों आदि के भेदभावों को दूर रखते हुए सभी किसान यह लड़ाई जोरदार तरीके से और संगठित होकर तथा अनुशासन का पालन करते हुए लड़े। हमारी लड़ाई सच्चे सिद्धांतों की लड़ाई है। हिन्दी राजनीतिक सत्ताा सेठ-साहूकारों, ब्राह्मणों, जमींदारों, पूंजीपतियों की काँग्रेस के हाथ जाने के बजाय असली श्रमजीवियों के साथ जानी चाहिए। बहुसंख्यक किसान और मजदूर वर्ग को इस देश का सत्ताधारी वर्ग बनना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हमारी स्वतंत्र लेबर पार्टी के साथ कार्य करने लगा है। ठीक 5.30 बजे 'जय अम्बेडकर' और 'जमींदारी नष्ट हो' के नारों के साथ बरखास्त हुई।

उसी दिन शाम को संगमेश्वर तहसील के अखली गांव में शाम ठीक 7 बजे हुई

*· जनता, 28 मई और 4 जून, 1938

सभा में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, विधायक घाटगे और विधायक चित्रे के भाषण हुए जिसमें उन्होंने बताया कि किसान कानूनी ढंग से अपनी लड़ाई लड़ें और स्वतंत्र लेबर पार्टी के सदस्य बनें। ठीक 8 बजे सभा समाप्त हुई। उसके बाद डॉ. बाबासाहेब के साथ सभी लोग रात 9 बजे चिपलूण के डाक बंगले में पहुँचे। वहाँ नाइस्कर बंधुओं ने सभी मेहमानों को बढ़िया खाना खिलाया। 16 तारीख की सुबह श्री गडकरी वकील ने मेहमानों को नाश्ता कराया। उसके बाद डॉ. बाबासाहेब के साथ सभी लोग स्वतंत्र लेबर पार्टी का दफ्तर देखने गए। खुद बाबासाहेब ने चिपलूण के दफ्तर का मुआयना किया। पूरे इंतजामों के मुआयने के बाद बाबासाहेब तथा अन्य मेहमान श्री नाईस्कर के घर दोपहर का खाना खाने गए। थोड़ी देर आराम करने के बाद 1.30 बजे सब लोग गुहागर पेठा जाने के लिए निकले। दोपहर 2.30 बजे सब लोग डाक बंगले में पहुंचे। पुलीस पाटील श्री आसगोलकर ने मेहमानों को डाब का पानी पिलाया और आम खिलाए। थोड़ी देर आराम करने के पश्चात् बाबासाहेब और अन्य मेहमान ठीक 3.30 बजे सभा स्थान पहुँचे। सभा में विधायक घाटगे, भाई कोवले, भाई टिपणीस के भाषण हुए। डॉ. बाबासाहेब ने अपने भाषण में बताया कि किसानों को अपनी गरीबी से छुटकारा पाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी किसान संगठित होकर अत्याचारी जमींदारी पद्धति को उखाड़ कर फेंकें। तभी उनकी दीन-हीन स्थितियों में बदलाव आ सकता है यह बता कर काँग्रेस जमींदारी बिल अगर पारित नहीं करती है तो आगे की लड़ाई कैसे लड़नी है यह डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने बताया 'अम्बेडकर की जय' और 'जमींदार पद्धति खत्म करो' के नारे लगाते हुए सभा खत्म हुई। उसके बाद बाबासाहेब तथा अन्य मेहमान गुहगर पेठ के श्री खोत के घर नहाने के लिए रूके। कुछ देर सुस्ताने के बाद शाम 6 बजे गुहागर से चले तो 7-30 बजे सीधे चिपलूण के सभा मंडप में पहुँचे। वहाँ पहले श्री भाई कोवले का भाषण हुआ। उसके बाद विधायक घाटगे ने किसान भाइयों को बताया कि डॉ. बाबा. साहेब अम्बेडकर द्वारा किसानों की खातिर दौरे पर निकलना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने किसानों को बताया कि इसीलिए वे उनकी सभा में अब से अधिक संख्या में उपस्थित रहें। साथ ही सब स्वतंत्र लेबर पार्टी के झंडे तले एकजुट होकर जमींदारी पद्धति नष्ट करने में डॉ बाबासाहेब की मदद करें। दूसरे दिन सुबह चाय पीने के बाद सब लोग 8 बजे चिपलूण से चले। रास्ते में परशुराम मंदिर देखने के लिए लोग रुके। मंदिर देखने के बाद मंदिर के ट्रस्टी के घर डॉक्टर साहब और अन्य मेहमानों ने चाय तथा नाश्ता लिया। रात 9.30 बजे परशुराम से निकल कर सीधे खेड के डाक बंगले में सब लोग पहुँचे। श्री जाधव ने मेहमानों को चाय और अल्पाहार दिया। वहाँ डॉक्टर साहब और मेहमानों ने 2 बजे तक आराम किया। फिर सब खेड़ के समामंडप में पहुँचे। पहले तहसील सचिव श्री खांबे और विधायक घाटगे ने भाषण की शुरूआत की। उन्होंने संक्षेप में अपने भाषण में बताया कि किसानों को कानूनी तौर-तरीकों से ही अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए और

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में लड़ाई की शुरूआत कर उसमें सफलता प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसके बाद डॉ. बाबासाहेब बोले। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि किसान एकजुट हों और पक्ष की ताकत बढाएँ। जमींदारी का बिल अगर पारित नहीं किया गया ता क्या करना चाहिए इस बारे में संक्षेप में किसानों को निर्देश दिए। उन्होंने यह भी बताया कि किसान अपनी लड़ाई न्यायपूर्ण तरीके से और सही कानूनी ढंग से लड़ें। क्योंकि किसी और तरीके से लड़ कर सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने बताया कि पृथक मजदूर पक्ष में पूरा भरोसा रखें। यही पक्ष आप सभी किसानों का और गरीब जनता का हित करेगा। अन्य किसी पक्ष पर भरोसा ना करें। उनके बाद श्री चित्रे श्री टिपणीस और श्री प्रधान के भाषण हुए। उन्होंने भी अपने भाषणों में यही उपदेश दिया कि किसान संगठित बनें और डॉ. बाबासाहेब की नेतृत्व में किसान अपनी लड़ाई लड़ें और स्वतंत्र लेबर पार्टी क सदस्य बनें। उसके बाद सभा समाप्त हुई। बाबासाहेब और अन्य मेहमान उसके बाद खेड से दापोली के लिए निकले। रास्ते में विधायक घाटगे के गांव फुरुस' पहुँचे। वहाँ सूबेदार घाटगे, गांव के मुखिया, स्काउट तथा गाँव के कुछ प्रमुख जमींदार डॉ. बाबासाहेब के स्वागत के लिए आगे आए। उनके साथ तथा 'अम्बेडकर जिंदाबाद' क नारों के साथ सब फुरुसों में महारों की बस्ती में खाना खाने पहुँचे। वहाँ सूबेदार घाटगे, पेन्शनर गणपत सोनू गमरे आदि वृद्ध नेताओं ने मेहमानों की खास आवभगत की। खाना खाने के बाद डॉ. बाबासाहेब और अन्य मेहमान फुरुस गाँव के अखाड़े में मर्दानी खेल देखने गए। बाद में स्काऊट के साथ बाबासाहेब सड़क तक चल कर गए। डॉ. बाबासाहेब की जयकार तथा 'जमींदारी खत्म हो' आदि नारों के कारण फुरुस गांव के मुसलमान जमींदार डर गए। कई जमींदार छिप कर बाबासाहब के दर्शन कर रहे थे। स्काऊट और अखाड़े का श्री भी. गो. घाटगे और माधव राव फुरीसकर और गमरे आदि ने बेहतर प्रबंधन किया था। डॉ. बाबासाहेब के इस दौरे में पहली बार फुरुस में सूबेदारिन श्रीमती लक्ष्मीबाई घाटगे, श्रीमती गंगूबाई गमरे और श्रीमती मुक्नाबाई घाटगे ने आरती उतारी। सुश्री मुक्ताबाई घाटगे द्वारा सुस्वर में मंगलगीत गाया गया। 5.30 बजे अन्य मेहमानों ने साथ डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर फुरसा गांव से निकले। उस वक्त सूबेदार घाटगे और पेन्शनर गणपत गमरे ने सबको विदाई दी। दापोली में कालकाईचा कोड में डॉ. बाबासाहेब तथा अन्य मेहमानों का रुकने का प्रबंध किया हुआ था। वहाँ चाय पीने के बाद अध्यक्ष तथा अन्य मेहमान 8 बजे सभास्थल पहुँचे।

दापोली की सार्वजनिक सभा

सभा की शुरूआत हुई पहले सचिव श्री खांबे ने संक्षेप में डॉ. बाबासाहेब के दौरे के बारे में जानकारी दी। डॉ. बाबासाहेब भाषण देने के लिए उठ कर खड़े हुए लेकिन पिछली सभा में दिए गए भाषण के कारण उनका गला बैठ गया था। कोशिश के बावजूद

वह बोल नहीं पाए। आखिर उन्होंने उतना ही बताया कि मुझे जो भी कहना था आज वह भाई चित्रे के मुंह से आज आप सुनिए। श्री चित्रे ने दौरे के बारे में पूरी जानकारी देकर इस दौरे का डॉ. बाबासाहेब के स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर हुआ है यह बताया। डॉ. बाबासाहेब किसानों को जो बताना चाहते थे वह भाई चित्रे ने किसानों का अच्छी तरह समझाया। जमींदारों के जुल्मों को तब तक सहनशीलतापूर्वक सहना ही होगा जब तक जमींदारी का बिल पास नहीं होता। क्योंकि आज काँग्रेस सरकार, अधिकारी, कोर्ट-कचहरी सब जमींदारों, सेठ-साहूकारों की तरफ है। हमें इसी प्रकार अपनी लड़ाई लगातार, एकजुट होकर जारी रखनी होगी। जरूरत पड़े तो प्राण लगाने से भी पीछे नहीं हटना होगा। अगर इससे भी काम नहीं चलता तो काँग्रेस की ही तरह हमें अपना अधिकार साबित करने के लिए कारागार भी जाना होगा। बरसात के मौसम के बाद जमींदारी के बिल के बारे में जो निर्णय होगा उसी पर अगली लड़ाई निर्भर करेगी। सो फिलहाल बिना निराश हुए एका और सहनशीलता को कायम रखते हुए लड़ाई जारी रखनी होगी। भाई चित्रे के भाषण के बाद भाई टिपणीस, प्रधान, चिटणीस और कोवले के जोरदार भाषण हुए। आखिर में विधायक घाटगे ने अपनी जिम्मेदारी समझ कर दौरा पूरा किया। सभी स्थानीय नेता और कार्यर्त्ताओं ने उनकी मदद की। इसके लिए पृथक मजदूर पक्ष की ओर से भाई चित्रे ने सबको धन्यवाद दिया। डॉ. बाबासाहेब और अन्य मेहमानों द्वारा अपना अमूल्य समय इस दौरे के लिए दिया, इस इलाके का दौरा किया इसके लिए उनके प्रति आभार प्रकट किए और डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को फूलमाला अपर्ण की।

इन सभी सभाओं में कुलवाडी, महार, मुसलमान आदि 10 से 15 हजार को सभी जातियों, धर्मों के किसान बंधु प्रेम, उत्सुकता, आस्था के साथ और एकजुट होकर उपस्थित रहे। हर सभा में 20-20, 25-25 मीलों की दूरी से किसान आए हुए थे।

133

*जीवन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा पालिए

16 मई, 1938 को चिपलून में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का एक अत्यंत ओजस्वी भाषण हुआ। डॉ. साहेब के भाषण से पूर्व श्रीमती रत्नाबाई का भाषण हुआ। उसने कहा, "हम पर जमींदार बेहद जुल्म ढाते हैं और अब सब असहनीय होता जा रहा है। आप अब यहाँ सभा लेंगे और आगे खेड, दापोती चले जाएंगे। वहाँ से मुंबई लौटेंगे। हम जहाँ है वहीं रहने वाले हैं, हमेशा के लिए। आपके जाने के बाद भी हम पर होने वाले अत्याचार जारी रहेंगे। ऐसी स्थितियों में आप हमारे लिए क्या करने जा रहे हैं? इसके बावजूद मुझे डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के कार्य के बारे में आशा महसूस होती है।"आदि उनके भाषण के बाद काँग्रेसियों ने कुत्साभाव से तालियाँ बजाई।

जवाब में बाबासाहब ने कहा,

सचमुच यहाँ किसानों के साथ रह कर आपकी यथाशक्ति सेवा करना मुझे अच्छा लगता। मैं उसमें धन्यता महसूस करता। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आप की ही तरह मुझे भी अपने व्यवसाय में ध्यान देना पड़ता है। उस व्यवसाय के बगैर मेरे पेट भरने का मसला हल नहीं होता। मेरे व्यवसाय का दर्जा बड़ा हो सकता है लेकिन मैं खुद भी बंधा हुआ हूँ। मेरा जन्म गरीब हालात में हुआ।, मुझ परपिताजी के लिए 3-4 हजार रुपयों का कर्जा था। बताने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं पैदाइशी अमीर नहीं हूँ। सो, अपनी इच्छा के विपरीत आप सभी को छोड़ कर अपने व्यवसाय की खातिर मुझे मुंबई जाना होगा।

अभी, रत्नाबाई के भाषण के बाद कुछ लोगों ने मजाक उड़ाने के उद्देश्य से तालियाँ बजाई। उनकी तालियों का मैं यही मतलब समझता हूँ कि उनको लगता है कि किसी ने हमारे दल के बारे में, अच्छा ही है कि बुरा-भला कहा। लेकिन मैं पूछता हूँ कि इन लोगों को तालियाँ बजाने का क्या हक है? भले हम मुंबई में रहते हैं लेकिन ये लोग बारहों महीने यहीं रहते हैं। क्या उन्हें आपके दुख, तकलीफें दिखाई नहीं देतीं? वे आपके दुखों के बारे में जानते जरूर हैं लेकिन वे आपके लिए कुछ भी करना नहीं चाहते। कुछ जमींदार काश्तकारों को कहते हैं कि तुम्हारा अम्बेडकर क्या करेगा? देख लेंगे? ये जमींदार क्या मेरी और अपनी औकात एक-सी समझते हैं? कोई भी जमींदार मेरे सामने आए तो बुद्धि के बल पर मैं आसानी से उसे हरा दूँगा। वे अगर मेरी तुलना अपने साथ कर रहे हों तो मैं कहूँगा कि कहाँ हिमालय परबत और कहाँ राख की ढेरी! मैं अमीर

---

*· जनता, 28 मई, 1938

नहीं हूँ लेकिन मेरा अब तक का जीवन बिल्कुल निर्मल है और जो-जो मुझे आपके हित में लगा वह सब मैं करता आया हूँ और करता हूँ।

चुनाव के समय काँग्रेस ने जो वचन दिए थे उनमें से कौन से वचन उसने निभाए हैं? अब तक काँग्रेस द्वारा जो बिल पास किए गए हैं उनमें किसानों के हित की कितनी बातें हैं? उल्टे, जमींदारी बिल जैसा महत्वपूर्ण बिल पिछले 10 महीनों से काँग्रेस टालती रही है और चुनाव के दौरान किए गए अपने वादे पर कालिख पोत रही है। क्या आपको लगता है कि आज अगर मैं काँग्रेस में जाऊं तो वहाँ मुझे योग्य स्थान नहीं मिलेगा, या वहाँ मेरी प्रतिष्ठा बरकरार नहीं रहगी? अगर मैं काँग्रस में जाऊं- तो वहाँ भी अपनी बुद्धि के बल पर अपनी छाप जरूर छोड़ूंगा और सम्मान का स्थान प्राप्त करूंगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। गाँधी की जान किसने बचाई है? मैंने बचाई! लेकिन गांधी की काँग्रेस गरीबों के कल्याण के लिए नहीं है ऐसी मेरी पक्की धारणा होने के सुभाषचंद्र बोस पं. जवाहरलाल नहरू भी झुके लेकिन मुझ पर गांधी का कभी प्रभाव नहीं पड़ा। आज तक काँग्रेस ब्राह्मणों और सेठों के रुपयों पर पली है इसलिए उन्हीं की 'दासी' बन कर रह गई है। जो जिसका अनाज खाता है वह उससे उपकृत रहता है। फिर आप ही बताइए, सेठ-साहूकारों के पैसों पर पली काँग्रेस उनके खिलाफ कैसे जाएगी? आज तक 'भट-भिक्षु' लोगों ने आपके लिए क्या किया है? आप लोगों ने भी उनके घर के जूठे बर्तन धोने, कपड़े खंगाल कर साफ करने के अलावा क्या किया है? आज सरकारी नौकरियों में कौन लोग हैं? आज कहीं भी जाइए, जज, मामलतदार, मुंसिफ, कलक्टर आदि सब उन्हीं के सगे-संबंधी हैं। आज आपकी संख्या अधिक होने के बावजूद सरकारी नौकरियों में आपके लोगों की संख्या इतनी कम है तो यह क्या दर्शाता है? आपमें से किसी को इस देश का प्रधानमंत्री बना हुआ मैं देखना चाहता हूँ। मुट्ठी भर सफेदपोशों का नहीं मैं आप 80 प्रतिशत लोगों का राज चाहता हूँ।

जमींदारों के जुल्मों के कारण आप भीरू और डरपोक बन गए हैं। जमींदार ने आँख उठा कर आपकी और देखा तो आप कांपने लगते हैं। लेकिन अब आपको अपना यह डर त्यागना होगा। वह छेड़े तो उसको करारा जवाब देना आपको आना चाहिए। वह अगर आपको लाठी मारें तो आपकी भी लाठी उठाने की हिम्मत होनी चाहिए। हर व्यक्ति को स्वसुरक्षा का अधिकार कानूनन प्राप्त है। बैरिस्टर के नाते मैं उसकी पुष्टि कर रहा हूँ। इन सभी बातों पर आपको खुद ही अमल करना है। क्योंकि हरेक की मदद के लिए हम पुलिस-सिपाही नहीं दे सकते। आज आप सब लोगों को साथ मिलकर जमींदारी को खत्म करना हैं। सभी काश्तकारों को यही मानना होगा कि हमारी जाति एक ही है। जमींदार अगर महार काश्तकार की जमीन छीनता है तो कुलवाड़ी या मुसलमान को चाहिए कि वे उस जमीन को कसने से इंकार कर दे। इसी प्रकार कुलवाड़ी की जमीन छिन जाए तो महार और मुसलमान उस जमीन को कसने से इंकार करें और मुसलमान की जमीन अगर छीन ली जाए तो महार और कुलवाड़ी छीनी गई ना कसें। आज जमींदार आप पर जुल्म कर रहे हैं, लेकिन याद रखें कि यह हाथ-पैर मारने की उनकी आखिरी कोशिशें हैं। मरते समय आदमी ज्यादा हाथ-पैर

मारता है यह याद रखें आप जानते ही हांगे कि स्वतंत्र लेबर पार्टी आपके लिए जमींदारी बिल ले आई है। हालांकि आज विधिमंडल में काँग्रेस का बहुमत होने के कारण 'जमींदारी बिल' पास होगा ही इसकी शाश्वती नहीं है। अगर वह बिल मंजूर नहीं होता तो मैं बताऊंगा तभी से सभी काश्तकार जमींदार को इजारा ना दें। आप जानते हैं। कि आप अगर जमींदार को इजारा नहीं देंगे तो वह आप पर दावा कर जब्ती का वारंट लाकर आपसे अनाज वगैरेह बेलिफ के जरिए जब्त करवा कर ले जाता है। लेकिन रत्नागिरी जिले के सभी खेतीहर अगर जमींदार को इजारा देना बंद कर देंगे तभी सरकार का दिमाग वापिस ठिकाने आएगा। क्योंकि हर तहसील में 50-60 हजार किसान होते हैं। इस हिसाब से जमींदार को उतने ही दावे करने पड़ेंगे और हर तहसील में दो-तीन बेलिफ ही हाते हैं सो इतने सारे किसानों से इजारा वसूल करना असंभव हो जाएगा। और इस प्रकार जमींदार पद्धति को अपने आप झटका लगेगा। इस कारण अगर आपको कारागार जाना पड़े तो आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। यहाँ मैं घोषणा करता हूँ कि आपके लिए अगर कारागार जाना पड़े तो मैं सबसे पहले चला जाऊंगा। इसी प्रकार स्वतंत्र लेबर पार्टी के कार्यकर्ता भी अगर जरूरत पड़े तो आपके हित में कारागार जाने के लिए हमेशा तैयार हैं। लेकिन आपकी भी आत्म बलिदान की तैयारी होनी चाहिए। कारागार जाने में कोई बुराई नहीं। क्योंकि अधिकार के पद पर जो हैं वे काँग्रेस के सभी दीवाण' कारागार होकर आए हैं। ध्यान में रखिए कि आप चोरी या किसी अन्य गुनाह के लिए कारागार में बंद नहीं किए जा रहे हैं बल्कि सिद्धांत के लिए कारावास स्वीकार कर रहे हैं इस बात का जरूर ध्यान रखें।

काँग्रेस के कुछ प्रचारक स्वतंत्र लेबर पार्टी के बारे में बड़ी गलतफहमियाँ फैला रहे हैं। वे जताना चाहते हैं कि स्वतंत्र लेबर पार्टी का आंदोलन केवल चालाकी भरा और अज्ञानी किसानों को ठगने वाला है। यह आंदोलन डॉ. अम्बेडकर ने केवल इसीलिए चला रखा है कि महारों के जरिए अन्य जातियों को भ्रष्ट किया जा सके और रोटी-बेटी व्यवहार में गड़बड़ियाँ पैदा की जा सकें। मेरा आपसे यही कहना है कि आप ऐसी गलतफहमी बिल्कुल ना पालें। हम महारों में क्या अच्छी लड़कियाँ नहीं हैं? महार जाति पर मुझे पूरा भरोसा है। मुझे भरोसा है कि वे हमेशा मेरा साथ देंगे और मेरा अनुगमन करेंगे। लेकिन आप कुलवाड़ी और अन्य लोगों से मुझे यह उम्मीद है कि जमींदारी बिल के मंजूर होने के बाद आप स्वतंत्र लेबर पार्टी से अपने तालुक खत्म नहीं कर देंगे। पीढ़ियों तक आप स्वतंत्र लेबर पार्टी साथ अपने संबंध बनाए रखिए। क्योंकि जमींदारी बिल के बाद स्वतंत्र लेबर पार्टी कई और बिल लाने वाली है। क्योंकि स्वतंत्र लेबर पार्टी का अंतिम लक्ष्य यही है कि किसान और श्रमिकों के हाथ में सत्ता आए और उनकी सरकार ही स्थापन हो। करीब डेढ़ घंटों तक डॉ. बाबासाहेब के इसी प्रकार के विचार परिलुप्त भाषण के बाद भाई सुरेन्द्रनाथ टिपणीस, भाई चित्रे, भाई कोवले, भाई प्रधान आदि वक्ताओं के भाषण हुए। 'बाबासाहब अम्बेडकर की जय' की घोषणाओं के साथ सभा समापन हुआ।

134

*जमींदार खत्म करने का बीड़ा मैंने उठाया है

रत्नागिरी जिले में आयोजित कार्यक्रम होने के बाद 18 मई, 1938 को डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर आराम करने के लिए महाड में आए। 20 मई, 1938 को रात 9 बजे यहाँ के मशहूर गाड़ीतल में सार्वजनिक सभा हुई थी। करीब 10000 किसान बड़े उत्साह के साथ वहाँ आए थे। सभी विरोधी पक्ष के लोग भी आए हुए थे। अस्पृश्यों से अधिक स्पृश्य किसान ही शायद ज्यादा उपस्थित थे। सेठ, साहूकार, जमींदार आदि पूंजीपती लोग डरे-डरे आस-पास खड़े रह कर देख रहे थे। स्वयं-सेवकों की कतारों के बीच से होते हुए ठीक 9 बजे डॉ. बाबासाहेब सभास्थली पहुंचे। पहले श्री नानासाहब टिपणीस ने कुलाबा जिले में स्वतंत्र लेबर पार्टी ने किसानों के लिए क्या किया इसका विस्तृत वर्णन किया। मुर्शी चांढोरे जैसे गांवों के जमींदारों द्वारा किसानों पर ढाए जा रहे जुलमों को दूर करने का श्रेय पृथक मजूर पक्ष को ही है यह जानकारी उन्होंने दी। उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर बोलने के लिए उठकर खड़े हुए। मुंबई प्रांत की कॉंग्रेस की राजनीति और जमींदारी बिल इन दो विषयों पर करीब डेढ़ घंटों तक डॉक्टर साहब का जोरदार भाषण हुआ।

उन्होंने अपने भाषण में कहा-

चुनाव से पहले कॉंग्रेस ने किसानों को कई मीठे आश्वासन देकर उनके मत हासिल किए। सत्ता स्वीकारने के बाद कॉंग्रेस द्वारा पिछले ग्यारह महीनों में लोगों के हित का कोई काम नहीं किया गया है। उपाधीदान विरोध, लोकल बोर्ड जैसे गैर-जरूरी और अनुपयोगी बिल पास करने में कॉंग्रेस मंत्रीमंडल ने समय बिता कर लोगों को झांसा दिया है। हाँ, किसानों के जुलूस से डर कर कॉंग्रेस ने किसानों की जमीन बेचने पर पाबंदी लगाने वाला बिल पास किया। हालांकि उसमें भी कोई खास दम नहीं था। स्वतंत्र लेबर पार्टी द्वारा किसानों के हित की प्रस्तुत की गई कई उप-सूचनाएँ नामंजूर कीं। बड़ी मुश्किल से खेती में जरूरी दो बैलों को जब्त न किए जाने की उप सूचना उन्होंने मान ली। इस प्रकार कॉंग्रेस ने किसानों को ठगा है। सेठ -साहूकारों के पैसों से चुनाव जीतने वाली कॉंग्रेस सरकार अपने अन्नदाता के खिलाफ कानून बनाकर भी किसानों का हित नहीं कर सकती यह बात ध्यान में रखें।

जमींदारी को खत्म करने का बीड़ा मैंने उठाया है। कहा नहीं जा सकता कि कॉंग्रेस

---

*. जनता, 4 जून, 1938

सरकार इस बिल का समर्थन करेगी या नहीं हवा उल्टी दिशा में बह रही है। जमींदारी बिल पारित नहीं हुआ तो मैंने और मेरे सहयोगियों ने कारागार जाने का निर्णय लिया है। आप लोगों को भी हमारा अनुकरण करना चाहिए। इतनी तैयारी करो तो जमींदारी नष्ट करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा।

उनके बाद किसानों के प्रिय नेता श्री भास्करराव कोवले बोलने के लिए उठकर खड़े हुए। अपनी बुलंद आवाज में उन्होंने कहा, 'राष्ट्रगुरु डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जैसे बताएँ वैसे ही आप सभी बरतें। उनके दिए मंत्र के अनुसार चलें। जमींदार, साहूकार आदि की झूठी बातों और वायदों के शिकार न बनें तो जमींदारी खत्म होने में देर नहीं लगेगी। श्री कोवले के भाषण के बाद विरोधी पक्षों में से दो लोगों को बोलने की इजाजत दी गई।

135

*अपनी पार्टी के सदस्य बनें, अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाएँ

जावली तहसील के लोगों की लंबे समय से इच्छा थी कि डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जावती तहसील आएं। शनिवार दिनांक 21 मई, 1938 के दिल सुबह डॉ. बाबासाहेब पाचगणी में सूबेदार सवादकर से मिलने आने वाले थे। गुरुवार 19 मई, 1938 को शाम के समय इस बात की खबर जावली के लोगों को मिली। एक ही दिन में विधायक भाई चित्रे, बी.ए. की अध्यक्षता में जावली तालुका पृथक मजदूर पक्ष परिषद् का दूसरा अधिवेशन की घोषणा कार्यकर्त्ताओं ने कर दी। शुक्रवार के दिन सुबह से शाम तक सभी कार्यकर्त्ताओं ने पाचगणी और आसपास के छह मिलों में पम्फलेट और प्रचार-कार्य के सहारे कार्यक्रम की जानकारी लोगों तक पहुँचाई। शनिवार की सुबह ठीक साढ़े दस बजे डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, विधायक भाई चित्रे, रेवजी बुवा डोलस, नानासाहब सुरबा टिपणीस, कोवले और खरदार के साथ पाचगणी स्वतंत्र लेबर पार्टी की शाखा के दफ्तर में पहुंचे। शाखा के अध्यक्ष डॉ. एस.एस. बंदीसोडे ने सबका स्वागत किया। कुछ देर वहीं आराम और चाय-नाश्ता किया गया। दोपहर 12 बजे सब लोग डॉ. बिलिमोरिया अस्पताल में सुबेदार सवादकर से मिलने गए। एक-दूसरे के बारे में पूछताछ के बाद डॉ. अम्बेडकर से सूबेदार सवादकर के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की। उनके स्वास्थ्य में हो रहा सुधार देख कर डॉ. अम्बेडकर को संतोष हुआ। वैसे, सुबेदारजी को अपने स्वास्थ्य से अधिक आसपास के इलाके में समाज और राजनीति में क्या चल रहा है इसी की ज्यादा फिकर है ऐसा लग रहा था। उन्होंने एक के बाद एक कर कई प्रश्न पूछे। बाबासाहब, भाई चित्रे, टिपणीस आदि लोगों ने शांति से उनके प्रश्नों के जवाब दिए। सूबेदार सवादकर के मन में कोई उथल-पुथल चल रही थी यह उनके चेहरे से समझ आ रहा था। बीच-बीच में उनकी आँखों में आँसू भी चमक रहे थे। आखिर बाबासाहेब ने कहा, ''सूबेदार, स्वास्थ्य ठीक होने तक हिलना-डुलना नहीं और जब तक डॉक्टर इजाजत नहीं देते तब तक अस्पताल से बाहर नहीं निकलना।'' इस प्रकार डेढ़ घंटा सूबेदार साहब के सन्निद्ध बिता कर भारी मन से सबने उनसे विदा ली। सबको विदा करने के लिए सूबेदार साहब सड़क तक चल कर आए थे। दो बजे सेंट लुकस नार्सिंग होम के सुपीरटेंडट डॉ. क्युलर के घर डॉ. अम्बेडकर और अन्य सम्माननीय मेहमानों के लिए भोज का आयोजन किया गया था। उसके बाद सब लाग पास ही के परिषद्क भव्य शामियाने की ओर चले। वहाँ से बैंड की मधुर ध्वनि आ रही थी। लेझिम खेलने

*· जनता, 11 जून, 1938

वाले लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। पचगणी का समता सैनिक दल अपनी वर्दी में हा. जिर था। परिषद् के आयोजकों को प्रचार–कार्य के लिए केवल एक दिन मिला था फिर भी दो हजार के करीब वहाँ लोग पहुँच चुके थे। शामियाने के दरवाजे पर महिलाओं ने डॉ. बाबासाहेब की आरती उतारी फिर उन्हें फूलमालाएँ अपर्ण कीं। समता सैनिक दल और बैंड ने उन्हें सलामी दी। अम्बेडकर जयकार की ध्वनि से वातावरण गूंज रहा था। इस तरह के ठाठ के साथ अन्य मेहमानों के साथ डॉ. बाबासाहेब मंच पर विराजमान हुए। तालियों की गड़गड़ाहट–सी हुई। इसके बाद स्वागताध्यक्ष श्री बंदिसाडे और भाई अनंतराव चित्रे के भाषण हुए।

डॉ. बाबासाहेब ने अपने भाषण में कहा,

पिछल नौ दिनों से मैं लगातार दौरे पर हूँ। रात दो बजे तक मैंने महाड में भाषण दिया है और तड़के उठकर पांचगणी तक की यात्रा की है। इसलिए अब यहाँ भाषण देने की ताकत मुझमें बची नहीं है। आप सबने मेरा जो सम्मान किया है उसके लिए मैं आपके प्रति ऋणी हूँ। आपकी इच्छा है कि मैं कुछ बोलूँ। लेकिन क्या करूँ, इस बार मुझे आपको निराश करना पड़ रहा है। उम्मीद है कि इसके लिए आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। फिर कभी जब इस तरफ आना होगा तथा जो कुछ मुझे आपसे कहना है वह मैं कहूँगा। आज बस इतना ही कहता हूँ कि सौभाग्य से यहाँ स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना हो चुकी है। आप सब लोग उसके सदस्य बनें। अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाएँ और मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ इसलिए आपसे माफी मांगते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ।

136

*आपसी फूट के कारण काम नहीं बनते

तय कार्यक्रम के अनुसार रविवार 22 मई, 1938 को दोपहर 4 बजे अखिल भारतीय अस्पृश्यों के इकलौते नेता परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में पुणे जिला वतनदर महार परिषद को दूसरा........... अधिवेशन संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में श्रोता उपस्थित थे। 1000 मीलों की यात्रा कर विधायक का. रा. भोले, के. रा. मंघाले, वरिष्ठ नेता रेवजी दगडूजी डोलस आदि के साथ डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर आए हुए थे। अस्पृश्य समाज के कल्याण के लिए दिन-रात मेहनत करने वाले विधायक रामभाऊ राव जी बोरीकर, मे. शंकर मोहन जी शास्त्री मे. मजोबा दुधावडे आदि लोग मुंबई से तथा पुणे से वि. बा. भालेराव, डी. सी. मिशन, गायकवाड मास्टर और वाल्हेकर आदि लोग आए थे। ठीक 4.30 बजे बाबासाहेब अपनी जगह स्थानापन्न हुए और सभा की औपचारिक शुरूआत हुई। मातंग समाज के ना. स. कालोखे और शं. स. कालोखे ने डॉ. बाबासाहेब के सम्मान में गीत पेश किया। उसके बाद स्वागताध्यक्ष केशव राणूजी शिशुपाल- ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का स्वागत भाषण हुआ। उसके बाद उपस्थित श्रोत्र समाज के प्रति आभार व्यक्त किया गया। इसके बाद सटवाजी लक्ष्मण, किसन महादेव कालोखे, मे. मारूती शेबाजी गायकवाड़, विटठल का उपशाम, के. टी. भोसले, मे. मघले, में धाोगे आदि लोगों ने प्रभावपूर्ण और भावपूर्ण भाषण हुए। इसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच डॉ. बाबासाहेब बोलने के लिए खड़े हुए। उस वक्त चारों ओर जयकार की आवाज गूंज रही थी। डॉ. बाबासाहेब ने अपने भाषण में कहा-

हजार मीलों की यात्रा कर मैं इस परिषद् में उपस्थित रहने आया हूँ। पुणे जिले के महार लोग अन्य सभी जिलों के महार लोगों से बेहद अव्यवस्थित हैं। सुना है कि वे मरे हुए जानवर का मांस खाते हैं और जूठन भी खाते हैं। उनमें हमेशा आपसी झगड़े चलते रहते हैं। इन्हीं झगड़ों के कारण उनका कोई काम ठीक से नहीं बनता। धर्म के प्रति उनमें पागलपन है। मेरा भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं है। भगवान और धर्म के नाम पर कई तरह के पागलपन चलते रहते हैं। एक बार मैंने अपने 'हिंदू' मित्रों से शंकर भगवान की पिंडी के बारे में पूछा वह कुछ बता नहीं सकते। शिवलिंग क्या है इस बारे में यहाँ विस्तार से बताया नहीं जा सकता। वह केवल संभोग दृश्य है। ऐसे में धर्म के श्रद्धालु लोगों के द्वारा इक्ट्ठा कर एक दिन की यात्रा की खातिर धर्मशालाएँ

*· जनता, 4 जून, 1938

बनाना केवल स्वार्थ साधना है। धर्मशाला के लिए 150 रुपए दिए गए। तब वाडे गुट ने सुनाया कि आप अगर दो सौ रुपए देंगे तभी हम आपको वोट देंगे। इससे वाडे गुट के लोग कितने नीच हैं इसका पता चलता है। जिला बोर्ड में किसी ढेले को खड़ा कर उसके सम्मान के लिए मुआवजा मांगने वाले समाज के नुकसान के लिए कैसे जिम्मेदार होते हैं यह आप ही तय करें। सो ऐसे लोगों से तालुक न रखने में ही समझदारी है। भले वे अपने वोटों के जरिए किसी पत्थर को क्यों न चुनाव जिता दें, आगे उसका मुझसे ताल्लुक रहेगा यह बात वह ध्यान में रखें। इसीलिए स्वतंत्र लेबर पार्टी की ओर से खड़े उम्मीदवार श्री केशव राणूजी शिशुपाल और महादेव बालाजी कोकणे को ही अपना वोट देकर चुनाव जिता दीजिए। मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। आज की कॉंग्रेस सरकार मुंबई विधानमंडल के अल्पसंख्यक समूहों के बारे में जरा भी फिकर नहीं करती। केवल बहुमत के आधार पर वह मनमानी कर रही है। इससे किसान, कामगार और मजदूर लोगों की ही हानि होने वाली है। महारवतन बिल को जानकारी दिए जाने के बाद इस बिल को परिषद् ने समग्र रूप से समर्थन दिया। सबके समर्थन से प्रस्ताव पारित हुआ। पुणे जिले में बोर्डिंग खोले जाएँ और पुणे के सभी लोग ऐसे बोर्डिंग खोलने की कोशिश करें इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया। जीवदया संस्था को समर्थन देने की बात कह कर उन्होंने अपना भाषण पूरा किया।

जीवदया संस्था की ओर से औ. न. निजामुद्दीन साहब ने जीवदया संस्था का समर्थन करने के लिए डॉ. बाबासाहेब के प्रति हार्दिक धन्यवाद प्रकट किए। हर साल चार आने देकर पृथक मजदूर पार्टी के सदस्य बनने की बात भी तय हुई। आखिर करंदीकर मास्टर द्वारा धन्यवाद दिए जाने के बाद सभा समाप्त हुई। डॉ. बाबासाहेब को गुलदस्ता और फूलमालाएँ अपर्ण की गईं। करीब 6 बजे के आसपास डॉ. बाबासाहेब तथा अन्य लोग पुणे को रवाना हुए।

137

*ब्रह्मदेव भी अगर चाहें तो हमारी राजनीतिक उन्नति रोक नहीं सकते

अदालत के काम के सिलसिले में 17 जून, 1938 को डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर सुबह की गाड़ी से धुले आए। स्टेशन पर कई महत्वपूर्ण लोग उपस्थित थे। स्काऊट के जत्थों ने बाबासाहेब को सलामी दी। दोपहर के समय कोर्ट में भीड़ उमड़ी थी। कामकाज पूरा होने के बाद वकीलों की विनती का सम्मान करते हुए बाबासाहेब बार लाइब्रेरी में गए। वहाँ काकासाहब बर्वे की ओर से किया गया चायपान का आयोजन संपन्न हुआ। शाम को बाबासाहेब राजवाडे अनुसंधान मंदिर गए। वहाँ वकील तात्यासाहब भट, वकील भाऊराव कुलकर्णी, वकील काकासाहब बर्वे, रा. उपाध्ये, खरटमल, श्री जाधव, बोराले आदि लोग उपस्थित थे। काफी विचार-विमर्श के बाद खुद पाठक शास्त्री वहाँ उपस्थित हुए। भट वकील और शास्त्री बुवा ने जानकारी मुहैय्या कराने का वचन देकर अभिनंदनीय काम किया।

रात करीब आठ बजे म्यु. स्कूल नं. 8 के प्रांगण में सभा हुई। सभा के लिए 5-6 हजार लोग आए थे। प्राण यज्ञ दल संस्था के लोग अपनी लाल रंग की वर्दी पहन कर, उपस्थित थे। काफी महिलाएं भी वहाँ उपस्थित थीं। डॉ. बाबासाहेब और श्री जाधव आदि लोगों के आते ही तालियों की आवाज गूंज उठी। डॉ. बाबासाहेब के नाम की जयकार से सभास्थान गूंज उठा।। पहले श्री यशवंत राव चिंतामण गायकवाड, श्रीमती कृष्णाबाई आहिरे, गोजाबाई बगले, अहिल्याबाई देवराव, सुश्री सावित्रीबाई सांवत, श्रीमती आनंदीबाई जाधव आदि के स्फूर्तिदायी भाषण हुए। इन लोगों के भाषणों के बाद पश्चिम खानदेश के युवा, उत्साही भावी नेता श्री पुंडलिकराव तुकाराम बोराले का भाषण हुआ। इन लोगों के भाषणों के बाद विभिन्न संघों की ओर से और सुशिक्षित महार महिला और पुरुषों की ओर से डॉ. बाबासाहेब को करीब 40 फूलमालाएँ और गुलदस्ते अपर्ण किए गए। उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच डॉ. बाबासाहेब भाषण के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा,

प्रिय बहनों और भाइयों,

इस ओर लंबे समय से मेरा आना नहीं हुआ था मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत पंजाब आदि कई जिलों से मेरे पास कई लोगों के खत आए हैं। बल्कि, पूरे हिंदुस्तान से मुझे बुलावे

---

*· जनता, 2 और 30 मई, 1938

के खत आए हैं कहूं तो अत्युक्ति नहीं होगी। यह देश कितना विशाल है। एक आदमी काम का कितना बोझ ढोए? दूसरी बात, आजकल मेरी सेहत ठीक नहीं रहती। पिछले दो महीनों में मेरा वजन 38 पौंड कम हुआ है। इसके बावजूद अन्य हिस्सों की तुलना में इस ओर थोड़ी उपेक्षा हुई है। इस वक्त मैं केवल आश्वासन दे सकता हूँ कि कभी न कभी मैं इसकी भरपाई अवश्य करूंगा।

पिछले दस सालों से राजनीति और समाजनीति जिस ओर उन्मुख है उससे यह सोच कर मुझे डर लगता है कि पता नहीं देश किस हद तक और गिरेगा? हालांकि एक बात सही है कि राजनीतिक मामलों में डर पालने की जरूरत नहीं है। झांक कर भी जिनके साए से लोग बचते थे उन्हीं में से 15 लोग आज एसेंब्ली में बैठकर अधिकार और हक के साथ अपनी शिकायतें बयान कर सकते हैं। आज मुंबई के विधिमंडल में काँग्रेस जैसी प्रबल, मजबूत संस्था है। इतनी बड़ी संस्था को स्वतंत्र लेबर पार्टी से डर लगता है। (तालियाँ) अस्पृश्य समाज के लिए यह कोई छोटी बात नहीं है। आज काँग्रेस में लाखों रुपये खर्च करने वाले साहूकार हैं। शिक्षा में परंगत ब्राह्मणों की भरमार है। 40 सालों का इतिहास है। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना केवल एक साल पहले हुई है। साल भर में ही यह पक्ष इतना बड़ा हो चुका है। इसने इतना काम किया कि स्वतंत्र लेबर पार्टी का नाम पता न हो ऐसा व्यक्ति पुरुष या महिला नहीं मिलेगा। लेकिन राजनीति की ये विचित्र स्थिति है कि अन्य पक्षों को अब इससे डर लगने लगा है। जिन मराठा और कुणबी लोगों को हमसे मांगने में शर्म आती थी वे खुले आम हमारे टिकट पर चुनावों में उतर रहे हैं। आज स्वतंत्र लेबर पार्टी में कायस्थ, मराठा आदि लोग भी शामिल हैं यह असल में हिंदुस्तान के इतिहास की अपूर्व घटना है। अब ब्रह्मदेव भले आड़े आए, राजनीति में हमारी प्रगति की राह में कोई रोड़े नहीं अटका सकता। (तालियाँ) यह कोई पोखर, तालाब नहीं यह तो विशाल नदी है जिसका नाम है सिंधु। बांध भी बनाया जाए तो वह भी टूट जाएगा। राजनीति के अधिकार पाने में कोई अड़चन नहीं आएगी। 15 लोगों ने वहाँ जाकर हमारे लिए क्या किया यह आज बताना मुश्किल है। पिछले 2000 सालों से रूढ़ियाँ हमारी गर्दन पर सवार हैं। उन्हें खत्म करने के लिए केवल 10-20 सालों का समय कम पड़ेगा, बल्कि 10-20 वर्षों में उनके जड़ समेत खत्म किए जाने की उम्मीद करना अन्यायकारी होगा। एकता और संगठन जितना अधिक होगा राजनीति में प्रगति उतनी ही जल्दी होती है इस मामले में मुझे अपने समाज पर गर्व है। चुनाव के समय जो ईमानदारी, धैर्य और संगठन दिखाया उतना धैर्य, ईमानदारी और उतनी एकजुटता इस प्रांत में अन्य किसी संगठन ने नहीं दिखाई। आपने तब यह नहीं सोचा कि हम दुख से, दरिद्रता से ग्रस्त हैं। जिसका पेट खाली होता है, साहूकार जितना उधार देगा वही खाकर जिन्हें गुजारा करना पड़ता है उनकी ओर से दिखाया गया साहस प्रशंसनीय है। हम आप गांवों में बिखर कर रहे हैं। गांवों में हमारे बस 5-25 घर होते हैं। औरों के

100 से अधिक घर होते हैं। अगर वे तय करें और हमसे कहें, फलां चीज करें वरना हम आपकी बस्ती उखाड़ कर आपको भगा देंगे', तो ठीक वही कर भी सकते थे क्योंकि हमारी हालत बेहद कमजोर थी।

इसीलिए, हमारे लोगों को एकजुट होकर स्वतंत्र लेबर पार्टी को ताकतवर बनाना होगा। पक्ष के कहे के खिलाफ कुछ नहीं किया जाए। इसी में समाज का और आपका अपना फायदा है। बताने में मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि काँग्रेस के नेता श्री बल्लभभाई पटेल ने हमारे अनुशासन का वर्णन करते हुए कहा है, ''संगठन हो तो डॉ. अम्बेडकर के संगठन की तरह।'' (तालियाँ) आप इस संगठन को छूटने ना दें। हौज भर दूध नमक की एक डली से फट जाता है। घड़ा भर अमृत जहर की एक बूंद भर से विषमय बन जाता है। उसी प्रकार स्वार्थी सिद्ध करने के लिए तैयार रहते है। उनकी सोच ही स्वार्थी होती है। हमेशा यही समय बना रहेगा ऐसा नहीं है, स्वार्थी दुर्गुणों से भरे लोग भी आएंगे। अनाज बीनते हुए हम कंकड़ों को चुन कर फेंक देते हैं, उसी तरह कंकड समान स्वार्थी लोगों को कंकड की तरह ही बीन कर अलग कर देना चाहिए। (तालियाँ) कम से कम महार जाती में कोई आदमी स्वतंत्र लेबर के खिलाफ ना हो। राजनीति में संगठन और संघ शक्ति के बगैर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। संघ शक्ति के निर्माण के लिए पैसा चाहिए। घर चलाने के लिए पैसा चाहिए नोन-मिर्च के लिए पैसा चाहिए। बिना पैसों के काम नहीं चलता। इसी तरह सार्वजनिक कामों के लिए पैसे की जरूरत है। काँग्रेस के पास राजनीति के लिए जरूरी पैसा है। मुझे पता चला है कि हाल ही में हुए डिस्ट्रिक्ट लोकल इलेक्शन में काँग्रेस के एक उम्मीदवार ने 3000 रु. खर्च कर जीत हासिल की। रुपयों के बगैर राजनीति की गाड़ी चलाई नहीं जा सकती। दूसरों के भरोसे चलने के बजाय हमें अपने पैरों पर खड़े रहना होगा। इस संदर्भ में मैं आपको महाभारत की एक कहानी की याद दिलाना चाहता हूँ। भीष्म और द्रोण कौरवों की तरफ थे। कौरव का साथ देना असत्य का साथ देना है और पांडवों का साथ देना सत्य का साथ देना है यह वे जानते थे। कौरवों ने पांडवों से कहा था, ''राज्य की बात तो दूर, हम सुई की नोक बराबर मिट्टी भी हम आपको नहीं देंगे।'' सही या गलत जाने बगैर भीष्म और द्रोण कौरवों की तरफ से लड़े। उनसे जब पूछा गया कि वे सत्य के साथी पांडवों की ओर से क्यों नहीं लड़े तो उन्होंने बताया था कि हम कौरवों का अन्न खाते हैं, इसलिए।

जो औरों की मदद के सहारे जीता है वह उनका गुलाम होने से बच नहीं सकता। काँग्रेस के हरिजन सेवक फंड से मैंने पैसा नहीं लिया। उनसे अगर मैं 8-10 लाख रुपये लेता तो उनका गुलाम बन कर रहता। आपके लिए तब मैं कुछ कर नहीं पाता। उनके हजारों रुपयों से आपके चार आने मेरे लिए लाख रुपयों के बराबर हैं। (तालियाँ) अपनी गृहस्थी आप अपने सिर लीजिए। इसमें आप ही का फायदा है। हमें काँग्रेस का पैसा

नहीं चाहिए। काँग्रेस के प्रचारकर्ता हर महीने 30-40 रुपये लेकर काम करते हैं। हमारे सेवक हर महीने 10 रुपए लेकर काम करने के लिए तैयार मिलेंगे। स्वतंत्र लेबर पार्टी आपका है। आपको ही उसे मजबूत करना होगा।

मैं 20 वर्ष की उम्र में बी.ए. हुआ। हर माह 2000 रुपए देने वाली नौकरियों के बुलावे मेरे नाम आने लगे हैं। मेरे साथ के लड़के जिला न्यायाधीश हैं। राजनीति में मेरा क्या फायदा है? मैं मोटर में घूमता हूँ। बैरिस्टर बनने के क्या फायदे हैं? आप गरीब हैं! आपकी शिकायतें नहीं आएंगी मेरे पास। स्पृश्य लोगों के टंटे ही मेरे पास आते हैं क्योंकि वे धनवान लोग हैं। मुझे धन मिलने की संभावना भी उन्हीं लोगों से है। लेकिन मैं आपके फायदे के लिए उनसे लड़ता हूँ। इसीलिए उन्हें मुझसे डर लगता है।

मेरे पीछे कौन लोग कितनी जिम्मेदारी से काम करेंगे? कौन मेरी जिम्मेदारी लेगा? मुझे उम्मीद है कि कुछ जिम्मेदार युवा आगे आएंगे और इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाएंगे। वरना हमारी हालत उस बैलगाड़ी की तरह होगी जो चढ़ान चढ़ कर चोटी पर पहुंचने के बाद बैला के अभाव में फिसल जाती है। मुझे इस बात का बहुत डर लगता है। आज हम पर्वत की तलहटी से चोटी पर पहुंचने के लिए चढ़ान चढ़ रहे हैं। हम अभी अपने लक्ष्य तक पहुंचते नहीं है। यात्रा के लिए निकले हैं लेकिन अभी भगवान के दर्शन नहीं किए हैं। यात्रा पूरी होने तक हमें साथ में आटा, नोन, मिर्च आदि सब साथ ही लेकर चलना होगा। आज मुझे राजनीति से डर नहीं लगता। लेकिन राजनीति के धूमधड़क्के में जिस विषय पर हमें ध्यान देना था वह पीछे छूट गया है। हमारे अपने दुष्कृत्यों के कारण आज हमारी हालत जानवरों से बदतर हुई है। क्योंकि आप लोग गांव वालों से रोटियों के टुकड़े मांग कर खाते हो, मरे हुए जानवरों को फाड़ कर उनका मांस खाते हो। आज राजनीति में चले आए तो क्या फायदा? मंदिर को बाहर ही से सजाने से क्या लाभ? आपने मरे जानवर का मांस खाना छोड़ दिया तो कौन खाएगा? मरा हुआ जानवर कुत्ते या गिद्ध खाएंगे। वही काम अगर आप भी करो तो फिर आपकी औकात क्या होगी? यह कहते हुए आपको शर्मिंदगी कैसे महसूस नहीं होती? मान लीजिए कल जाधव अगर मुख्यमंत्री हुआ, और यह असंभव बात तो नहीं है - तब अस्पृश्य लोग उसका कैसे सम्मान करेंगे? आज की तरह क्या उनकी आरती उतारी जाएगी? जो जीवन आप आज व्यतीत कर रहे हैं उसे आपको बंद करना होगा। सफाई के साथ, सलाहियत से रहना होगा।

कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अगर हमारा मृत मांस खाना बंद करवा देंगे तो हम खाएंगे क्या? मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए पड़ोस वाले चित्तौड़ गांव की दो लड़कियाँ अगर अपना गांव छोड़ कर बंबई गईं, और उनमें से एक अगर गृहस्थी के बजाय वेश्या व्यवसाय करने लगे तो उसे पलंग, तकिए, गद्दे, कुर्सियाँ, टेबल आदि मिला। एक नौकर भी है। इरानी की दुकान से वह मस्का-स्लाइस, कीमा, रोटी

अपने कमरे में मंगा कर खाती है। दिन भर में चार बार पीतांबर बदलती है। पौडर लगाती है, कितना अच्छा है उसका जीवन। दूसरी लड़की 7 रु. की रोजी पर हाथतोड़ मेहनत करती है। पति को जो एक-डेढ़ रुपये की दिहाड़ी मिलती है उसमें दिन गुजारती है। रांगे का कोई पतला, डोटी-सा गहना उसके गले में पड़ा है। नमक के साथ रोटी खाकर वह दिन गुजारती है, कई बार उसे फाके भी सहने पड़ते हैं। सो, बताइए, इन दो लड़कियों में से आप किसकी इज्जत करेंगे? देह बेच कर जो पीतांबर पहनती है उसकी या जिसे गरीबी ने, दुख ने परेशान किया है, खाने के लिए जिसके पास कुछ नहीं है, उसकी? मेरे ख्याल से सभी न्यायप्रिय लोग पतिव्रता महिला की ही इज्जत करेंगे।

सो, आपके पेट का गा़ भरे या न भरे, आपका बर्ताव हमेशा बेहतर होना चाहिए। स्वाभाविमान, धीरज, नीतिमानता का दामन ना छोड़ें। अपना बर्ताव अच्छा है। या बुरा है, न्यायपूर्ण है, इज्जत दिलाने वाला है ना, इसका जरूर ख्याल रखें। इस सभा से लौटने के बाद नए कार्यक्रम की शुरूआत करें। (महिलाओं को उद्देश्य कर), आप भी अन्य महिलाओं ही की तरह हैं। हम आपका दूध पीकर बड़े हुए हैं। अन्य महिलाओं के बच्चे मामलतदार, हाईकोर्ट में जज आदि हैं और आपके बच्चे गडरिए हैं। इसकी वजह यही है कि आप नर्क में उल्झे हुए हैं। यह आपका पाप है। आपका बर्ताव अगर इसी प्रकार अशुद्ध रहा तो आपके बच्चे भी ऐसे ही रहेंगे। 'नर करनी करे तो नर का नारायण बनो' अन्य महिलाएँ भगवान का अवतार नहीं हैं। वे भी औरतें ही हैं आपकी तरह। उन्हें मौका मिला आपको नहीं मिला। इसीलिए, आप सभी स्वाभिमान और धैर्य के साथ जिएं। अपना लक्ष्य हासिल करने की जी-तोड़ कोशिश कीजिए।

डेढ़ घंटे तक इस प्रकार डॉ. अम्बेडकर द्वारा उपदेश भरा भाषण देने के बाद श्री पुनाजीराव ललिंगकर ने सबको धन्यवाद दिया। उसके बाद 'डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की जय' की घोषणा के साथ सभा समाप्त हुई।

138

*औरों का मुँह ताकने वालों का काम अधूरा रह जाता है

17 जून, 1938 को सुबह 5 बजे डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जब चालीसगांव स्टेशन पर ट्रेन से उतरे तब उनके स्वागत के लिए वहाँ बहुत बड़ा जनसमुदाय इक्ट्ठा हुआ था। लगातार बाबासाहेब की जयकार के नारे लगाए जा रहे थे। डॉ. बाबासाहेब के गाड़ी से उतरते ही अस्पृश्योद्धारक बोर्डिंग के सचिव श्री डी.एम. मागडे ने बोर्डिंग की तरफ से हार अर्पण किया। उसके बाद डॉ. बाबासाहेब धुले जाने के लिए गाड़ी में बैठे महिलाओं की ओर से कु. शांताबाई दिवाण चव्हाण ने और पिंपरखेड की क्रेडिट सोसाइटी की ओर से सोमा संसारे ने हार अर्पण किए। स्टेशन पर मे. डी. जी. जाधव, बी. एएमएल. ए., शामराव कामाजी जाधव, डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्ड मेंबर, जलगांव, श्रावण धर्मजी जाधव, म्युनिसिपल, काउंसिलर, चालीसगांव, दिवाण सीताराम चव्हाण, धावजी पहलवान, भापु मुकादम, डबाले, आडंगले, तात्याबा पवार, श्रीपत पवार, सीताराम आव्हाड आदि लोग और गांव के अन्य लोग जुटे थे।

डॉ. बाबासाहेब साढ़े छह बजे कोर्ट के काम के लिए धुले के लिए निकले। उनके साथ युवा उत्साही और डॉ. बाबासाहेब के एकनिष्ठ सेवक श्री डी.जी. जाधव और बोर्डिंग के सचिव डी. एम. मागाडे भी गए थे। कोर्ट का कामकाज निपटने के बाद डॉ. बाबासाहेब तारीख 19 जून, 1938 की रात साढ़े आठ बजे चालीसगांव में उतरे। डॉ. बाबासाहेब के आते ही प्रचंड भीड़ उमड़ी। 1 से 4 हजार का जनसमुदाय वहाँ जुटा था। डॉ. बाबासाहेब ने खाना खाने के पश्चात् बोर्डिंग देखा। उसके बाद बोर्डिंग के सामने सभा की शुरूआत हुई। कवि बना सखाराम सालुंके ने पद गाया। उसके बाद कु. शांताबाई चव्हाण का भाषण हुआ। उसके बाद श्री दिवाण सीताराम चवहाण ने अपने भाषण में कहा कि, ''आज बाबासाहेब की कृपादृष्टि के कारण संस्था की हालत संतोषजनक बन पाई है। आज संस्था को 1110 रुपयों की ग्रैंट मिलती है, जगह मिली है और उस पर 3500 के खर्च तक इमारत बनाई गई है। जल्द की बोर्डिंग के लिए खेत मिलने वाले हैं। संस्था को जिनके कारण अच्छे दिन देखने मिल रहे हैं उन्हीं के हाथों बोर्डिंग के उद्घाटन का समारोह संपन्न कराने का निर्णय मंडल की ओर से लिया गया है। विनति है कि डॉ. बाबासाहेब जल्दी ही हमें तारीख देंगे। इतना कह कर मैं अपना भाषण पूरा करता हूँ। ''उनके बाद श्री डी. एस. मागाडे ने भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में सन् 1927 से अब तक

---

*· जनता, 16 जुलाई, 1938

के हालात के बारे में बताया। उसके बाद श्री एस. के. सोनवणे, बी ए ऑनर्स और श्री डी. जी. जाधव का भाषण हुआ। उसके बाद डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर भाषण के लिए उठे। उनके खड़े रहते ही तालियों की गड़गड़ाहट हुई।

डॉ. अम्बेडकर के भाषण का सारांश, ''मुझे पता नहीं था कि आज मुझे भाषण करना होगा। यहाँ कई लोग इक्ट्ठे हैं इसलिए मैं कुछ दो-चार शब्द बोलता चाहूंगा। आजकल हम पर अंग्रेजों की सरकार का नहीं बल्कि काँग्रेस सरकार का शासन चलता है। अंग्रेज सरकार का मुझे 11 सालों का अनुभव है और काँग्रेस सरकार का 11 महीने का अनुभव है। काँग्रेस सत्ता में आने से पूर्व मुझे उससे काफी उम्मीदें थीं। लेकिन वे सब बेकार साबित हुई हैं। अंग्रेज सरकार के समय में अस्पृश्यों को पुलिस में प्रवेश नहीं था। एसेंब्ली में लगातार दो सालों तक संघर्ष कर, झगड़ कर मैंने वहाँ प्रवेश हासिल किया। अंग्रेज सरकार कुछ न कुछ दिया करती थी। अंग्रेज सरकार बंजर जमीन के संदर्भ में पहले अस्पृश्यों की अर्जी के बारे में सोचा करती थी। उनके कागजातों में भी यह दिखाई देता है। वे दफ्तरों में देखने को मिल सकते हैं। पुलिस विभाग में भी पहले अस्पृश्यों के बारे में सोचा जाना चाहिए था। लेकिन अंग्रेज सरकार ने हमारे लिए अलग से कुछ भी नहीं रखा है। उनका यही कहना था कि औरों की तरह ही जो लाभ होगा उसे आप ले सकते हैं। एक माँ के पेट से पदा हुए चार बच्चों में से सबसे बड़े को रोटी का बड़ा टुकड़ा मिलता है तब माँ अपने छोटे बच्चे के लिए अलग से रोटी का टुकड़ा छुपा कर रखती है। इस तरह काँग्रस ने हमारे लिए क्या रखा है? काँग्रेस हमारे लिए कुछ भी आरक्षित नहीं रखती है। फिर वह 'माँ' कैसे हुई? हमें माँ के दुलार की जरूरत नहीं है। हम मेहनत करेंगे और अपनी कलाई के बल पर कमाएंगे। हम डरेंगे नहीं और टोकरी लेकर किसी के दरवाजे पर मांगने के लिए भी नहीं जाएंगे। काँग्रेस की माया का क्या है? मैं गांधी का दुश्मन नहीं हूँ। जिसे जो सत्य लगता है वह वही करता है। मैं गांधी के काम की परवाह नहीं करता। गांधी की मुट्ठी में काँग्रेस है। 'राजा बोले आर दल हिले' इस उक्ति की तरह 'गांधी बोलते हैं' और काँग्रेस करती है। गांधी की अगर मर्जी हुई, अगर गांधी ने तय किया कि अस्पृश्यों को रियायतें दी जाएंगी तो अस्पृश्यों को खाना नसीब होगा। गांधी के खिलाफ कोई नहीं जाएंगे। दिल पसीजे तो मन में बिना लोभ के ममता पैदा होती है। माँ अपने सभी बच्चों से एक-सा प्रेम करती है। निखटू बच्चे से उसे ज्यादा ममता होती है। काँग्रेस और आपकी माँ है गांधी। जाहिर है कि गांधी को आपसे अधिक ममता होनी चाहिए लेकिन ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। जो दूसरों के भरोसे रहते हैं उनका कोई काम नहीं होता। इसलिए हमें अपना काम खुद करना चाहिए। हम पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है जो आपको दिखाई नहीं देता। 2000 सालों से जो चलता आ रहा है आप उसके आदी हो गए हो। धुले में जो बात हुई बताता हूँ। धुले में हिंदु धर्म के शास्त्रज्ञानी है पाठक शास्त्री। उन्होंने किताब लिखी है 'अस्पृश्यों की पूर्वोक्ती' किसी

काम से जाकर शास्त्रीजी से मिलने का निर्णय किया। पाठक शास्त्री को संदेश भेजा कि मैं 9, 10 बजे के आसपास आपसे मिलने आऊंगा। गाड़ी में बैठकर मैं पाठक शास्त्री से मिलने गया। एक आदमी के जरिए संदेश भेजा मैं पहुंच गया हूँ, आऊं क्या? वहाँ भोजन चल रहा था। शास्त्री ने संदेश नहीं भेजा, वह ख़ुद दौड़ते हुए आए। मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे विमर्श करना चाहता हूँ। पाठशाला चलिए। उन्होंने कहा, ''हम गाड़ी में ही चर्चा करते है।'' मैंने उनसे बहुत बार कहा कि धुले की सड़कें संकरी हैं। ज्यादा देर तक गाड़ी में बैठ कर बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कोई चारा नहीं रहा तो बंगले में जाकर चर्चा करनी पड़ी। उन्होंने चर्चा अच्छी की। हो सकता है मुझ जैसी शिक्षा प्राप्त करने वाले कम हों लेकिन मुझ जैसे को भी शास्त्रीजी की पाठशाला में प्रवेश नहीं मिल सका। कितना अपमान! मेरा दिल सोचकर छलनी होता है। आप इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। हमें जो भी कुछ पाना है वह केवल झगड़ कर ही पाया जा सकता है। काँग्रेस और गांधी की नीति के बारे में पिछले 11 महीनों में अच्छी तरह पता चल चुका है। नागपुर के संसद शरीफ के साथ जो हुआ वह इसका प्रत्यक्ष सबूत है। इसीलिए हम सभी को संगठन बनाकर अपनी पूरी सामर्थ्य को इक्ट्ठा कर सामना करना होगा। काँग्रेस 50 सालों से है। स्वतंत्र लेबर पार्टी डेढ़-दो सालों से है। काँग्रेस को अगर किसी से डर लगता हो तो वह स्वतंत्र लेबर पार्टी ही है। हम 15 लोग काँग्रेस को परेशान कर देते हैं। हालांकि 15 की जगह अगर 30 या 45 लोग होते तो हमारा ही राज चलता। 10-15 वर्षों में अगर हम एकजुट हो जाएं तो यकीनन कहता हूँ, हमारा ही राज होगा। आप सब लोग मुझे भगवान कहते हो। लेकिन मैं भगवान नहीं, मगर महार हूँ। तुम्हारा स्वतंत्र लेबर पार्टी ही भगवान है। पत्थर पर सिंदूर लगाने से वह भगवान बन जाता है, मैं उस तरह का भगवान हूँ। आपका सच्चा भगवान स्वतंत्र लेबर पार्टी ही है। सब स्वतंत्र लेबर पार्टी के सदस्य बनें साल भर में 4 आने देना कोई मुश्किल नहीं है। मैं बहुत बोला हूँ। भाषण के बाद बोर्डिंग की ओर से डी. एम. मागाडे ने पुष्पहार अषर्ण किया। धावजी ने कसरत की पाठशाला - व्यायामशाला की ओर से पुष्पहार अपर्ण किया। बहनों की ओर से सुश्री शांताबाई चव्हाण ने फूलमाला अर्पण की। आखिर डी.एम. मागाडे ने सबको धन्यवाद दिया और सभा बर्खास्त हुई। बाद में सुबह की गाड़ी से डॉ. बाबासाहेब मुंबई के लिए निकले।

139

*महाराष्ट्रीय क्यों पिछड़ जाते हैं?

मध्य प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. खरे का स्वागत करने के लिए उनके कुछ मित्रों ने 4 अगस्त, 1938 को भारत सेवक समाज के दिवानखाने में एक दावत का कार्यक्रम आयोजित किया था। इस स्वागत समरोह में अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने विद्वत्तापूर्ण भाषण दिया। लोकतंत्र की सच्ची संकल्पनाओं और सिद्धांतों के बारे में विस्तार से समझाया। उनके कथन पर आज हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। इस अवसर पर तुलजापूरकर और डॉ. खरे के भी भाषण हुए।

समरोह में श्री ना. म. जोशी, डॉ. गोपालराव देशमुख, डॉ. वाड, डॉ. बालिमा, मुंबई के प्रतिष्ठा प्राप्त डॉक्टर्स, वकील और नागरिक उपस्थित थे। दावत के बाद सभा के कामकाज की शुरूआत कर श्री दाजी साहब तुलजापुरकर ने डॉ. अम्बेडकर का नाम अध्यक्ष पद के लिए सुलझाया।

श्री दलवी ने उनके प्रस्ताव का समर्थन किया और डॉ. अम्बेडकर ने अध्यक्ष स्थान ग्रहण किया। इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा,

हम यहाँ श्री खरे का स्वागत करने के लिए उपस्थित हुए हैं यह आप सब जानते हैं। हम क्यों उनका स्वागत करने के लिए तैयार हुए इसको थोड़ा विस्तार के साथ स्पष्ट करना जरूरी है। आज की सभा के लोगों पर नजर डालिए। ऐसा नहीं लगता कि हम सब एक ही भावना या कारण से यहाँ स्वागत के लिए उपस्थित हुए हैं। राजनीति के नजरिए से देखें तो आज यहाँ का जनसमुदाय यहाँ अलग-अलग कारणों से इक्ट्ठा हुआ है ऐसा ही लगता है। कुछ लोगों ने तो एक खास पार्टी काँग्रेस की राजनीतिक विचारधाारा का संकेत देने वाले कपड़े पहने हैं। हिंदुस्तान के कई हिंदुओं को लगता है कि केवल यही एक दुनिया से मान्यताप्राप्त पक्ष है। अन्य कुछ लोग जो यहाँ आए हैं वे मेरी ही तरह देश के आज के उस अग्रगण्य पक्ष के सदस्य नहीं है। बल्कि उस पक्ष का वे विरोध करते हैं कुछ और लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो राजनीति के बारे में उदासीन हैं। ये लोग जाति प्रेम के कारण या ऐसे ही किसी और कारण से यहाँ आए होंगे। जैसे हो, डॉ. खरे भी आज हमारे सामने तीन भिन्न स्वरूपों में खड़े हैं इसमें कोई शक नहीं। पहली बात वह महाराष्ट्रीयन है, दूसरी बात वह काँग्रेस वाले हैं और तीसरी बात कि मध्यप्रांत के पदच्युत किए गए मुख्यमंत्री के रूप में वह यहाँ उपस्थित हैं। आज यहाँ आकर इस कार्यक्रम का अध्यक्ष स्थान स्वीकरने के लिए

---

*· विविध वृत्त : 14 अगस्त, 1938

मैं क्यों तैयार हुआ हूँ ऐसा आपको लगता है? मेरी और डॉ. खरे की मुलाकत का मौका आज से पहले कभी नहीं आया था। कल एक मित्र के जो श्री खरे के भी मित्र हैं यहाँ उनके दफ्तर में हमारी पहली बार मुलाकात हुई। जाहिर है कि उनकी राजनीति से आकृष्ट होकर मैं यहाँ नहीं आया हूँ। राजनीति के मामले में हम भिन्न और विरोधी ही हैं।

डॉ. खरे महाराष्ट्रीय हैं यह भी महत्वपूर्ण बात है। उनके बारे में हुए अन्याय के कारण कई महाराष्ट्रीयों के मन में विशेष क्रोध है यह बात निःसंशय सही है। यह बहुत सहज बात है। हिंदी राजनीति में महाराष्ट्रियों के इतिहास पर एक नजर डालें तो महाराष्ट्रीय पिछड़ते जा रहे हैं इस बात के बारे में मुझे कोई आशंका नहीं। आज तक महाराष्ट्रीय लोगों ने कभी व्यापार-व्यवसाय नहीं किया। इसलिए उन्होंने कभी विपुल संपत्ति या रुपया भी नहीं कमाया है। जब देश के अन्य हिस्सों के हिंदी लोग विदेशियों के जुल्मों से पीड़ित थे तब महाराष्ट्रीयनों के पुरखों ने अपनी सारी जिंदगी स्वराज का कामकाज चलाने में बिताई। इस काम में इनका खून भी बहा। क्यों महाराष्ट्रीय पिछड़ते जा रहे हैं इस बारे में कुछ दिन पूर्व एक काँग्रेसी नेता ने मुंबई में दिए अपने भाषण में विश्लेषण किया। उनकी राय में व्यवहार ज्ञान की कमी के कारण वे पिछड़ रहे हैं। लेकिन मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हो सकता। मेरी राय में, महाराष्ट्रीयों जितनी व्यवहार बुद्धि हिंदुस्तान के अन्य किसी प्रांत के लोगों में दिखाई नहीं देती। महाराष्ट्रीयों का पिछड़ना अन्य किसी कारण से हुआ हो भले, व्यवहार बुद्धि के अभाव में नहीं हुआ। महाराष्ट्रीयन का जीवन महाराष्ट्र की आजादी पाने के काम आया इसलिए महाराष्ट्रीयन पिछड़ गए। राजनीति करने, राज्य का कामकाज चलाने में उसका समय बीता। मेरे कथन का साक्ष्य इतिहास ही देगा। धनाढय श्रेष्ठी या धनपति का नाम आपको महाराष्ट्र के इतिहास में सुनाई नहीं देगा लेकिन सेनानी, कुटनीतिज्ञ, कुशल राजनीतिज्ञ के नाम आपको कदम-कदम पर सुनाई देंगे। दुनिया के किसी भी देश को फक्र हो ऐसे नाम हैं ये।

महाराष्ट्र पिछड़ा क्योंकि औरों की तरह महाराष्ट्र ने व्यवहार का मार्ग अपनाया नहीं। लक्ष्मी की कृपा पाने की कोशिश नहीं की। वे कभी उसके पीछे नहीं पड़े। लेकिन आज केवल पैसे की ही तूती बोलती है। पैसों ने बुद्धि पर कब्जा कर लिया है। बुद्धि और शील इन दोनों को पैसों ने मात दी है यही सच है।

किसी जमाने में हम राजनीति में सबसे आगे थे। तिलक, गोखले और रानडे ये तीन महाबुद्धिमान और राजनीति में धुरंधर व्यक्ति हमारे बीच थे। आज की तरह इनकी राजनीति हलचल मचाने वाली न हो भले, आज की तरह औत्सुक्यपूर्ण न हो भले लेकिन वह आज से अधिक ईमानदार और विचार प्रवर्तक थी। आज इस क्षेत्र में भी हम अड़े नहीं रहे। आज के हालात देखें तो "बाबू और मजदूर इन दो पेशों के अलावा जिनके पास कोई कर्तृता नहीं है ऐसे लोग", यही महाराष्ट्रीयों की हालत हो रही है। इस अवनति को ध्यान में रखते हुए

सोचें तो इस अवनति से भी जिन गिने-चुने महाराष्ट्रीयों को राजनीति में कुछ स्थान प्राप्त हो सका, आज उन्हें भी उस जगह से हटना पड़े यह महाराष्ट्रीयों को चुभे तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। इस तरफ से देखा जाए तो सद्बुद्धि के इस नजरिए से, डॉ. खरे जिस मोर्चे पर लड़ रहे हैं वह लड़ाई लड़ना हममें से किसी को अच्छा नहीं लगेगा इस बारे में मुझे यकीन है और इसी कारण डॉ. खरे के स्वागत के लिए मैं जो यहाँ आया हूँ वह एक महाराष्ट्रीयन बन कर नहीं। महाराष्ट्रीय कहलाने में मुझे गर्व महसूस होता है। अपने महाराष्ट्रीय होने का मुझे बेहद गर्व है यह बात मैं यहाँ विशेष जोर देकर बताना चाहता हूँ। महाराष्ट्रीयों में कुछ ऐसे गुण हैं जो अन्य प्रांत के लोगों में आपकी दिखाई नहीं देंगे। लंदन जैसी पराई जगह सभी प्रांतियों का मेला लगता है तो वहाँ यह फर्क आसानी से ध्यान में आता है। ऐसे समय किसके क्या गुणदोष हैं यह पहचानना सहजता से संभव होता है। डॉ. खरे महाराष्ट्रीय हैं इसलिए जैसे मैं यहाँ नहीं आया उसी तरह वह काँग्रेस वाले है इसलिए भी मैं नहीं आया। डॉ. खरे काँग्रेस के अनुयायी बने है। उस संस्था के जो भी नियम होंगे उनका पालन करना भी उन्होंने स्वीकारा है। यह भी सीधी बात है। अनुशासन के अनुसार चलने को लेकर अपनी संस्था के अगर उनका काई मसला हो तो उसे हल करने में हम जैसे काँग्रेस में न होने वाले लोगों से उन्हें कोई सहायता मिलना संभव नहीं। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि आज डॉ. खरे मुख्यमंत्री के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता, मतदाता और जिम्मेदार राजनीति के नजरिए से मुझे मुख्यमंत्री के ये हक बहुमूल्य लगते हैं। इसीलिए डॉ. खरे का स्वागत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ।

पहले एक बार मैंने कहा था जो मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जिम्मेदार राजनीति का केंद्र होता है जिस पर राज्य की व्यवस्था का संतुलन टिका रहता है। मेरी राय में जिम्मेदार राजनीति को दो मुख्यता बातों की आवश्यकता होती है। पहली- अपने प्रतिनिधि पर पैनी नजर रखने वाली जनता और दूसरी- जिन्होंने जनता के मतों का कौल नहीं लिया है उनके प्रति नहीं बल्कि जिन्होंने जनता का कौल लेकर अपने को जिताया केवल उनके प्रति जिम्मेदार मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के कार्य की योग्यायोग्यता जांचने का निर्णायक एक जनता अपने पास लेकर बैठी रहती हूँ। यहाँ उसका अधिकार है। काँग्रेस वार्किंग कमेटी ने जिसे अपना अधिकार बताया है, मेरी राय में उससे राज्यपद्धति का पूरा माखौल उड़ता है।

काँग्रेस वर्किंग कमेटी ने दो बातों पर अमल किया है। मेरी राय में ये दोनों तत्व विघातक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक देश में ये नामंजूर ही ठहराई जाएंगी। वर्किंग कमेटी द्वारा बताया गया पहला तत्व इस प्रकार है कि मुख्यमंत्री को अपने सहयोगियों को चुनने का अधिकार नहीं है। उसके सहयोगी मंत्रियों का चुनाव मतदाता अथवा विधिमंडल से ना जुड़े किसी बाहरी संस्था द्वारा ही चुने जाना चाहिए। मंत्रीमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी की बात को प्रस्थापित करने के लिए गोलमेज परिषद् में हमने कैसी टक्कर दी है इस

बारे में आप जानते नहीं। इस मामले में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि प्रांत की राजनीति पूरी तरह से जिम्मेदार होनी चाहिए। यह भले तय किया गया हो तथा कानून और व्यवस्था विभाग आरक्षित नहीं हाना चाहिए यह भल मान लिया गया हो, गवर्नर द्वारा नियुक्त मंत्रियों के साथ इस विभाग को मंत्रीमंडल में शामिल करें। यहाँ उपस्थित डॉ. मुंजे भी इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि साइमन कमीशन की इस सिफारिश को निरस्त करने के लिए सभी हिंदी प्रतिनिधियों ने किस प्रकार एकजुट हाकर टक्कर दी। इस सिफारिश के कारण सामुदायिक जिम्मेदारी का तत्व नष्ट हो जाएगा। यह हमारा कहना था। राज्य के संविधान में मुख्यमंत्री के स्थान पर सामुदायिक जिम्मेदारी का तत्व निर्भर है। इसे लागू करने के लिए दो बातों की जरूरत होती है। इस विषय का मैंने थोड़ा-बहुत अध्ययन किया है इसीलिए इस विषय पर बोलने का मेरा हक बनता है। सामुदायिक जिम्मेदारी के तत्व के लिए आवश्यक पहली बात यह होती है कि मुख्यमंत्री को अपने सहयोगी चुनने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए। सामुदायिक जिम्मेदारी के तत्व को लागू करना हो तो यह अधिकार अन्य किसी को नहीं मिलना चाहिए। दूसरी आवश्यक बात यह कि, जो मंत्री नहीं चाहिए उसे निकालने के लिए कहने का अधिकार मुख्यमंत्री को होना चाहिए। मुख्यमंत्री के कारण हमें अधिकार का पद मिला है और इस पद से हटाना भी उनके ही हाथ में है ये बातें जब तक सभी मंत्रियों क मन में उतर नहीं जातीं तबतक सामुदायिक जिम्मेदारी के तत्व पर कामकाज किया जाना संभव नहीं। हर मंत्री को इस बात का अहसास हो तभी इस महत्वपूर्ण तत्व पर अमल संभव है।

मंत्रीमंडल के मंत्रियों का चुनाव करने का हक, अधिकार और काम मुख्यमंत्री का नहीं बल्कि अपना है यह बार्किंग कमेटी का कहना सामुदायिक जिम्मेदारी क सिद्धांत से बिल्कुल मेल नहीं खाता। वर्किंग कमेटी द्वारा मंत्रियों के शासन के बारे में भी एक बात अपने हक में होने की बात कही गई है। वर्किंग कमेटी का कहना है कि किसी मंत्री को शासन देना है या नहीं इसका निर्णय लेने का अधिकार वर्किंग कमेटी जैसी बाहरी संस्था का है।

गृहस्थ ही, हम यह जानते ही हैं कि जिम्मेदार राजनीति का यही स्वीकृतविद्ध है कि जिन्होंने चुनाव में जिता दिया उनके अलावा अन्य किसी के प्रति मंत्री को जिम्मेदार नहीं रहना होता। लेकिन वर्किंग कमेटी ने मतदाताओं को पूरी तरह दर-किनार कर दिया है।

वर्किंग कमेटी की शायद यही सोच है कि मतदाता कुछ नहीं होता। संक्षेप में वर्किंग कमेटी ने मतदाताओं को चूहे जितनी हैसियत अदा की है। तय दिन वह आए, ताकीद के अनुसार अपना वोट दर्ज करे और फिर लात खाकर फिर पिजंड़े में अपनी जगह जाकर बैठे। बस इतना ही उसका काम है, इतनी ही उसकी भूमिका है। वर्किंग कमेटी द्वारा अमल किए गए सिद्धांतों का अर्थ बस इतना है।

मुख्यमंत्री के मौलिक अधिकारों के लिए डॉ. खरे की लड़ाई जारी है। इसीलिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। उनकी इस लड़ाई में उनका समर्थन करना हमारा कर्त्तव्य है। अब आखिर में एक–दो साधारण बातें बताकर मैं अपना भाषण पूरा करता हूँ। ये बातें बताते हुए डॉ. खरे के कुछ वाक्यों का जिक्र मुझे करना पड़ेगा। इसके लिए, उम्मीद है कि वे मुझे माफ करेंगे। उन्होंने कहा, ''हम काँग्रेस में ही रहने वाले हैं। काँग्रेस में ही वह कर जिस टोली ने हमारे साथ इतना नीच बर्ताव किया उस टोली से हमें भिडना है।'' अर्थात् अगर वे ऐसा करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हाँ उन्हें इस काम में कितनी सफलता मिलेगी इस बारे में मुझे संदेह है। डॉ. खरे प्रधान मंत्री (मुख्य मंत्री) थे तब उनके हाथ में सारे अधिकार थे। मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें सम्मान का स्थान प्राप्त था। उनके पास वैभव था। लेकिन इतनी बातें वश में होने के बावजूद वर्किंग कमेटी के खिलाफ वे कुछ कर नहीं पाए। फिर अब केवल काँग्रेस पक्ष के एक सामान्य सदस्य के रूप में वह कैसे प्राप्त कर पाएंगे यह मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका धैर्य अधिकार के पद पर रहते हुए नहीं वरन् उस पद से पदच्युत होने के बाद ही प्रखरता से प्रकट होता है। डॉ. खरे भी हो सकता ऐसे ही अपवादात्मक व्यक्ति के धनी हों।

मैं यहाँ राजनीतिक प्रचार पाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मुझे यहाँ अपने पृथक मजदूर पक्ष के लिए सदस्य पाने के लिए भी भाषण नहीं देना है। हालांकि एक बात मैं साफ तौर से और मन से कहना चाहता हूँ कि तुम अगर लोकतंत्र चाहते हो तो तुम्हें दो बातें करनी होंगी। लोकतंत्र के लिए जरूरी पहली बात है पक्ष पद्धति। दो पक्ष होने चाहिए, जिनमें से एक सत्ता में होगा और दूसरा विपक्ष में। विरोध करने वाला, विपक्ष न हो तो जनता देश के कामकाज में ध्यान नहीं दे सकेगी।

हर बात के दो पहलु होते हैं। इतना ही नहीं किसी मसले के दो पहलु हैं यह दिखाना ही राजनीतिज्ञ व्यक्ति का काम, या कहें कर्त्तव्य होता है ऐसा हाल ही में स्टेट्समन नाम के अंग्रेज कूटनीतिज्ञ ने कहा है। भले उस मसले के दो पक्ष हों या न हों। हर सवाल के दो पहलु होते हैं यह हमें समझना होगा। काँग्रेस जो बता रही है वह इस सवाल का एक पहलु हुआ। उसका कोई दूसरा पहलु नहीं है यह नहीं मानना चाहिए।

एक और बात हमें सीखनी पड़ेगी कि हमेशा सरकार को कसौटी पर कसे बगैर लोकतंत्र का सुरक्षित रहना संभव नहीं। राजतंत्र था एक सत्ता और लोकतंत्र या लोगों की सत्ता के बीच फर्क क्या है? राज्य विज्ञान के पंडित इसकी क्या परिभाशा देंगे मैं नहीं जानता लेकिन एक राजनीतिज्ञ के नाते मुझे इसमें यही फर्क दिखाई देता है कि राजतंत्र में सरकार की कसौटी या पूछताछ कभी नहीं होती। एक बार स्थापित होने के बाद वह हमेशा के लिए चलती रहती है फिर चाहे वह हिंदी संस्थानों की तरह वंश–परंपरा के अनुसार चले या कुछ यूरोपीय देशों की तरह विशिष्ट तानाशाही पद्धति से चले। वह चाहे जिस तरह चले,

एक बात साफ है और वह यह कि लोकतंत्र में सरकार के लिए हर पल कसौटी का होता है। हर दिन सरकार को अपने अस्तित्व का समर्थन देते रहना पड़ता है। अपनी हर कृति की योग्यता के बारे में जवाब देते रहना पड़ता है। राजतंत्र में ऐसा नहीं होता। अगर आप सुरक्षा चाहते हैं, उन्नति होनी चाहिए ऐसा अगर आपको लगता हो तो, प्रगति होनी चाहिए ऐसी अगर आपकी इच्छा हो तो सब लोग एक ही संस्था से चिपक कर ना रहें। फिर और लोग जो चाहे कहें। आप उसकी फिकर ना करें। मेरे कर्तत्व के लिए मेरी बुद्धि के लिए योग्य जगह काँग्रेस में मिल नहीं पा रही है इसलिए मैं काँग्रेस में नहीं जा रहा हूँ ऐसी बात नहीं है। मुझे वहाँ सबके बीच छिपा देना किसी के बस की बात नहीं। मैं काँग्रेस में नहीं जाता उसकी वजह यह है कि मुझे उस संस्था से अलग रहना ही मुझे आवश्यक लगता है। समीक्षक की भूमिका अपनाते हुए हर मसले का दूसरा पहलु उजागर करना मुझे बेहतर लगता है। जनता को कोई धोखा न दे सके इसीलिए मुझे यह काम अच्छा लगता है।

अपने लोगों की चारित्रिक विशेषता एक बार फिर प्रकट हो रही है इसका मुझे आजकल अहसास होने लगा हैं। इगलैंड में चल रही जिम्मेदार राजनीतिक सत्ता अपने देश में भी स्थापन करने के लिए हमने संघर्ष किया और अपने संविधान में उसे शामिल करवाया। लेकिन लगता है कि यह राजसत्ता कुछ अलग ही और विशिष्ट रूप धारण करती जा रही है। कई सालों से हमें एक जिम्मेदार राजनीतिक सत्ता नहीं मिली है। अब तक हम पर राजाओं का ही शासन चलता रहा। अपना भविष्य किसी और के हाथों सौंप कर निश्चित हो जाना हमारी आज तक की खासियत रही है। अपना मालिक ही अपना भगवान है और उसकी पूजा करते रहना ही अपना धर्म है यह हमारा आज तक का भाव रहा है। हमारी यही खासियत आज एक बार फिर स्थापित होने की राह पर है। मालिक जो कहे वही सही। उसके काम की समीक्षा करना उसके खिलाफ बोलना हमारा काम नहीं मतदाता का ऐसा सोचना इसी सोच की देन है। ऐसी अंध भक्ति से राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती। जिम्मेदार राजनीति को अमल में लाना हो तो सरकार को कसौटी पर कसने के लिए सहसजता से अपने रुख को एक तरफ से दूसरी तरफ मोड़ने के लिए तैयार जनसमुदाय की जरूरत होती है। इस तरह का जनसमुदाय अगर निर्माण ना हो तो शायद अंग्रेजों से हम जो सत्ता हासिल करेंगे वह बहुजन समाज के हाथ में आने के बजाय किसी गिरोह के हाथ में जाएगी और पता चलेगा कि हालात पहले से बदतर हो गए हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। आखिर मैं डॉ. खरे से इतना ही कहूंगा कि हम आज यहाँ इसलिए इक्ट्ठा हुए हैं ताकि बहुजन समाज को राजनीतिक नजरिए से महत्वपूर्ण मसलों पर जहाँ तक संभव है समर्थन दे सके। यह मसला पक्ष विशिष्ट राजनीति की सीमा से हट कर है। इसीलिए इसका तालुक सबके साथ है। डॉ. खरे की इस लड़ाई में उनकी संपूर्ण सफलता की कामना मैं करता हूँ। डॉ. अम्बेडकर के भाषण के बाद डॉ. खरे का भाषण हुआ। उसके बाद श्री ना. म. जोशी द्वारा छोटा-सा भाषण और धन्यवाद ज्ञापन के बाद समारोह संपन्न हुआ।

140

*गंदगी जिन्होंने फैलाई वही उसे साफ करें

मध्य प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. खरे मुंबई निवास के दौरान उनका सार्वजनिक सम्मान कर उनके द्वारा अपनाई गई नीति को अपने समर्थन की घोषणा करने के लिए कई सार्वजनिक समारोहों और सम्मान समारोहों का आयोजन किया गया। ऐसे ही एक समारोह का डॉ. खरे के समर्थकों द्वारा 4 अगस्त के दिन सर्वंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के दीवानखाने में आयोजन किया गया था जिसमें डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक भोज का आयोजन किया गया था। इसी प्रकार दिनांक 5 अगस्त, 1938 के दिन डॉ. खरे का एक और सम्मान समारोह पहले के श्री जमनादास मेहता की अध्यक्षता में प्रचंड सभा का आयोजन कर किया गया।

सभा की शुरूआत में डॉ. खरे ने भाषण देकर यह स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई व्यक्ति के लिए नहीं वरन् जनतंत्र के तत्वों के लिए है मध्य प्रांत में की गई कारस्तानियों की जानकारी उन्होंने दी। उनके बाद डॉ. अम्बेडकर भाषण करने के लिए उठ कर खड़े हुए। अपने भाषण में उन्होंने कहा,

आज के इस अवसर पर मेरे भाषण का कोई प्रयोजन है ऐसा मुझे नहीं लगता। कल ही सर्वंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के दिवानखाने में मेरी अध्यक्षता में एक सभा हुई। उस सभा में मैंने अपनी सारी बातें बताई थीं। कल ही अंग्रेजी में मेरा भाषण हुआ। हालांकि मराठी अखबारों के जासूस भी उसमें हाजिर थे। उन्होंने मेरे भाषण का तर्जुमा ठीक ही दिया गया होगा ऐसा मुझे लगता है।

आप जानते हैं कि मैं काँग्रेस का सदस्य नहीं हूँ। डॉ. खरे ने जो कहानी बताई वह उनके आपसी अंदरूनी विवादों में से एक है। मैं जाहिर है कि बाहर वाला हूँ। मुझे इस झमेले में क्यों पड़ना चाहिए ऐसा अगर कोई पूछे तो मैं उनके पूछने को गलत नहीं ठहरा सकता। मेरे पक्ष के लोग मुझे पूछ सकते हैं कि घर की रोटियाँ खाकर मैं ये लश्कर की रोटियाँ सेंकने में क्यों लगा हूँ। इसीलिए मुझे आज भाषण देने का अधिकार नहीं है। हालांकि पराया होने के बावजूद व्यापक अर्थों में मैं डॉ. खरे का पड़ोसी हूँ। हम समान वातावरण में जी रहे हैं। पड़ोस के घर में आग लगने पर अपने घर में तो आग नहीं लगी है सोचकर कोई शांति से बैठा नहीं रहता। क्योंकि एक बार जब आग लगती है तब उसकी आंच किसी को लगेगी यह कहा नहीं जा सकता। साथ ही आप जानते ही हैं कि मुंबई एसेंबली में मेरी स्थिति अपने गरमाहट देने के लिए चूजों को पंखों के नीच ले बैठी मुर्गी जैसी है। 10-12 युवकों को लेकर में एसेंब्ली में विराधी पक्ष में बैठा रहता हूँ। ये

---

*· जनता, विविधवृत्त : 20 अगस्त, 1938

युवक धीरे-धीरे बड़े होंगे। हो सकता है उनकी संख्या भी धीरे बढ़ेगी। और क्या पता मुझे भी प्रधानमंत्री बनाने का मौका मिलेगा। डॉ. खरे पर आई विपत्ति के बारे में अगर मैं चुप रहा तो आज जो विपत्ति उन पर आई है कल मुझ पर आ सकती है। इसलिए, आगे आने वाले समय को ध्यान में लेते हुए इस विवाद में एक पराया व्यक्ति बन कर चुप बैठे बगैर मेरा जो मानना है उसे आपके सामने व्यक्त करने के लिए तथा डॉ. खरे के साथ मित्रता बनाने की मेरी इच्छा है इसलिए मैं आज यहाँ बोलने के लिए खड़ा हूँ। हालांकि मैं यह भी जानता हूँ कि इस नाटक के नायक डॉ. खरे के रंगभूमि पर आकर जाने के बाद मेरे जैसे दोयम पात्र की बातों में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती है।

उस वाकये से गुजरने के बाद डॉ. खरे हमारे प्रांत में आए हैं। उन्होंने जो भाषण दिए वे मैंने ध्यानपूर्वक पढ़े हैं। प्रतिपक्षों के आपसी झगड़े पढ़ना या सुनना मनोरंजक तो होता ही है लेकिन मैंने मनोरंजन के लिए उनके झगड़े नहीं पढ़े। इस विवाद के कारण सामने आए कुछ मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण हैं और हमें उन पर ध्यान देना चाहिए।

इस विवाद में सामने आए प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं- आज के संविधान में प्रधानमंत्री के क्या अधिकार हैं? डॉ. खरे का यह कहना ह कि मंत्रीमंडल के सभी मंत्रियों का चुनाव मुख्यमंत्री को करना होता है और बाहर के किसी व्यक्ति को उसमें दखल नहीं देनी चाहिए और मंत्रीमंडल का कोई मंत्री अगर नालायक, लुच्चा या झगड़ालू निकले तो उसे निकालने का अधिकार मुख्यमंत्री को है। काँग्रेस वर्किंग कमेटी का कहना इसके बिल्कुल विपरीत है। उनका कहना है कि किसे मिनिस्टर नियुक्त करना है, उसे कब हटाना है इसका फैसला करने का अधिकार उन्हें है, प्रधानमंत्री को नहीं।

यहाँ मुख्य सवाल यह है कि मंत्रीमंडल का कामकाज अगर ठीक नहीं चल रहा हो तो उन्हें शासन करने का अधिकार किसे है।? मुझे लगता है कि जिन्होंने उन्हें चुन कर भेजा उन्हें ही मंत्रीमंडल को सजा देने का अधिकार है। यानी जिन हजारों मतदाताओं ने उन्हें चुना उन्हें यह अधिकार पहुँचता है। वर्किंग कमेटी का यह कहना है कि मंत्रीमंडल को शासन देने का अधिकार मतदाताओं को नहीं बल्कि उन्हें है। पिछले एसेंब्ली चुनावों में वल्लभभाई ने जिन लोगों को खड़ा किया वे सब पत्थर हैं उनके कोई अधिकार नहीं हैं।

वल्लभ भाई पटेल, गांधी, बजाज, राजेन्द्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू आदि चुनाव में उतरे नहीं। मतदाताओं ने उनहें किसी तरह का काई अधिकार नहीं दिया है। ये सब बगुलाभगत हैं। जिम्मेदार राजनीति का मतलब है न्याय करने वाली आखरी संस्था यानी मंत्रीमंडल और उसे चुनने वाला चुनाव क्षेत्र। इस नजरिए से देखा जाए तो पता चलता है कि न्याय और सत्य डॉ. खरे के पक्ष में है और वर्किंग कमेटी के साथ न न्याय है और न सत्य।

यह सब ठीक है। लेकिन आगे क्या यह सवाल अधिक महत्वपूर्ण है। डॉ. खरे का आगे क्या होगा सोचता हूँ तो मेरे मन में हलचल पैदा होती है। इस वक्त मुझे अपने वचपन की एक बात याद आती है। हम जिस गाँव में रहते थे वहाँ हमारे पड़ोस में एक परिवार रहता था। उनकी 10-12 साल की एक बच्ची थी। वह जब शादी योग्य उम्र की हुई तब उसके

माता-पिता ने एक अच्छा लड़का देखकर उसका ब्याह करवा दिया। बेटी फिर ससुराल में रहने गई। वह वहाँ खुश है। सोच कर माता-पिता इत्मीनान से अपने गाँव में रहे। शादी को 10-12 महीने ही गुजरे होंगे कि एक दिन बिना कोई चिट्ठी-पत्री के किसी पड़ोसी के साथ बेटी अपने माता-पिता के दरवाजे में आकर खड़ी हुई। वह बेहद जोर से हुमक-हुमक कर रोने लगी। माता-पिता की समझ में नहीं आ रहा था कि बेटी को हुआ क्या है? अच्छे पढ़े-लिखे लड़के के साथ शादी करा दी, फिर अचानक यह सब क्या हुआ? माँ ने अपनी बेटी को सीने से लगाया। क्या हुआ पूछा। बच्ची ने बताया कि किस तरह ससुराल में उसके साथ गलत व्यवहार होता था, उसके साथ मार-पीट होती थी, किस तरह उसे सताया जाता था। अपने सारे दुःखों को उसने माँ-पिता के आगे गिनाया। उसके बदन से माँ ने हाथ फेरा तब पता चला कि बेटी के सिर में बड़ा जख्म है। माँ ने उनकी चोली उतार कर देखा तो पता चला कि उसकी पीठ और छाती पर पिटाई के निशान हैं। पिटाई से बेटी का बदन भी सूजा है। पीठ पर पिटाई के कारण बड़े निशान बने हैं। माँ बेचारी ने बेटी के बदन में तेल-हल्दी लगाई। कुछ दिनों बाद बेटी कहने लगी कि जिस चूल्हे के साथ आपने मुझे बाँधा है वहीं मेरा जो भला-बुरा होना है, होगा। आप मुझे ससुराल भेज दीजिए। लड़की ने जिद् ही पकड़ ली। माता-पिता ने बच्ची को साड़ी चोली-चूड़ियाँ दिलाईं। माथे पर बिंदी लगाई, नारियल से गोद भरी और बेटी को ससुराल भेज दिया। लड़की फिर ससुराल अपना घर बसाने निकली। ससुराल के लोग कहने लगे कि लड़की कितनी संस्कारी है देखो। हमारे यहँ घर बसना उसे कबूल है। लेकिन उसके माता-पिता ही उसके कान भरते हैं। इस प्रकार लड़की ससुराल में प्यारी बनी और उसे उसके संकट के समय में सहारा देने वाले माता-पिता उसके दुश्मन हुए। लेकिन लड़की की सास बड़ी दुष्ट थी। उसके बर्ताव में कोई फेर नहीं आया। दुर्भाग्य से इस लड़की के कोई संतान नहीं हो रही थी। यही कारण काफी था। उसने एक दिन अपने बेटे के कान भरे कि तुम दूसरी शादी करो। लड़की के माता-पिता के सामने अब बड़ी दुविधा आनी खुड़ी हुई। लड़की को अपने घर ले आएँ तो वह इतनी बेवकूफ कि फिर कहे कि मुझे ससुराल जाना है। इसलिए उन्होंने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। पति ने दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी के बच्चा हुआ। सबका ध्यान उसी पर रहा। इसकी उपेक्षा होने लगी। आखिर उसे तपेदिक हुआ। कुछ समय छीज-छीज कर आखिर वह मरी। डॉ. खरे की हालत कुछ हद तक मेरे पड़ोसी के बेटी जैसी ही है। काँग्रेस में उनके साथ नाइंसाफी हुई। अपने साथ हुए अन्याय की शिकायत लेकर वह महाराष्ट्र में अपने सगे-संबंधियों के पास आए हैं। इतने अन्याय के बाद भी जिस प्रकार उस लड़की का ससुराल में ही रहने का हठ था उसी प्रकार डॉ. खरे भी कहते हैं, ''मैं काँग्रेस में ही रहूँगा।'' उस लड़की की तरह छीज कर मरने की नौबत उन पर न आए, बस।

डॉ. खरे के साथ जो अन्याय हुआ है उसे पोंछ कर हटाया नहीं जा सकता। जनतंत्र के सिद्धांत इस प्रकार रौंदे न जाएँ यही सोच इस घटना को जानने के बाद सबके मन में होना चाहिए। जिन पत्थरों ने याकि कहिए भगवानों ने डॉ. खरे की बलि ली, वे किसी और को बली नहीं चढ़ाएंगे इसका क्या भरोसा? डॉ. खरे कहते हैं कि सब काँग्रेस में आएँ। काँग्रेस

के कुछ लोगों का यह कहना है कि काँग्रेस में गंदगी है जिसे आप काँग्रेस में शामिल होकर उखाड़ फेंके। इस पर मेरा यही कहना है कि गंदगी आप फैलाएंगे तो जाहिर है कि उसे साफ भी आप ही को करना है। मैं अपने साफ कपड़े पहनकर आकर उस गंदगी को क्यों साफ करूं? आप अपनी गंदगी को साफ कीजिए फिर हम सोचेंगे कि अपने साफ कपड़ों के साथ हमें काँग्रेस में जाना है या नहीं। इससे एक और सवाल पैदा होती है कि क्या एक ही राजनीतिक पक्ष होना ही क्या सही है? सबका अपनी शिखा काँग्रेस में फंसाना क्या सही होगा? मुझे लगता है कि एक ही पक्ष होना देश की उन्नति के हित में नहीं है। जिस देश में एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं वहाँ बुद्धि का विकास संभव नहीं। वहाँ आजादी मिलना भी असंभव है। आखिर डॉ. खरे से मैं एक विनति करने वाला हूँ। किसी ने मुझसे कहा कि मुंबई के 'प्रभात' अखबार में मध्यप्रांत के मंत्रीमंडल के बारे में लिखा है कि, डॉ. खरे चक्की में हैं और बुंबई के मुख्यमंत्री बाबासाहेब खेर थाली में। यानी खरे के बाद बाबासाहब खेर की बारी तो आनी ही है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बाबासाहेब कभी भी इस तरह थाली में अपनी बारी का इंजतार नहीं करेंगे। अच्छी बहू को हम सुलक्षणा कहते हैं। बाबासाहब खेर का वर्तन सुलक्षणा बहू के समान है। सुलक्षणा बहू में क्या गुण होते हैं? वह जेठ के, सास-ससुर के, नंनद के, जेठानी के सबके आते-जाते पैर छूती है। सबके साथ मीठा बोलती है। कभी किसी को पैर न लगे इसका ख्याल रखती है। नीचे झुकने से पहले पैर पीछे से खुला नहीं है इसका ख्याल है। हर रोज पति के नाम से माथे पर कुंकु-यह शांता आपटे वाला कुंकु नहीं लगाती है। पति के सुयश की कामना करती है। सावित्री की तरह हर जन्म में यही पति मिलने की कामना करती है। बाहर वालों को अगर अपने ससुराल वाले गालियाँ देते हैं उससे दुखी न होने वाली आदि। हमारे बाबासाहब खेर बिल्कुल इसी तरह बरते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि 12 महीने ही नहीं 12 सालों तक हमारे बाबासाहब काँग्रेस में रहते हुए मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जाहिर है कि थाली में या खौलते पानी में गलने के लिए वे कभी पड़ेंगे नहीं। एक बच्ची को हिंदी घर ब्याहा उसका यह हाल बुरा हुआ, एक बच्ची को गुजरात में ब्याहा उसका ठीक चल रहा है यह देख कर दुख में भी संतोष महसूस होता है। लेकिन काल की गति विचित्र है। हो सकता है हमारे बाबासाहब भी कभी चक्की में गिरेंगे। ऐसा अगर कभी हुआ तो जिस प्रकार डॉ. खरे मुंबई आए उसी प्रकार खेर नागपुर जाएंगे। ऐसा हाल हुआ तो डॉ. खरे से मेरी विनति है कि वे खेर की पीठ पर अपना हाथ जरूर फेरें। (हंसी के ठहाके और तालियों की बौछार)।

इसके बाद डॉ. मुंजे और रा. वर्दे के भाषण हुए। बाद में अध्यक्ष श्री जमनादास मेहता के भाषण के बाद सभा का कामकाज पूरा हुआ।

श्री जमनादास ने कहा कि ठगों की टोली में श्री खरे के साथ न्याय नहीं हुआ इसका उन्हें अर्चज नहीं लगता। जनतंत्र के खिलाफ कारस्तानी करने वाले गुट को कै़द करना डॉ. खरे के लिए जरूरी था, ऐसा भी उन्होंने कहा।

141

लंबे समय तक मेहनत और कोशिश करने से ही सफलता मिलती है

''रविवार दिनांक 11 सितम्बर, 1938 के दिन पुणे के अस्पृश्य छात्रों का 11वां सम्मेलन पुणे के डी.सी. मिशन हॉल में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के अध्यक्ष और प्रमुख वक्ता के तौर पर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को चुना गया था।

सम्मेलन में पूर्व शनिवार और रविवार के दिन छात्रों के मर्दानी और मैदानी खेल, एक नाटक, वक्तृत्व स्पर्धा और भोजन आदि कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुए थे। इस काम के लिए सम्मेलन सचिव मि. टी. बी. भोसले तथा उनके सहयोगियों ने काफी मेहनत की थी। सम्मेलन के अध्यक्ष श्री राजाराम भोले, एम.एल.ए. द्वारा सम्मेलन के आयोजकों का मनोबल बढ़ाया और उनकी सहायता की जिस कारण इस वर्ष सम्मेलन विशेष रूप से सफल रहा कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी। इस वर्ष सम्मेलन के सचिवों में सुश्री घटकांबले नामक छात्रा ने सबके सहयोग में काफी काम किया। कॉलेज की वह पहली छात्रा है।

सम्मेलन के प्रमुख सचिव मि. भोसले ने अपने भाषण में पिछले 10 सम्मेलनों की संक्षेप में जानकारी देते हुए उनका महत्व बताया। इस सम्मेलन में विधायक भाऊराव गायकवाड, डी.जी. जाधव के. एस. सांवत, रोहम, वराले, काले, वॅकवर्ड कलास अफसर श्री देवधर, भा. द. कद्रेकर, श्रीमती गीताबाई गायकवाड, श्री बाबुराव भातनकर, गंगाधर घाटगे, सुपरवाइजर श्री ढिखले, के. आर. मधाले आदि लोग उपस्थित थे।''[1]

11वें अस्पृश्य विद्यार्थी सम्मेलन ने अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा–

''आज का सम्मेलन छात्रों का होने के बावजूद यहाँ उपस्थित लोगों को देखकर लगता है कि यहाँ छात्रों से अधिक अन्य लोग उपस्थित हैं। चावल की खिचड़ी में चावल से अधिक दाल पड़े वैसी आज यहाँ की हालत है ऐसा लगता है। यह विद्यार्थी सम्मेलन है इसलिए उन्हें उपदेश के दो शब्द कहना मेरा कर्त्तव्य है ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि मैं आज यहाँ छात्रों के सम्मेलन के लिए ही आया हूँ। आज के सम्मेलन की अध्यक्षता स्वीकारते हुए कार्यकारी मंडल के आगे मैंने कुछ शर्तें रखी थीं। विद्यार्थी मंडल द्वारा वे

---

1. जनता, 1 अक्तूबर, 1938

सभी शर्तें मान ली गई हैं शायद इसलिए आज के इस सम्मेलन का वैभव और सौंदर्य हो सकता है थोड़ा कम हुआ है। मेरा आज का भाषण मुख्य रूप से केवल छात्रों के लिए होने के कारण अन्य लोगों के लिए हो सकता है वह नीरस लगे लेकिन मुझे लगता है कि छात्रों को वह जरूर पसंद आएगा। छात्रों ने मुझे यह मौका दिया इसलिए उनका शुक्रिया अदा करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूँ।

आजकल मेरा जीवन गाँव के अनपढ़, अज्ञानी, जुल्मों से परेशान लोगों की शिकायतें सुन कर उनकी दिक्कतें दूर करने की कोशिश में तथा उनकी चिंता करने में बीत रहा है। इसीलिए छात्रों की ओर जितना ध्यान देना चाहिए उतना देने के लिए समय नहीं मिलता। सो कुछ लोगों को लगता है कि मैं छात्रों की ओर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। कभी-कभी उनकी बातों में यह भाव झलकता भी है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति अपने जीवन में विविध तरह के काम बेहतर तरीके से नहीं कर सकता। इस बारे में एक लेखक का कहा सुभाषित मुझे याद आ रहा है- "If you want success you must be narrow minted." इसमें बहुत बड़ा अर्थ छिपा है। क्योंकि सब कुछ अकेले करना किसी एक व्यक्ति के लिए असंभव होगा। इसलिए कोई एक काम ढंग से करने के बजाय दस काम हाथ में लेना ठीक नहीं। अपने समाज के संदर्भ से अगर सोचें तो हमारे समाज के पास साधन सामग्री अत्यल्प है। इसलिए हमें चाहिए कि छोटे-छोटे काम हाथ में लेकर उन्हें पूरा करें। यही बेहतर कोशिश होगी। इसीलिए दीन-दुर्बल, समाज के जुल्मों से परेशान अनपढ़ समाज के काम का बोझ मैंने अपने सिर पर लिया है। इस काम के कारण छात्रों की ओर जितना ध्यान दिया जाना जरूरी है उतना दिया नहीं जा सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं छात्रों के खिलाफ हूँ। उल्टे, मैं भले राजनीति, समाज-कार्य में व्यस्त रहूँ, मैं खुद जीवनपर्यन्त छात्र ही रहूँगा। सो एक छात्र दूसरे छात्र के खिलाफ कैसे हो सकता है? पढ़ाई के लिए जरूरी किताबें मुझे बार-बार खरीदनी पड़ती हैं। आज की तारीख में मुझ पर किताबों के रु. 1000/- बकाया है। इसके बावजूद मेरी बड़ी साख है। वह अभी खत्म नहीं हुई। मुंबई की किसी भी दुकान से मैं किताबें उधार ला सकता हूँ। लेकिन मैं अपने विद्यार्जन में व्यवधान नहीं आने देता। आज विद्यार्जन मेरी बड़ी लत बन गई है। सो मैं छात्रों के खिलाफ कैसे हो सकता हूँ?

विद्यार्जन के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद छात्र कैसे बरतें इस बारे में उपदेश देने के लिए मैं अयोग्य हूँ। क्योंकि मेरा गृहस्थाश्रम बेकार हो गया है। हालांकि छात्र होते हुए उन्हें कैसे बरतना चाहिए इस बारे में मैं जरूर कुछ बातें बता सकता हूँ। पिछले हजारों सालों से जिस समाज के किसी व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिली थी उस समाज के कई लोग अब विश्वविद्यालयों से बीए और एमए की उपाधियां लेकर निकलते हैं यह देखकर किसे संतोष नहीं होगा? पहले हमारे समाज में ढूंढ कर भी कोई बी.ए. की उपाधि प्राप्त व्यक्ति नहीं मिलता। पहले कभी कृष्णा जिले का हमारे समाज के एक

व्यक्ति ने बी.ए. किया था। वह व्यक्ति इतना प्रसिद्ध हुआ कि केवल उसका नाम और बीए लिखने से ही पोस्टमन उसे खत पहुँचा देता था। बीए होकर वह इतना मशहूर हो गया था। आज हमारे समाज में कई लोग बीए कर चुके हैं। इतना ही नहीं मजाक ही में कहना हो तो यहाँ कोई एकाध कंकड़ फेंकेगा तो वह किसी बीए पास को ही लगेगा। आज कुछ लोग बीए हुए हैं तब भी उन्हें एक बात ध्यान में रखनी होगी कि हमारी जिनसे टक्कर है वे अगड़े हैं। आज के जीवनकलह की आपाधापी में इन अगड़े लोगों से हम अगर उन्नीस साबित हुए तो हमारी खैर नहीं। क्योंकि आज सभी सत्ताधारी अगड़े लोग ही हैं। किसी भी दफ्तर में नौकरी माँगने जाओ तो वहाँ का वरिष्ठ अधिकारी अपने ही लोगों को काम पर रखते हैं यह खुला सच है। केवल बीए करने से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अगड़ी जाति के लोगों के साथ स्पर्धा में उतर कर अपनी बुद्धि का प्रभाव दिखाए बगैर केवल शिक्षा पाने से भला नहीं होगा। अगड़ी जातियाँ आपसे देबेंगी नहीं। उल्टे जिस तरह आज तक उन्होंने हमारा तथा हमारे बाप-दादों का दमन किया उसी प्रकार वे आपको भी दबा देंगे। इसीलिए आप इस प्रकार शिक्षा ग्रहण कीजिए कि हमारे सभी छात्र सरस साबित हों। अज्ञानी माता-पिता से जन्म पाकर बीए होने का दुरभिमान ना पालें। अपने कर्त्तव्य का अहसास रखते हुए कड़ी मेहनत से पढ़ाई करें। मैं जब बैरिस्टर बना तब अगड़े वर्ग के बैरिस्टर मुझे 'महारडा बैरिस्टर' कह कर नीचा दिखाते थे। लेकिन मैंने अपने कर्त्तत्व से उन सबके मुँह पर ताला लगा दिया है।

कुछ दिव्य किए बगैर हमें महत्व प्राप्त नहीं होता। बाकी समाज के साथ ऐसा नहीं है। जब हम सोने जैसा मूल्यवान काम करेंगे तब जाकर अन्य वर्गों के लोग उसे निकल जैसा काम मानेंगे। और उनके निकल के मूल्य के काम को भी सोने जैसा मूल्य प्राप्त है। आज यही व्यवहार चलन में है। ऐसा है कि अगर कोई महार, माँग या चमार महिला सोने के आभूषण पहन कर निकले तब भी उन्हें उच्च वर्ग के लोग नकली और झूठे मानते हैं। इसी प्रकार उच्च वर्ग की महिलाएं पीतल के आभूषण पहनती हैं तब भी वे सोने के ही हैं ऐसा लोग समझते हैं। अन्य सभी मामलों में भी ऐसी ही बातें होती हैं। कोई भी काम हम जब उनकी तुलना में शतशः अच्छा करेंगे तभी हमें उनकी बराबरी का माना जाएगा। यह सब करने के लिए हममें आत्मविश्वास होना जरूरी है।

आत्मविश्वास की तरह कोई अन्य दैवी शक्ति नहीं है। हमें अपना आत्मविश्वास नहीं गंवाना चाहिए। मान लीजिए, कुश्ती लड़ने के लिए अखाड़े में उतरा पहलवान अगर प्रतिस्पर्धी पहलवान की भुजाओं से डर जाए तो? क्या वह कुछ कर पाएगा? मैं यही मानता हूँ कि मैं जो चाहूँ वह मैं कर सकता हूँ। जाहिर है कि मैं यह अपने आत्मविश्वास के बल पर कहता हूँ। मेरे ऐसा कहने पर कुछ लोग मुझे घमंडी, शेखीबाज कह सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि यह न घमंड है न शेखी। यह है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के बल पर ही मैं यह बोल सकता हूँ। मैं चाहूँ तो बड़े आराम से सवा लाख की बात करूँ। आप ही

की तरह मैं एक महार महिला के पेट से पैदा हुआ हूँ। गरीबी के बारे में कहें तो आज जो गरीबों में गरीब छात्र हैं उनसे अलग मेरी स्थिति नहीं थी। अच्छी सहूलियत या कोई अन्य अनुकूलता मेरे लिए थी नहीं। मुंबई में डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की चॉल के दस बाय दस के कमरे में माता-पिता और भाई-बहनों के साथ रह कर एक पैसे के मिट्‌टी के तेल के दिए की रोशनी में मैंने पढ़ाई की है। उस जमाने में अगर कई मुश्किलों और संकटों का सामना कर मैं इतना कर पाया तो आप आज के साधन-सामग्री से परिपूर्ण समय में क्या कुछ नहीं कर सकते? कोई भी इंसान लगातार कोशिशों से ही पराक्रमी और बुद्धिमान बन सकता है। कोई भी इंसान पैदायशी बुद्धिमान या पराक्रमी नहीं होता। छात्रकाल में इंग्लैंड में मैंने 8 सालों का पाठ्‌यक्रम 2 साल 3 महीनों में सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके लिए दिन के 24 घंटों में से 21 घंटे मुझे पढ़ाई करनी पड़ी। आज मेरी उम्र 40 से अधिक है लेकिन आज भी मैं 24 में से लगातार 18 घंटों तक कुर्सी में बैठकर काम करता रहता हूँ। आजकल के युवाओं को तो लगातार आधे घंटे तक कुर्सी में बैठकर काम करने के लिए चुटकियाँ भर-भर कर सुंघनी सूंघनी पड़ती है। या फिर सिगरेट पीते हुए हाथ-पैर तान कर कुछ समय ऊंघे बगैर काम नहीं किया जा सकता। इस उम्र में भी मुझे इनमें से किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती।

लगातार मेहनत और कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। केवल डिग्रियाँ या उपाधियाँ प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि उपाधियाँ ज्ञान नहीं होती। उपाधियाँ शिक्षक के बिना ज्ञानार्जन के लिए इक्ट्‌ठा की गई साधन-सामग्री है। विश्वविद्यालय की उपाधियाँ और बुद्धिमत्ता का कोई आपसी तालुक नहीं। इस संदर्भ में एक सोचने लायक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। 7वें एडवर्ड की मृत्यु के बाद जब पंचम जॉर्ज 1911 में सत्तासीन हुए तब एक बार हिंदुस्तान आकर लौटने के बाद हिंदुस्तान के विशविद्यालयों के उन्होंने कई लाख रुपयों की ग्रैंट दी। उस ग्रैंट की रकम का उपयोग कर गणित में प्रवीण एक प्रोफेसर को भारत बुला कर उसके ज्ञान का फायदा यहाँ के लोगों को देना तय हुआ। इस दौरान मद्रास में रेलवे के दफ्तर में महीना 20 रु. की तनख्वाह पर काम करने वाला रामानुज नाम का एक बाबू था। अपना काम निभाते हुए उसके मन में इस गणितज्ञ का भाषण सुनने की जबर्दस्त इच्छा पैदा हुई। उसने विनति की कि आपके भाषण के लिए उपस्थित रहने की इजाजत मुझे मिले। हालांकि रामानुज केवल मैट्रिक पास था इसलिए उस गणितज्ञ को पहले लगा कि रामानुज को उसकी बातें समझ नहीं आएंगी। हालांकि अगर रामानुज आना चाहे तो उसे कक्षा में उपस्थित रहने की अनुमति दी गई। रामानुज ने उस प्रोफेसर के पांच-छह भाषण सुने। लेकिन हर भाषण के दौरान गणित के उस विद्वान का भाषण सुनने के बजाय वह अपने नोटबुक में कुछ और ही लिखता रहता था। इस कारण गणित के उस विद्वान को बेहद गुस्सा आया और उन्होंने उसे बहुत बुरा-भला कहा कि मिले हुए मौके का तुम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो।

उस पर रामानुज नेकहा कि, ''महाराज, जो गणित के प्रमेय आप बता रहे हैं उन्हें मैंने छात्रावास में ही हल किया है। उसमें मुझे नया कुछ दिखाई नहीं दिया। इतना ही नहीं, आपने जो बताए उससे अगले प्रमेय भी मैंने जिस कापी में हल की हैं वह मेरे पास हैं। गणित के विद्वान प्रोफेसर ने इसकी कपियाँ देखीं। रामानुज ने अपनी कापियों में गणित के अजीब से अजीब सवाल हल किए थे। उन्हें देख कर प्रोफेसर महोदय ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख कर सूचित किया कि जो व्यक्ति गण्ति का इतना विद्वान है उसे आपने हर महीने 20 रु. की तनख्वाह पर काम पर रखा हुआ है। उसने इस बारे में खेद प्रकट किया। इतना ही नहीं, उन प्रोफेसर महोदय ने उसे विलायत बुला कर उसके ज्ञान का फायदा लेने के उद्देश्य से उसे मोटी तनख्वाह देकर काम पर रखवाया। वहाँ के लोगों को गणित सिखाने के लिए वह रामानुज को ले गए। और वह खुद भी उसके छात्र बने। लेकिन रामानुज का ब्राह्मण्य बीच में आया। विलायत जाते हुए उन्होंने अपने लिए जरूरी रसोई का सभी सामन लिया था। इंटों का चूल्हा बना उस पर अपना खाना पका कर वह खाया करते थे। यूरोपीय लोग यवन हैं इसलिए उनके स्पर्श होने के करण सुबह-शाम उन्हें ठंडे पानी से नहाना पड़ता था। ठंड में जहाँ यूरोपीय लोग शुक्रवार के दिन ही हफ्ते में एक दिन नहाया करते थे वहाँ ये पट्ठा हर रोज सुबह-शाम ठंडे पानी से नहाया करता था। इस प्रकार नहाने से उसे न्यूमोनिया हुआ और उसी में वह चल बसा। इसी तरह लिबरल पार्टी के श्री चिंतामणी बेहद बुद्धिमान, मेधावी हैं यह सब लोग जानते हैं। पूरे हिंदुस्तान में अब्बल दर्जे के संपादक और लेखक के रूप में व विख्यात थे। हमारे छात्रों में यह गलतफहमी आम है कि बीए की उपाधि मिलने के बाद आगे कुछ पढ़ना बाकी नहीं रहता। असल बात तो यह है कि बीए करने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा शिक्षक के बिना पढ़ने के काबिल बनते हैं। यानि कि जो पढ़ना है वह आगे ही होता है। जिंदगी भर भी आदमी अगर पढ़ना चाहे तो विद्या के सागर के किनारे वाले घुटने तक के ज्ञान के पानी में ही वह जा पाएगा।

विद्या के साथ-साथ हममें शील भी होना जरूरी है। शील के बगैर विद्या किसी काम की नहीं। क्योंकि विद्या एक शस्त्र है। किसी के पास अगर विद्या रूपी शस्त्र हो और अगर वह शीलवान हो ता विद्या रूपी हथियार के सहारे वह औरों की रक्षा करेगा। लेकिन विद्यावान व्यक्ति अगर शीलवान ना हो तो वह अपनी विद्या से दूसरों को नुकसान पहुँचाएगा। विद्या तलवार की तरह हैं उसका महत्व उसे धारण करने वाले पर निर्भर करेगा। अज्ञानी इंसान किसी को धोखा नहीं दे सकता। किसी को धोखा कैसे दे यह उसे पता नहीं चलता। लेकिन पढ़े-लिखे लोग जानते हैं कि कैसे किसी को धोखा दें और किसी को धोखा देने के लिए जरूरी युक्तिवाद उनके पास होता है इसलिए वे सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर सकते हैं। हर गाँव में वहाँ के ब्राह्मण व्यापारी और अन्य पढ़े-लिखे लोग चालाकी कर लोगों को कैसे ठगते हैं यह आपने देखा ही होगा।

चालाकी करने के लिए बुद्धि और चतुरता की जरूरत होती है। लेकिन चतुरता और बुद्धि को अगर सदाचार का साथ मिले तो वह चालाकी या धोखाधड़ी नहीं करेगा। इसीलिए पढ़े-लिखे लोगों का शीलवान होना जरूरी है। अगर पढ़े-लिखे लोगों में शील न हो तो उनकी शिक्षा में ही समाज का और देश का विनाश है। सो शिक्षा से भी अधिक शील की कितनी अधिक जरूरत है यह आपकी समझ में आ ही गया होगा। इसीलिए, हर इंसान में पहले शील होना जरूरी है।

भाषण पूरा करने से पूर्व राजनीति के बारे में दो शब्द बताना मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। हममें से अधिकतर लोग गरीबी के कारण विद्या का उपयोग पेट भरने के अलावा किसी काम के लिए नहीं करते। मैं इसके लिए उन्हें दोष नहीं देता। पढ़े-लिखे लोगों के सामने जो दिक्कतें हैं उन्हं नजरंदाज करने से काम नहीं चलेगा। आज स्पृश्य समाज अधिकारारूढ़ है। सो स्पृश्य माने गए समाज की हालत संतोषजनक है। सभी तरह से उनके जीवन की तरह आसान है। उनके खिलाफ आपकी राह में संकट ही संकट खड़े हैं। आपका मार्ग कांटों से भरा हुआ है। किन उपायों से उस मार्ग को आसान बनाया ज सकता है इस बारे में आप सब लोगों को अभी से सोचना पड़ेगा। हमारे समाज के सामने चारों ओर केवल मुश्किलें ही हैं। उन्हें पूरा गिनना भी असंभव है। हम अल्पसंख्य हैं। संख्याबल के सहारे स्पृश्य समाज आज हम पर जो जी चाहे जुल्म ढा रहा है। आज अगर हम कोर्ट-कचहरी जाएं तो हमें क्या दिखाई देता है? मैजिस्ट्रेट ब्राह्मण, बाबू ब्राह्मण, सर्कल इन्सपेक्टर ब्राह्मण, तहसीलदार ब्राह्मण, मुन्सिफ ब्राह्मण, फौजदार ब्राह्मण। ऐसे हालात में हमारे मुकद्मे ऐसे कोर्ट में न्याय मांगने जाएं तो क्या हमें न्याय मिलेगा? बिल्कुल नहीं। कई के निर्णय में मैजिस्ट्रेटों ने कहा है कि महारों की और से गवाह महार ही हैं इसलिए उनका भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन स्पृश्य जातियों की ओर से स्पृश्य जाति के व्यक्ति की गवाही मैजिस्ट्रेट को चलती है और तो और आज के काँग्रेस प्रमुख भी काँग्रेस वालों की ही मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे हालात में मौके के पद हमारे पास आने तक हम पर हो रहे जोर-जुल्म कम नहीं होने वाले। ये पद कसे पाए जा सकते हैं। यह सोचने की बात है। आज स्पृश्य माने गए काँग्रेसियों में चोर और लूटेरों के बीच होती है वैसी दोस्ती है। उनकी दोस्ती में जो शामिल होते हैं वे उनकी तरफ थोड़ी सहानुभूति से देखते हैं। जो लोग उनमें शामिल नहीं होते उनकी तरफ उनका क्रूर रूख कैसा होता है हम सब जानते हैं। इसलिए इस बारे में मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात यह कि हम सब को संगठन बना कर रहना होगा। हम सभी अस्पृश्य अगर एक हो जाएं तो इस भेदभाव की दीवार में कहीं न कहीं दरार पड़ेगी ही। लोग अज्ञानी हैं। वे न तो पढ़ सकते हैं और न सोच सकते हैं। गांव के जो ताकतवर लोग होते हैं उनके कहे के अनुसार बरतने के लिए वे तैयार होते हैं। डर के कारण लोगों में फूट पड़ने की बड़ी संभावना होती है। इसलिए एकजुट रहना जरूरी है।

लोगों को एकजुट बनाने के लिए छात्र क्या करने के लिए तैयार हैं? छात्र एकजुटता को कैसे निभाएंगे इस बारे में बड़ी आशंका है। छात्रों को विद्या प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए लेकिन साथ ही उन्हें संगठन बनाने के काम की जिम्मेदारी अंशतः अपने कंधों पर लेनी ही चाहिए। हम सभी की इच्छाएं पूरी करने की सामर्थ्य हम में से किसी के पास नहीं है। लेकिन अपनी निजी इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं इसलिए तुरंत अलग-थलग रहने से हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इसलिए इन बातों को नजर के सामने रखते हुए अपने स्वार्थ को परे रख कर संगठन बनाने के लिए मेहनत करें। निजी स्वार्थ से समाज के फायदे को वरीयता दें।

दूसरी बात यह है कि अपने उद्धार के लिए हरिजन सेवक संघ की तरह हजारों संस्थाएं स्थापित हुई हैं। लेकिन उनका अंतिम उद्देश्य क्या है यह समझ नहीं आता। उनका काम कर्त्तव्य करने के इरादे से शुरू है या मुर्गी को दाना डालकर उसे पकड़ना और काटने जैसी स्वार्थपरक बुद्धि है? इन संस्थाओं के लाभ के क्या परिणाम निकलेंगे यह सोचने की बात है इन ब्राह्मणों की संस्थाओं से अगर हमारे छात्र कुछ फायदा उठाते हैं तो डर इस बात का है कि 'जिसका नमक खाओ उससे बेहमानी ना करो' के नाते हम अपना स्वत्व भूल जाएंगे। द्रोण और भीष्माचार्य के उदाहरण हमारे सामने हैं ही। पांडवों का पक्ष 'न्याय का हो न के बावजूद आप उनके खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं? यह सवाल जब भीष्म से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि 'अर्थस्य पुरुषों दासः'

यानी- 'मैं जिनका भात खाता हूँ उनकी तरफ से मुझे लड़ना पड़ेगा।' इस जवाब में इंसान के सामान्य स्वभाव का चित्र बना है। इसीलिए स्पृश्य वर्ग द्वारा शुरू की गई संस्थाओं से फायदा उठाने से पहले हमें यह फायदा लेना चाहिए या नहीं यह सोचना जरूरी है। अर्थात् मैं इस बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि- पुराणों में देवों और दानवों के बीच युद्ध हो रहा था। तब दानवों के गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या होने के कारण वे मृत सैनिकों को दुबारा जिंदा बनाते थे। लेकिन देवों की तरफ लड़ाई में सैनिकों की संख्या घटने लगी। क्योंकि देवों की ओर किसी के पास संजीवनी विद्या नहीं थी। इसलिए सभी देवों ने साथ मिल-बैठ कर बहुत सोच-विचार के बाद यह निर्णय किया कि देवों के गुरु का पुत्र कच को दानवों के गुरु के पास संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजा जाए। उसके अनुसार कच शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या सीखने गया। लेकिन देवों की इस कारस्तानी का जब राक्षसों को पता चला तो उन्होंने कच को जान से मार डाला। उसे जला कर उसकी राख शराब में मिलाकर वह शराब शुक्राचार्य को पिलाई। कच ने चतुराई से शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के साथ प्रेम संबंध बना कर उसे अपनी तरफ कर लिया था। देवयानी अपने पिता से कच को संजीवनी विद्या सिखाने का हठ लेकर बैठ गई। उसके आग्रह से अगर शुक्राचार्य कच को संजीवनी विद्या सिखा देते हैं तो फिर अपनी बुरी गत होगी सोचकर राक्षसों ने कच को मार डाला। बेटी के हठ

के आगे मजबूर होकर शुक्राचार्य संजीवनी विद्या के सहारे कच को फिर जिंदा ना बना दें इसलिए कच को जला कर राक्षसों ने उसकी राख शराब में मिला कर शुक्राचार्य को पिला दी ताकि उसे अगर जिंदा करना होगा तो शुक्राचार्य को मरना पड़े। पिता की मृत्यु के बारे में सोचकर देवयानी कोई भयानक हठ नहीं करेगी ऐसा राक्षसों ने सोचा। लेकिन देवयानी को जब इन सभी बातों का पता चला तब उसने अपने पिता से जिद की कि उनके पेट में होने वाले कच को वह संजीवनी विद्या सिखा दें। बेटी का हठ पूरा करने के लिए शुक्राचार्य ने पेट में ही कच को संजीवनी विद्या सिखा दी। फिर मंत्रोच्चार के बाद कच शुक्राचार्य का पेट फाड़ कर बाहर निकला। अपनी विद्या के सहारे उसने शुक्राचार्य को फिर से जीवित किया। देवयानी के साथ शादी करने का वचन उसने दिया था लेकिन अपना काम पूरा होते ही विवाह की बात भुला कर वह तुरंत देवों के गुट में चला गया। कच ने जो किया उसे कई लोग कृतन्घता कहते हैं। लेकिन मैं उसकी करनी को कृतघ्नता नहीं मानता। इसीका अगर हमारे छात्र अनुकरण करें तो मुझे उसमें कुछ बुरा नहीं लगेगा। इस मामले में अंग्रेजी का एक कोटेशन मुझे याद आ रहा है–

"No man can be grateful at the cost of his honour, no woman can be grateful at the cost of her chastity and no nation can be grateful at the cost of its liberty."

आज गांधी जो सत्य और अहिंसा की बात करते हैं उसका मतलब ही मेरी समझ में नहीं आता। सत्य कब और किसे बताएं इसका गांधी ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। कल्पना कीजिए मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहते हैं। वह मेरे मित्र हैं इसलिए वे अपनी थाली कहाँ रखते हैं यह मैं जानता हूँ। इसीलिए अगर चोर आकर मुझसे पूछे कि आपके पड़ोसी ने अपनी दौलत कहाँ छिपाई है बताइए तो सच बता कर मित्रता के साथ धोखा करें या झूठ बता कर मित्र की थाली बचाएं? ऐसे एक नहीं सैंकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं। खैर!

आखिर मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अगर एकजुट होकर रहोगे तभी कुछ कर पाओगे। हमारे समाज पर हजारों सालों से जो जोर–जुल्म हो रहा है, जो अन्याय होता आया है उसके निवारण की जिम्मेदारी आज की पीढ़ी को अपने जिम्मे लेनी चाहिए। हमारे समाज में एकता की बड़ी जरूरत है। एकता के कारण ही हम यह काम कर पाएंगे इसका मुझे यकीन है।

इस बारे में कठोर अनुशासन के पालन से ही कुछ हो सकेगा। अनुशासन के बिना सब ओर कोलाहल फैलेगा और अपने समाज का नाश होगा और विघटन होगा। इसीलिए सबको सुयोग्य एहतियात बरतने चाहिए। संगठन, शील और अनुशासन को बढ़ाएं और उनके सहारे समाज की उन्नति का फायदा कमाएं। इतना कह कर मैं आपसे विदा लेता हूँ।"[2]

---

2. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रांची भाषणे : संपा, मा. फ. गांजरे खंड 1, पृष्ठ 59–67

142

*जनतंत्र की विंडबना है कामगारों को बंधक बनाना

15 सितंबर, 1938 को मुंबई विधानमंडल में काँग्रेस सरकार द्वारा नागरिकों की आ. जादी के लिए घातक ट्रेड डिस्प्यूट बिल प्रस्तुत किया गया। इस बिल के पहले पठन के अवसर पर डॉ. अम्बेडकर ने तीन घंटों तक जोरदार भाषण किया जिसमें वह सिलसिलेवार कई मुद्दों पर बोले। उन्होंने कहा–

''इस बिल की विभिन्न धाराओं की आलोचना करते समय इसी प्रकार के अन्य बिलों पर भी सोचा जाना जरूरी है जो पहले पास हुए हैं। इस बिल की धाराओं की तुलना पुराने बिल की धाराओं से जब तक नहीं होती तब तक इस बिल की धाराएं स्पष्टता के साथ समझ नहीं आएंगी। इस बिल की आखिरी धारा से लगता है कि 1934 के हड़ताल पर पाबंदी लगाने वाले ट्रेड डिस्प्यूट कांसिलिएशन बिल की कमी को पूरा करने के लिए लाया गया है। 1934 का यह हड़ताल पर पाबंदी लगाने वाला यह कानून ऐसी संस्था की स्थापना के लिए बनाया गया था। जो सुलह करवा दे। 1934 के कानून द्वारा सुलह को ऐच्छिक बनाया गया था लेकिन आज के बिल से सुलह को अनिवार्य बनाया गया है। 1934 वाले कानून में मुख्य रूप से इतना ही बदलाव आने वाला है। 1934 के कानून द्वारा ऐच्छिक रखी गई सुलह को आज अनिवार्य बनाने की जरूरत क्यों आ पड़ी?

1934 की सुलह को आज अनिवार्य बनाने की जरूरत आज सचमुच है या नहीं यह देखने से पूर्व महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए हमें उस वक्त के हालात पर नजर डालनी होगी। शुरू में सर रॉबर्ट बेल के बिल में अनिवार्य सुलह की बात ही थी लेकिन 1934 के हालात को देखते हुए सर रॉबर्ट बेल को लगा कि अनिवार्य सुलह की जरूरत नहीं है। इसलिए बिल को पढ़ते समय उन्होंने स्पष्ट किया कि– 'अनिवार्य सुलह की जगह मैं ऐच्छिक सुलह का प्रावधान ही रखने वाला हूँ।'' इससे पता चलता है कि 1934 में सर रॉबर्ट बेल को भी अनिवार्य सुलह जरूरी नहीं लगी थी। उस वक्त भी सकलातवाला भी मौजूद थे और उन्हें भी अनिवार्य सुलह जरूरी नहीं लगी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस प्रकार के कानून की कोई जरूरत नहीं है।

1934 में अगर अनिवार्य सुलह की जरूरत नहीं थी तो आज हालात में ऐसे क्या बदलाव आए हैं जिनके कारण कानून में बदलाव लाकर सुलह को अनिवार्य बनाना पड़ रहा है? अनिवार्य सुलह का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री द्वारा कुछ हड़तालों के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि फिलहाल हिंदुस्तान में बार–बार एवं गंभीर हड़ताल हो रहे हैं, इसलिए

*जनता, 1, 8 और 15 अक्तूबर, 1938

ऐच्छिक सुलह के बजाय अनिवार्य सुलह का प्रावधान रखने की जरूरत पैदा हुई है। मुख्यमंत्री द्वारा किया गया समर्थन मुझे इसलिए ठीक नहीं लगता क्योंकि मैंने बड़े ध्यान से हड़ताल से संबंधित आंकड़ों का उसमें शामिल होने वाले कामगारों की संख्या तथा बेकार गए कार्यदिवसों की संख्या का अध्ययन किया है। लेबर ऑफिस द्वारा प्रकाशित किए गए लेबर गजेट में मुंबई प्रांत में हुई हड़तालों से संबंधित आंकड़े दिए हैं। उसमें 1921 से 1937 के दौरान हुई हड़तालें, उसमें शामिल कामगारों की संख्या तथा बेकार गए कार्य-दिवसों की संख्या आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इन आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि साल-दर-साल हड़तालों की संख्या में कमी आ रही है। 1921 में बुंबई प्रांत में कुल 103 हड़तालें हुईं, 1922 में 143 और 1923 में 109 हड़तालें हुईं। लेकिन 1924 से 1927 तक हड़तालों की संख्या 50 हुई। 1928 में 114 हड़तालें हुईं और 1929 से 1937 के दरमियान हड़तालों की संख्या 88 से 53 के दरमियान रहीं। दूसरी बात यह कि केवल हड़तालों की संख्या के सहारे उद्योगों में पैदा हुए विक्षुब्ध हालात को नापा नहीं जा सकता। हड़तालों की संख्या भले कम हुई हो लेकिन हड़ताल करने वाले कामगारों की संख्या और बेकार गए कार्य दिवसों की संख्या बड़ी है। कोष्ठकों में दी गई जानकारी से इस बात का पता चलता है। हड़ताल के दिन और कामगारों की संख्या से ही उद्योगों की बीमारी को मापा जाना चाहिए। इस नजरिए से देखें तो 1928 सबसे बुरा साल रहा क्योंकि इस साल बेकार गए कार्य-दिवसों की संख्या 24000,000 थी। दूसरा बुरा साल था 1925। इस साल 11,000,000 कार्य-दिवस बेकार गए। तीसरा बुरा साल था 1929 जिसमें 8000,000 कार्य-दिवस बेकार गए। इसके बाद 1934 से पूर्व हुई हड़तालों में बेकार गए कार्य-दिवसों की संख्या और हड़तालों में शामिल कामगारों की संख्या बहुत नगण्य है। 1934 में हड़ताल विरोधी कानून पारित हुआ। 1934 के बाद बेकार गए कार्य-दिवसों की संख्या तथा हड़ताल में शामिल कामगारों की संख्या पर गौर करें तो किसी भी राजनीतिज्ञ को या सरकारी अधिकारी को यह कहने का मौका ही नहीं मिल सकता कि उद्योग-व्यवसाय की स्थितियां खस्ता थीं। 1934 के बाद केवल 1937 का साल ही बुरा था ऐसा आंकड़ों से पता चलता है और उस वर्ष केवल 897 कार्य-दिवस बेकार गए। उससे पूर्व के साल में बेकार गए कार्य-दिवसों की तुलना में बेहद नगण्य है ऐसा ही करना पड़ेगा। अहमदाबाद शहर में हुई व्यापक हड़ताल 15 दिनों तक जारी रहने के कारण ये कार्य-दिवस बेकार गए थे।

इसके सहारे में एक बात साफ करना चाहता हूँ और वह यह है कि सरकार या मुख्यमंत्री द्वारा ऐसे कोई मुद्दे सामने नहीं रखे गए हैं जिनके सहारे इस सभा को स्पष्ट हो कि सरकार को ऐच्छिक सुलह के बदले अनिवार्य सुलह का प्रावधान रखते हुए 1934 के कानून में आमूलाग्र बदलाव लाने की जरूरत क्यों लगी?

इसके बाद डॉ. अम्बेडकर ने हड़ताल को गैर-कानूनी करार देने वाली कुछ धाराओं की खबर ली। पहले उन्होंने बिल का 62वां अध्याय पढ़कर सुनाया जिसमें हड़ताल को गैर-कानूनी ठहराया गया था।

''यह दर्शाने के लिए कि ये धाराएं न्यायपूर्ण हैं बताया गया कि किसी को भी 'हड़ताल करने' का हक नहीं होगा। चूंकि कामगारों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है, हड़ताल करने पर उन्हें सजा देना नैतिकता अथवा कानून के खिलाफ नहीं।'' मैं अपने भाषण में इसका खंडन करना चाहता हूँ।

पहले हम 'हड़ताल' शब्द का अर्थ समझें। 'हड़ताल' शब्द को नौकरी का अनुबंध तोड़ना' समझा जाता है। कामगार हड़ताल पर जाते हैं तब वे नौकरी का अनुबंध भंग करने के अलावा और कुछ नहीं करते। नौकरी का अनुबंध तोड़ने के अपराध के लिए हिंदुस्तान के कानून में जेल की कोठरी की सजा बताई गई है। पहले देखें कि क्या हिन्दी कानून यह मानता है कि कामगारों को भी हड़ताल करने का अधिकार है? अगर हिन्दी इस बात को मानता हो तो वह यह बात किस प्रकार करता है? हड़ताल के लिए अगर कानून सजा देता हो तो वह किस प्रकार सजा देता है? मैं आपके सामने बिल्कुल प्राथमिक कल्पना रखता हूँ। कोई करतूत दीवानी अपराध हो सकती है या फौजदारी अपराध। सवाल यह है कि नौकरी का अनुबंध तोड़ना क्या फौजदारी अपराधों के तहत गिना जाएगा? जाहिर है कि नहीं गिना जा सकेगा। 'नौकरी के अनुबंध' को तोड़ना दीवानी तरह का अपराध ही माना जाएगा। सो, नौकरी का अनुबंध तोड़ना अगर दीवानी मामला हो तो जिस व्यक्ति को इसके कारण नुकसान पहुंचता है उसे कानूनन केवल नुकसान की प्रतिपूर्ति मिलेगी अलग और कुछ नहीं मिलेगा।

नौकरी का अनुबंध तोड़ने को अगर फौजदारी अपराध माना जाए तो ऐसे अपराध के लिए हिंदी कानून में सजा का क्या प्रावधान है यह देखना होगा। हिन्दी कानून में इसे किस तरह का अपराध माना जाता है। यह ठीक से समझने-जानने के लिए हम इतिहास का रुख करते हैं। नौकरी के अनुबंध को तोड़ने के सिलसिले में सबसे पहला कानून 1859 में बना था। उसे नाम दिया गया था- ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडियन पीनल कोड (भारतीय दंड विधान) की 480, 491 और 492 धाराएं नौकरी का अनुबंध न तोड़ा जाए इसलिए हैं। 1859 में पारित कानून कवेल कारीगरों पर ही लागू था। उस वक्त के हालात में अंग्रेजी सरकार को उसे कानून की जरूरत महसूस हुई। उस दौरान अंग्रेज साम्राज्यशाही के सामने विद्रोह का बड़ा मसला मुंह बाए खड़ा था। सेना के लिए जरूरी सामान की आपूर्ति कराने के लिए कारीगरों को पहले ही पैसे दिए गए थे। लेकिन कारीगर डर या अन्य किसी कारण से भुगतान लेने के बावजूद अपने गांव निकल गए थे। ऐसी स्थितियों में यह कानून बनाया गया था। लेकिन भले कानून बनाया गया हो, भले इस कानून के तहत नौकरी का अनुबंध तोड़ना अपराध करार दिया गया था इस कानून पर बहुत कम बार अमल किया जाता था। लोगों को सजा देनेवाला यह कानून नहीं था। इस कानून का बाद का इतिहास भी काफी मनोरंजक है। इस कानून को कभी भी इस्तेमाल में नहीं लाया जाता था। 1920 में उसमें सुधार किया गया। इस सुधार के तहत इसमें दो बातें तोड़ी गईं।

पहली नौकरी का अनुबंध तोड़ने के लिए सजा सुनाने से पहले मेजिस्ट्रेट इस बात पर गौर करे कि मालिक-नौकरी के बीच किया गया अनुबंध योग्य था या नहीं। मैजिस्ट्रेट को अगर लगे कि करार अयोग्य था तो कारीगर द्वारा मालिक से पहले ही भुगतान लिए जाने के बावजूद उसे सजा ना दें। दूसरी नौकरी के बारे में झूठी शिकायतें करने वाले मालिक को सजा देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट को इस कानून के जरिए मिला।

इंडियन पीनल कोड की 400वीं धारा 'यात्रा के दौरान नौकरी के अनुबंध' को भंग करने के अपराध को लेकर है। यह कानून सभी नौकरी के अनुबंधों पर लागू नहीं है। मालिक के साथ यात्रा करते हुए अगर कोई नौकर नौकरी का अनुबंध तोड़ता है तो उस नौकर को इस कानून के तहत दंडित किया जा सकता है। इंडियन पीनल कोड की धारा 491 के अनुसार किसी असहाय इंसान की मदद के लिए नौकरी पर रखे गए किसी नौकर द्वारा अगर नौकरी का अनुबंध तोड़ा जाता है तो उसे सजा दी जा सकती है। किसी नौकर को मालिक अपने खर्च से दूर देश में काम पर भेजे और वहां अगर नौकर द्वारा नौकरी के अनुबंध को तोड़ा जाए तो उस नौकर को उसके इस गुनाह के लिए इंडियन पीनल कोड के 492वीं धारा के अनुसार सजा दी जा सकती है। लेकिन केन्द्रीय विधिमंडल ने 1925 में 490 और 492 की धाराएं रद्द कर दीं। अब इन धाराओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इन धाराओं के कारण जिन कृत्यों को पहले अपराध की श्रेणी में गिना जाता था उन्हें अब अपराधों की श्रेणी में नहीं गिना जाता। इस प्रकार, ''नौकरी के अनुबंध को तोड़ने'' को फौजदारी अपराध मानकर उसे कानून की किसी धारा के तहत अगर सजा दी जा सकती है तो वह केवल इंडियन पीनल कोड की धारा 491 के तहत। असहाय इंसान को किसी तरह कोई असुविधा न हो केवल इसीलिए इस धारा को जारी रखा गया है, इसके पीछे कोई और उद्देश्य नहीं है।

सो, इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 'नौकरी का अनुबंध तोड़ना' फौजदारी अपराध नहीं है और सजा देनी ही हो तो उसे केवल हिंदी कानून की धारा 491 के तहत ही सजा दी जा सकती है, किसी अन्य तरह से नहीं। यह केवल दीवानी तरह का अपराध है। और इसके एवज में मालिकों को केवल क्षतिपूर्ति ही मिलेगी, अन्य कुछ नहीं। हिंदी कानून द्वारा नौकरी के करार को तोड़ना गुनाह नहीं मानते हुए दीवानी अपराध हो माना है। इसका कारण है- नौकरी के अनुबंध को तोड़ने को फौजदारी अपराध मानना यानी किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ नौकरी करने पर मजबूर करना है और किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ चाकरी करने पर मजबूर करना यानि उसे गुलाम बनाना है। हिंदी विधिमंडल की यही राय है। गुलामी यानी क्या? यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान में गुलामी की व्याख्या इस प्रकार की गई है- ''गुलामी यानी जबरन, मर्जी के खिलाफ किसी को नौकरी करनी पड़े।'' मेरी राय है कि हड़ताल के लिए कामगारों को सजा देना यानी उन्हें गुलाम मानना। हड़ताल को गैर-कानूनी करार देना यानी कामगारों से उनकी मर्जी के खिलाफ काम लेना। किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने पर मजबूर करना उसे गुलाम बनाना ही है।

जो नैतिक तत्वों के खिलाफ है। यह कानून के खिलाफ हे। 490, 491, 492 की धाराएं बनाते समय– भले ये बंधन कामगारों की आजादी पर क्षुद्र बंधनस्वरूप ही थीं– फिर भी उन्हें लागू करने वालों को लग रहा था कि वे जो कर रहे हैं वह सही है या नहीं है।

आज कहा जा रहा है कि कामगारों को पास हड़ताल करने की आजादी ही नहीं होती। इस पर मेरा यही जवाब है कि जो ऐसा कहते हैं वे हड़ताल के सही मायने नहीं जानते। हड़ताल को अगर नौकरी के करार को भंग करना माना जाए ता यह भी मानना पड़ेगा कि हड़ताल आजादी के अधिकार का ही दूसरा नाम है। आप अगर मानते हैं कि हर इंसान का आजादी का अधिकार है तो आपको यह भी मानना होगा कि हर कामगार को हड़ताल करने का भी अधिकार है। आजादी दैवी अधिकार है ऐसा अगर आप मानते हैं तो हड़ताल पर जाने वाले हर कामगार को यह दैवी अधिकार प्राप्त है यह भी आपको मानना ही होगा।

ट्रेडस डिस्प्यूट बिल लाने के पीछे काँग्रेस की मंशा यही है कि हड़ताल को गैर–कानूनी ठहरा कर 'हड़ताल करने' को अपराध करार देना। इससे पहले किसी भी कानून के अनुसार हड़ताल गैर–कानूनी नहीं थे इस बात को स्पष्ट करते हुए डॉ. बाबा. साहेब अम्बेडकर ने आगे कहा–

''किसी भी कानून के तहत कामगारों की हड़ताल गैर–कानूनी साबित नहीं होती। ऐसे में कोई भी मुझे इंडियन पीनल कोड की धारा '120–अ' की याद दिला देगा। 120–अ षड्यंत्र रचने वालों को सजा सुनाने वाली धारा है। हड़ताल को कामगारां के संघ द्वारा रचा हुआ षड्यंत्र करार मानते हुए इस धारा के सहारे कामगारों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं है यह दिखाने की कोशिश विरोधी पक्ष के कुछ लोगों से होने की संभावना है। इसके लिए पहले उन्हें 'हड़ताल करना' यानी 'षड्यंत्र रचना' है यह साबित करना पड़ेगा लेकिन हड़ताल कभी षड्यंत्र साबित नहीं हो सकती।

'हिंदुस्तान में अब से पहले कभी धारा 120–अ के तहत हड़ताल को अपराध साबित करने की कोशिश नहीं की गई है। लेकिन मेरे इस कथन को अंग्रेजी कानून में आधार प्राप्त है।' इसके बाद डॉ. अम्बेडकर ने 'दी लीगल पोजिशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स' किताब में से हड़ताल को षड्यंत्र करार देने वाले एक अंग्रेजी केस के फाइनल जजमेंट में से एक परिच्छेद पढ़कर सुनाया। इस जजमेंट में यही कहा गया था कि, ''किसी भी सामान्य कानून से हड़ताल गैर–कानूनी नहीं ठहरती और हड़ताल करना यानी षड्यंत्र रचना भी नहीं होता यही निष्कर्ष बताया गया था।

120–अ धारा के साथ भी यही बात है। जब तक यह बात साबित नहीं की जाती कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हड़ताल की गई है तब तक 'हड़ताल' अपराध साबित नहीं होता। हड़ताल के कारण नुकसान होने की संभावना है लेकिन हड़ताल का उद्देश्य कभी भी नुकसान पहुंचाना नहीं होता। कामगारों की मांगे मंजूर करवाने के उद्देश्य से ही हड़ताल

की जाती है।'' इस प्रकार उपलब्ध किसी भी कानून के द्वारा हड़ताल को गैर–कानूनी नहीं करार दिया जा सकता यह बात बता देने के बाद डॉ. अम्बेडकर ने कहा–

''इस बिल के तहत हड़ताल करने को अपराध करार देत हुए काँग्रेस सरकार ने कामगारों पर गुलामी लाद दी है।''

मेरी राय में इस पर 'कामगारों की नागरिक आजादी छीन लेने वाला कानून' नाम ही अधिक स्टीक बैठता।

कई लोगों को लग सकता है कि सुलह की सभी कोशिशें नाकाम होने तक कुल दो महीनों तक इस बिल के जरिए कामगारों का हड़ताल करने की मनाही की गई है। और इस अवधि के बाद हड़ताल करने की उनहें पूरी छूट दी गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस बिल में कुछ ऐसी धाराएं है जिनके लागू होने पर कामगारों पर यह पाबंदी हमेशा के लिए लाद दी जाएगी। कामगार कभी भी हड़ताल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कलापव्यय के साथ हड़ताल के लंबा खींचने का पूरा प्रबंध इस बिल में किया गया है।

बिल लागू किए जाने के बाद पहले साल में किसी भी हड़ताल पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। लागू की जाने वाली धाराओं को कामगारों की मान्यता मिलने जैसे हालात में या ना हों उन पर एक साल की गुलामी लादी जाएगी वह बात निश्चित है। कामगारों की इसमें से किसी भी तरह छुटकारा मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इस एक साल की गुलामी के बाद क्या होगा?

उसके बाद, अगर कामगार हड़ताल करना चाहें तो उनहें पहले इसकी सूचना देनी होगी। यानी, पहले नोटिस देने में कुछ समय निकल जाएगा। नोटिस देने तथा उसका जवाब पाने के दरमियान के समय में हड़ताल पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। उसके बाद सुलह कराने की कोशिशें होंगी। दो महीनों तक बातचीत चलेगी। बातचीत दो महीनों में पूरी होनी ही चाहिए यह जरूरी नहीं। कामगार और मालिक दोनों की बातें उभय पक्षों को ठीक लगें तो कामगारों का अहोभाग्य होगा। वरना बातचीत को चार महीनों तक जारी रखने का प्रावधान इस बिल में रखा गया है। यानी, कामगार और मालिक के बीच अनबन पैदा होने के बाद अगले चार महीने और पच्चीस दिन की अवधि में कामगार किसी भी तरह का कोई कदम नहीं उठा सकते।

इस दरमियान के समय में कामगार प्रचार नहीं करेंगे। संगठन नहीं बनाएंगे, सभा नहीं लेंगे, जुलूस नहीं निकालेंगे, भाषण नहीं होंगे कुछ नहीं किया जा सकेगा। इस दरमियान किसी भी तरह की तैयारी कामगार नहीं कर सकते। बिल के द्वारा इस पर पाबंदी लगाई गई है। अगर कोई कामगार इस प्रतिबंध को तोड़ते हैं तो उनके लिए सजा का प्रावधान है। और अगर इन चार महीनों के प्रदीर्घ समय में बातचीत अगर सफल नहीं हुई तब कामगार क्या करेंगे? सुलह का यह समय बीत जाने के बाद हड़ताल की घोषणा करने

के लिए कामगारों को केवल दो महीनों का ही समय दिया गया है। सुलह के लिए रखा गया लंबा समय व्यर्थ बीत जाने के बाद इस दौरान असंगठित और तितर-बितर हो चुके कामगारों के प्रत्यक्ष विरोध की तैयारी दोबारा करने के लिए दो महीनों की सीमित अवधि काफी है, क्या सरकार की यही सोच है?

हड़ताल के लिए कामगारों का संगठन करते हुए कामगार नेताओं को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है यह मैं इसलिए नहीं जानता क्योंकि मैंने यह काम कभी किया नहीं है। लेकिन मुंबई शहर के कामगार आंदोलनों का मैंने जो अध्ययन किया है उसके आधार से मैं यह जरूर कह सकता हूं कि चार महीनों तक कामगारों को बंद रखने के बाद हड़ताल की तैयारी के लिए उन्हें फिर संगठित करने के लिए दो महीनों का समय बहुत कम है। दो महीनों की समयावधि में अगर कामगार हड़ताल की घोषणा नहीं करते तो उनका हाल बेहद अजीब होने वाला है। क्योंकि हड़ताल न करने की स्थिति मं जो शर्तें उन्हें मंजूर नहीं थी उन्हें मान लेने जैसा होगा। दो महीनों के बाद अगर कामगार हड़ताल पुकारते हैं और दोबारा अपनी मांगे पेश करते हैं तो उन्हें एक बार फिर इसी क्रम से गुजरते हुए चार महीने पच्चीस दिनों तक के समय तक बातचीत के निष्कर्ष का इंजतार करते रहना पड़ेगा। इंतजार कीजिए और चार महीने पच्चीस दिनों तक चलने वाली सुलह की बातचीत के परिणामों का इंजतार कीजिए। परिणाम ठीक ना निकलें तो दो महीनों के भीतर-भीतर हड़ताल कीजिए। अगर नई शिकायतें हों तो उनके लिए फिर चार महीने पच्चीस दिनों का चक्कर चलता ही रहेगा। सुलह की बातचीत वाला इस प्रकार का कालचक्र कामगारों को हमेशा की गुलामी में नहीं धकेलेगा, ऐसा कोई कह सकता है? और, अगर आप सोचते हैं कि यह बिल कामगारों को गुलामी की गर्त में ढकेलने के लिए नाकामी है तो और कौन-सा काला कानून है जो उन पर गुलामी लादेगा यह जानना भी मनोरंजक है।

इस बिल की हड़ताल से संबंधित धाराओं के बारे में इतना विश्लेषण काफी है ऐसा मुझे लगता है।

अब मुझे लगता है कि इस बिल के तथा 1929 के ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट की हड़ताल से संबंधित धाराओं की तुलना करना आवश्यक और उपयुक्त होगा। 1929 के कानून द्वारा भी कामगारों के हड़ताल करने के अधिकारों पर कुछ पाबंदियां लागू की गई हैं। इसलिए, इन दो कानूनों की धाराओं की तुलना में हमें बताएगी कि क्या हम आजादी की राह पर आगे बढ़ रहे हैं या गुलामी और दासता की दिशा में रेंगते हुए बढ़े जा रहे हैं। यह जानना हमारे लिए बोधप्रद होगा। एसेंब्ली के सदस्यों को भी पता चलेगा कि वे किस मोड़ पर खड़े हैं।

1929 के कानून की एक धारा के अनुसार राजनीतिक मसलों के कारण की जानेवाली सार्वजनिक हड़तालें गैर-कानूनी करार दिए गए हैं। एक और धारा के तहत बिना नोटिस दिए की गई हड़ताल को गैर-कानूनी करार दिया है। बिना नोटिस दिए पुकारी गई हड़ताल

के मुद्दे पर 1929 के कानून और आज के बिल में समानता दिखाई देती है। लेकिन केवल इस एक बात के अलावा ये दोनों बिल एक-दूसरे से एकदम अलग हैं। आज का बिल बेहद प्रतिगामी ढंग का है तथा इस बिल को बनाने वाला 1929 के बिल के निर्माता से भी बेहद प्रतिगामी मानसिकता वाला इंसान है ऐसा कहा जा सकता है।

1929 के कानून की धारा केवल लोगों के उपयोगी (Public Utility) व्यवसायों पर ही लागू की गई थी। उस कानून के सहारे केवल पब्लिक युटिलिटीज में होने वाली हड़तालों को ही गैर-कानूनी ठहराया था। लेकिन आज का कानून सभी व्यवसायों की हड़तालों को गैर-कानूनी करार दे रहा है। मेरी राय में इन दो कानूनों के बीच का यह अत्यंत महत्वपूर्ण फर्क है। क्या इस तरह का फर्क आज लागू करना न्यायपूर्ण रहेगा?

1929 में सेंट्रल एसेंब्ली में काँग्रेस द्वारा इस कानून के बारे में कौन-सी नीति अपनाई गई थी यह जानना योग्य रहेगा।

इसके बाद डॉ. अम्बेडकर ने उस वक्त की सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट इस काँग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा लिखा हुआ हिस्सा पढ़ कर सुनाया। तब स्पष्ट हुआ कि तब काँग्रेस द्वारा हड़ताल को गैर-कानूनी करार दिए जाने के 1929 के कानून के हिस्से का विरोध किया था। उन्होंने पब्लिक युटिलिटिज को परिभाषित करने का आग्रह किया था। उस वक्त सरकार पब्लिक युटिलिटीज को परिभाषित करने के प्रति नाखुश थी। तो काँग्रेस का कहना था कि नौकरशाहों की मनमानी पर फैसला छोड़ने के बजाय 'पब्लिक युटिलीटीज' की स्पष्ट परिभाषा बनाना चाहिए। साथ ही, काँग्रेस की दलील थी कि 'पब्लिक युटिलीटीज' की सीमा में कई उद्योग आ सकते हैं और नौकरशाही अपने उद्देश्यों की पूर्तता के लिए किसी भी उद्योग की हड़ताल को 'पब्लिक युटिलीटिज' के बहाने गैर-कानूनी करार दे सकती है। इसीलिए काँग्रेस पार्टी का कहना था कि यह कानून केवल 'सोशल सिक्योरिटी सर्विसेस' तक ही सीमित किया जाए। लेकिन आज, वही काँग्रेस सत्ता हाथ में आने के बाद वही कानून सभी उद्योगों पर केसे लागू कर रही है यह डॉ. अम्बेडकर ने स्पष्ट किया।

जिन व्यवसाय-उद्योगों पर समाज का जीवन निर्भर करता है केवल उन्हीं व्यवसाय-उद्योगों में होने वाली बिना नोटिस की हड़तालों को गैर-कानूनी ठहराया जाए ऐसा उस वक्त काँग्रेस का कहना था। लेकिन आज के बिल के जरिए हर उद्योग में की जाने वाली हड़ताल को गैर-कानूनी ठहराया जा रहा है।

मान लीजिए, कल हिंदी महिलाओं में होठों को रंगने की फैशन ने जोर पकड़ा। तब किसी कारखाने के मालिक द्वारा लिपस्टिक बनाने का कारखाना खोला। उस कारखाने के कामगार अगर बिना नोटिस दिए हड़ताल पर चले गए तो उनकी हड़ताल गैर-कानूनी मानी जाएगी। कोई यह तो नहीं कह सकेगा कि महिलाओं के होठों को रंगने के सुख में व्यवधान आएगा इसीलिए लिपस्टिक बनाने के कारखाने को लोगों के जीवन के लिए

उपयोगी मानते हुए हड़ताल करने वाले कामगारों के हकों पर नियंत्रण रखें।

'सोशल सर्विस सेक्युरिटीज' तक ही कामगारों के हड़ताल करने के हकों पर नियंत्रण रखने की अपनी 1929 की नीति आज लगता है काँग्रेस ने बदल ली है। इतना ही नहीं, अब की बार काँग्रेस ने 1929 के कानून से भी आगे बढ़कर नौकरशाही को तक मात दी है।

पुरानी नौकरशाही ने अकलमंदी दिखाते हुए, अपनी जिम्मेदारी को पहचान कर तथा हड़ताल करना कामगारों के हकों में शुमार है यह जानते हुए लोकोपयोगी उद्योगों के हड़तालों को ही गैर–कानूनी ठहराया। लेकिन आज की सरकार अपनी इतनी जिम्मेदारी भी नहीं निभा सकी। काँग्रेस के इस बिल के कारण लिपस्टिक के कारखाने में होने वाली हड़ताल को भी गैर–कानूनी ठहराया जाने वाला है।

और यह सब किसलिए, इस पूछताछ और लेन–देन की बातचीत से कामगारों को क्या मिलेगा? मैं तो इतना ही समझ पाया हूं कि इस बिल के अनुसार सुलह की बातचीत के लिए जिन चार महानुभावों को नियुक्त किया जाएगा उनका मुंह............ चार महीने और पच्चीस दिनों तक ताकते रहने के अलावा कामगारों को कुछ नहीं मिलने वाला। उसके बजाय काँग्रेस सरकार खुलेआम सीधे–सीधे यह कह देती कि "भले तुम मानो या ना मानो, हम जबरदस्ती आप पर सुलह लादेंगे।" ताकि कम से कम यह सुनिश्चित रूप से माना जा सकता कि सुलह की बातचीत के बाद कुछ न कुछ हाथ लगेगा।

इस बिल के कारण कामगारों को पहले रजिस्ट्रार, कंसलिएटर, कंसलिएटर्स बोर्ड आदि सीढ़ियों से गुजरना पड़ेगा। इस पूरी कवायद से लोगों को और भूख से पीड़ित मजदूरों को बस मीठे–मीठे स्वरों में झूठ परोसने वाले और सुलह करवाने की कहने वाले व्यक्ति के आगे अपनी मांगों को रखने के अलावा और कुछ होगा ऐसा नहीं लगता। इन विभिन्न सीढ़ियों से कोई ठोस परिणाम निकलना संभव नहीं। हड़ताल करने निकले मजदूरों को शांत करने का यह इलाज हो ही नहीं सकता। कामगारों के नजरिए से होगा इतना ही कि चार महीने पच्चीस दिनों के अंतराल के बारे में सोच कर कामगारों के संगठन सोच में पड़ेंगे और कामगार हड़ताल में असमर्थ रहेंगे।

1934 के कानून में आर आज के बिल में जो एक महत्वपूर्ण फर्क है उसकी ओर आज मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। 1934 के कानून पर जब वाद–विवाद चल रहा था तब सूचना रखी गई थी कि सुलह के दौरान हड़ताल पर पाबंदी लगाई जाए। हड़ताल पर अगर प्रतिबंध नहीं लगाया जाए तो कम से कम पिकेटिंग पर प्रतिबंध लगे। लेकिन आनरेबल सर रॉबर्ट बेल ने इन दोनों सूचनाओं का मान्यता नहीं दी।

उस दौरान एक सदस्य द्वारा डॉ. अम्बेडकर के इस कथन पर आपत्ति जताई इसलिए डॉ. अम्बडकर ने डॉ. रॉबर्ट बेल के उस समय के भाषण में से एक परिच्छेद पढ़कर सुनाया।

मेरी पक्की राय यह है कि सुलह की बातचीत के दौरान कामगारों की हड़ताल पर अगर पाबंदी नहीं हो तो ही सुलह की बातचीत सफल होना संभव होता है। अपनी सामर्थ्य जुटाने के लिए मालिकों के पास जब चार महीने पच्चीस दिनों का समय होता है। इस दरमियान कामगार न तो हड़ताल की तैयारी के रूप में कोई संगठन बना सकते हैं और बातचीत असफल रहने के बाद दो महीनों के अंदर ही वे हड़ताल कर सकते हैं। ये सभी बातें पता होने के बाद मालिक भी सुलह सफल कराने की क्यों सोचेंगे? सुलह की कामगारों की कोई शर्तें स्वीकारने पर मजबूर करने वाला दबाव मालिकों पर नहीं है। हड़ताल के दबाव के बगैर मालिक कभी भी किसी सुलह के लिए तैयार नहीं होते।

इस बिल को ले आने वालों की अगर सचमुच यह इच्छा होती कि वे जिस व्यवस्था को लागू करने जा रहे हैं उससे मालिक और कामगारों का फायदा हो तो वे रॉबर्ट बेल की नीति को अपना कर सुलह की बातचीत चलने के दौरान कामगारों पर हड़ताल की पाबंदी नहीं लगाते। लेकिन पुरानी नौकरशाही द्वारा भी माना गया तथ्य आज की काँग्रेस की 'लोकप्रिय' और अपने को 'मजदूरों के प्रतिनिधि कहलाने वाली सरकार ठुकरा रही है। क्या काँग्रेस इसी तरह के जनतंत्र की स्थापना करने जा रही है? आपको यह जनतंत्र लगता होगा, मुझे लेकिन ऐसा नहीं लगता। कामगारों के बुनियादी हकों को जहाँ कुचला जाता हो वह जनतंत्र ही नहीं है।

जिस जनतंत्र में जिंदा रहने के साधन भी जिनके हाथ में नहीं होते उस संगठन की नजर में बिखरे हुए अशिक्षित और बुद्धिहीन कामगारों पर इस प्रकार गुलामी के बंधन लादे जाते हैं वह जनतंत्र है ही नहीं। वह जनतंत्र की विडंबना है।

इसके बाद डॉ. अम्बेडकर ने बिल की यूनियन संबंधी धाराओं की बखिया उधेड़ी। उन्होंने कहा, इन धाराओं ने कामगारों की युनियन्स को क्वालिफाइड यूनिशन्स, रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव यूनियन्स आदि विभिन्न प्रकारों में बांटा है। विभिन्न प्रकार की यूनियन्स किन शर्तों पर तथा किस प्रकार रजिस्टर करें और ये पंजीकृत यूनियन्स किन शर्तों पर रिप्रेजेंटेटिव यूनियन्स बनाएं, पंजीकृत यूनियन का प्रतिनिधित्व किन तत्वों के आधार पर रद्द करें आदि बातें इस धारा में तय की गई हैं। आगे डॉ. अम्बेडकर ने कहा–

अनिवार्य सुलह और लेन-देन संबंधी बातचीत के दौरान हड़ताल पर पाबंदी लगाने वाली धाराओं के साथ इन धाराओं का संबंध कैसे हो सकता है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लगता है कि जानबूझकर इन धाराओं को इस बिल में जोड़ा गया है। नाम के सहारे इस बिल का उद्देश्य बताते हुए कहा गया है कि, ''उद्योगों में हुए टंटों को शांतिपूर्ण ढंग से और सुलह के साथ मिटाने के लिए तथा कुछ अन्य कारणों के लिए लाया गया बिल।' इसमें जिनका जिक्र हुआ है वे दूसरे कारण कौन-से हैं? इन दूसरे कारणों का जिक्र बिल के नाम में क्यों नहीं किया गया है? उसमें कुछ लज्जास्पद है

क्या? इन दो हिस्सों का बिल में जो संबंध है उसे स्पष्ट किया जाना जरूरी है। अगर इन दोनों में कोई संबंध है उसे स्पष्ट किया जाना जरूरी है। अगर इन दोनों में कोई संबंध नहीं हो तो दूसरे हिस्से की धाराओं को हटाना चाहिए।

बहुत सोचने के बाद मुझे पता चला कि इन दो हिस्सों का एक-दूसरे से महत्वपूर्ण संबंध है। बिल की 75वीं धारा से यह संबंध स्पष्ट हो सकता है। इस धारा के अनुसार कामगारों के प्रतिनिधियों के अलावा अन्य कोई भी इस कानून के मुताबिक सुलह की लेन-देन संबंधी बातचीत में शामिल नहीं हो सकता। यह अत्यंत महत्वपूर्ण धारा है क्यांकि हिंदी ट्रेड आंदोलन के लिए यह बेहद विघातक साबित होने वाली है।

कामगारों क प्रतिनिधि कौन हो सकते हैं और बातचीत में कामगारों के प्रतिनिधि के तौर पर कौन शामिल हो सकते हैं इन बातों का फैसला इन धाराओं में किया गया है। कामगार प्रतिनिधि की जो व्याख्या इस बिल में दी गई है इसमें न बैठने वाला कोई भी व्यक्ति कामगारों के प्रतिनिधि के तौर पर बातचीत में हिस्सा नहीं ले सकता। वह कामगार भले वास्तव में सच्चा और लायक प्रतिनिधि क्यों न हो, भले वह कामगार आंदोलन का अनुभव प्राप्त नेता क्यों न हो इस व्याख्या में अगर वह नहीं बैठता तो सुलह संबंधी बातचीत में कामगारों के प्रतिनिधि के तौर पर वह शामिल नहीं हो सकता।

दो तरह की यूनियन्स को कामगारों के प्रतिनिधि कहलाने के लिए योग्य माना गया है। कुल कामगारों के 20 प्रतिशत कामगार जिनके सभासद हो और मालिकों की मान्यता प्राप्त यूनियन्स आती हैं। दूसरे तरह की यूनियन्स में सदस्य कामगारों की संख्या कुल कामगारों की संख्या में से 50 प्रतिशत की होगी। इन दोनों तरह की यूनियन्स प्रातिनिधिक यूनियन्स (Represenative Unions) के तौर पर ही मानी जाएंगी। लेकिन एक-दूसरे के खिलाफ दो यूनियन्स को एक ही नाम के तहत कैसे रखा जा सकता है? मेरी राय में इन दो तरह की यूनियन्स को गुलाम यूनियन्स और आजाद यूनियन्स कहना सही होगा। जिस यूनियन का कानूनी अस्तित्व, प्रतिनिधित्व के अधिकार और मताधिकार आदि सब मालिकों की मर्जी पर निर्भर होगा उन्हें गुलाम यूनियन्स कहना मेरी राय में अत्युक्ति नहीं होगी। ऐसी यूनियन्स को 'मालिकों से मान्यताप्राप्त' कहने के बजाय 'मालिकों की पसंदीदा' यूनियन्स कहना ज्यादा सटीक होता है, जिससे कि इन यूनियनों का गुलामों-सा स्वरूप स्पष्ट होता।

यूनियन को प्रतिनिधित्व देने से पूर्व उसके पंजीकृत होने की शर्त रखने के पीछे क्या उद्देश्य है यह समझ में नहीं आता। इस बिल द्वारा 1926 में पारित हुए केन्द्र सरकार के ट्रेड यूनियन्स एक्ट को खारिज नहीं किया है। इस बिल ने उस कानून को जारी ही माना है। किसी भी यूनियन का इस बिल के तहत पंजीकृत होने से पूर्व पुराने कानून के तहत पंजीकृत होना जरूरी क्यों माना गया है? इस कारण हर यूनियन दो बार पंजीकृत करनी पड़ेगी। पहले 1926 के कानून के तहत और फिर इस नए बिल के तहत इस

प्रकार दो बार यूनियन को पंजीकृत करना होगा।

1926 के कानून के तहत पंजीकृत यूनियन को क्या फायदे मिलते हैं यह पहले देखना होगा। इससे पता चलेगा कि नया बिल ट्रेड यूनियनों को कौन-सी नई रियायतें दे रहा है या पुरानी रियायतें वापिस ले रहा है। 1926 कानून के अनुसार पंजीकृत की गई यूनियन एक ऐसी संस्था बनती है जिसके बारे में शिकायत दर्ज की जा सके और खुद भी शिकायत दर्ज कर सके। संस्था होने के नाते अपने सदस्यों के प्रतिनिधित्व का अधिकार उसे प्राप्त होता है। 1926 के कानून के तहत पंजीकृत यूनियन को अगर कामगारों का प्रतिनिधि कहलाने का अधिकार अगर मिलता है तो आज के इस बिल के जरिए उसे एक बार फिर पंजीकृत करने की क्या जरूरत है? इस बिल के कारण एक और विलक्षण बात होने जा रही है। 1926 के कानून के तहत पंजीकृत यूनियन इस बिल के अनुसार पंचायत (लवाद मंडल) के आगे कामगारों के प्रतिनिधि के रूप में खड़ी नहीं रह सकती। एक और बात है जो नियमों के खिलाफ है जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं और वह यह है कि 1926 के कानून के तहत पंजीकृत यूनियन्स विधानमंडल में मजदूरों के प्रतिनिधि के तौर पर जा सकती हैं लेकिन वे पंचायत के सामने उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते।

उन्हें इस प्रकार प्रतिबंधित क्यों किया गया है? 1926 के कानून के तहत पंजीकृत हुई यूनियन्स से उनका एक महत्वपूर्ण अधिकार उनसे छीना गया है ऐसा मुझे लगता है।

1934 के कानून में तय किया गया कि सुलह की बातचीत में कामगारों के प्रतिनिधि शरीक होंगे। कामगारों के प्रतिनिधित्व का अधिकार उन यूनियन्स को दिया गया जो 1926 के कानून के तहत पंजीकृत हुई थीं। 1926 के कानून के तहत पंजीकृत यूनियन्स संगठित संस्था होने के कारण 1934 के कानून के अंतर्गत उसके प्रतिनिधित्व के अधिकार को मंजूरी मिली थी। 1935 के कानून से ट्रेड यूनियन्स को विधिमंडल में अपने सदस्य भेजने के अधिकार प्राप्त हुए। 1934 के मुंबई विधिमंडल द्वारा पारित किए गए कानून से पंचों के आगे अपने प्रतिनिधियों को भेजने के ट्रेड यूनियन के अधिकार को मान्यता दी गई। मैं आपको स्पष्ट कर बताऊंगा कि अब यह अधिकार यूनियन्स के पास है लेकिन इस बिल के तहत के अधिकार यूनियन्स से लेकर केवल गुलाम यूनियन्स को ही दिया जाने वाला था। इस बिल के तहत पंजीकृत यूनियन्स 1926 के कानून के तहत पंजीकृत होना जरूरी है यह शायद इसी कारण तय किया गया हो ऐसा मुझे लगता है ताकि इन यूनियन्स को पंचों के सामने अपने प्रतिनिधि भेजने के साथ-साथ विधिमंडल में सदस्य बनाने का अधिकार भी प्राप्त हो। इस तरह की नीति ट्रेड यूनियनों के लिए घातक साबित होगी। मेरी राय में यकीनन ये सभी शर्तें गुलाम यूनियन्स के फायदे के लिए हैं।

काँग्रेस के मंत्रियों की अगर यह राय है कि ट्रेड यूनियन्स हमेशा मालिकों की मर्जी पर निर्भर रहें तो इस बारे में उनसे वाद-विवाद करने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। काँग्रेस अगर गुलाम इंसान को ही आजाद इंसान मानना चाहती है तो यह उनकी मर्जी है।

जिस प्रकार यह बिल हड़ताल पर प्रतिबंध लगा कर कामगारों को बांध देने वाला है उसी प्रकार काँग्रेस की अगर यह राय है कि गुलाम यूनियन्स के जरिए ही कामगारों को जोड़ा जाए तो उनके साथ कौन सोच-विचार कर पाएगा? इस तरह की सोच मुझे मंजूर नहीं। जिस शांति को स्वीकारने के लिए यह बिल लाया गया है वैसी शांति हमें नहीं चाहिए। जो शांति श्रमजीवियों को नुकसान पहुंचाने वाली हो हम उसका निषेध करते हैं।

जिसका पेट पूरा भरा है उसके लिए यह शांति ठीक है। भूख से परेशान श्रमजीवि वर्ग के हित में वह नहीं है। हो सकता है यह बात सच हो कि हिंदुस्तान में ट्रेड यूनियन के आंदोलन ने अभी जोर नहीं पकड़ा है। कुछ लोग ट्रेड यूनियन्स को घातक करार देने की कोशिश में भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे इस बात से आश्चर्य महसूस हो रहा है कि जो कभी काँग्रेस के सदस्य थे और जिन्हें काँग्रेस के अहिंसा आदि तत्व मंजूर थे वे कम्युनिस्टादि नेता भी आज काँग्रेस को मजदूरों के हितों के संदर्भ में घातक सिद्ध होंगे ऐसा लग रहा है।

कुछ समय बाद गुलाम यूनियन्स आजाद बन सकती हैं यह अगर सरकार साबित कर दे तो मैं अपनी सोच बदलूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि गुलाम यूनियन्स कभी भी स्वतंत्र नहीं होंगी। क्योंकि स्वतंत्र यूनियन्स पर लादी गई शर्तें लगभग असंभव हैं। उन्हें कभी पूरा नहीं किया जा सकता। किसी भी यूनियन की आजादी के लिए कुल कामगारों में से 50.1 प्रतिशत कामगारों का उसका सदस्य होना जरूरी है। क्या यह शर्त सही है? मजदूर अगर मालिकों की मंजूरी की गुलामी को त्याग कर स्वतंत्र बनना चाहते हों तो उनमें से 50 प्रतिशत कामगारों का ट्रेड यूनियन के सदस्य होना जरूरी है। क्या यह शर्तें पूरी कर पाना संभव है?

काँग्रेस के मंत्री महोदय ने हमसे अहमदाबाद की नमूनेदार स्थितियों की ओर ध्यान देने के लिए कहा है। अहमदाबाद की स्थितियां आपके सामने रखते हुए सरकार ने आपको सलाह दी है कि आप उसी प्रकार बरतें। मुझे यह सब मंजूर है। लेकिन यह पूछना चाहता हूं कि इस बिल के जरिए क्या 'अहमदाबाद मजूर महाजन' संस्था भी पृथक यूनियन बन सकती है? वह कामगारों की अलग यूनियन बन पाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता। कुछ मुसलमानों का अपवाद अगर छोड़ दें तो पूरे अहमदाबाद में सभी मिल मालिक और कामगार एक ही धर्म के हैं और वे एक ही भाषा बोलते हैं। इससे मालिक और कामगारों के बीच का वितंडा थोड़ा कम होता है। साथ ही, गुजरात महात्मा गांधी का निवास-स्थान है इसलिए वे उनके सामने भी अपनी शिकायतें रख सकते हैं। वे जब फैसला सुनाते हैं तो दोनों पक्षों को चुपचाप उसे स्वीकारना पड़ता है। ऐसी स्थितियों में 'मजूर महाजन' यूनियनें बढ़ी हैं। करीब 20 सालों से वह टिकी हैं वह किसी ने बताया। मेरे पास 1938 का एक लेबर गैजेट है। उससे पता चलता है कि अहमदाबाद की कपास की मिलों में कुल 90,000 कामगार काम कर रहे हैं। इन 90,000 में से कितने यूनियन के सदस्य हैं? 'मजूर महाजन' संस्था पांच यूनियन्स मिलाकर बनी है। इस संयुक्त यूनियन

में कुल 22000 कामगार हैं। यानी कुल कामगारों में से केवल 29 प्रतिशत कामगार ही इस यूनियन के सदस्य हैं। इसके बावजूद, 'अहमदाबाद मजूर महाजन' संस्था क्या मालिकों की सहमति के बिना इस बिल के तहत पंजीकरण के लिए योग्य मानी जाएगी?

अमदाबाद जैसे शहर की सभी तरह से अनुकूल स्थितियों में होने वाली 'मजूर महाजन' यूनियन भी आजाद यूनियन नहीं बन सकती क्योंकि पंजीकरण के लिए उसे भी मालिक की सहमति पर ही निर्भर करना पड़ेगा।

इसीलिए इस बिल द्वारा रखी गई शर्त पूरी करना असंभव है। उद्योगों के क्षेत्र में अगड़े इंग्लैंड में भी मुझे लगता है कि इस शर्त पर खरा उतरना असंभव होगा। मि वाल्टर की किताब से पता चलता है कि इंग्लैंड में कुल 18,000,000 कामगार हैं। उनमें से 5,531,000 कामगार यूनियन्स के सदस्य हैं। जिन देशों के कामगार संगठित हैं और जहां उद्योग-व्यवसायों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है उस इंग्लैंड देश का यह हाल है, सो हमारे पिछड़े हिंदुस्तान में ट्रेड यूनियन का हाल क्या होगा? कोई भी यूनियन कुल कामगारों में से 50.1 प्रतिशत कामगारों को अपना सदस्य नहीं बना सकती। परिणामतः मालिकों की मंजूरी पर निर्भर ऐसी गुलाम यूनियन्स कामगारों की ओर से केवल सुलह की बातचीत में शामिल हो सकती है।

किसी भी उद्योग में या किसी भी स्थान पर होने वाले उद्योग में एक ही यूनियन हो ऐसा इस बिल के आधार पर तय किया जाने वाला है। इस धारा के कारण हिंदी ट्रेड यूनियन्स के विकास पर रोक लगेगी ऐसा मुझे लगता है। दुनिया के किसी भी अन्य देश में क्या यह पद्धति लागू की गई है? इंग्लैंड के ट्रेड यूनियन्स के बारे में मैंने अध्ययन किया है। इसलिए उनके बारे में मैं पूरे यकीन के साथ और सबूतों समेत यह कह सकता हूं कि उपर्युक्त बातें वहां लागू नहीं की गई हैं। अंग्रेजी कानून ने किसी भी सिद्धान्त और नीति के आधार पर मजदूर वर्ग को संगठन बनाने की इजाजत दी है। किसी एक उद्योग में या किसी एक व्यवसाय में एक ही यूनियन हो यह सिद्धान्त इंग्लैंड में प्रचलित नहीं है।

इस बिंदु के समर्थन में डॉ. अम्बेडकर ने 'The Employment Exchange of Great Britain' किताब का एक हिस्सा पढ़ कर सुनाया।

इंग्लैंड में सार्वजनिक यूनियन को पूरी मान्यता है। विभिन्न उद्योगों में कार्यरत कामगार संगठित होकर एक ही यूनियन की स्थापना कर सकते हैं। जनरल यूनियन के सदस्य एक ही उद्योग के विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। मतलब, विभिन्न उद्यागों में लगे मजदूर एक यूनियन के सदस्य बन सकते हैं। इंग्लैंड में कामगारों को इस बात की छूट दी गई है कि वे अपनी तरह से अपना संगठन बनाएं। इंग्लैंड जैसे विकसित राष्ट्र में जब ऐसे हाल है तो फिर हिंदुस्तान जैसे पिछड़े राष्ट्र के लिए इस प्रकार के बिल की क्या आवश्यकता है यह बात समझ में नहीं आती।*

---

*· इससे आगे जो भाषण थे वे अंक प्राप्त नहीं जो पाए।

143

*पूंजीपतियों की कृपा से मेहनतकश वर्ग का कल्याण होना असंभव है

पूर्वघोषित कार्यक्रम के अनुसार पिछले रविवार यानी 16 अक्तूबर, 1938 को शाम 6.30 बजे मुंबई की प्रमुख कामगार संस्थाओं के तत्वावधान में खास कर लेबर पार्टी और ट्रेड यूनियन काँग्रेस की कामगारों की एक संयुक्त परिषद का परेल के कामगार मैदान में आयोजन किया गया था। परिषद का अध्यक्ष स्थान स्वीकारा था बै. जमनदास मेहता ने स्वीकारा था। मुंबई प्रांतीय एसेंब्ली में कामगारों के हितों की रक्षा के नाम पर काँग्रेस मंत्रीमंडल द्वारा मुंबई प्रांत एसेंब्ली में जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल रखा गया था। इस बिल का विरोध करने के लिए 50 हजार कामगारों की यह प्रचंड परिषद हो रही थी। साथ ही इस परिषद में 9 नवंबर, 1938 को मुंबई इलाके में एक दिन को सार्वजनिक हड़ताल की गई थी। इस परिषद में कामगारों ने अपना निश्चय जाहिर किया कि इस सरकारी बिल के लिए कामगारों को कितना तीव्र विरोध है यह वे सरकार को दिखा देंगे।

पिछले रविवार के दिन इस परिषद के काम के लिए कुछ कामगार और उनके नेता कामगारों की बस्तियों में कार-लौरी आदि वाहनों में बैठ कर घूम रहे थे। घोडपदेव की तरफ से जब उनके वाहन आदि गुजर रहे थे तब मौके की जगहों पर छिप कर कुछ गुडों ने उनके वाहनों पर पत्थर फेंके। अचानक हुई पत्थरों की वर्षा में 10-12 कामगारों को काफी चोटें आईं। उन कामगारों के खून से सने कपड़े बै. मेहता ने सभा में सभी को दिखाए। उस वक्त कामगारों ने खुलेआम काँग्रेस की गुंडागर्दी को प्रति तीव्र निषेध व्यक्त किया है। बै. जमनादास मेहता ने अपने शुरूआती भाषण में काँग्रेस के इस हिंसक बर्ताव का तीव्र शब्दों में निषेध किया।

उसके बाद कॉ. मिरजकर ने प्रस्ताव का मसौदा पढ़ कर सुनाया। विधायक खेडगीकर, अैड जोशी, श्यामराव पहलेकर, बी. टी. रणदिवे, जोगलेकर, श्रीमती उषाबाई डांगे, ओक, पाटकर, कॉ. निमकर, जे. बुखारी, स्वतंत्र लेबर पार्टी के सचिव भाई डी.वी. प्रधान, विधायक भोले, मध्यप्रांत के कामगार नेता श्री दशरथ पाटील, भाई, जयवंत आदि नेताओं के भाषणों के बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का भाषण शुरू हुआ।

पहले उन्होंने वहां जुड़े कामगारों की एकता के लिए उनका अभिनंदन किया। आगे वह बोले-

आज यहां आकर कामगार नेताओं और मेरे कामगार भाई-बहनों के आगे बोलने का यह जो मौका मुझे मिला है वह अपूर्व है। जिस बिल का सार्वजनिक धिक्कार करने के लिए

*जनता : 22 अक्तूबर, 1938

आप यहां इक्ट्ठा हुए हैं उस बिल का मैंने एक बार एसेंब्ली में विरोध करते हुए बताया है कि यह बिल अन्यायकारी है। सरकार की इस बिल को अपनाने की नीति का भी मैंने विरोध किया था। उसके बाद अधिक समय देकर इस बिल के बारे को काम करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाया। इस बात का मुझे खेद है। लेकिन इस बिल को लेकर लड़ने का सारा काम मेरे मित्र बैरिस्टर जमनादास मेहता ने अपने कंधों पर लिया और बेहतरीन ढंग से उसे निभाया इसके लिए मैं सार्वजनिक रूप से अभिनंदन करता है। कामगार प्रतिनिधियों ने वर्तमान एसेंब्ली में काँग्रेस का ध्यान इस बात की ओर दिलाने की बहुतेरी कोशिश की है कि यह बिल किस प्रकार कामगारों की आजादी और हित संबंधों के खिलाफ है।

आज की परिषद में कार्यकर्त्ताओं ने निर्णय किया है कि इस बिल के बारे में असंतोष व्यक्त करने के लिए वे एक दिन की सार्वत्रिक हड़ताल करेंगे। उनकी इस हड़ताल के लिए मेरी पूरी अनुमति है। अपनी संघ शक्ति के बल पर इस घातक बिल को नेस्तनाबूत करने की कोशिश करना उनके लिए हितकारी ही साबित होगा। इस देश में 1850 मिलें, कारखाने आदि चलने लगे हैं। तब वे अब तक हजारों हड़तालें हुईं। इन हड़तालों के दौरान कामगारों के इस न्यायपूर्ण हथियार पर किसी ने आपत्ति नहीं की। गुलामी को उजागर करते हड़ताल के हथियार को अफसरशाही ने भी कभी अपने अधिकारों के बल पर छीनने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज, अपने को कामगारों की हितरक्षक कहलाने वाली गुलामी का धिक्कार करने वाली काँग्रेस ने, अपने मुंबई मंत्रीमंडल के जरिए इस उज्जवल परपंरा को धता बताते हुए ट्रेड डिस्प्यूट बिल जैसा काला कानून कामगारों की सिर पर लाद दिया है। कोई भी सरकार अगर जनता को नापसंद कानून अगर बनाती है तो उसका विरोध करने के लिए असहकारिता की लड़ाई जरूरी है। असल में यह काँग्रेस के पंचप्राण गांधी की दी हुई सीख है जो उन्होंने इस देश को लोगों को दी है। गुरु से प्राप्त इस विद्या का प्रयोग कामगारों को अब गुरु के ही खिलाफ करना पड़ रहा है। लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से इस मसले पर सोचा है। उसी के बल पर कहता हूँ कि केवल सार्वजनिक हड़तालों से निषेधकारी प्रचंड सभाओं या जलूसों के सहारे मेहनतकश वर्ग की सर्वांगीण उन्नति, उनके हितों आदि के मसले हल होंगे ऐसा नहीं लगता। उससे कुछ अधिक करना पड़ेगा। और कुछ अधिक के तहत किसी और पार्टी के झंडे के नीचे...अपना आंदोलन ले जाने के बजाए अपने स्वतंत्र पक्ष की स्थापना करना ही हर तरह से उपयुक्त होगा। मेरे कई मित्र उपदेश दे रहे हैं कि मैं काँग्रेस में शामिल हो जाऊं। लेकिन मैं जानता हूं कि अपनी लड़ाई हमेशा अपने पैरों पर खड़े होकर ही लड़नी होगी। किसी से भीख मांग कर हम कभी अपना काम पूरा नहीं कर सकते। अपनी हिम्मत ही असली मार्गदर्शक होती है। इसीलिए पूंजीपतियों की कृपा पर पलने वाली काँग्रेस के हाथों मेहनतकश वर्ग का कल्याण हो पाना संभव नहीं। इसके लिए कामगारों को ही पूरी राजनीतिक सत्ता को काबीज करने के लिए अपने अलग पक्ष की निशानी के साथ वीरतापूर्ण तरीके से लड़ना जरूरी है।

144

*जब महात्माजी से मेरी मुलाकात हुई थी...

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर अहमदाबाद आएंगे उसका पता चलते ही अहमदाबाद के कुछ कॉंग्रेस श्रेष्ठियों के दिल में कसमसाहट होने लगी। येन-केन प्रकरेण उनका आना रोकने के लिए टेलिग्राम-टेलीफोन के द्वारा मुंबई से लंबी गुफ्तंगू हुई लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वे आएंगे ही इस बात का पता चलते ही अहमदाबाद में उनका धिक्कार और निषेध करने की असफल कोशिशें भी हुईं।

22-23 अक्तूबर, 1938 के दो दिनों में अहमदाबाद में डॉक्टर साहब रहे। इस दौरान उनके सम्मान और भाषणों के कम से कम पंद्रह कार्यक्रम हुए। उनके सभी कार्यक्रम बहुत ही जोरदार ढंग से हुए। गुजरात वर्नाकुलर सोसाइटी के प्रेमाबाई हॉल का समारोह वर्तमान राजनीति के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण रहा। वहाँ दलित नवयुवक मंडल की ओर से मिले मान-पत्र का जवाब देते हुए डॉ. बाबासाहेब ने जो जोरदार और बोधप्रद भाषण किया। उसी का कुछ हिस्सा यहां दिया जा रहा है जो पढ़ना सबके लिए बहुत जरूरी है।

वह गांधी के विरोधक हैं और वह कॉंग्रेस में शामिल नहीं होते इन दो आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा-

मुझ पर आरोप है कि मैं गांधी का विरोधक हूं। मैं उन्हें मानता नहीं। यह बात सच है। मैं गांधी का विरोधक हूं और यह बात मैं गुजरात के पाटनगर में, गांधी के गढ़ में आप सभी के सामने सार्वजनिक रूप से कहता हूं। यह कहते हुए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानता हूं कि गांधी के खिलाफ बोलना कोई आसान काम नहीं है। आज करोड़ों लोग उन्हें अवतार पुरुष मानते हैं। दुनिया के सामने वे हिंदुस्तान के एकलौते प्रतिनिधि के रूप में इतराते फिर रहे हैं। लोग उन्हें साधु, महात्मा मानते हैं। गांधी के पैरों में लोट कर 'जी हुजूर' रटने से क्या फायदा होगा यह मैं जानता हूं। सुभाष बोस को ही देखिए। 1932 में विठ्ठलभाई पटेल के हाथ से हाथ लगा कर उन्होंने क्या कहा था?

महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया सुन कर आश्चर्य लगा। राष्ट्र में आज तक जो कार्य हुआ था उस पर गांधी ने लेखनी के एक फर्राटे से कालिख पोत दी है। पिछले 13 सालों में वितक्षण स्वार्थयाव और आत्मयज्ञ कर इस

*चित्रा : 6 नवम्बर, 1938

हिंदी राष्ट्र की अपने आंदोलन के लिए जो कीर्ति और इज्जत कमाई थी वह महात्मा गांधी के इस आंदोलन को स्थिगित करने के इरादे से खत्म कर दी है। आंदोलनों को इस प्रकार बीच में ही स्थगित करने का उन्हें क्या अधिकार है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। नेपोलियन ने एक बार 'आई. एम दी स्टेट' कहा था। आज गांधी अप्रत्यक्ष रूप से लोगों से कह रहे हैं 'आइ एम दी काँग्रेस'। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना यानी काँग्रेस का कार्यक्रम असफल होने की बात कबूलना है। हमारी निजी राय यही है कि एक राजनीतिक नेता के रूप में असफल हुए हैं। इस प्रकार गांधी को गालियां देने वाला यह व्यक्ति आज राष्ट्रभक्त है। बाद में उनके द्वारा गांधी भक्ति की ओढ़ी हुई चादर इस कायापलट की वजह है। चंदे के चार आने और टोपी के दो आने खर्च कर अगर मैं काँग्रेस में शामिल हो जाऊं तो मैं जानता हूं कि मैं जो मांगू वह सम्मान मुझे मिलेगा। लेकिन ऐसा सम्मान मैं ठोकर से उड़ा देता हूं। मैं क्यों गांधी का विरोध करता हूं? मैं अपने स्वार्थ के लिए तो गांधी का इस्तेमाल नहीं करता हूं? यह महात्मा विश्वासघात है इसलिए मैं उसका विरोध करता हूं। उनके विश्वासघातक करने मेरे पास कई सबूत हैं। मेरे अपने काम में मुझे इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी मिला है। इसीलिए में उनका विरोध करता हूँ और करता रहूंगा। गांधी को मैं दगाबाज क्यों कहता हूँ यह मैं आपको बताता हूं। राउंड टेबल कॉन्फरेंस के लिए हिंदुस्तान के दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड जाने से पहले मैं गांधी से मिला था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि अस्पृश्यों को अलग से सीटें देने के मैं खिलाफ हूं। हालांकि, आगे और बातचीत हुई तो अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधि अगर अस्पृश्यों की मांगे स्वीकारते हैं तो मैं बीच में अड़ंगा नहीं डालूंगा यह बात मानी थी। आगे हम विलायत जाएंगे। दूसरी राऊंड टेबिल कॉन्फरेंस में गांधी भी आए। मैं जिस काम से गया था उसके बारे में चर्चा चल ही रही थी। एक दिन सरोजनीबाई मुझे गांधी के पास ले गईं। अस्पृश्यों का क्या कहना है यह वे जानना चाहते थे। रात 10 बजे का समय था। हम पहुंचे तब गांधी चरखा चलाते हुए बैठे थे। मुझे जो बताना था वह मैंने उन्हें बताया। मेरी बातें चल रही थी, गांधी का चरखा भी चल रहा था। डेढ घंटों तक मैं वहां बैठा था। उतनी देर में गांधी ने मुझसे एक शब्द तक नहीं कहा। आखिर उनका चरखा चलाना रुका और हम उठे तब गांधी ने मुझसे इतना ही कहा, ''मैंने आपकी कही बातें सुनी। मैं जरूर उन पर गौर करूंगा।'' फिर मैं वहां से लौट आया।

आगे एक बार संदेश आया कि गांधी ने सभी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को बुलाया है। हम सब मिलने गए। सुना था कि नामदेव की शादी में किसी ने समधियों में से हरेक से पूछा था, ''आप क्या चाहते हैं?'' उसी तर्ज पर गांधी ने हम में से हरेक से आपको क्या चाहिए?'' पूछा ''सबने अपनी मांगे गांधीजी के सामने रखीं। सबकी बातें सुनने के बाद आखिर में गांधी ने कहा, ''मैंने आप सबकी बातें सुनीं। सभी बातों पर

मैंने ठीक से गौर किया है। मैं अस्पृश्यों को कुछ भी नहीं देना चाहता।''

उसके बाद अल्पसंख्य प्रतिनिधियों की (माइनॉरिटी कमेटी) बैठक हुई। अध्यक्ष स्थान पर थे रैम्से मैकडोनल्ड। कामकाज की शुरूआत होने से पहले ही मुसलमानों ने स्थगन की सूचना रखी। कारण था कि वे गांधी से अकेले में बात करना चाहते थे। मैं आश्चर्यचकित था। मुझे इस घटना का मतलब ही समझ नहीं आ रहा था। मैं उठा और मैंने स्थगन की सूचना का विरोध किया। मैंने कहा अगर यह चर्चा अल्पसंख्यकों के हकों के बारे में है तो फिर- अकेले गांधी से क्यों? हम उसमें शरीक क्यों नहीं हो सकते? इससे पहले भी निजी तौर पर मिलना-जुलना हो चुका है। अस्पृश्यों की मांगों के बारे में अगर यह बैठक हो रही है तो हमें हटा कर क्यों हो इस बात को गांधी अपना कहना स्पष्ट करें। इस पर अध्यक्ष ने गांधी से इस बारे में उनका क्या कहना है यह पूछा। तब गांधी ने कहा, ''मैं खुद अस्पृश्यों को कुछ भी देना नहीं चाहता। लेकिन अगर अन्य अल्पसंख्य प्रतिनिधि अस्पृश्यों की मांगें मान लेते हैं तो मैं उनका विरोध नहीं करूंगा।'' ये मेरी मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। राउंड टेबल कॉन्फरेंस की प्रोसिडिंग्स में वे दर्ज हैं। जो भी चाहे देख सकते हैं। आखिर मेरे विरोध का कोई फायदा नहीं हुआ और सभा स्थागित कर दी गई।

उसके बाद जो भी कुछ हुआ, गांधी ने जो कुछ किया वह मेरे दिल पर हमेशा के लिए खुद गई हैं। इसी से मुझे यकीन हुआ है कि गांधी दगाबाज आदमी है।

अल्पसंख्य समिति की सभा में इस प्रकार का भाषण देने के बाद इस महात्मा ने क्या किया होगा? अपनी बात अमल में लाने के लिए उन्होंने एक नामी जुगत ढूंढ ली। उन्होंने कुरान के पन्ने खंगाले। मन ही मन कुछ तय किया और रिट्झ होटल में आगाखान के कमरे में हो रही मुसलमानों की निजी बैठक में वह पहुंच गए। वहां कुरान को उनके सामने धर कर वह बोले, ''देखिए, आपका धर्मग्रंथ क्या कहता है। किसी भी समाज में फूट डालना क्या इस्लाम धर्म के अनुकूल है?'' उन्होंने कहा, नहीं। गांधी बोले, ''तो फिर, क्या आप लोग एक बड़ा अधर्म नहीं करने जा रहे? अस्पृश्यों की मांगे मान कर आप हिंदू धर्म में फूट डाल रहे हो। आपका यह कृत्य इस्लाम धर्म के खिलाफ है। उन लोगों ने पूछा, ''लेकिन गांधी जी, इसमें धर्म का क्या ताल्लुक है? यह राजनीतिक हकों का सवाल है। हम अस्पृश्यों से अधिक संपन्न, अधिक सुस्थिर, अधिक उन्नत हैं। कुछ राजनीतिक अधिकार पाने के लिए हम लड़ रहे हैं। हमें और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को जो हक मांगने और पाने का अधिकार है वे हक अस्पृश्यों को देना सही और सरल है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है?''

कुरान के बहाने किया गया हमला खाली गया वह देख कर गांधी ने दूसरा और इससे अधिक बेशर्मी भरा तरीका अपनाया। उन्होंने कहा, ''ठीक है। आपकी 14 मांगें

तो आप पूरी करना चाहते हैं ना?'' ''जी जरूर चाहिए।'' ''मैं आपको वे दिला दूंगा लेकिन आपको मेरा काम करना होगा। समिति में अगर आप अस्पृश्यों की मांगों को नकार दें, उन्हें मानने से इंकार कर दें तो मैं आपकी चौदहों मांगें मंजूर होंगी इसकी तजवीज करता हूँ।''

अस्पृश्यों को कुछ भी नहीं देना है अपनी जिद को पूरा करने के लिए यह महात्मा किस हद तक जा सकता है यह देखने के बाद क्या कोई उनका विश्वास कर पाएगा? मुसलमानों के साथ उनके इस करार का मसौदा मेरे पास है। अपनी किताब में मैं उसे प्रकाशित भी करने वाला हूँ। मैं कोई हवाई गप्प नहीं झाड़ रहा।

मुझ पर एक और आरोप लगाया जाता ह कि मैं काँग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाता। यह बात सच है। वैसे काँग्रेस के साथ हाथ मिलाने से क्या फायदे मिल सके हैं इसकी झलक मैंने आपको दी है। मुझे काँग्रेस से मिलाने की कोशिशें भी की गई हैं। ऐसी ही एक कोशिश के बारे में मैं आपको बताता हूं। ताकि काँग्रेस से जा मिलने का रहस्य आपको भी पता चल सकेगा। 1935 में मेरे एक मित्र आग्रह के साथ वर्धा ले गए कि गांधी के साथ सुलह करवाएंगे। मैं जानता था कि मेरे जाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन दोस्ती की खातिर मैं गया। शेगाव में गांधी से मुलाकात हुई और मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। हम लौट कर वर्धा में सेठ जमनालालजी के यहाँ लौटे वहां कुछ और लोग मुझे समझाने लगे। जमनालालजी ने कहा–

''देखो डॉक्टरसाहब, आप बड़ी भूल कर रहे हो।''

मैंने पूछा, ''कैसे भला?''

वह बोले, ''देखो, काँग्रेस से मिलेगा तो तुम्हारा कितना हित होगा सोचो तो। अस्पृश्योद्धार का आंदोलन हम आपके हाथ देंगे। पहले हम मारवाड़ी समाज के बारे में क्या कहा जाता था, क्या आप जानते हैं? मारवाड़ी लोग यानी समाज को लगी जोकें हैं। रैय्यत का घर–बार लूटने वाले, उल्टी खोपड़ी के बदमाश हैं वे। लेकिन आज? आज मारवाड़ी राष्ट्र पुरुष हैं। हर जगह उनका बड़पन माना जाता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि आज हम काँग्रेस से मिले हुए हैं। आप काँग्रेस के साथ जुड़ जाइए, आप भी राष्ट्रपुरुष बनेंगे।''

मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? गांधी पर मेरा कोई भरोसा नहीं है। मुझे उनके काम में विश्वास नहीं है। मेरे और उनके बीच मतभेद हैं। काँग्रेस के साथ अगर मैं मिला तो उनके साथ काम कैसे कर पाऊंगा?''

''यह कोई बड़ी बात नहीं। मतभेद हैं तो क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू को देखिए। उनके भी गांधी के साथ मतभेद हैं। कई मामलों में उनमें ठन भी जाती है। लेकिन वह

बीच-बीच में कभी कह देते हैं कि 'गांधी मेरे गुरु हैं'। आप भी ऐसा ही करें तो सब ठीक हो जाएगा।''

मैंने हंस कर कहा, ''किसी पर भरोसा हो तो मतभेदों के बावजूद उनके साथ काम किया जा सकता है। लेकिन मुझे गांधी पर भरोसा ही नहीं है। सो बीच-बीच में मैं उन्हें गुरु कैसे कहूंगा और उनके साथ काम कैसे करूंगा?''

बात यहीं खत्म हुई। गांधी से विदा लेने के लिए एक बार फिर हम शेगाव गए। वहां हमसे पहले वर्धा की हमारी बातचीत पहुंची थी! वहां जैसे ही मैं गांधी के सामने पहुंचा तो महादेव देसाई गांधी से बोले-

''खबर छे बापूजी, डॉक्टरसाहब सूं कहे छे?''

''क्या? क्या कहते हैं?'' गांधी ने पूछा।

महादेव देसाई आगे यूं बोले मानो गांधी के सामने उनके बारे में अपनी राय प्रकट करने से अचकचाऊंगा।

''वह कह रहे हैं कि उन्हें आप पर भरोसा नहीं है। इसीलिए वह आपके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हैं।''

गांधी की सवालिया निगाह मेरी ओर उठी। मैंने कहा, ''सच है। वह सही बता रहे हैं। मुझे आप पर जरा भी भरोसा नहीं है।''

आज काँग्रेस पैसे वालों के आगे दब्बू बन गई है। उससे लोकहित के काम नहीं हो सकते। आज के हालात में काँग्रेस में जाकर किसी पर आक्रमण का या लड़ाई का कार्यक्रम चलाया नहीं जा सकता। इसीलिए मैं काँग्रेस में नहीं जाता।

145

*राजनीति में बोला हुआ तुरंत भूल जाना चाहिए

26 अक्तूबर, 1938 को मध्यप्रांत वन्हाड के कार्यकर्त्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर से उनके राजगृह जाकर मिला था। उनका कहा सुनने के बाद डॉ. अम्बेडकर द्वारा उन्हें जो हितोपदेश दिया था वह आगे दिया जा रहा है। खुद लेखक कार्यकर्त्ताओं के उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। डॉ. अम्बेडकर ने उस वक्त जो भी कहा था वह लेखक द्वारा दर्ज कर रखा गया है। वही यहां दिया जा रहा है।

सुबह 7 बजे कार्यकर्त्ता डॉ. बाबासाहेब से मिले। उस वक्त डॉ. बाबासाहेब गंभीर और शांत दिखाई दे रहे थे। चेहरे पर दृढ़ता का तेज था।

कार्यकर्त्ताओं के साथ हुई चर्चा के बाद हमें उद्देश्य कर वह बोलने लगे। उस वक्त हमें लग रहा था कि उनके मुंह से स्वाभिमानी तेजस्वी शब्द निकल रहे हैं।

डॉ. अम्बेडकर ने कहा–

मध्यप्रांत वन्हा़ के कौंसिल इलेक्शन हुए अब करीब डेढ़ साल बीत चुके हैं। इतने समय में हम कुछ कर ही नहीं पाए। आपको 20 सीटें दिला दीं। उनमें से केवल 7 सीटें ही हमें मिल पाईं। 13 सीटों को जीतने के लिए हम कुछ कर नहीं पाए। जीते हुए सात लोगों में भी कभी आपसी अपनापन दिखाई नहीं दिया। उनमें कभी एका नहीं रहा। हमारी मुंबई में आप देखें तो पाएंगे कि हमारे स्वतंत्र लेबर पार्टी का ऑर्गनाइजेशन कॉँग्रेस से भी बेहतर है। लोगों में जागृति पैदा करना और राजनीति में संगठन बनाए रखना दो अलग बातें हैं।

चुनाव के बाद आपने कितने सदस्य बनाए? पिछली बार केस के सिलसिले में आया था तब पूछताछ की थी तब पार्टी के नए सदस्य बनने की कोई खबर नहीं मिली थी। वहां स्वतंत्र लेबर पार्टी का कोई दफ्तर नहीं है। कोई अगर मदद मांगने आए भी, किसी को अगर कोई शिकायत भी हो तो उसके समाधान का इंतजाम करने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं। आपके पास पैसा नहीं है। पैसों के बगैर राजनीति चले कैसे? पैसों के लिए किसी एक व्यक्ति पर निर्भर रहने से काम नहीं चलता। हमने जो सदस्य जोड़े हैं उनमें से ज्यादातर स्थायी सदस्य हैं इसीलिए राजनीति चलती है। आप लोगों ने ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया है। और जो मैं बताता हूं वह भी आप नहीं करते। मैं केवल मुंबई

*विदर्भ के दलित आंदोलन का इतिहास : एच. एल. कोसारे, पृष्ठ 517-518

की जिम्मेदारी लेता हूं। मध्यप्रांत वन्हाड से मुझे क्या लेना-देना? अगर आप लोग कुछ करना ही नहीं चाहते तो मुझे आपके प्रांत से कुछ लेना-देना नहीं रहेगा। आपके प्रांत में कुछ स्वार्थी, मीठा बोलने वाले लोग भी हैं और कुछ काम करने वाले लोग भी हैं। इसके बावजूद यहां अब तक कुछ हुआ नहीं है। आपको यह काम करना ही होगा। भाई जयवंत को ऑर्गनाइजर नियुक्त किया है। इसलिए उन्हें सहयोग देते हुए आपको काम करना होगा। फिर आप उनका विरोध क्यों करते हैं? हममें एक दोष है- हममें एक बार अगर झगड़ा होता है तो वह पीढ़ियों तक चलता रहता है। यह ठीक नहीं, राजनीति में बोला हुआ तुरंत भूल जाना चाहिए। हरदास के बारे में मन में आदर है। हालांकि उनमें कुछ दोष भी हैं। हरदास ने टिकट नहीं दिया इसलिए पाटील को भी उनसे बदला लेना नहीं चाहिए।

हम अल्पसंख्यक हैं मेंढकी फूल कर भी बैल जितनी बड़ी नहीं हो सकती। इसीलिए किसी का साथ लिए बगैर राजनीति हमारे नियंत्रण में नहीं आने वाली है। पुराने आंदोलन केवल हम तक ही सीमित हुआ करते थे। उस वक्त हमें अंग्रेज सरकार से पाना था। अब अंग्रेजों की सरकार बची नहीं। आज की राजनीति बहुमत से चलने वाली है। बिना बहुमत के हम राजनीति को जीत नहीं सकते। इसीलिए हमें बहुमत बढ़ाना होगा। जयवंत के बारे में इतना परहेज क्यों है? वह कोई राजा तो नहीं है। अगर कोई बेहतर काम करता है तभी उसे बेहतर माना जा सकता है। कोई अगर खिलाफ काम करे तो मैं एक पल में उसे हटा दूंगा। स्वतंत्र लेबर पार्टी का जब कोई सदस्य बनता है तो वह किसी भी दूसरी पार्टी का सदस्य नहीं बन सकता। राजनीति के अलावा आप समाज कार्य, धार्मिक कार्य कर सकते हैं। कौन अधिकार में रहे इसका फैसला करना लोगों का कर्तव्य है। सदस्यों की निगरानी के लिए कोई व्यक्ति नहीं है शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है। मुझसे कोई गलती हो तो यहां के लोग मुझसे पूछने आ जाते हैं।

हम सत्याग्रह उनके खिलाफ करते हैं हमें प्रेम हो। बच्चा मां के खिलाफ सत्याग्रह करता है। डॉ. खरे से मैंने इकरारनामा लिखवा लिया है। महात्मा गांधी ने कहा कि- ''ये लोग (अस्पृश्य) अज्ञानी हैं। उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं। अस्पृश्य मिनिस्टर को लिया होता, मुझे क्यों लिया? एक मिनिस्टर लेकर आपने उनके मन में महत्वाकांक्षा पैदा की।''

आपने जब सत्याग्रह किया था तब क्या अग्निभोज उसमें शामिल हुआ था? वह अगर अपने हकों के लिए भी लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो आपने गांधी के खिलाफ सत्याग्रह क्यों किया? जो व्यक्ति लड़ने के लिए तैयार हो उसकी खातिर लड़ना कर्तव्य बन जाता है।

जहां स्वतंत्र लेबर पार्टी का जो भी काम चलेगा वहां, उस ब्राँच में हेड ऑफिस का

कंट्रोल होना जरूरी है। मैं अनुशासन को मानने वाला हूं। और मैं लगभग तानाशाह हूं। पैसों के मामले में हमें बेहद ईमानदार रहना होगा।

हर जिले से पांच-पांच सदस्यों को लाकर सभा कीजिए। सभा में अपने सातों एम.एल.ए. को बुलाइए। सब मिलकर स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना कीजिए।

मजबूत नींव पर खड़ी संस्था है काँग्रेस। उनके सामने हमारी एक नहीं चलती। उनका बहुमत होने के कारण हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उनमें फूट डालना हमारा कर्तव्य है। डॉ. खरे दुश्मन पार्टी का पत्थर है। मैंने उसे गिराने की कोशिश की।

पक्ष सदस्यों की रकम किसी एक व्यक्ति के पास ना रखें। दो या पांच लोगों के नाम पर पैसा बैंक में रखना चाहिए। पार्टी के कमाकाज को देखने के लिए एक सचिव नियुक्त करें। (यह काम तो हो गया है) दफ्तर के लिए एक घर लीजिए। हर महीने जितना चंदा जमा होता है वह उसके लिए बने फॉर्म में लिख कर भेजें। आपका काम सलीके से चलने लगेगा तब जनता में सी.पी. और बेरार के लिए दो पन्ने आरक्षित कर देंगे। फिलहाल एक तात्कालिक समिति नियुक्त कीजिए। बाद में चुनाव कराएंगे। प्रचार के काम के लिए विभिन्न विभागों दो स्वतंत्र लेबर पार्टी की राजनीति के लिए अलग-अलग लोगों के सदस्यों की संख्या बढ़ा कर संगठन बनाना आवश्यक है।

सत्ता जिसके हाथ होगी उसका चुनाव बहुत एहतियात से करें, उत्तम व्यक्ति को ही चुनें। समाजकार्य क्या है, समाज का हित किस बात में है, समाज के लिए क्या चीज जरूरी है इसका अहसास उस व्यक्ति को होना चाहिए। काम करने वाले अब्बल दर्जे के लोगों को चुनने के बजाय अपने रिश्तेदारों की भर्ती की जाए तो कुछ नहीं होगा। अपने व्यक्ति के साथ मतभेद हो भी तो सदस्यों का बर्ताव इस प्रकार का हो कि सार्वजनिक सभाओं में हमारी पार्टी कहीं कमजोर ना पड़े।

पार्टी के सदस्य बनाइए, मध्य प्रांत का एक नक्शा बनाकर मुझे भेज दीजिए। उस नक्शे में जिले के विभाग बता कर उसमें हमारे कितने मतदाता हैं, साधारण मतदाता कितने हैं, कहां की सीटें आरक्षित हैं, कहां चुनाव लड़ाने पड़ेंगे आदि सभी जानकारी उसमें लिख कर भेजिए ताकि आगे की व्यवस्था का इंतजाम करना आसान हो जाएगा।

146

*मालिकों-मजदूरों के झगड़े मिटाने वाला कानून असल में मजदूरों का बेड़ा गर्क करने वाला कानून है

रविवार 6 नवम्बर, 1938 की शाम को परेल के कामगार मैदान में आयोजित सार्व. जनिक सभा में एक लाख से अधिक कामगार उपस्थित थे। कामगारों की यह विराट सभा देखने वालों को शुरू से पता चल चुका था कि 7 नवम्बर को पुकारी गई कामगारों की एक दिन की हड़ताल पूरी तरह सफल होने वाली थी। उस दिन सभा के अध्यक्ष बैरिस्टर जमनादास मेहता और शामराव परुलेकर, भाई याज्ञिक, एस. ए. डांगे, मिरजकर आदि के भाषण हुए। इस सभा में उपस्थित विराट जनसागर के सामने बोलते हुए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा-

मुझसे पहले जो वक्ता बोले उन्होंने आपको बता ही दिया है कि आज हम यहां मुंबई सरकार द्वारा एसेंबली में जो ''ट्रेड डिस्प्यूट बिल'' लाया गया है उसके प्रति अपना निषेध व्यक्त करने के लिए जुटे हैं। इस बिल को 'ट्रेड डिस्प्यूट बिल' या फिर मालिकों-मजदूरों के झगड़े मिटाने वाला कानून कहा जा रहा है। इस बिल के जरिए कामगार वर्ग की गर्दन कैसे दबोची गई है इसका वर्णन मैं अभी नहीं कर सकता। क्योंकि इस बारे में मुझसे पहले जो वक्ता बोले उन्होंने और एसेंब्ली के सदस्यों ने पिछले दो-ढाई महीनों से बड़े उत्साह और कर्त्तव्यतत्परता से की है। अखबरों में हमने वह पढ़ी है। आज आपसे मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि काँग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद कामगारों के बारे में इतना अन्यायकारी कानून संख्या बल के सहारे पारित कराने का काम काँग्रेस ने किया है। केवल इतना ही नहीं वरन् इस अन्याय की ओर ध्यान दिलाने वालों के खिलाफ झूठा, निंदाजनक और बेशरम होकर, प्रचार करने वाली काँग्रेस पार्टी की शान ने अधोगति को प्राप्त हुई है इस बात को हम भुला नहीं सकते।

पराए और किराए के टट्टू खद्दरधारियों से लेकर ठेठ काँग्रेस के भालुओं तक सब यही बड़बड़ा रहे हैं कि मजदूरों के नेता स्वार्थी और चालक हैं। आज मैं आपसे एक साफ-साफ पूछता हूं कि- 1930-34 साल में काँग्रेस द्वारा मजदूरों के हितों से संबंधित नीति स्पष्ट की गई थी। इस नीति को कचरे के टोकरे में डालकर मजदूरों का बेडा गर्क करने वाला कानून बनाने वाले काँग्रेस ने नेता चालाक हैं या कि सत्ता पाकर अन्धी हो चुकी काँग्रेस पार्टी की ओर से हो रहा अपमान सह कर कामगारों का पक्ष एसेंब्ली में

---

*जनता : 12 नवम्बर, 1938

रखने वाले मजदूर नेता चालाक हैं इसका निर्णय आप ही कीजिए। वह कहते है– ''देशहित और देशभक्ति का सारा ठेका विरासत से काँग्रेस वालों के पास आता है। डॉ. अम्बेडकर जातिवादी हैं! डॉ. अम्बेडकर देशद्रोही हैं क्योंकि वह कारागार नहीं गए।'' सिर्फ कारागार जाकर इंसान देशभक्त कैसे बनता है वह मेरी समझ में नहीं आता। यह बात सच है कि मैं कारगार नहीं गया। मेरे कारागार जाने का फायदा ही क्या? मैं अगर कारागार जाता तो यकीनन मुझे 'ए' क्लास मिलता और 'ए' क्लास में ऐसोआराम से जीने के बाद बाहर आकर अपने अनुयायियों को छकने की दांभिकता मेरे पास नहीं। मैं खुले मन से इस बात को स्वीकारता हूं। आज के काँग्रेसियों ने बस नाम भर का कारावास सहा है। असल कारावास सहा लोकमान्य तिलक ने और अन्य महाराष्ट्रीय नेताओं ने!

एकतरफा और झूठे प्रचार के कारण भले कुछ लोग झांसे में आएं लेकिन ऐसे प्रचार का झूठ निष्पक्ष व्यक्ति के सामने खुल ही जाता है। काँग्रेसवालों के गुरु महात्मा गांधी जब दूसरी गोलमेज परिषद गए थे तब वहां हिन्दुस्तान के इकलौते प्रतिनिधि के रूप में हमने गांधी की बड़ी जयकार की। गांधी के भक्त और अभिमानियों को मेरी साफ चुनौती है कि वे गोलमेज परिषद के मेरे और गांधी के सारे भाषण जो कि राउंड टेबल कॉन्फरेंस की प्रोसिडिंग्स में सुरक्षित हैं– पुस्तक रूप से इक्ट्ठा करें और डॉ. अम्बेडकर के भाषण खंड। और महात्मा गांधी के भाषण खंड 2 में छप कर निर्णय करें कि देशभक्त कौन और देशद्रोही कौन? किसी निष्पक्ष और निस्पृह न्यायाधीश से इस बात का फैसला कराएं और इस सभा में मैं घोषणा करता हूं कि मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं।

कल की हड़ताल सही मायनों में हड़ताल नहीं है। आज कम से कम हमारा मालिकों से कोई झगड़ा नहीं है। मुंबई सरकार ने दुराग्रह के कारण और मालिकों को खुश करने के लिए कामगारों को डुबोने वाला बिल पारित किया है। एसेंब्ली में यह बिल पारित हो ही चुका है– कौंसिल में पारित होने में भी देर नहीं लगेगी। इस बारे में हमारी – तमाम कामगार और मजदूर वर्ग की नापसंदगी व्यक्त करने के लिए हम कल एक दिन की सार्वजनिक हड़ताल करने जा रहे हैं। इस एक दिन के शांतिपूर्ण ढंग से चलने वाली हड़ताल के रूप में कामगार और मजदूर वर्ग की विराट शक्ति का स्वरूप हम दुनिया को दिखाने वाले हैं।

मैं चाहता हूं कि आप सभी हड़ताल में शामिल हों और उसे सफल कर दिखाएं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि केवल मैं या कोई अन्य मजदूर नेता कहता है इसलिए आप हड़ताल में शामिल हों। जिस बिल के निषेध में यह हड़ताल पुकारी जा रही है उस बिल का निकृष्ट, बुरा स्वरूप और उसे लेकर अपने कर्तव्य के बारे में मन ही मन सोच कर हड़ताल में हिस्सा लेना अगर सही लगे तभी आप हड़ताल में शामिल हों। मेरा आपसे यही कहना है।

कल की हड़ताल सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए तो अपना काम बन गया ऐसा बिल

कुल ना समझें। ध्यान में रखें कि आगे आपको जो झगड़े लड़ने हैं उसकी यह नींव है इतना भर याद रखें। हजारों की संख्या में आज की सभा में आप उपस्थित रहें इसलिए आपको धन्यवाद देकर मैं आपसे विदा लेता हूं।

डॉ. बाबासाहेब का सार्वजनिक हड़ताल के बारे में किया भाषण लग रहा था कि लोगों के मन में गहरे तक छाप छोड़ गया था। कई दिनों से चल रहे प्रचार कार्य के कारण कामगारों में अपूर्व एकजुट हुई दिखाई दे रही थी।

सभा के बाद कामगारों का हर कामगार मोहल्ले से होता हुआ बरली तक प्रचंड जुलूस निकला, जिसे देख कर हड़ताल की सफलता का यकीन हो रहा था। रात में हजारों कामगारों का यह जुलूस इतने शांतिपूर्ण ढंग से, इतने अनुशासन से चला था, कि कोई भी उसकी प्रशंसा ही करता। हड़ताल के प्रचार में इतना बड़ा जुलूस इससे पूर्व कभी नहीं निकला था। स्वतंत्र लेबर पार्टी के समता सैनिक दल के कार्यकर्त्ताओं द्वारा जो अनुशासन कायम रखा था वह प्रशंसनीय था। स्वतंत्र लेबर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ट्रेड यूनियन काँग्रेस के सहयोग से हड़ताल को सफल बनाने की जिम्मेदारी निभाने के लिए की गई कोशिश की प्रशंसा करना हमारे बस से बाहर की बात है। हड़ताल पूर्व की रात में सभी कामगार नेता हड़ताल की तैयारी करने में जुटे हुए थे। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, बैरिस्टर जमनदास मेहता, डी. वी. प्रधान, डांगे, निमकर आदि लोग रात भर कामगार विभागों में घूमते रहे थे।

147

*हर हाल में मजदूरों के प्रतिनिधियों को ही चुनना होगा

7 नवम्बर, 1938 की मुंबई कामगारों की हड़ताल सफल हुई। शाम डेढ लाख कर्मचारियों की सभा कामगार मैदान पर हुई। हड़ताल से कामगार क्या सबक लें, अब परन्तु अगली नीति क्या होनी चाहिए? किस प्रकार प्रत्यक्ष संघर्ष के साथ हड़ताल करने से फायदा होगा? आदि बातों के साथ-साथ मजदूरों की लड़ाई की ही तरह आजादी की लड़ाई में सफलता पाने के लिए क्या करें? विधानपरिषद, म्युनिसिपलिटी, लोकल बोर्ड आदि राजनी. तिक सत्ताएं मजदूर, किसान और जनता के नियंत्रण में आना कितना आवश्यक है आदि बातें डॉ. अम्बेडकर ने अपने भाषण में समझाईं।

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने अपने भाषण में कहा-

आज शाम के अखबार में क्या छापा है देखिए। आपको विचित्र लीला दिखाई देगी। उसे अखबारों में जो खबरें प्रकाशित हुई हैं वे आश्चर्यजनक हैं। एक अखबार के मुताबिक, मजदूरों की हड़ताल सफल नहीं हुई और सभी मजदूर काम पर हैं। मैं नहीं बताऊंगा यह सही है या गलत। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मंबई के अखबार मुंबई के मंत्रीमंडल ने और पूंजीपतियों ने खरीद लिए हैं यही इससे दिखाई देता है। बेहद सफल हड़ताल के बारे में ऐसी झूठी और विपरीत हालात का चित्र खींचा जाए यह निषेधाई है। इसलिए इस बात की चिंता ना कीजिए कि अखबरों में क्या लिखा गया है। सामने जो दिखाई देता है वह देखिए और धीरज रखिए। आज आप सवा लाख कामगारों ने अपनी रोज की कमाई डुबो कर और अपने पेट की फिकर को छोड़कर यहां आकर इस बिल के प्रति अपना विरोध प्रकट किया है। काँग्रेस ने जो कानून बनाया आपने उसका विरोध किया। ऊपरी कौंसिल में इस बिल का मेरे मित्र ॲड. जोशी विरोध करने वाले हैं हालांकि उन्हें किसी से मदद मिलने वाली नहीं है। इसीलिए यह कानून हमारी छाती पर सवार होने वाला है। क्या हम सिर्फ यही करते रहेंगे कि काँग्रेस कानून बनाएगी और हम उसका विरोध करेंगे। केवल ण्डे फहराएंगे, स्लोगन्स चिढ़ाएंगे और फिर बैठे रहेंगे तो मैं कहूंगा कि आपके जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। जिस काँग्रेस सरकार ने घोड़े पर सवार होकर हमारे लगाम लगाई उस काँग्रेस सरकार को उड़ा देना ही सही है। दुकान को कानून बनाने का मौका बिल्कुल ना दीजिए। अगर हमने पहले ही अकलमंदी दिखाई होती, ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को चुना होता तो यह कानून पारित ही नहीं होता। आज काँग्रेस के पास

*जनता : 2 नवम्बर, 1938

अधिकाधिक मत हैं। इसलिए आज काँग्रेस यह कानून पारित कर सकती है। आज जहाँ सत्ता है उस जगह पर कब्जा करो तो ही आप टिके रहोगे।

म्युनिसिपालिटी लोकल बोर्ड, विधानपरिषद- जहाँ-जहाँ राजनीतिक सत्ता है वे सभी स्थान काबीज करने ही कहा जा सकता है कि आज का कार्यक्रम सफल हुआ।

मजदूर पार्टी के नेता अगले म्युनिसिपल चुनाव में लड़ेंगे। आप अपने मत उन्हं को दें। पिछले 50 सालों में काँग्रेस ने जो इज्जत कमाई थी वह पिछले 15 महीनों में गंवाई है।

आज अगर काँग्रेस सचमुच साम्राज्यशाही के खिलाफ आर-पार की लड़ाई छेड़े तो आजादी पाने के लिए मैं अपनी सारी शक्ति काँग्रेस की ओर से ही लगाऊंगा। लेकिन आज काँग्रेस जो साम्राज्यशाही के खिलाफ विरोध की भाषा बोल रही है वह केवल जनता को गुमराह करने के लिए। हालांकि मैं आज भी यही कहूंगा कि अगर मैं पाऊं कि काँग्रेस ईमानदारी से आजादी के लिए युद्ध कर रही है तो मैं अपना आज का रुख त्याग कर आजादी की लड़ाई में काँग्रेस का साथ देने के लिए तैयार हूं।

और इसीलिए मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप किसी भी चुनाव में मजदूरों के प्रतिनिधियों को ही चुनें। सरकार कानून बनाएं और आप उसका केवल विरोध करे यह कोई असल विरोध नहीं हुआ। जो आप नहीं चाहते, आपका अहित करने वाले कानून बनाने वाली काँग्रेस को आप क्यों चुनते हैं? मुंबई महापालिका के चुनाव करीब हैं। इस चुनाव में आप जिसे चाहें वोट दें लेकिन काँग्रेस को ना दें। आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी लड़ाई सही राह पर आगे नहीं बढ़ेगी यह याद रखना।

148

*स्वतंत्र : लेबर पार्टी का प्रभाव

रविवार दिनांक 3 दिसम्बर, 1938** को रात 10 बजे मुंबई के फोरास रोड की म्युनिसिपल सीमेंट चॉल नं. 18 की ओर से लोकाग्रणी और मजदूरों के नेता डॉ. बा. बासाहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में इमारत फंड के लिए मदद इकट्ठा करने के लिए बड़ी सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मेसर्स प्रि. दोंदे, के. वी. चित्रे, भाई प्रधान, विधायक डी.जी. जाधव, सी.एल. मोहिते, दादासाहेब गायकवाड़, टी.एम. गुंडेकर, मडके बुवा, रेवजी डोलस, एस.पी. द्योत्रे, वडवलकर और केशवराव आडेकर आदि लोग उपस्थित थे। तीन-चार हजार का जनसमुदाय जुड़ा था। ठीक 10 बजे डॉ. बाबासाहेब और अन्य यूरोपीयन लोगों का सभा स्थान पर आगमन हुआ। लोगों ने तालियां बजा कर उनका हार्दिक स्वागत किया। सी. एन. मोहिते मास्टर नियोजित अध्यक्ष की सूचना लाने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने लोगों को समझाते हुए बताया कि इमारत की कितनी आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि फोरास रोड म्युनिसिपल चॉल नं. 18 के हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों की ओर से आज 235 रु. इक्टठा किए गए हैं यह बड़ी खास बात है। के.डी. शिर्के द्वारा उनकी बात का समर्थन किए जाने के बाद डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने अध्यक्ष स्थान ग्रहण किया। पहले मडके बुवा, रेवजी डोलस और प्रि. दोंदे साहेब के समयोचित भाषण हुए।

उसके बाद डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने बाइबिल के ओल्ड टेस्टामेंट से ज्यू लोगों की गुलामी की दिल पिघला देने वाली कहानी सुनाई। उन्होंने यह भी विस्तार से समझाया कि किस प्रकार ज्यू लोगों की गुलामी और अस्पृश्यों की स्थिति में कितना फर्क है। उसके बाद उन्होंने महाड़ के सत्याग्रह से लेकर तब तक की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों का सिंहावलोकन किया। इमारत फंड के बारे में उन्होंने कहा- कि हर चॉल अपनी तरफ से पांच लोगों की कमेटी बनाए और चॉल के अठारह साल से अधिक उम्र के लोगों की गिनती करें। इससे मुझे इस बात का पता चलेगा कि उस चॉल से कुल कितना रुपया मुझे मिलना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी हैसियत के अनुसार एक रुपये से अधिक रुपया चंदा दें। बुंबई स्कूल कमेटी विभाग के हर अध्यापक से आधी तनख्वाह ली जा रही है। आज हमारे काम की व्याप्ति बढ़ने के कारण समाज और राजनीति के सूत्र संचालन के लिए अपनी इमारत का होना बेहद

*जनता : 10 दिसम्बर, 1938

**तारीख शायद 4 दिसम्बर, 1938 होगी-संपादक

जरूरी है। दूसरी बात है आगामी म्युनिसिल चुनाव। स्वतंत्र लेबर पार्टी की ओर से मैंने नौ सदस्य खड़े किए हैं। इन्हीं उम्मीदवारों को आप सभी लोग अपने वोट दें और उनहें जिता दें। काँग्रेस के आगे अन्य सभी पार्टियां फीकी दिखाई दे रही है। कुछ नष्ट भी हो गई हैं लेकिन आज केवल एक पक्ष स्वतंत्र लेबर पक्ष काँग्रेस के विरोध में खड़ा है। यह गरीब मजदूरों का पक्ष है। इसलिए इस म्युनिसिपल इलेक्शन में इस पक्ष को पूरी सफलता मिलनी चाहिए। खैर इमारत फंड में 235 रुपए देने वालों को मैं धन्यवाद देता हूं। इमारत फंड को चंदा देने वालों के नाम 'जनता' पत्रिका में प्रकाशित किए जाएंगे। इस प्रकार डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने करीब दो घंटों तक साफ, अधिकारपूर्ण और तड़ प के साथ भाषण दिया। उसके बाद मोहिते मास्टर ने अध्यक्ष के वहां उपस्थित लोगों के प्रति आभार प्रकट किया। फूलमालाएं अर्पण की गईं। साढ़े बारह बजे सभा का काम पूरा हुआ। उसके बाद श्री कटडकर के जलसे का कार्यक्रम हुआ। इमारत फंड का कार्यक्रम करवाने में श्री राजाराम हिराजी माटवणकर, कृष्णा कालू कुंभवडेकर और गंगाबाई सातारकर ने बहुत मेहनत की।

149

*बेलिफ मेरी किताब को छू भी ले तो मैं उसे गोली मार दूंगा

अस्पृश्य छात्रों की ओर से मुंबई में आयोजित किया आने वाला 'मुंबई अस्पृश्य विद्यार्थी आंदोलन' 10, 11, 12 दिसम्बर, 1938 के दिनों में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 12 दिसम्बर के दिन सम्मेलन के अध्यक्ष पद से डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने छात्रों को उपदेश किया। तालियों की गड़गड़हाट के बीच तथा छात्राओं की ओर से की जा रही फूलों की वर्षा में डॉ. बाबासाहेब भाषण देने खड़े हुए। उन्होंने कहा-

"आज आपने मुंबई में अस्पृश्य छात्रों का सम्मेलन आयोजित किया है आर सभी मायनों में वह सफल रहा है। इस कार्यक्रम के लिए आपका और सम्मेलन में जिन छात्रों ने हिस्सा लिया उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। शनिवार और रविवार के दिन मैं नासिक में था। यात्रा की परेशानियां से मेरी सेहत खराब हुई है। मुझमें बोलन तक की ताकत नहीं बची है। मैं बस यह बताना चाहता हूं कि आज यहां उपस्थित रह सका इसमें मुझे बड़ी खुशी है।

इस तरह के कई सम्मेलन होते हैं। एसे आयोजनों में जब कोई अध्यक्ष आता है- मैं हमेशा देखता हूं- वह जब भाषण देता है तब छात्रों को एक उलाहना देता है, आप पढ़कर कहेंगे क्या? सरकारी नौकरी? उन्हें देश सेवा करने का उपदेश दिया जाता है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं। छात्रों के बारे में मैंने जो कुछ सोचा है उसके आधार पर मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि यह उपदेश झूठा होता है और मैं इस प्रकार का कोई उपदेश आपको नहीं देने जा रहा हूं। छात्र पढ़ कर अगर नौकरी करे तो उसमें पाप कैसा? उसकी भी जिंदगी है, उसकी भी भावनाएं हैं। हर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है? अपने गुणों को फलने-फूलने का मौका मिले, बस यही ना? उसका अच्छा फल मिला। इसलिए मैं आपका उनके जैसा कोई उपदेश नहीं करूंगा। आप सकारी नौकरी पाने की पूरी-पूरी कोशिश करें। मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ है उसके आधार पर मैं बस इतना कहूंगा कि आजकल सरकारी नौकरी एक विशिष्ट जाति का एकाधिकार हो गया है। कलक्टर का दफ्तर हो या अन्य कोई भी सरकारी दफ्तर हो एक ही जाति के लोग वहां मिलेंगे। कई लोग पूछते हैं, आप नौकरी के पीछे इस तरह हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? योग्यता हो तो नौकरी मिल ही जाती है। उसमें जाति को क्यों घसीटते हैं? लेकिन अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में सोचा जाए सो पता चलेगा कि नौकरी के क्या फायदे हैं

*जनता : 17 दिसम्बर, 1938

यह पूछना मूर्खता है। इस देश में जातिभेद बहुतर हावी है। आज जिसके हाथ में पैसा है असली सत्ता उसी के हाथ में है। वह विवेक के साथ उसका इस्तेमाल करने के बजाय अपनी रोटी पर घी चुपड़ने के लिए ही उसका इस्तेमाल करता है। नौकरी करने से हाथ में तनवख्वाह आती है। जिस समाज के पास सरकारी नौकरियां नहीं अधिकार के पदों पर जिस समाज के लोग नहीं है उसकी स्थितियों में कभी कोई सुधार नहीं आएगा। ब्राह्मण समाज सरकारी नौकरियों में लगा है। इसलिए उसके पास सामर्थ्य है। वह अपनी वर्चस्विता बनाए रख सकता है। इसीलिए सरकारी नौकरी पाने की कोशिश से आपकी उन्नति होगी। आप जरूर पूरी ताकत लगाकर इस बात की कोशिश करें।

पढ़े-लिखें आदमी में भी कुछ दोष होते हैं। हालांकि पढ़ाई के बाद नौकरी पाने की कोशिश करने में कोई बुराई नहीं। आप जरूरी कोशिश करें कि कोई बुराई आपके अंदर ना आए। पहली बात यह याद रखिए कि पढ़ने के बाद आदमी स्वार्थी हो जाता है। मनुष्य का स्वार्थी होना स्वाभाविक है लेकिन पढ़ा-लिखा मनुष्य केवल अपने हित की सोचता है। समाज के हित की नहीं सोचता। वह केवल अपनी पत्नी और बच्चों की तथा खुद अपनी ही चिंता करता है, समाज के हित की वह नहीं सोचता। मैझिनी कहते हैं, ''परतंत्र फैलता है तब इंसान पढ़-लिख ले तो भी उसमें कर्तव्यों से अधिक हकों का अहसास तीव्रतर होता जाता है।'' अपना कर्तव्य क्या है यह भावना उसमें जागृत नहीं होती।'' यह पढ़े-लिखे आदमी का दोष है कि उसके मन में कर्तव्य की भावना नहीं जागती।

पढ़े-लिखे आदमी को जब उपाधि मिलती है और जब उसे नौकरी मिलती है तो उसकी पढ़ाई का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। पढ़ाई का महत्व उसके लिए खत्म हो जाता है। विद्या प्राप्ति का महत्व रुक जाता है। मैं जब यात्रा के लिए निकलता हूं तब हमेशा मेरे पास चार किताबें और अखबार होते हैं। परन्तु, यात्रा के दौरान मैं जब पढ़े-लिखे लोगों से मिलता हूं तब देखता हूं कि उनके हाथ में किताबें या अखबारों की जगह सिगरेटों की डिब्बियां होती हैं। अगर कोई बीए तक पढ़े तो क्या उसे आगे की पढ़ाई की जरूरत नहीं होती? बीए या एमए हो तो सभी ज्ञान प्राप्त हुआ यह गलत भावना है। जिस प्रकार अगत्स्य मुनि ने समंदर को पी लिया उसी प्रकार पढ़कर कोई उपाधि प्राप्त करते ही पढ़े-लिखे लोगों को लगता है कि हमने पूरी विद्या हासिल की। बड़ौदा संस्थान में एक आदमी था। वह बीए तक पढ़ा था। महाराज ने एक गांव में उसकी नियुक्ति की थी। उस दौरान गुजराती में ही बड़ौदा रियासत का कामकाज चलता था। अंग्रेजी में नहीं चलता था। वह आदमी बेहद आलसी था। भूले-भटके कभी-कभी टाइम्स अखबार तक नहीं पढ़ता था। परिणामस्वरूप कुछ समय बाद उसे एबीसी तक की पहचान नहीं रही। यह बिल्कुल सच बात है। मेरा भी यही अनुभव है। पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के लिए फ्रेंच और जर्मन भाषाएं सीखने की शर्त हुआ करती थी। तब ये भाषाएं मुझे आती थीं। लेकिन बाद में उन भाशाओं से संपर्क छूट गया तो अब

इन भाषाओं में बोलना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। इधर मैं जब फ्रांस और जर्मनी गया था तब इन भाषाओं में बोलना मेरे लिए कठिन हो गया था। इसीलिए पढ़ना-लिखना हमेशा जारी रखना होगा। जैसे एक बार शराब पीने वाला आदमी बार-बार शराब पीने लगता है, जिंदगी भर पीता रहता है उसी प्रकार विद्यार्जन के साथ भी होना जरूरी है। विद्या प्राप्ति की असली चाहत किसके मन में पैदा होती है? परीक्षा के बाद जो अपनी किताबें नल बाजार में बेचता है उसे? मैं तो यही कहूंगा कि पत्नी से- बच्चों से अधिक जिसे विद्या से प्रेम है उसी को पढ़ने-लिखने का विद्या का चस्का लगा। अगर कभी साहूकारी के काराण मेरे घर पर कुर्की आए और तब के लिए अगर मेरी किताबों को छुए भी तो मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। आप पढ़े-लिखे बच्चों में सुन्दरता के प्रति लगन मुझे दिखाई देती है। शादी में भी आप देखते हो कि लड़की सुन्दर है या नहीं? आप देखते हैं कि वह आपको पसंद है या नहीं? लेकिन यही अधिकार आप लड़कियों को भी दें। कई सुंदर लड़कियां कुरूप व्यक्ति के स्वाधीन होती हुई मैंने देखी हैं। मैं इस देश से ऊब चुका हूं। लेकिन मुझे अपने कर्तव्य का अहसास था इसलिए मुझे यहीं रहना पड़ा। हालांकि यहां का धर्म, सामाजिक रचना, सुधार और संस्कृति आदि से मैं बेहद ऊबा हूं। लेकिन मुझे अपने कर्तव्य का अहसास है। इसीलिए मुझे यहां रहना पड़ा।
I am at war with Civilization, यहां के करोड़पति मारवाड़ियों के घरों में क्या दिखाई देगा? उनके घरों में स्टैच्यू, फर्नीचर, पेंटिंग और किताबों में से कोई चीज दिखाई नहीं देगी। यही बात ब्राह्मणों की। किसी ब्राह्मण कलर्क को तनख्वाह मिलते ही वह पहले अपनी पत्नी के लिए सोने का कोई गहना बनाने की फिराक में होता है। क्योंकि संकट की घड़ी में सोना काम आता है ना। दुनिया में अगर सिर्फ जीना ही लक्ष्य हो तो पशु और इंसान के बीच फर्क ही क्या? इंसान सुंदरता को जोड़ कर रख सकता है, पशु यह नहीं कर सकता। केवल कॉलर खड़ी कर या गले में नेक टाई लटकाने से सौंदर्य बढ़ता नहीं। मैं आज तक अट्ठारह-उन्नीस बार विलायत गया था। मेरे साथ कई लोग भी आए थे। आज उन सभी को वर्णाश्रम धर्म मंजूर है! उन पर हमारी यात्रा का कोई असर पड़ा हुआ दिखाई नहीं देता। क्या जिंदगी है। हिंदू धर्म की सारी गंदगी उन्हें मंजूर है। आप गंदगी में पड़े रत्न हैं। बेहद गंदे पानी में इत्र की बूंद की तरह आपकी हालत है। आपके माता-पिता पढ़े-लिखे नहीं हैं। घर में दरिद्रता का साम्राज्य। सो इस मैल को साफ करना आपका कर्तव्य है। बाइबल में मैंने पढ़ा है कि अगर नमक ही अलोना हो जाए तो बाकी चीजों में स्वाद कहां से आएगा? कोई भी कार्य करने के लिए अपने अंदर गुणों का ठहराव जरूरी है। और गुणों के ठहराव के लिए कम से कम एक पीढ़ी का बीतना जरूरी है। खुद के सुधरे बगैर औरों को आप क्या सुधारेंगे? सुधार की जड़ें विरासतों में धंसनी चाहिए। आप में अगर गुणों की कमी हो तो पूरी-पूरी कोशिश कर उन्हें पा लें।

आप में से ज्यादातर अविवाहित होंगे। कइयों की शादियां भी हुई होंगी। लेकिन शादी के बाद आप क्या करने वाले हैं? इस बारे में आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके पिता का उदाहरण देने के बजाय मैं अपने पिताजी का उदाहरण आपको बताता हूं। उनके कुल चौदह बच्चे हुए। मैं उनका चौदहवां रत्न! लेकिन एक फिन्स्टन कॉलेज में मैं जब था तब मेरा क्या हाल था? मेरे पास चप्पलें नहीं थीं। लट्ठे की कमीज और पिताजी के फटे हुए कोट पहनता था। एलफिन्स्टन कॉलेज में आप जाएंगे तो वहां आपको भुल्लर साहब की तस्वीर दिखाई देगी। उन्होंने मुझे कॉलेज के आखिरी दो सालों में शर्टस् मुहैया करवाए। तब मेरे मन में ख्याल आता था कि मेरे पिताजी के चौदह के बजाय अगर चार ही बच्चे होते तो मैं कितनी आराम की जिंदगी जी पाता। मेरे दुख के लिए मेरे पिताजी ही जिम्मेदार थे। एक बार कॉलेज जाते समय रेल का पास मैं घर भूला। उसी दिन पास जांचे जाने वाले थे। टिकट लेने वाले मास्टर ने मुझे टोका। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। चार बजे तक चर्चगेट के स्टेशन में मैं बैठा रहा था। बाद में मेरी कक्षा का कैकिणी नाम का लड़का वहां आया। उसने पूछा, ''क्यों रे? यहां क्यों बैठा है'' मैंने सब कुछ उसे बताया। चार आने देकर उसने मुझे छुड़ाया। टिकट लेकर मुझे घर भेजा। इसीलिए इस मामले में मैं अपने पिताजी को ही दोष देता हूं। क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पहचाना नहीं। पिताजी गलती कर रहे हों तो उन्हें यह बात बताना मैं गलत नहीं मानता। अब यह जिम्मेदारी आपकी है। इसी प्रकार यह महिलाओं की भी जिम्मेदारी है। मैं केवल पुरुषों के लिए ही नहीं बोलता। महिलाओं को भी अपनी जिम्मेदारी पहचानना आना चाहिए। आपको इस बारे में सोचना होगा। आप नौकरी पर जाएंगे मुझे लगता है कि आप में से अधिकतर बाबू बनेंगे। करीब 50-60 रु. के तनख्वाह आपको मिलेगी। उसमें अगर आपके चौदह बच्चे होंगे तो उनका भविष्य क्या होगा? उनकी जिम्मेदारी आप क्या समाज पर डालेंगे? इस बारे में आप खूब सोचिए। आप सन्यास नहीं लेना चाहेंगे लेकिन कोई अगर सन्यास ले तो अच्छा ही होगा। (हंसी) हंसो नहीं। यह बेहद महत्वपूर्ण बात है। मेरे पांच बच्चे हैं। उनमें से चार मर गए। इसका अब मुझे अफसोस नहीं होता, उल्टे खुशी ही होती है। ये बच्चे अगर जिंदा होते तो उनकी शिक्षा, खाना-पीना, रहना आदि का मुझ पर बोझ आता। मेरे लिए यह बात परेशानी पैदा करती। मेरा एक ही बेटा है। मुझ पर उसकी पूरी जिम्मेदारी है। उसके शतांश भर जिम्मेदारी भी अगर आप अपने बच्चों के बारे में दिखाएं तो बेहतर होगा। यह समाज के कल्याण की बात है। अगर आपके पांच-छह बच्चों होंगे तो उनकी पढ़ाई कैसे होगी? उनकी बाकी जरूरतें कैसे पूरी करेंगे आप? इसलिए जिम्मेदारी को बढ़ाने के बजाय घटाने में ही समझदारी है। महिला-पुरुषों का पशुओं की तरह जीना इंसानियत को बट्टा लगाने वाला है। आप इस बारे में जरूर सोचिए।

150

*स्वराज यानी स्वतंत्रता, इंसानियत और समान हक

6 जनवरी, 1939 को महाड में 6000 किसानों के सामने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का भाषण हुआ। अपने भाषण में उन्होंने कहा–

प्रिय बहनों और भाइयों,

नगर, खानदेश, निजाम के राज्य में मैं दौरे पर गया था। अभी हाल ही में लौटा हूं। यात्रा की तकलीफों के कारण सोचा था कि चार दिन आराम करूंगा। फिर भी इस सभा में मुझे बोलना पड़ रहा है। इसलिए मैं ज्यादा देर तक नहीं बोल पाऊंगा। 10–12 मिनटों तक मैं बोलूंगा। मैं केवल तीन बिंदुओं पर बोलूंगा। सात प्रांतों में काँग्रेस का राज है। बंगाल और पंजाब प्रांतों में अन्य पार्टियों को नेस्तताबून कर काँग्रेस का राज स्थापन करने की कोशिशें चल रही हैं। तीन चौथाई हिस्से में काँग्रेस का राज है।

मेरे एक मित्र ने मजाक में कहा– ''काँग्रेस द्वारा अधिकार ग्रहण को आज 18 महीने बीते हैं। कोई महिला 18 महीने में दो बार बच्चा पैदा करती। लेकिन 'ये' औरत अभी पेट से भी नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है। इस दौरान जनता के सुख–संतोष की जानकारी देना अनुचित नहीं होगा।

पहला, हिंदु–मुसलमानों की एकता का मसला महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र लेबर पार्टी की सभा में यह मसला नहीं उठाया जाता। वहां हम केवल पेट के मसलों पर विचार करते हैं। पहले पेट, पूजा फिर भगवान की पूजा जैसा हमारा वहां बर्ताव होता है। लेकिन अन्य सवाल पैदा होते हैं तो पेट के सवाल अपने आप हाशिए पर चले जाते हैं।

इस देश में मुसलमानों की संख्या 8–9 करोड़ है। ये लोग मजदूरी करने वाले या गुलाम नहीं हैं। महराष्ट्र में नहीं लेकिन हिन्दुस्तान के अन्य हिस्सों में औरंगजेब, अकबर आदि मुसलमान राजाओं की सत्ता थी। मुसलमानों की महत्वकांक्षा है कि वे राज्य की सत्ता को काबीज कर लें। कोई ये ना समझें कि हमारा सामना केवल हिन्दुस्तान के 9 करोड़ मुसलमानों से है ऐसा कोई ना समझें। अफगानिस्तान, इराक, पार्शियां, तुर्कस्तान, इजिप्त में भी मुसलमानों की सत्ता है जो समय आने पर उनका साथ देती है। मुसलमानों का कहना है, 'एक बार फिर पानीपत होने दो।' इसलिए हिन्दु–मुसलमानों के बीच एकता होना जरूरी है। सत्ता जिस काँग्रेस पार्टी के हाथ है उस पर यह सारी जिम्मेदारी है। हम पर नहीं। हिन्दु–मुसलमानों की लड़ाई के बारे में काँग्रेस ने क्या किया? जानबूझ कर वह

*जनता : 21 जनवरी, 1939

निष्क्रिय रही, उसने कुछ नहीं किया!

पिछले पांच-दह दिनों में पटना में मुस्लिम लीग की सभा हुई। उसमें हुए भाषणों से जो ध्वनित होता है उस पर ध्यान दीजिए। मुसलमान समाज ने हिंदुओं के खिलाफ सत्याग्रह करने की घोषणा की है! लेकिन मुसलमानों का यह सत्याग्रह गांधी के सत्याग्रह की तरह नहीं है! मुसलमान बहुजन समाज की यह कतई मांग नहीं है कि, ''हिन्दुस्तान का टुकड़ा काट कर हमें दो।'' उनकी मांग है कि मुसलमानों का मुख्यमंत्री लीग का हो। काँग्रेस ने कुछ प्रांतों में मुसलमान मुख्यमंत्री लिए हैं। फिर मुंबई में ही लीग के आदमी को क्यों नहीं लेते? नुरी के बदले देहलवी को क्यों नहीं बनाते? आज सांसद नुरी महीना 500 रुपए लेते हैं वही सर देहलवी भी लेते। उसमें गलत क्या होता समझ में नहीं आ रहा! फिर पानीपत करना है क्या?

दूसरा मसला साम्राज्यवाद को खदेड़ने का है। अंग्रेजों का साम्राज्य तो गया लेकिन यहां के गूजर, साहूकार, जमींदार, मिल-मालिक यहीं हैं। वे आपका खून चूसेंगे। साम्राज्यवाद हटे यह मेरी भी इच्छा है। लेकिन काँग्रेस क्या करती है? केन्द्र सरकार (फेडरेशन) बेहद घिनौनी है। ऐसे डाकू, राजे-रजवाड़ों के हाथ हमारी गर्दन पकड़ाने का इरादा अंग्रेज सरकार रखती है। काँग्रेस के हाथ कौन-सी उपाय-योजना को लागू करना चाहती है? अंग्रेज सरकार यही फेडरेशन हमारे माथे पर मारना चाहती है! काँग्रेस के नेता इसका क्या उपाय करेंगे?

मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि साम्राज्यवाद के कट्टर विरोधक काँग्रेस वाले फेडरेशन के खिलाफ हैं। एक बड़े काँग्रेस भक्त हवा बदलने के लिए विलायत गए थे। उन्हें क्या रोग था यह मुझे पता नहीं। काँग्रेसी राजनीति के इस बड़े झब्बू ने अंग्रेजों को आश्वासन दिया कि फेडरेशन के खिलाफ हम चाहे जितना हल्ला मचाएं, फिर भी हम उसको स्वीकारेंगे। देशभक्त सुभाष बाबू की फेडरेशन के विरोध की घोषणा काँग्रेस पार्टी के मुखपत्र से- गौमुख से कहिए चाहें तो- कही हुई थी। दूसरी ओर श्री सत्यमूर्ति ने पर्चा निकाला कि सुभाष बाबू का इस विषय पर बोलने का अधिकार नहीं है।' सत्यबाबू के लिखे काँग्रेस के किसी नेता द्वारा खंड़न नहीं किया गया। इसी से पता चलता है कि दाल में कुछ काला है। वाइसराय के साथ एक आदमी की बातचीत हुई जो इस प्रकार थी-

आदमी : काँग्रेस फेडरशन का स्वीकार नहीं करेगी।

वाइसराय : फिर क्या करेगा? और आप कैसे कह सकते हैं?

आदमी : सुभाष बाबू की नीति से।

वाइसराय : हमने सुभाष बाबू की घोषणा सुनी है। लेकिन आपका गांधी कहां कुछ कह रहा है? गांधी ने मौन क्यों रखा है?

महात्मा गांधी ने मौन में कोई रहस्य छिपा है। गांधी हिन्दुस्तान को साम्राज्यशाही का गुलाम बनाने वाला है!

तीसरा मसला ये है कि हम जो स्वराज चाहते हैं वह अपनी आजादी के लिए चाहते हैं! सुख के लिए चाहते हैं! हमें अपने ही देश मं पेट भर भाजन नहीं मिलता। घर नहीं, सुख संपत्ति नहीं! जिस राज्य में हमें स्वतंतत्रता, इंसानियत आदि समान अधिकार हमें मिलेंगे वही स्वराज है!

काँग्रेस ने हमारे लिए क्या किया? चुनाव से पहले शिक्षा देंगे, लगान कम करेंगे जैसे आश्वासन दिए थे। उसका अब क्या? मुंबई इलाके में काँग्रेस का एसेंब्ली में बहुमत है। फिर ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि हमारे हाथ में सत्ता नहीं है? लेकिन काँग्रेस आपके लिए कुछ करना नहीं चाहती! कहां है काँग्रेस की स्वतंत्रता? आपके महाड में हाल ही में मुख्य मंत्री श्री बाबासाहेब खेर आकर गए। लेकिन क्या उन्होंने आपस कुछ कहा? नहीं। कैसे कहेंगे? उन्हें गांधी और वल्लभभाई से डर लगता है। अभी हम पर गुजरातियों का राज है। तीन गुजराती मंत्री आटा पीसते हैं और अन्य आटा गूंथ कर रोटियां सेक कर गुजरात देते हैं! ये सारे दीवाण वल्लभभाई के दरवाजे के कुत्ते हैं।

गुजरात में वल्लभभाई न समाननीय खेर को एक समारोह में बुला कर उनका भयंकर अपमान किया। ''हमने आपको इसलिए नहीं बताया कि आप मुख्यमंत्री हैं, इसलिए बुलाया क्योंकि आप गांधी के भक्त हैं। वरना खदेड़ देते!'' ऐसा कह कर वल्लभभाई ने एक महाराष्ट्रीय का घोर अपमान किया है! हमारे नामदार खेर के इस अपमान का बदला कौन लेगा? बदला लूंगा। मेरे बारे में वह वल्लभभाई ऐसा कह कर तो देखें, जूते से पीटूंगा मैं उन्हें! मैं उनकी सभा में जाता हूं, हिम्मत हो तो वह मेरी सभा में आएं।

एकाध–दो महीनों में जमींदारी बिल पर चर्चा होगी, लेकिन यह बिल पास नहीं होगा। काँग्रेस का राज उखाड़ फेंके बगैर यह नहीं होगा। जमींदार गैर–कानूनी ढंग से रैयत को लूटते हैं। आपको उनका विरोध करना होगा। स्वतंत्र लेबर पार्टी कबुलायत फॉर्म बनाने वाली है। वह बनेगा तो आपको उसके हिसाब से बर्ताव करना होगा। अन्याय का प्रतिकार करना होगा। सभी अधिकारी वर्ग जमींदारों की ही जाति का है। इसलिए, जब उनसे पक्षपात बरता जाता है तब विरोध जताते हुए आप कारागार का डर मन में ना पालें। वहां घर से भी बुरा कुछ नहीं। हम आपके साथ कारागार आएंगे लेकिन याद रहे कि आपका कारावास यानी गांधी जैसा कारावास नहीं। उनका कारावास ही कैसे कहें? वहां उन्हें हर रोज उन्हें प्रिय बकरी का दूध, फल, अंजीर, मुंसबी आदि तैयार होता है। आपका कारावास इससे अलग होगा।

डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्ड के चुनाव लड़ाइए। सत्ता के सभी पद हासिल कीजिए।

151

*समता सैनिक दल का सैनिक निर्भय योद्धा ही तो है

स्वतंत्र लेबर पार्टी के और डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के अस्पृश्यों की स्वांगीण उन्नति के कार्य के लिए जिन सैनिकों ने अपने को ताउम्र समर्पित किया हुआ है उस मुंबई के समता सैनिक दल की सालाना परेड और निरीक्षण का कार्यक्रम रविवार दिनांक 8 जनवरी, 1939 की सुबह डॉ. बाबासाहेब के नेतृत्व में परेल के कामगार मैदान पर हुई। मुंबई के विभिन्न मोहल्ले से, पाडों से और वार्डों में से समता सैनिक दल के पथक अपने कैप्टन के साथ सुबह 6.30 से ही कामगार मैदान में इक्ट्ठा हो रहे थे। दल के जीओसी श्री रामजी धयालकर ने सभी दलों के अनुशासन के साथ मैदान पर खड़ा कर परेड की प्राथमिक पूर्वाभ्यास किया। बैंड की सुस्वर ध्वनि के साथ परेड का कार्यक्रम बढ़िया हुआ।

ठीक 10 बजे अपने सहयोगियों के साथ डॉ. बाबासाहेब मैदान में आए। सैनिकों के अलावा अन्य सभी लोगों ने तालियां बजा कर उनका स्वागत किया। प्राथमिक स्वागत समारोह की समाप्ति के बाद डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, स्वतंत्र लेबर पार्टी के सचिव डी. वी. प्रधान और दल के जीओसी धयालकर ने समता सैनिक का मुआयना किया। तब वे सब सेना के जवानों की तरह दिखाई दे रहे थे। मन में तब वीर श्री पैदा हो रही थी। हर सैनिक द्वारा किया गया सफाई का पालन, बढ़िया साफ कपड़े, अनुशासन आदि प्रशंसा के योग्य था।

दल को देखने के बाद कीर फोटो स्टुडियो की ओर से दल के तथा डॉ. अम्बेडकर के साथ अन्य नेताओं के अलग-अलग फोटो लिए गए। इस जनरल परेड के लिए करीब 2500 समता सैनिक और करीब 20000 अन्य जनता इक्ट्ठा हुए थे। इसके बाद स्वतंत्र लेबर पार्टी के सचिव श्री डी.वी. प्रधान ने डॉ. अम्बेडकर को भाषण की विनती करते हुए कहा कि आज दल में वर्दी वाले केवल 2500 सैनिक हैं। बिना वर्दी के उतने ही अन्य और सैनिक हैं आज मुंबई शहर में समता सैनिक दल की संख्या पांच हजार है। अगले साल तक यह दोगुनी 10000 तक पहुंचेगी इसका मुझे यकीन है। समता सैनिक दल की शाखएं सिर्फ मुंबई में ही नहीं हैं, सीपी यानि मध्य प्रांत आदि विभिन्न प्रांतों में उनकी शाखाएं हैं। और प्रसार भी लगातार हो ही रहा है। पूरे हिंदुस्तान में स्वतंत्र लेबर पार्टी के झंडे के नीचे 50000 सैनिकों के होने का दृश्य जल्द ही दिखाई देगा।

*जनता : 14 जनवरी, 1939

हर सैनिक को आगे से स्वतंत्र लेबर पार्टी के लिए अब के बाद विशेष कोशिश करनी होगी।'' श्री प्रधान के परिचयात्मक भाषण के बाद डॉक्टरसाहेब भाषण के लिए उठे। उन्होंने अपने भाषण में कहा-

समता सैनिक दल की आज की सालाना परेड के दिन मुंबई के सभी सैनिक इतनी बड़ी संख्या में जुटे हैं इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। आज यहां इक्ट्ठा होकर उन्होंने अपने अनुशासन, संगठन और स्वार्थ त्याग का जो प्रदर्शन किया है वह बहुजन समाज में आदर्श के तौर पर माना जाएगा। अपने पैसे से वर्दी सिला कर अपने पक्ष के प्रति आपने जिस लगन को व्यक्त किया है वह सचमुच प्रशंसा के काबिल है। कुछ लोगों को लगता है कि यह दल मेरे और दोस्तों के बड़प्पन के लिए बनाया गया है। लेकिन जो इस दल का इतिहास जानते हैं उन्हें इस दल की स्थापना करने में कितना उदात्त और उज्जवल लक्ष्य हमारे सामने है इसका पता है।

1926-27 के आसपास इस दल की स्थापना .... महाड के चवदार तालाब के सत्याग्रह से शुरू हुई। उस वक्त महाड सत्याग्रह किसी भी तरह के विघ्न के बिना सफल होने के लिए ऐसे संगठित दल की बेहद आवश्यकता थी। हमने जिस समता सैनिक दल की स्थापना की है उसके इतिहास पर नजर डालने और कुल हालात के बारे में सोचने से पता चलेगा कि इस दल की स्थापना मैंने अपनी जय-जयकार कराने या किसी बाबाजी जैसा काम करने के लिए नहीं की है। अगर किसी को ऐसा लगता हो तो महाड तालाब के लिए हुई लड़ाई से सही-सही जवाब मिल जाएगा। हिंदुस्तान के कई धार्मिक समुदायों में से हिंदु समुदाय में अस्पृश्यों की गिनती होती है। हिंदू समाज के स्पृश्यों द्वारा अस्पृश्य माने गए अपने ही समाज बांधवों पर होने वाले अन्याय, जोर-जुल्म, विषमता का बर्ताव और सीख देना आदि बातों को रोकने के लिए मुख्य रूप से इस दल की स्थापना की गई है। जिस समाज में इंसानियत के सहारे जिया नहीं जा सकता, प्रकृति प्रदत्त अधिकारों का जहां समता के साथ उपभोग नहीं किया जा सकता, जिस धर्म पर विषमता रूपी मैल की परतें चढ़ी हैं उस धर्म को त्याग कर इंसानियत जानने वाले धर्म का निर्माण करने के लिए जो कार्य करना पड़ रहा है उस पवित्र और उज्जवल कार्य को करने के लिए इस दल की स्थापना की गई है। इस कार्य की शुरूआत महाड के चवदार तालाब के सत्याग्रह से किया गया है और उस सत्याग्रह को सफल भी बनाया है। इसी प्रकार जहां सार्वजनिक तालाब हैं, कुएं हैं, नल हैं वहां इसी प्रकार समान अधिकार की लड़ाई लड़कर हमें अपना कार्य करना है। महाड तालाब का सत्याग्रह इसलिए नहीं किया गया था कि हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलता। इस तालाब के पानी के बगैर हमारा काम रुका नहीं था। हम छटपटा कर मर नहीं रहे थे। वह लड़ाई पीने के लिए पानी चाहिए इसलिए नहीं छेड़ी गई थी। यह लड़ाई इसलिए छेड़ी गई थी कि उस तालाब का

पानी सभी जाति के, धर्मों के, पंथों के लोगों को समान रूप से पीने के लिए मिले। एक हक दिलाने के लिए यह लड़ाई थी। यही बात नासिक के कालाराम मंदिर प्रवेश के सत्याग्रह की भी थी। हम केवल भगवान के दर्शन के भूखे नहीं थे। पिछले दो हजार सालों में हिंदुओं के भगवानों के दर्शन अस्पृश्यों को नहीं हुए थे। लेकिन उससे अस्पृश्यों का जीवन कहीं अड़ा नहीं था। नासिक की मंदिर प्रवेश की लड़ाई केवल हिंदू समाज में हमारे समानता के अधिकारों की रक्षा के लिए था। उस सत्याग्रह की लड़ाई में लोगों को जो पीड़ा हुई थी, जो दुखदायी तकलीफें झेलनी पड़ीं वे सब केवल इसलिए थी ताकि यह स्थापित किया जाए कि हम भी इंसान हैं और अन्य इंसानों की तरह हमें भी मंदिर में प्रवेश करने का हक है। हम भी औरों की तरह ही इंसान हैं और हमारे मंदिर प्रवेश से ये हिंदू अपवित्र कैसे होते हैं यही हमारी समझ में नहीं आ रहा था। स्पृश्य हिंदुओं द्वारा हम पर लादा गया यह छुआछूत का गंदा कलंक धोने के लिए, हम भी इंसान हैं। और किसी तरह से हम अपवित्र नहीं हैं यह दिखा देने के लिए कालाराम मंदिर प्रवेश की लड़ाई हमें लड़नी पड़ी थी।

इस प्रकार की उज्ज्वल तत्वों वाली लड़ाईयां लड़ने के लिए ही हमारे समता सैनिक दल की स्थापना की गई है और यही समता सैनिक दल की पूर्वपीठिका है। इससे पता चलता है कि इस दल का निर्माण निजी कारणों से नहीं हुआ है। इस देश के हिंदू समाज में सच्ची समता स्थापित करने के लिए समता दल की स्थापना की गई है।

समता सैनिक दल का सैनिक यानी समाज सेवा के लिए हथेली पर सिर रख कर लड़ने के लिए तैयार निर्भय योद्धा ही है। इंसानियत के लिए समता का उज्ज्वल सिद्धांत अपने अंतर्मन में जगाए रख कर उसे अपने कार्य की पूर्तता करनी होगी। इसके लिए सभी को कसम खानी होगी कि वे कभी किसी प्रकार के जाति भेद को नहीं मानेंगे, महार भंगी, मांग जैसे ऊंच-नीचे के भेदभाव को नहीं मानेंगे, सोचेंगे कि मैं इंसान हूं, मैं सभी के साथ इंसानियत से ही पेश आऊंगा और समाज से विषमता का जहरीला बीज नष्ट करूंगा। जिसकी ऐसी सोच और ऐसा बर्ताव होगा वही समता दल का असली सैनिक होगा। कुल हालात पर सोचते हुए यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि अपना दल आजादी की लड़ाई में पिछड़े वर्ग के मोर्चे की एक जुझारू टुकड़ी है। अपनी हर कृति से आपको देश का आदर्श सैनिक बनना होगा। सेना की टुकड़ी के रूप में पूरे देश में आपकी कीर्ति होनी चाहिए। अच्छे गुण, अनुशासन, और संगठन के साथ अपना दल फैलादी बनना चाहिए। कहा जाता है कि काले तवे का मैल जाता है तो वह भी चमकने लगता है, इसी प्रकार स्वच्छ बर्ताव और समता का भाव मनमें रखते हुए अपने आपको और पूरे समाज को चमकाना होगा। कई हालात के कारण तवे पर मैल चढ़ा है। और तवा काला और गंदा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसे मेहनत से साफ किया जाए, उसके ऊपर जमी मैल को हमेशा के लिए हटाने की कोशिश की जाए तो यकीनन सफलता

मिलेगी और आखिर वह आईने की तरह चमकने लगेगा। इसी प्रकार हालात के कारण हमारे समाज में अगर कोई अनिष्ट रिवाज कायम हो चुके हों तो समय रहते जाग कर हमें उन अनिष्ट रिवाजों के चलन को खत्म करना होगा। जैसे शराब पीने, पान-तम्बाकू खाने पर हम अगर अपने शरीर का, समय का दुरूपयोग करते हो तो समय रहते जाग कर बुरी लतों को त्याग देना चाहिए। इस प्रकार सभी तरह की अनिष्ट बातों को नियंत्रण में रखा जाए तो कोई हम पर किसी तरह के आरोप नहीं लगाएगा। किसी प्रकार पीड़ा पहुंचाने का साहस कोई नहीं करेगा। इस प्रकार उज्ज्वल लक्ष्य के साथ काम करने के बावजूद अगर बिना वजह कोई हमारी बुराई करे तो हाथी चलता है, कुत्ता भौंकता है' की तरह वह होगा। ईमानदारी के साथ काम करते रहो तो जानबूझ कर कोई शरारत भरी आलोचना करे तो उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं।

इस प्रकार समता सैनिक दल का काम दिनोंदिन सफल हो रहा है यह देखकर मुझे धन्यता महसूस होती है। लेकिन अपने दल का यह लोकोपयोगी कार्य देख कर हमारे समीक्षकों और विरोधियों के पेट में दर्द होने लगा है। काँग्रेस सरकार के कार्यकाल में 7 नवम्बर, 1938 के दिन हुई एक दिवसीय सार्वजनिक हड़ताल के दौरान पुलिस के गोली चलाने के अत्याचारों के संदर्भ में पूछताछ काम आजकल चल रहा है। पूछताछ के दौरान उसकी आलोचना करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन जिन सैनिकों ने आज तक समाज सेवा का उज्ज्वल कार्य किया है उसकी मुंबई के मुख्यमंत्री श्री बालासाहब खेर और काँग्रेस के एक बड़े नेता श्री वल्लभभाई पटेल जैसे प्रमुख नेताओं ने प्रशंसा की है।

मुंबई मंत्रीमंडल की तनख्वा के बारे में मैंने जो भाषण किया था उसका जवाब देते हुए सम्माननीय खेर ने कहा था कि स्वतंत्र लेबर पार्टी के कार्य में मदद करने वाले समता सैनिक दल के स्वयंसेवकों ने बिना किसी वेतन के स्वार्थ त्याग से, स्वाभिमान के साथ और अनुशासन के बल पर कितना उज्ज्वल काम किया है यह हम जानते हैं। ये स्वयंसेवक अगर इतने उज्ज्वल तरह का स्वार्थ त्याग अगर कर सकते हैं तो हम एसेंब्ली के मंत्रियों को स्वार्थ त्याग करते हुए हर माह रु. 500 की तनख्वाह में काम करने में हर्ज ही क्या है? यही बात श्री वल्लभभाई पटेल के कथन से भी स्पष्ट होती है।

पिछले प्रांतीय एसेंब्ली के चुनावों के बाद पुणे में शनिवार वाड़े के सामने स्वयंसेवकों के कार्य के बारे में भाषण देते हुए श्री वल्लभभाई ने कहा था कि, ''संगठन, अनुशासन, कार्य की लगन, उसे सफल बनाने की ताकद आदि कसौटियों के बारे में सोचें तो स्वतंत्र लेबर पार्टी के स्वयंसेवक ही काँग्रेस के स्वयंसेवकों से बेहतर साबित होंगे। स्वतंत्र लेबर पार्टी के स्वयं सेवकों के गुण अन्य स्वयंसेवकों को अवश्य अपनाने चाहिए आदि।'' हमारे समता सैनिक दल के सैनिकों में 90 प्रतिशत तक महार युवक हैं। इस देश में अंग्रेज सरकार की सत्ता जब से है तब से लेकर अगर आज तक के इतिहास को देखा

जाए तो रैयत का पैसा तहसील की तिजोरी में ले जाकर महार लोग ही भरते थे। पिछले 150-200 सालों में इस बारे में किसी महार द्वारा बेइमानी किए जाने का कोई सबूत नहीं है। रात-बिरात और कड़ी धूप में यात्रा कर रैयत का पैसा महारों ने सरकारी तिजोरी में भर कर अपनी ईमानदारी दुनिया को दिखा दी है। ऐसी लगभग सभी बातों के बारे में सोचने के बाद मुंबई में कामगारों की हड़ताल में हुए गोली चलाने के बारे में पूछताछ समिति के सामने महारों पर जो बेईमानी और अनुशासनहीनता के आरोप लगाए जा रहे हैं वे कितने सच हैं इसकी छानबीन करने का समय भी जरूर आएगा। गरीबी से परेशान समाज का व्यक्ति हाथ में हजारों रुपए होने के बावजूद किसी तरह की हेराफेरी नहीं कर सकता। ऐसे महार समाज का चरित्र कितना उज्ज्वल होगा इस बारे में मुझे प्रशंसा सुनाने की जरूरत नहीं है। जनता इन सभी बातों के बारे में सोचने की सामर्थ्य रखती है। साथ ही, समता सैनिक दल में काम करने वाले कुछ स्वयंसेवक मिलिट्री में नौकरी कर चुके हैं। कानून, अनुशासन वे अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में समता सैनिक दल के स्वयंसेवकों पर आरोप लगाना बड़े साहस का या शरारत भरा काम ही कहा जा सकता है।

आखिर मैं हर सैनिक से कहना चाहता हैं कि सैनिक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। हम चलती चवन्नी छाप नहीं हैं यह साबित करने वाला है यह शब्द। दल में अपना काम करते हुए आपको यही सोचना होगा कि आप मिलिट्री में ही काम कर रहे हैं। जनसमुदाय हो सकता है कभी चलती चवन्नी-सा बर्ताव करे, लेकिन उनकी और आपकी कृति में जमीन-आसमान का फर्क होना चाहिए। क्योंकि सैनिक हमेशा अनुशासन का पालन करता है। किसी अधिकारी का दिया हुक्म अगर गलत लगे तो उसके खिलाफ शिकायत या उसका प्रतिकार करने से काम नहीं चलेगा। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि केवल अनुशासन के लिए समय पड़े तो सभी तरह के वाक्यों का धीरज के साथ सामना करने का आपका संकल्प इसके बाद भी समाज सेवा करते हुए जारी रखें।

152

*रियासतों का संविधान दोबारा लिखकर पूरे हिन्दुस्तान को व्यापने वाली नागरिकता के निर्माण की जरूरत है

दिनांक 30 जनवरी, 1939 को पुणे के गोखले राजनीति–अर्थशास्त्र मंदिर का संस्थापक दिन मनाया गया। इस अवसर पर स्वतंत्र लेबर पार्टी के नेता डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को 'हिंदी फेडरेशन' विषय पर भाषण देने के लिए खासतौर पर आमंत्रित किया गया था। इस विषय पर उन्होंने पुणे के गोखले स्मारक मंदिर में भाषण दिया। भाषण अंग्रेजी में हुआ। भाषण सुनने के लिए पुणेवासियों की गोखले स्मारक मंदिर की ओर भीड़ उमड़ पड़ी थी। तब श्री नारायणराव म. जोशी, एमए, एमएलए अध्यक्ष स्थान पर थे।

आचार्य धनंजयराव गाडगिल द्वारा डॉ. अम्बेडकर से बोलने की विनती की तो तालियों की गड़गड़ाहट हुई। लाऊडस्पीकर लगाए जाने के कारण उनका भाषण सब सुन पा रहे थे।

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर अपना भाषण लिख कर ले आए थे। लेकिन पूरा भाषण पढ़कर सुनाना असंभव था। इसलिए उसमें से प्रमुख बातें पढ़कर सुनाई और बाकी हिस्से का सारांश बताया। उन्होंने अपने भाषण में कहा–

सभ्य स्त्री, पुरुषों,

आज तक छात्रों की ओर से भाषण के दिए गए आमंत्रणों को मुझे नकारना पड़ा है। लेकिन इस संस्था के आमंत्रण को मैंने स्वीकारा। हो सकता है यह स्थिति विषमतामूलक भेदाभेद जैसी लगे लेकिन ऐसा नहीं है। वकील और सार्वजनिक कार्यकर्त्ता के नाते मुझे अपने काम सम्हालते हुए ऐसे आमंत्रणों का स्वीकार करना मुश्किल होता है। मैं केवल अध्यापक नहीं, राजनीतिज्ञ भी हूं। अध्यापक एक तरह से छात्र होता है। राजनीतिज्ञ केवल आंदोलनकर्त्ता होते हैं। मैं आंदोलनकर्त्ता भी हूं और छात्र भी हूं। अध्यापक अखबार की तरह होता है और राजनीतिक नेता मतपत्र की तरह होता है। मुझे एक तरह के मतपत्र के प्रचार का यह मौका मिला, खास कर मेरे प्रिय विषय पर बोलने का मौका मिल रहा था इसलिए मैंने इस आमंत्रण को सहर्ष स्वीकारा।

1935 का जो संयुक्त संविधान हिंदुस्तान पर लादा जाने वाला है उसका स्वरूप बड़ा विचित्र है। इस हिंदी फेडरेशन का स्वरूप राक्षसी होने वाला है। अमेरिका के संयुक्त राज्यों,

---

*जनता : 4 फरवरी, 1939

जर्मनी या स्वीट्जरलैंड, कनाडा या आस्ट्रेलिया में से किसी भी राष्ट्र के फेडरेशन के साथ हिंदुस्तान के इस फेडरेशन की तुलना की जाए तो पता चलेगा कि हिंदुस्तान का यह फेडरेशन सचमुच राक्षसी है। विधिमंडल का संविधान लीजिए। मंत्रीमंडल का स्वरूप देखिए या वरिष्ठ न्यायपीठ के अधिकारों को जांचिए। इनमें से किसी भी बात को देखें तो हिंदुस्तान के इस संयुक्त फेडरेशन का कुल स्वरूप विचित्र और अपूर्व ही दिखाई देगा। (1) संयुक्त फेडरेशन के घटक, (2) घटकों का केंद्र सरकार के साथ संबंध, (3) राष्ट्र के बहुजन समाज का संयुक्त फेडरेशन में नागरिकता का संबंध इनमें से किसी भी नजरिए से आगामी संविधान का परीक्षण किया तो वह दोषपूर्ण और अस्वीकार के लायक है यही दिखाई देगा। इस संयुक्त फेडरेशन को संयुक्त संघ या फेडरेशन नाम देने से पहले अलग हुए रियासतों का समूह या कॉन्फिडरेशन कहा जाए तो वह अधिक संयुक्तिक होगा। इस फेडरेशन में संयुक्त से अधिक विभाजन के ही गुण हैं। समूचे राष्ट्र के सभी नागरिकों को सामान्य नागरिकता के अधिकार इस संविधान में नहीं दिए गए हैं। इस प्रकार इस मूलतः सदोष संविधान में कुछ सुधार करने से वह स्वीकाराई होगा कहने वाला एक वर्ग भी है। उनके कहने के अनुसार इस संविधान स्वीकार करने से धीरे-धीरे (1) हिंदी रियासतों में जनतांत्रिक राज्य पद्धति शुरू होगी। (2) हिंदुस्तान को जिम्मेदार राज्य व्यवस्था का लाभ मिलेगा और (3) हिंदुस्तान एक क्षेत्र देश बनेगा। लेकिन लगता है ऐसा कहने वालों ने 1935 का कानून ढंग से नहीं पढ़ा है। इस कानून की धारा 6(1) पढ़ने से तथा उसके परिशिष्ट पर नजर डालने पर पता चलता है कि इस संविधान से समूचा हिंदुस्तान एकछत्र नहीं हो सकता। और न ही उसमें एकता निर्माण होती है। हिंदुस्तान के 650 रियासतों को फेडरेशन में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई है।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इन छोटी रियासतों को शामिल न किए जाने से क्या हिंदुस्तान में एकता बनेगी? इन रियासतों का क्या भविष्य होगा। इसका खुलासा होना भी जरूरी है। इस नए संविधान से रियासतों की एकतंत्री राज्यपद्धति खत्म होगी यह उम्मीद रखना भी गलत होगा। क्योंकि इसी कानून से रियासतदारों को स्पष्ट आश्वासन दिया गया है कि उनकी रियासत के अंदरूनी राजकाज में किसी तरह की दखंलदाजी करने का अधिकार फेडरेशन को नहीं होगा। इतना ही नहीं, इस संविधान ने रियासत की एकतंत्र राज्यव्यवस्था को खालिसा इलाके के जनतंत्र पर जुल्म ढाने के लिए नई सत्ता का निर्माण करवा दिया है। इसी प्रकार संविधान से पूरी तरह जिम्मेदार राज्यव्यवस्था का लाभ भी हिंदुस्तान को नहीं होगा।

सैनिक सुरक्षा और विदेश राजनीति ये दो विभाग/सरकार ने अपने पास रखे हैं। अर्थात् केंद्र सरकार में द्वि-दल राज्यपद्धति शुरू करने वाला यह संविधान है। लेकिन द्वि-दल राज्य पद्धति से जिम्मेदार राज्य व्यवस्था का कैसे दमन किया जाता है इस बात का हमें, हिंदी लोगों को हाल ही में अनुभव हो चुका है। इसके बाबजूद यह सोचना कि केंद्र सरकार

में उसमें मीठे फल लगेंगे, क्या मूर्खता नहीं है? किसी भी तरह से इस संविधान की छानबीन करें तब भी आपको यही बात समझ आएगी कि उसमें दाखिल का पूर्ण अभाव है। कुछ सुधार करने के बाद इस संविधान को स्वीकारने की सिफारिस मि. सत्यमूर्ति करते हैं। लेकिन मेरा यही मानना है कि भले मि. सत्यमूर्ति के सुझाए सभी सुधार उसमें किए जाएं, तब भी उसकी त्याज्यता छटेगी नहीं। क्योंकि इस योजना में कुछ मूलभूत दोष हैं। इस योजना के सहारे हिंदुस्तान स्वराज्य का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता।

हिंदुस्तान का अंतिम राजनीतिक लक्ष्य कया है? काँग्रेस अब संपूर्ण आजादी से डोमिनियन स्टेट्स की ओर उल्टी दिशा में बढ़ती जा रही है। लेकिन मेरी राय में इस फेडरेशन की योजना से डोमिनियन स्टेट्स का मार्ग भी बंद किया जाने वाला है। और इसी कारण आप पाएंगे कि इस संविधान के कानून में 'डोमिनियन स्टेट्स' शब्द योजना को पूरी तरह बहिष्कृत किया गया है। फेडरेशन का यह संविधान का स्वरूप अपरिवर्तनीय है। ब्रिटिश पार्लियामेंट भी रियासतदारों की अनुमति के बगैर उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। या फिर, उसे बदलना हो तो फेडरेशन को ही नष्ट करना होगा। डोमिनियन स्टेट्स की राह का पहला चरण जिम्मेदार राज्य पद्धति है लेकिन इस योजना ने आरक्षित विभागों का निर्माण कर यह रास्ता ही बंद कर दिया है। इसके बाद भी सेना और विदेश राजनीति के विभागों हस्तातंरणीय बनाना संभव नहीं लगता है। रियासतदार उसे मान्यता नहीं देंगे।

ऐसे हालात में हिंदी रियासतों का आगे क्या किया जाना चाहिए यह महत्वपूर्ण मसला है। रियासतों की मनमानी व्यवस्था का एक कारण वहां का एकतंत्रीय राज्य पद्धति तो है ही लेकिन कई रियासतों के पास राज्य का कामकाज चलाने के लिए जरूरी साधन उपलब्ध नहीं हैं। किसी भी रियासत का कामकाज ठीक से चलने के लिए विशिष्ट क्षेत्रफल और न्यूनतम आय जरूरी होती है। ये जिनके पास न हो उन रियासतों को रद्द कर उनकी पुनर्रचना करनी चाहिए। राज्य का काम सुचारू रूप से चले इसलिए ऐसा करना जरूरी है। ये रियासतें जब फेडरेशन में शामिल होंगे, फेडरेशन के घटक बनेंगे तब उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकेगा और उनका पुनर्गठन भी असंभव होगा। क्योंकि अब तक उनके सार्वभौमत्व की रक्षा का यकीन संविधान में ही दिया गया है।

इसलिए, पहले रियासतों का पुनर्गठन कर, पूरे हिंदुस्तान में लागू नागरिकता निर्माण कर फिर फेडरेशन के बारे में सोचा जाना चाहिए। यह बेहतर रहेगा। रियासतों को अलग रखते हुए ब्रिटिश प्रांतों का फेडरेशन किया जा सकता है। केवल ब्रिटिश प्रांतों की संयुक्त संघों में भी पूरी तरह से जिम्मेदार राज्य व्यवस्था स्थापित करना संभव नहीं। 1935 के कानून के मुताबिक दो फेडरेशन बनाए गए हैं। एक ब्रिटिश प्रांत का और एक अखिल भारत का। इनमें से पहले फेडरेशन को जिम्मेदार राज्य व्यवस्था नहीं दी गई है, दूसरे

को दी जाने वाली है। इसकी असली वजह यही है कि खालिसा मुलकों के जनतंत्र के पैरों में जंजीरें पहनाने के लिए रियासतदारों का उपयोग किया जाए।

रियासतदार दो कारणों से फेडरेशन चाहते हैं। वे ब्रिटिशों का सार्वभौमत्व नहीं चा. हते और उन्हें फेडरेशन की दखलंदाजी भी नहीं चाहिए। मुसलमानों को लगता है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम बहुल और प्रांतों का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि हिंदुओं को कमजोर किया जाए। हिंदू महासभा इसके विपरीत सोचती है कि रियासतदारों को मिलाकर संयुक्त संघ बनाया जा सकता है जिससे हिंदुओं की सामर्थ्य बढ़ेगी और साथ ही साथ मुसलमानों पर अंकुश भी रखा जाएगा। इसके अलावा व्यापारियों का एक और नजरिया है। यह वर्ग कॉँग्रेस को धन की खुराक खिलाता रहता है। यूरोपियनों से उन्हें व्यापारिक सुरक्षा मिलना उनके लिए काफी है। ये सभी वर्ग आज हो या कल संयुक्त संघ का स्वागत करेगा ही। लेकिन इनके अलावा गरीब और आजाद लोगों का एक बड़ा तबका है जिनके बारे में इस फेडरेशन में सोचा नहीं गया है। इस फेडरेशन की स्थापना होने से गरीबों की आजादी खत्म हो जाएगी।

मेरा भाषण काफी लंबा होता गया। उसे पूरा करने से पहले एक और बात का मैं जिक्र करना चाहता हूं। पहले हिंदुस्तान की राजनीति भी नेतृत्व की धुरा रानडे, तिलक, आगरकर, गोखले, दादाभाई, फिरोजशाह मेहता, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी जैसे मशहूर नेताओं के हाथ में था। ये सब पुराने नेता अच्छे कपड़े पहनते थे और पढ़ाई के बाद ही बोला करते थे। आज यह रिवाज बदल चुका है। अब ये हालात बदल चुके हैं। आज नेताओं को अधनंगा रहने में गर्व महसूस होता है। राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन के बिना उसके बारे में राय प्रकट करने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती। क्योंकि, ग्रंथों से अधिक वे अपने अंदर की आवाज की सुनते रहते हैं। मुझे इस प्रकार की सीख नहीं मिली है। मुझे अंदर की आवाज का अनुभव नहीं है। इसलिए मैंने रानडे, तिलक, गोखले की परंपरा के अनुसरण से चलने वाले श ब काले स्मृति दिवस पर आयोजित इस सभा में अपने विचार आपके सामने पेश किए हैं। इसमें जो हिस्सा आपको ठीक लगे उसे आप स्वीकारें। आपसे मेरी यह प्रार्थना है। इतना कह कर मैं अपना भाषण परू करता हूं। (तालियों की गूंज)

श्री ना. मा. जोशी ने डॉ. अम्बेडकर को धन्यवाद देते हुए कहा, ''डॉ. अम्बेडकर एलफिन्स्टन कालेज में मेरे शिष्य थे। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। स्वतंत्र बुद्धि के साथ विचार करते हुए साहस के साथ अपनी राय को सबके सामने रखने वाले उनके जैसे मार्गदर्शकों की आज के युवाओं को जरूरत है। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुंबई से यहां आने का कष्ट उन्होंने उठाया। इसके लिए संस्था की ओर से मैं उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं।'' फूलमाला अर्पण करने के बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ।

153

*शराब पर पाबंदी लगाने से अधिक महत्वपूर्ण है शिक्षा का मसला

मंगलवार, दिनांक 21 फरवरी, 1939 को मुंबई प्रांतीय एसेंब्ली के बजट पर चर्चा के लिए, स्वतंत्र लेबर पार्टी के नेता डॉ. बाबासाहेब अंम्बेडकर भाषण करने वाले हैं इसका पता चलते ही दर्शक गैलरी में बहुत भीड़ हुई थी। स्वतंत्र लेबर पार्टी के मुख्य कार्यकर्त्ता भी वहां मौजूद थे।

सवाल–जवाब और उसके बाद श्री बांद्रेकर का पहले दिन का बजट के बारे में बचा हुआ भाषण पूरा होने के बाद तालियों की गड़गड़हट के बीच डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर बोलने के लिए उठ खड़े हुए। अपने भाषण की शुरूआत में उन्होंने बताया कि आज का बजट काँग्रेस सरकार का तीसरा बजट होने के बावजूद मेरी राय में वह पहला ही है। क्योंकि पहले दो बजट पेश करते हुए काँग्रेस, अपने हालात के बारे में सही–सही अंदाजा नहीं लगा पाती। उस वक्त हालात भी कुछ अलग से थे। लेकिन इस वर्ष का बजट बनाते वक्त उनके पास पर्याप्त समय था। उसे लागू करने के लिए पर्याप्त साधान थे और सोचने का मौका भी मिला था। इन सभी बातों के बारे में सोचते हुए लगता है कि आज का बजट ही पहला बजट है। इस प्रकार बजट के बारे में भूमिका बांधने के बाद वह बजट के बारे में बोले। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बजट ''जमा पूंजी के नजरिए से गैर–जिम्मेदार और खर्चे के हिसाब से नादानी भरा है।'' उसके बाद वह बजट के एक–एक बिंदु पर चर्चा करने लगे। पहले उन्होंने बजट में जिन पर काँग्रेस सरकार ने कर लगाया था उनका अपने भाषण में इस प्रकार विभाजन किया–

1. कोर्ट फी और स्टैंप ड्युटी पर लगने वाला कर।
2. बिजली पर लगने वाले कर में बढ़ोतरी।
3. शहर के मकानों पर लगने वाले टैक्स में वृद्धि।
4. अचल संपत्ति की लीज पर टैक्स।
5. मुंबई और अहमदाबाद की अचल संपत्ति के किराए में सेंकड़ा 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
6. बिक्री कर।

---

*जनता : 25 फरवरी, 1939

इस मुद्दे पर भाषण करते हुए उन्होंने कहा कि–''सरकार ने कोर्ट फी और स्टैंप ड्डूटी जोड़ने के लिए जिस प्रकार कर लगाने की योजना बनाई है उसे देखकर पिछले विधिमंडल का इतिहास मेरी आंहों के आगे आता है। उस वक्त आज कर की योजना बनाने वाले कॉंग्रेस ही इसके खिलाफ थे। उस वक्त की उनकी नीति देखें तो केवल प्रतिपक्ष पर हमला करने के लिए ही उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया कहूं तो वह अत्युक्ति नहीं होगी। और अब हाथ में सत्ता आते ही पहले जो बातें बुरी लगती थीं वही जनता का हित करने के लिए तैयार उन्हें अब अच्छी लग रही हैं।

मेरी राय में बिजली पर लगने वाला कर अनिष्ट है। यह मेरी ईमानदार राय है। इस कर के कारण जनता का आर्थिक नुकसान तो होगा ही साथ ही सेहत के मोर्चे पर भी यह कर गरीबों के लिए नुकसानदेह साबित होने वाला है। अतिरिक्त खर्च की चिंता में लोग मिट्टी के तेल के दिए इस्तेमाल करने लगेंगे। मिट्टी के तेल के दिए इस्तेमाल करने से इंसान के स्वास्थ्य पर अनिष्ट असर होता है यह बात कॉंग्रेस को पता नहीं हो ऐसी बात नहीं है। तत्वों के ख्याल से भी इस सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए ताकि बिजली पर कर लगाना ना पड़े। पहले 12 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों पर यह नया कर लागू नहीं था लेकिन अब के बजट में उस पर भी कर लगाया गया है। गरीबों और मध्यमवर्ग पर कर का बोझ लादा गया है लेकिन सिनेमा–नाटक गृहों पर नहीं लगाया। कर बढ़ाने के चक्र से उन्हें मुक्ति दी गई है। सिनेमा और नाटकगृहों पर कर लगता तो गरीब जनता की जगह वह विलासिता के साधनों पर लगता। सोचने पर पता चलता है कि यह सरकार गरीबों पर इस प्रकार भारी कर लगाने के लिए हमेशा तैयार रहती है।

शहर की अचल संपत्ति पर कर लगाया गया है। कॉंग्रेस सरकार को यह नया कर लगाने की जरूरत क्यों महसूस हुई है? सभी अंगों से सोचने पर लगता है कि मुंबई, मुंबई के उपनगर और अहमदाबाद कीअचल संपत्ति पर लगाया जाने वाला कर हर तरह से आक्षेपाई है। यह कर लगाकर सरकार ने स्थानीय संस्थाओं को मुश्किल में डाला है। उनकी आय पर गैर–जिम्मेदाराना अंदाज में हमला किया है। सरकार की नीति स्थानीय स्वराज संस्थाओं की उन्नति पर रोक लगाने वाली है। मुंबई के किराएदार पिछले कई दिनों से घर का किराया कम कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा मकान मालिकों पर ही यह नया कर लादा जा रहा है इसलिए भी किराएदार निराश हैं। मकान मालिकों को आजकल साढ़े अठारह प्रतिशत कर महापालिका को देना पड़ता है। जगह अगर लीज पर ली गई हो तो उसका अलग से किराया सरकार को देना पड़ता है। इसी प्रकार किराए की आमदनी से हिंदुस्तान सरकार को 'आय कर' देना ही पड़ता है और इन सभी को मौटे तौर पर गिना जाए तो वह आय की 50 प्रतिशत तक जाती है।

ऐसे हाल में मकानों में रहने वालों पर और 10 प्रतिशत बिजली कर लादना मूर्खतापूर्ण है। म्युनिसिपालिटी को हम जो कर देते हैं उससे म्युनिसपालिटी से हमें पानी मिलेगा, सड़कों की मरम्मत होगी, सड़कों परा रोशनी की जाएगी लेकिन सरकार के नए कर से क्या लाभ होगा?

इसके बाद डॉक्टरसाहेब ने रेंट और टैक्स का अर्थ स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि 'मालिकों को जो कर अदा करना पड़ता है उसे वे अपने निर्जीव मकानों से नहीं वसूल सकते। इसलिए यह नया कर लोगों के ही मम्थ्ये मढ़ा जाने वाला है। छोटे-बड़े सभी मकान मालिकों से यह कर वसूला जाने वाला है। ऐसे में छोटे घर बनाकर उनके जरिए अपनी उपजीविका कमाने वाले और बड़ी-बड़ी इमारतें बनावाकर लाखों का मुनाफा कमाने वाले मालिकों पर कर लादना कया सही बात है? इसी प्रकार मुंबई की 'स्पेशल सर्विस लीग ऑफ इंडिया सोसाइटी'' जैसी सार्वजनिक और लोगों की सहायता करने वाली संस्थाओं की इमारत पर भी कर लगाया है। पदार्थों को बिक्री पर कर लगाने की जरूरत काँग्रेस सरकार को क्यों लगे? इस कर से चीजें खरीदने वालों को फर्क पड़ेगा। और इसका असर उनके जीवन स्तर पर भी पड़ेगा। इन करों से सरकार हासिल क्या करना चाहती हैं? इस कर के बारे में सोचते हुए थोड़ा इतिहास खंगालना पड़ेगा। 1800 से 1894 तक एक्साइज टैक्स लादा जाता था। आज काँग्रेस सरकार ने उसी को अलग जामा पहनाया है। इस नए कर से लोगों के जीवन स्तर-पर असर होगा। साथ ही यह कर कारखाने के मालिक और मिल मालिकों को अगर देना पड़ा तो देश के उद्योगों पर उसका विपरीत असर होगा।

जरूरी करों को लागू करने का मैं कभी विरोध नहीं करूंगा लेकिन काँग्रेस सरकार ने विशिष्ट लक्ष्य की आपूर्ति के लिए यह 169 लाख रु. का नया कर बटोरने की योजना बनाई है। उससे जनता को प्रत्यक्ष रूप से क्या लाभ मिलने वाला है? बजट में बताए गए नए खर्चों को अगर देखें तो उसमें (1) शिक्षा के लिए डेढ़ लाख रुपए, (2) सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए पानी की आपूर्ति आदि में 5 लाख रुपए, (3) सहकारिता आंदोलन के लिए 7 लाख रुपए (4) कर्ज निवारण के लिए 2 लाख रुपये आदि बातें प्रमुख हैं। इन सभी कामों के लिए केवल 40 लाख रुपए खर्च कर बाकी 125 लाख रुपए शराब पर पाबंदी लगाने के लिए आरक्षित रखे हैं। लेकिन ऊपर बताई गई लोक-कल्याण की बातों से शराब पर पाबंदी की नीति पर खर्च करना क्या योग्य होगा?

शराब की पाबंदी पर 125 लाख रु. खर्च करने लायक क्या यह मसला आपातिक है? इस बारे में अगर हम सोचें तो सरकार की यह नीति अविचारपूर्ण और दु:साहसी है ऐसा लगता है।

शराब पर पाबंदी लगाने की बात का महत्व हमारे प्रांत में बढ़ा-चढ़ा कर आंका जा

रहा है और यह नीति कितनी हास्यास्पद है इसका प्रत्यक्ष यकीन कराने के लिए डॉ. अम्बेडकर ने ग्रेट ब्रिटेन, आयलैंड, कनाडा, नार्वे आदि देशों की जनसंख्या और वहां के देशी शराब से होने वाली आमदनी के आंकड़े देकर मुंबई इलाके में शराब पर पाबंदी लगाने का मसला आपातिक नहीं है यह साबित कर दिखाया। उन्होंने कहा कि, इसी प्रकार अपने प्रांत में विदेशी शराब की खपत का अनुपात देखो तो प्रति व्यक्ति तीन ड्रम होगा और पूरे इलाके में शराब पीने वालों को गिनें तो करीब 10 लाख लोग शराब पीते हैं इसका पता चलेगा। हमारे देश की महिलाएं शराब नहीं पीतीं। इतना ही नहीं मंजे हुए पियक्कड़ को भी अपनी पत्नी का शराब पीना रास नहीं आएगा।

अमेरिका में शराब पर पाबंदी लगाए जाने का उदाहरण देकर हमारी सरकार यहां का मसला हल करना चाहती है। लेकिन वहां शराब पर पाबंदी लगाए जाने से पूर्व का हाल क्या हमारी सरकार ने देखा है? उस दौरान अमेरिका में शराब की खपत इतनी बढ़ी थी कि शराब बेशुमार पीने के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी थी। लेकिन क्या वैसे भयानक हालात हमारे प्रांत में दिखाई देते हैं? तो फिर सरकार को शराब पर पाबंदी लगाने का मसला इतना गंभीर क्यों लगता है? इससे महत्वपूर्ण है शिक्षा का मसला। आज सबसे पहले इसी मसले पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे इलाके में साक्षरता का अनुपात कितना कम है यह आगे दिए जा रहे आंकड़ों से पता चलेगा। यहां पुरुषों में 12.3 प्रतिशत और महिलाओं में केवल 2.4 प्रतिशत इतना कम है। साफ-साफ बताना हो तो 86 प्रतिशत पुरुष और 98 प्रतिशत महिलाएं हमारे देश में निरक्षर, अनपढ़ हैं। काँग्रेस सरकार ने प्रौढ़ महिला और पुरुषों की शिक्षा के बारे में सोचने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी ने इस संदर्भ में अपनी रिपोर्ट भी पेश की है। लेकिन इस बजट में उसका कोई प्रबंध नहीं किया गया है। काँग्रेस सरकार अगर शराब पर पाबंदी लगाने के लिए 169 लाख रुपए झोंकने के बजाय शिक्षा पर इस रकम का उपयोग करे तो यह बहुत बड़ा काम होगा। प्राथमिक, माध्यमिक और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के आंकड़े देकर उन्होंने बताया कि किस प्रकार शिक्षा का सवाल हल करना महत्वपूर्ण और आपातिक है। उन्होंने कहा कि इस प्रांत के शहरों में 184 प्राथमिक विद्यालय हैं। विभिन्न गांवों में केवल 8599 विद्यालय हैं और 12885 गांवों में स्कूल ही नहीं हैं। इलाके में अगर प्राथमिक शिक्षा को अगर मुफ्त कर दिया जाए तो 1 करोड़ 30 लाख रुपयों का खर्चा आएगा। शराब पर पाबंदी लगाने के लिए खर्च की जाने वाली रकम इस काम के लिए काफी है। फिर सरकार शराब प्रतिबंधित कराने के बजाय इस रकम को शिक्षा पर क्यों नहीं व्यय करती? इस सरकार को क्या शिक्षा की योजना पर खर्च करना ठीक नहीं लगता? यहां मैं सांसद फडणीस से इस बारे में सीधे सवाल पूछना चाहता हूं। शिक्षा की ही तरह सार्वजनिक स्वास्थ्य का मसला भी महत्वपूर्ण है। आज सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा पर जो रकम खर्च करती है वह इतनी कम और अपर्याप्त है कि गांवों

में लोगों का जीवन पीने के पानी के बगैर कष्टपूर्ण और दु:खी हुआ है। गांव के अपने गरीब भाइयों का जीवन सुखी हो इसलिए शहर के लोगों पर कर चढ़ा कर इक्ट्ठा की गई रकम का उपयोग शराब पर पाबंदी के बजाय गांव के लोगों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए क्यों नहीं किया जाता?

इस प्रांत के भू-राजस्व से मिलने वाली आय 3 करोड़ 18 लाख 63 हजार (3,18,63,000) रुपए हैं। पिछले वर्ष काँग्रेस सरकार ने भू-राजस्व में 10 लाख रुपयों की छूटी दी थी और इस वर्ष 40 लाख रुपयों की छूट देने का विचार है। अन्य कर लगाकर सरकार अगर पूरा जीवन राजस्व निरस्त कर दे तो हम बजट का विरोध खुशी-खुशी त्याग देंगे। (हियर-हियर) इस देश के मद्रास, बिहार, उड़ीसा आदि प्रांतों का क्षेत्रफल देखें तो मुंबई प्रांत छोटा है। हमारे प्रांत की जमीन हर तरफ जोताई में लगी हुई है। ऐसे में खेती के बजाय उद्योगों में बढ़ोतरी होना आवश्यक है।

चरखे जैसे मसले को महत्व देना सही नहीं है। बाजार की प्रतिस्पर्धा में अपनी जमीन पर न बना पाने वाली खादी ग्रामोद्धार का मसला आसानी से हल नहीं कर सकती। इन सभी बातों पर सूक्षमता से गौर करने के बाद मैं कहूंगा कि इस देश में औद्योगिकीकरण का विरोध करने वाले लोग सतही तौर पर भले मित्र हों लेकिन असल में शत्रु ही हैं। साथ ही, सरकार का यह बजट बनाना यानी मन ही मन गणपति की मूर्ति बनाने वाले कुम्हार के हाथों आखिर बंदर की मूर्ति बनी है ऐसा दृश्य दिखाई देगा। (तालियां) यहां डॉ. बाबासाहेब ने करीब सवा घंटे तक भाषण दिया।

154

*जिलावार आंदोलनों से संगठन शक्ति कमजोर हो जाएगी

26 फरवरी, 1939 की शाम को चेंबूर, मुंबई की अस्पृश्य समाज संगठन संस्था की ओर से स्वतंत्र लेबर पार्टी के सचिव भाई डी.वी. प्रधान की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया था। उस समय स्वतंत्र लेबर पार्टी के मुंबई प्रांत एसेंब्ली के विधायक, मुंबई म्युनिसपालिटी में चुने गए प्रतिनिधि तथा विविध वृत्त के संपादक रामभ. ऊ तटनीस हाजिर थे। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर तालियों की गड़गड़ाहट में बोलने के लिए उठ कर खड़े हुए।

पहले उन्होंने चेंबूर के कामगारों का अभिनंदन किया कि उन्होंने बड़े प्रेम और आस्था के साथ इमारत फंड के लिए रुपया इक्ट्ठा किया। आगे उन्होंने कहा–

''इस फंड का क्या महत्व है यह मुझसे पहले जो बोले उन्होंने स्पष्ट किया है। इस फंड के लिए कम से कम दो लाख रुपए जोड़ना जरूरी है। अब तक जमा की गई रकम इस काम के लिए बेहद कम है। इस फंड के बारे में जब मेरे मन में ख्याल आया तब पहले मुझे आखिरी बाजीराव की दानशूरता की याद आई। उसने एक भिक्षुक को उसे संतोष होने तक उसके सिर पर रुपये उंडेल कर दान दिया था। यह पढ़ने के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि कोई इस फंड में इस प्रकार दान देने के लिए तैयार हो तो चाहे जितने कष्ट झेल कर मैं अपने सिर पर रुपए गिरा लेने के लिए तैयार हूं। भिक्षुवृत्ति को स्वीकार किए बगैर इस इमारत फंड की पूर्ति होना संभव नहीं है। इसके बाद उन्होंने चेंबूर के अस्पृश्य कामगारों के 1926 से 1939 के दरमियान के जीवन की भयानकता का वर्णन किया। पुरानी गंदी बस्ती में इंसान और कचरे के बीच कभी भेदभाव दिखाई नहीं देता था। उसकी तुलना में इधर दस सालों में काफी संतोषजनक बदलाव दिखाई देता है। आज शिक्षा, सुधार आदि मामलों के कारण अपने समाज में हुआ सुधार अभिनंदनीय है प्रशंसा योग्य है। बच्चों को आज से अधिक शिक्षा दिलाने के लिए कोशिशें करना जरूरी हैं। 10 साल पूर्व आपकी हालत में सुधार लाने के लिए कामगारों का संगठन नहीं था। म्युनिसिपालिटी में आपके अपने प्रतिनिधि नहीं थे। लेकिन पिछले चुनावों में म्युनिसपालिटी में अपनी स्वतंत्र लेबर पार्टी के पांच–छह प्रतिनिधि चुने गए हैं। इस बार मैंने गणपत बुवा जाधव को चुनाव में खड़ा किया था। दुर्भाग्य से वह चुनाव हार गए। लेकिन मुझे यकीन है कि वह अपने कामगार बंधुओं की खातिर अपूर्व काम

*जनता : 4 मार्च, 1939

करते। अपने ही कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ा यह बात भी मैं कभी नहीं भुलूंगा। पिछले चुनावों में हुए खर्चे की भरपाई के लिए यहां के कामगारों ने उनके आज के काम को देखते हुए उन्हें सौ रुपयों की मदद देना स्वीकार किया है। इसलिए मैं सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं।

हमारे आंदोलन को सुसंगठित करने के लिए जो जिला स्तर पर आंदोलन चलाया जा रहा है उसे बंद करना होगा। इस प्रकार जिला स्तर पर काम करने से संगठनशक्ति कमजोर पड़ती है। स्पर्धा से काम किए जाने के कारण जिलों के बीच जलन, डाह पैदा होने का डर रहता है। आप सब एक होकर अपने पृथक मजदूर पक्ष की लड़ाई को सफल बनाइए। जिले की भावना छोड़िए। आज यही मेरा आपके लिए संदेश है।

इसके बाद समय की कमी के कारण श्री डी. वी. प्रधान का छोटा–सा भाषण हुआ। उसके बाद सभी मेहमानों को फूलमालाएं और गुलदस्ते अर्पण किए गए। जीओसी श्री धयालकर के नेतृत्व में समता सैनिक दल के द्वारा इस सभा का बेहतर व्यवस्थापन किया गया था।

155

*साम्राज्य सत्ता, पूंजीपतियों की सत्ता, जमींदारशाही और मध्यवर्गीय हिंदी व्यापारियों के दबावों से राष्ट्र को मुक्त करना ही संपूर्ण स्वतंत्रता पाना है

स्वतंत्र लेबर पार्टी की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की सभा 21 मार्च, 1939 को मुंबई में डॉ. बाबासाहेब की अध्यक्षता में हो रही थी। इस सभा में घोषणा की गई कि पार्टी का लक्ष्य संपूर्ण स्वतंत्रता है। इस अवसर पर बोलते हुए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा–

''हमारी पार्टी मेहनतकश लोगों की पार्टी है। आज मेहनतकश वर्ग विदेशी साम्राज्यशाही, हिंदी पूंजीपतियों की सत्ता, जमींदारों की सत्ता और मध्यवर्गीय हिंदी व्यापारियों के दबाव में फंसा हुआ है। हिंदी राष्ट्र को पूरी आजादी दिलाए बिना ऐसे विकट हालात से इस वर्ग को मुक्ति मिलना संभव नहीं। संपूर्ण स्वतंत्रता का हमारा लक्ष्य विशुद्ध है। अपने देश की आजादी के लिए छेड़े जाने वाली हर लड़ाई में हमारी पार्टी हिस्सा लेगी। तब तक गरीब बहुजन समाज का शोषण करने वाले अपने ही देशबंधुओं के खिलाफ हम मोर्चा खोलेंगे।

---

*जनता : 18 अप्रैल, 1939

156

*सभी राजनीतिक दल एक होकर हिंदी राजनीति की धुरा सम्हालें

रविवार दिनांक 2 अप्रैल, 1939 को विलेपार्ले, मुंबई के लोकशाही स्वराज पक्ष की ओर से मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन में चुनाव जीतने वाले कुछ हिंदू कार्पोरेटर्स को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में श्री रामभाऊ तटणीस, अॅड तलपदे, पि. दोंदे, श्री भगवंतराव परलकर और डी. वी. प्रधान आदि सदस्य उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को खासतौर से आमंत्रित किया गया था। शुरूआत में अभिनंदन का जवाब देते हुए कुछ लोगों के भाषण हुए। उसके बाद डॉ. अम्बेडकर से बोलने की विनती की गई। उन्होंने अपने भाषण में गांधी युग से पूर्व के हिंदी राजनीतिक स्थितियों का विश्लेषण करते हुए कहा कि-

गांधी युग की शुरूआत होने से पूर्व भारत में नरमपंथी और चरमपंथी ये दो पक्ष ही प्रमुख थे। नरम पक्ष बुद्धि और अध्ययनपरक बुद्धि पर अधिक बल देता था। तो, चरम दल इस बात को अधिक महत्व देता था कि देश के लिए अलौकिक स्वार्थ त्याग करना पड़े तो प्राणों की भी प्रवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन, गांधी युग से यह परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया। राजनीति में ढोंगी लोगों का प्रवेश हुआ। दो आने की गांधी टोपी सिर पर लगाकर गांधी का दास होना जाहिर किया और बस हो गया देशभक्त। इससे हिंदी राजनीति में स्वार्थसाधकों का बोलबाला हुआ। आज गांधी जी जिस शुद्धी की बात कर रहे हैं उसके लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। जिस गंदगी की इस प्रकार गंदगी से ही पैदाइश हुई उनका आपस में मिलना तय था।

काँग्रेस के असहकारिता आंदोलन के कारण हजारों लोग कारागार चले गए। उस कारावास की महति वे मुक्त कंठ से गाते हैं। लेकिन इन कारावासों के दौरान स्त्री-भोगादी सुख लेने के उदाहरण उजागर होने के कारण यह कैसे कहा जा सकता है कि कारावास सश्रम था असल कलेश, दुख तो लो? तिलक ने भोगे। उनके कारावास की काँग्रेसी नेताओं के कारावास के साथ तुलना करना असंभव है। कारावास के उनके अनुभवों को देख कर आंखों से आंसुओं की खून की बूंदे भी रिस सकती है। काँग्रेस की सत्ता यानी तानाशाही और इसके लिए चुनावक्षेत्र ही जिम्मेदार हैं। सो अब उसकी ओर से काँग्रेस की राजनीतिक असफलता को कोसना बेकार है। इसका केवल एक ही उपाय है कि सभी राजनीतिक पार्टियां एक होकर काँग्रेस के ढोंग को उजागर करें। सभी राजनीतिक पक्षों को एक होकर संगठन बनाकर बेझिझक हिंदी राजनीति की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने की कोशिश करनी चाहिए। आप मुंबई एसेंब्ली के आज के दृश्य को देखें, एसेंब्ली के काँग्रेस सदस्यों पर नजर डालें- आपको लगेगा कहीं यह किंग एडवर्ड अस्पताल का लूलो-लंगड़ों, अंधों-बूढ़ों का वार्ड तो नहीं है?

जनता : 8 अप्रैल, 1939

157

*वार्डों में बंद जानवरों से रियासतों में रहने वाले लोगों की स्थिति अलग नहीं

स्वतंत्र लेबर पार्टी के जनक डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर सहयोगी मेसर्स गडकरी, सावंत, देवरूखकर, गायकवाड, के. बी. जाधव, शामराव भोले आदि लोगों के साथ फलटण के लिए निकले थे। रास्ते में लोणंद में श्री बाबासाहब खरात ने उनका आदरपूर्वक स्वागत कर सम्मान के साथ उन्हें पान-सुपारी दी। इस अवसर पर श्री सावंत और भाऊराव गायकवाड़ के भाषण हुए। अपने भाषण में उन्होंने संक्षेप में बताया कि क्यों सबको स्वतंत्र लेबर पार्टी का सदस्य बनना चाहिए। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से स्वतंत्र लेबर पार्टी के सदस्य बनने की विनति की। उनके बाद बोलते हुए श्री आबासाहब खरात ने कहा कि डॉ. बाबासाहेब मेरी विनती का सम्मान करते हुए पिछली सारी बातें बुला कर यहां आए इसका मुझे बहुत संतोष है। डॉ. बाबासाहेब के बारे में अपने मन में बसी भक्ति को व्यक्त कर उन्होंने बाबासाहेब को पुष्पहार अर्पण किया। उसके बाद डॉ. बाबासाहेब ने उक्त समारोह के आयोजन के लिए आबासाहब के प्रति आभार व्यक्त किया। धन्यवाद देते हुए उन्होंने बताया कि- एसेंब्ली चुनाव के समय सातारा जिले के स्वतंत्र लेबर पार्टी के उम्मीदवार श्री खंडेराव सावंत की मदद के लिए जब मैं दौरे परर आया था तब श्री सावंत के खिलाफ चुनाव मैदान में श्री आबासाहब खरात के बड़े बेटे उतरे थे। सो कर्तव्य के तौर पर मुझे खरात की खबर लेनी ही पड़ी थी। इसके बावजूद उस बात को सार्वजनिक काम का अंग मानते हुए उन्होंने वह सब भुला दिया यह बहुत संतोषजनक बात है। सभी सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। वहां इक्ट्ठा लोगों को फूलमालाएं और पान-सुपारी देने का कार्यक्रम हुआ और उसके बाद खरात के यहां खाना खाकर डॉ. बाबासाहेब फलटण के लिए निकले। 23 अप्रैल, 1939 को वे फलटण पहुंचे।

फलटण संस्थानाधिपति ने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को पहले ही पत्र भेज कर चाय-पान का आमंत्रण दिया था। तय कार्यक्रम के अनुसार डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर वहां मेसर्स गडकरी, देवरुखकर, गायकवाड, रणपिसे, सावंत, के. बी. जाधव, शामराव भोले आदि लोगों के साथ ठीक 4 बजे फलटण संस्थानाधिपति की खास मोटर से राजमहल में आए। वहां राजेसाहब के साथ उनकी सार्वजनिक कामों के बारे में थोड़ी बातचीत हुई। बातचीत के बाद बढ़िया, शाही चायपार्टी हुई। चायपार्टी के बाद डॉ. बाबासाहेब के साथ राजमहल में राजेसाहब और मेहमानों का फोटो खींचने का कार्यक्रम हुआ। शाम 5 बजे राजमहल से बड़ा जुलूस निकला और सभामंडप तक आया। सभा के लिए भव्य

*जनता : 6 मई, 1939

मंडप और मंच तैयार किया गया था। रियासत के सभी बड़े लोग सभा में उपस्थित थे। उनमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी थीं। शुरू में स्वागत के पद और पोवाडे गाए गए। श्री गायकवाड़ ने डॉ. बाबासाहेब और अन्य उपस्थित लोगों का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि संगठित रहना कितना हितावह और महत्वपूर्ण है। आखिर उन्होंने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर से अध्यक्षास्थान स्वीकरने की विनति की। तालियों की गड़गड़ाहट हुई जब डॉ. बाबासाहेब अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे। सभा में फलटण तथा आसपास के इलाके से दस-बारह हजार लोग उपस्थित थे।

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर बोलने के लिए उठ खड़े हुए तब तालियों की गड़गड़ाहट हुई। उन्होंने कहा-

फलटण रियासत के अस्पृश्य माने गए लोगों की परिषद के लिए मैं भले यहां आया हूं लेकिन मैं कहता हूं कि आम जनता का कर्तव्य क्या है, इस दुनिया में क्या चल रहा है...... यह जाने बगैर भी नहीं चलेगा। आम लोग आजकल जनतंत्र की भाषा बोलते हैं। रियासत में तथा रियासत से बाहर जनतंत्र के सिद्धांतों के आधार पर सुधार पाने और ले आने की कोशिश करती है। ऐसे में रियासतदारों को भी अपनी सोच बदल कर प्रजा को जितने अधिक अधिकार देना संभव हो देने चाहिए।

आज की रियासतें पुराने राज्यों के अवशेष हैं। पुराने जमाने में राजाओं को अगर कोई सीख मिलती थी तो वह यही कि वे गो-ब्राह्मणों का प्रतिपालन करें। उस जमाने में राजाओं का यही प्रमुख कर्तव्य माना जाता था। गो-ब्राह्मण प्रतिपालन करना यानी गायों को चारा खिलाना और ब्राह्मण जाति की रक्षा करना। इतना करने के बाद राजा का कोई और कर्तव्य बाकी है ऐसा नहीं समझा जाता था। गो-ब्राह्मण प्रतिपालन के अलावा राजा अगर और कुछ भी ना करे तब भी चल जाता था। आज रियासतों में रहने वाले लोगों के हालत को देखें तो पता चलता है कि उनका हाल बाड़े में बंधे मवेशियों से अलग नहीं। इसका दोष अगर किसी को जाता है तो वह हिंदू धर्म की सीख को ही देना पड़ेगा। चाणक्यनीति, मनुस्मृति आदि ग्रंथों का अगर अवलोकन किया तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने गांवों में पाठशालाएं खोलने, लोगों को सुविद्य बनाने या लोकहित के कुछ अन्य काम करना भी राजा के कर्तव्यों में शामिल होता है आदि बातों का जिक्र तक नहीं किया है। ये सभी बातें हमने अंग्रेजों से सीखी हैं यह बात मानने में शर्मिंदगी नहीं महसूस होनी चाहिए। प्राचीन काल के रामकृष्ण जैसे राजाओं का उदाहरण भी लें तो सोचिए कि लोगों में शिक्षा का प्रसार हो इसलिए उन्होंने कितने वजीफे दिए थे? फलटण रियासत की अपनी जनता ज्ञानहीन और अधिकारहीन है। हमारे लोगों के इस हाल के लिए अगर कोई जिम्मेदार हो तो वह है हमारा धर्म। देश के करीब 90 प्रतिशत लोग आज अज्ञान और गुलामी में दिन काट रहे हैं। इसके लिए हिंदू धर्म ही जिम्मेदार है। इतना ही नहीं हिंदुस्तान की आजादी

गंवाने के लिए और जो भी पराया राजा इस ओर आए उसे पहले शरण देकर आगे उसकी शरण जाने के लिए अगर कोई कारण हो तो वह हिंदु धर्म ही है।

कुछ पद्धति को नष्ट करने के लिए हमें क्या करना है यह आज का महत्वपूर्ण मसला है। इस बारे में अगर कोई कारगर इलाज बताना हो तो मुझे जो उपाय सूझता है वह यही है कि राज्य की सत्ता प्रजा के हवाले करना। इस बारे में मेरे विचार आपको हो सकता है थोड़े अजीब लगेंगे। लेकिन मैं उन्हें छिपाना नहीं चाहता। यहां अंग्रेजों का राज शुरू होकर लंबा समय बीतने के बाद यही लग रहा है कि लोक कल्याण अगर करना हो तो राजनीतिक सत्ता प्रजा के प्रतिनिधियों के हाथ होना ही योग्य है। इस बारे में लोगों की आकांक्षाएं हमेशा बढ़ती रही हैं। उन्हें ध्यान में रखते हुए उनका अनुसरण करते हुए जिन सुधारों पर अमल किया गया वे हमारे इस हिंदुस्तान देश में 1937 के अप्रैल माह से लागू हुए हैं। लेकिन मिले हुए जनतंत्र से इस देश का क्या हित हुआ है? सच बात तो यह है कि जनतंत्र से इस देश में रत्ती भर का फर्क दिखाई नहीं देता। विदेशी अंग्रेजों ने अपने राज में जो नहीं किया वह सब ये लोग करते हुए दिखाई देते हैं। जिन बातों के बारे में विदेशी अंग्रेजों को भी शर्म आती थी वे बातें लोगों से मिले वादों के आधार पर चुने गए अपने ही देश के नेताओं ने की है। निहत्थे सैनिकों पर गोलियां बरसाकर उन्हें जान से मार डालना पेट के लिए लड़ने वाले कामगारों की हड़ताल को अपराध करार देने वाला कानून अंग्रेज सरकार नहीं बना सकी थी जिसे काँग्रेस की सरकार बेझिझक बना रही है।

प्राचीन काल की गो-ब्राह्मणों के प्रतिपालन की सीख क्या आज भी लोगों के व्यवहार से निकल पाई है? आज सात प्रांतों में काँग्रेस की सरकार है। उन सभी प्रांतों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण हैं। इन सभी प्रांतों की सत्ता ब्राह्मणों के हाथों में है। ऐसे राज्यों में सबका कल्याण होगा कहना सरासर गप्प है। उनके हाथों सबका कल्याण होना असंभव है। क्योंकि जब तक इस देश में गरीबों के हितसंबंध अमीर वर्ग से अलग हैं, किसी एक वर्ग के हित में दूसरे का अहित है, जहां अमीरों के कल्याण के लिए काँग्रेस की सरकारें तत्पर हैं तब तक काँग्रेस सरकार के जरिए हमारा कल्याण होगा यह विश्वास किसानों और मजदूरों के मन में बना हुआ है तो वह इस वर्ग की अद्योगति है। आज मतदाता किसी क्रेय वस्तु की तरह लाभ के कारण अपना मत अमीरों को बेचते हैं। उनके मत खरीदने वाले अमीर मारवाड़ी और गूजर लोग हैं। ऐसे लोगों के हाथों में जब सत्ता जाती है तब वे अपना नुकसान करा के गरीब जनता का इस वर्ग द्वारा कल्याण होगा यह बात असंभव-सी लगती है। ऐसे जनतंत्र से बेहतर है अनियंत्रित सत्ता राजा के हाथ में होने वाली राजसत्ता। इस उक्ति को मानने जैसे हालात आज समाज में हैं। यूरोप के जर्मनी, टर्की, इटली आदि प्रांतों का भरपूर विकास हुआ है। 'राजा कलस्य कारणम्' के अनुसार देश की उन्नति और समृद्धि का कारण राजा ही होता है। कम से कम आज की तारीख में जर्मनी का हिटलर, टर्की का मुसोलिनी, इटली का कोमलपाशा ही अपने देश की उन्नति के कारण हैं। ऐसे राजाओं के हाथ में जब

संपूर्ण सत्ता होती है तब वे प्रजा का जितना कल्याण कर सकते हैं उतना कल्याण जनतंत्र के नाम पर ये मारवाड़ी और गूजर पैसों के बल पर मत खरीद कर नहीं कर सकते।

यहां के राजा बहुत सुज्ञ, समझदार हैं। पेंशन लेकर रियासत को खालिसा करने से इनकार नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। उल्टे, मेरी सूचना मानने में उन्हें कोई अड़चन महसूस नहीं होगी। इस रियासत की जनसंख्या 58000 है और लगान केवल साढ़े पांच लाख रुपये ही आता है। मुंबई प्रांत की जनसंख्या दो करोड़ आय साढ़े बारह करोड़ है फिर भी 75 प्रतिशत गांवों में अब तक कोई स्कूल नहीं है। सो, ऐसे कम उत्पादन वाली रियासत को रखना यानी लगभग सूखे कुएं में कूदना है। फलटण रियासत का काम-काज पांच लाख रुपयों में कैसे संभव होगा? इसलिए अपनी रियासत वे अंग्रेजों के देश के साथ जोड़ें।

इस रियासत के अस्पृश्य माने गए लोगों को अपनी शिकायतें राजा के सामने रखने की छूट मिलनी चाहिए। प्रजा की रक्षा और उनके खान-पान के प्रबंध की जिम्मेदारी...... लेनी चाहिए। अस्पृश्यता के कारण जो लोग कोई रोजगार नहीं कर सकते, स्पृश्य माने गए लोग उन्हें अपने घर में बर्तन-फटका, कपड़ा धोना जैसे कामों के लिए भी काम पर नहीं रखते। ऐसे लोगों को अपनी रियासत की बंजर जमीन इस्तेमाल के लिए दें।

शिक्षा जैसे जरूरी काम के लिए भी जिस वर्ग के पास खर्च करने के लिए कुछ नहीं होता सरकार पट्ट, किताबें, वजीफे आदि देकर उनकी मदद करें।

इस रियासत के विधिमंडल में 19 लोग हैं। उनमें हमारे प्रतिनिधि को भी अवश्य शामिल करवा लें। पहले स्व. आयवले नामक व्यक्ति 1933 तक विधिमंडल में थे। उनकी मृत्यु के बाद किसी और को क्यों नहीं लिया गया समझ में नहीं आता। एक बार दिया हुआ अधिकार अगर लौटा लिया गया हो तो उसे वापिस जरूर मांग लें। इसी प्रकार, म्युनिसिपालिटियां, जिला बोर्ड आदि जगहों पर हमारे वर्ग के प्रतिनिधियों को लिया जाए।

आखिर एक कड़वा सच आपको बताए बगैर मुझसे रहा नहीं जा रहा। हमारे समाज में मृत जानवर का मांस खाने की अनिष्ट रूढ़ि प्रचलित थी। यही रूढ़ि हमारे समाज की अवनति का कारण बनी। इस अधम रूढ़ि को हमें तुरंत बंद कर देना चाहिए। इस गंदगी का हम जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक समानता की लड़ाई लड़ने के लिए हम योग्य साबित नहीं होंगे। इसलिए इस रूढ़ि को तुरंत बंद कर दें।

आखिर, सबने इक्ट्ठा होकर शांति से अपनी बात सुनी इसलिए सबको धन्यवाद देकर उन्होंने अपनी बात पूरी की। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच वह अपनी जगह जाकर बैठे।

इसके बाद कार्यक्रम में श्री भाऊसाहब गायकवाड़ ने कुल 5 प्रस्ताव परिषद के सामने रखे। दो अन्य लोगों ने उनकी बात का समर्थन किया और सबकी अनुमति से प्रस्ताव पारित किए गए।

158

*इमारत फंड में अपनी एक महीने की तनख्वाह दें!

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की आज्ञा से श्री शां. अ. उपशाम सचिव, इमारत फंड, मुंबई ने दिनांक 14 जून, 1939 के दिन मुंबई के प्रमुख महार लोगों को उद्देश्य कर एक सूचना निकाली थी जो इस प्रकार थी–

अनेक जोहार! डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा स्थापित इमारत फंड के काम को गति देने के बारे में सोचने–विचारने के लिए 18 जून, 1939 के दिन सुबह नौ बजे पटेल बंबई के आर.एम. भट्ट हाईस्कूल (मे. प्रि. दोंदे का स्कूल) में आप अपनी चॉल के चार अन्य प्रमुख लोगों के साथ आने की कृपा करें। इस अवसर पर खुद डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर भी उपस्थित होंगे।

इसलिए, 18 जून, 1939 को सुबह 10 बजे परेल, मुंबई के आर.एम. भट्ट हाईस्कूल के हॉल में इमारत फंड की सभा की शुरूआत हुई। मुंबई तथा मुंबई सबर्बन के सभी कार्यकर्त्ताओं से हॉल खचाखच भरा था।

पहले इमारत फंड के सचिव श्री शांताराम अनाजी अपशाम ने इमारत फंड के अब तक के काम की जानकारी दी। उसके बाद डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में कहा–

बहनों और भाइयों,

सवा साल पहले मैंने आपसे कहा था कि अस्पृश्य समाज के सार्वजनिक काम–काज के लिए मुंबई में एक बड़ी इमारत खड़ी करना जरूरी है। मैंने तब यह भी कहा था कि इस कार्य को पूरा करने के लिए महार जाति इसमें सबसे अधिक क्रियाशील बने और फंड इक्ट्ठा करे। मेरी सूचना के अनुसार काम करते हुए कुछ विभागों में रहने वाले लोगों ने फंड इक्ट्ठा कर अब तक मेरे पास दो–ढाई हजार रुपए जमा कराए हैं। मुंबई जैसे शहर में हमारे सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए योग्य इमारत बनाने के लिए कम से कम एक लाख रुपए लगेंगे। हालात पर गौर करें तो अगले 1–2 महीनों के अंदर इस काम की शुरूआत की जानी चाहिए। इसलिए आराम त्याग कर आप आज ही से इस कार्य की शुरूआत करें। हरेक चॉल के लोग अपने बीच से चार–पांच, और अगर चॉल बड़ी

*जनता : 17 और 24 जून, 1939

हो तो पांच–दस लोगों की कमेटी बनाएं। उनके जरिए अपनी चॉल के लोगों की गिनती करें। 1–2 दिनों में ही चॉल के कमेटी सदस्यों की जानकारी भेजें। लोगों की गिनती कैसे की जाए इस बारे में आपको स्वतंत्र लेबर पार्टी के दफ्तर में जानकारी मिलेगी। 8–15 दिनों में अपनी चॉल के लोगों की गिनती का काम पूरा कर स्वतंत्र लेबर पार्टी के दफ्तर में श्री उपशाम मास्टर के पास लाकर दें। इस जानकारी को सुपुर्द करने के बाद चंदे की रकम कैसे इक्ट्ठा करनी है इसकी जानकारी दी जाएगी।

जिनकी तनख्वा 30 रु. महीना हो वे इस सत्कार्य में कम से कम दो रुपए और जिनकी तनख्वा 50 रु. तक है वे 5 रु. और 50 रु. से अधिक तनख्वा पाने वाले अपनी एक महीने की तनख्वा दें। साथ ही अध्यापक, अध्यापिकाएं और क्लर्क के पदों पर काम करने वाले अपनी एक महीने की तनख्वाह इस काम के लिए दें।

159

*धर्मांतरण का एक उद्देश्य है अस्पृश्यों में व्याप्त जातिभेद को नष्ट करना

रोहिदास शिक्षण प्रसारक समाज की ओर से चमार समाज की शिक्षक परिषद, रविवार 2 जुलाई, 1939 की शाम को आर.एम. भट्ट हाईस्कूल के हॉल में प्रि. दोंदे की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस अवसर पर आमंत्रित मेहमान के तौर पर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का विचारों से परिपूर्ण भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में कहा–

मुझे लगा था आज की सभा का आयोजन रोहिदास समाज के उन छात्रों को पुरस्कार बांटने के लिए किया गया है जो विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं। इसीलिए मैं सभा में उपस्थित हुआ। लेकिन आज की सभा में लगता नहीं कि ऐसा कोई आयोजन है। फिर भी, चूंकि मैं यहां उपस्थित हूं और आपका आग्रह है कि मैं दो शब्द बोलूं इसलिए मैं आपके सामने छोटा–सा भाषण करूंगा।

पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहता हूं कि मैं किसी भी विशिष्ट जाति के आंदोलन में हिस्सा नहीं लेता। सार्वजनिक काम की शुरूआत जब से की है तब से मैंने कभी जाति निष्ठा मानसिकता नहीं रखी। मैं एक महार के रूप में पैदा हुआ हूं लेकिन महार जाति को बनाए रखने के लिए मैं कभी कोशिश नहीं करता। मैं जो 'जनता' अखबार चलाता हूं उसके जरिए कभी मैंने ऐसी सीख नहीं दी। महार के रूप में क्या मुझे कौन–सी स्मृतियां जतन कर रखनी हैं? मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि महार अपने जाति बंधनों को तोड़ दें। मैं और मेरे अनुयायी अक्सर मांग, भंगी, चमार आदि विभिन्न जातियों के साथ रोटी व्यवहार करते हैं। जो जातिभेद मानता है मैं उसका तीव्र निषेध करता हूं। अन्य जातियों से भी यही कहता रहता हूं कि वे भी यही करें। विभिन्न जातियों में विवाह हों इसका हम हमेशा प्रचार करते रहते हैं। लेकिन विवाह जबरदस्ती से करने–करवाने की बात तो है नहीं। महार की बेटी और चमार के या भंगी के बेटे को पेड़ से बांध कर और उन पर घड़े–घड़े भर पानी उंडेल कर उनकी शादी नहीं कराई जा सकती। हालांकि अगर विभिन्न जाति के वधु–वर अगर स्व–खुशी से विवाह करना चाहें तो मैं हर तरह से उन्हें प्रोत्साहन दूंगा। उन पर होने वाले सामाजिक जुल्मों को कम करने की कोशिश करूंगा। यह हुई सामाजिक मामलों के बारे में बातें। राजनीतिक मामलों के लिए मैंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की है। यह पार्टी सबके लिए खुली है। अभी

*जनता : 8 जुलाई, 1939

इस पार्टी में महारों की संख्या अधिक है। लेकिन मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं। महारों की जनसंख्या ही अधिक होने के कारण वे बड़ी संख्या में इस पार्टी में शामिल हुई हैं। चमारों से मैं नहीं कहता या मेरा उनसे आग्रह नहीं है कि वे मेरी पार्टी में शामिल हों। जिसे इस पार्टी के सिद्धांत पसंद आएं, जो इसके कार्यक्रमों से सह-समति रखेंगे वे सब अपने आप इसमें शामिल होंगे। इसका मुझे यकीन है। चमारों का अगर काँग्रेस में जाने का मन हो तो वे जरूर जाएं। लेकिन मैं उन्हें एक बात कहना चाहता हूं कि आज काँग्रेस में उनकी जो इज्जत है वह हमारे काँग्रेस में शामिल होने के बाद भी वैसे ही क्या रहेगी? मैं आज काँग्रेस से बाहर हूं इसलिए काँग्रेस उन्हें अपना रही है। काँग्रेस वाले मुझसे जलते हैं इसलिए वे आप पर प्रेम की चीनी बिखरते हैं। मेरे लिए काँग्रेस में जाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। अगर मैं काँग्रेस में शामिल हुआ तो आज जो काँग्रेस में शामिल हैं उनका क्या होगा यह तो सोचने की बात है। हममें से किसी एक को ही मंत्रीपद मिलता। आज सोनगावकर और तलकर काँग्रेस में शामिल तो हुए हैं लेकिन उनकी क्या हालत है? हाथ ऊपर करने के अलावा उनकी वहां कोई हैसियत नहीं है।

कुछ चमारों का मुझ पर आरोप है कि मैंने महारों को अधिक मात्रा में मतदान का अधिकार दिलाया है। क्योंकि महार जागीरदारों को मताधिकार मिला। लेकिन मैंने यह किया ऐसा कहना सरासर गलत होगा। ये बातें प्रांत सरकार की मर्जी के अनुसार हुई हैं। कितने प्रतिशत लोगों को मताधिकार देना है यह सरकार द्वारा तय किया गया। विभिन्न प्रांत सरकारों ने अलग-अलग तरीके सुझाए और उन पर अमल किया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन इस बारे में मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। मंबुई प्रांत में एक वरिष्ठ और एक कनिष्ठ इस प्रकार दो विधिमंडल हैं। वरिष्ठ विधिमंडल के मुंबई में कुल 350 मतदाता हैं। उनमें से करीब 300 मतदाता चमार हैं। और 50 महार हैं यानी महारों से करीब 6 गुना अधिक हैं चमार। महारों की जनसंख्या चमारों से कई गुना अधिक है। लेकिन मुझ पर आरोप करने वाले चमार नेताओं को महारों पर अन्याय हुआ है इस बात का अहसास क्यों नहीं हुआ? चमारों को अधिक मतदाता मिले इस बात से कभी हमको बुरा नहीं लगा। बुरा इस बात का लगता है अपने मतों के बल पर अगर चाहता तो चमार समाज अपना एक प्रतिनिधि वरिष्ठ विधिमंडल में भेज सकता था। लेकिन वे इतना सादा-आसान सा काम भी नहीं कर पाए। इतना ही नहीं हो एक चमार उम्मीदवार चुनावों में खड़ा था तो कुछ चमार नेताओं ने उसका विरोध कर एक और उम्मीदवार के लिए वोट जुटाने की कोशिश की। दूसरी बात यह कि अस्पृश्यों के आंदोलन में महार समाज ने मुख्य रूप से हिस्सा लिया, मेहनत उठाई यह बात निर्विवाद रूप से सच है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसके सहारे उन्होंने अधिकार के पद हासिल किए या सरकारी नौकरियां पाई हों। उल्टे 'आंदोलनकारी' के रूप में समूची जाति पर ठप्पा लगा। पुराने विधिमंडल में था तब 1927 से नासिक के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में

अस्पृश्यों को प्रवेश मिले इसलिए हम कर कोशिश की। उसमें थोड़ी–बहुत सफलता भी मिली। लेकिन उसमें अब तक जो उम्मीदवार शामिल हुए उनमें से महार उम्मीदवारों को चुन–चुन कर अलग कर दिया गया। उनसे अधिकारी सवाल पूछते हैं, कि तुमने कितने कुंओं को अपवित्र किया? इसलिए, आंदोलनों के कारण महारों का नुकसान ही अधिक हुआ है। मैं उसका बुरा नहीं मानता। महार आंदोलन करते हैं तो समूचे अस्पृश्य वर्ग के भले के लिए करते हैं। आंदोलन से उन्हें प्रत्यक्ष रूप से भले फायदा नहीं हुआ हो, लेकिन समाज जागरूक बनता है। उसकी उन्नति होती है। आंदोलन नहीं करने वाले लोग पिछड़ जाएंगे। चमार या मांगों से मैं बिल्कुल नहीं कहता कि वे मेरा अनुसरण करें या मेरे पीछे आएं। कोई मेरे साथ रहे या मुझे छोड़ कर जाए, मुझे उसमें आनंद या क्रोध नहीं होता। अपने सिद्धान्तों पर, अपने कार्यक्रम में मेरा विश्वास है। और मुझे यकीन है कि जो लोग मुझे छोड़ कर गए हैं वे भी मेरे कार्यक्रम के पीछे आएंगे। शिवतरकर मास्टर भी आएंगे। वह मुझे छोड़कर गए इसलिए मेरा उन पर गुस्सा नहीं है। न ही मैं उनके बारे में किसी से झूठ बोलता हूं। मैं जानता हूं कि वे मुझे गालियां सुनाते हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि शिवतरकर मास्टर मेरे साथ 12 सालों तक काम करते थे। इतने लंबे समय तक उन्हें मेरे जो दोष दिखाई नहीं दिए थे वे 13वें साल अचानक कैसे दिखने लगे? 12 सालों तक मेरे जिन दोषों के साथ उन्होंने मेरे साथ काम किया तब या तो मेरे कोई दोष थे ही नहीं या फिर ये भी तो क्षमा करने लायक थे। इसीलिए कहता हूं कि मेरी राह सबके लिए खुली है। मैंने धर्मांतरण पसंद किया। क्योंकि मैं चाहता हूं कि धर्मांतरण के बाद हमारे बीच का महार, मांग, चमार आदि जाति भेद नष्ट हों। धर्म बदलेंगे तो कम से कम महार, मांग, चमार आदि नाम तो हमसे चिपकेंगे नहीं। हम सब एक होकर उन्नति की राह पर आगे चलेंगे। आखिर में मैं आपको एक इशारा देना चाहता हूं और मानता हूं कि यही मेरा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। काँग्रेस हिंदुओं की है। उसके नेता गांधी आपके साथ धोखा कर रहे हैं। 'हरिजन सेवक संघ' आपको गुलाम बनाने की कारस्तानी है। उससे आप सावधान रहें और आंखें खुली रख कर जिएं। इतना कह कर मैं आपसे विदा लेता हूं।

160

*कर बढ़ाने से मिलने वाली आय पर किसका हक?

बुधवार दिनांक 12 जुलाई, 1939 की शाम को मुंबई के सर कावसजी हॉल में काँग्रेस सरकार की कर बढ़ाने की नीति का विरोध करने के लिए बुलाई गई सभा में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का भाषण हुआ।

डॉक्टर साहब ने कहा-

सरकार द्वारा लगाए गए नए कर अभूतपूर्व हैं। मुंबई सरकार के मंत्री अण्णासाहब लट्ठे द्वारा दिए गए आंकड़ों से इस बात का पता चलता है कि हिन्दुस्तान के विभिन्न प्रांतों में कर का अनुपात क्या हैं। बिहार में प्रति व्यक्ति रु. 1.4.0, बंगाल में रु. 1.12.0, असम में रु. 2.4.0, मध्यप्रांत में रु. 2.12.0, संयुक्त प्रांत में रु. 2.4.0, पंजाब में रु. 4.88.0, मद्रास में रु. 3.4.0, सिंध में रु. 4 और मुंबई में रु. 6 के अनुपात में कर देना पड़ता है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि मुंबई में कितना ज्यादा कर लगता है।

यह हुई हर प्रांत की बात। लेकिन करों में नई बढ़ोतरी केवल मुंबई शहर और उपनगरों पर ही लादी गई है। मुंबई शहर में आज तक प्रति व्यक्ति रु. 25 कर देना पड़ता है। नई दरों के कारण यह बोझ रु. 45 की रकम तक बढ़ेगा। कर की बढ़ोतरी के मामलों में यह अभूतपूर्व बात है। 1919 से लेकर आज तक मुंबई प्रांत में शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाने का आंदोलन जारी है। इस प्रांत में 24,79000 बच्चे हैं जिनकी उम्र सकूल में पढ़ने की है। इस वर्ग में 6 से 11 वर्ष के बच्चों की ही गिनती की गई है। ऐसे कुल 24 लाख बच्चों में से केवल साढे सात लाख बच्चे का ही स्कूलों में दाखिला हुआ है। मुंबई प्रांत में 24000 गांव हैं और उनमें से केवल 8000 गांवों में ही स्कूल हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि मुंबई प्रांत में 17,00,000 बच्चे अज्ञान के अंधेरे में घुट रहे हैं और 16000 गांव अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं। जाहिर है कि ऐसे में सवाल पैदा होता है कि इन 17,00,000 बच्चों का क्या हमेशा के लिए अज्ञान के अंधेरे में घुटन के लिए छोड़ देना चाहिए? क्या सरकार को इन मासूमों के बारे में सोचना नहीं चाहिए?

अब किसानों को जो लगान देना पड़ता है उसके बारे में सोचते हैं। सरकार को लगान से 3,00,38,000 रुपयों की प्राप्ति होती है। लगान का यह बोझ बड़ा भारी है इसमें कोई दो राय नहीं। लगान देने के बाद किसान के पास कुछ बचता ही नहीं। सरकार से वसूले जाने वाले इस भारी लगान के बारे में आज तक केवल काँग्रेस ही हल्ला मचाती आई

*जनता : 15 जुलाई, 1939

है। किसानों की इस बुरी हालत के बारे में क्या सरकार को सोचना नहीं चाहिए?

गांवों में रहने वाले लोगों को समय पर दवा नहीं मिल पाती और पर्याप्त पेयजल तक नहीं मिलता इस पर भी सरकार को आवश्यक सोचना होगा।

हम मुंबई शहर के बारे में सोचते हैं। इस शहर की जनसंख्या है 13,00,000 जिनमें से 6,00,000 कामगार हैं। कामगारों में बेकारी का अनुपात बहुत अधिक है। रात पाली बंद होने के कारण बेकारों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे लोगों को काम देना या जीवन जीने के लिए जरूरी सामग्री मुहैया कराना सरकार का आद्य कर्तव्य है। हर उन्नत राष्ट्र में इस मसले पर यही सोचा जाता है। बेकार लोगों को सरकारी मदद पाने का हक पहुंचता है।

हमारे सामने बेहद आसान सवाल है। वह सवाल यह है कि कर बढ़ाकर जो 1,69,00,000 रु. जोड़ने वाली है उस पर किसका अधिकार है? अपने कमजोर मन के कारण आत्मघात करने वाले शराबियों का उस पर अधिकार है या अज्ञान में पिसने वाले बच्चे, ज्यादा लगान से हताश किसान, रोगों के शिकार बनते अज्ञानी लोग और सामाजिक अन्याय के कारण बेकार भूखों मरने वाले कामगारों का उस पर अधिकार है?

इस सवाल के लिए मेरा जवाब यह है कि शराबी अपनी करनी से दुख भोगता है। विभिन्न हकदार जब आगे आते हैं तब उनके सच-झूठ का फैसला करने का एक ही उपाय है और वह है- दुख निर्माण का कारण ढूंढना।

सामाजिक अन्याय के कारण दुख निर्माण हुआ है या अपने बुरे बर्ताव के कारण दुख निर्माण हुआ है इस पर फैसला देते समय जरूर विचार किया जाना चाहिए।

इसीलिए मुझे लगता है कि सामाजिक अन्याय के कारण दुखी लोगों को नजरंदाज कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले लोगों की मदद के लिए तत्पर रहना सरकार की बहुत बड़ी गलती होगी।

अब शराब पर पाबंदी लगाने वाले कानून पर हम सोचें। शराब आयात करना, निर्यात करना, शराब की यातायात करना, उसे अपने पास रखना कानून अपरध है। लेकिन शराब पीकर मदहोश होने वालों का क्या? शराब पीने को ही कानून अपराध करार देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। शराब पर पाबंदी लगाने को सफलता नहीं मिल सकती है ऐसा मुझे लगता है। शराब पर पाबंदी लगाने के लिए डेढ-दो करोड़ रुपये खर्च होंगे जो बेकार जाएंगे। यह मुंबई को लोगों का दुर्भाग्य है कि उन्हें ऐसे नेता मिले जो लोगों के भले के लिए भी गांधीबाबा को दुख देने का साहस नहीं रखते। वरना मुंबई के मंत्रियों को मद्रास के राजगोपालाचारी से पाठ पढ़कर गांधीबाबा को लॉक पर बैठाना मुश्किल नहीं था इसमें कोई शक नहीं।

161

*आजादी का मतलब कतई यह नहीं हो सकता कि उच्चवर्णियों को आजादी और हम पर अधिराज्य

26 अक्तूबर, 1939 को महायुद्ध से संबंधित प्रस्ताव पर हुई चर्चा में सहभागी होकर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने विधिमंडल में जो भाषण दिया वह इस प्रकार था–

स्वतंत्र लेबर पार्टी के नेता डॉ. भीमराव अम्बेडकर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच भाषण के लिए उठ खड़े हुए। पहले उन्होंने अध्यक्ष से अधिक समय देने की विनति की। कहा कि किस प्रकार ययाति को उसके पुत्र पुरुखा ने अपना जीवन दिया था उसी प्रकार उनके पक्ष के सदस्यों ने उन्हें बोलने के लिए अधिक समय मिले इसलिए उन्हें अकेले को भाषण की इजाजत दी है। महाभारत के दृष्टांत के साथ डॉ. बाबासाहेब ने भाषण की शुरूआत की। तालियां बजाकर सभी ने उनका अभिनंदन किया।

उन्होंने कहा–

मुझे लगता है कि यह प्रस्ताव अप्रस्तुत है। इस प्रस्ताव में जिन राष्ट्रीय मांगों का जिक्र किया गया है वे मांगें सम्माननीय मुख्य प्रधान (मंत्री) ने इस एसेंब्ली में रखी नहीं थी। मांगे उनके हाईकमांड ने प्रस्तुत की। कानूनन हाइकमांड का कोई अस्तित्व नहीं है। काँग्रेस मंत्री मंडल के कामों पर नजर रखने वाली वह एक समिति है। विजिलंस कमेटी है। उनकी मांगें सरकार द्वारा मानी नहीं गई इसलिए सम्माननीय खेर आखिरी कोशिश के तौर पर इस प्रकार मदद की गुहार लगाते हुए यह प्रस्ताव रख रहे हैं। इस एसेंब्ली का यह बड़ा अपमान है।

18 तारीख को सम्माननीय वाइसरॉय का बयान प्रकाशित हुआ। उसके बाद सात दिन बीत गए। उस वक्तव्य पर राय प्रकट करने के लिए यह प्रस्ताव नहीं रखा गया है। यह क्षुद्र और छिछोरा है। मैं इस बारे में काफी कुछ बोल सकता हूं। हरेक को अपने प्रतिस्पर्धी की आलोचना करने का मौका मिलता है। लेकिन सम्माननीय खेर ने विनति की है कि हम मतभेदों को भूल जाएं। इसलिए पहले मैं यह बताता हूं कि इस प्रस्ताव के किस हिस्से के साथ मैं सहमत हूं। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदी लोगों को अपनी इच्छा के खिलाफ इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। हमारी विदेश नीति अंग्रेजों के साम्राज्य के साथ जुड़ी है। उपनिवेशों जितना भी हमारा दर्जा नहीं है।

*जनता : 28 अक्तूबर, 1939

अपनी सुरक्षा के लिए हिंदुस्तान समर्थ नहीं है। गोलमेज परिषद के दौरान हमने मांग की थी सुरक्षा विभाग को भी विधिमंडल के तहत लाया जाए। लेकिन अंग्रेज सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं किया। इतने भर के लिए काँग्रेस के साथ हम सहमत हैं।

दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रों को जेरेमी बेंथम ने योग्य संविधान बना कर दिया लेकिन वह असफल रहा। कपड़ा जिस प्रकार सही नाप का होना जरूरी होता है उसी प्रकार योग्य संविधान होना भी जरूरी होता है। गृहमंत्री सम्माननीय मुंशी जी के साधारण डील-डौल वाले शरीर के नाम से बने कपड़े मुझ जैसे भारी-भरकम, मोटे शरीर के कैसे काम आएंगे? (हंसी) टेढ़े पैर का जूता सीधे पैर में फिट नहीं बैठेगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जनतंत्र के बारे में सोचना चाहिए। जनतंत्र यानी बहुमत की सरकार। आज मुसलमान, अस्पृश्य अल्पसंख्य हैं और वे अल्पसंख्य ही रहेंगे। उनके साथ बहुसंख्यक हिंदु क्या सहनशीलता, समानता और बंधुत्व भरा व्यवहार करेंगे?

इस पर सम्माननीय खेर ने सहमतिसूचक गर्दन डुलाई। इस बात का जिक्र करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने उदाहरण बताए कि किस प्रकार अस्पृश्य समाज के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। उनहोंने कहा कि 1929 में असपृश्यों के हालात के बारे में पूछताछ करने के लिए नियुक्त कमेटी की रिपोर्ट बेहतर ढंग से बताती है कि 10 वर्ष पूर्व यहां कैसे हालात थे।

आगे उन्होंने पूछा कि क्या इन हालात में कोई फर्क आया है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान काँग्रेस ने कोन्सिल का बहिष्कार किया। उस वक्त वे कहते- कौंसिल में जाना हराम हैं। उसी प्रकार वह यह भी कहते थे कि 'कौंसिल में कौन जाएगा? धेड जाएगा, चमार जाएगा।'' (इस पर काँग्रेस के सदस्यों ने 'नहीं, नहीं' का शोर मचाया) । मैं इस बात का सबूत दे सकता हूं। आखिर उस वक्त टाइम्स को संपादकीय छापना पड़ा था। जाति भूला, धर्म भूला की डींगे हांकने वाले काँग्रेसियों की यही मानसिकता है। फिर मनु कानून को पूजनीय मानने वाले सनातनियों की राय क्या होगी इस बारे में सोचना ही काफी है।

इसके बाद डॉ. अम्बेडकर ने अस्पृश्य वर्ग के साथ हो रहे अत्याचार, अन्याय, जुल्म आदि के 5-6 उदाहरण विस्तार से बताए। प्रांतीय राजनीति में बहुसंख्य हिंदुओं की वर्च. स्विता कैसे है यह उन्होंने राजस्व विभाग के आंकड़ों के सहारे स्पष्ट किया।

इन सभी उदाहरणों को बताने के बाद उन्होंने कहा, नां. मुंशी की उपसूचना से सुरक्षा के तत्व को मान लिया गया है। लेकिन यह सुराा अस्पृश्यों के अधिकृत प्रतिनिधियों के लिए संतोषकारी होना जरूरी है। गृहमंत्री मानते हैं कि वह अल्पसंयकों के ट्रस्टी हैं।

हमारे ट्रस्टी और संरक्षक और कोई नहीं हैं। इसलिए उनकी उप-सूचना को मैं मंजूर नहीं कर सकता। दूसरी उपसूचना में सांसद मुंशी ने हमेशा कहना आधा मान लिया है। आज की राज्य व्यवस्था आर्यों के चातुर्वर्ण्य जैसी है। वे तत्व हैं-क्षत्रिय राज्य चलाएं, ब्राह्मण ज्ञानदान करें, वैश्य व्यापार करें शूद्र और अतिशूद्र सेवा करें। वैश्यों ने अब राजनीति का भी व्यापार शुरू किया है। (हंसी) लेकिन शूद्रों की हालत में कोई फर्क नहीं आया है। इस अन्याय के खिलाफ मेरा खून खौलता है। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक वर्चस्विता के साथ राजनीतिक वर्चस्विता लादने का मैं खून की आखरी बूंद तक विरोध करूंगा। (तालियां) आजादी का मतलब केवल उच्चवर्णियों को स्वतंत्रता और हम पर अधिराज्य ऐसा कभी नहीं हो सकता।

आयलैंड के अलस्टर प्रांत के लोगों ने 'सुरक्षा नहीं स्वतंत्रता चाहिए' का आग्रह किया था। उसका उदाहरण देते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा- "मैं यह नहीं मांगता, हमें जरूरी सुरक्षा दें यही हमारी मांग है। निजी स्वार्थ से देश बड़ा है। मैं अगर अपने स्वार्थ को पूरा करने के पीछे पड़ता तो आज शायद कहीं होता। मेरे लिए दो बातें पूजनीय हैं- देश और जिस जाति में पैदा हुआ, बढ़ा वह अस्पृश्य जाति। अपने समुदाय के लिए मैं बाकी सभी बातों का त्याग करने के लिए तैयार हूं।

बाद में उन्होंने साफ किया कि मुस्लिम लीग जनतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ भले हो स्वायत्तता के खिलाफ नहीं। जनतंत्र, राजसत्ता आदि सब संविधान के प्रकार हैं। स्वायत्तता मुख्य तत्व है ऐसा उन्होंने कहा।

आखिर उन्होंने कहा कि, सम्मानीय मुख्य प्रधान बेहतर कूटनीतिक हैं। लेकिन मंत्रीमंडल के इस्तीफे के लिए उन्हें विधिमंडल की इजाजत क्यों चाहिए यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। यह उनकी पार्टी का मसला है। इस्तीफा देने के लिए अगर उन्हें मेरी इजाजत की जरूरत हो तो मेरे बुलाए बगैर न आने की शर्त मानने के लिए क्या वह तैयार हैं?

162

*न्यायपूर्ण अधिकार पाने के आड़े सरकार आए तो विद्रोह करो, लेकिन अन्याय न सहो

मुंबई इलाका माफीदार (जिनके पास काफी की जमीन है) महार, मांग, वेटिया, परिषद के बारे में जो सूचना-पत्र निकाला गया था वह इस तरह था-

''तारीख 16 शनिवार और 17 रविवार, दिसम्बर, 1939 स्थान हरेगांव, शुगर फैक्ट्री, तहसील कोपरगांव, जिला अहमदनगर, अध्यक्ष- डॉ. बाबासाहेब बम्बेडकर।

सभी माफीदार महार, मांग वेठिया आदि भाई-बहनों को विनति के साथ सूचित किया जाता है कि वतन के बारे में आपके मन में जो गर्व और अपनत्व का भाव है उसे ध्यान में रखते हुए सूचित किया जाता है कि, सरकार माफीदार महार, मांग वेठिया आदि लोगों पर समय-समय पर अन्यायकारी और जुल्मी बंधन लाद रही है। गावकामगार, महार आदि लोग ईमानदारी के साथ सभी सरकारी काम करते हैं, इसके बावजूद पाटील, तलाठी आदि लोगों की शरारतपूर्ण रिपोर्टो के कारण सरकारी काम न करने के जुर्म में उन पर जुर्माना ठोंका जा रहा है। गांवकामगार महारों से पहले जो सरकारी काम करवाए जाते थे वे सभी सरकारी काम उनसे करवा ही लिए जाते हैं लेकिन दरिद्रता से पीड़ित तथा लगाई गई पूलापट्टी बड़ी मुश्किल से जमा करवाने वाले महार आदि लोगों को इनाम में मिली जमीन पर हजारों रुपयों की पूलापट्टी बढ़ा कर उन्हें कंगाल किया जा रहा है। साथ ही उनके लिए अनिवार्य सरकारी कामों का बोझ अलग से उन पर लाद कर उन्हें बेजार, जर्जर कर दिया है।

इन सभी जुल्मों के बारे में जल्द से जल्द सोच कर हमें अपनी योग्य मांगें सामुदायिक रूप से मांगनी चाहिएं। हमारी योग्य मांगों पर अगर सरकार नहीं सोचती है तो अपने साथ हो रहे जुल्मों का कानूनी तरीके से विरोध करना चाहिए। उन सभी महत्वपूर्ण और अपने से संबंधित बातों पर परिषद में विचार किया जाएगा इसलिए आप सभी इस अवसर पर उपस्थित रहने की कृपा करें।

कई मुश्किलों के कारण परिषद में आनेवाले मेहमानों के खानपान का प्रबंध आयोजकों से नहीं किया जा सकता। यह बताने में हमें बेहद कष्ट हो रहा है। इसलिए सबसे विनति है कि वे आते समय अपनी रोटियां साथ ले आएं।

इस परिषद के बारे में अगर कोई पत्राचार करना चाहें तो वे श्री भाऊराव कृष्णराव

*जनता : 9 दिसम्बर और 23 दिसम्बर, 1939

गायकवाड़, एमएलए, नासिक- इस पते पर करें।'' इस सूचना के अनुसार आयोजित मुंबई इलाका महार, मांग, वेठिया वतनदार (माफीदार) परिषद के अध्यक्ष के नाते डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का बेहद बोधप्रद, फड़कता और आस्थापूर्ण भाषण दिनांक 16 दिसम्बर, 1939 को हरेगांव में हुआ।

डॉ. बाबासाहेब ने अपने भाषण में कहा-

आज की परिषद महार, मांग और वेटिया के वतन के बारे में सोचने के लिए बुलाई गई है। परिषद क्यों बुलाई गई इस बारे में इस परिषद के स्वागताध्यक्ष और मेरे मित्र श्री भाऊराव गायकवाड़ ने बताया ही है। उनके भाषण के अनुसार ही मेरा भाषण भी होने के कारण पहले उन्होंने विस्तार से जो जानकारी दी थी उसे मैं संक्षेप में दोहराता हूं। उन्होंने महार मांग, वेठिया माफीदारों की चार प्रमुख शिकायतें आपके सामने रखी हैं। पहली शिकायत है कि सरकार ने अन्यायकारी रूप से बढ़ाई हुई 'पूलापट्टी'। उन्होंने मुआवजा दिए बगैर सरकार ने उनकी जमीनें भी जब्त कर ली हैं। जब्त की गई जमीनों की कीमतों की रकम पर दिया जाने वाला ब्याज भी अब सरकार ने देना बंद कर दिया है।

इस वतनदारी के कारण उनके ऊपर लादे गए काम का मुआवजा नाकाफी तो है ही, आजकल उन्हें दी जाने वाली नकद रकम भी सरकार ने देना बंद कर उन पर एक और जुल्म ढाया है। इस प्रकार दरिद्रता में पिसते रहे इन लोगों का सभी ओर से शोषण किया जा रहा है और उनकी दरिद्रता को बढ़ाया गया है।

इन माफीदारों द्वारा किए जाने वाले 19 कामों को दर्ज करनेवाला एक घोषणा-पत्र काँग्रेस मंत्रीमंडल की ओर से जारी किया गया है। इस घोषणा-पत्र में जो काम दर्ज किए गए हैं उनमें से कुछ काम बेहद कठिन हैं और ये कामगार उसे कर नहीं पाएंगे।

यह हुई काफीदार कामगारों की कथा। इनके अलावा गांवों में ऐसे कामगार भी हैं जिन्हें सरकारी काम करने पड़ते हैं। लेकिन उन्हें जमीनें नहीं दी गई हैं। सरकार से उन्हें तनख्वाह भी नहीं मिलती। भीख मांग कर उन्हें अपना गुजारा चलाना पड़ता है। जान हल्क में आने तक सरकारी काम करने पड़ते हैं। इन ईमानदार नौकरों को सरकार तनख्वाह के बगैर छटपटाते हुए जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर कर रही है। कितना क्रूर अत्याचार है। यह अब पूलापट्टी बढ़ाने की माफीदारों की पहली शिकायत को देखें। इसका पता करने के लिए पहले हमें इस बात का पता होना जरूरी है कि 'पूला' क्या चीज है? सरकारी नौकरों को वतन जमीनें देने की पुरानी परंपरा रही है। यह प्रथा पेशवा और मुसलमानों के दौर में जारी थीं। उस वक्त के हालात आज से अलग थे। आज इंसान की योग्यता के अनुसार उसे नौकरी देने का चलन आम है। लेकिन पुराने जमाने में जमींदार पद्धति के अनुसार नौकरी विरासत में मिलती थी और वंश परंपरा से चलती थी। तब नौकरी का मुआवजा ईनाम में

जमीनें देकर चुकता किया जाता था। आज नौकरों को वेतन दिया जाता है। पहले हर गांव में लेहनादार और बारा बलुतेदार हुआ करते थे। महार उनमें से एक थे। इन लेहनादारों को लगान माफ हुआ करता था। पेशवाई के आखिर में पैसों के अभाव में इन लोगों से थोड़ा लगान वसूला जाने लगा था जिसे 'पूला' कहते थे क्योंकि लगान इनसे नकद में नहीं लिया जाता था, अनाज के के रूप में लिया जाता था। अंग्रेजों का राज शुरू हुआ तब पुरानों में से कुछ वतन नष्ट कर दिए गए और कुछ जारी रखे गए। उसी दौरान आश्वासन दिया गया था कि पूला में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। 1827 से 1875 का पूला न बढ़ाकर इस आश्वासन पर अमल किया गया। 1875 में पूला संबंधित कानून में एक धारा जोड़ी गई कि कामगार महारों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए ही पूलापट्टी बढ़ाई जाएगी। इस धारा के बावजूद अब पूलापट्टी क्यों बढ़ाई जा रही है यह समझ में नहीं आ रहा है। महारों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए यह बढ़ोतरी नहीं की जा रही है इसलिए यह बढ़ोतरी सभी तरह से गैर-कानूनी है। कहा जा सकता है कि पूलापट्टी बढ़ाकर सरकार ही कानून तोड़ रही है। सरकार का कहना है कि रामोशियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए महारों की पूलापट्टी बढ़ाई जा रही है। लेकिन वतन ऐसी अजीब चीज है कि जो एक घराने से दूसरे घराने में नहीं जा सकती। एक महार का वतन दूसरे महार के घराने में तक नहीं जा सकता। इसके बावजूद रामोशियों के लिए महारों की पूलापट्टी सरकार बढ़ा रही है तो आखिर क्यों? कितना बड़ा अन्याय है यह! महार गरीब हैं और सरकार ने अपने बर्ताव से यही साबित किया है कि गरीब का रक्षक कोई नहीं होता। हिंदुओं की तरह सरकार की भी शायद यही राय है कि महार आंदोलन करते हैं, उनकी आंखों में चर्बी चढ़ गई है। वरना महारों से छीन कर रामोशियों की तनख्वाह क्यों बढ़ाई जाती? मेरी राय यही है कि रामोशियों को भी भरपूर तनख्वाह दी जानी चाहिए, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि महारों से खसोट कर इस प्रकार तनख्वाह बढ़ाने में क्या तुक है? यह अन्यायपूर्ण है।

आज इस हिन्दुस्तान में कई ऐसे वतनदार लोग हैं जो सरकार का रत्तीभर काम नहीं करते। उनके रुपयों से रामोशियों की तनख्वाह बढ़ाने में हर्ज ही क्या है यह समझ नहीं आता।

पेशवाकाल में देसाई, देशपांडे, देशमुख, कुलकर्णी, पोतदार, पाटील आदि कई जागीरदार हुआ करते थे। सिफारिशों से उनकी संख्या काफी बढ़ गई थी।

अंग्रेजों के राज में अब उनके लिए कहीं कोई काम नहीं बचा है। उनकी नौकरियां गईं लेकिन नौकरी के रहते उन्हें दी गई जमीनें उन्हीं को दे दी गई हैं। उनकी आमदनी से प्रति रुपया पांच आने काट कर बारह आने उन्हें दिए जाते रहे। इस प्रकार पुराने जमाने के नौकरों को वंश परंपरा से बनी सरकार ने रैयत के पैसों से पेन्शन दी ऐसा भी कहा जा सकता है।

अब रामोशियों की तनख्वाह देते हुए महारों की पूलापट्टी बढ़ाने के बजाय बेकार बैठ कर खाने वाले पेंशनरों की पूलापट्टी क्यों नहीं बढ़ाई गई? मेरी राय में इसकी केवल एक ही वजह है 'देवो दुर्बलघातक :'। विरासत से पेंशन का लाभ लेने वाले लोगों पर पूलापट्टी चढ़ाकर दरिद्रता में परेशान महारों और रामोशियों को सरकार सुखी कर सकती थी। लेकिन पूंजीवादी सरकार को यह भला कैसे रास आता?

पुराने जमाने में जागीरदारों का एक वर्ग हुआ करता था। ये लोग सैनिकों को पालते और जरूरत पड़ने पर सरकार की मदद करते। तब उन्हें भी उस जमाने में सरकार से जमीनें मिली हुई हैं। आज इन लोगों पर फौज पालने की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जमीनें आज भी उन्हीं के कब्जे में हैं और इन जमीनों से उन्हें आज 2,67,501 रु. की आय होती है। इस रकम से भी रामोशियों को तनख्वाह बढ़ा कर दी जा सकती थी। लेकिन ऐसा अगर करती तो सरकार बेशर्मी से महारों की ऐसी बुरी गत कैसे करती? इन उदाहरणों से क्या यह बात साबित नहीं होती कि हमारी माई-बाप सरकार मुफ्तखोरों की ही तरफदारी करती है?

अब हम गांव के लिए काम करनेवालों के पारिश्रमिक के मसले पर सोचें। गांवों में पाटील, कुलकर्णी और महार सरकारी कामगार हैं। उनके साथ सरकार का रवैया किस प्रकार पक्षपातपूर्ण होता है यह आगे बताए जा रहे उदाहरण से स्पष्ट होता है-

गांव के पाटील को सरकार पासोडी (कपड़ा), जमीन, लगान के अनुपात में पेशगी और ऊपरी खर्चे के लिए रकम दी जाती थी। केवल कुछेक गांव कामगार महारों को ही लेकिन जमीनें दी गई हैं। कोकण के महारों के पास जमीनें नहीं थीं और देश के महाराष्ट्र में सह्योद्री के पास का इलाका) कई गांवों के महारों के पास भी जमीनें नहीं हैं। जमीन न होने के कारण इन सरकारी नौकरों को पूरी तरह बलूते पर ही निर्भर रहना पड़ता है यह अलग से बताने की जरूरत नहीं। क्या सरकारी कामों के लिए गांव कामगारों को तनख्वाह देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? इस जिम्मेदारी के झटक देने वाली सरकार अन्यायी है। और यह भी कहना पड़ेगा कि ऐसी सरकार की चाकरी करने वाले महार भी नादान ही हैं। सरकार महारों के समधी या जंवाई तो नहीं है उन्हें सरकार की मुफ्त में सेवा चाकरी करनी पड़े। मालिक तनख्वाह नहीं देता तो उसे लात मारना नौकरों को सीखना होगा। इस परिषद के द्वारा हम आज सरकार को छह महीने की नोटिस देते हैं। इसने समय में महार कामगारों को तनख्वाह देने का प्रबंध अगर सरकार करती है तो ठीक, वरना बिना वेतन काम करने वाले इलाके भर में कामगारों को हड़ताल पुकारनी चाहिए।

सरकार ने हाल ही में उन 19 कामों की फेहरिस्त सार्वजनिक की है जो इन कामगारों को करने होते हैं। जबसे यह सूची सार्वजनिक की है तब से श्री रणखांबे कहते फिर रहे हैं कि ये काम स्वतंत्र लेबर पार्टी ने महारों पर लादे हैं। कोई अगर कहने लगे कि स्वतंत्र लेबर पार्टी मूर्खता कर रही है, पक्ष गलती कर रहा है तो इस बारे में स्वतंत्र लेबर पार्टी अपना कहना योग्य है यह वाद-विवाद कर साबित कर सकती है। लेकिन स्वतंत्र

लेबर पार्टी बेईमान है'। यह कोई घी पाने के लालच में कहने लगे तो कहने के बगैर कोई चारा नहीं रहेगा कि वह हरामखोर है।

स्वतंत्र लेबर पार्टी अगर बेइमान होती तो राजनीति में बहुसंख्यक काँग्रेस का वह खुले आम सीना ठोकर विरोध नहीं करता। गांधी की पार्टी से जाकर मिलना, उस पक्ष की खुशामद करना आदि के लिए आपका विशेष ईमानदार होना जरूरी नहीं। उस पक्ष से जा मिलना, उसे सहयोग देना आसान है। दो पैसों की गांधी टोपी पहनने वाले को उस पार्टी में मंत्री पद भी प्राप्त होता है। उस पार्टी से मिलना, उनकी जय करना कोई सूली पर लटकाई मिठाई निकाल कर खाने जितना मुश्किल काम नहीं है। इस बात को हमारे आलोचक ध्यान में रखें।

अब सरकार द्वारा सार्वजनिक किए गए गांव कामगारों के कामों के बारे में सोचते हैं। इस बारे में गांव कामगारों को एक बात ध्यान में रखनी होगी, अगर उनहें वतन चाहिए तो वतन के लिए काम करना ही पड़ेगा। वतन चाहिए लेकिन काम नहीं चाहिए कहने से चलेगा नहीं। लेकिन गांव कामगारों की सूची में महारों पर लदे निम्नांकित काम अगर उन्हें करने हों तो उन्हें हर रोज मजदूरी देनी जरूरी है। सरकार का लगान ले जाकर तिजोरी में भरना, सरकारी कागजातों का लाना-ले जाना, सरकारी डाक ले जाना, लाना, मवेशीखानों से चौपायों को नीलामी के लिए के जना अधिकारियों के लिए तंबू लगाना आदि काम बिना दिहाड़ी दिए महारों से करवाना बेगार करवाना ही है, एक तरह का जुल्म ही है। गांव ही में जो काम करने हैं वे हमेशा की तरह चलते रहें लेकिन बाहर गांव जाकर किए जाने वाले काम बिना दिहाड़ी के कोई भी ना करें। इस तरह के बाहर जाकर किए जाने वाले कामों के लिए कामगार को कम से कम आठ आने की दिहाड़ी तो मिलनी ही चाहिए।

15 नवम्बर का काम है लापता व्यक्ति की लाश को ठिकाने लगाना। कोई भी स्वाभिमानी महार यह काम करने के लिए तैयार नहीं होगा।

काम नं. 2 है सरकारी जानकारी देने के लिए लोगों को बुलाना। यह काम घर-घर जाकर बुलाने के बजाय ढिंढोरा पीट कर बुलवाना चाहिए। जन्म-मृत्यु दर्ज को करने का काम महारों पर लादना अन्यायकारी होगा। जिसके घर जनम या मृत्यु होगी उनहीं पर उस घटना को दर्ज करने की जिम्मेदारी होनी चाहि। इस प्रकार जागीरदार महार, मांग और वेठियों की बहुत सारी शिकायतें हैं। उनका निवारण करने के लिए हमें गवर्नर साहब के पास डेप्युटेशन ले जाना होगा। उन्हें अपनी अड़चनें समझा कर बतानी होंगी। इस बारे में एक विस्तृत अर्जी हमें सरकार को देनी होगी। इससे हमारा काम बन जाए, शिकायतों का अगर निवारण हो तो ठीक है वरना हमें सत्याग्रह करना होगा। इस अन्याय का हमें विरोध करना होगा।

आज हमारा हाल पुराने कपड़े की तरह हुआ है। थेगलियां जोड़ कर काम नहीं बनेगा। आकाश में कहां तक थेगलियां लगाओगे? बतनों को छोड़े बगैर कोई दूसरा इलाज नहीं है।

1926 से मैं यह बात बता रहा हूं। उस वक्त वतन, महारकी, डल्या, सागुती के मोह से आप उबर नहीं पा रहे थे। आज आपकी नजरों से मोह का पर्दा हटा हुआ देखकर मुझे कृतार्थ महसूस हो रहा है!

जागीरें छोड़ें लेकिन जमीनें हाथ से जाने दें। लगान अदा करें और वतन पाने की गुलामी से मुक्त होकर स्वाभिमानी किसान बनें। औरों के वतन बिना काम किए भी छीने नहीं गए हैं। आज कुलकर्णियों की पांचों उंगलियां घी में हैं। सरकार ने उन्हें मानों पेन्शनर ही बना दिया है। ऐसे में सरकार अगर आपकी न्यायपूर्ण हकों में अड़ंगे डालने लगे तो जरूर विद्रोह करें, अन्याय कदापि सहें नहीं।

न्याय पाने के लिए हम एक कमेटी नियुक्त कर शुरूआत करेंगे। हम सरकार को अर्जी भेजेंगे। डेप्युटेशन ले जाएंगे। सब कुछ कानूनी ढंग से करेंगे। इसी से हमारा काम चलेगा ऐसी आशा है। इसके बावजूद अगर काम नहीं होता तो क्या करना है यह भी हम तय करेंगे। आखिर मेरे वतन बिल का क्या बता कर मैं अपना भाषण पूरा करता हूं।

काँग्रेस सरकार सत्ता में आने से पहले तात्कालिक कूपर मंत्रीमंडल अस्तित्व में था। उसमें मंत्री बनने से इनकार करने के कारण कुछ समय तक काँग्रेस की सभाओं में मेरा सम्मान काफी बढ़ गया था।

---

*''स्वतंत्र लेबर पार्टी लेबर पार्टी की राय थी कि भारत का नया संविधान यानी भारत सरकार अधिनियम दोषपूर्ण था और पूर्ण जिम्मेदार प्रशासन के लिए वह पूरा नहीं पड़ता था। काँग्रेस पार्टी भी इस संविधान से संतुष्ट नहीं थी। वह उसे तोड़ना चाहती थी। पहले उन्होंने काम करने से इनकार किया। लेकिन आगे जुलाई, 1937 में उन्होंने सरकार बनाई। तब धनजी शाह कूपर अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री बने। कुछ समय तक वे लोग प्रशासन चलाते रहे। सर धनजी शहा ने डॉ. अम्बेडकर को आमंत्रण दिया था लेकिन डॉ. अम्बेडकर ने उसे अस्वीकार किया था। क्योंकि उनकी राय में सर धनजी शहा के शासन के लिए बहुसंख्यकों का समर्थन नहीं था और इसलिए वह विधिग्राह्य सरकार नहीं थी। इसीलिए हमारे पक्ष ने उस वक्त सरकार में प्रवेश नहीं किया।'' – न्या. आर. आर. भोले का लिखा, 'स्वतंत्र लेबर पार्टी और मुंबई विधानसभा'' शीर्षक वाला लेख– डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर गौरव ग्रंथ– महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृति मंडल, मुंबई–136 37।

काँग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद मेरे वतन बिल को मंजूरी देने की बात उन्होंने स्वीकारी थी। लेकिन समयावकाश काँग्रेस के दिन फिरे। इसकी मुझे फिक्र नहीं। मेरे हाथ में अभी भी कुछ बाण बचे हुए थे। पुणे करार से पहले गांधी ने अनशन रखा था। मुझे उम्मीद थी कि उसके बाद उनका और काँग्रेस का दिल बदलेगा। मुझे उम्मीद थी कि हम एक–दूसरे के सहयोग से काम करेंगे। लेकिन आखिर यही अनुभव प्राप्त हुआ कि चोरों के साथ सहयोग संभव नहीं। आज काँग्रेस पूर्ण स्वाधीनता चाहती है। स्वाधीनता देने से पूर्व हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए यह हमारी शर्त है। औरों को एक रोटी देते समय चौकोर रोटी हमारे हिस्से में आनी चाहिए। हमें भूखा रख कर अगर कोई भोज उड़ाने लगे तो उनके खाने में मिट्टी मिलाए बगैर हम चुप नहीं रहेंगे। ऐसे हालात में आप सब एकजुट होकर और प्रतिकार की जरूरत आने पर जोरदार लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए।

163

*युवकों, निर्भय बनो : स्वाभिमान डिगने न दो

अंकलखोप में 24 दिसम्बर, 1939 के दिन दोपहर में सातारा जिला अस्पृश्य युवक परिषद हुई थी। परिषद की अध्यक्षता करना डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने स्वीकारा था। सभा के लिए बड़ा जनसमुदाय उपस्थित था। अंकलखोप जाते हुए रास्ते में भिलवडी गांव की महिलाओं ने डॉक्टर साहब की आरती उतार कर उनके प्रति अपने मन में बसे अपार भक्तिभाव को व्यक्त किया। स्वागत मंडल के अध्यक्ष मि. पी.टी. मधाले और अन्य सदस्यों ने बड़ा जुलूस निकाल कर डॉक्टर साहब के साथ मंडप में प्रवेश किया। सभा में उपस्थित जन-समुदाय ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ डॉक्टर साहब का स्वागत किया।

परिषद के स्वागतध्यक्ष श्री मधाले ने स्वागत में भाषण किया। उसमें वह बोले, ''हम अस्पृश्यों पर डॉ. बाबासाहेब के भगवान से भी अधिक उपकार हैं। सज्जनों की रक्षा कर दुर्जनों का परिहार करने के लिए परमेश्वर ने दस अवतार धारण करने की कथा हिंदू धर्म में बताई जाती है। लेकिन इन दस में से किसी एक अवतार को भी हम अस्पृश्यों का तथा हम पर हो रहे जुलमों का ख्याल नहीं आया। आजकल हमें हरिजन कह कर प्यार जताने वाले महात्मा ने भी हमारे स्वाभिमान के लिए पोषक कार्य कभी नहीं किया है।

स्वागताध्यक्ष के भाषण के बाद डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का अध्यक्षीय भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में कहा-

'बहनों, युवा मित्रों और भाइयों,

आज की सभा मुख्यत: युवाओं की है। आज की सभा के अध्यक्ष, मेरे मित्र मधाले युवा ही हैं। आपको लगता होगा कि आज की सभा में केवल युवाओं के लिए ही भाषण होगा। लेकिन आज की सभा में युवाओं के साथ-साथ युवाओं में गिने न जा सकने वाले लोग भी हैं। उन्हें भी लगता होगा कि मैं हमारे समाज को जिन विषयों में दिलचस्पी हो उन पर मेरे बोलने की उम्मीद तो होगी ही। इसलिए, पहले इन लोगों से दो शब्द कह कर बाद में मैं युवाओं के सवालों की ओर मुड़ंगा। (यहां डॉक्टर साहब ने हरेगांव के महार वतनदार कामगारों की सभा में जिन मसलों के बारे में बताया था उन्हें फिर विस्तार से समझाया)।

---

*जनता : 6 जनवरी, 1940

फिर युवाओं को उद्देश्य कर वह बोले– 'जनता' में मेरे विचार हर हफ्ते प्रकाशित होते रहते हैं। यह अखबार पढ़ने से आपको अपने से जुड़े सवालों की जानकारी मिलती रहेगी।

हमें स्वाभिमान की बहुत जरूरत है। स्वाभिमान को छोड़कर जो उन्नति हासिल की जाती है वह किसी काम की नहीं होती। हर युवक को अपने मन में एक बात गांठ मार कर रखनी चाहिए कि हम भी औरों की तरह की इंसान हैं।

भगवान को कभी यह मंजूर नहीं होगा कि महारों को महारबाड़े में ही रहना चाहिए। हजारों सालों से हम पर जो जुल्म जबरदस्ती होती आई है उसके कारण हमारे समाज की भावनाएं मर–सी गई हैं। ब्राह्मणों के राज्य में हम अगर स्वाभिमान से बरतते तो हम पर 'औकाल भूलने' का आरोप मढ़कर हमें हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया होता।

हमें उन्नति का मार्ग खुद बनाना होगा। जो भी आरीव और अमंगल हैं वे सभी रिवाज हमें छोड़ देने होंगे। 'जो झोली में पड़े वह खाने और रोटी के टुकड़े चबाने' के दिन अब लद गए हैं। हमारे लोगों को भी समाज के अन्य लोगों की तरह हमारे लोगों को भी अधिकार के पद मिलने चाहिएं। हमारे लोगों की अब पुलिस में बहुत कम संख्या में ही सही लेकिन भर्ती होने लगी है। आज भी हमारे सुशिक्षित युवाओं को पुलिस विभाग में अधिकार के पद नहीं मिलते यह दुख की ही बात है। सरकार को आज भी यह डर लगता है कि अस्पृश्य को अधिकारी नियुक्त किया तो उसके मातहत काम करने वाले स्पृश्य लोग नाराज हो जाएंगे। क्या यह इस देश का दुर्भाग्य नहीं है?

जरूरत है हमें अपने अंदर निर्भयता को पनपने–पलने देने की। अपने समाज को दुनिया में सम्मान दिलाने के लिए हमें अपनी जान की कुर्बानी देने तक के लिए तैयार रहना होगा। हम सब इस प्रकार तैयार होंगे तो कोई हमारा अपमान करने की हिमाकत नहीं कर सकता। आप सभी युवाओं से मेरा यही कहना है कि 'निर्भय बनें और दुनिया पर राज करो।'

अब हमारी राजनीति के बारे में मैं आपको दो–चार शब्दों में बताता हूं। हिन्दुस्तान में अपनी राजनीति का मामला फिर से शुरू होगा, ऐसा लगता है। काँग्रेस पार्टी और अस्पृश्य इन दोनों के बीच मतभेदों का आमने–सामने बैठकर हल नहीं निकल सकता।

हमें मिले हुए राजनीतिक अधिकार नाकाफी हैं। काँग्रेस के राज में भी हमारे हितों की रक्षा नहीं होती। काँग्रेस को जब अधिक अधिकार मिलते हैं तो उनके द्वारा हम पर होने वाले जुल्म भी बढ़ते हैं।

अल्पसंख्यकों का एक दोष है कि वे केवल अपने बारे में सोचते हैं। ब्राह्मणेतर

पार्टी का उदाहरण हम लें। जो गैर-ब्राह्मण काँग्रेस में शामिल हुए उनसे मेरा सवाल है कि उन्होंने क्या पाया? आगे जो आंकड़े मैं दे रहा हूं उनसे पता चलेगा कि गैर-ब्राह्मणों का काँग्रेस के पीछे चले जाना आखिर केवल भुलावा ही साबित हुआ है। गैर-ब्राह्मणों की जनसंख्या 75 प्रतिशत है, और पक्षों की जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा 25 प्रतिशत तक हो सकती है।

मुंबई विधिमंडल में 27 ब्राह्मण सदस्य हैं। मंत्रीमंडल में तीन ब्राह्मण मंत्री हैं। प्रांत के 75 प्रतिशत गैर-ब्राह्मणों के लिए इस मंत्रीमंडल में एक ही 'दृष्टि मणि' यानी नजर न लगे इसलिए लगाया जाने वाला टीका है। इसीसे पता चलता है कि काँग्रेस में शामिल हुए गैर-ब्राह्मणों को आखिर क्या मिला?

राजस्व विभाग का भी यही हाल है। इलाके के उत्तर दिशा के हिस्से में चौबीस मामलतदारों में से दस मामलतदार ब्राह्मण हैं। अन्य हिस्सों में भी ऐसी विषमता ही दिखाई देती है। इससे यही बात साबित होती है कि हिंदी राजकाज को फिर भले वह अंग्रेजों द्वारा चलाया जाए या काँग्रेस के हाथ में बागडोर हो-जाहिर है कि ब्राह्मणबाधा हुई है। ब्राह्मण्य महाभयंकर विष है। हलाहल से भी वह भयंकर है इसलिए शंकर भी इसे पचा नहीं सकता। इस विष के इलाज के रूप में बुद्ध ने अवतार धारण किया। ब्राह्मणवाद पर हमला किया। आज के काँग्रेसी गैर-ब्राह्मणों को छकाने के लिए 'रे मार्केट' को 'फुले मार्केट' बनाते हैं। इसी प्रकार बुद्धकालीन ब्राह्मणों ने 'इंद्र, अग्नि, वरुण' आदि वैदिक देवताओं की जगह 'राम, कृष्ण' आदि क्षत्रिय देवों की रचना की और अपने युग के ब्राह्मण्य विरोधकों को छका कर अपना आसन स्थिर किया। जो हो, अगले चुनावों में अपने विभाग से एक उम्मीदवार को जिता दें और राजनीतिक सत्ता को हासिल करने की राह पर आगे बढ़ें। दरिद्रता के कारण हमारे छात्रों को कई मुसीबतों को झेलना पड़ता है। इस प्रकार मुश्किलों का सामना करने वाले छात्रों को बरगला कर उन्हें स्वाभिमान शून्य बनाने के लिए श्री भाऊराव पाटील और हरिजन सेवा संघ ने जगह-जगह जाल बिछाए रखे हैं। भीष्माचार्य जैसा वीर कौरवों का अनाज खाने के कारण पांडवों के न्यायपूर्ण पक्ष में नहीं आ सका। इस बात को ध्यान में रखें। 'अर्थस्य पुरषे दासः' जैसी अपनी हालत मत बनाइए। अपने लोगों द्वारा चलाए जा रहे बोर्डिंग के लिए ही मदद दें। उसका फायदा भी लें। सातारा जिले में मेरे मित्र श्री सावंत ने एक बोर्डिंग खोला है। आप लोग इस संस्था की भरपूर मदद कीजिए। गरीब छात्रों को उसका फायदा दिलाएं। यही मेरी आप सभी से आग्रहपूर्वक विनती है।

164

*सभी पिछड़ी जातियां एकजुट होकर काम करें

25 दिसम्बर, 1939 को बेलगांव में मुस्लिम लीग की ओर से मु.अ. जिन्ना की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को भी आमंत्रित किया गया था। सभा में अध्यक्ष बने थे बेलगांव के मौलाना कुतुबुद्दीन अहमद। तीन हजार से अधिाक लोगों ने इस सभा में हिस्सा लिया।

अध्यक्ष की विनती के अनुसार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा–

अध्यक्ष महाराज और मुसलमान भाइयों,

मुझे लगा था कि यहां बोलना नहीं पड़ेगा। लेकिन सभा के अध्यक्ष ने मुझसे बोलने की विनति की है, इनकार कर मैं उन्हें निराश करना नहीं चाहता।

आज हम अपने नेता जिन्नासाहब की वर्षगांठ मनाने के लिए यहां इक्ट्ठा हुए हैं। मेरा और उनका व्यवसाय एक ही है। हम दोनों बैरिस्टर हैं। गोलमेज परिषद में हम दोनों ने बराबर में काम किया है। काँग्रेस उनसे जितनी नाराज है उससे अधिक मुझसे नाराज है।

मैं जितना बैरिस्टर जिन्ना को जानता हूं उससे कह सकता हूं कि किसी के बहकावे में न आने वाले मुसलमान नेता हैं। वह अग्रगण्य नेता है। किसी के धन पर वह ललचाएंगे नहीं। उन्हें खरीदना संभव नहीं। उनके निर्लोभी होने के कारण ही उनके बारे में मेरे मन में बेहद आदरभाव है।

इस अवसर पर मुसलमानों की राजनीति के बारे में आपको दो बातें बताना गैर–वाजिब नहीं होगा। हम सब हिंदी है यह बात मुसलमानों को भूलनी नहीं चाहिए। हमारी पैदाइश यहीं की है और हम इसी देश में मरने वाले हैं यह बात पक्की है। अपना देश आजाद रहा तभी हम भी आजाद रहेंगे यह भी सही है। इसीलिए, जाहिर है कि देश की आजादी को संकट में डालने वाली नीति हमें नहीं रखनी चाहिए।

कुछ मुसलमान लोग मानते हैं कि हिंदुस्तान हमारा देश नहीं है बल्कि अफगानिस्तान, अरबस्तान, टर्की आदि हमारे देश हैं। लेकिन मैं आपसे यह पूछता हूं कि हिन्दुस्तान

*जनता : 30 दिसम्बर, 1939

और अफगानिस्तान या अरेबिया या टर्की के बीच अगर लड़ाई छिड़ जाए तब हिंदी मुसलमान किसकी तरफदारी करेंगे? हिंदुस्तान की या विदेशियों की? हिंदुस्तान की आजादी की जिम्मेदारी हम सब पर है यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। वे अगर अपनी इस जिम्मेदारी को टालेंगे तो बताना नहीं पड़ेगा कि हिंदी जनता का उन पर का विश्वास उठ जाएगा।

दूसरी बात यह कि मुसलमान अगर सभी हिंदुओं पर आरोप मढ़ेंगे तो वह सही नहीं होगा। उनका ऐसा गलत होगा। मैं यहां आया तब मुझे बताया गया कि लिंगायत और मराठा लोग यहां ब्राह्मणों के खिलाफ हैं। इन लोगों के बीच बातचीत भी नहीं है। लिंगायत, मुसलमान, मराठा और अस्पृश्य सभी पिछड़े हुए हैं। इन सभी समान रूप से दुखी लोगों को आपस में सहयोग का बर्ताव रखने में क्या हर्ज है?

सच बात तो यह है कि केवल ऐसा करने से ही उनका हितसाधन हो सकता है यह मानने के अलावा कोई और चारा नहीं है। सन् 1937 से पहले मुंबई सरकार के दिवाण क्या लिंगायत, मराठा और मुसलमान जाति के ही नहीं थे। वे आपस में लड़ते नहीं थे, मिल-जुल कर काम किया करते थे। सो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप सब मिल-जुलकर सहयोगिता से काम क्यों नहीं कर सकते? अपनी जाति के हित के लिए भले हर जाति विभिन्न संस्थाएं चलाएं लेकिन जब तक वे राजनीति के क्षेत्र में एक साथ मिलकर काम नहीं करते तब तक उनका कल्याण संभव नहीं यह बात पक्की हैं। मेंढकी चाहे जितना फूले, बैल नहीं हो सकती। यह बात जाति की संस्थाओं के बारे में भी सच है। प्रांत एसेंब्ली में मुसलमानों के तीस प्रतिनिधि हैं। मुसलमान समाज ने अगर बाकी समाज के साथ मिल-जुलकर नहीं रहना तय किया तो उनके कुल 30 प्रतिनिधियों की संख्या वे इकत्तीस भी नहीं कर पाएंगे। तीस मुसलमान प्रतिनिधि चाहे जितना अपने को मुसलमान कहलवाकर हल्ला मचाएं, अन्य पिछड़ी जातियों से दूरी बना कर रहें तब भी इन जातियों का इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इसीलिए मुसलमान समाज को अन्य छोटे गुटों को सहयोग देना ही चाहिए यह उनके प्रति मेरा आग्रह है। इस तरह, के बर्ताव में ही उनका हित है।

165

*अन्याय करने वालों को स्वराज मांगने का कोई अधिकार नहीं

26 दिसम्बर, 1939 को सुबह 10 बजे बेलगांव म्युनिसिपालिटी द्वारा डॉ. अम्बेडकर को मानपत्र दिया गया। उस सम्मान-पत्र के लिए जवाब देते हुए उन्होंने कहा-

आज शाम यहां आयोजित स्वतंत्र लेबर पार्टी की परिषद के अध्यक्ष के रूप में आज शाम मुझे भाशण देना ही पड़ेगा। आप में से जिन्हें मेरी राजनीतिक भूमिका जानने की जिज्ञासा है वे सब मुझे उम्मीद है कि हम परिषद में उपस्थित रहेंगे। सो, यहां मुझे विस्तृत भाषण देने की जरूरत नहीं है। आपने आज मुझे जो मानपत्र दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मुझे पता चला है कि आज तक आपने राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को जो मानपत्र दिए उनके लिए सभी की सहमति नहीं थी। हालांकि मुझे सबकी सहमति से मानपत्र दिया जा रहा है, इसका भी मुझे पता चला है। इससे ऐसा हर्गिज नहीं माना जाना चाहिए कि बेलगांव म्युनिसिपालिटी के सभी पक्षों के सभी सदस्यों का मुझसे स्नेह है। हो सकता है इसके पीछे यही उद्देश्य हो कि मेरे ज्योतिबा को तेल लगाने के पीछे आपकी मंशा यह हो कि हमारे लोग आपके खंडोबा का भंडारा लगा लें। मेरा तर्क इसी दिशा का संकेत दे रहा है। असल में, मैं जो काम कर रहा हूं वह आप ही काम है। पीढ़ियों से आपने जो पाप किए हैं, मुझे उन्हें निपटाने पड़ रहे हैं। इन पापों की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। वह अस्पृश्यों पर भी नहीं है। वह पूरी तरह आप स्पृश्यों पर ही है। यह बात आपको भूलनी नहीं चाहिए।

मैं साफ-साफ आपको बता दूं कि इस पाप को कायम रखते हुए आप स्वराज का जो आंदोलन कर रहे हैं और पूर्ण स्वराज की आपकी जो मांग है वह मेरे मन में शक पैदा करती है। अस्पृश्यों को पीने के लिए पानी नसीब नहीं होता, जनसंख्या के अनुपात में उन्हें नौकरियां नहीं मिलतीं जैसे सभी अन्यायों की जिम्मेदारी आप पर ही है। दूसरों को मुश्किल में डाल कर स्वराज मांगने का आपको क्या कह है यह मेरी समझ में नहीं आता।

अपना राजनीतिक काम थोड़ी देर के लिए रोक कर आप अगर अस्पृश्यता को नष्ट करेंगे तभी साबित होगा कि आप ईमानदार हैं। अपने विचारों को आपके सामने मैंने दिल खोल कर रखें हैं। मैं बड़ा देशद्रोही हूं, अंग्रेजों को मैं बगल बच्चा हूं, स्वराज के राह को मैं पत्थर हूं, मैं असुर हूं, इस प्रकार की बातें अपने को सत्य और अहिंसा की भक्त कहलाने वाली कॉंग्रेस जब फैला रही हो तब आपने यह मानपत्र देकर मेरा जो सम्मान किया और अपनी बिरादरी को जवाब दिया इसके लिए आपके प्रति धन्यवाद प्रकट कर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

---

*जनता : 30 दिसम्बर, 1939

166

*स्वराज आपका और राज हम पर

26 दिसम्बर, 1939 को डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने बेलगांव जिला स्वतंत्र लेबर पार्टी की बेलगांव में आयोजित परिषद को संबोधित किया।

अपने भाषण में उन्होंने कहा–

यहां मैं पहली बार आ रहा हूं। स्वराज की स्थापना होने के बाद पिछले 27 महीनों से यहां काँग्रेस का राज था। अब नहीं है। अल्पसंख्यकों ने भगवान को काँग्रेस की सरकार जाने का धन्यवाद दिया। हालांकि कई लोग यह भी कह रहे हैं कि 22 तारीख को जो भी हुआ वह देशद्रोह है। यह कार्यक्रम स्वराज की राह का अड़ंगा है ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन मुसलमान अस्पृश्य, पारसी आदि सबने संगठित होकर राजकाज के बारे में शिकायत की और न्याय की मांग की। शिकायतों के बारे में पूछताछ करने भर की हमारी मांग है और हमें देशद्रोही करार दिया गया।

व्यापक नजरिए से सोचें तो उसमें तीन महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला– हिंदू मुसल. मानों के एक हुए बगैर संभव नहीं। दो– केवल हिंदुओं के बारे में सोचें तो उसमें ब्राह्मण–ब्राह्मणेतर के कई भेद हैं। तीन– हिंदु अस्पृश्यों की लड़ाई। कुछ लोग कहते हैं कि ये सवाल स्वार्थ से उपजे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी गहरी जड़ें हैं। काँग्रेस का कहना है कि राष्ट्र की सत्ता अपने हाथ रहे। फिर आपने मुस्लिमों के लिए क्या किया? हिंदु–मुसलमानों के बीच बड़ी दुश्मनी है। आज से पहले कभी वह इतनी बढ़ी नहीं थी। मुसलमानों को लगता है कि हिन्दुओं के राज्य में रहना ही नहीं है। उन्हें लगता है कि हिन्दुस्तान के दो टुकड़े होने चाहिए। इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? काँग्रेस जिम्मेदार है। स्व. तिलक को मुस्लिमों से प्रेम नहीं था। लेकिन जैसे ही पता चला कि मॉटेग्यूसाहब हिन्दुस्तान आ रहे हैं, उन्होंने मुसलमानों से कहा कि आपको जो चाहिए वह सब हम आपको देते हैं। यह कह कर उन्होंने लखनऊ पैक्ट करवाया। लेकिन आज काँग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं? लेन–देन की कोई बात तो ये करते ही नहीं।

अब ब्राह्मण गैर–ब्राह्मण विवाद क्या ये खत्म हुआ है? सबको सम्मान के पद मिल रहे हैं इस बात का यकीन काँग्रेस में गए हमारे मित्र रा. ब. आंगड़ी देंगे क्या? वह आज यहां उपस्थित हैं। आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं। काँग्रेस के सातों प्रांतों में मुख्यमंत्री

*जनता : 6 जनवरी 1940

ब्राह्मण ही हैं। और हमारे इलाकों में 7 मंत्रियों में से 3 ब्राह्मण, 1 मराठा, 1 पारसी, 1 मुसलमान और 1 जैन है। अब हम नौकरियों के बारे में सोचें। मुंबई इलाके के रा. जस्व विभाग को लीजिए। उसमें सभी ब्राह्मण ही हैं। मामलातदारों का उदाहरण लीजिए। इलाके में कुल 188 मामलातदार हैं लेकिन जाति के हिसाब से देखें तो ब्राह्मण हैं 83, बनिए 11, मुसलमान 23, मराठे 18, लिंगायत 10, ढोर 1, और अन्य जातियों के 43 हैं। महालकरी कुल 35 हैं जिनमें 20 ब्राह्मण हैं, 2 बनिए हैं, 5 मुसलमान हैं, 3 मराठा हैं और अन्य 5 हैं। हेडक्लर्क 217 हैं जिनमें से 111 ब्राह्मण, 12 बनिए, 10 प्रभु, 14 मुसलमान, 14 मराठा, 7 लिंगायत और अन्य 49 हैं। महालकरी और हेडक्लर्कों में एक भी अस्पृश्य नहीं है। पूरा कैबिनेट ब्राह्मणों के ही हाथों में है। एसेंब्सली के 175 में से 52 सदस्य ब्राह्मण हैं। पहले कितने ब्राह्मण थे? क्या कॉंग्रेस ने ब्राह्मण गैर–ब्राह्ममण विवाद खत्म किया?

अस्पृश्यों के बारे में तो ना ही पूछें। केवल ठगी चली है। गांधी ने आमरण अनशन किया। महात्मा अगर चला जाता तो दुनिया उजड़ ना जाती। लेकिन सुलह करने के लिए दबाव डाला गया। मैंने सुलह की। और संयुक्त चुनाव क्षेत्र में शामिल हुआ। लेकिन सुलह करते वक्त उन्होंने 15 के बदले 16 जगहें तक नहीं दी। उल्टे, चुनाव के समय मेरी कुछ सीटें कम कर दीं। लेकिन स्पृश्यों के लिए जो जगहें थीं उन पर अस्पृश्यों को चुनाव लड़ने नहीं दिया। इसी कारण मुसलमानों को कॉंग्रेस पर भरोसा नहीं है।

यह कॉंग्रेस का ही पाप है। उन्होंने मंत्रीमंडल में अल्पसंख्यकों को नहीं लिया है। हमारे खिलाफ उम्मीदवारों को खड़ा कर उन्होंने चार लोगों को जिताया। लेकिन उनमें से किसी को उन्होंने मंत्रीमंडल में जगह नहीं दी। क्यों, तो कहते हैं कि वे नालायक हैं। फिर अपने नालायकों को क्यों चुना? मैं मंत्री बनना नहीं चाहता। मुझे मंत्रीपद का लालच नहीं है। मैं अपने समाज के लिए मरना चाहता हूं। मैंने ही गवर्नर से विनति की कि अल्पसंख्यकों को मंत्रीमंडल में लें। क्योंकि जिसके हाथ में अधिकार होता है वही सत्ताधीश होता है। कलक्टर मामलातदार आदि लोग मंत्रीमंडल के कागजों को कहां मानते हैं? इसीलिए हमारी लड़ाई अधिकार पाने के लिए है। मुसलमानों के मंत्रीमंडल जिन प्रांतों में हैं वहां केवल मुसलमान सदस्यों की बहुलता के बावजूद उन्होंने सम्मिश्र मंत्रीमंडल बनाए। यह संतोष की बात है। बंगाल के मंत्रीमंडल में 2 अस्पृश्य दीवाण हैं, असम में एक अस्पृश्य दीवाण है और पंजाब में 2 पार्लियमेंटरी सचिव हैं। दीवाण पद की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं थे इसलिए उन्होंने दो सचिव नियुक्त किए। सिंध के बारे में पूछना ही क्या! वहां अस्पृश्य नहीं हैं। कॉंग्रेस वालों को इस बात में शर्म आनी चाहिए। जो नालायक हैं उनसे इस्तीफा लेकर उस जगह आप किसी लायक व्यक्ति को क्यों नहीं ठोक कर लाए? हम उसकी राह में अड़ंगा नहीं बनते। अगर नियम

है कि काँग्रेस के प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर किए बगैर किसी को मंत्री मंडल में नहीं लेना चाहिए तो फिर असम में बिना प्रतिज्ञा के मंत्रियों को क्यों लिया? क्या यह ठगी नहीं है? मेरा झगड़ा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे लोग अधिकार में हों। आपका स्वराज और हमारा राज! मैं यह नहीं चाहता।

अस्पृश्यों की शिकायतों की पूछताछ करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई। उस कमेटी ने सिफारिशें की कि पुलिस में अस्पृश्यों की भर्ती की जाए, आर्थिक प्राप्ति के लिए इस समाज के बारे में अलग से योजना बनाई जाए, फॉरेस्ट की कुछ परती जमीनें उन्हें दी जाएं। आदि लेकिन हमारे मोरारजी देसाई ने सरक्युलर निकाला कि, ''जाति-पांति का ना देख कर फॉरेस्ट की जमीनें उन्हें दी जाएं जो लगान से 20 गुना रकम अदा करें। जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं, रहने के लिए झोपड़ी नहीं वह इतना पैसा लाए कहां से?

माफी जमीन के बारे में तो हद ही हो गई है। महारकी पर अतिरिक्त लगान लगाया गया है। नासिक जिले के एक गांव में तो ढाई हजार रुपये वसूले जा रहे हैं। महार की के बारे में जब हमने शिकायत की कि हमसे ज्यादा मेहनत करवाई जाती है तो 'पढ़ने गए नमाज, मस्जिद पड़ी गले', कहावत के अनुसार हम पर 19 काम दर्ज हुए। इसीलिए हरेगांव (अहमदनगर) में हुई वतनदार महार परिषद में शिकायतें दूर करने के लिए 6 महीनों की नोटिस देने का प्रस्ताव बनाया गया है। उतनी समय-सीमा में अगर वह दूर नहीं हुई तो हम सब हड़ताल पुकारेंगे।

मजदूरों का मसला ही लीजिए। पहले बिना नोटिस के वे हड़ताल कर सकते थे लेकिन इसी काँग्रेस ने कानून बनाया कि हड़ताल करनी हो तो पहले नोटिस देनी होगी। दुनिया में और कहीं ऐसा कानून नहीं है। और इस काले कानून के विरोध में 7 नवम्बर, 1935 को हड़ताल पुकारी गई। तब इसी काँग्रेस ने उन पर गोलियां चलवाकर दो लोगों की जानें लीं। यह मजदूरों पर कानून के जरिए लादी गई गुलामी ही है। उन्होंने आश्वासन दिया, कि 50 प्रतिशत लगान कम किया जाएगा। लेकिन इस मामले में क्या किया गया? शराब पर पाबंदी लगाने की बात पर उन्होंने मुंबई के लोगों पर ढेढ़ करोड़ रुपयों का कर लगाया। शराब पर पाबंदी लगाने के लिए मेरा विरोध है क्योंकि मेरा मानना है कि अमीरों से वसूले जाने वाले कर का इस्तेमाल गरीबों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। शराब पीते हैं इसलिए मुंबई के लोगों पर इन्हें दया आती है लेकिन आज मुंबई के 14000 गांवों में स्कूल नहीं हैं। कोई औरत अगर नंगी दिखाई दे और हमारे पास अगर 2 रु. हों तो उस केस लिए चोली खरीदें या कि साड़ी? पहले वह सोचना होगा कि बदन ढकेगा कैसे? इन्हें मुंबई के लोगों की चिंता है लेकिन लाखों कुलंबों का क्या? इसीलिए कहता हूं कि इनकी राजनीति में किसी का फायदा नहीं। हमारी स्वतंत्र लेबर

पार्टी न्यायपूर्ण और सत्य का साथ देने वाली है। मैं अपने समाज के लिए मरना चाहता हूं। बिल्ली और चूहा इकट्ठा नहीं रह सकते। एक ही टोकरी के नीचे हम रात में अगर बिल्ली और चूहे को ढक रखेंगे तो सुबह क्या दिखाई देगा? गांधी और कंपनी का अब दीवाला निकलने वाला है उनके पास काफी पैसा है इसलिए वे बार-बार शेवगांव* जाते हैं। कोई प्रस्ताव बनवा कर उसे टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित करो तो काम हो गया। हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम जोन टिकट के बगैर कहीं जा नहीं सकते। लकडबग्घे के डर से बकरियां अगर भेड़िए के साथ मिल जाएंगी तो क्या उनका हित होगा? अंग्रेजों के साथ आपकी सच्चाई की लड़ाई हो तो आप कौरव-पांडवों की तरह 105 होकर लड़ें। हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। लेकिन गांधी मानो अंग्रेजों को कोई सीआईडी पुलिस मिली हो जैसा लगता है।

सफेद टोपी देखो तो दिल डर से धक् हो जाता है। लेकिन, उगा हुआ सूरज भी डूब जाता है। इसीलिए संगठन कीजिए।

* यह शायद सेवाग्राम का जिक्र है-संपादक

167

*जनतांत्रिक राज्य व्यवस्था से हिंदु समाज को परहेज क्यों?

बैरिस्टर जीन्ना ने मुक्ति दिवस मनाना जब तय किया तो औरों को भी विनती की कि उसमें शामिल हो जाएं। जीन्ना की विनती का सम्मान करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में मुंबई में महंमद अली रोड पर प्रचंड सभा की** और उसमें भाषण दिया। हिन्दुस्तान के इतिहास में यह सभा अमर होगी। इस महत्वपूर्ण प्रसंग पर डॉक्टर साहब का जो भाषण हुआ वह उतना ही महत्वपूर्ण और चिरस्मरणीय था। उन्होंने अंग्रेजी में भाषण किया। उसका आमूलाग्र अनुवाद देना संभव नहीं है लेकिन सार संक्षेप यहां दिया जा रहा है–डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने अपने भाषण में कहा–

आज के इस अवसर के लिए मैं बैरिस्टर जीन्ना का अभिनंदन करता हूं तथा इस प्रसंग पर अपनी खुशी जाहिर करता हूं। हलांकि एक बात का खेद मुझे अभी भी है कि इस प्रस्ताव में केवल अल्पसंख्यक समाज के बारे में ही प्रधानता से सोचा गया है। केवल एक ही अल्पसंख्यक समुदाय को महत्व देने के बजाय अन्य अल्पसंख्यकों के बारे में भी अगर उसमें सोचा जाता तो और अच्छा होता। सबको मिलकर साथ में प्रस्ताव बनाना चाहिए था। ऐसा नहीं हो पा रहा है यह दुख की बात है। इसके बावजूद सर करीमभॉय इब्राहिम ने काँग्रेस के अन्यायकारी बर्ताव के बारे में प्रस्ताव रख कर रॉयल कमीशन की जो मांग की है उसका मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं क्योंकि इस प्रस्ताव में दर्ज की गई बातें सच हैं और मांगे न्यायपूर्ण और सरल हैं।

आप जानते ही हैं कि मि. जीन्ना द्वारा रॉयल कमीशन की मांग किए जाने के बाद से काँग्रेस के नेताओं और पिट्ठु एक अजीब दलील देने लगे हैं। एकदम आसान और सरल लगने वाली उनकी यह दलील असल में कपटनीति से प्रेरित और भरी है। उनकी यह दलील बिल्कुल उस युक्तिवाद की तरह है जैसे मानों कि अपराध की तहकीकात अगर नहीं हुई हो तो अपराध हुआ ही नहीं या फिर कल की तहकीकात अगर नहीं हो तो मानों कत्ल ही नहीं हुआ हो। उनका यही कहना है। 1935 के सुधारित कानून में हर प्रांत के गवर्नर को अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार का निवारण करने के अधिकार दिए गए हैं। इस विशेष अधिकारों का गवर्नरों को काँग्रेसी राज में एक बार भी कभी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा था। इस बारे में उनकी दलील यह है कि, ''मुसलमानों के साथ काँग्रेस की सरकार द्वारा अगर कोई जुल्म होते तो गवर्नर्स अपने अधिकारों का

*जनता : 30 दिसम्बर, 1939

**सभा की तारीख नहीं दी गई है

इस्तेमाल करते। गवर्नर्स को अपने इन खास अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा उसका मतलब ही यह है कि काँग्रेस के कार्यकाल के दौरान मुसलमानों पर जुल्म हुए ही नहीं।'' ऐसा अगर सिर्फ काँग्रेस के ही नेता कहते तब भी गनीमत थी। लेकिन हाल ही में हिन्दुस्तान में जिनका आगमन हुआ है और फिलहाल काँग्रेसी की मेहमानवाजी का लाभ उठाते हुए जो एक अंग्रेज व्यक्ति पूरे हिन्दुस्तान की यात्रा पर हैं उन सर क्राफर्ड क्रिप्स ने भी इसी लय में अपने सुर मिला लिए हैं और इसीलिए इस घातक युक्तिवाद का खंडन करना जरूरी हो गया है।

अधिकार ग्रहण से पहले काँग्रेस सरकार का अंग्रेज सरकार के साथ जो वितंडावाद हुआ था वह आपको याद होगा ही। इसी मसले पर यानी गवर्नर्स को दिए गए विशेषाधिकारों पर काँग्रेस सरकार बिखरी थी। अधिकारग्रहण से पूर्व इस बात का आश्वासन मिले कि गवर्नर्स अपने विशेषाधिकारों का सहारा नहीं लेंगे, यह जिद उन्होंने पकड़ ली थी। सबको यह बात याद है। अचरज की बात यह है कि इस प्रकार का आश्वासन मिलने के बाद ही अपने सत्ता ग्रहण की बात सत्ता में आने के बाद काँग्रेस निरंतर कहती रही है। यही काँग्रेस आज ऊंचे स्वर में बता रही है कि गवर्नर्स ने अपने विशेषाधिाकारों का इस्तेमाल नहीं किया यही हमारे न्यायपूर्ण सुशासन का प्रमाण है, यही हमारे निरपराधित्व का सबूत है। पता नहीं यह दलील वे किस नीतिवाद से ढूंढ कर ले आए हैं।

जिस प्रांत में काँग्रेस सत्ता में आई वहां काँग्रेस का इतना अधिक माताधिक्य था कि गैर–कांग्रेसी पार्टियों का उस प्रांत में सरकार बनाना असंभव था। मुंबई प्रांत में काँग्रेस का इतना माताधिक्य नहीं था हालांकि गैर–काँग्रेसी पार्टियों के बीच इतनी मिथता थी कि उनकी संयुक्त सरकार बनना संभव नहीं था। किसी और पक्ष की सरकार बनना जब संभव नहीं हो तब कोई भी गवर्नर जनतांत्रिक शासन प्रणाली में बहुमत की सरकार को चोट पहुंचाए यह संभव ही नहीं था। बहुसंख्यक पक्ष के हाथ से दाना चुगने के अलावा गवर्नर के लिए कोई पर्याय उपलब्ध नहीं। ऐसे हालात में गवर्नर बहुसंख्यकों के हाथ की बस एक कठपुतली बन कर रह जाता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि काँग्रेस प्रांत के गवर्नर्स काँग्रेस के रबर स्टैंप थे। अनुभव भी इसके खिलाफ नहीं हुआ।

बोर्डोली तहसील की कुर्क की गई जमीनें सरकारी खर्चे से पुराने मालिकों को लौटाने का प्रस्ताव काँग्रेस सरकार ने विधिमंडल में पारित करवा लिया। कुर्क की गई जमीनें निजी संपत्ति थी। उन्हें वापिस लौटाने में विशिष्ट व्यक्तियों को फायदा मिलने वाला था। वे विशिष्ट व्यक्ति एक विशिष्ट पार्टी के समर्थक थे। उन जमीनों को इस प्रकार लौटाने में किसी सार्वजनिक हित की साधाना नहीं होने वाली थी। इसके बावजूद गर्वनर द्वारा उस बिल को मंजूरी दी गई और कानून के रूप में उसे लागू किया गया और काँग्रेस पक्ष की जेबें भरीं। जनतांत्रिक व्यवस्था में अन्य किसी देश में इस प्रकार का लाभ किसी

को मिलना संभव नहीं है। इस प्रकार की कोशिशों को निरस्त किया जाता। गवर्नर द्वारा उसे कभी मंजूरी नहीं दी जाती। लेकिन काँग्रेस के प्रांतों में यह हुआ। इसके लिए गवर्नर की दयनीय स्थिति ही कारण थी। इसीलिए, मेरा यही मानना है कि कानूनी प्रावधान के बावजूद जो गवर्नर अपने हकों की रक्षा नहीं कर सकता उससे अल्पसंख्यकों की रक्षा की उम्मीद पालना मूर्खता है।

मुसलमानों की शिकायतों के बारे में लगता है कि आज यहां मुझे उसका विवरण देने की जरूरत नहीं है। मुझसे पहले जो वक्ता बोले उन्होंने उसे बेहतर ढंग से स्पष्ट किया है। इसलिए यहां मैं केवल उस समाज की शिकायतों के बारे में बोलूंगा जिस अस्पृश्य समाज में मेरा जनम हुआ है। बल्कि, अस्पृश्यों पर होने वाले अत्याचारों का विस्तृत ब्यौरा भी मैं नहीं दूंगा। मैं अगर यह करने लगा तो आपको न केवल आज की रात, बल्कि अगले कई दिनों तक यही रुकना पड़ेगा। इसीलिए मैं केवल कुछेक बातों का ही जिक्र करने वाला हूं। सभी अल्पसंख्यक एक ही जहाज में भले यात्रा कर रहे हों, उनमें से कुछ पहले वर्ग के, कुछ दूसरे वर्ग के और कुछ तीसरे वर्ग के हैं। जबकि हम अस्पृश्य हमेशा सामान रखे जाने वाले तहखाने में ही यात्रा करने पर मजबूर हैं। इसमें कोई शक नहीं इस यात्रा में हमारा बेहद बुरा हाल है।

गोलमेज परिषद के बाद अंग्रेज सरकार द्वारा अस्पृश्यों को एक अनमोल तोहफा दिया था। उन्होंने हर प्रांत में अस्पृश्य समाज को अलग चुनाव-क्षेत्र देकर उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी थीं। साथ ही, अन्य मतदाताओं के साथ मतदान का अधिकार भी उन्हें दिया गया था। इस योजना के कारण अस्पृश्यों को अपने भरोसे के प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार दिया गया था। इस योजना से अस्पृश्य संतुष्ट थे। लेकिन इससे गांधी को संतोष नहीं मिला था। अस्पृश्यों पर उपकार करने की इच्छा उनके मन में उभरी और इसीलिए उन्होंने तय किया कि अंग्रेजों द्वारा लागू की गई योजना को अगर बदला नहीं जाएगा तो वह प्राणार्पण करेंगे। अस्पृश्य समाज के हित से अधिक किसी के प्राणों का मोल नहीं हो सकता, यह मेरी पक्की राय है। लेकिन हमारे बीच भी कुछ ऐसे जिद्दी लोग हैं जिन्होंने हट किया कि गांधी के बगैर इस दुनिया में जीना व्यर्थ है। इसीलिए मुझे, ''पुणे करार'' को मंजूरी देनी पड़ी।

मेरी धारणा थी कि पुणे करार 'जंटलमेन्स एग्रीमेंट' है। काँग्रेस आदि सभी हिन्दु लोग स्पृश्यास्पृश्य वाद खत्म हुआ है मानकर उस करार का पालन करेंगे। ऐसे हालात पैदा होंगे कि अस्पृश्यों को लगे कि आगामी स्वराज अपना भी राज है। लेकिन नहीं। चुनाव आते ही काँग्रेस अपना असली स्वरूप व्यक्त करने लगी। पुणे करार द्वारा हमें मिली 15 सीटों में सौहार्द से इजाफा करने के बजाय उन 15 सीटों को प्रभावहीन कैसे बनाया जाए इसी कोशिश में काँग्रेस लग गई। इन सभी सीटों पर उन्होंने अनपढ़, मौका

परस्त किराए के टट्टू, गुलाम खड़े किए। उद्देश्य यही था कि चुनाव जीतने के बाद वे उनके हाथ की कठपुतली बन कर रहें। कहीं हमारे आश्रम के किसी झाड़ूवाले को और कहीं किसी काँग्रेसी नेता को खानसामे को तो कहीं अपने किसी चपरासी को उन्होंने चुनाव में उतारा। इस प्रकार के प्यादों को खड़ा कर चुनाव अपने बल पर लड़ने वाले स्वाभिमानी, सुशिक्षित उम्मीदवारों को हराने की उन्होंने ठान ली। अपने पैसों के बल पर अपने उद्देश्य को पूरा कर भी लिया। इसी बात से साबित हो जाता है कि मि. जिन्ना क्यों पृथक चुनाव-क्षेत्र पर अड़े हुए हैं। कोई खिलाफत में उम्मीदवार को खड़ा करे इस बात का दुख मुझे नहीं होता लेकिन नालायक लोगों को हमारे सिर पर नचाने के इनकी ढीढता के कारण गुस्सा आता है।

चुनावों के बाद जब सरकार बनाने का मौका मिला कम से कम तब क्या इन्होंने हिन्दुस्तान को मिले स्वराज में हमारा भी हिस्सा है इसका अहसास हमें हो ऐसा क्या कुछ किया?

हमने 15 में से 11 सीटें जीती थीं यानी अल्पसंख्यक अस्पृश्य समाज का बहुसंख्य हिस्सा हमारी तरफ था। मंत्रीमंडल बनाते समय हमें महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक होने के नाते पूछना चाहिए था। कूपर मंत्रीमंडल का सदस्यत्व सरकार कर मैंने गद्दारी भी नहीं की थी, मैं पूरी तरह से निष्ठावान रहा था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

इस बार काँग्रेस द्वारा प्रतिज्ञापत्र का बहना किया गया। उस प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर किए बगैर किसी को मंत्रीमंडल में शामिल न करने की शर्त के पीछे यही भूमिका बताई गई कि मंत्रीमंडल एकरूप, एक लक्ष्य के प्रति समर्पित ना हो तो शासन चलाना मुश्किल होगा। सिद्धांत के तौर पर मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या काँग्रेस द्वारा इस सिद्धांत का पालन हुआ? असम में काँग्रेस का बहुमत नहीं था। वहां सत्ता के लालच में काँग्रेस ने इस सिद्धांत को ताक पर रख दिया। वहां प्रतिक्षा की शर्त को निरस्त कर उन्होंने संयुक्त मंत्रीमंडल बनाया। इसका यही मतलब निकलता है कि एकरूप मंत्रीमंडल काँग्रेस का निरंतर सिद्धांत न होकर सहूलियत वाला सिद्धांत है। साथ ही, प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर करने की कसौटी अगर काँग्रेस के प्रति निष्ठा थी तो कुछ लोग तो रातोंरात कागज पर हस्ताक्षर कर काँग्रेसनिष्ठ बन रहे थे और अपना उल्लू सीधा करवा रहे थे। यह काँग्रेस के प्रतिनिष्ठा थी या निष्ठा का ढोंग था? कोई भी ईमानदार व्यक्ति इस तरह का उथलापन नहीं कर सकता। अचरज की बात नहीं कि अस्पृश्यों ने उस पंथ को नहीं स्वीकारा।

अधिकार स्वीकृति के बाद भी काँग्रेस द्वारा कोई भूषणावह काम हुआ है ऐसा मुझे नहीं लगता। संक्षेप में कहना हो तो हाथ में खरबूजा आने पर बंदर जिस प्रकार की चेष्टाएं करते हैं उससे अलग उन्होंने कुछ किया नहीं। उनका राज चलाना Monkey and Melon

की चेष्टाओं से कुछ अलग नहीं था। कानून कुछ, घोषणापत्र कुछ और तथा आला कुछ और इस प्रकार का तमाशा लोकल बोर्ड के चुनावों में वह कर रहे थे। लक्ष्य उनका एक ही था- हमारे उम्मीदवारों को खत्म करना।

दलितों की उपेक्षा, दलितों के दुख उनसे दूर नहीं किए जाते। मैं कोई बहुत पुराने उदाहरण नहीं दे रहा। काँग्रेस के ही एक अखबार 'नवा काक' में पिछले मई माह में प्रकाशित खबर बता रहा हूं। कल्याण के पास वाले टिटवाला गांव में दो कुएं हैं। उनमें से एक कुएं से अस्पृश्यों ने पानी भरना शुरू किया। अस्पृश्यों को इस प्रकार पानी मिलना गांव के हिन्दुओं से सहा नहीं गया। अस्पृश्यों को पानी ना मिले इसलिए उन्होंने एक जुगत लड़ाई। दूसरे गांव से एक भंगी को बुलावा कर उन्होंने उसके हाथों उस कुएं में दो टोकरियां भर मैला फिकवाया। कितना अमानुषिक व्यवहार है यह! काँग्रेस के शासन में दिन-दहाड़े ऐसे अत्याचार जारी हैं। काँग्रेस सरकार उन पर पाबंदी नहीं लगाती। दूसरी घटना गुजरात की है। एक गांव में अस्पृश्यों ने दीपावली उत्सव मनाया इसलिए गांव के आप जानते हैं कि मुसलमानों से तिलक की पटरी अच्छी नहीं बैठती थी। बल्कि, हिंदू-मुसलमानों के बीच की खाई बढ़ाने का आरोप उन पर लगता रहा है। लेकिन जब मौंटेग्यू हिन्दुस्तान के भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए हिन्दुस्तान आए तब हिंदु-मुसलमानों की मांगे एक ही व्यक्ति द्वारा मोंटेग्यू के सामने रखी जा सकें इसलिए तिलक ने अपनी बैर-भावना को परे हटा कर उन्होंने लखनौ पैक्ट कराया।

आजकल इसके ठीक विपरीत हालात हैं। एक होकर अल्पसंख्यकों का मसला हल करने को लेकर गांधी राजी नहीं हैं। वह कहने लगे हैं कि अगर अंग्रेज सरकार हमारी मांगें नहीं मानती तो हम सत्याग्रह शुरू करेंगे। हलांकि समय रहते मैं उन्हें आगाह कर रहा हूं। कमाई हुई आय के बारे में जब टंटा चल रहा हो तब संपत्ति का प्रबंध ठीक से हो इसलिए कोर्ट द्वारा रिसीवर का इंतजाम किया जाता हैं हिन्दुस्तान के स्वराज के संदर्भ में अंग्रेज सरकार की भूमिका ऐसे रिसीवर की ही है। रिसीवर के जरिए सारी संपत्ति संयुक्त रूप से अपने हिस्से में करने की कोशिश के तहत रिसीवर को सताने के किसी भी काम को अल्पसंख्यकों के हकों के खिलाफ उठाया गया कदम माना जाएगा। परिणामस्वरूप अल्पसंख्यकों को भी न्याय पाने के लिए रिसवीर पर दबाव डालना पड़ेगा और अगर ऐसा करना पड़ा तो उसके लिए काँग्रेस ही जिम्मेदार होगी।

50-60 हजार लोग बड़ी शांति से डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का यह भाषण सुन रही थी। भाषण पूरा होते ही तालियों की गड़गड़ाहट हुई। डॉक्टरसाहब तालियों की उस गड़गड़ाहट की ध्वनि में मंच से नीचे उतरे।

168

*शाहू छत्रपति ने ब्राह्मण्य का किला ढहा दिया

30 दिसम्बर, 1939 को कोल्हापुर संस्थान दलित प्रज्ञा परिषद में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का भाषण हुआ।

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने अपने भाषण में कहा–

स्वागताध्यक्ष, बहनों, भाइयों और आमंत्रित जनों,

अपने मुझे अध्यक्ष स्थान दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज की परिषद का आयोजन अलग स्थितियों में किया जा रहा है। इस परिषद में अपनी जिम्मेदारी का अहसास रखते हुए ही भाषण करना होगा। आज हमारी हालत बेहद नाजुक है यह बात भूलनी नहीं चाहिए। बाहर से आए अंग्रेज राज्य के प्रजाजनों और स्थानीय, कोल्हापुर रियासत के प्रजाजनों की स्थितियों में बहुत फर्क है। यह बात भूलने से काम नहीं बनेगा। इस परिषद में हिस्सा लेने वालों को अपनी जिम्मेदारी को पहचानते हुए भी भाषण करना होगा। यह मेरा आपको अग्रिम इशारा है। जल्द ही 1939 का साल खत्म होगा और 1940 को नया साल शुरू होगा। कोल्हापुर के इतिहास में यह साल बेहद उलझन भरा रहा है। इस साल इस रियासत में कई परिषदों का आयोजन किया गया और आज की यह तीसरी परिषद है। पहली काँग्रेस प्रजा परिषद हुई जिसमें अध्यक्ष स्थान पर थे डॉ. पट्टाभिसीताराय्या। दूसरी रयत सभा की परिषद हुई जिसमें अध्यक्ष स्थान पर थे रा. मोरे। मेरे ख्याल से आप लोग भी इस परिषद में उपस्थित रहे होंगे। इन दो परिषदों में ही जुड़ कर हमारा कार्यक्रम क्यों नहीं हुआ यह विचार मन में आना स्वाभाविक है। यह तीसरी परिषद है और मैं इसका अध्यक्ष हूं इसलिए सीमक्षकों की आलोचना में उबाल तो आएगा ही। पिछले साल के मई महीने में जब पन्हाल मरे थे तब रयत सभा के चालकों ने मुझसे उनकी परिषद का अध्यक्ष स्थान स्वीकारने का आग्रह किया।

मैंने उनसे सोचने के लिए दो घंटों का समय मांगा। उन दो घंटों में मैंने कोल्हापुर की राजनीति के बारे में जानकारी ली। सोच-विचार के बाद मैंने तय किया कि रयत सभा का अध्यक्ष स्थान न स्वीकारना ही ठीक रहेगा। आज की परिषद कर आप अपनी खिचड़ी अलग क्यों पका रहे हैं यह पूछने का हक कम से कम रयत सभा बालों को तो नहीं ही है। उन्होंने भी प्रजा परिषद के बाद ही अपनी परिषद की थी। फिर अगर हमें अलग परिषद लेनी हो तो उसमें गलत क्या है?

प्रजा परिषद के चालकों को भी मेरी सहानुभूति की दरकार थी। मेरी राय में प्रजा

---

*जनता : 13 जनवरी, 1940

परिषद का उद्देश्य प्रजा का कल्याण न होकर कोल्हापुरवासियों को नफरत करना था। जाहिर है कि उनके आंदोलन के बारे में मुझे सहानुभूति महसूस न हो। कोल्हापुर रियासत नंदनवन तो नहीं है, मैं भी यह बात मानता हूं। लेकिन कोल्हापुर के आस-पास कई छोटी रियासतें है। और उनकी प्रजा का भी जब दमन हो रहा हो तो केवल कोल्हापुर में ही आंदोलन करने वालों की नीयत पर शक होना क्या लाजिमी नहीं है?

कोल्हापुर के बारे में एक बात बिल्कुल तय है इस बात के बारे में अस्पृश्यों को और मुझे भी गर्व है। यह बात है कि स्व, शाहू महाराज ने कोल्हापुर में ही जनतंत्र की नींव डाली। हम गो-ब्राह्मण प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंति मानते हैं। शिव छत्रसवति ब्राह्मण्य को नष्ट नहीं कर पाए। अपने राज्याभिषेक के लिए सोना देकर काशी से उन्हें गागाभट्ट को बुलाना पड़ा। कहना पड़ेगा कि ब्राह्मण्य को नेस्तानाबुत करने में स्व. शाहू छत्रपति शिवाजी से बढ़कर थे। शाहू राजा को वेदोक्त अधिकार नहीं है कहने वाले ब्राह्मण ों को पुणे के लोकमान्य तिलक का और पुणे की भट्ट शाही का समर्थन प्राप्त है यह जानते हुए भी उन्हें शाहू छत्रपती ने ठोकर मार दी। इस बात को भुलाया नहीं जा सकता। स्व, शाहू छत्रपति महाराज में कुछ बुरे गुण भी होंगे और मुझे बताइए कि कौन-सा राजा निर्दोष है? केवल दोषों को देखने में कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मण्य खत्म होने तक समाज की उन्नति संभव नहीं है। ब्राह्मण्य नष्ट करने की उन्होंने जोरदार कोशिश की इसीमें उनका बड़पन है। स्व. शाहू छत्रपति ने समाज में व्याप्त विषमता को नष्ट करने की कोशिश की और ब्राह्मण्य का किला ढहा दिया यह कोई छोटी बात नहीं है। मेरे सार्वजनिक जीवन की शुरूआत स्व. छत्रपति शाहू महाराज की अध्यक्षता में हुई माणगांव की परिषद में उनके आदर्श के पालन से ही हुई यह मुझे यहां बताना ही पड़ेगा। उन्हें और मुझे जो प्रिय है उस समानता के प्रचार के लिए उन्होंने रु. 2500 देकर मुझे हमेशा के लिए अपना ऋणी बनाया। इसी कारण मैंने प्रजा परिषद से संबंध नहीं बनाए यह भी जाहिर है। रयत सभा की बुनियाद भी शुद्ध नहीं है। यही सोचकर मैंने उनकी सभा का अध्यक्ष स्थान स्वीकारने से मना किया यह अलग से बताने की जरूरत नही है। रयत सभा का उद्देश्य प्रजा का कल्याण न होकर राजाओं की जी हुजूरी करते हुए अधिकारियों की आपसी लड़ाइयां लड़ते हुए अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। संस्थान के सभी लोग महाराज की प्रजा है। समूची प्रजा समदुखी तो नहीं ही है। प्रजा के कुछ लोग सुखी है और कुछ लोग दुखी है। इन सुखी और दुखी लोगों को एक ही मानने में क्या तुक है? इस तरह सबको एक मानने से क्या एकमुख से मांगे रखी जा सकती हैं? बहनों और भाइयों, दुखी लोगों को एकमुख से अपनी मांगे रखना संभव हो इसके लिए आज हमने यह दलित प्रजा परिषद बनाई है। हम सभी राजनिष्ठ प्रजाजन इक्ट्ठा हुए हैं। प्रजा परिषद में मराठों की ही भरमार थीा। उसमें एक भी अस्पृश्य नहीं था। राजनिष्ठा के कारण अस्पृश्यों का प्रजा परिषद को विरोध था।

अब हम यह देखें कि हम रियासत की प्रजा कैसे बंटी है। इस रियासत की कुल

प्रजा 997000 है और उसमें 8,66000 लोग हिंदु हैं और 1,10,000 लोग अस्पृश्य और 41866 लोग मुसलमान हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो जनसंख्या में 11 प्रतिशत अस्पृश्य, 5 प्रतिशत मुसलमान हैं कहा जा सकता है। कुल 11 प्रतिशत अस्पृश्यों में से केवल 481 अस्पृश्य सरकारी नौकरी में हैं। और उनमें से ज्यादातर झाड़ू वाले, घोड़े वाले, नाल ठोंकने वाले आदि हीन तबके की नौकरियों में ही हैं यह अलग से बताने की जरूरत नहीं।

अब रियासत की शिक्षा संस्थाओं के बारे में सोचते हैं। रियासत द्वारा प्रकाशित किए गए आंकड़ों से किन छात्रावासों को कितनी सरकारी मदद मिलती है यह बात इन आंकड़ों से स्पष्ट होती है–

	रुपए
1. आर्य समाज छात्रावास	5012
2. कर्नल बोर्ड हाऊस	3600
3. वैदिक छात्रावास	3600
4. मराठा छात्रवास	11,314
5. मुस्लिम छात्रवास	9460
6. अन्य छात्रावास	5010
7. मिस क्लार्क छात्रावास	625
8. इन्दुमति छात्रावास	700
जोड़	39,321

कोल्हापुर रियासत में छात्रावास पर रु. 39321 खर्च होते हैं यह बात इन आंकड़ों से साबित होती है। हालांकि ध्यान में रखने योग्य बात यह भी है कि इस रकम में से केवल रु. 1326 ही अस्पृश्य और (7) और (8) के तहत गिने गए छात्रावासों के हिस्से आते हैं।

इसके अलावा इस रियासत में केवल 20 अस्पृश्य छात्रों की ही आधी फीस माफ की जाती है। इस विवरण से पता चलता है कि इस रियासत में अस्पृश्यों की शिक्षा की उपेक्षा ही हो रही है।

अब हम खेती के मसले के बारे में सोचें। इस रियासत में खेती की कुल जमीन 22 लाख एकड़ है। और उसमें से तेरह लाख तेरह हजार एक जमीन पर खेती की जा रही है। परती जमीन 3,71,423 एकड़ है और महाराज की निजी–शेरी–जमीन 46,359 एकड़ है। इसलिए यह परती और शेरी जमीन राजा की निजी जमीन अस्पृश्यों को देकर क्या उनकी स्थितियां में सुधार नहीं लाया जा सकता? देवस्थान और धर्मादाय खाते में भी रियासत का काफी पैसा बेमतलब खर्च होता रहता है।

कहा जा सकता है कि कोल्हापुर की इलाका पंचायत और म्युनिसिपालिटी की संस्थाओं में अस्पृश्यों के प्रतिनिधि नहीं हैं। प्रातिनिधिक संस्थाओं से जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि लेना आज के युग में सर्वमान्य बात है अब यहां के हालात क्या हैं देखिए। इलाका पंचायत में 288 सदस्य हैं जिनमें एक भी अस्पृश्य सदस्य नहीं है। म्युनिसिपालिटी में अस्पृश्यों के केवल दो ही प्रतिनिधि लिए गए हैं। अब नया विधिमंडल बनेगा। उमीद करते हैं कि कम से कम उसमें हमारे हकों की जैसी आज तक होती आई है वैसी अनदेखी नहीं होगी। मुझे कोल्हापुर रियासत से काफी उम्मीदें थीं। लेकिन इस रियासत ने भी मुझे काफी निराश किया है। छात्रपति के राज में हम अस्पृश्यों के हितों में निरंतर वृद्धि होती जाएगी ऐसी मुझे बेहद उम्मीद थी। लेकिन इस रियासत ने भी मुझे निराश ही किया है यह बड़े दुख की बात है। आखिर में, मैं महाराज को दो बातें बताना चाहता हूं। या तो वे खुद राज्य की बागडोर सम्हालें या प्रजा को सारे अधिकार देकर जनतंत्र स्थापित करें। प्रजा को नौकरशाही के हवाले बिल्कुल ना करें। जरूरी नहीं कि जनतंत्र हमेशा कल्याणप्रद ही हो। यह बात तुर्कस्तान, इटली और जर्मनी की आज की एकसूत्रीय राज्यपद्धति से साबित होती है।

कोल्हापुर की राज्य मराठों का होने के बावजूद आज की परिषद पर अधिकारी खफा मर्जी है। रयात सभा का अध्यक्ष स्थान में स्वीकारूं इसलिए मुझे मजबूर करने की कोशिशें जारी हैं। मेरे आस-पास के अधिकारी मुझे भूल चुके हैं इसी से आप जो समझना है वह समझ सकते हैं। आज की सभा के लिए दरबार से 100 रुपए और म्युनिसिपालिटी द्वारा 100 रु. दिए गए हैं। इन रुपयों के अलावा परिषद को कोई मदद नहीं मिली है। लोग आज की सभा में अपने मन से आए हैं। जुल्म जबरदस्ती से, गांव के पाटील द्वारा मार-पीट कर लोगों को यहां लाया नहीं गया है। सभा के साथ खोट यही है कि इस सभा पर हजारों रुपए जाया नहीं किए गए हैं। जाहिर है, फिर यह अधिकारियों को कैसे पसंद आएगी?

कोल्हापुर में मुझे एक विशेष बात पता चली है। चेलों से अधिक यहां नेताओं की संख्या भरपूर है। राज्य का चलन कुछ ऐसा है कि यहां कोई भी ऐरा-गैरा अधिकारियों के कान भर सकता है। सुना है कि दीवाणजी के पास अर्जी ई थी जिसमें यह जिक्र था कि इस कार्यक्रम के लिए मुझे अध्यक्ष के तौर पर ना लिया जाए। ऐसे हालात में दलित प्रजामंडल हमेशा बना रहेगा यह देखना आपका काम है। कई चीजें शुरू कीं लेकिन उनमें एक भी ढंग से चल नहीं रही ऐसा न होने दें। आपकी इच्छा थी कि आज की सभा में महाराज को मानपत्र दिया जाए। वह बात संभव नहीं हो पाई। इसके लिए हम क्षमाप्रार्थी हैं। आज की परिषद का मेला महाराज ने देखा इसीमें हम कृतार्थ भाव महसूस कर रहे हैं आपको महाराज के साथ राजनिष्ठ रहना है। मुझे यह भी लगता है कि महाराज परती जमीनें, देवस्थानों की जमीनें और शेरी जमीनें अस्पृश्यों में बंट कर उन्हें आर्थिक तौर पर आत्मानिर्भर बनाएं। अस्पृश्यों की शिक्षा के लिए अधिक धन देना रियासत का कर्तव्य है। अस्पृश्य लड़कियों के छात्रावास के लिए भी खुले हाथ से खर्च करें तो अस्पृश्य समाज का कल्याण होगा। आखिर में मेरा आपसे आग्रहपूर्वक निवेदन है कि दलित प्रजामंडल के संगठन को मजबूत बनाएं।

169

*मेरे बाद भी अपनी एकजुटता कायम रखना

31 दिसम्बर, 1939 को कोल्हापुर से सातारा की यात्रा के दरमियान पड़ने वाले नेरे में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का स्वागत किया गया। स्वागत के लिए गांव के सभी महिला और पुरुष स्कूल में इक्ट्ठा हुए थे। स्थानीय नेताओं ने डॉ. बाबासाहेब का स्वागत किया। रा. बी. टी. कांबले नामक युवा और उत्साही सामाजिक कार्यकर्त्ता ने स्वागत का भाषण दिया। उसके बाद डॉ. बाबासाहेब ने उपस्थित महिला और पुरुषों को उद्देश्य कर भाषण दिया–

मैं स्वागत या मानपत्र का लालची नहीं हूं। कोई मुझे कोसे तब भी मुझे डर नहीं लगता। सार्वजनिक कामों में पैसों की जरूरत पड़ती है यह आप भी जानते हैं। गांधी जी ने एक करोड़ रुपयों का फंड इक्ट्ठा किया और वह सब खर्च हो गया इस बारे में आपने सुन रखा होगा। जनाब जिन्ना को भी सार्वजनिक कामों के लिए रुपयों की मदद मिलती ही होगी। मेरे समाज के आज तक मुझे रु. 5000 से अधिक मदद प्राप्त नहीं हो पाई है। यह बात गौर करने लायक है। अपनी गरीबी के कारण हमें धन की कमी के साथ ही काम करना पड़ेगा यह जाहिर बात है। हमें आपस में एका रखना होगा। फूट नहीं पड़ने देनी है। आज राजनीतिक हालात ऐसे पैदा हुए हैं कि गांधी, जिन्ना तथा अस्पृश्यों के प्रतिनिधि के रूप में मैं–हमें कुछ पूछे बगैर हिन्दुस्तान का राजनीतिक मसला हल नहीं होता। अंग्रेज व्यक्ति डॉ. थॉमसन ने यह बात मुझे और गांधी जी को बताई है। काँग्रेस चाहे कुछ भी करे, कुछ भी कहे, राक्षस, राष्ट्रद्रोही, आस्तीन का सांप वगैरा कुछ भी कहे, वे मुझे खारिज नहीं कर सकते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं गांधी जी जैसा महात्मा नहीं हूं। मेरे साथ आप लोगों की अमेद्य एकता का कवच है। उसी के कारण मुझे बल प्राप्त हुआ है। इसीलिए, आप आपस में ना लड़ना। सम्मान पाने के लिए एक–दूसरे से स्पर्धा कर अलगांव ना पालें। यह बात ना भूलें कि मुफ्तखोरों की दुनिया इज्जत नहीं करती। सामाजिक कार्य के लिए रुपया इक्ट्ठा किया जाता है और कभी वह खर्च भी किया जाता है। मैं यह बात जानता हूं। हालांकि इस बात पर समाजकार्य रोका नहीं जा सकता। तालाब का मालिक पानी चखता ही है। हमें उसका बंदोबस्त करना होगा। लेकिन इस मामले में हमें व्यावहारिक नजरिया अपनाना होगा। काँग्रेस के एक करोड़ रुपयों के फंड का हाल क्या हुआ दुनिया जानती है। उसके बावजूद काँग्रेस का काम जारी है। आपसे मैं यहां कहूंगा कि आपसी छोटी–छोटी बातों को उलझ कर समाज में फूट ना डालें।

---

*जनता : 20 जनवरी, 1940

170

*युद्ध के बाद हिंदुस्तान के सामने बड़ी-बड़ी समस्याएं उपस्थित होंगी

2 जनवरी, 1940 की शाम 4 बजे कराड म्युनिपिालिटी द्वारा डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को मानपत्र देना तय हुआ था। इस समारोह में शामिल होने के लिए डॉ. बाबासाहेब सातारा से करीब 3 बजे निकले। सातारा से 13 मील दूर पहुंचते-पहुंचते गाड़ी में खराबी आई और आगे यात्रा करना मुश्किल हो बैठा। कुछ ही समय में मुंबई के परेल इलाके के तम्बाकू के मशहूर व्यापारी हॉमणराव शेटे अपनी निजी मोटर से वहां आ पहुंचे। बड़ी खुशी के साथ डॉ. बाबासाहेब को कराड तक छोड़ने के लिए वह तैयार हुए। इसी गाड़ी के साथ कराड के पास भयानक दुर्घटना हुई। सौभाग्य से गाड़ी में सवार सभी यात्री मरने से बाल-बाल बचे। किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई। डॉ. अम्बेडकर के सिर में, पैर में और हाथ में चोटें आई थीं। सभी चोटिल यात्रियों को सातारा के बैरिस्टर करंदीकर सरकारी अस्पताल में ले गए। वहां इन सभी की मरहम-पट्टी की गई। वहां थोड़ी देर आराम करने के बाद डॉ. अम्बेडकर करीब 6 बजे के आसपास म्युनिसिपालिटी के मानपत्र समारोह के लिए निकले। म्युनिसिपालिटी का हॉल अंदर और बाहर से सदस्यों और नागरिकों से उमड़ पड़ा था। प्रथमतः स्थानीय स्पृश्य छात्राओं ने स्वागत पद्य गाए। समारोह की शुरूआत हुई। कुछ अन्य पद्यों के गायन के बाद मान्यवर बहुलेकर वकील ने म्युनिसिपालिटी का मानपत्र पढ़कर सुनाया। म्युनिसिपालिटी के अध्यक्ष मान्यवर कदम ने यह मानपत्र डॉ. बाबासाहेब को अर्पण किया। मानपत्र अर्पण किए जाने के बाद डॉक्टर साहेब जवाब देने के लिए उठकर खड़े हुए। उन्होंने अपने भाषण में कहा-

अध्यक्ष महाराज, सदस्यगण, बहनों और भाइयों,

आपने मुझे जो मानपत्र दिया है उसके लिए मैं आपके प्रति बेहद आभारी हूं। स्थानीय मसलों के बारे में मैंने कुछ कार्य नहीं किया है। मैं कराड में रहता नहीं। मेरा काम राजनीतिक है। ऐसे में मानपत्र अर्पण कर आपने मेरा जो गौरव किया है उससे आपकी उदारता व्यक्त होती है। आज के इस समारोह में मैं उपस्थित रह पाया यह मेरे लिए इष्टापत्ति ही है।

हिन्दुस्तान के आज के हालात में जागरूकता और जिम्मेदारी के अहसास की बहुत जरूरत है। युद्ध के बाद हिन्दुस्तान के सामने बड़ी-बड़ी समस्याएं उपस्थित होने वाली हैं। स्वराज की चाह सभी को है इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम सभी को यह

---

*जनता : 20 जनवरी, 1940

सावधानी भी बरतनी होगी कि एक का स्वराज दूसरे को गुलामी में धकेलने वाला न हो। अल्पसंख्यकों की मांगों से यही डर व्यक्त होता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि इस डर को नष्ट करने के लिए और अपने आगे उपस्थित मसले हल करने के लिए अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के मन में जागरूकता, जागृति और जिम्मेदारी का अहसास पैदा होना चाहिए।

आज हिन्दुस्तान की राजनीति में बड़े विचित्र हालात पैदा हुए हैं। यह विचित्रता ध्यान में आए इसलिए हम पिछली पीढ़ी की राजनीति और इस पीढ़ी की नीति की खुलना करेंगे। पिछली पीढ़ि के गोखले, तिलक की राजनीति और आज के गांधी की राजनीति में एक बड़ा फर्क है। पिछली पीढ़ी की राजनीति में विद्वत्ता की जरूरत पड़ती थी। आज की राजनीति में बाति बनाने वालों की जरूरत महसूस की जा रही है। विद्वानों को चुन-चुन कर बाहर किया जा रहा है। आज की राजनीति अंधों की माला के हाथ गई है। यह बेहद अनिष्ट बात हुई है। देश की प्रगति के लिए विभिन्न विचारों, मत-मतांतरों, वाद-विवाद के विभिन्न प्रवाहों की जरूरत होती है। इस प्रकार के विभिन्न विचारों के प्रवाहों से ही हमेशा प्रगति होती रहती है। अंधों की कतार के पीछे अगर देश एक ही राह पर चलता रहा तो वह गड्ढे में गिरने से बचेगा नहीं। वर्तमान राजनीति का केवल एक ही उद्देश्य है और वह है राजनीति में केवल एक ही पंथ का निर्माण करना। जागृति, विभिन्न विचार, सही-गलत की पहचान आदि से इस पंथ को परहेज है। एक ही बात की लकीर पीटते रहने में कोई फायदा नहीं है। आज लोग आंधी को लेकर पागल बने हुए हैं। गांधी का कहा पत्थर की लकीर बनता जा रहा है। गांधी के प्रति पागलपन के साथ-साथ ढोंगीपना भी बहुत बढ़ता जा रहा है। केवल अपनी स्वार्थ साधना के लिए काँग्रेस को चार आने देकर गलत व्यवहार करने वाले कई हरि के लाल आज पैदा होते जा रहे हैं। आज जागृति और जिम्मेदारी नहीं वहां ऐसे मुश्किल हालात तो पैदा होने ही हैं। आपकी कराड म्युनिसिपालिटी में विभिन्न राय रखने वाले तथा विभिन्न पार्टियों के सदस्य हैं। इससे लगता है कि स्थानीय मतदाता सोचने-विचारने वाले हैं। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपके द्वारा दिए गए मानपत्र के लिए एक बार फिर आपके प्रति आभार प्रकट कर मैं अपना भाषण पूरा करता हूं।

उसके बाद डॉक्टर साहब स्थानीय महारवाड़े के समारोह में शामिल हुए। वहां बड़ा जनसमुदाय दोपहर के चार बजे से ही इंतजार में खड़ा था। वहां बोलते हुए डॉक्टर साहब ने उपस्थित लोगों से कहा कि, आपस में एकता रखिए। अगले चुलावों में स्वतंत्र लेबर पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना मत दें। उसके बाद डॉक्टर साहब साथ आए लोगों के साथ सातारा, अपने घर गए।

171

*महारों की माफी जमीन और महारों की बस्ती गुलामी की ही निशानियां हैं

स्वतंत्र लेबर पार्टी की दूसरी परिषद 3 जनवरी, 1940 की दोपहर में सातारा जिले के मेढे गांव में हुई थी। सभा का अध्यक्ष स्थान डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर को देना तय हुआ था।

सभा से पहले बाजे-गाजे के साथ बड़ा जुलूस निकाल कर अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को सभा स्थान पर लाया गया। ईरास्तवन और स्वागत के पद्य आदि गाने के बाद सभा के कामकाज की शुरूआत हुई। स्वागताध्यक्ष मान्यवर सावंत के भाषण के बाद भी जावले ने डॉ. बाबासाहेब से बिनती की कि वे अध्यक्ष पद स्वीकारें। उनकी सूचना का मान्यवर डबाले और मान्यवर रोकडे ने समर्थन किया। तो डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने अध्यक्ष स्थान स्वीकारा। अध्यक्ष की सेहत ठीक न होने के कारण उन्होंने पहले स्वतंत्र लेबर पार्टी के नासिक के माननीय भाऊराव गायकवाड से पहले भाषण देने की विनती की। उन्होंने कहा-

कल हुई दुर्घटना में हमारे परमपूज्य नेता डॉ. बाबासाहेब को काफी चोटें आई हैं। ऐसे में अन्य नेताओं की तरह अनिवार्य कारणों की दलील देकर वे सभा में अनुपस्थित रह सकते थे। लेकिन आप सब निराश ना हो इसलिए अपने परिचितों-दोस्तों का कहना न मानते हुए वे आज परिषद में उपस्थित हुए हैं। हम जैसे गरीबों के नेता बनना सुखावह नहीं होता। आप सभी को अहसास होगा कि हमारे लिए उन्हें सिर हथेली पर रख कर संघर्षरत रहना पड़ता है। पिछले हफ्ते में एक के बाद एक दो दुर्घटनाएं हुई लेकिन बाबासाहेब ने अपने कार्यक्रम में कहीं कोई रुकावट नहीं आने दी। हम सभी को उनके इस बर्ताव से क्या यह पाठ नहीं लेना चाहिए कि राह में चाहे कितने ही संकट क्यों ना आएं, हमें कभी हारकर पीछे नहीं लौटना है।

उसके बाद स्वतंत्र लेबर पार्टी के श्री अनंतराव चित्रे से भाषण करने के लिए कहा गया। मान्यवर चित्रे के भाषण के बाद डॉ. अम्बेडकर का भाषण हुआ। उन्होंने कहा-

बहनों, मेहमानों, भाइयों,

आज मनमाफिक भाषण करना मेरे लिए संभव नहीं है। आज की सभा रंगहीन होने

---

*जनता : 20 जनवरी, 1940

का समय आया था लेकिन भगवान की कृपा से अब वह टल गया है। इसके बावजूद मैं ज्यादा देर तक बोल नहीं पाऊंगा। ऐसे समय सम्माननीय भाऊराव गायकवाड़ और श्री चित्रे देवदूत की तरह ही मुझे मिले। ऐन समय पर दौड़ते हुए आकर भाषण देने की मेरी जिम्मेदारी को उन्होंने हल्का किया। उनके इस काम के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। अब मैं महार वतन और सातारा के अस्पृश्य छात्रों के छात्रावास के बारे में दो शब्द बताना चाहता हूं। लेकिन इससे पूर्व श्री डबाले के आज के भाषण के बारे में मैं पहले सोचना चाहता हूं। श्री डबाले ने आज की परिषद के स्वागताध्यक्ष श्री सावंत की परोक्ष रूप से थोड़ी आलोचना की है। श्री सावंत के काम के बारे में मैं जानता हूं और उन्होंने जो काम किया है वह अमूल्य है। भरी सभा में कहा गया कि अखबार में उनका नाम नहीं छपता इसलिए उनके काम का ऊर्जा कम है ऐसा भरी सभा में कहा गया। इस बारे में मैं खुद अपना उदाहरण आपको देने वाला हूं। पिछले सवा दो सालों में विधिमंडल में मैंने केवल चार ही भाषण किए हैं। मैंने कभी सवाल भी नहीं पूछे। अनुपस्थित सदस्यों में भी मेरा नाम सबसे ऊपर होगा। ऐसे में उबाले की नजर में मा., उबाले की नजर में मा. सावंत से भी अधिक गया-गुजरा ठहरूंगा मैं, है ना?

विधिमंडल में कुल 175 सदस्य हैं। वे विभिन्न पक्षों के हैं। सभी पक्षों के सभी सदस्य वहां भाषण तो नहीं करते। वहां चुनिंदा लोग चुनिंदा भाषण देते हैं। विधिमंडल में काँग्रेस के 92 सदस्य हैं। अगर मा. उबाले को यह पता होता कि उनमें से कितने लोग भाषण देते हैं तो वे मा. सावंत की आलोचना नहीं करते। श्री सावंत ने पिछले सवा दो सालों में एक कलर्क, छह तलाठी, ग्यारह चपरासी, इक्कीस स्कूल मास्टर, सड़सठ पुलिस, छह अध्यापिकाएं और उन्नीस पोस्टमेनों को नौकरियां दिलाईं। उनका यह काम क्या कम महत्वपूर्ण है? महारों पर स्पृश्यों को खुन्नस है। कहा जाता है कि महार शिकायतें करते हैं। ऐसी स्थितियों में 131 महारों को नौकरियां दिलाना क्या कम महत्वपूर्ण काम है? यह आसान काम बिल्कुल नहीं है। इसके बावजूद मा. उबाले इस प्रकार की शिकायत करते है। मेरा उनसे यह सवाल है कि सातारा के अस्पृश्य छात्रावास की मदद करने का जो वचन उन्होंने दिया था क्या उन्होंने उसका पालन किया? मंदिर पर कलश चढ़ाने की जिनकी इच्छा हो कम से कम उन्हें तो मंदिर की नींव नहीं खोद डालनी चाहिए। घातक आलोचना कर उनकी कमियां गिनाने से क्या मिलेग?

अब हम महारों की माफी जमीन के बारे में सोचते हैं। अपने पैरों में बंधी माफी जमीन की बेड़ी तोड़ने के अलावा अब हमारे सामने कोई उपाय नहीं है। माफी जमीनें हैं तब तक हम गुलाम ही रहेंगे। इसलिए इन वतनों को खत्म कर देना होगा। हर महारों की बस्ती इंसानों का पांजरापोल ही हैं। महारों का वतन और उनके रहने की जगह यानी महार-बस्ती परंपरा से चली आई गुलामी की प्रतीक हैं। वे नष्ट होनी ही चाहिए। स्पृश्यों

द्वारा उन्हें खत्म करने का भले विरोध हो लेकिन नए स्वराज में इन्हें नष्ट करना ही होगा। इन्हें नष्ट किए बगैर मैं नहीं रहूंगा। लेकिन वतन नष्ट होने तक उसकी बेड़ियां ढीली करने की कोशिशें हमें करते रहना होगा। आंदोलन कर अपने पर चढ़ाए गए अतिरिक्त लगान के बोझ को हमें बंद कराना होगा। जो गांव के कामगार हैं उन्हें तनख्वाह नौ. करी पर रखना चाहिए। गांव से बाहर के कामों के लिए उन्हें आठ आने की दिहाड़ी मिलनी चाहिए। छह महीनों में गांव कामगारों की शिकायतें अगर हल नहीं की गई तो गांव-कामगारों को चाहिए कि वे पूरे इलाके में हड़ताल कर देनी चाहिए। भले कुछ हो, आप अपनी जमीनें ना छोड़ें।

अब हम मा. सावंत द्वारा सातारा में चलाए जा रहे अस्पृश्य छात्रावास के बारे में सोचते हैं। आंदोलन करते हुए हम अस्पृश्य नेताओं की हालत बड़ी दयनीय हो जाती है। अन्य वर्गों के राजनीतिक नेताओं का इतना बुरा हाल कभी नहीं होता। मि. जीन्ना कभी छात्रावास चलाने के झमेले में कभी पड़ेंगे नहीं। हम अस्पृश्यों को आंदोलन करते हुए बहुरूपी बनना पड़ता है। हर जगह मारे-मारे घूमना पड़ता है। हमें छात्रावास बनाने पड़ते हैं। टुंडे की पत्नी को उसे हर-रोज नहलाना पड़ता है बिल्कुल ऐसी ही हमारी गत होती है। इस बारे में आप में से अध्यापकों पर मेरा कटाक्ष है। वे पढ़े-लिखे होते हैं। हमारे आंदोलन के कारण उन्हें नौकरियां मिलती हैं मेरा उन पर आरोप है कि इसके बावजूद वे बेफिक्र रहते हैं।

किसी के मन में सवाल उभर सकता है कि सातारा में मा. भाऊराव पाटील का एक छात्रावास जब है सावंत के दूसरे छात्रावास की जरूरत क्या? लेकिन इसका जवाब बेहद आसान है। मा. पाटील के छात्रावास से बाहर निकलने वाले अस्पृश्य छात्र भीष्म-द्रोण की तरह 'अर्थस्य पुरुषों दास :' की तरह गुलामी की मानसिकता वाले नहीं होंगे। जाहिर है कि वे कच की तरह होंगे। हमारे छात्रों को संपत्ति का गुलाम नहीं होना चाहिए। इसीलिए मा. सावंत के छात्रावासों जैसी-संस्थाओं की बहुत जरूरत है।

172

*सेना में भर्ती होकर सम्मान के पद हासिल करो

28 जनवरी, 1940 के दिन रत्नागिरी में हाल ही में सेना में भर्ती हुए महार बांधवों ने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का सेना के ढंग से स्वागत किया।

इस अवसर पर डॉ. बाबासाहेब ने एक छोटा भाषण दिया। उन्होंने सभी स्पृश्य-अस्पृश्य मराठा बंधुओं को सेना में भर्ती होने की सलाह दी। अपने भाषण में उन्होंने कहा-

"आप सैनिक हैं और यह सैनिक का व्यवसाय आपने अपनाया है। जातियों के बीच के मनमुटाव के कारण यह सब बंद पड़ा था। किसी जमाने में मुंबई की सेना में तीन-चौथाई प्रतिशत महारों को चुना जाता था। उस दौरान हमारे पुर्खों ने अंग्रेज सरकार की ओर से कई लड़ाइयों में हिस्सा भी लिया था। जहां पेशवा को हरा कर अंग्रेजों ने अपनी सत्ता की स्थापना की थी वह इतिहास प्रसिद्ध कोरेगाव रणसंग्राम भी हमने ही लड़ा था।

1857 के विद्रोह के बाद अन्य जातियां भी सेना में शामिल हुई। उनकी जातीय भावनाओं को ठेस ना पहुंचे इसलिए अंग्रेज सरकार ने सेना में महारों की भर्ती रोक दी और इस प्रकार उनकी ईमानदारी के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। अब एक बार फिर हमें सुनहरा मौका मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस मौके का फायदा उठाते हुए एक बार आप सेना में अपना पहला सम्मानजनक स्थान हासिल करेंगे। ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलता इस बात को ध्यान में रख कर आपको अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। मुझे आपसे बस यही कहना है।

---

*जनता : 10 फरवरी, 1940

173

*देशहित के लिए निजी हित त्यागने को मैं तैयार हूं

4 फरवरी, 1940 को मझगांव, मुंबई में दुर्घटना से बचने के लिए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का अभिनंदन करने हेतु एक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में बोलते हुए डॉ. बाबासाहेब ने कहा–

अध्यक्ष महाराज, बहनों और भाइयों,

दुर्घटना से बचने के लिए आपने मेरा अभिनंदन किया इसके लिए मैं आपका हृदय से कृतज्ञ हूं। इंसान को लंबे समय तक जीना चाहिए ऐसा मैं नहीं मानता। आदमी बूढ़ा हुआ, दांत गिरे, हाथ-पैर कांपने लगे, सठिया गए तो फिर जीने का क्या मतलब? स्व. गडकरी ने सच ही कहा है, ''जब तक जीने से कुछ हासिल हो तभी तक जीना चाहिए।'' लेकिन एक बात मेरे मन को कुरेद रही है। मेरा काम अधूरा रह गया है। उस काम की नींव पवित्र है, उसमें ईमानदारी भी काफी है, मुझे अच्छे सहयोगी मिले हैं। यह काम जब तक अधूरा है तब तक कुछ और समय तक जीना मुझे आवश्यक लगता है। मैं बचा इसका असली संतोष इसी बात में है कि आपको इस घटना से संतोष मिला है। मैं जब मुंबई में आया तब दुर्घटना से मेरे बचने पर मुझे बधाई देने आए कई लोगों करो फूट-फूट कर रोता हुआ देखकर लगा कि अच्छा हुआ मैं बच गया। आजकी अभिनंदन की सभा में असल में अगर देखा जाए तो बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन वर्तमान स्थितियों के बारे में मैंने अगर कुछ नहीं कहा तो यहां प्रचंड जन-समुदाय को निराशा होगी इसीलिए हम सभी की आस्था से संबंधित विषय पर बोलना जरूरी है।

पिछले दो महीनों से काँग्रेस ने दो पत्रिकाएं निकाली हैं– 'पूर्णिमा' और 'नवयुग'। लगता है कि ये दोनों पत्रिकाएं खास मेरे लिए ही निकाली गई हैं। इस तरह से उन्होंने मेरा सम्मान किया है। दिन भर काम करने के बाद उस पत्रिका के लेख पढ़ कर मेरा काफी मनोरंजन होता है। हमारे बारे में लोग लगातार लिखते रहते हैं। हम ना होते तो उनका जीवन अलोना हो जाता। देखकर मेरे मन में इस बात पर स्वाभिमान जागता है कि अगर मैं न होता तो ये पत्रिकाएं बिकती कैसे? चिंता में मुझे कभी-कभी चिरंजीवि होने का ख्याल आने लगा है। 'गावमामा' ने अगर मेरा फोटो छापा तो उससे क्या साबित होता है? हो सकता है आगे चलकर मैं संन्यास लूं, कया पता? एक खत में कहा गया

---

*जनता : 10 फरवरी, 1940

है कि मैं बैठे-बैठे एक शेर भजिए खा जाता हूं। तो क्या नए जमाने में भजिए खाना पाप है? मुझे लगता है भजिए खाने से किसी की इज्जत को कोई धोखा नहीं पहुंचता। इस प्रकार की आलोचनाएं पढ़ कर मैं हंसता हूं। मेरे भाइयों को भी मेरी सलाह है कि वे हंसना सीखें। आलोचना जरूरी कीजिए लेकिन मन में दुर्भावना ना पालिए। ये आलोचना पढ़ कर मैं कैसे हंसता हूं, मैं भी उस पर चुटीला व्यंग्य कैसे कर सकता हूं इस बारे में मेरे यहां उपस्थित मेरे मित्र संपादक मा. तटणीस बताएंगे। मेरे कुछ अन्य आलोचक भी है। देशहित के लिए मैं निजी हित त्यागने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं अस्पृश्य समाज के हित को त्यागने के लिए कतई तैयार नहीं हूं। हो सकता है यह किसी को अपनी जाति के प्रति मेरा झुकाव लगे, मुझे परवाह नहीं।* मैं उनका हित कभी भूल नहीं सकता। अस्पृश्यों का मसला केवल मजदूरों या किसानों का मसला नहीं है। मिल के कपड़ा विभाग में अस्पृश्य के काम करने पर मजदूरों को ही आपत्ति होती है। काँग्रेस ने जो रैयतों के बारे में कानून बनाया है उससे भी अस्पृश्य किसानों का फायदा संभव नहीं। क्योंकि उनके पास जमीनें ही नहीं हैं। जिनके पास जमीनें ही नहीं है उन अस्पृश्य किसानों का हित यह कानून कैसे कर सकता है? अस्पृश्य किसान और मजदूर हैं। लेकिन हर किसान और मजदूर अस्पृश्य नहीं है यह भी सच है।

अस्पृश्य मजदूर डोंगे, निमकर के झंडे तले क्यों नहीं जुटते? अपनी यूनियनें अलग क्यों बनाते हैं? इसकी असली वजह यही है कि सभी मजदूर एक जैसे नहीं हैं। मजदूर और किसान भी जाति-भेद से ग्रस्त हैं। स्पृश्य मजदूर और किसानों को अस्पृश्य मजदूर और किसानों से नफरत करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। स्वतंत्र लेबर पार्टी अस्पृश्यों का मसला कभी भी छोड़ने वाली नहीं है। मैं खुद महार हूं, अस्पृश्य हूं। स्पृश्य लोग पत्थरों को, पेड़ों-झंखडों को, पशु-पंछियों को, सांप-बिच्छुओं को भी भगवान मानेंगे लेकिन किसी अस्पृश्य को वे कैसे अपना नेता मान सकते हैं? ज्यादातर मजदूर और किसान स्पृश्य ही हैं यह बात आज की स्थितियों में कैसे भुलाई जा सकती है?

क्या हमारे पक्ष के संगठन नहीं हैं? या फिर मा. प्रधान और मा. मडकेवुवा जैसे कामगार नेता हमारे पास नहीं हैं? हमारे पक्ष में कमी किस बात की है? लेकिन हम सनातनी नहीं हैं। हमारा पक्ष अस्पृश्यों का पक्ष है। तो फिर स्पृश्यों को उससे परहेज तो होना ही है।

हमारे मडकेबुवा महार हैं। उनकी जानकारी भाई, संगठन, लड़ने की नीति आदि तक ही उन्हें पता होगा। बूर्झ्वा, प्रोलेटरिएट, टेंपो आदि भारी-भरकम शब्द कैसे उनके पल्ले पड़ेंगे? अगर ये शब्द उनके पास नहीं हैं तो फिर वे कामगार नेता कैसे बन सकते हैं? लेकिन वे असली नेता हैं। म्युनिसिपालिटी के कामगारों से पूछिए। रेलवे के पोर्टरों से

---

*उपलब्ध अंक में अगली चार पंक्तियां अस्पष्ट हैं।

पूछिए। वे सब एक स्वर में यही बताएंगे कि मडकेबुवा ही हमारे सच्चे कामगार नेता हैं। चेंबूर के कूड़ेदान में काम करने वाले मजदूरों की और अन्य म्युनिसिपल कामगारों की तनख्वाह उन्होंने तुरंत लाखों रुपयों से बढ़ा कर दे दी। ऐसे नेता हमारी पार्टी में हैं। लेकिन जो नापसंद होते हैं उनका नमक अलोना होता है। इसका कोई कुछ कर नहीं सकते।

कुछ लोग मुझे मानते हैं मैं उसी में संतुष्ट हूं। सिद्धांतों को त्याग कर मुझे काँग्रेस का नेता, मजदूरों का नेता, किसानों का नेता बनने का कोई शौक नहीं।*

काँग्रेस द्वारा हमारे जिन नेताओं को तोड़ा गया था वे मा. बी. राजा, मा. देवरुखकर, और मा. राजभोज अब फिर लौट आए हैं। यह खुशी की बात है। अन्य भटके लोग भी लौट आएंगे ही इसका मुझे पूरा यकीन है। इसमें से जो शहद के लालच में बरगलाए गए युवक हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि किसके आंदोलन से आपको नौकरियां मिलती हैं? इस बारे में जरा सोचिए और अपना पागलपन त्याग दें। 1926 में पहली बार सचिवालय में चपरासी रखने को लेकर गवर्नर से मेरी झड़प हुई मुझे यह वाक्य अच्छी तरह याद है। आज स्वतंत्र लेबर पार्टी द्वारा हमारे समाज के लिए छांव वाली जगह दिला दी है। अपना संगठन बनवाकर और आंदोलन को निरंतर जारी रख कर इस छांव को विस्तार देना ना भूलें। आखिर में बस इतना ही आपसे कहना चाहता हूं। छांव देने वाले पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाना आत्मघात करने जैसा ही है, है ना?

---

*उपलब्ध अंक की अगली बाईस पंक्तियां अस्पृष्ट हैं।

174

राजनीतिक आजादी पाते ही जनता का कल्याण होगा यह भ्रम है

स्वतंत्र लेबर पार्टी की ओर से महाड़ में 19 मार्च, 1940 को 'अस्पृश्य स्वतंत्रता दिवस' आयोजित करने के बारे में परिपत्र निकाला गया। वह इस प्रकार था–

''19 मार्च, 1927 को महाड़ में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में अस्पृश्य समाज की एक विराट महासभा हुई। उस सभा में डॉ. अम्बेडकर ने अखिल भारतीय अस्पृश्य समाज की ओर से स्वतंत्रता, समता और बंधुता इन जनतंत्र के सिद्धांतों की सार्वजनिक घोषणा की। सभा में बाद हजारों अस्पृश्य जुलूस निकाल कर चवदार तालाब पर गए। अपने नागरी आजादी और समानता के अधिकार का प्रयोग करते हुए पानी भरा और अपना हक प्रस्थापित किया। इस अवसर के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में लेते हुए आगे हम वर्ष 19 मार्च का दिन अस्पृश्यों का स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाए जाने की परिपाटी डालने की जरूरत है।

महाड़ में मंगलवार 19 मार्च, 1940 के दिन डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में अस्पृश्यों की महाप्रचंड सार्वजनिक सभा होने वाली है। साथ ही जुलूस, झंडा वंदन, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा आदि काम होने वाले हैं।

जिन–जिन के लिए संभव हो से सभी अस्पृश्य भाई–बहन महाड़ में आयोजित 19 मार्च के कार्यक्रम में उपस्थित रहें। जिनके लिए महाड़ आना संभव न हो वे अपने–अपने गांव में आजादी का उत्सव मनाएं। मोटेतौर पर उत्सव का कार्यक्रम इस प्रकार रखा जाए–

1. सुबह हर घर में स्वतंत्र लेबर पार्टी का झंडा फहराएं।
2. डॉ. बाबासाहेब के फोटो के साथ झंड़े का सार्वजनिक जुलूस निकालें और उसमें दांडपट्टा जैसे कार्यक्रम रखें। जुलूस महारवाडे तक ले जाएं। महारों की बस्ती में सजे हुए मंडप के सामने झंडे की वंदना करें।
3. झंडे की वंदना के बाद सभी पुरुष, महिला और बच्चे आजादी की प्रतिज्ञा करें।
4. सभा, भाषण आदि कार्यक्रम करें।

विशेष सूचना – स्वतंत्र लेबर पार्टी का निशान है लाल झंडा। उस पर बीचों–बीच 'स्वतंत्र लेबर पार्टी' लिखा है। झंडे की बाईं तरफ ऊपर कोने में 11 तारे दर्शाए गए हैं। ये 11 तारे हिन्दुस्तान के 11 प्रांतों का प्रतीक हैं। इन सभी प्रांतों में स्वतंत्र लेबर पार्टी

का यह झंडा हमेशा फहरता रहे। झंडे का आकार सुविधानुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता है।

स्वतंत्रता दिवस की प्रतिज्ञा

''हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इंसानियत के अधिकार हासिल करेंगे। स्पृश्य समाज द्वारा हमें बहिष्कृत किया गया है। वह समाज हमें अनाज, पानी और जीवन के लिए आवश्यक अन्य सुख साधन तक पाने नहीं देता। उस समाज ने हमें महार बस्ती में कैद कर दिया है। उद्योग–व्यवसाय करना या अपनी काबिलियत के अनुसार नौकरी पाना भी उन्होंने हमारे लिए नामुमकिन कर रखा है। हमारी बुरी हालत की पूरी जिम्मेदारी स्पृश्य समाज पर ही है। हमारे इंसानी अधिकार तक छीनने वाले इस समाज के हाथ में समूची सत्ता देना यानी बंदर के हाथ में पलीता देने के समान है।

काँग्रेस सरकार ने महार ईमानदार कामगारों से बिना वेतन के काम करवाया और 50 हजार अस्पृश्य कामगारों पर लादी गई सनातनी बेगार खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया। क्या इसी बात से काँग्रेस सरकार का हरिजन प्रेम अच्छी तरह व्यक्त नहीं होता? काँग्रेस सरकार के राज्य में भी हमारे समाज का पहले की तरह ही शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शोषण जारी था। इसीलिए हमारी यह पक्की राय बनी है कि हमारे दुश्मनों के हाथ में राज्य की पूरी सत्ता देना हमारे नजरिए से बेहद जोखम भरा है।

इंसानियत के अधिकार पाने का रास्ता हमारे लिए यही है कि हम देश की राजनीति में अपना हिस्सा पा लें। इसीलिए हम एक बार फिर प्रतिज्ञा करते हैं कि अस्पृश्यों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सा दिला कर उन्हें मानव अधिकार दिलाएंगे।

हम मानते हैं कि जाति आधारित भेद–भावों को खत्म कर ऐसे संविधान का निर्माण करना हमारा कर्तव्य है जिसके तहत जाति, धर्म, वर्ण आदि ऐच्छिक व्यवहार में दखल न दें।

डॉ. अम्बेडकर द्वारा हमारे समाज को राजनीतिक सत्ता दिलाने के लिए जो लड़ाई शुरू की है उसे हम मानते हैं। डॉ. बाबासाहेब की आज्ञा के अनुसार हम इस लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे यह हमारी प्रतिज्ञा है।[1]

चवदार तालाब की लड़ाई के संदर्भ में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को न्याय पाने के लिए हाईकोर्ट तक जाना पड़ा था। इस संघर्ष में अस्पृश्यों की जीत हुई। इस बारे में पूरी खबर 27 मार्च, 1937 की 'जनता' में प्रकाशित हुआ है। वह इस प्रकार है–

---

1. जनता : 16 मार्च, 1940

चवदार तलाब से संबंधित संघर्ष में प्राप्त विजय 1927 के मार्च महीने की 19 तारीख को डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने अपने स्वाभिमान और इंसानियत के नाते मिलने वाले अधिकार पाने के लिए संघर्ष छेड़ा था और अस्पृश्य समाज की सर्वांगीण उन्नति की शुरूआत की थी। महाड़ के चवदार तालाब का पानी पीने के समान अधिकारी होने की मांग करते हुए अस्पृश्य भाइयों ने आंदोलन छोड़ा तो वहां के सनातनी और कुछ विघ्नसंतोषी स्पृश्य लोगों ने इस समान अधिकार की मांग करने वाले आंदोलन का विरोध किया। उन्होंने कानूनन अस्पृश्यों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक आदेश प्राप्त करते हुए समान अधिकार की इस लड़ाई का विरोध किया था। महाड़ के सब-जज द्वारा इस दावे को निरस्त किए जाने पर इन्हीं सनातनी लोगों ने उनके खिलाफ ठाणे कोर्ट में अपील की। वहां कई दिनों तक इस मुकद्दमे का कामकाज चला और आखिर इस कोर्ट द्वारा भी निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा तो महाड के स्पृश्य लोगों ने एक बार फिर कोशिश कर अस्पृश्य समाज के समान अधिकार पाने की लड़ाई को जड़ से खत्म करने की कोशिश में मुंबई हाईकोर्ट में अपील की। वहां यह अपील लंबे समय तक लटका रहा। लेकिन आखिर पिछले महीने उस पर सुनवाई शुरू की गई। इस मुकदमे में डॉ. बाबासााहेब अम्बेडकर और अन्य चार अस्पृश्य प्रतिनिधियों को प्रतिवादी किया गया था। कोर्ट द्वारा इस मुकदमे से संबंधित सभी हकीकतों के बारे में जैसे कि वहां के हालात, इस तालाब का ऐहिासिक महत्व और पुराने रीति-रिवाजों के बारे में जानकारी ली। कुछ दिनों तक निर्णय को लंबित रखने के बाद आखिर 13 मार्च, 1937 को न्या ब्रमफील्ड ने इस मुकदमे से संबंधित अपना निर्णय सार्वजनिक किया। निर्णय में उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में बताया कि चवदार तालाब की मालिकीयत के बारे में अब वादी का कुछ भी कहना नहीं लेकिन लैंड रेवेन्यू कोड के मुताबिक चवदार तालाब सरकार की संपत्ति था और प्रतिवादी द्वारा दिए गए प्रतिपादन के मुताबिक डि. म्यु. एक्ट के मुताबिक फिलहाल इस तालाब की मालिकीयत महाड़ म्युनिसिपालिटी के पास है। इस तालाब का पानी मुसलमानों जैसे अहिंदु लोग भी इस्तेमाल करते हैं। इससे स्पष्ट है कि इस तालाब को इस्तेमाल करने का अधिकार केवल स्पृश्य लोगों को ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके बावजूद वादी का कहना है कि प्राचीन समय में हम तालाब का पानी भरने और पीने की अस्पृश्यों को मनाही थी। लेकिन इस प्राचीन रूढ़ि के कारण वादी को आज यह कहने का कानूनी अधिकार नहीं है। साथ ही इस प्राचीन रूढ़ि के होने की बात भी सप्रमाण साबित नहीं कर पाया है। इस प्रकार इस मुकदमे में आखिर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की जीत हुई और महाड के चवदार तालाब का पानी आगे से कानून अस्पृश्यों के लिए पीने और इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध हुआ। दस वर्ष डॉ. बाबासाहेब ने अस्पृश्य समाज की सर्वांगीण उन्नति के लिए जो आंदोलन छेड़ा था उसमें आज उन्हें अपूर्व सफलता मिली है। किसी भी मुश्किल

काम को संगठन और अनुशासन के बल पर कैसे सफल बनाया जा सकता है यह इस आंदोलन के जरिए जाना जा सकता है। इस मुकदम में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर आदि प्रतिवादियों की तरफ से मि. गुप्ते और मि. मोडक वकील द्वारा की गई कानूनी कार्रवाई सराहनीय और अभिनंदनीय है।

डॉ. अम्बेडकर का महाड में आगमन

19 मार्च, 1940 को कुलाबा जिले के महाड में अस्पृश्यों का 14वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए डॉ. बाबासाहेब 18 तारीख को धरमतट की राह से मुंबई से महाड जाने के लिए निकले। उनके साथ स्वतंत्र लेबर पार्टी के उनके सहयोगी श्री दौलतराव जाधव, श्री मडकेबुवा, श्री भातनकर, श्री पाटणे, श्री सवादकर और श्री सहस्त्रबुद्धे आदि लोग भी थे।

रेवस बंदरगाह पर रा. नारायणराव थले और रा. कुंडलिक कमल पाटील आदि चरी शंतकरी संघ और अलीबाग के स्वतंत्र लेबर पार्टी के आगरी नेताओं ने उन्हें फूलमालाएं अपर्ण कीं।

डॉ. अम्बेडकर के स्वागत में धरमतर में बंडू पांडुरंग पाटील (आगरी) और गोवाल चांगू जाधव (अस्पृश्य) ने उनका स्वागत करते हुए उन्हें फूलमालाएं अपर्ण कीं। यहां डॉ. अम्बेडकर के स्वागत में बंदरगाह पर नारायण नागोजी पाटील, सौ. पाटील, अनंत. राव चित्रे, श्री कोवले और श्री सुररण्बा टिपणीस आदि कुलाबा और रत्नागिरी जिले के किसान उपस्थित थे।

इसके बाद गडप गांव के किसानों की ओर से आगरी नेता श्री दामोदर खंडू पाटील ने उनका स्वागत कर उन्हें फूलमालाएं अपर्ण कीं।

कोलाड में रावसाहेब बारटक्के, श्री किंजले, पुणे म्युनिसिपालिटी के पूर्व नगराध्यक्ष श्री शेखा खोत और श्री जोसेफ खोत ने उनका स्वागत किया।

इंदापुर में श्री बापूसाहब देशमुख ने डॉ. अम्बेडकर तथा बाकी सभी लोगों का जोरदार स्वागत करते हुए उन्हें नाश्ता कराया। इस स्वागत समारोह में कु. भागीबाई तुकाराम गायकवाड़ इस अस्पृश्य युवती ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया था। आगे नाणगांव में श्री अनंत गंगाराम खुले और श्री शंकरराव खुले भाइयों ने डॉ. बाबासाहेब का स्वागत करते हुए उन्हें पुष्पहार अपर्ण किया।

यहां से मेहमान लोणेरे गांव पहुंचे जहां किसान नेता श्री पांडुरंग बुवा चोरवे (कुणबी) ने डॉ. साहब का स्वागत करते हुए उन्हें फूलमालाएं अपर्ण कीं।[2]

---

2. जनता : 23 मार्च, 1940

''महाड में मना अस्पृश्य दिवस - झंडा वंदन

सोमवार 19 मार्च, 1940 को कुलाबा जिले के महा् गांव में 14वां अस्पृश्य स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर सुबह महाड़ के मशहूर चवदार तालाब पर झंड़े की वंदना का कार्यक्रम संपन्न हुआ।

इस समारोह के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी के करीब 200 स्वयंसेवक काम कर रहे थे। डॉ. बाबासाहेब के नेतृत्व में बाहर से परिषद के लिए आए लोगों के साथ 200 स्वयंसेवी जुलूस के साथ सुबह 11 बजे चवदार तालाब के पास इक्ट्ठा हुए। श्री मचंडे ने बिगुल बजा कर समारोह शुरू होने का इशारा उपस्थितों को दिया। उसके बाद स्वतंत्र लेबर पार्टी के कुलाबा जिले के नामचीन नेता श्री सुरबा टिप्पणीस ने सभा में उपस्थित लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से समारोह संपन्न कराने की प्रार्थना की।

उसके बाद खानदेश के पृथक मजदूर पार्टी के नेता रा. दौलतराव जाधव ने 1927 में चवदार तालाब के लिए हुए संघर्ष की जानकारी देकर पृथक मजदूर पक्ष का झंडा कैसे विजयी बना इस बारे में संक्षेप में जानकारी दी।

फिर कुछ समय तक बिगुल वादन का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद चंद्रकांत ने झंडे को झटका और पृथक मजदूर पक्ष का झंडा डॉ. बाबासाहेब के हाथों फहराया गया और उसका सामुदायिक वंदन किया गया।

झंडा वंदन के बाद विधायक जाधव ने झंडे को हाजिर-नाजिर मानकर की जाने वाली प्रतिज्ञा उपस्थितियों का पढ़ कर सुनाई।

हमारा आंदोलन निरंतर फैल रहा है

प्रतिज्ञाविधि के बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर भाषण देने के लिए उठ कर खड़े रहे। उन्होंने कहा,

बहनों और भाइयों,

अब हम स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में से पहले कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। दोपहर में आयोजित इस कार्यक्रम के दूसरे हस्से के जुलूस में शामिल होंगे। उसके बाद शाम को हमारी सभा होने वाली है। जुलूस के दौरान और सभा में आपको शांति का पालन करना होगा। पिछले पंद्रह सालों में हमें कोलाबा जिले में, खास कर महाड में स्पृश्यों में से कई सहयोगी मिले और हमारा आंदोलन निरंतर फैलता रहा। इसके बावजूद इस बात का कोई भरोसा नहीं कि हमारे कार्यक्रम में कोई कुछ गलत नहीं कर सकता। पुराने समय की अपनी यादें अभी ताजा हैं। इसीलिए जुलूस और सभा

में शांति कायम रखने की आपको पूरी–पूरी कोशिश करनी होगी। समारोह को बिखरे देने के लिए एकाध–दूसरा इंसान भी काफी होता है। किसी ने कोई गाली बकी, एकाध पत्थर उछाला तो शांति भंग होने का खतरा रहता है। ऐसा कुछ हो तब भी शांति बनाए रखनी चाहिए, यह इशारा मैं आपको दे रहा हूं। अगर कोई समारोह में खलल डाले तो उस ओर ध्यान न दें। मैं आपसे कहता हूं कि उस ओर साफ नजरंदाज कर समारोह को सफल बनाएं। स्वतंत्रता दिवस के बारे में मेरा भाषण शाम की सभा में होगा इसलिए उस बारे में यहां कुछ बताने की जरूरत नहीं है।

डॉ. बाबासाहेब ने भाषण के बाद स्वयंसेवक तालाब का चक्कर लगाकर घर चले गए। झंडा वंदन समारोह के अवसर पर लाऊड स्पीकर लगाए जाने के कारण समारोह स्थान से मील भर की दूरी तक कार्यक्रम सुनाई दे रहा था।[3]

''अस्पृश्य स्वतंत्रता दिवस की विराट सभा''

दोपहर करीब 3 बजे सभा के अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को जुलूस निकाल कर सभा स्थान पर लाया गया। महाड के इतिहास में ये जुलूस और सभा अद्वितीय थी। खास कर इस सभा में हिस्सा लेने के लिए पुणे के श्री गोपीनाथराव पोतनीस के साथ करीब 1000 मावले (युवक) आए थे।

जुलूस वीरेश्वर रोड़ से निकला। वहां से पोस्ट ऑफिस, खडा प्रांतिक रास्ता, सालवाड़ा अलावा, सरेकर आली, चवदार तालाब का दक्षिणी हिस्सा, डोंगरे पुल, पेठ और सुकाती गली के रास्ते जुलूस सभा स्थान पहुंचा। जुलूस की लंबाई करीब डेढ़ मील की थी।

जुलूस में 'स्वतंत्र लेबर पार्टी की जय हो, 'अम्बेडकर जिंदाबाद', 'महात्मा फुले की जय', 'महात्मा आगरकर की जय', 'किसानों की जय हो', 'श्रमिकों की जय हो', 'जमींदारी खत्म करो', 'साहूकारी खत्म करो', 'पूंजीवाद खत्म करो', 'साम्राज्यवाद खत्म करो', 'भिक्षुवाद खत्म करो', 'जातिभेदों को नष्ट करो', 'अस्पृश्यता खत्म करो', 'समता की जय हो', 'मालिकवाद खत्म हो', 'अस्पृश्यों की आजादी की जय हो' आदि नारों से वातावरण गूंज उठा। जुलूस चल ही रहा था। रास्ते में श्री भानुदास कांबले और श्री भाई वंडके ने जुनी पेठ में बाबासाहेब को फुलमालाएं अर्पण कीं। सरेकर गली में श्री भिकोबा मालुसरे और श्री यशंवतराव टिपणीस ने उनका सम्मान किया। सातवाड़ा में साती मास्टर ने फुलमाला पहनाई। चवदार तालाब के पास श्री दगंडोबा सालुंके और श्री दत्तोबा देशपांड़े ने उनका सम्मान किया। नवी पेठ के महाड़ मुंबई मोटर युनियन की ओर से साली मास्टर ने डॉ. बाबासाहेब को फूलमालाएं पहनाई।

---

3. जनता : 23 मार्च, 1940

इस प्रकार यह विशाल जुलूस शाम करीब 5 बजे सभा-स्थल पहुंचा। फिर सभा का कामकाज शुरू हुआ।

इस सभा में बाहर से महाड़ शहर में आए श्री गोपीनाथराव पोतनीस, राजाराम भाऊ भोले, भाऊसाहब गडकरी, विधायक सावंत, श्री अधिकारी वकील, विधायक घाडगे और शंकरराव खुले आदि लोग उपस्थित थे।

स्थानीय लोगों में रा. ब. बर्णिक, श्री अण्णा साहब भिलारे, यशवंत वीरकर, कैप्टन जगताप, पी. बी. गांधी, हिरालाल शेठ मारवाड़ी, विष्णुपंत चांदे, डॉ. चितले, डॉ. खेडकर, बुटाला वकील, शंकरशेट डोलस, महादेव शेठ बनारसे, दत्तोपंत देशपांडे, हरिभाऊ बनारसें, भानुदास कांबले, नारायण राव मांगडे और सावंत वकील आदि लोग उपस्थित थे।

सभा की शुरूआत कु. इंदु गुप्ते और श्री विमल गुपते द्वारा गाए गए स्वागत गीत से हुई। उसके बाद सुश्री वृंदा चित्रे ने आभार प्रदर्शक पद्य गाया। फिर सभा के स्वागताध्यक्ष श्री सुरबा टिपणीस ने अपने भाषण में नियोजित अध्यक्ष से अध्यक्षस्थान ग्रहण करने की विनती की।

श्री सुरण्बा के प्रस्ताव का श्री नारायण राव पाटील ने समर्थन किया।

पनवेल के विधायक भातणकर ने श्री पाटील के भाषण का समर्थन किया और तालियों की गड़गड़ाहट और अम्बेडकर जिंदाबाद के नारों के बीच डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने अध्यक्ष स्थान स्वीकारा।

उसके बाद अध्यक्ष के आदेशानुसार श्री चिंतामणराव देशपांडे ने सभा के लिए आए सांसद भास्करराव जाधव, श्री केशराव ठाकरे, दामुअण्णा पोतनीस, गोविंद राव बरधाकर, देशराव नाईक, कारखानीस, श्री राजभोज, काकासाहब लिमये आदि स्पृश्यास्पृश्य नेताओं के संदेश पढ़ कर सुनाए।[4]

शुरूआती हैंडबिल के अनुसार 19 मार्च, 1940 को अस्पृश्यों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले महाड क्रांति दिवस को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लेकर उस दिन महाड में स्पृश्य, अस्पृश्य, मुसलमान समुदायों के पंद्रह से बीस हजार लोग इक्ट्ठा हुए थे। बाबासाहेब अम्बेडकर ने इस जनसमुदाय का मार्गदर्शन किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा-

''हैंड बिल में आपने सभा का उद्देश्य पढ़ा है। आज महाड में सुख का शांति का, एकता का वातावरण है। लेकिन 14 साल पहले इसी समय महाड में हालात कितने मुश्किल

---

4. जनता : 19 मार्च, 1940

थे यह आप में से कई लोगों को याद होगा। 1927 की सभा में जो लोग उपस्थित थे वे आज की सभा में जीवित होते हुए भी गैर-हाजिर रहें यह संभव नहीं है।

चौदह साल पहले इसी थिएटर में एक मामुली सभा हुई थी। उस सभा में अस्पृश्यों के लिए सार्वजनिक तालाबों से पाबंदी हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव के लिए सभी पक्षों से समर्थन मिला था। इस समर्थन के कारण हमारे अनंतराव चित्रे की हालत 'क्या करूं क्या ना करूं' सी हो गई थी। हम सभी लोग उत्सुक भेड़ों की तरह सामुदायिक रूप से पानी पीने के लिए तालाब पर गए थे। हमारे लोगों द्वारा वहां भरपेट जलपान किए जाने के बाद हम कृतार्थ होकर अपने-अपने ठिकाने चले गए थे। उस दौरान मेरा रहने का प्रबंध ट्रॅवलर्स होम में किया गया था। मैं और मेरे साथी सरकारी बंगले पर गए। उस दिन हमारे खाने का कोई प्रबंध नहीं किया जा सका। दोपहर के समय लहुलुहान अस्पृश्यों के दर्शन जरूर हुए थे। महाड़ के स्पृश्यों ने अस्पृश्यों को अकेले में पकड़ कर पीट दिया था। स्पृश्य कातिलों का जुलूस दोपहर चार बजे के आस-पास हमारी ओर बंगले पर आया था। इस मोर्चे में करीब दो हजार लोग शामिल थे। उन्हें यह कह कर उकसाया और भड़काया गया था कि डॉ. अम्बेडकर आज विश्वेश्वर के मंदिर में जाने वाले हैं। लेकिन उस समुदाय के साथ उस दिन पुलिस अधिकारी भी थे। इसलिए हमारी मृत्यु टली। उस समय पुलिस अधिकारी भी डर गए थे। उन्होंने मुझे साफ तौर पर कहा था कि या तो आप मुंबई चले जाएं या पुलिस के दफ्तर में आकर रहें। जख्मी लोगों को उनके हाल पर छोड़ कर मुंबई जाना मेरे लिए संभव नहीं था। इसलिए मैं पुलिस के दफ्तर में रहने लगा। श्री सुरबा टिपणीस को भी लोगों से डर रहा था। इसके बावजूद वे चोरी-छिपे मेरे लिए थोड़ा-बहुत खाना ले आया करते थे। वीर गांव का बूढ़ा वीरकर लेकिन हर रोज मेरे लिए खाना लेकर आता था।

1927 के दिसम्बर, महीने में हमने एक बार फिर सत्याग्रह के लिए सभा बुलाना तय किया। हम पर मनाही हुक्कम लगाया गया। प्रतिबंधात्मक आदेश तोड़ने के लिए लोग बिल्कुल तैयार थे लेकिन हमारी सभा ने निर्णय लिया कि हमें कानूनी राह को अपनाते हुए ही आगे बढ़ना है। कई मित्र नाराज हुए। दुश्मन कहने लगे कि हम कारागार से, सजा से डरते हैं। लेकिन इतिहास ने साबित कर दिया है कि हमारी नीति ही सही थी, जो राह अपनाई थी वही सही थी।

आज की सभा में स्पृश्य, अस्पृश्य, हिंदू, मुस्लिम कंधे से कंधा सटाए बैठे हैं। क्या इससे साबित नहीं होता कि जो रास्ता हमने अपनाया था वही सही था?

आज हम यहां अस्पृश्यों का स्वतंत्रता दिवस मानने के लिए इक्ट्ठा हुए हैं। अस्पृश्यों की आजादी जयादातर सामाजिक समस्या ही है। आज मैं इस समस्या के संदर्भ में सिंहावलोकन करने वाला हूं। सामाजिक बदलावों के बारे में मैं जो आज सोचने वाला

हूं। आज की सभा में मैं राजनीतिक आंदोलन के बारे में कम ही सोचूंगा।

केवल राजनीतिक आजादी पाने भर से जनता का कल्याण होगा यह भ्रम है। अनुभव हमें बताते हैं कि दुनिया के कई आजाद देशों की जनता आज भी दुखी और परेशान है। रूमानीया, अल्बेनिया, सर्बिया और युगोस्लाविया देश आजाद हैं, लेकिन क्या वे सुखी हैं? फिनलैंड और रशिया का उदाहरण हमारे सामने ही है।

जिस देश के सामाजिक हालात बेहतर होते हैं, जहां व्यवस्था कायम रहती है वही राष्ट्र आजादी पाकर उसे ठिकाए रख सकता है। हिंदी नेता स्व. सर टी. माधव राव ने एक जगह कहा है कि, ''बुरी सामाजिक स्थितियां ही जनता के दुख के लिए जिम्मेदार होती हैं।'' आर्यों की संस्कृति ने हमारे समाज की चौखट को हड्डी की तरह सख्त बना दिया है। उसमें लचक बिल्कुल नहीं बची है। हालात के अनुसार उसमें फेरबदलाव लाना संभव नहीं होता। आर्य संस्कृति को श्रेष्ठ मान कर उसे दिल से लगाए रखने में कोई मतलब नहीं। इस संस्कृति की मानी गई श्रेष्ठता निरा भ्रम है। उनकी यहा संस्था से ही आर्यों की अमानुष हिंसक मानसिकता का पता चलता है। आर्य यज्ञों में अनगिनत पशुओं की नृशंस बलि चढ़ाया करते थे। आर्य लोग पक्के सोमप्राशन करने वाले थे। उनके जितने शराबी लोग शायद ही कहीं मिलें। वे शूद्रों को तुच्छ मानते, महिलाओं को शूद्रों से हीन मानते थे। अपनी मां-बहनों की स्त्री-जाति को हीन मानने वाले आर्यों की संस्कृति का दर्जा कया था यह अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है। इन्हीं आर्यो ने चार वर्ण बना कर समाज के टुकड़े कर दिए और शूद्रों को हीन स्थिति तक पहुंचाया। यही आर्य संस्कृति आज की हमारी हीन स्थिति का कारण बनी हुई है।

भगवान बुद्ध ने इन बिगड़े हालात को सुधारने की कोशिश की। उसने यज्ञ संस्था का विरोध किया। महिलाओं और शूद्रों की हालत में सुधार लाने की कोशिश की। शराब पीने पर भी पाबंदी लगा दी।

लेकिन ब्राह्मण धर्म ऐसे बुद्ध धर्म को सह नहीं सका। ब्राह्मण धर्म के विरोध में बुद्ध धर्म टिक नहीं पाया।

बुद्ध के बाद भी कई लोगों ने समाज सुधार की कोशिशें की लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।

हाल के समय में स्व. आगरकर और महात्मा ज्योतिबा फुले ने समाज में सुधार लाने की भगीरथ कोशिशें की। ये सभी अतिरथी-महारथी थक गए लेकिन हमारे पिछले पंद्रह सालों के आंदोलन को लेकिन लगता है कि कुछ हद तक सफलता मिली है। यह खुशी की बात है।

चवदार तालाब का संघर्ष सामाजिक समता का संघर्ष था। इस संघर्ष के दूरगामी परिणाम हुए हैं। उन पर नजर डालने से इस लड़ाई का व्यापक स्वरूप समझ में आता है। यह संघर्ष शुरू हुआ तभी से हमने मृत मांस खाना छोड़ दिया और गांव में टुकड़े मांग कर पेट भरने की दुष्ट रूढ़ि का पालन करना छोड़ दिया। हमारे इस आंदोलन की शुरूआत में लोग हमसे पूछते कि इन रूढ़ियों का पालन करने वाले हमारे पुरखे क्या मूर्ख थे? उनके इस सवाल से उस वक्त की लोगों की मानसिकता का पता चलता है। आज उनकी इस मानसिकता में फर्क आया है। यह फर्क चवदार तालाब के लिए छेड़े संघर्ष से ही पैदा हुआ है। हम पर कई देवी-देवताओं का असर था। खंडोबा और मुरलियों (मुरली-देवदासी) की प्रथा को बहुत महत्व प्राप्त था। अब हमारे बीच से पुराने भूतों-पिशाचों और भगवान-भगवतियों को हमने विदा कर दिया है। आज महार समाज की कायिक, मानसिक और आत्मिक त्रिशुद्धि हुई है। आज यह स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए हम हर तरह से लायक हुए हैं। 'मन आजाद तो इंसान आजाद' यह बात ध्यान में रखें। चवदार तालाब के संघर्ष से ही पृथक मजदूर पक्ष का जन्म हुआ है। यह पक्ष इस लड़ाई का राजनीतिक फल है। चवदार तालाब की लड़ाई से ही हममें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जागृति आई है। इस बात को कोई ना भूलें।

इस लड़ाई का स्पृश्यों पर भी असर हुआ है। इसी लड़ाई के कारण महाराष्ट्र में महाडकर लोगों की गिनती पहले होने लगी है। यह जागृति और उन्नति इसी संघर्ष की देन है। चौदह साल पहले फूटे सिरों ने इस जागृति और प्रगति को जन्म दिया है। यहां आए कुणबी और मराठा भाइयों को अब मैं दो शब्द बताने वाला हूं। वे ध्यान देकर सुनें-

महार समाज में अब प्रशंसनीय जागृति हुई है। महाराष्ट्र के संदर्भ में ही अगर बोलना हो तो आज यह कहने का समय आया है कि महाराष्ट्र में केवल महार और ब्राह्मण की राजनीति जानते हैं। इस मामले में कुणबी ओर मराठा समाज में जागृति नहीं है।

आपको सोचना होगा कि ऐसी स्थिति आज अगर है तो क्यों है? आपमें गर्व तो है कि आप महारों से श्रेष्ठ हैं। लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि महारों से बड़ा होने में क्या बड़प्पन है? समाज के निचले स्तर के लोगों से तनकर पेश आने में कैसा पुरुषार्थ है?

कुलाबा जिले में सात मामलतदार हैं। उनमें कुणबी-मराठा कितने हैं? आपको इस बात के बारे में सोचना होगा। अधिकारी वर्ग में आपके कितने लोग हैं? क्या आप में से कोई प्रांत का अधिकारी है? आपमें से क्या कोई कलक्टर है? आपको इन महत्वपूर्ण मसलों के बारे में सोचना होगा। आपका सामाजिक प्रतिशत 70 से 80 है। केवल झाडूवाले और चौकीदारों की ओर देख कर ही आप सीना फुलाते रहेंगे क्या?

महार समाज अब ताकतवर बना है। अब वह डुबेगा नहीं। तुम्हारे पैरों के नीचे भी

नहीं रहेगा। ध्यान रखें, अब के बाद आपको भी जागना होगा। 70–80 प्रतिशत होने के बावजूद आप लोगों को केवल समाज की हमाली करने में जिंदगी अगर बितानी पड़ती हो तो मैं कहूं कि आपका कितना बुरा हाल है?

आप भले कॉंग्रेस में शामिल हों, कॉंग्रेस आपको आजादी से बरतने नहीं देगी। आपको कॉंग्रेस के गुलाम बन कर रहना होगा। हमारी स्वतंत्र लेबर पार्टी की बुनियाद महार ही है। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से शोषित हमारे समाज के निम्न स्तर के लोगों में जागृति लाकर उसी पर स्वतंत्र लेबर पार्टी की बुनियाद रखी गई है। इसलिए हमारा यह हिस्सा हमेशा मजबूत ही रहेगा यह बात ध्यान में रखें।

आप हमें सीढ़ी बना, हमारा सहारा लेकर अपना काम शुरू करें। लेकिन आप अपनी अलग सीढ़ी बनाना ना भुलें। हम अस्पृश्यों के पक्ष से आपको अगर परहेज हो तो आप हमसे ना मिलें लेकिन हमने जो कछुए की पीठ तैयार की है उसका इस्तेमाल कर इस दुख के सागर को तर जाने से हिचकिचाएं नहीं। मेरा आपसे बस यही कहना है।[5]

''अध्यक्ष के भाषण के बाद महाड तालुका, माणगांव और मुंबई के फोर्ट वाले हिस्से में रहने वाले कोलाबा वासियों ने डॉ. बाबासाहेब को रु. 318, रु. 210 और रु. 31 की थैलियां अर्पण कीं।

डॉ. बाबासाहेब ने घोषणा की कि इसमें से आधी रकम महाड के सुम्भेदार सवादकर बोर्डिंग को और बची हुई रकम स्थानीय कार्य के लिए दी जाएगी।

डॉ. जाधव के भाषण के बाद मडकेबुवा जाधव ने स्वतंत्र लेबर पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़ाने की जरूरत पर ध्यान दिलाया। सभा के अंत में दो अस्पृश्य बच्चों ने अस्पृश्य आंदोलन के लिए पोषक दो पद गाकर सुनाए। अंत में श्री पोतनीस ने सबके प्रति आभार प्रकट किया।

आभार प्रदर्शक प्रस्ताव के बाद कुलाबा जिले के पृथक मजदूर पक्ष, महाड के सुभेदार सवादकर, बोर्डिंग, माणगांव तहसील के स्वतंत्र लेबर पार्टी, महाड के श्री सुरबा टिपणीस और श्री ओहोल मास्टर, श्री शंकरहोठ खुले और श्री भास्कर होठ खुले की ओर से डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को फूलमालाएं अर्पण की गईं। उसके बाद सभा समाप्त हुई।

स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए श्री राधो दगडू ओहोल, विठोबा गणपत वरघरकर, देऊ रामा जोजी, और गुणाजी देवजी कोलकर ने बहुत मेहनत की इसलिए उनके प्रति जितना भी आभार प्रकट किया जाए कम है।[6]

---

5. जनता : 30 मार्च, 1940
6. तत्रैव

175

*मेरी राय है कि व्यवहार कुशलता और चारित्रिक संपन्नता ये दो महाराष्ट्रियों के गुण हैं

अस्पृश्य स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 19 मार्च, 1940 के दिन डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर महाड आए थे। इस कार्यक्रम में महाड म्युनिसिपालिटी ने उन्हें मानपत्र अपर्ण किया। इस अवसर पर महाड म्युनिसिपालिटी के सदस्य और महाड के प्रमुख नागरिक उपस्थित थे। मा. खोडके ने मानपत्र पढ़ा। उसमें लिखा था–

डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर,

एमए. पीएचडी, (कोलंबिया); डीएससी (लंदन); बारएट लॉ; एमएलए; जेपी, मुंबई के चरणों में–

विद्वत्मान्य भारतभूषण डॉक्टर साहब,

ठीक तेरह वर्ष पूर्व दिनांक 19 मार्च, 1927 को हमारे महाड शहर में अस्पृश्य जनता ने आपके नेतृत्व में चवदार तालाब का पानी भर कर अपने नागरिक समानता के जन्मसिद्ध अधिकार पर अमल किया। उस ऐतिहासिक प्रसंग की स्मृति को जागृत रखने के उद्देश्य से 19 मार्च का दिन 'अस्पृश्य स्वतंत्रता दिवस' के रूप में मनाया जाता है। उसी समारोह में आज आप यहां आए हैं। इस ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण प्रसंग पर महाड शहर के नागरिकों की ओर से हम यानी महाड म्युनिसिपालिटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्य आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।

छात्रावास में आपने कई तरह के संकट झेल कर ज्ञानार्जन किया। आपकी असमान्य बुद्धिमत्ता, ज्ञानलालसा देखकर स्व. श्रीमंत सर सयाजीराव महाराज गायकवाड़ ने आपको विदेश जाकर ज्ञान प्राप्त करने का मौका और साधन उपलब्ध करा दिए। दर्शन, राजनीति, विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, कानून आदि गहन विषयों में आपने स्वदेशी और विदेशी विश्वविद्यालय में विद्या प्रापत की। स्वार्थबुद्धि से आप अगर चाहते तो बड़े अधिकार वाली सरकारी नौकरी पाना चाहते तो अपनी विद्वत्ता के बल पर बड़ी आसानी से ऐसी नौकरी पा लेते। लेकिन सरकारी नौकरी के मोह में पड़े बगैर अपनी स्वतंत्र वृत्ति के लिए अनुकूल बैरिस्टरी का व्यवसाय अपनाया और श्रेष्ठ कीर्ति अर्जित की।

आपने अपने प्रभावशाली नेतृत्व में इस देश के सात करोड़ अस्पृश्य जनता का स्वाभिमान जागृत किया। उसमें नवचेतनता और स्फूर्ति निर्माण की। मानवता के अपने

* जनता : 23 मार्च, और 30 मार्च, 1940

जन्मसिद्ध अधिकार का उसे अहसास दिलाया। अपनी असामान्य कर्तृता से अस्पृश्य जनता के आचार और विचारों में अभूतपूर्व क्रांति ला दी। इतना ही नहीं, स्पृश्य हिन्दू समाज को भी अंतर्मुख कर विचार प्रवण बनाया। केवल दो दशकों की अल्प अवधि में आपने यह सब साध्य किया। यह बात जितनी आश्चर्यकारी उतनी ही आनंददायी और आशादायी है। अतिदलित और अस्पृश्य समाज में आपके जैसा अद्वितीय नेता पैदा हुआ यह न केवल अस्पृश्य जनता का बल्कि अखिल हिंदू जनता का सौभाग्य है।

तेरह वर्ष पूर्व आपके नेतृत्व में इस शहर के चवदार तालाब का पानी भर कर हजारों अस्पृश्य बांधवों ने अपने नागरिक समानता के अधिकार पर अमल किया। उसके बाद यहां के लोगों में स्पृहणीय क्रांति आई। इसका श्रेय मुख्यतः आपको ही दिया जाना चाहिए। आपके अस्पृश्योद्धार के महान कार्य के लिए महाड के लोगों का समर्थन हमेशा आपके साथ है यह आश्वासन हम महाड़ के नागरिकों की तरफ से देना चाहते हैं।

जिस समाज में आपका जन्म हुआ उस समाज की उन्नति के लिए आपके मन में लगन की जो ज्योति जली है उसका दर्शन पिछले बीस वर्षों में कई छोटे-बड़े प्रसंगों में जनता कर चुकी है। जिन विशिष्ट सामाजिक हालात में आपको अस्पृश्य जनता की राजनीतिक और सामाजिक प्रगति हासिल करनी है उसके बारे में सोचें तो एक बात विचारवानों को माननी ही पड़ेगी कि बाहरी तौर पर भले आपके आंदोलन का स्वरूप जातीय रहा अंदर से वह पूरी तरह राष्ट्रीय गोलमेज परिषद और पुणे करार के अवसर पर हालत के अनुरूप स्वजनहित और राष्ट्रहित का सुयोग्य समन्वय करने की बहुतेरी कोशिश आपने की। राजनीतिक क्षेत्र में आपने जो काम किया है उसके बारे में जिन्हें यथायोग्य अहसास है उन हिंदी नागरिकों के मन में आपके बारे में पूर्ण आदर है।

पिछले तीन सालों में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना कर आपने अपने राजनीतिक कार्यक्षेत्र की व्याप्ति बढ़ाई है। केवल अस्पृश्य ही नहीं तो देश के श्रमजीवि, दलित, किसान, कामगार वर्ग की उन्नति के लिए आप निरंतर बिना विश्राम जो काम कर रहे हैं वह अभिनंदनीय है।

इस देश का दलित और श्रमजीवि वर्ग बड़ी आशा से आप पर नजरें टिकाए हुए हैं। उनकी आशाएं आपके हाथों सफल हों और उसके लिए आपको दीर्घायुरारोग्य प्राप्त हो। जगान्नियंता प्रभु के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए हम यह मानपत्र बड़े आदर और अप. नत्व के साथ आपको अर्पण कर रहे हैं। इस विनती के साथ कि उसका स्वीकार हो।

आपके नम्र सेवक,
विष्णु नरहरी खोड़के,
प्रेसिडेंट महाड़ म्युनिसिपालिटी

मानपत्र पढ़ कर सुनाए जाने के बाद जवाब में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने छोटा-सा भाषण किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा-

अध्यक्ष महाराज, सदस्यों और नागरिक जनों,

आपने मुझे जो मानपत्र दिया है उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे मानपत्र अगर नहीं भी दिया जाता तब भी मैं आपके प्रति ऋणी रहता। मेरे सार्वजनिक कामों की शुरूआत महाड़ में हुई। इस तरह के कामों के लिए आवश्यक प्रेरणा, स्फूर्ति भी मुझे यहीं से प्राप्त हुई। इसी शहर से मुझे सहयोगी भी मिले हैं।

चौदह वर्ष पूर्व हमारे आंदोलन के कारण महाड़ में जो दंगा हुआ उसके कारण कुछ स्थानीय लोगों द्वारा हमारा विरोध होना सहज ही है। इस टंटे के लिए कारण बने हम लोगों को साथ आज आप आदारपूर्वक सम्मानपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं यह देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। महाड़ के सहयोगियों का मेरे काम में बहुमूल्य मदद मिलती ही रहती है। इसलिए भी मुझे महाड़वासियों के बारे में गर्व महसूस होता है। ऊपरी तौर पर जातीय लगने वाला मेरा काम का असली स्वरूप राष्ट्रीय है यह आपने पहचाना। इससे आपकी सूक्ष्मबुद्धि का परिचय मिलता है।

वैसे आमतौर पर मेरा विषय राजनीति ही होता है यह आप जानते हैं। राजनीति के बारे में ना बोलूं तो मुझे कुछ छूट गया-सा लगता है। सात-आठ सालों तक मैं विदेशों में रहा हूं। विदेशों में ही हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के लोगों से इक्ट्ठे मिला जा सकता है, उनसे मित्रता की जा सकती है। विलायत में यह तभी महाराष्ट्रीय तथा अन्य प्रांतों के लोगों के स्वाभाव विषयक गुण-दोषों के बारे में जांचने का मौका मिला। बंगाल और मद्रास प्रांतों के लोगों की तुलना में महाराष्ट्रीय लोग बुद्धि में थोड़े उन्नीस हो भी सकते हैं शायद लेकिन महाराष्ट्रियों में जो व्यवहार कुशलता (Common Sense) कूट-कूट कर भरी होती है वैसी अन्यों में दिखाई नहीं देती।

विलायत में था तब हम हिंदी छात्र हर रविवार के दिन एक होस्टल में लेक्चर सुनने के लिए इक्ट्ठा हुआ करते थे। वहां मैंने एक विचित्र बात देखी। हम महाराष्ट्रीय छात्रों की संख्या कम थी। हम सात-आठ छात्र ही थे। एक तरफ बैठकर हम व्याख्यान सुना करते थे। भाषण के बाद बोलने वाले से प्रश्न पूछे जा सकते थे। और वक्ता द्वारा दिए गए जवाबों से प्रश्न पूछने वालों की हंसाई भी हुआ करती थी। चार-पांच सालों के समय में किसी भी महाराष्ट्रीय छात्र द्वारा सवाल पूछ कर अपनी हंसी उड़वाई हो, मुझे याद नहीं आता।

महाराष्ट्रीयों की इस नीति से क्या उनकी व्यवहार-कुशलता का परिचय नहीं मिलता?

एक और बात ध्यान में रखना जरूरी है। हिंदी आंदोलनों के बारे में पता करने के

लिए, नजर रखने के लिए विलायत में हिंदी सीआईडी नियुक्त किए जाते थे। अन्य प्रांतों के छात्र यह काम किया करते थे लेकिन बताने में मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि ऐसे कामों में कभी किसी महाराष्ट्रीय को हमने लिप्त नहीं पाया। इसीलिए, मेरी राय है कि व्यवहार-कुशलता और शीलसंपन्नता दोनों महाराष्ट्रीय व्यक्ति के गुण हैं। इन्हीं गुणों के कारण महाराष्ट्र को हिन्दुस्तान में महत्पूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है।

आज तक हिन्दुस्तान में काल्पनिक राजनीति का हल्ला मचा हुआ है। ऐसे हालात में महाराष्ट्र को व्यवहार और शील इन दो बातों में तालमेल बिठा कर अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाना है। इस प्रकार अपने कर्तव्य को निभाना है। आजकल राजनीति आवारागर्द और गैर-जिम्मेदारी बनी है। ऐसे मुश्किल हालात में हिन्दुस्तान को मुक्ति दिलानी होगी। आजकल स्थितियां बेहद नाजुक बनी हुई हैं। जागरूक बने रहें तभी आपकी निभ सकती है। अंधश्रद्धा के साथ किसी के पीछे-पीछे चलते रहना हमारे शील, व्यवहार और ज्ञान को शोभा नहीं देगा।

मानपत्र के लिए एक बार फिर आपके प्रति आभार प्रकट कर मैं अपना भाषण पूरा करता हूं।

176

*छापाखाना और 'जनता' पत्रिका पृथक मजदूर पार्टी के सहारे चल रहे वृक्ष की जड़ें हैं

परेल के आर.एम. भट्ट हाईस्कूल के हॉल में** शनिवार दिनांक 14 जुलाई, 1940 को रात 9 बजे पृथक मजदूर पक्ष की मुंबई शाखा के कार्यकारी मंडल की बैठक हुई थी। बैठक की अध्यक्षता डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने स्वीकारी थी। ठाणे बोर्डिंग, 'जनता' पत्रिका और भारत भूषण छापाखाने की कठिन स्थितियों के बारे में सोच कर उसमें से निकलने का हल ढूंढने के लिए यह बैठक खास कर बुलाई गई थी। श्री बाबूराव भातणकर एम.एल.ए. द्वारा सदस्यों को ठाणे बोर्डिंग की स्थितियों के बारे में जानकारी दी गई और बोर्डिंग की मदद का आह्वान भी किया गया था। श्री अनंतराव चित्रे ने जनता और भारत भूषण छापाखाने के बारे में जानकारी दी। बाद में श्री बाबासाहेब अम्बेडकर ने छोटा-सा भाषण दिया। वह बोले-

श्री बाबूराव भातणकर खुद अगर ठाणे बोर्डिंग की जिम्मेदारी अपने सिरे लेने के लिए तैयार हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। इसी प्रकार श्री अतंतराव चित्रे को अगर लगता है कि छापाखाना बिना नुकसान के चलाया जा सकता है तो और कुछ समय अनुभव प्राप्त करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बोर्डिंग और छापाखाने की जिम्मेदारी मैं अपने सिर लेने के लिए तैयार नहीं हूं। जब तक संभव था तब तक मैंने यह जिम्मेदारी सम्हाली। पच्चीस हजार रुपये लगा कर यह छापाखाना मैंने आपको चलाने दिया है। विधिमंडल, म्युनिसिपालिटियां, लोकल बोर्ड आदि के चुनाव, मुंबई, महापालिका कामगार संघ आदि संस्थाएं जो जिस स्वतंत्र लेबर पक्ष के सहारे चलती हैं उस वृक्ष की छापाखाना और जनता पत्रिका जड़ें है। हममें से कई लोगों की ये बात समझ नहीं आ रही है। छापाखाने का न्यास बनाने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन उसके लिए अब नए कार्यकर्त्ताओं को आगे आना होगा। अब तक कार्यकर्त्ताओं ने बिना कुछ मूल्य लिए आपका काम किया। अब हम बूढ़े हो गए हैं। बहुत जल्द मैं 50 का हो जाऊंगा। अबके बाद आप में से नए, उत्साही लोगों को काम करने के लिए आगे आना होगा। अपनी तरफ से सभी संभव मदद देने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं।

---

*जनता : 20 जुलाई, 1940

**भाषण की तारीख 13 जुलाई, 1940 हो सकती है-संपादक

177

*निश्चय और निष्ठा के साथ चुपचाप काम करने वाले कार्यकर्त्ता चाहिए

रविवार 28 जुलाई, 1940 को सुबह 10 बजे परेल, मुंबई के दामोदर ठाकरसी हॉल में ठाणे अस्पृश्य विद्यार्थी वसतिगृह सहायक मंडल की ओर से अस्पृश्य समाज की बड़ी सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। अध्यक्ष स्थान पर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर थे।

पहले श्री पी.एल लोखंडे ने प्रि. एम. वी. दोंदे बी.ए. और श्री एस. जी. केनी जे. पी. के अभिनंदन का प्रस्ताव रखा। उसके बाद श्री लोखंडे, श्री ए. बी. केनी, श्री सी. एन. मोहिते और वि. का. उपशाम के भाषण हुए। उनके बाद डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का भाषण हुआ जिसमें उन्होंने कहा–

आज के इस खास अवसर पर भाषण करने की जरूरत नहीं है। 1926 में ठाणे बोर्डिंग शुरू किया गया था। पिछले 14–15 सालों से समाज पर किसी भी तरह का बोझ डाले बगैर हमने उसे चलाया है। इस बोर्डिंग के संदर्भ में मुंबई सरकार के साथ कुछ शर्तो तय हुई थीं। उसमें हर बच्चे के लिए हर माह 10 रुपया देना उन्होंने तय किया था। लेकिन जब काँग्रेस सत्ता में आई तो मुझसे बातचीत किए बिना ही उन्होंने हर बच्चे के लिए हर माह 10 रु. की तय रकम को घटा कर केवल 4 रु. ही मंजूर किए। हर बच्चे का खर्चा 4 रुपयों में समेट कर बोर्डिंग चलाना बेहद कठिन काम है।

ठाणे बोर्डिंग की सारी जिम्मेदारी अब आप पर हैं। हिंदुओं के दर पर जाना हमारे स्वाभिमान के विरुद्ध है। सारा बोझ अपने सिर पर उठा कर बोर्डिंग को लगातार चलाना होगा। हमेशा के लिए बोर्डिंग चलाने के लिए आज मिली रकम नाकाफी है। मदद इतनी दीजिए कि कार्यकर्त्ताओं को काम करने में उत्साह महसूस हो। मदद कैसे करनी है यह आप तय करें। लेकिन मुझे यहां पढ़े–लिखे लोग – अध्यापक, क्लर्क आदि ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। वे हर माह बोर्डिंग की मदद करने में सक्षम हैं। म्युनिसिपल यूनियन के कार्यकर्ता यूनियन के सदस्यों से सालाना कुछ मदद दिला दें। शादी या तत्सम समारोहों के अवसर पर बोर्डिंग के लिए दान दें। समाज में 100 से अधिक संस्थाएं हैं। वे हर साल के आखिर में 20–15 रुपए दें तो उन्हें कोई हर्ज नहीं होगा। हालांकि रुपयों की

---

*जनता : 3 अगस्त, 1940

कमी के कारण बोर्डिंग बंद नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। हमारे समाज में मन को एकाग्र कर काम करने वाला कोई व्यक्ति पिछले बीस वर्षो में मुझे दिखाई नहीं दिया। कौंसिल अथवा म्युनिसिपालिटी की एक-एक जगह के लिए सौ-सौ अर्जियां तैयार रहती हैं। लेकिन एक रास्ते पर चलते हुए एक ही काम एक लक्ष्य रख कर करने वाला कोई आदमी पिछले 20 सालों में मुझे दिखाई नहीं दिया है। शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक अड़चनों के मसले महत्वपूर्ण हैं। इन कामों के लिए नाम पाने की अभिलाषा न रखने वाले लोग चाहिए। जिसे देखिए आज नाम कमाने के पीछे है। इसलिए मन मुताबिक काम नहीं होते। अस्थायी कामों से महत्वपूर्ण मसले हल नहीं होते। उसके लिए दिन-रात मेहनत करनी होगी। ब्राह्मण समाज ने हमारे साथ अन्याय किया है। उन्होंने हम पर जुल्म ढाए हैं यह सच है। लेकिन उनके काम करने का तरीका इतना अच्छा है कि हासिल की हुई सत्ता को वे अपने वश में करके रख सकते हैं। किसी तरह का ताम-झाम न पालते हुए बुनियाद और नीति के अनुसार काम करने वाले लक्ष्य पर नजर गड़ाने पर काम करते रहने वाले कार्यकर्त्ता उनमें पैदा होते हैं। हमारे कार्यकर्त्ताओं ने अगर निश्चय के साथ, निष्ठा के साथ तथा चुपचाप अगर काम करने लगें तो हमारे आंदोलन की जड़ें फैलने में देर नहीं लगेगी।

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के भाषण के दौरान लगातार लोग चंदा देते रहे। सभा में कुल रु. 182 जमा हुए। एक साल में 'म्युनिसिपल कामगार संघ' के सदस्यों से 200 सेर चावल दिलाने का वचन श्री जी. एम. जाधव ने दिया।

'जनता' पत्रिका के प्रबंधक श्री के. वी. सवादकर ने 'जनता' पत्रिका और भारतभूषण छापाखाने की मदद करने वाले व्यक्ति को अंतःकरण से धन्यवाद दिया। श्री रामकृष्ण गंगाराम बनाम बाबूराव भातणकर, एम.एल.ए. 'ठाणे वसतिगृह सहायक मंडल' के अध्यक्ष ने ठाणे बोर्डिंग की मदद करने वालों के प्रति मन से आभार प्रकट किया। जन-समूह से उन्होंने विनती कि की डॉ. बाबासाहेब के भाषण के बारे में सोच कर हर कोई उनकी आज्ञा के अनुसार बर्ताव करे। सबके प्रति आभार प्रकट करने के साथ सभा बर्खास्त हुई।

178

*आंदोलन का प्रभावी साधन हैं अखबार

सोमवार 26 अगस्त, 1940 की रात पोयबावाड़ी, परेल, मुंबई के समाज सेवा संघ के दामोदर हॉल में मुंबई म्युनिसिपालिटी में काम करने वाले अस्पृश्य कामगार इक्ट्ठा हुए थे। हॉल खचाखच भर गया था। ठीक 9 बजे अस्पृश्यों के कर्णधार डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर सभास्थल पर हाजिर हुए। श्रोताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया।

सभा की शुरूआत म्युनिसिपल कामगार संघ के चिटनवीस भाई प्रधान का भाषण हुआ। उनके बाद डॉ. बाबासाहेब का भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में कहा–

बहनों और भाइयों,

संघ के कारण भले आज आप यहां इक्ट्ठा हुए हों लेकिन आज मैं आपको संघ के बारे में कुछ बताने वाला नहीं हूं। आज मैं आपको एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। उसे सुनने और सफलतापूर्वक उसे अमल में लाने के लिए आज आपको यहां बुलाया गया है। अपने पूरे आंदोलन का सार अपने अखबार में है और ये अखबार पिदले 20–22 सालों से किसी न किसी रूप में आपके सामने आता रहा है। पहले 'मूकनायक' फिर 'बहिष्कृत भारत' और आज 'जनता' उसके विभिन्न रूप हैं। 'जनता' को जन्म देता है 'भारत भूषण' छापा खाना बिल्ली के पिल्लों की तरह इन दो संस्थाओं को मैंने पाला है। बिल्ली को अपने पिल्लों की रक्षा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह उखाड़ना–बसाना पड़ता है उसी प्रकार 'जनता' तथा 'छापाखाने' को मुझे कई संकटों से उबारना पड़ा है। हमेशा के लिए ऐसे हालात हों तो नहीं चलेगा।

आज 'जनता' और छापखाने पर एक बार फिर संकट मंडरा रहा है। जिस जगह ये हैं उसे खाली करने का नोटिस लगा है। इसीलिए जनता और छापखाने को अब दूसरी जगह स्थानांतरित करना होगा। अबके बाद कम से कम जहां इन्हें ले जाया जाएगा वह अस्थायी जगह नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अपनी जगह बनाना बेहद जरूरी हो गया है। यह बात सही है कि आप अकेले इस समस्या को हल नहीं कर सकते। आपकी ही तरह अन्यों पर भी यह बोझ आने वाला है। औरों से भी अपनी सही जिम्मेदारी लेने की विनती की ही जाएगी। आपसे पहले कहा जा रहा है क्योंकि आप संगठित

---

*जनता : 31 अगस्त, 1940

हैं। इसलिए आपको संदेश देना आसान है। आपके संगठन के पांच हजार सदस्य हैं। इन सभी सदस्यों से हरेक के पीछे दो रुपयों के हिसाब से आपको कुल दस हजार रुपए जोड़ने होंगे। पहले महीने में हर व्यक्ति एक रुपया दें। एक महीने के बाद अपने हिस्से का एक और रुपया दें।

इस काम के लिए एक कमेटी नियुक्त की जाएगी। उस कमेटी के चिटनवीस का काम श्री शांताराम अनाजी अपशाम करेंगे। मेरे हस्ताक्षरों के साथ रसीदें निकाली जाएंगी। रसीद लेकर हर कोई अपने हिस्से का पैसा दे। एक बात मुझे यहां स्पष्ट करनी होगी कि आप यहां यूनियन के सदस्य के तौर पर नहीं बल्कि अस्पृश्य जाति के घटक के रूप में पैसा देगा। यह पैसा मडके बुवा के जरिए वसूल किया जाएगा कि यूनियन की ओर से। इस पैसे पर आपकी यूनियन का किसी तरह से कोई अधिकार नहीं रहेगा। सो, यह जाति का काम है यह मानते हुए आप तुरंत इस काम की शुरूआत करें। यही मैं आज आग्रह के साथ आपसे कहना चाहता हूं। और कुछ मुझे आज नहीं कहना है।

179

*दूदृष्टि और बचत इन दो गुणों को भावी पीढी संजोए

कोकणस्थ महार को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी खार, मुंबई की ओर से श्री खंगदेव नारायण मोहिते, श्री गणपत विट्ठल कासारे और श्रीमती मुक्ताबाई दगडू सांताबेकर इन तीनों ने मिल कर खार में नए, सुंदर घर बनाए। इसी आनंदोत्सव के उपलक्ष्य में उन्होंने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को अपने घर में रविवार, दिनांक 22 सितम्बर, 1940 को 4 बजे बढ़िया टी-पार्टी दी। पहले मोहिते मास्टरजी ने उन्हें अपने घर में फूलमाला अर्पण की उसके बाद डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के साथ सबका ग्रुप फोटो लिया गया। फोटो के बाद सबको बढ़िया गार्डन पार्टी दी गई। नए तीन घर और कॉलोनी की ओर से डॉ. बाबासाहेब को फूलमाला अर्पण किए जाने के बाद मोहिते मास्टर ने डॉ. बाबासाहेब तथा अन्य उपस्थित मेहमानों के प्रति आभार प्रकट किया। मेहमानों की ओर से सुरुबा टिपणीस ने आयोजकों को धन्यवाद अर्पण किया। आखिर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर बोले। उन्होंने अपने भाषण में कहा-

आपके घर देख कर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आपने जो साहस किया है उस पर मुझे गर्व है। मैं उसके लिएआपका अभिनंदन करता हूं। आपका यह सुख आपके पुत्र-पौत्रों तक टिका रहे ऐसी कोशिश की जानी चाहिए। ठीक समय पर घर की किश्तें देकर गृहस्थी को सुखमय करें। उसके बाद उन्होंने कैंप दापोली में रहने वाले अवकाशप्राप्त सुबेदार के वैभव और जीवनक्रम के बारे में बताया। साथ ही उनके बच्चों की दुर्दशा का भी वर्णन किया। पिता सुबेदार और बेटा झाडुवाला यह स्थिति सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। यह भी उन्होंने बताया। वे बोले, इसलिए आप सभी दूरदृष्टि से और बचत करते हुए अपना वैभव बनाए रखें, भावी पीढ़ी भी उसे बरकरार रखे। जिनके लिए संभव हो वे अपने लिए ऐसे घर जरूर बनाएं और अपनी गृहस्थी को सुखपूर्ण करें। अपने पड़ोस में झोंपड़ों में जीवन बिताने वाले अपने गरीब रिश्तेदारों से मिलजुल कर रहें। उनके लिए अच्छे घर बनवाने के लिए मैं सरकार और बांद्रा म्युनिसिपालिटी में कोशिशें कर रहा हूं।

आखिर आयोजकों के प्रति आभार प्रविष्ट करते हुए उन्होंने अपना भाषण पूरा किया। इस अवसर पर प्रो. वी. जी. राव, 'बै. एस. एन. माने, मे. कमलाकांत चित्रे, भाई चित्रे, सुरेनद्रनाथ टिपणीस शलिकोल, आर. जी. भाताणकर, के. वी. सवादकर, संभाजी गायकवाड़, बी. बी. उनबरकर आदि महत्वपूर्ण लोग उपस्थित थे।

---

*जनता : 28 सितम्बर, 1940

180

*अस्पृश्यों से प्राप्त धन से ही आंदोलन के लिए भव्य इमारत बनाइए

गुरुवार दिनांक 10 अक्तूबर, 1940 के दिन महाड़ तालुका महार हितसंरक्षक संघ के लोगों द्वारा डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को चाय-पार्टी देने का कार्यक्रम परेल के. आर. एम. भट हाईस्कूल में हंसी-खुशी संपन्न हुआ।

संघ के सदस्य और कार्यकारी मंडल के सदस्य विधायक भाई चित्रे, श्री कमलाकांत चित्रे, दादासाहेब संभाजी गायकवाड़, लोखंडे, सवादकर आदि के साथ पहले डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का ग्रुप फोटो लिया गया। उसके बाद चाय-पार्टी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। संघ के अध्यक्ष श्री आर. वी. मोरे ने तय बात के अनुसार 'जनता' पत्रिका को नकद 40 रुपये दिए और 10 रुपये बाद में देने का अभिवचन दिया। उपस्थित जनसमूह द्वारा बड़े आग्रह के साथ विनती की गई कि डॉ. बाबासाहेब इस अवसर पर कुछ बोलें।

तालियों की गड़गड़ाहट के बीच डॉ. बाबासाहेब उठ कर खड़े हुए। उन्होंने अपने भाषण में कहा-

जिस महाड़ तहसील ने अस्पृश्यों के आंदोलन की शुरूआत की उसी तहसील के लोगों द्वारा मुझे 50 रुपये देकर सभा में आमंत्रित करने की प्रथा की भी अस्पृश्य समाज में शुरूआत की इसलिए वह अभिनंदन के अधिकारी हैं। मुंबई अस्पृश्यों के लिए एक बड़ी इमारत बनाई जाने वाली है। इमारत बनाने के लिए धन की बेहद जरूरत है। इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपनी पुरानी कर्तृता के अनुरूप इस बार भी आगे आएंगे इसका मुझे यकीन है। महाड़ तहसील के लोगों के बारे में मुझे अभिमान महसूस होता है। इस प्रकार अनमोल शब्द कह कर तथा कार्यक्रम के बारे में संतोष व्यक्त कर उन्होंने भाषण का समापन किया।

उसके बाद संघ के उपाध्यक्ष श्री विट्ठल सालवे ने महत्वपूर्ण मेहमानों को फूलमालाएं पहनाईं। आखिर एस. एस. निकम ने सबके प्रति आभार प्रकट किया।

*जनता : 26 अक्तूबर, 1940

181

*... तो गांवों के अन्याय से पीड़ित लोगों की मदद की जा सकती है

1 नवम्बर, 1940 को इमारत और उसके लिए इक्ट्ठा किए गए फंड के बारे में एक बड़ी सभा चित्रा सिनेमा टॉकीज के पीछे ली गई जगह पर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। सभा में श्री डी. वी. प्रधान, भा. र. कद्रेकर, के. वी. चित्रे आदि महत्वपूर्ण लोग उपस्थित थे। उपस्थित जनसमुदाय ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ डॉक्टर साहब का स्वागत किया।

श्री बी. एस. गायकवाड़ ने सभा की शुरूआत की। अध्यक्ष पद की सूचना रखते हुए उन्होंने बताया कि डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की बड़ी भावी श्रीमती लक्ष्मीबाई का बुधवार दिनांक 23.10.1940 को तड़के 2.30 बजे देहांत हुआ। इस प्रकार निजी मुश्किल के होते हुए भी डॉ. बाबासाहेब ने अपना दुख परे रख कर सभा का अध्यक्ष स्थान स्वीकारने के लिए हामी भरी। इसके लिए उन्होंने डॉ. बाबासाहेब को धन्यवाद दिया। साथ ही चिटणीस इमारत फंड की विनती का सम्मान करते हुए बड़े जमावड़े के साथ उपस्थित होने के लिए जनता को भी धन्यवाद दिया। बाद में श्री बाबासाहेब से अध्यक्ष स्थान स्वीकारने की विनती की। उनकी सूचना का श्री एस. एल. वडवलकर ने समर्थन किया। उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा–

असल में, आज की सभा बुलाने की वैसी कोई जरूरत नहीं थी। क्योंकि इमारत के तथा इमारत के लिए फंड इक्ट्ठा करने की घोषणा मैंने दो वर्ष पूर्व की थी। तब से हम योग्य जगह पाने की कोशिश में लगे हुए थे। मुंबई शहर में असल में दो तरह की जगहें हैं। मुंबई म्युनिसिपालिटी की जगहें और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की जगहें। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट से जो जगह खरीदेगा वह एक तिहाई जगह पर ही इमारत बना सकता है। बाकी इमारत के चारों तरफ की जगह खाली छोड़नी होती है, नियम ही है वैसा। म्युनिसिपालिटी की जगह खरीदने वाले को उस जगह पर बनने वाली इमारत के चारों ओर दस फीट की जगह खाली छोड़नी पड़ती है। ऐसी जबरदस्त शर्तें मानना हमारे लिए संभव नहीं था। इसलिए हम अन्यत्र सहूलियत वाली जगह ढूंढने लगे। आखिर आप अभी जहां बैठे हैं

---

*जनता : 16 नवम्बर, 1940

यह जगह हमने पसंद की। जगह बहुत बड़ी थी जिसे टुकड़ा कर हमें देने के लिए मालिक तैयार नहीं था। लेकिन कुछ मित्रों के जरिए हमने इस जगह को तोड़कर कुल जमीन का एक टुकड़ा हमने खरीदा।

20 सालों से हमारा सामाजिक कार्य चल रहा है। सभा, समारोह आदि विभिनन कामों के लिए जगह की जरूरत पड़ती तब हमें यहां-वहां, औरों के पास जाना पड़ता। इस जगह हम जो इमारत खड़ी करेंगे उससे यह कमी पूर्री हो जाएगी। यह जगह हम सबके लिए बहुत सुविधाजनक है। इस जगह का क्षेत्रफल 1100 वर्ग गज है। ट्राम पास से गुजरती है। जी. आई. पी., बी.बी. एंड सी.आई. के स्टेशन पास हैं। कीमत के हिसाब से कह सकते हैं कि हमें यह जगह रियायत में मिली है। कहीं जमीन की कीमत आजकल 22 रुपए वर्ग गज तो कहीं 25, 27, 30 रुपए वर्ग गज तक है। हमें यह जमीन 15 रुपए प्रति वर्ग गज में मिली है। (तालियां)

खुशी की बात यह भी है कि इस जगह के मालिक की ऐसी कोई शर्त नहीं है कि आज के आज जगह की पूरी रकम चुकता कीजिए और जमीन का कब्जा लीजिए। अगर वे ऐसी शर्त रखते तो एक साथ इतनी बड़ी 15-16 हजार रुपयों की रकम अदा करना हमारे लिए थोड़ा कठिन होता। हमें यह रकम बारह सालों तक किश्तों में अदा करनी है।

यह जगह हमने 999 सालों के करार पर ली है। कहा जा सकता है कि व्यावहारिक नजरिए से यह करार यानी यावच्चंद्रदिवाकरौ मालिकियत वाला करार है।

इस जगह तीन मंजिला इमारत बनाने का हमारा इरादा है। पहली मंजिल पर आधे हिस्से में 'भारत भूषण छापखाना' और आधे हिस्से में म्युनिसिपल युनियन के तथा अन्य दफ्तर होंगे और कुछ रिहायशी कमरे। दूसरी मंजिल पर किराएदारों के लिए कमरे बनाने हैं। अंदाजन करीब 16 कमरे बनेंगे। उनसे सालाना करीब 3500 रुपयों का किराया मिलेगा।

तीसरी मंजिल पर 50 फीट चौड़ाई और 100 फीट लंबाई वाला हॉल बनाना है।

हॉल का किराया नियमित रूप से नहीं आएगा। इसके बावजूद अंदाजन करीब 400 से 500 रुपयों तक की सालाना आमदनी होनी चाहिए।

इस प्रकार अनुमानतः सालाना 4000 रुपयों की आमदनी होने की उम्मीद है। उसमें से म्युनिसिपालिटी का टैक्स, ब्याज आदि अदा करने के बाद अंदाजन करीब 2500 रुपए बचेंगे। इससे पता चल जाएगा कि इस जगह पर ऐसी इमारत बनाना हमारे लिए फायदेमंद ही साबित होगा।

प्रिय भाइयो, इस प्रकार हर साल अगर 2500 रुपयों की पूंजी इक्ट्ठा हुई तो गांवों में अस्पृश्यों पर अन्य लोगों द्वारा जो अत्याचार किए जाते हैं, उन पीड़ितों की मदद की जा सकती है। इस प्रकार गांव के अस्पृश्यों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए किसी के आगे झोली फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इस प्रकार तीन मंजिला इमारत और जगह की कीमत का कुल खर्चा एक लाख रुपए होगा। युद्ध के कारण सीमेंट और लोहे की चीजें महंगी हो गई हैं। दूसरी बात, इस फंड के लिए किसी और जाति से मदद मिलना संभव नहीं है। धार्मिक लोग अपनी जाति को ही दान देते हैं। हममें अमीर लोग भी नहीं हैं, हम काँग्रेस वाले नहीं हैं।

यह फंड हमें अपने ही लोगों द्वारा इक्ट्ठा करना होगा।

अमीरों की तरह अपने लोगों से एकदम 200, 500 या 1000 रु. की भेंट मिलना मुश्किल है। हममें से हर व्यक्ति को दो–दो रुपए देने होंगे और इसी प्रकार यह रकम जुटाई जानी चाहिए। जगह–जगह फंड कमेटियां बनाइए। अपना काम शुरू कीजिए। पैसा लेने के लिए मुझे ही आपके पास आना होगा यह अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आऊंगा। लेकिन आप जानते हैं कि अपने समाज की जिम्मेदारी हर तरह से मुझ पर ही है। इसके बावजूद अगर आपका प्रेम इतना पागल हो तो मैं जरूर आऊंगा। लेकिन इमारत फंड के काम के बारे में कोई कोताही ना करें। इतना कहकर मैं अपना भाषण पूरा करता हूं।

182

*सार्वजनिक कामों के लिए एका जरूरी

23 नवम्बर, 1940 की रात 9 बजे बी.डी.डी. चॉल नं. 96, वरली, मुंबई के श्री शंकर नाथा खैरमोड़े की नई व्यायामशाला और डॉ. अम्बेडकर स्पोर्टिंग क्लब का सार्वजनिक उत्सव ताम-झाम के साथ मनाया गया। समारोह का अध्यक्ष स्थान स्वीकारना डॉ. अम्बेडकर ने माना था। वे जब सभा-स्थान पहुंचे तब 'अम्बेडकर जिंदाबाद', 'अम्बेडकर की जय हो', 'थोड़े दिन में भीमराज' जैसे नारों से वातावरण गूंज उठा। बाबसाहेब के मंडप में आते ही तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया गया। उनके साथ श्री डी. वी. प्रधान, श्री एम. ए. उपशाम, श्री पी.एल. लोखंडे, श्री वी. एल. कोलशीकर, श्री बी. एस. गायकवाड़ आदि कार्यकर्त्ता उपस्थित थे।

सभामंडप बेहतरीन ढंग से सजाया गया था। सभा में करीब दस हजार लोग उपस्थित थे। श्री झाल्टे ने अध्यक्ष पद की सूचना रखी। श्री आर. बी. पगारे द्वारा उनकी सूचना का समर्थन किया गया। उसके बाद श्री आर. एस. भालेराव का भाषण हुआ। उनके बाद डॉ. बाबासाहेब का भाषण हुआ। उन्होंने कहा-

प्रिय बहनों और भाइयों-

आज की सभा का निश्चित समय लोगों को पता नहीं था इसलिए लंबे समय तक भाषण देकर लोगों को भूखा रखने का मेरा इरादा नहीं है। मैं जिस काम के लिए आया हूं उसके बारे में संक्षेप में जानकारी देता हूं।

अपने समाज की भविष्यकालीन तस्वीर नजर के सामने झलकती रहने के कारण ही मैंने इमारत फंड के मसले पर काम करना शुरू किया है। अपनी जिंदगी में जितना करना संभव था उतना मैंने किया है। 1919 में सार्वजनिक आंदोलन शुरू हुआ तब अस्पृश्य समाज में जरा भी जागृति नहीं थी। हम भी इंसान हैं इसका अहसास तक नहीं था। ब्राह्मण, मराठे, पाटील आदि अस्पृश्य लोग जूते जैसा व्यवहार हमारे साथ किया करते थे। सांप कहते ही सब लोग डरते हैं। उसी तरह पाटील (चौधरी) पटवारी, कुलकर्णी आदि से अस्पृश्य समाज डरता था। शुरू-शुरू में हमारे लोगों को म्युनिसिपालिटी, लोकल बोर्ड, काउंसिल आदि में प्रवेश मिलना मुश्किल हुआ करता था। आज हमारे लोग कंधे से कंधा भिड़ा कर गर्व के साथ अपने हित के लिए संघर्षरत हैं। (तालियां) हममें से

*जनता : 30 नवम्बर, 1940

कोई शिक्षामंत्री या गृहमंत्री भी हो सकता था लेकिन अब तक ऐसा मौका नहीं आया है। जहां पट्टेदार की जगह मिलना भी मुश्किल था वहां हममें से लोग डिप्टी कलक्टर तक बन रहे हैं। जिसने शून्य देखा उसी को सौ देखने का मौका मिले तो जाहिर है कि उसे गर्व और खुशी महसूस होगी।

इस तरह, हमने अपने आंदोलन में काफी दूरी तय की है। इसके बावजूद कहना पड़ेगा कि हमें अभी और बहुत काम करना है। इस कार्य के होने की राह में दो बड़े शत्रु हैं- गांधी और कांग्रेस। हाल ही में लिए गए साक्षात्कार के दौरान वाइसराय द्वारा जब गांधी से पूछा गया कि आप स्वराज तो चाहते हैं लेकिन आप राजाओं, रजवाड़ों, मुसलमानों और अस्पृश्यों के मसलों का क्या करें?'' गांधी अपने पत्रक में कहते हैं, ''राजाओं रजवाड़ों कें साथ हम सुलह करेंगे लेकिन अस्पृश्यों के बारे में पूछने वाले आप कौन होते हैं? अस्पृश्यों का हम जो चाहे करेंगे।'' राजों-रजवाड़ों के साथ सुलह करने के लिए वे तैयार हैं लेकिन सरकार जब अस्पृश्यों के बारे में सवाल करती है तब गुस्से से गांधी तिलमिला उठते हैं। अस्पृश्य समाज की उन्नति की राह का यह बड़ा अड़ंगा है। इस अड़ंगे को मैं अपने जीते जी अगर हटा पाया तो आपका भविश्य सुखकर होना तय है। (तालियों की गूंज)

मुझे एक और चिंता है कि आज तक हमने जो एकजुट और उन्नति हासिल की है उसे आप बरकरार कैसे रखेंगे? आज तक आप एक खंभे वाले तूंबू में आराम से रहते आए हैं। उस तंबू का खंभा अगर गिर जाए तो आपका क्या हाल होगा? इसीलिए उस खंभे के आसपास और खंभे रस्सियों के सहारे खड़े कर उसे मजबूत बनाने की मैने सोची है। इसीलिए इमारत फंड शुरू किया है। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि मेरे पीछे आपको कोई मात ना दे सके। साथ ही आप बेहतर ढंग से सार्वजनिक काम कर पाएं। आज भी आपके सामने हजारों अड़चनें हैं। धन के अभाव में उनके बारे में कुछ किया नहीं जा सका है। इमारत फंड की आय से जो रकम जुटेगी उसका इस्तेमाल आपकी शिकायतें दूर करने में किया जाएगा।

हमारे समाज में अधिक पढ़ा-लिखा हूं इसलिए मैं सरकार से अधिकारी के पद की मांग कर सकता था। मैं अधिकारी बन भी जाता। फिर मेरे अज्ञानी भाइयों का क्या होता? अस्पृश्य समाज के लिए मैं अपने स्वार्थ को भुला कर और अपने परिवार के सुखों पर नजरें गड़ाए बगैर यह कार्य कर रहा हूं। इसीलिए, जो जितना काम कर सकता है वह उतना काम करे। इमारत फंड के लिए जितनी मदद आप दे सकते हैं उतनी आप अवश्य दें। इंसान पर तीन ऋण होते हैं। माता-पिता का, कुल देवता का, समाज का। जिस समाज में हमारा जन्म हुआ है उस समाज के उपकारों से हमें बिना भूले मुक्त होना चाहिए। और इस उपकार को चुकाने का मौका आपको मिल रहा है। आप जरूर

उससे फायदा उठाएं। इमारत फंड के लिए हर पुरुष और महिला को, 18 साल से बड़े हर व्यक्ति को भले वह बेकार ही क्यों न हो दो-दो रुपए देने हैं।

आप जिला, तहसील और देश के स्तर पर संघ की स्थापना कर काम करते हैं। मुझे यह काम का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कोई भेदाभेद नहीं मानता। हममें अगर भेदभाव पैदा हुआ तो हिंदू समाज उसका फायदा उठा कर हमारे आंदोलन को खत्म करेगा। नेता बनने का मुझे कोई लालच नहीं है। लेकिन आप नेता क्यों चाहते हैं? इस बारे में सोचिए। हम नेता इसलिए चाहते हैं ताकि वह दुश्मनों से मुकाबला कर सके। हमारे कल्याण के लिए मेहनत करने वाला, हमारे हितों की राह में अड़ंगा बनने वाले गांधी, नेहरू, बल्लभभाई पटेल से भिड़ने वाला नेता हमें चाहिए। अगर ऐसा कोई मिले तो मैं भी उसे नेता मानने के लिए तैयार हूं। (तालियां) किसी भी पत्थर पर सिंदूर पोतने से वह हनुमान नहीं बनता। चॉल के आंगन में तलवार चलाने वाला लेकिन समर में डर के मारे भाग खड़ा होने वाला योद्धा किस काम का?

पांडवों ने जिंदगी भर श्रीकृष्ण की सेवा की। आखिर स्वर्ग ले जाने के बारे में श्रीकृष्ण से विनती करने लगे। तब श्रीकृष्ण ने कहा, ''मैं खुद ओढया जगन्नाथ की तरफ बहता चला जा रहा हूं।'' ऐसा ही हाल हमारे आंदोलन से जो नहीं जुड़े हैं उनका ना हो तो भी गनीमत है। हमारे कार्य में कार्यकर्त्ताओं की कमी है। इस कमी को अध्यापक वर्ग पूरा करे। इमारत के लिए ली गई जगह कम है ऐसा हमारे लोग कर रहे हैं। उनका कहना है, बड़ी जगह लीजिए, हम पैसा इक्ट्ठा करके देंगे। मैं भी बड़ी जगह लेना चाहता हूं। इस काम के लिए दो-ढाई लाख रुपयों का खर्चा आएगा। इसके लिए मैंने कुछ योजनाएं बनाई हैं। जिन्हें मासिक 30 रु. या उस से अधिक तनख्वाह मिलेगी वे अगर अपनी एक महीने की तनख्वाह दें तो उनका नाम इमारत में बोर्ड पर लिखा जाएगा।

मैं गांव-गांव से मदद मांगने वाला हूं। लेकिन गांव में एक इंसान से मांगने के बजाय किसी गांव से प्राप्त रकम के तौर पर उस गांव का नाम लिखा जाएगा। सो मित्रो, अगर अपना भविष्य उज्ज्वल रखना हो, अपने समाज का कल्याण करना हो तो आपको यह काम अपना कर्तव्य मान कर पूरा करेंगे डॉ. बाबासाहेब का भाषण पूरा हुआ सो उनकी जयकार ध्वनि से वातावरण गूंज उठा।

आखिर में डॉ. बाबासाहेब को फूलमालाएं पहनाई गई। सबको धन्यवाद देने के बाद सभा का कामकाज पूरा हुआ। वहां की व्यायामशाला डॉ. बाबासाहेब ने देखी। आनंदा लालू मायाणीकर, शं. ना. खैरमोडे, ठाकले मास्तर, माने मास्तर, कांबले आदि लोगों ने सभा का बढ़िया प्रबंधन किया था। इसी सभा में दूसरे गांव से आए श्री सुकडया सखाराम जाधव ने डॉ. बाबासाहेब से मार्गदर्शन प्राप्त कर इमारत फंड में एक रुपया दिया।

183

*अभी कोंपलें निकली हैं, यह संकेत है कि कल फल आएंगे

श्री सोमवंशीय समस्त मंडल, चिखलपाडा, फोरास रोड, मुंबई की ओर से रविवार, दिनांक 24 नवम्बर, 1940 की शाम को दलितों के इकलौते नेता डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में इमारत फंड में रकम अर्पण करने का समारोह बड़े ताम-झाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बैरिस्टर माने, मोहिते मास्टर, श्री मडकेबुवा, उपशाम मास्टर, सचिव इमारत फंड, श्री धयालकर, जी. ओ. सी. समता सैनिक दल मुंबई, श्री मिंढे पाटील आदि महत्वपूर्ण हस्तियां उपस्थित थीं। करीब 4-5 हजार से अधिक लोग उपस्थित थे। इक्ट्ठा जनसमुदाय ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ तथा डॉ. बाबासाहेब की जय', 'अम्बेडकर कौन है, दलितों का राजा है' आदि नारों के साथ उनका स्वागत किया।

श्री एन. एम. सालवे ने सभा की शुरूआत की। आमंत्रण का सम्मान कर डॉ. बाबा. साहेब अम्बेडकर अपना अनमोल समय खर्च कर सभा में उपस्थित हुए इसके लिए उन्होंने डॉ. अम्बेडकर के प्रति आभार प्रकट किया। इसी प्रकार के सभा के नियुक्त अध्यक्ष भी थे इसलिए उनसे अध्यक्ष पद स्वीकारने की विनती की गई। श्री बी. एस. गायकवाड़ द्वारा समर्थन किए जाने के बाद डॉ. बाबासाहेब अध्यक्ष स्थान पर विराजमान हुए।

इमारत फंड के सचिव श्री एस. ए उपशाम मास्टर ने बहुत बोधप्रद भाषण दिया।

उसके बाद डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर बोलने के लिए उठ कर खड़े हुए। तब तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण गूंज उठा। डॉ. बाबासाहेब ने कहा-

प्रिय बहनों और भाइयों,

आज की सभा में इमारत फंड के लिए इक्ट्ठा की गई रकम स्वीकार कर यहां के लोगों को आशीर्वाद देने के अलावा और कुछ बोलने का मेरा मन नहीं है। मुझे जो कुछ कहना या वह सब मैंने कल ही बरली की सभा में कह दिया है। सो यहां आप मुझसे लंबे भाषण की उम्मीद न करें। मेरे पहले जो वक्ता बोले उन्होंने भी आपको सभी आवश्यक जानकारी दे दी है। इस काम की अभी-अभी शुरूआत हुई है। इसकी जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी छवि बनाना आवश्यक है। मैं रात के भाषण का सारांश आपको सुनाने वाला हूं। साथ ही, जो लोग इमारत फंड के बारे में नहीं जानते उन्हें इमारत फंड के बारे में जानकारी भी देनी होगी। यहां इक्ट्ठा हर व्यक्ति सोच कर देखे, पिछले बीस वर्षो में हमने काफी उन्नति की है। यह उन्नति हमेशा इसी प्रकार कैसे बनी रहेगी इस बारे में सोचना भी जरूरी है। पिछले 20 सालों में अपने समाज की उन्नति

*जनता : 30 नवम्बर, 1940

की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर थी। मैंने उसे अपना कर्तव्य मान कर स्वीकारा था। हो सकता है कई लोगों को मेरा काम नापसंद हो। इसलिए वे मेरी आलोचना भी करते हैं। सामाजिक, राजनीतिक कार्य करनेवालों की आलोचना होती ही है। मैं खुद भी हर हफ्ते 'जनता' में गांधी की आलोचना करता ही हूं। जाहिर है कि मेरी आलोचना करने का अधिकार भी लोगों को है। हालांकि मैं मानता हूं कि आलोचना करते वक्त आलोचक का मन साफ होना जरूरी है। किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर, या मन में किसी तरह की गांठ रख कर किसी की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। मुझे सार्वजनिक कार्य में उपलब्ध साधनों के बारे में और गांधी को उपलब्ध साधनों के बारे में तारतम्य के साथ सोचना चाहिए। 20 वर्ष पूर्व हम सबकी हालत कैसी थी? अब कैसी है? इन सभी बातों के बारे में सोचो तो मेरे नाम पर कभी शून्य नहीं आएगा।

मेरे साथ काम करने वाले अन्य पक्ष भी हिन्दुस्तान में है। ब्राह्मणेतर पक्ष 1850 ईसवी से काम कर रहा है। मराठा राजा भी उनको दो-दो पैसों से मदद कर रहे हैं। उनके अखबार 'विजय मराठा' की उन्होंने रु. 30,000 से भी अधिक रकम देकर आर्थिक मदद की है। लेकिन मेरी केवल ढाई हजार रुपए देकर मदद की है। उसमें बीस सालों तक मैंने यह अपनी दुनिया चलाई है। लेकिन आखिर ब्राह्मणेतर पार्टी का क्या हुआ? आज वाइसराय मुंबई आते हैं तो सैकड़ों लोगों से मिलते हैं। लेकिन उनमें हमारे भास्कर राव जाधव का कहीं अता-पता नहीं। 'जो हो।'

बीस वर्ष पूर्व मैंने सार्वजनिक काम के पेड़ का बीज बोया था। अब उसमें कोंपलें आई हैं। आगे उनमें फल आएंगे। ऐसा लगता है। जितनी उन्नतियां हुई हैं वह कायम कैसे रहेंगी इसका प्रबंध मुझे करना होगा। अब तक का काम सूख गया, फलविहीन हुआ ऐसा कोई कह न पाए इसका मुझे प्रबंध करना होगा। फिर भी अगर कोई ऐसा कहे तो वह मेरा दुश्मन ही होगा। मैं सच कह रहा हूं। इस काम की बुनियाद भी विशुद्ध, निर्मल है। हमें ऐसा प्रबंध करना होगा ताकि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े।

कई लोग काँग्रेस में शामिल होते हैं। काँग्रेस के लोग उनके हाथ में चक्की थमाएंगे लेकिन मुझे यकीन है कि वे मेरे हाथ में बंदा रुपया थमाएंगे। (तालियां)

मुंबई काँग्रेस के एक बड़े नेता श्री भुलाभाई देसाई मुझसे कहते हैं, ''आप सेवाग्राम चल कर गांधी जी से बात कीजिए।'' लेकिन मुझसे यह नहीं होगा।

बचपन में मैंने पुराण पढ़ा था। उसमें कहा गया है कि दूसरे का अनाज खाने वाला कभी आजाद नहीं हो पाएगा। भीष्म, द्रोण आदि वरिष्ठ लोगों को पता था कि कौरवों का पक्ष झूठ का पक्ष है। राजगद्दी पर पांडवों का ही अधिकार था। वे यह भी जानते थे कि जीत पांडवों की ही होनी है। इसके बावजूद के कौरवों की तरफ से लड़े। किसी ने उनसे पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? भीष्म ने कहा, ''हम उनका अनाज (भात) खाते हैं, इसलिए!

हमें आजादी हिंदू लोगों के पीछे पड़ कर नहीं मिलेगी। उनका वांगूलचालन करना ही काफी नहीं होगा। हमारे बाप-दादों ने यह सब आजमाया। उन्होंने उनके सामने-यानी हिंदुओं के सामने कभी सिर पर छाता नहीं पकड़ा, पैरों में जूते-चप्पलें नहीं पहने, कई बातें कीं। लेकिन उससे हासिल क्या हुआ? असल में उनके साथ संग्राम करना होगा, झगड़ना होगा। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। (तालियां)

मैं उनका भात (अनाज) नहीं खाना चाहता। मैं खुद समाज का उद्धार करना चाहता हूं। कोई गरीब आदमी अपनी गुदड़ी में थेगलियां लगाकर किसी तरह अपना बदन ढांकता है। उसी तरह मैं आज तक समाज कार्य करता आया हूं। असल में यह बताना जरूरी है कि भीख मांगकर आजादी नहीं मिलेगी। मेरा मन मुझे बताता है कि इन बीस वर्षों में मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। कोई भी साबित कर बताए कि मेरे कार्य से समाज का फलां-फलां नुकसान हुआ है। आज तक का मेरा काम निराशाजनक बिल्कुल नहीं है। आत्मबल के सहारे ही सब कुछ करना है। हमें पैसों की आवश्यकता है। राजनीति बिना पैसों के नहीं चलती। आदमी की गृहस्थी के लिए पैसों की जरूरत होती है। राजनीति बिना पैसे के चलेगी नहीं। इसी प्रकार सामाजिक गृहस्थी के लिए भी पैसों की इससे भी अधिक जरूरत होती है। हमारे पास पैसा नहीं है। काँग्रेस के पास धन की थैलियां हैं। उनके राजनीतिक कामों के लिए अगर रुपए भर कर खर्चा आता हो तो हमें कम से कम चवन्नी तो लगेगी ही। महाड़ और नासिक के सत्याग्रह हमने भीख मांगकर ही किए हैं लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? घड़े में छेद होने के कारण पानी उसमें से बह जाएगा यह तो जाहिर ही है। इसलिए, मेरी राय में इस मामले में कोई स्थायी प्रबंध होना जरूरी है। इमारत बनाने के लिए अंदाजन दो-ढाई लाख रुपयों का खर्च आएगा। इसी इमारत से आगे सालाना पांच हजार रुपयों का किराया मिला तो अपनी हालत में सुधार होगा। हम सभी लोगों को तन-मन-धन लगाकर इस कार्य में जुट जाना होगा। कोई कहेगा, डॉक्टरसाहब बेकारों से भी पैसा मांगते हैं। लेकिन मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या व्यक्ति जिंदगी भर बेकार रह सकता है? महीने-दो महीनों तक कोई बेकार रह सकता है। खूंटियां गाड़ कर उनमें रस्सियां बांध कर इस तंबू को मजबूती देनी होगी। ऐसा अगर नहीं किया गया तो ऊंची उड़ी पतंग जिस तरह कन्नी कटने पर नीचे आ गिरती है उसी तरह आपकी गत होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे बाद भी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको लंबी दूरी तय करनी है। आपकी राह सुखमय हो, उस राह पर आपकी यात्रा सुखकारी हो इसलिए मेरी ये सारी कोशिशें हैं। इसलिए, भाइयों और बहनों, दम लगा कर इस काम की शुरूआत करो। इसी सूचना के साथ मैं अपना भाषण पूरा करता हूं।

आखिर में श्री मडकेबुवा ने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को फूलमाला पहनाई और श्री सालवे मास्तर द्वारा धन्यवाद अर्पण कर फूलों की माला अर्पण करने के बाद डॉ. बाबासाहेब के जयकार के साथ सभा संपन्न हुई।

184

*...ऐसा भेदभाव अध:पत्तन की ओर ले जाएगा

शनिवार 7 दिसम्बर, 1940 की रात साढ़े आठ बचे मुंबई के चंदनवाड़ी में इमारत फंड की विशाल सार्वजनिक सभा डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में हुई थी। सभा के लिए तीन-चार हजार का जनसमुदाय जुटा था। उपस्थित जनसमुदाय ने डॉ. बाबासाहेब के आगमन पर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। 'अम्बेडकर कौन है, दलितों का राजा है', 'अम्बेडकर जिंदाबाद, थोड़े दिनों में भीम राज' आदि नारे भी लगाए गए। इस अवसर पर श्री मोहिते मास्टर, वि. का. उपशाम मास्टर, वडवलकर, मिंढे पाटील, लोखंडे, गायकवाड़, आमदार, भाई चित्रे, वरालेसाहब आदि लोग उपस्थित थे। सभा में बेहतरीन प्रबंध रखा गया था।

सभा की शुरूआत श्री ड. तु. जाधव मास्टर ने की। सभा के नियोजित अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर से उन्होंने अध्यक्षपद स्वीकारने की विनती की। श्री खैर ने उनकी बात का समर्थन किया। उसके बाद डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने अध्यक्ष स्थान स्वीकार किया।

पहले श्री सी. एन. मोहिते मास्टर ने डॉ. बाबासाहेब द्वारा शुरू किए गए इमारत फंड के बारे में और सभी व्यस्क महिला और पुरुषों को इमारत फंड में चंदा देने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। श्री वडलकर और उपशाम मास्टर ने भी समयोचित भाषण किए।

फिर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर बोलने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने अपने भाषण में कहा-

आज यहां सभा का आयोजन कर आपने मुझे आमंत्रित किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वैसे मैं कभी किसी को धन्यवाद नहीं देता। फिर आपको ही मैं क्यों धन्यवाद दे रहा हूं? क्योंकि पिछले दस-बारह सालों से आपने सामाजिक कार्य में हिस्सा नहीं लिया। मुझे शक होने लगा था कि यहां के लोग सो तो नहीं गए हैं? वे करते क्या हैं? आदि बातों का मुझे बिल्कुल पता नहीं था। अब आपने यह सभा बुला कर समाज कार्य के बारे में अपनी जिज्ञासा प्रकट की इसलिए मेरा आपको धन्यवाद देना योग्य ही है। महाड़ के आंदोलन के बाद से कुछ लोग कोकणी लोगों के बारे में बोलने

---

*जनता : 14 दिसम्बर, 1940

लगे। जिन्होंने यह कहा उनके नाम यहां बताने की जरूरत नहीं है। मेरी ही तरह आपको भी उनके नाम पता होंगे ही। उन लोगों में से किसी ने सार्वजनिक आंदोलनों में हिस्सा लिया है ऐसा मेरी मनोदेवता मुझे नहीं बता रही। ऐसी ही लोगों ने खुले आम कोकणस्थ और देशस्थ का विवाद खड़ा किया है। इस भेदभाव के कारण समाज का कल्याण होना तो दूर की बात, नुकसान तुरंत हो जाएगा। यह भेदभाव निर्माण करने वालों ने इधर दस-बारह सालों में कुछ सामाजिक हित का काम किया होता तो मुझे खुशी ही होती। कुछ बोर्डिंग ही खोल लेते, कुछ गरीब छात्रों को वजीफे दिलवाते, तब भी मुझे बड़ी खुशी होती। लेकिन ऐसे समाजोपयोगी कोई काम किए बगैर वे बस भेद नीति निर्माण कर रहे हैं। मुझे बेहद कटु शब्दों में बताना पड़ रहा है। यहां इक्ट्ठा हुए लोगों को एक शुभ संदेश देने को मेरा मन कर रहा है। वह यह कि आप देशस्थ, कोकणस्थ, कर्नाटकी या वायदेशी जैसा भेदभाव करेंगे तो आपका अश्व:पतन हुए बगैर नहीं रहेगा। इतने समय तक हमारी अधोगति हुई उसे अब और नहीं होने देना चाहिए। समाज में भेदभाव फैलाने वालों को आप बिल्कुल आसरा ना दें। इसके लिए मुझे कड़े उपाय बनाने पड़ेंगे। यह पहचान कर ही शायद आप लोगों ने आपसी मतभेदों को भुलाकर इस अपूर्व सभा का आयोजन किया। इसीलिए आपके प्रति आभार प्रकट करना योग्य ही है, जो हो!

भाइयों, इमारत के बारे में मुझसे पहले बोले दो वक्ताओं ने आपको जानकारी दी है। इससे पूर्व मैंने भी इमारत के बारे में दो-तीन जगह भाषण दे चुका हूं। आप अगर 'जनता' पढ़ते हों तो आपको भी इस बात का पता चला हो। मुझसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने जो बताया उससे लगता नहीं कि उन्होंने मेरी मंशा को जाना है।

इमारत के बारे में पता होना जरूरी है। यह इमारत देश की तरफ चौपाल बनती है वैसे नहीं बनानी है। देश की तरफ (सह्यद्री के पूर्व का इलाका) वाली चौपाल में काम-धंधा न करने वाले बेकार महार लोग लोट लगाते रहते हैं। ऐसी इमारत बनाने का मेरा इरादा नहीं है। मुंबई में दगड़ चॉल में एक भगवान शिव का एक मंदिर था। वहां कई साधु चरस, गांजा आदि पीकर मठ में गप्पें हांकते हुए बैठे रहते थे। वहां हिंदू-मुसलमान दोनों रहा करते थे। वे सब एक-दूसरे को अच्छी तरह से जानते-पहचानते थे। एक दिन किसी ने मंदिर की शंकर की पिंडी फोड़ दी। तब मुसलमानों पर शक जाना स्वाभाविक था। लेकिन पूछताछ में पता चला कि मूर्ति मंदिर में बैठने वाले साधुओं ने तोड़ी थी। मुसलमानों ने नहीं तोड़ी थी। भाइयों, मैं जो इमारत बनाना चाहता हूं वह बेकार महारों के दिन-रात सोने के लिए नहीं होगी। इमारत के बनाने के बारे में अलग उद्देश्य है।

उस उद्देश्य को अगर जानना हो तो एक और विषय के बारे में जानकारी लेना आवश्यक है। हम अस्पृश्य दरिद्रता के गरक में फंसे हैं। हमारे पास पैसा नहीं है। मेहनत

किए बगैर हमें रोटी नहीं मिलती। लेकिन हमारे पास संगठन का बड़ा बल है। उसी के सहारे हमें प्रति पक्ष से मुकाबला करना है।

हमें जो भी राजनीतिक अधिकार मिले हैं उन्हें हमसे छीनने के लिए कांग्रेस भी तैयार है। कांग्रेस ने बड़े-बड़े लोगों को बलहीन बना दिया है, हरा दिया है। किसी जमाने में गैर-ब्राह्मण पक्ष बलाद्य था। उनका सत्य शोधक समाज काफी तेजी से काम कर रहा था। गणपति महोत्सव के समय ब्राह्मणों का गणपति अलग और मराठों का गणपति अलग होता था। उस वक्त मराठों ने ब्राह्मणों को चिढ़ाने के लिए एक शब्द प्रयोग भी बनाया था। ब्राह्मणों को वे 'हर्रर बे' कहा करते थे। लेकिन जो गैर-ब्राह्मण ब्राह्मणों को गालियां देते थे उनका आज क्या हाल है? रा. ब. बोले ने अपनी पूरी जिंदगी ब्राह्मणों को गालियां देने में बिताई। लेकिन आज वही बोले बैरिस्टर सावरकर की हर बात झेलने के लिए तैयार खड़े होते हैं। वही बात पुणे के जेधे की भी है। अब वे पुणे के एक ब्राह्मण के हाथ का खिलौना बन गए हैं।

गैर-ब्राह्मणों का पक्ष जब इतना बलवान था तो फिर वह काँग्रेस के आगे क्यों लोट लगा रहा है? इसका कारण एक ही है। क्योंकि उनमें एका नहीं है। सब बिखरे हुए हैं। हमारा हाल उनके जैसा नहीं है। हमें जो भी मिला है उसका हम अपनी जाति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और वह भी बिना किसी के गुलाम बने।

आजकल की राजनीति मुफ्त में नहीं की जा सकती। काँग्रेस की राजनीति खेलने के लिए गांधी ने एक करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पिछले इलेक्शन में मुझे हटाने के लिए काँग्रेस ने एड़ी-चोटी का पसीना एक कर दिया था। कोई भी और अगर चुनाव जीतता तो उन्हें पता चल जाता लेकिन मुझे वे जीतने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए सरदार वल्लभभाई पटेल ने इस काम पर 35000 रुपए खर्च किए। लेकिन हमारे समाज की एकता के कारण मैं दूसरे स्थान पर चुनाव जीता। पारसी महिलाएं अगर अपने वोट डॉक्टर गिल्डर को नहीं देतीं तो मैं पहले नंबर से चुनाव जीत जाता। इसीलिए, समय-समय पर होने वाले चुनाव जीतने के लिए पैसा न होने के कारण हमारी हालत पतली होने की संभावना है। वैसा न हो इसलिए हमें यह इमारत बनानी है। इस इमारत से हमें हर साल 5-6 हजार रुपयों का किराया मिल सकता है। इसी प्रकार गांव-गांव में हमारे लोगों को स्पृश्य लोगों से परेशानियां झेलनी पड़ती रहती हैं। कई लोग मुझसे अपने अनुभव बताते रहते हैं। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? कुछ करना हो तो पैसों की आवश्यकता होती है। वकील लोग पैसों के बगैर कैसे काम करेंगे? इसीलिए मुझे लोगों को बड़ी मिन्नतों से समझाना पड़ता है कि मैं आपके लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा। यह बात कहते हुए मुझे बड़ी तकलीफ होती है। यह बड़े शर्म की बात है। इसीलिए इस इमारत से होने वाली आय से हम अपने लोगों के दुख कुछ हद तक ही सही कम तो कर ही सकते हैं।

इस इमारत फंड में पैसा देने के लिए हमारे पास अमीर लोग नहीं हैं। इसीलिए जिस प्रकार बूंद-बूंद से हौज भरता है उसी प्रकार सबको थोड़े-थोड़े पैसे देकर इस इमारत फंड को पूरा करना होगा।

यह मेरे या किसी ओर के स्वार्थ का मामला नहीं है। यह इमारत यानी सभी लोगों की पूंजी है। यही आस्था मन में पालते हुए हमें मदद करनी होगी। जिन लोगों की तनख्वाह 25 रुपयों तक है उनके लिए मैंने दो रुपए चंदा तय किया है। जिनकी तनख्वाह इससे अधिक है वे सींग तुड़ा कर बछड़ों में शामिल होने वाली गाय की तरह ना बनें। वे सब अपनी एक महीने की तनख्वाह किश्तों में इस काम के लिए दें। जिंदगी भर पैसा कमा कर आप अपने रिश्तेदारों को पालेंगे, साहूकार का कर्जा चुकाएंगे, गहने बनवाएंगे, लेकिन इस सामाजिक ऋण को भी आपको चुकाना है। इस काम में आप आगा-पीछा न सोचें या जी चुराने की कोशिश न करें। मैं आपसे सीधे शब्दों में विनती करता हूं। उससे अगर कुछ फायदा नहीं हुआ तो कड़े उपाय भी करने से मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। वह उपाय क्या होगा? वह होगा जाति से बहिष्कार। बुरा काम करने वाले को हम जिस प्रकार बहिष्कृत करते हैं उसी प्रकार इस कार्य में मदद नहीं देने वाले को भी बहिष्कृत करना गलत होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। इतना कह कर तथा आप सब इस काम में मदद दें यह एक बार फिर कहकर मैं अपना भाषण पूरा करता हूं।

185

*बच्चों को पढ़ाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना

शनिवार, दिनांक 15 फरवरी, 1941 की रात 10 बजे फलण रोड मुंबई की म्युनिसिपल चॉल में प्रि. दोंदे साहब की अध्यक्षता में एक जंगी सार्वजनिक सभा हुई। सभा में काफी लोग उपस्थित थे। अस्पृश्यों के इकलौते नेता डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर सभा में उपस्थित होंगे सोचकर फोर्ट तथा अन्य जगहों पर रहने वाले लोगों के समूह 8 बजे से ही सभा स्थान आ रहे थे। डॉ. बाबासाहेब अन्य कार्यकर्ताओं के साथ ठीक 10 बजे सभा स्थान पहुंचे उस वक्त उनके जयकार की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा था।

कुछ देर बाद सभा की शुरूआत हुई। सभा के अध्यक्ष प्रिं. दोंदे ने अध्यक्ष स्थान स्वीकारने के बाद भाषण दिया। उन्होंने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को 230 रु. की थैली अर्पण की। उसके बाद डॉ. बाबासाहेब भाषण करने के लिए उठ खड़े हुए। अपने भाषण में वह बोले-

सभाधिपत्ति, बहनों और भाइयों,

कई सालों के बाद आज मैं यहां आया हूं। बचपन में मैं जब एलफिन्स्टन हाईस्कूल जाता था तब यहीं मेरे कुछ रिश्तेदार रहा करते थे। उन्होंने मुझे खाने पर बुलाया था इसलिए मैं आया था। उसके बाद आज मैं यहां आया हूं।

समाज में बदलाव की जो हवा चल पड़ी है वह यहां तक पहुंची होगी ऐसा मुझे नहीं लगा था। क्योंकि इस जगह कोई अच्छी सभा होने की बात मैंने कभी सुनी नहीं थी। हालांकि आज यहां के लोगों ने इस सभा का आयोजन किया इस बात का मुझे संतोष है।

अन्य सभी कामों को परे हटा कर मैंने इमारत का यह काम हाथ में लिया है। इस इमारत की हम लोगों की कितनी जरूरत है यह शायद आप लोग नहीं जानते। आप में से हर कोई यह जानता हो कि अपने आंदोलन की शुरूआत महाड़ के सत्यग्रह से हुई। आप कुलाबा और रत्नागिरी जिले के रहने वाले हैं इसलिए आपको शायद महाड़ के बारे में पता हो। महाड़ के सत्याग्रह का मेरे मन पर बहुत असर हुआ है। इस सत्याग्रह से अगर मैंने कुछ सीखा हो तो यही सीखा है कि अगर अपनी उन्नति का काम करने लगे तो स्पृश्य लोग हमें बेहद परेशान करते हैं। महाड़ में हमारे लोग जब खाना खाने बैठे

*जनता : 22 फरवरी, 1941

तब स्पृश्य लोगों ने उन्हें पीटा। उस वक्त मैं डाक बंगले में या तो लोगों ने मेरा घेराव किया। हालांकि वहां पुलिस थी इसलिए वे मुझे कुछ कर नहीं पाए।

जब सत्याग्रह के लिए आए लोग अपने-अपने गांव लौटे तब कई गांवों के स्पृश्य लोगों ने हमारे पुरुषों के साथ पारपीट की, हमारी महिलाओं के साथ भी मारपीट करने से वे चुके नहीं। इतना ही नहीं, कई स्पृश्य लोगों ने हमारे लोगों द्वारा बुआई की गई जमीनें छीनी। और भी कई तरीकों से परेशान किया। कुलाबा जिले के हमारे लोगों ने एक-दो सालों तक ये परेशानियां झेली। दुख की बात यह थी कि हम मुंबई में रहने वाले लोग उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। इसकी वजह क्या थी? और कोई नहीं बल्कि इसकी यही वजह थी कि उनके दुखों को हरने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। इसी कारण मेरे मन पर ऐसा असर हुआ है कि मुझे लगता है कि सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास पैसा होना जरूरी है। इस इमारत से हमें कुछ पैसा मिलेगा।

अब तक हमारे कई सामाजिक काम हो चुके हैं और हो रहे हैं। लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं तब तक यह ठीक है। मेरे बाद क्या होगा? हममें अभी तक जितना सुधार होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। आगे हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी। इसलिए इस इमारत के पूरा हो जाने पर मेरे बाद के लोगों के लिए वह सुविधाजनक रहेगा। उनके लिए अगर मैंने कोई योजना बना कर नहीं दी तो वे मुझे दोष देंगे।

यह इमारत जब बनी जाएगी तब मेरे अंदाजे के अनुसार सालाना उससे हमें पांच-छह हजार रुपयों की आमदनी होगी। इस रकम का प्रयोग हमारे लोगों को स्पृश्य लोगों से दी जाने वाली तकलीफ का निवारण करने में होगी।

जिस प्रकार कोई सेठ अपने बेटे के लिए इमारत या कोई चॉल बना कर रखता है उसी प्रकार मेरा उद्देश्य इस इमारत को बनाने के पीछे है। मेरे बाद आपको इस इमारत से बहुत मदद मिलेगी। हालांकि आप सभी को आपस में एका तो रखना ही होगा। इसीलिए आप सभी को इस काम में मेरी मदद करनी होगी।

इस अवसर पर तीन बातें आपको बताने की मेरी इच्छा है। पहली बात यह कि आप जिस कचरापट्टी का काम करते हैं वह सम्मान का काम नहीं है। यह बेहद गलीज काम है। हमारे लोग पहले पलटन में थे। आजकल नहीं हैं इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि हमारे लोगों का यही व्यवसाय है। अंग्रेज सरकार को लोगों की बेहद जरूरत होने के बावजूद हमें पलटन में, सेना में नहीं लिया जाता सेना में स्पृश्य लोगों की संख्या अधिक होने से अंग्रेज सरकार हमसे अधिक उनकी फिक्र कर रही है। इसीलिए कहता हूं कि आपके बाद आपके बच्चों को आपका काम न करना पड़े इस बात का एहतियात आप सभी को बरतना होगा। बच्चों को पढ़ाना होगा। अपने बच्चे अध्यापक, क्लर्क बनें

ऐसी इच्छा आपको पालनी होगी। अन्य जिलों की तुलना में कुलाबा, रत्नागिरी जिलों में पढ़ाई के मामले में हमारे लोग काफी पिछड़े हुए हैं। बहुत कम लोग मैट्रिक तक पढ़े हैं। इसीलिए अपने बच्चों को पढ़ाने में आपको कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है।

दूसरी बात यह है कि आपकी कपड़ों का इस्तेमाल करने के बारे में आदतें बुरी हैं। आप काम के लिए जाते समय, घूमने जाते हुए या शादी के लिए जाते हुए एक ही कपड़ा पहनते हैं। यह बहुत बुरा है। काम पर जाते हुए, घूमने जाते हुए या शादी-ब्याह में जाते हुए अच्छे कपड़े पहनें। दोनों वक्त खाना नहीं मिलता तब भी कोई बात नहीं, कपड़े हमेशा अच्छे पहनिए। क्योंकि आज दुनिया में कपड़ों की इज्जत होती है।

तीसरी बात यह कि मुंबई में म्युनिसिपल कामगार युनियन अब बहुत फैली हुई है। पहले एक बार भड़के बुआ ने इस यूनियन को उखाड़ने की कोशिश की थी लेकिन उस वक्त उन्हें उसमें सफलता मिली थी। लेकिन अब उनकी कोशिशें सफल हो रही है। इसीलिए मैं आपका और मडकेबाबा का अभिनंदन करता हूं। संगठन का कितना महत्व है इसका एक ताजा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। म्युनिसिपालिटी कामगार युनियन की ओर से ड्रेनेज विभाग में काम करने वालों को काम की तुलना में बेहद कम तनख्वाह मिलती थी। उन्हें अधिक तनख्वाह मिले इसलिए म्युनिसिपल कमीश्नर को सूचना देकर हड़ताल का नोटिस दिया। हमारी हड़ताल तोड़ने की बहुत कोशिश की गई। लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आखिर म्युनिसिपल कमीश्नर ने उनकी मांगें मान लीं और ड्रेनेज विभाग के कामगारों की तनख्वाह बढ़ाई गई। इस मुंबई में अन्य लोगों ने जो हड़तालें की उनमें सफलता नहीं मिली। फिर सही हड़ताल को सफलता कैसे मिली? इसकी कोई और वजह नहीं थी बल्कि उनका संगठन ही एक मात्र वजह थी।

आप जो काम करते हैं उनके लिए स्पृश्य लोगों को हर माह अगर 100 रुपए भी दिए जाएं तो वे नहीं करेंगे। आपने अगर हड़ताल की तो मुंबई के लोगों के सामने छटपटा कर मर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए अगर आप एका रखेंगे तो मुंबई में रहने वाले लोगों की नाक आपकी मुट्ठी में रहेगी।

आज तक आपको महंगाई भत्ता दिलाने के लिए म्युनिसिपालिटी में एक प्रस्ताव रखा गया है। इसीलिए आप म्युनिसिपल कामगार यूनियन के सदस्य बन कर यूनियन की लड़ाई में सहायता कीजिए। इतना कहकर मैं अपनी जगह बैठ जाता हूं।

186

*मैं पूछता हूं अस्पृश्य गवर्नर क्यों नहीं हो सकता?

23 फरवरी, 1941 को तडवले (ढोकी) में आयोजित सोलापुर जिला और मुगलई मराठवाड़ा विभाग की महार-मांग ईमानदार परिषद के लिए अखिल भारतीय अस्पृश्यों के नेता वंदनीय डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर दिनांक 02 फरवरी, 1941 की सुबह तडवले स्टेशन पहुंचे। बार्शी के आगे हर स्टेशन पर अस्पृश्य समाज की ओर से उनका सत्कार होने के कारण आज गाड़ी तडवले में आधा घंटा देर से पहुंची थी। वहां से फूल-पत्तियों से सजी 50 बैल जुती गाड़ी में उनका लता-पल्लवों से सजे रास्ते पर जुलूस निकला। सींगी, डफली, नगाड़े, तुरही, शहनाई, बैंड, बाजा, आदि के साथ तबले, येडशी, उस्मानाबाद आदि जगहों के आत्मयज्ञ दल के सैंकड़ों सैनिक और हजारों अस्पृश्यों के मुख से निकलने वाले 'अम्बेडकर कौन है, दलितों का राजा है' जैसी जयकार ध्वनि से तडवले का वातावरण गूंज उठा था। इसी प्रकार हंसी-खुशी जुलूस परिषद के शामियाने तक आते ही सैकड़ों महिलाओं ने बाबासाहेब के आगे घड़ों से पानी उंडेल कर सड़क बुहारी, नारियल से उनकी नजर उतारी, उन्हें असीसते हुए उनकी आरती उतारी। कई महिलाओं ने 'हमारी ये छोटी-सी भेंट इमारत फंड के लिए लीजिए', कहते हुए कुछ पैसे भी दिए! सैकड़ों फूलमालाएं उन्हें अर्पण की गईं। तब आराम करने के लिए वे अपने निवास-स्थान चले गए। शाम के समय कमेटी और अन्य विषयों पर चर्चा हुई। दूसरे दिन यानी 23 फरवरी, 1941 की सुबह 9.45 को दस हजार श्रोताओं से भरे मंडप में ईशस्तवन के साथ परिषद के कामकाज की शुरूआत हुई। ए.एच. भालेराव ने अध्यक्ष की सूचना रखी। हरिभाऊ तोरणे ने सूचना का समर्थन किया। उसके बाद डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा अध्यक्ष-स्थान स्वीकारे जाने के बाद परिषद के स्वागतध्यक्ष श्री देवीचंद मारूती कदम का भाषण हुआ। उनके बाद डॉ. बाबासाहेब बोले।

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने अपने भाषण में कहा-

भाइयों और बहनों,

आपमें से कोई निजाम की रियासत से आए हैं तो कोई खालिसा हिस्से से आया है। इसलिए आज मुझे अपने भाषण के दो हिस्से करने पड़ेंगे। एक खालिसा के भाइयों के लिए और दूसरा निजाम के प्रांत के भाइयों के लिए। सोलापुर जिले के भाइयों को

*जनता : 1 मार्च, 1941

विधायक ऐदाले ने बहुत सारी सरकारी परती जमीन दिला दी है। उनकी दीनता जहां तक संभव हो। कम करने के लिए और कुछ गांवों के अस्पृश्यों पर हुए अन्याय के निवारण के लिए उन्होंने काफी कोशिशें की हैं। उसमें उन्हें काफी सफलता भी मिली है। आगे भी कुछ सुधाार होने थे लेकिन राजकाज का बोझ बीच में ही सड़क पर छोड़ कर काँग्रेस के बौखलाए बैल भाग खड़े हुए। ये बैल गांधी से खौफ खाते हैं। गांधी कोई गप्प उड़ाते हैं और उनके भाट दिमाग पर परदा डाले, ढोल पीटना शुरू करते हैं। काँग्रेस का हाल आज कुछ ऐसा ही है। 1885 में हिंदू लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए ही काँग्रेस का जन्म हुआ था। शुरूआती पच्चीस सालों में उसे कोई ज्यादा जानता नहीं था। मुंबई-पुणे के कोई नेता व्यापारी उठे, कहीं इक्ट्ठा हों, कुछ प्रस्ताव पारित करें उतना ही उसका स्वरूप था। लेकिन पिछले 20 सालों से उसके नाम का ढोल जोर से पीटा जाने लगा है। अंग्रेज लोग मि. चेंबरलेन को प्रमुख देते हैं साम्राज्य चलाने की सभी जिम्मेदारी उन्हें सौंपते हैं। लेकिन उनके सार्वजनिक बर्ताव के कारण अपने को गुलामी झेलनी पड़ेगी यह शक होते ही उन्हें प्रधानमंत्री के पद से नीचे खींच लेते हैं, अपदस्थ कर देते हैं! काँग्रेस का हाल ऐसा नहीं है। उसके पास व्यवहारज्ञान या चतुराई नहीं है। 1940 को वह लगभग 1911 का साल मान रही है। लेकिन अब उसमें कोई दम नहीं रहा। काँग्रेस की गंगा से अलग निकल कर हिंदू सभा की यमुना अपने अलग प्रवाह से बहती जा रही है। मुसलमान मुस्लिम लीग के झंडे के नीचे हैं। मुस्लिम लीग का प्रवाह बिल्कुल अलग राह से बहता जा रहा है। मुसलमानों का दबदबा बढ़ा है। अंग्रेज सरकार को झुकाने की ताकत काँग्रेस या हिंदू सभा में नहीं है। यह केवल मुस्लिम लीग ही कर सकता है। हिन्दुस्तान के वाइसराय लॉर्ड लीनलिथगो ने विधिमंडल के पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की। तब अहंकार और उद्दामता का प्रदर्शन करते हुए काँग्रेस ने अपनी भूमिका स्पष्ट कि पहले सत्ता काँग्रेस के हवाले करें, फिर काँग्रेस तय करेगी कि मुस्लिम लीग, अस्पृश्य या अल्पसंख्यकों को उसमें लेना है या नहीं, अगर लिया तो किस अनुपात में लेना है, किस व्यक्ति को लेना है आदि। यह काँग्रेस का दुराग्रह था। अगर किसी व्यक्ति को अहंकार हो तो वह चिंता की वजह नहीं, अपने कर्मो का फल वह अकेला भुगतेगा। लेकिन जब किसी व्यक्ति के अहंकार का असर उस व्यक्ति को प्राप्त पद के कारण बाधक होता है तब सभी के उस बारे में सोचने की जरूरत होती है। राष्ट्र के हित के लिए झूठी, दंभपूर्ण और अहंकारी मानसिकता पर रोक लगानी होगी और राष्ट्रकार्य को सही दिशा में आगे ले जाना चाहिए। लेकिन गांधी के बिफरे बैल उसे रास्ते में ही छोड़ कर हिंदी राजनीति का पूरा बंटाधार कर दिया है। गांधी के नियमों के अनुसार चलने वाले हरिजन सेवक संघ का भी वही हाल है। अस्पृश्यों को साक्षर बनाने के लिए वे कहीं कोई छोटा-सा स्कूल खोलेंगे, इस्तेमाल के लिए नया कुआं खोद देंगे। लेकिन ये काम सरकार भी यथाशक्ति कर ही रही है। हरिजन सेवक संघ वालों से मैं विनती करता हूं कि भाइयों, अस्पृश्यों

को अगर पानी पिलाना हो तो समता से पिलाइए। हम विषमता को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे छोटे-मोटे उपायों से वह नष्ट नहीं होगी। शरीर के नाजुक हिस्से पर उगे फोड़े को ठीक करना हो तो तेल-पानी लगाकर, फिटकरी घुमाने से क्या काम चल जाएगा? हरिजन सेवक संघ, काँग्रेस और गांधी मुसलमानों की मनुहार करेंगे। राजाओं की मनुहार करेंगे लेकिन अस्पृश्यों के बारे में? बिल्कुल नहीं! गांधी को हिंदू गवर्नर चाहिए, हिंदू कलक्टर चाहिए। मैं पूछता हूं, अस्पृश्य गवर्नर क्यों नहीं चाहिए? अस्पृश्य कलक्टर क्यों ना हो? लेकिन गांधी बस यही तो नहीं चाहते। मध्यप्रांत में डॉ. खरे एक अस्पृश्य को दीवण का पद देते हैं तो तुरंत गांधी का पित्त खौलता है! वे डॉ. खरे पर भिन्नाए। सही समय आते ही मैं उनके बीच हुआ पत्राचार उघाड़ने वाला हूं, सार्वजनिक करनेवाला हूं। संक्षेप में बताना हो तो गांधी का आंदोलन, उनका सार्वजनिक परिवार अस्पृश्यों के संदर्भ में इसी तरह पक्षपातपूर्ण रहा है। परिवार चलाना हो तो नोन, मिर्च, लकड़ी की भी जरूरत होती है। गांधी के इस परिवार को सेठ-साहूकारों से यह सब मिलता रहता है। आज कांग्रेस का जो नाम हुआ है उसमें गांधी का कोई योगदान नहीं रहा है। वह एक करोड़ रुपए के फंड की करामत है! भाइयों, अपनी गृहस्थी हमें खुद ही चलानी होगी। लेकिन वह चलाने के लिए न हमारे पास कोई साधन नहीं है, पैसे नहीं हैं और फंड तक नहीं है। लेकिन यही सोच कर हताश होकर बैठेंगे तो इस आपाधापी में हम टिक नहीं सकते। हमें तो सम्मान से जीना है। और इस प्रकार जीना हो तो अपने हक की राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में होना जरूरी है। महार की का लोभ और कितने समय तक हम सीने से लगाकर रहेंगे? मैं भी आठ आने का वतनदार हूं। क्या फायदा? मैंने इसीलिए वतनदारी का लोभ त्याग दिया। आज भी मेरे घर की छत से टांग कर रखे हुई भगवानों की मूर्तियां स्पृश्य गांववाले शादी-ब्याह के समय बाजे-गाजे के साथ ले जाते हैं। एक बार इसमें रूकावट आई तो गांव में महामारी आई। अपने सार्वजनिक कार्य को इस प्रकार महामारी का शिकार होने से बचाइए। अपने आंदोलन के काम में रूकावट न आए, वह निरंतर चलता रहे इसलिए मैंने मुंबई में ढाई लाख रुपयों की एक इमारत बनाने का निर्णय लिया है। उस इमारत के कुछ हिस्से में 'जनता' पत्रिका का दफ्तर होगा, प्रेस होगा और अन्य हिस्सों को किराए पर चढ़ाया जा सकता है। सालाना आठ-नौ हजार रुपयों की आमदनी होगी। उसमें हमारा खर्चा चल जाएगा। इसके लिए देश के अस्पृश्यों से, हर घर से कम से कम एक रुपया जरूर लें। यह पैसा इक्ट्ठा करने के लिए मैंने इस जिले में केवल दो लोगों को चुना है। एक हैं विधायक ऐदाले और दूसरे हैं हरिभाऊ तोरणे। उन्हीं को आप पैसे दें। पैसा आपको खुद ही इक्ट्ठा करना होगा। औरों से पैसा लेंगे तो हमें उनकी मर्जी से चलना पड़ेगा, हम उनके हो जाएंगे। महाभारत के कौरव-पांडवों की कहानी आप जानते ही होंगे। न्याय पांडवों के साथ है, सत्य भी उनकी तरफ ही है इसका पूरा-पूरा अहसास होने के बावजूद भीष्म-द्रोण जैसे योद्धा कौरवों की

ही तरफ रहे। क्योंकि उन्होंने कौरवों का अनाज खाया था। आप अपनी काबिलियत के हिसाब से मदद कीजिए। मुझे आत्मविश्वास है कि मैं इमारत बनवा लूंगा।

आज मैं निजाम सरकार के राज्य भाइयों के बारे में बोलूंगा। वैसे देखा जाए तो खालिसा मुल्कों में हो या निजाम के राज्य के दायरे में हो- दोनों जगह महारों का एक-सा हाल है। हिंदुस्तान में जो 500-600 रियासतें हैं उनमें सबसे बेहतर स्थिति में, पहले दर्जे पर निजाम का राज्य है। उसकी तुलना में बड़ोदा रियासत बहुत-छोटी है। लेकिन इस रियासत में अस्पृश्यों के पढ़ने-लिखने का प्रबंध किया हुआ है। मैसूर रियासत में अस्पृश्यों को जमीनें मिलीं। सुरती के लगान में छूट भी मिली। उन संस्थाओं में अस्पृश्यों के हितों का ध्यान रखा हुआ दिखाई देता है। लेकिन हैदराबाद रियासत में अभी महारों की रोजी-रोटी का मसला ठीक से हल हुआ दिखाई नहीं देता। वहां अस्पृश्यों की प्राथमिक शिक्षा का कोई प्रबंध किया हुआ दिखाई नहीं देता। लाखों एकड़ सरकारी जमीन खाली पड़ी है और अस्पृश्य लोग भूख से लड़ रहे हैं? रियासत की आर्थिक स्थिति बेहतर है, फिर समझ में नहीं आता कि बाकी ऐसा हाल क्यों है? अपनी मुसीबतें सरकार तक पहुंचाने के लिए अस्पृश्यों को संगठन बनाना चाहिए। हैदराबाद के नए बन रहे संविधान में अस्पृश्यों की जनसंख्या के अनुपात में योग्य प्रतिनिधित्व पाने की कोशिश करें। निजाम के प्रांत से आए अस्पृश्य आज मुझे देने के लिए जो रकम लेकर आए हैं उनकी अगर अपने काम करवाने के लिए उन्हें जरूरत हो तो वे ले जाएं। सुयोग्य सही तरीके से अपनी शिकायतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने की कोशिश करें। जरूरत पड़ने पर उनकी सहायता कर सकता हूं।

डॉ. अम्बेडकर के भाषण के बाद निम्नांकित तीन प्रस्ताव पारित हुए-

पहला प्रस्ताव : यह सभा निजाम सरकार से विनती करती है कि निजाम सरकार के राज्य की सीमा में रहने वाले माफीदार महार, ढेढों को मेहनत के अनुपात में मुआवजा नहीं मिलता। इसलिए सरकारी जंगल-जमीनें देकर माफीदार महार-ढेढ लोगों के गुजारे का सवाल हल किया जाए।

दूसरा प्रस्ताव : निजाम सरकार के राज्य की सीमा में रहने वाले अस्पृश्य लोगों का बुरा हाल है। सभा निजाम सरकार से विनती करती है कि सरकार की ओर से उनकी प्राथमिक शिक्षा का तुरंत प्रबंध किया जाए।

तीसरा प्रस्ताव : निजाम सरकार से इस सभा की विनती है कि राज्य के नए बन रहे संविधान में निजाम राज्य की सीमा में रहने वाले अस्पृश्य प्रजा को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले।

बार्शी म्युनिसिपालिटी के अध्यक्ष और गैर-ब्राह्मणों के नेता श्री भातनकर ने आज

सुबह ही बाबासाहेब से मिलकर बार्शी म्युनिसिपालिटी का कार्यक्रम तय कर लिया था। इसलिए तीन बजे वे बार्शी के लिए रवाना हुए। वहां म्युनिसिपालिटी के बाग में डॉ. बा. बासाहेब को 'अट होम' पार्टी दी गई। तब श्री भातनकर ने बताया बार्शी म्युनिसिपालिटी ने अस्पृश्य नौकरों को अस्पृश्य छात्रों को और उनके बोर्डिंग की मदद की है और आगे भी करती रहेगी। जवाबी भाषण में डॉ. अम्बेडकर ने बार्शी म्युनिसिपालिटी को धन्यवाद दिया। साथ ही आशा व्यक्त की कि बाशी। म्युनिसिपालिटी अपनी कुव्वत में हमेशा अधिक से अधिक मदद करने की नीति अपना कर उस पर अमल करेगी। जरूरी काम के कारण मानपत्र लेने नहीं आ पाया लेकिन आज अॅट होम पार्टी में हाजिर हूं कह कर श्री भातनकर और उनके सहयोगियों को धन्यवाद दिया।

इसके बाद माफीदार महारवाड़े में आयोजित छोटे कार्यक्रम में डॉ. अम्बेडकर शामिल हुए। वहां श्री सखाराम बोकेफोडे, राजाराम वोकेफोडे आदि लोगों ने महारवाड़े के मंडप में महिलाओं द्वारा आरती हुई। इमारत फंड में मदद राशि देने का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद डॉ. बाबासाहेब वहां की अस्पृश्यों की बस्ती में गए। आगे वे कुर्डुवाड़ी जाने के लिए निकले। वहां किसान सोनवणे आदि बी. एल. रेल स्टाफ के लोगों ने फूलमालाएं और चाय-पार्टी देकर इमारत फंड में 101 रुपयों की मदद दी। कई अस्पृश्य बहनों ने स्टेशन में आकर पंचारतियों से बाबासाहेब की आरती उतारी और उन्हें इमारत फंड में मदद भी दी। कुर्डूवाड़ी के कार्यक्रम के बाद बेहद जरूरी काम के लिए डॉ. बाबासाहेब को मुंबई जाना पड़ा जिस कारण पंढरपुर, अकलूज, नातेपुते, मालसिरस के कार्यक्रम मजबूरी के कारण रद्द करने पड़े।

187

*कुत्ते की नहीं इंसान की मानसिकता अपनाएं

रविवार 11 मई, 1941 को तीसरा मुंबई अस्पृश्य विद्यार्थी सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन की ओर से डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा चलाए गए इमारत फंड के लिए धन अर्पण करने हेतु प्रिं. दोंदे, बी. ए. म्युनिसिपल कारपोरेटर की अध्यक्षता में परेल मुंबई के आर. एल. भट्ट हाईस्कूल के प्रांगण में एक विशाल सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। सभास्थान पर अस्पृश्यों के इकलौते नेता डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के आते ही वहां उपस्थित जनसमुदाय के द्वारा तालियों की बरसात कर उनका स्वागत किया गया। श्री वी. एस. पगारे ने प्रिं. दोंदे को अध्यक्ष स्थान स्वीकारने की विनती की। श्री सालबे ने उनकी विनती का समर्थन किया। उसके बाद अध्यक्ष प्रिंसिपल दोंदे, ने धन्यवाद अप्रण करनेवाला भाषण किया।

श्री वी.एस. गायकवाड़ (इंटर आर्टस) ने इमारत फंड के लिए छात्रों ने किस प्रकार रकम जुटाई इसकी विस्तृत जानकारी देने वाली रिपोर्ट पढ़ कर सुनाई। यह निधि तीसरे अस्पृश्य छात्र सम्मेलन की ओर से जमा किया गया। सम्मेलन के अवसर पर बचत के जरिए इमारत फंड की थोड़ी मदद करने की छात्रों की इच्छा थी। लेकिन सम्मेलन के लिए इक्ट्ठा की गई रकम बहुत कम थी जो वे इमारत फंड के लिए नहीं दे पाए। इस मदद करने की महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए छात्रों ने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के 49वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में छोटे-छोटे तमगे बनाए और उन्हें बेच कर कुल 886 रु. 6 पैसे पाए। इनमें से तमगे बनाने के साधनों पर खर्च की गई 34 रु. 15 आने 3 पैसे की रकम को उसमें से घटाने के बाद बचने वाला 51 रु., 1 आना और 3 पैसे की रकम आज की सभा में डॉ. अम्बेडकर को उनके इमारत फंड के लिए बच्चे देने वाले थे। इसमें से आधी से अधिक रकम सुश्री कमल मुरबाडकर ने जमा की है।

इस अवसर पर वि. भंडारे और एस. जे. जाधव ने इमारत फंड के बारे में प्रभावशाली भाषण किए।

बाद में सुश्री कमल मुरबाडकर ने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का गुणवर्णन करते हुए छोटा-सा भाषण किया और छात्र समिति की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर को 51 रु., 1 आना, 3 पैसों का पर्स अर्पण किया।

---

*जनता : 17 मई, 1941

कार्यक्रम में इसके बाद सुप्रसिद्ध जलसाकर श्री भीमराव धोंडिब्बा कर्डक ने नासिक जिले की ओर से 'जनता'' पत्रिका के लिए कुल 113 रु. की थैली अर्पण की और भाषण किया।

उनके बाद श्री दगडूजी जाधव ने परेल गवर्नमेंट गेट, लाल चॉल की ओर से 80 रु. की पहली किश्त डॉ. बाबासाहेब को इमारत फंड के लिए दी। इसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा–

''विद्यार्थी और भाइयों और बहनों,

आज यहां आते समय मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलना चाहता था लेकिन यहां बहुत कम लोग होने के कारण मैं उस उद्देश्य के बारे में आज आपको यहां कुछ बता नहीं पाऊंगा। आज तीन बस्तियों से यहां सामाज कार्य के लिए पैसे दिए गए हैं। इसके लिए मैं यहां के लोगों के प्रति कृतज्ञ हूं।

हमें पैसों की बेहद जरूरत है। इमारत फंड के अलावा कुछ अन्य प्रसंग भी हमारे सामने आ रहे हैं। रुपयों का संकट हमेशा बढ़ता जा रहा है। हमारे इंजीनियर का शुरूआत में अंदाजा था कि इमारत बनाने के लिए दो–ढाई लाख रुपए लगेंगे। अब सीमेंट, लोहा आदि समान महंगा होने के कारण दो–ढाई लाख की जगह 4 लाख रुपयों का खर्च आने का अंदाजा है।

चार लाख रुपयों की जिम्मेदारी कहां और आजकी हम सभा में मिली अल्प रकम का उससे क्या मूल? यह जिम्मेदारी केवल लोग नहीं निभा पाएंगे। इसके लिए अब मुझे कुछ अन्य उपाय करने पड़ेंगे। लेकिन एक बात से मुझे बड़ी खुशी मिली है। आजकल के लोगों में समाज कार्य को लेकर बेहद उत्कटता निर्माण हुई है। काम के प्रति आपका उत्साह देख कर मुझे बड़ा संतोष होता है। इसीलिए यहां के लोगों का मैं ऋणी हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ऊंचे वर्ग की संस्थाएं जिन उपायों के तहत काम करती हैं उन्हीं को अमल में लाना बेहतर रहेगा। पुणे में ब्राह्मणों की सेवासदन संस्था को लीजिए। इस संस्था में लड़कियों को शिक्षा का लाभ मिलता है। आगे चलकर वे लड़कियां कुछ काम करती हैं। उत्सव, त्यौहार आदि प्रसंगों पर टिकट बेचकर वे काफी पैसा कमाती हैं। पहले मेरे पास भी ऐसे लोग आते थे लेकिन अब नहीं आते। हो सकता मेरी आजकल की नीति के कारण हो।

एक छात्र ने बताया कि हमारे लोग त्यौहार वगैरा मनाते नहीं। लोग भले होलिका दहन नहीं करते होंगे, गणपति नहीं लाते होंगे, चैत्र पतिपदा के यानी साल की शुरूआत के दिन दरवाजे पर बंदनवार नहीं लगाते होंगे लेकिन वे त्यौहार मनाते होंगे ऐसा मुझे लगता है। ऐसे प्रसंगों पर जो लोग सामाजिक कार्य के टिकट लेकर घर–घर जाएंगे तो

अच्छा ही होगा। यह महत्वपूर्ण बात है। शिक्षा पाना जरूरी है। आप सभी की ऐसी भावना हुई है कि महार यानी सरकारी भिखारी। आप मानते हैं कि रोटी मांगना आपका हक है लेकिन यह झूठ है। रोटी मांगना कुक्रे का जीवन है। भीख मांगने की आदत और मानसिकता को लोग त्याग दें। काँग्रेस ने सत्याग्रह का आंदोलन केवल अपना हक पाने के लिए शुरू की है। मैं अगर काँग्रेस में जाऊं तो इमारत के लिए 4 लाख रुपयों की जगह 10 लाख रुपये जोडूंगा। लेकिन यह कुत्ते की मानसिकता हुई, इंसान की नहीं। हमें इस मानसिकता का त्याग करना होगा। इंसानों की मानसिकता अपनानी होगी। हमने अपनी जिम्मेदारी पहचानी है इसका मुझे संतोष हैं।

दूसरी बात यह है मिक पिछले दो सालों से 'जनता' पत्रिका पर कई आपत्तियां आई हैं। 'जनता' पत्रिका की जिम्मेदारी की जड़ें बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप 'जनता' लेते हैं। इस अंक का अग्रलेख-मुख्य संपादकीय मैंने कल रात 11 बजे लिख कर दिया और सुबह 'जनता' का अंक तैयार हुआ। 'जनता' के लिए जरूरी कागज की कीमत साढ़े नौ रुपयों से साढ़े दस रुपये हुई है। इतनी कीमत बढ़ जाए तो एक बार लगता है कि पत्रिका को बंद कर दिया जाए। लेकिन यह पत्रिका हमारे आंदोलन की आत्मा है। कहां क्या हुआ यह हमें इस पत्रिका के जरिए ही पता चलता है। इसीलिए कहता हूं कि जिस दिन 'जनता' पत्रिका बंद होगी उसी दिन आपका आंदोलन भी मटियामेट हो जाएगा। पिछले शनिवार को हमारी सभा हुई। सोचा गया कि क्या पत्रिका को बंद कर देना चाहिए? साप्ताहिक निकालें तो क्या एक पृष्ठ का ही निकालें? पत्रिका निकालें या पाक्षिक निकालें? युद्ध के कारण 'जनता' के पीछे हर माह 400 रु. की खोट आती है। उसे पूरा कैसे किया जाए? आखिर प्रेस के कुछ लोगों को कम कर जैसे-तैसे माहवार रु. 150 की बचत करने की बात सोची गई। युद्ध के कारण कागज महंगा हुआ है। हो सकता है आगे से वह मिलेगा भी नहीं। हालांकि फिलहाल 'जनता' पत्रिका चलाने की बात हमने तय की है। हालांकि अब आप लोगों को पत्रिका की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यही रूकता हूं और सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

धन्यवाद अर्पण करते हुए श्री एस. वी. गायकवाड़ ने अपने भाषण में कहा कि अब कुछ बोलने के बजाय अपनी जिम्मेदारी क्या है इस बारे में आप सोचिए।

188

*आपका स्वार्थ-त्याग और साहस अपूर्व है

परेल, मुंबई में 17 मई, 1941 को दिन शाम 5.45 बजे परेल लाल चॉल पंचों की ओर से इमारत फंड के लिए थैली अर्पण समारोह संपन्न हुआ। अध्यक्ष स्थान पर थे डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर पहले पंचों के स्वागताध्यक्ष श्री गणपत तुलसीराम सावलेकर और श्री पी.एल. लोखंडे के भाषण हुए।

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर बोलने के लिए खड़े हुए तब तालियों की गड़गड़ाहट से लोगों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, पुलिस कमिश्नर के हुकुम से सभा नहीं होती। हालांकि, मैं यहां आपको धन्यवाद देने आया हूं। यहां अपने लोगों की 18 खोलियां हैं। कम घर और लोगों के होने के बावजूद इमारत फंड में मदद देकर आपने जो स्वार्थ त्याग और साहस दिखाया है वह अपूर्व है। मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने जो काम किया है वह समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपकी देखा-देखी कुछ लोगों से इमारत फंड में मदद देने के आश्वासन मिले हैं।

आखिर चायपान हुआ। फोटो लिया गया। उसके बाद डॉ. बाबासाहेब की जयकार के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।

---

*जनता : 31 मई, 1941

189

*लड़के-लड़कियों को पढ़ाइए : परंपरागत कामों में उलझाकर न रखें

रविवार, दिनांक 13 जुलाई, 1941 को दोपहर तीन बजे मुंबई के कावसजी जहांगीर हॉल में म्युनिसिपल कामगार संघ की सालाना सर्वसाधरण सभा हुई। सभा का अध्यक्षस्थान संघ के अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने सुशोभित किया था। सभा में करीब दो-ढाई हजार म्युनिसिपल कामगार उपस्थित थे।

पहले संघ के सचिव श्री डी. वी. प्रधान ने पिछले वार्षिक सभा का रिपोर्ट पढ़कर सुनाया। उसे मंजूर करने के बाद संघ की छपी हुई वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी गई। उसका संघ के उपाध्यक्ष श्री इ झीकेल द्वारा समर्थन किए जाने के बाद रिपोर्ट को सर्वानुमति से मंजूर किया गया।

इसके बाद प्रि. एम. वी. दोंदे ने प्रस्ताव रखा जिसमें कहा गया था कि म्युनिसिपल कामगारों के रहने का बेहतर प्रबंध हो इसलिए म्युनिसिपालिटी ज्यादा चॉल बनाए। इस प्रस्ताव का समर्थन श्री मडकेबुवा ने किया तब सर्वानुमति से प्रस्ताव पारित हुआ।

बढ़ती महंगाई के दैर में म्युनिसिपालिटी कामगारों को महंगाई भत्ता दिए जाने के संदर्भ में श्री टी. एस. तासकर ने दूसरा प्रस्ताव रखा। श्री वाडेकर द्वारा समर्थन किए जाने के बाद वह पारित हुआ। उनके अलावा दो अन्य प्रस्ताव भी पारित हुए।

उसके बाद अगले वर्ष के लिए कार्यकारी मंडल चुना गया। आखिर में डॉ. बाबासाहेब बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने अपने भाषण में कहा-

‘‘म्युनिसिपल कामगार संघ की सालाना रपट पढ़ने के बाद आपसे कुछ कहने की मेरी इच्छा ही नहीं थी। संघ की छपी रिपोर्ट से संघ बढ़िया ढंग से सचल रहा है इस बारे में सबको यकीन होगा। 1938 और 1940 के संगठन के सदस्यों की संख्या से भी इस बात का अंदाजा हो सकता है। 1938 में संगठन के 2000 सदस्य थे जो 1940 तक आते-आते 5000 तक पहुंचे हैं।

ऐसा नहीं कि म्युनिसिपल कामगार संघ जैसे संघ मुंबई में कम हैं ऐसा नहीं है। श्री निमकर का संघ, टेक्स्टाइल यूनियन आदि। उन संगठनों के साथ अगर अपने संगठन

*जनता : 19 जुलाई, 1941

की तुलना की जाए तो वे संगठन म्युनिसिपल संगठन के सामने ठहर नहीं सकते। उन संगठनों का कामकाज 1919 तक मैं देखता आया हूं। उन्होंने कामगारों का थोड़ा भी फायदा नहीं कराया है। उल्टे उनका नुकसान ही किया है। इन लोगों ने कुल 30-40 हड़तालें की होंगी लेकिन उनमें से एक भी हड़ताल सफल नहीं रही। पिछले साल उन्होंने मिल कामगारों की हड़ताल करवाई। जिस किसी तरह 3-4 हफ्तों तक चलाई। आखिर कामगारों की झोली में एक पैसा भी न डालते हुए हड़ताल बिखर गई। आपमें से कई लोग यह बात जानते ही होंगे।

इसके ठीक खिलाफ हमने 2 वर्ष पूर्व केवल एक बार आपकी हड़ताल करवाई और इतने कम समय में उसे सफलता मिली कि मुंबई म्युनिसिपालिटी हमसे हार गई और हमारे कामगारों की सारी शर्तें मानकर उन्हें तनख्वाहें भी बढ़ा कर दीं।

इस उदाहरण को देखने के बाद कोई भी म्युनिसिपल कामगार संघ को बुरा नहीं कहेगा। मैं जो कह रहा हूं उस पर भरोसा न हो तो मुंबई सरकार का गैजेट खोल कर देखें। सरकार बीच-बीच में हर संघ और यूनियन की जांच करती है। फिर अपनी राय लेबर गैजेट में दर्ज करती रहती है। सरकार ने म्युनिसिपल कामगार संघ के बारे में टिप्पणी दर्ज करते हुए लिखा है-'म्युनिसिपल कामगार संघ जैसा अन्य कोई भी संघ या यूनियन व्यवस्थित ढंग से नहीं चलता'।

इस संघ के जो काम होने अभी बाकी हैं उनके लिए संगठन में काम करने वाले लोगों को बिल्कुल दोष नहीं दिया जा सकता। संगठन का काम करने वाले सभी लोग काबिल नहीं हैं इस बारे में मुझे कोई शक नहीं है। इस बारे में अगर मैं किसी को दोषी ठहराऊं तो वे हैं संगठन के सदस्य। संघ में काम करने वाले लोग अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। उन्हें आप सबसे मदद चाहिए। आपकी मदद ही संघ को सफलता दिला सकती है। संघ में काम करने वाले अच्छे लोग आपको मिले हैं। ऐसे में आप अगर एकता से नहीं रहे तो उसे बड़ा दुर्भाग्य ही कहना पड़ेगा।

इस सभा में मैं आपको उपदेश कर रहा हूं इसका मतलब यह नहीं कि आपके बच्चों को भी वही काम करना चाहिए जो आप करते हैं। आप जो काम करते हैं वह बहुत गंदा काम है। लेकिन आजकल जो बुरे हालात चल रहे हैं उसमें कुछ लोग चोरी, डकैती भी करते हैं, उससे मेरी राय में यह काम बेहतर है। एक बात और यह कि आप अपने बेटों और बेटियों को पढ़ाइए। जो काम आप करते हैं वही उन्हें ना करना पड़े इसका ख्याल रखें। आप जो ये गंदा काम करते हैं उसके लिए अन्य जाति के लोगों को चाहे जितना पैसा देने से भी वे नहीं करेंगे। फिर, क्या आपको इस गंदे काम का बेहतर मुआवजा मिलता है? आपने अगर यह काम करने से इंकार किया तो मुंबई में रहने वाले लोग हैजे तथा अन्य बीमारियों से फटाफट मर जाएंगे। मुंबई की चाभी आपके

हाथ में है। आपके लिए किसी और को कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना भला करने की सामर्थ्य आपमें हैं। इस बात का जब आपको अहसास होगा तक सब बातें ठीक से चलने लगेंगी। इसके लिए आपको आपस में एका रखना होगा। सुना है कि चेंबर कचरापट्टी में कुछ झमेला हुआ है। वहां अन्य लोग आप में फूट डालने की कोशिश करते हैं। उनकी कपट नीतियों के भुलावे में आने वालों को धोखे के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। एकता के बल पर आप जो चाहे कर सकते हैं मुंबई के ड्रेनेज विभाग के लोग अगर हड़ताल कर दें और चेंबूर के लोग उनका साथ दें तो म्युनिसिपल कमिश्नर घुटनों के बल आपके सामने आ जाएगा। अपनी इसी सामर्थ्य के बल पर तीन महीनों तक चले हिंदू - मुसलमानों के दंगों ने जितना नुकसान किया उससे अधिक नुकसान आपकी हफ्ते भर की हड़ताल कर सकती है। लेकिन इसके लिए आपकी आपस में एकता होना जरूरी है।

म्युनिसिपल संगठन के चार आने के चंदे के लिए कुछ लोगों के यहां इस बार जाना पड़ता है। यह बड़ी शरम की बात है। तनख्वाह के दिन पान, बीड़ी, सिनेमा आदि के लिए आपके पास पैसा होता है लेकिन संगठन के चंदे के लिए 4 आने निकल नहीं सकते? मैं आपको कड़ी चेतावनी देता हूं कि जो औरों से जा मिलेंगे और आपमें फुट डालेंगे उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा कि पुराने समय में लोग करते थे। अगर कोई जाति का गुनाह करता तो उसे बहिष्कृत किया जाता था। उसी तरह की सजा इस मामले में देने के लिए भी मैं कर सकता हूं। यह बात आप गाठ बांधकर रख लें। आपमें एका हो तो अपनी असुविधाएं दूर करने के लिए आपको किसी और से याचना करने की जरूरत नहीं। चैंबर कचरापट्टी में अब तक काम बढ़िया ढंग से चल रहा था। वहां के लोगों में बढ़िया एकता थी। लेकिन वहां के अधिकारियों ने कुछ लोगों को पैसों का लालच देकर वहां के लोगों के बीच फूट डालने की कोशिश की है। हम उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश करेंगे ही लेकिन कुछ लोग आप के बीच जिले के भेद डालने की कोशिश में लगे हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि यह केवल म्युनिसिपालिटी के कामगारों तक ही सीमित है, यह सभी अस्पृश्य माने गए लोगों के लिए है।

कुछ साल पहले तक हमारे समाज को राजनीति में कोई स्थान नहीं था। लेकिन अब हमारा पक्ष काँग्रेस और मुस्लिम लीग जैसी राजनीतिक पार्टियों की बराबरी की हैसियत रखता है। उन्हें जितना महत्व मिलता है उतना ही महत्व हमारी पार्टी का भी है। यह किस बात का परिणाम है? तो, यह हमारी एकजुटता का असर है। साथ ही मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि म्युनिसिपालिटी में ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। म्युनिसिपल अधिकारियों को म्युनिसिपल कामगार संगठन से परहेज है। वे इस संगठन को नहीं चाहते। इस संगठन के कारण वे पैसा नहीं खा सकते, भ्रष्टाचार नहीं कर सकते।

इसलिए वे 'फूट डालो वार करो' की नीति पर अमल कर रहे हैं। इसलिए समय रहते चेत कर आप अगर जिलों को भेद नष्ट करेंगे तो फायदा आपका ही होगा।

महार जाति एक-सी है। कोई भी महार किसी भी महार के साथ बैठ कर खाना खाता है। उसे किसी तरह बुरा नहीं लगता। जिस प्रकार किसी भी प्रांत का मुसलमान बिसमिल्ला कहे तो किसी भी दूसरे प्रांत के मुसलमान के साथ बैठ कर खाना खाता है उसी प्रकार महार जाति के साथ भी होता है। इसीलिए अगर आप यह नासिक का है, यह सातारा का है, वह नगर का है जैसा भेदभाव करने लगें तो इसमें सभी को नुकसान पहुंचेगा।

यूरोप को देखिए यूरोप के राष्ट्र स्वतंत्र और पृथक हैं इसीलिए हिटलर उन्हें हरा सका। वे सब राष्ट्र अगर एक हो जाते तो वे कब का जर्मनी को धूल चटा देते। अगर आप आपस में एका रखेंगे तभी हम आपके लिए लड़ सकते हैं। वरना हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर आपके पैर के नीचे की जमीन ही दरक जाए तो आप क्या कर सकते हैं? इसीलिए आप सभी एक होकर रहें और म्युनिसिपल संगठन का बल बढ़ाएं यही मेरी आपसे विनती है।

बाद में डॉ. बाबासाहेब ने वहां उपस्थित लोगों को मुंबई विधिमंडल की फेहरिस्त में अपने नाम दर्ज कराने के लिए कहा। और अपना भाषण पूरा किया।

190

*अंग्रेज सरकार ने हमारे लिए क्या किया?

पिछले वर्ष दिसम्बर में हरेगांव में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में हुई मुंबई इलाका वतनदार महार, मांग, वेठिया परिषद के प्रस्ताव के अनुसार डॉक्टर साहब ने मुंबई के गवर्नर को एक विस्तृत खत भेज कर विनती की थी कि सरकार द्वारा अस्पृश्य वर्ग पर लादी गई अन्यायकारी अतिरिक्त पूला अदा करने की नीति में बदलाव करें। लेकिन सरकार ने अब तक.... अपनी नीति नहीं बदली है और सिन्नर तहसील के कुछ वतनदारों पर मुकदमें भी दायर कर दिए हैं। इस बात को लेकर अस्पृश्य समाज में तीव्र असंतोष फैला है। हरेगाव परिषद में लिए गए निर्णय के अनुसार सरकार की अन्यायपूर्ण नीति के बारे में अंतिम रूप से सोच-विचार करने के लिए सिन्नर जिला नासिक में 16 अगस्त, 1941 को डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में वतनदार महार, मांग और वेठियाओं की बड़ी सभा हुई थी।

सभा में करीब 15000 लोग उपस्थित थे। नासिक जिले के और नगर जिले के पश्चिम हिस्से के सभी वतनदार सभा में उपस्थित थे। कई कार्यकर्त्ता उपस्थित थे। साथ ही विधायक दादादासाहब बनाम भाऊराव गायकवाड़, नासिक, विधायक भोले, पुणे; विधायक डी. जी. जाधव, जलगाव, विधायक पी. जी. रोहम, अहमदनगर, विधायक बी. एच. वराले, बेलगांव, विधायक जे. एस. ऐदाले, सोलापुर, विधायक भाई चित्रे, रत्नागिरी, बाम्बे सेंटिनल के उपसंपादक मि. इझिकेल, श्री वि. ना. बर्वे आदि प्रमुख लोग उपस्थित थे। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे इसलिए लाऊड स्पीकर्स की व्यवस्था की गई थी। जुलूस के बाद डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर सभा के मंच पर अध्यक्ष स्थान पर विराजमान हुए। शाम 5.30 बजे सभा के कामकाज की शुरूआत हुई। शुरू में शारीर रत्न श्री धेगड़े को पोवाडे गए। उनके बाद सातारा के विधायक के. एस. सावंत और विजापुर के विधायक आर. एस. काले ने सभा में लिए जाने वाले निर्णय का समर्थन करने वाले तार भेजे थे जिन्हें पढ़ कर सुनाया गया। साथ ही नासिक जिले के लोगों द्वारा सिन्नर की सभा में लिए जाने वाले निर्णय सभी तरह से समर्थन करने का निश्चय किया है इस बात की घोषणा शाहीर रत्न के अ. धेगड़े ने की। उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहाट और जयध्वनि के बीच डॉ. बाबासाहेब बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने अपने भाषण में कहा-

*जनता : 23 अगस्त, 1941

बहनों और भाइयों,

आप सभी जानते हैं कि आज की सभा क्यों बुलाई गई है। पिछले साल डेढ साल से सरकार ने हमारे वतनों के संदर्भ में अन्याय की नीति अपनाई है। महार, मांग, वेठिया आदि वतनदारों की जो जमीनें वंश परंपरा से उनके पास हैं, जिन पर उनकी आजीविका निर्भर है उन वतनी जमीनों पर सरकार नया लगान कर वसूल रही है। मेरी जानकारी के मुताबिक 1939 में इस नई नीति के कारण सरकार को अतिरिक्त 1500 से 2000 रुपए मिले। सन् 1940 में यह रकम बढ़ कर 5000 रु. तक पहुंची। सरकार की इस अन्यायपूर्ण नीति के खिलाफ जनमत जागृत कर पिछले वर्ष हरेगांव में मुंबई इलाके के महार, मांग, वेठिया आदि अस्पृश्य वतनदारों की परिषद मेरी अध्यक्षता में हुई थी। उस परिषद में पारित किए गए प्रस्ताव के अनुसार अतिरिक्त लगान की अन्यायकारी नीति के बारे में सरकार को खलिता भेजा जाए। अगर वह नहीं माना गया तो सरकारी कामों का बहिष्कार किया जाए। या फिर प्रतिकार का कोई और तरीका अपनाएं। परिषद के अध्यक्ष के नाते मैंने वह खत गवर्नर को भेजा था। जवाब मिला था कि उस पर सोचा जा रहा है। लेकिन उसके बाद इतनी लंबी अवधि के बाद भी सरकार की नीति में कोई फेरबदल नहीं आया है। बलिक, मैंने सुना है कि, सरकार ने सिन्नर तहसील के कुछ महार वतनदारों पर सरकार ने दीवानी दावे ठोंके हैं। अतिरिक्त लगान की वसूली के लिए पुलिस ने जमीन पर कुर्की लाने की कोशिश की। सरकार की इस नीति के बारे में लोगों में असंतोष फैलाने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई करने के बारे में सरकार सोच रही है।

सरकार की यह नीति बेहद अन्यायकारी है। अन्याय अथवा नीति पर आधारित नहीं है। इस अन्यायकारी नीति की खिलाफत के लिए अब हमें तैयार होना पड़ेगा।

वतन का चलन बहुत पुराना है। हिंदुओं के राज्य से वह जारी है। अंग्रेजों की सत्ता आई तब उन्होंने अपनी सहूलियत के अनुसार वतन के अधिकारों में फेर बदलाव किए। महार, मांग, बेठिया आदि लोगों की ही तरह यहां अन्य वतनदार भी हैं। अन्यों के बारे में सरकार ने जो न्यायबुद्धि दिखाई वह हमारे बारे में कभी नहीं दिखाई। इस अन्याय की जानकारी आपको हो इसलिए और दो-चार उदाहरण मैं आपको बताता हूं।

पेशवा काल में ईनामदारों का एक वर्ग था। इस वर्ग को सरकार से हर वर्ष वर्षाशन (सालाना अनाज आदि के लिए दिया जाने वाला अनदान) उनका कोई कामधाम नहीं होता था। इसी प्रकार मंदिर के पुजारियों के भी वतन हुआ करते थे। पेशवा के बाद यहां अंग्रेजी शासन आया तब सरकार ने इन वतनों का क्या किया? पेशवा के समय में जिन्हें इनाम मिला करता था उनके वतनों को सरकार ने छुआ तक नहीं। सरकार को इन लोगों से रत्ती भर का लाभ भी नहीं है फिर भी सरकार ने इनामदारों की 6,15,649 रुपयों को

लगान वाली जमीनों को उन्हीं के पास रखा है। दूसरा वतनदार वर्ग जागीदारों का है। इन लोगों को पेशवा ने आय के साधन दिए थे। उस धन से ये लोग सेना पालते और पेशवा को जरूरत पड़ने पर या लड़ाई के दौरान यह सेना पेशवा को देते। लेकिन अंग्रेजों की सेना नीति बिल्कुल अलग है। सेना के मामले में उनमें परावलंविल्व नहीं था। अंग्रेजों की सरकार अपने खर्चे से सेना पालती है। जाहिर है कि पेशवाकालीन जागीरदारों की उपयोगिता खत्म हुई सरकार के लिए उनकी कोई उपयोगिता नहीं रही। इसके बावजूद सरकार ने उनके वतनों को नहीं छेड़ा। इन जागीदारों को बैठे-बिठाए सरकारी तिजोरी से 2,67,500 रु. की पेंशन दी जाती है।

जागरीदार, पुजारी आदि की ही तरह पेशवा युग में देखमुख, देशपांडे आदि लोगों को नौकरी पर खा जाता था। लेकिन उनकी जागीदारें विरासत के अधिकारों से चलती थीं इसलिए सरकार को नहीं चाहिए थीं। मामलतदार या तहसीलदार की नौकरी अगर विरासत में, बिना योग्यता के दी जाए तो राज्य के कामकाज में घपले हो सकते हैं इसलिए तनख्वाह पर मामलतदारों की नियुक्ति की गई। अब पुराने देशमुख - देशपांडे की सरकार को कोई जरूरत नहीं। लेकिन अचरज की बात यह है कि उनके पास की जमीन उनसे लौटा नहीं ली गई। वे उन्हीं के पास रहीं। इतना ही नहीं सरकार उनसे 8,14,545 रु. के लगान की जगह केवल 2 लाख रु. का लगान ही लेती है।

आपकी ही तरह पुराने जमाने में लुहार, बढ़ई, धोबी, नाई आदि बारह लेहनादार काम किया करते थे लेकिन 1873 में सरकार ने उन्हें नौकरी से मुक्त किया। सरकार ने उन्हें उनकी जागरें बहाल कर दीं। आजकल के पटवारियों की जगह पहले जागीर वाले कुलकर्णी हुआ करते थे। सरकार ने कुलकर्णियों की जागीरें खालिसा करवा लीं लेकिन उनके पास की जमीनों को पुराने लगान पर ही फिर उन्हें बहाल कीं। इतना ही नहीं बिना कुछ काम किए उन्हें पहले ही की तरह सालाना तनख्वा भी मिलती है! हमारे जैसे ही जो अन्य ईमानदार, जागीदरदार, माफीदार थे उनके साथ सरकार न्याय और उदार बुद्धि से पेश आई तो फिर हमारे साथ ही क्यों इस तरह का व्यवहार किया? सरकार इन सभी घरघुसरे लोगों को मुफ्त ही 200000 रुपये बांटती है। और बेचारे महार (ढेंढ), मांग (मातंग, चांडाल) और वेठिया आदि धूप-बारिश की परवाह किए बगैर किए बगैर दिन के चौबीसों घंटे सरकारी कामों में एड़ी-चोटी का पसीना एक करते हैं, उन्हीं के साथ इतना जुल्म, अन्याय क्यों किया जाता है? सरकार से मेरा यही चुनौतीभरा सवाल है।

पिछले दस-पंद्रह सालों से मेरा कटाक्ष स्पृश्य हिंदू और काँग्रेस आदि इस देश के लोगों के खिलाफ था। आज तक मैं हिंदू धर्म और हिंदू समाज पर हमले करता आया हूं। लेकिन मैं सरकार को पक्के तौर पर बताना चाहता हूं कि जितनी चरमला से मैंने हिंदुओं पर हल्ला बोला है उसकी सौ गुना तेज हल्ला में सरकार पर बोलूंगा। मैं कभी भी

सरकार के खिलाफ नहीं बोलता था इसलिए कई लोग मुझ पर सरकार निष्ठ, देशद्रोही, जातिनिष्ठा आदि आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन आप सबको यह बात माननी पड़ेगी कि कोई भले चाहे जितना बलवान क्यों ना हो दुश्मन पर चौतरफा हमला नहीं कर सकता। मैंने भी हमेशा एक-एक दुश्मन पर हमला कर उसे नियंत्रण में लाने की कोशिश की है। इसी नीति को अपनाकर मैंने अपनी लड़ाई आज तक लड़ी है। लेकिन आज तक मैंने जिस सरकार के साथ पूरी ईमानदारी बरती वही आज हमारे खिलाफ हो गया है! इस देश में अंग्रेजों का राज्य हम लेआए हैं यह ऐतिहासिक सत्य है। अंग्रेजों के पास में खून बहा कर हमने पेशवा युग को समाप्त किया। 1818 में पेशवा युग का अंत हुआ। उस वर्ष में खड़ा में हुई निर्णयात्मक लड़ाई में अंग्रेजों की जीत केवल महार वीरों की वीरता के कारण ही हुई। कोरेगांव में खड़ा विजयस्तंभ इसकी गवाही देता है। उस विजय स्तंभ पर दो नाम अंग्रेजों के हैं, दो पुरभय्यों के और अन्य सभी नाम महार वीरों के ही हैं!

जिन्हें हमने राज्य दिलाया आज वे ही हम पर दुलती झाड़ रहे हैं। अंग्रेजों को हमने राज्य दिलाया लेकिन उसमें भी फायदा उच्चवर्णियों को ही मिला है। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाकर देखिए, आपको भी यही लगेगा। सरकार ने स्पृश्य हिंदुओं का ख्याल रखा, मुसलमानों की हर मांग पूरी कर उन्हें भी हिंदुओं के जितना ही राजनीतिक महत्व दिया, लेकिन हमारे लिए क्या किया? पिछले डेढ सौ सालों के अपने शासनकाल में अंग्रेज सरकार ने अस्पृश्य समाज के लिए क्या किया इसका जवाब सरकार को देना होगा।

आज हमारे लिए कितना कठिन समय आ गया है। पहले गांव में या खेती में पेट भरने लायक कुछ मिल ही जाता था, लेकिन हमारे इस आंदोलन के कारण अब वह रास्ता भी बंद हो गया है। अधिकारियों के लिए सरकार अपनी तिजोरी खोल देती है। हमें एक रुपया तक देने के लिए वह तैयार नहीं है। इतना ही नहीं वह हमारे मुंह का कौर भी छीनना चाहती है। लेकिन मैं सरकार की हर चुनौती स्वीकारने के लिए तैयार हूं। सरकार को चुनौती के साथ चेतावनी देता हूं कि आप भले कुछ भी करें लेकिन लादी गई अतिरिक्त लगान का मैं जी-जान से विरोध करूंगा।

आज तक मैं कभी सरकार के खिलाफ नहीं गया। काँग्रेस के साथ मिल कर कभी मैं उनकी लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। मैं किसी दंगे में शामिल नहीं हुआ। इस देश में शांति बनाए रखने की मैंने जितनी कोशिश की है उतनी और किसी ने नहीं की होगी। लेकिन सरकार को इसका अहसास नहीं है। आज सरकार हमें नहीं चाहती। हिंदू हमें नहीं चाहते। उन्हें मुसलमानों का सिर पर बैठना गंवारा है। अंग्रेजों को जो हमेशा सताते रहते हैं उनके आगे अंग्रेजों की सरकार झुक जाती है। आज तक अंग्रेज सरकार के बारे में हमने जो विश्वास पाला था आज हमें उसे छोड़ना होगा। यह एक लड़ाई है,

युद्ध है। मेरे भेजे खत का सरकार जवाब नहीं दे सकती। क्योंकि मैंने जो पक्ष रखा है वह न्यायोचित और सत्य है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारी मांगे अगर नहीं माननी हैं तो उसका असर बड़ा घातक होगा। हमारी मांग बिल्कुल सारी है। हमारे पेट से जुड़ी हुई है। हमारी बस यही मांग है कि जिस प्रकार अन्य ईमानदारों को जमीनें देकर उन्होंने लगान से मुक्ति दी है उसी प्रकार हमें भी अपनी जमीनें देकर लगान से मुक्ति दीजिए। अन्य ईनामदार बिना कुछ काम किए जिस जिस प्रकार जीते हैं, वैसे हम कुछ मांग नहीं कर रहे हैं। सरकार को अगर यह मंजूर न हो तो तब विधिमंडल खुलेगा तब स्पृश्य हिंदुओं के प्रतिनिधि और हमारे प्रतिनिधियों की ओर से हम यह मसला आपस में हल कर लेंगे। लेकिन सरकार अगर वहां भी अडंगे लगाएगी तो हम उसका पूरा-पूरा विरोध करेंगे। उसका प्रतिकार करेंगे।

हम किस तरह प्रतिकार करेंगे यह आज बताना संभव नहीं है। क्योंकि यह पूरी तरह सरकार पर निर्भर है। सरकार जिस तरह की गति अपनाएगी उसी दिशा में हमें अपने प्रतिकार का रूख मोड़ना होगा। जो भी होगा, जान का जोखिम भी क्यों न पैदा हो, आपको अपनी जमीनें नहीं छोड़नी हैं। भाऊराव गायकवाड़ की कब गिरफ्तारी होगी कहा नहीं जा सकता। आज उन्हें अगर गिरफ्तार किया जाता है तब भी वह खुशी की ही बात होगी। उनकी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने के लिए कई लोग यहां तैयार हैं। इन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सरकार आप पर मामले दर्ज करेगी। पुलिस भेजेगी। लेकिन आपको डरना या डिगना नहीं है। घर पर कुर्की आए तो उसका विरोध करें। सामान को छूने न दें। जमीनें खालिसा कीं तो पूरे कुनबे के साथ खेत में झोंपड़े बना कर रहिए। पुलिस अगर गोली चलाए तब भी अपने खेतों से हटे नहीं। कोई परिवार अगर कारगार भेजा जाता है तो उसके अन्य रिश्तेदारों को उनकी जगह भरनी चाहिए। लगातार सरकार का सामना, विरोध करते रहना चाहिए।

यह हमारी लड़ाई है। इसमें कोई और हमारी सहायता नहीं करेंगे। यह लड़ाई हमें अपने सामर्थ्य से लड़नी है। किसी और की सहायता न भी हो तो भी हमें इस बात को निर्णय तक पहुंचना ही है। मैंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उससे आपको पता चलेगा कि सरकार के खिलाफ मेरे मन में कितना असंतोष भरा हुआ है। सरकार की इस अन्यायकारी नीति की कोई और सानी नहीं। बार्डोली में कॉँग्रेस ने सरकारी लगान देने से साफ इनकार किया तब सरकार सीधे कॉँग्रेस के आगे झुक गई। और कॉँग्रेस की कमीशन द्वारा तय किया लगान उसने स्वीकारा क्यों? क्योंकि कॉँग्रेस के पास पैसा और बल दोनों की कोई कभी नहीं थी। हम इन दोनों मामलों में उन्नीस हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि न्याय और नीति दोनों हमारे पक्ष में हैं। आखिर हमारी न्यायपूर्णता की ही जीत होगी।

191

*अंग्रेजों को बचाने के लिए नहीं, अपनो घर बिखर ना जाए इसलिए

पिछले महायुद्ध के खत्म होने के बाद से महारों को सेना में भर्ती नहीं किया जा रहा था। लेकिन डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की लगातार, लंबे समय तक की गई कोशिशों के कारण आगामी अक्तूबर महीने से महार लोगों की दो पलटनें बनाने का निर्णय हिन्दुस्तान सकार ने लिया है। महार युवक इस मौके का जरूर फायदा लें। इसी सिलिसले में बुधवार 24 सितम्बर, 1941 को रात 9 बजे परेल के आर. एम. भट्ट हाईस्कूल में सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में इतने ज्यादा लोग आ गए थे कि हॉल, छज्जा भरने के बाद लोगों को बाहर खड़े रहना पड़ा था।

ठीक सवा नौ बजे बाबासाहेब सभा स्थान पहुंचे। उनके आते ही सभास्थान तालियों की गड़गड़ाहट और जयकार की ध्वनियों से गुंज उठा। बाद में 'जनता' पत्रिका के प्र. बंधक श्री के. वी. सवादकर ने सभा का प्रयोजन आदि लोगों को बताया और बाबासाहेब से बोलने की विनति की।

तालियों की गड़गड़ाहट के बीच डॉ. बाबासाहेब बोलने के लिए उठे। उन्होंने अपने भाषण में कहा–

सज्जनों!

आज अविलंब बुलाई गई सभा का मुख्य उद्देश्य है हिंदुस्तान सरकार द्वारा हमारे समाज के लिए जो दो बटालियन्स बनाई हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे सकूं। 1931 में 111वीं महार पलटन बनी थी। उस पलटन के सैनिकों ने पिछले महायुद्ध में महार समाज का क्षात्रतेज लोगों को दिखा दिया था। लेकिन, महायुद्ध खत्म होने के बाद सरकार ने इस पलटन को बंद कर दिया। उसके बाद पलटन में भर्ती होने के लिए कई महार युवाओं ने अर्जियां दी थीं। लेकिन उन्हें पलटन में नहीं लिया गया। युद्ध खत्म होने के बाद सरकार ने अस्पृश्य लोगों का कामगार जत्था (Labour Corps) बनाने की योजना रखी। इस बारे में जब मुझसे पूछा गया तब मैंने सरकार को बताया कि जब आप अस्पृश्यों को पलटन में नहीं ले रहे हैं इसलिए हमारे लोग आपके कामगार जत्थे में शामिल नहीं होंगे। आपको कामगार जत्थे के लिए अगर अपने लोग चाहिए तो पहले हमारे लोगों को

*जनता : 27 सितम्बर, 1941

पलटन में शामिल कर लें। मेरे कहने का सरकार पर असर हुआ और सरकार ने हमारी एक पलटन बनाना तय किया। एक और पलटन बनाने का भी आश्वासन मुझे दिया गया है। मैंने उन्हें यह भी बताया था कि पलटन के महार चपरासी तथा उनके अफसर ऊंची जाति के न हों। अधिकारी भी महारों के ही हों। मेरी यह मांग भी सरकार ने मान ली है। सो अब हमारे लोगों को केवल जमादार, सुबेदार के पदों पर ही नहीं लिया जाएगा। बल्कि लेफ्टनेंट जैसे पदों पर भी किया जाएगा। बातचीत का दौर इन निर्णयों तक आ पहुंचा है। पिछले शनिवार के दिन मेरी और सम्माननीय गवर्नर की मुलाकात हुई। वहां मुझे बताया गया कि अब तक 600-700 अस्पृश्यों ने इस पलटन में अपने नाम दर्ज किए हैं। लेकिन उन्हें अफसर के पद के लिए हमारे बीच से किसी योग्य व्यक्ति की कमी खल रही है। मुझसे यह भी कहा गया है कि, हमने जिस प्रकार आपकी शर्तें मान लीं उसी तरह अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए लायक उम्मीदवार उपलब्ध कराना आपका कर्तव्य है।'' इसीलिए दोनों पलटनों में अधिकारियों के पदों के लिए लायक उम्मीदवार भेजना जरूरी है।

कुछ लोगों के मन में इन पलटनों के बारे में एक पैदा हुए। उन्होंने मुझसे पूछा कि, वाइसरॉय के विस्तारित कार्यकारी मंडल में अस्पृश्यों के एकाध प्रतिनिधि तक को नहीं लिया गया। साथ ही सरकार द्वारा महार इनामदारों पर अतिरिक्त लगान लगाए जाने के कारण आजकल हम इस अन्याय के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। फिर सेना में भर्ती होकर उसी सरकार की मदद कैसे करें? आज की सभा में हम इन्हीं सवालों के जवाबों पर सोचेंगे।

आज कल हिंदुस्तान के अन्य समाजों की सोच कैसी है यह मैं आपको बताऊं। काँग्रेस का कहना है कि अंग्रेज जब हमें स्वराज नहीं देते तो हमें भी उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। हम संदर्भ में मैं आपको दो बातें बताता हूं। पहली बात यह कि मानलीजिए किसी आदमी का घर है, दूसरा आदमी उसे जबर्दस्ती बाहर कर घर पर कब्जा किए बैठा है। तीसरा आदमी आकर दूसरे आदमी को धमकाता है कि तू घर से बाहर निकल वरना मैं घर में आग लगा दूंगा। यही बात आज हो रही है। हम इस देश के मालिक हैं। अंग्रेज हमारे देश पर कब्जा किए बैठे हैं। औरों की तरह हमारी भी यही इच्छा है कि वे यहां से जाएं। हिटलर अगर अंग्रेजों से कहने लगे कि आप इस देश से निकल जाओ वरना हम इस देश को जला कर राख कर देंगे। आप बताइए, अगर हिटलर देश को जला देगा तो नुकसान किसका होगा? नुकसान अंग्रेजों का नहीं होगा, इस देश के लोगों का होगा। इस बात को आपके तौर पर गांठ बांध ले।

इस लड़ाई में अंग्रेजों की मदद करने के लिए मैं जो आपसे कह रहा हूं वह अंग्रेजों को बचाने के लिए नहीं वरन् अपने घर को राख होने से बचाने के लिए।

दूसरी बात यह है कि, लोग कहते हैं कि, बाइसराय ने डॉ. अम्बेडकर को अपने कार्यकारी मंडल में नहीं लिया, तो हम क्यों पलटन में भर्ती हों? इस बारे में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आर–पार की लड़ाई और रूठने में बहुत फर्क है। है ना? अपने प्रतिनिधि को कार्यकारी मंडल में नहीं लिया यह हमारे साथ अन्याय है यह बात मैं भी मानता हूं। सरकार भी यह बात मानती है। खुद मान्यवर वाइसरॉय ने यह बात मेरे सामने कबूली है। एक और बात यह भी है कि अगर सरकार 'हम करे सो कायदा' नीति को अपनाए और अभिमान से फूल कर हमसे कहने लगे कि जाओ, जो जितना जैसा आंदोलन करना है, कर लो; हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे; तो हम सरकार का क्या बिगाड़ लेंगे? हमारे पास तो साधन भी उपलब्ध नहीं हैं। हम सरकार से रूठ कर बैठे रहने के अलावा क्या कर सकते हैं? मुझे अपने बचपन का एक वाकया याद आया। हम तीन–चार भाई हमारी बुआ के यहां रहते थे। खाना खाते समय हमेशा इसे ज्यादा मिला, उसे कम मिला। जैसी हमारी नोंक–झोंक चलती रहती थी। शिकायतें भी की जाती थीं। ऐसे झगड़ों में मैं सबसे आगे हुआ करता था। एक बार बुआ ने बैंगन का भरता बनाया था। खाना खाते हुए मैंने शिकायत की कि मुझे भरता कम मिला। उस दिन मेरे भाइयों ने तय किया हुआ था कि मुझे कुछ नहीं मिलने देंगे, इसलिए मेरी शिकायत का कोई फायदा नहीं हुआ। बस मुझे बेहद गुस्सा आया। मैंने रूठ कर खाना खाने से मना किया और बाहर निकल गया। मेरे पीछे मेरे हिस्से जो थोड़ा भरता आया था वह भी मेरे भाई खा गए। उस पूरे दिन मुझे कुछ खाने को नहीं मिला और खाली पेट ही रहना पड़ा। कहने का मतलब यही कि दोनों पक्ष समान रूप से बलवान हों तभी झगड़ना सही होता है। वरना रूठने में कोई अकलमंदी नहीं ऐसा मुझे लगता है। हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। बोलने में और लड़ाई करने में बहुत अंतर है। वाइसराय ने अन्याय किया है कि बात सही होने के बावजूद रूठ कर किसी झोंपडे में बैठे रहने में कोई तुक नहीं है।

मुस्लिम लीग मुसलमानों की बलशाली संस्था है। सांप और नेवले का जिस तरह पैदाइशी आपसी बैर होता है उसी तरह अंग्रेज और इस संस्था के बीच आपसी बैर है। इसके बावजूद मुसलमान लोग जो भी कुछ साध सकते हैं उसके लिए कोशिशें कर वह पा ही रहे हैं। सेना में 80 प्रतिशत मुसलमान लोग है; 50 प्रतिशत अधिकारी है, 80 से 90 प्रतिशत मिलिट्री कॉट्रॅक्टर्स मुसलमान हैं। यह जमीनी हकीकत है। मुसलमान लोग व्यवहार को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। मुसलमान लोग अगर इनकार करते हैं तो अंग्रेजों को उनकी मनुहार करनी पड़ेगी। क्योंकि मुसलमानों के हाथ अब बलवान हैं। हमारे हाल उनके जैसे नहीं है। हम सभी तरफ से दबाए गए हैं। इसके बावजूद उन्होंने हमारी शर्तें मानीं इसी बात का मुझे अचरज लगता है।

इसीलिए कहता हूं इन दो पलटनों में अधिकारियों के पदों पर कब्जा करने के लिए

कॉलेजों में पढ़ रहे और अन्य सुरक्षित युवकों को आगे आना होगा। सरकार ने मुझे यह आश्वासन भी दिया है कि अगर युद्ध के बाद अगर ये पलटनें बर्खास्त की गई तो पलटन के लोगों को सिविल में अच्छी नौकरियां देने का प्रबंध किया जाएगा। सो, आपसे यही कहना है कि, जब इतनी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो उनका फायदा उठाना हम पर निर्भर करता है। पढ़े-लिखे लोगों पर यह जिम्मेदार है यह भूलना नहीं चाहिए।

हमारे युवकों को छांव में बैठने की आदत छोड़ देनी चाहिए। मुझे भी यही लगता था कि छांव में, आराम से की जा सके ऐसी कोई नौकरी मुझे मिलनी चाहिए। आ. जकल सब लोग महारों के खिलाफ है। अन्य जाति के लोगों के मन में ढेढों के बारे में, चमारों-भंगियों के बारे में प्रेम है। लेकिन महारों के बारे में किसी के मन में प्रेम नहीं है। इसकी कोई दूसरी-तीसरी वजह नहीं है, वजह मैं ही हूं। अन्य लोग मुझे पिशाच मानते हैं और मेरे साथ आस-पास रहने वालों को भूतों का जमावड़ा मानते हैं। 1926 से मैं अस्पृश्यों के न्यायपूर्ण हकों के लिए झगड़ता रहा हूं। अस्पृश्यों को पुलिस में नौकरी दिलाने के लिए मैं सरकार से भिड़ा। इससे फायदा यह हुआ कि आज एक चमार और दो मांग (ढेंढ) सब-इन्सपेक्टर्स हैं। महार एक भी नहीं। वजह केवल इतनी है कि साक्षात्कार के लिए जिन महारों को बुलाया गया था उनसे यही पूछा गया कि आप डॉ. अम्बेडकर के चेले हैं? उन्होंने 'हां' कहा तो उन्हें चुना नहीं गया। वैसे पुलिस सब-इन्सपेक्टर के ओहदे के साथ मेरा क्या तालुक है? इसी प्रकार पिछले महीने में हमारे कुछ उपाधि-धारकों मामलतदार के पद के लिए साक्षात्कार हेतु केन्द्रीय विभाग के राजस्व आयुक्त ने बुलाया था। उनसे वहां अतिरिक्त लगान के बारे में सवाल पूछे गए। वे तीनों उम्मीवार महार होने के नाते उनमें से किसी एक को भी काम पर नहीं रखा गया। मैं इन अधिकारियों से यह पूछना चाहता हूं कि अतिरिक्त लगान और उम्मीदवारों के साक्षात्कार का आपसी तालुक क्या है? और अतिरिक्त लगान से संबंधित सभी सवालों के सही-सही जवाब मिलने के बावजूद एक भी महार उम्मीदवार को क्यों नहीं चुना गया? संक्षेप में कहना हो तो महार जाति पर सबका कटाक्ष है। हमारे समाज के युवकों को मामलतदार, सब-जज, डेप्यूटी कलक्टर बनना कठिन है। लेकिन 2 सालों तक मिलिट्री में नौकरी करने के बाद बड़ा अधिकारी बनना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए हमें आगे चल कर अगर फायदा कमाना हो तो पहले कुछ दिनों तक तकलीफ झेलना जरूरी है। मेहनत के बगैर फल नहीं मिलता यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए, जो मैट्रिक तक पढ़े हैं, जो बी. ए. तक पढ़े हैं उन्हें जरूर इस मौके का फायदा उठाना चाहिए।

अधिकारियों के इन पदों के लिए अगर हम अपने उम्मीदवार नहीं भेजते तो इस जगह पर अन्य जातियों के उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा। ऊंची जाती के लोगों

के मन में हमारे बारे में प्रेमभाव नहीं है यह मुझे आपसे कहने की जरूरत नहीं है। आप यह बात जानते ही हैं। वे अगर अधिकारी बने तो हमारे चपरासियों के खिलाफ चाहे जो झूठे आरोप लगा कर सरकार पर यह बात जाहिर करने से चूकेंगे नहीं कि महार सेना में काम करने के लायक ही नहीं हैं।

इसीलिए हममें से जो पढ़े-लिखे युवा हैं उनके लिए यह अच्छा मौका है। कॉलेज की पढ़ाई के बाद हमारे युवाओं को दफ्तरों में बाबुओं की नौकरियां करनी पड़ती हैं। उनमें उन्हें तरक्की के बहुत कम मौके मिलते हैं। मामलतदार के पद के लिए बार-बार उम्मीदवारी करते रहने से 2 सालों तक अगर सेना में नौकरी की जाए तो उस व्यक्ति को भरपूर तनख्वाह मिलती है। युद्ध समाप्ति के बाद सिविल में कुछ वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति करते समय युद्ध के दौरान सेना में नौकरी करने वालों को रियायतें दी जाएंगी।

अगर हमारी पलटनें बर्खास्त हुई तभी यह मसला उपस्थित होगा लेकिन सरकार द्वारा मुझे वचन दिया गया है कि ये पलटनें युद्ध के बाद भी बनी रहेंगी।

सेना में भर्ती होने से लोग डरते हैं। लेकिन आज के युद्ध के वातावरण को देखें तो अनुमान लगाया जा सकता है कि युद्ध जल्द ही खत्म होगा। ''जो कुमकुम रखा रहता है उसे जो लगाती है वह सुहागन है, और जो नहीं लगाती है वह बेवा है,'' कहावत के अनुसार युवकों को इस मौके का लाभ जरूर उठाना चाहिए। इतना कह कर मैं अपना भाषण पूरा करता हूं।

डॉ. अम्बेडकर के भाषण के बाद पुणे के श्री पां. ना. राजभोज ने भाषण किया। अपने भाषण में उन्होंने बताया कि बाबासाहेब के कारण हमें यह मौका मिल रहा है इसलिए सभी को उससे जरूर लाभ उठाना चाहिए। आदि।

बाद में, डॉ. बाबासाहेब की जयध्वनि के साथ सभा बरर्खास्त हुई।

192

*अपनी रक्षा के लिए सुरक्षा दलों का गठन कीजिए

रविवार, दिनांक 11 जनवरी, 1942 को आर.आई.एन. डॉकयार्ड फैक्टरी के मिल राइट शॉप के अस्पृश्य कामगारों की ओर से आयोजित एक समारोह में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा शुरू किए गए इमारत फंड के लिए 101 रुपयों की थैली अर्पण की गई। सभा के नियोजित अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के आगमन के समय यथास्थल पर इक्ट्ठा अपार जनसमुदाय ने तालियों की गड़गड़ाहट और उनकी जयकार ध्वनि की पृष्ठभूमि में डॉ. बाबासाहेब का अपूर्व स्वागत किया। श्री बी. एस. गायकवाड़ ने सभा की शुरूआत की। उन्होंने कहा, इस सभा की खासियत यह है कि मेरे मित्र एल. एस. रोकडे ने मिल राइट शॉप के अपने 20-25 कामगार बंधुओं की सहायता से यह छोटी-सी थैली डॉ. बाबासाहेब के इमारत फंड के लिए अर्पण करने की सोची इसके लिए वह और उनके अस्पृश्य कामगार बंधु अभिनंदन के पात्र हैं। उनके बाद इमारत फंड के महासचिव श्री उपशाम मास्टर का भाषण हुआ।

डॉ. बाबासाहेब के भाषण से पूर्व श्री एल. एस रोकडे ने बाबासाहेब के इमारत फंड में रु. 101 की थैली अर्पण की।

तालियों की गड़गड़ाहट के बीच डॉ. बाबासाहेब बोलने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा-

भाइयों और बहनों,

आज यहां इमारत फंड की सभा है इसलिए मैं खड़ा हूं। असल में अगर में तय करूं कि जो 100 रु. देंगे वहां हर जगह में उपस्थित रहूंगा तो इसके लिए मेरी पूरी जिंदगी भी अधूरी पड़ जाए! लेकिन ये 100 रु. मिल राइट शॉप के केवल 22 लड़कों ने ही इक्ट्ठे किए हैं यह बड़ी खुशी की बात है। दूसरा कारण यह है कि डॉकयार्ड में वाडिया विभाग में हमारे 40 और अन्य 100 कामगार हैं। अभी उन्होंने इस काम के लिए अपनी मदद नहीं दी है। मेरे कहने से शायद ये लोग इमारत फंड में सहायता देंगे ऐसा मुझसे कहा गया इसलिए भी मैं यह उपस्थित हुआ हूं। मैं नहीं जानता कि वे लोग यहां उपस्थित हैं या नहीं, लेकिन जो उपस्थित हैं वे अपने अन्य कामगारों से कह कर इन बच्चों द्वारा जो उदाहरण प्रस्तुत किया है उसके अनुसार इमारत फंड में सहायता दें।

*जनता : 17 जनवरी, 1942

यही मेरी उनसे विनती है।

मेरे कहे अनुसार इमारत बनाने के लिए हर व्यक्ति अगर दो रुपयों का चंदा देता तो अब तक वह इमारत शायद बन भी गई होती। इमारत फंड इक्ट्ठा होने में इतना समय लगना इसमें शायद कोई संकेत है। मेरे पास पैसे इक्ट्ठा हो भी जाते तो मैं यह इमारत नहीं बनाता, क्योंकि आज कल के युद्ध जन्य हालात। यह लड़ाई यूरोप के पश्चिम में किसी कोने में शुरू हुई। अब वह पूर्व में हमारे दरवाजे तक आ पहुंची है। बमों के कारण इमारतें, शहर जल कर खाक हो रहे हैं। ऐसे समय अगर हमारी इमारत बम हमले में बिखर जाए तो असमर्थ अस्पृश्य समाज के लिए फिर से उसे खड़ा करना मुश्किल हो जाता। फिर भी, जैसा कि मा. उपशाम मास्टर ने कहा है, जगह को कम से कम अपने नाम करवा लेना जरूरी है।

लड़ाई के कारण लोग चिंता में हैं। इसके बावजूद सच बात यह भी है कि हम सब लोग लड़ाई में मरने वाले नहीं हैं। कुछ मरेंगे तो कुछ बचे रहेंगे। सो मरने वालों को चाहिए कि वे जीने वालों के बारे में कुछ सोचें। लड़ाई से क्या होने वाला है? इस प्रकार की अदूरदर्शी सोच किसी काम की नहीं।

दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह यह है कि आजकल हर जगह 'ब्लैक आऊट' है। जापानी हवाई जहाज सिर पर चक्कर काट रहे हैं। लड़ाई अब हमारे आंगन तक आ पहुंची है ऐसे समय अपनी पत्नी और बच्चों को तथा बड़े-बूढ़ों को गांव भेजना बेहतर है। सरकार से हुकम जारी होने तक रुकने में जोखिम है। पेट्रोल पर राशन लगने के कारण आपको मोटर नहीं मिलेगी। ट्रेन्स पर कितने लोग जा सकते हैं इस बारे में सोचिए। दूसरी बात यह है कि शहर में कई गुंडे और बदमाश ताक में बैठे हैं। उनसे सुरक्षित रहने के लिए आप हर चाल में, हर मोहल्ले में सुरक्षा दल बनाएं और संगठित होकर रहें। इस सभा ने मौका दिया इसलिए मैं कह पाया। और कहीं मौका मिलेगा तब भी जरूर बताऊंगा।

आखिर यहां आए मि. एफ. डब्ल्यू. शॉर्टलंड साहब को सभा की ओर से धन्यवाद अर्पण करना है। इन्होंने सुना है कि, हमारे 20-22 लोगों को काम दिलाया है। असल में,........ कि 20-22 लोगों को काम पर लगाना कोई बड़ी बात है ऐसा नहीं लेकिन नौकरी के बारे में हमें बेहद बुरे अनुभव मिलते हैं। यहीं धोबी तलाब के पास सेना में भर्ती करने वाले रिक्रूटिंग ऑफिसर का दफ्तर है। वहां हर रोज हमारे दस-बारह लड़के भर्ती के किए जाते हैं। तब वे लोग कोई न कोई बहाना बनाकर जैसे कि वजन कम है, छाती कम है, आदि-आदि उन्हें वापिस भेज देते हैं। स्पृश्य युवक जैसा भी हो भर्ती हुए बगैर नहीं रहता, हर-रोज कोई न कोई मुझसे यह कहता रहता है। मैं जानता हूं कि

इसकी वजह बस यही है कि भर्ती करने वाला अफसर स्पृश्य है। ऐसे में जब साहब हमारे लोगों को काम पर रखवाते हैं तो जाहिर है कि उनके हम पर उपकार हैं। इसके लिए मैं शॉर्टलंड साहब को धन्यवाद अर्पण करता हूं।

इस अवसर पर रॉयल इंडियन नेवी के राइट विभाग के फोरमेन मि. शॉर्टलंड साहब का हिंदी में छोटा-सा भाषण हुआ।

सभा के आखिर में इमारत फंड के महासचिव श्री शा. अ. उपशाम ने घोषणा की कि इस सभा में इमारत फंड के लिए मिली सभी रकमों को मिलाकर कुल रु. 10129 रुपये, 7 आने और 3 पैसे इक्ट्ठा हुए हैं।

बाद में इमारत फंड के सहायक सचिव श्री बी. एस. गायकवाड़ ने बाबासाहेब तथा अन्य लोगों के प्रति भी आभार प्रकट किए। और अध्यक्ष की इजाजत से सभा की बर्खास्तगी की घोषणा की।

193

*कोई और आकर आपको नहीं उबारेगा, अपने उद्धार के लिए खुद आपको ही कमर कसनी होगी

(मुंबई, दिनांक 26 अप्रैल, 1942)

सार्वजनिक कार्य की शुरूआत करे आज मुझे 23 वर्ष हो चुके हैं। 1920 में कोल्हापुर रियासत के माणगांव में सार्वजनिक सभा के अध्यक्ष के रूप में पहला भाषण दिया। तब से लेकर आज तक मैं सार्वजनिक काम करता रहा हूं। इन तैईस सालों में मेरे सार्वजनिक काम को हम तीन हिस्सों में विभाजित कर देख सकते हैं- सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक।

1920 साल पहले की सामाजिक स्थिति और आज की हमारी सामाजिक स्थिति के बारे में सोचें तो यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि हमने बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति की है। पहले सब मरे जानवर का यानी मृत मांस खाया करते थे। उसमें किसी को कोई देयता महसूस नहीं होती थी। शर्म नहीं आती थी। लेकिन आज? हममें से पढ़े-लिखे लोग हों या अनपढ़ लोग हों, पुरुष हो या महिला हो सबको इस बात का अहसास है कि हम जो पहले किया करते थे वह गलत था। काफी जमीन को यानी इनाम को हम अपना अधिकार समझ कर उसका जतन किया करते थे। लेकिन आज हम इन बातों को अग्राह्य मान कर निषिद्ध कर दिया है। मरे जानवरों को घसीटने की जिम्मेदारी अब ब्राह्मण-मराठों पर आई है। यह मैं मनगंढ़त बात नहीं सच्चाई बता रहा हूं। रत्नागिरी जिले के महाड़ गांव में कृष्णा नामक एक महार था। वह वहां का कार्यकर्त्ता था। महाड़ के चवदार तालाब के सत्याग्रह आंदोलन के बाद वहां के एक ब्राह्मण की भैंस मरी। ब्राह्मण ने कृष्णा को अकेले में ले जाकर विनती की कि वह मेरी भैंस को घसीट कर ले जाए। लेकिन कृष्णा ने कहा, ''तात्या, यह कैसे होगा?'' तब निरुपाय होकर उस ब्राह्मण ने ही अपने बेटे की मदद से उस भैंस को खींच कर गांव से बाहर ले जाकर पटका। लेकिन भैंस गली और उससे सड़ांध फैली। ब्राह्मण ने फिर कृष्णा से विनती की, उसे अठ्ठारह रुपए देने का लालच दिया लेकिन कृष्णा ने साफ इनकार किया। सो उस ब्राह्मण को खुद भैंस को उसी हालत में खींच कर ले जाकर गांव से तीन मील की दूरी पर फेंकनी पड़ी। इस उदाहरण से खुद के इंसान होने का, अपने में पुरुषार्थ होने का अहसास हम

*डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के भाषण : संपादक मा. फ. गाजरे, खंड 2, पुनर्मुद्रण 10.4.1986 पृष्ठ 153-56

में से हरेक को हुआ है। सो, क्या यह एक सामाजिक क्रांति नहीं है?

कोई इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि धार्मिक रूप से हमने जितनी क्रांति की है उतनी क्रांति अन्य किसी समाज ने नहीं की है। हिंदू धर्म में न्याय, नीति, समानता, बंधुत्व आदि पर जोर नहीं दिया गया है। इंसान को जलाने वाली कई सारी उपाधियां जरूर हैं। धर्म के नाम से हमारे लिए जो घातक था वह सब हम करते रहे थे। लेकिन आज धार्मिक नजरिए से हम जितने उज्ज्वल दिखाई देते हैं उतना कोई हिंदू समाज दिखाई नहीं देता। मराठा, मंडारी आदि जातियों में होली के स्वांग आज भी धडल्ले से प्रचलित हैं। उसमें उन्हें आनंद और अभिमान महसूस होता है। लेकिन हमने यह सब त्याग दिया है। अब हम पहले की तरह भक्तिभाव से पोथी-पुराण नहीं पढ़ते। हममें से मंत्रतंत्र, साधु-संत सब खत्म हो चुके हैं। इसीलिए हमारा समाज आज बिलकुल सापु दिखाई देता है।

राजनीतिक उन्नति के बारे में भी यही हाल है। बेहद कम समय में हमने जितनी राजनीतिक उन्नति हासिल की है। उतनी किसी अन्य समाज की नहीं हुई है। यह बात सबको माननी ही पड़ेगी। सरकारी नौकरियां, म्युनिसिपालिटयां, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि सभी स्थानीय स्वराज संस्थाएं स्पृश्यों की हमेशा की जागीर बन गई थी। उनके सारे गलिज काम करने के लिए ही हम थे। हमारा कोई आदमी अधिकार के पद पर नहीं था। लेकिन आज ऐसी कोई स्थानीय स्वराज संस्था नहीं है जिसमें हमारे लोग नहीं हैं। जिनके साए से भी लोग बचते थे, राजनीति में जो अनाधिकारी साबित किए गए थे वे अस्पृश्य लोग ब्राह्मणों के बराबरी के साझीदार बन कर आज देश के कामकाज में ध्यान दे रहे हैं।

सो, यह साधारण, संक्षिप्त लेखा-जोखा है। कई लोगों का कहना है कि अम्बेउकर ने कुछ नहीं किया है! आज की ही एक साप्ताहिक पत्रिका में मेरी आलोचना छपी है। मैं, हिटलर और कर्वे एक ही हफ्ते में पैदा हुए हैं। इस आधार से उस पत्रकार ने जो निष्कर्ष निकाला है वह यह है कि हिटलर ने कार्य किया, कर्वे ने कार्य किया लेकिन डॉ. अम्बेडकर ने कुछ भी नहीं किया! मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने कुछ किया है अथवा नहीं किया है। अपना नेतृत्व मैं किसी के सामने रख कर इतराना नहीं चाहता। लेकिन इस बारे में एक बात साफ करना बेहद जरूरी है। मेरे बारे में कोई कुछ कहे मुझे उसकी परवाह नहीं है। लेकिन आपने जो क्रांति की है वह एक बहुत बड़ी क्रांति है यह हमें भूलना नहीं चाहिए।

यह पूर्वावलोकन आज मैंने क्यों पेश किया? आज हमारे समाज के भविष्य के बारे में मैं जो निवेदन करना चाहता हूं और जिस निवेदन के लिए आज के इस अवसर पर मैं खासतौर से यहां उपस्थित हुआ हूं उसे बताने से पहले हमारे आंदोलन अब तक का स्वरूप ठीक से ध्यान में आए इसलिए मैंने यह भूमिका आपके सामने पेश की। मुझे

लग रहा था कि हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। किसी जमाने में मुझे लग रहा था कि समयांतर से हम स्पृश्य समाज के साथ एकरूप होंगे। कालांतर से स्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि स्पृश्यास्पृश्य का भेदभाव नष्ट हो जाएगा। नासिक, महाड़ में जो आंदोलन किया उसका प्रमुख उद्देश्य यही था। सार्वजनिक स्थानों और जल स्रोतों का उपभोग हम भी कर पाएं इस भावना से प्रेरित होकर हमने सत्याग्रह किए। लेकिन हिंदू लोग हमें समानता से अपने में शामिल कराने के लिए तैयार नहीं हैं।

स्वानुभव से हमने यह जाना। इसीलिए हमने अपने कार्य की दिशा बदल दी है। इस बात को हम और स्पृश्य हिंदू भी पूरी तरह से ध्यान में रखें यही मेरा कहना है।

हिंदू समाज में अगर हमारे लिए समता और ममता भरा स्थान नहीं है तो हमें अपनी राजनीति अपने ही हाथ लेनी होगी। दो भाइयों का झगड़ा हो तो वे अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार स्पृश्य हिंदू और हमारा हकों के संदर्भ में अलगाव होना चाहिए। स्पृश्य और हमारे बीच किसी तरह की एकता की भावना अब बची नहीं है। हम दोनों के बीच इस प्रकार हकों के संदर्भ में जब तक अलगांव नहीं होता तब तक यह झगड़ा मिटना कतई संभव नहीं है। सब लोग यह बात जरूर ध्यान में रखें। इसमें मेरी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है। इस विवादस्वरूप कुछ इस प्रकार है कि एक भाई–दूसरे भाई के जुल्मों से तंग आकर अलग होना जब चाहता हो और दूसरा भाई यह बात मानने के लिए तेयार न हो। लेकिन इस अवसर पर मैं स्पृश्य हिंदुओं को ताकीद देना चाहता हूं कि पहले हमें अपना हिस्सा दें। हमारा हिस्सा अगर हमें मिले तो आपकी आजादी की लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। हमारी राय में स्पृश्य हिंदुओं की तरह ही यह देश तुरंत आजाद हो।

194

जनतंत्र जीवित रहा तो उसके फल जरूर मिलेंगे, लेकिन अगर जनतंत्र का खात्मा हुआ तो विनाश अटल है

18 और 19 जुलाई, 1942 को नागपुर में अखिल भारतीय दलित वर्ग परिषद लेना तय हुआ। इस परिषद में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के बारे में सोच-विचार करते हुए आंदोलन का दिशा-निर्धारण किया जाने वला था जिस कारण इस परिषद का असाधारण ऐतिहासिक महत्व था। यहां सबसे पहले परिषद की पृष्ठभूमि और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा इस अवसर पर दिया गया ऐतिहासिक भाषण और आखिर में परिषद समाप्ति का भाषण दिया है। इस परिषद के साथ-साथ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस विमेन्स कॉन्फरेंस और समता सैनिक दल कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया था। इन परिषदों में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा दिए गए भाषण आगे दिए हैं- संपादक

''डॉ. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 1942 में अखिल भारतीय दलित परिषद लेना जब तय हुआ तब नागपुर के सभी अखबरों के पत्रकारों की एक सभा हितवाद प्रेस के गोखले हॉल में ली गई थी। इस सभा के अध्यक्ष काँग्रेस पार्टी के एक ब्राह्मण नेता थे। अखबरों के पत्रकारों की यह सभा एक खास उद्देश्य से बुलाई गई थी। इसका उद्देश्य था डॉ. अम्बेडकर की अध्यक्षता में होने वाली परिषद की खबरों का नागपुर के सभी अखबार बहिष्कार करें। इस आशय का एक प्रस्ताव बन कर उस पर उपस्थित पत्रकारों के हस्ताक्षर लेने का काम ही चल रहा था कि उस बैठक में उपस्थित 'श्यामसुन्दर' के संपादक राजहंस रामचंद्र पाटील ने इस बारे में पूछताछ की। तब उन्हें इस बारे में जानकारी मिली। राजहंस पाटील ने इस तरह के प्रस्ताव का जोरदार विरोध दर्ज किया। उन्होंने कहा, ''वाइसराय के मंत्रीमंडल में शामिल श्री बापूजी अणे, डॉ. खरे अगर आपकी नजर में देशभक्त हैं और डॉ. अम्बेडकर देश द्रोही? असल में डॉ. अम्बेडकर ही सही मायनों में देशभक्त हैं क्योंकि सैंकड़ों सालों से गुलामी में पिचके दलित समाज की आजादी के लिए वह लड़ रहे हैं। आपका विरोध नादानी भरा है। मुझे यह बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैं अपने 'श्यामसुंदर' में दलित परिषद की खबरें प्रकाशित करने वाला हूं। इस प्रकार राजहंस पाटील ने निर्भिकता से अपना कहना साफ-साफ सुना दिया और बहिष्कार के प्रस्ताव का जम कर विरोध किया। फिर अखबारों के पत्रकारों की उस परिषद से उन्होंने बहिर्गमन किया। इस प्रकार विरोध प्रकट किए जाने के कारण उनकी बाजी बिखर गई।

(श्री राजहंस पाटील संपादक, 'श्यामसुंदर' द्वारा दी गई जानकारी)[1]

''दिनांक 18 जुलाई, 1942 का दिन। सुबह नौ बजे का समय। स्थान नागपुर रेलवे स्टेशन। हजारों की संख्या में महिला और पुरुषों ने रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्म खचाखच भरे थे। सब 'बाबासाहेब अम्बेडकर जिंदाबाद' के नारे लगा रहे थे। समता सैनिक दल के करीब पांच हजार सैनिक वर्दी पहन कर खड़े थे। उनमें बेहतर अनुशासन के दर्शन हो रहे थे। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की ट्रेन के आने का समय हो गया था। जैसे ही उनकी गाड़ी स्टेशन में आई चारों ओर से नारों की आवाजें गूंज उठीं। डॉ. बाबासाहेब रेल के डिब्बे से नीचे उतरे। उनके साथ मद्रास के एन. शिवराज भी थे। शेडल्यूड कास्टस फेडरेशन की स्थापना करने के लिए जो खास परिषद नागपुर में हो रही थी उसमें शामिल होने के लिए रेल से आ रहे डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर और एन. शिवराज का स्वागत करने के लिए वह प्रचंड जनसमुदाय रेवले स्टेशन पर जुटा था। भारत के सभी प्रांतों से अस्पृश्य समाज के प्रतिनिधि वहां बड़े उत्साह के साथ एकजुट हुए थे। किसी प्रचंड लौहा चुंबक की ओर जिस प्रकार लोहे के सभी कण आकर्षित होते हैं उसी प्रकार डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के प्रति निष्ठा के कारण तमाम अस्पृश्य जनता नागपुर में जुटी थी। केवल अस्पृश्य समाज की ही नहीं वरन किसी भी समाज के किसी भी नेता के लिए इससे पहले नागपुर में इतना विराट जनसमूह इक्ट्ठा नहीं हुआ था। वह दृश्य अद्‌भुत था।[2]

''ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन से पहले स्वतंत्र लेबर पार्टी अस्तित्व में भी। डॉ. बाबासाहेब ने उस पार्टी की ओर से क्रिप्स मिशन के आगे अस्पृश्यों की राजनीतिक कैफियत रखी। तब क्रिप्स साहब ने कहा कि, लेबर पार्टी जाति आधारित राजनीति का पृष्ठपोषण नहीं कर सकती, सो, अस्पृश्य वर्ग की ओर से उनकी कैफियत को आप खुद करें क्या तर्कनिष्ठ होगा? आप किसी अन्य जातीयवादी संस्था की तरफ से कैफियत रखें। दिल्ली में जब यह घटना घटी तब बाबासाहेब ने सभी नेताओं को तार भेज कर बुलवा लिया। उनके सामने सभी हालात प्रकट किए और नई संस्था निर्माण करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। डॉ. बाबासाहेब ने संस्था का नाम और संविधान पहले से तैयार कर रखा था। तब तय हुआ था कि नागपुर में बड़ी परिषद लेकर फेडरेशन की स्थापना की जाए और संविधान का भी निर्माण किया जाए। डॉ. बाबासाहेब ने ये सभी काम दिल्ली में पहले से कर रखे थे। उन्हें इस परिषद में कानूनी स्वरूप प्राप्त हुआ। इन तीन परिषदों के नाम थे–

---

1 विदर्भ के दलित आंदोलन का इतिहास : एच.एल. कोसारे, पृष्ठ 529

2 समग्र अम्बेडकर चरित्र – बी. सी. कांबले : खंड 16वां, पृष्ठ 47-48

1. ऑल इंडिया डिप्रेस्ड कलासेस कॉन्फरेंस, थर्ड सेशन, 18 और 19 जुलाई, 1942

2. ऑल इंडिया डिप्रेस्ड कलासेस वीमेंस कॉन्फरेंस, 20 जुलाई, 1942

3. समता सैनिक दल कॉनफरेंस, 20 जुलाई, 1942

इन तीनों परिषदों में करीब पौने लाख लोग उपस्थित थे। उनमें से करीब 20 हजार महिलाएं थीं। नागपुर के मोहन पार्क में परिषद के लिए नागपुर के निवासियों ने बहुत बड़ा शामियाना लगाया था। इसमें चार दिशाओं में चार दरवाजे थे जिनके नाम दिए गए थे- अम्बेडकर, हरदास, कालू आहेरे और रमाबाई। 18 और 19 जुलाई, 1942 के इस तीसरे अधिवेशन के लिए पहले डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था लेकिन 9 जुलाई के आदेशानुसार उन्हें वायसराय के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, सो वे अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं कर पाए। यह पद मद्रास के मद्रास लॉ कॉलेज के प्रोफेसर तथा और किंग्ज कमीशन कमेटी के सदस्य रावबहादुर एन. शिवराज, एम.एलए. (सैंट्रल), को बहाल किया गया। बाबासाहेब और शिवराज और उनके सहयोगी 18 जुलाई की सुबह 9 बजे रेल से नागपुर पहुंचे। तब स्टेशन से लेकर मोहन पार्क होटल तक बड़ा जुलूस निकाला गया। जुलूस में समता सैनिक दल और उनका बैंड सबसे सम्मानीय मेहमान इस होटल में चार दिनों तक रुके।

उस समय दी ऑल इंडया डिप्रेस्ट कलासेस कॉन्फरेंस के अध्यक्ष थे रावबहादुर एन. शिवराज, बी. ए. बीएल, एम.एल.ए (सेंट्रल)। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड कलासेस वीमेन्स अधिवेशन की अध्यक्षा श्रीमती डोंगरे (अमरावती) थीं। दी समता सैनिक दल कॉन्फेरेंस के अध्यक्ष थे- गोपालसिंह, एच. बी. ई., एम. एल. एल (पंजाब)। इन तीनों परिषदों की अंग्रेजी में रिपोर्ट (कुल पृष्ठ 121) तीसरे अधिवेशन के स्थागताध्यक्ष श्री जी. टी. मेश्राम ने 7.9.1942 को 'मंगल धाम' इंदोरा में प्रकाशित किया।

इस अधिवेशन में जो पांच राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुए उनमें - (1) क्रिप्स योजना अस्पृश्यों को पसंद नहीं। (2) संविधान परिषद जल्द बुलाई जाने की मांग। (3) संविधान में अस्पृश्यों की सुरक्षा के प्रबंध की मांग। अस्पृश्यों के लिए कल्याणकारी काम करने के मद में हर साल एक बड़ी रकम का बजट में प्रावधान रखना। पब्लिक सर्विस कमीशन बड़े अधिकार वाले पद, विधिमंडल और स्थानीय स्वराज संस्थाओं में अस्पृश्यों के लिए बड़ी संख्या में पदों का प्रावधान रखना आदि मांगें रखीं। (4) अस्पृश्यों के लिए अलग उपनिवेश हों, उसके लिए सेटलमेंट कमीश्नर रहे, अस्पृश्यों को सरकारी जमीनें दी जाएं आदि। (5) एक प्रमुख केन्द्रीय राजनीतिक पक्ष के रूप में ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्टस् फेडरेशन की स्थापना करना। यह प्रस्ताव अंग्रेजी में था जो इस प्रकार था-

Resolution No. 1

Cripps Proposal unacceptable

This Conference declares that the proposals of His Majesty's Government relating to constitutional changes sent out with Sir Stafford Cripps are utterly unacceptable to the scheduled castes. In the opinion of this conference, these proposals were nothing but a betrayal of the interests of the Scheduled Castes and a breach of the assurance given by this Excellency the Viceroy in his declaration of 8th August, 1940 on behalf of His Majesty's Government that the constitution which had not the consent of the scheduled Castes, would not be imposed upon them.

Protests Against Cripps Proposals

This conference places on record its emphatic protest against His Majesty's Government agreeing to the demand made by the Congress that the new constitution be framed by the Constituent Assembly and also against the proposal of the safeguarding the interests of the Scheduled Castes by a treaty between the New Indian National Government and the Government of His Majesty's in Great Britain.

Resolution No. II

Consent to Constitution Necessary

This conference declares that no constitution will be acceptable to the Scheduled castes unless, (i) It has the consent of the Scheduled Castes, (ii) It recognises the fact that the Scheduled Castes are distinct and separate from the Hindus and constitute an important Dement in the National Life of India. (iii) It contains within itself provisions, which will give to the Scheduled Castes areal sense of security under the new constitution and which are set out in the following resolutions.

Resolution No. II

Essential Provisions In New Constitution

For creating this sense of security among the Scheduled Castes, this Conference demands that the following provisions shall be made in the new constitution :

Provisions in provisional Budgets for scheduled Castes advance- (1) That in the budget of every Provincial Government on annual sum, as may be determined upon by agreement, be set apart for promoting the primary education among the children of the Scheduled Castes and another annual sum for promoting advanced education among them and such sums shall be declared to be the first chage on the revenues of the province.

(2) That provision shall be made by law of securing representation to the Scheduled Castes in all Executive Governments, Central and Provincial, the proportion of which shall be determined in accordance with their number, this needs and their importance.

(3) Representation in Public Services : That provisions should be made by law of securing representation to the scheduled castes in the public services the proportion of which shall be fixed in accordance with their members, their needs and their importance. This conference insists that in case of essential services, such as Judiciary, Police and

Revenue, provision shall be made that the proposition fixed for Scheduled Castes shall, subject to the rule of minimum qualification, be realized within a period of ten years.

(4) Representation by statue in all legislatures and local bodies : That provision shall be made by law for guaranteeing to the Scheduled Castes representation in all Legislatures and local bodies in accordance with their number, needs and importance.

(5) Separate Electorate : That provision shall be made by law whereby the representation of the Scheduled Castes in all Legislatures and local bodies will be by the method of separate Electorates.

(6) Representation on Public Service Commission : That provision shall be made by law for the representation of the Scheduled Castes on the Public service Commission, Central and Provincial.

Resolution No. IV

Change in Village System

That so long as the Scheduled castes continue to live on the out skirts of the village, with no source of livelihood and in small numbers as compared to the thin dues they will continue to remain untouchables and subject to the tyranny and opposition of the caste Hindus to enable them to develop to their fullest manhood, to give them economic and social security and also to pave the way for the removed of untouchability this conference has after long and mature deliberation come to conclusion that a radical change must be made in the village system, now prevalent in India and which is the parent of all the ills from which the Scheduled Castes are suffering for so many countries at the hands of Hindus. Realising the necessity of these changes this conference holds that along with the constitutional changes in the system of Government there must be a changes in the village system now prevalent made along the following lives.

(1) Separate Villages : This constitution should provide for the transfer of the Scheduled Castes from their present habitation and constitute separate Scheduled Castes villages away from and independent of Hindu Villages.

(2) Settlement Commission : For the settlement of the Scheduled Castes in new villages a provision shall be made by the constitution for establishment of a Settlement Commission.

(3) Land for Scheduled Castes : All Government land which is cultivable and which is not occupied shall be handed over to the Commission to be held in trust for the purpose of making new settlement of the Scheduled Castes.

(4) Acquisition of New Land : The Commission shall be empowered to purchase new land under the land acquisition act from the private owners to complete the scheme of settlement of the Scheduled Castes.

(5) Central Government to Provide Minimum of five crores perannum : The constitution shall provided that the central Government shall grant to the Sefflement Commission minimum sum of Rs. Five Crores per annum to enable the Commission to carry out their duty in this behalf.

Resolution No. V

Establishment of till India Scheduled Castes Federation.

This Conference is of the opinion that the time has arrived for the establishment of a Central Political Organization for carrying on the political movements of the Scheduled Castes.

This Conference, therefore, resolves to establish the All India Scheduled Castes Federation as the Central Political Organization of the Scheduled Castes of India and appeals to all political organizations of the Scheduled Castes to merge into this Central Organization and work through it. For execution of this purpose this conference authorises Dr. B. R. Ambedkar to from a committee with himself as a Chairman to frame a constitution for All India Scheduled Castes Federation. The Committee will submit the report to a provisional council consisting of the following on whose approval the constitution shall become operative.

Bengal : Mèks. R. L. Biswas, A. D. Roy, R. S. Dhurija, B. C. Mandal.

Bombay : Mèks. D. G. Jadhav, P. N. Rajbhoj, B. K. Gaikwad.

Punjab : Mèks. Gopal Singh, Seth Krisandas.

C. P. and Berar : Mèks. R. V. Kavade, P. H. Shendre, H. L. Kosare.

UP : Raj Saheb Shamal, Raj Saheb Ram Sahai, Dr. Pandalul Jaiswal.
Shri Badriprasad Balmiki, : Shri Babul Tilak Chand.

इस प्रस्ताव पर निम्नलिखित वक्ताओं के इस अवसर पर भाषण हुए–

बी. के. गायकवाड़ एम. एल. एल (नासिक), रायसाहब शामलाल (इलाहाबाद), गोपालसिंह (एम.एल.ए. पंजाब), एन. एम. दास, बी.ए. बी.एल (कोलकाता), आर. आर. भोले, बी.एस.सी, एल.एल.बी (पुणे), ए.डी. रॉय बी. ए. एमएलसी (जस्सोर), पी. एम. पट्णी (अहमदाबाद), मंगीलाल (राजपुताना), बी. एच. वराले, एम.एल.ए (कर्नाटक), डी. जी. जाधव बी. ए. एल.एल.बी. (जलगांव), राईसाहब, एन. सी धुरिया (बंगाल), पी. एन. राजभोज (पुणे), बी. सी. मंडल, बी.सी. (कलकता), बद्रीप्रसाद वाल्मिकी (इलाहाबाद), पी. एल. के तलिब, एम.ए. एल.एल.बी, पी.एच.डी (लखनऊ), पी. जे. रोहम, एम.एल.ए. (अहमदनगर)।

महिला परिषद में जो प्रस्ताव पारित हुए उनमें तलाक लेना और देना, चल–अचल संपत्ति में महिलाओं को हिस्सा मिलना आदि प्रमुख थे। इन प्रस्तावों पर निम्नांकित मि. हलाओं के भाशण हुए–

श्रीमती राधाबाई कांबले, जाईबाई चौधरी, सुश्री मंजुला कानफाडे, सुश्री लतिका गजभिये, सुश्री सुलोचना नाईक, सुश्री वीरेंद्र बाई तीर्थकर, सुश्री चंद्रभागा पाटील, सुश्री कौसल्या नंदेश्वर और इंदिराबाई पाटील।

राव बहादुर शिवराज ने अपने भाषण में अस्पृश्यों के राजनीतिक अधिकारों के बारे में किए आंदोलन का संक्षेप में इतिहास बताया और काँग्रेस, हिंदू और सरकार द्वारा समय-समय पर अपनाई गई नीति के लिए उन्हें दोषी करार दिया। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा क्रिप्स के साथ जो लेन-देन की बातचीत की उसमें क्रिप्स साहब ने जो विरोधी नीति अपनाई उसका इतिहास संक्षेप में बता कर शिवराज ने विक्रम साहब की खूब आलोचना की। पुणे करार के कारण काँग्रेस को अस्पृश्यों के राजनीतिक अधिकारों पर मन मर्जी से आक्रमण करने का मौका मिला। इस मुद्दे पर उन्होंने मिसालें देते हुए भाषण किया और मांग की कि पुणे करार में योग्य फेर-बदलाव करें या उस करार को रद्द करें।

अस्पृश्यों की ओर से बाबासाहेब को मंडप में मानपत्र दिया गया। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने मानपत्र का जवाब देते हुए जो भाषण किया उसमें विश्लेषण के साथ बताया कि काँग्रेस के हाथ में इस करार के बहाने अस्पृश्यों के खिलापु प्राणघातक चीज मिली है। उन्होंने मांग की कि इस करार को खारिज कर दिया जाए।

फर्स्ट एण्ड सेंकड महार बटालियन का कैंप कमेटी में था। डॉ. बाबासाहेब से वहां के अफसर मिलने आए और उन्होंने बाबासाहेब को चाय का न्यौता दिया। बाबासाहेब कामठी गए और चायपार्टी के बाद उन्होंने सैनिकों को उद्देश्य कर भाषण दिया उन्होंने कहा कि महार और महाराष्ट्र की वीरता की उज्ज्वल परंपरा को हमेशा याद रखें और पुरुषार्थ के साथ लड़कर नाम और अधिकार कमाएं। दोनों बटालियन्स, उनके कमांडिंग अफसर और बाबासाहेब की इक्ट्ठे तस्वीर खिंचाई गई।

फेडरेशन के संविधान का मराठी अनुवाद नई बस्ती, नागपुर के निवासी वकील श्री सखाराम मेश्राम ने किया। मध्यप्रांत वहाड शेड्यूल्ड कास्टम फेडरेशन के कार्यवाह नागपुर के श्री हरिदास आवले ने पुस्तक रूप में उसे 31.12.1942 को प्रकाशित किया। कीमती थी 4 आने और कुल पृष्ठ थे 15

हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में दलितों को पृथक और स्वयंपूर्ण दर्जा दिलाकर उनकी संख्या, उनकी आवश्यकताएं, उनका महत्व आदि के कारण जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार उन्हें मिलना अवश्यंभावी है वे उन्हें दिलाना अखिल भारतीय दलित फेडरेशन के उद्देश्य है। यह बात भाग (1) में व्यक्त की गई है। संविधान में कुल 23 हिस्से थे।

नागपुर परिषद में पारित प्रसताव की प्रतियां प्रांत के गवर्नर और वाइसराय के पास भेजी गई।

नागपुर की परिषद पूरी होने के बाद बाबासाहेब मुंबई आए। दूसरे दिन उन्होंने यशवंत. राव, मुकुंदराव, द्रौपदी और शंकर मामा को अपनी स्टडी में बुलाया। उन्होंने इनसे कहा

कि मैं अब दिल्ली जा रहा हूं। आप सभी लोग ठीक से रहें और मेरा पुस्तकालय ठीक से सम्भाले। उनके लिए डॉ. बाबासाहेब कपड़े ले आए थे वे उन्होंने सबको दिए। फिर रमाबाई को याद करते हुए उन्होंने कहा, ''वह अब अगर होती तो उसे बहुत आनंद होता। मेरे लिए उन्होंने बहुत कष्ट झेले।'' बोलते हुए उनकी आवाज भरीं आई थी। आंखों में आंसू तैर रहे थे। उनके आंसुओं ने सबको रुला दिया।[3]

अखिल भारतीय दलित वर्ग परिषद में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का भाषण :

अध्यक्ष महाराज, भाइयों और बहनों,

इस परिषद में बोलते हुए सबसे पहले भाषा की अड़चन का मूलभूत सवाल सामने आ जाता है। इस विशाल जनसमुदाय में मराठी प्रदेश से आए लोगों की संख्या काफी बड़ी है। इसलिए इस परिषद की रिपोर्ट उन्हें समझ आए इसलिए भाषण मराठी भाषा में होना जरूरी है। लेकिन यहां मराठी भाषी श्रोताओं के अलावा गैर-मराठी प्रदेश से आए अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। उनमें से कुछ बंगाल, बिहार, मद्रास, आंध्र, पंजाब तथा अन्य प्रांतों से आए हुए लोग भी हैं। जाहिर हैं कि मेरी बातें उन्हें भी समझ आएं इसलिए मुझे अंग्रेजी में बोलना होगा। इस मुश्किल से बचने के लिए मैंने तय किया है कि एक बार अंग्रेजी में और फिर मराठी में मैं बोलूंगा। सो, जो मैं कहना चाहता हूं वह दोनों भाषियों को समझ आए। आज मैं अंग्रेजी में बोलना चाहता हूं कल मराठी में बोलूंगा।

यह परिषद लेने की कल्पना सूझी कैसे इस बारे में दो शब्द बताना उचित होगा ऐसा मुझे लगता है। आपको याद होगा कि पिछले अप्रैल महीने में मुझे न्यौता मिला था कि मैं सर स्ट्राफर्ड क्रिप्स से मिलने के लिए दिल्ली में उपस्थित रहूं। वह अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से भारतीय संविधान में कुछ बदलावों को सुझाने के लिए आए थे। उनकी तरफ से दी जा रही सूचनाएं भारत के विभिन्न राजनीतिक पक्ष स्वीकारें इसलिए सभी राजनीतिक पक्षों के साथ बातचीत करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। दिल्ली जाने से पहले भारत विभिन्न प्रांतों की अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों को मैंने सोच-विचार के लिए मैंने दिल्ली बुलाया था। सर स्ट्राफर्ड क्रिप्स के साथ हुई बातचीत का निर्णय जब मैंने उन्हें बताया तब हम सबकी समझ में आ गया था कि सर स्ट्राफर्ड क्रिप्स जो योजनाएं ले आए थे वे अनुसूचित जातियों के कल्याण पर प्राणघातक हमला ही था। क्रिप्स की योजनाओं के बारे में अपना नजरिया मैंने एक लेख के जरिए अखबारों के जरिए जाहिर किया था। शायद आप लोगों ने भी वह पढ़ा हो। लेकिन मुझे लगता रहा कि अखिल भारतीय अनुसूचित जातियों की सबके साथ और सुसंगठित आंदोलन छेड़ना बेहद आवश्यक

3 डॉ. भी. रा. अम्बेडकर चरित्र : चां. भ. खैरमोडे, खंड 9वां, पृष्ठ 120 से 127

है। और यही सब दूर छेड़ा गया आंदोलन ही हम पर आ रहे राजनीतिक विनाश से हमें बचा सकता है। भारत की सभी अनुसूचित जातियों ने अपने प्रतिनिधियों के जरिए जो इच्छा प्रकट की उसके परिणामस्वरूप आज की इस परिषद का आयोजन किया गया है। इसीलिए इस परिषद के साथ आज अखिल अस्पृश्य 'भारत' एक होकर खड़ा हुआ है। इसी कारण पूरे भारत से आए अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। विभिन्न प्रांतों में इस परिषद को कहां आयोजित किया जाए इस बात को लेकर स्पर्धा–सी छिड़ी थी। बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मुंबई में से हर किसी को लगता रहा कि परिषद आयोजित करने का श्रेय उनके हिस्से आए। आखिर सभी की सहमति के साथ यह श्रेय मध्य प्रदेश को देना तय हुआ। हालांकि एक शर्त को लेकर सभी लोग बेहद आग्रही रहे कि परिषद भले कहीं भी बुलाई जाए, आपकी अध्यक्षता में ही स्वीकार करूं इन सभी के साथ मेरे मतभेद होने के बावजूद मैंने अध्यक्ष स्थान स्वीकारने की बात मानी थी। तब राजनीतिक व्यक्ति को मिलने वाली आजादी का फायदा मुझे मिल रहा था। इस परिषद का अध्यक्ष स्थान स्वीकार कर तब मैं अपनी बात कह पाता। जिम्मेदारी के अधिकार के कारण आने वाले बंधन तब बिल्कुल नहीं थे। हालांकि परिषद हो पाती उससे पहले ही वाइसरॉय की एक्जीक्यूटिव काऊंसिल के सदस्य के तौर पर मेरी नियुक्ति की गई। इसके साथ ही जिम्मेदारियां आईं। उनके साथ बंधन आए। इसीलिए मैंने सोचा कि अनुसूचित जातियों की ओर से अधिकारपूर्णक और स्वतंत्रतापूर्वक बोल पाए ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को अगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए चुना जाए तो बेहतर हो। मुझे इस बारे में भी बिल्कुल संदेह नहीं है कि राव बहादुर एन. शिवराज इस प्रकार बोल पाएंगे। लंबे समय से आप लोगों के कल्याण की खातिर वह काफी मेहनत कर रहे हैं। केन्द्रीय विधिमंडल में वह अपना प्रतिनिधित्व कर ही रहे हैं। उनकी शैक्षिक योग्यता के बारे में बताऊं तो उनके जितनी शिक्षा आपमें से बहुत कम लोग हासिल कर पाए हैं। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से बी.ए. की उपाधियां प्राप्त की है। मद्रास में वह वकील का व्यवसाय करते हैं और दस सालों से कानून के प्रोफेसर हैं। सच कहें तो, इस परिषद के अध्यक्ष पद के लिए उनसे अधिक योग्य व्यक्ति शायद ही कोई मिल पाए। इसीलिए, मेरी जगह उन्हें चुना गया इस बात की मुझे बेहद खुशी है।

मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब तक मैं भारत सरकार का सदस्य हूं, वे अपने आंदोलन की जिम्मेदारी सम्हालें। हम सभी का लक्ष्य हासिल होने तक स आंदोलन को लगातार जारी रखने की जिम्मेदारी भी अब आप पर है। मैं आपकी मदद करूंगा, आपको सलाह भी दूंगा। लेकिन आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होना मेरे लिए संभव नहीं होगा। यह प्रत्यक्ष हालात हैं। उसे आप ठीक से मान लें। इसीलिए पिछले बीस सालों से मुझसे जुड़ी और आश्रय से जा ना सही लेकिन मेरे नेतृत्व में उन्नति की राह पर आगे बढ़ने वाले अस्पश्यों के इस आंदोलन की बागडोर उनके हाथ सौंपने से पूर्व अपने नेतृत्वकाल की

रिपोर्ट आपके आगे रखना मैं बेहद जरूरी समझता हूं। भारत की अनुसूचित जातियां अन्य जातियों की तुलना में कहां खड़ी हैं, इसका जिन पर जिम्मेदारी सौंपी जा रही है उन्हें ठीक से आकलन हो इसलिए समझाकर बतानी बेहद जरूरी है। उनकी मुक्ति के लिए क्या–क्या किया जा चुका है और अभी क्या करना बाकी है यह बताना बेहद जरूरी है।

यह संतोष की बात है कि अस्पृश्यों ने सभी दिशाओं से आगे बढ़ने के लिए जल्दी कदम उठाए हैं। मैं खास तीन बातों का जिक्र करूंगा। भारत की बहुत कम जातियों में दिखाई देने वाली राजनीतिक दक्षता उन्होंने काफी हद तक हासिल की है। दूसरी बात, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी लक्षणीय उन्नति की है। और तीसरी बात, कि, विभिन्न संस्थाओं में और देश की नौकरियों के क्षेत्र में कदम रखने भर की हो सही, लेकिन अपनी जगह बना ली है।

अस्पृश्यों द्वारा हासिल की गई उन्नति जानने–समझने की हाल में आज की अस्पृश्य पीढ़ी नहीं है। इसी कारण 20 वर्ष पूर्व जब इस आंदोलन की शुरूआत हुई थी तब उनकी स्थिति क्या थी इस बारे में उन्हें मैं जब बैरिस्टर बन कर इंग्लैंड से लौटा तब की मुंबई में हुई परिषद मुझे अच्छी तरह याद है। परिषद के आयोजकों के अलावा एक भी श्रोता वहां उपस्थित नहीं था। कुछ लोग दरवाजे की सीढ़ियों पर बीड़ी फूंकते हुए बैठे थे। तो कुछ लोग अलग–अलग कोनों में इक्ट्ठे होकर आपस में बातें कर रहे थे। आज यहां की तस्वीर पर नजरें डालिये और उस तस्वीर को याद कीजिए। यहां आपके सामने करीब पचहत्तर हजार से भी अधिक श्रोता उपस्थित हैं। बीस सालों पहले की हालत के साथ तुलना की जाए तो कहना पड़ेगा कि हमारी सैक्षिक उन्नति बिल्कुल सही दिशा में हो रही है। एक पुणे में ही 50 छात्र कॉलेज में पढ़ रहे हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों से उपाधि प्राप्त छात्रों की संख्या पांच–सौ तक पहुंची है। कुछ लोग डॉक्टर बने हैं तो कुछ बैरिस्टर तक बने है। हमारे भाइयों में से कई लोग नगरपालिका के और जिला तथा स्थानीय नगरपरिषदों के भी सदस्य बने हैं। कुछ साल पहले तक छूत के डर से अस्पृश्यों को स्थानीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं आदि का सदस्य बनने की मनाही थी। अब यह सब स्थितियां बदल चुकी हैं। अब हमारे लोगों की भी पुलिस में भर्ती की जाती है। सरकारी नौकरियों में लेकिन हमारी उम्मीदों के अनुरूप त्वरित बदलाव नहीं पाए हैं। हालांकि एक हद तक वहां भी हमारा प्रवेश हो चुका है। यहां पुलिस और सेना का जिक्र करना पड़ेगा। पहले पुलिस विभाग के दरवाजे अस्पृश्यों के लिए बंद थे। पुलिस सिपाही तक के पद पर अस्पृश्यों की नियुक्ति नहीं हो पाती थी। कुछ प्रांतों में ही सही आज इन हालात में फेर–बदलाव हुआ है। अब हमारे लोगों की भी पुलिस में भर्ती होने लगी है। सेना में भी भर्तियां होने लगी हैं। 1892 तक सब ओर केवल महार ही थे। इतना ही नहीं केवल महारों के दस्ते भी थे। 1892 से आगे सेना में महारों की भर्ती पर पाबंदी लगा दी गई। 1914 का महायुद्ध जब

चल रहा था तब सेना में फिर से महारों को भर्ती किया जाने लगा। महार सैनिकों का एक दल बनाया गया। युद्ध समाप्ति के बाद सैनिकों के इस दल को बरखास्त कर दिया गया। हालांकि अब फिर से हमारे सैनिक दल बनाए गए हैं। हमारे युवाओं को अफसर पद दिए जा रहे हैं। और हमारे पांच-छह युवकों को सेना में राजपत्रित अधिकारियों के पद दिए गए हैं। वहां उन्हें सम्मान के पद प्राप्त हुए हैं। हमारी उन्नति सबसे अधिक हमारी महिलाओं की स्थितियों में व्यक्त होती है। आप देख ही रहे हैं कि इस परिषद में बीस से पच्चीस हजार महिलाएं उपस्थित हैं। क्या कोई कह सकता है कि ये अस्पृश्य महिलाएं है? हमारी महिलाओं की उन्नति बेहद आश्चर्यजनक और हमारे आंदोलन का स्फूर्तिदायी रूप है। जाहिर है, यह बेहद संतोषजनक बात है। हम सबको जिस बारे में बेहद गर्व महसूस हो ऐसी यह हमारी उन्नति है। अपनी इस उन्नति के लिए किसी को धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। वह हिंदू लोगों की दया का असर नहीं है। यह पूरी तरह हमारे परिश्रम के फल हैं। सवाल अब यह है कि इस प्रगति को बनाए कैसे रखा जाए? यह ऐसा सवाल है जो हमेशा अपने आप से पूदते रहना जरूरी है। विभिन्न जातियों की स्पर्धा में अगर किसी एक जाति की उन्नति होती दिखाई दे तो यह केवल उस जाति के पास होने वाली शक्ति को ही केवल परिणाम होते हैं। हो सकता है यह शक्ति आर्थिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो। हमें सोचना यह है कि अपनी उन्नति वो जारी रखने के लिए क्या हमारे पास शक्ति है? क्या हमारे पास आर्थिक शक्ति है? यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि नहीं है। हम केवल गुलाम हैं। क्या हमारे पास सामाजिक शक्ति है? मुझे यकीन है कि इस सवाल का जवाब 'नहीं है' यही है। हम मानव-जाति का एक अवमानित हिस्सा हैं। इसीलिए लगातार अपनी उन्नति के लिए हम जिस पर निर्भर रह सकते हैं ऐसी एक ही बात है और वह है कि हम राजनीतिक शक्ति हासिल कर लें। इस शक्ति के बगैर हमारा सर्वनाश होगा। हमारी मुक्ति की बस यही एक राह है। इस बारे में मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है। इसीलिए इस मसले पर हम सभी को अपना ध्यान केन्द्रित करना ही पड़ेगा। यह हमारे लिए जीने-मरने का मसला है। राजनीतिक ताकत हासिल करने के बारे में हमारा भविष्य क्या है? हमारे लिए सहायक और विरोधी ताकतों के बारे में संक्षेप में एक बार फिर जानना आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसी ताकतों के अहसास के कारण आपके लिए अपने भविष्य की नीति निर्धारित करना आसान होगा। फिर हर बात को आप अच्छी तरह जांच-परख कर ही मंजूरी देंगे।

मेरी राजनीतिक सफलता का गुर आज मैं आपको बताता हूं। हो सकता है आपको वह पता भी हो। इसके बावजूद एक बार फिर बताना ठीक रहेगा। अस्पृश्य लोग हिंदुओं का एक विभाग या उप-विभाग नहीं है। भारत के राष्ट्रीय जीवन का वह पृथक, स्पष्ट और साफ घटक है। यही सिद्धांत मेरी राजनीति की बुनियाद है। जिस प्रकार मुसलमान हिंदुओं से साफ तौर पर अलग दिखाई देते हैं उसी प्रकार अस्पृश्य भी हिंदुओं से अलग

हैं। और मुसलमानों की ही तरह उन्हें भी हिंदुओं से अलग राजनीतिक अधिकार पाने का हक है। यही मेरी राजनीति का गुर है। इस बात को अगर अच्छी तरह गांठबांध लें तो मेरे या मेरी राजनीति के बारे में किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं होगी। मेरी राजनीति की प्रमुख बुनियाद के बारे में बताने के बाद हमारे विभाजित राजनीतिक अधिकारों के लिए पोषक और मारक बातों के बारे में संक्षेप में बताऊं। गोलमेज परिषद के बारे में बताने से शुरूआत अगर करूं तो लगता है कि वह एक भयंकर घपला है और इसीलिए वहां क्या हुआ यह विस्तार से बता कर मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। वहां अस्पृश्यों के संदर्भ में क्या-क्या हुआ यह बताने तक ही मैं अपने आपको सीमित रखूंगा। वहां महात्मा गांधी और मेरे बीच गरमा-गरम बहस हुई। गांधी ने वहां जाकर अपनी बात रखते हुए कहा कि अस्पृश्यों लोग हिंदुओं का ही एक हिस्सा हैं। उनका कहना था कि चूंकि अस्पृश्य हिंदुओं का ही एक उप-विभाग हैं इसलिए अंग्रेज सरकार जो अधिकार भारतीय लोगों को देने वाली हैं वो एकमुश्त हिंदुओं को ही दिए जाएं। उनका कहना था कि अस्पृश्यों की जिम्मेदारी केवल हिंदू लोग ही निभा सकते हैं। मैंने जो जिम्मेदारी ली थी उसे केवल उसे हिंदू ही उठा सकते हैं। मेरी अपनाई गई सोच इससे बिल्कुल भिन्न थी। गांधी की राय का विरोध करते हुए मैंने अपनी राय दर्ज की कि, हिंदुस्तान के राष्ट्रीय जीवन में अस्पृश्यों का स्पष्ट रूप से पृथक वर्ग है। और चूंकि स्पृश्य हिंदू अस्पृश्यों के जन्मजात विरोधक होते हैं इसलिए वे उनके विश्वस्त या न्यासकारी नहीं बन सकते। अस्पृश्यों की उन्नति के लिए राजसत्ता का प्रयोग करने के बजाय वे उसके सहारे गुलामी हमेशा के लिए कैसे टिकी रहे यही कोशिश करते रहंगे। इसीलिए अस्पृश्य और हिंदुओं में विभाजित कर राजनीतिक अधिकारों को देना ही अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार राजनीतिक सत्ता अस्पृश्यों के हाथ आएगी और अपने कल्याण के लिए तथा हिंदुओं के अत्याचारों और शोषण से हमें बचाने के लिए उसे इस्तेमाल किया जाएगा। महात्मा तथा अन्य हिंदुओं ने हमारे हकों को मारने के लिए क्या-क्या जुगतें लड़ाई यह विस्तार से बताने की जरूरत मुझे नहीं लगती। बस इतना कहना ही काफी होगा कि गोलमेज परिषद में अस्पृश्यों की जीत हुई और महात्मा की हार। इस प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप जातीय न्याय मिला। इसके तहत सबसे बड़ा लाभ यह मिला कि भारत के राष्ट्रीय जीवन में अस्पृश्यों के पृथक अस्तित्व को मान्यता मिली। उन्हें अलग से राजनीतिक अधिकारों का हकदार माना गया। जातीय न्याय की यह महत्वपूर्ण प्रमुख बात हुई।

पहले पहल इस जाति आधारित न्याय को गांधी ने मान्यता नहीं दी। अंग्रेज सरकार द्वारा दिया गया निर्णय बदलवाने के लिए उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। लेकिन गोलमेज परिषद की ही तरह इस अनशन के जरिए भी वे साबित नहीं कर पाए कि अस्पृश्य हिंदुओं का ही हिस्सा है। इसलिए उनके लिए अलग से राजनीतिक अधिकारों की जरूरत नहीं। गोलमेज परिषद में मैंने जो मुख्य बात रखी थी उसे उन्हें उनके रखे

अनशन के कारण बनाए गए पुणे करार में माननी ही पड़ी।

इस प्रकार, पहले दौर में अस्पृश्यों की ही जीत हुई। महायुद्ध छिड़ने के बाद तथा भारतीय राजनीति में काँग्रेस को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होने के बाद भी हमारी स्थिति पक्की और मजबूत थी। अभी भी हमें अपने हक मिलने की उम्मीद कायम थी और 8 अगस्त, 1940 के वाइसराय के बयान के कारण वह टिकी हुई थी। उनके निवेदन में साफ तौर पर कहा गया था कि अस्पृश्य और मुसलमान भारतीय राष्ट्रजीवन के महत्वपूर्ण स्पष्ट और पृथक घटक होने के कारण जिस संविधान को मुसलमान और दलित वर्ग का समर्थन प्राप्त नहीं होगा उस संविधान को अंग्रेज सरकार लागू नहीं करेगी।

अब तक हमारी स्थिति की मजबूती के बारे में मैंने बताया। इसलिए अब मुझे हमारी स्थिति को कमजोर करनेवाली शक्तियों के बारे में भी बताना होगा। हमारी स्थिति को कमजोर करनेवाली बेहद विघातक बात है गांधी और गांधीवाद। पुणे करार पर हस्ताक्षर कर मैंने गांधी के प्राण बचाए हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि किसी सभ्य व्यक्ति की तरह हस्ताक्षर कर श्री गांधी ने उसे स्वीकारा नहीं है, बल्कि एक कुटिल व्यक्ति द्वारा कठिन स्थितियों से अपने आप को छुड़ाने के लिए उस पर हस्ताक्षर किए है। क्योंकि, मैं आपको याद दिला दूं कि पुणे करार से भले गांधी को जीवनदान मिला हो लेकिन इस करार में शामिल सिद्धाते को उन्होंने कभी भी ईमानदारी से और तहे दिल से नहींमाना है। अस्पृश्यों को अलग से राजनीतिक अधिकार न मिलने देने की उन्होंने ठान ली है। हमारे अधिकारों के खिलाफ तथा हमारी स्थिति कमजोर करने के लिए जो-जो भी किया जा सकता है वह सब करने के लिए वह हमेशा तैयार मिलेंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों को यह बात अच्छी तरह ध्यान में रखनी होगी कि गांधी हमारे सबसे बड़े प्रतिपक्षी हैं। 'दुश्मन' शब्द का प्रयोग करने लायक स्थितियां और समर्थन होने के बावजूद 'शत्रु' शब्द का प्रयोग करना मुझे पसंद नहीं इसलिए मैंने इस शब्द का उनके लिए प्रयोग नहीं किया है। हम में से कई लोग उनकी बनावटी बातों में आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको सावधान करता हूं कि आपकी स्थितियों को कमजोर करनेवाली जो-जो भी विरोधी स्थितियां हैं और राजनीतिक आजादी पाने के लिए जिन बातों के खिलाफ आपको अपना सेना बल जोड़ना है उनमें जो सबसे अधिक घातक शक्ति है वह है श्री गांधी। आप अगर इसे गांठ बांध लेने से चूक गए तो वह आपकी गंभीर गलती सिद्ध होगी। आपकी स्थति को कमजोर बनाने वाली दूसरी बात होगी अंग्रेज सरकार की नीयत में आया बदलाव। 8 अगस्त, 1940 के सार्वजनिक बयान तक अंग्रेज सरकार का नजरिया था कि अस्पृश्य हिंदुओं से अलग घटक है और इतना महत्वपूर्ण अलग घटक है कि संविधान में किसी प्रकार का बदलाव उनकी सहमति के बगैर लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन सर स्ट्राफर्ड क्रिप्स के साथ उन्होंने जो योजनाएं भेजी हैं उन्हें देखने के बाद लगताहै कि अंग्रेज सरकार ने हमारी ओर पूरी तरह पीठ मोड़ ली है। क्योंकि सर स्ट्राफर्ड

क्रिप्स ने बिना किसी लाग–लिहाज के घोषणा कर दी कि क्रिप्स योजना में शामिल कोई भी संवैधानिक बदलाव लागू करने के लिए केवल हिंदू और मुसलमानों की सहमति काफी है। अस्पृश्यों की सहमति की कोई जरूरत नहीं है। साफ शब्दों में बताना हो तो भारत के राष्ट्रीय जीवन में अस्पृश्यों को दी गई महत्वपूर्ण घटक होने की मान्यता रद्द कर दी गई है। असल में छह से सात करोड़ अस्पृश्यों का केवल कुछ महीनों में राष्ट्र का प्रमुख घटक होना कैसे नष्ट हो सकता है यह हर किसी की समझ से परे की बात है। अंग्रेज सरकार की यह कलाबाजी असल में अस्पृश्यों के साथ किया उनका भयानक विश्वासघात है। इस विश्वासघात के कारण भले कुछ भी हो, अंग्रेज सरकार द्वारा दिए गए इस न्याय के बारे में आपकी भावनाएं भले कितनी ही तीव्र हों हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे पक्ष के लिए यह एक बड़ा धक्का है। एक और स्थिति है जो हमारे विरोध में है जिसकी ओर आपका ध्यान दिलाने से मैं न चुकूं। एक समय ऐसा था जब भारत की विभिन्न अल्पसंख्यक जातियों के बीच जातिकल्याण को लेकर एकात्मता का भाव था। मुसलमान उनमें प्रमुख वर्ग था। लेकिन अब यह एकात्मता खत्म हो चुकी है। मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमान लोगों के नजरिए में जो बदलाव करवाया उसका यह नतीजा है। 1937 के चुनावों के बाद जिन्ना के द्वारा नई जान डाले गए मुस्लिम लीग ने इस सिद्धांत को आंखों के आगे रखते हुए कार्यवाही की शुरूआत की कि मुसलमान अल्पसंख्यक वर्ग हैं। उन्होंने अल्पसंख्यक होने के नाते अन्य अल्पसंख्यक वर्ग की मदद लेकर अपना अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश की। परस्पर सहयोग से निर्माण होने वाली शक्ति पर मुस्लिम लीग को इतना भरोसा था कि अन्यअल्पसंख्यकों के हित का काम भी मुस्लिम लीग ने अपने हाथों लिया और उनकी मांगों को समर्थन देने वाले प्रस्ताव पारित किए। इस प्रकार उनका केवल मुसलमानों का ही पक्ष नहीं रहा। भारत के सभी अल्पसंख्यकों की रक्षक के तौर पर मुस्लिम लीग ने काम किया। लीग की यह भूमिका निस्संदेह सभी अन्य अल्पसंख्यकों खास कर अस्पृश्यों के लिए उपकारी थी। अस्पृश्यों की भूमिका भी वही थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। लीग की मानसिकता में अब बदलाव आए हैं। लीग द्वारा जब से पाकिस्तान का निर्णय सार्वजनिक किया गया तब से लीग नहीं मानता कि मुसलमान वर्ग भारत का हिस्सा है। उनका प्रतिपादन है कि वे एक पृथक राष्ट्र हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। मुस्लिम लीग यह भी मानता है कि भारत की अन्य जातियों से उन्हें कुछ भी लेना नहीं है। हिंदुओं से तथा अन्य अल्पसंख्यक जातियों के साथ भी उनका कुछ लेना–देना नहीं है। मुस्लिम लीग की एकता का मतलब साफ है। उनकी एकता किसी भी तरह के भेदभाव से परे जाकर केवल गैर–मुसलमानों के खिलाफ की गई एकता मात्र है। मुस्लिम लीग की मानसिकता में आए इन बदलावों का अस्पृश्यों की राजनीति पर गंभीर परिणाम होंगे ही। इसका मतलब यही है कि अस्पृश्यों ने अपना एक साथी गंवाया है। मुस्लिम लीग ने न केवल मुस्लिम विरुद्ध गैर–मुस्लिम की नई सोच ही पैदा की बल्कि एक नया

समीकरण निर्माण किया है। मुसलमानों की संख्या भले कितनी ही हो, और मुसलमानों की बराबरी में हैं इसलिए किसी भी राजनीतिक सुलह में मुसलमानों को आधा हिस्सा मिलना ही चाहिए इस दलित को कोई नहीं मान सकता। यह न केवल गणिती तौर पर गलत होगा बल्कि यह अस्पृश्यों के साथ–साथ सभी गैर–मुस्लिमों के कल्याण के खिलाफ होगा। मुस्लिम लीग की राजनीतिक नीतियों में आए इस बदलाव पर अगर ध्यान दें तो कहना पड़ेगा कि अस्पृश्यों ने अपना सहयोगी तो गंवाया ही, साथ ही अपना मित्र भी गंवाया है। क्योंकि अगर मुस्लिम लीग हर क्षेत्र में 50 प्रतिशत आरक्षण मांगने लगे तो उसमें और अस्पृश्यों में टकराव पैदा होगा इसमें कोई संदेह नहीं। भारतीय राजनीति में हमारी स्थिति क्या है यह मैंने आपको बताया है। साथ ही यह भी बताया कि इन स्थितियों को पलटने में कौन–कौन सी शक्तियां लगी हुई हैं। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरी राय में आपको कौन–कौन सी मांगे रखनी चाहिएं। अपनी इन मांगों को आप बिल्कुल साफ शब्दों में रखें यह बेहद जरूरी है। इससे आपकी स्थिति साफ हो जाएगी। हम किन बातों का, किसका समर्थन करते हैं इसका हमारे लोगों को पता चलेगा। हमारे विरोधियों को भी हमारी मांगों का नोटिस मिलेगा।

सबसे पहले हमें इस बात के प्रति आग्रही होना पड़ेगा कि भारतीय राष्ट्रजीवन में हमें पृथक और विभक्त घटक के तौर पर जाना जाए। अस्पृश्य हिंदुओं का ही एक हिस्सा हैं इस सोच का आपको पुरजोर विरोध करना होगा। पृथक घटक के तौर पर मान्यता पाने में अगर हमें असफलता मिलेगी तो हम हिंदुओं में ही रहेंगे और तब हम पर गुलामी लादी जाएगी। धीरे–धीरे हम अधोगति को प्राप्त होंगे। दूसरी बात यह कि अस्पृश्यों की शिक्षा के लिए राज्य तथा केन्द्र सरकार अपने आर्थिक बजट में एक रकम आरक्षित रखी जाए इसका संविधान में ही प्रबंध हो इस बात की हमें मांग करनी होगी। केवल प्राथमिक शिक्षा के लिए ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षा के लिए भी आपको ऐसी मांग करनी होगी। नेतृत्व के लिए तथा सरकारी नौकरियों में बड़े ओहदे पाने के लिए अस्पृश्यों को उच्च शिक्षा की बेहद जरूरत है। तीसरी बात है सरकारी नौकरियों में अस्पृश्यों के लिए जगह तय होनी चाहिएं। ये पद न्यूनतम योग्यता के नियमों के आधार पर भरे जाएं। यह करना बेहद आवश्यक है। क्योंकि, कानून बुरे या गलत हैं इसलिए हमें यातनाएं नहीं झेलनी पड़ रहीं हमें यातनाएं झेलनी पड़ रही है बुरे प्रशासन के कारण। प्रशासन केवल हिंदुओं के हाथ में होने के कारण ऐसा हुआ है। हिंदू अपने सामाजिक पूर्वाग्रह प्रशासन में भी ले आते हैं। सिद्धांततः अस्पृश्यों को जो लाभ मिलने चाहिए वो हमेशा कोई न कोई कारण बता कर वे अस्पृश्यों को मिलने नहीं देते हैं। जब तक अच्छा प्रशासन न हो तब तक अच्छा कानून आपका कोई भला नहीं कर सकता। अस्पृश्यों में से कुछ लोग जब तक अधिकार के पद सनरकार में नहीं पाते तब तक आपको बेहतर प्रशासन नहीं मिलेगा। क्योंकि, ये लोग हिंदू अधिकारी अस्पृश्यों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं यह देखते हुए उस पर अंकुश रखेंगे। औरों को

परेशान करने से उन्हें रोकेंगे। हालांकि केवल आरक्षित पदों की मांग करना काफी नहीं है। बल्कि तय समय में इन पदों पर नियुक्तियां की जानी चाहिएं इसकी मांग करना भी जरूरी है। पद आरक्षित करवाने से भी यह अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक समय-सीमा निर्धारित नहीं होती तब तक आरक्षित जगहें बनेंगी ही नहीं। कोई न कोई कारण बताते हुए इस काम को टाल दिया जाएगा। और जाहिर है कि हमेशा के अतर्क्य कारणों से हममें से कोई लायक उम्मीदवार उन्हें मिलेगा ही नहीं। हम सब जानते हैं कि नियुक्ति करने वाला अधिकारी अगर कोई हिंदू होता है तब कोई अस्पृश्य उम्मीदवार लायक होता ही नहीं है। चौथी बात यह है कि केन्द्र और प्रांतीय प्रशासन में अस्पृश्यों को प्रतिनिधित्व मिले इसलिए आपको आग्रही होना पड़ेगा। ये उपाय मूलभूत है। जिन लोगों के पास यह मूलभूत शक्ति है वे स्थितियों को मन माफिक मोड़ सकते हैं। बेहद भयावह सामाजिक हरकतों को भी वे रोक लगा सकते हैं। और केवल वे ही सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मामलों में हितकारी बदलाव ला ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर अपने प्रतिनिधि रखे जाने ही चाहिए यह आग्रह अस्पृश्यों को रखना होगा। इस बार इन बातों को आश्वासनों या रूढ़ियों पर बिल्कुल न छोड़ें। समय को भांप कर हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाले वचनों का भरोसा ना करें। संविधान में ही इसका प्रबंध किया जाए इस बात की ओर आपको ध्यान देना होगा।

आखिर बात- अस्पृश्यों को जिसकी मांग करनी चाहिए ऐसी एक और बात है- मैं आखिरी बात कह रहा हूं लेकिन वह किसी तरह से कम महत्वपूर्ण नहीं। सच कहूं तो मेरी नजर में यह सबसे महत्वपूर्ण मांग है। अन्य सभी मांगों से यह महत्वपूर्ण है। हिंदुओं के गांवों के अलावा अस्पृश्यों की अलग-थलग और पृथक नई बस्तियां बसाने की योजना के बारे में मैं बाल रहा हूं। हजारों सालों से अस्पृश्य लोग हिंदुओं के दास और गुलाम क्यों बने हुए हैं? मेरी राय में इस सवाल का जवाब हिंदुओं के गांवों की विशिष्ट रचना में छिपा हुआ है। पूरे भारत में करीब सात लाख गांव हैं और हिंदुओं के इन हर गांव के साथ अछूतों की एक छोटी बस्ती जुड़ी हुई है। हर गांव के हिंदुओं की तुलना में अस्पृश्यों की जनसंख्या बहुत कम है। दूसरी बात, अस्पृश्यों की इन बस्तियों के अपने आर्थिक साधन नहीं हैं और उन्नति के मौके भी उनके लिए उपलब्ध नहीं हैं। ये हमेशा के लिए भूमिहीन लोगों की बस्ती होती है। अस्पृश्य होने के कारण वे कोई चीज बेच नहीं सकते। क्योंकि अस्पृश्यों से कोई भी कुछ भी खरीदते नहीं। सो, अस्पृश्यों की बस्ती पूरी तरह कंगलों की बस्ती होती है जो पेट पालने के लिए हिंदू लोगों पर निर्भर करती है। भिक्षा या नगण्य दिहाड़ी पर काम कर जैसे-तैसे पेट भरने वाली कौम होती है अस्पृश्यों की बस्ती। ऐसी हालत में सैंकड़ों सालों से अस्पृश्य केवल अपमानित स्थितियों में क्यों जीते रहे इसकी कल्पना की जा सकती है। हिंदुओं के खिलाफ शिकायत करना अस्पृश्यों के लिए असंभव था। संख्या में वे कम होते हैं और आर्थिक रूप से भी कमजोर होते हैं। गांवों की रचना जब तक ऐसी ही हालत में रहेगी तब तक अछूतों को आजादी नहीं मिलेगी। फिर वह

आजादी सामाजिक हो या आर्थिक। सामाजिक और आर्थिक गुलामी के कारण उनमें जो हीन भाव पैदा होगा वह कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए गांवों की यह रचना तोड़नी और खत्म करनी होगी। गांव की उसी रचना के साथ हिंदुओं ने अस्पृश्यों पर गुलामी लादी है उससे मुक्ति पाने की वास्तव में इच्छा हो तो उनके लिए बस यही एक राह खुली है। केन्द्रीय सरकार की आर्थिक मदद से केवल अस्पृश्यों के लिए नई बस्तियां स्थापन करने का प्रबंध संविधान में ही किया जाना चाहिए। इस बारे में आप आग्रही रहें यह मेरी आपको सूचना है। सरकार के पास ऐतिहासिक जमीन बहुत है। अभी उस जमीन पर किसी का मालिकाना अधिकार नहीं है। अस्पृश्यों के बनाए गांवों का निर्माण करने की योजना को अमली-जमा पहनने के लिए यह जमीन आरक्षित की जा सकती है। लोगों के पास पड़ी परती जमीन भी सरकार खरीद सकती है और उसे इस काम में लगा सकती है। अभी जहां वे रह रहे हैं वहां से इन नई जगहों पर जाने के लिए तथा वहां आजाद किसानों की तरह बसने के लिए अस्पश्यों को मनाना कठिन बात नहीं हो है सकता इसमें थोड़ा वक्त लगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बात इतनी महत्वपूर्ण है कि संविधान के जरिए केन्द्रीय सरकार पर उसे अमल में लाने की जिम्मेदारी डालनी होगी।

एक और मुद्दा है जिसके बारे में आपको चार शब्द बताने ही होंगे। वह मुद्दा है-भारत के अस्पृश्यों के प्रमुख संगठन के रूप में काम करने वाली अखिल भारतीय स्तर के केन्द्रीय राजनीतिक संस्था की स्थापना करना। हम अब तक अपनी प्रांतीय संस्थाओं द्वारा राजनीतिक आंदोलन करते आए हैं। मैंने तो यह भी देखा है कि प्रांतों में भी कई राजनीतिक संस्थाएं हैं। किसी महत्वाकांक्षी व्यक्ति की अध्यक्ष या सचिव बनने की इच्छा होतीहै तो वह संस्था की स्थापना करता है और उस संस्था का अध्यक्ष या सचिव बन जाता है। उस संस्था का नाम तथा साथ में अध्यक्ष या सचिव के तौर पर कागज पर अपना नाम छापने से आगे कुछ और करने की जरूरत वह महसूस नहीं करता। यह असल में बेहद गैर-जिम्मेदार काम है। इसे आपको तरंत बंद कर देना होगा। इसे बंद करने का केवल एक उपाय है और वह है प्रांतीय शाखा के साथ हमें अखिल भारतीय स्तर की एक संस्था हमें बनानी होगी और अभी आस्तित्व में जो संस्थाएं हैं उन सभी को रद्द करना होगा। आपके लिए आवश्यक शक्ति इससे आपको मिलेगी। इक्ट्ठा मोर्चा खोलने के लिए इससे सहायता मिलेगी। इस प्रकार कार्य करने की सामर्थ्य आपको प्राप्त होगी। मुझे उम्मीद है कि सुयोग्य आत्मीयता से आप इस मसले पर गौर करते हुए अमल करेंगे।

अस्पृश्यों की समस्याओं के बारे में मेरे विचार और भावनाएं मैंने आपके सामने खोल कर रखे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस विषय के बारे में ध्यानपूर्वक सोचेंगे।

भाषण पूरा करने से पहले युद्ध के बारे में हमारे क्या विचार हों इस बारे में बोलना ठीक रहेगा। शुरू से ही सरकार की युद्ध की कोशिशों को हमारा समर्थन प्राप्त है। यकीनन

आगे भी हमारा समर्थन जारी रहेगा। हमारी कुछ राजनीतिक मांगे हैं। हम उनके बारे में आग्रही हैं। वे पूरी होंगी ही। लेकिन हमारी मांगें पूरी करने की शर्त रखे बिना हमने सरकार को इस मुद्दे पर समर्थन दिया है। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि अपनी मांगों को हम युद्ध की सफलता से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। युद्ध संबंधी मामले में समर्थन देते हुए हमने अपनी ओर से कोई शर्त इसलिए नहीं रखी क्योंकि हमें लगता है कि युद्ध की असफलता के कारण निर्माण स्थिति से अलग युद्ध की सफलता से निर्माण स्थितियां हमारे राजनीतिक मसले हल करने के हिसाब से उपकारी साबित होंगे। ये जनतंत्र और तानाशाही के बीच की लड़ाई है। वह भी उदारमतवादी कल्याणकारी तानाशाही नहीं वरन् बेहद जंगली तरीके की बर्बर तानाशाही। उसकी नींव नैतिक नहीं बल्कि वांशिक उद्धतता है। नीच नाजी तानाशाही ऐसी तानाशाही है जिसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। नाजीम्य के विजय से जितनी भयानक स्थितियां पैदा होंगी उतनी भयानक स्थितियां, वैसी विपत्तियां आज तक पैदा नहीं हुई हैं। भविष्य में भी शायद कोई होगी नहीं। हो सकता है हम इसे भूल जाएं लेकिन वंशाधारित इसकी बुनियाद भारतीयों के लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित होने वाली है। यह महत्वपूर्ण और ध्यान देनेवाला मसला है। स्थितियों के बारे में अगर मेरे ख्याल सही हों तो इस दुनिया से इंसानों के बीच के आपसी संबंधों का सही पालन करवाने वाला जनतंत्र विलुप्त न हो इसका ध्यान रखना हमारा जबरदस्त कर्तव्य है ऐसा मुझे लगता है। हमारा अगर इसमें विश्वास है तो हमें उसके साथ निष्ठा से और सत्य के साथ पेश आना चाहिए। केवल जनतंत्र में विश्वास रखने भर से हमारा काम पूरा नहीं होता। हमें पक्का निश्चय करना होगा कि स्वतंत्रता, समता और बंधुभाव के तत्वों को जड़ से मिटाने वाले जनतंत्र के दुश्मन की हम किसी भी तरह से मदद नहीं करेंगे। उम्मीद है कि इस सवाल को लेकर सभी की समान राय होगी। आप अगर मुझसे सहमत हैं तो जाहिर है कि आप मेरी इस बात में मेरे साथ ही होंगे कि जनतांत्रिक संस्कृति की जड़ की रक्षा के लिए अन्य जनतांत्रिक देशों के साथ मिल कर हमें कोशिश करनी चाहिए। जनतंत्र अगर जीवित रहा तो हमें उसके फल जरूर मिलेंगे। जनतंत्र की अगर मौत हुई तो उसमें हमारा विनाश है इसमें कोई आशंका नहीं।

इस अवसर पर बताने लायक और कुछ नहीं है मैं खुश हूं कि मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। भूत की तरह ही भविष्य में भी अगर आपकी सेवा का मौका मिले तो खुशी होगी। आप सबने मिल कर मेहनत की और अगर हम सब लोग मिल कर अगर जोरदार कोशिश करते हैं तो हमें असफलता का मुंह ताकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारा काम न्यायपूर्ण और मानव के लिए हितकारी है।[4]

---

4. डॉ. अम्बेडकरांची भाषणे, संपादक– मा. फ. गांजरे, खंड 1, पुनर्मुद्रण 1986 पृष्ठ 80–92

195

*शिक्षित बनो, आंदोलन करो, संगठित हो, आत्मविश्वास बनाए रखें, धीरज कभी ना खोएं - यही हमारे जीवन के पांच सूत्र हैं

20 जुलाई, 1942 को नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय दलित वर्ग परिषद के अधिवेशन में परिषद के स्वागत मंडल की ओर से डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को मानपत्र अर्पण किया गया। इस मानपत्र में दलित वर्ग के उत्थान और उद्धार के लिए संघर्ष करते हुए दलितों के राजनीतिक, सामाजिक हकों की मांग के लिए डॉ. अम्बेडकर ने लगातार बीस सालों तक जो आंदोलन चलाया था और समूचे दलित वर्ग की शक्ति को संगठन बना कर एक किया इसलिए उनका गौरव किया गया था। इसी प्रकार वाइसरॉय की कौंसिल के सदस्य के रूप में नई जिम्मेदारी के पद पर उनकी नियुक्ति होने के लिए गौरवपूर्ण अभिनंदन किया गया था। मूल रूप में मानपत्र इस प्रकार था-

Address

Presented

To,

The Hon'ble Dr. B. R. AMBEDKAR

M. A. Ph. D., D. Sc., J. P. Barrister-at-Law,

Member of the Executive Council, of H. E. the Viceroy.

Our most beloved BABASAHEB,

We, the Chairman and Members of the Reception Committee of the Third All India Depressed Classes Conference held at Nagpur, beg respectfully to present you this address on the occasion of your having completed the 50th year of your age, in taken of our grateful appreciation of your long sustained and untiring zeal and work in the cause of the downtrodden dumb millions of India.

This year is, by coincidence, a most important one in the history of the Depressed Classes of India inasmuch as have now changed your sphere of work from active politics to take executive. If your life history is any thing, it is nothing but the history of the progress of the oppressed million and sacrifice of one individualns. You are not only an individual to us but an institution. You are our sole guide, friend and philosopher; ray, you are the only prop of the Depressed Classes. You continuous and sustained efforts in the just and righteous cause for the uplift of our classes are really the means of such benefits as we have so far achieved.

---

*विदभीतील दलित चलेवलीचा इतिहास : एच. एल. कोसारे, पृष्ठ 416-417

A budding lawyer as you were, with a vast future, you resked your all by throwing yourself whole-heartedly in the struggle for relieving the distressed from the oppressed. In doing so, you did not halt to realies that you were antagonizing your future dicute, viz. the touchable classes, for a fight in the interest of the Depressed Classes, is a fight against the so called caste Hindus Little did anyone then realise that your efforts, in a short space of two decades, would result in the recognition of the rights of the Depressed Classes as a living entity necessitating a seat on the highest Executive of the country.

The procession from the Rallway Station Nagpur to the Conference Pandal and the grand attendance at the Conference Session are testimony of the extent to which you are held in esteem by the people of our Communities. This spontaneous expression is but a little expression of the devotion of our classes to you for what you have done. You are more than a creator to us. We were thrown by the creator in a bottom-less abyss, but unlike him you have done everything to lift us upon of it.

We can find in history no equal to you in respect of your heart and, who for no other reason than service to our classes, has been as liberal as you, in keeping open the purse freely and devoting all life and every for our cause : Words fail us to open our hearts and give expression to our feelings. Suffice it to say that if there be any living god on earth, he is personified in you.

We again offer you our sincere and heartfelt gratitude and wish you a long life so that your mission on this earth may be fulfilled.

We Beg to Remain,

Our most beloved BABASAHEB

Your most grateful and devoted followers,

CHARMAN and MEMBERS

of the Reception Committee of the ALL India Depressed Classes Conference.

NAGPUR

The 20th July, 1942

इस मानपत्र का जवाब देते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा–

इस तरह का मानपत्र मुझे देने की आवश्यकता है क्या यह सोचता हूं तो मुझे अचरज महसूस होता है। शुभचिंतन (Toasts) और मानपत्र (Address) के पीछे एक विशेष इतिहास है। खासकर शुभ कामना– स्वास्थ्य कामना के साथ तो वह जुड़ा ही है। अंग्रेज समाज में राजा के स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करने का उनके यहां रिवाज है। गृहयुद्ध के बाद, फिर से प्रस्थापित होने के दौरान, यह शुरू हुआ। पहले तो यह प्रथा दबाव के कारण शुरू हुई और राजा के खिलाफ विद्रोह करने वाले अंग्रेज सैनिकों पर वह

जबर्दस्ती लादी गई। नए राजा के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त करने के लिए उन्हें राजा की स्वास्थ्य-सेहत की बेहतरी के बारे में कामना व्यक्त करनी पड़ती थी। आज राजा के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य की कामना करना अब आम बात है और इस प्रथा का स्रोत ढूंढने की किसी को जरूरत भी महसूस नहीं होती। जैसे कि मैंने अभी बताया, इस प्रथा की जड़ इस उद्देश्य में है कि जिनकी निष्ठा संदोहस्पद लगे वे अपनी राजनिष्ठा स्पष्ट रूप से सार्वजनिक करें। आपकी निष्ठा संदेहास्पद नहीं है इसका मुझे अहसास होने के कारण उसे फिर इसप्रकार मानपत्र के जरिए आप व्यक्त करें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपका आग्रह है कि मैं यह मानपत्र स्वीकारूं। मेरे बारे में आपके मन में जो प्रेम और आदर है उन सद्भावनाओं के प्रतीक के रूप में मैं इस मानपत्र का स्वीकार करता हूं। दलित वर्ग के लिए मैंने जो कुछ किया है वह आपको मंजूर होने के प्रतीक स्वरूप मैं इस मानपत्र को मानता हूं। भारत के अस्पृश्य वर्ग का पक्ष उनकी ओर से भारतीय राजनीति में रखने की मैंने जो नीति अपनाई है उसे आप लोगों का समर्थन है यह बात इस मानपत्र से प्रमाणित होती है। इस देश का शासन चलाने में हमें हिंदु-मुसलमानों की बराबरी वाली सम्मानीय भागीदारी प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हमने जो लक्ष्य तय किया है उसे प्राप्त करने के लिए मैं पूरी निष्ठा के साथ कोशिश करूंगा। 'लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोशिश करूंगा' इस आशय वाले मेरे आश्वासन की आपको कम ही जरूरत है। असल बात तो यह है कि इस विषय में मुझे आपसे आश्वासन की जरूरत है। आपने मेरे बारे में प्रेम और आदर व्यक्त किया है लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं थी। मुझे आपसे और तरह का आश्वासन चाहिए। शक्ति, एकता और अपने हकों के लिए आवाज उठाने का, अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए लड़ने का और अपने अधिकार प्राप्त होने तक कभी भी हार न मानने का वचन मुझे आपसे चाहिए। अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आपको वचनबद्ध होना पड़ेगा। मैं अपने कर्त्तव्यों के प्रति वचनबद्ध हूं। न्याय जब हमारे पक्ष में हो तो इस लड़ाई में हमारी हार की कोई वजह मुझे दिखाई नहीं देती। मेरे जीवन का विशेष आनंददायी पर्व है यह संग्राम, मेरे लिए यह संग्राम पूरी तरह से आध्यात्मिक है। इसमें भौतिक अथवा नीच कुछ भी नहीं। क्योंकि सत्ता या संपत्ति के लिए यह संग्राम नहीं है। यह संग्राम है स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। यह संग्राम मानवी व्यक्तित्व के विकास के लिए है। हिंदू समाज व्यवस्था के कारण जिस मानवी व्यक्तित्व को मसल दिया गया ओर छिन्नविच्छिन कर दिया गया उस व्यवस्था के खिलाफ यह संग्राम है और इस संग्राम में अगर हम हारे तो हमेशा के लिए मसल दिए जाएंगे। और यह दमन हमेशा चलता रहेगा। आपके हित के लिए आखिर मैं यही उपदेश दूंगा-पढ़ो, आंदोलन करो, लड़ाई छेड़ो, संगठित बनो, आत्मविश्वास रखा और कभी भी धीरज नहीं खोना। मुझे अहसास है कि आप मेरा साथ देंगे और मैं भी हमेशा आपका साथ निभाऊंगा।

196

*ब्राह्मणवाद पर प्राणघातक वार

दिनांक 18 और 19 जुलाई, 1942 को नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय दलित वर्ग परिषद में समापन का भाषण करते हुए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा–

मित्रों,

पिछले दस वर्षों में राजनीतिक आंदोलन तेज गति से चल रहे हैं। हालांकि, अस्पृश्यों के संदर्भ में कहें तो आपने आज जो प्रस्ताव पारित किए हैं उनके कारण मुझे यकीन है कि अस्पृश्यों के जीवन में एक नए युग की शुरूआत हुई है। आप जानते हैं कि मैं कल से अपने नए दफ्तर की जिम्मेदारी स्वीकारने जा रहा हूं। इसीलिए पिछले बीस सालों के अपने मुखिया होने का हिसाब आपके सामने पेश किया है।

मुसलमान और अस्पृश्यों को भले अल्पसंख्यक माना गया हो, लेकिन उनकी स्थितियों में बहुत अंतर है जिसे साफ तौर पर बताया जाना चाहिए। हमारी जाति की तुलना में मुसलमान जाति बहुत अमीर है। अंग्रेजों के आने तक वे इस देश के शासक थे। इस प्रकार उनके साथ ऊंचा दर्जा जुड़ा हुआ है। हमारी तुलना में उनकी कई गुना प्रगति हुई है। सैंकड़ों सालों से हमारा शोषण होता रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति आत्यंतिक दरिद्र है। केवल जनसंख्या के सहारे हम अपनी तुलना मुसलमानों के साथ नहीं कर सकते। शुरू से हमें पूरी तरह अपने आप पर निर्भर रहते हुए काम करना होगा। हमें अपनी जाति का उद्धार करना है। मेरी इस नई नियुक्ति के कारण अपनी जिम्मेदारी मुझे किसी और को सौंपनी पड़ रही है। अधिकार पाने का मुझे कोई चाव नहीं हे। मैं इसके बगैर भी ठीक था। केवल डॉ. अम्बेडकर और : सांसद डॉ. अम्बेडकर में कुछ फर्क है ऐसा मुझे नहीं लगता। मेरी नियुक्ति के बारे में अधिक महत्वपूर्ण एक बात जो मुझे लगती है वह यह है कि गवर्नर जनरल के एक्टजीक्यूटिव काउंसिल में दलित प्रतिनिधि के लिए एक जगह रखनी ही चाहिए ऐसा अब तय हो चुका है। ब्राह्मणवाद के लिए यह प्राणघातक मुक्का है। मेरी नियुक्ति का यहां महत्व है। इस तरह का चलन ब्राह्मणवाद के लिए बिल्कुल हितकारी नहीं। मुझे लगता है कि यह अस्पृश्यों की बहुत बड़ी विजय है।

कई लोग हैं जिनकी मेरे बारे में अच्छी राय नहीं है। पढ़ने में समय व्यतीत करते हुए अकेले जीवन बिताना मेरा स्वभाव है। मेरे स्वभाव के बारे में कई लोगों को लगता

---

*डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकरांची भाषणे : संपादक– मा. फ. गांजरे, खंड 1, पुनर्मुद्रण 1986, पृष्ठ 92–94

है कि मैं लोगों के साथ ठीक से पेश नहीं आता और उन्हें टालता हूं। मेरा बर्ताव इस बात का सबूत है। मैं यकीनी तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि किसी का भी किसी भी तरह का आपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं होता। मेरा जीवन बेहद सीमित है। मैं बहुत-कुछ करना चाहता हूं लेकिन मेरी मदद के लिए कोई नहीं है।

बहुत से हिंदू लोग मेरी तरफ दुश्मनी की नजर से देखते हैं। कहते हैं कि उनकी भावनाएं आहत हों इस कदर में कठोरता से बोलता हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा हृदय अत्यंत कोमल है। मेरे कई मित्र ब्राह्मण हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि कोमल हृदय के इंसान को भी सत्य कह ही देना चाहिए। अपने भी बंधु-बांधवों के साथ कुत्तों से भी अधिक बुरा व्यवहार किया जा रहा है और उनकी उन्नति के सभी द्वार बंद हो चुके हैं यह देखते हुए भी हिंदुओं के साथ मेरे दयालु व्यवहार करने की उम्मीद केसे की जाती है? मैं जानता हूं कि हिंदुओं की वर्तमान पीढ़ी ने कुछ नहीं किया है। इसीलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए मैं अपने दुश्मनों से सम्मानपूर्वक व्यवहार करने की कोशिश करता हूं। विरोधकों के साथ मैं कभी दुष्टता से पेश नहीं आता। लेकिन उन्हें उनका अपराधभाव कोंचता रहता है।

मेरी पक्की राय है कि इस दिशा में हिंदू, मुसलमान और दलितों के बीच राजनीतिक अधिकारों का समान रूप से बंटवारा होना चाहिए। हिंदू और मुसलमानों के साथ दलित वर्ग को भी प्रशासन में समान अधिकार मिलने चाहिए। इन तीन खंभों के सहारे ही भविष्यकालीन संविधान सही तरीके से कार्य कर पाएगा। यह स्थिति प्राप्त करने के लिए आप सभी को एक झंडे के नीचे इक्ट्ठा होना पड़ेगा। एक ही संगठन बनाना पड़ेगा। अब तक जो अधिकार हमारे हिस्से आए हैं वे संविधान के जरिए हमें नहीं मिले हैं इसकी इकलौती वजह है कि हम अभी तक संगठित नहीं हुए हैं। आप सभी जब संगठित होंगे और एक ही संस्था के तहत काम करने लगेंगे तब आप अपने अधिकारों को प्राप्त कर लेंगे। मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं।

काँग्रेस एक बहुत बड़ा संगठन है। उसका प्रभाव दूर-दूर तक फैला हुआ है। कोई भी यही बात बड़ी सहजता से पूछते हैं कि आपके संगठन का प्रचार दूर तक क्यों नहीं हुआ है? काँग्रेस के पास दो सुविधाएं हैं जो हमारे पास नहीं हैं। भारत के सभी छापाखाने काँग्रेस के पीछे खड़े हैं। सो उसे पूरी प्रसिद्धि प्राप्त होती है। हमें तथाकथित राष्ट्रीय हिंदू अखबारों में प्रसिद्धि नहीं मिलती। दूसरी बात यह कि, काँग्रेस के पास पैसा है। आपको याद होगा कि काँग्रेस द्वारा एक करोड़ रुपयों का फंड इक्ट्ठा किया गया है। उसकी सफलता का राज इस प्रचंड फंड में छिपा है। लेकिन अपनी जाति के कार्य के लिए मैंने कभी भी फंड की मांग नहीं की है जो संगठन और उन्नति हम लोगों ने

की है वह किसी भी तरह के फंड के बगैर की है। हालांकि अपना संगठन बनाने के लिए फंड इक्ट्ठा करना अत्यंत आवश्यक है यह मैंने आपको बताया हुआ है। फंड के बगैर आगे बढ़ने में हमारा समाज असमर्थ रहेगा और पहले से सुसंगठित जाति के साथ चलने में उसे कठिनाई महसूस होगी।

सार्वजनिक जीवन में गलतियां तो होती ही हैं लेकिन हमें उन गलतियों से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। गलतियों के जरिए ही हमें अपने दोषों का पता चलता है और पता चलने के बाद ही हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं।

समूचे भारत में हमारा एक संगठन होना चाहिए यह आपने जो प्रस्ताव पारित किया है उसे देख कर मुझे बेहद प्रसन्नता है। हर प्रांत में अब अपनी शाखाएं खोल लीजिए। फिलहाल जो संगठन अस्तित्व में हैं वे सब इस संगठन में विलीन हों इस ओर आप विशेष ध्यान दें।

कार्यालय तथा आंदोलन के केन्द्र के तौर पर न केवल हर प्रांत में बल्कि हर शहर में अपने संगठन की एक इमारत हो यह मेरी बड़ी इच्छा है। कल रात वेले के दशरथ पाटील के साथ में बातचीत कर रहा था। नागपुर में जमीन का कोई टुकड़ा खरीद कर हमारी संस्था के लिए एक इमारत खड़ी करने के लिए मैंने उनसे कहा है। बीस से पच चीस हजार रुपयों में यह काम हो सकता है। ऐसी इमारत नागपुर में बनवाने की तैयारी अगर आप करें और नींव का पत्थर रखने के लिए अगर बुलाएं तो उस निमंत्रण को स्वीकार करने में मुझे बड़ी खुशी होगी।

197

*महिलाओं की प्रगति पर ही समाज की प्रगति निर्भर करती है

दिनांक 20 जुलाई, 1942 को नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया डिप्रेस्ड कलासेस वीमेंस कॉन्फरेंस में महिलाओं को उद्देश्य कर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने अपने भाषण में कहा–

इस अवसर पर आपकी परिषद में बोलते हुए मुझे अच्छा लग रहा है। दलित वर्ग की प्रगति और कल्याण की इच्छा रखने वाले को महिलाओं का ऐसा समुदाय देख कर जितना आनंद होगा उतनी खुशी अन्य किसी प्रसंग में नहीं होगी। 10 वर्ष पूर्व यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि 20–25 हजार की संख्या में आप यहां उपस्थित रहेंगी। महिलाओं के संगठन में बहुत अधिक भरोसा करने वालों में से मैं हूं। उन पर अगर भरोसा किया जाए तो समाज सुधार के लिए वे क्या–क्या कर सकती हैं यह मैं जानता हूं। सामाजिक दोषों को मिटाने में उन्होंने बड़ी सेवा की है। अपने अनुभवों के आधार से भी मैं यह बात साबित कर सकता हूं। मैंने जबसे दलित वर्ग में काम की शुरूआत की तभी से पुरुषों के साथ–साथ महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। इसीलिए हमारी परिषदें 'मिश्र परिषदें' होती हैं यह आप पाएंगे। महिलाओं की प्रगति के आधार से मैं उस समाज की प्रगति को नापता हूं। इसलिए आज यहां इक्ट्ठा समुदाय को देख कर मुझे इस बात का यकीन होता है कि हमने प्रगति की है। आप जिन्हें अपने मन में संजोकर रख सकें ऐसी कुछ बातें मैं आपको बताता हूं।

साफ रहना सीखें। सभी दुर्गुणों से मुक्त रहें। अपने बच्चों को पढ़ाएं। उनके मन में धीरे–धीरे महत्वाकांक्षा जगाएं। उनके मन में यह भावना जगाएं कि वे महान पुरुष बनने वाले हैं। उनके मन की हीन भावना को मिटाएं। शादी करने की जल्दी न करें। शादी यानी जिम्मेदारी शादी के कारण आनेवाली आर्थिक जिम्मेदारी पूरी करने की क्षमता जब तक उनमें नहीं आती तब तक उन पर शादी लादें नहीं। शादी करने वालों को ध्यान में रखना होगा कि अति बच्चे होना दुष्टता है। अपने बचपन में मिली स्थितियों–सुविधाओं से बढ़कर स्थितियां–सुविधाएं अपने बच्चों को देना हर माता–पिता का कर्तव्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शादी–शुदा हर लड़की दोस्त बन कर पति के हर काम में उसका हाथ बटाएं। हालांकि उसे गुलामों की तरह बर्ताव करने से निश्चयपूर्वक इंकार करना होगा। समता के प्रति उसे आग्राही बनना होगा। इस उपदेश का आप पालन करें तो आपको मान–सम्मान मिलेगा और आपका नाम भी होगा। इतना ही नहीं आपके सम्मान और आपकी कीर्ति से दलित वर्ग को भी सम्मान और कीर्ति मिलेगी इसका मुझे यकीन है।

---

*डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के भाषण : संपादक– मा. फ. गांजरे, खंड 1, पुनर्मुद्रण 1986, पृष्ठ 94–95

198

*राजनीतिक समता के लिए जरूरी हैं स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार

20 जुलाई, 1942 को नागपुर में समता सैनिक दल को उद्देश्य कर डॉ. बाबासहेब अम्बेडकर ने कहा–

मध्य प्रदेश में खड़ा किया गया स्वयंसेवकों का यह विस्तृत दल देख कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले स्वयं सेवकों का यह विस्तृत दल 1926 में मुंबई में शुरू किया गया था। हमारे सामान्य आंदोलन का 'समता सैनिक दल' का विभाग है। हमारे आंदोलन का सचमुच यह एक मजबूत साधन है। अब हमारे आंदोलन के लक्ष्य और नीतियों में पूरी तरह और मौलिक बदलाव हुआ है। एक समय ऐसा था जब हमारा उद्देश्य था कि हमें हिंदू समाज के साथ जुड़े घटक होने के कारण हिंदू समाज में समता का स्थान प्राप्त हो, उसे प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य था। आज हालात बदल चुके हैं। आज हम हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में अलग और स्वतंत्र घटक हैं और हम सोचते हैं कि हमारा स्थान हिंदुओं की बराबरी का है। इस प्रकार हमारे आंदोलन के लक्ष्य और नीतियों के साथ-साथ समता सैनिक दल के लक्ष्य और नीतियों में भी बदलाव आया है। हिंदू समाज में समता प्राप्त करने के लिए दलित वर्ग की मांगों को प्रोत्साहन देना ही इस स्वंयसेवकों के संगठन निर्माण का मूलभूत उद्देश्य रहा है। जैसे कि नाम से ही सूचित होता है- दलित वर्ग को हिंदू समाज में समता का स्थान प्राप्त कराने के लिए ही इस दल की स्थापना की गई थी। आज वह हिंदुओं से पूरी तरह अलग हो चुकी और हिंदुओं की बराबरी में सामाजिक सत्ता हासिल करना उसका लक्ष्य है। हमें उम्मीद है कि धर्मांतरण के जरिए इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हमें कदम-कदम काम आगे बढ़ते जाना होगा। पृथक राजनीतिक अधिकारों की मांग कर पहले हमें राजनीतिक समता की मांग करनी पड़ेगी। इसी राह से हमें अपनी कोशिशों की पहल करनी होगी। यह बड़ा मुश्किल काम बन बैठा था क्योंकि हमारी राजनीतिक मांगों को व्यक्त करने के लिए दलित वर्ग को सुरक्षित सभास्थान मिल नहीं रहा था। एक समय ऐसा था कि यह नामुकिन था। काँग्रेस का संगठन इतना उदंड हो गया था कि मुंबई में वह किसी अन्य राजनीतिक दल को सभा आयोजित करने नहीं दे रही थी। कोई सभा आयोजित करने का साहस ही नहीं कर पाते थे क्योंकि काँग्रेस के स्वयंसेवक आकर ऐसी सभाएं ध्वस्त, तहस-नहस कर देते थे। इस दशहत का सामना करने के लिए हमने हमारे स्वयंसेवकों

---

*डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के भाषण : संपादक- मा. फ. गांजरे, खंड 1 पुनर्मुद्रित 1986, पृष्ठ 95-98

के मूल कर्तव्यों में हमने और बढ़ोतरी की। नई जिम्मेदारी के तहत अब समता सैनिक दल के स्वयं सेवकों को राजनीति में शामिल होकर कांग्रेस के स्वयंसेवकों के जुलमों और अत्याचारों से अपनी सभाओं की रक्षा करना। कांग्रेस के स्वयंसेवकों की धमकियों का सामना करने का तरीका कामयाब ठहरा। गोलमेज परिषद में हिस्सा लेने के लिए में जा रहा था तब का एक वाकया मुझे आज भी याद है। गोलमेज परिषद में मेरे हिस्सा लेने की आलोचना करने के लिए काँग्रेस ने दलित वर्ग के नाम से एक परिषद बुलाई गई थी। सभा में वे घोषणा करने वाले थे कि मैं दलित वर्ग का सच्चा प्रतिनिधि नहीं हूं। सभा के घटकों से मैंने कहा कि अगर यह सचमुच दलितों की ही सभा होने जा रही हो तो वे जो भी प्रस्ताव पारित करें, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आपकी यह सभा दलित वर्ग की नहीं है। लेकिन पहले से तय काम करने से उन्होंने इनकार किया। शाम के समय सभा हुई। लेकिन ऐन समय पर हमारे स्वयंसेवकों की एक टोली आई और उन्होंने काँग्रेस के स्वयंसेवकों की ऐसी की तैसी कर दी और सभा अपने कब्जे में ली। कुर्सी, टेबल और कालबेल वहीं छोड़ कर काँग्रेस के लोगों को जान बचा कर भागना पड़ा। वे कुर्सी, टेबल और कालबेल हमारे सैनिक अपने विजय की निशानी के तौर पर ले आए। हमारा स्वयंसेवक संघ मुंबई में सबसे अधिक बलवान है। आज तक किसी ने हमारे स्वयंसेवकों को चुनौती देने का साहस नहीं किया है।

बिना किसी को किसी तरह से परेशान किए अगर हमारे राजनीतिक आंदोलन हो रहे हैं तो उसके पीछे हमारे स्वयंसेवकों की शक्ति ही एकमात्र कारण है। उनकी कृतज्ञता का हम सब पर बड़ा ऋण है।

आपने मुंबई से यह कल्पना उधार में ली है लेकिन यह साफ दिखाई दे रहा है कि संघ के विस्तार के कार्य में आपने मुंबई को भी कहीं पीछे छोड़ दिया है। इस बारे में आपकी प्रशंसा करने का मन हो रहा है। आपकी बराबरी में आने के लिए मुंबई को अपने आपको जगा कर जोरदार कोशिश करनी होगी। स्वयंसेवी संगठन की आवश्यकता को लेकर मुझे पूरा विश्वास है। इस संगठन को जारी रखें, इतना ही नहीं हर प्रांतों में उसकी शाखाएं खोली जाएं और दलित वर्ग का हर युवक उसका सदस्य बनने तक उसका विस्तार होते रहने देना चाहिए। स्वयं सेवकों के ऐसे संगठन का विरोध करने वाले लोग हैं। वे खुद को 'अहिंसा को मानने वाले' बताते हैं और इन संगठनों और शक्ति प्रदर्शन का विरोध करते हैं। मैं खुद भी अहिंसा के सिद्धांत को मानता हूं। हालांकि अहिंसा और लीनता में फर्क करता हूं। लीनता यानी दुर्बलता और खुद अपने आप पर दुर्बलता को लाद लेना कोई अच्छा गुण नहीं है। उपनिषद में एक मेमने की कहानी है। वह भगवान के पास गया और उसने शिकायत की कि, ''भगवान, तुम सभी जीवों के पिता हो और इस नाते सभी जीव आपस में भाई-बहन हुए। उसके बावजूद सभी अन्य प्राणी मुझे खाने

पर उतारु हैं। ऐसा क्यों हैं?'' यहां भगवान के जरिए जो जवाब दिया गया है उस पर सोचा जाना चाहिए। भगवान कहता है, ''तुम इतने लीन और लजीज, गुलगुले दिखाई देते हो कि मुझे भी मोंह हो रहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊं''। इस कहानी के मेमने जैसी ही आज तक हमारी हालत थी। इसीलिए हर कोई हमें खा जाने का इरादा रखते थे। दुर्बलता के रूप में खुद अपने आप पर लादी लीनता कोई सद्‌गुण नहीं होता। मैं अहिंसा को जरूर मानता हूं लेकिन–

'दया तिचे नाव भूतांचे पालण।

आणिक निर्दालण कंटकांचे।।'

तुकाराम महाराज के इस कथनानुसार ही। तुकाराम ने दो बातों में अहिंसा होने की सार्थ बात कही है– पहली, सभी जीवों के प्रति प्रेम और दया भाव रखना; दूसरी, दुष्ट लोगों का नाश करना। अहिंसा के इस दूसरे पक्ष की ओर अक्सर नजरंदाजी हो जाती है और इसी कारण अहिंसा का सिद्धांत हास्यास्पद हो जाता है। बुरे का नाश करना अहिंसा तत्व का महत्वपूर्ण घटक है। उसके बगैर अहिंसा यानी केवल छिलके। केवल कल्पना का सुख। व्यवहार में इस्तेमाल योग्य वह कहीं बचता नहीं। जब तक दूसरों को दुख पहुंचाने की दुष्ट इच्छा हम नहीं पालते और जब तक केवल दुष्टों के नाश तक ही अपने को सीमित नहीं करते तब तक शक्ति की उपासना के खिलाफ और शक्ति के संगठन के खिलाफ हम शिकायत नहीं कर सकते। विवेक से नियंत्रित शक्ति हमारा आदर्श है। किसी भी तरह की आलोचना पर ध्यान देने की आपको कोई जरूरत नहीं है।

अविचार से किसी को भी दुख से बचें। जिसे तुम्हारी मदद की आवश्यकता हो उसकी हर तरह से मदद करें। इस तरह आप हमारे लोगों की बड़ी सेवा करेंगे। आज तक आपका काम मुख्यतया हमारे राजनीतिक जीवन को सहारा देना ही रहा है। इसके अलावा आपके कार्य के विस्तार के लिए कई और क्षेत्र हैं। शहर में अक्सर सुनने में आता है कि कोई बदमाश महिला को अगवा कर ले गए। गांवों में हिंदू जाति से हमारे लोगों पर अत्याचार की बातें हमेशा सुनने में आती हैं। आपकी शक्ति यहां काम आ सकती है। केवल आपके तरह का संगठन ही सहायता कर पाएगा ऐसे ये हालात हैं।

मुझे खुशी है कि आपने अखिल भारतीय दलित वर्ग स्वयं सेवक दल के अधिवेशन का निर्णय लिया। यह बड़े आनंद की बात है। वह अगर सफल हो तो उसके परिणाम अत्यंत हितकारी होंगे। मैं आपके सुयश की कामना करता हूं।

यहां मुझे अपने चार शब्द कहने का मौका देने के लिए मैं आपके और आपके अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट करता हूं।

199

*तीन बातें मैं होने नहीं दूंगा

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने वॉयसरॉय के कार्यकारी मंडल में** कल अधिकार ग्रहण किया। उसके बाद आज यानी 21 जुलाई, 1942 को नेशनल सीमेंस यूनियन, मुंबई की ओर से ताजमहल होटल में हुए सम्मान समारोह के समय मजदूर विभाग के मंत्री के नाते उन्होंने पहला भाषण मुंबई में दिया।

उन्होंने बताया कि वे खुद मजदूर वर्ग से हैं और जो मजदूरों की भावनाएं और आकांक्षाएं हैं वही उनकी अपनी भावनाएं और आकांक्षाएं हैं। आगे उन्होंने कहा–

जिस कार्यकारी मंडल पर आपकी नियुक्ति हुई है वह मुख्यत: युद्ध–कोशिशों के लिए है। वह लोकमतानुवर्ती पक्षों का न होकर संमिश्र तरह का है। इसलिए यहां के बहुमत पर कई बातें निर्भर हैं।

हालांकि किसी भी तरह से मैं तीन बातें निश्चित रूप से होने दूंगा। पहली–आज जो कामगारों का जीवन–स्तर है उसे घटने नहीं दूंगा और सुव्यवस्थित और सुसंस्कृत ढंग से वे जी सकें इतनी वृद्धि उसमें लाने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात है– राष्ट्रीय युद्धों में अन्यों की अपेक्षा कामगारों पर अधिक स्वार्थत्याग का बोझ अधिक ना आए इसका ख्याल रखूंगा। तीसरी बात यह कि मुश्किल हालात में अस्थायी रूप से कुछ नियंत्रण अगर मजदूरों को स्वीकारने भी पड़ें तो मजदूरों की आजादी पर अंकुश लगाने वाले ऐसे नियंत्रणों को मैं कानून की किताब में शामिल नहीं होने दूंगा। उन्होंने इस बात का आश्वासन भी दिया कि कभी अगर मालिक और मजदूर में कोई झगड़ा हो तो हमारी सहानुभूति मजदूरों के साथ ही होगी।

नेशनल सीमेंस यूनियन की ओर से डॉ. अम्बेडकर का सम्मान करते हुए मि. मिर्जा अख्तर हुसैन और खा. ब. महंमद इ. साईत ने हिंदी खलासियों की मुश्किलें, कठिनाइयां और शिकायतें उनके सामने व्यक्त की थीं। उन्हें जवाब देते हुए डॉ अम्बेडकर ने सूचना की कि वे उनकी शिकायतें अधिकृत ढंग से भेजें। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान का किनारे पर कभी भी दुश्मन का हमला हो सकता है इसलिए सुरक्षा के नजरिए से इस देश के खलासी और नाविकों को सैनिकों से अधिक महत्व प्राप्त है।

इस सम्मान समारोह में कई प्रतिष्ठित, आमंत्रित और स्थानीय अधिकारी उपस्थित थे।

---

* दै. नवा काल, मुंबई : 23 जुलाई, 1942

** 20 जुलाई, 1942 के दिन वॉयसरॉय का दूत संदेश लेकर बाबासहेब अम्बेडकर से मिलने नागपुर आया उसी दिन उन्होंने तार भेज कर खबर दी कि उन्होंने श्रम मंत्रालय का कार्यभार सम्भाला है। संदर्भ– डॉ. अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन, लेखक धनंजय कीर, 3 रा. संस्करण, पृष्ठ 353

200

*केवल स्वराज मिलने में फायदा नहीं, महत्वपूर्ण यह भी है कि वह किसके हाथ में रहेगा

इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर के सामने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का भाषण हुआ।

अपने भाषण में उन्होंने कहा–

हिंदी मजदूर आंदोलन आमूलाग्र खोखला है। यह आंदोलन केवल सतही तौर पर चल रहा है। इसीलिए मजदूर नेता आत्मनिरीक्षण कर इस आंदोलन के संगठन में जो दोष हैं उसे हटा दें। मजदूर आंदोलन का असल उद्देश्य देश में 'मजदूर सरकार' की स्थापना करना है। पूंजीपति मालिकों के आगे विनती करने वाला या अर्जी देने वाला संगठन मजदूर आंदोलन नहीं है। इससे मजदूरों से अधिक पूंजीपतियों का संगठन होने की अधिक संभावना है। आज तक कभी सुनने में नहीं आया कि किसी मजदूर नेता ने मजदूरों की सरकार स्थापन करने की घोषणा की हो। अन्य राजनीतिक संगठनों से मजदूर संगठन अपने को अलग कर ले और विचार तथा कृति के जरिए अपनी संगठित आजादी स्थापित करें। मजदूर आंदोलन अपनी आकांक्षाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त करे। केवल मजदूरों के हित के लिए देश की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए मजदूर नेता कटिबद्ध हों। केवल 'स्वराज' पाकर कुछ फायदा नहीं, 'स्वराज' किसके हाथ जाएगा यह अधिक महत्वपूर्ण है।

---

*नवयुग, 16 मई, 1943
अंक में सभा की तारीख और स्थान नहीं दर्शाया है–संपादक

201

*....तो सुसंस्कृत और सुखी जीवन प्राप्त होने का व्यक्ति का मूलभूत अधिकार प्रस्थापित होगा

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स में भाषण देते हुए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा–

साम्राज्य लोभ, वर्णद्वेष और दरिद्रता ये तीन बड़ी अड़चनें हैं जो दुनिया में हमेशा के लिए शांति प्रस्थापित होने की राह के अड़ंगे हैं। राष्ट्र की सामर्थ्य बढ़ाना पहले दो अड़ंगों से निजात पाने का उपाय है। दुर्बल राष्ट्र के हमेशा गुलामी में ही रहना पड़ता है। इसीलिए दुर्बल देशों को सामर्थ्यवान बनना होगा। पश्चिमी देशों की आर्थिक वर्चास्विता के कारण वर्णवर्चास्विता निर्माण हुई है। हिंदुस्तान के सुप्त औद्योगिक और आर्थिक सामर्थ्य का संपूर्ण विकास कर वर्णविद्वेश की समस्या से पार पाया जा सकता हे। युद्धोत्तर दुनिया में दरिद्रता की समस्या बनी रहेगी यह संभव नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र में आमूलाग्र क्रांति होगी और उससे धन जोड़ने के हक से अधिक व्यक्ति को सुसंस्कृत और सुखी जीवन मिलने का मूलभूत अधिकार पहले प्रस्थापित होगा।

---

*नवयुग : 16 मई, 1943
अंक में सभा की तारीख नहीं दर्शाई है– संपादक

202

*सरकार पर कब्जा करना कामगारों का लक्ष्य हो

'द इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर' संस्था की ओर से 8 से 17 सितम्बर, 1943 दरमियान दिल्ली में 'द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन वर्कर्स स्टडी कैंप' आयोजित किया गया था। 17 सितम्बर, 1943 को हुए इस कार्यक्रम के आखिरी सत्र में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने भाषण किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा-

आपके सचिव साहब ने मुझसे कहा कि मैं आपसे दो शब्द कहूं इसका मुझे बहुत आनंद है। दो वजहों से मैं इस उधेडबुन में था कि मुझे यह आमंत्रण स्वीकारना चाहिए या नहीं। ऐसा है कि सरकार के लिए वचनकारी हो ऐसा कुछ मैं बोल नहीं पाऊंगा। दूसरी बात यह है कि, कामगारों की आर्थिक मांगों के जिस मसले में आपकी दिलचस्पी है उसके बारे में भी मैं बहुत कम बोल पाऊंगा। सच बताऊं तो मेरे हां कहने तक आपके सचिव वहां से हिलने के लिए ही तैयार नहीं थे इसीलिए मैंने हां कही। जाहिर है कि मुझे यह भी लगा था कि श्रमिक आंदोलनों के बारे में मेरे मन में जो विचार आते हैं उन्हें व्यक्त करने का यह अच्छा मौका है। और कामगारों के आर्थिक मसलों को लेकर होने वाले आंदोलनों में ही जिनकी दिलचस्पी होती है उन्हें भी मेरी राय का हो सकता है कुछ हिस्सा सही लगे।

हालांकि इस मसले का आज का स्वरूप जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मानव समाज की शासन प्रणाली में कई महत्वपूर्ण फर्क आए हैं। एक जमाना ऐसा था कि जब जुल्मी राजाओं की अनियंत्रित सत्ता ही सरकार का एकमात्र स्वरूप था। कई सालों के खूनी संघर्ष के बाद हालात बदले और संसदीय जनतंत्र आय। यह पद्धति सभी शासन प्रणालियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। विश्वास था कि हर मानव को आजादी, संपत्ति और सुख प्राप्त करने का अधिकार देने वाला सहस्त्रक हम निर्माण करने जा रहे हैं। इस उम्मीद को जगाने वाले कुछ कारण भी थे। जनता की अव्यक्त इच्छाओं को मूर्त स्वरूप देने वाला विधिमंडल इस पद्धति में है। उसके लिए जिम्मेदार कार्यकारी मंडल है और उससे परे इन दोनों पर ध्यान रख कर उन पर नियंत्रण रखने वाला न्याय मंडल भी है। विधिमंडल और कार्यकारी मंडल नियंत्रण रखते हुए उन्हें अधिकार क्षेत्र में रखने के लिए न्यायपालिका है। 'लोगों की, लोगों द्वारा लोगों के लिए चलाई गई सरकार' आदि

---

* श्री रमेश शिंदे के सौजन्य से प्राप्त एक छपा हुआ पत्रक। प्रकाशक मणिबेनकारा, स्वागतध्यक्ष, वार्षिक परिषद, हिंदी कामगार फेडरेशन, रतिलाल मेंशन, पारीख स्ट्रीट, गिरगांव, मुंबई-4

लोकप्रिय सरकार की सभी खासियतों संसदीय जनतंत्र में हैं। जनता के वास्तविक राज के लिए जरूरी सभी गुण इस पद्धति में दिखाई देते हैं। इसीलिए सार्वजनिक रूप से इस प्रणाली के लागू होकर अभी पूरा शतक भी नहीं गुजरा और उसे लेकर सब दूर हल्ला मचा हुआ देखकर आश्चर्य महसूस होना स्वाभाविक है। इटली, स्पेन, जर्मनी हो या रूस इन सभी देशों में इस पद्धति के खिलाफ जोरदार विद्रोह हुए हैं। वैसे दखा जाए तो ऐसे बहुत कम देश है जिनमें इस प्रणाली को लेकर शिकायतें नहीं है। ऐसा क्यों है यह सोचने की बात है। अन्य किसी भी देश में इस सवाल पर सोचने की जितनी जरूरत है उससे अधिक वह भारत में हैं। चर्चा है कि भारत में संसदीय जनतंत्र होना चाहिए। लेकिन किसी बेलाग व्यक्ति के निर्भयता के साथ यह बताने की जरूरत है, 'इस राह को अपनाने में जोखिम हैं। पहली नजर में लगता है उसके अनुसार यह पद्धति सर्वोत्तम नहीं।''

संसदीय जनतंत्र असफल क्यों हुआ? तानाशाहों के राष्ट्रों में वह इसलिए सफल रही क्योंकि इसे फटाफट काम करने की आदत नहीं। लेटलतीफी पर उसने मानों कसम खाई है। जो कानून बनाना विधिमंडल को जरूरी लगता है उन्हें बनाने से विधिमंडल इंकार कर सकता है। विधिमंडल अगर उनहें स्थगित न करे तो न्यायपालिका उन्हें गैर–कानूनी करार देकर स्थगित कर सकती है। संसदीय जनतंत्र में तानाशाही की कोई जगह नहीं। तानाशाही वाले इटली, स्पेन और जर्मनी जैसे देशों में संसदीय जनतंत्र अविश्वसनीय संस्था मानी जाती है। लेकिन अगर तानाशाह ही इस प्रणाली की बुराई करते होते तो अलग बात होती क्योंकि तानाशाहों द्वारा किया गया जनतंत्र का विरोध सही मायनों में विरोध नहीं कहा जा सकता। उल्टे, तानाशाही पर प्रभावी नियंत्रण रख पाएगी इसलिए भी लोकतांत्रिक प्रणाली का स्वागत किया जाएगा। दुर्भाग्य से जिन देशों के लोग तानाशाही का विरोध करते हैं वहां भी संसदीय जनतंत्र को लेकर असंतोष है। संसदीय जनतंत्र के लिए यह स्थिति चिंताजनक है। वह अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और दुखदायी इसलिए है क्योंकि संसदीय जनतंत्र की गति थमी नहीं है। तीन दिशाओं में उसका विकास हुआ है। उसकी सभी व्यक्तियों के लिए समान राजनीतिक अधिकार हों इस सोच में निरंतर वृद्धि हुई है। इतनी वृद्धि हुई है कि इस प्रणाली को अपनाने वाले हर राष्ट्र में सभी को सार्वजनिक मतदान के तहत मतदान का अधिकार है। दूसरी बात यह है कि इसमें आर्थिक और सामाजिक समता को मान्यता मिली हुई है। तीसरी बात यह है कि, यह भी माना जा चुका है कि समाजविरोधी संगठित संस्थाएं अपने उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए घेरेगी नहीं।

संसदीय जनतंत्र ने आर्थिक विषमता पर ध्यान नहीं दिया। साथ ही, इस बात के बारे में भी नहीं सोचा कि करार की आजादी कहीं उन दलों के लिए अन्यायकारी तो साबित नहीं हो रही? करार करने की आजादी के कारण दुर्बलों को उनके हकों से वंचित

रखने का मौका सशक्तों को मिला है इस बारे में भी नहीं सोचा गया है। इसके बावजूद जनतंत्र को अपनाने वाले कई राष्ट्रों में इस प्रणाली को लेकर असंतोष है। जाहिर है कि यह विरोध तानाशाही के विरोध से अलग है। बहुत अधिक विस्तार में न जाते हुए संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि आम जनता को सुख, संपत्ति स्वतंत्रता का लाभ इस प्रणाली के जरिए अभी भी नहीं होता है यही अहसास इस असंतोष की जड़ है। अगर यह सच हो तो संसदीय जनतंत्र की असफलता के कारण हमें जानने होंगे। मेरी राय में इस असफलता के कारण गलत सोच और संगठन दोष हैं।

सोचने के गलत तरीकों के दो उदाहरण मैं आपको देता हूं। इस प्रणाली में करार की आजादी को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इसी कारण यह पद्धति असफल रही। आजादी के बहाने में इसे बढ़ा-चढ़ाया गया। उस दौरान सामाजिक विषमता और उसके परिणामों के बारे में सोचा नहीं गया। विषम पक्षों में जब करार किए जाते हैं तब वे अन्यायपूर्ण होते हैं इस बात को नजरंदाज किया गया। इससे सबलों को दुर्बलों को फंसाने का मौका मिलता है इसकी किसी ने परवाह नहीं की। परिणामस्वरूप, आजादी दिलाने वाले संसदीय जनतंत्र ने गरीबों के दुखों में इजाफा किया।

इस सोच में एक और खामी थी। कोई यह नहीं समझ पाया कि सामाजिक और आर्थिक क्षमता न हो तो केवल राजनीतिक समता का कोई फायदा नहीं। कुछ लोग मेरे इस कथन से असहमत हो सकते हैं लेकिन उनमें मैं यह पूछना चाहता हूं कि इंग्लैंड और अमेरिका देशों में संसदीय जनतंत्र असफल नहीं रहा लेकिन इटली, जर्मनी, एशिया में वह असफल रही। ऐसा क्यों? ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि वहां आर्थिक और सामाजिक जनतंत्र अधिक था। असल में जनतंत्र के मायने हैं समता। संसदीय जनतंत्र ने आजादी की जयकार जरूर की लेकिन वास्तव में असली समानता से सरसरा परिचय भी प्राप्त नहीं किया। समता का महत्व समझ न पाने के कारण वह आजादी और समता का मेल नहीं करा सका। परिणामस्वरूप आजादी के अंग समता नष्ट हुई और विषमता बढ़ी।

हालांकि सोच की त्रुटियों से अधिक संगठन की त्रुटियों के कारण असफलताओं का मुंह देखना पड़ा है। सभी राजनीतिक समाज को शासनकर्ता और जनता इन दो वर्गों में बांटते हैं यह दुर्भाग्य की बात हैं बात यहीं तक सीमित रहती तब भी गनीमत थी, लेकिन बात और आगे बढ़ती है और ये दो वर्ग इस कद विभाजित रहती हैं कि समाज के विशिष्ट वर्ग से ही राज्यकर्ता चुने जाते हैं। आम जनता अपनी जगह ही रह जाती है। जनता राज नहीं चलाती वह केवल शासन संस्था की स्थापना करती है। उसके बाद वह निर्लिप्त रहती है। भूल जाती है कि वह उसका राज्य है। इस कारण संसदीय जनतंत्र कभी जनता के राज्य की स्थापना नहीं कर पाया। संक्षेप में, ब्राह्य रूप भले जनता के राज का हो, असल में वह परंपरागत रूप से चला आया एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर

शासन ही है। इन दोनों के कारण ही संसदीय जनतंत्र असफल रहा। जनता की सुख की कामना पूरी नहीं कर सका।

फिर सवाल यह उठता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? गरीबों का, जनता का, दलितों का, श्रमिकों का संसदीय जनतंत्र ने हित नहीं किया यह बात सच है। लेकिन इसके लिए खुद वही जिम्मेदार हैं। ऐसा है कि, मानवी जीवन की नींव आर्थिक है यही क्या वे नहीं भूले हैं? हाल ही में मैंने 'आर्थिक मानवाचा मृत्यु' (अर्थ–आर्थिक मानव की मृत्यु) नाम की किताब देखी। लेकिन आर्थिक मानव अभी तक जब पैदा ही नहीं हुआ है तो उसकी मौत का सवाल ही नहीं उठता। केवल अनाज के सहारे इंसान जीता नहीं है। मार्क्स के समीक्षकों द्वारा उसे जो उलाहना दिया – दुर्भाग्य से वह सही है। कार्लाईल ने जो कहा है उससे मैं सहमत हूं कि सुअर की तरह मोटा होते जाना ही मानवी संस्कृति का लक्ष्य नहीं है। लेकिन मोटे होना तो दूर, कामगारों को भरपेट खाना तक नसीब नहीं होता। मैं तो यह कहता हूं कि, बाकी सभी बातों को छोड़कर कामगारों को पहले अपने अनाज के बारे में ही सोचना चाहिए।

मानवी जीवन की नींव आर्थिक है और इसीलिए आर्थिक हालात के अनुसार ही इतिहास बनता है यह सोच कार्ल मार्क्स ने जब से दुनिया के सामने रखी तब से उस सोच को लेकर कई विवाद हुए है। मेरी राय में एक सिद्धांत के रूप में ही केवल उसने यह सोच प्रस्तुत नहीं की है बल्कि उसके जरिए कामगारों को सीख दी है कि जिस प्रकार वरिष्ठ वर्ग आर्थिक मसलों को प्रधानता देते है उसी प्रकार अगर कामगार भी दें तो इतिहास आर्थिक जीवन का प्रतिबिंब बनेगा। आर्थिक स्थितियों का समाज की रचना पर जो प्रभाव है उसका महत्व पर कामगारों ने कभी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए मार्क्स का सिद्धांत हमें कभी सच नहीं लगता। शासन पद्धतियों से संबंधित साहित्य उन्होंने पढ़ा नहीं है रूसो की 'सामाजिक करार' The Social Contract Liberty मार्क्स की 'कम्युनिस्ट घोषणा–पत्र' Communist Manifesto 13वें पोप लुई की 'कामगारों की स्थिति' और जॉन स्टुअर्ट मिव की 'स्वतंत्रता' Liberty ये चार किताबें श्रमिकों को पढ़नी ही चाहिए। लेकिन मैं पक्का जानता हूं कि श्रमिक इस बात को महत्व ही नहीं देंगे। राजा और रानी की कहानियां पढ़ने का शौक उन्होंने शुरू से ही पाल रखा है।

असल में उनका अपराध इससे भी गंभीर है। राज्य पर कब्जा करने की कल्पना तक अब तक उनके मन में पैदा नहीं हुई है। इतना ही नहीं, वे यह बात नहीं पा रहे हैं कि अपनी हित साधना के लिए शासन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। वे इस बात पर सोचते ही नहीं। आज तक की बेहद दुर्भाग्य की घटनाओं में से यह भी एक घटना है। उनका पूरा संगठन कौशल केवल ट्रेड यूनियन जैसी आर्थिक मांगों तक सीमित संस्थाओं में खर्च हो रहा है। मैं खुद ट्रेड यूनियनों के खिलाफ नहीं हूं। वे उपयोगी हैं इस बात से मुझे

इंकार नहीं है। लेकिन यह बात भी सच है कि उनकी उपयोगिता सीमित है। श्रमिकों की सभी समस्याएं वे हल नहीं कर सकतीं। भले कितनी भी संगठित और बलवान ही क्यों न हों पूंजीपतियों को वे पूंजीवादी समाज व्यवस्था को बेहतर ढंग से चलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकतीं। उनके साथ अगर मजदूरों की सरकार की ताकत होती तो बात अलग होती। इसीलिए श्रमिकों को सत्ता प्राप्त करने का एक मात्र लक्ष्य पालना चाहिए। वरना ट्रेड यूनियन की पूरी ताकत कार्यकर्ताओं के टंटे निपटाने में ही खत्म होगी। कामगारों के हित की बात उपेक्षित रह जाएगी।

राष्ट्रवाद के नाम से लोग उन्हें अलग राह पर भी ले जा सकते हैं। श्रमिकों का यह तीसरा बड़ा दोष है। पहले ही वे गरीबी का सामना कर रहे हैं, राष्ट्रवाद के नाम से उन्हें सब कुछ त्यागना पड़ता है।

हालांकि, एक और बात के बारे में उन्होंने पहले से नहीं सोचा है और वह बात है–श्रमिकों के स्वार्थ त्याग से राष्ट्रवाद की विजय होने के बावजूद क्या श्रमिकों को आर्थिक और सामाजिक समता मिलेगी इस बात पर उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। उनके त्याग पर जो राष्ट्रवाद पलता है वही उनका प्रमुख दुश्मन बनता है। उनका सबसे अधिक शोषण इसी कारण होता है।

इसीलिए, कामगार अगर संसदीय जनतंत्र के तहत ही रहना चाहते हों तो उन्हें उस व्यवस्था का उपयोग अपने लिए सर्वाधिक करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए हिंदुस्तान को दो बातों की जरूरत है–(1) केवल आर्थिक मांगों के लिए ट्रेड यूनियन की स्थापना करने का लक्ष्य रखने के बजाय सरकार बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। अर्थात्, इस दल का एक काम यह भी होगा कि वह ट्रेड यूनियन को मजबूत बनाएगा। ऐसे दल को चाहिए कि वह कामगारों के प्रतिनिधि कहलाने वाले कार्यकर्त्ताओं के एकाधिकार को खत्म करे। साथ ही थोड़े और तात्कालिक लाभ के लिए अंतिम लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करने की मानसिकता को त्याग देना चाहिए। साथ ही उसे हिंदू महासभा या काँग्रेस जैसे जातीय और पूंजीवादी राजनीतिक पार्टियों से निर्लिप्त रहना होगा। भले ये दल जताते हों कि वे हिंदुस्तान की आजादी के लिए वे लड़ रहे हैं, उनके दिखावटी रूप से प्रभावित हुए बगैर उनसे अलग रहना होगा। काँग्रेस और हिंदू महासभा के चंगुल से छूटेंगे तो हिंदी आजादी की लड़ाई में वे दुगुने जोश के साथ शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रवाद के नाम से मची धोखाधड़ी को भी रोका जा सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए उपलब्ध मार्गएक ही है– अपने राजनीतिक दल की स्थापना करना। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यही है कि इससे हिंदू राजनीति में बुद्धिवाद का अभाव कम होगा। काँग्रेस इतराती है कि उसकी राजनीति क्रांतिवादी है। कुछ लोग इसी कारण उसके अनुयायी बन जाते हैं यह बात सच है। हालांकि आगे उसे कुछ हासिल नहीं होता यह बात भी उतनी ही सही है। वजह यही है कि प्रतिस्पर्धियों के अभाव में काँग्रेस में कभी बुद्धिवाद नहीं

पनपा। पिछले 20 वर्षों की यह कमी कामगारों के दल से पूरी होगी।

हिंदी श्रमिकों को एक और बात सीखनी होगी। उन्हें जानना होगा कि 'बिन ज्ञान सब शून्य' ज्ञान के बगैर कोई सामर्थ्य नहीं। वे जब अपना मसला लेकर लोगों के सामने जाएंगे तब लोग उनसे यह जरूर पूछेंगे कि क्या राज चलाने की उनमें काबिलियत है? उस वक्त यह जवाब देकर काफी नहीं होगा कि हमसे ज्यादा से ज्यादा उतनी ही गलतियां होंगी जितनी बाकी लोगों से होती रही हैं। उन्हें दूसरे आगे जाकर यह साबित करना होगा कि ऊंचे वर्ग से भी वे अधिक कुशल राजनीतिज्ञ हैं। कामगारों की शासनप्रणाली अन्य वर्गों की तुलना में मुश्किल ही होगी क्योंकि आर्थिक योजना की बुनियाद पर बनेगा। अन्य पद्धतियों से इसमें ज्ञान की जरूरत अधिक है। दुर्भाग्य यह है कि हिंदी श्रमिकों को अब तक पढ़ाई की जरूरत का अभी तक पता नहीं चला है। मिल मालिकों को गालियां देने के अलावा श्रमिक कार्यकर्ताओं ने अभी तक कुछ सीखा नहीं है।

इस कमी को पूरा करने के लिए पढ़ाई-मंडल स्थापन का काम किया है इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर ने यह बड़ी संतोषजनक बात है। इसी के सहारे श्रमिकों में राज चलाने की काबिलियत पैदा होगी। कामगारों का पृथक पक्ष स्थापन करने की जरूरत से इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर सहमत होगा। मुझे यही उम्मीद है। श्रमिकों में शासकों की योग्यता निर्माण करने के लिए वे फेडरेशन को धन्यवाद देंगे।

203

*हर जगह समता सैनिक दल की शाखाएं स्थापन कर अपनी शक्ति बढ़ाएं

अखिल भारतीय समता सैनिक दल का दूसरा अधिवेशन कानपुर में रविवार, 30 जनवरी, 1944 की सुबह हुआ। अध्यक्ष स्थान पर थे श्री बी. के. गायकवाड़। परिषद में मुंबई, महाराष्ट्र, मध्यप्रांत, गुजरात, पंजाब, बंगाल, मद्रास, संयुक्त प्रांत साथ ही हैदराबाद, ग्वालियर, कोलहापुर, इंदौर, उज्जैन आदि रियासतों से सैंकड़ों प्रतिनिधि आए थे। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर श्री शिवराज, महासचिव श्री पी. एन. राजभोज, प्यारेलाल कुरील तलीब आदि नेताओं के भाषण हुए।

सबसे पहले नागपुर के श्री आर. आर. पाटील ने समता सैनिक दल की मुंबई और नागपुर शाखाओं में हो रहे कार्य की जानकारी देने वाली रिपोर्ट पढ़ी। उसके बाद परिषद के अध्यक्ष श्री भाऊराव गायकवाड़ का भाषण हुआ। उनके बाद डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का भाषण हुआ जिसमें उन्होंने कहा–

समता सैनिक दल के मेरे शूर सैनिकों,

आज संयुक्त प्रांत में दल का यह दूसरा अधिवेशन हो रहा है। पिछले 17 सालों से मुंबई और मध्य प्रांत में दल का काम बड़े जोरों से चल रहा है। इन दोनों प्रांतों में समता दल के दस हजार से अधिक श्रेष्ठ सैनिक खड़े हैं। कुछ साल पूर्व तक मेरे मुंबई प्रांत में हमारे अथवा अन्य पक्षों की सार्वजनिक सभाएं कॉँग्रेस के गुंडे भंग कर दते थे। 1927 में मेरे हाथों इस दल की स्थापना की गई। उस दिन से आज तक हमारी सभा में कॉँग्रेस के गुंडे या किसी मवाली ने घुसने की हिम्मत नहीं की है। एक बार मेरे दफ्तर के सामने विरोधी पार्टी की बड़ी सार्वजनिक सभा हो रही थी। उस सभा में हमारी पार्टी के सैनिक गए और उन्होंने वहां की बत्तियां, टेबल-कुर्सियां उठाई और लाकर मेरे दफ्तर में डाल दीं। अभी भी वह समान मेरे पास वैसे ही पड़ा हुआ है। वे चीजें हमारे सैनिकों के कार्य का प्रतीक हैं। बताने का केवल यही उद्देश्य है कि हमारे सैनिक इतने अधिक रौबदार और कर्तृत्ववान हैं। वे जब ठान लेते हैं तब उनको सोंपी गई जिम्मेदारी को पलक झपकने की देर में पूरा कर देते हैं इसका मुझे विश्वास है। इसीलिए लक्ष्य के लिए समर्पित इस दल की शाखाएं हर प्रांत में, हर शहर में, गांवों में स्थापन कर हमें अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए।

---

* 6 जनवरी, 1945

इसके बाद श्री प्यारेलाल कुठील तलीब एम.एल.ए. (सेंट्रल एसेंबली) का भाषण हुआ। उन्होंने कहा, ''अभी डॉ. बाबासाहेब ने अपने भाषण में जो कहा उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। आगामी अधिवेशन से पूर्व मैं अपने संयुक्त प्रांत में दस हजार से अधिक सैनिकों को तैयार करूंगा।'' श्री पी. एन. राजभोज और अन्य वक्ताओं के भाषण ों के बाद इस परिषद में निम्नांकित प्रस्ताव पारित किए गए-

प्रस्ताव 1: देश के विभिन्न हिस्सों में उपस्थित, अस्पृश्य वर्ग के सभी स्वयंसेवी संगठनों को एकजुट करने के बारे में तथा उससे समता सैनिक दल में शामिल होने की विनती करना।

प्रस्ताव 2 : अखिल भारतीय दलित वर्ग फेडरेशन के विभिन्न घटकों को अपने इलाके में समता दल की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए स्वयंसेवी समूह स्थापन कर उनका संगठन बनाने के बारे में संगठन की पक्की राय की यह परिषद घोषणा करती है।

प्रस्ताव 3 : परिषद की विनती है कि अखिल भारतीय दलित फेडरेशन के सभी घटक अपने स्वयं सेवकों को जरूरी प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षा केन्द्र और छावनियां खोलें।

प्रस्ताव 4 : परिषद की पक्की राय है कि भारत सुरक्षा कानून के तहत स्वयंसेवी संस्थ. ाओं पर लादे गए निर्बंधन अनिष्ट और असमर्थनीय है। 'समता सैनिक दल' जैसी फैसिस्ट विरोधक स्वयंसेवी संगठन के विकास पर इस निर्बांध के कारण बेवजह रोक लगती है। इसलिए परिषद की मांग है कि इन निर्बंधों को तुरंत असर के साथ रद्द कर किया जाए।

प्रस्ताव 5 : हाल ही में हुए अखिल भारतीय दलित फेडरेशन के अधिवेशन में जो प्रसताव पारित किए गए उन सभी प्रस्तावों को इस परिषद का समर्थन है।

प्रस्ताव 6 : (क) दल का संविधान बनाने के लिए यह परिषद आगे गिनाए जा रहे लोगों की एक समिति का गठन करती है-(1) श्री बी. के. गायकवाड़ (अध्यक्ष), सदस्य, (2) श्री एम. एम. ससालेकर, (3) श्री एस. बी. जाधव, (4) श्री आर. आर. पाटील, (5) श्री के. एन. वाल्मिकी, (6) श्री ए. एल. कोसारे, (7) श्री पी. एल. ललिंगकर

(ख) वर्किंग कमेटी आगामी वर्ष के लिए (1944-45) आगे दिए गए व्यक्तियों को नियुक्ति करती है-(1) श्री बी. के. गायकवाड़ (अध्यक्ष, महराष्ट्र) (2) श्री एम. एम. ससालेकर (महासचिव, मुंबई), (3) श्री आर. आर. पाटील (अस्टिेंट सेक्रेटरी, मध्य प्रांत), सदस्य, (4) श्री के. एम. वाल्मिकी (संयुक्त प्रांत), (5) श्री ए. एल. कोसारे (मध्यप्रांत), (6) श्री पी. परमार (गुजरात), (7) श्री एस. बी. जाधव (मुंबई), जिन प्रांतों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए जरूरी सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार इस परिषद द्वारा वर्किंग कमेटी को दिए जा रहे हैं। उपर्युक्त प्रस्ताव पर विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधियों के भाषण होने के बाद दोपहर दो बजे परिषद का अधिवेशन समापत होने की अध्यक्ष द्वारा घोषणा की गई।

204

*सत्ता के समान विभाजन के बगैर स्वराज का क्या मतलब?

30 जनवरी, 1944 को कानपुर में रा. ब. एन. शिवराज की अध्यक्षता में अखिल भारतीय शेड्यूल्ड कास्ट्स् फेडरेशन का दूसरा अधिवेशन हुआ। इस अवसर पर डॉ. बा. बासाहेब ने अपने भाषण में कहा–

''बहनों और भाइयों,

आज की परिषद प्रतिनिधिक है। इसमें हिस्सा लेने के लिए हिंदुस्तान के लगभग सभी प्रांतों से लोग आए हुए हैं। बंगाल और असम के हमारे प्रतिनिधि नहीं आ सके क्योंकि वे जापान के साथ चल रहे युद्ध में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। परिषद के लिए आए इतने सारे लोगों को देखकर मुझे संतोष महसूस हो रहा है। हालांकि आज यहां उपस्थितों में महिलाओं की संख्या कम है। हमारे महराष्ट्र और सी. पी. में, मध्य प्रांत में किसी भी सभा में हजारों की संख्या में महिलाएं उपस्थित रहती हैं। हमारी तरफ महिलाएं पर्दा नहीं करती। पति और पत्नी दोनों सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं। उसी तरह आप लोगों को भी साथ-साथ हिस्सा लेना चाहिए। उसके बगैर हमारे समाज का विकास संभव नहीं।

आज हमने जो आंदोलन छेड़ा है वह बड़े पैमाने पर होना चाहिए। साथ ही, हमें यह जानना समझना होगा कि हमारे आंदोलन का मूल तत्व क्या है? अस्पृश्यों की हालत के बारे में आप सब लोग जानते हैं 2000 वर्षों से हमारी हालत इतनी बुरी रहने की वजह क्या है? कब से हमारी स्थितियां बिगड़ने लगीं? वे कब संभलेंगे? हमारी बुरी स्थिति की सबसे बड़ी वजह हिंदू धर्म में छुआछूत को ही धर्म माना जाता है। उसे ही हिंदू धर्म की मूल बुनियाद माना जाता है। हिंदू धर्म में अस्पृश्यों की पढ़ाई पर पाबंदी है। शिक्षा पाना बड़ा मुश्किल है। हरेक को इस देश का सिपाही बनना चाहिए। साफ कपड़े पहनना संभव हो और धार्मिक विषमता पूरी तरह खत्म होनी चाहिए। अभी अस्पृश्यों का ऐसा हाल नहीं है। अस्पृश्यों का साफ कपड़े पहनना हिंदू धर्म में बुरा माना जाता है। अस्पृश्य पैरों में चपल चढ़ा कर गांव में घूम नहीं सकते। अगर वे चप्पलें पहन कर घूमते हैं तो उन पर अत्याचार किए जाने के कई उदाहरण मेरे पास हैं। छुआछूत हमारी अवनति का कारण है। जिस धर्म में अवनति शामिल हो उसे केवल मूर्ख लोग ही मानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि अगर अस्पृश्य कानों से वेद सुनते हैं तो उनके कानों में लोहे का

*जनता : 30 दिसम्बर, 1944

रस उंडेलें और अगर वे उसका उच्चारण करते हैं तो उनकी जीभ काटें। शंबूक अस्पृश्य था इसलिए राम ने उसे मार डाला। उसी राम को हिंदू धर्म भगवान मानता है! और आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस धर्म ने इतनी उपेक्षा की, जिस धर्म ने इंसानियत से हमेशा के लिए हमें अलग कर दिया उसी धर्म के साथ हमारे कुछ लोग चिपके हुए हैं। हमारा घर-बार लुट गया है और हम गंगा स्नान करते बैठे हैं। हमें अगर अपनी बुरी हालत से पार पाना है तो हमें हिंदू धर्म को त्यागना होगा हिंदू धर्म को छोड़े बगैर हमारा दुख कभी नष्ट नहीं होगा।

व्यावहारिक जीवन में हमें यह सोचना है कि हम कैसे जी सकते हैं। भावी स्वराज में शासक समुदाय बनना हमारा लक्ष्य है। हम चाहते हैं कि स्वराज सबका हो- औरों का भी और हमारा भी। सभी को शिक्षा और नौकरियां मिलेंगी। आज कामगार को कोई सुख नहीं। उसके बदन पर ठीक कपड़े नहीं हैं। आधा पेट रहना पड़ता है और उनके रहने के लिए ढंग के घर नहीं हैं। कामगारों का आज जो ऐसा हाल है उसमें बदलाव आना चाहिए। राजनीतिक सत्ता अगर हमारे हाथ आए तो हर कामगार को हम न्यूनतम 30 रुपए तनख्वाह करेंगे। हमारे राज में कामगारों को रहने के लिए अच्छे घर मिलेंगे और कामगार को पेंशन मिलेगी। हमारे राज में बीमारी का भत्ता दिया जाएगा। और कोई बेकार नहीं रहेगा। लेकिन ब्राह्मण लोग सत्ता हमारे हाथ नहीं आने देते। मुसलमानों का राज था तब ब्राह्मणों ने 'अल्ला हो अकबर' कहते हुए दिन बिताए। आज वे अंग्रेजों की सेवा में लगे हैं। अंग्रेजों की जय बोल कर ब्राह्मणों ने सभी महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा किया है। इन हालात को नष्ट करते हुए हमें सत्ता को अपने हाथ में लेना है। उसके लिए हमें अपनी सामर्थ्य बढ़ानी होगी। हमारे दल के पास काँग्रेस की तरह संपत्ति नहीं है। स्वराज में हम पर किसी और का राज होगा। उसके लिए पूरा मनुष्यबल इक्ट्ठा कर हमें अपनी सामर्थ्य बढ़ानी होगी। हिंदू लोगों का एक अलग गुट है। मुसलमानों का एक अलग समूह है और हमारा समूह भी अलग से है। इस प्रकार इस देश में तीन प्रमुख अलग-अलग गुट हैं। इस देश की सत्ता को इन तीनों गुटों में समान रूप से बांटना होगा। सत्ता के समान बंटवारे के बगैर इस देश में स्वराज नहीं आएगा। अंग्रेज मुसलमानों को बड़ा (समूह) मानते हैं और उन्हें सरकार से रियायतें भी मिलती हैं। आज की तारीख में मुसलमानों की मांग है- पाकिस्तान या 50 प्रतिशत कांग्रेस के लोग बाहर आएंगे और मुसलमानों को 50 प्रतिशत देंगे। लेकिन हमारी मांगे हमें अपनी सामर्थ्य दिखाए बगैर नहीं मिलेंगी। काँग्रेस और मुसलमानों को नहीं लगता कि अस्पृश्यों की मांगें पूरी हो। इसीलिए मैंने अखिल भारतीय शेड्यूल्ड कास्टस् फेडरेशन की स्थापना की है। अब हिंदूस्तान के सभी अस्पृश्य लोगों को इक्ट्ठा होकर संग्राम के लिए तैयार होना चाहिए।

सम्मान पाने और नेता बनने के कई लोग लालची हैं। फाइलों में या कागजों में

नेता बनना नहीं लिखा होता। अखबारों में नाम छपने से कोई व्यक्ति नेता नहीं बनता। सी.आई.डी. का दफ्तर बहुत बड़ा है। उसमें हर नेता के कार्य की डायरी रखी जाती है। आपके नाम से ऐसी डायरी बननी चाहिए। सच्चा काम कीजिए। अपने हकों को पाने के लिए जान की बाजी लगाएं। गवर्नर का नेता का डर लगना चाहिए। नेता का कहना नहीं माना तो वह जिस समाज का नेता है वह समाज अपने सिर पर जूते मारेगा इस बात का गर्वनर को डर लगना चाहिए। उसी को सच्चा नेता कहा जा सकता है।

अस्पृश्य समाज में एका नहीं। अस्पृश्य लोग आज भी आपसी छुआछूत मानते हैं। यह प्लेग ब्राह्मणों से अधिक हममें है। जातिधर्म हममें से नष्ट होना चाहिए। मैं जातिभेद को नहीं मानता। जो जाति मानता है वह नेता नहीं बन सकता। पिछले 25 सालों का यह मेरा अनुभव है।

समता सैनिक दल हमारी राजनीतिक पार्टी की सामर्थ्य है। लड़ने वाले सैनिकों के बगैर कोई पार्टी सामर्थ्यवान नहीं बनने वाली हमें तो बड़ी–बडी़ संस्थाओं से टक्कर लेनी है। इसीलिए हमें समता सैनिक दल को बढ़ाना होगा। समता सैनिक दल को बढ़ाना हर नेता का कर्तव्य है। कानपुर और अन्य सभी जगहों पर एक दल की स्थापना करो। हर महीने दल के सदस्यों से एक आने का चंदा लीजिए। हमारी मुंबई में समता सैनिक दल का काम जोरों से चल रहा है। परिषद के बाद हमारा काम ठंडा पड़ता है, उसे ठंडा ना पड़ने दें। हमारा काम निरंतर चलते रहना चाहिए। लोगों को जागरूक बनाएं। युवको को संगठित बनाएं।

कई संस्थाओं से मुझे मानपत्र दिए गए हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मुझे वे मानपत्र नहीं चाहिए। मैं बस काम करना चाहता हूं। अगर सम्मान पाने के लिए मैं काम करता तो आज काँग्रेस का अध्यक्ष बनता। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि काम कीजिए तो सम्मान आपको खोजते हुए आएगा।

अस्पृश्य समाज को राजनीतिक अधिकार दिलाने का काम मैं कर रहा हूं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं पूरे देश की आजादी का काम क्यों नहीं करता? पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश के लिए काम करने के लिए हजारों कॉलेज छात्र मिल सकते हैं। लेकिन अस्पृश्यों का काम करने के लिए पंडित नेहरू का कोई छात्र नहींआएगा। फिर यह काम कौन करेगा? यह हमारा काम है, इसे हमें ही करना पड़ेगा। देश का काम करने के लिए बहुत सारे लोग है। अस्पृश्यों के लिए हमारे सिवा कोई नहीं। मैं तो यही काम करता रहूंगा। जिस काम में आठ करोड़ पद–दलितों का, शोषितों का उद्धार होना है, वह असल में स्वराज पाने का कार्य है।

छात्रों ने मुझे जो मानपत्र दिया है उसके लिए मैं उनके प्रति धन्यवाद प्रकट करता

हूं। अस्पृश्य छात्रों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। उपाधि पाने के बाद नौकरी मिलेगी तो उसके बाद आप अपने समाज के लिए क्या करेंगे? अपने परिवार में ही खो जाने के बजाय जिस समाज से हम आए हैं उस समाज की स्थिति अब क्या है इस बात को लेकर सोचना होगा। उस समाज के लिए जहां तमक संभव हो सके अपनी तनख्वाह से जितना हो सके पैसा देने चाहिए। हिंदुस्तान सरकार से हर साल अपने छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए मैंने तीन लाख रुपए मंजूर करवाए हैं। उसका खूब इस्तेमाल कीजिए। महत्वपूर्ण ओहदों पर कब्जा कीजिए। आप अगर इस सुविधाा का लाभ नहीं उठाएंगे, महत्वपूर्ण पद तक नहीं पहुंचेंगे तो आगे चल कर आप ही पछताएंगे। दूसरी बात जो मैं अस्पृश्य पढ़े-लिखे लड़कों के बारे में देखता हूं वह यह कि वे अपने समाज की लड़कियों से शादी नहीं करते। बताएं, उनके साथ फिर कौन शादी करेगा? हमें इस बारे में सोचना चाहिए।

मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि हमने जो लड़ाई शुरू की है वह बहुत बड़ी है। पवित्र है। अपने समाज की उन्नति के बगैर हमें यह लड़ाई रोकनी नहीं है।

205

किसी भी अन्य समुदाय से बढ़कर अस्पृश्यों को आजादी के बारे में आत्मीयता है

20 सितम्बर, 1944 को निजाम की हैदराबाद रियासत में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर पधारे वह मुलाकात यादगार ही कहलाएगी। वह दक्षिण भारत के दौरे पर थे। मुंबई का कार्यक्रम पूरा होने के बाद वह हैदराबाद गए। वहां दो जगह उनका अपूर्व स्वागत हुआ। बेगमपेट रेलवे स्टेशन पर बाबासाहेब अम्बेडकर के स्वागत के लिए हैदराबाद संस्थान फेडरेशन के अध्यक्ष श्री जे. सुबय्या, श्रीमती राजमणी देवि, माद्रे आदि हजारों कार्यकर्त्ता उपस्थित थे।

नामपल्ली में पुरुषों से अधिक महिलाओं ने उत्स्फूर्तता के साथ उनका स्वागत किया। हैदराबाद शेड्यूल्ड कास्ट्स् फेडरेशन के पुरुष स्वयंसेवकों ने एक ही तरह के शर्टस का यूनिफार्म पहन रखा था और महिला स्वयंसेवकों ने विभिन्न रंगों के कपड़े पहने थे। उनके कपड़ों के कारण लग रहा था जैसे पूरा नामपल्ली गांव सज गया है। महिला स्वयंसेवकों ने अनुशासनपूर्ण बंदोबस्त रखा था। इस कारण कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह हुआ। इससे बढ़िया बात यह थी कि महिला स्वयंसेवकों द्वारा डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और वह वायसरॉय को मिलने वाले गार्ड ऑफ ऑनर से बेहतरीन लग रहा था। 'अम्बेडकर जिंदाबाद' के नारों से पूरा नामपल्ली गूंज उठा था।

बाबासाहेब की रेल का खास सैलून जब सिंकदराबाद पहुंचा तब वहां उनसे मुलाकात करने आई बड़ी-बड़ी हस्तियों की भीड़ इक्ट्ठा थी। उनमें नवाब मैना, नवाब जंग बहादुर, हैदराबाद रियासत में पोलिटिकल एजेंट और सूचना विभाग के अफसर कैप्टर डब्ल्यू एफ. क्रेसंशन, रेसिडेंट के ऑनररी अंडर सेक्रेटरी, छतारी के नवाब के ए.डी.सी. थे। सिंकदराबाद रेलवे स्टेशन से हजारों पुरुष और महिलाओं का विराट जुलूस निकला था। जुलूस मार्केट स्ट्रीट होते हुए के. ई. एम. रोड और किंग्जवे की ओर आगे बढ़ता चला था। जुलूस जब धानमंडी पहुंचा तब बड़ी भीड़ उमड़ी। वह जुलूस था ही अपूर्व। बैंड के संगीत की झनकार गूंज रही थी। 'अम्बेडकर जिंदाबाद' के नारों की अनगिनत ध्वनियां-प्रतिध्वनियां। निकल रही थीं। पूरे रास्तों पर रंगबिरंगी पताकाएं सजी थीं। इन सबकी मानों एक-दूसरे से होड़ लग रही थी। इनके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट्स् फेडरेशन के अनंगिनत ध्वज पहरा रहे थे। ऐसे जुलूस में बाबासाहेब को ले जाया जा रहा था। हैदराबाद और सिंकदराबाद ये दोनों जुड़वां शहर मानों वहां जुट गए थे। बाबासाहेब को पहले 'पांच बंधु

सेवा हॉल' ले जाया गया। इस केन्द्र के जरिए जनता की सेवा की जाती थी। बाबासाहेब को बताया गया कि किसी भी गरीब इंसान की अगर कोई शिकायत हो तो उसकी मुफ्त में मदद करने के लिए यह केन्द्र खोला गया था। यहां से होते हुए जुलूस विस्तीर्ण जीरा मैदान की ओर निकला। वहां बहुत बड़ा शामियाना ताना गया था। पूरा मैदान लोगों से भर गया था। महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर स्वागत समिति के प्रमुख प्रेमकुमार ने बाबासाहेब का स्वागत किया। शेड्यूल्ड कास्ट्स् फेडरेशन की ओर से जे. एच सुबय्या ने बाबासाहेब को मानपत्र अर्पण किया।

बाबासहेब अम्बेडकर भाषण के लिए खड़े हुए तो जनसागर में तालियों की बड़ी लहर उठी। बाबासाहेब करीब 45 मिनटों तक हिंदुस्तानी भाषा में बोले। अपने भाषण से उन्होंने लोगों को बेहद प्रभावित किया। बाबासाहेब का प्रभावपूर्ण भाषण, दिल को छू लेने वाली भाषा, गरीबों के साथ एकरूप होने का उनका मनोभाव, शेड्यूल्ड कास्ट्स् फेडरेशन के झंडे के नीचे सबको किस प्रकार एकजुट होकर अस्पृश्यों के हक पाने के लिए कैसे लड़े इस बारे में उनका विवेचन हरेक के दिल को छू रहा था।[1]

डॉ. अम्बेडकर ने अपने भाषण में कहा-

अध्यक्ष महोदय और भाइयों और बहनों,

आज आप लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर जो मेरा स्वागत किया है उसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूं। यहां मैं पहली ही बार आया हूं इसलिए इतने बड़े पैमाने पर स्वागत किए जाने की मैंने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन मेरे जीवन की ओर देखता हूं तो मुझे इस बात का अचरज नहीं लगता। आज के स्वागत में, सभा में और जुलूस में युवकों ने जो उत्साह दिखाया उसके बारे में मुझे बहुत संतोष महसूस होता है। हमारे समाज का पूरा दारोमदार आज के युवाओं पर निर्भर करता है। युवा पीढ़ी द्वारा अपने समाज के लिए स्वार्थ त्याग किए बगैर हमें जल्दी अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहां आंदोलन करने की रियायत होती तो मुझे लगता है कि आपका बड़ी तेजी से विकास होता ऐसा मुझे लगता है।

आज के समारोह में महिलाओं की सहभागिता विशेष रूप से उत्साहवर्धक है। मैंने देखा है कि यहां की महिलाएं बहुत अच्छा भाषण देती हैं। यहां की महिलाएं साफ-सुथरा रहना जानती हैं। यहां समता सैनिक दल की शाखा की स्थापना कर महिलाएं भी बड़े पैमाने पर उसमें शामिल हुई हैं इस बारे में मुझे संतोष है। आज मैं महिलाओं को संदेश देना चाहता हूं कि वे पुरुषों के साथ सार्वजनिक जीवन में हिस्सा ले। केवल पुरुषों के

1 समग्र अम्बेडकर चरित्र : बी. सी. कांबले, खंड 17, पृष्ठ 66-67

आगे बढ़ने और महिलाओं के पिछड़ते रहने से किसी भी समाज की प्रगति नहीं हो सकती। इसीलिए अब महिलाओं को पुरुषों के कंधे से कंधा मिला कर लड़ना होगा। तभी हमें जल्द आजादी मिलेगी।

हमारे आंदोलन का लक्ष्य क्या है? कब हम अपने आंदोलन को पूरा हुआ कह सकते हैं? हमारे समाज को और हमारे देश को आजादी मिलनी चाहिए यही हमारा लक्ष्य है। लेकिन इस देश में कई पंथ हैं। (1) हिंदु, (2) मुसलमान, (3) ईसाई, (4) अस्पृश्य। अस्पृश्य कौन हैं? अस्पृश्य जाति हिंदुओं से अलग है। हजारों सालों से हिंदु समाज ने हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों में हमें बिल्कुल गुलाम बना दिया है। हम सब गुलामी के ये बंधन तोड़ना चाहते हैं। इस देश को गणतंत्र चाहिए यह पुकार कर कहा जाता है लेकिन हिंदू समाज से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अस्पृश्य समाज को टाल कर क्या देश गणराज्य हो सकता है? इस गणाज्य में मुसलमानों को अधिकार मिलेंगे, ईसाइयों को अधिकार मिलेंगे लेकिन हमें अपने अधिकार कभी नहीं मिलेंगे इस प्रकार का षड्यंत्र रचने में हिंदू मशगूल हैं। हम न उनके रिश्तेदार हैं, न सगे हैं। उन पर हम कैसे भरोसा रखें क्योंकि वे हमें अपने अधिकार देंगे इसका हमें भरोसा ही नहीं है। लेकिन हम उनके भाईबंद नहीं है। मि. जिन्ना ने पहले अल्पसंख्यकों का पक्ष लिया था। लेकिन अब वे मुस्लिम लीग की ओर से पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के हित की लड़ाई से उन्होंने खुद को अलग कर लिया है। अब वे केवल मुसलमानों की हितसाधना करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि अधिक से अधिक और कभी मौका मिले तो अन्य अल्पसंख्यकों के हक छीन कर खुद अधिक सत्ता हथियाने की उनकी कोशिश है। इसीलिए हम कहते हैं कि न केवल हिंदू बलिक मुसलमान भी हमारे खिलाफ हैं।

कांग्रेस और गांधी ने हमें किसी प्रकार के अधिकार न मिलें, हमारा कोई पृथक अस्तत्व न बने, इस देश में हम सम्मान के साथ न रहें, हमें राजनीतिक क्षेत्र से हमेशा के लिए नष्ट कर हजारों सालों से हमारे पैरों में जो बेड़ियां पड़ी हुई हैं उन्हें और कसने की कोशिश की है। वे चाहते हैं कि कभी हमारा सिर ऊंचा न उठे और हम हमेशा उनके गुलाम बन कर जिएं। ब्रिटिश सरकार हिंदू मुसलमानों को हम बताए देते हैं कि देश की सत्ता में हमें उत्तराधिकार चाहिए। उसके लिए हम लड़ेंगे, मरेंगे। अत्याचार में हमारा विश्वास नहीं। हम अत्याचारों से डरते नहीं। ब्रिटिश सरकार, हिंदू, मुसलमान और अन्य समुदायों को पता चलना चाहिए कि जिसमें हिंदू, मुसलमान और अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधि होंगे उसे ही राष्ट्रीय सरकार कहा जा सकता है। अस्पृश्य हिंदू समाज के घटक नहीं हैं। वे एक अलग राष्ट्र हैं। अपने लक्ष्य की साधना के लिए, आंदोलन करने और लड़ने के लिए अस्पृश्य वर्ग तैयार है।

आपकी मांग बहुत बड़ी है। अपनी राह में कई संकट हैं। हमारे कई शत्रु हैं। इन सबसे निपटने के लिए हमें अपन संगठन खड़ा करना होगा। हम अगर संगठन बनाएंगे तो गांधी, जिन्ना, सावरकर हमें अपने अधिकार देने से इंकार नहीं कर सकते। सरकार के आगे जाना कमतरी का है। आज हमें अपना संगठन बढ़ा कर अपनी मांगे मानने पर उन्हें मजबूर करना है। हमारी शक्ति बढ़े बगैर हमें कुछ नहीं मिलेगा।

''हिन्दुस्तान की आजादी को लेकर अस्पृश्यों के मन में कोई आस्था नहीं है''– इस प्रकार बदमाशी भरा, निदंनीय और दुष्ट प्रचार काँग्रेस तथा राष्ट्रीय अखबारों के जरिए किया जाता है। हम राष्ट्र विरोधी देश को डुबोने वाले हैं इस प्रकार के हमले हम पर किए जाते हैं। अस्पृश्यों को इंसानियत, समता चाहिए, औरों की बराबरी का राजनीतिक दर्जा चाहिए। हमारा समुदाय को भी इस देश का शासक समुदाय बनना चाहिए। इस दिशा में चल रहा हमारा आंदोलन उन्हें अगर देश को डुबोने वाला लगता है। तो उनके कथन पर मुझे अचरज बिल्कुल नहीं लगता। अन्य किसी भी समुदाय की तुलना में अस्पृश्यों के मन में पलने वाली देश की आजादी के प्रति आस्था कम नहीं है। उल्टे वह अधिक ही है। लेकिन देश की आजादी के साथ–साथ हमें अपने समाज की आजादी भी चाहिए।[2]

2 जनता : 2 दिसम्बर, 1944

206

*मालिकों के अधिकतम मुनाफे की सीमा निर्धारित करने की नीति केन्द्र सरकार को अपनानी चाहिए

कुमारराज सर मुथिमा चेट्टीमार ने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को 22 सितम्बर, 1944 को शाम अडयार (मद्रास) के अपने 'चेट्टिमाड हाऊस' राजमहल के विस्तृत मैदान में चाय पार्टी दी। मद्रास सरकार के बड़े अफसर, जज और प्रमुख नागरिक आदि 200 लोगों को आमंत्रित किया गया था। जजमान और मेहमानों के साथ बाबासाहेब की खूब बातचीत हुई और समारोह संपन्न हुआ। आधे घंटे बाद डॉ. बाबासाहेब को सदर्न इंडिया चैंबर ऑफ कॉमर्स संस्था में सम्मानित किया गया। उसमें संस्था के वक्ता ने कहा कि अगर सरकार मजदूर आंदोलन पर पाबंदी नहीं लगाती तो देश में औद्योगिक और व्यावसायिक उन्नति नहीं हो सकती।

डॉ. बाबासाहेब ने इसका जवाब देते हुए कहा-

कामगारों के संदर्भ में कानून बनाने के सारे अधिकार प्रांत सरकार को दिए गए हैं। केन्द्र सरकार बस इनकी देखरेख करेगी। इस संदर्भ में कानून बनाते हुए प्रांत सरकार मजदूर और मालिक दोनों के लिए हितकर कानून बनाए। आगे जब केन्द्र सरकार आएगी तब इस मामले में सुयोग्य नीति अपनाई जाएगी लेकिन मेरी राय में इस सरकार को मजदूरों का न्यूनतम वेतन तय करने की नीति नहीं बल्कि मालिकों के मुनाफे की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की नीति अपनानी चाहिए। कामगारों की बीमारी में उनकी हर तरह से मदद करने की योजनाएं बनानी चाहिए। केन्द्रीय मजदूर विभाग ने उन्हें यही सलाह दी है। मालिक और मजदूरों के बीच के झगड़ों को आपसी बातचीत से, सामोपचार से मिटाएं, दोनों के बीच सौहार्द बना रहे इसलिए जल्द ही सरकार सभी ब्रिटिश सीमाओं में तीन बड़े अधिकारियों (कमिश्नर्स ऑफ कन्सीलिएशन) की नियुक्ति करने जा रही है। अब तक सरकार द्वारा 68000 लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजी-रोटी कमाने लायक बना दिया गया है। तकनीकी शिक्षा के प्रचार-प्रसार की व्यवस्था सरकार करने जा रही है। युद्ध समाप्ति के बाद शुरू होने वाले औद्योगिक आंदोलन इन प्रशिक्षित तकनिशियनों का भरपूर उपयोग होगा।

---

*डॉ. भी. रा. अम्बेडकर : चरित्र : ले. चां. भ. खैरमोडे, खंड 9, पृष्ठ 336

207

*ऐसी आजादी के लिए लड़ना पड़े तो मैं हमेशा तैयार हूं

शुक्रवार, दिनांक 22 सितम्बर, 1944 की शाम मद्रास म्युनिसिपल कार्पोरेशन की ओर से चांदी के बक्से में मेयर डॉ. सैय्यद नियामतुल्ला के हाथों डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को मानपत्र अर्पण करने का बड़ा समारोह रिपन बिल्डिंग में हुआ। इस समारोह में कई प्रतिष्ठित नागरिक, सरकारी अधिकारी और कारपोरेटर्स उपस्थित थे। कांग्रेस पार्टी के कार्पोरेटर्स ने मानपत्र का विरोध किया था इसीलिए वे समारोह में अनुपस्थित रहे।

मानपत्र के लिए जवाब देते हुए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा– अपने शहर की ओर से आप मेरा स्वागत कर रहे हैं यह आपका बड़प्पन्न है। मैं मद्रास शहर निवासी नहीं हूं और नागरिक जीवन में भी मैंने कभी विशेष कुछ नहीं किया है। इसलिए आपकी मेहमान– नवाजी पर वैसे मेरा कोई अधिकार नहीं पहुंचता। इसके बावजूद आप मेरा स्वागत कर रहे हैं इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। किसी की आलोचना करने या खुराफत के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बस एक सत्य घटना के तौर पर मैं उसका जिक्र करने जा रहा हूं। अखबारों में मैने पढ़ा कि मुझे मानपत्र देने के निर्णय को सभी समर्थन नहीं मिला। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है। (हंसी) इस बात का जिक्र करने का कारण यही है कि मैं बताना चाहता हूं कि सभी के समर्थन से मिलने से अधिक इस प्रकार मिलना ही मुझे ठीक लगता है। सभी के समर्थन से होने वाली ज्यादातर बातें हम केवल औपचारिक होती हैं इसलिए करते है। आधुनिक समाज की कुछ परंपरागत झूठी रूढ़ियां - इससे अधिक इसका कोई मतलब नहीं होता। (तालियां) जो बात हुई उससे इस बात का पता चलता है कि कार्पोरेशन के एक हिस्से ने ही सही मुझे मानपत्र देने में ईमानदारी और आग्रह दिखाया।

युनिवर्सिटी के मेरे जीवन का, अध्यापक– वकील और मुंबई के वरिष्ठ विधिमंडल के सदस्य के नाते मेरे कार्य का अपने अच्छे लेकिन थोड़ा अत्युक्तिपूर्ण शब्दों में जिक्र किया है। आपने मेरे बारे में जो कुछ कहा वह सब सच मानने जितना अभिमान मुझे नहीं है। जिस उद्देश्य के लिए मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूं उसके प्रति सहानुभूति के कारण ही आप मेरा गौरव कर रहे हैं। यह मेरे निजी गौरव से अधिक इस लक्ष्य को समर्थन देने के उद्देश्य से ही इस गौरव को मैं स्वीकार करता हूं।

गरीबों की बस्ती में सुधार करने और मजदूरों के बच्चों को खाना मुहैय्या कराने

*जनता : 25 नवम्बर 1944

में मद्रास कार्पोरेशन द्वारा किए गए काम का आपने जिक्र किया है। इस बारे में हिंदी सरकार ने क्या किया है यह यहां बताना ठीक नहीं होगा। लेकिन इतना बता हूं कि हिंदी सरकार के बारे में कहा जाता है कि वह एक बेहद धीमी गति से चलने वाली मशीन है सो उसका मैं यहां जवाब देना चाहूंगा। केन्द्र सरकार का वर्णन करते हुए हम यह बिल्कुल नहीं कह सकते कि हर सरकार को जो करने ही चाहिए ऐसे सुधार भी हाथ पर हाथ धरे बैठने वाली वह एक निरुपयोगी संस्था है।

पिछले कुछ सालों में सरकार द्वारा किए गए काम को देखिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की योजना की ओर पहले मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। करीब 68000 लोगों ने इस योजना का लाभ लिया। पूरे हिन्दुस्तान में ऐसा प्रशिक्षण प्रदान करने वाले 300-400 केन्द्र हैं। कामगारों के जो बच्चे युनिवर्सिटी में पढ़ने की आर्थिक स्थिति में नहीं हैं वे इस प्रशिक्षण के सहारे अपना काम करने का कौशल बढ़ा कर थोड़ा अधिक रुपया कमा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि यह शिक्षा युद्ध के बाद बंद नहीं की जाएगी, बल्कि देश की शिक्षा पद्धति का वह एक महत्वपूर्ण अंग बनेगी।

इसके अलावा काम के बारे में सरकार ने कुछ और कानून भी बनाए हैं। उदाहरण के तौर पर उद्योग-व्यवसाय के झगड़ों में- विवादों में पंचों की नियुक्ति अनिवार्य करने वाला कानून। अब तक कामगारों की नौकरी को लेकर शर्तें लागू करने के अधिकार केन्द्र सरकार के पास नहीं थे। नौकरी की शर्तें और वेतन तय करना केवल मजदूर और मालिक के बीच का निजी मसला था। आज अगर सरकार को लगे कि ये शर्तें संतोषजनक नहीं हैं तो उस बारे में शर्तें लागू करने का अधिकार कानूनन सरकार के पास है। युद्ध जनित स्थितियों के कारण यह कानून लागू किया गया है लेकिन मुझे उम्मीद है कि युद्ध के बाद भी वह जारी रहेगा और हमारे द्वारा तैयार किए जा रहे, हमेशा लागू रहने वाले कानून में भी उसे शामिल किया जाएगा। मुझे अहसास है कि जो कुछ हमने किया है वह बेहद कम है लेकिन कानून बनाने को लेकर केन्द्र सरकार की स्थितियां संतोषजनक नहीं हैं इस बात को लोग ध्यान में रखें। मूलतः कामगारों के बारे में कानून बनाने का अधिकार ज्यादातर प्रांत सरकारों के पास है, अर्थात् प्रांतीय सरकारों के साथ-साथ यह अधिकार केन्द्र सरकार को भी दिया गया है। लेकिन 1935 के संविधान में यह प्रावधान रखा गया है कि कानून कोई भी बनाए उस पर अमल करना और उसे लागू करना प्रांत सरकारों पर छोड़ दिया गया है। इसी कारण, अगर केन्द्र सरकार को लगता है कि कोई कानून बनाया जाना चाहिए तब भी पहले प्रांत सरकारों से पूछ कर ही कानून बनाने पड़ते हैं। सारा कार्यभार प्रांतीय सरकारों के ही पास होता है। किसी कानून पर अमल करना जिनकी जिम्मेदारी होती है वही अगर उसकी ओर देखने तक के लिए तैयार न हो तो उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा बनाए जाने का कोई तुक नहीं है। हमारे

सामने ये मुश्किलें हैं। सब जितनी चाहते हैं उतनी हमारी गति भले न हो सरकार का दिल कोई पत्थर का नहीं है। अभी सरकार कामगार संबंधी कानूनों को अलग रूप देने के बारे में सोच रही है।

कई लोग केन्द्र सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन उससे क्या हासिल हो सकता है केन्द्र सरकार ने ज्यादा कुछ नहीं किया हो– मेरी नजर में यह बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। असल सवाल यह है कि आखिर केन्द्र सरकार क्या करने वाली है और क्या नहीं करने वाली है? सवाल यह है कि जिसे हम राष्ट्रीय सरकार कहते हैं वह इससे अधिक कुछ करने वाली है भी या नहीं? विनम्रतापूर्वक मैं कहना चाहूंगा कि आज जितना लग रहा है उससे यह कहीं अधिक महत्वपूर्ण सवाल है। विवाद की खातिर मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि आज की केन्द्र सरकार तात्कालिक सरकार है। हम सभी राष्ट्रीय सरकार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और जिस बात का मुझे सबसे अधिक डर लग रहा है वह यह है कि यह राष्ट्रीय सरकार आज की सरकार से क्या कुछ अधिक करने वाली है? मुझे इस बारे में आशंका है, मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं। हम सब यही कह रहे हैं कि एक बार हमारे हाथ में सत्ता आने दो, सभी बालिगों को मतदान का अधिकार मिलने दो फिर सभी दुखों का अंत होगा। सब कुछ ठीक होगा। हर व्यक्ति सीना तान कर सड़कों पर चलने लगेगा! लेकिन मेरे मन में इस बात को लेकर बड़ी शंकाएं हैं। यूरोपीय शासन पद्धति और पार्लियामेंटरी राज्य पद्धति का मैंने काफी अध्ययन किया है। यह जो कहा जाता है कि सार्वजनिक मतदान पद्धति पर अमल कर पार्लियामेंटरी सरकार की स्थापना होते ही सभी मानवी दुखों का अंत होगा, उस पर मेरा रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। इस तरह की धारणाओं के लिए कोई ऐतिहासिक तथ्यों का आधार नहीं है। सच बात तो यह है कि सार्वजनिक मतदान हो या न हो, लोगों के मतों से चलने वाली सरकार हो या ना हो, कोई अन्य सरकार भी भले क्यों न हो, हर देश में – हर समाज में दो वर्ग होते हैं, शासक वर्ग और बहुजन समाज। ये भेद स्पष्ट हो या कि अस्पष्ट, उनका कोई विशेष महत्व नहीं है। आप सार्वजनिक मतदान पद्धति अपनाएं– आखिर शासक वर्ग ही अधिकार पद पर चुने जाएंगे। बहुजन समाज के चुनाव जीतने की कोई संभावना नहीं। कभी भी उम्मीद नहीं। गैर–जिम्मेदारी से में यह नहीं कह रहा हूं, इतिहाससिद्ध आधार हैं इसके लिए।

1937 के चुनावों का क्या असर हुआ देखिए। मतदान का हक व्यापक था। बड़े जोर–शोर से चुनाव हुए और अनिर्बाध वोट डाले गए। लेकिन आखिर हुआ क्या? अब उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन कॉंग्रेस के 7 प्रांतों में जो मैंने कहा वही सच साबित हुआ। मैंने यही कहा था कि, आप चाहे जो करें, इस देश में ब्राह्मण ही शासनकर्ता रहेंगे। सात प्रांतों में मुख्यमंत्री ब्राह्मण थे। मंत्रिमंडल में आधे लोग

ब्राह्मण थे। आलोचना करनी है इसलिए मैं यह नहीं बता रहा, ये वास्तव में घटी बातें हैं। चुनावों से अगर कुछ निश्चित रूप से समझ आया हो तो यही कि इस देश में शासन करने वाली जाति केवल एक ही है और वही चुनी गई। यह सवाल सिरे से गलत है कि क्या हर देश में स्वराज हो? असल सवाल यह है कि देश के शासनकर्ता समुदाय का राज्याधिकार देने की समझ क्या शासित समाज में है? हम यह भूल रहे हैं कि इस सवाल के जवाब पर ही स्वराज का हक निर्भर करता है। किसी शासनकर्ता समुदाय को अगर सत्ता सौंपनी हो तो उस समुदाय का नजरिया क्या है? उस समुदाय को क्या लगता है? ये सवाल उपस्थित होते हैं। अगर आपके शासक समुदाय को लगता है कि समाज में विषमता होनी ही चाहिए, समता में अगर उसका विश्वास न हो, अगर उन्हें लगता है कि शिक्षा और संपत्ति का अधिकार केवल एक ही विशिष्ट वर्ग को है, औरों को नहीं है, औरों को गुलाम बन कर ही रहना चाहिए, गुलामी में ही उन्हें मरना चाहिए, उन्हें छूना नहीं चाहिए तो मैं पूछता हूं कि राष्ट्रीय सरकार अगर ऐसे समुदाय के हाथ आए तो क्या वह समुदाय केन्द्र सरकार से अधिक बहतर काम करेगा?

राष्ट्रीय सरकार बनाने का मैं विरोधी नहीं हूं, न स्वराज को मेरा विरोध है, आजादी पाने के खिलाफ भी मैं नहीं हूं। देश को जिस आजादी, शिक्षा, खुशहाली का आश्वासन दिया जा रहा है वह मेरे भी हिस्से आने वाला है इसका अगर मुझे यकीन हो जाए तो उस आजादी के लिए लड़ने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। लेकिन अगर इस लंबी-चौड़ी कवायद के परिणामस्वरूप सारे अधिकार अगर शासनकर्ता समुदाय के हाथ ही जाने वाले हों, इस अधिकार प्राप्त से उस समुदाय की ताकत और बढ़ने वाली हो जिसके सहारे वे मुस्तैदी से औरों के अधिकार छीन सकें तो आज की केन्द्र सरकार की जैसी आलोचना हो रही है वैसी आलोचना करने का कोई मतलब नहीं।

208

*भारत के भावी संविधान में श्रमिकों के राजनीतिक अधिकारों को प्रधानता देनी होगी

एम. एंड एस. एम. रेलवे एम्पलॉईज युनियन की ओर से डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को पेरांबुर के अपने दफ्तर में आयोजित कार्यक्रम में मानपत्र दिया गया। यह कार्यक्रम 23 सितंबर, 1944 की शाम को आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री सी. कृष्णमूर्ती कर रहे थे। शिवसुब्रमानियम ने मानपत्र पढ़ा। उस युनियन में जो अस्पृश्य श्रमिक थे उनकी ओर से दूसरा मानपत्र दिया गया, जो अध्यक्ष ने पढ़ कर सुनाया। दोनों मानपत्रों को जवाब देते हुए बाबासाहेब ने कहा,

मद्रास प्रांत बेकार धार्मिक धारणाओं का गढ़ है। लेकिन आज जिन लोगों की ओर से उस सभा का आयोजन किया गया है उनमें यूरोपियन ईसाई, एग्लो इंडियन, हिंदु, मुसलमान, अस्पृश्य ईसाई आदि धर्मों के मजदूर और अधिकारी हैं। इससे एक बात सा. बित होती है कि दरिद्रता सबको बांधने वाली डोर है। आप सभी कामगार अगर एकजुट होकर रहो तो आप अपना दरिद्रता भरा जीवन खत्म करने की राह पर आगे बढ़ सकते है। महायुद्ध खत्म होने के बाद भारत को अधिक राजनीतिक अधिकार मिलने वाले हैं इससे कोई शक नहीं वे हक पूरी तरह औरों के हाथ जाने के बजाय उसमें मजदूरों को भी बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि राजनीतिक सत्ता के सहारे किसी वर्ग को संपूर्ण प्रगति हासिल करना आसान होता है। इसीलिए श्रमिक वर्ग को ट्रेड यूनियन के आंदोलन को जारी रखते हुए भारत को जो अधिकार मिलने वाले हैं वे उपनिवेश के हों उसके लिए आंदोलन किया जाना चाहिए। भारत के संविधान में श्रमिकों के जो हक दर्ज किए जाएंगे उनमें राजनीतिक अधिकारों को प्रधानता दी जानी चाहिए। केंद्रीय विधिमंडल में 50 प्रतिशत और प्रांतीय विधिमंडल में 30 प्रतिशत जगहें श्रमिकों के लिए आरक्षित रखी जानी चाहिएं। इसके लिए आप आंदोलन करें। मेरे पास मजदूर विभाग है। इस विभाग को सुव्यवस्थित करना चाहता हूं। मजदूरों का अधिक से अधिक कल्याण ही मेरा त्लक्ष्य है।

अस्पृश्य मजदूरों को उद्देश्य कर बाबासाहेब ने कहा, रेल, पोस्ट और तार यंत्र विभाग में 13 प्रतिशत जगहें आरक्षित रखने का निर्णय केन्द्र सरकार ने किया है। लेकिन अस्पृश्य की शिक्षा की प्रगति के कारण आठ पूर्णांक एक बटा तीन प्रतिशत जगहें अस्पृश्य वर्ग के हिस्से आती हैं। इसलिए, अस्पृश्य वर्ग में शिक्षा के क्षेत्र में त्वरित हो और पूरे 13 प्रतिशत का समाज को फायदा मिले।

*डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर चरित्र : ले. चां. भ. खैरमोडे, खंड 9, पृष्ठ 355-56

209

*बुद्धिवाद ही हमारे धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की बुनियाद होनी चाहिए

24 सितंबर, 1944 को सुबह 10 बजे मद्रास के प्रभात टॉकीज में रॅशनल सोसाइटी के तत्वावधान में श्री एस. रामनाथ की अध्यक्षता में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का भाषण हुआ। अपने भाषण में उन्होंने कहा,

अध्यक्ष महाराज, भाइयों और बहनों,

केवल राजनीतिक होने के कारण मैं साहित्य, इतिहास और दर्शन इन विषयों पर अधिकारपूर्वक नहीं बोल सकता। लेकिन साहित्य, इतिहास और दर्शन का अध्ययन कर मेरी जो राय बनी वह आज मैं आपको बताने जा रहा हूं।

हिंदुस्तान के इतिहास को लेकर कई गलतफहमियां प्रचलित हैं। कई विद्वान इति. हासकारों ने कहा है कि हिंदुस्तान में राजनीति के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। प्राचीन भारतीयों ने केवल धर्म और आध्यात्म लिखने पर ही अपना ध्यान केन्द्रित किया था। इतिहास और राजनीति से वे पूरी तरह अलिप्त थे। कहा यह भी जाता है कि हिंदी जीवन और समाज तय फौलादी घेरे में ही घूमता है और उस घेरे के वर्णन के साथ-साथ इतिहासकार का काम पूरा हो जाता है। प्राचीन हिंदुस्तान के अध्ययन के बाद मेरी राय इन विद्धानों की राय से अलग बनी है। इस अध्ययन में मैंने पाया कि दुनिया के किसी भी देश में हिंदुस्तान जैसी गतिमान राजनीति नहीं थी। और शायद हिंदुस्तान ही एक मात्र ऐसा देश है जहां ऐसी क्रांति हुई जैसी दुनिया भर में अन्यत्र कहीं नहीं हुई।

इतिहासकार शायद जिसे भूल चुके हैं ऐसी एक बुनियादी बात हिंदी इतिहास पढ़ने वाले छात्रों को ध्यान में रखनी होगी और वह है प्राचीन हिंदुस्तान में बौद्ध और ब्राह्मणों के बीच हुई लड़ाई। जैसाकि कुछ प्रोफेसरों ने कहा है, यह कोई पंथों के बीच हुई मामूली लड़ाई नहीं थी। यह सत्य के मायने ढूंढने के लिए लड़ी गई लड़ाई थी। बुद्ध ने बहद आसान शब्दों में सत्य की व्याख्या बताई थी। इन्द्रियों को जो समझ में आए वही सत्य है। अलग शब्दों में बताना हो तो किसी अधिकारी द्वारा बताई गई बात ही सत्य नहीं होती। बल्कि ब्राह्मणों का यह कहना है कि, जो वेदों के अनुसार है, यानी वेद जिसे कहते हैं वही सत्य है। (हंसी) बौद्ध क्रांतिकारी थे और ब्राह्मण प्रतिगामी। फिलहाल हम

*जनता : 9 दिसम्बर, 1944

प्रतिगामी लोगों की वर्चास्विता में हैं। वेद पढ़ने के बाद मुझे बड़ा अचरज हुआ। उसमें विदूषक के प्रलाप के अलावा कुछ भी नहीं है। (प्रचंड हंसी और तालियां) ब्राह्मणों जैसे होशियार लोग इन्हीं वस्तुओं को प्रमाण मानने की बात क्यों करते हैं? अथर्ववेद में तो केवल जादुई मंत्र हैं। (हंसी और तालियां)

इस्लाम धर्म ने इस देश में कदम नहीं रखा होता हो ब्राह्मण और बौद्धों के बीच की यह लड़ाई लंबे समय तक चलती। स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदेश देनेवाला दुनिया के इतिहास में बुद्ध ही पहला व्यक्ति होगा। अब वह आदेश नष्ट हो चुका है। आज हिंदु समाज को उसी की सबसे अधिक जरूरत है। क्रांति के खिलाफ प्रतिक्रांति की विजय के कारण वह आदेश नष्ट हुआ।

कई लोगों को भगवद्गीता बहुत बड़ा धार्मिक ग्रंथ लगता है। बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि यह कहने जैसा कुछ मुझे उस किताब में मिला नहीं। उल्टे, उस ग्रंथ ने कई अनर्थ किए हैं। बुद्धि की कसौटी पर खरी न उतरने वाली बातों को उसमें सैद्धांतिक आधार देने की कोशिश की गई है।

जो हो, आखिर राजनीति, समाज, राज्य शासन, धर्म और बुद्धिवाद के क्षेत्रों में बुद्ध ने जो शुरूआत की थी वह आगे चल कर नाकाम हुई। धर्म और राजनीति को एक करते हुए यह साबित करने के लिए मनुस्मृति लिखी गई कि चातुर्वर्ण्य केवल सामाजिक प्रथा नहीं, वह एक राजनीतिक दर्शन है।

हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन की बुनियाद बुद्धिवाद ही होनी चाहिए। हर देश में राजनीतिक नेता को कसौटी पर कसा जाता है। लेकिन गांधी को देखिए। उनके लिए कोई कसौटी नहीं लगाई जाती। वह जो कही वही सच है। दो वर्ष पूर्व गांधी ने कहा, पाकिस्तान पाप है, तब सभी कांग्रेस वालों ने उनकी हां में हां मिलाई। आज गांधी कह रहे हैं– पाकिस्तान पाप नहीं। मुसलमान अगर कुछ मांगते हैं तो उन्हें वह दिया जाना चाहिए। और काँग्रेसवाले उनकी इस बात में भी 'हां' कहते हैं। हमारे सामाजिक, राजनी. तिक और बौधिक जीवन में बुद्धिवाद को कैसे परे कर दिया जाता है इसका यह एक उदाहरण है। इन स्थितियों का अंत अगर नहीं होता है तो देश पर बड़ा संकट आएगा।

210

*सत्ता में होने के बावजूद गैर-ब्राह्मण पक्ष ब्राह्मण्य को खत्म नहीं कर पाया

दक्षिण भारत में 1920-36 के दरमियान ब्राह्मणेतरों का दल, जस्टिस पार्टी बहुत बलवान था। 1937 के बाद वह कमजोर पड़ा। जून 1944 से उसे फिर से जीवित करने की कोशिश शुरू हुई। मद्रास प्रांत में इसके लिए कई सभाएं आयोजित की गईं। ऐसी ही एक बड़ी सभा 24-25 सितंबर, 1944 को सालेम शहर में लेना तय हुआ था। इस आंदोलन के बारे में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को पता चला तब उन्हें लगा कि ब्राह्मणेतर नेताओं के साथ चर्चा कर इस बारे में उन्हें पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। उन्होंने इस आंदोलन के प्रमुख श्री ई. वी. रामस्वामी नायकर को मिलने आने के लिए आमंत्रण भेजा। तब श्री नायकर बाबासाहेब से मिलने के लिए शनिवार दिनांक 23 सितंबर, 1944 को मद्रास आए। अडयार के चेट्टीनाड हाउस में दोनों ने दो घंटों तक बातचीत की। श्री बाबासाहेब ने श्री नायकर को आश्वसन दिया कि ब्राह्मणेतर दल के सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम के लिए उनका समर्थन है और आगे भी रहेगा। 'करूर' में होने वाली ब्राह्मणेतर परिषद में उपस्थित रहने के लिए श्री नायकर मद्रास से 23 सितंबर की रात रेलवे से रवाना हुए।

रविवार, दिनांक 24 सितंबंर को दोपहर 2 बजे मद्रास शहर की अस्पृश्य महिलाओं की ओर से बाबासाहेब को रायपेट्टा के 'वुडलैंडस्' की भव्य इमारत में चाय-पार्टी दी गई। इस अवसर पर भाषण देते हुए उन्होंने संदेश दिया कि महिलाएं आंदोलन में हिस्सा लें और अपने समाज की उन्नति के काम में हाथ बंटाएं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे समाज के पढ़े-लिखे लोगों को अपनी जाति के बारे में बताते हुए डर लगता है यह बड़े शर्म की बात है।

मद्रास से निकलने वाले अखबार 'द संडे ऑब्जर्वर' के संपादक श्री पी. सुब्रमनियम मुदलियार ने बाबासाहेब को कोन्नेमर होटल में दोपहर का खाना दिया। खाने के बाद होटल के ग्रीन रूम में आंमत्रित मेहमान (सरकारी अफसर तथा अन्य) बातें करने के लिए इकट्टा हुए तब मुदलियार जी ने बाबासाहेब से विनति की कि वे ब्राह्मणेतरों के आंदोलन के बारे में अपने मार्गदर्शक विचारों से सभी को अवगत कराएं। बाबासाहेब ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा,

भाइयों और बहनों,

---

*डॉ. भी. रा. अम्बेडकर चरित्र : ले. चां. भ. खैरमोडे, खंड 9, पृष्ठ 381-383

ब्राह्मणेतर पक्ष के सुशिक्षित युवक अगर यहां आते और उनके आगे हमें किसी दार्शनिक की तरह विद्वत्ताप्रचुर भाषण देना होता तो वैसा करने में मुझे बड़ा उत्साह म. हसूस होता। लेकिन यहां नए विचारों वाले युवाओं से अधिक पुराने नेता और कार्यकत्ता अधिक संख्या में उपस्थित हैं यह देख कर मेरा उत्साह ठंडा पड़ रहा है। इसके बावजूद मैं आपके आगे अपने विचार प्रस्तुत करता है।

मद्रास ब्राह्मणेतर पक्ष, जस्टीस पार्टी, इस क्षेत्र में 1917 से 1937 तक यानी 20 सालों तक अधिकार में थी। इसके बावजूद 1937 के चुनावों में इस पक्ष की हार क्यों हुई? यह सवाल पूछने लायक है। ब्राह्मणेतर पक्ष निर्माण हुआ यह लोकतंत्र के नजरिए से बड़ी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना थी। यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है। 'ब्राह्मणेतर' शब्द के कारण उसे जातीय स्वरूप प्राप्त हुआ। यह पक्ष लोकतंत्र के नजरिए से महत्वपूर्ण था। हिंदू समाज में ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर इस प्रकार के दो वर्ग हजारों सालों से आस्तित्व में हैं। ब्राह्मण वर्ग विषमता मानता है। हजारों सालों से धार्मिक और राजनीतिक सत्ता अनियंत्रित रूप से उनके हाथों में है। ब्राह्मणेतर वर्ग समता को मानने वाला है। समाज में समता स्थापन करने के लिए हुकुम चलाने वाले ब्राह्मण वर्ग पर उसने आज तक हजारों बार जोरदार हमले किए हैं। लेकिन तानाशाह ब्राह्मण वर्ग धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की सभी मौके की जगहों को काबीज कर बैठा है। और इसी का फायदा उठाते हुए वह हमेशा ब्राह्मणेतरों के सभी हमले नेस्तनाबूत करता आया है। इसीलिए ब्राह्मणवर्ग, ब्राह्मणेतर वर्ग के अनियंत्रित राज्यकर्ता के रूप में वैसे ही रहा है। ब्राह्मणेतर वर्ग समता को मानने वाला है लेकिन वह विषमता को मानने वाले ब्राह्मणवर्ग को नेस्तनाबूत कर समाज में समता और देश में प्रजातंत्र की स्थापना नहीं कर पाया।

ब्राह्मणेतर पक्ष आपके इलाके में बीस साल से सत्ता में था। इसके बावजूद वह ब्राह्मण वर्ग को नेस्तनाबूत नहीं कर पाया। इसके कई कारण हैं। उनमें से प्रमुख कारण है–इस पक्ष के लोगों की स्वार्थांधता, भेड़िया श्वसान का आकर्षण, पढे-लिखे ब्राह्मणेतरों में समाज से अलिप्त रहने का भाव, पक्ष के उद्देश्य और नीति की संकीर्णता और संगठन की शिथिलता आदि। 1917 से 1937 के दरमियान यह पक्ष सत्ता में रहा। लेकिन उसे जनता के हित का काम करने से अधिक ब्राह्मणवर्ग को गाली-गलौज करना ही अधिक महत्वपूर्ण लगा। उसी में इस पक्ष की पूरी ताकत खर्च हो गई। गांव की जनता गरीबी से परेशान है। साहूकार के चंगुल में फंसी है। उसके हित के लिए व्यवसायादि शुरू करना, साहूकार के चंगुल से उसे छुड़ाना आदि काम करने की सुध इस पार्टी के पास नहीं रही। अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दिलाने का मुख्य कार्य ही इन्होंने सर्वाधिक किया। नौकरी पर लगे युवा ब्राह्मणेतर समाज से अलिप्त रह कर ऐशोआराम में जीवन बिताने लगे। ब्राह्मणों को गालियां देने वाले ब्राह्मणेतर फिर ब्राह्मणों की ही तरह गंध लगाने,

पूजा करने, अच्छे कपड़े पहनना आदि ब्राह्मणों के आचार-विचारों को अपनाने लगे। सो, ब्राह्मण्य को नष्ट करने की ब्राह्मणेतरों के पार्टी की जो नीति थी वह किसी कोने में दुबकी रही और ब्राह्मण उसी प्रकार जिंदा रहा। ब्राह्मणेतर पार्टी को इस बात का पूरा ज्ञान नहीं हुआ कि वे ब्राह्मणों से भिन्न हैं, उनके और अपने दर्शन में जमीन-आसमान का फर्क है। इस फर्क को जान कर उसी के अनुकूल वे बर्ताव कर न सके। ब्राह्मणेतरों के बर्ताव से यही बात साबित होती रही है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ दर्जे के ब्राह्मण हैं और खुद दोयम दर्जे के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणेतर पक्ष के नेता भी विद्वान और तर्कशुद्ध तरीके से सोचने वाले श्रेष्ठ नहीं थे। अपने पक्ष की नीति को व्यापक बना कर उसे लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए उपयोग में लाना उनसे नहीं हो पाया। नेता कैसे हों? साफ नीति बनाने वाले और बनाई गई नीति का लक्ष्य पाने के लिए जी-जान से जुट जाने वाले नेता होने चाहिए। गांधी अथवा जिन्ना जैसे नेता नहीं होने चाहिए। गांधी आज एक राय व्यक्त करेंगे और कल ठीक उसके उलटी राय देंगे। ऐसे कई उदाहरण बताए जा सकते हैं। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने आज तक कई परस्पर विरोधी राय व्यक्त की हैं। जिन्ना तो तानाशाह हैं। लीग का कार्यकारी मंडल वे खुद बनाते हैं। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को वे मान्यता नहीं देते। गांधी और जिन्ना के अनुयायी उन्हें नेता पद से दूर क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर वे ऐसा करेंगे तो काँग्रेस और लीग में धांधलियां पैदा होंगी, यह वे जानते हैं। क्योंकि इन्हीं दो नेताओं के कारण उनके पक्ष में संगठन बना हुआ है। ब्राह्मणेतर दल के नेताओं को हटा दें तो उस पार्टी का संगठन टूट जाएगा। क्योंकि इन संगठनों में बिखराव है। वे सिमेंट की तरह मजबूत नहीं हैं। इसीलिए 1937 के चुनावों में उस पक्ष को ब्राह्मणेतर मतदाताओं की संख्या अधिक होने के बावजूद हार का मुंह देखना पड़ा था।

211

शासक समुदाय बनना ही हमारा लक्ष्य और आकांक्षा

''मद्रास इलाका शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन के तत्वावधान में मद्रास पार्क टाऊन के मेमोरियल हॉल में रविवार, 24 सितंबर, 1944 की शाम 4 बजे अस्पृश्यों की विशाल सार्वजनिक सभा संपन्न हुई। अध्यक्ष स्थान पर थे रावबहादुर एन. शिवराज। इस सभा में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर आए तब सब लोग खड़े हुए। तालियों से और जयघोष करते हुए उन्होंने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का स्वागत किया। अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। इस सभा में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को, (1) मद्रास और द्रविड वर्कर्स एसोसिएशन, (2) साऊथ इंडियन बुद्धिस्ट एसोसिएशन, (3) शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन ऑफ दी सिविल एंड मिलिटरी स्टेशन, बैंगलोर, (4) मद्रास शेडयूल्ड कास्टस् स्टुडंटस एसोसिएशन, (5) आंध्र प्राविन्शियल शेडयूल्ड कास्टस् वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य संस्थाओं की ओर से मानपत्र देने का समारोह हुआ। एक युवक ने बाबासाहेब को भगवान बुद्ध की सुंदर, रंगीन तस्वीर अर्पण की। मानपत्र के लिए धन्यवाद देते हुए बाबासाहेब ने इस सभा में भाषण दिया जिसमें विरोधी पक्ष को गुस्सा दिलाने वाली कुछ पुरानी जानकारियां दी।*

**डॉ. बाबासाहब ने अपने भाषण में कहा,

अध्यक्ष महाराज, भाइयों और बहनों,

मद्रास शहर में आपने इतने बड़े पैमाने पर मेरा सम्मान किया इसके लिए मैं पहले ही आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। इसी मद्रास शहर में एक बहुत बड़े व्यक्ति ने हाल ही में अपने भाषणों में दो बार मेरे बारे में बहुत बुरे शब्दों का प्रयोग किया है। वह व्यक्ति हैं- सांसद श्रीनिवास शास्त्री। भाषण की शुरूआत में ही मुझे उनको जवाब देना पड़ेगा। कुछ दिनों पूर्व तक जब पाकिस्तान के मसले ने शास्त्री को उलझन में नहीं डाला था तथा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय परिषद में हिंदुस्तान के इकलोते प्रतिनिधि और भारत वर्ष की आत्मा के नाते महात्मा गांधी ही हिस्सा ले सकते हैं ऐसा उन्हें लगता था जब एक बार उन्होंने कहा था कि जो भी हो, हिंदी जनता को इस बारे में एहतियात बरतना होगा कि डॉ. अम्बेडकर किसी भी आंतर्राष्ट्रीय परिषद में हिस्सा नहीं ले पाएं। उनके जैसे वरिष्ठ और पूजनीय व्यक्ति के मुंह में ऐसी भाषा सुन कर मुझे थोड़ा अचरज लगा। मेरा

---

* डॉ. भी. रा. अम्बेडकर चरित्र : चां. भ. खैरमोडे, खंड 9, पृष्ठ 356-57

** 'जनता' के उपलब्ध अंक में 4 और 5 पृष्ठ पर यह भाषण प्रकाशित हुआ है लेकिन उन पृष्ठों पर अंक की तारीख नहीं है और इस अंक का प्रथम पृष्ठ उपलब्ध नहीं है-संपादक

सार्वजनिक जीवन शास्त्री जी की तुलना में कम ही है और इस थोड़े से समय में मैंने उनके जितनी कीर्ति भी अर्जित नहीं की है। तो फिर, मेरे छोटे से सार्वजनिक जीवन में मैंने ऐसा कौन-सा बुरा काम किया है कि जिसके कारण किसी अंतरराष्ट्रीय परिषद में मुझे बैठा देख कर हिंदी जनता को शार्मिंदगी से गर्दन झुकानी पड़े? मैंने उस सिलसिले में अपने को काफी खंगाला, आत्मसंशोधन किया। मैं यहां किसी को बुरा-भला कहने या गाली-गलौज करने के लिए खड़ा नहीं हूं। वरना मैं शास्त्री जी को अंग्रेजों की गोद में बैठा कुत्ता जरूर और आसानी से कह देता। उन्होंने अपनी पूरी जिदंगी अंग्रेज सरकार की गोद में बैठ कर गुजारी है। देश में अथवा देश से बाहर अगर उन्होंने कुछ दुष्कीर्ति और बड़प्पन कमाया भी है तो केवल अंग्रेज सरकार ने उन्हें शोभा बढ़ाने के लिए आगे करने की कृपादृष्टि रखी इसीलिए। मैं नहीं कहना चाहता कि शास्त्री की बकबक सड़ी लाश पर बूढे कौए की कांव-कांव की तरह है।

ज्यादातर कॉँग्रेस वाले क्या कहते हैं? यही कि अस्पृश्य वर्ग देश के हित की राह का रोड़ा है! श्री गांधी, नामदार शास्त्री, सर तेजबहादूर सप्रू और हिंदी राजनीति में पहली पंक्ति का सम्मान पाने वाले कई नेताओं के साथ मैं बैठा हूं। राष्ट्रहित की सोचने वालों को जो नहीं करनी चाहिए ऐसी कई बातें उन्हें करते हुए मैंने देखा है। मुझे यकीन हैं, केवल यकीन ही नहीं मुझे इस बात का गर्व भी है कि जिस-जिस समय कोई सार्वजनिक सवाल गोलमेज परिषद के सामने चर्चा के लिए आया उस वक्त उन देशभक्त माने गए लोगों की तुलना में मेरा बर्ताव कई गुना अच्छा और राष्ट्रहित वाला था। (तालियां)

यहां बैठे कई लोगों को इस बात का पता नहीं होगा कि गांधी ने गोलमेज परिषद में क्या-कया किया? आप सभी यही मानते होंगे कि हम सबने वहां बेहतरीन काम किया। क्या यही सच है? श्री गांधी ने क्या किया? 1931 में जब गांधी गोलमेज परिषद में गए तब उन्हें कॉँग्रेस ने आज्ञा दी थी कि वह संपूर्ण आजादी की ही मांग करें उससे कम कुछ स्वीकार न करें। हिंदुस्तान के अन्य बड़े राजनीतिक भी उस मांग के आसपास नहीं पहुंचे थे। लेकिन गांधी ने जो किया यह बताने में मुझे दुख ही होता है। हालांकि हमेशा मुझ पर गोलमेज परिषद में संघ को फोड़ने का आरोप लगाया जाता है इसलिए मुझे कुछ बातें बतानी ही पड़ेगी।

जाहिर है कि आजादी की मांग लेकर आने वाले गांधी हमसे कहीं आगे निकल जाएंगे ऐसा ही सबका अंदाजा था लेकिन अचरज की बात यह कि हिंदुस्तान के दुर्भाग्य से इस बूढ़े को कुछ इस प्रकार घुमाया गया कि वह साइमन कमीशन की सिफारिशों पर ही संतुष्टि जाहिर करने लगा। जाहिर है कि इस कारण तत्कालिन भारत मंत्री सर सैम्युअल होअर और सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी को परिषद खत्म करने की जल्दी मची थी। उस वक्त हमने पार्लियामेंट के कंजर्वेटिव, लेबर और लिबरल, इन तीन पार्टियों

के एक आयोग का गठन किया था। पार्लियामेंट द्वारा साइमन कमीशन की सिफारिशें मानी जाएं, उनसे आगे सोचा न जाए। इस बात को सर सैम्युअल होअर ने इज्जत का मसला बना रखा था। गांधी की नीति उन्हें भगवान के आशीर्वाद समान लगी। इसलिए तुरंत वह कहने लगे कि हिंदुस्तान में गांधी से बड़ा और कौन है? सप्रू कौन हैं? और, अम्बेडकर किस झाड़ के पत्ते हैं? जिन्ना कौन हैं? प्रांतीय स्वायत्तता से अगर गांधी संतुष्ट हों तो परिषदों को बंद किया जाए और पार्लियामेंट तुरंत साइमन कमिशन की सिफारिशों के अनुसार कानून बना दे। हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई। हमने साफ-साफ बताया कि यह हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम कभी ऐसी बातों में शामिल नहीं हो सकते। हमने इतना हल्ला मचाया कि आखिर ब्रिटिश मंत्रिमंडल को परिषद में शामिल प्रतिनिधियों की राय जानने के लिए एक छोटी कैबिनेट कमेटी नियुक्त करनी पड़ी। इस कमेटी के आगे बयान देने वालों में मैं भी शामिल था। इस कमेटी के अध्यक्ष थे लॉर्ड चैंसलर और सदस्य थे मुख्य प्रधान और भारत मंत्री। गर्व के साथ मैं बताता हूं कि मैंने वहां यही बताया कि भारतीय पार्लियामेंट पीछे का रुख करे यह अस्पृश्य वर्ग भी सह नहीं पाएगा। कोई कह सकता है कि मेरा यह कहना निंदनीय था? केन्द्र सरकार को लोकाभिमुख करते समय अस्पृश्य वर्ग रोड़ा बना, यह कौन कह सकता है?

उस समय गांधी रियासतदारों के आगे गिड़गिड़ाए। सीधे-सीधे कहा कि रियासतदारों द्वारा प्रतिनिधियां के चुनने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं। समूची गोलमेज परिषद में इस सवाल पर भिड़ने वाला प्रतिनिधि अकेला मैं ही था। (तालियां) तब शास्त्री जी कहां छुपे थे? उनके बारे में कुछ मजेदार बातें मैं आपको बता सकता हूं। हम सब फेडरेशन के खिलाफ थे। शुरू से जिस एक मुद्दे पर मैं डटा हुआ था वह यह था कि अंग्रेज सरकार हिंदुस्तान की राजनीति को रियासतों की राजनीति से न जोड़े। इन दोनों को अलग होकर अब करीब 150 वर्ष बीत गए हैं। अर्थात हम एक ही हैं। हमारा भविष्य भी एक-सा होगा इसमें कोई दो राय नहीं। इसके बावजूद यह बात बाकी रह जाती है कि हम 150 वर्षो तक अलग राहों पर चले हैं। हमें मिली राजनीतिक शिक्षा में फर्क है।

आग्रह के साथ अंग्रेज सरकार से मेरा यही कहना था कि हिंदुस्तान को अपनी विशिष्ट राह से चल कर ही आजादी पाने दें। उनके साथ हिंदी रियासतदारों को जोड़ कर उनका भविष्य ना उलझाएं। शा्स्त्री की भी यही राय थी या कहिए कि वे भी इस षड़यंत्र में शामिल थे। हम तीन लोग ही ब्रिटिश हिंदुस्तान को सीने से लगाए हुए थे। ना शास्त्री, सर चिंतामणी और मैं। मुझ जैसे 'लड़के' से शास्त्री जैसे ख्याति प्राप्त व्यक्ति की ओर लोग आदर से देखेंगे, उनका कहना गंभीरता से लेंगे यही सोच कर हमने उन्हें हमारी तरफ से बोलने के लिए खड़ा किया। परिषद के सामने वह बोले भी। उससे पहले वाले दिन मैं और चिंतामणी उनसे मिले भी थे। उस वक्त भी उनकी राय निश्चित थी।

तीन बजे किंग जेम्स पैलेस में शास्त्री जी बोलने वाले थे। हम वहां गए। आपको क्या लगता है कि वह वहां क्या बोले? मेरा और सर चिंतामणी का दिल बड़ा मजबूत था वरना उस समय हम जो आघात झेल रहे थे उससे हमारा राम नाम सत्य हो जाता। श्री शास्त्री ने बताया कि वह फेडरेशन की ओर थे। वह मुझसे कह रहे थे कि मेरे दुराग्रह के कारण पूरी योजना को बिगाड़ रहा हूं। इसलिए मुझे चुप रहना चाहिए। गांधी अगर ईमानदार होते और हिंदी संस्थान की जनता के बारे में उन्हें सच्ची सहानुभूति होती तो रियासतदारों के जुल्मों से उन्हें छूट मिले इस तरह वह बरतते। सबसे पहले वह इस बात पर अड़ जाते कि रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता को ही करना चाहिए। उल्टे गांधी ने कहा कि रियासतदारों द्वारा प्रतिनिधि चुने जाने के लिए उनकी मंजूरी है। एक बात मुझे आपको बतानी पड़ेगी कि गांधी को राजनीति बहुत कम समझ में आती है। उनकी निंदा करने के उद्देश्य से मैं यह नहीं कह रहा। न ही आपकी तालियां बटोरने के लिए मैं यह कह रहा हूं। यही सच है इसलिए आपको बता रहा हूं। पहली गोलमेज परिषद में मैं उपस्थित था, गांधी नहीं थे। बातचीत का ऊंच-नीच मुझे पता था। मुझे तीव्रता से लग रहा था कि गांधी से उनके बोलने से पूर्व ये सारी अच्छी-बुरी झूठी-मुठी बातें पता चलनी चाहिए। तभी उन्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए इसका उन्हें पता चलेगा। दूसरी गोलमेज परिषद में गांधी थे तब फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी पर मैं था। अस्पृश्यों का प्रतिनिधि था तो जाहिर है कि मुझे अध्यक्ष बने लॉर्ड चैंसलर के पड़ोस में बैठने को मिलने की उम्मीद नहीं थी। मुझे आखिर में कहीं बिठा दिया गया था। पहले दिन गांधी के आने के बाद ही सभा को लेकर चर्चा निकल पड़ी। गांधी का राजनीति का ज्ञान वैसे ही कम था और वह पहली परिषद में उपस्थित भी नहीं थे। इन दो बातों के कारण मुझे चिंता हो रही थी। सबसे पहले अगर मुझे बोलने का मौका मिला तो मैं हालात के बारे में स्पष्टता से बोलूंगा, सभी बातें खोल कर बताऊंगा ताकि गांधी उन सभी बातों को समझे ऐसी मुझे उम्मीद थी। मैं उत्कंठा से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था।

इसलिए, बुखार का बहाना बनाते हुए मैंने लॉई चैंसलर साहब से पहले बोलने की इजाजत मांगी। उन्होंने गांधीजी से उनकी आपत्ति के बारे में पूछा। उदारता दिखाते हुए गांधी ने मुझे बोलने की इजाजत दे दी। करीब डेढ घंटे तक मैं बोला। विदेश में इससे अधिक मैं कभी नहीं बोला। भाषण के बाद तबियत ठीक न होने का बहाना सही था यह साबित करने के लिए मुझे वहां से निकल जाना पड़ा। बाद में गांधी ने क्या कहा यह जानने की उत्सुकता में पूरी रात जागने वाला पूरे लंदन में शायद मैं ही अकेला था। ठीक आधी रात परिषद की रपट मेरे हाथ आई। मैंने जल्दी-जल्दी लिफाफा खोला और गांधी का कहा पहला वाक्य मुझे नजर आया। उन्होंने कहा था, अम्बेडकर का कहना मेरा मन मानता है, बुद्धि नहीं।'' भाषण में जो कुछ मैंने सुझाया था ठीक उनके उल्टा वह बोले थे। मुझे बेहद गुस्सा आया। सुबह नहीं था लेकिन रात में मुझे थोड़ा बुखार चढ़ा।

दूसरे दिन सुबह मैं परिषद गया। गांधी और अन्य सभी वहां थे। सभा का कामकाज शुरू होते ही मैंने अध्यक्ष लॉर्ड चैंसेंलर से गांधी से कुछ प्रश्न पूछने की इजाजत मांगी। मेरे और गांधी के बीच के झगड़े की यही वजह है।

मैंने गांधी से तीन सवाल पूछे-मेरा पहला प्रश्न था कि रियासत की रियाया का प्रति. निधि रियासदार ही चुनें यह कहने की क्या उन्हें काँग्रेस से आज्ञा मिली थी? क्या कभी इस मसले पर काँग्रेस ने चर्चा की थी? इस बारे में बोलने का अधिकार क्या कांग्रेस ने उन्हें दिया था? मेरा दूसरा सवाल चुनावों के संदर्भ में था। कंजर्वेटिव पार्टी चाहती थी कि चुनाव परोक्ष रूप से हों। हम सबका इसके लिए विरोध था। लेकिन गांधी ने वह बात मानी। मैंने गांधी से पूछा कि क्या इसी तत्व को स्वीकारने के कारण कांग्रेस द्वारा मिसेज एनी बेजंट का होमरूल बिल अस्वीकार नहीं किया गया था? तीसरी कौन-सी बात पूछी थी, मुझे अब याद नहीं है। अध्यक्ष ने गांधी से पूछा कि क्या वह जबाव देना चाहते हैं? गांधी ने जवाब देने से इनकार किया। हिंदुस्तान को डुबाने का पाप अगर किसी के हाथों हो रहा हो तो वह न मेरे हाथों हो रहा है, न अस्पृश्य वर्ग के हाथों हो रहा है। वह पाप हो रहा है गांधी, शास्त्री और ऐसे ही अन्य लोगों के हाथों से हो रहा है।

आयर्लंड के हालात को हिंदु याद करें। 1916 में उस देश को एकजुट करने की आखिरी बार कोशिश की गई दक्षिण आयर्लंड के कैथोलिकों की ओर से रेडमंड तथा आयर्लंड की ओर से सर एडवर्ड कार्सन के बीच बातचीत चल रही थी। रेडमंड ने जब उत्तर आयर्लंड के प्रोटेस्टंट पंथ के लोगों के लिए खास अधिकार देने की बात कही तब कार्सन ने जवाब दिया, भाड़ में जाएं आपके ''विशेष अधिकार।'' किसी भी तरह हो, हम आपके आधिपत्य में रहना ही नहीं चाहते। क्या हमने कभी ऐसा कहा है? ऐसा कहने के लिए हमारे पास ठोस कारण हैं और अधिकार भी हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं कहा है। हम उनकी तुलना में बेहद विनम्रता से बात कर रहे हैं। हिंदु महासभा की तरह हमने अभी कहा नहीं है कि आपकी जनतंत्र की बातें असल में खुद की तानाशाही को ढंकने के लिए दिया जा रहा झांसा है। हमने कहा-आपको स्वराज चाहिए-लीजिए। हम आपने समर्थन देंगे। बस एक छोटी-सी न्यायापूर्ण शर्त है। हमें अपने हित-संबंधों की रक्षा करने के लिए विशेष अधिकार दीजिए। कार्सन की तुलना में हमारी भूमिका काफी ऊंची स्तर पर है।

शास्त्र, गांधी या काँग्रेस का कोई नेता क्या यह कह सकता है कि, हमारी यह भूमिका उदात्त नहीं? देशप्रेम से परिपूर्ण नहीं? ब्राह्मणों द्वारा दो हजार सालों तक हम पर किए गए भयंकर जुल्म भुलाने के लिए हम तैयार हैं। एक ही उम्मीद लिए कि अगर हमें वे विशेषाधिकार मिले तो देश के अन्य विशाल हृदय वाले लोगों की मदद से हम अपने समाज क्या अपने राष्ट्र को सच्ची इन्सानियत के और राष्टीयता के हक दिला देंगे।

राजनीति में इससे उदार, अधिक उदात्त और महान बनकर कौन दिखा सकता है? इसीलिए मैं अपने हिंदू भाइयों से कहता हूं कि कम से कम अब आप अपनी मानसिकता बदलिए और हम जो स्वार्थत्याग कर रहे हैं, भविष्य के आश्वसन पर भरोसा कर हम जो जोखम उठाने के लिए तैयार हैं उसके बारे में ठीक से सोचिए। हम आपस में मिल-बैठ कर, बातचीत कर मसले को हल कर लेंगे। मैं एका करना चाहता हूं। मैं इसके लिए तैयार हूं। लेकिन दुर्भाग्य से इस मामले में हिंदु समाज का अनुभव अच्छा नहीं है।

जब-जब हमने सिर उठाना चाहा तब-तब उन्होंने हंसी में बात टाल दी। 1932 में पहली बार अस्पृश्यों का सवाल उठाया गया। उन्हें मुसलमानों की बराबरी में रखा गया। उस समय मतदान कमेटी ने पूरे देश में घूम-घूम कर हर प्रांत के अस्पृश्यों की संख्या गिनने की कोशिश की। उस वक्त सभी जगह मैंने यही देखा कि चाहे पुराने सनातनवादी हों या आधुनिक, अपने को व्यापक नजरिए वाले कहलाने वाले हों, सब यही कहते कि अस्पृश्य नाम की कोई चीज ही नहीं है। संयुक्त प्रांत बिहार, पंजाब, सब दूर यही हाल था। ऐसा क्यों? कारण साफ था। हमारे हिंदु भाई जानते थे कि सरकार की ओर से अस्पृश्यों के प्रतिनिधि अलग से विधिमंडल में लेने वाली है और उन प्रतिनिधियों की संख्या अस्पृश्यों की कुल संख्या के अनुपात में होगी, उसी पर निर्भर करेगी। सरकार का निर्णय बदलना उनके बस की बात नहीं थी। इसलिए, वह यह सफेद झूठ कह और फैला रहे थे कि अस्पृश्य नामक समाज अस्तित्व में ही नहीं है। 1932 में हिंदू ऐसा नीच षडयंत्र कर रहे थे। आज वे कोई और दांव लड़ा रहे हैं।

गांधी और वाइसराय का पत्राचार प्रकाशित होने की बात आप जानते ही हैं। उसमें से 15 जुलाई, 1944 का खत बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें वाइसराय ने कहा है कि युद्ध की समाप्ति पर हिंदुस्तान को आजादी देने के लिए अंग्रेज सरकार तैयार है। लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह थी कि उस समय जो संविधान लागू होगा वह हिंदुस्तान के राष्ट्रीय जीवन के सभी प्रमुख घटकों को मंजूर होगा। वाइसराय ने प्रमुख घटक कौन-से हैं इसकी भी जानकारी दी है। हमारे सौभाग्य से और हिंदु भाइयों के दुर्भाग्य से उसमें अस्पृश्यों को भी एक घटक के तौर पर शामिल किया गया है।

इस मामले में कुछ अखबारों ने हल्ला मचा रखा है कि, वाइसराय का यह कथन नया है और अंग्रेज सरकार की ओर से क्रिप्स, ने जो योजना रखी थी उसमें ऐसा जिक्र नहीं था। इन सभी बातों से मुझे गुस्सा है। इस तरह का झूठा और दुर्भावनापूर्ण विचार वह क्यों करें समझ नहीं आता। हिंदू अखबार वाले और संपादक कुछ कहने से पहले जो कहने जा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करें और सब पता करने के बाद ही जो आलोचना करनी हो वह करें।

यह बताने की जरूरत नहीं कि साइमन कमीशन ने कितने आग्रह के साथ अस्पृश्यों के पृथक चुनाव-क्षेत्र रखे जाने की सिफारिश की थी। अस्पृश्य समाज इस देश का एक पृथक और महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है ऐसा कहने की क्या किसी की हिम्मत है? गोलमेज परिषद में सरकार ने उन्हें अलग प्रतिनिधित्व क्यों दिया? अस्पृश्य समाज हिंदुओं की कोई शाखा या जाति नहीं है। वह एक पृथक घटक है। इसीलिए उसके प्रतिनिधियों को अलग से शामिल करा लिया गया था। इसी प्रकार संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट देखें। यह सब पुराना इतिहास है। उसके बाद कई बातें घटी हैं। सो, अस्पृश्य समाज एक अलग घटक है।

मैं अपने हिंदु भाइयों को साफ तौर पर बताना चाहता हूं कि इन सारी पुरानी कल्पनाओं को वे त्याग दें। मन में एक बात पक्के तौर पर गांठ बांध लें कि अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो, अब यह बात मानी जा चुकी है कि अस्पृश्य समाज हिंदुस्तान का एक अलग घटक है। मैं उन्हें बिल्कूल स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि वे इस बारे में किसी तरह के शक को अपने मन में घर ने बनाने दें।

गांधी-जिन्ना की लेन-देन संबंधी बातचीत के प्रमुख मसले के बारे में मुझे कुछ नहीं बताना है। लोग मुझसे पूछते हैं कि गांधी-जिन्ना की लेन-देन संबंधी बातचीत के बारे में मैं कुछ बोलता क्यों नहीं? इस लेन-देन के बारे में क्या कहा जाए यही मेरी समझ में नहीं आता।

अब जिस तरह चल रहा है उस तरह केवल दो पक्षों के बीच चल रही सुलह की कोशिश हमेशा संदहास्पद होती है। तीसरे को लूट कर अपना फायदा ऐंठने का यह दोनों का षडयंत्र है ऐसा मुझे लगता है। जिन्ना गांधी से क्या चाहते हैं और गांधी जिन्ना को क्या देने के लिए तैयार हैं में नहीं जानता। लेकिन डर जरूर लगता है कि जिन्ना को उनके हिस्से से अधिक अगर वह कुछ देंगे तो वह मेरे हिस्से में से निकाल कर देंगे। सो, इस लेन-देन से मुझे इतना डर क्यों लगता है यह आप इस बात से समझ सकते हैं। गांधी की नीति का सबसे बड़ा हिस्सा यही है कि देश के सबसे बड़े पक्ष का समर्थन प्राप्त करना और काँग्रेस को और मजबूत बनाना और इसके सहारे अंग्रेज सरकार को डरा कर अस्पृश्यों की मांगों को परे हटाते हुए सुलह करने पर मजबूर करना।

जातीय मसले जब से क्षितिज पर उभरने लगे तब से अपने सार्वजनिक जीवन में गांधी अगर कुछ किया है तो बस यही कि उन्होंने अस्पृश्यों को नजरंदाज किया है।

गोलमेज परिषद में गांधी ने मुझे अकेला करने की बहुत कोशिश की। हिटलर की भाषा में अगर बताना हो तो उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मुझे अकेला कर मेरा पूरा समर्थन नष्ट करने की कोशिश उन्होंने की। कई दिनों तक कोशिश करने के बाद

भी सफलता ने मिलने के बाद कोई ईमानदार आदमी कभी नहीं करेगा ऐसी बात उन्होंने की। मुसलमानों के पास जाकर उन्होंने बताया कि उन्हें जिन्ना की 14 शर्तें मंजूर हैं लेकिन एक शर्त पर कि वे इस 'नालायक अस्पृश्य कुत्ते से इस विषयपर बातचीत नहीं करेंगे।' इस बारे में मेरे पास लिखित सबूत हैं। गोलमेज परिषद में गांधी और लीग के बीच हुआ एक लिखित मसौदा मेरे पास है। कम से कम इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

अपना लक्ष्य क्या है उसे पहले से ठीक से समझ लें। एक बात अपने मन पर उकेर लें कि हमारा लक्ष्य और आकांक्षा है शासनकर्ता बनें। सो आपको याद हो जाएगा कि जिन आकांक्षाओं को हम सीने से लगाए खड़े हैं, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं वह कोई छोटा या मामूली लक्ष्य नहीं है। कुछेक नौकरियों या रियायतों के लिए यह लड़ाई नहीं है। हमारे मन की आकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। शासकों की जमात में शामिल होना ही हमारी आकांक्षा है। यह जानेंगे तो समझ आएगा कि इसे वास्तव में लाने के लिए कितने भगीरथ प्रयत्नों की जरूरत है। केवल निवेदन देने या शब्दों का कोई फायदा नहीं होगा। हो सकता है गांधी उसे टाल दें।

गांधी को और सरकार को भी हमें यह बताना होगा कि इस बार हमने अपने मन में ठान ली है तभी बता रहे हैं। सरकार को भी निश्चित रूप से जबाब देना पड़ेगा। अब हम सरकार को टालमटोल करने नहीं देंगे। एक बार दिए वचन का सरकार पालन करेगी ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन यह बात भी सच है कि सरकार या अन्य किसी की स्वेच्छा पर निर्भर रहने का कोई तुक नहीं। हमें अपने आप पर भरोसा करना होगा। हमें अपना जोरदार संगठन खड़ा करना होगा। अन्य सभी अड़चने हमें परे हटानी होंगी।

इस शहर के अस्पृश्यों में मुझे बेहद उत्साह महसूस हो रहा है। हो सकता है मेरे आने के कारण वह पैदा हुआ हो। लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय कार्यक्रम करने भर से हमारी ताकत में इजाफा नहीं होने वाला। हम सबको एक राजनीतिक संगठन बनाना होगा। दुनिया को दिखाना होगा कि अखिल भारतीय शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन ही समूचे अस्पृश्य समाज का एक मात्र संगठन है। (तालियों की गड़गड़ाहट)।

212

*युद्ध के बाद तानाशाही स्थापित न हो

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मद्रास से राजमहेंद्री की ओर जाने के लिए सोमवार, 25 सितंबर, 1944 की रात को निकले। 26 सितंबर, 1944 की सुबह वह मद्रास मेल से द्वारपौडी स्टेशन पहुंचे। वहां से मोटर से वह रामचंद्रपुर आए। वहां अस्पृश्यों ने उनका स्वागत किया। वहां से उनकी गाड़ी कोकीनाड़ा की ओर चली। राह में पड़ने वाले वेलंगी गांव के अस्पृश्यों ने बाबासाहेब को मानपत्र दिया। शाम को वे कोकीनाड़ा पहुंचे। वहां ईष्ट गोदावरी डिष्ट्रीक्ट बोर्ड की ओर से मानपत्र दिया गया। बोर्ड के अध्यक्ष राय बहादुर बी. बी. सर्वेरायडू मानपत्र समारोह के अध्यक्ष थे। मानपत्र का जबाब देते हुए बाबासाहेब ने भारत के आज के हालात और उनके अनुसार देशहित की नीति क्या हो सकती है इस विषय पर भाषण दिया। उन्होंने कहा- भारत में फिलहाल युद्ध को लेकर चार तरह के विचार प्रवाह हैं-बिना शर्त के युद्ध में सहायता देना, शर्त के साथ सहायता करना, युद्ध का विरोध करना और बिल्कुल मदद नहीं करना। इस कारण देश के राजनीतिक हालत बड़े बौखलाहट भरे हैं। युद्ध की ओर देखने का विभिन्न पक्षों और नेताओं का नजरिया अलग-अलग है। यह हमारा युद्ध नहीं है। इसमें अंग्रेज अगर-अगर हार जाएं तो अच्छा ही है जैसी बातें कुछ पक्ष और नेता करते हैं। लेकिन उनकी यह सोच गलत है। अंग्रेजों का राज खत्म होकर अगर भारत पर जापान या जर्मनी का राज आए तो सभी भारतीयों का जीवन पशुओं समान हो जाएगा। अंग्रेजों ने भारत पर कई अन्याय किए हैं और उनके खिलाफ भारतीयों को आंदोलन करने की और बोलने की संवैधानिक आजादी थी और है। लेकिन जापान और जर्मनी की तानाशाही हुकूमत में यह आजादी नहीं मिलने वाली। युद्ध के बाद भारतीयों को अधिक अधिकार जरूर मिलेंगे। उन हकों को पाने के लिए युद्ध में जापान और जर्मनी को हराने के लिए भारत के सभी पक्षों को उनका साथ देना अपने ही हित में होगा। इस बारे में 'छोड़ो भारत' आंदोलन कर युद्ध में सहायता देने की सारी कोशिशों को नाकामयाब करने की गुप्त कोशिशें जिन्होंने की उन्हें सरकार ने कारागार भेजा। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। लोगों को लगता है कि और गांधी में सुलह होनी चाहिए लेकिन केवल उतने भर से भारत की राजनीतिक मुश्किलें हल नहीं होने वाली। अस्पृश्य, हिंदु मुसलमान आदि सभी वर्ग के और पक्षों के लोगों को चाहिए कि वे साथ बैठ कर इन सवालों के हल ढूंढने की कोशिश करें।

---

*डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर चरित्र : ले. चां. भ. खैरमोड़े खंड 9, पृष्ठ 392-93

213

*ब्राह्मणों के जातिभेद के विष के कारण अब्राह्मण मानवी सदगुणों से वंचित रहे

कोकीनाड़ा की शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन, रघुपेटे डिप्रेस्ड कलासेस एसोसिएशन, वलंदरपेटा आदि आंध्र एसोसिएशन तथा प्रबोधन साहित्य समिति, इन संस्थाओं की ओर से दिनांक 26 सितंबर, 1944 को वी. आर. कॉलेज के हॉल में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को मानपत्र दिए गए। उन्हें जबाब में भाषण देते हुए डॉ. बाबासाहेब ने कहा,

भाइयों और बहनों,

किसी देश के समाज में कोई वर्ग या कोई जाति प्रभुत्व कैसे पाती है? इसलिए कि उस वर्ग के या उस जाति के हाथ में सत्ता होती है। फिर वह सत्ता चाहे आर्थिक हो, धार्मिक हो, राजनितिक हो या किसी अन्य तरह की हो। पांच-छह हजार वर्ष पहले ब्राह्मणों ने यह पहचाना। इसीलिए वे सोचने लगे कि उनकी जाति कैसे पूरे हिंदु समाज पर प्रभुत्व स्थापित करे। इसलिए उन्होंने वेदों में चातुर्वर्व्य की व्यवस्था की। समाज का प्रमुख, मंदिरों का प्रमुख, गांव का प्रमुख ब्राह्मण ही हो, ऐसी व्यवस्था स्थापित की। सभी जातियों की औरतों से ब्राह्मण शादी कर सके, राजा ब्राह्मणों को ही अपना प्रमुख मंत्री, पुरोहित, सेनाध्यक्ष बनाए, इस प्रकार के नियम मनु तथा अन्य धर्म-शास्स्त्रों ने अपने स्मृतिग्रंथों में बना कर उन्हें हिंदु समाज द्वारा माना जाना अनिवार्य बनाया। ब्राह्मणों का श्रेष्ठत्व खत्म करने के लिए ब्राह्मणेतरों ने वैदिक युग में और बाद में कुछ सात बार बड़े झगड़े किए। मुठ्ठीभर ब्राह्मण और लाखों अब्राह्मणों के इन झगड़ों में अब्राह्मणों की हार हुई क्योंकि अस्त्राज्ञों ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों के जातिभेद के विष के कारण मानवी सदगुणों से वंचित हो गए थे। सो, अगर अस्पृश्य वर्ग को सामर्थ्यशाली बनना हो तो उनके हाथ में राजनितिक और आर्थिक सत्ता आना जरूरी था। राजनीतिक सत्ता हासिल करने का मौका फिलहाल अस्पृश्यों को प्राप्त है। पिछले हजारों सालों में उन्हें कभी ऐसा मौका नहीं मिला था। इस मौके का फायदा उठाना हो तो उन्हें आपसी मतभेदों को त्यागना होगा। उन्हें शेडयूल्ड कास्ट्स फेडरेशन में शामिल होना होगा। आप अगर राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर लेंगे तो आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक सत्ता पाने की राहें आपके सामने खुलती जाएंगी।

---

*डॉ. भी. रा. अम्बेडकर चरित्र : ले. चां. भ. खैरमोड़े खंड 9, पृष्ठ 393-94

हालांकि इन राहों में एक बड़ी मानसिक अड़चन है। गांधी और काँग्रेस ने मिल कर हरिजन सेवक संघ की ओर से अस्पृश्यों के छोटे–बड़े छात्रों के साथ–साथ अन्यों को भी आर्थिक मदद देने का काम चलाया है। इसके पीछे उनका कोई पवित्र उद्देश्य नहीं बल्कि दुष्ट मंशा है। वे जानते हैं कि ये लोग हमारे पैसे लेंगे तो हमारे उपकारों तले दब जाएंगे। हमारी तरफ होंगे और काँग्रेस के आंदोलन को सफलता दिलाएंगे। महाभारत में पांडवों का पक्ष न्याय और कौरवों का अन्याय था। यह जानते हुए भी कौरवों का नमक खाने के कारण भीष्म, द्रोण आदि ने कौरवों का साथ दिया और आखिर उनका सत्यानाश हुआ। इसी मैं अपने युवा छात्रों को संकट की सूचना देता हूँ कि इस जाल में न फंसें। आप अगर मेरी इस चेतावनी को जांचना चाहें तो हरिजन सेवक संघ के या कांग्रेस के हिंदू या गांधी से सामाजिक समता की मांग कर देखिए। मैं पक्का बता सकता हूं कि वे आपको गुस्सा कर चुप करा देंगे।

214

*पार्टियों और जातियों के हार्दिक सहयोग से ही राजनीतिक पेंच हल होंगे

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर गुरूवार, 28 सितंबर, 1944 की शाम राजमहेंद्री पहुंचे। उनके साथ श्री पां. न. राजभोज, जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन और श्री वी. रामकृष्णन, एसीएम लेबर डिपार्टमेंट भी थे। म्युनिसिपालिटी की ओर से डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को म्युजियम हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मानपत्र दिया गया। म्युनिसिपल चेयरमैन श्री सेमिना कामेश्वरराव और म्युनिसिपल कमीश्नर श्री के. व्यंकटाद्रि चौधरी ने उनका स्वागत किया। बाबासाहेब का अद्वितीय विद्यार्जन, अस्पृश्यों में उनके द्वारा लाई गई जागृति, तथा उनके और श्रमिकों के लिए उनके द्वारा किए गए काम आदि के बारे में मानपत्र में जिक्र करते हुए म्युनिसिपालटी ने लोकोपयोगी तथा अस्पृश्यों के हित के कौन से काम किए इसकी जानकारी दी गई थी। सरकार से कुछ मांगे भी रखी गई थीं।

लोकोपयोगी काम करने के लिए बाबासाहेब ने म्युनिसिपालिटी का अभिनंदन किया। अस्पृश्यों की शिक्षा प्रबंध करने के लिए भी उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत की यह अपनी तरह की एक ही म्युनिसिपालिटी है जो अस्पृश्यों की शिक्षा के लिए कोशिश कर रही है। इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अन्य म्यु. निसिपालिटियों को उसका आदर्श चलाना चाहिए।

गांधी–जिन्ना के बीच हो रही बातचीत असफल होने के प्रति उन्होंने दुख व्यक्त किया। कहा कि बाचतीत एक पक्षीय थी, सभी पहलु उसमें समाविष्ट नहीं थे, उसमें अल्पसंख्यक जातियों को कोई स्थान नहीं मिला था, राजनीतिक मसलों को हल करने का यह तरीका नहीं है ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि, सब मिल कर बैठें, संविधान बनाएं, संविधान पर हस्ताक्षर करें और इस संविधान के अनुसार हमें भारत में चलाने दें' इस मांग के साथ एक प्रतिनिधिमंडल लंदन, भेजें, भले उस प्रतिनिधिमंडल के एक मात्र सदस्य महात्मा गांधी क्यों न हो। वे अच्छे तरीके से भारत की मांग उनके मामले रखें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि गांधीजी ने इस देश में अब तक प्रचंड राजनीतिक जागृति निर्माण की है। लेकिन गांधी जी के पास वह दूरंदाजी नहीं है जिससे कि इस जनजागृति का फायदा देश को आजादी दिलाने के लिए कैसे किया जाए? ओल्ड टेस्टामेंट में एक

*डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर चरित्र : ले. चां. भ. खैरमोड़े खंड 9, पृष्ठ 395-96

वचन है जो कहता है कि जिस देश के पास दूरदृष्टि नहीं है उसका सत्यानाश होता है। गांधी के संदर्भ में यह वचन याद आता है। साथ ही, गांधी के पास पूरी आजादी पाने के ताकत नहीं। कभी-कभी गांधी की तुलना कभी-कभी अब्राहम लिंकन के साथ की जाती है। लिंकन पहले यह सोचना महत्वपूर्ण मानता था कि संयुक्त राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जाए। निर्माण के मसले पर ही इस बात को निर्भर रखना चाहता था कि नीग्रो लोगों की गुलामी कायम रखी जाए या खत्म कर दी जाए। उसके अनुसार पहले उसने गुलामी खत्म करने के इनकार किया और कुछ सालों बाद यानी 1863 में उन्होंने गुलामी खत्म करने का घोषणापत्र जारी किया। क्योंकि युद्ध जीतने और यूनियन को कायम रखने में गुलामों के उपयोग के बारे में उसने सोचा, उसे वह जरूरी लगा। गांधीजी के साथ भी ऐसा ही है। वह आजादी चाहते हैं लेकिन वर्णाश्रम भी रहने देना चाहते हैं। उन्हें समाज में संपूर्ण क्षमता नहीं चाहिए। ऐसी मानसिकता रखने वाले नेताओं के पास दूरदृष्टि कैसे हो सकती है? आजादी के मुद्दे के साथ अल्पसंख्यक जातियां अपनी सुरक्षा के लिए अधिकाधिक राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हैं। इस प्रकार के हक मांगना असल में राष्ट्रद्रोह है। भारत को आजादी दिलाने के लिए 1885 में काँग्रेस का निर्माण हुआ। लेकिन गांधी के नेतृत्व से काँग्रेस ने पाकिस्तान का मसला उत्पन्न किया है।

ऐसे हालात में भारत के राजनीतिक पेंच कैसे हल होंगे? वे केवल पक्ष और जातियों की हार्दिक सहकारिता से ही हल होंगे।

215

*बुद्ध ने वेदों पर हमला बोला इसी कारण शूद्रों का सेवा-धर्म गया और वे शासक बने

29 नवंबर, 1944 की शाम को पुणे में भारतीय दलित फेडरेशन के महासचिव श्री पी.एन. राजभोज ने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को चाय-पार्टी दी इस अवसर पर बोलते हुए डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा, आज भाषण देने की मेरी इच्छा नहीं थी। किसी ने मुझसे विनति की कि मैं सर तेज बहादूर सप्रू की योजना के बारे में अपनी राय बताऊं। लेकिन यहां इस विषय पर बोलने की मेरी इच्छा नहीं है। मद्रास में गीता पर मैं जो बोला उसको लेकर पुणे के ब्राह्मणों ने नापसंदगी जाहिर की है। उसका जवाब देना मुझे उचित लगता है। मेरी बात जानने के लिए पुणे में अगर किसी सार्वजनिक सभा का आयोजन किया जाता तो मैं उस सभा में अपनी राय प्रकट करता। लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं मिला इसलिए आज की इस सभा में ही मैं अपनी राय व्यक्त करता हूं।

बताया जाता है कि वेद अपौरूषेय हैं और हमें उनकी आज्ञा माननी चाहिए। लेकिन इतिहास में कहीं भी इसका सबूत नहीं मिलता। ब्राह्मणों के अलावा किसी मे वेदों को प्रधानता नहीं दी है। उन्हें अपना धर्मग्रंथ नहीं माना है। वेदों को ही प्रमाण मानने की बात ब्राह्मणों द्वारा बाद में लाई गई 'थियरी (Theory)' है। अश्वत्लयन गृह्य सूत्र में इसके प्रचुर प्रमाण मिलते हैं। उस समय ब्राह्मण भी वेदों को प्रमाण नहीं मानते थे। इसके भी साफ तौर पर जिक्र मिलते हैं। सामाजिक मूल्यों के निर्माण से पूर्वए जनता पंचायत का निर्णय ग्राह्य माना जाता था। उस समय वेदों को चौथा या पांचवा स्थान प्राप्त था। शबर स्वामी द्वारा जनमेजय सूत्रों पर भाष्य किया गया है। उसमें पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष रखा गया है। पूर्वपक्ष में वेदों के बारे में जिक्र है और वेद विरोधकों का पक्ष भी रखा गया है। शबर स्वामी ने कहा है कि ब्राह्मण वेदों को नहीं मानते थे तथा दावा किया था कि वेदों का निर्माण यानी मूर्खों का और पागलों का कार्य है। बुद्ध ने कभी भी वेदों को प्रमाण नहीं माना। वेद प्रणित धर्म को बौद्ध धर्म ने डिगा दिया था। यह बौद्ध धर्म शूद्रों का था और उसने कभी वेदों को प्रमाण नहीं माना था।

मेरी आलोचना की जाती है कि मैं गीता बिना पढ़े उसकी समीक्षा करता हूं। लेकिन यह झूठी आलोचना है। पिछले पंद्रह सालों से गीता का अध्ययन करने के बाद गीता

*जनता : 9 दिसम्बर, 1944

में कोई खास बात नहीं है। उसमें मुख्य रूप से तीन बातें बताई गई हैं। मरना, मारना, हिंसा करना पाप है क्या, वर्णाश्रम धर्म की महित और भक्ति से मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। गीता का अध्ययन करते हुए मैंने जाना कि केवल गीता पढ़ कर उसका अर्थ समझ में नहीं आता। तत्कालीन उपलब्ध अन्य साहित्य का अध्ययन करने के बाद गीता का अर्थ जानने की कोशिश करनी चाहिए।

इस देश के इतिहास पर अगर ध्यान दें तो पता चलता है कि करीब दो हजार सालों तक ब्राह्मणवर्ग और बौद्ध धर्म में विवाद चल रहा था। इस विवाद में जो साहित्य निर्माण हुआ उसका स्वरूप धार्मिक न होकर राजनीतिक है। देश के सत्ता केंद्र पर अपनी हुकूमत चले इसी उद्देश्य से गीता ग्रंथ का निर्माण हुआ।

वेदों में से कुछ हिस्से का अनुवाद गीता में किया गया है। लेकिन वेदों में आखिर ऐसा कौन-सा ज्ञान इकट्ठा है? वैसे देखा जाए तो दो ही वेद हैं- ऋग्वेद और अथर्ववेद। मैंने कई बार वेदों का अध्ययन किया है। समाज अथवा मानव की उन्नति और नीति के लिए पोषक कुछ उसमें नहीं बताया गया है। अथर्ववेद में-पत्नी अगर प्रेम नहीं करती तो क्या करना चाहिए दूसरे की पत्नी को कैसे वश किया जा सकता है, द्रव्यहरण कैसे करें आदि बातों के साथ-साथ जारण-मारण का भी जिक्र मिलता है। असल में वेदों जैसे ग्रंथों में इन विषयों की क्या जरूरत थी? इसके पुरुष सूक्त में ब्राह्मणों से लेकर शूद्रों तक का व्यवहार कैसा होना चाहिए यह बताया है। इन्हीं बातों को लेकर बुद्ध को आपत्तियां थीं और इसी नजरिए से उन्होंने चातुर्वर्ण्य की आलोचना की है। बताया गया है कि क्षत्रियों का कर्तव्य मारना है। वह कहते हैं, दूसरे को मारना जरूरत हो सकती है, कर्तव्य नहीं हो सकता। गीता के दूसरे अध्याय में 18 और 39वें श्लोक में वेदांत के आधार से इन बातों का विवरण मिलता है कि आत्मा अविनाशी है, देह बुढ़ापे या अन्य कारणों से नष्ट होने ही वाली है। लेकिन सोचिए, किसी कत्ल के मुकदमे में वकील अगर जज से कहे कि, 'साहब, आत्मा अविनाशी है सो कत्ल के लिए आरोपी को क्यों सजा दे रहे हैं? तो वकील की यह दलील क्या ग्राह्य हो सकती है?

बौद्ध धर्म के दर्शन के आगे यह सबूत टिक नहीं सकता। बौद्ध दर्शन ने सामाजिक, राजनीतिक और मानसिक क्रांति के जरिए शूद्रों को अब पद प्राप्त करवा दिया। उस दौरान कई शूद्रों के राजा बनने के उदाहरण उपलब्ध हैं। अपनी सत्ता खोने के कारण ब्राह्मणों ने फिर से चातुर्वर्ण्य पद्धति की नींव रखते हुए भगवद्गीता के जरिए यह काम किया और अपने हाथ से गई देश की सत्ता को फिर अपने काबिज कर लिया।

जैमिनी ने अपने 'पूर्वमीमांसा' ग्रंथ में वर्णाश्रम धर्म की गीता से पूर्व क्या बुनियाद थी इसकी जानकारी दी है। केवल बुद्ध ही नहीं बल्कि चार्वाक आदि विद्वानों ने भी वेदों

की आलोचना की है। बुद्ध ने वेदों पर जो हल्ला बोला, उसी कारण शूद्रों का सेवा धर्म गया और वे राज्यकर्ता बने।

सांख्य दर्शन के अनुसार श्रीकृष्ण ने चातुर्वर्ण्य की चौखट बनाई। सांख्यकारों ने त्रिगुण को मान्यता दी है। और गीताकारों ने चार गुण, चार वर्णों को मान्यता दी है। अब तक किसी विद्धान ने सांख्यकार और गीताकारों के बीच के इस भेद में मेल बिठाने की कोशिश नहीं की। श्रीकृष्ण की भगवतगीता ने चातुर्वर्ण्य को आधार दिया इसीलिए चातुर्वर्ण्य आज तक टिका हुआ है।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते समय इस पुस्तक में मुझे चार थेगलियां लगी दिखाई दीं। मेरी राय में पहले यह केवल कृष्ण के वर्णन का 'पोवाडा' (काव्य प्रकार) था जिसकी रचना उसके जातभाइयों ने, यानी सातवतानी ग्वालों ने की जिसका मुख्य उद्देश्य हतवीर्य हुए अर्जुन को युद्ध प्रवण करने वाले कृष्ण का गुणगान करना था। उसनें न धर्म था न दर्शन। तब उसमें करीब 60 श्लोक होंगे। आगे जब ये लोग कृष्ण को ईश्वर मानने लगे तब उनकी गाई स्तुति ही भक्तिमार्ग बनी और कृष्ण देवता बने। आगे गीता का भी रूपांतर होकर वह वर्तमान स्वरूप तक आई। इसमें मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता लेकिन जब तक आप इन किताबों को प्रमाण मानते रहेंगे आपका उद्धार नहीं होगा। इन किताबों में शूद्रों की निंदा की गई है, उनका अपमान करते हुए उन पर तरह-तरह के आरोप लगाए गए हैं। उनमें न्यूनभाव पैदा होगा और वे हमेशा के लिए दलित बने रहेंगे, ऐसी योजना की गई है। उन किताबों को अगर आप धर्मग्रंथों के रूप में हम पर लादेंगे, उन्हें प्रमाण मानने के लिए कहेंगे, तो ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हो सकता। यह मेरा जीवनकार्य है। खुद जान कर मुझे यह अपने लोगों को समझाना है। निम्न वर्ग के लोगों को निःसंतान रखने, उन्हें हमेशा अपने पैरों के पास ही रखने और उन्हें हीनतम स्तर तक पहुंचाने की बाकायदा कोशिश करने वाला ऐसा विशिष्ट वर्ग दुनिया के अन्य किसी देश में दिखाई नहीं देगा।

216

*शिक्षा की जगह छात्रों का राजनीति में दिलचस्पी लेना शिक्षा का पतन है

2 जनवरी, 1945 के दिन कोलकाता में ऑल इंडिया शेडयूल्ड कास्टस् स्टुडेंटस् फेडरेशन की और से डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के सम्मान में बड़ी सभा का आयोजन किया गया था। उस सभा में बोलते हुए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा,

शिक्षा पाने के लिहाज से छात्र वर्ग की हालत चिंताजनक है। पिछले वर्ष की तुलना में सरकार ने पढ़ाई पर बहुत अधिक धन व्यय किया है। लेकिन आजकल छात्रों की दिलचस्पी पढ़ाई से अधिक राजनीति में हो गई है। असल में, मेरी नजर में यह एक तरह से शिक्षा का पतन ही है। कई नेताओं की नजर में 'राजनीति ही छात्र आंदोलन का उद्देश्य है' जिसे मैं बिल्कुल नहीं मानता। अखिल भारतीय विद्यिर्थी परिषद कांग्रेस के प्रस्तावों का समर्थन करने भर तक सीमित हो गई है। उनके चर्चा विषयों में कोई नवीनता नहीं रही। इसलिए राजनीति से अलग रहने के लिए अपना-अलग संगठन बनाना चाहिए। अखिल भारतीय छात्र फेडरेशन के साथ अपने संबंध अस्पृश्य छात्र तोड़ दे और छात्र जीवन के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण सवालों पर अधिक ध्यान दें।

*जनता : 6 जनवरी, 1945

217

*सत्ता किसी की भी हो, दलितों के दमन की ही कोशिश होगी

4 जनवरी, 1945 के दिन कोलकाता में शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन के मुखपत्र के रूप में शुरू हुए 'पीपल्स हेराल्ड' इस नई अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के हाथों हुआ। इस अवसर उन्होंने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने कहा, कॉंग्रेस की राजनीति का इतना अध:पतन हुआ है कि गांधीजी के बाद कॉंग्रेस के कई टुकड़े होते हुए हम देखेंगे। राजनीतिक और नैतिक नजरिए से हमारे अस्पृश्य समाज का पक्ष ही इस देश का हमेशा रहने वाला पक्ष रहेगा।

हमारी पार्टी के बारे में विरोधकों की ओर से जानबूझकर कई गलतफहमियां फैलाई जाती हैं। केवल कुछेक नौकरियों के लिए और दो टुकड़े रोटी के लिए हमारी लड़ाई चल रही है यह हम पर किया जाने वाला आरोप मूर्खता का है। उनमें कोई दम नहीं। असल में, हमारे देश में स्वत्रता, समानता और बंधुत्व इन सिद्धांतों की स्थापना के लिए अस्पृश्य समाज का पक्ष ही असली जंग लड़ रहा है। और इस मामले में हमारे पक्ष के सिद्धांत केवल अस्पृश्य समाज के ही मसले हल करना नहीं है, बल्कि हमारा पक्ष कब का ऊपर बताए सिद्धातों से जाकर जुड़ा है।

कॉंग्रेस राजनीति में हमें इन बातों का पूरा अभाव दिखाई देता है। देश की आजादी का दावा कॉंग्रेस करती है लेकिन उसका यह दावा केवल ढोंग है। खालिस आजादी या समता के लिए कॉंग्रेस कभी नहीं लड़ेगी। कॉंग्रेस की आजादी में हम अपनी आजादी की उम्मीद नहीं पाल सकते। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समता कभी नहीं होगी। हमारे साथ बंधुभाव का बर्ताव नहीं होगा। इसीलिए कॉंग्रेस की इस आजादी की लड़ाई के व्यापक आंदोलन में हिस्सा लेने के बजाय, हजारों साल गुलामी में कैद मेरे अस्पृश्य समाज के उद्धार के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित किया है। देश की आजादी से अधिक अस्पृश्योद्धार ही जीवन में मेरे दिल के करीब रहनेवाला मसला है। हिंदुस्तान में अस्पृश्योद्धार से उदात्त और श्रेष्ठ कोई दूसरा कार्य होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूं उस समाज की बेहतरी के लिए काम करना मेरा कर्तव्य है। पहले मैं अपने समाज का ऋण चुकाना चाहता हूं। इसके बाद देश का। मेरा यह जीवित कार्य उदात्त है और इस बारे में मुझे कोई शक नहीं। देश के लाखों-करोड़ों दीन, दुखियारे और दमित होगों का खून चूस कर उनकी मेहनत पर मजे करने का हिन्दु लोगों का षड्यंत्र

---

*जनता : 17 जनवरी, 1945

है-ऐसा अस्पृश्य हिंदुओं के बारे में कहा जा सकता है। ऐसे पूंजीपति छैलों के हाथों में देश की आजादी अगर जाने वाली है तो उस आजादी का हमें और देश की जनता के लिए कोई मतलब नहीं। हिंदुओं के हाथ में अगर देश की सत्ता जाए तो वह अस्पृश्य समाज और दुखी-परेशान लोगों का ज्यादा ही दमन करने की कोशिश करेंगे, इसका मुझे पक्का यकीन है। इसलिए हमें अभी से सावधान रहना जरूरी है। इस समय हमने अगर अपना संगठन मजबूत नहीं किया तो अमेरिका के संविधान में निग्रो लोगों का जो हाल है ऐसा ही हाल हमारा भी होगा। इस बात पर हममें से हरेक को यकीन होना चाहिए। अमेरिका जैसे उन्नत राष्ट्र में बीसवीं सदी में भी निग्रो लोगों के अधिकारों का कोई स्थान नहीं। इसका एकमात्र कारण यही है कि उनके एकता नहीं, उनका संगठन नहीं। इसीलिए उनकी यह दुर्गत है। हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा हाल नीग्रो लोगों जैसा न हो। इसका एक ही उपाय है कि हममें से हर कोई- छोटे-बड़े महिला, पुरुष सब शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन के एक ही झंडे के नीचे संगठित हों। आपस में मिल कर अगर हम अभेद्य संगठन खड़ा करेंगे तो अपने हकों की रक्षा कर हिंदुओं के सभी वार हम आसानी से निरस्त कर सकेंगे।

आज के युग में अखबारों का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। अपने पक्ष के प्रचार के लिए अन्य पक्ष हजारों रुपए खर्च कर अखबार चलाते हैं। अपने राजनीतिक और नैतिक विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए तथा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किए गए कार्य की जानकारी देने के लिए अखबारों की आवश्यकता है। अपने आंदोलन का नजरिया लोगों तक पहुंचाने के लिए आज हमें हर प्रांत में कई अखबार चलाने की जरूरत है। इस प्रकार अस्पृश्य समाज को ओर से यहां से शुरू हो रही 'पीपल्स हेराल्ड' साप्ताहिक पत्रिका हमारे विचारों को निर्भीकता से लोगों के सामने रखने का काम करेगी इसका मुझे पूरा भरोसा हैं। मेरी मनोकामना है कि 'पीपल्स हेराल्ड' की उत्तरोत्तर उन्नति हो।

218

अपनी हिम्मत और कर्तृता के सहारे देश के लिए जो करना है वह हम अपने बल पर करेंगे

'अखिल भारतीय दलित फेडरेशन' का तीसरा अधिवेशन मुबई में 5 और 6 मई, 1945 को बड़े उत्साह के साथ हुआ।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आज कई घटनाएं जब घट रही हैं, तब हिंदुस्तान की आठ करोड़ अस्पृश्य जनता की आत्मीयता किन सवालों के साथ जुड़ी है और इन सवालों के बारे में उसका क्या मानना है, वह क्या बताना चाहती है यह जाने के लिहाज से यह अधिवेशन बेहद महत्वपूर्ण है।

हमारे समाज का सबसे अधिक पीड़ित हिस्सा है, अस्पृश्य समाज। गुलामी, शोषण और दुर्गति जितनी इस समाज ने झेली है उतनी किसी और के हिस्से नहीं आई है। लेकिन आज यह समाज जागृत हुआ है। दलित फेडरेशन का विशाल संगठन खड़ा कर उसने अपनी ताकत को इकट्ठा किया है। 'शासनकर्ता समाज' बनने का लक्ष्य सामने रख उसकी दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का निर्धार उसने किया है। इस अधिवेशन से यह बात साफ जाहिर हुई है।

हिंदुस्तान के अलग-अलग हिस्सों से करीब 1000 प्रतिनिधि इस अधिवेशन में हिस्सा लेने आए थे। इनके अलावा बाहर से आए दर्शकों की संख्या भी काफी अधिक थी। केवल नागपुर से ही करीब 500 लोग आए थे। उनमें 50 से अधिक महिलाएं थीं। गुजरात से 200 लोग आए हुए थे।

परेल के 'नटेपार्क', विशाल मैदान में सभा का आयोजन किया गया था और पूरा मैदान जनसमुदाय से अटा हुआ था। दर्शकों के लिए एक रूपए का टिकट रखा गया था। फिर भी 50,000 से अधिक लोग अधिवेशन में आए हुए थे। उनमें से 5 हजार महिलाएं थीं। डॉ. अम्बेडकर ने अपने भाषण में जिक्र किया है कि सभा में उपास्थित लोगों की संख्या एक लाख से डेढ लाख तक है। मुबई में करीब दो से ढाई लाख, अस्पृश्य समाज की बस्ती हैं। कहा जा सकता है कि इनमें से आधे से अधिक परिवारों से कम से कम एक व्यक्ति सभा में उपस्थित था। छोटे बच्चे और बड़े-बूढ़ों सहित परिवार के पूरे लोग सभा में उपस्थित होने के कई उदाहरण दिखाई दे रहे थे।

मुंबई में 26000 सदस्य

इस अधिवेशन की तैयारी करने के लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं को पर्याप्त समय नहीं मिला। पहले उन्होंने तय किया था कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में मुंबई शहर के दलित फेडरेशन की परिषद आयोजित करेंगे। फेडरेशन की मुंबई शाखा के सचिव श्री एस.बी. माधव इस सिलसिले में डॉ. अम्बेडकर से इजाजत लेने के लिए जब दिल्ली गए तब उन्हें इस निर्णय से अवगत कराया गया कि जल्द से जल्द अखिल भारतीय अधिवेशन आयोजित करना होगा। इतने कम समय में सभी तैयारियां पूरी करने काम स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बेहतरीन ढंग से पूरा किया। सबसे पहले उन्होंने मुंबई को दलित फेडरेशन संगठन का आदर्श बनाने के लिए सदस्यों के पंजीकरण की जोरदार मुहिम छेड़ दी। मुंबई में फेडरेशन की 20 वॉर्ड कमेटियों ने प्रचार करते हुए सदस्य संख्या को 6 हजार से 26 हजार तक पहुंचा दिया। 'नेरे पार्क' पर शानदार सभामंडप खड़ा करने का काम तेजी से पूरा किया गया। बाहर से आनेवाले प्रतिनिधियों और दर्शकों के ठहरने का इंतजाम, परेल के महापालिका के विद्यालयों में किया गया। अधिवेशन के दौरान नेरे पार्क पर इकट्ठा हुआ जन-सेलाब मुंबई दलित फेडरेशन के सैंकड़ों युवा कार्यकर्ताओं द्वारा दिन-रात जी-जान लगा कर, मेहनत से म्निर्माण किए गए उछाह का सबूत था।

जुलूस में हुए दस हजार लोग शामिल

शुक्रवार, चार तारीख को शाम को अखिल भारतीय फेडरेशन के अध्यक्ष रावबहादुर शिवराज का दादर सेटेशन पर स्वागत किया गया। श्रीमती मीनांबल शिवराज को परेल महिला संघ की ओर से पुष्प हार पहनाया गया। स्टेशन से नरे पार्क तक अध्यक्ष को जुलूस के साथ ले जाया गया। इस जुलूस में 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया था।

'आठ करोड़ दलित जनता की सामर्थ्य अपार है', 'डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर चिरायू हों' 'दलित फेडरेशन के झंडे के नीचे सब एक हों', 'हरिजन शब्द का धिक्कार है', 'समता सैनिक दल में शामिल हो', जैसे नारे लिखी हाल पताकाएं जुलूस में जगह-जगह दिखाई दे रही थीं। डॉ. अम्बेडकर को जयकार से वातावरण गूंज रहा था।

पौन मील लंबा जुलूस नरे पार्क के 'साध्वी रमाबाई अम्बेडकर नगर' में पहुंचने के बाद बीस हजार की संख्या में जुटे जनसमुदाय के सामने रा. ब. शिवराज के हाथों झंडा फहराया गया। जहाज के लंगर के चित्र वाला दलित फेडरेशन वाला लाल झंडा ऊंचाई पर फड़कने लगा और समता सैनिक दल के तीन हजार स्वयंसेवकों ने उसे सलामी दी। दर्शकों द्वारा तालियों की गड़गड़ाहट हुई।

खुला अधिवेशन

शनिवार दिनांक 5 की शाम को खुले अधिवेशन की शुरूआत हुई। चारों ओर पर्दे तने मैदान में दोपहर ही से लोग इकट्ठा होने लगे थे। दरवाजे के पास टिकट खरीदने वालों की लंबी कतारे लगी हुई थीं। अधिवेशन का कामकाज शुरू होने के समय में मैदान में करीब 40 हजार से अधिक लोग उपस्थित थे।

मैदान के एक ओर बड़ा मंच बनाया गया था। उसके बीचों-बीच सुंदर कमान पर भगवान गौतम बुद्ध का शांत, गंभीर चित्र बनाया हुआ था। हिंदुस्तान की सामाजिक विषमता पर हमला करने वाले देशव्यापी आंदोलन के संस्थापक के रूप में अस्पृश्य समाज गौतम बुद्ध का बहुत सम्मान करता है।

मंच पर विभिन्न प्रांतों से आए प्रतिनिधि अपने प्रांत की पोषाक पहने बैठे थे। सबका पहनावा अलग-अलग था। प्रांतीय विधिमंडल में और म्यूनिसिपालिटी आदि संस्थाओं में चुने गए अस्पृश्यों के प्रतिनिधि वहां दिखाई दे रहे थे। इसी प्रकार, गांवों में या शहरों में बेहद बुरी हालत में रह कर निस्वार्थ भाव से अपने देश-बंधुओं की सेवा करने वाले अन्य युवा और वृद्ध कार्यकर्ता भी वहां दिखाई दे रहे थे।

पहले मराठी, हिंदुस्तानी, तमिल आदि विभिन्न भाषाओं में स्वागत गीत गाए गए। गीत गाने के लिए बूढ़े, युवा महिला, पुरुष आदि में मानों होड़ लगी हुई थी। समयाभाव के कारण कई कवियों को गीत गाने का मौका मिला नहीं। कई युगों की गुलामी की यातनाओं की प्रतिध्वनियां इन गीतों में गूंज रही थीं। साथ ही इस गीतों में व्यक्त हो रहा था संगठन के कारण निर्माण हुआ अपार आत्मविश्वास, लक्ष्य की निश्चितता और उसे प्राप्त करने का जुझारू निश्चिय। अस्पृश्य जनता की एकता और सामर्थ्य को प्रतीक के रूप में डॉ. बाबासाबहेब अम्बेडकर और दलित फेडरेशन के प्रति व्यक्त होने वाली भक्ति में गाने वालों के साथ-साथ अनगिनत श्रोताओं का दिल भी गर्व से भर भर आता था।

फेडरेशन के महा सचिव श्री पी.एन राजभोज ने पिछले वर्ष किए गए काम की रिपोर्ट परिषद के सामने पेश की। स्वागत समिति के महासचिव श्री एस.बी. जाधव ने अधिवेशन के लिए आए शुभ संदेश पढ़े। उनमें रिजर्व बैंक के गवर्नर सी. डी. देशमुख आईसीएस, मुंबई के मेयर डॉ. आल्बन डिसोजा, सिटी इंजीनियर मोडक, नेशनल बार फ्रंट के सर रुस्तम मसाणी, मुंबई के गवर्नर के सलाहकार म. मदन आईसीएस और टॉंटन आईसीएस, सर कावसजी जहांगीर, मुंबई प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री बाबासाहेब खेर, असम के पूर्व मंत्री श्री सेखिया, मद्रास जस्टिस पार्टी के के.ए.पी. विश्वनाथन, कानपुर के प्रादत्त

1. लोकयुद्ध : 13 मई, 1945

मुंबई के श्री वेलणकर, बैटिस्टर माने, बड़ौदा के मणिकांत परमार आदि लोगों के संदेश थे। उनके बाद स्वागताध्यक्ष श्री जी. एम. जाधव बनाम मडकेबुला का भाषण हुआ। पंडात में इकट्ठा अपार जनसमूह देख कर उनका मन भर आया। भूमिका बांधने के बाद अपना भाषण पढ़ कर सुनाने की उन्होंने विधायक पी.जे. रोहम से विनति की। उनके भाषण के बाद अधिवेशन के अध्यक्ष को उन्होंने पुष्पहार और गुलदस्ता अर्पण किया। इसके बाद रा.ब.एन. शिवराज बोलने के लिए उठे। दशकों की ओर से लगातार तालियों की आवाज आ रही थी। ऑल इंडिया शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन के तीसरी बार अध्यक्ष चुने जाने को लेकर उन्होंने धन्यता व्यक्त की। उन्होंने अपना अध्यक्षीय भाषण अंग्रेजी में दिया। इसलिये उनके भाषण को विद्यायक भा.कृ. गायकवाड़ ने लोगों को समझने में आसानी हो मराठी में सुनाया। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर शुरू से इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।[2]

डॉ. अम्बेडकर के भाषण के बार परिषद में निम्नांकित चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लेकर अलग-अलग वक्ताओं के भाषण हुए।

-पहले प्रस्ताव में सप्रू योजना का विरोध किया गया है। साथ ही संविधान समिति की कल्पना दलित फेडरेशन को पसंद न होने की बात जाहिर की है।

-दूसरे प्रस्ताव में वर्किंग कमेटी द्वारा सितंबर, 1944 में मद्रास की बैठक में रखी गई राजनीतिक मांगों का समर्थन किया गया है।

''परिषद में रखे गए प्रस्ताव मनोहर धाली द्वारा प्रस्ताव तीसरे प्रस्ताव में हिंदुस्तान सरकार की औद्योगिक नीति के प्रति तीव्र नापसंदगी व्यक्त की गई है। व्यवसाय-उद्योग और जमीन पर सरकार की मालिकियत होनी चाहिए- यह मांग की गई है। इसी प्रस्ताव में बंगाल में अकाल के कारण आई बदहाली को लेकर दुख व्यक्त किया गया तथा सरकार को चेतानवी दी गई है कि इस प्रकार के हाहाकार की पुनरावृत्ति न होने के हिसाब से उपायों की योजना की जाए।

-चौथे प्रस्ताव में मांग की गई है कि युद्ध के बाद बेकार होने वाले अस्पृश्य सैनिकों को काम दिलाने के इंतजाम किए जाएं।

महिला परिषद

इसी अवसर पर श्रीमती मीनांबल शिवराज की अध्यक्षता में अस्पृश्य महिला परिषद का आयोजन किया गया था। परिषद के सामने प्रमुख प्रस्ताव शिक्षा के बारे में था। कु. शांताबाई दाणी, डॉ. कु. लेंढे, श्रीमती विमलाबाई भोसले, श्रीमती गीताबाई गायकवाड़, श्रीमती सर्वगोढ़, श्रीमती शांताबाई वडलकर आदि वक्ताओं ने अपने जोरदार भाषणों में अस्पृश्य महिलाओं को संदेश दिया कि वे फेडरेशन का संगठन मजबूत करें।

---

2. जनता : 12 मई, 1945

म्यूनिसिपालिटी के कर्मचारियों की मांगे

शनिवार की रात हुई मुंबई म्यूनिसिपल कामगार संघ की परिषद में मांग की गई कि म्यूनिसिपल कर्मचारियों के हालात के बारे में पूछताछ करने के लिए हिंदुस्तान सरकार एक कमेटी नियुक्त करे। साथ ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग भी की गई। यह परिषद विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि अस्पृश्य समाज का बड़ा तबका म्यूनिसिपल कर्मचारी के रूप में कार्यरत था।

विद्यार्थी परिषद

रविवार की सुबह श्री प्यारेलाल तलीब की अध्यक्षता में हुई विद्यार्थी परिषद में अस्पृश्य छात्रों के लिए अलग स्कूल-कॉलेज खोले जाने की मांग रखी गई।

समता सैनिक दल

दोपहर श्री जे. एच. सुब्बय्या की अध्यक्षता में समता सैनिक दल की परिषद हुई। इस परिषद में अस्पृश्य युवाओं को संदेश दिया गया कि वे इस संगठन में हजारों की संख्या में शामिल हों। उन्हीं की अध्यक्षता में संस्थानों के दलित फेडरेशन का अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ।

प्रतिनिधियों से मुलाकात

परिषद में शामिल होने के लिए आए प्रतिनिधियों से उनके रहने की जगह जाकर लिए साक्षात्कारों में काफी जानकारी मिली। अहमदाबाद से आए प्रतिनिधियों ने बताया कि श्री गुलजारीलाल नंदा के 'मजूद महाजन' के लोग स्पिनिंग विभाग के अस्पृश्य मिल मजदूरों को धमकियां देकर मंजूर महाजन के सदस्य बना लेते हैं। कोई अगर उनकी बात नहीं मानता तो मालिकों से उसे काम से हटवा देते हैं। राजनीतिक मामलों से अमदाबाद के अस्पृश्य कामगारों का समर्थन दलित फेडरेशन को ही होने की बात उन्होंने बताई। यवतमाल के एक प्रतिनिधि ने संयुक्त चुनाव क्षेत्र होने के कारण अस्पृश्यों पर होने वाले अन्यायों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिले की एक म्यूनिसिपालिटी में अस्पृश्यों के लिए आरक्षित सीट पर हिंदू और मुसलमानों ने मिल कर एक अस्पृश्येतर व्यक्ति की रखैल को चुनाव में जिता दिया! अस्पृश्य समाज को चिढ़ाने वाला यह केवल इकलौता उदाहरण, अपवादस्वरूप है ऐसी बात नहीं। अपने अनुभव के आधार पर उहोंने यह बात बताई।

गांवों में होनेवाले जुल्म

गांव में अस्पृश्यों पर ढाए जाने वाले जुल्मों के बारे में जानकारी वन्हाड से आए एक प्रतिनिधि ने दी। वहां सनदी नौकर के रूप में काम करने वाले अस्पृश्य कामगार को गांव कोतवाल कहा जाता है। पुराने जमाने में उसे जमीन या लेहना तय कर दिया जाता था। साथ ही, अस्पृश्य समाज द्वारा रूढ़ि चलाई गई थी कि उसे भीख भी मांगनी

होगी। इस रूढ़ि का पालन करने से अस्पृश्यों ने इनकार किया इसलिए उनका लेहना भी बंद करवा दिया गया है और उन्हें हर माह 8 रूपयों की तनख्वाह और 4 रुपयों का महंगाई भत्ता दिया जाता है। उसी प्रकार उन्हें काम से हटाने का अधिकार गांव के पुलिस पाटील को होता है। सो उनकी तनख्वाह का अधिकतर हिस्सा पुलिस-पाटील ऐंठ लेता है। इतना ही नहीं वह उनसे अपने घर में तथा खेतों में मुफ्त काम करने पर मजबूर करता है।

मिल मजदूरों की शिकायातें

नागपुर की मिल में काम करनेवाले कुछ प्रतिनिधियों ने रुईकर के बारे में अपना तीव्र असंतोष प्रकट किया और बताया कि बहुत कम तनख्वाह और महंगाई भत्ता मिलता है। नागपुर में 70 प्रतिशत मजदूर अस्पृश्य समाज से हैं और उनमें से ज्यादातर मजदूर, युनियन के सदस्य हैं।

दलित समाज की एकता

अस्पृश्य समाज के बहुसंख्य लोग अपनी जमीन ने होनेवाले किसान हैं, मजदूर किसान हैं और मिल-कारखानों में मजदूरी करने वाले हैं। उनकी विशिष्ट मांगों का प्रतिबिंब दलित फेडरेशन के प्रस्ताव और कार्य में दिनोंदिन अधिकाधिक अनुपात से दिखाई देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि राजनीतिक मांगों के संदर्भ में समूचा अस्पृश्य समाज आज दलित फेडरेशन के पीछे खड़ा है, यह जाहिर है। इस संगठन को अधिक मजबूत बनाने में तथा अन्य राजनीतिक संस्थाओं के साथ उसे जोड़ने में न केवल अस्पृश्य समाज का बल्कि पूरे देश की जनता का हित है इस बारे में फेडरेशन के इस अधिवेशन से सबको यकीन होगा।[3]

डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर का भाषण

रविवार, दिनांक 6 मई, 1945 को अखिल भारतीय शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन के तीसरे अधिवेशन के लिए बनाए गए विशाल साध्वी रमा बाई अम्बेडकर नगर में अखिल भारतीय महिला परिषद के अधिवेशन के बाद डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का एतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भाषण हुआ। उनका भाषण सुनने के लिए करीब डेढ लाख का जन-समुदाय वहां इकट्ठा था। स्वागत मंडल द्वारा डॉ. बाबासाहेब से विनति की गई कि वे लोगों के सामने आकर उन्हें दर्शन दें। जो डॉ. बाबासाहेब ने मानी। श्री मडके बुवा ने डॉ. बाबासाहेब को गले में फूलमाला डाली। 7 बज कर 5 मिनट हुए, जब डॉ. बाबासा. हेब वक्ता के लिए खासतौर से बनाए गए मंच पर आए। अम्बेडकर जिंदाबाद के नारों

3. लोकयुद्ध : 14 मई, 1945

से और तालियों की गड़गड़ाहट से समूचा वातावरण गूंज उठा। उपस्थित जन-समुदाय में पूरे हिंदुस्तान के अस्पृश्य लोग उपस्थित थे। लोगों की अपने इकलौते नेता पर कितनी अनन्य भक्ति है यह उनके कट्टर विरोधियों को भी मानना पड़ा। वह असीम अस्पृश्य जन-समुदाय स्वाभिमान, स्फूर्ति और चैतन्य के उफान पर था।

डॉ. बाबासाहेब का भाषण सब लोग तस्वीर की तरह निस्तब्ध होकर सुनने लगे। सुई के गिरने की आवाज भी सुनाई दे ऐसी शांति वहां छाई थी।

डॉ. बाबासाहब ने अपने भाषण में कहा,

इस अपार जनसमुदाय को देख कर सार्वजनिक काम करने वाले किसी को भी अचरज महसूस होगा? सार्वजनिक कामों में कार्यकर्ताओं के पास विशेष विद्या अथवा बुद्धि की जरूरत नहीं होती। काम करने की सच्ची लगन हो, त्याग करने के मानसिकता हो तो कोई भी अच्छा काम कर सकता है। ऐसे लोग हमारे बीच हैं और मुझे उम्मीद है कि कुछ और भी पैदा होंगे। हमारा काम बेहद कठिन है। काँग्रेस, मुस्लिम लीग या हिंदू महासभा की तरह हमारे पास धन नहीं। सो, तनख्वाह देकर जागृति लाने के इस काम के लिए लोगों को नियुक्त करना संभव नहीं। हमारे कुछ लोग अति अज्ञानी और भोले होने कारण काँग्रेस अथवा हिंदू महासभा के लोगों द्वारा लालच दिए जाने पर ऐसे लोग उनके वश में चले जाते हैं। इतना ही नहीं वे काँग्रेस या हिंदू महासभा के प्रचारक बन कर हमारे आंदोलन में फूट डालने की कोशिश करते हैं। हमारे आंदोलन के प्रचार के लिए हमारे हाथ में हमारा कोई अखबार नहीं है। काँग्रेस के अखबार हमारी खबरें छापते ही नहीं कभी छापा तो कुछ विकृत छापते हैं। यहां उपस्थित जनसमुदाय को देखें तो कोई भी यही कहेगा कि यहां सवा से डेढ लाख की संख्या में लोग मौजूद हैं। लेकिन कल की ऐसी ही एक सभा के बारे में एक मराठी अखबार ने केवल छह सौ लोगों के उपस्थित होने की बात लिखी है!!!

लॉर्ड वेवेल साहब विदेश गए हुए हैं। क्यों गए हैं कोई नहीं जानता। हालांकि जो खबरे सुनने में आई हैं उनके आधार से यही लगता है कि हिंदुस्तान के नए संविधान को लेकर चर्चा के लिए लॉर्ड वेवेल साहब गए हैं। भुलभाई देसाई और काँग्रेस के खतों ने ही ये बातें फैलाई हैं। सो कहां जा सकता है कि उनमें सत्यांश होगा ही। इसी बारे में कुछ बातें मैं आज बताना चाहता हूं। मेरा भाषण अंग्रेजी में लिखा हुआ है। मातृभाषा के बजाय अंग्रेजी में भाषण लिख लाने का मलाल है लेकिन अंग्रेजी राजनीति की भाषा होने के कारण सरकार तथा अन्य सभी तरह के लोगों की समझ में आए इसलिए भाषण अंग्रेजी में ही लिखना पड़ा। आप सबकी जानकारी के लिए इस अंग्रेजी भाषण का मराठी तर्जुमा अपने 'जनता' अखबार में प्रकाशित होगा।

आज कई लोगों की नजरें अस्पृश्य वर्ग पर टिकी हैं। किसी समय अस्पृश्यों को कोई नहीं पूछता था। 1928 में साइमन कमीशन नियुक्त हुआ। उस समय लॉर्ड बर्कन हेड ने लोगों से कहा था कि आप राजनीतिक संविधान का निर्माण कर बताइए। इसी लॉर्ड बर्कन हेड के कहने से 1928 में काँग्रेस ने 'नेहरू कमेटी' नियुक्त की। इस नेहरू कमेटी ने संविधान के बारे में जो रपट लिखी है वह पढ़ने लायक है। अस्पृश्यों को तो उसे जरूर पढ़ना चाहिए। 150 प्रश्नों की इस रपट में केवल तीन वाक्यों में अस्पृश्यों का फैसला कर दिया गया है। इन तीन वाक्यों में नेहरू रिपोर्ट में कहा गया है कि अस्पृश्यों का मसला राजनीतिक नहीं, धार्मिक है। केवल सिक्ख और ईसाइयों के बारे में कुछ सवालों को हल करना होगा। क्या साबित होता है। 1928 में काँग्रेस सात करोड़ लोगों को शून्य करार दे रही थी। दो सालों बाद गोलमेज परिषद हुई। वहां अस्पृश्यों ने और कुछ किया हो न हो, शून्य के दस किए। एक पर शून्य लगाया। (तालियां) लेकिन गांधी ने दस के फिर एक बनाने की योजना बनाई। हालांकि वे कुछ कर नहीं पाए (हंसी)।

पिछले वर्ष सबके दिलों को जोड़ने के लिए 'सप्रू समिति' बनी। इस समिति ने नया संविधान कैसा हो, इस बारे में एक कच्चा ढांचा बना लिया है। सप्रू समिति के अनुसार 10 के इस आंकडे को 50 के पार पहुंचाना होगा। 50 के पार यानी अस्पृश्यों की उन्नति 0 से 50 से ऊपर तक हुई है। (तालियों की गड़गड़ाहट)

काँग्रेस, रॉय ग्रुप और कम्युनिस्ट हमसे निकटता बताते हैं ताकि वे हमारे आंदोलन के निष्प्रभ कर दें। कम्युनिस्टों का संदेश के साथ खत उनके इसी उद्देश्य के साथ आया था। कल उस खत को मैं अधूरा पढ़ कर छोड़ दिया। 1920 से काँग्रेस के साथ हमारा जो झगड़ा चल रहा है वह कभी मिटेगा या नहीं, कह नहीं सकते। पिछले कई सालों में हमारा काँग्रेस के साथ जब संघर्ष चल रहा था। तब कम्यूनिस्ट और रॉयिस्ट दूर से चुपचाप देखते रहते थे। हमारी बुराई करते रहते थे। हमें राजनीतिक रूप से संरक्षक बंधन चाहिए और पिछले 20 सालों में इन्होंने इस बारे में कुछ नहीं किया। उन्हें अभी हमारे बारे में अपनापन क्यों महसूस हो रहा है?

रॉय वादी पूछते हैं कि अस्पृश्य हमारे साथ आकर क्यों नहीं मिलते? काँग्रेस की महिलाएं महारों की बस्ती में जाकर हमारी महिलाओं के सिर से जुएं बीनती हैं, उनकी साड़ियां धोती हैं, हमारे बच्चों को नहलाती हैं। हाल ही में काँग्रेस की महिलाओं ने पुणे की मांग बस्ती में जाकर हमारे बच्चों को दूध पिलाया। हालांकि दूसरे दिन खबर फैली कि हमारे बच्चों को दस्त होने लगे हैं। (हंसी) इस तरह का अपनापन और स्नेहभाव ये लोग क्यों दिखाते हैं, यह आप लोगों को समझना होगा।

हमारे युवा छात्र भाई और रॉयिस्टों की बातों में आते हैं। लेकिन जिन लोगों ने हमेशा

विरोध किया उनके मन में आज हमारे बारे में प्रेम क्यों उपजा यह समझना जरूरी है। गुड़ की ढेली से जब चींटें चिपकते हैं तो उसका जतन करने के लिए नहीं बल्कि उसे चाटने के लिए चिपकते हैं। आज अस्पृश्य लोग गुड़ की ढेली हैं। इसीलिए कम्युनिस्ट और रॉयिस्ट कपी चींटें आएंगे तो गुड़ खा जाएंगे इस बात को ध्यान रखना होगा।

'स्वराज' का अर्थ हम अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा नहीं कि कम्युनिस्ट या और कोई बताए, तभी बातें हमारी समझ में आएंगी। हम काँग्रेस को भी राजनीति सिखा सकते हैं। हम अपनी हिम्मत और कर्तृता से देश के लिए और अपने किए जो करना होगा वह अलग से अवश्य करेंगे। हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। इस देश में हिंदू और मुसलमान के बीच सुल्ह करा कर राष्ट्रीय सरकार लाने की कोशिश चल रही है। (40 प्रतिशत मुसलमान और बाकी अन्य सभी यह फॉर्मुला उन्होंने किस आधार से बनाया है कुछ समझ नहीं आ रहा। 22 प्रतिशत मुसलमानों को 40 प्रतिशत और अस्पृश्य और सिक्ख 30 प्रतिशत होते हुए उन्हें 20 प्रतिशत यह कैसा न्याय है? मुझे हिंदू लोगों पर तरस आता है। हिंदू अच्छी तरह जानते हैं कि अस्पृश्य लोग निर्धन हैं, दलित हैं और पिछड़े हैं। इसके बावजूद उनके लिए केवल 20 प्रतिशत और जो राजवंश के हैं उन्हें 40 प्रतिशत। यह कैसा न्याय हुआ?

एक युवा व्यक्ति की विवाहेतर संबंधों से चार संतानें हुईं। उस औरत के गुजर जाने के बाद वह आदमी संन्यासी हुआ। उसका एक शिष्य, वामनभट नाम का एक दोस्त और ये चार बच्चे इस प्रकार उसका परिवार था। एक बार एक गृहस्थ ने उसे श्राद्ध के लिए भोजन का आमंत्रण भेजा। गुरूघंटाल ने जजमान से आठ रोटियां बनाने के लिए कहा। हिसाब उसने इस प्रकार लगाया- अपने लिए -4, वामनभट के लिए-2 , शिष्यों के लिए-1, और बाकी बची 1 चार संतानों के के लिए। इसी तर्ज पर राष्ट्रीय सरकार बनाने के इच्छुकों पर ये नियम लगाएं तो? काँग्रेस के हिंदू कहते हैं हमारे लिए 3, मुसलमानों के लिए 3, और बाकी बची 2 अन्य सभी के लिए!

हमें तैयार रहना होगा। अब जो होगा वह निर्णायक होगा। इसी वक्त हमें जोरदार संघर्ष करना होगा। यह आखिरी मौका है। अब तक काँग्रेस और हिंदुओं के साथ ही हमारा झगड़ा था। लेकिन अब मुसलमानों से भी भिड़ना पड़ेगा। सप्रू समिति के निर्णय के कारण मुसलमान अखबारों के जरिए अस्पृश्यों की आलोचना कर रहे हैं। मुसलमानों का कहना है कि अस्पृश्य हिंदू ही हैं। हिंदुओं की सीटें कम कर अस्पृश्यों को दी जाती हैं तो उसमें हमारा क्या फायदा होगा? मुसलमानों की यह सोच मुझे दुखी करती है। मैं उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहता। 1907 में मुसलमानों द्वारा मांटेग्यू को जो मापत्र दिया गया था उसमें खुद उन्होंने अस्पृश्यों को हिंदुओं से अलग करने की मांग सबसे पहले की थी। तभी से अस्पृश्यों के पृथक चुनाव क्षेत्र की मांग का वे समर्थन

करने लगे। लेकिन आज वे खुद उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसे हालात हैं इसलिए हमें जोरदार लड़ाई करनी होगी। हम जीत गए हैं ऐसा कोई न सोचे। आखिर आंदोलन की मजबूती के लिए सभी कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे अपने वरिष्ठों के आदेशों को बिना शिकायत के स्वीकारने होंगे।[4]

किसी भी संगठन पर निर्भर रहे बगैर हमें अपना जोरदार संगठन बनाना होगा।

श्री मडकेबुवा का गौरवपूर्ण जिक्र कर उन्होंने कह चाहे कोई कितना भी अनपढ़ क्यों न हो, हम में से हर किसी को अपने समाज की सेवा करने का अधिकार है। इस तरह कार्य करने वाले नेता हममें से ही विकसित होंगे इसका मुझे यकीन है।

आप सबने जिन्होंने कि इतना अत्साह और कार्यक्षमता दिखाई उनके प्रति मैं अपना धन्यवाद अर्पण करता हूं और अपना भाषण पूरा करता हूं। (तालियों की गड़गड़ाहट)।

---

4. जनता : 12 मई, 1945

219

हमें जातीय बहुमत नहीं- राजनीतिक बहुमत चाहिए

6 मई, 1045 को मुंबई में होने वाले अखिल भारतीय शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन के अधिवेशन के लिए डॉ. बाबासाहबे अम्बेडकर ने 'विशेष' भाषण अंग्रेजी में तैयार किया था। अधिवेशन में उन्होंने घोषणा की थी कि उनके अंग्रेजी भाषण का मराठी अनुवाद लोग 'जनता' में पढ़ सकेंगे। उनके अंग्रेजी भाषण का 'जनता' में प्रकाशित अनुवाद इस प्रकार था- सम्पादक

''ऑल इंडिया शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन के इस अधिवेशन में आपने मुझे आंमत्रित किया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। अल्पावधि में ही फेडरेशन की इस अपार वृद्धि को देख कर कोई भी अचंभित होगा। अखिल भारतीय शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन को ही अपनी एकमेव प्रतिनिधि संस्था बनाने के उद्देश्य से प्रेरणा पाकर हिंदुस्तान के सभी अस्पृश्य समाज फेडरेशन के झंडे के नीचे इकट्ठा हुआ है।

कम समय में ही फेडरेशन की इस अपार वृद्धि का रहस्य वे ही समझ सकते हैं जो ईमानदारी से यह जानते और मानते हैं कि अस्पृश्यों की उन्नति की राह में कई अड़चने हैं जो उनकी उन्नति की राह में प्रतिरोध खड़े करती हैं। अन्य राजनीतिक दलों के लोगों के द्वारा हमारे लोगों को झूटे प्रलोभन देकर झांसे में लेने की जान-बूझकर कोशिशें की जाती हैं। हमारे लोगों में इतना अज्ञान भरा है कि वे यह नहीं भांप सकते कि वे किस आपातकाल में हैं। साथ ही वे यह भी समझ नहीं सकते कि राजनीतिक उद्देश्यपूर्ति के लिए संगठन का कितना महत्व है। आंदोलन के जो साधन हमें उपलब्ध हैं वे बेहद टुटपूंजिए हैं। इस कारण हमारी स्थिति बेहद दयनीय है। आंदोलन के लिए जरूरी धन हमारे पास नहीं है। हमारे पास कोई अखबार नहीं। हमारे लोगों पर पूरे हिंदुस्तान में अमानुष अत्याचार ढाए जाते हैं, दमन नीति अपनाई जाती है लेकिन अन्य अखबारों में उसे बिल्कुल प्रसारित नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, हमारी सामाजिक और राजनीतिक सोच और राय को कायदे से दबाने के लिए ये अखबार षडयंत्र रचाते हैं। हमारे लोगों के बीच जागृति लाने के लिए और उनकी मदद करने के लिए जो साधन सामग्री चाहिए, उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं।

हमें इन सभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद, हमारे लोगों की अपार मेहनत के कारण तथा निस्वार्थ भाव के कारण ही आज फेडरेशन का इतना विस्तार हुआ है। मुझे यकीन है कि आप लोगों को मुझसे यह उम्मीद है कि फेडरेशन की मुंबई शाखा के अध्यक्ष श्री गणपत महादेव जाधव द्वारा किए गए कार्य के लिए मैं

उन्हें धन्यवाद दूं। आप सबको पता है कि उनमें तारीफ करने योग्य संगठन चातुरी है। इस अधिवेशन की अपूर्व सफलता का श्रेय उन्हें और उनके सहयोगियों को जाता है।

आज के कार्यक्रम में शायद आपको मुझसे उम्मीद है कि मैं हमारी सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं के बारे में बोलूं लेकिन ऐसे मसलों पर ऊहापोह करने की आज मेरी इच्छा नहीं है। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में– हिंदुस्तान के भावी संविधान की रूपरेखा के बारे में बोलना चाहता हूं। इसके कई कारण हो सकते हैं। अस्पृश्य समाज के रोजमर्रा की समस्याएं हल करने और आंदोलन का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी आजकल मैं दिल्ली में रहता हूं, इसलिए फिलहाल मेरे सिर पर नहीं है और मैं उसे अपने सिर लेना भी नहीं चाहता। इसीलिए, केवल अस्पृश्य समाज से संबंधित सवालों पर मैं नहीं बोलना चाहता।

अस्पृश्य लोगों पर कई बार स्वार्थी होने का आरोप लगाया जाता है। यह आरोप भी लगाया जाता है कि देश की राजनीतिक समस्याओं के बारे में उनके पास विधायक उपाय नहीं हैं। यह झूठा आरोप है। अगर इस आरोप को सच मान लें तो कहना पड़ेगा कि यह केवल अस्पृश्यों पर ही लागू नहीं होता। हिंदूस्तान के ज्यादातर लोग विधायक उपायों के बारे में सूचनाएं नहीं देते। ऐसा नहीं कि विधायक उपाय सुझाने की कुव्वत लोगों के पास नहीं होती। लगातार प्रचार कर लोगों के मन में यह बात डाल दी गई है कि कॉंग्रेस के गुट के अलावा अन्य किसी से आई सूचनाओं को स्वीकारा न जाए। बल्कि ऐसी सूचनाओं पर ध्यान भी न दिया जाए। यही बात देश की विधायक सोच के लिए मारक सिद्ध हुई है। इसके बावजूद देश की सामान्य राजनीतिक उन्नति के कुछ उपाय अस्पृश्य समाज पर लगा आरोप दूर करने के लिए सुझाता हूं। देश के लिए जरूरी लगे तो अपनाएं।

आज के दिन लोगों के सामान्य हितों के बारे में बोलना मैंने तय किया उसकी दूसरी वजह यह है।

संविधान की जिम्मेदारी

मैंने जो योजना बनाई है उसे स्पष्ट रूप से आपके सामने रखने से पूर्व दो विवादास्पद सवालों के बारे मैं बताना चाहता हूं। पहला सवाल, हिंदुस्तान का संविधान किसे लिखना चाहिए? यह सवाल निर्माण किया गया क्योंकि इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें –उन्होंने ऐसी कोई मांग पेश नहीं की है, फिर भी लगता है कि अंग्रेज सरकार को ही यहां की मुश्किल हल कर संविधान बनाना चाहिए। इस तरह की सोच मिटे पागलपन की है और मैं चाहता हूं कि उसे लोगों के सामने लाया जाना चाहिए। यह सोच मूर्खतापूर्ण है और मेरी राय में उसे इस बात को उजागर किया जाना चाहिए। अंग्रेज सरकार कानून बनाए और उन्हें हम पर लादा जाए, वे दिन अब लद गए।

हिंदी लोगों द्वारा भावी संविधान के बारे में जिस प्रकार हल्ला मचाया जा रहा है उसे ध्यान में लिया जाए तो लगता है कि अंग्रेजों से लादा जाने वाला संविधान बेकार साबित होगा।

आज तक तैयार किए गए और भावी संविधान में मौलिक फर्क होगा। और लगता है यह फर्क उन लोगों के ध्यान में नहीं आया है जिन्हें आज भी यह लगता है कि हिंदुस्तान का संविधान अंग्रेज बना कर दें।

पुराने और भावी संविधानों में फर्क रहेगा–पुराने संविधान में संविधान को भंग किए जाने पर लागू की जाने वाली धारा की व्यवस्था की गई थी। हालांकि भारी संविधान में इस प्रकार की अधिक और साधारण धाराएं नहीं होंगी। इस अस्थायी धारा के खिलाफ 1935 के कानून की 93वीं धारा के खिलाफ हिंदुस्तान के लोंगों ने काफी हल्ला मचा रखा है। इसकी वजह यही है कि वे नहीं जानते हैं कि कानून में यह धारा कैसे और क्यों जुड़ी। हिंदुस्तान का जीवन जिन दो बातों पर निर्भर है उन्हें अगर वे समझेंगे तो 93 की धारा का निर्माण भी सहजता से उनकी समझ में आ जाएगा।

उनमें से पहली बात यह है कि कानून और व्यवस्था राजनीतिक जीवन की औषधियां हैं। राजनीतिक, जीवन में जब कोई गड़बड़ियां पैदा होती हैं तब इन औषधियों का प्रयोग करना होता है। ऐसे समय अगर इन औषधियों का इस्तेमाल ना किया जाए तो वह एक गुनाह होगा। दूसरी बात यह कि किसी भी सरकार को निरंतरता के लिए राज चलाने का पट्टा नहीं मिलता। यह बात सही होने के बावजूद अच्छी सरकार बनने तक राजकाज चलाने के लिए यानी कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार का होना जरूरी है। इन दो बातों के लिए ही 'संविधान भंग' धारा की आवश्यकता होती है। लोगों में शांति और सुरक्षा बरकरार रखने के लिए यह धारा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही एक ऐसी धारा है कि जिसके सहारे देश को अराजकता से बचाया जा सकता है। क्योंकि जब सनदी सरकार टूट जाती है तब राजकाज चलाने के लिए इसी धारा की सहायता ली जा सकती है।

संविधान के अनुसार बनाई गई सरकार और उसके भंग होने पर उसकी जगह आनेवाली अस्थायी सरकार को नियुक्त करने की जो सुविधा 'संविधान भंग' धारा के अंतर्गत की गई थी वह आवश्यक थी। 'आवश्यक थी' कहने का कारण यही है कि संविधान के अनुसार सरकार बनाने के अधिकार भले हिंदी लोगों के दिए गए थे लेकिन संविधान के अनुसार बनी सरकार के भंग होने की स्थिति में राजकाज चलाने का अधिकार अंग्रेज सरकार ने अपने ही पास रखा था।

भावी संविधान में यह फर्क, यह प्रावधान नहीं रखा जा सकता। भारी संविधान के अनुसार अंग्रेज हिंदी लोगों को संविधान के अनुसार सरकार बनाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। इतना ही नहीं सरकार के टूटने के बाद राजकाज चहाने का अधिकार

भी उनके पास नहीं रहेगा। कारण साफ है कि आज तक हिंदुस्तान का संविधान इसी हिसाब से बनाया जाता रहा रहा कि हिंदुस्तान को उपनिवेशों के स्वराज का दर्जा प्राप्त नहीं है। भावी संविधान में इस प्रकार मान कर नहीं चला जा सकता। जिस देश के पास उपनिवेशों का स्वराज न हो उस देश के संविधान में 'संविधान भंग' की धारा न होना क्षम्य हो सकता है लेकिन औपनिवेशिक स्वराज देने वाला संविधान और 'संविधान भंग' की धारा वाला संविधान परस्पर विरोधी है। औपनिवेशिक आजादी जिस देश में हो वहां या तो संवैधानिक सरकार हो सकती है या फिर विद्रोह हो सकता है।

इसके क्या मायने हुए? इसके मायने ये हैं कि हिंदी संविधान के कलंकित होने की संभावना दिखाई दे रही हो तो संविधान बनाना असंभव हो जाता है। यही बात अलग शब्दों में देखते हैं। हिंदुस्तान के सभी घटकों का सम्मान करने वाला तथा उनकी आज्ञा मानने वाला ...संविधान तैयार करना जरूरी है। सबको, भले सब नहीं लेकिन नहीं, नहीं, जो भी हो हिंदुस्तान के सभी महत्वपूर्ण घटकों को उसे मानने के लिए सिद्ध होना चाहिए। उसका हर तरह से समर्थन किया जाना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब हिंदी लोगों द्वारा हिंदी लोगों के लिए और हिंदी लोगों की इच्छा के अनुरूप, उनकी अनुमति से संविधान बनाया जाए। अंग्रेज सरकार अगर संविधान लागू करती है और किसी इकाई द्वारा उसे मान्यता न मिले, किसी दूसरी सामाजिक इकाई द्वारा उसका विरोध किया जाए तो इस देश में संविधान के प्रति बैर-भाव रखने वाला एक वर्ग तैयार होगा। यह वर्ग, उस संविधान के कामकाज में न केवल अड़चनें खड़ी करेगा, बल्कि अपनी समूची ताकत को उसे नेस्तनाबूत करने में लगाएगा। संविधान विरोधी दल अपना कर्तव्य मानते हुए संविधान नष्ट करने को पूरी-पूरी कोशिश करेगा और जैसा लेटिन अमेरिका में हुआ था ठीक उसी तरह संविधान को लागू करने वालों के खिलाफ खुले आम प्रचार करेगा।

अंग्रेजों द्वारा हिंदुस्तान के लिए संविधान बनाना बिल्कुल बेकार हैं क्योंकि उसे लागू करने के लिए वे यहां नहीं रहेंगे। किसी ताकतवर सामाजिक इकाई द्वारा या ऐसी इकाइयों के समूह के द्वारा अगर यह संविधान लागू किए जाने की कोशिश होगी तो वही परिणाम सामने आएंगे। इसीलिए मेरी पक्की राय यही बनी है कि अगर हिंदी लोग स्वायत्तता चाहते हैं तो वे संविधान तैयार करने की जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। इस प्रकार यह टाली न जा सकने वाली जिम्मेदारी है।

संविधान

दूसरा प्रश्न उपस्थित होता है कि संविधान निर्माण के लिए क्या संविधान समिति की आवश्यकता है? आज हर कोई संविधान समिति के बारे में बोल रहा है। इस्तीफा देने से पूर्व काँग्रेस मंत्रीमंडल ने मांग की कि, जिसमें सभी हिंदी लोग ही हों ऐसी समिति द्वारा संविधान

बनाया जाए। एक प्रस्ताव के जरिए उन्होंने यह मांग की थी। क्रिप्स योजना में भी संविधान समिति को अंतर्भूत किया गया था। स्प्रू कमेटी ने उन्हीं की बात को आगे बढ़ाया है।

मुझे साफ तौर पर यह बताना पड़ेगा कि में संविधान समिति बनाने के बिल्कुल खिलाफ हूं। मेरी राय में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि देश में अंतर्गत विद्रोह पैदा करने वाली वह एक भयंकर योजना है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि हमें संविधान समिति की जरूरत क्या है? युनाइटेड स्टेटस् का संविधान बना तब अमेरिकी संविधान निर्माणकर्त्ता जिन स्थितियों से गुजर रहे थे वैसी स्थितियों में आज हिंदी लोग नहीं हैं। उन्हें आजादी को अनुभव कर चुंकी जनता के लिए योग्य कल्पनाएं प्रस्तुत करनी पड़ीं। संविधान बनाने के लिए उनके सामने कोई बेहतरीन नमूना नहीं था। हिंदुस्तान के हालात इससे बिल्कुल भिन्न हैं। संविधान संबंधी कल्पनाएं और ढांचे बिल्कुल तैयार हैं। इसके अलावा यहां विविधता के लिए कोई जगह नहीं। संविधान के दो या तीन बेहतरीन नमूनों के अलावा अन्य बेहतरीन नमूने उपलब्ध नहीं है। तीसरी बात, इस कारण हिंदी लोगों में मत भेद पैदा हुआ है। कहा जा सके ऐसे महत्वपूर्ण और विशुद्ध संवैधानिक मसले बहुत कम हैं। भावी हिंदी संविधान संघीय (Federal) होनी चाहिए यह तव्व अब सर्वमान्य हो चुका है। केन्द्र सरकार के तहत कौन से विषय होने चाहिए और प्रांतीय सरकारों के तहत कौन से विषय होने चाहिए उस बारे में भी कमोबेश निर्णय हो चुका है। राजस्व विभाजन के बारे में केन्द्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार के बीच कोई विवादास्पद मसले पैदा नहीं हुए हैं। इसी प्रकार मताधिकार के बारे में न्यदान मंडल विधिमंडल (Legislature) और कार्यकारी मंडल (Excitove) के आपसी संबंध कैसे हों ले? इस बात को लेकर भी कोई विवाद नहीं। केवल आरक्षित अधिकारों (Residuary Powers) को लेकर ही कुछ विवादास्पद सवाल ध्यान खींचते हैं। ये अधिकार केंद्र सरकार को मिलें या प्रांत सरकारों को मिले? लेकिन यह भी अधिक उलझन में डालने वाला मसला नहीं। हिंदुस्तान सरकार के वर्तमान कानून में जो व्यवस्था बनी हुई है उसी को अपना कर इसका बेहतर हल पाया जा सकता है।

इन बातों के मद्देनजर संविधान निर्माण के लिए संविधान समिति की क्या जरूरत है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। 1935 में बने हिंदुस्तान के कानून में इतना संविधान लिखा हुआ है। कि इसी काम को दुबारा करने के लिए संविधान समिति की नियुक्ति करना यानी जरूरत से अधिक मेहनत करने जैसा है। उपनिवेशी स्वराज के लिए 1935 के कानून में जो हिस्सा बाधा डालने वाला है उन्हें हटाना ही अधिक योग्य तरीका है।

संविधान समिति को केवल जातीयता की समस्या का समाधान ढूंढने का काम सौंपा जाए। मेरी राय में हर तरह की शर्तों के आधार पर भले संविधान समिति बने, जातीयता की समस्या का समाधान उसका एक विभाग भर न बने। संविधान समिति की रचना के

बारे में सप्रू कमेटी द्वारा दी गई सूचनाओं के बारे में सोचते हैं। इस कमटी द्वारा हमेशा के लिए समिति के सदस्यों की संख्या 160 तय कर दी गई है। इसके अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर प्रांतीय विधिमंडल के सदस्यों द्वारा संयुक्त मतदान पद्धति से चुनाव कराते हुए उपस्थित तीन चौथाई सदस्यों द्वारा तथा मतों द्वारा निर्णय लेने की पद्धति को अपनाना होता है। असल में, अन्य दो सवालों के जवाबों पर यह बात निर्भर करती है कि क्या कोई भी अल्पसंख्यक समाज इस प्रकार की संविधान समिति को निष्पक्ष और विश्वासयोग्य मानते हुए उसका स्वीकार करेगा? पहला पश्न है– क्या समिति इस बात की जिम्मेदारी ले सकती है कि समिति के लिए चुने गए अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि वास्तव में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं? दूसरा प्रश्न है– क्या वह इस बात का जिम्मा ले सकती है कि संविधान समिति द्वारा निकाले गए परिणामों के कारण विशेष अल्पसंख्यकों के हकों पर गाज नहीं गिरेगी?

कम से कम मैं दावे के साथ यह नहीं कह सकता कि इन दोनों मामलों में अल्पसंख्यकों को डरना नहीं चाहिए। इन सवालों के बारे में सोचने से पूर्व क्रिप्स साहब की संविधान समिति और सप्रू की संविधान समिति में क्या फर्क हैं यह देखते हैं। फर्क इस प्रकार हैं–

(1) सप्रू समिति ने तय कर डाला है कि संविधान समिति में कुल 160 सदस्य होने चाहिए। सर स्टॅंफर्ड क्रिप्स ने लेकिन एक निश्चित आंकड़ा तय नहीं किया। उन्होंने अपनी योजना में जो व्यवस्था दी है उसके अनुसार प्रांतीय विधिमंडल के सैंकड़ा 10 सदस्यों की समिति बने। असल में यह आंकडा 158 तक पहुंचता है। दोनों की दी गई संख्या में केवल 2 का ही फर्क है।

(2) चुनावों के बारे में सप्रू कमेटी की योजना के अनुसार संविधान समिति के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार से संयुक्त मतदान पद्धति से चुनाव कराना। इस मामले में क्रिप्स योजना और सप्रू योजना में संविधान समिति की रचना को लेकर कोई फर्क नहीं। क्रिप्स योजना में जाति के आधार पर आरक्षित सीटें नहीं हैं। इस मामले में क्रिप्स योजना से सप्रू योजना एकदम अलग है। यह अलगाव इतना ज्यादा है कि उसमें विशिष्ट समुदायों के लिए विशिष्ट अनुपात में आरक्षित जगहें देने का प्रबंध भी इस योजना में कर रखा गया है। लेकिन यह सामान्य फर्क हुआ। क्योंकि अगर क्रिप्स योजना कोई निश्चित आंकड़ा तय नहीं कर सकती तो आरक्षित जगहों संबंधी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की योजना बनना सहज है। आगे दिए जा रहे कोष्टक से इन दो योजनाओं के बीच प्रतिनिधित्व के विभाजन का फर्क आसानी से समझ आ जाएगा।

जातियां और उनके हितसंबंध	संविधान समिति में क्रिप्स योजनानुसार	पदों का बंटवारा सप्रू योजनानुसार
1	2	3
हिंदू	77	51
मुसलमान	50	51
अस्पृश्य समाज	15	20
सिक्ख	3	8
भारतीय ईसाई	2	7
एंग्लो इंडियन	1	2
यूरोपीयन	6	1
आदिवासी जनजातियां	2	3
विशिष्ट हितसंबंध	–	16
अन्य	2	1
कुल	**158**	**160**

संविधान समिति की रचना में सप्रू कमेटी ने हर समुदाय के लिए केवल आंकड़े ही सुनिश्चित नहीं किए हैं बल्कि हिंदू–मुसलमानों को समान स्तर पर ले आए हैं। उस फर्क के बारे में संविधान समिति द्वारा ऐसा कारण बताया गया है, कि– चूंकि मुसलमानों को इतनी बड़ी देन मिली है इसलिए संविधान समिति के चुनाव संयुक्त मतदान पद्धति के अनुसार होने चाहिए। इस संदर्भ में यह कहना बिल्कुल ठीक है कि सप्रू कमेटी क्रिप्स योजना समझ नहीं पाई है। क्रिप्स में संयुक्त मतदान प्रणाली को अपनाया गया है। उसकी एक उप–धारा के अनुसार 'प्रांतीय विधिमंडलों में से कनिष्ठ मंडलों के (Lower Houses) सदस्यों के लिए मतदान का केवल एक ही कमरा हो।' इसी बात को अलग शब्दों में इस तरह भी कहा जा सकता है कि संयुक्त मतदान प्रणाली से मतदान कराने के लिए सप्रू कमेटी ने एक समुदाय को बेवजह ही कुछ दिया है और अन्य समुदायों को संकट में डाल दिया है।

क्रिप्स योजना के अनुसार जो सदस्य उपस्थित हैं और जिन्होंने मतदान किया है उनके बहुमत पर ही संविधान समिति का निर्णय निर्भर करेगा।

अब हम उन दो सवालों के बारे में सोचें जिनका मैंने पहले जिक्र किया है। पहले प्रश्न के संदर्भ में वहां के हालात कैसे हैं? प्रश्न का उत्तर देने से पहले प्रांतीय विधिमंडल के सदस्यत्व के जाति के आधार पर होने वाले विभाजन के जानकारी होना जरूरी है। निम्नांकित कोष्ठक इस बारे में जानकारी देता है–

प्रांतीय विधिमंडल में सीटों का जाति आधारित विभाजन

जनजातियां	सामान्य	महिला	यूनिवर्सिटी	ट्रेड यूनियन	व्यापार	जमींदार	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
हिंदू	651	26	7	33	31	22	770
मुसलमान	482	10	1	5	6	13	597
अस्पृश्य समाज	151	–	–	–	–	–	151
भारतीय ईसाई	20	1	–	–	–	–	21
एंग्लो इंडियन	11	1	–	–	–	–	12
सिक्ख	34	1	–	–	–	1	36
यूरोपीयन	26	–	–	–	19	1	46
आदिवासी	24						24
कुल	**1399**	**39**	**88**	**38**	**56**	**37**	**1577**

क्रिप्स योजना में जिसका नामोनिशान भी नहीं उस जाति आधारित सीटों के बंटवारे की व्यवस्था जिसे सप्रू योजना में स्थान दिया गया है का क्या महत्व है? इसका जवाब इस सवाल के जवाब पर निर्भर करता है कि किसी भी समुदाय को अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए दूसरे समुदाय पर किस हद तक निर्भर करना पड़ेगा! इस बारे में क्या फायदे होंगे? एक और कोष्ठक देखिए–

सीटों के बारे में मतदान शक्ति

जनजाति	संविधान समिति के लिए मतदाता	संविधान समिति में सीटों का अनुपात	परिमाण चुनाव के लिए आवश्यक मतसंख्या	+से अधिक मतदाता –से कम मतदाता
1	2	3	4	5
1. हिंदू	778	51	561	+217

2. मुसलमान	561	51	517	+44
3. अस्पृश्य	151	20	220	−69
4. भारतीय ईसाई	21	7	77	−56
5. सिक्ख	36	8	88	−52
6. यूरोपियन	46	1	11	+35

इस कोष्ठक के सहारे निम्नांकित सिद्धांत बनाए जा सकते हैं–

(1) सभी वोटों का जोड़ 1577 और चुने जाने वाले उम्मीद वारों की संख्या 160 मानें तो प्रतिनिधित्व की आनुपातिक योजना के अनुसार 10+1=11 का अनुपात निकाला जा सकता है।

(2) 11 को अगर स्वीकारा जाए तो हिंदू मुसलमान और यूरोपियन के क्रम से 217, 44 और 35 मतों के हिसाब से सभी उम्मीदवारों के चुने जाने के बाद भी बाकी बचतें हैं लेकिन अस्पृश्य समाज, भारतीय ईसाई समाज और सिक्खों को अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए क्रम से 69, 56 और 52 मतों की कमी हो सकती है।

आइए, हम इसी को थोड़ा अलग ढंग से समझें–

(1) हिंदुओं के पास जरूरत से अधिक यानी 217 वोट हैं। वोटों के लिए जो हिंदुओं पर निर्भर हैं उन 20 उम्मीदवारों को जिता सकते हैं। मुसलमान भी उनके 44 अधिक वोटों के जरिए उनके वोटों पर निर्भर करने वाले 4 उम्मीदवारों को जिता सकते हैं। इसी प्रकार यूरोपियन्स उनके 35 अधिक वोटों के जरिए उनके वोटों पर निर्भर 3 यूरोपियेतरों को चुनाव जिता सकते हैं।

(2) अस्पृश्य 69 वोटों की कमी के कारण अपने कुल वोटों के जरिए केवल 12 उम्मीदवारों को जीत दिला सकते हैं। अन्य 7 सीटों के लिए उन्हें हिंदू, मुसलमान और यूरोपीय मतदाताओं पर निर्भर करना होगा। भारतीय ईसाई लोग 56 मतों की कमी के कारण अपने कुल वोटों के जरिए केवल दो ही उम्मीदवारों को चुनाव जिता सकते हैं। अन्य 5 सीटों के लिए उन्हें हिंदू मुसलमान और यूरोपीयनों पर निर्भर रहना होगा। इसी प्रकार सिक्खों को 51 वोटों की कमी के कारण उनके कुल मतदाताओं के वोटों के बल पर केवल 3 सीटें ही पा सकते हैं। बची हुई पांच सीटों के लिए उन्हें हिंदू, मुसलमान और यूरोपीयनों पर निर्भर रहना पड़ेगा।

कुल मिला कर स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। छोटे अल्पसंख्यकों को हद से अधिक प्रतिनिधित्व देना आंखों में धूल झोंकने की तरह है। उनका प्रतिनिधित्व इतना परावलंबी है कि किसी भी तरह उसे प्रतिनिधित्व नहीं कहां जा सकता।

अब मैं दूसरे सवाल पर आता हूं। सप्रू कमेटी ने संविधान समिति के निर्णयों के बारे में जिस कानून का सहारा लिया है क्या उससे सुरक्षा मिल सकती है? क्रिप्स साहब ने अपनी योजना में रखी शर्त के अनुसार बहुमत पर ही संविधान समिति का निर्णय आधारित रहना चाहिए। इस प्रकार की हास्यास्पद सूचना कोई भी समझदार इन्सान दे नहीं सकता। केवल बहुमत पर संविधान के समलों के निर्णय निर्भर हों ऐसा एक भी उदाहरण मुझे पता नहीं।

क्रिप्स योजना में कहा गया है कि बहुमत के आधार से कानून बनाए जाएं। इसमें से एक चोर-रास्ता भी रखा गया है। इसमें अलपसंख्यकों के हितों की रक्षा के नजरिए से एक प्रबंध किया गया है। हिंदुस्तान में अपनी सत्ता को त्यागने से पूर्व अंग्रेज सत्ताधिकारी और हिंदी संविधान समिति के बीच अल्पसंख्यकों के हितसंबंधों के बारे में करार किया जाएगा। यह करार तभी अर्थपूर्ण होता जब इसमें संविधान को भी मात देने की ताकत होती। अगर क्रिप्स योजना के कारण हिंदुस्तान आजाद हो सकता है तो इस सूचना का कोई मतलब नहीं।

एक बार हिंदुस्तान आजाद हो जाए तो उसे कोई भी कानून बनाने या प्रस्ताव पारित करने का पूरा अधिकार मिलेगा। हिंदुस्तान तब घोषणा कर सकता है कि हमारे संविधान में दखल देने का उसे कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो उस करार का पंचांग से अधिक महत्व नहीं रहेगा। अल्पसंख्यक चाहे तो उसे अपने घर की खूंटी पर टांग कर रख सकते हैं। आयर्लंड के करार के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब तक आयर्लंड आजाद देश नहीं था तब तक आयर्लंड के करार आयर्लंड के संविधान में दखल दिया करते थे। लेकिन आजादी मिलते ही आयरिश फ्री स्टेट की पार्लियामेंट ने एक मामूली कानून बनाया और उसके जरिए करार में संविधान को मात देने के लिए जो कानून था उसे रद्द कर दिया। इस मामले में ब्रिटिश पार्लियामेंट भी कुछ नहीं कर पाई। क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता था कि अब आयर्लंड आजाद हुआ है, इसलिए अब वह कुछ कर नहीं सकती। अल्पसंख्यकों को आश्वासन देने के लिए कोई प्रसिद्ध व्यक्ति ऐसी नासमझी भरी योजना क्यों ले आता है यह मेरी समझ में नहीं आता।

इस मामले में सप्रू योजना में जो प्रंबध है वह क्रिप्स की परिष्कृत आवृत्ति है ऐसा लगता है। लेकिन क्या सचमुच वह ऐसी है? मेरी पक्की धारणा है कि वह ऐसी नहीं है। किसी बात को सफलता दिलाने के लिए 160 में से तीन चौथाई यानी 120 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है- इस बात को सुधार के तौर पर मान लेने से पूर्व इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि 120 सदस्यों का समूह कैसे जुटाया जा सकता है? हिंदू-मुसलमान अगर एक होते हैं तो उनके कुल सदस्यों की संख्या 102 हो सकती है। 120 सदस्य संख्या पाने के लिए उन्हें और 18 सदस्यों की जरूरत पड़ेगी। विशिष्ट सीटों पर चुनाव जीतने वाले सदस्य और कुछ अन्य सदस्य इन एकट्ठा होने वालों के हाथ आएंगे। ऐसा अगर होता है तो जाहिर है कि उनका चुनाव जीतना अस्पृश्य समाज, सिक्ख,

भारतीय ईसाई आदि जातियों को सजा के समान लगेगा। इसी प्रकार अगर मुसलमान अलिप्त रहें, अलग-थलग रहें तो संविधान समिति का निर्णय संयुक्त नहीं रह पाएगा और मुसलमानों से वह मुसलमानेतरों के दी जानेवाली सजा ही साबित होगा। नियंत्रण पाने के लिए अदला- बदली करना और एका करने की संभावना नजर आना या कुछ जातियों द्वारा की गई व्यूह रचना को तोड़ना जैसी बातें संविधान समिति में होंगी। इन सभी बातों के बारें में सप्रू कमेटी ने सोचा नहीं यही खेद के साथ मुझे कहना पड़ेगा। तीन चौथाई बहुमत के साथ हर समुदाय में से कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों को शामिल करने के बारे में अगर कोई व्यवस्था की जाती तो कुछ हद तक सुरक्षितता होती।

युनाइटेड स्टेटस् का संविधान निर्माण करते हुए जो नीति अपनाई गई थी उसी को अगर स्वीकार किया जाता तो समिति में शामिल नहीं किए गए अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों के जरिए संविधान समिति के निर्णयों में अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी की मंजूरी के लिए सप्रू कमेटी और भी प्रबंध कर पाती। सप्रू कमेटी की योजना में इस प्रकार की व्यवस्था दिखाई नहीं देती। परिणामस्वरूप संविधान समिति किसी 'बंधन' की तरह बन गई है।

संविधान समिति की योजना के खिलाफ कई बातें कही जा सकती हैं। उनमें से जिसका मुझ पर बहुत अधिक असर हुआ ऐसी एक ही बात का मैं यहां जिक्र करता हूं। स्कॉटलेंड और इंग्लैंड के एकीकरण का इतिहास पढ़ते हुए यह जान कर मुझे बड़ा धक्का लगा कि स्कॉटिश पार्लियामेंट से मान्यता प्राप्त करने के लिए घूसखोरी की सहायता ली गई थी। पूरा स्कॉटिश पार्लियामेंट खरीद लिया गया था। चुनिंदा सदस्यों की इच्छानुरूप निर्णय पाने के लिए संविधान समिति के सदस्यों को घूस देकर खरीदने जैसी निंदनीय घटनाएं संविधान समिति में घटने के मौके उपलब्ध हैं। मुझे यकीन है कि ऐसा करने की किसी ने अगर कोशिश की तो उनकी कोशिशें कभी भी नाकामयाब नहीं होंगी। और अगर ऐसा होगा तो न सिर्फ संविधान समिति की छीछालेदर होगी। बल्कि मुझे लगता है कि, उसके निर्णय को लागू करने की अगर किसी ने कोशिश की तो आपसी लडाइयां, दंगे हुए बगैर नहीं रहेंगे। सभी पहलुओं से सोचने के बाद मेरी यह पक्की धारणा बनी है कि संविधान समिति की सूचना से कोई फायदा तो नहीं होगा, हां, बड़ा जोखिम जरूर पैदा होने वाला है। इसीलिए इसे साफ नकार देना चाहिए।

नए उपायों की आवश्यकता

ऐसे में मुझसे पूछा जाएगा। कि संविधान समिति को स्वीकार करना अगर अयोग्य है तो आप कौन-सा उपाय सुझा सकते हैं? मुझे पता है कि मुझसे इस तरह का सवाल पूछा जाएगा और मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। जातीय समस्या का हल निकालना मुश्किल हो गया है क्योंकि इस मसले पर उपाय निकालना असंभव हुआ है। क्योंकि, इस पहेली का हल ढूंढने के लिए जिन मार्गों को अपनाया गया है वे ही गलत हैं। वर्तमान मार्ग में जो दोष

दिखाई दे रहा है वह यह है कि इस पहेली को हल करते हुए सिद्धांतों को नहीं केवल नीतियों को ही अपनाया गया है। केवल एक ही सिद्धांत को स्वीकार किया गया है और वह सिद्धांत यह है कि किसी सिद्धांत को स्वीकार न किया जाए, केवल नीतियों की कड़ियों को ही अपनाया गया है। एक नीति अगर गलत साबित होती है तो दूसरी नीति को अपनाना और अपनाने = छोड़ने की इस नीति के कारण जातीय समस्या एक इंद्रजाल बन कर रह गई है। जहां कोई मूलभूत सिद्धांत ही नहीं वहां गलतियां बताने वाला मार्गदर्शक कहां से आए? जहां कोई सिद्धांत ही नहीं वहां नई नीति की सफलता के बारे में यकीन कैसे हो?

जातीयता की समस्या का हल दो तरीकों से ढूंढा जा रहा है– पहला, डरपोक द्वारा गुंडों के सामने योजना प्रस्तुत करना और दूसरा, गुंडों द्वारा कमजोरों और दुर्बलों से योजना को मान्यता दिलाना। जब-जब कोई समुदाय ताकतबर होता जाता है, राजनीतिक नजरिए से फायदे की मांगें रखने का मार्ग अपनाती है तब-तब अच्छी राय बनी रहे इसलिए उसे छूट दी जाती है। उनसे की जाने वाली मांगों के संदर्भ में न्याय-अन्याय की परवाह नहीं की जाती। उस समुदाय की अच्छाई के बारे में भी कोई निर्णय नहीं दिए जाते। परिणामवश उनकी मांगों की कोई सीमा नहीं रहती और दी जाने वाली रियायतों की भी कोई सीमा नहीं बचती। अल्पसंख्यकों के लिए पृथक चुनाव-क्षेत्र की मांग की गई और उसे मंजूरी भी मिली। फिर मांग की गई कि कोई समुदाय अल्पसंख्यक है अथवा बहुसंख्यक है इस बारे में सोचे बगैर उसे पृथक चुनाव-क्षेत्र दिया जाए, इस मांग को भी पूरा किया गया। फिर जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार अलग प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी, उसे भी स्वीकार किया गया। उसके बाद प्रतिनिधित्व के अनुसार बजट की मांग की गई और उसे भी माना गया। अन्य अल्पसंख्यकों को धता बताते हुए पृथक चुनाव-क्षेत्र युक्त बहुसंख्य समुदाय के रूप में मान्यता दिए जाने का हठ किया गया और उस हठ को पूरा किया गया। अन्य बहुसंख्य समुदायों द्वारा राज्य चलाना पसंद न होने के कारण इस प्रकार काज चलाना सहीं नहीं जा सकता क्योंकि वह पक्षपातपूर्ण रवैया हुआ। इसलिए ऐसे बहुसंख्य समुदायों को काट-छांट कर उसे बराबरी का बनाने की मांग की गई। इस प्रकार की शाश्वत सांत्वनापर्ण नीति के अलावा और कोई मूर्खता भरी नीति नहीं। सांत्वनाप्रिय और असीम मांगों की अंतहीन नीति है।

साफ-साफ कहना हो तो असल में जो समुदाय ये दांव-पेंच लड़ाता है उसे बिल्कुल दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अपना फायदा देख कर ही वह इसमें शामिल होती है। सीमा तय करने वाले की सिद्धांत हैं ही नहीं इसीलिए वह ये दांव-पेंच लड़ाता है। उसे यकीन होता है कि अगर फायदे वाला और भी कुछ मांग जाए तो उसकी मांग पूरी की जाएगी। एक और समुदाय है, आर्थिक मोर्चे पर वह बिल्कुल फटे हाल है। समाज में उसका स्तरहीन दर्जे तक पहुंचा हुआ है। शिक्षा के मोर्चे पर बेहद पिछड़ा हुआ है। औरों द्वारा बड़ी ढिठाई से किए जाने वाले जुल्म उसे चुपचाप सहने पड़ते हैं। इस बारे में

उसे किसी तरह का कोई पछतावा नहीं है। समाज ने उसे बहिष्कृत किया है, सरकार ने उसकी उपेक्षा की हैं, उसके लिए लिख गया सुरक्षा का इंतजानम नहीं किया। न्याय पाना, न्यायपूर्ण बर्ताव और समान मौके पाने को लेकर हमेशा जो उदासीन है ऐसे समुदाय को सुरक्षा देने के बारे में पूरी तरह से इनकार किया गया है। ऐसा नहीं कि उसे सुरक्षा की जरूरत नहीं है बल्कि इसकी वजह सिर्फ यही है कि जिस गुंडे के हाथ उसके लिए यह सब करने का ठेका दिया गया है वह उस मामले में ध्यान ही नहीं देता। इस समुदाय की ऐसी हालत की वजह यही बताई जाती है कि यह समुदाय अभी राजनीतिक नजरिए से ठीक से संगठित नहीं हुआ है इसीलिए उसकी मांगे मानी नहीं जातीं। असल में यह बड़ी लफ्फाजी है और ये लफ्फाजी कारगर ढंग से चलती चली आई है।

आज जिन समुदायों के संदर्भ में 'किसी को हाथ, किसी को लात' में से लात मिलने की बात देखने में आती है उसकी वजह है कि जिन समुदायों को जातीय मसलों में शामिल किया जा रहा है उनके लिए बंधनकारी या अधिकारपूर्ण ऐसे किसी सिद्धांत को अपनाया नहीं गया है। इस कमी का घातक असर हुआ है। इसी कारण अपनी राय स्पष्टता के साथ व्यक्त करना उनके लिए अंसभव हो चुका है। कौन-सी नीति अपनाई जा रही है यह वह जान सकते हैं। एक नीति के असफल साबित होने के बाद दूसरी नीति सुझाई जा रही है यह भी वह भांप सकते हैं। एक नीति गलत क्यों साबित हुई? क्या दूसरी नीति सफल हो सकती है? समाज इन सवालों के जवाब नहीं दे सकता। यह इंद्रजाल वह समझ पाना उसके बस की बात नहीं। परिणामस्वरूप जातीय मसलों से संबंधित विवाद वह तटस्थता के साथ बस देखता रहा है, तानाशाही और गुंडागर्दी से बरतने वाले पक्षों को वह अपना काम कितना जरूरी और अर्थपूर्ण है यह जरूरत पड़ने पर दबाब के साथ बताता नहीं।

जातीय मसलों का हल ढूंढने का जो मार्ग मैं सुझा रहा हूं वह सोचने लायक दो बातों पर निर्भर करता है।

(1) जातीय मसलों को हल करना हो तो जिसके कारण अंतिम निश्चयात्मक निर्णय निकल सके, ऐसे कार्यकारी सिद्धांतों को परिभाषित करने की बहुत आवश्यकता है।

(2) जिन कार्यकारी सिद्धांतों को अपनाना हो उन सिद्धांतों को निर्भय और निष्पक्ष तरीके से सब के लिए समान रूप से लागू किए जाने चाहिए।

जातीय मसले हल करने संबंधी योजना

विशिष्ट शुरूआती बिंदुओं के बारे में मैं अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहा हूं। अब मैं इस विषय पर आता हूं- जातीय समस्या ने 3 सवालों को जन्म दिया है-

(क) विधिमंडल में प्रतिनिधित्व का सवाल;

(ख) कार्यकारी मंडल में प्रतिनिधित्व का सवाल;

(ग) नौकरियों में प्रतिनिधित्व का सवाल;

(घ) नौकरियों में प्रतिनिधित्व वाले आखिरी सवाल पर पहले सोचते हैं। इसे वादविवाद का सवाल शायद ही कहा जा सकता है। हिंदुस्तान सरकार ने सरकारी नौकरियों के संदर्भ में एक सिद्धांत को स्वीकार किया है कि, सभी जाति-जनजातियों को विशिष्ट अनुपात में नौकरियां दी जानी चाहिए और सरकारी नौकरियों पर किसी भी समुदाय का एकाधिकार न रहे। 1934 और 1943 के प्रस्तावों में हिंदुस्तान सरकार ने इस सिद्धांत की स्पष्ट रूप से घोषणा भी की है। इतना ही नहीं इस पर असल करने के लिए कानून भी बनाए हैं। इन कानूनों को नजरअंदाज करते हुए अगर कोई नियुक्ति की जाती है तो उसे गैर-कानूनी करार दिए जाने के बारे में साफ जिक्र किया गया है। किसी समय जरूरी हुआ तो कानूनी जामा पहना कर हमेशा का चलन तोड़ा जाता है। इस प्रस्ताव में दी गई व्यवस्था को कानून में शामिल किया जा सके, विभिन्न प्रांत भी इस हिसाब से व्यवस्था कर पाएं ऐसा कोष्ठक हिंदुस्तान सरकार के कानून के साथ ही बनाया जा सकता है और उस कोष्ठक में दी गई फेहरिस्त कानून का एक विभाग माना जा सकता है।

(ख) कार्यकारी मंडल में प्रतिनित्व: इस सवाल के साथ 3 मुद्दे उपस्थित होते हैं-

(1) कार्यकारी मंडल में प्रतिनिधित्व का विशिष्ट अनुपात;

(2) कार्यकारी मंडल का स्वरूप;

(3) कार्यकारी मंडल में नियुक्तियों से संबंधित नीति;

(1) प्रतिनिधित्व का विशिष्ट अनुपात

इस प्रश्न को हल करना हो तो हिंदू, मुसलमान और अस्पृश्य समाज को विधिमंडल प्रतिनिधित्व के विशिष्ट अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए इस पर अमल किया जाना चाहिए।

सिक्ख, भारतीय ईसाई और एंग्लो इंडियनों के बारे में कहना हो तो विधिमंडल के प्रतिनिधित्व के अनुपात में उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाना असंभव है। खास कर, बेहद अल्पसंख्य होने के कारण ही यह अड़चन निर्माण हुई है। संख्या के अनुपात में अगर उन्हें प्रतिनिधित्व देना हो तो कार्यकारी मंडल को इतना बढ़ाना होगा कि आखिर वह हास्यास्पद लगेगा। उनके लिए अगर कुछ किया जा सकता है तो उनके लिए इस मंडल में एक अथवा दो जगहें आरक्षित रखी जाएं और जो नई जगहें निर्माण होंगी उनमें भी उन्हें योग्य प्रतिधित्व देने वाला करार किया चाहिए।

(2) कार्यकारी मंडल का स्वरूप

मेरी राय में कार्यकारी मंडल के संविधान में जिन तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए, वे इस प्रकार हैं–

(1) इस बात को पक्के तौर पर मन में गांठ मार कर रख लेना चाहिए कि इस देश के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच हमेशा बैर ही दिखाई देता रहा है। साथ ही बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच हमेशा ही पैंतरेबाजी होती रहती है इसलिए अल्पसंख्यकों को लगता है कि बहुसंख्यक उनके बारे में कभी तारतम्य के साथ सोचते नहीं। इसी कारण बहुसंख्यकों के बारे में उनके मन में हमेशा के लिए डर बैठ गया है। कानून बनाने वाली सत्ता से अधिक महत्वपूर्ण होती है उस कानून पर अमल करने वाली सत्ता।

(2) चुनाव में जिसे दल के अधिक उम्मीदवार चुन कर आते हैं उस दल को सरकार स्थापन करने का अधिकार मिलता है। ऐसी सरकार में सभागृह के बहुसंख्य सदस्यों को विश्वास होता है। यही प्रचलित तरीका है। लेकिन हिंदुस्तान के हालात के बारे में सोचें तो यह असंभव बात है। क्योंकि हिंदुस्तान का बहुसंख्यक जातीय बहुसंख्यक है, राजनीतिक बहुसंख्यक नहीं। इसी फर्क के कारण जो बातें इंग्लैंड में ठीक लगती हैं वे यहां के हालात के संदर्भ से गलत हो जाती हैं।

(3) विधिमंडल के ज्यादार दल कार्यकारी मंडल नहीं बना सकते। केवल बहुसंख्यक दल से ही नहीं, वरन विधिंडल के अन्य अल्पसंख्य दलों से भी आदेश दिए जा सकें इस प्रकार कार्यकारी मंडल बनाया जाना चाहिए।

(4) विधिमंडल की अवधि खत्म होने से पूर्व कार्यकारी मंडल का अस्त नहीं होना चाहिए। इसी अर्थ में कार्यकारी मंडल नॉन पार्लियामेंटरी होना जरूरी है।

(5) कार्यकारी मंडल के सदस्यों की नियुक्ति विधिमंडल के सदस्यों में से होना जरूरी है। उन्हें सभागार में बैठने, बोलने, मतदान करने और सवालों के जवाब देने का पूरा अधिकार होना चाहिए। इस अर्थ में कार्यकारी मंडल पार्लियामेंटरी हो।

(3) कार्य मंडल में नियुक्तियों से संबंधित नीति

मेरी राय में इस बारे में निम्नांकित तत्वों का पालन किया जाए–

(क) सरकार का प्रमुख–प्रधानमंत्री में पूरे सभागृह का विश्वास होना चाहिए।

(ख) विशिष्ट समुदायों का विधिमंडल में अपने सदस्यों पर विश्वास होना चाहिए।

(ग) कार्यकारी मंडल के सदस्य पर सभागृह द्वारा घूसखोरी अथवा अविश्वास का आरोप लगाया हो सभी उसे मुअत्तल किया जाए।

इन तत्वों को स्वीकारने के बाद मेरी सूचना है कि प्रधानमंत्री और कार्यकारी मंडल के बुहसंख्य समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव पूरा सभागृह करे। लेकिन कार्यकारी मंडल के विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों का चुनाव विधिमंडल के उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाए।

विधिमंडल में प्रतिनिधित्व

यह बेहद कठिन मसला है। अन्य सभी सवाल इस मसले के हल होने पर निर्भर करते हैं। इस सवाल के कारण दो महत्वपूर्ण मुद्दे उभरते हैं–

1. प्रतिनिधित्व का अनुपात;

2. मतदान का स्वरूप।

प्रतिनिधित्व का अनुपात

पहले मैं अपनी सूचनाएं आपके सामने रखता हूं। उसके बाद जिन तत्वों पर वे आधारित हैं उनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। आगे दिए जा रहे कोष्ठकों से आप इस सूचनाओं को समझ पाएंगे। ब्रिटिश हिंदुस्तान के केंद्रीय और प्रांतीय विधिमंडल के भिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व का अनुपात इसमें दर्शाया गया है।

विधिमंडल में सूचित किया प्रतिनिधित्व का अनुपात

विशेष सूचना– आदिवासी जनजातियों की जनसंख्या को गिनती में शामिल न किए जाने के कारण जनगणना के आंकड़े और निम्नांकित तालिकाओं में बताया गया जनगणना के प्रतिशत में फर्क नजर आता है।

(1) केन्द्रीय मंडल

समुदाय	जनसंख्या प्रतिशत	प्रतिनिधित्व प्रतिशत
1	2	3
हिंदू	54.68	40
मुसलमान	28.5	32
अस्पृश्य समाज	14.3	20
भारतीय ईसाई	1.16	3
सिक्ख	1.49	4
एंग्लो इंडियन	0.05	1

(2) मुंबई

समुदाय	जनसंख्या प्रतिशत	प्रतिनिधित्व प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
हिंदू	76.42	40
मुसलमान	9.98	28
अस्पृश्य समाज	9.64	28
भारतीय ईसाई	1.75	2
एंग्लो इंडियन	0.07	1
पारसी	0.44	1

(3) मद्रास

समुदाय	जनसंख्या प्रतिशत	प्रतिनिधित्व प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
हिंदू	71.20	40
अस्पृश्य समाज	76.53	30
मुसलमान	7.98	24
भारतीय ईसाई	4.10	5
एंग्लो इंडियन	0.06	1

(4) बंगाला

समुदाय	जनसंख्या प्रतिशत	प्रतिनिधित्व प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
मुसलमान	56.50	40
हिंदू	30.03	33
अस्पृश्य समाज	12.63	25
भारतीय ईसाई	0.19	1
एंग्लो इंडियन	0.05	1

(5) संयुक्त प्रांत

समुदाय	जनसंख्या प्रतिशत	प्रतिनिधित्व प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
हिंदू	62.29	40
अस्पृश्य समाज	21.40	29
मुसलमान	15.30	29
भारतीय ईसाई	0.24	1
एंग्लो इंडियन	0.03	1

(6) पंजाब

समुदाय	जनसंख्या प्रतिशत	प्रतिनिधित्व प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
मुसलमान	57.06	40
हिंदू	22.17	28
सिक्ख	13.22	21
अस्पृश्य समाज	4.39	9
भारतीय ईसाई	1.71	2

(7) मध्य प्रांत कन्हाड

समुदाय	जनसंख्या प्रतिशत	प्रतिनिधित्व प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
हिंदू	72.20	40
अस्पृश्य समाज	20.23	34
मुसलमान	5.70	25
भारतीय ईसाई	0.36	1

(8) बिहार

समुदाय	जनसंख्या प्रतिशत	प्रतिनिधित्व प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
हिंदू	70.76	40
मुसलमान	15.05	30
अस्पृश्य समाज	13.80	28
भारतीय ईसाई	1.71	2

(9) असम

समुदाय	जनसंख्या प्रतिशत	प्रतिनिधित्व प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
हिंदू	45.60	40
मुसलमान	44.59	39
अस्पृश्य समाज	8.76	19
भारतीय ईसाई	0.48	2

(10) उड़ीसा

समुदाय	जनसंख्या प्रतिशत	प्रतिनिधित्व प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
हिंदू	70.80	40
अस्पृश्य समाज	17.66	36
मुसलमान	2.07	22
भारतीय ईसाई	0.37	2

(11) सिंध

समुदाय	जनसंख्या प्रतिशत	प्रतिनिधित्व प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
हिंदू	23.08	40
मुसलमान	71.30	40
अस्पृश्य समाज	4.26	19
भारतय ईसाई	0.29	1

अल्पसंख्यकों पर होता असर

हिंदुस्तान सरकार के 1935 के कानून में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व में जो फर्क किए गए हैं और जिन्हें योजना में मूर्त स्वरूप प्राप्त हुआ है उन्हें अगर तालिका के स्वरूप में आपके सामने पेश किया जाए तो गैरवाजिब नहीं होगा। वह इस प्रकार है–

मुसलमानों पर होनेवाला असर

विधिमंडल	जनसंख्या अनुपात	प्रतिनिधित्व का अनुपात	
		1935 के कानून के मुताबिक	सुझाई गई योजना के अनुसार
(1)	(2)	(3)	(4)
केन्द्रीय	28.50	32.00	32
मद्रास	8.00	13.49	24
मुंबई	10.00	17.49	28
संयुक्त प्रांत	15.30	28..95	29
मध्य प्रांत	5.70	12.50	25
बिहार	15.00	26.32	28
असम	44.60	31.48	38
उड़ीसा	2.00	6.66	22

अस्पृश्य समाज पर होनेवाला असर

विधिमंडल	जनसंख्या अनुपात	प्रतिनिधित्व का अनुपात	
		1935 के कानून के मुताबिक	सुझाई गई योजना के अनुसार
(1)	(2)	(3)	(4)
केन्द्रीय	14.30	7.60	20
मद्रास	16.50	13.90	30
मुंबई	9.60	8.50	28
बंगाल	12.60	12.00	25
संयुक्त प्रांत	21.40	8.70	29
पंजाब	4.40	4.50	9
मध्य प्रांत	20.20	17.80	34
बिहार	13.80	9.80	28
असम	8.70	6.50	20
उड़ीसा	17.60	10.00	36
सिंध	4.20	–	19

भारतीय ईसाई समाज पर होने वाला असर

विधिमंडल	जनसंख्या अनुपात	प्रतिनिधित्व का अनुपात	
		1935 के कानून के मुताबिक	सुझाई गई योजना के अनुसार
(1)	(2)	(3)	(4)
केन्द्रीय	1.16	3.00	3
मद्रास	4.10	4.20	5
मुंबई	1.70	1.70	2
बंगाल	0.19	0.80	1
संयुक्त प्रांत	0.24	0.90	1
पंजाब	1.70	1.14	2
मध्य प्रांत	0.35	–	1
बिहार	1.70	0.66	2
असम	0.48	0.90	2
उड़ीसा	0.37	0.16	2
सिंध	0.29	–	1

सिक्ख समाज पर होने वाला असर

विधिमंडल	जनसंख्या अनुपात	प्रतिनिधित्व का अनुपात	
		1935 के कानून के मुताबिक	सुझाई गई योजना के अनुसार
(1)	(2)	(3)	(4)
केन्द्रीय	1.50	2.40	4
पंजाब	13.20	188.29	4

हिंदू समाज पर होने वाला असर

विधिमंडल	जनसंख्या अनुपात	प्रतिनिधित्व का अनुपात	
		1935 के कानून के मुताबिक	सुझाई गई योजना के अनुसार
(1)	(2)	(3)	(4)
बंगाल	30.00	20.00	33
पंजाब	22.10	20.00	28
सिंध	23.80	31.60	40

जिन मूलभूत सिद्धांतों पर विधिमंडल के सीटों का विभाजन आधारित है उसे मैं यहां निवेदन कर रहा हूं–

(1) राज्य का ज्यादातर कामकाज तत्वतः ग्राह्म नहीं है और व्यवहार्यतः अन्यायकारी है। बहुसंख्य समुदायों को प्रतिनिधित्व के लिए सापेक्ष बहुसंख्यत्व दिया जा सकता है। लेकिन पूरी तरह बहुसंख्यकत्व के आधार पर बहुत अधिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सकता।

(2) विधिमंडल में जिस बहुसंख्य समुदाय को सापेक्ष बहुमत प्राप्त है, प्रतिनिधित्व के नजरिए से उसके पास किसी छोटें अल्पसंख्यक समुदाय की सहायता से राज्य का कामकाज चला सके इतनी अधिक सीटें न हों।

(3) बहुसंख्यक समुदाय और कोई भी अन्य एक प्रतिष्ठा प्राप्त अल्पसंख्यक समुदाय की एकजुटता से बहुमत न बन सके, जिससे कि अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के हितसंबंधों को लेकर इंद्रचाल– बने इस प्रकार सीटों का विभाजन किया जाना चाहिए।

(4) बहुसंख्यकों पर निर्भर न करना पड़े और अल्पसंख्य समुदाय अगर एकजुट हो जाएं तो अपनी सरकार स्थापन कर सकें इस प्रकार सीटों का बंटवारा किया जाना चाहिए।

(5) बहुसंख्यक समुदायों से जो अतिरिक्त सीटें वापिस ली जाएं उन्हें अल्पसंख्यक समुदायों में विपरीत अनुपात में बांटना चाहिए। यानी, जो अल्पसंख्यक समुदाय अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से बड़ा है तथा सामाजिक, आर्थिक और ष्टिाक्षा के क्षेत्र में अन्य अल्पसंख्यकों की तुलना में जिसने अधिक उन्नति हासिल की है उसे कम सीटें दी जाएं। इसके विपरीत, जो अल्पसंख्यक समुदाय जनसंख्या की तुलना में बहुत छोटी है और शैक्षिक, आर्थिक और ष्टिाक्षा के क्षेत्र में औरों की तुलना में पीछे है उसे ज्यादा सीटें दी जाएं।

मेरी राय में प्रतिनिधित्व में संतुलन होना जरूरी है। केवल जनसंख्या के बल पर किसी समुदाय को अन्य समुदाय पर हावी होने के लिए इस प्रतिनिधित्व में कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। हिंदू बहुसंख्यकता को मुसलमानों से विरोध और मुस्लिम बहुसंख्यकता को हिंदु और सिक्खों का विरोध–इन बातों को केन्द्रीय और प्रांतीय विधिमंडल में जगह नहीं दी गई है।

मतदान का स्वरूप

मतदान के बारे में निम्नांकित बातों का स्वीकार किया जाना जरूरी है–

(1) संयुक्त चुनाव–क्षेत्र या पृथक चुनाव–क्षेत्र कार्य तत्व नहीं बल्कि अत्यावश्यक कार्य को पूरा करने को साधन है।

(2) अल्पसंख्यक समुदायों के नामधारी प्रतिनिधियों को विधिमंडल में स्थान नहीं मिलना चाहिए, वे अपने असली प्रतिनिधियों को विधिमंडल में भेज पाएं।

(3) पृथक चुनाव-क्षेत्र के कारण जिस प्रकार हमारा विश्वास संपादन करने वाले प्रतिनिधि ही हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे इस बात का अल्पसंख्यकों को पूरा-पूरा यकीन होता है। अल्पसंख्यकों को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करने के बावजूद संयुक्त चुनाव-क्षेत्र की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

(4) इसमें अल्पसंख्यकों को दो बार मतदान का अधिकार होगा। साथ ही उन्हें कम से कम मतों की आवष्ठयकता होगी। इस प्रकार के अदल-बदल की जहां संभावना हो इसलिए चतुर्थ सदस्य का संविधान बनाया जाए।

जिन पर सोचा नहीं गया वे बातें

(1) विष्ठिाष्ट सुरक्षा का मसला

अल्पसंख्यक समुदायों की कुछ अन्य मांगे इस प्रकार हैं-

(क) अल्पसंख्यक समुदाय की स्थितियों के बारे में रिपोर्ट बनाने के लिए अधिकारी नियुक्त किया जाए।

(ख) शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी मदद पाने के लिए कानूनी प्रावधान रखा जाए।

(ग) जमीन निर्धारण का कानूनी प्रावधान हो।

ये सभी बातें कानून के मुताबिक ही की जाएं। इस बातों का स्वरूप जातीय न होने के कारण मैं उनके बारे में यहां विस्तार से विचार नहीं कर पाऊंगा।

(2) आदिवासी समुदाय

सिक्ख, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई और पारसी समुदायों की जनसंख्या की तुलना में आदिवासी समुदायों की जनसंख्या अधिक होने के बावजूद जाहिर है कि मैंने उन्हें शामिल नहीं किया। अपनी योजना में उन्हें ष्ठाामिल न करने के कुछ तगड़े कारण हैं। राजनीतिक मौकों से योग्य फायदा लेने की कुव्वत अभी इन आदिवासी समुदायों में नहीं है। इस कारण ये समुदाय बहुसंख्यक अथवा अल्पसंख्यक समुदायों के हाथ का खिलौना बन कर रह जाएंगे। इससे परिणाम यही निकलेंगे कि उनका अपना फायदा तो कुछ नहीं होगा लेकिन वे राजनीति का संतुलन बड़ी आसानी से बिगाड़ सकेंगे। उनके कुल वर्तमान हालात देख कर मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रिका के संविधान के बुनियादी सिद्धांतों के आधार से एक मंडल बनाया जाए। अभी जिसे 'बहिष्कृत विभाग' (Excluded Areas) कहा जाता है उसका कामकाज यह मंडल देखे। जिन प्रांतों में बहिष्कृत विभाग का कामकाज ठीक-ठाक चले इसलिए हर साल तय रकम दें।

(3) हिंदी संस्थान

मैंने अपनी योजनाओं में हिंदी संस्थानों को शामिल नहीं किया है यह बात आपके ध्यान में आई ही होगी। इन संस्थानों को शामिल करने में मुझे कोई आपत्ति बशर्ते कि वे आगे दी गई शर्तें मानें–

(क) ब्रिटिश हिंदुस्तान और हिंदी संस्थानों के बीच अखिल भारतीय राजनीतिक सत्ता का विभाजन न किया जाए।

(ख) कानून और राजनीतिक बंधनों के कारण ब्रिटिश हिंदुस्तान और हिंदी संस्थान एक दूसरे से अलग हो गए हैं। उन्हें हटा देना चाहिए। इसी प्रकार ब्रिटिश हिंदुस्तान और हिंदी संस्थान पृथक घटक न रहें। इतना ही नहीं हो इन दो घटकों से हिंदुस्तान के नाम से एक ही घटक का निर्माण किया जाना चाहिए।

(ग) जिन शर्तों के आधार से हिंदी संस्थानों को ष्शामिल किया जा रहा है उनसे समूची हिंदी स्वतंत्रता के लिए कोई बाधा नहीं पहुंचेंगी। ब्रिटिश हिंदुस्तान और हिंदी संस्थानों की एकता के नजरिए से मैंने एक योजना बनाई है। पूरी योजना क्या है यह यहां बता कर मैं इस भाषण को बोझिल नहीं बनाना। फिलहाल बस ब्रिटिश हिंदुस्तान को चाहिए कि बिना हिंदी संस्थानों के बारे में सोचते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए। वरना, हिंदुस्तान की प्रगति का रास्ता उलझे बगैर नहीं रहेगा।

यह योजना और पाकिस्तान

मैंने हिंदी एकता को उद्देष्य बनाते हुए यहां योजना बनाई है। मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम लोग इसका स्वीकार करेंगे क्योंकि इसमें उन्हें पाकिस्तान में उन्हें पाप्त सुरक्षा से आर्थिक संरक्षण दिया गया है। पाकिस्ता के लिए मेरा कोई विरोध नहीं। मुझे यकीन है कि स्वयंनिर्णय के सिद्धांत के अनुसार पाकिस्तान का निर्माण किया गया है और उस मामले में शक पालना गलत होगा। मुसलमानों को इस सिद्धांत से जितना फायदा उठाना हो, उठाएं, मुझे उसके बारे में भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन साथ ही वे इस बात का भी ख्याल रखें कि मुसलमानों के अलावा जो समुदाय हैं उनके लोग अगर इसका फायदा लेते हों तो उन्हें इसका विरोध नहीं करना चाहिए। एक ओर बेहतरीन और अधिक सुरक्षा देने वाली योजना की ओर में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं दावा करता हूं कि मेरी बनाई योजना पाकिस्तान की योजना से बेहतर है। मेरी योजना के लिए अनुकूल मुद्दों के बारे में यहां बताना योग्य रहेगा। वे इस प्रकार हैं–

(क) जातीय बहुसंख्या के जिस डर के कारण पाकिस्तान का निर्माण किया गया है वह डर ही इस योजना के कारण नष्ट हो चुका है।

(ख) मुसलमान समाज द्वारा आज तक जिन अतिरिक्त सीटों का फायदा लिया है वे सीटें मेरी योजना में भी कायम हैं।

(ग) पाकिस्तान रहित प्रांतों में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी के कारण उनकी स्थिति इतनी मजबूत हुई है कि पाकिस्तान निर्माण के बाद भी कभी न हो पाती। इतना ही नहीं लेकिन आज वे जिस हाल में हैं उससे भी उनका अधिक बुरा हाल होता।

क्या हिंदू लोग इस ओर ध्यान देंगे

'चाहे जो हो, बहुमत पर आधारित राज्य सरका ही चलाएं, यही एक मात्र पवित्र कार्य है- इस प्रकार की नीति हिंदुओं द्वारा अपनाई जाने के कारण आज जातीय समस्याओं ने उग्र रूप धारण किया है। राजकाज चलाने की एक पद्धति है जो शायद हिंदुओं को पता न हो लेकिन मुख्य रूप से उसका तब प्रयोग होता है जब व्यक्तियों और राष्ट्रों के बीच झगड़े पैदा होते हैं। उस पद्धति को एक मतानुवर्ती राजकाज कहा जा सकता है। हिंदू लोग अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो उन्हें यकीन होगा कि इस प्रकार का राजकाज काल्पनिक नहीं, वह सचमुच अस्तित्व में है। जूरी पद्धति का उदाहरण लीजिए। पंचों के आगे पूछताछ के दौरान एक राय के सिद्धांत पर ही अमल किया जाता है। पंचों द्वारा एक राय होकर दिए गए निर्णय के अनुसार बर्ताव करना पड़ता है। उसमें वह अलग बर्ताव बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरा उदाहरण लीग ऑफ नेशन्स का लीजिए। लीग ऑफ नेशन्स के निर्णय के बारे में किन नियमों को स्वीकार किया गया था? एक राय से काम चलाना ही वह निर्णय है। निर्णय लेने के बारे में चाहे विधिमंडल हो या कार्यकारी मंडल, हिंदू अगर एक राय के सिद्धांत को अपनाते हैं तो भारत वर्ष में जातीय समस्या जड़ से खत्म हो जाती।

हिंदुओं से कोई यह भी पूछ सकता है कि अगर वे अल्पसंख्यकों को संविधान के तहत सुरक्षा देने के लिए तैयार नहीं हैं तो क्या वे एक राय की नीति अपनाने के लिए तैयार हैं? दुर्भाग्य की बात यह है कि इनमें से कोई तरीका अपनाने के लिए वे तैयार नहीं हैं।

बहुमतानुवर्ती राजकाज चलाने के बारे में कहना हो तो हिंदू लोग कोई बंधन स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हैं। वे बहुमत चाहते हैं लेकिन संपूर्ण बहुमत। सापेक्ष बहुमत से कभी उन्हें संतोष नहीं होगा। हिंदुओं द्वारा संपूर्ण बहुतम पर इतना आग्रही होना राजनीति के जानकारों की नजर में कितना व्यायपूर्ण है इस पर वे जरूर सोचें। बहुमत के जिस सिद्धांत को हिंदु इतना महत्व दे रहे हैं उस युनाइटेड स्टेटस् का बिल्कुल समर्थन नहीं है इस बारे में हिंदू शायद जानते नहीं हैं।

युनाइटेड स्टेटस् के संविधान का एक बिंदू उदाहरण के तौर पर हम लेंगे। इस संविधान में मूलभूत अधिकारों को केन्द्रीय करने वाला एक अनुच्छेद हैथ इसके क्या मायने हैं उसे हम एक बार जान लें। इसका मतलब है कि जिस सर्वश्रेष्ठ बातों को मूलभूत अधिकारों

में जगह दी गई है उसमें बहुमत हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसी संविधान के एक और उदाहरण को लीजिए। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि संविधान के किसी भी विभाग में अगर थोड़ा बहुत बदलाव लाना है तो उसके लिए तीन-चौथाई बहुमत की जरूरत होगी और साथ ही सभी संस्थानों की अनुमति जरूरी होगी। इन उदाहरणों से एक बात का पता चलता है कि युनाइटेड स्टेटस् का संविधान विशिष्ट उद्देश्य को दर्शाता है और इस बात का यकीन दिलाता है कि बहुमतानुवर्ती राजनीति व्यर्थ है।

कई हिंदुओं को इस बात का अहसास है। लेकिन वे इससे सही सबक नहीं लेते इसलिए उन पर दया आती है। उन्होंने अगर यह किया तो उन्हें पता चलेगा कि बहुमत के आधार पर चलने वाली सरकार उम्मीद के अनुसार पवित्र नहीं। सिद्धांत के तौर पर नहीं वरन नियम के तौर पर बहुमत पर आधारित राजनीति को स्वीकार किया गया है और केवल निम्नांकित दो कारणों से-

(1) बहुमत हमेशा राजनीतिक बहुमत हो।

(2) राजनीतिक बहुमत से लिए गए निर्णय में अल्पसंख्यकों के नजरिए को ही केवल मान्यता नहीं होती वरन वह उसके साथ एकाकार हुआ रहता है। इसका ऐसे असर होता है कि अल्पसंख्यक कभी भी उस निर्णय के खिलाफ विद्रोह करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता।

हिंदुस्तान में बहुमत राजनीति पर आधारित नहीं। हिंदुस्तान में जो बहुमत पैदा होता है उसे तैयार नहीं किया जाता। जातीय बहुमत और राजनीतिक बहुमत में यही तो फर्क है। राजनीतिक बहुमत क्षणभंगुर होता है, आज है और कल नहीं है ऐसी उसकी स्थिति होती है। जातीय बहुमत हमेशा के लिए होता है और उसकी नीति भी तयशुदा होती है। कोई उसे नष्ट कर सकता है लेकिन उसमें बदलाव लाना संभव नहीं होता। राजनीतिक बहुमत के लिए जहां इतना विरोध हो सकता है तो जातीय बहुमत के लिए विरोध का स्वरूप तो अत्यधिक हो ही सकता है।

हिंदू लोग जिन्ना से पूछ सकते हैं कि 1930 में उन्होंने जो 14 बिंदुओं वाला मसौदा प्रकाशित किया उसमें बहुमत वाली सरकार की काफी सिफारिश क्यों की थी? उन्होंने जो मुद्दे प्रस्तुत किए उनमें से एक में स्पष्ट रूप से ध्वनित होता है कि ऐसे कोई बंधन बहुसंख्यकों पर न डाले जाएं जिनके कारण उनमें काट-छाँट होकर वे अल्पसंख्यकों की बराबरी में आ बैठें। इसी प्रकार एक और सवाल जिन्ना से पूछा जा सकता है कि, मुस्लिम प्रांतों में मुसलमानों के बहुमत पर अगर कोई रोक-टोक नहीं तो केंद्रीय विधिमंडल के हिंदुओं के बहुमत पर रोट-टोक क्यों हो? हिंदुओं को यह बात ध्यान में रखनी होगी कि जिन्ना के बर्ताव में कोई तालमेल नहीं है। कुल हालात के आधार से केवल यही अर्थ लिया जा सकता है। इसलिए वे बहुमत वाली राजनीति का समर्थन न करें।

राजनीति से भले बहुमत वाली राजनीति को हटा दिया जाए तब भी हिंदुओं के जीवन से संबंधित कई बातों पर इसका कोई असर नहीं होगा। सामाजिक जीवन के मूलभूत तत्वों के अनुसार के बहुसंख्यक ही रहेंगे। व्यापार और उद्योग पर उनकी मीरासी है और आगे भी रहेगी ही। मेरी योजना नहीं बता रही कि हिंदुओं को एकमतानुवर्ती राजनीति को स्वीकार करना चाहिए और न ही यह बताती है कि उन्हें बहुमत वाली राजनीति का त्याग करना चाहिए। मैं उनसे बस यही कहना चाहता हूं कि सापेक्ष बहुमत में ही वे संतोष कर लें। अगर वे इस बात के लिए राजी होते हैं तो यह बहुत बड़ी बात होगी।

इस तरह की त्याग बुद्धि बिना में दिखाए बहुसंख्य हिंदू सबसे कह रहे हैं कि हिंदी आजादी की राह में अल्पसंख्य रोडे अटकाते हैं, जोकि अन्यायपूर्ण है। इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि अब तक अल्पसंख्यकों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। बल्कि आजादी पाने के लिए वे हर तरह का आत्मयज्ञ करने के लिए तैयार हैं। उन्हें संतोज़दायक सुरक्षा मिलनी चाहिए। उनका कृत्य अपकारी है ऐसी धारणा हिंदुओं को नहीं बना लेनी चाहिए। यह बात आयर्लंड में घटी घटना के बिल्कुल विपरीत घटना है। एक बार आयर्लंड राष्टीय दल के नेता रेडमंड ने अल्स्टर परगने के नेता कार्सन से कहा, "जैसी भी सुरक्षा मांगिए, मैं आपत्ति नहीं करूंगा। लेकिन, संयुक्त आयर्लंड का आप समर्थन कीजिए।" सुन कर कहते हैं कि उसने झट से पलट कर आवेश के साथ कहा कि, भाड में जाए आपकी सुरक्षा आपकी सुरक्षा आपकी सत्ता हमें बिल्कुल मान्य नहीं है। हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों ने इस तरह का जवाब नहीं दिया। उन्हें तो सुरक्षा में ही संतोष हैं। इसीलिए मैं हिंदुओं से पूछता हूं कि क्या यही बात सही नहीं है? मुझे लगता है कि यकीनन उनकी बात सही है।

उपसंहार

जातीयता के मसले का हल निकालने के लिए जो बातें मेरे मन में उपाय के तौर पर आ रही थीं उन्हें मैंने आपके सामने प्रकट किया है। अखिल भारतीय शेडयूल्ड कास्ट फेडरेशन के लिए वे बंधनकारी नहीं हैं। इतना ही नहीं वे मेरे लिए भी बंधनकारी नहीं हैं। आपके सामने उन बातों को आपके सामने ये बातें रख कर मैंने एक नई राह दिखाई है। योजना से अधिक मैंने अपने प्रतिपादित सिद्धांतों को महत्व दिया है। मुझे यकीन है कि इन सिद्धांतों का अगर किया जाए तो जातीयता के सवालों को लेकर जो हल्ला मचा है वह काफी हद तक कम होगा।

हिंदुस्थान की मुश्किल को हल करना आसान काम नहीं है। 1967 के कन्फेडरेशन से पूर्व जर्मनी की हालत का एक इतिहासकार द्वारा डिवाईनली ऑर्डेन्ड कन्फ्यूजन शब्दों में किया गया बर्णन मैंने पढ़ा था, जो मुझे अच्छी तरह याद है। जर्मनी से संदर्भ में यह वर्णन सही था या नहीं इससे हमें कुछ लेना-देना नहीं है, हिंदुस्तान के आज के हालात पर यह वर्णन बिल्कुल लागू होता है। जर्मनी को अपनी ऐसी स्थिति से उबरने के लिए कई

कोशिशें करनी पड़ी। बस इस युद्ध से पूर्व जर्मन जनता एक हुई, उसके अंतरंग और बाह्यरंग में एकरूपता पैदा हुई, उसके रोजमरा के बर्ताव में भी एकता झलकने लगी। उलझनभरी इस राह से हिंदुस्तान अभी उबर नहीं पाया है। ऐसा नहीं कि उसे कोई मौका नहीं मिला। वास्तविकता यह है कि हिंदुस्तान को कई बार ऐसे मौके मिले हैं। 1927 में लाई बर्कनहेड द्वारा राजनीतिक संविधान निर्माण करने की चुनौती दी थी वह पहला मौका था। हिंदी लोगों द्वारा उसे स्वीकारा गया और संविधान निर्माण के लिए एक समिति बनाई गई। इस मंडल के द्वारा 'नेहरू संविधान' शीर्षक से एक संविधान बनाया और लोगों के समाने रखा। लेकिन लोगों द्वारा उसे स्वीकारना तो दूर बिना किसी ष्टोक प्रदर्ष्टन के उसे ठिकाने लगा दिया। 1930 में हिंदी लोग गोलमेज परिज़द के लिए इकट्ठा हुए थे वह दूसरा मौका था। उस वक्त भी हिंदी लोग अपना दांव लगा नहीं पाए और न ही संविधान का निर्माण कर पाए। अभी कुछ समय पूर्व सप्रू कमेटी द्वारा तीसरी कोशिश की गई लेकिन व्यर्थ।

एक बार और कोशिश करने को लेकर अब न आशावद बचा है न उत्सुकता। जो भी कोशिश की जाएगी उसे विफल ही होना है। इसलिए, लोग सोच रहे हैं कि आखिर कोशिश भी क्यों करें? इस अवसर पर मैं यह बताना चाहता हूं कि किसी भी हिंदुस्तानी को हिचकिचाना नहीं चाहिए। मृत ढोर से उठने वाली दुर्गंध की तरह इन मुश्किलों से सडांध आने तक उन्हें कठोर भी नहीं बनना चाहिए। इस देश की राजनीति में कुत्तों की तरह ही लोगों के बीच झगड़े मचे हैं, देखते रहने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं इस प्रकार का भाव भी व्यक्त नहीं करना चाहिए। पहले असफलता का मुंह देखना पड़ा था इसलिए हतोत्साहित भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि, मुझे ऐसा लगता है कि आज तक जातीयता के मसले हल करने की सभी कोशिशें बेकार गईं। इसके लिए हिंदुतानियों का कोई अनुवांशिक दोष कारण नहीं है। अब तक इस असफलता का कारण रहा है वह यह कि, इस समस्या को हल करने के लिए जो रास्ते अपनाए गए वे गलत थे। निर्विकार मन से अगर इस योजना को अपनाया जाएगा तो वह स्वीकार योग्य लगेगा। इस मसले को हल करने वाला नया नजरिया इस योजना में है। हिंदी लोग इस पर सोचें जरूर।

आखिर, मेरे समीक्षक इस योजना पर कुछ सूचनाएं रख सकते हैं लेकिन समूची योजना को खारिज करना उनके लिए भी मुश्किल होगा। इसके बावजूद अगर पूरी योजना खारिज की जाए तो जिन तत्वों पर वह आधारित है उनके में उन्हें तकरार पेश करनी होगी।[1]

डॉ. बाबासाहकब अम्बेडकर के इस भाषण पद 'टाइम्स ऑफ इंडिया' अखबार ने संपादकीय छापा। साथ ही, श्री ठक्करबाप्पा ने इसी अखबार को खत लिख कर प्रतिक्रिया व्यक्त की। संपादकीय और ठक्करबाप्पा के खत का जबाव डॉ. अम्बेडकर ने 'टाइमस

1. जनता : 19.5.1945, 28.5.1945, 2.6.1945, 9.6.1945, 16.6.1945, 26.6.1945

ऑफ इंडिया' के जरिए दिया। इस बारे में 26 मई, 1945 के 'जनता' अखबार में खबर छपी थी जो यहां दे रहे है- संपादक

मुंबई के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' इस अंग्रेजी अखबार के संपादकीय में डॉ. अम्बेडकर की योजना की जो समीक्षा की गई है उसका और 'ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ' के महासचिव श्री ठक्कर बाप्पा द्वारा 17 मई, 1945 के 'टाइम्स' के अंक में की समीक्षा का जवाब डॉ. अम्बेडकर ने टाइम्स' के जरिए दिया। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के जवाब 17-5-1945 और 18-5-1945 को प्रकाशित हुए। जनता की पठन सुविधा के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादक, 'टाइम्स ऑफ इंडिया'

जातीयता संबंधी मुश्किलों को हल करने संबंधी मेरे द्वारा सुझाई गई योजना पर 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के 17 मई, 1945 के संपादकीय में समीक्षा छपी है। समीक्षा में संपादक महोदय लिखते हैं इस योजना के बारे में हिंदू और मुसलमानों की यही राय होगी कि यह योजना अस्पृश्यों की हितसाधन के लिए उन्हें भरपूर अधिकार देने वाली योजना है।

डॉ. अम्बेडकर की इस योजना का बारीकी से अध्ययन करने पर पता चलता है योजनानुसार केन्द्रीय और प्रांतीय विधिमंडल में अस्पृष्ठयों को दी जाने वाली सीटों के कारण दो श्रेष्ठ समुदायों पर वे अपनी वर्चस्विता का इस्तेमाल कर सकेंगे। योजना में इसी तरह का प्रबंध रखा गया है। उस प्रकार गलत तरीके से अनादि काल से पददलित लोगों को नए समुदाय का दर्जा दिलाने की छलपूर्ण तरीके से कोशिश की गई है।

...हमारी राय में डॉ. अम्बेडकर की योजना विधायक होने के बावजूद अस्पृश्य नेता हिंदू-मुसलमानों द्वारा की जाने वाली जिस अत्युक्ति की बुराई करते हैं, वहीं उनकी इस योजना में आत्यंतिक चरम रूप में दिखाई देती है।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां मेरी योजना का गलत, विपरीत अर्थ प्रतिपादित किया गया है। सापेक्ष बहुमत के सिद्धांत का भतितार्थ ही टाइम्स वालों की समझ में न आने के कारण ऐसा हुआ है।

मेरी बनाई योजना के बारे में फैलाई गई गलतफहमियों को दूर करने के लिए आगे जो लिख कर भेज रहा हूं उसे आशा है, अपने अखबार में जगह देंगे।

संपादक महोदय एक बात भूल गए हैं- वह यह कि, एक बार सापेक्ष बहुमत को मान लिया जाए- लगता है कि संपादक उसे मानते हैं, तो संपूर्ण बहुमत और सापेक्ष बहुमत के फर्क जितनी सीटें ही बाकी रह जाती हैं। पत्थर मान कर हम इन सीटों को

दरकिनार नहीं किया जा सकता है। उन्हें ठिकाने पहुंचाने का एएक ही सही रास्ता है और वह है अल्पसंख्यकों के बीच उन्हें बांटना। पहली बात से संपादक अगर सहमत है तो उसका साफ मतलब यह निकलता हैं। कि मुसलमानों की 50 प्रतिशत की मांग का वह समर्थन करते हैं। लेकिन अगर वह पहली नहीं बल्कि दूसरी बात से सहमति दर्शाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अस्पृश्यों को मिलने वाले प्रतिनिधित्व से मुसलमानों को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ तो यह नहीं कहा जा सकेगा कि मेरी योजना में अस्पृश्यों को 'इद्रपद' दिलाने का प्रबंध जानबूझ कर किया गया है। युक्तियुक्त योजना के अनुसार सीटों का बंटवारा किए जाने के कारण अस्पृश्यों को अगर उनका न्यायपूर्ण हिस्सा मिल रहा हो तो मेरी समझ में नहीं आता कि कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति इस पर आपत्ति कैसे कर सकता है? अपनी योजना में मैंने सीटों का जो बंटवारा किया है वह केवल सापेक्ष बहुमत और युक्तियुक्त बंटवारे के सामान्य नियमों पर आधारित है।

आपका
बी.आर. अम्बेडकर
मुंबई 15-5-1945*

डॉ. अम्बेडकर की योजना की श्री ए. बी. ठक्कर बनाम ठक्कर बाप्पा द्वारा की गई समीक्षा

हिंदुस्तान की जातीय समस्या का समाधान सुझाते हुए कुछ बातें सामने रखी हैं। उनका आग्रह है कि किसी तरह की हिचकिचाहट के बिना वे सभी बातें सभी जातियों पर लागू की जाएं और वे यह दावा भी कर रहे हैं कि उनकी बनाई योजना सबके लिए योग्य है। लेकिन विधिमंडल में, अधिकारी वर्ग में तथा नौकरियों में प्रतिनिधित्व देने के बारे में डॉ. अम्बेडकर, ने जिन जातियों को चुना है ब्रिटिश सरकार द्वारा जिन्हें 1935 के कानून के तहत मान्यता प्रदान की है, उन आदिवासी जनजातियों को यानी भिन्न आदि जातियों को शामिल नहीं किया है।

दलितों और पिछड़ों के इस मसीहा ने अस्पष्टष्ठयों से बुरी हालत में जीने वाले जंगली लोगों को नजरंदाज कर दिया है यह देख कर अचरज लगता है। इतना ही नहीं, इन लोगों को जो दिया गया था वह भी सब उनसे इन्होंने छीन लिया। वाह रे मसीहा! सभी समुदायों के लिए बना हिचक के लागू करने के लिए जो तत्व उन्हों सबके सामने रखे हैं उनमें से एक में डॉ. अम्बेडकर कहते हैं कि सभी जातियों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थितियों को ध्यान में लेते हुए उसके विपरीत अनुपात में उन जातियों को

---

* जिस तारख को यह लेख टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ वह तारीख और डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा दी गई प्रतिक्रिया की तारीख युक्तियुक्त नहीं लगती। इसी कारण जनता के अंक में दी गई तारीख में गलती हुई होगी-संपादक

अधिक अधिकार दिए जाएं और उसी आधार से मुसलमानों की तुलना में अस्पृश्यों को विशेष रियायतें दी जाएं।

डॉ. साहब का यह तत्व अगर आदिवासी जनजातियों (abarigins) पर लागू किए जाएं तो अस्पृश्यों की तुलना में कई गुना अधिक रियायतें उन्हें दी जाएंगी और इस कारण संपूर्ण बहुमत होने की संभावना है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में जीवन बिताने वालें इन एक करोड सडसठ लाख गरीबों को डॉ. अम्बेडकर साफ भूल गए हैं। इससे एक बात बिल्कुल साफ तौर पर सामने आती है। कि अस्पष्टष्ठयों के लिए पक्षपात के चरम बिंदु तक पहूंचने वाले डॉ. अम्बेडकर आदिवासी लोगों के न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए मना कर रहे हैं जो कि तिरस्करणीय है।

ए.बी. ठक्कर

श्री ए.बी. ठक्कर बाप्पा की समीक्षा को डॉ. बाबासाहेब द्वारा दिया गया जवाब–

संपादक, टाइम्स ऑफ इंडिया, को

महोदय

श्री ठक्कर द्वारा की गई मेरी योजना की समीक्षा के इस जवाब को उम्मीद है कि अपने अखबार में जगह देंगे।

जातीय मसौदा प्रस्तुत करते हुए 'आदिवासी समुदायों (अबओंरिजिन्स) के हकों को मैंने नजरंदाज किया है' का आरोप इन समुदायों की ओर से मुझ पर डंडा फटकारते हुए किया है। इस डंडे की शोभा बढ़ाने के लिए मेरा वर्णन करते हुए वह मुझे कहते हैं कि मैं दलितों, गरीब–गुरबों का मसीहा हूं। मेरी इच्छा है कि मैं श्री ठक्कर को बता दूं कि, 'मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है कि मैं दलित मानव जाति का सार्वभौम नेता हूं। मेरी शक्ति के हिसाब से अस्पृश्य समाज का काम मेरे लिए काफी है। आपके और गांधी के चंगुल से अगर मैं अस्पृश्यों को मुक्ति दिला सका तो मुझे चरम आनंद होगा।

मैं किसी काम को कमतर आंकने की इच्छा नहीं रखता। जीवन की सीमा को ध्यान में लें तो एक व्यक्ति एक ही काम कर सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्री ठक्कर के कहे अनुसार, जिसे आदिवासी लोग भी दुत्कारते हैं उस अस्पृश्य समाज के कार्य के लिए मैंने अपने आपको समर्पित किया है। अखबार में प्रकाष्ठित में भाषण के हिस्से को पढ़ कर मेरी आलोचना करने वाले श्री ठक्कर पर मुझे दया आती है। वे अगर मेरा पूरा भाषण पढ़ने का कष्ट करते तो उन्हें पता चलता कि मेरी योजना में जंगली लोगों को शामिल भी किया गया है और उनके हकों की बेहतर ढंग से रक्षा भी की गई है। प्रस्तुत योजना की बारी रिकियों के बारे में बताने के लिए यहां कम जगह है।

मुझ पर पक्षपाती होने और क्षुद्र मनोवृत्ती पालने का आरोप मढ़ने से पहले वे आदिवासी जनजातियों के नजरिए से मेरी योजना पर सोचें। विधिमंडल की सीटों का बंटवारा करते समय मैंने आदिवासी जनजातियों को शामिल नहीं किया। उनसे मेरा बैर है इसलिए नहीं बल्कि उनके पास राजनीतिक मनः सामर्थ्य नहीं है। इसका मुझे यकीन है इसलिए। मैं श्री ठक्कर से पूछता हूं कि आदिवासी जनजाति को वे किस हाल में हैं इसका अहसास होने के लिए राजनितिक सत्ता के बल पर हिंदुओं की बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए और उनके शैक्षिक स्तर में सुधार लाने के लिए आपने अपनी व्यावसायिक समाज सेवा के कार्यकाल में क्या आपने कुछ किया क्या? अपनी बीस साल की समाजसेवा के दौरान इन आदिवासी जनजातियों में से श्री ठक्कर बाप्पा किसी एक को भी ग्रेज्युएट नहीं बना सके। यह बात उनकी समाज सेवा पर कालिख पोतने वाली है।

दूसरी बात यह है कि क्या वे बताएंगे कि इस जनजाति को विधिमंडल में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ऐसा अचानक श्री ठक्कर को क्यों लगने लगा?

इस जनजाति की जनसंख्या का अनुपात देखते हुए 1935 के कानून में उन्हें बिल्कुल नगण्य प्रतिनिधित्व मिला। श्री ठक्कर ने इस कानून के खिलाफ क्या कभी आवाज उठाई? क्या कभी उन्होंने सप्रू कमेटी के खिलाफ कुछ कहा है? मेरे बारे में श्री ठक्कर बाप्पा का जो दुराग्रह और द्वेष हैवह किसी और के बारे में नहीं है, यही इसकी वजह है।

तीसरी बात यह है कि आदिवासी जनजातियों को विधिमंडल में उनकी जनसंख्या के अनुपात में या अधिक सीटें मिलनी चाहिए ऐसा अगर श्री ठक्कर को लगता है तो इसके लिए मुसलमानों की सीटों से ही दी जा सकती हैं। सो आदिवासियों की लड़ाई लड़ने के लिए मुसलमानों से टकराने के लिए श्री ठक्कर तैयार है? अस्पृश्यों की सीटें काट कर वह अस्पृश्यों के प्रति अपना प्रेम व्यक्त नहीं कर सकते। श्री ठक्कर उन लोगों के खिलाफ हथियार उठा कर अपनी मर्दानगी दिखा रहे हैं जिन अस्पृश्य लोगों को अब तक जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। मुसलमानों को मिल रहे अतिरिक्त अधिकारों से अगर वह आदिवासियों को कुछ लेकर दे सके तभी उन पर उनका प्रेम और नायकत्व साबित होगा।

–बी. आर. अम्बेडकर

220

*अस्पृश्य समाज की अपनी सबसे सुंदर और उपयुक्त इमारत बने

शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेष्ठान मुंबई शहर शाखा थी ओर से सोमवार, दिनांक 14 मई, 1945 को शाम छह बजे डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को दामोदर हॉल के पीछे वाले बगीचे में चाय-पार्टी का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर सभी बार्डों के सदस्य, केंद्रीय समिति और डॉ. बाबासाहेब का ग्रुप फोटो लिया गया। चायपान के बाद डॉ. बाबासाहेब से बोलने की विनती की गई। उस वक्त तालियों की गड़गड़ाहट में डॉ. बाबासाहेब बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा,

आज के इस अवसर पर दो शब्द बोलने की मुझसे विनति की गई है। इसीलिए, दो शब्द बोलना मुझे उचित लगता है।

सबने मेहनत से इस परिषद को सफल बनाया इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं।

आज की इस बड़ी परिषद का सब दूर बोलबाला हुआ है। हमारे दुष्ठमन सभी अखबारों ने परिषद के सफल रहने की खूब प्रशंसा की है। इस परिषद के बहाने आपने जो एकजुटता दिखाई है वह प्रशंसा योग्य है। अलबत्ता ऐसा न समझें कि काम अब पूरा हुआ है और अब हम आराम से घर बैठ सकते हैं।

हमें एक बड़ा काम करना है। आप सब जानते हैं कि हमें एक बड़ा हॉल बनाना है। सैंतीस हजार रुपए खर्च कर हमने उसके लिए जगह खरीदी है। युद्ध के कारण हम अभी इसे बनाने का काम ष्ठाुरू नहीं कर पा रहे हैं लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद यह काम शुरू किया जाएगा। युद्ध समाप्त होने ही वाला है। सो कह सकते हैं कि छह महीनों के बाद काम की शुरूआत हो जाएगी। हॉल बनाने के लिए करीब दो लाख रुपयों की जरूरत पड़गी यह मैंने पहले ही आपसे कहा है। हम जो हॉल बनाने वाले हैं वह इतना सुंदर होना चाहिए कि उसके जैसा हॉल मुंबई में ढूंढ कर भी न मिले। अगर कोई प्रतिष्ठाप्राप्त मेहमान आए और वह मुंबई के सभी हॉल देखने की सोचें और अगर उनके बारे में उन्हें अपनी राय व्यक्त करनी हो तो उसे कहना पड़े कि सबसे बढ़िया और श्रेष्ठ हॉल अस्पृश्यों का ही है। इस हॉल के बनने में आपका ही पैसा लगेगा यह बात बल्कि आप जरूर ध्यान में रखें। अपना हॉल अगर हम खुद बनाएंगे तभी हमारी इज्जत होगी।

---

*जनता : 19 मई, 1945

इस मामले में, जैसा कि पहले ही बताया गया है, अठारह साल से बड़ी उम्र के हर व्यक्ति को एक रूपया देना है। आज तक इकट्ठा की गई रकम बैंक में रखी गई है और उसका हिसाब श्री शा. अ. उपशाम के पास है।

परिषद के काम के लिए वार्ड कमेटियों के जो संगठन बने हैं उनके जरिए अगर यह चंदा इकट्ठा किया जाए तो काम आसान होगा। हमारे जो गरीब भाई हैं उन पर निर्भर रह कर जरूरत का सारा पैसा इकट्ठा होगा, इसका मुझे भरोसा नहीं है। इसलिए जिनके लिए संभव हो वे कम से कम पच्चीस रुपए इस काम के लिए दें। इमारत का काम पूरा होने के बाद मैं इतिहास लिखने वाला हूं। इस इतिहास की पुस्तक में पच्चीस रुपयों का चंदा देने वाला की तस्वीर छपेगी। यह अमूल्य मौका है ऐसा मैं समझता हूं।

वार्ड के लोग अपने वार्ड से 25 रुपए देने वाले लोगों को चुनें और उनसे तय रकम हासिल करें।

अधिवेशन के लिए जिस तरीके से इकट्ठा किए गए थे उसी तरह ये चंदा भी इकट्ठा किया जाए।

आज मुझे जो कुछ बताना था वह मैंने बता दिया। आखिर, एक बार फिर आपका अभिनंदन कर मैं आपसे विदा लेता हूं।

डॉ. बाबासाहेब के भाषण के बाद मडकेबुवा द्वारा धन्यवाद अर्पण किया गया और समारोह संपन्न हुआ।

221

*व्यक्ति की आजादी के मूल्यमापन का मुलभूत माप है राजनीति

पुणे के 'अहिल्याश्रम' परिसर में बुधवार, 3 अक्तूबर, 1945 को 'अम्बेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स' संस्था का शुभारंभ समारोह डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के हाथ बड़ी धूमधाम से मना। समारोह में राजनीति का अध्ययन करने वालों का मार्गदर्शन करने तथा प्रचलित हिंदी राजनीति का शास्त्राधारित विशुद्ध ज्ञान देने के लिए डॉ. बाबासाहेब के अत्यंत विद्वतापूर्ण भाषण दिया। खास कर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने अपने भाषण में गांधी ने राजनीति में पदार्पण के बाद काँग्रेस को कैसे सिद्धांतविहीन और बुद्धिहीन भेड़ों के बाड़े में तब्दील कर दिया है और उस कारण देश का कितना भयंकर नुकसान हुआ है इसका विवरण दिया। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा।

इस संस्था का निर्माण राजनीति का अध्ययन करने के उद्देश्य से हुआ है और मुझे यह उद्देश्य मान्य है। जानता हूं कि आप मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं और इसीलिए मैं अपने विचार खुले दिल से आपके सामने रखने वाला हूं।

किसी भी पीढ़ी के लोगों के सामने तत्कालीन समयानुसार जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन्हें आजादी के साथ सोच कर हल करने की स्वतंत्रता उन्हें मिलनी चाहिए। अगर कोई समाज गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा गया हो उसे अपनी आजादी हासिल करने के लिए दिन-रात संघर्ष करते रहना चाहिए।

विशिष्ट विचारों को पवित्र मानते हुए पीढ़ियों तक निरंतर उनका स्वीकार और पालन होना ही चाहिए इस प्रकार की सोच जिस समाज के रोम-रोम में घुल जाए वह समाज आखिर अधोगति को प्राप्ति होगा इसमें कोई शक नहीं। महंमद पैगंबर, ईसा ससीह महान दार्शनिक रहे होंगे, पैगंबर का 'कुराण' ईसा मसीह की 'बाइबिल' और श्रीकृष्ण की 'गीता' इन धर्मग्रंथों के बारे में सोचिए। कुराण में महंमद पैगंबर ने जो कहा, बाइबिल में ईसामसीह ने जो कहा और गीता में श्रीकृष्ण ने जो कहा वह सबका सब 'यावच्च चंद्रदिवाकदौं' सत्य और प्रमाण माना जाए इस प्रकार का बंधन डाले जाने के कारण इंसान की बुद्धि को हमेशा के लिए दर किनार कर दिया गया है। इसलिए सत्य क्या है असत्य क्या है, अपने उद्धार का मार्ग क्या है यह समझने की कोई कोशिश तक नहीं करता। यह बात बहुजन समाज और देश के लिहाज से पूरी तरह विघातक है। यह मैं

---

*जनता : 13 अक्तूबर, 1945

अपना सौभाग्य मानता हूं कि आप मुझे भगवान नहीं समझते। आज तक मैं आपसे जो भी कुछ कहता रहा वह इसी भूमिका से बताया कि वह आपकी बुद्धि आत्मसात कर लेगी। बुद्धि की कड़े परीक्षण में तप कर कुंदन बन चुकी बातों का ही मैं आज तक प्रतिपादन करता आया हूं। कानून या किन्हीं खास तत्वों पर भले मेरा धर्म आधारित न हो, लेकिन उसमें 'वास्तविकता' आपकों जरूर दिखाई देगी।

सबको एक बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि हर पीढ़ी के सामने जो विभिन्न मसले उपस्थित होते हैं उन्हें हल करने के लिए पुरानी पीढ़ियों के लोगों की सोच का ही सहारा लेना हर बार काफी नहीं होता। मान लीजिए आज आपके सामने कोई राजनीतिक समस्या पैदा हुई। उसे हल करते समय आपका यह सोचना काफी नहीं होगा कि आज अगर लो. तिलक जीवित होते तो वे इस मसले को कैसे हल करते उसी तरह हम भी उसका हल ढूंढेंगे। मेरी स्पष्ट धारण है कि इस प्रकार हम उस समस्या का हल सफलतापूर्वक ढूंढ नहीं सकते।

अगर कोई कहे कि इंसान को जन्म से ही राजनीति का ज्ञान होता है तो उनका कहना सरासर गलत होगा। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि इंसान में राजनीतिक नजरिया पैदा करना कीमिया करने से कम नहीं। इंग्लैंड के इतिहास के पन्ने मेरे इस कथन की पुष्टि करेंगे। व्यक्ति मात्र की स्वतंत्रता को मापने का मूलभूत माप है राजनीति।

गांधी के राजनीति में घुसने से पूर्व हमारे देश में राजनीति के पाठ पढ़ाने वाले दो विचार प्रवाह थे। पहला विचार था रानडे- गोखले का उदार मतवादी प्रवाह (Liberal School of Thoughts) और दूसरा बंगाल के क्रांतिकारियों का विचार प्रवाह (School of Revolutionaries) उदारमतवादियों के स्कूल में बुद्धिहीनों को कभी दाखिला नहीं मिलता था और क्रांतिवादियों के स्कूल में सिद्धांत विहीन लोगों का प्रवेष्ठा जर्जित था। रानडे-गोखले प्रणित विचारधारा में केवल बुद्धिवादियों को ही शामिल किया जाता था। ज्ञान प्राप्त करना और सोचने-समझने की मानसिकता पर यहां पूरा बल था। राजनीति में कुष्ठालता प्राप्त लोगों को ही उदारमतवादियों के स्कूल में प्रवेष्ठा मिल पाता था। क्रांतिवादियों के स्कूल के भी कड़े नियम थे। प्राणों की तिलांजली देने की प्रतिज्ञा करनेवालों को ही इस विचारप्रवाह में प्रवेश मिल सकता था। लेकिन गांधी की विचारप्रणाली या उनकी विचारधारा के स्कूल के दरवाजे केवल बिन बुद्धिवालों या सिद्धांतविहीन लोगों के लिए ही खुले रखे गए थे। काँग्रेस की राजनीति में बुद्धिवादियों की कोई जगह नहीं। इसीलिए कहना पड़ेगा कि बुद्धिवाद और सोच-समझ से काँग्रेस वाले शुरू से अलग रहे, यह मेरी स्पष्ट राय है।

राजनीति किस चिड़िया का नाम है यह कांग्रेस श्रेष्ठी जानते ही नहीं। इस कारण

कांग्रेस की राजनीति को बार-बार जोरदार ठोकरें झेलनी पड़ीं। इस कारण देश का और समाज का अपरिमित नुकसान हुआ है जिसे जल्द पूरा नहीं किया जा सकता। जातीय सद्भाव का जो सवाल लटका हुआ है उसकी वजहें हैं काँग्रेस की बुद्धिहीनता, अध्यवसाय की कमी और सिद्धांतविहीनता। गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में व्यापार सुरक्षा से संबंधित जो 51वीं धारा है उसके लिए केवल एक व्यक्ति की मुर्खता जिम्मेदार है।

हर व्यक्ति को अपने उद्देश्य में सफलता पाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। हर दल में बुद्धिवादी लोगों का होना जरूरी है। ज्ञान बेहद आवश्यक बात है। मेरे विचार रानडे-गोखले के विचारों से मेल खाते हैं, उनकी और मेरी सोच सैंद्धांतिक रूप से समान है इसका मुझे गर्वपूर्ण संतोष है।

222

*अपनी उन्नति की खातिर हमें देश को मिलनेवाली सत्ता में शामिल होना चाहिए

पूर्वघोषित कार्यक्रम के अनुसार ऑल इंडिया शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन की वर्किंग कमेटी की बैठक पुणे के अहिल्याश्रम के हॉल में 2 अक्तूबर, 1945 14 अक्तूबर, तक हुई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। वर्किंग कमेटी की सभी बैठकों में भारतीय दलित वर्ग के इकलौते नेता विशेष आमंत्रण प्राप्त मा. डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर उपस्थित थे। वर्किंग कमेटी का काम जिस हॉल में होता था उसे बेहतरीन ढंग से सजाया गया था। इस बैठक में वर्किंग कमेटी के सम्माननीय सदस्य- अध्यक्ष रा.ब. एन. शिवराज, श्री ई. डी. वडापल्ली, श्री एस. सालेना (मद्रास), श्री जे. एन. मंडल, श्री आर. एल. विश्वास (बंगाल), श्री डी. एल. पाटील, श्री खंडारे (मध्यप्रांत) और मुंबई प्रांत के श्री बी. ए. गायकवाड़, श्री आर.आर. भोले, श्री बी. एच. कराले और महासचिव श्री पी. एन. राजभोज उपस्थित थे। वर्किंग कमेटी के निर्णय की समीक्षा करने के लिए तथा हमारे पूजनीय नेता के दर्शन के लिए कई प्रांतों के शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन के कार्यकर्ता पूणे में इकट्ठा हुए थे। विभिन्न प्रांतों से कई डेप्युटेशन्स लेकर लोग आए थे। हर प्रांत से आने वाले टेलिग्राम्स की बरसात हो रही थी। आपात काल सदस्य हालत में हो रही वर्किंग कमेटी के निर्णय की ओर समूचे भारत दलित वर्ग का ध्यान लगा हुआ था।

इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर सोमवार, दिनांक 1 अक्तूबर, 1945 की रात मुंबई से रवाना हुए। मंगलवार, दिनांक 2 अक्तूबर, 1945 को तड़के पुणे स्टेशन पर अपने पूजनीय नेता के सम्मान में तथा दर्शन प्राप्त करने के लिए कई लोग उपस्थित थे। डॉ. बाबासाहेब जैसे ही पुणे स्टेशन पर उतरे डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की जय, 'अम्बेडकर-जिंदाबाद' आदि नारों से वातावरण गुंज उठा।

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ओर रा.ब. शिवराज के अहिल्याश्रम में पहुंचते ही उत्साह के साथ उनका स्वागत किया गया। इस प्रकार उत्साह भरे वातावरण में वर्किंग कमिटी के काम की शुरूआत हुई।

पहला दिन

मंगलवार, दिनांक 2 अक्तूबर, 1945 को दोपहर 2 बजे वर्किंग कमेटी की मीटिंग रा. ब. एन. शिवराज की अध्यक्षता में और डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के मार्गदर्शन में शुरू

*जनता : 6 और 13 अक्तूबर, 1945

हुई। पहले अस्पृश्य समाज के एक माननीय नेता, मद्रास के रा. ब. श्री निवासन की मृत्यु पर अध्यक्ष द्वारा शोक प्रस्ताव रखा गया और उनके बहुमूल्य कार्य की प्रष्ठांसा की। सबने खड़े रह कर प्रस्ताव को मंजूरी दी। उसके बाद अब तक हुई उन्नति का सिंहावलोकन किया गया, आज के वैश्विक हालत और हिंदी राजनीति के बारे में सोच-विचार किया गया। इन दोनों के परिप्रेक्ष में पक्ष की अगली नीति की स्थूल रूपरेखा बनाई गई। उसके बाद कमेटी का उस दिन का कामकाज समाप्त हुआ। बाद में ष्टााम के समय मंगलवार पेठ में रा. ब. एन. शिवराज की अध्यक्षता में फेडरेशन की वार्ड कमेटी द्वारा एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। 5 हजार से अधिक लोग वहां इकट्ठा थे। वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य इस सभा में उपस्थित थे। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की जयकार करते हुए सभा का विसर्जन हुआ। उसके बाद तुरंत भोर संस्थान के दलित फेडरेशन की ओर से दूसरी सभा हुई थी। वहां भी करीब 4 हजार लेग उपस्थित थे। उस समारोह की अध्यक्षता रा.ब. शिवराज थे। सभा में कमेटी के कई सदस्यों के भाषण हुए। लोगों का उत्साह चरम-सीमा पर था।

सभी वक्ताओं ने यही आदेश दिया कि चुनावों में विरोधी पार्टी बाजा बजा कर शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन के उम्मीदवारों को ही सफलता दिलाइए। उसके बाद सभा का उस दिन का काम-काज समाप्त हुआ। उसके बाद, शाम करीब 9 बजे के आसपास अहिल्याश्रम में ही डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर रा. ब. एन. शिवराज और वर्किंग कमेटी के सदस्यों को बढ़िया भोज कराया गया। इस प्रकार पहला दिन बड़े उत्साह के साथ बीता।

दूसरा दिन

दूसरे दिन यानी 3 अक्तूबर, 1945 के दिन सुबह 10 बजे वर्किंग कमेटी की बैठक रा.ब. शिवराज की अध्यक्षता में हुई जो दोपहर 3 बजे तक चलती रही। इस बैठक में प्रदीर्घ विचार-विमर्ष्ठा के बाद वर्किंग कमेटी ने महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए। डॉ. बाब. ासाहेब अम्बेडकर इस बैठक में शुरूआत से अंत तक उपस्थित रहे।

ऑल इंडिया शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन की वर्किंग कमेटी द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव:

पहला प्रस्ताव :

ऑ.इं. शे. का फे. की वर्किंग कमेटी अपने पूजनीय नेता राव बहादुर आर. श्रीनिवासन की दुखद मृत्यु पर शोक प्रकट करती है। शेडयूल्ड कास्टस् के उद्धार के लिए उन्होंने जो कार्य किया वह बहुमूल्य है। उनके इस बहुमूल्य कार्य की यादें हमेशा के लिए गुणगृहकतापूर्व संजोकर बड़े दुखी अंतरकरण से घोषित करती है कि उनकी मृत्यु से हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।

दूसरा प्रस्ताव :

केंद्र सरकार की पुनःरचना

अंग्रेज सरकार द्वारा हिंदी केंद्र सरकार की पुनर्रचना के बारे में की गई घोज़णा के बारे में ऑ.इ.शे.फे.बी. वर्किंग कमेटी ने काफी और सभी पहलुओं पर सोचा-विचारा है। सरकारी घोषणा के अनुसार आजाद हिंदुस्तान के लिए संविधान बनाने का सुनहरा मौका हिंदी लोगों को ही देने के बारे में प्रंबध किया जाने वाला है यह अगर सच है तो सरकार की प्रस्तुत योजना को. यह वर्किंग कमेटी मान्यता नहीं दे सकती।

वर्किंग कमेटी की राय में केंद्र सरकार के विधिमंडल की रचना प्रातिनिधिक बिल्कुल नहीं है। दुनिया में इस प्रकार का अप्रातिनिधिक विधिमंडल शायद इकलौता यही होगा। केंद्रीय विधिमंडल के चुनावों में मतदान करने के लिए इतनी योग्यताएं आवश्यक हैं कि देश के वयस्क लोगों में से नौ दशमांश (9-10) से अधिक लोगों को न्याय पूर्ण तरीके से मिला मतदान का अधिकार भी उनसे छीन लिया गया है।

इसी केन्द्रीय विधिमंडल में अनुसूचित जातियों और हिंदी ईसाइयों को कानूनन कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है।

वर्किंग कमेटी को लगता है कि इस प्रकार अप्रातिनिधिक विधिमंडल को चुन कर, उस विधिमंडल से पुनर्रचित केन्द्र सरकार निर्माण करना यानी देश की सत्ता पूरी तरह सत्ता मंदाध गिने-चुने अप्रातिनिधिक लोगों के हवाले करने जैसा है।

अंग्रेज सरकार ने अगर तय कर लिया हो कि वह अपनी ही योजना को कार्यान्वित करेगी तो पुनर्रचित केन्द्र सरकार के कार्यकारी मंडल में शेल्यूल्ड कास्टस् को उनके न्यायपूर्ण हिस्से के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। ब्रिटिश सरकार को वर्किंग कमेटी की यह जोदार सूचना है।

हिंदी केन्द्र सरकार में अगर शेडयूल्ड कास्ट को सीमित प्रतिनिधित्व दिया जाने वाला हो तो इस प्रकार उनके पूर्ण प्रतिनिधित्व के न्यायपूर्ण अधिकार को अगर निरस्त किया जाने वाला हो तो ब्रिटिश सरकार का यह काम शेडयूल्ड कास्टस् के नजरिए से विश्वासघात पूर्ण ही होगा।

तीसरा प्रस्ताव :

संविधान समिति

आजाद हिंदुस्तान का संविधान खुद हिंदी लोगों के द्वारा ही बनाया जाए इस अंग्रेज सरकार की योजना का ऑ.ई.शे.का. फेडरेशन की वर्किंग कमेटी स्वागत करती है। हालांकि संविधान

समिति की नियोजित योजना को वर्किंग कमेटी का इन कारणों से तीव्र विरोध है–

(1) नियुक्त की गई संविधान समिति के आगे निर्णय के लिए आने वाले मसलों को सही तरीके से हल करने के लिए उस विषय के बारे का पूर्वानुभव हो, इन मसलों पर जो पूरे अधिकार के साथ बोल और सोच पाएं ऐसे बिल्कुल लायक उम्मीदवारों को ही संविधान समिति के लिए चुने जाने का भरोसा न दिलाएं जाने के कारण कह सकते हैं कि, ऐसी संविधान समिति केवल भावनाओं से खेल ही साबित होगी।

(2) पूंजीपतियों से संविधान समिति के सदस्यों को रुपयों की घूस देकर अपनी तरफ कर लेने का और इस प्रकार उनके मतों के खरीद–फरोख्त के षड्यंत्र रचे जाने का बहुत बड़ा धोखा इसमें निहित है।

(3) संविधान समिति अनावश्यक और निरूपयोगी है। क्योंकि संविधानात्मक मतभेदों के मुद्दों पर निर्णय लेते हुए जब वे मुद्दे निश्चित दायरे में ही घूमते रहने वाले हों तो संविधान समिति जैसी भारी भरकम व्यवस्था का रोडा क्यों अटकाया जाए? वह बिल्कुल वेमतलब होगा। महत्वपूर्ण मुद्दों के निर्णयों को लेकर हिंदी लोगों में हमेशा मतभेद होते रहते हैं। अधिकतर मतभेदों के मुद्दों का स्वरूप जातीय होता है। इस कारण जातीय मसलों पर निर्णय लेने की जिम्मदारी कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय संविधान समिति के बहुसंख्यकों के दल को सौंपने के लिए कभी राजी नहीं होंगे। इसीलिए संविधान समिति बिल्कुल अनुपयोगी है।

चौथा प्रस्ताव:

प्रांतीय विधिमंडल का संविधान समिति से संबंध

ऑ.इं.शे.का.फे. की वर्किंग कमेटी की निश्चित राय है कि संविधान समिति के निर्माण के साथ प्रांतीय विधिमंडल के चुनावों का तालुक को जोड़ने की कोशिश करना अंग्रेज सरकार की सबसे बड़ी गलती है। इस बारे में गहराई से सोच–विचार के बाद यह वर्किंग कमेटी निर्णय लेती है कि निम्नांकित कारणों से प्रांतीय विधिमंडल से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई संविधान समिति असली संविधान समिति का काम करने के लिए पूरी तरह से नालायक होगी।

कारण :

(1) प्रांतीय विधिमंडल में मतदान का अधिकार संपत्ति आधारित योग्यता पर निर्भर करने के कारण शेडयूल्ड कास्टस् और बहुसंख्य श्रमिक इस अधिकार को पाने से वंचित रह गए हैं। इस प्रकार बहुसंख्य जनता को परे रखते हुए सिर्फ संपत्तिधारी मतदाताओं के मतों के आधार से चुने गए प्रांतीय विधिमंडल के जरिए बनाई गई संविधान समिति को राज्य का संविधान बनाने का नैतिक कोई अधिकार नहीं।

(2) आजादी या पाकिस्तान के नारों के सहारे अगर चुनाव लड़े गए तो ऐसे चुनाव जीत कर बनने वाले प्रांतीय विधिमंडल के जरिए बनाई जाने वाली संविधान समिति– राज्य संविधान के स्वरूप और उसके मुलभूत मुद्दों के बारे में अधिकारिक रूप से निर्णय ले पाएगी इसका कोई भरोसा नहीं। ऐसी संविधान समिति द्वारा बनाया गया संविधान कभी 'लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाया गया संविधान' होना संभव ही नहीं इसीलिए उसे स्वीकार करना भी संभव ही नहीं।

(3) संयुक्त चुनाव क्षेत्र पद्धति से होने वाले चुनावों से निर्मित प्रांतीय विधिमंडल की ओर से बनाई जाने वाली संविधान समिति में, शेडयूल्ड कास्टस् तथा ऐसे ही अन्य समुदायों के असली और भरोसेमंद प्रतिनिधियों के आने की संभावना न होने के कारण इन संविधान समितियों पर उनको (शेडयूल्ड कास्टस् और तत्सम समुदायों को) भरोसा नहीं हो सकता। इसीलिए इस संविधान समिति के किसी भी निर्णय को मानना इन समुदायों के लिए नैतिक नजरिए से बंधनकारी नहीं हो सकता। प्रांतीय विधिमंडल के चुनावों से संविधान समिति का किसी तरह का संबंध न जोड़ा जाए इस बारे में जागरूक रहने की बेहद आवश्यकता है और संविधान समिति का चुनाव अच्छे तरीके से कराया जाए। संविधान समिति में हिस्सा लेने की इच्छा रखने वाले हर दल को चुनाव में उतरने से पहले भावी संविधान और जातीय न्याय के बारे में अपनी योजना को उजागर किए बगैर संविधान समिति के गठन का कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए हर दल पर इन बातों की घोषणा पहले ही किए जाने को लेकर सख्ती बरती जाए। वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं होगा चाहिए।

पांचवां प्रस्ताव :

शे.का.फेडरेशन में शामिल होने के लिए सभी अस्पृश्यों के नाम आखिरी पुकार

ऑ.इं.से.का.फे. की वर्किंग कमेटी भारत के सभी अस्पृश्यों को चेतावनी देना चाहती है कि वे जाग जाएं और अपने न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए लड़ना है या अपना सर्वनाश कराना है इस बात पर ध्यान देते हुए हिंदुस्तान का हर अस्पृश्य शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन में शामिल हों। इस फेडरेशन को हिंदुस्तान के अस्पृश्यों की एक भेवा द्वितीय प्रातिनिधिक संस्था बनाएं। क्योंकि, अस्पृश्यों का भविष्य तय करने वाला भारतीय संविधान निर्माण के लिए जो संविधान समिति बनने वाली है उसमें केवल प्रांतीय विधिमंडलों से चुने गए सदस्यों को ही चुना जाने वाला है। इस कारण आगामी प्रांतीय चुनावों को हिंदुस्तान के खास कर अस्पृश्यों के इतिहास में 'पृश्न भुतों न भविष्यति' महत्व प्राप्त हुआ है। उक्त वर्किंग कमेटी जनता को जोखम के प्रति सावधानता की चेतावनी देते हुए सूचित करती है कि संविधानात्मक सुरक्षा की अस्पृश्यों की मांग का विरोध करने वाले राजनीतिक दल में स्वार्थ के लिए जो अस्पृश्य

शामिल हुए हैं उनकी किसी भी तरह से मदद करना अस्पृश्य समाज के साथ विश्वासघात करने जैसा है इसीलिए ऐसे लोगों से अस्पृश्य समाज हमेशा सावधान रहे।

छठा प्रस्ताव :

केन्द्र सरकार की पुनर्रचना

हिंदी सेना का विसर्जन और शांतिकालीन पुनः व्यवस्था के बारे में और अस्पृश्यों की पलटन पर उस कारण होने वाले असर के बारे में वर्किंग कमेटी की बहुत आस्था है इसीलिए वर्किंग कमेटी सरकार का इस बात की ओर आग्रहपूर्वक ध्यान दिलाना चाहती है कि अखिल अस्पृश्य समाज को उम्मीद है कि आज अस्पृश्यों की जो पलटन है उसे किसी तरह का नुकसान न पहुंचे और उनकी पलटन में हर संभव बढ़ोत्तरी हो और उन्हें अधिक से अधिक रियायतें दी जाएं और साथ ही इस पलटन के लायक लोगों को अधिकार के पद पाने में सभी तरह से सहायता की जाए।

सातवां प्रस्ताव :

वर्किंग कमेटी को इस बात का डर है कि हिंदी सेना का विसर्जन होने के बाद बाहर निकलने वाले सैनिकों का आगे ठीक से प्रबंध करने के लिए नियुक्त ऑफिसर इन चार्ज, रिसेटलमेंट और रीहैबिलिटेशन अफसरों के पूर्वग्रह दूषित सामाजिक नजरिए के कारण रिहा किए गए अस्पृश्य सैनिकों का हित नजरंदाज किया जाएगा। इस बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाते हुए हिंदुस्तान सरकार से विनति की जाती है कि रीसेटलमेंट और रीहैबिलिटेशन से संबंधित जो प्रबंध किए जाने हैं उनमें अस्पृश्यों को अधिकार के पदों पर योग्य अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए।

तीसरा दिन

गुरूवार दिनांक 4 अक्तूबर, 1945 की सुबह पुणे के छात्र संगठन की ओर से वर्किंग कमेटी के सदस्य और प्रेस रिपोर्टर्स को चाय-पार्टी दी गई। उसके बाद प्रेस कॉफ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉफ्रेंस में कई अखबारों तथा अखबार समूहों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। जनता अखबार की ओर से ऑ.आर.डी. भंडारे, बी.ए.एल.एल.बी. उपस्थित थे। इस अवसर पर ऑ. इं.शे.का. फेडरेशन के अध्यक्ष रा.बी.एन. शिवराज ने अपनी वर्किंग कमेटी द्वारा मंजूर किए गए प्रस्तावों को अखबारों के प्रतिनिधियों के आगे स्पष्ट किया उसके बाद संवाददाताओं के सवालों के रा.बी.एन. शिवराज ने योग्य उत्तर दिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्किंग कमेटी के सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने भी संवाददाताओं के सवालों के जवाब दिए। इस अवसर पर प्रेस रिपोर्टर्स और वर्किंग कमेटी के सदस्यों को बढ़िया पार्टी दी गई। बाद में दोपहर 12

बजे एक बार फिर वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हुई। इस बैठक में भी डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर उपस्थित थे। इस बैठक में सेंट्रल पार्लियामेंटरी बोर्ड की एक प्रस्ताव के साथ स्थापना की गई। पूरे हिंदुस्तान में फेडरेशन की ओर से लड़े जा रहे चुनावों की खातिर प्रांतीय पार्लियामेंटरी बोर्ड तथा प्रांतीय बोर्ड के कामकाज को नियंत्रण में रखने और निर्णय करने के लिए यह स्थापना की गई। उसके बाद वर्किंग कमेटी का काम संपन्न किया गया।

शाम के समय अहिल्याश्रम के प्रांगण में रा.बी.एन. शिवराज की अध्यक्षता में चुनाव प्रचार के लिए प्रचंड सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर विशेष भाषण देंगे। इसकी हस्तपत्रिकाओं द्वारा तथा जनता के पिछले अंक में घोषणा की गई थी सो सभा में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। सभा में आगामी चुनाव और अस्पृश्य समाज का भविष्य विषय पर डाॅ. बाबासाहेब अम्बेडकर का बेहद ओजस्वी भाज़ण हुआ। करीब 50 हजार तक जनसमुदाय उपस्थित था। अम्बेडकर की जय के नारों से आकाश गूंज रहा था।

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने अपने भाषण में कहा,

बहनों और भाइयों,

आज की सभा का प्रमुख उद्देश्य है आगामी चुनाव का प्रचार।

आज मैं अस्पृश्य समाज को समय रहते ही सूचना देकर चेताना चाहता हूं। आज जो भाषण हुए वे बेहद महत्वपूर्ण थे। जिन्होंने ये भाषण दिए वे हो सकता है उम्मीदवार हों। इसीलिए बड़े आवेशपूर्ण ढंग से उन्होंने भाषण दिए। लेकिन मैं उम्मीदवार नहीं हूं। (हंसी) मैं चुनावों में खड़ा नहीं रहना चाहता। इसीलिए आपको मेरे भाषण में आवेश दिखाई नहीं देगा। आज भले मैं कमांडर-इन-चीफ नहीं हूं लेकिन फिर भी आंशिक रूप ने ही सही मैं अस्पृश्य समाज का नेता हूं। इसीलिए मेरे अनुयायियों के भले के लिए अपने अनुभवों के आधार से सलाह देने के लिए यहां खड़ा हूं।

इन चुनावों को देख कर मुझे एक बात की याद आती है। तुकाराम कह गए हैं कि, 'आती सिंहस्थ पर्वणी, न्हाव्या, भ्रटा झाली सेजवाणी' (सिंहस्थयानी नाई, ब्राह्मणों की मेजवानी का समय) ये चुनाव सिंहस्थ का मौका है। अन्य दलों को यह मेजवानी उड़ाने का समय लगता है। लेकिन यह कहावत अस्पृश्य समाज पर बिल्कुल लागू नहीं होती।

केवल ब्राह्मण ही राजनीति जानते हैं ऐसा माना जाता रहा है। राजनीति का खेल खेलने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही था, कुछ हद तक यह बात सही थी। क्योंकि लोकल बोर्ड, म्युनिसिपाल्टियां, विधिमंडल आदि के सदस्य केवल ब्राह्मण ही थे। लेकिन मैं अब कह सकता हूं कि इस देश में केवल अस्पृश्य और ब्राह्मण ही राजनीति जानते है।

यह फर्क केवल दस सालों में हुआ है। 1892 से लोकनियुक्त पद्धति जारी हुई। धीरे-धीरे हिंदु मुसलमान और ईसाइयों को भी इसमें अपनी तरह से हिस्सा लेने का मौका मिला। अचरज की बात यह थी कि 1935 तक अस्पृश्य समाज को मतदान का अधिकार नहीं था। अर्थात् 1935 तक उम्मीदवार और चुनावों के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। 1937 के चुनावों में अस्पृश्य समाज ने मुंबई की 15 में से 15 सीटें जीत लीं। काँग्रेस ने अपनी दो सीटें जीतीं। कुल हिसाब बराबर हुआ। हिसाब के बही-खाते में काँग्रेस को आवक की जगह शून्य दर्ज कराना पड़ा। जो समाज राजनीति को भी नहीं जानता था वह 1937 के चुनावों में पहली बार उतरा और पूरी तरह विजयी हुआ। यह कोई साधारण बात नहीं थी। इस समाज को राजनीति सिखाने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि उसे कोई ठग नहीं सकता। कांग्रेस ने अस्पृश्य समाज को चुनौती दी इसीलिए मैंने ये बातें बताईं।

पिछले करीब 50-60 सालों से कांग्रेस राजनीति में है। कोई भी व्यवहारकुशल व्यक्ति इस बात का हिसाब करता रहता है कि इस प्रदीर्घ काल में इनमें क्या कमाया और क्या गंवाया। हर काणी-उद्यमी हर दीवाली में हिसाब लगाता है इसी तरह उस देश को, हर चतुर व्यक्ति को चाहिए कि वह काँग्रेस की राजनीति का सिंहावलोकन करे। खास कर हिंदु लोग इस बारे में सोचें। यह उनका कर्तव्य है। जिस काँग्रेस बहुत सारे वादे किए उनमें से कितने पूरे किए और कितने नहीं इसके बारे में हिंदू लोग हड़ताल करेंगे या नहीं, यह उनकी सोच और उनका नजरिया है। हमें जरूर इस मसले पर सोचना चाहिए।

काँग्रेस की पड़ताल मैं कर देता हूं ताकि हिंदुओं के दिमाग के ताले खुल जाएंगे। अगर कोई मुझसे पूछे कि काँग्रेस ने जो हासिल किया है उसे क्या आप दो-चार शब्दों में गिना सकते हैं? मैं बता सकता हूं कि काँग्रेस ने 'पग-पग पराजय' शुरू से ही उन्होंने जब-जब सिंह की तरह गर्जन किया तब-तब उन्हें औरों के जूते चाटने पड़े। कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे नेता नरमवादी हैं। गांधी बहुत तेज हैं- बेहद उग्र। उन्हें कानून तोड़ने हैं, जंगल तोड़ने हैं और कारागार में जाना है। गांधी की ऐसी राजनीति है। गांधी ने लोगों के हाथ में पलीता दिया। 1921 में लोगों ने एक पुलिस थाना जलाया। गांधी बहुत डर गए। उन्होंने उस बात को टाल दिया। 1931 में गांधी ने गोलमेज संमेलन में हिस्सा लिया। वे जब लौटे तो उन्हें कारावास भेजा गया। वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। कारागार में उनका इतना बुरा हाल हुआ कि आखिर उन्होंने अपनी रिहाई के लिए विलिंग्डन को खत लिखा। लेकिन वायसराय किसी भी तरह मानने को तैयार न हुआ। गांधी ने बहुत खत लिखे लेकिन उनका कोई असर नहीं हो रहा था। आखिर गांधी ने अपने पुराने दोस्त को जनरल स्मटस् को खत लिख कर मध्यस्थता करने कि विनती की। जनरल स्मटस् ने मध्यस्थता करते हुए जनरल बिलिंग्डन को खत लिखा। और इस प्रकार काफी बेइज्जती के बाद गांधी ने अपनी रिहाई कर ली।

जो मिले उसे लेते हुए बाकी जो बचता है उसके लिए संघर्ष करते रहना है यह लो. तिलक का मानना था। गांधी की आज्ञा के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य की अड़चन हमारे लिए मौका है इस सूत्र को काँग्रेस ने अपनाया। 1939 में युद्ध की शुरूआत हुई। 1939, 1940, 1941 में काँग्रेस ने कुछ नहीं किया। 1942 के आधे बीत जाने तक वे चुप रहे। अगस्त 1942 में प्रस्ताव पारित कर हर दरवाजे पर 'चलेजाव' 'चलेजाव' लिखा गया। केवल दरवाजे पर 'चलेजाव' 'चलेजाव' लिख कर अगर किराएदार चला जाता तो उसे निकालने के लिए कोर्ट में नहीं जाना पड़ता।

8 अगस्त को 10 बजे प्रस्ताव पारित हुआ और 11 बजे वारंट निकाल कर काँग्रेस के नेताओं को कारागार भेजा गया। बाकी जो बाहर बचे उन्होंने आंदोलन किए। उन्होंने आगजनी, लूट और अत्याचार किए। उन्होंने कोर्ट - कचहरियां जला दीं, रेल की पटरियां उखाड़ दीं। डाक-तार विभाग के खंभे उखाड़े। लाखों रुपयों का **नुकसान** हुआ? कोर्ट-कचहरियां किसके पैसों से बनाए गए थे? लोगों के पैसों से ही न! क्या यह सच नहीं है? रेल की पटरियां बिछाने में किसका पैसा लगा था? लोगों का ही न? क्या यह सच नहीं है? फिर काँग्रेस ने जनता को नुकसान पहुंचाया या अंग्रेज सरकार को? जो नुकसान किया गया उससे अंग्रेजों का कोई नुकसान नहीं हुआ। जो भी नुकसान हुआ वह इस देश की गरीब जनता का नुकसान हुआ। काँग्रेस के जो लोग कारागार में थे उनका क्या हाल था? कारागार में उनका बड़ा अच्छा हाल था। जवाहर आदि को अहमदनगर के कारावास में रखा गया था। उनके लिए दिल्ली से बेहतरीन किस्म के चावल मंगाए जाते थे। गांधी का भी खूब ख्याल रखा जा रहा था। इसके बावजूद आखिर गांधी ने वाइसराय को खत लिख कर विनति की कि मुझे रिहा करें। लेकिन वायसराय कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। कम से कम मुझसे एक बार मिल लें, ऐसा भी गांधी ने लिखा लेकिन उसका भी कुछ असर नहीं हुआ। आखिर किसी तरह गांधी ने अपने को रिहा करवा लिया।

1945 में सिमला कॉन्फ्रेंस का क्या हुआ इस बारे में सोचने हैं। एसेंब्ली का नियम था कि वाइसराय जब प्रस्ताव पढ़ कर सुनाते तब सब लोगों को उठ कर खड़े रहना पड़ता था। नियमानुसार हम सब उठ कर खड़े रह जाते थे। काँग्रेस के लोग बैठे रहते थे। खड़े रहने में उन्हें शर्म आती थी। उनका कहना था कि हम वायसराय को नहीं मानते। इसलिए हम उनके आगे खड़े नहीं रहेंगे। लेकिन शिमला कॉन्फ्रेंस में हमने क्या देखा? वाइससॉय ने जैसे ही घोषणा की काँग्रेस के सभी नेता सिमला दौड़ पड़े। कोई गाड़ी में बेठ कर गया, कोई घोड़े की सवारी लेकर गया तो कोई गधे पर बैठकर गया। सब लोगों ने सिमला में भीड़ लगा दी। शिमला में इतनी भीड़ हुई कि उन्होंने शिमला को गंदा कर दिया। वाइसराय को न माननेवाले लोग उनके घर के पास धरना देकर बैठे रहे।

गांधी की राजनीति ऐसी है। यह हारे हुओं की राजनीति है। काँग्रेस के लोग राजनीति

में अनुत्तीर्ण हुए बच्चे हैं। हम अनुत्तीर्ण बच्चे को नौकरी पर नहीं रखते। क्योंकि वह लायक नहीं होता। काँग्रेस के नेता राजनीति में एकदम नालायक हैं।

काँग्रेस के पास इतना पैसा है कि उस पैसे के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन इन पैसों का क्या फायदा हुआ? हिंदू लोगों ने इतना स्वर्थत्याग किया उसका क्या फायदा हुआघ गांधी का कहा मान कर जनता ने इतना स्वार्थ त्याग किया उसका क्या फायदा हुआ? हालात इतने अनुकूल होते हुए जो आदमी कुछ नहीं कर सकता वह नेता बनने के लिए लायक नहीं होता।

अब मैं इसके दूसरे पहलु के बारे में बताता हूं। इस देश में कई ऐसी जातियां हैं जिनका अपना कोई संगठन नहीं। उनमें कई भेदाभेद हैं। क्योंकि वे कई धर्मों के और जातियों के हैं। सभी लोग अपने भेदभाव भूल कर, एक दूसरे पर भरोसा कर एक होकर अगर कुछ मांगने लगे तभी अंग्रेज सरकार उनके बारे में सोचगी। हम अगर नोट देकर मांगेंगे तो अंग्रेज सरकार यह देश छोड़ कर जाएगी। काँग्रेस की स्थापना के समय उसे हम सबकी एकता का महत्व अच्छी तरह पता था। इसीलिए हमें दिखाई देगा कि काँग्रेस में सभी धर्मों के लोग थे। उस वक्त हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि जातियों के लोग कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए हमें दिखाई देते हैं। इसीलिए सभी लोगों को काँग्रेस के बारे में अपनापन महसूस होता था।

1920 से काँग्रेस की बागडोर गांधी के हाथ आई। तभी से मौलाना आजाद के अलावा काँग्रेस के सभी सूत्रधार हिंदू हैं। वर्किंग कमेटी में केवल दो ही मुसलमान हैं। यह देश अब ऐसे मुश्किल दौर में है कि जातीय भेदभाव को अब राजनीतिक महत्व प्राप्त हुआ। जातियों के बीच जो भेदभाव थे। उन्हें अब राजनीति से जोड़ा गया है। मुसलमान अब न केवल धर्म से ही दूर हुए हैं बल्कि वे अब राजनीति में भी दुश्मन बन गए हैं। क्योंकि काँग्रेस ने अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं किया है। इस बात का अहसास होने के कारण ही मुसलमान तेजी से काँग्रेस से किनारा कर रहे हैं। इसी से काँग्रेस नेताओं की योग्यता के प्रमाण मिलते हैं। राष्ट्रीय नेशनलिस्ट मुसलमान अब काँग्रेस से निकल कर देश का विभाजन करने चले हैं। कांग्रेस का निर्माण करने वालों के मन में क्या कभी देश के टुकड़े करने की कल्पना भी आती? लेकिन ऐसा हो रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है? यह सयाने लोगों की राजनीति है या पागलों की? जातिवाद का भस्मासुर डरा क्यों रहा है? यह किस बात का असर है? अगर थोड़ा सोचें तो यह हिंदुओं की राजनीति का असर है इसका पता चल जाएगा। मुंबई में ऑल इंडिया काँग्रेस पार्टी की जो बैठक हुई उसे देखें तो हिंदुओं की राजनीति का मुझे अचरज लगता है।

मैं कई बार आपसे कहता रहा हूं कि हमें राजनीतिक सत्ता मिले बगैर हमारा सामाजिक

और धार्मिक उद्धार होना असंभव है। हमें अगर समता और आजादी प्राप्त करनी हो, अपनी उन्नति करनी हो तो इस देश को मिलने वाली सत्ता में हमें हिस्सेदार बनना ही पड़ेगा। राजनीतिक सत्ता प्रभावी शस्त्र है। इस शस्त्र को हमें भगवान के समान मानना होगा। इस शस्त्र की हमें पूजा करनी चाहिए। ताकि अपने दुश्मन पर हम इसे प्रयोग कर सकें। इस शस्त्र को आगामी चुनावों के जरिए हासिल किया जा सकता है। इसीलिए आगामी चुनाव हमारे जीने-मरने की आर-पार की लड़ाई है। इन चुनावों पर हमारे जीने-मरने का मसला निर्भर करता है। जीवन-मृत्यु के भयंकर संग्राम में हमें जीतना ही होगा। इस युद्ध को जीतने के लिए हमें जोरदार तैयारी करनी होगी। हमें अभी से इस काम में लग जाना चाहिए।

अभी हिंदुस्तान का कामकाज देखने के लिए कुल 15 मंत्री हैं। उन 15 में से एक मैं भी हूं। आप इस बात को जानते हैं न? वायसरॉय के कार्यकारी मंडल में मैं केवल दो सालों से ही हूं। लेकिन इन दो सालों में मैंने आपके लिए क्या किया? आज तक कभी किसी ने अस्पृश्यों की शिक्षा की जिमेदारी जो नहीं ली थी वह अब केन्द्र सरकार ने ली है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए हिंदुस्तान सरकार ने 20 लाख रुपए दिए। अभी भी उस विश्वविद्यालय का 41 हजार रुपयों का बिल सरकार के पास आकर पड़ा हुआ है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय बनाने के लिए मुसलमानों को 20 लाख रुपए दिए गए थे और हर साल 3 लाख रुपए केन्द्र सरकार देती है। अस्पृश्य समाज की शिक्षा की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर है इसका सरकार को अहसास तक नहीं था। मेरे जाने के बाद मैंने अस्पृश्य समाज की शिक्षा के लिए 3 लाख रुपए मंजूर करवा लिए। इन तीन लाख रुपयों में हर साल 300 छात्र पढ़ सकते हैं। इस बार 300 छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले हैं। उसी प्रकार हर साल 15 छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। हममें से क्या कोई विलायत गया है? साहब के बुटलेट के रूप में हो सकता है कोई गया हो। इस बार शिक्षा के विदेश जाने वाले 30 छात्रों में एक भंगी, एक मांग और कई सारे चमार जाति के हैं। मैं यही बताना चाहता हूं कि इस योजना का फायदा अस्पृश्यों में से हर जाति ले सकती है।

प्रॉविन्शियल सर्विसेस में और सेंट्रल सर्विसेस में 25 प्रतिशत पद मुसलमानों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इसी प्रकार ईसाई सिक्ख और एंग्लो इंडियनों के लिए नौकरियों में तय प्रतिशत का आरक्षण है। लेकिन क्या कभी किसी ने अस्पृश्य समाज की ओर ध्यान दिया हैघ् क्या कभी हमारे लिए कोई सुविधा दी गई? एक टुकड़ा तक कभी हमें नहीं दिया गया था। मैंने ऐसी व्यवस्था करवा ली है। अस्पृश्यों के लिए नौकरियों में आठ पूर्णांक एक तिहाई प्रतिशत आरक्षित करवा दिया है। मेरे सरकार में शामिल होने के बाद से कई लोग बड़े ओहदों पर चले गए हैं। हम में से एक डेप्युटी सेक्रेटरी है। तीन गवर्नमेट ऑफ इंडिया है। दूसरा एक अंडर सेक्रेटरी है। तीन एक्जिक्युटिव इंजीनियर्स हैं। शिमला में मेरे विभाग का एक हिस्सा है जहां 28 क्लर्क हैं जिनमें से 18 भंगी जाति के हैं।

राजनीतिक सत्ता के सहारे इन्सान क्या कर सकता है इसका यह अच्छा उदाहरण

है। अपना बड़प्पन बताने के लिए मैं यह सब नहीं बता रहा हूं। हमारे हाथ राजनीतिक सत्ता आए तो हम क्या कर सकते हैं यह बताने के लिए मैं यह सब कह रहा हूं। मेरे साथ अगर आप में से कोई एकाध और मंत्री होता तो हम दोनों मिल कर और भी बहुत कुछ कर सकते थे। हर विभाग में मैं अगर सिर्फ पांच सालों तक रहूं तो अपने लोगों का बहुत कल्याण कर पाऊंगा। राजनीतिक सत्ता के बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसलिए हमें राजनीतिक सत्ता पाने के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। (Politics should be the life blood of the Schedeuled Castes), हमारा जो हाल हुआ है, हजारों सालों से हम जो इतना दयनीय जीवन बिता रहे हैं इसका एक कारण यह है कि हमारे पास राजनीतिक सत्ता नहीं थी। हमें यह सत्ता हासिल करनी होगी। राजनीतिक सत्ता अजीब ताकत है। हमें अपने दुश्मन पर उसे आजमाना चाहिए।

चुनावों के लिए एक पार्लियामेंटरी बोर्ड का निर्माण किया गया है। इस पार्लियामेटरी बोर्ड पर पांच लोग रहेंगे। उन्हें उम्मीदवार चुनने होंगे। उस बोर्ड के कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों के अनुसार ही चुनावों के लिए उम्मीदवार चुने जाएंगे। ऐसे ही लोगों को हमें चुनना होगा। अगर किसी को लगता है कि वह केवल अकेले दम पर एसेंबली में सब कुछ कर सकता है तो यह उसकी मूर्खता है। अगर कुछ कर सकता है तो उसका दल ही कर सकता है। पिछली बार चुनावों में काँग्रेस को केवल पष्टथक मजदूर पार्टी का ही डर था। क्योंकि वह जानते थे कि हजारों रुपये देने पर भी काँग्रेस की सदस्यता नहीं लेंगे।

पार्लियामेंटरी बोर्ड जो कुछ करेगी और जिन लोगों को चुना जाएगा। उसी व्यक्ति को हमें जिताना होगा। हम इन चुनावों में जीतेंगे, ही यह कसम आपको खानी होगी।

मेरी यह पक्की राय है कि छात्रों को राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि, वे अगर पढ़ाई छोड़कर राजनीति में आए तो उनका जिंदगी भर का नुकसान होता है। लेकिन इस बार इस नियम को थोड़ा ढीला करना होगा। वे अपनी अनाड़ी जनता को मदद करें ताकि मतदाताओं की सूची में वे अपना नाम दर्ज करा सकें। उन्हें चुनाव के बारे में पूरी जानकारी दें।

इस बार का इलेक्शन हिंदुस्तान के इतिहास में स्मरणीय होने वाला है। क्योंकि सा. विधान का नया मसौदा तैयार करना है। इस चुनाव के बाद जो संविधान समिति निर्माण होने वाली है, वह संविधान का जो मसौदा बनाने वाली है वह आगे लंबे समय तक चलने वाला है। उस भावी संविधान में हमारा क्या हिस्सा होगा इस ओर हम सभी को ध्यान देना है। हमने जो विभिन्न प्रस्ताव पारित किए हैं उसमें हमने अपनी योजना जाहिर की है। यह इलेक्शन सचमुच हमारे जीने-मरने का संघर्ष है। इस बार अगर हम जागते नहीं रहे तो हमारा नाश अटल है। आगे चल कर यह जो 'स्वराज' बनने जा रहा है वह हमारे किए 'जुल्मी राज' बनने जा रहा है।

सही समय पर आपको सही राह दिखाने का काम मैंने किया है। मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। मैं देखना चाहता हूं कि आप अपने कर्तव्य को कहां तक निभाते हैं? मुझे पूरा यकीन है कि आप अपना कर्तव्य सही तरीके से निभाने से चूकेंगे नहीं।

डॉ. बाबसाहेब के भाषण के बाद पुष्पहार अर्पण करने का समारोह हुआ और उसके बाद सभा विसर्जित हुई।

तीन दिनों के इस कार्यक्रम के अलावा अहिल्याश्रम में दिनांक 2-10-45 को अखिल भारतीय समता सैनिक दल के वर्किंग कमेटी की सभी श्री जे.एच सुव्वटया की अध्यक्षता में हुई। इस सभा में तब तक के कामकाज का जायजा लिया गया। और दल के संविधान में कुछ सुधार किए गए। उसी प्रकार अ.भा. दल का शिक्षा केंद्र नागपुर में शुरू करने की बात तय की गई। इसके सभी तरह के प्रबंधन की जिम्मेदारी महासचिव आर. आर. पाटील को सौंपी गई। उसके बाद सभा के कामकाज के पूरे होने की सूचना दी गई। दिनांक 4.10.45 को पूणे के समता सैनिक दल के अजिंक्य टोली से रा.ब. शिवराज-श्री. पी.एन. राजभोज और श्री.आर.डी. भंडारे के साथ मिले। समता सैनिक दल की ओर से रा.ब. शिवराज का यथोचित सम्मान किया गया।

इस प्रकार वर्किंग कमेटी की बैठक के बहाने कई कार्यक्रम किए जाने के कारण तीनों दिन बड़े आनंद और उमंग के साथ बीते। इन तीनों दिनों में स्थानीय पेडरेशन की ओर से और कार्यकर्ताओं की ओर से ने.ना. डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर और वर्किंग कमेटी के सदस्यों के लिए बेहतरीन प्रबंध किए गए।

शे.का. फेडरेशन की वर्किंग कमेटी की डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के मार्गदर्शन में हुई इस बैठक से अस्पृश्य समाज की राजनीति ऊंचे स्तर तक पहुंची इसमें कोई दो राय नहीं।

वर्किंग कमेटी के मार्ददर्शन से अस्पृश्य वर्ग अपने फौलादी संगठन के बल पर आगामी चुनावों में विरोधी पक्ष को धूल चटा कर पूरी तरह सफल होगी इसका सबको यकीन हो चुका है।

इस प्रकार कामकाज पूरा होने के बाद डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर दिनांक 4.1045 को रात की गाड़ी से मुंबई खाना हुए। रा.ब. शिवराज मद्रास की ओर तथा वर्किंग कमेटी के अन्य सदस्य अपने प्रांतों की ओर चले गए।

शे.का.फे. के वर्किंग कमेटी की इस बैठक का हिंदी राजनीति के इतिहास में जिस प्रकार महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। इसी प्रकार, पुणेकर अस्पृश्यों को निस्संशय हमेशा याद रहेगी।

223

*मजदूरों की बेहतरी के लिए जो निधि जोड़ी जा रही है, धनिक उसका विरोध न करें

27 नवंबर, 1945 को नई दिल्ली में सातवीं हिंदी मजदूर परिषद का आयोजन किया गया था। परिषद की अध्यक्षता स्वीकारी थी डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने। इस अवसर पर दिए अपने भाषण में उन्होंने सरकार के मजदूरों से संबंधित क्या कर्तव्य हैं इस बात का विवरण देते हुए मजदूरों के जीवनस्तर में सुधार कैसे लाया जा सकता है यह बताया। मजदूरों की समस्याओं से संबंधित रॉयल कमीशन की सिफारिशों पर अमल करना और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठनों के करारों की शर्तो को मान्यता प्रदान करने के मामले में हिंदुस्तान सरकार ने क्या किया यह बताने के बाद डॉ. बाबासाहेब ने कहा, रॉयल कमीशन द्वारा की गई दस महत्वपूर्ण सिफारिशों को अब तक मान्यता नहीं प्राप्त हुई है तथा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की 63 शर्तों में से 49 शर्तें अभी तक मंजूर नहीं हुई हैं। ऐसा नहीं कि उनकी मंजूरी से सरकार को कोई नाखुशी है, शर्तों में किसी तरह के फेर-बदलाव के बगैर मंजूरी दी जाने की शर्त के कारण देर लग रही है। मुझे लगता है कि श्रमिकों की बेहतरी के लिए जो निधि जोड़ी जा रही है धनिक उसका विरोध न करें। युद्ध का खर्चा पूरा करने के लिए कर देना धनिकों को अखरता नहीं इसलिए मजदूरों की सुख-सुविधा के लिए निधि जोड़ने के लिए उनके विरोध की कोई वजह नहीं बनती।

युद्ध खत्म दुआ है और शांति प्रस्थापित हुई है। इस संक्रमण काल में मजदूरों के हालात में बदलाव लाने के लिए सुधार लाना आवश्यक है। मेरा मानना है कि काम के समय के कटौती करवाना, न्यूनतम वेतन तय करना आदि बारे में कानून बनाना और मजदूरों की संस्थाओं को मान्यता देना आदि सुधार होना जरूरी है इन सुधारों को लागू करने में देर नहीं होनी चाहिए इस ओर ध्यान देने का निश्चय मैंने किया है। मजदूरों के कानून बनाने में अंग्रेजों को सौ साल लगे। इसलिए हमें भी सौ सालों तक इंतजार करना होगा यह दलील समर्थन योग्य नहीं है।

युद्ध के लिए इकट्ठा किए गए कर से अगर सार्वजनिक हित के काम किए जाते तो कई निराश्रितों को जगह दी जा सकती थी। कितने ही अधनंगे लोगों को कपड़े और भूखों को अनाज दिया जा सकता था। कितने अनपढ़ लोगों को शिक्षा दी जा सकती थी और कितने रोगियों का इलाज किया जा सकता था, ऐसे सवाल मजदूर सभी मत्सदियों से पूछ सकते हैं।

---

*जनता : 1 दिसम्बर, 1945

224

*मुझे केवल स्वराज नहीं संपूर्ण स्वराज चाहिए

मुंबई प्रांतीय शेडयूल्ड कास्ट्स् फेडरेशन के अधिवेशन में उपस्थित रहने के लिए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर शुक्रवार दिनांक 30 नबंबर, 1945 की सुबह अहमदाबाद में आए। पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उसी दिन दोपहर उन्हें अहमदाबाद महापालिका की ओर से म. गांधी हॉल में उन्हें मानपत्र प्रदान किया गया। वह इस प्रकार था-अहमदाबाद महापालिका द्वारा डॉ. बाबासाहेब को दिया गया मानपत्र-

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, एम.ए.,डी.एससी, बार. एट-ला. के नाम,

हमारे ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद में आप पधारे, यह हमारा अहोभाग्य मान कर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप देश के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। छह करोड़ अस्पृश्यों के दिल में आपका अडिग स्थान है। गहरी खाई में फंसे तथा पैरों तले रौंदे गए लोगों के उद्धार के लिए अपना जीवन समर्पित कर आपने हिंदुस्तान के एक महत्वपूर्ण घटक का नेतृत्व आपने जीता है।

अस्पृश्यों के साथ से परहेज करने वाले लोगों के स्वामित्व में सभी शैक्षिक संस्थाएं होने के बावजूद सभी संकटों का सामना करते हुए आपने असामान्य उच्च शिक्षा प्राप्त की। करोड़ों अस्पृश्यों को कई सदियों से हीन-दीन स्थितियों में कैद कर रखने वाली निदंनीय पुरातनपंथी सोच पर प्रहार कर अस्पृश्योंद्धार के द्वार पूरी तरह से खोलने का कठिन काम अपनी असामान्य बुद्धि के सहारे अचंभे में डालने वाली धीरोदत्रता के साथ आप ही ने कर दिखाया। अपनी भगीरथ कोशिशों से अस्पष्टष्ठय समाज की शैक्षिक तथा अन्य प्रगति करते हुए सामाजिक समता और जनतंत्र प्रस्थापित करने में आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस देश के सामाजिक समता आंदोलन के आप ही सच्चे निर्देशक हैं।

चालीस करोड़ लोगों के हितसंबंध जिससे जुडें हैं उस, हिंदुस्तान के भावी संविधान को बनाते हुए छह करोड़ अस्पृश्य जनता के बारे में सोचा जाए, उनकी अनुभूति के बगैर यह संविधान अस्तित्व में नहीं आ सकता इस बात की सरकार को घोषणा करनी पड़ी क्योंकि आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में चल रहे अस्पृश्यों के आंदोलन के अदमनीय सामर्थ्य का सरकार को अहसास हो गया था। हिंदी राजनीति में अस्पृश्यों को प्राप्त इस सम्मानपूर्ण और महत्वपूर्ण स्थान की सफलता का श्रेय आपको तो जाता है।

---

*जनता : 1 और 8 सिदम्बर, 1945

हिंद भू के गिने-चुने सुपुत्रों में से आप एक हैं। उच्च विचार, प्रभावपूर्ण लेखन, अचूक नेतृत्व आदि आपके अमूल्य गुणों के कारण इस हिंदी देश के नागरिकों के मन में आपके बारे में गर्व है। बहुसंख्यकों की अत्याचारी पकड़ से असहाय अल्पसंख्यकों को आपने छुटकारा दिलाया। विधायक सूचना देकर, राजनीति के प्रदीर्घ अध्यवसाय के कारण अचूक मार्गदर्शन और राजनीति की उलझने सुलझाने की सामर्थ्य और कुछ प्रस्थापित करने की लगन के कारण आपने उन्हें छुटकारा दिलाया। संक्षेप में, आप अस्पृश्यों के उद्धारक हैं। दुर्भागी हिंदवासियों को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए आप चिरायु हों, यही हमारी कामना है।

हम हैं-

चेअरमन, वाईस चेअरमन

और म्युनिसिपल कमेटी के

सदस्य, अमदाबाद

अमदाबाद, 30-11-1945

मानपत्र का जवाब देते हुए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा,

''मैं जिस मुंबई शहर में रहता हूं वहां की म्यूनिसिपालिटी ने मुझे मानपत्र देने के बारे में रखे गए प्रस्ताव पर सोचने से भी इन्कार किया। इसके लिए मैं उस म्युनिसिपालिटी को बिल्कुल दोष नहीं दूंगा। मैंने अपने जीवन में कभी इस बात को महत्व नहीं दिया कि मेरी सेवा का मोल हो। लेकिन, आपकी म्युनिसिपालिटी द्वारा किए गए बर्ताव के बीच का फर्क ध्यान देने योग्य जरूर है।

कानून और व्यवस्था के बारे में इस देश में कोई आस्था भाव नहीं है। 1942 के आंदोलन के दौरान राज्य का कामकाज चलाने में और देश में शांति कायम करने में जिन्होंने मदद की थी वह कुछ भावुक होगों को पसंद नहीं आया था। लेकिन 1942 के आंदोलन में कानून का सम्मान करते हुए जिन्होंने व्यवस्था को बनाए रखा उनका बर्ताव सही था और अपने योग्य बर्ताव के साथ उन्होंने देश का हित साधा यह जरूर मानना पड़ेगा। देश की राजनीति में गड़बड़ी पैदा होकर देश की कानून और व्यवस्था के लिए अगर जौखम पैदा हो तो देश में पैदा होने वाले अराजक को जड़समेत नष्ट करने की कोशिश करना राजनीति में कार्यरत पुरुषों का कर्तव्य बनता है। अगर इस कर्तव्य को वे पूरा नहीं कर पाते तो यह साबित होता है कि राजनीति में रहने के योग्य वे नहीं हैं। अगस्त 1942 के आंदोलन के बाद देश में जो अराजक पैदा हुआ था उस समय देश में व्यवस्था कायम करने के लिए हम अगर सहयोग नहीं देते तो जापान या जर्मनी हिंदुस्तान की हालत खराब कर देते। ऐसी दुर्दशा से हिंदुस्तान को बचाना क्या देश-सेवा नहीं है?

क्या कभी कोई यह कह भी सकता है कि देश को स्वराज नहीं चाहिए? मैं संपूर्ण स्वराज चाहता हूं। काँग्रेस के 50 वर्षों के कार्यकाल में कभी इस प्रकार की स्थितियां पैदा नहीं हुई थीं।

काँग्रेस के राजनीतिक नेताओं से मुसलमानों का भरोसा उठ गया है। छह करोड़ अस्पृश्यों का भी काँग्रेस में विश्वास नहीं। काँग्रेस के नेता अगर चतुर राजनीतज्ञों की तरह पेश आते तो ऐसा नहीं होता। इन बातों पर बहुसंख्य हिंदु गौर करें।

स्वराज अब हमारी आंखों के आगे, नजर के दायरे में है। अब अंग्रेज सरकार यहां लंबे समय तक रह नहीं सकेगी। लेकिन हम उसे आज ही हटा भी नहीं सकते क्योंकि हिंदी लोगों के बीच एकता नहीं। आज जहां मेरा सम्मान किया जा रहा है और मुझे पता है कि यह काँग्रेस का गढ़ है, इसके बावजूद मैंने अपनी राय प्रकट की क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी राय काँग्रेस हाईकमान तक पहुंचे।

225

*चुनावों के जरिए ही राजनीतिक सत्ता हासिल की जा सकती है।

गुजरात के प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर अमदाबाद में– गांधी–वल्लभभाई के राज्य में– साबरमती के विशाल किनारे पर लाल दरवाजे के बनाए गए बुद्ध नगर में मुंबई प्रांतीय शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन का पहला अधिवेशन 29 और 30 नवंबर, 1945 को बड़े उत्साह के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भारतीय अस्पृश्यों के महान नेता डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर 30 नवंबर, के दिन इस ऐतिहासिक अधिवेशन में विशेष रूप से उपस्थित थे।

अहमदाबाद के सभी श्रमिकों ने मिलें बंद करवा कर उनका भरपूर स्वागत किया। बेहद गर्व की यह बात विशेष रूप से जिक्र करने योग्य है। तड़के 5 बजे से अहमदाबाद स्टेशन पर लोगों का हुजूम उनके स्वागत के लिए उपस्थित था। इस जनसैलाब में शांति और व्यवस्था कायम करने की कोशिश समता सैनिक दल के वीर सैनिक कर रहे थे। कई व्यक्ति और संस्थाओं की ओर से पुष्पहार अर्पण कर उनका स्वागत किया गया। डॉ. बाबासाहेब जिंदाबाद, अम्बेडकर कौन है, 'दलितों का देव है', 'दलित फेडरेशन की विजय हो', 'पृथक मताधिकार हासिल करो', जैसे नारों से अहमदाबाद का पूरा वातावरण गूंज उठा था। स्टेशन पर उनके विशेष सैलून में कम्युनिस्ट पार्टी, रॉयीस्ट पार्टी, हिंदू महासभा आदि पार्टियों के नेताओं ने और कई गण्यमान्य व्यक्तियों ने उनसे साक्षात्कार किया और उनका सम्मान किया। अहमदाबाद शहर का वातावरण उनके आने से बेहद उत्साहपूर्ण हुआ था। हालांकि यह आश्चर्य की नहीं वरन् गर्व की बात थी कि उसी दिन मुंबई के गवर्नर साहब का भी अहमदाबाद में आगमन हुआ था। लोगों की भीड़ से कोई खद्दरधारी देशभक्त गर्दन उचका–उचका कर देख रहे थे। भीड़ में बड़ी मुश्किल से राह बना कर आया एक किसान पूछताछ करने लगा। गांधी टोपी पहने एक व्यक्ति ने उसे जवाब दिया, गवर्नर साब आवे छे। मेरे पड़ोस में खड़ा किसी दूर के गांव से आया एक अस्पृश्य युवक गांधी भक्त का धिक्कार करते हुए बोला, बापदा कोई अंधाने गूंगा पण जाणे छे के बाबा अम्बेडकर आवेला छे, उससे यह तेज जवाब पाकर शर्मिंदा हुआ बनीया तुरंत वहां से निकल गया। प्रांताध्यक्ष श्री गायकवाद और ऑल इंडिया शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन के महासचिव श्री राजभोज ने दर्शनोलुक जनसमुदाय से विनति की कि वे शांतिपूर्ण ढ़ंग से परिषद के स्थान पर अपने नेता का संदेश सुनने के लिए बड़ी संख्या में उपस्थित हों तो सभी शांतिपूर्ण ढंग से अपने–अपने घरों के लिए निकल गए। रात देर तक जागना पड़ा

*जनता : 8 दिसम्बर, 1945

था फिर भी बाबासाहेब ने बिना आराम के कई सारे काम निपटाए। सुबह से लेकर शाम तक कई कार्यक्रम रखे गए थे। हालांकि समयाभाव के कारण कई कार्यक्रम रद्द करने पड़े। दोपहर में रखिया रोड की श्रमिकों की चॉल में भोजन का कार्यक्रम रखा हुआ था। डॉ. बाबासाहेब के आग्रह के अनुसार दाल-चावल-सब्जी का सादा खाना ही बना था। फेडरेशन के कार्यकर्ता और प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। खाना खाने के बाद गुजरात के कार्यकर्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए। आखिर में बेहद सादी, सरल गुजराती भाषा में बाबासाहेब ने फेडरेशन के काम के बारे में बताया तथा आगामी चुनावों को लेकर कुछ निर्देश दिए। वहां से तुरंत वह अहमदाबाद म्युनिसिपालिटी के मानपत्र समारोह में गए। समारोह पूरा होने के बाद वह तुरंत परिषद के लिए खास खड़े किए गए बुद्ध नगर गए। वहां उनके पहुंचने से पूर्व कई गुजराती कवियों और शाहीरों ने सामाजिक क्रांति के गीत गाकर श्रेताओं में उत्साह भर दिया था। डॉ. बाबासाहेब का आगमन हुआ तो लोगों ने जयघोष के नारों से वातावरण भर दिया। स्वागताध्यक्ष श्री. पी.एम. पटनी के भाषण के बाद, जयघोष और तालियों की गूंज के बीच डॉ. बाबासाहेब भाषण देने के लिए खड़े हुए। लाऊड स्पीकर्स की व्यवस्था की गई भी सो बुद्ध नगर के विशाल प्रांगण में फैले जनसमुदाय ने उनका भाषण शांति और भक्तिभाव के साथ सुना।

डॉ. बाबासाहेब ने अपने भाषण में कहा,

भाइयों और बहनों,

अध्यक्ष ने मुझसे विनति की है कि मैं गुजराती में बोलूं। मैं हिंदी में बेहतर ढंग से बोल पाता। गुजराती में भी बोल सकता हूं लेकिन इधर थोड़ी भूल-भाल गया हूं। इसके बावजूद मैं गुजराती में बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आज यहां इक्ठ्ठा हुआ जन-सैलाब देख कर मुझे 1926 साल की याद आती है। अस्पृश्य छात्रों के बोर्डिंग के काम के सिलसिले में मैं यहां आया था। जो लोग मुझे जानते थे उन्होंने मुझसे मिल कर एकाध सभा लेने की विनति की थी। मैंने उनसे कहा, यह शहर तो कॉँग्रेस का मायका है। यहां के लोग कॉँग्रेसी के रूप मैं जाने जाते हैं और में कॉँग्रेस विरोधक के तौर पर मशहूर हूं। हालांकि, उन लोगों का आग्रह देख कर मैं सभा में उपस्थित रह कर बोलने के लिए तैयार हुआ। यहां के एक विशाल सभागार में सभा का आयोजन किया गया था। अध्यक्षस्थान पर हमारे ही एक पुराने कार्यकर्ता की योजना की गई थी। अपने अनुभव के आधार से मैं इस सभा में बोला। अध्यक्ष ने अपने भाषण में मुझे समझाया कि, ''हम सब गांधीजी की प्रजा हैं। हम गांधीजी का साथ नहीं छोड़ सकते। आप अगर इस प्रकार की कोशिश करेंगे तो ठीक नहीं होगा।'' मुझे उनके ये उद्‌गार अच्छी तरह याद हैं। उस सभा में आपमें से कोई उपस्थित था तो वह भी इस बात की पुष्टि करेगा। बीस साल पहले का वह अनुभव और आज की इस सभा में उपस्थित यह जन-सैलाब देख कर मुझे लगता है कि 'सत्य कभी

नष्ट नहीं होता। कभी ना कभी वह उजागर हो ही जाता है।' आज 1945 का साल चल रहा है। यहां जमा भीड़ को देख कर लगता है कि काँग्रेस का केन्द्र रहे इस अहमदाबाद शहर में अस्पृश्य लोग काँग्रेस के विरोध का सामना करने के लिए सिद्ध हो चुके हैं। यही वह सत्य है (तालियां) आगामी चुनावों के बारे में आज मैं बोलने वाला हूं। मैं किसी पर टीका-टिप्पणी करना नहीं चाहता लेकिन आज यहां यह बताना मैं जरूरी समझाता हूं कि पिछले बीस सालों की गांधी की कुटिल राजनीति और अस्पृश्य निरोधी षड्यंत्रों का इतिहास बताए बगैर कोई चारा नहीं। क्योंकि उसके बगैर मैं जो कह रहा हूं उसका मतलब आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहता हूं कि जो मुझे बताना है वह कटु सत्य है यह तभी आपकी समझ में आएगा जब आप गांधी की कुटिल राजनीति और अस्पृश्यों के विरोध में किए गए उनकी कारस्तानी के बारे में जानेंगे।

कहते हैं कि गांधी अस्पृश्यों के उद्धारकर्ता हैं। पिछले बीस वर्षों से मैं यही सोच रहा हूं कि गांधी अस्पृश्यों का उद्धार कैसे करेंगे? क्या वह सचमुच ऐसा ही चाहते हैं? इस बात पर हमें गौर करना होगा। गोलमेज परिषद में हम हिस्सा लेने गए थे तब गांधी ने घोषणा की थी कि राजनीतिक उन्नति से नहीं वरन सामाजिक सुधार द्वारा ही अस्पृश्योद्धार संभव है। गांधी की नजर में यह कैसे संभव है यह वे खुद ही जाने लेकिन मेरी पक्की धारणा है कि राजनीतिक हकों के बगैर उन्नति कर पाना असंभव है। (तालियां)। गांधी ने 1919 में काँग्रेस में कदम रखा और 1920 में असहकारिता आंदोलन दिया। बार्डोली के सत्याग्रह में लाखों रुपया इकठ्ठा कर घोषणा की कि अंग्रेजों को देश से भगा देंगे। तब उन्होंने यह घोषणा भी की थी कि हिंदु-मुसलमानों की एकता और अस्पृश्यता व जातिभेद के खात्मे के बगैर स्वराज नहीं मिलेगा। लेकिन, जातिभेद और अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए उन्होंने किया क्या? एक मामूली कमेटी की स्थापना के जरिए अस्पृश्योद्धार करने की बात गांधी ने और काँग्रेस ने तय की। लेकिन उस कमेटी ने किया कुछ नहीं, और काम को अधूरा छोड़ दिया। इस काम को फिर उन्होंने हिंदू महासभा को सौंपा। अन्य कामों में लाखों रुपया खर्च किया लेकिन अस्पृश्योद्धार के लिए 30 हजार रुपये ही खर्च किए। उनकी नजर में यह काम इतना ही महत्वपूर्ण है। यह अब मैंने हाल ही में प्रकाशित हुई मेरी किताब (What Congress and Gandhi have done to the Untouchables) में मैंने इन सभी बातों को साधार स्पष्ट किया है। 1920 से 1932 के दरमियान उन्होंने अस्पृश्यता निवारण की हांकने के अलावा कुछ नहीं किया। अस्पृश्यों के पृथक राजनीतिक अधिकारों के खिलाफ मेरे साथ झगड़ा किया। हिंदुओं से अस्पृश्य वर्ग के अलग हो जाने के कारण हिंदू निर्बल न बनें इसलिए गांधी ने ये टवड़ा के कारागार में ही आमरण अनशन किया और तब हुए करार से हरिजन सेवक संघ का निर्माण हुआ। तब से अब तक 13 सालों में इस संघ ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया? यह सवाल मैं सार्वजनिक रूप से पूछ रहा हूं। बताइए कि आपकी शिक्षा के लिए उसने कौन-सा बड़ा काम किया है? हमारे हाथ

अगर सत्ता हो तो हम क्या कर सकते हैं उसके उदाहरण के रूप में पिछले तीन सालों में किया गया मेरा काम आपके सामने है। इन तीन सालों में मैंने हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए हर वर्ष तीन लाख रुपये इकठ्ठा किए। इस बार पांच लाख रुपय मिलेंगे। आज की तारीख में 500 छात्र कालेजों में पढ़ रहे हैं **और** तीस छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विलायत गए हुए हैं। आप खुद तुलना कीजिए आप समझ जाएंगे कि यह काम गांधी या काँग्रेस ने नहीं किया है। हरिजन सेवक संघ के कार्य से मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हमारा उद्धार कैसे होगा? तीन चार रुपयों के वजीफे और मंदिरों के पट खोल दिए जाने का दिखावा और इन नाकाफी बातों का हल्ला मचाना! इससे क्या होगा? ऐसा जताया जाता है कि अस्पृश्यों के लिए मंदिरों के दरवाजे खोल दिए हैं लेकिन असल में क्या होता है? स्वाभिमानी अस्पृश्य इन मंदिरों की ओर ताकते भी नहीं! त्रावणकोर के अलावा और कहां और कौन-से मंदिर खोले गए? जिनमें 'कुत्रों अनेकगधेड़ो' जाते हैं वहीं मंदिर खोलें न? (हंसी) सामाजिक सुधार का ये लोग जो ढोल पीटते रहते हैं उसका यह हाल है। अब राजनीति की ओर चलिए। 1932 में गोलमेज परिषद में मैंने इस बात को लेकर जोरदार संघर्ष किया, मुसलमान-ईसाई जैसे अल्पसंख्यकों की ही तरह अस्पृश्यों को भी राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। और आज कुछ मूर्ख और बदमाश लोग जनता के बीच इस बात का ढिंढोरा पीटते फिर रहे हैं कि अस्पृश्यों के लिए ये राजनीतिक अधिकार गांधी ने दिलाए हैं। यह साफ झूठ है। सूई की नोक जितना भी राजनीतिक अधिकार अस्पृश्यों को ना मिलें इसिलिए मुसलमानों के साथ गुप्त रूप से सम्पर्क करने वाले गांधी ने नहीं, अस्पृश्यों के लिए ये राजनीतिक अधिकार मैंने दिलाए हैं। (तालियां)। जातीय निर्णय के कारण हमें पृथक चुनाव क्षेत्र मिला था। उसके सहारे हम अपना योग्य प्रतिनिधि चुन कर दे सकते थे ही, साथ ही हमें प्राप्त सार्वजिक मताधिकार का भी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन गांधी ने प्रायोपवेशन की धमकी दी । उससे पूर्व 'अम्बेडकर किस झाड़ की पत्ती है' कहने वाले काँग्रेस के लोग डर गए और कहने लगे कि अम्बेडकर कृपा कीजिए। गांधी मर रहा है, उसे बचाइए। लेकिन मेरे सामने अकेले गांधी की जान से बड़ा सवाल दस करोड़ अस्पृश्यो के हित का था। गांधी व्याकुल हुआ और कहा, अम्बेडकर मेरी जान तुम्हारे हाथ में है। इसलिए मैने दुबारा करार किया। लेकिन गांधी ने क्या किया? अहसानमंद होना तो दूर रहा, गांधी ने कृतघ्नता की। अस्पृश्यों के साथ विश्वासघात किया। आपके राजनीतिक हकों का विरोध नहीं करूंगा इस अपने दिए बचन को धता बता कर काँग्रेस ने हमारे उम्मीदवारों के विरोध में स्वार्थी और नालायक लोगों को खड़ा किया। जरा सोचिए, यह क्या हुआ? मैंने यह सब क्यों पाया?

हर गांव की यही हकीकत है। ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरता कि जब हम पर अत्याचार नहीं होते। यही पास के एक गांव के लोगों के साथ जो हुआ वह सुन कर आपको गुस्सा आ जाए। वहां के अस्पृश्य लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। लगातार इक्कीस

दिनों तक तरह-तरह से उन्हें परेशान करने के बाद अस्पृश्य हिंदुओं ने उन्हें धमकी दी कि आपको मरी हुई पड़िया उठानी ही पड़ेगी वरना आप 505 का हर्जाना दो। बेगार कर के सड़क की मरम्मत करो वरना आपका यहां रहना मुश्किल कर देंगे। एक और उदाहरण है कविठा गांव का। वहां से अस्पृश्यों के झोंपड़े हटाए। पानी में मिट्टी का तेल डाल दिया। इस तरह कई तरीकों से वहां के अस्पृश्यों को परेशान किया। वहां के लोगों ने गांधी के सामने अपनी शिकायतें रखीं। लेकिन गांधी ने क्या किया? उन्हें गांव छोड़ जाने की सलाह दी। (शेम-शेम की ध्वनियां) ऐसी सलाह गांधी ने नहीं दी कि- जो जुल्म ढाते हैं उन्हें सजा दो या उन पर कानूनी कार्रवाई करो। यह है गांधी की नीति। विधिमंडल की सीटों पर हमारे उम्मीदवारों को भेजने का उद्देश्य है हम पर होने वाली जुल्म-जबर्दस्तियों का खात्मा करना। हमारा उम्मीदवार वहां जाकर हमारी शिकायतें रखेगा। हम पर होने वाले अत्याचारों के प्रति न्याय की मांग करेगा। हमारे हित के लिए हमेशा संघर्ष करेगा। विधिमंडल के चुनावों में हिस्सा लेना ही हमारा अंतिम उद्देश्य है। काँग्रेस के टिकट पर चुने जाने वाले हरिजन उम्मीदवारों से पूछिए। दो साल और सात महीनों के आपके कार्यकाल के दौरान आपने अस्पृश्यों के लिए क्या किया? उन्होंने विधिमंडल में क्या एकाध प्रश्न भी उठाया? क्या एकाध प्रस्ताव भी रखा जिससे कि आपका हित हो? तो फिर वे वहां गए क्यों? वॉइसराय की नई घोषणा के अनुसार केन्द्र सरकार में अस्पृश्यों का प्रतिनिधि लेने की बात तय हुई। लेकिन गांधी ने आपके खिलाफ शिकायत की। आपके प्रतिनिधि को यानी मुझे वहां से निकालने की कोशिश की थी। आज भी ये कोशिश जारी है। काँग्रेस के पीछे पड़े हरिजनों ने गांधीजी के सामने बीचबचाव किया। गांधी ने उन्हें बताया कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इस हालात के बारे में आप जरा ठंडे दिमाग से सोचें। यह परीक्षा की घड़ी है। हजारों सालों से हमें गुलामी में कैद कर रखा गया है। हम भी उस गुलामी के घाव झेल रहे हैं। इसलिए अब इस गुलामी को जड़समेत उखाड़ कर फेंकने के लिए आप तैयार हों। इसके लिए हमें राजनीतिक सामर्थ्य यानी सत्ता हासिल करनी होगा। गांधी के धोखेबाज दिल पर विश्वास ना करें। आगे दो हजार सालों तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। किसी और पर निर्भर न करें। हमें खुद अपना उद्धार करना होगा। ध्यान में रखें कि राजनीतिक सत्ता मिले बगैर हमारा उद्धार संभव नहीं। (तालियां)। इस प्रकार आगामी चुनावों का बहुत महत्व है। हमारी लड़ाई कौरव-पांडवों की तरह की भिडंत है। हिंदू और अस्पृश्यों के बीच की लड़ाई निर्णायक है। इन चुनावों से इस देश का भविष्य तय करने वाली संविधान समिति बनेगी। उसमें बहुसंख्य और अल्पसंख्य जनजातियों के संबंधों के बारे में निर्णय होगा। हमारे सुयोग्य और काबिल उम्मीदवारों को जाना चाहिए। इसके लिए जी-तोड़ कोशिश करनी चाहिए। विधिमंडल की सभी सीटें हमें पानी होंगी। नया राजनीतिक संविधान आने वाला है। तब काँग्रेस और हिंदू महासभा में सुलह होगी। और ध्यान में रखें कि ये हिंदू लोग हजार सालों पहले की स्थितियां वापिस ले आएंगे। काँग्रेस के लोग

स्वराज की पुकार लगाते हैं लेकिन मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि हम पर किसका राज चलेगा? पाटीदार–धनिक तालुकदार–पूंजीपति या, वरिष्ठ हिंदुओं का राज? पिछले बीस वर्षों से मैं यही पूछ रहा हूं। अन्य किसी से भी अधिक हमें स्वराज पाने की जल्दी है। हम अपना राज्य चाहते हैं। हमारा वही स्वराज सत्ता होगा। पिछली बार जंग छिड़ी तो काँग्रेस ने सरकार के साथ असहयोग किया। काँग्रेस ने सरकार से कहा, जंग खत्म होने के बाद अगर स्वराज देने का वचन मिलेगा तभी हम सरकार की मदद करेंगे, कहा। काँग्रेस ने सरकार से जो सवाल किया वहीं सवाल आज काँग्रेस से पूछना चाहता हूं। न्याय, नीति, सच्चाई और ईमानदारी हो तो वे स्वराज में अस्पृश्यों को योग्य प्रतिनिधित्व देकर शिक्षा, नौकरी और सामाजिक उन्नति के संदर्भ में स्वराज में अस्पृश्यों के लिए योग्य रियायतें और सुरक्षा देने का भरोसा दिलाएं। लेकिन वे इस प्रकार का आश्वासन नहीं देते। इस बारे में वे कुछ नहीं बोलते। जो बोलते नहीं उनके पेट में कुछ बुरा खौलता रहता है। जहर होता है। यह बात ध्यान में रखें। मेरे गुजराती बंधुओं! मुझे महाराष्ट्र की कोई चिंता नहीं सताती। क्योंकि वे संगठित हैं। वे किसी के भुलावे में नहीं आते। संगठन की सामर्थ्य के कारण वे विरोधियों को हराएंगे इसका मुझे यकीन है। महाराष्ट्र की ही तरह गुजरात में अस्पृश्यों के लिए चार सीटें हैं। फेडरेशन इन चार जगहों पर चुनाव लड़ेगा। वह पीछे नहीं हटेगा। हम जानते हैं कि हमारे विरोधियों के पास प्रकार–पैसा और मानव संसाधन विपुल है। लेकिन इनके बल पर विजय पाना असली विजय पाना नहीं। हम मार कर मरेंगे लेकिन रणभूमि से भागेंगे नहीं। यही हमारा निश्चय है। उसे सफलता दिलाना अब आपके हाथ में है। काँग्रेस के झूठे प्रचार और घूसखोरी को ठोकर मार कर उड़ा दीजिए। कहते हैं पैदल तीर्थयात्रा करने से पुण्य मिलता है। उसी प्रकार आगामी चुनावों में अपने समाज के उद्धार का पुण्य प्राप्त करने के लिए खुद अपने पैरों पर चल कर फेडरेशन के उम्मीदवारों को अनपा वोट दें। उन्हें जिताएं अखिल भारतीय दलित फेडरेशन ही अपनी एक मात्र राजनीतिक संस्था है। उस पर भरोसा रखें। आप एकजुट हों। आखिर में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपके इस अहमदाबाद शहर में बहुत बड़ी संख्या में मिल मजदूर हैं. उनमें से बहुसंख्यक मजदूर अस्पृश्य हैं। विधिमंडल में इस शहर के श्रमिकों के प्रतिनिधियों की दो जगहें हैं। पिछली बार मजदूर महाजन और काँग्रेसवादी संस्था ने अस्पृश्य श्रमिकों के मतों से गुलजारीलाल नंदा और कंडूभाई देसाई को जिता कर विधिमंडल में भेजा। ये क्या कभी हमारे प्रतिनिधि बन पाएंगे। इस बार ये दोनों सीटों पर हम अपने उम्मीदवारों को जिताएंगे, पूंजीपति और काँग्रेस की सोच से चलने वाले मजदूर महाजन संस्था का विश्वास न करें। अखिर आप सभी को एक इशारा देता हूं। भविष्य को पहचानों, अपनी गुलामी नष्ट करने के लिए आने वाले चुनाव जीतिए। (तालियां और जयध्वनि)

226

*कामगारों के लिए मानवी हक जरूरी हैं

गुरूवार, दिनांक 6 दिसंबर, 1945 के दिन दोपहर 11 बजे सचिवालय में लेबर कमीश्नर, सलाहकार और अन्य अधिकारियों की परिषद का मुंबई में उदघाटन करते हुए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा, आज तक हालात ऐसे थे कि सभी सरकारी नियंत्रण मुट्ठी भर सत्ताधारियों के हाथ में थे। उनकी मगरूर कार्यशैली के कारण कामगारों का दबना और औद्योगिक विकास संभव था लेकिन अब वह जमाना नहीं रहा। आज जमाना बदल गया है। सत्ता और कानून के बल पर कामगारों को दबाना, उन पर हुकुम चलाना अब संभव नहीं। आज संविधान के अनुसार हिंदुस्तान सरकार कुछ कर नहीं पाती। मजदूरों की समस्याएं प्रांतिक सरकार के तहत होने के कारण मुश्किल होती है। धन के बल पर मजदूर तो मिल सकते हैं लेकिन उनके साथ मनमाना व्यवहार नहीं किया जा सकता। मजदूर भी इन्सान हैं और इन्सान के होने के नाते जो अधिकार मिलते हैं वे उन्हें भी मिलना जरूरी है। युद्ध खत्म हो चुके हैं लेकिन पूंजीपति और मजदूरों की लड़ाईयां कम महत्वपूर्ण नहीं। आज हिंदुस्तान की सरकार के सामने तीन मार्ग हैं– सुलह, कामगारों का वेतन निश्चित करना, कामगार और मालिक के संबंध तय करना। इन्हीं पर इस परिषद में सोचा जाना जरूरी है।

---

*जनता : 15 दिसम्बर, 1945

227

*शिक्षा के बगैर महत्वपूर्ण पद हासिल नहीं किए जा सकते

1 और 8 दिसंबर, 1945 के 'जनता' के अंक में मुंबई इलाका शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन के अध्यक्ष श्री भा. कृ. गायकवाड़ ने एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की। इस सूचना में कहा गया था कि अपने समाज के इकलौते नेता, नेक नामधारी डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर एम.ए., पीएच डी.डी. एससी, बार. एट-लॉ और हिंदुस्तान सरकार के मजदूर मंत्री (लेबर मेंबर) के लिए व्यस्तता के कारण नासिक, अहमदनगर, पश्चिमि खानदेश और पूर्व खानदेश आदि हर जिले की यात्रा करना संभव नहीं हो पाया इसलिए इन चार जिलों की ओर से रविवार 9 दिसंबर, 1945 को शाम 4 बजे मनमाड जैसी केन्द्रीय जगह पर सभा का आयोजन किया गया है। अस्पृश्य माने गए समाज का आज का कर्तव्य विषय पर वह सार्वजनिक भाषण देंगे। ऐसे सुनहरे मौके का फायदा सभी भाई और बहनें उपस्थित रह कर अवश्य उठाएं। इस प्रकार पहले से की गई घोषणा के अनुसार रविवार, 9 दिसंबर, 1945 के दिन मनमाड में बहुत बड़ी सभा हुई।

सभा में हिस्सा लेने के लिए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मुंबई से रविवार सुबह की गाड़ी से निकले।

करीब छह-सात सालों के बाद महाराष्ट्र में अस्पृश्यों के इस गढ में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जा रहे थे। अस्पृश्य जनता अपने वंदनीय नेता के दर्शनों के लिए आतुर थी। दूर-दूर से आते लोगों के झुंड मनमाड़ की ओर कुछ कर रहे थे। चिलचिलाती धूप में, कांटों-कंकड़ों से जाती राह पर वे चले जा रहे थे। रसद की गठरी अपनी पीठ पर बांधे, अस्पृश्यों के आंदोलन की जयकार करते हुए, बहुत दिनों बाद अपने इलाके में अपने नेता के दर्शन होंगे, इस आस को मन में लिए इन चारों जिलों से अस्पृश्य जनता आंनद और उत्सुकता के साथ मनमाड में इकट्ठा हो रही थी। बड़ी संख्या में लगभग पौन लाख अस्पृश्यों का जमावड़ा वहा जुटा था।

दोपहर ठीक सवा दो बजे डॉ. बाबासाहेब की गाड़ी स्टेशन में आई। जयघोष से जमीन और आसमान गूंज उठा। कुछ समय तक जयघोष का कंपार्टमेंट फूलमालाओं से लदा था। पूछताछ करने पर पता चला कि मनमाड के रास्ते में पड़ने वाले हर स्टेशन पर जहां-जहां गाड़ी रुकी थी। वहां लोगों ने उनका हार्दिक स्वागत करते हुए उन पर

*जनता : 15 दिसम्बर, 1945

फूलों की वर्षा की थी। साढ़ेतीन बजे के आस पास स्टेशन से बड़ा जुलूस निकला। शहर के प्रमुख हिस्सों से होता हुआ करीब दो मील की दूरी पर बसी अस्पृश्यों की बस्ती में आने के बाद मनमाड के अस्पृश्य छात्रों के लिए बार्डिंग की इमारत की नीव रखने के समारोह में डॉ. बाबासाहेब ने कहा, राजनीतिक आंदोलनों को हम जितना महत्व देते हैं उतना ही महत्व हमें शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए देना होगा। शिक्षा के बगैर हम महत्वपूर्ण पद हासिल नहीं कर सकते। और जब तक महत्वपूर्ण पद हम हासिल नहीं करते तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि सत्ता हमारे हाथ आई है। असल में प्रांत के सरकारों को शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ दिखाई नहीं देता। मैंने पहले भी बताया है और यहां संदर्भानुसार बताना जरूरी है इसलिए बता रहा हूं कि मैंने हिंदुस्तान की सरकार से अस्पृश्यों की शिक्षा के लिए तीन लाख रुपयों की मंजूरी ही है। इससे हमारे कई छात्रों को बजीफे मिल रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे अधिकतर छात्र ही अनुत्तीर्ण होते हैं। इसकी वजह मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैं छोटा था तब इस छोटे-से शामियाने जितनी ही हमारी खोली थी जिसमें हमारा पूरा परिवार रहता था। उसमें बहन के दो बच्चे, एक बकरी, एक चाकी, सिल आदि सब होता था। साथ में टिमटिमाता हुआ तेल का दीपक। इतनी गरीबी के बावजूद मैंने पढ़ाई की। बोर्डिंगों में हमारे छात्रों के लिए इससे कई गुना अच्छा प्रबंध होने के बावजूद वे दिन-रात मेहनत से पढ़ाई क्यों नहीं करते? आप जानते हैं कि जो पैसा देते हैं वे उसका हिसाब भी मांगते हैं। हिंदुस्तान सरकार भी पूछेगी कि अस्पृश्यों के लिए हम जो इतना पैसा खर्च करते हैं, तो उन्होंने उसका सार्थक उपयोग कैसे कियाघ् इसिलिए हमारे छात्रों को मेहनत से पढ़ाई कर पास होना चाहिए। क्या पता, कल अगर कांग्रेस मिनिस्ट्री, प्रदान मंडल सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे? इसीलिए मैं अभी से तीन लाख रुपयों की रकम को पांच लाख रुपये करवाने की कोशिशों कर रहा हूं।

भाषण के बाद डॉ. बाबासाहेब के हाथों अस्पृश्य छात्र बोर्डिंग की इमारत की नींव का पहला पत्थर रखा गया।

228

*अधिकारों के किले अपने कब्जे में हों तो डरने की जरूरत नहीं

9 दिंसबर, 1945 को मनमाड के अस्पृश्य विद्यार्थी बोर्डिंग की इमारत की नींव का पत्थर रखने के बाद डॉ. बाबासाहेब अमबेडकर सार्वजनिक सभास्थल पर आए। सभा की शुरूआत ठीक सवा छह बजे हुई। मुंबई प्रांत शेडयूल्ड कास्टस फेडरेशन के अध्यक्ष श्री भाऊराव कृ. गायकवाड़ और आंध्र प्रांतिक शाखा के सचिव श्री सूर्यप्रकाशमराव के शुरूआती भाषणों के बाद डॉ. बाबासाहेब बोलने के लिए उठ खड़े हुए। करीब पौन लाख अस्पृश्य जनता के सामने एक घंटे तक उन्होंने भाषण दिया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अपने भाषण की उन्होंने शुरूआत इस प्रकार की–

बहनों और भाइयों,

आज छह–सात सालों के बाद मैं यहां आया हूं। पूरे हिंदुस्तान में अस्पृश्य समाज के कार्य के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में महाराष्ट्र में सबसे अधिक जागरूकता है इसलिए इस हिस्से में बार–बार आने की मुझे जरूरत नहीं महसूस होती। इसके बावजूद आज यहां आना महत्वपूर्ण है इस बात का यकीन होने के कारण आज मैं यहां आया हूं।

आज इस देश में काँग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदु महासभा जैसे कई राजनीतिक दल हैं। हर पक्ष अपनी तरफ से राजनीतिक मांगें रख रहा है। मुसलमान लोग पाकिस्तान मांग रहे हैं, काँग्रेस स्वराज मांग रही है, हमें भी स्वराज चाहिए। स्वराज को लेकर काँग्रेस और हमारे बीच मतभेद नहीं, काँग्रेस के लोग अंग्रेजों को बता रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारा है। हिस्तान की राजनीति की चाभियां हमारे हाथ में दो और हिंदुस्तान छोड़ कर चलते बनो। लेकिन पिछले 20 सालों से मैं काँग्रेस से एक सवाल पूछ रहा हूं जिसका जवाल गांधी या काँग्रेस के अन्य लोग नहीं दे रहे हैं।

वह सवाल है कि आप जिस स्वराज की मांग कर रहे हैं उसमें किस पर किसका राज होगा? राज कौन करेगा? किस पर किया जाएगा? क्या हिंदु अस्पृश्यों पर राज करेंगे? स्वराज जो मिल रहा है वह किसका स्वराज यानी हमारी गुलामी ही होगी ना?

यही सवाल पिछले बीस सालों से मैं काँग्रेस वालों से और गांधी से पूछ रहा हूं। वे इस प्रष्ठन का जवाब नहीं दे रहे और उनके मन में कुछ गलत होगा तभी वे इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपकों सोचना यह है कि हमें जो स्वराज मिल रहा है तो उसमें हमें असल में मिल क्या रहा है?

आज हम पर कौन से काम लादे गए हैं? झाड़ू लगाना, नालियों की सफाई करना

*जनता : 15 दिसम्बर, 1945

आदि। राजनीति के ताले की चाभियां अगर काँग्रेस के हाथ आएं तो हमारी पुराने जमाने से चली आई गुलामी आगे हमेशा के लिए हमारे साथ चस्पां कर दी जाएंगी। झाडू लगाना, नालियों की सफाई जैसे काम हम पर थोप दिए जाएंगे और पता नहीं हमारे बुरे हालात किस हद तक और गिरते जाएंगे।

इतनी सारी कोशिशों कर मैंने सरकारी खाते से 3 लाख रुपये हमारे समाज के इन बच्चों के लिए रखी है जो विदेष्ठा जाकर पढ़ना चाहते हैं। इन 3 लाख रुपये के 5 लाख रुपये बनाने की कोशिशों में मैं आजकल लगा हुआ हूं। इसी प्रकार करीब आठ प्रतिशत सरकारी नौकरियां अपने उम्मीदवारों को मिलने की सुविधा निमार्ण की गई है। हमारी उन्नति के लिए आजतक इन तथा इन जैसी और रियायतें और सरकारी मदद मिली और मिल रही है वह सब तब नेस्तनाबुत होगा जब राजनीति की चाभियां कांग्रेस के हाथ चली जाएंगी।

मैं इतनी सारी कोशिशों क्यों कर रहा हूं? हमें मौके की जगहें, अधिकार के पद पाने हैं इसलिए। इसके बगैर हमारे लिए कोई चारा नहीं। किले से ही दुश्मन के सैनिकों की शेह लेकर इन पर जोरदार हमला किया जा सकता है। दुश्मन अगर पूरा प्रांत काबिज कर ले और किले हमारे पास हैं तब तक किसी बात से डरने की जरूरत नहीं होती। पेशवाओं के युग में अंग्रेजों की सत्ता नहीं थी। मुसलमानों का राज भी नहीं था। उस वक्त संपूर्ण स्वराज था। उस स्वराज में हमारी क्या स्थिति थी?

अस्पृश्य जाति का व्यक्ति सड़क पर थूके नहीं इसलिए उसके गले में भटकी बंधी थी। सड़क पर चलते हुए उनके पैरों के निशान न बने इसलिए पीठ पर झाडू बंधा था। पेशवाओं के राज में अस्पृश्यों का जो बुरा हाल हुआ था वैसा ही बुरा हाल अस्पृश्यों का होने वाला है यह किसी को भी भूलना नहीं चाहिए। शिक्षापात्र से गुजारा चलाने वाले यही ब्राह्मण अधिकारियों से लेकर कलर्क के पद तक के पद हथिया कर अनपा स्थान पक्का किए बैठे हैं।

किसी गांव में मुसलमान का एक ही परिवार भी अगर रहता है तो इसी गांव में रहने वाले हजार-पांच सौ स्पृश्य हिंदू लोग उनकी कितनी लब्बो-चप्पों करते हैं। उनके सामने छींकने तक की किसी की हिम्मत नहीं होती। उसी गांव में रहने वाले पांच-पच्चीस स्वधर्मी अस्पृश्य लोगों को वे ही स्पृश्य हिंदू लोग छोकर से उडाते हैं। अंग्रेजों के शा. सनकाल में स्वराज मांगने वाले इन हिंदुओं के हाथ अगर स्वराज गया तो सोचिए कि अपना क्या हाल होगा।

हिंदुस्तान में युरोपीयन, मुसलमान, सिक्ख, एंग्लो इंडियन, पारसी, ईसाई आदि अल्पसंख्यक जातियां है। राजनीति का सामान्य ज्ञान रखने वाला कोई भी इन्सान आपको सहज ही बता सकता है कि इनमें से असल में किसी जाति को राजनीतिक सुरक्षा की जरूरत है तो वह है अस्पृश्य समाज को ही है। ऐसी स्थितियों में आज तक काँग्रेस के लोग क्या करते रहे हैं? 1930-32 में विलायत में जो राऊंड टेबल कॉन्फरंस हुई थी उसमें अस्पृश्स्य लोगों

की ओर से मुझे शामिल होना पड़ा था। उस वक्त गांधी ने क्या किया था?

ईसाई, युरोपीयन, पारसी, सिक्ख, मुसलमान आदि अल्पसंख्यकों ने राजनीतिक सुरक्षा पाने के लिए पत्र भेजे। मुसलमानों के अलावा अन्य सभी की मांगे मान ली गईं। मैंने भी अर्जी भेजी थी। उस अवसर पर गांधी को डर लगता था कि ये सभी लोग एक हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ये काँग्रेस का भट्टा बिठा देंगे, काँग्रेस के बाराह बजेंगे। इसीलए गांधी ने मुसलमानों के साथ गुप्त करार किया। उनसे कहा गया कि– आपकी सभी 14 मांगें हमें मंजूर हैं लेकिन आपको अस्पृश्यों की मांग का विरोध करना होगा। असल में मुसलमानों की जनसंख्या और अस्पृश्यों की जनसंख्या लगभग बराबर है और राजनीतिक सुरक्षा की जरूरत अस्पृश्यों को ही अधिक है। लेकिन इस प्रकार गांधी ने सभी पार्टियों की अर्जी को मंजूर कर मुसलमानों से गुप्त करारनामा किया और मेरी अर्जी नामंजूर की।

ऐसी है गांधी की कपटनीति। कुछ दिनों पूर्व शिमला में जो परिषद हुई उसमें भी गांधी ने अलग क्या किया?

वाइसराय साहब ने परिषद के बारे में सरकारी नीति की घोषणा करने वाला एक सूचना पत्र निकाला था जिसमें उन्होंने राजनीतिक दृष्किोण से अस्पृश्य एवं अस्पृश्येतर हिंदू इस प्रकार हिंदू समाज के दो हिस्से करने वाला शब्द समूह का प्रयोग किया था। धार्मिक नजरिए से अस्पृश्य लोग हिंदुओं से सचमूच अलग हैं या नहीं इस बात को थोड़ी देर नजरंदाज भी कर दिया जाए तब भी राजनीतिक नजरिए से अस्पृश्य समाज स्पृश्य हिंदू समाज से अलग माना गया था। लेकिन कुल राजनीतिक आंदोलन तता वाइसराय के सूचना –पत्र से गांधी की 'अंदरूनी आवाज' जाग गई। फिर गांधी ने एक सूचना–पत्र निकाल कर उसके जिरए घोषणा की कि, अस्पृश्य और अस्पृश्येतर हिंदू या सवर्ण हिंदू इस शब्द समूह का प्रयोग राजनीतिक तौर पर हिंदू समाज को दो हिस्सों में बांटने वाला होने के कारण गैर–वाजिब है।

इसकी जड़ क्या है? कौरव–पांडवों के युद्ध के बारे में आप थोड़ी–बहुत जानकारी रखते ही होंगे। कौरव सौ थे और पांडव पांच। कौरवों ने पूरे राज्य पर कब्जा किया हुआ था। इस राज्य का कुछ हिस्सा पांडवों को मिले, युद्ध टाला जाए इसके लिए श्री कृष्ण बीच बचाव करने के लिए कौरवों के नेता दुर्योधन के पास गया। उसने दुर्योधन को बताया कि, आधा राज आप रखिए और आधा पांडवों को दीजिए। लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी। हम पर कृष्ण ने कहा कि इस राज्य का दण्डकारण्य तो पांडवों को दीजिए। इस पर दुर्योधन ने जवाब दिया कि दण्डारण्य तो दूर सूई की नोक पर जितनी मिट्टी आए उतनी जमीन भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा।

गांधी और काँग्रेस के लोगों की अस्पृश्यों के बारे में यही मानासिकता है। इसका कारण क्या है?

राजनीतिक रूप से हिंदू समाज के इस प्रकार दो हिस्से करने से मुसलमानों की ही तरह अस्पृश्यों को राजनीति में अलग से अधिकार प्राप्त होंगे, यह बात गांधी और उनके पिट्‌ठू जानते हैं।

केंद्रीय एसेंब्ली के चुनावों के परिणामों को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए। इन चुनावों में मुसलमान लोगों का पृथक चुनाव-क्षेत्र होने के कारण मुसलमान लोग मुश्किल लीग के तहत प्रचंड बहुमत पाकर विजयी हुए। मुस्लिम लीग से लड़ने की ताकत कांग्रेस के पास नहीं रही।

हालांकि कुछ नए पक्ष और कुछ अन्य पक्ष, जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा आदि सभी पार्टियों को इस चुनाव में हार हुई।

सफलता पाना न पाना भेले पूरी तरह अपने हाथ में न हो, लेकिन एक बात निर्विवाद रूप से सच है कि लड़ाई में असफलता मिलने के कारण निरुत्साहित होना नहीं चाहिए। लेकिन, कुछ दलों ने अपने आपको समेटने का निर्णय लिया।

इससे किस बात का पता चलता है? यही कि, आगामी चुनावों में असल मुकाबला केवल दो ही दलों के बीच होने वाला है और वे दो दल हैं- शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन और काँग्रेस।

इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको निश्चय करना होगा। बहुत बलशाली दुश्मन से हमें भिड़ना है। यह जिम्मेदारी आप सबकी है। काँग्रेस ने सबी दलों को ने. स्तनाबूत करने का षड्‌यंत्र रचा है। सभी दलों को दबा दिया है। यह समय न तो खीर खाने का है और न ही दो-चार रुपयों से जेब गर्म करने का है।

हमें सामना करना है, युद्ध करना है। इसके लिए आप लोगों से निश्चय, निर्धार करना होगा। निश्चय के सहारे ही हम सफलतापूर्वक हम यह लड़ाई जीत सकते हैं। चुनाव के दिन हर किसी को सुबह ही मतदान के जिस केन्द्र पर आपका नाम आता है वहां अपने आप चले जाना चाहिए।

हमारे पास न मोटरें हैं और न पैसा है। लेकिन हमारे पास निश्चय है। जहां भी इस प्रकार की सुविधान न हो वहां बिना किसी की राह देख खुद चल कर पहुंचना चाहिए और फेडरेशन के उम्मीदवार को ही अपना वोट देना होगा।

विभिन्न दल उम्मीदवारों को टिकट देते हैं। केन्द्रीय एसेंब्ली में हाल ही में काँग्रेस के टिकट पर गाडगिल चुन कर आए हैं। इसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में मराठा लीग को सफलता नहीं मिलेगी यह जान कर काँग्रेस के ही टिकट पर हिरे भी चुनाव जीत चुके हैं। फिर जिसे टिकट कहते हैं उसका महत्व ही क्या है? गाडगिल के साथ यह परगाछा भी जा मिला इतना ही उसका मतलब है। किसी ने मुझे बताया कि अमृतराव रणखांबे को काँग्रेस का टिकट मिला है। सो, काँग्रेस का टिकट यानी क्या? तो-

महापालिका से कुत्ते के गले में बांधने के लिए एक तमगा दिया जाता है और वह इसलिए दिया जाता है कि उसके सहारे इस बात का पता चलता है कि उस कुत्ते का मालिक कौन है। उस तमगे की तरह ही यह काँग्रेस का टिकट होता है।

आगामी चुनावों के लिए जिन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जनता में की गई है उनके बारे में कई लोगों के मन में कई तरह के अंदाजे बांधे जा रहे हैं।

फलां उम्मीदवार को टिकट दिया गया, उस दूसरे को क्यों नहीं दिया गया यह देखना आपका काम नहीं है।

अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य क्या है यह आपको लोगों को अच्छी तरह जानना होगा।

जिस दल की ओर से इन उम्मीदवारों को खड़ा किया गया है उस शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन पार्टी की भूमिका क्या है? उस दल की दिशा क्या है? वह किन रास्तों को अपनाता है? उसका लक्ष्य क्या है? यह जानना आपका कर्तव्य है।

कोई यह भी पूछ सकता है कि मुंबई प्रांत के लगभग सभी जिलों में जिन्हें खड़ा किया गया था उन्हीं उम्मीदवारों को इस बार भी टिकट क्यों दिया गया?

आप सब लोग जानते हैं कि हमें काँग्रेस के साथ चुनाव लड़ना है। कांग्रेस के पास ढेर सारा पैसा है। दो-चार हजार रुपये फेंक कर वे किसी भी उम्मीदवार को फोड़ सकते हैं। लोहे का खंभा अगर जमीन में गाड़ दिया जाए तो धूप, हवा, बारिश आदि किसी बातों का उस पर कोई असर नहीं होता। न वह झुकता है और न टूटता है। ये उम्मीदवार भी उन खंभों की तरह ही हैं। वे न तो झुकेंगे और न टूटेंगे, इसका मुझे यकीन हो गया है।

इस बार आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी होगी। वह यह कि, यह किसी इक्के-दुक्के की जिम्मेदारी नहीं है। हम सब की जिम्मेदारी है। अपने भाई को टिकट नहीं दिया इसलिए कोई रूठता है तो कोई इसलिए नाराज होता है कि उसके, चाचा या रिश्ते के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया।

मेरे दो बेटे हैं और दोनों समाज कार्य करते हैं ऐसा कई लोगों ने मुझे बताया है। इतना ही नहीं, यह भी बताया जा रहा है कि उनमें से किसी एक को चुनावों में खड़ा करें। लेकिन, मेरा संकल्प है कोई मेरे बारे में यह न कह सके कि मैंने प्राप्त अधिकारों के बल पर अपने बच्चों को आगे बढ़ाया।

इन चुनावों में जिन उम्मीदवारों को खड़ा किया गया है उनमें कुछ हद तक कमियां अगर हैं भी तो उन्हें पूरा करने की सामर्थ्य मुझमें है। जिस दिन मुझे पता चलेगा कि राजनीति की इस नौका को पार ले जाने की सामर्थ्य मुझमें नहीं है, उस दिन मैं राजनीति छोड़ दूंगा।

229

*अन्याय का विरोध किए बगैर अपना उद्धार कैसे संभव है?

वन्हाड प्रांतीय शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन की पहली परिषद अकोला (वन्होड) में 9 और 10 दिसंबर, 1945 को हुई थी। इस परिषद में अमरावती, बलढाणा, यवतमाल, अकोला और मध्य प्रांत जैसे दूरदराज के इलाकों से सैंकड़ों प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। इस परिषद में करीब पौन लाख लोग शामिल हुए थे।

परिषद की खासियत

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर पहली बार अकोला में आ रहे थे इसलिए वन्हाड प्रांत के चारों जिलों से हजारों पुरुष और महिलाएं बाबासाहेब के दर्शनों के लिए आए हुए थे। दो-दो दिनों की यात्रा करके भी कुछ लोग अपने प्रिय नेता के दर्शन करने और उनका संदेश सुनने के लिए आए हुए थे। बाबासाहेब अकोला में आ रहे हैं इस बात की पहले से खबर होने के कारण सिनेमा हॉल में दस दिन पहले से विज्ञापन दिखाया जा रहा था- कि अखिल भारतीय बहिष्कृत वर्ग के इकलौते नेता डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर 10 दिसंबर, 1945 को अकोला में आएंगे और भाषण देंगे।'' सो, बाबासाहेब के आगमन के बारे में अकोला ही नहीं पूरे वन्हाड की जनता को उत्कंठा थी कि हमारे अनभिसिक्त राजा, हमारे नेता से कब हमारी मुलाकात होगी। अकोला आने तक जिन-जिन स्टेशनों पर गाड़ी रुकी थी वहां हर स्टेशन पर उनका हार्दिक स्वागत किया गया था जिस कारण पूरी रात उन्हें परेशानी हुई थी। अखबारों के प्रतिनिधियों को साक्षाकार देने और मध्य प्रांत के नेताओं के साथ आगामी चुनावों से संबंधित विषयों पर करीब पौन घंटे तक बातचीत करते के बाद प्रमुख नेताओं की तस्वीर ली गई।

जुलूस की शुरूआत अकोला स्टेशन से हुई। जुलूस तीन-चार फलीग लंबा था। अकोला स्टेशन से तिलक मैदान तक के रास्ते पर दोनों तरफ भीड़ जमा थी। इस जुलूस में अखिल भारतीय शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन के उत्साही महासचिव श्री राजभोज, भारतीय संस्थान शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन के अध्यक्ष सुबटया, म्यु. कामगार परिषद के नियोजित अध्यक्ष श्री सज्जनसिंह, शांताबाई दाणी-नासिक से आदि शामिल थे। वन्हाड प्रांत के जिलों से आशा समता सैनिक दल भी जुलूस में बड़े उत्साह के साथ शामिल हुआ था और उसने जुलूस में व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी बहुत अच्छे ढंग से सम्भाल रखी थी। दोनों ओर सैनिक दल, बीच में नेताओं की गाडियां, पीछे महिला मंडल

*जनता : 22 दिसम्बर, 1945

और अन्य जनसमूह थे। जुलूस में सबसे आगे थे विभिन्न वाद्यों के साथ उन्हें बजाने वाले कलाकार। उनके पीछे मर्दाना खेल दांड-पट्‌टा और उनके पीछे बैंड़। इस प्रकार बड़े उत्साह के साथ बाबासाहेब की जय बोलते हुए जुलूस चल रहा था। जुलूस में कई तरह नारे लगाए जा रहे थे जिनकी आवाज से वातावरण गूंज रहा था जैसे- 'डॉ. अम्बेडकर कौन है? दलितों का राजा है! शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन की जय हो।' 'हरिजन शब्द का धिक्कार है' 'अम्बेडकर जिंदाबाद! थोड़े दिन में भीमराज!'

इस प्रकार के अपूर्व माहौल में 'जुलूस साध्वी रमाबाई अम्बेडकर नगर' में विसर्जित हुआ। उसके बाद श्री सुबटया के हाथों झंडा वंदन का कार्यक्रम हुआ। अध्यक्ष द्वारा ऊपर चढ़ाया शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन का नीला झंडा ऊंचे जाकर फहरा। समता सैनिक दल द्वारा झंडे को सलामी दी गई। उस वक्त तालियों की गड़गड़ाहट और फेडरेशन की जयकार में वातावरण गूंज उठा था।

श्री सुबटया की अध्यक्षता में समता सैनिक दल की परिषद संपन्न हुई। उसके तुरंत बाद शांताबाई दाणी की अध्यक्षता में महिला परिषद ली गई। सौ, गीताबाई गायकवाड़ और मिसेस नाईक ने महिलाओं को स्फूर्तिदायक आदेश दिया और उसके बाद परिषद का कामकाज संपन्न हुआ। ठीक साढ़े पांच बजे डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का मंडप में आगमन हुआ। उस वक्त आकाश को छेदने वाले नारों से और तालियों की गड़गड़ाहट से समूचा वातावरण आनंदभरा हो उठा था। धेयनिश को समर्पित उस अस्पृश्य वर्ग के स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का यह दिव्य प्रतीक देख कर स्वधर्मी और विधर्मी लोगों के मुंह से अपने आप धन्योद्‌गार निकल रहे थे।

परिषद का कामकाज

ठीक साढ़े छह बजे परिषद की शुरूआत हुई। नागपुर के शेंद्रे वकील ने सुस्वर में गायन प्रस्तुत किया। स्वागताध्यक्ष श्री डी. जेड. पलसपगार ने अपने भाषण में उपस्थित जनसमुदाय और डॉ. बाबासाहेब का स्वागत किया। उसके बाद अकोला के अकर्ते बकील (कॉंग्रेस), अमृतकर वकील (हिंदू महासभा), म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष रावबहादुर आठल्ये, मुस्लिम लीग के सदस्य श्री काजी वकील ने बाबासाहेब की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और बताया कि डॉ. बाबासाहेब केवल अस्पृश्यों के ही नहीं वरन् अखिल भारत के नेता हैं, वह एक तपस्वी हैं। उन्होंने इस घोषणा के बाद बाबासाहेब के आंदोलन के बारे में और फेडरेशन के बारे में आदर व्यक्त किया। उके बाद डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के महासचिव रावसाहब ठवरे ने इस बात का जिक्र कर अपना वक्तव्य पूरा किया कि वे अपना पक्ष छोड़ कर फेडरेशन पक्ष में किस प्रकार शामिल हुए। उसके बाद श्री इंगले ने अखिल वन्हाड प्रांत के अस्पृश्य जनता की ओर से मानपत्र पढ़कर सुनाया। फिर डॉ.

बाबासाहेब को 1101 रुपयों की थैली अर्पण की गई।

ठीक साढ़े सात बजे डॉ. बाबासाहेब बोलने के लिए उठ खड़े हुए। तालियों की गड़गड़ाहट हुई और वातावरण 'अम्बेडकर जिंदाबाद' अम्बेडकर कोन हैं, दलितों के राजा हैं, जैसे नारों से गूंजता रहा। जनसमुदाय शांत हुआ तो बाबासाहेब ने अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा,

भाइयों और बहनों,

अब तक के वक्ताओं ने जो कुछ कहा उससे मेरी भूमिका स्पष्ट हो चुकी है। सो, उसके बारे में बिना और कुछ कहे इलेक्शन के बारे में बोलूंगा। आप जानते ही हैं कि आज का इलेक्शन 1937 के इलेक्शन से बिल्कुल अलग है। इस बार इलेक्शन दलितों के जीने-मरने का मसला है। इस मसले को हल कर हमें अपने जीवन के अद्य कर्तव्य-कर्म को निभाना होगा। दुनिया को हमारे, अभेद्य संगठन की मिसाल देनी ही होगी। यानी कि, जाहिर है- फेडरेशन के सभी उम्मीदवारों को जिता कर हमें अपने राजनीतिक अधिकार हासिल करने हैं।

राजनीतिक सत्ता हाथ में हो तो आदमी क्या कर सकता है इसका एक उदाहरण में आपको बताता हूं। वायसराय के जिस कार्यकारी मंडल में मेरा प्रवेश हुआ है उसके 15 सदस्य हैं। हममे से मैं अकेला ही हूं। इस बात को ढाई साल बीत चुके हैं। मेरे वहां जाने से पहले केन्द्र सरकार ने अस्पृश्यों की शिक्षा की कोई जिम्मेदारी अपने सिर नहीं ली थी। लेकिन सरकार ने मुसलमानों के अलीगढ़ विश्वविद्यालय को 20 लाख रुपयों की और बनारस हिंदु विश्वविद्यालय को 19 लाख रुपयों की मदद दी थी। इसके अलावा इन दोनों संस्थाओं को हर वर्ष 3 लाख रुपयों की मदद देना बरकरार है। साथ ही 60 रु. प्रति छात्र के हिसाब से 300 कॉलेज वजीफे मंजूर किए गए हैं। छात्रों की भरपूर मदद करने की नीति बनाई गई है। इसी वर्ष 30 छात्र उच्च शिक्षा पाने के लिए विलायत जाएंगे। अब ऐसी व्यवस्था की गई है कि कम से कम 2 वर्षो में 15 अस्पृश्य छात्र यहां से पढ़ने के लिए विलायत जाएंगे। ऐसी व्यवस्था यहां पहले कभी नहीं थी लेकिन आज हुई है। अब नौकरी के बारे में देखिए मुसलमानों को सैंकड़ा 20, ईसाइयों को 8.50 प्रतिशत लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं। बस सिफारिश की गई थी कि इनकी तरफ ध्यान दें। हाल ही में सरकार को मेरी मांग उचित लगी और हमारे लिए नौकरियों में आठ पूर्णांक एक तिहाई आरक्षण को मंजूरी मिली। मैं जब वहां गया तब मेरे विभाग में अस्पृश्य हमाल तक नहीं थे। लेकिन अब 2 डेप्युटी सेक्रेटरी, 1 अंडर सेक्रेटरी और 3 एक्झीक्युटिव इंजीनियर्स इस प्रकार अस्पृश्यों की भर्ती की है। कोई कहते हैं कि मैं केवल महारों का ही हित करता हूं। मैं महार जाति

में पैदा हुआ इसका मैं क्या सकता हूं? मेरे खिलाफ कही जाने वाली यह बात झूठी है। मेरे विभाग में सिमला में 28 कलर्कों में से 18 भंगी है।* विलायत जाने वालों में 1 मांग, 1 भंगी और बहुत सारे चमार हैं। एक और बात मैं इसके साथ ही बताना चाहता हूं। एक मैला-कुचैला भंगी उम्मीदवार जब शिमला में इंटरव्यू के लिए आया था तब मुझे पता चला था कि उसे यकीनन इनकार किया जाएगा। तब मैंने अपना वजन खर्च कर उसे चुनना दिया। अब वह विदेश में है। मैं आत्मश्लाघा कर रहा हूं ऐसा बिल्कुल न समझें। बस मैं यह समझाना चाहता हूं कि राजनीतिक सत्ता हाथ में हो तो इंसान क्या क्या कर सकता है। इसीलिए, इज्जत और इंसानियत भरा बर्ताव पाने के लिए अस्पृश्य समाज को राजनीति काबिज करनी चाहिए। यानी, फेडरेशन के प्रतिनिधियों को विधिमंडल में जाकर हम पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यह हमारी एक मांग है।

1920 में गांधी ने हरिजन संघ बनाया उस संघ के जरिए हरिजन छात्रों को वजीफे देना शुरू किया। उद्देष्ठय यही था कि हमारे स्वाभिमानपूर्ण आंदोलन से उन्हें अलग करना। अपने गुट में शामिल करवा लेना। इस मामले में अस्पृश्य छात्रों से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसे लालचों का आप जितना फायदा उठा सकते हैं, उठाइए। लेकिन अपना कर्तव्य न भूलें। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। पुराणों में देव-देत्यों के बीच युद्ध हुआ था। इसमें विजय पाने के लिए देवों ने कच को भेज कर संजीवनी मंत्र सीखने की जुगत लड़ाई थी। कच की मानसिकता को अपना कर उसी के जैसा बर्ताव करो। इसी में समाज का हित है।

इस देश में कई जातियां और धर्म हैं। उनमें सामाजिक समता या संगठन नहीं है। दो जातियों के बीच रोटी-बेटी का व्यवहार नहीं होता, अगर होता है तो उसे केवल अपवाद मात्र जानें। महार का बेटा अगर ब्राह्मण की बेटी से विवाह करता है या ब्राह्मण की बेटी महार के बेटे से शादी करती है तो मुझे उस बारे में कुछ नहीं लगता। लेकिन मैं एक बात पूछता हूं कि क्या इस प्रकार के विवाहों से अस्पृश्यों की अस्पृश्यता नष्ट होगी? हमारी बच्चियां क्या काली हैं? क्या उनकी नाक पिचकी है? या वे कुरूप हैं? एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं अस्पृश्य लड़के का अस्पृश्य लड़की से विवाह को क्या हासिल?

स्वराज्य के मसले पर हममें कोई मतभेद नहीं। लेकिन स्वराज में हमें अपने अधिकार मिलने चाहिए। मैं काँग्रेस से बस यही कहना चाहता हूं कि आपके स्वराज में हम पर किसका राज होगा इस सवाल का जवाब दीजिए।

---

* मूल संहिता में आंकड़ा नहीं दिया है हालांकि बाबासाहेब ने पुणे, दिए अपने भाषण में इस बात का जिक्र आता है

फिलहाल हमारे पास कोई साधन नहीं हैं। स्पृश्य लोगों के हाथों में सत्ता है इसलिए जो उनकी मर्जी हो वहीं वे तय कर देते हैं। उनके पास काफी पैसा है, वाहन हैं तथा अन्य चीजें भी हैं। हमारे पास यह सब नहीं है। इन चीजों के प्रति मोह पर हममे से कई लोग बलि चढ़ गए हैं। लेकिन मैं नहीं चढ़ा। (हंसी) सो, मैं आपको यह बात साफ तौर पर बता रहा हूं कि इस प्रकार के साधनों की उम्मीद बिना रखे केवल अपने दल के प्रति अपना कर्तव्य मानते हुए पैदल चल कर जाएं और जिनके पास मताधिकार हैं वे बिना मूल्य के समाज सेवा की भावना से फेडरेशन के उम्मीदवार को ही वोट दें। यही उनका श्रेष्ठ कर्तव्य है। देश के अल्पसंख्यकों को लगने वाला डर दूर करने के लिए परिश्रम करने की बात कांग्रेस कह रही है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। समूचे देश का प्रतिनिधि होने का उसका अपने बारे में किया जा रहा प्रचार धोखे में डालने वाला है। बडे पैमाने पर लोगों से समर्थन हासिल करने की यह कॉँग्रेस के नेताओं की कोशिश है। अंग्रेजों के चले जाने के बाद तथा स्वराज मिलने के बाद विभिन्न अल्पसंख्यकों के हकों की केंद्र सरकार कैसे रक्षा करेगी इस बात पर सोच-विचार करने के लिए कॉँग्रेस को चाहिए कि वे एक हिंदी गोलमेज परिषद बुलाए और विचार विमर्श करे। ऐसा करने के बजाय कॉँग्रेस ने अन्य पक्षों को धता बताते हुए दावा करना ष्शुरू किया कि सत्ता उसी के हाथ में रहनी चाहिए। कॉँग्रेस का यह दुराग्रह हम बरदाश्त नहीं करेंगे। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि कॉँग्रेस से अलिप्त रहें।

आज सुबह एक व्यक्ति ने मुझसे मिल कर कहा हम हर तरह से स्पृश्यों पर निर्भर हैं इसलिए अगर हम उनके खिलाफ शिकायत करने जाएं तो कोई अस्पृश्य अधिकारी सुनने तक के लिए राजी नहीं होता। हम क्या करें? मैं कहता हूं, यह बात सच है लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि भेड़ बन कर ऐसा जीवन और कितने दिन जियोगे? अन्याय के खिलाफ कभी न कभी तो मुंह खोलना ही पड़ेगा न? अन्याय का विरोध किए बगैर क्या हमारा उद्धार होना संभव है? कोट, बूट, पैंट पहन कर मैं आपके सामने खड़ा हूं मेरे हाथ में सोने की घड़ी है। मैं साफ-सुथरा हूं। मुझे महार कहने की हिम्मत किसी में है क्या? इसके बावजूद मैं महार हूं। (हंसी) मैं अगर पहले ही हार मान कर बैठ जाता तो क्या यह स्थिति आती? मेरे हाथ में आज जो सोने की घड़ी दिखाई दे रही है, क्या वह दिखाई देती? (हंसी) कहने का मतलब ये है कि अन्याय के खिलाफ आपको 'जैसे को तैसा' न्याय से विरोध करना सीखना होगा। अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहिए। सो, मैं आपसे आखिर इतना ही कहना चाहता हूं कि अब के बाद का समय आपातकाल है। उससे मुकाबले की तैयारी मजबूत नींव पर होनी चाहिए। फेडरेशन के सभी उम्मीदवारों को बहुमत से जिताना होगा। हिंदुस्तान सरकार ने घोषणा की है कि प्रांतीय विधिमंडल में जीतने वाले प्रतिनिधियों में से ही संविधान समिति चुनी जाएगी। इस समिति के द्वारा तैयार होने वाला संविधान कई सालों तक अस्तित्व में रहेगा। हो सकता है वही कायम भी हो। कॉँग्रेस हमारी कुछ सीटें जीतेगी तो हमारा नुकसान होता। हम अलग लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए दिन-रात कोशिश कर हमें सभी सीटें जीतनी होंगी। यही उपदेश कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

230

*कम्युनिस्टों से सावधान रहें

अध्यक्ष डीएल पाटील, महासचिव एच. डी. आवले, सचिव आर. बी. कवाडे, कोषाध्यक्ष सीताराम हाडके- औफिस, मध्य प्रांत वन्हाड शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन, अभ्यंकर रोड, सिताबर्डी, नागपूर ने सूचना-पत्र निकाला था-

'12 दिसंबर, 1945 की शाम को नागपुर में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का सार्वजनिक भाषण होगा। आगामी चुनावों के संदर्भ में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर अस्पृश्य जनता को उद्देश्य कर सार्वजनिक दिव्य संदेश देंगे।

'इस दिव्य संदेश को सुनने के लिए अस्पृश्य भाईयों और बहनों, हजारों लाखों की संख्या में सभा में उपस्थित हों। फेडरेशन के चुनावों के लिए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को इस कार्यक्रम में थैली अर्पण की जाएगी। विनति है कि इस कार्य में सभी भाई-बहन और हर जिले के फेडरेशन के कार्यकर्ता पूरी सहायता दें। साथ ही सभी का सभी छोटे-बड़े गांवों में प्रचार करें ताकि बड़ी संख्या में लोग सभा में उपस्थित हों। सभी में प्रवेश के लिए टिकट रखा गया है। 1945-46 के लिए जो चार आने देकर फेडरेशन के प्राथमिक सदस्य बनेंगे उन्हीं को कार्यक्रम के टिकट मिलेंगे। कुर्सी-पहला वर्ग 3 रुपये, कुर्सी-दूसरा दर्जा 2 रुपये, दर्शक 8 आने, महिला-चार आने। टिकट फेडरेशन के दफ्तर में मिलेंगे।

सूचनानुसार नागपुर में 12 दिसंबर, 1945 की शाम को हुई सभी में करीब एक लाख लोग उपस्थित थे। उनमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में उपस्थित थीं। चुनाव प्रचार की उससे पहले हुई सभाओं की तुलना में यह सभा बहुत बड़ी थी।

शाम को डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर रायपुर से यहां आए। उनके स्वागत के लिए स्टेशन पर बहुत बड़ा जनसमुदाय इकट्ठा हुआ था। स्टेशन से लेकर कस्तुरचंद पार्क तक सड़क के दोनों तरफ हजारों लोगों की कतारें बंधी थीं। समता सैनिक दल का भीड़ पर अच्छा नियंत्रण था।

उनके चुनावी दौरे की यह आखिरी सभा थी। यहां आने से पूर्व वह वन्हाड के अकोला शहर तता महाकौशल के रायपुर शहर हो आए थे।

भाषण की शुरूआत में ही डॉ. बाबासाहेब ने बताया कि सभी दलों को स्वराज चाहिए। उन्होंने कहा-

मतभेद केवल एक मुद्दे को लेकर ही है और वह है कि अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ कर

*जनता : 8 और 22 दिसम्बर, 1945

जब चले जाएंगे तब हिंदुस्तान पर कौन राज करेगा। काँग्रेस के नेता बताने हैं कि काँग्रेस के अलावा अन्य किसी पक्ष को स्वराज नहीं चाहिए। लेकिन उनकी यह बात सफेद झूठ के अलावा कुछ नहीं।

मैं आप सभी दलितवर्गियों की ओर से सबको चेतावनी देता हूं कि अंग्रेजों के बाद स्थापन होनेवाली हिंदुस्तान सरकार में अगर अस्पृश्यों को दोयम स्थान दिया जाएगा तो यह बात हर्गिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें अपने राजनीतिक अधिकार मिलने ही चाहिए। उन्हें पाने के लिए लड़ने का निष्ठचय हमने किया है।

पिछले बीस सालों में हम जैसे अल्पसंख्यकों का विश्वास पाने के लिए काँग्रेस ने कोई कोशिश नहीं की है। काँग्रेस खुद को देश की प्रतिनिधि बताती है लेकिन यह सही नहीं है। लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए काँग्रेस के नेता जानबूझकर ऐसा बताते हुए लोगों को बरगला रहे हैं।

उदाहरण के तौर पर समूचा अस्पृश्य समाज कांग्रेस का समर्थक नहीं है बल्कि वह ऑल इंडिया शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन के साथ है। अंग्रेज जब देश छोड़ कर चले गए तब केन्द्र सरकार में किसे कौन-सा और कितना स्थान मिले इस बारे में मतभेदों को खत्म करने के लिए असल में काँग्रेस को चाहिए था कि वह सभी अल्पसंख्य दलों के नेताओं की एक परिषद से और सबके मन में व्याप्त संशय और अविश्वास को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन उसकी जगह काँग्रेस ने कहा कि सत्ता उसके हाथ सौंपी जाए, मानों देश में कोई और राजनीतिक दल का अस्तित्व ही न हो।

मेरे अस्पृश्य समाज की ओर से मैं सबसे कहता हूं कि काँग्रेस को हमारा प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं अपने सभी जाति बंधुओं से दिल से बस यही कहना चाहता हूं कि हम अपना दल पृथक राजनीतिक दल के रूप में संगठित कर अपने न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए झगड़ कर ही अपना क्ल्याण हासिल कर सकते हैं।

इस नजरिए से आगामी चुनाव बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि इन चुनावों में हमारे लिए आरक्षित रखी गई चौदहों सीटों पर शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन के उम्मीदवारों को ही जिताएं। जब तक सत्ता हमारे हाथ नहीं आती तब तक हमारी बातों का कोई महत्व नहीं होगा। हर तरह के कष्ट सहें, निर्भय बनें, किसी तरह का न्यून भाव न पालें और अपने देश के राजकाज में हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए, इस बात के लिए हठ करें।

आगामी चुनाव हमारे समाज के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अगर अपनी उन्नति करनी हो तो हमें राजनीतिक सत्ता हासिल करनी ही होगी। अपने राजनीतिक अधिकारों को लेकर हमें कौन-सी आकांक्षाएं पालनी है यह कोई भी राजनीतिक दल नहीं बता सकता और कोई राजनीतिक सत्ता हमें इस मामले में पीछे हटने के लिए नहीं कह सकती। मुझे यकीन है कि अबके बाद कोई नेता अस्पृश्यों को दोयम स्थान देना

चाहे तो उसे बर्दाशत नहीं किया जाएगा।

जिस प्रकार काँग्रेस अल्पसंख्यकों का विश्वास अर्जित नहीं कर पाई है उसी प्रकार सवर्ण हिंदुओं पर भी कांग्रेस का विशेष प्रभाव दिखाई नहीं देता। गांधी के नेतृत्व में काँग्रेस द्वारा चलाए गए अस्पृश्यता निवारण और मंदिर प्रवेश के अभियानों में काँग्रेस पूरी तरह से असफल रही है। उनके आंदोलन का कोई असर हुआ दिखाई नहीं देता। हाल ही में मैं जगन्नाथ पूरी गया था। वहां का जगन्नाथ मंदिर मुझे केवल बाहर से ही देखना पड़ा। उस मंदिर के अंदर जाकर मैं जगन्नाथ की मूर्ति नहीं देख पाया। इससे आप जान जाएंगे कि अपने अधिकार पाने के लिए हम केवल अपने संगठन पर ही भरोसा कर सकते हैं। हमें सैंकड़ों सालों से हिंदुओं से झेलने पड़े अत्याचारों से अपने संगठन के सहारे ही मुक्त पानी होगी।

मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं कि आप कम्युनिस्ट पार्टी से सावधान रहें। क्योंकि, उनके पिछले कुछ सालों से किए जा रहे काम को देखने से पता चलता है कि वे कामगारों का अहित कर रहे हैं। बल्कि मुझे यकीन हो चला है कि वे उनके शत्रु हैं। कम्युनिस्ट कहते हैं कि कांग्रेस पूंजीपतियों की संस्था है और साथ ही बताते हैं कि कामगार उसमें शामिल हों। हिंदुस्तान के कम्युनिस्टों की अपनी कोई नीति नहीं है। उन्हें स्फूर्ति मिलती है रूस से।

जैसा कि वे बताते हैं क्या सचमुच कम्यूनिस्टों को कामगारों के बारे में अपनत्व है? अगर ऐसा होता तो वे भारतीय कामगारों का एक पृथक राजनीतिक पक्ष का संगठन बनाते। काँग्रेस से हाथ मिलाने का जो उपदेश वे अब तक करते आए हैं, नहीं करते।

काँग्रेस ने उन्हें भगा दिया है इसलिए अब वे हमसे मिल कर हमारे बीच उठापटक करने लगे हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कम्युमिस्टों से सावधान रहिए। अपने शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन का उन्हें अपने प्रचार के लिए उपयोग न करने दें। शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन ही भारतीय अस्पृश्यों की सच्ची प्रतिनिधि है। हमारे प्रांत में उसका बल बढ़ रहा है। आज यहां इकट्ठा हुई इस बड़ी भीड़ से यह बात साबित होती है। आप लोग मेरा भाषण शांतिपूर्वक सुन रहे हैं इसकी मुझे खुशी है। जिन सैंकड़ों स्वयंसेवकों द्वारा यहां का प्रबंधन किया गया है उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं। सभी युवकों से मेरी विनति है कि वे फेडरेशन के साथ मिल कर और आगामी चुनावों में बिना वेतन के काम करने के लिए बहुसंख्या से आगे आएं।

इसी तरह आपका साथ मिलता रहा भारत की राजनीति में हमें न्यायपूर्ण हिस्सा मिलेगा जरूर।

डॉ. बाबासाहेब के भाषण के बाद वहां उमड़े जनसागर ने हर्ष से 'जय भीम' नारा लगाया।

231

*अस्पृश्य समाज को चुनावों में बेहद सावधान रहना होगा

23 दिसंबर, 1945 की दोपहर 1.30 बजे डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मुंबई से 'मद्रास एक्स्प्रेस' से मद्रास प्रांत के दौरे के लिए निकले। दूसरे दिन शाम को वह मद्रास स्टेशन पहुंचे। डॉ. बाबासाहेब के साथ थे ऑल इंडिया शेडयूल्ड कास्टस फेडरेशन के महासचिव श्री पी. एन. राजभोज भी थे। मद्रास स्टेशन में हजारों अस्पृश्य भाइयों ने डॉ. बाबासाहेब का हर्षोउल्लास अंतःकरण से अपूर्व स्वागत किया। मद्रास कार्पोरेशन के मेयर और ऑल इंडिया शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन के अध्यक्ष रा. ब. एन. शिवराज ने मद्रास प्रांत की और से डॉ. बाबासाहेब का सम्मान किया। समता सैनिक दल के सैंकड़ों सैनिकों ने डॉ. बाबासाहेब को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जयघोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। 'पूना करार का निषेध है' के नारे लगाए गए। डॉ. बाबासाहेब के आने से मद्रास प्रांत में नई चेतना का संचार हुआ।

25 दिसंबर, 1945 को मद्रास में अस्पृश्य वर्ग की विराट सभा में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का 'आगामी चुनाव और अस्पृश्य समाज के कर्तव्य' विषय पर चिंतनयोग्य और बोधपूर्ण भाषण हुआ। अपने भाषण में डॉ. बाबासाहेब ने कहा,

''आगामी, निकट आ रहे प्रांतीय चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इस बार जो चुनाव जीतेंगे, हिंदुस्तान का भावी संविधान बनाने का अधिकार भी मिलेगा। इसीलिए इस चुनाव में अस्पृश्य समाज को बेहद जागरूक रहना होगा। किसी के और किसी भी तरह के लालच का शिकार हुए बगैर अपना असली हित साधने वाले प्रतिनिधियों को जिताना यही आज अस्पृश्यों का कर्तव्य है। ब्रिटिश हिंदुस्तान में हमारा समाज 6 करोड़ के आस-पास है और पिछले दो हजार सालों से अन्य लोगों ने हमें बेहद बुरी स्थितियों में जीने पर मजबूर किया है। हमें इस गर्त से केवल शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन संस्था ही बाहर निकाल सकती है। ''काँग्रेस ही स्वराज है'' जैसी छलावे में डालने वाली घोषणाओं के शिकार न बनें। स्वराज आने के बाद बी उसमें हमें अस्पृश्यों कितना हिस्सा मिलेगा यही बड़ा चिंता का विषय।

काँग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र एक ढोंग है, ढकोसला है। इस घोषणा पत्र में किसानों और मजदूरों को दिलाए जाने के बारे में विचाराधीन विषयों की सूची है। लेकिन उसमें अस्पृश्यों के अधिकारों का जिक्र तक नहीं किया गया है।

काँग्रेस से केवल एक ही बात सीखने लायक है- उनके पक्ष का अनुष्ठाासन। आप सब लोग अगर फौलादी अनुशासन में बद्ध होकर शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन के झंडे के नीचे आएं तो आपकी उन्नति सुनिश्चित है।

---

*जनता : 29 दिसम्बर, 1945

232

*अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए फेडरेशन को अपूर्व विजय दिलाएं

27 दिसंबर, 1945 के दिन कोइंबतुर के बच्चे-बुढ़े सब डॉ. बाबासाहेब के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में स्टेशन पर इकट्ठा हुए थे। डॉ. बाबासाहेब जैसे ही स्टेशन से बाहर निकले 'जय भीम' के नारों से वातावरण गूंज उठा। इन नारों ने अस्पृश्येतरों को यकीन दिला दिया कि दक्षिण हिंदुस्तान में भी लोग डॉ. बाबासाहेब के दर्शन के लिए हमेशा उत्सुक होते हैं। शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन की स्थानीय शाखा की ओर से आयोजित इस सभा में अस्पृश्यों के अपार जनसमुदाय के सामने भाषण देते हुए डॉ. बाबासाहेब ने कहा,

''आगामी चुनावों में जो जीत कर आएंगे वे हिंदुस्तान का संविधान बनाने वाले हैं, इसलिए ये चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन चुनावों में मुख्य रूप से दो ही पार्टियों के बीच झगड़ा है- शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन और कॉँग्रेस के बीच। आप सबको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि ब्राह्मणेतर पार्टी यहां टूट-फूट गई है इसलिए कॉँग्रेस से ही हमारा जबरदस्त विरोध होगा। 1937 में ब्राह्मणों ने अपनी वर्चस्विता स्थापित कर मंत्रिमंडल पर कब्जा किया।''

ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर पक्षों के बारे में बोलते हुए उन्होंने श्री राजगोपालाचारी और श्री कामराज नाडर के बीच चल रहे विवाद की ओर निर्देश किया। उन्होंने कहा कि, कॉँग्रेस को चुनावों में बहुमत मिला और राजगोपालाचारी को मंत्रिमडल बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ तो श्री नाडर को वे जेल की हवा खाने भेजेंगे। आगे बोलते हुए डॉ. बाबासाहेब ने कहा 'हमें (अस्पृश्यों को) क्या चाहिए? हमें विधिमंडल में और अधिकारियों की जगहों में निश्चित अनुपात में प्रतिनिधित्व चाहिए। शिक्षा के लिए पैसा चाहिए। और खेती के लिए जरूरत के मुताबिक जमीन चाहिए। अस्पृश्यों के भविष्य की चिंता को दूर करने के लिए न बातों की जरूरत है। ये बातें हासिल करने के लिए राजनीतिक अधिकार पाना जरूरी है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप सब इन चुनावों में अपने फेडरेशन के उम्मीदवारों को ही जिता दें। आप सब लोगों को यह निश्चय करना होगा कि अब के बाद हम किसी की वर्चस्विता अपने पर लादेंगे नहीं। हम पर कोई शासन न चलाए। हम खुद शासनकर्त्ता बनेंगे और इसी प्रण के साथ बरत कर अपने फेडरेशन को अपूर्म विजय दिलाएंगे तो हम जल्द ही अपना लक्ष्य हासिल करेंगे।

सूची

सूचीकारः डॉ. गंगाधर पानतावणे

विषयों की सूची

अ से अं तक

क

क
कंजर्बोटिव पार्टी
विद्रोह (सामाजिक/राजनीतिक/ मानसिक)
क्रांतिवादी
क्रिप्स कमिशन
क्रिप्स योजना
किंग्ज कमिशन कमेटी
कुराण
कूपर मंत्रीमंडल
कोकणस्थ महार को–ऑप हाडसिंग सोसाइटी
कोल्हापूर संस्थान

कोल्हापूर संस्थान दलित प्रजा परिषद
ख
खर्डे की लड़ाई
खादी ग्रामोद्योग
ईसाई धर्म
जमींदारी पद्धति
जमींदारी बिल
जमींदारी
ग
गांधीवाद
गुजराती (भाज़ा)
गुलामी
गोखले स्मारक मंदिर

घ
चार्टिस्ट आंदोलन
चाणक्य नीति
चातुर्वर्ण्य
ट
टाइम्स ऑफ इंडिया (अखबार)
ट्रेड डिस्पयूट बिल
ट्रेड युनियन एक्ट
ठ
ठाणे छात्रावास सहायक मंडल
ड
डॉ. अम्बेडकर स्पोर्टिंग क्लब
डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन
डोमिनियन स्टेटस्
त
तमिल (भाषा)
द
दि इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर
दि संडे ऑब्जर्वर (अखबार)
ध
धर्मयुद्ध
धर्मांतरण
न
नवयुग (अखबार)

नवा काल (अखबार)
नेशनल सीमेन्स युनियन
नासिक कालाराम मंदिर सत्याग्रह
नासिक जिला युवक संघ
नेहरू कमेटी
नेहरू संविधान
प
पब्लिक युटिलिटी सर्विस
प्रजातंत्र
प्रबोधन साहित्य समिति
प्रभात (अखबार)
प्रतिक्रांति
प्रांतीय विधान परिषद
प्रांतीय सरकार
पीपल्स हेराल्ड (अखबार)
पुणे करार
पुणे जिला वतनदार महार परिषद
पुराण
पुरूज़ सुक्त
पूर्णिमा (अखबार)
पूंजीवादी व्यवस्था
ब
बलुते, बारह बलुते
बहिष्कृत भारत (अखबार)

बहु राय अनुगामी राजकाज
ब्रहुसंख्यक (वर्ग)
बाइबिल
बाँबे सेंटिनल (अखबार)
ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर विवाद
ब्राह्मणशाही
ब्राह्मण धर्म
ब्राह्मण्य
ब्राह्मणेतर
ब्राह्मणेतर आंदोलन
ब्राह्मणेतर परिषद
ब्राह्मणेतर पक्ष
ब्रिटिश पार्लमेंट
ब्रिटिश राज
ब्रिटिश सरकार
ब्रिटिश साम्राज्य
बौद्ध धर्म
बेटी बंदी
भ
भगवद् गीता
भटशाही
भारत सेवक समाज
भाषा पर आधारित जनसंख्या
भीम सेना

म
मजदूर सरकार
मद्रास और द्रविड वर्कर्स एसोसिएशन
मद्रास इलाका शेडयूल्ड कास्टस् फेडरेशन
मद्रास शेडयूल्ड कास्टस् स्टुडंटस् एसोसिएशन
मध्यप्रांत वन्हाड दलित फेडरेशन
मनुस्मृति
मराठी (भाषा)
मराठेशाही
महाड तालुका महार हितरक्षक संघ
महार सत्याग्रह
महार स्मृति दिन
महाभारत
महार नवयुवक दल
महारकी
महारवाड़ा
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स
महाराष्ट्रीय (लोग)
मानपत्र
मांग वाड़ा
मुक्तता दिन
मूकनायक (अखबार)

व्यक्ति नाम सूची

स्थान सूची

न्युजीलैंड
प
पन्हाला
पंजाब
पंढरपुर
पर्सिया
पाकिस्तान
पाचगणी
पानीपत
पिंपलगाव-बसवंत
पुणे
पेरांबूर
फ
फलटण
फ्रान्स
फिनलैंड
ब
बंगाल
बडौदे
बार्डोली
बार्शी
ब्रिटेन
बिहार
बुलढाणा

बेलगांव
भ
भारत
भुसावल
म
मद्रास
मध्यप्रांत और वऱ्हाड
मनमाड
मराठवाड़ा
महाड
महाराष्ट्र
माणगाव
मालाशिरस
मुंबई
य
यवतमाल
युगोस्लोवाकिया
युरोप
येडशी
र
रत्नागिरी
रशिया
राजमहेंद्री
रामचंद्रपुर

जाति/समाज सूची

नाई
नीग्रो
दलित
धोबी
प्रभु
पारसी
फ्रेंच
बनिये
बहुजन समाज
ब्राह्मण

ब्राह्मणेतर
बौद्ध
भंगी
भंडारी
महार, पाण महार, बेले महार
मराठा
मातंग (मांग)
मारवाड़ी
मुसलमान

*****

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
DR. AMBEDKAR FOUNDATION
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

☎ 23320571
23320589
23320576
FAX : 23320582

निदेशक
DIRECTOR

15, जनपथ,
15, JANPATH
नई दिल्ली - 110001
NEW DELHI-110001

दिनांक – 31.10.2019

रियायत नीति (Discount Policy)

सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पहले के नियमों के अनुसार CWBA वॉल्यूम के संबंध में रियायत नीति (Discount Policy) जारी रखें। तदनुसार, CWBA इंग्लिश वॉल्यूम (डिलक्स संस्करण–हार्ड बाउंड) के एक पूर्ण सेट की कीमत और CWBA हिंदी वॉल्यूम (लोकप्रिय संस्करण–पेपर बाउंड) के एक पूरे सेट की कीमत निम्नानुसार होगी :

क्र.सं.	सीडब्ल्यूबीए सेट	रियायती मूल्य प्रति सेट
	अंग्रेजी सेट (डिलक्स संस्करण) (वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 17)– 20 पुस्तकें।	रू 2,250/–
	हिंदी सेट (लोकप्रिय संस्करण) (खंड 1 से खंड 40 तक)– 40 पुस्तकें।	रू 1073/–

2. एक से अधिक सेट के खरीदारों को सेट की मूल लागत (Original Rates) यानी रू 3,000/–(अंग्रेजी के लिए) और रू 1,430/–(हिंदी के लिए) पर छूट मिलेगी जो कि निम्नानुसार है।

क्र.सं.	विशेष	मूल लागत पर छूट का प्रतिशत
	रू 1000/– रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	10%
	रू 1001–10,000/– रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	25%
	रू 10,001–50,000/– रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	33.3%
	रू 50,001–2,00,000/– रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	40%
	रू 2,00,000/– से ऊपर की पुस्तकों की खरीद पर	45%

3. इच्छुक खरीदार प्रतिष्ठान की वेबसाइट : www.ambedkarfoundation.nic.in पर विवरण के लिए जा सकते हैं। संबंधित CWBA अधिकारी / पीआरओ को स्पष्टीकरण के लिए दूरभाष नंबर 011–23320588, पर कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 11:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

(देबेन्द्र प्रसाद माझी)
निदेशक, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय (भाग-II)

ISBN (सेट) : 978-93-5109-129-5

रियायत नीति के अनुसार
सामान्य (पेपरबैक) खंड 01-40
के 1 सेट का मूल्य : ₹ 1073/-

प्रकाशक :

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार
15, जनपथ, नई दिल्ली – 110 001
फोन : 011–23320571
जनसंपर्क अधिकारी फोन : 011–23320588
वेबसाइट : http://drambedkarwritings.gov.in
ईमेल : cwbadaf17@gmail.com